

DUE DATE SLIP

GOVT. COLLEGE, LIBRARY

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No.	DUE DATE	SIGNATURE

आर्थिक विकास के सिद्धान्त भारत में आर्थिक नियोजन

THEORY OF ECONOMIC GROWTH AND
ECONOMIC PLANNING IN INDIA

25 APR 1929

शन-56463
गोपीनाथ बहादुर
दीप देवा, दक्षं



श्री० जी० एल० गुप्ता
वर्षास्त्र विभाग
राजकीय महाविद्यालय, बुधी

●

कॉलेज लूक डिपो, जम्मु

ECONOMICS

1 सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण की प्रविधि	डॉ. डी. पी. शास्त्रे
2 भारतीय बंकिंग	डॉ. ए. दी. मिश्रा
3 नोक वित्त	डॉ. डी. एन. गुह्ये
4 भाइको इकानामिक घोरी	डॉ. डी. एन. गुह्ये
5 मैक्रो इकानामिक घोरी	डॉ. डी. एन. गुह्ये
6 अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था	डॉ. डी. एन. गुह्ये
7 आर्थिक विकास के सिद्धान्त एवं भारत में आर्थिक नियोजन	प्रो. जी. एस. शुष्टा
8 प्रमुख विदेशों को वैरांगन प्रशासिती	प्रो. के. चौधरी
9 सामग्री प्रबन्ध	प्रो. जे. शार. कुम्हट
10 भाइको इकानामिक घोरी	तेला, शर्मा, शुष्टा
11 आधुनिक आर्थिक सिद्धान्त	तेला, शर्मा, शुष्टा
12 इंडिया, इस एवं जापान का आर्थिक विकास	डॉ. चौधरी, लोदी, शाह, मेहता, साशुर
13 आर्थिक संगठन	डॉ. गगडाल, कोचर, शाह
14 कृषि अपेक्षास्त्र के सिद्धान्त	प्रो. के. एन. शाह
15 भारत एवं विदेशों में कृषि विकास	प्रो. के. एन. शाह
16 अम आर्थिकीयम्	डॉ. वी. एस. माधुर एवं प्रो. जे. शार. कुम्हट
17 उत्तराधिन प्रबन्ध	श्री जे. शार. कुम्हट
18 व्यावसायिक नीति एवं सामाजिक उत्तराधायित्व	डॉ. शार. के. बजाज
19 भजूरी नीति एवं सामाजिक सुरक्षा	प्रो. सी. एम. चौधरी
20 भौद्योगिक रास्तव्य	प्रो. सी. एम. चौधरी
21 सामिकी	प्रो. वी. शार. शमर
22 सरकार, समाज और अर्थव्यवस्था	डॉ. शार. के. बजाज एवं प्रो. वी. एल. शोरबाल
23 भारतीय अर्थव्यवस्था को समझाएँ	डॉ. टी. एन. चतुर्वेदी, डॉ. चंद्रला गुगडाल शाह
24 प्रबन्ध के सिद्धान्त	प्रो. सी. एम. चौधरी

प्राककथन

द्वितीय महायुद्ध के उपरान्त जिस युग का शुभारम्भ इस विश्व से हुआ उसकी दो मुख्य उपलब्धियाँ उल्लेखनीय हैं। एक ओर तो राजनीतिक परतन्त्रता को समाप्त करने का बोडा उठाया गया और दूसरी ओर आर्थिक विकास की समायनाओं पर अधिकारिक प्रकाश डाल कर पिछड़े हुए टाटों का निराशायुक्त निर्दा से जगने के अनेक प्रयास किए गए। सम्भवत पहली उपलब्धि से सफलता की अधिक अत्यक देखी जा सकती है वयोंके भारत तथा विश्व के अनेक उपनियेशों ने इस युग के अन्तर्गत दासत्व की घोड़ियों को काट कर स्वतन्त्रता प्राप्त की। सामाज्यवादी टाटों ५ भी ऐसे इस बात का आभास हो गया कि किसी दूसरे टाटों की भूमि पर शासन करना न तो व्यावहारिक ही है और न लाभदायक।

किन्तु आर्थिक क्षेत्र का इतिहास कुछ भिन्न प्रतीत होता है। व्यापिविकास के सिद्धान्त को आगे बढ़ाने में विश्व के प्रमुख अर्थगतियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है (जिसकी युट्ट का ग्रन्तीक 1969 से अब तक के अनेक नोवेल शाइक धिजेताओं को माना जा सकता है), यिन्ता का विषय यह है कि विकसित टाटों को आर्थिक क्षेत्र में उपनियेशवादी नीति का अन्त दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है कि टाजनीतिक उपनियेशवाद की बहुत कुछ प्रतिभा का आर्थिक नीतियों में समावेश हो गया है जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक उपनियेशवाद ने भयकर ल्य धारण कर लिया है। यह स्पष्ट है कि इसी प्रवृत्ति का सामना करने के लिए 1973 में खनिज तेल का उत्पादन एव निर्यात करने वाले देशों (O P E C) ने मूल्य वृद्धि की कट्ट नीति अपनाई, और उसी के परिणामस्वरूप 1974 में अन्तर्राष्ट्रीय सघ की महासभा द्वारा नए अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक प्राण्य (New International Economic Order) स्थापित करने का प्रस्ताव पाठेत किया गया। किन्तु जब मई 1976 में अन्तर्राष्ट्रीय सघ के व्यापार एव विकास सम्मेलन (UNCTAD) में इस प्राण्य को त्यक्त हार में लाने का प्रश्न उठा तो कुछ श्रवितशाली टाटों के विटों के कारण केवल यह सहमति प्रकट करके सम्मेलन भग हो गया कि कठिन समस्याओं पर किट कभी विचार किया जाए।

इस पृष्ठभूमि से श्री जी एल गुप्ता की पुस्तक 'आर्थिक विकास के सिद्धान्त' एवं भारत में आर्थिक नियोजन' विशेष महत्व रखती हैं। इस पुस्तक में आर्थिक सिद्धान्त का गहन विश्लेषण किया है और दूसरी ओर भारत में आर्थिक नियोजन का विद्वतापूर्ण दृश्य प्रस्तुत किया है। नवीनतम आंकड़े उपलब्ध करके सामयिक विधयों पट-जैसे बेरोजगारी, आय की असमानता तथा पर्यावरणीय योजना (1974-79) की प्रगति पट टोचक टिप्पणी प्रस्तुत की गई है। ट्रान्झिशन में आर्थिक नियोजन का विशेष रूप से सर्वेक्षण किया गया है।

प्रकाशक का प्रयास प्रत्यसर्नीय है। पुस्तक आमा है कि यह पुस्तक भारतीय विश्वविद्यालयों के वाणिज्य तथा अर्थशास्त्र के छात्रों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबन्ध विभाग,
स्कूल आैक कॉमर्स, राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर

डॉ० ओमप्रकाश
वरिष्ठ श्रोकेशर

नये संस्करण के द्वे शब्द

'आर्थिक विकास के सिद्धान्त एवं भारत में आर्थिक नियोजन' अपने सांख्यिक संस्करण के रूप में आएके सामने हैं। पूर्व संस्करण का जो स्थागित हुआ और विभिन्न क्षेत्रों से जो टचनात्मक सुग्राव प्राप्त हुए, उन्हे सामने रखकर पुस्तक में कितने ही परिवर्तन और समोद्देश किए गए हैं। इस संस्करण में अनेक अध्याय तो सर्वथा नए जोड़े गए हैं और उनमें से कुछ ऐसे हैं जिन पर विषय-सामग्री हिन्दी में प्रकाशित पुस्तकों में प्रायः उपलब्ध नहीं हैं। उदाहरणार्थ, विकास के दौरान उत्पादन, उपभोग, रोजगार, वित्तियोग और व्यापार में संत्यनात्मक परिवर्तन, विकास-दर के विभिन्न दर्शकों के थोगसान के सन्दर्भ में डेनीसन का अध्ययन, योजनाओं में नियोजित तथा बास्तव में प्राप्त बदल एवं वित्तियोग दरे, योजनाओं में क्षेत्रीय लक्ष्य, वित्तीय आवटन और उपलब्धियाँ, वित्तियोग-वृद्धि और उत्पादिता, सुधार के उपाय, भारत में गरीबी और असमानता आदि टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पर सामग्री हिन्दी पुस्तकों में प्रायः कम उपलब्ध हैं और जो हैं वह अधिकांशत अपर्याप्त हैं। प्रस्तुत संस्करण में इन विषयों पर प्रामाणिक ग्रन्थों के आधार पर व्यवस्थित ठोस जानकारी हेने का प्रयास किया गया है। आवश्यकतानुसार गणितीय विधि का प्रयोग किया गया है, लेकिन पुस्तक बोग्लिन न बने, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। यथासाध्य नवीनतम् आंकड़े देकर विषय-सामग्री को अद्यतन बनाया गया है। पुस्तक के प्रारंभिक भी विशेष प्रश्नपूर्ण हैं। राष्ट्रीय विकास परिपद की इवोकर्तिके उपद्रान्त 25 सितम्बर 1976 को पांचवीं पघवर्षीय योजना का जो सांख्यिक रूप सामने आया है, उसे भी विस्तार में परिप्रेक्षित के रूप में जोड़ दिया गया है। पुस्तक में अगस्त सितम्बर 1976 तक के आंकड़े प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर दिए गए हैं। टिजर्व थैक ऑफ़ डिपिड्यो के ब्लूलेटिनो, भारत सरकार की 1975-76 की वार्षिक रिपोर्ट, विभिन्न आर्थिक पर-प्रबिकाओं आदि से सभी आवश्यक सहायता ली गई है।

इस संस्करण में हमारा यह प्रयास रहा है कि विद्यार्थियों को आर्थिक विकास के सिद्धान्तों और देश के आर्थिक नियोजन के सैद्धान्तिक एवं स्थावरात्रिक पहलुओं का सुगमतापूर्वक किन्तु समूचित ज्ञान प्राप्त हो सके। पुस्तक के अन्त में विभिन्न विद्याविद्यालयों के प्रश्न पत्र भी दिए गए हैं ताकि विद्यार्थियों को प्रश्न-गैली का बोध हो सके।

जिन अधिकारिक विद्वानों की कृतियों से पुस्तक के प्रणयन में सहायता ली गई है, उसके लिए लेखक हृदय से आभारी हैं।

—लेखक

अनुक्रमणिका

भाग-1. आर्थिक विकास के सिद्धान्त (Theory of Economic Growth)

१. आर्थिक विकास का अर्थ और प्रवृत्तारणा	1
(The Meaning & Concept of Economic Growth)	
आर्थिक विकास का अर्थ एवं परिभाषा	2
आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक उन्नति	6
आर्थिक विकास की प्रकृति	8
आर्थिक विकास का माप	11
आर्थिक विकास का महत्व	13
२. अद्य-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं की विशेषताएँ	16
(Characteristics of Under-developed Economies)	
अद्य-विकसित अर्थ-व्यवस्था का भागशय और प्रमुख परिभाषाएँ	17
‘अद्य-विकसित’, ‘अविकसित’, ‘निधन’ और ‘पिछड़े हुए’ देश	21
अद्य-विकसित अर्थ-व्यवस्था की विशेषताएँ या लक्षण	22
अद्य-विकसित देशों की समस्याएँ	39
अद्य-विकसित राष्ट्रों के आर्थिक विकास की सामान्य आवश्यकताएँ	42
परिवर्ती देशों का अर्थशास्त्र पिछड़े देशों के लिए अनुशयुक्त	45
परिवर्ती देशों के आर्थिक साम्राज्यवाद के विरुद्ध तीसरी दुनिया की रणनीति	48
३. आर्थिक विकास के अन्तर्गत सरचनात्मक परिवर्तन : उत्पादन, उपभोग, रोजगार, निवेश और व्यापार के संगठन में परिवर्तन	50
(Structural Changes under Development : Changes in the Composition of Production, Consumption, Employment, Investment & Trade)	
आर्थिक विकास के अन्तर्गत सरचनात्मक परिवर्तन	50
उत्पादन की व्यवस्था, उपयोग व प्रबृत्तियाँ	53
उपभोग में सरचनात्मक परिवर्तन	56
व्यापार में सरचनात्मक परिवर्तन	60
विनियोग के स्वरूप में परिवर्तन	64
रोजगार के ढाँचे में परिवर्तन	69

4 शायिक विकास के प्रमुख तत्त्व एवं डेनिसन का अध्ययन	72
(Major Growth Factors, Denison's Estimate of the Contribution of different Factors to Growth Rate)		
शायिक विकास के प्रमुख तत्त्व	72
शायिक विकास के कारक और उनकी सापेक्षिक देन	83
शायिक विकास को अवस्थाएँ	85
विकास दरों के विभिन्न कारकों के योगदान का डेनीसन का मूल्यांकन	89
5 शायिक विकास से सम्बन्धित विचारधाराएँ : लेविस, हैरड- डोमर, महालनोबिस तथा अन्य	97
(Approaches to the Theory of Development : Lewis, Harrod-Domar, Mahalanobis and Others)		
शायिक लेविस का शायिक वृद्धि का सिद्धान्त ✓	97
हैरड-डोमर मॉडल	105
महालनोबिस मॉडल	119
नक्से, रोडन, हर्पेन, मिन्ट एवं लेवेन्स्टीन की विचारधारा	125
6 शायिक विकास के लिए नियोजन	147
(Planning for Economic Growth)		
नियोजित और अनियोजित अर्थ-व्यवस्था की तुलना	148
नियोजित अर्थ-व्यवस्था की श्रेष्ठता	149
नियोजन के लिए निर्धारित की जाने वाली चारों	158
नियोजन की सफलता की शर्तें	162
7 बचत दर व विकास-दर को प्रभावित करने वाले तत्त्व	168
(Factors Effecting the Saving Rate and the Over-all Growth Rate)		
बचत-दर को प्रभावित करने वाले तत्त्व	168
विकास-दर और उसे प्रभावित करने वाले तत्त्व	171
8 वित्तीय साधनों की गतिशीलता	174
(Mobilisation of Financial Resources)		
साधनों के प्रकार	174
गतिशीलता को निर्धारित करने वाले कारक	175
साधनों का निधारण	177
योजना के लिए वित्तीय साधनों की गतिशीलता	177
बचत और विकास भारत में राष्ट्रीय बचत भान्डोलन	188

iii अनुक्रमणिका

9 उपभोग वस्तुओं और मध्यवर्ती वस्तुओं के लिए मांग के अनुमान, आदा-प्रदा मुण्डांकों का उपयोग	192
(Demand Projections for Consumption Goods and Intermediate Goods The Use of Input-Output Co-efficients)		
आप-लोच द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं की मांग के अनुमान	192
आदा-प्रदा तकनीकी	194
10 उत्पादन-सेल्स का निर्धारण	200
(Determination of Output Targets)		
भारतीय नियोजन में लक्ष्य-निर्धारण	203
11 उत्पादन क्षेत्रों में विनियोगों का आवंटन	208
(Allocation of Investment between Production Sectors)		
विनियोग विकल्प की आवश्यकता	208
अद्वैत-विकसित देशों की विनियोग सम्बन्धी विशिष्ट समस्याएं	210
विनियोग मापदण्ड	211
ग्रंथि-व्यवस्था के क्षेत्र	219
किस क्षेत्र को प्रायमिकता दी जाए?	219
कृषि में विनियोग क्यों?	221
उद्योगों में विनियोग	224
सेवा-क्षेत्र में विनियोग	226
तीनों क्षेत्रों में समानान्तर व सन्तुलित विकास की आवश्यकता	227
12 विभिन्न क्षेत्रों में विनियोगों का आवंटन	230
(Allocation of Investment between Different Regions)		
विभिन्न क्षेत्रों में विनियोगों का आवंटन	230
भारतीय नियोजन और सन्तुलित प्रादेशिक विकास	232
13 निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में विनियोगों का आवंटन	235
(Allocation of Investment between Private and Public Sectors)		
सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का ग्रंथि	236
ग्रामिक विकास में निजी क्षेत्र का महत्व	236
ग्रामिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व	239
विनियोगों का आवंटन	242
भारत में निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में विनियोग	243
14 विदेशी विनिमय का आवंटन	249
(Allocation of Foreign Exchange)		
विदेशी विनिमय का महत्व और आवश्यकता	249
विदेशी विनिमय का आवंटन	251
भारतीय नियोजन में विदेशी विनिमय का आवंटन	255

15' मूल्य-नीति और वस्तु-नियन्त्रण (Price Policy and Commodity Control)	258
मूल्य नीति का महत्व	259
मूल्य नीति का उद्देश्य	260
मूल्य-नीति और आर्थिक विकास	260
मूल्य-नीति के दो पहलू	264
मिथित अर्ध-व्यवस्था में मूल्य-नीति के सिद्धान्त	267
विभिन्न प्रकार के पदार्थों से सम्बन्धित मूल्य नीति	268
वस्तु-नियन्त्रण	271
भारतीय नियोजन में मूल्य और मूल्य नीति	273
16 परियोजना मूल्यांकन के मानदण्ड, विशुद्ध वर्तमान मूल्य और प्रतिफल को आन्तरिक दर, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सारगत एवं लाभ (Criteria for Project Evaluation, Net Present Value and Internal Rate of Return, Direct and Indirect Costs and Benefits)	281
परियोजना मूल्यांकन के मानदण्ड	281
विशुद्ध वर्तमान मूल्य विधि	286
आन्तरिक प्रतिफल दर	290
आन्तरिक प्रतिफल दर तथा शुद्ध वर्तमान मूल्य	294
मानदण्डों की तुलना	294
परियोजना मूल्यांकन की लागत-लाभ विश्लेषण	296
विधि की आलोचना	296
प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लागतें व लाभ	297
भाग-2 भारत में आर्थिक नियोजन (Economic Planning in India)		
1 भारतीय नियोजन (Indian Planning)	301
‘प्रदेशीरण, ‘प्रेज़िम,	301
राष्ट्रीय आयोजन समिति	302
बम्बई योजना	..	302
जन योजना	303
गांधीवादी योजना	304
अन्य योजनाएं	305
स्वतन्त्रता के बाद नियोजन	305
भारत में नियोजन: समाजवादी समाज का आदर्श	309

▼ अनुक्रमणिका

2 योजनाओं में विकास, बचत एवं विनियोग दरें—नियोजित तथा प्राप्ति में प्राप्ति	319
(Growth Rates and Saving (Investment) Rates—Planned and Achieved in the Plans)	
भारत में नियोजित बचत एवं विनियोग की स्थिति	320
विकास दर	326
3 प्रथम तीन पचवर्षीय योजनाएँ—सेक्टरीय लक्ष्य, वित्तीय आवटन तथा उपलब्धियाँ	332
(First Three Five Year Plans—Sectoral Targets, Financial Allocation and Achievements)	
योजनाओं में वित्तीय आवटन	332
योजनाओं में सेक्टरीय लक्ष्य	341
प्रथम तीन पचवर्षीय योजनाओं की उपलब्धियों का मूल्यांकन	347
4 विनियोग-वृद्धि के उपाय और उत्पादकता-सुधार के उपाय	352
(Measures to Increase Investment and Measures to Improve Productivity)	
विनियोग वृद्धि के उपाय	354
उत्पादकता सुधार के उपाय	357
5 भारतीय योजना-परिव्यय के आवटन का मूल्यांकन	366
(Criticisms of Plan Allocation in India)	
प्रथम पचवर्षीय योजना की प्राथमिकताएँ	366
द्वितीय पचवर्षीय योजना की प्राथमिकताएँ	367
तृतीय पचवर्षीय योजना की प्राथमिकताएँ	369
चतुर्थ योजना में प्राथमिकताएँ	371
6 चतुर्थ योजना का मूल्यांकन	372
(Appraisal of the Fourth Plan)	
परिव्यय और निवेश	372
परिव्यय की वित्त व्यवस्था और उपलब्धियाँ	373
7 पांचवीं पचवर्षीय योजना (1974-79)	380
(Fifth Five Year Plan)	
पांचवीं योजना का विस्तृत विवरण	380
पांचवीं योजना के कुछ प्रश्न चिह्न	396
1974-75 और 1975-76 के लिए वार्षिक योजनाएँ	400
1976-77 के लिए वार्षिक योजना का दस्तावेज	401
आज का आयोजन	404
प्रादिक कामापलट के प्रति निराशा का कोई कारण नहीं	408

8 भारत में योजना-निर्माण प्रक्रिया और क्रियान्वयन की प्रशासकीय मशीनरी	414
<i>(The Administrative Machinery for Plan Formulation Process and Implementation in India)</i>	
भारत में योजना-निर्माण की प्रक्रिया 414
भारत में योजना-निर्माण की तकनीक	418
योजना-निर्माण और क्रियान्वयन की प्रशासकीय मशीनरी 422
योजना वा क्रियान्वयन	... 429
भारतीय योजना-निर्माण प्रक्रिया की समीक्षा	.. 431
9 भारत में गरीबी और असमानता	435
<i>(Poverty and Inequality in India)</i>	
भारत में गरीबी और विप्रवाद की एक भौतिक 435
(न) दैडिंगर एवं नीलबण्ठ रथ का अध्ययन	436
(ख) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का अध्ययन	439
(ग) डॉ रामाश्रम राय वा आर्थिक विप्रवाद पर अध्ययन	440
(घ) भारतीय व्यापार एवं उद्योग-मण्डलों के महासंघ	
द्वारा किया गया अध्ययन 443
(ङ) भारत में गरीबी की 1974-75 में स्थिति	... 444
गरीबी का मापदण्ड और भारत में गरीबी	445
गरीबी और असमानता के मापदण्ड	... 446
भारत में गरीबी और असमानता के कारण	... 447
गरीबी एवं असमानता को दूर करना कम करने के उपाय	448
पांचवर्षीय योजना के प्रति हृष्टिकोण में गरीबी और	
असमानता को दूर करने सम्बन्धी नीति	452
बीसन्मुक्ती आर्थिक कार्यक्रम और गरीबी पर प्रहार 454
10 भारत में वेरोजगारी-समस्या का स्वरूप तथा वैकल्पिक रोजगार नीतियाँ	457
<i>(The Nature of Unemployment Problem and Alternative Employment Policies in India)</i>	
भारत में वेरोजगारी का स्वरूप और किस्में	457
वेरोजगारी की माप	459
भारत में वेरोजगारी के अनुभाव	.. 460
भारत में ग्रामीण वेरोजगारी 462
शिक्षित वेरोजगारी 466
वेरोजगारी के कारण 468
वेरोजगारी : उपाय और नीति 470
वेरोजगारी सम्बन्धी भगवती समिति की सिफारिशें 471

VII अनुक्रमणिका

पांचवी पचवर्षीय योजना और बेरोजगारी	475
भारत के सर्वांगित क्षेत्र में रोजगार (1974-75)	479
राष्ट्रीय रोजगार सेवा (N.E.S.)	480

✓ 11 राजस्थान में आर्थिक नियोजन का संक्षिप्त सर्वोक्तुण
(A Brief Survey of Economic Planning in Rajasthan)

राजस्थान में प्रथम तीन पचवर्षीय योजनाएँ	482
राजस्थान की तीन बार्षिक योजनाएँ (1966-69)	487
राजस्थान की पांचवी पचवर्षीय योजना का प्रारूप एवं 1974-75 की वार्षिक योजना	491
राज्य की बार्षिक योजना (1974-75)	495
राज्य की बार्षिक योजना (1975-76)	496
राज्य की बार्षिक योजना (1976-77)	502

APPENDIX

1 भारी उद्योगों का विकास	504
2 लघु उद्योगों का विकास	510
3 प्रामीण विकास	517
4 सिचाई का विकास	523
5 राष्ट्रीय विकास और आंकड़े	525
6 राष्ट्र के आर्थिक कार्यालय के लिए परिवार नियोजन	529
7 जनगणना 1971 तथ्य एक दृष्टि में	533
8 राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय	535
9 मूल उद्योग के अनुसार निवल राष्ट्रीय उत्पाद के अनुभान प्रतिशत विभाजन	536
10 सकल राष्ट्रीय उत्पाद तथा निवल राष्ट्रीय उत्पाद	537
11 चुने हुए उद्योगों में उत्पादन	538
12 गंत सरकारी क्षेत्र में रोजगार	541
13 सरकारी क्षेत्र में रोजगार	..	542
14 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम	543
15 पांचवी पचवर्षीय योजना का प्रारूप	545
16 प्रश्न-कोश	548
17 ग्रन्थ-कोश	561

भाग-1

आर्थिक विकास के सिद्धान्त

(THEORY OF ECONOMIC GROWTH)

आर्थिक विकास का अर्थ और अवधारणा

(The Meaning and Concept of Economic Growth)

“भविष्य में बहुत बर्षों तक अल्पविकसित देशों का विकास अमेरिका और इस के बीच गहन प्रतियोगिता का क्षेत्र रहेगा। विश्व को समस्याओं में अपनी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण ऐसे अद्वैत-विकसित क्षेत्र विशेष रूचि का विषय रहेंगे जो या तो ऐसे सुविशाल प्राकृतिक साधनों से सम्पन्न हो जिनकी आवश्यकता विश्व-शक्तियों को हो अथवा जो सैनिक हृष्टि से सामरिक महत्व की स्थिति रखते हों।”

—एच डब्ल्यू शेनन

विकास का अर्थशास्त्र मुख्यतः अल्पविकसित देशों के आर्थिक विकास को समस्याओं का नियन्त्रण करता है। द्वितीय महायुद्ध के बाद आर्थिक विकास विश्व की एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या बन गया है और विश्व के विद्युत देशों के विकास में, मूलतः अपने प्रभाव-क्षेत्र की वृद्धि के लिए, विश्व की महाशक्तियों के बीच गहन प्रतियोगिता छिड़ी हुई है। वर्तमान ज्ञाताव्दी के पाँचवें दशक में और विशेषकर द्वितीय महायुद्ध के बाद ही विकसित देशों तथा अर्थशास्त्रियों ने अल्पविकसित देशों की समस्याओं के विश्लेषण की ओर, उनके आर्थिक पिछड़पेन को दूर करने की ओर ध्यान देना शुरू किया और आज तो अल्पविकसित देशों में आर्थिक विकास के प्रति वह जागरण पैदा हो चुका है कि विकास एक युग-नारा बन गया है।

विकसित राष्ट्र दुनिया के अल्पविकसित देशों की ओर यकायक ही सहानुभूति से उमड़ पड़े हों, यह बात नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि विकसित देश महायुद्ध के बाद खासतौर पर यह महसूस करने लगे हैं कि “किसी एक स्थान की दरिद्रता प्रत्येक दूसरे स्थान की समृद्धि के लिए खतरा है।” एशिया और अफ्रीका में राजनीतिक पुनर्स्थान की जो लहर फैली उसने भी विकसित देशों को यह महसूस

2 आर्थिक विकास के सिद्धान्त

करने के लिए बाध्य किया कि यदि वे अल्पविकसित देशों की आकांक्षाओं की पूर्ति की दिशा में सहयोगी नहीं हुए तो उनके अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाव-क्षेत्र को गहन और व्यापक आधार पहुँचेगा। विश्व की महाशक्तियां आर्थिक-राजनीतिक प्रभाव-क्षेत्र के विस्तार में एक दूसरे से पिछड़ जाने के मय से अल्पविकसित देशों को आर्थिक सहयोग देने की दिशा में इस तरह प्रतियोगी हो उठी।

इसमें सन्देह नहीं कि अल्पविकसित देशों में व्याप्त गरीबी को दूर करने में धनिक राष्ट्रों की हचिकुछ हद तक मानवतावादी उद्देश्यों से भी प्रेरित है, लेकिन मूल हृष से और प्रधानतया प्रेरणा-स्रोत प्रभावदोत्र के विस्तार की प्रतिस्फर्द्धा ही है। प्रो० एल डब्ल्यू शेनन ने वास्तविकता का सही मूल्यांकन किया है कि "भविष्य में बहुत बर्षों तक अल्पविकसित देशों का विकास अमेरिका और रूस के बीच गहन प्रतियोगिता का क्षेत्र रहेगा। विश्व की समस्याओं में अपनी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण ऐसे अद्वैत-विकसित क्षेत्र विशेष हचिका का विषय रहेंगे जो या तो ऐसे सुविशाल ग्राहकिक साधनों से सम्पन्न हो जिनकी आवश्यकता विश्व-शक्तियों को हो अथवा जो सैनिक दृष्टि से सामरिक महत्व की स्थिति रखते हों।"¹

आर्थिक विकास का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and Definition of Economic Growth)

आर्थिक विकास से अभिप्राय विस्तार की उस दर से है जो अद्वैत-विकसित देशों को जीवन-निर्धार्त-स्तर (Subsistence level) से ऊँचा उठाकर अल्पविकास में ही ऊँचा जीवनस्तर प्राप्त कराए। इसके विपरीत पहले से ही विकसित देशों के लिए आर्थिक विकास का आशय बत्तमान वृद्धि की दर वो बनाए रखना या उसमें वृद्धि करना है। आर्थिक विकास का अर्थ किसी देश की अर्थ-व्यवस्था के एक नहीं बरन् सभी देशों को उत्पादकता में वृद्धि करना और देश की निर्धनता को दूर करके जनता के जीवन स्तर को ऊँचा उठाना है। आर्थिक विकास द्वारा देश के ग्राहकिक और अन्य साधनों का समुचित उपयोग करके अर्थ-व्यवस्था को उद्धत स्तर पर ले जाया जाता है। आर्थिक विकास के विभिन्न पक्षों पर पथ्यपि भाज भी काफी असहमति है, तथापि इसको हम एक ऐसी प्रक्रिया (Process) कह सकते हैं जिसके द्वारा किसी भी देश के साधनों का अधिकारिक कुशलता के साथ उपयोग किया जाए। आर्थिक विकास की कोई निश्चित और सर्वभान्य परिभाषा देना बड़ा कठिन है। विभिन्न लेखकों ने इसकी परिभाषा भिन्न भिन्न विकास के माप के आधारों पर की है।

(क) विद्वानों के एक पक्ष ने कुल देश की याय म सुवार को आर्थिक विकास कहा है। प्रो० कुजनेत्स, पाल एल्वर्ट मेयर एवं बाल्डविन, ऐ जे यगसन आदि इस विचारधारा के प्रतिनिधि हैं।

(ख) विद्वानों का दूसरा पथ प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में सुधार को आर्थिक विकास मानता है। इस विचारधारा के समर्थक डॉ० हिंगिन्स, आर्थर लेविस, विलियमसन, बाइनर, होवें लिभिस्टीन आदि हैं।

(ग) अनेक विद्वान आर्थिक विकास को सर्वांगीण विकास के रूप में लेते हैं। अग्रिम पक्षियों में हम इन तीनों ही पक्षों को लेंगे।

(क) आर्थिक विकास का अर्थ राष्ट्रीय आय में वृद्धि

श्री भेदर और बाल्डविन के अनुसार "आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी अर्थ-व्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घकालीन वृद्धि होती है।"¹

आर्थिक विकास की इस परिभाषा में तीन बातें विचारणीय हैं—

1. प्रक्रिया (Process)—इसका आशय अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न अग्रों में परिवर्तन से है। आर्थिक विकास में वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि आर्थिक चल-राशियों (Variables) में परिवर्तन के परिणामस्वरूप होती है। इन परिवर्तनों का सम्बन्ध साधनों की माग और उनकी पूर्ति में परिवर्तन से है। साधनों की पूर्ति में परिवर्तन के अन्तर्गत जनसंख्या में वृद्धि, अतिरिक्त साधनों का पता, पूँजी का सचयन, उत्पादन की नवीन विधियों का प्रयोग तथा अन्य संस्थागत परिवर्तन सम्मिलित हैं। साधनों की पूर्ति में परिवर्तन के साथ ही साथ इनकी माग के स्वरूप में भी परिवर्तन होता है। आय-स्तर तथा उसके वितरण के स्वरूप में परिवर्तन, उपभोक्ताओं के अधिमान में परिवर्तन, अन्य संस्थागत तथा सागठनात्मक परिवर्तन मांग के स्वरूप में परिवर्तन के उदाहरण हैं। इस प्रकार आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप माग और पूर्ति के स्वरूप में कई परिवर्तन होते हैं। किन्तु ये परिवर्तन आर्थिक विकास के कारण और परिणाम दोनों होते हैं। इन परिवर्तनों की सीमा आर्थिक विकास की गति तथा समय पर निर्भर करती है। आर्थिक विकास के क्षेत्र में हम विकास प्रक्रिया के कारण होने वाली वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि का ही अध्ययन नहीं करते अपिनु इसके लिए उत्तरदायी इस प्रक्रिया या इन परिवर्तनों का अध्ययन भी करते हैं।

2. वास्तविक राष्ट्रीय आय (Real National Income)—आर्थिक विकास का सम्बन्ध वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि से है। वास्तविक राष्ट्रीय आय का आशय मूल्य-स्तर में हुए परिवर्तनों के लिए समायोजित शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन (Net National Product adjusted for Price Changes) से है। इसका अर्थ देश में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल योग के समायोजित मूल्य से है। मूल्यों में वृद्धि के कारण प्रकट होने वाली राष्ट्रीय आय में वृद्धि आर्थिक विकास नहीं कहलाती है। अर्थ-व्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन वस्तुत

1. Meier and Baldwin . *Economic Development*, p. 3.

निरतर बढ़ना चाहिए। सर्वप्रथम निश्चित वर्ष में देश में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का वर्तमान मूल्य के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। इसके पश्चात् इस राशि को किसी आधार वर्ष के मूल्य-स्तर के सदर्भ में समायोजित किया जाता है। इसके अतिरिक्त आर्थिक विकास मापने के लिए कुल राष्ट्रीय उत्पादन का प्रयोग न करके शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन का प्रयोग किया जाता है। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में पैदा की जाने वाली समस्त अन्तिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को कुल राष्ट्रीय उत्पादन कहते हैं। इसे उत्पन्न करते के लिए जिन साधनों, यन्त्रों आदि का उपयोग किया जाता है उनमें मूल्य ह्रास या डिसेक्यूट (Depreciation) होता है जिनका प्रतिस्थापन आवश्यक है। अतः कुल राष्ट्रीय उत्पादन में से मूल्य ह्रास की राशि निकाल देने के पश्चात् शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन बचता है। आर्थिक विकास में मूल्य-स्तर में हुए परिवर्तन के लिए समायोजित इस शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन या वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होनी चाहिए।

3. दीर्घ काल (Long period of time)—आर्थिक विकास का सम्बन्ध दीर्घकाल से है। आर्थिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में दीर्घ-काल तक वृद्धि हो। आय में होने वाली अस्थायी वृद्धि को आर्थिक विकास नहीं कहा जा सकता। किसी वर्ष विशेष में यथोचित वर्षों के कारण हृषि उत्पादन में विशेष वृद्धि आदि अनुकूल परिस्थितियों के कारण राष्ट्रीय आय में होने वाली अस्थायी वृद्धि आर्थिक विकास नहीं है। इसी प्रकार व्यापार-चक्रों (Trade cycles) के कारण तेजी के काल में हुई राष्ट्रीय आय में वृद्धि भी आर्थिक विकास नहीं है। आर्थिक विकास पर विचार करते समय पन्द्रह, बीस या पच्चीस वर्षों की अवधि तक राष्ट्रीय आय में होने वाले परिवर्तनों पर ध्यान देना होता है।

(ख) आर्थिक विकास का अर्थ प्रति-व्यक्ति आय में वृद्धि

उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि आर्थिक विकास का आकाश वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घकालीन वृद्धि से है। किन्तु कुछ अर्थशास्त्रियों के मतानुसार आर्थिक विकास को राष्ट्रीय आय की अपेक्षा प्रति व्यक्ति आय के सदर्भ में परिभायित करता चाहिए। वस्तुतः आर्थिक विकास का परिणाम जनता के जीवन-स्तर में सुधार होना चाहिए। यह सभव है कि राष्ट्रीय आय में तो वृद्धि हो, किन्तु जनता का जीवन-स्तर ऊचा न उठे। जनसंख्या में वृद्धि की दर अधिक होने के कारण प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर भी नहीं बढ़े या कम हो जाय। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने हुए भी देश विकासोन्मुख नहीं कहा जायगा। जब प्रति व्यक्ति आय घटने के कारण लोगों का जीवन-स्तर गिर रहा हो तो हम यह नहीं कह सकते कि आर्थिक विकास हो रहा है। अतः आर्थिक विकास में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होनी चाहिए। इस प्रवार का मत कई विज्ञासवादी अर्थ-शास्त्रियों ने प्रकट किया है।

प्रो लेविस के अनुसार "आर्थिक वृद्धि का अभिप्राय प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि से है।"¹

प्रो बलियमसन के अनुसार "आर्थिक विकास या वृद्धि से आशय उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा किसी देश या क्षेत्र के लोग उपलब्ध साधनों का प्रति व्यक्ति वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन में स्थिर वृद्धि के लिए उपयोग करते हैं।"²

प्रो बैरन के शब्दों में "आर्थिक विकास या वृद्धि को निश्चित समय में प्रति व्यक्ति भौतिक वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए।"

बुकानन और एलिस ने भी इसी प्रकार की परिभाषा देते हुए लिखा है कि "विकास का अर्थ अद्वैतिकता की वास्तविक आय की सभावनाओं में वृद्धि करना है जिसमें विनियोग का उपयोग उन परिवर्तनों को प्रभावित करने और उन उत्पादक साधनों का उपयोग करने के लिए किया जाता है जो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि का बादा करते हैं।"

(ग) आर्थिक विकास सर्वोगीण विकास के रूप में

अधिकांश आधुनिक अर्थ-शास्त्री आर्थिक विकास की उपर्युक्त परिभाषाओं को अपूरण मानते हैं। वास्तव में उपरोक्त परिभाषाएँ आर्थिक प्रगति को स्पष्ट करती हैं जबकि आर्थिक विकास आर्थिक प्रगति से अधिक व्यापक है। आर्थिक विकास में उपरोक्त आर्थिक प्रगति के अतिरिक्त कुछ परिवर्तन भी सम्मिलित हैं। आर्थिक विकास का आशय राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से ही नहीं है। यह समझ है कि प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि होने पर भी जनता का जीवन स्तर उच्च न हो क्योंकि प्रति व्यक्ति उपभोग कम हो रहा हो। जनता बढ़ी हुई आय में से अधिक बचत कर रही हो या सरकार इस बढ़ी हुई आय का एक बड़ा भाग स्वयं संनिक कार्यों पर उपयोग कर रही हो। ऐसी दशा में राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने पर भी जनता का जीवन-स्तर उच्च नहीं होगा। इसी प्रकार राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर भी समझ है। अधिकांश जनता निर्धन रह जाए और उसके जीवन-स्तर में कोई सुधार न हो क्योंकि बढ़ी हुई आय का अधिकांश भाग विशाल निर्धन वर्ग के पास जाने की अपेक्षा सीमित धनिक वर्ग के पास चला जाए। अत एक अर्थ-शास्त्रियों के अनुसार आर्थिक विकास में धन के अधिक उत्पादन के साथ-साथ उनका न्यायोचित वितरण भी होना चाहिए। इस प्रकार कुछ विचारक आर्थिक विकास के साथ कल्याण का भी सम्बन्ध जोड़ते हैं। उनके अनुसार आर्थिक विकास पर विचार करते समय न केवल इस बात पर ही ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए कि वित्तना उत्पादन

1 W A Lewis *The Theory of Economic Growth* p 10

2 Williamson and Buettner *Principles and Problems of Economic Development*, p 7

किया जा रहा है अपितु इस पर भी विचार किया जाना चाहिए कि किस प्रकार उत्पादन किया जा रहा है। अत आर्थिक विकास का आशय राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, जनता के जीवन-स्तर में सुधार, अर्थ-व्यवस्था की सरचना में परिवर्तन, देश की उत्पादन-शक्ति में वृद्धि, देशवासियों की मान्यताओं एवं हृषिक्षणों में परिवर्तन तथा मानव के सर्वांगीण विकास से है। विकास को परिमाणात्मक एवं गुणात्मक दोनों पक्षों से देखा जाना चाहिए। इस हृषिक्षण से समुक्त राष्ट्र सध की एक रिपोर्ट में दी गई आर्थिक विकास की यह परिभाषा अत्यन्त उपयुक्त है “विकास मानव की भौतिक आवश्यकताओं से नहीं अपितु उसके जीवन की सामाजिक दशाओं के सुधार से भी सम्बन्धित है अत विकास न केवल आर्थिक वृद्धि ही है, किन्तु आर्थिक वृद्धि और सामाजिक, सास्कृतिक, सास्थागत तथा आर्थिक परिवर्तनों का योग है।”

किन्तु वस्तुतः उपरोक्त परिवर्तनों को माप सकना अत्यन्त असम्भव है और जैसा कि श्री मेयर और बाल्डविन ने बतलाया है, “विकास की अनुकूलतम् दर की व्याख्या करने के लिए हमें आय के वितरण, उत्पादन की सरचना, पसंदगियाँ, वास्तविक लागतें (Real costs) एवं वास्तविक आय में वृद्धि से सम्बन्धित अन्य विशिष्ट परिवर्तनों के बारे में मूल्य-निर्णय (Value-Judgements) देने होंगे।”

अत मूल्य निर्णय से बचने एवं सरलता के लिए अधिकांश अर्थशास्त्री आर्थिक विकास का तात्पर्य जनसत्त्वा में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए वास्तविक आय में वृद्धि से लेते हैं।

अन्य परिभाषाएँ

श्री पाल एलबट के अनुसार, “यह (आर्थिक विकास) इसके सबसे बड़े उद्देश्य के द्वारा सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है जो वास्तविक आय में विस्तार के लिए एक देश के द्वारा अपने समस्त उत्पादक साधनों का लोपण है।”

प्रो. ए. जे. यगसत के अनुसार “आर्थिक प्रगति का आशय आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की शक्ति में वृद्धि है।” उन्होंने वास्तविक राष्ट्रीय आय को आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की शक्ति वा सूचकांक माना है।

प्रो. डॉ. ब्रह्मदीर्घिन के मत में, “आर्थिक वृद्धि का अर्थ एक देश के समाज के अविकसित स्थिति से आर्थिक उपलब्धि के उच्च स्तर में परिवर्तित होने से है।”

श्री साइमन कुजनेत्स के शब्दों में, “आर्थिक विकास को मापने के लिए हम उसे या तो सम्पूर्ण राष्ट्रीय आय में वृद्धि के रूप में या स्थिर कीमतों पर सम्पूर्ण जनसत्त्वा के उत्पादन के रूप में अथवा प्रति व्यक्ति उत्पादन के रूप में परिमापित कर सकते हैं।”

आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक उन्नति
(Economic Development, Economic Growth and
Economic Progress)

आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक उन्नति एवं दीर्घकालीन परिवर्तन

(Secular Change) आदि बहुधा एक ही अर्थ में प्रयुक्त विए जाते हैं। विन्तु शुम्पीटर, श्रीमती उमुंल्ला हिक्स आदि अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विकास (Economic Development) और आर्थिक वृद्धि (Economic Growth) में अन्तर किया है।

आर्थिक विकास का सम्बन्ध अद्विक्षित देशों की समस्याओं से है जबकि आर्थिक वृद्धि का सम्बन्ध विकसित देशों की समस्याओं से है। आर्थिक विकास का प्रयोग विकासशील देशों के लिए किया जाता है जहाँ पर अप्रयुक्त या अशोषित साधनों के शोषण की पर्याप्त समावनाएँ होती हैं। इसके विपरीत आर्थिक वृद्धि का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों के लिए किया जाता है जहाँ अविकांश साधन विकसित होते हैं। इसी प्रकार शुम्पीटर ने भी आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में भेद स्पष्ट किया है। उनके अनुसार विकास स्थिर स्थिति (Static situation) से असतत (Discontinuous) और स्वत (Spontaneous) परिवर्तन है जो पूर्व स्थित साम्य की स्थिति को भग वर देता है जबकि आर्थिक वृद्धि जनसंख्या और बचत की दर में सामान्य वृद्धि के द्वारा आने वाला धीरे-धीरे और निरन्तर परिवर्तन है। एवरीमेन्स इकानामिक डिवसनेरी ने इन दोनों के भेद को निम्नलिखित शब्दों में और भी स्पष्ट किया है—

“सामान्य रूप से आर्थिक विकास का आशय देवल आर्थिक वृद्धि से ही है। श्रधिक विशिष्टता के साथ इसका उपयोग वृद्धिमान अर्थ-व्यवस्था के परिमाणात्मक माप (जैसे प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि की दर) का नहीं बल्कि आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य परिवर्तनों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिनके द्वारण वृद्धि होती है। अत वृद्धि मापनीय एव वस्तुगत है। यह थ्रम, शक्ति, पूँजी व्यापार की मात्रा और उपभोग में विस्तार का वर्णन करती है और आर्थिक विकास निहित आर्थिक वृद्धि के विवरिक तत्त्व जैसे उत्पादन तकनीक, सामाजिक दृष्टिकोण और संस्थाओं में परिवर्तन आदि का वर्णन करने के उपयोग में लाया जा सकता है। इस प्रकार के परिवर्तन आर्थिक वृद्धि को जन्म देते हैं।”

इसी प्रकार आर्थिक वृद्धि (Economic Growth) तथा आर्थिक प्रगति (Economic Progress) में अन्तर किया जाता है। श्री एल० एन० बरेरी के अनुसार आर्थिक प्रगति का अर्थ प्रति व्यक्ति उपज (Per capita Product) में वृद्धि से है जबकि आर्थिक वृद्धि का आशय जनसंख्या और कुल वास्तविक आय दोनों में वृद्धि से है। उनके अनुसार आर्थिक वृद्धि के तीन रूप हो सकते हैं। प्रथम प्रगतिशील (Progressive) वृद्धि जो तव होती है जबकि कुल आय में वृद्धि जनसंख्या में वृद्धि की अपेक्षा अनुपात से अधिक होती है। द्वितीय अधोगामी वृद्धि (Regressive growth), जब जनसंख्या में वृद्धि कुल आय में वृद्धि की अपेक्षा अधिक अनुपात में होती है। तृतीय स्थिर आर्थिक वृद्धि (Stationary growth), जब दोनों में एक ही दर से वृद्धि होती है।

इतना सब होते हुए भी आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक प्रगति आदि शब्दों को अधिकांश अर्थशास्त्री पर्याप्तवाची शब्द के रूप में ही प्रयुक्त करते हैं। प्रो॰ पाल॰ ए॰ बेरन का कथन है कि, “विकास” और “वृद्धि” की धारणा ही कुछ ऐसे परिवर्तन का सकेत देती है जो समाप्त हुए पुराने कुछ की अपेक्षा नया है। प्रो॰ विलियम आर्थर लेविस ने ‘वृद्धि’ शब्द का उपयोग किया है किन्तु परिवर्तन के लिए यदा-कदा ‘विकास’ और ‘प्रगति’ शब्द का भी उपयोग करना उन्होंने वांछनीय समझा है।

आर्थिक विकास की प्रकृति (Nature of Economic Growth)

आर्थिक विकास के अर्थ को विशद रूप से समझ लेने के उपरान्त इसकी प्रकृति बहुत कुछ स्वत स्पष्ट हो जाती है। हम यह जानते हैं कि प्रत्येक अर्थ-व्यवस्था जन्म (Birth), विकास (Growth), पतन (Decay) और मृत्यु (Death) की प्रक्रियाओं से गुजरती है। आर्थिक विकास इसका कोई अपवाद नहीं है। अविकसित अर्थवा अर्द्ध-विकसित अर्थ-व्यवस्था जन्म-जन्म विकास की ओर अग्रसर होती है और पूर्ण विकास की अवस्था प्राप्त करने के बाद जन्म पतन की ओर बढ़ती है। हाँ, आज के वैज्ञानिक युग में इस पतन की क्रिया पर अकृप्त लगाना अवश्य बहुत कुछ सम्भव हो गया है। आज वैज्ञानिक ज्ञान के विकास के कारण किसी भी राष्ट्र को पुराने होने की सज्जा देना मुश्किल है पर ऐसे देशों को ढूढ़ निकालना असम्भव नहो है जिनकी अर्थ-व्यवस्थाएँ पुरानी हो गई हैं और अपनी अवनत अवस्था के कारण न केवल अपने देश के लिए बरन् अन्य देशों के लिए भी समस्या बनी हुई है। किन्तु इतना सब कुछ होते हुए भी यह सुनिश्चित है कि आर्थिक विकास की ओर बढ़ते रहना एक सतत प्रक्रिया है, जो समाप्त नहीं होती। आर्थिक विकास की प्रकृति गतिशील है जिसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक प्रगति के अध्ययन के आधार पर दीर्घकालीन अवस्था में आर्थिक गतिविधियों का विश्लेषण करके महत्वपूर्ण और मूल्यवान निष्कर्ष प्राप्त करना है। आर्थिक विकास के सम्बन्ध में आर्थिक उत्तार चढ़ावों का अध्ययन अल्पकाल में नहीं किया जा सकता। आर्थिक विकास दीर्घकाल की देन है। आर्थिक विकास में एक देश की अर्थ-व्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उत्पादन के उच्चतम स्तर को प्राप्त करना होता है और इसके लिए आर्थिक शक्तियों में आवश्यकतानुसार फेर बदल करते रहना पड़ता है और इन सब का अध्ययन करना पड़ता है। आर्थिक विकास की प्रकृति को समझने के लिए हमें स्थिर (Static) और गतिशील (Dynamic) — इन दो आर्थिक स्थितियों को समझ लेना चाहिए।

भौतिक-शास्त्र में स्थिर अर्थवा स्थैतिक (Static) दशा वह होती है जिसमें गति तो होती है, किन्तु परिवर्तन नहीं अर्थवा दूसरे शब्दों में गति का पूर्ण अभाव नहीं होता, किन्तु किर भी गति की दर समान रहती है। यह गति एकरस रहती है अर्थात् इसमें सामयिक रूप से अचानक झटके नहीं लगते। इसमें अनिश्चितता का

अमाव रहता है। कहने का अर्थ यह है कि स्थिरावस्था कोई अकर्मण्यता की अवस्था नहीं है बरन् यह अर्थ-व्यवस्था का एक ऐसा रूप है जिसमें कार्य बिना किसी वाधा के समान गति और सरल रूप में चलता रहता है। जब अर्थशास्त्र में प्रयुक्त की गई आर्थिक मात्राएँ समान होनी हैं तो इसे स्थिरता की अवस्था बहा जाएगा। अर्थ-व्यवस्था इन स्थिर मात्राओं की सहायता से ही प्रगति के पथ पर बढ़ती रहती है। मार्शल के कथनानुसार, “किसी कार्यशील, मिन्तु अपरिवर्तनीय प्रणाली को स्थिर अर्थशास्त्र का नाम दिया जाता है।”

प्रो मैकफाई ने माना था कि स्थिर अवस्था एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें उत्पादन, उपभोग, विनियोग तथा वितरण को नियंत्रित करने वाले साधन स्थिर होते हैं अथवा स्थिर मान लिए जाते हैं। जनसंख्या उच्च अथवा मात्रा की दृष्टि से बढ़ती ही नहीं है और यदि बढ़ती है तो उत्पादन की मात्रा भी उसी अनुपात में बढ़ जाती है। प्रो स्टिगलर (Stigler), प्रो क्लार्क (Clark) तथा प्रो टिनबर्गन (Tinbergen) आदि ने भी स्थिर अर्थशास्त्र का अर्थ स्थिर अर्थ-व्यवस्था से लिया है। क्लार्क का बहना है कि “वह अर्थ-व्यवस्था स्थिर है जिसमें जनसंख्या, पूँजी, उत्पादन प्रणाली मनुष्य की आवश्यकता और वैयक्तिक इकाइयों के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता।” स्टिगलर भौदय का मत था कि “स्थिर अर्थ-व्यवस्था में रुचि, साधन एवं तकनीकी—इन तीनों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता।” प्रो जे के मेहता ने स्थिरता का अर्थ बताते हुए इसे ऐसी स्थिति माना है जो निश्चित समय के बाद भी उसी रूप में बनी रहती है। यदि निश्चित समय के बाद उसकी अवस्था में परिवर्तन आ जाए तो वह गत्यात्मक स्थिति कहलाएगी।

स्थिर अर्थशास्त्र का अध्ययन महत्वपूर्ण है। इसके कई लाभ हैं। यदि इसकी सहायता न ली जाए तो परिवर्तनशील अर्थ-व्यवस्था का अध्ययन करना अस्यन्त जटिल बन जाए। आर्थिक परिवर्तनों की प्रकृति स्वमेव ही जटिलतापूर्ण होनी है। गतिशील अर्थ-व्यवस्था का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करने के लिए छोटी से छोटी स्थिर अवस्थाओं में विभाजित कर लिया जाता है। निरन्तर होने वाले परिवर्तन पर्याप्त अनिश्चितता ला देते हैं और इसलिए गतिशीलता का अध्ययन कठिन बन जाता है। इस सम्बन्ध में यह कहना उपयुक्त है कि गतिशील अर्थशास्त्र स्थिर अर्थशास्त्र पर लगातार टिका है इसलिए स्थिर अर्थशास्त्र के कानून गतिशील अर्थशास्त्र पर भी लागू होने चाहिए।

स्थिर अर्थशास्त्र के विपरीत गतिशील अर्थशास्त्र परिवर्तन से सम्बन्ध रखता है। दिन प्रतिदिन जो परिवर्तन होते हैं उनका अध्ययन स्थिर अर्थशास्त्र में नहीं किया जा सकता। गतिशील अर्थशास्त्र अर्थ-व्यवस्था में निरन्तर होने वाले परिवर्तनों, इन परिवर्तनों को प्रक्रियाओं और परिवर्तन को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारणों का अध्ययन करता है। गतिशील अर्थशास्त्र को अनेक प्रकार से परिभाषित किया गया है। रिचार्ड लिप्से (Richard Lipsay) के बद्दन मुसार इसमें

10 आर्थिक विकास के सिद्धान्त

व्यवस्था की प्रणालियाँ, वैदिक बाजारों अथवा सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था की असतुलित दशाओं का अध्ययन किया जाता है।” अर्थ-व्यवस्था में प्राय परिवर्तन होते रहते हैं। इनके फलस्वरूप असतुलन उत्पन्न होता है। इस असतुलन का अध्ययन गतिशील अर्थशास्त्र करता है। जे बी क्लार्क (J B Clarke) के मतानुसार गतिशील अर्थ व्यवस्था में जनसत्त्वा, पूँजी, उत्पादन की प्रणालियाँ और आर्थिक संगठन का रूप बदलता रहता है। इसमें उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं में वृद्धि होनी रहती है। गतिशील विश्लेषण में इन समस्त परिवर्तनों का विश्लेषण किया जाता है।

हैरोड (Harod) यह मानते थे कि गतिशील अर्थशास्त्र अर्थ-व्यवस्था में निरन्तर होने वाले परिवर्तनों का विश्लेषण है। उनके शब्दों में ‘गतिशील अर्थशास्त्र विशेष रूप से निरन्तर होने वाले परिवर्तनों के प्रभावों और निश्चित किए जाने वाले मूलों में परिवर्तन की दरों से सम्बन्ध रखता है।’

जीवन की विभिन्न समस्याएँ गतिशील अर्थशास्त्र के अध्ययन को आवश्यक बना देनी हैं क्योंकि स्थिर विश्लेषण उनके सम्बन्ध में ग्राहिक उपयोगी तिळ नहीं होता। एक सन्तुलन बिन्दु से लेकर दूसरे सन्तुलन बिन्दु तक जो परिवर्तन हुए उनका अध्ययन स्थिर अर्थशास्त्र में नहीं किया जा सकता। वे केवल गतिशील अर्थशास्त्र के अध्ययन द्वारा ही जाने जा सकते हैं।

वास्तव में गतिशील और स्थिर विश्लेषण दोनों की ही अपनी अपनी सीमाएँ हैं और इन सीमाओं में रहते हुए वे अपने कार्य सम्पन्न करते हैं तथापि वास्तविकता तो यह है कि इनमें कोई भी विश्लेषण अपने आप में पूर्ण नहीं है। प्रत्येक दूसरे के बिना अवूरा है। यहाँ तक कि वह जिन कार्यों को सम्पन्न कर सकता है उन्हें भी दूसरे की सहायता के बिना सम्पोषणक रूप से नहीं कर पाएगा। इनमें गतिशील अर्थशास्त्र अपेक्षाकृत एक नई शाखा है और इसका विकास अभी भी वांछित स्तर को प्राप्त नहीं कर सका है। यद्यपि अनेक विचारकों ने इसके विकास में अपना योगदान किया है, किन्तु अभी तक इसका कोई अत्यन्त सामान्य सिद्धान्त आविष्कृत नहीं हो सका है।

विकास का अर्थशास्त्र (Economics of Growth) एक गतिशील अथवा प्राविंगिक (Dynamic) अर्थशास्त्र है। आर्थिक विकास का एक क्रमिक चक्र होता है जिसमें सदैव परिवर्तन चलते रहते हैं। एक देश की अर्थ-व्यवस्था में अनेक घटक होते हैं जिनमें समय-न्याय पर परिवर्तन होते ही रहते हैं और इन परिवर्तनों से आर्थिक विकास की गति तथा दिशा का भान होता है। आर्थिक विकास को प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए गतिशील अर्थ-शास्त्र का ही सहारा लेना पड़ता है और इसीलिए यह कहना समीचीन है कि आर्थिक विकास वो प्रकृति गतिशील है। इसका अध्ययन स्तर यथा स्पैटिक न होकर मूलत गतिशील या प्राविंगिक होता है।

आर्थिक विकास का माप

(Measurement of Economic Growth)

आर्थिक विकास का सम्बन्ध शीर्षकालीन परिवर्तनों से होता है, यत्। इसकी कोई सही या निश्चित माप देना बड़ा कठिन है। आर्थिक विकास के माप के सम्बन्ध में प्राचीन और आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने अपने-अपने विचार प्रकट किए हैं।

(क) प्राचीन अर्थशास्त्रियों के विचार

प्राचीन अर्थशास्त्रियों में वाणिज्यवादियों का विचार यह कि देश में सौनाचाँदी के कोप में वृद्धि होना ही आर्थिक विकास का माप है। इसी हृष्टिकोण के आधार पर उन्होंने देश के आर्थिक विकास के लिए निर्यात बढ़ाने के सिद्धान्तों पर बल दिया और ऐसे उपायों का पक्ष लिया जिनमें निर्यात में वृद्धि सम्भव हो। बाद में एडम स्मिथ ने विचार प्रकट किया कि वस्तुओं और सेवायों के उत्पादन में वृद्धि होने से देश का आर्थिक विकास होता है। अपने इसी विचार के आधार पर उसने कहा कि आर्थिक क्षेत्र में सरकार द्वारा स्वतन्त्रता दी जानी चाहिए ताकि लोग अधिकाधिक उत्पादन कर सकें और अधिकाधिक लाभ प्राप्त कर सकें जिससे लोक-कल्याण में अधिकाधिक वृद्धि हो। एडम स्मिथ के समकालीन अर्थशास्त्रियों ने भी कुछ इसी प्रकार के विचार प्रकट किए। उन्होंने बहा कि यदि देश में उत्पादन की मात्रा तीव्र होगी तो स्वतं ही आर्थिक विकास की गति बढ़ेगी, अन्यथा आर्थिक विकास सम्भव नहीं हो सकेगा। इन सब अर्थशास्त्रियों के विपरीत कालमार्कर्म ने सहकारिता के सिद्धान्त का समर्थन किया। उसने कहा कि पूँजीवाद को समाप्त करके साम्यवाद या समाजवाद पर चलने में ही कुशल है और तभी देश में लोक-कल्याण व आर्थिक विकास लाया जा सकता है। जे एस मिल ने स्वतन्त्र व्यापार की नीति के कुपरिखामों को दिखाकर, यह विचार प्रकट किया कि लोक कल्याण और आर्थिक विकास के लिए सहकारिता के सिद्धान्त को महत्व देना चाहिए। उसने कहा कि सहकारिता ही आर्थिक विकास का माप है और जिस देश में जितनी अधिक सहकारिता का चलन होगा, वह देश उतना ही अधिक लोक-कल्याण और आर्थिक विकास की ओर अग्रसर होगा।

(ख) आधुनिक विचारधारा

आधुनिक अर्थशास्त्र ने उत्पादन के साथ-साथ वितरण को भी आर्थिक विकास का माप माना। उन्होंने आर्थिक विकास के माप के लिए किसी एक तत्त्व पर नहीं बरन् सभी आवश्यक तत्त्वों पर बल दिया और कहा कि इन तत्त्वों के सामूहिक प्रयासों के फलस्वरूप ही किसी राष्ट्र का आर्थिक विकास सम्भव हो सकता है। यदि आधुनिक अर्थशास्त्रियों के विचारों का विश्लेषण करें तो आर्थिक विकास के मुख्य मापदण्ड ये ठहरते हैं—

1. राष्ट्रीय आय—आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विकास की हृषि से सकल राष्ट्रीय उत्पादन को न लेकर शुद्ध उत्पादन को ही लिया है। सकल राष्ट्रीय उत्पादन आर्थिक विकास का माप इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसमें मरीजों व उपकरणों पर होने वाली विसाई या ह स की राशि को घटाने की व्यवस्था नहीं की जाती, जबकि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन म ऐसा किया जाता है। इस शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन की मात्रा मे बृद्धि आर्थिक विकास का सूचक होती है, पर शर्त यह है कि मह बृद्धि दीर्घकालीन और निरन्तर होनी चाहिए।

2. आय का वितरण—ग्राधुनिक विवारभारा के अनुसार आर्थिक विकास का दूसरा मापन्दण आय का वितरण है। राष्ट्रीय आय तो बढ़ रही है, किन्तु उसका न्यायोचित ढग से वितरण न हो तो उसे विकास की अवस्था नहीं कहा जा सकता। आर्थिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय आय का इस ढग से वितरण हो कि सबको पर्याप्त आय प्राप्त हो सके। यदि बढ़ी हुई राष्ट्रीय आय का एक बड़ा भाग केवल जिने चुने व्यक्तियों को ही मिलता है तो इस स्थिति को आर्थिक विकास का सूचक नहीं माना जा सकता। इस बात की पूरी सम्भावना है कि राष्ट्रीय आय बढ़ने पर भी देश मे वरिद्रता व्याप्त हो। उदाहरणार्थ भारत मे नियोजन के प्रथम 15 वर्षों मे राष्ट्रीय आय 9,530 करोड रुपए से बढ़ कर 20,010 करोड रुपए प्रति वर्ष तक पहुँच गई और इस तरह प्रति व्यक्ति आय 266 रुपये से बढ़ कर 421 रु व्यापिक हो गई, लेकिन फिर भी अमीर अधिक अमीर और गरीब अधिक गरीब होते गए, क्योंकि बढ़ी हुई राष्ट्रीय आय का न्यायोचित ढग से वितरण नहीं हो पाया। यही हित्यति आज भी विद्यमान है।

3. गरीब जनता को अधिक लाभ—जब तक देश की गरीब जनता की आय मे बृद्धि होकर उसे अधिकाधिक लाभ प्राप्त नहीं होगा तब तक उस देश की आर्थिक व्यवस्था दिक्षित नहीं कही जा सकती। आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है कि राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय मे बृद्धि हो और गरीब जनता को अधिकाधिक लाभ मिले।

4. सामान्य एवं वास्तविक विकास दर—आर्थिक विकास का चौथा मापक सामान्य और वास्तविक विकास की दर है। सामान्य विकास की दर वह है जिस पर प्रति वर्ष विकास सामान्यत हुआ करता है। यह दर अनुमान पर आधारित होती है। वास्तविक दर वह है जो वास्तव मे होनी है। जिस देश की अर्थ-व्यवस्था मे सामान्य दर और वास्तविक दर समान होती है वहाँ आर्थिक विकास की स्थिति पाई जाती है। यदि सामान्य विकास दर वास्तविक विकास दर से कम होती है तो वह अर्थ-व्यवस्था अद्यन्विक्षित मानी जानी चाहिए। इसी प्रकार यदि सामान्य विकास दर वास्तविक दर से अधिक होनी है तो उस अर्थ-व्यवस्था को अधिक विकासशील स्थिति मे माना जाना चाहिए।

5. प्रति व्यक्ति आय—राष्ट्रीय आय में बृद्धि के साथ ही प्रति व्यक्ति आय में बृद्धि होना भी आवश्यक है। यदि प्रति व्यक्ति आय में बृद्धि न हो तो आर्थिक विकास की स्थिति नहीं मानी जायेगी। यह सम्भव है कि राष्ट्रीय आय बढ़ने पर भी जनता की निधनता बढ़ती जाए। उदाहरणार्थं राष्ट्रीय आय बढ़ रही है, लेकिन जनसंख्या की मात्रा में भी तेजी से बृद्धि हो रही है तो प्रति व्यक्ति आय समान रह सकती है या कम हो सकती है और तब ऐसे राष्ट्र वो आर्थिक विकास की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।

इस प्रकार निखर्य यही निकलता है कि एक देश में आर्थिक विकास का कोई एक निश्चित माप नहीं हो सकता। प्रो डी ब्राइटसिंह ने लिखा है "एक देश द्वारा प्राप्त वीं गई आर्थिक सम्पत्ति के स्तर का मप उस देश द्वारा प्राप्त वीं गई उत्पादक सम्पत्ति वीं मात्रा से लगाया जा सकता है। अर्थ-न्यवस्था के विकसित होने पर नए उत्पादक साधनों को खोज लिया जाता है, विद्यमान साधनों का अधिक उपयोग सम्भव होता है तथा उपलब्ध राष्ट्रीय एवं मानवीय सम्पत्ति का उपयोग किया जाता है। एक देश में जितने अधिक साधन होते हैं उतनी ही अच्छी उसकी आर्थिक स्थिति होती है।"

आर्थिक विकास का महत्व (Importance of Economic Growth)

पूर्व विवरण से आर्थिक विकास का महत्व स्वतं स्पष्ट है। आधुनिक युग में आर्थिक विकास ही एकमात्र वह है जिसके द्वारा मानव अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। आर्थिक विकास के अभाव में किसी भी देश का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने और निर्धनता व बेरोजगारी को मिटाने के लिए आर्थिक विकास ही एकमात्र और सर्वोत्तम उपाय है। आज के भौतिकवादी युग का नारा ही आर्थिक विकास का है।

आर्थिक विकास का महत्व प्रत्येक धेनों में प्रकट है। इसके फलस्वरूप राष्ट्रीय उत्पादन में बृद्धि होती है। राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ने से राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है जिससे बचत धनता का विकास होता है। बचत बढ़ने से पूँजी निर्माण बढ़ता है और फलस्वरूप विनियोग दर में पूर्विका अधिक बृद्धि हो जाती है।

आर्थिक विकास के फलस्वरूप देशों में नए-नए उद्योगों का जन्म और विकास होता है। नए उद्योगों के पनपने से जनता को रोजगार के अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं। परिणामस्वरूप बेरोजगारी मिटने लगती है। इनके प्रतिरक्त श्रमिकों के समुचित प्रशिक्षण विशिष्टीकरण, श्रम विभाजन, श्रम गतिशीलता आदि को पर्याप्त प्रोत्साहन मिलता है। उत्पादन के विभिन्न साधनों का समुचित उपयोग होने से उत्पादन में बृद्धि होती है और राष्ट्रीय आय अधिकतम होने की सम्भावना बढ़ जाती है।

आर्थिक विकास के कारण पूँजी निर्माण और विनियोगन दर में बढ़ि होने लगती है जिससे पूँजी की गतिशीलता बढ़ जाती है और फिर भविष्य में पूँजी निर्माण और भी अधिक होने लगता है। आर्थिक विकास से देश में औद्योगिकरण प्रोत्साहित होता है। कलत जनता की आय में बढ़ि होती है और उत्तमी कर दान क्षमता बढ़ जाती है। आर्थिक विकास के कारण नए-नए उद्योगों की स्थापना होने से व्यक्ति का चुनाव खेत्र भी अधिक व्यापक हो जाता है। उसे मन चाहे खेत्रों में कार्य करने का प्रबल सर मिलता है।

आर्थिक विकास के फलस्वरूप जब व्यक्ति को हचि के अनुकूल कार्य मिलता है तो इसकी कार्य क्षमता में बढ़ि होती है जिससे देश में कुल उत्पादन प्रोत्साहित होता है। साथ ही जनता को अधिकाधिक सेवाएँ और पदार्थ उपलब्ध होने लगते हैं। इसके अतिरिक्त नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय में बढ़ि होने से उनका मनोवैज्ञानिक मुकाबल मानवता की ओर अधिक होने लगता है। जब नागरिक भूमि और नगे नहीं रहते तो वे अधिक दयालु और सहनशील बन जाते हैं। आर्थिक विकास के कारण देश में उपलब्ध प्राकृतिक साधनों का मुख्यलता और मितव्यितापूर्वक विदोहन सम्भव हो जाता है। कृषि पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। निष्क्रिय भूमि पर वृष्टि होने लगती है और साथ ही भूमि पर जनसंख्या का भार भी घटने लगता है।

आर्थिक विकास के कारण सनुष्य प्राकृतिक प्रकोपो पर विजय प्राप्त करने में समर्थ होता है। तकनीकी साधनों के बल पर अल्प श्रम से ही पर्याप्त खाद्य सामग्री और उत्पादन की अन्य वस्तुएँ प्राप्त की जाना सम्भव हो जाता है जिससे अकाल और अभाव आदि के कष्ट बहुत कम हो जाते हैं। सामाजिक सेवाओं और मनारजन के साधनों में पर्याप्त बढ़ि हो जाती है। फलस्वरूप मृत्यु दर घटकर लोगों की औसत आयु बढ़ जाती है। आर्थिक विकास का महत्व सामरिक खेत्र में भी प्रकट होता है। औद्योगिक हृष्टि से सम्पन्न देश अपनी सामरिक व प्रतिरक्षा शक्ति को भली प्रकार सुहृद बना सकता है। आर्थिक विकास के कारण देश में इस प्रकार के साधन जुटाना सम्भव हो जाता है जिनसे सामाजिक व्यवस्था को मुचाह ढग से बिकसित किया जा सके।

इस प्रकार प्रवर्ट है कि आर्थिक विकास के फलस्वरूप एक देश के सम्पूर्ण जीवन में विकास होने लगता है। आर्थिक विकास इस भौतिक युग में सर्वांगीण विकास की कुँजी है।

आर्थिक विकास के दोष—इस सत्तार में कोई भी वस्तु तिद्धान्त या विचार सर्वथा दोषमुक्त नहीं माना जा सकता और आर्थिक विकास भी इसका कोई अपवाद नहीं है। जहाँ प्राथिक विकास एक राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति के लिए आवश्यक है वहाँ इसके कुछ दोष भी हैं जिनसे यथा-सम्भव बचते रहना चाहिए। आर्थिक विकास में विशाल धैर्याने पर उत्पादन की जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है और

उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत रुचि पर ध्यान नहीं दिया जाता। आर्थिक विकास के कारण मनुष्य का जीवन मशीनी हो जाता है। विशिष्टीवरण के कारण वह सदैव एक ही किया दौहराता रहता है और इस प्रकार नीतिसत्ता का बातावरण पतनपता है। पूँजी और श्रम के भागडे भी सामाजिक-आर्थिक जीवन को अभिशप्त किए रहते हैं। पूँजीपति उद्योगों से अभिकालिक लाभ कमाने के लिए श्रमिकों का शोषण करने लगते हैं। फलस्वरूप पूँजीपतियों और श्रमिकों में विवाद उठ खड़े होने हैं जो ताला-बन्दी, हड्डताल और हिंसा का रूप ले लेते हैं। इन झगड़ों के कारण कभी-कभी तो देश की सम्पूर्ण आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जाती है।

आर्थिक विकास से एकाधिकारी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिलता है। भौतिकवाद इतना छा जाता है कि मानवीय मूल्यों का ह्रास होने लगता है और नास्तिक मनोवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। आर्थिक विकास व्यक्तिवादी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देता है जिसमें समुक्त और व्यापक परिवार प्रथा समाप्त होने लगती है। व्यक्ति धीरे-धीरे इतना स्वार्थी बन जाता है कि उसे अपने परिवार और गाँव की चिन्ता नहीं रहती। आमीण धोनों से नगरीय धोनों की ओर पलायन की प्रवृत्ति भी बढ़ती जाती है।

आर्थिक विकास के फलस्वरूप उद्योगों के केन्द्रीयकरण का भय बढ़ जाता है। महत्त्वपूर्ण उद्योग पूँजीपतियों के हाथों में केन्द्रित हो जाते हैं जिनसे प्राप्त होने वाले लाभ का अविकाश भाग वे खुद ही हट्टय जाते हैं। आर्थिक केन्द्रीयकरण की इस प्रवृत्ति के कारण समाज में आर्थिक व्यवाहार की वृद्धि नहीं हा पाती और गदी बस्तियों, बीमारियों आदि के दोष देश में घर कर जाते हैं।

आर्थिक विकास देश में घन वें असमान वितरण के लिए भी बहुत कुछ उत्तरदायी होता है। पूँजीपति और उद्योगपति औद्योगिक क्षेत्र में छा जाते हैं। वे लाभ का बहुत बड़ा भाग स्वयं हड्डप जाते हैं जब कि श्रमिकों को बहुत कम भाग मिल पाता है। फलस्वरूप आर्थिक विषमताएँ पूर्वपिका बढ़ जाती हैं। इसके अतिरिक्त देश के कुटीर और कुटुंब उद्योगों को प्रोत्साहन नहीं मिल पाता। मशीनों वें उपयोग के कारण बड़े दैमाने पर उत्थादन करके बड़े दैमाने के लाभ प्राप्त करने का लालच बना रहता है। लघु और कुटीर उद्योगों की ओर पूँजीपतियों की रुचि नहीं जाती। इसके अतिरिक्त इन उद्योगों की वस्तुएँ भी महगी होती हैं जो प्रतिस्पर्द्धा में टिक नहीं पाती।

निष्पर्यंत आर्थिक विकास के अच्छे और बुरे दोनों ही पहलू हैं। कुल मिलाकर अच्छे पहलू ही अधिक सदल और ग्राह के हैं। आर्थिक विकास के अभाव में कोई देश व समाज जिन बुराइयों और अभिशापों से ग्रस्त रहता है उनकी तुलना में आर्थिक विकास की अवस्था में पाई जाने वाली बुराइयाँ बहुत कम गमीर और पीड़िकाकारक हैं। इसके अतिरिक्त आर्थिक विकास की बुराइयाँ ऐसी नहीं हैं जिनका कोई समाधान न हो सके। प्रथम करने पर इसकी मनक बुराइयों को बहुत कम किया जा सकता है।

अद्विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं की विशेषताएँ

(Characteristics of Under-developed Economies)

“एक अद्विकसित देश अफ्रीका के जिरफ़ की तरह है जिसका बर्णन करना कठिन है, किन्तु जब हम उसे देखते हैं तो समझ जाते हैं।”

—सिंगर

आधुनिक आर्थिक साहित्य में विश्व की अर्थ-व्यवस्थाओं को विकसित और अद्विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में वर्गीकरण करने का चलन सा हो गया है। पूर्व प्रचलित शब्द अर्थात् ‘पिछड़े हुए’ (Backward) और ‘उन्नत’ (Advanced) के स्थान पर अद्विकसित एवं विकसित शब्दों का प्रयोग श्रेष्ठ समझा जाने लगा है। ‘पिछड़े हुए’ शब्द को अपेक्षा ‘अद्विकसित’ शब्द वास्तव में अच्छे भी हैं, क्योंकि इसमें विकास की सम्भावना पर छल दिया गया है।

अर्थ-व्यवस्था का विकास एक अत्यन्त जटिल प्रक्रिया है। यह अनेक प्रकारु के भौतिक और मानवीय घटकों के अन्तर्संबन्धों एवं व्यवहारों का परिणाम होता है। इसीलिए विकसित या अल्प-विकसित अथवा अद्विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं का अन्तर स्पष्ट करना और उनके लक्षणों को सर्वमान्य रूप में दृढ़ पाना बहुत कठिन है।

विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं अथवा देशों के ज्ञान और परिभाषा के सम्बन्ध में प्राय इतनी कठिनाई पैदा नहीं होती जितनी अद्विकसित या अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में। विकास के अर्थ-शास्त्र में अद्विकसित व्यवस्था की कोई ऐसी परिभाषा देना जिसमें इसके सब आवश्यक तत्त्व शामिल किए गए हो, अत्यन्त कठिन है। एच. डब्लू. सिंगर (H. W. Singer) का मत है कि अद्विकसित देश की परिभाषा का कोई भी प्रयास समय और थप का अपव्यय है क्योंकि “एक अद्विकसित देश अफ्रीका के जिरफ़ की भाँति है जिसका बर्णन करना कठिन है, लेकिन जब हम उसे देखते हैं तो समझ जाते हैं।”

बस्तुत अद्विकसित व्यवस्था एवं तुलनात्मक व्यवस्था है। विभिन्न देशों में उपस्थित विभिन्न समस्याओं और दशाओं के अनुसार विभिन्न प्रवसरों पर यह

मिन्न अर्थों को सूचित करता है। अधिक जनसंख्या वाले देश जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर के कारण अपने-आपको अद्धं-विकसित बताते हैं। कम जनसंख्या और साधनों के विकास की विशाल सम्भावनाओं वाले देश पूँजी की स्वल्पता को अद्धं-विकास का निर्णायिक तत्व मानते हैं। परतन्त्र देश चाहे उनमें विदेशी शासन के अन्तर्गत पर्याप्त आर्थिक विकास हुआ हो, जब तक विदेशी शासन में रहेमे अपने आपको अद्धं-विकसित बताए। इसी प्रकार निसी देश में सामन्तवादी व्यवस्था की उपस्थिति 'अद्धं-विकसित' होने का पर्याप्त प्रमाण माना जायेगा चाहे इस प्रबार के कुछ समाजों में लोगों को स्वीकृत न्यूनतम जीवन-स्तर उपलब्ध हो। बास्तव में विश्व के मान-चित्र में एक प्रतिनिधि अद्धं-विकसित देश दो बता सकता बड़ा बठिन कार्य है तथा यह इसलिए और भी कठिन है कि अद्धं-विकसित विश्व विभिन्न प्रकार के देशों का समूह है जिसमें स्वयं में विभिन्नताएँ पाई जाती हैं।

अद्धं-विकसित अर्थ-व्यवस्था का आशाय और प्रमुख परिभाषाएँ (Meaning and Definitions of Under-developed Economy)

कोई देश अद्धं-विकसित है या विकसित है इसका निर्णय इस बात पर निर्भर करता है कि हम विकसित देश किसे मानते हैं या विकास का आधार किसे मानते हैं। प्रो एस हरबर्ट फॉकेल ने कहा है कि "एक देश आर्थिक हृष्टि से विकसित है या अद्धं-विकसित है यह उस विशिष्ट भाषण द्वारा उपलब्ध होता है। इस आधार की अनुपस्थिति या कम उपस्थिति अद्धं-विकसित अर्थ-व्यवस्था की सूचक होती है।" यही कारण है कि अद्धं-विकसित देशों की विभिन्न आधारों पर व्याख्या की जाती है। पाल हॉफ भेन ने एक अद्धं-विकसित देश का निम्न शब्दों में चित्रण किया है:—

"प्रत्येक व्यक्ति जब किसी अद्धं-विकसित देश को देखता है तो उसे जान जाता है। यह एक ऐसा देश होता है जिसमें निर्धनता होती है, नगरों में भिखारी होते हैं और प्रामीण क्षेत्रों में प्रामीण जन-जीवन निर्वाह भर कर लेते हैं। यह एक ऐसा देश होता है जिसमें स्वयं के कारखाने नहीं होते हैं और बहुधा शक्ति और प्रकाश की अपर्याप्त पूर्ति होती है। इसमें बहुधा अपर्याप्त सड़कें, रेलें, सरकारी सेवाएँ और पिछड़े हुए सचार साधन होते हैं। इसमें घोड़े ही अस्तालाल और उच्च शिक्षण संस्थाएँ होती हैं। इसके अधिकांश लोग लिख और पढ़ नहीं सकते हैं। सामान्य जनता निर्धन होने पर भी इसमें कुछ व्यक्ति धनी होते हैं और विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। इसकी वैभिन्न प्रणाली अविकसित होती है और छोटे-छोटे क्षण, क्षणदाताओं के द्वारा प्राप्त करने होते हैं जो शोषण करते हैं। अद्धं-विकसित देश का एक प्रमुख लक्षण यह होता है कि बहुधा इसके सब निर्यातों में कच्चा माल, कच्चे सनिज, फल या कुछ रेशों का उत्पादन होते हैं जिनमें कुछ विलासितापूर्ण दस्तकारियां होती

18 आर्थिक विकास के सिद्धान्त

है। बहुधा नियति किए जाने वाले इन पदार्थों का उत्पादन या उत्तरादन विदेशी कम्पनियों के हाथों में होता है।¹

अद्वैत-विकसित देश अद्वैत-विकसित अर्थ-व्यवस्था का विवरण कुछ अन्य प्रमुख विद्वानों ने इस प्रकार किया है—

श्री पी टी बाबर एवं वी एस यामे के मतानुसार “अद्वैत-विकसित देश शब्द बहुधा मोटे रूप से उन देशों या प्रदेशों की ओर संकेत करते हैं जिनकी वास्तविक आय एवं प्रति व्यक्ति पूँजी का स्तर उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और आस्ट्रेलिया के स्तर से नीचा होता है।”²

इसी प्रकार की परिभाषा समुक्त राष्ट्र सभ के एक प्रकाशन में भी दी गई है जो इस प्रकार है—

“एक अद्वैत-विकसित देश वह है जिसकी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, समुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया और पश्चिमी यूरोपीय देशों की प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की तुलना में कम हो।”³

उपरोक्त परिभाषाओं के अनुसार जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और आस्ट्रेलिया प्रादि देशों की प्रति व्यक्ति आय से कम होती है उन्हे अद्वैत-विकसित कहते हैं। ये परिभाषाएँ अद्वैत-विकसित देश का एक अवृद्धि आधार प्रस्तुत करती हैं, किन्तु प्रति व्यक्ति आय ही किसी देश के विकासित और अविकसित होने का उचित मापदण्ड नहीं है। प्रति व्यक्ति आय विश्व में सबसे ज्यादा रखने वाला कुंवरंत केवल इसी आधार पर विकसित नहीं कहला सकता है।

ग्रो जे. आर हिक्स के मतानुसार, “एक अद्वैत-विकसित देश वह है जिसमें तकनीकी और मौद्रिक सीमाएँ व्यवहार में उत्पत्ति और बचत के वास्तविक स्तर के के बराबर नीची होती है जिसके कारण श्रम की प्रति इकाई (प्रति कार्य-जीवन व्यक्ति) पुरस्कार उससे कम होता है जो जात तकनीकी ज्ञान का ज्ञात साधनों पर उपयोग करने पर होता है।”³

इस परिभाषा में मुख्यतः तकनीकी तत्त्वों पर ही अधिक जोर दिया गया है और इसमें प्राकृतिक साधन, जनसंख्या प्रादि आर्थिक तथा अन्य अनार्थिक तत्त्वों पर जोर नहीं दिया गया है।

1 Bar-T and Yame *Economics of Under-developed Countries* p 3

2 United Nations *Measures for the Economic Development of Underdeveloped Countries*, p 3

3 J R Hicks - *Contribution to the Theory of Trade Cycles*

भारतीय योजना आयोग के अनुसार “एक अद्दं-विकसित देश वह है जिसमें एक और अधिक या कम अप्रयुक्त मानव शक्ति और दूसरी और अशोषित प्राकृतिक साधनों का सह-प्रस्तित्व हो।”¹

यह परिभाषा इस आधार पर अधिक अच्छी है कि इसमें अशोषित साधनों को अद्दं-विकास का सकेत माना गया है जो अद्दं-विकसित देश का एक प्रमुख लक्षण होता है, किन्तु इसमें इस बात का स्पष्टीकरण नहीं मिलता कि ऐसा क्यों हुआ है। इसके अतिरिक्त यदि ये साधन पूँजी, साहस आदि की बमी के कारण अशोषित हैं तब तो ठीक है किन्तु यदि आधिक मदी आदि के कारण मानवीय या अन्य साधन अप्रयुक्त रहते हैं तो यह अनिवार्य रूप से अद्दं-विकसित देश की पहचान नहीं है।

प्रो. जेकब वाइनर के मतानुसार, “एक अद्दं-विकसित देश वह है जिसमें अधिक पूँजी या अधिक थम-शक्ति या अधिक उपलब्ध साधनों या इनमें से सभी के उपयोग की अधिक सभावनाएँ होती हैं जिससे इसकी वर्तमान जनस्था वा उच्च जीवनस्तर पर निर्वाह किया जा सके या यदि इस देश की प्रति व्यक्ति आय का स्तर पहले से ही ऊँचा हो तो जीवन स्तर को नीचा किये बिना ही अधिक जनस्था का निर्वाह किया जा सके।”²

उपरोक्त परिभाषा का सार यह है कि अद्दं-विकसित देश वह होता है जहाँ आर्थिक विकास की और सभावनाएँ समाप्त नहीं हुई हो और जहाँ पर वर्तमान जनस्था के जीवन स्तर को उच्च करने या वर्तमान जीवन स्तर पर अधिक जनस्था का निर्वाह किये जाने की गुजाइश हो। इस परिभाषा की एक अच्छी बात यह है कि इसमें इस बात पर बल दिया गया है कि ऐसे देशों में साधनों का उपयोग करके जीवन स्तर को उच्च बनाया जा सकता है, किन्तु यह परिभाषा प्राकृतिक साधनों के पूँजी द्वारा प्रतिस्थापना को कम महत्व देती है जैसा कि जापान, हॉलैण्ड और स्विट्जरलैण्ड में हुआ है। डॉ. आस्करलेन्स के शब्दों में, “एक अद्दं-विकसित अर्थ-व्यवस्था वह है जिसमें उपलब्ध पूँजीगत वस्तुओं का स्टॉक उत्पादन की आधुनिक तकनीक के आधार पर कुल उपलब्ध अमरण्डित को नियोजित करने के लिए अपर्याप्त होता है।”

प्रो० नक्से ने भी उन देशों को अद्दं-विकसित देश बतलाया है जो प्रमतिशील देशों की तुलना में अपनी जनस्था और प्राकृतिक साधनों के सम्बन्ध में कम पूँजी से सम्पन्न होते हैं।

डॉ० लेंगे और नक्से ने पूँजी की बमी पर ही जोर दिया है अतः ये परिभाषाएँ एकांगी होने के साथ-साथ विकास की सम्भावनाओं तथा सामाजिक और

1. *India's First Five Year Plan.*

2. Jacob Viner : *International Trade and Economic Development*, p. 128.

20 आर्थिक विकास के सिद्धान्त

राजनीतिक दशाओं के महत्व के बारे में कुछ नहीं बताती हैं जैसा कि स्वयं प्रो॰ नर्वसे ने लिखा है—

“आर्थिक विकास का मानव व्यवहार, सामाजिक टट्टिकोण, राजनीतिक दशाओं और ऐतिहासिक आकस्मिकताओं से गहरा सम्बन्ध है। पूँजी आवश्यक है किन्तु यह प्रगति की पर्याप्त शर्त नहीं है।” अत अद्वैतविकासित देशों की परिभाषा में वहाँ की सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितियों पर भी व्याख्या जाना चाहिए।

श्री यूजीन स्टेनले ने अद्वैतविकासित देश की व्याख्या करते हुए बतलाया है कि “यह एक ऐसा देश होता है जिसमें जन-दरिद्रता व्याप्त होती है, जो किसी अस्थाई दुर्भाग्य का परिणाम नहीं होकर स्थाई होती है, जिसमें उत्पादन तकनीक पुरानी और सामाजिक सम्भव अनुभुक्त होता है, जिसका अर्थ यह है कि देश की निर्धनता पूर्ण रूप से प्राकृतिक साधनों की कमी के कारण नहीं होती है और इसे अन्य देशों में परीक्षित उपयोग द्वारा कम किया जा सकता है।”¹

श्री स्टेनले की उपरोक्त परिभाषा में अद्वैतविकासित देश के कुछ लक्षणों की ओर सबेत किया गया है, किन्तु अद्वैतविकास की परिभाषा इन तीन लक्षणों के आधार पर पर्याप्त नहीं हो जाती। इस परिभाषा में सामाजिक दशाओं पर भी आर्थिक विकास की निर्भरता स्वीकार की गई है।

बस्तुत प्रति व्यक्ति उत्पादन एक और प्राकृतिक साधनों पर और दूसरी ओर मानव व्यवहार पर निर्भर करता है। लगभग समान प्राकृतिक साधन होने हुए भी कई देशों की आर्थिक प्रगति में अन्तर प्रतीत होता है। इसका एक प्रमुख कारण मानव व्यवहार का अन्तर है। श्री अल्फोड बोत के अनुसार मानव व्यवहार विशेष रूप से जन-स्वच्छ आर्थिक विकास की प्रक्रिया में एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। श्री डबल्यू० ए० लेविस ने भी इसी बात पर बहुत देते हुए लिखा है कि “जन उत्साह योजना के लिए स्तिंश्वता देने वाला तैल और आर्थिक विकास का घेटौन है।” अत अद्वैतविकासित देशों की परिभाषा में इस तत्व की भी अद्वेलना नहीं की जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में डॉ० डी० एस० नाग की परिभाषा उचित जान पड़ती है जो इस प्रकार है—

“एक अद्वैतविकासित देश या प्रदेश वह होता है जिसमें इसी बत्तेमान² जनस्वाम्य को उच्च जीवन स्तर पर निर्वाह करने या पदि जनस्वाम्य बढ़ रही हो, सो जनस्वाम्य वृद्धि की दर से अधिक गति से जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के लिए अधिक पूँजी, या अधिक शम-शक्ति या अधिक उपलब्ध या सम्भाव्य प्राकृतिक साधनों या उनके संयुक्त उपयोग के लिए पर्याप्त सम्भावनाएँ हों और इसके बिंदु जनता में उत्साह हो।”

**'अद्विकसित', 'अविकसित', 'निर्धन' और 'पिछड़े हुए' देश
('Under-developed', 'Undeveloped', 'Poor' and 'Backward' Countries)**

कभी-कभी इन सभी शब्दों को पर्यायवाची शब्द माना जाता है और अद्विकसित देशों को 'अविकसित', 'निर्धन' और 'पिछड़े हुए' आदि शब्दों से संबोधित किया जाता है। किन्तु आजकल इन शब्दों में भेद किया जाता है और अद्विकसित शब्द ही अधिक उपयुक्त माना जाने लगा है। अधिकांश साम्राज्यवादी देशों के लेखकों ने अपने उपनिवेशों के बारे में लिखते हुए 'गरीब' या 'पिछड़े हुए' शब्दों का प्रयोग किया है। बहुधा इन शब्दों से और जिस प्रकार इनका प्रयोग किया गया है यह निष्कर्ष निकलता है कि ईश्वर ने विश्व को धनों और गरीब दो भागों में विभाजित किया है, एक गरीब देश इसलिए गरीब है क्योंकि इसके प्राहृतिक साधन कम हैं और उसे आर्थिक स्थिरता के उसी निम्न स्तर पर रहता है किन्तु अब यह नहीं माना जाता है कि इन निर्धन देशों के प्राहृतिक साधन भी कम हैं और यही इनकी निर्धनता का मुख्य कारण है। इसके अतिरिक्त 'निर्धनता' के बल देश की प्रति व्यक्ति निम्न आय को ही इगत करती है, अद्विकसित देश की अन्य विशेषताओं को नहीं। इसीलिए 'निर्धन' एवं 'पिछड़े हुए' शब्दों का प्रयोग अलोकप्रिय हो गया है। इसी प्रकार (*Undeveloped*) शब्द भी अद्विकसित देश का समानार्थक माना जाता है किन्तु दोनों में भी यह स्पष्ट अन्तर किया जाता है कि अविकसित देश वह होता है जिसमें विकास की समावनाएँ नहीं होती हैं। इसके विपरीत अद्विकसित देश वह होता है जिसमें विकास की पर्याप्त सम्भावनाएँ होती हैं। अन्टार्कटिक, आर्कटिक और सहारा के प्रदेश अविकसित कहला सकते हैं क्योंकि वर्तमान तकनीकी ज्ञान एवं अन्य कारणों से इन प्रदेशों के विकास की समावनाएँ सीमित हैं। किन्तु भारत, पाकिस्तान, कोलम्बिया, युगांडा आदि अद्विकसित देश कहलाएंगे क्योंकि इन देशों में विकास की पर्याप्त सम्भावनाएँ हैं। इस प्रवार अविकसित शब्द स्थैतिक स्थिति का चोतक है। वस्तुत विसी देश के बारे में यह धारणा बना लेना कठिन है कि उस देश में निरवेद्ध रूप में साधनों की स्वल्पता है क्योंकि साधनों की उपयोगिता तकनीकी ज्ञान के स्तर भींग की दशाएँ और नई खोजों पर निर्भर करती है। वस्तुत इन देशों के प्राकृतिक साधन, तकनीकी ज्ञान और उपकरण के इन साधनों पर उपयोग नहीं किए जाने के कारण अधिकांश भी अविकसित देश में होते हैं पर इनके विकास की पर्याप्त सम्भावनाएँ होती हैं। सयुक्त राष्ट्र सघ की एक विशेष राय के अनुसार, "सब देश, चाहे उनके प्राकृतिक साधन कौसे ही हो, वर्तमान में अपने इन साधनों के अधिक अच्छे उपयोग के द्वारा अपनी आय को बड़ी मात्रा में बढ़ा सकने की स्थिति में हैं।"

अत 'अविकसित' शब्द के स्थान पर 'अद्विकसित' शब्द का उपयोग किया जाने लगा है। ये अद्विकसित देश आजकल आर्थिक विकास का प्रयत्न कर रहे हैं

जिसके परिणामस्वरूप इन्हे 'विकासशील' (Developing) देश भी कहते हैं; जिन्हुंना सामान्यतया इन सब शब्दों को लगभग समान अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है।

अद्वैत-विकसित अर्थ-व्यवस्था की विशेषताएँ या लक्षण

(Characteristics of Under-developed Economies)

अद्वैत-विकसित विश्व विभिन्न प्रकार के देशों का समूह है। इन देशों की अर्थ-व्यवस्था में विभिन्न प्रकार के अन्तर पाए जाते हैं। जिन्हुंना सब होते भी इन अद्वैत-विकसित देशों में एक आधारभूत समानता पाई जाती है। यद्यपि किसी एक देश को प्रतिनिधि अद्वैत-विकसित देश की सज्जा देना कठिन है, जिन्हुंना फिर भी कुछ ऐसे सामान्य लक्षणों को बताना सभव है जो कई अद्वैत-विकसित देशों में आमतौर से पाए जाते हैं। यद्यपि ये सामान्य लक्षण सब अद्वैत-विकसित देशों में समान अशों में नहीं पाए जाते और न केवल ये ही अद्वैत-विकसित देशों के लक्षण होते हैं, जिन्हुंना ये सब मिलकर एक अद्वैत-विकसित अर्थ-व्यवस्था को बनाने में समर्थ हैं। अद्वैत-विकसित देशों के इन लक्षणों को मुख्यतः निम्नलिखित बगों में विभाजित करके अध्ययन किया जा सकता है—

- (अ) आर्थिक लक्षण
- (ब) जनसंख्या सम्बन्धी लक्षण
- (स) सामाजिक विशेषताएँ
- (द) तकनीकी विशेषताएँ
- (ई) राजनीतिक विशेषताएँ

(अ) आर्थिक लक्षण

(Economic Characteristics)

आर्थिक लक्षणों में निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं—

1. अद्वैत-विकसित प्राकृतिक साधन (Under-developed Natural Resources)—अद्वैत-विकसित देशों का एक प्रमुख लक्षण इनके साधनों का अद्वैत-विकसित होना है। इन देशों में यद्यपि ये साधन पर्याप्त मात्रा में होते हैं, जिन्हुंना पूँजी और तकनीकी ज्ञान के अभाव तथा अन्य कारणों से इन साधनों का देश के विकास के लिए पर्याप्त और उचित विदेहन नहीं किया गया होता है। उदाहरणार्थ एशिया, अफ्रीका, सेटिन अमरीका, ग्रास्ट्रीलिया एवं द्वीप-समूहों में बहुत बड़ी मात्रा में भूमि संसाधन अप्रयुक्त रहे हुए हैं। श्री केलोग (Kellog) के अनुसार इन्हीं ग्रीर दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका तथा न्यूगीनिया, मेडागास्कर, बोनियो आदि द्वीपों की दम से कम 20% अप्रयुक्त भूमि वृपि योग्य है जिसका कृषि कार्यों में उपयोग बरके विश्व की कृषि भूमि में एक विलियन एकड़ अतिरिक्त भूमि जी बृद्धि की जा सकती है। प्रो० बोन द्वारा हाल ही में किए गए मध्यपूर्व के आठ देशों के सर्वेक्षण से ज्ञात होता

है कि इन देशों के कुल 118 मिलियन हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि में से केवल एक तिहाई से भी कम भूमि में कृषि की जाती थी और 85 मिलियन एकड़ कृषि योग्य भूमि बेकार पड़ी हुई थी। थी वालिन कलाकं ने बतलाया है कि विश्व की वर्तमान कृषि योग्य भूमि से उपयोग और कृषि के डिनिश स्टेन्डर्ड के अनुसार 12,000 मिलियन व्यक्तियों का निर्वाह किया जा सकता है जबकि वर्तमान में केवल 2,300 मिलियन लोगों का ही निर्वाह किया जा रहा है। स्पष्टत भूमि के ये अप्रयुक्त साधन अधिकास में अद्वं-विकसित देशों में ही हैं।

इसी प्रकार अद्वं-विकसित देशों में खनिज एवं शक्ति के साधनों की सम्पन्नता है, किन्तु यहाँ इनका विकास नहीं किया गया है। अकेले अफ्रीका में विश्व की सभावित जल-शक्ति के 44% साधन है, किन्तु यह महाद्वीप केवल 0·1% जल साधनों का ही उपयोग कर रहा है। थ्री वोयटिन्सकी और वोयटिन्सकी के अनुसार एशिया, मध्य-अमेरिका और दक्षिण अमेरिका भी अपने जल-विद्युत साधनों के प्रमाण केवल 13%, 5% और 3% भाग का ही उपयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार अफ्रीका में तांबा, टिन और सोने के तथा एशिया में पेट्रोल, लोहा, टिन और बाक्साइट आदि वे अपार भडार हैं, किन्तु इनका भी पूरा विदोहन नहीं किया जा रहा है। इसी प्रकार बर्मा, थाइलैण्ड, इण्डोचीन तथा अफ्रीका, एशिया और लेटिन अमेरिकी देशों की वन सम्पत्ति का उपयोग नहीं किया गया है या साम्राज्यवादी शासकों द्वारा शासक देशों के हित के कारण दुरुपयोग किया गया है।

भारत में भी उसके खनिज सम्पत्ति, जल-साधन, भूमि-साधन और वन-साधन पर्याप्त मात्रा में हैं, किन्तु उनका पर्याप्त विकास और उचित विदोहन नहीं किया गया है। उदाहरणार्थं भारत में विश्व में उपलब्ध लोहे का लगभग 25 प्रतिशत अर्थात् 2,160 करोड़ टन सोहे भण्डार होने का अनुमान है, किन्तु यहाँ सोहे का वार्षिक खनन लगभग 1·70 करोड़ टन से कुछ ही अधिक है। इसी प्रकार 1951 तक देश में सिचाई के लिए उपलब्ध जल का केवल 17 प्रतिशत और कुल जल-प्रवाह का केवल 5·6 प्रतिशत ही उपयोग में लाया जा रहा था तथा 31 मार्च, 1970 तक भी सिचाई के लिए उपलब्ध जल का केवल 39 प्रतिशत ही उपयोग में था।

2 कृषि की प्रधानता और उसकी निम्न उत्पादकता (Importance of Agriculture and its Low Productivity) — अद्वं-विकसित देशों में कृषि की प्रधानता होती है। उन्नत देशों में जितने लोग कृषि करते हैं, अद्वं-विकसित देशों में उससे प्राय चार गुना अधिक लोग कृषि में लगे होते हैं। साधारणतया 65 से 85 प्रतिशत तक लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि और उससे सम्बन्धित उद्योगों पर आश्रित रहते हैं। हम भारत को ही ले तो यहाँ लगभग 70 प्रतिशत लोग आज भी कृषि पर आश्रित हैं। अद्वं-विकसित देशों में राष्ट्रीय आय का लगभग आधा या इससे भी अधिक भाग कृषि से प्राप्त होता है। प्रमुख उत्पादन खाद्य-

समग्री और कच्चा माल रहता है। कृषि में इतना अधिक सकेन्द्रण बस्तुत पिछड़ेपन और दरिद्रता का चिह्न है। प्रमुख व्यवसाय के रूप में भी कृषि अधिकतर अनुपादक है क्योंकि कृषि पुराने ढंग से और उत्पादन के अप्रचलित और पिछड़े हुए तरीकों से वी जाती है जिससे पैदावार अनिश्चित रूप से कम रहती है और किसान प्रायः गुजारे के स्तर पर जीवित रहते हैं। कृषि पर अत्यधिक भार होने से भूमि के पट्टे, उप-विभाजन, उपलब्धिन, अनाधिक जोत, भूमिहीन ग्रामीण आदि की समस्याएँ उपस्थित रहती हैं। कृषि-न्यास की कमी रहने से कृषक प्रायः ऋण-न्प्रस्त होते हैं। अद्विकसित देशों में कृषि को “मानसून का जुआ” कहा जाता है। अम्बरिट, हन्ट एवं किन्टर के शब्दों में—“इन देशों में कृषि का मानसून पर अत्यधिक निर्भर होने से आज के राजकुमार कल के मिलारी और आज के भिलारी कल के राजकुमार बन जाते हैं।”

अद्विकसित देशों में भूमि की उत्पादकता अत्यन्त कम रहने अर्थात् कृषि का सामान्यक व्यवसाय न बन पाने का अनुमान हम कठिपय विकसित देशों के मुकाबले भारत की स्थिति की तुलना द्वारा सरलता से लगा सकते हैं—

विभिन्न देशों में भूमि उत्पादिता, 1966-67

फसल	देश	प्रति हैक्टर भूमि उत्पादिता (00 किलोग्राम)
चावल (थान)	जापान	50 90
	अमेरिका	48 50
	सोवियत संघ	28 70
	भारत	12 90
कपास	सोवियत संघ	8 30
	स० अ० गणराज्य	5 90
	अमेरिका	5 40
	भारत	1 10
मेहँ	इंग्लैण्ड	38 40
	फ्रांस	28 30
	इटली	22 00
	भारत	8 90

यदि कुल राष्ट्रीय आय में कृषि से प्राप्त आय का प्रतिशत लें तो स्थिति निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है—

देश	वर्ष	कुल राष्ट्रीय आय में कृषि से प्राप्त आय का प्रतिशत
1. कनाडा	1960	70
2. अमेरिका	1960	40
3. इर्लंड	1960	40
4. भारत	1964	470

कृषि-उत्पादन की माना कम होने का एक बड़ा कुप्रभाव यह होता है कि बड़ी मात्रा में छिपी वेरोजगारी बनी रहती है।

3 औद्योगिकरण का अभाव (Lack of Industrialisation)—इन अद्वैतिक सित देशों का एक प्रमुख लक्षण यह है कि इनमें आधुनिक फूम के बड़े पैमाने के उद्योगों का अभाव रहता है। यद्यपि इन देशों में उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योग तो यत्र तत्र स्थापित होने लगते हैं, किन्तु आधारभूत उद्योगों जैसे मशीन, यन्त्र, स्पात आदि उद्योगों का लगभग अभाव रहता है और शेष उद्योगों के लिए भी ये मशीन आदि के लिए आवास पर निर्भर होते हैं। विकसित देशों में जब कि आधुनिक उद्योगों की बड़े पैमाने पर स्थापना होती है वहाँ ये देश मुख्यतः प्राथमिक उत्पादन में ही समेरहते हैं। कुछ अद्वैतिक सित देशों में इन प्राथमिक व्यवसायों का उदाहरण खान खोदना है। द्वितीय महायुद्ध के पूर्व विश्व में दिन उत्पादन में महत्व के क्रम में मलाया, इण्डोनेशिया, बोलिविया, श्याम और चीन थे और ये सभी देश अद्वैतिक सित देश हैं। एशिया और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीपों में विश्व के 58% ट्रास्टन और 44% तंबीं का उत्पादन होता है। एशिया और अफ्रीका में विश्व का 52% मंगनीज और 61% ओमाइट का उत्पादन होता है। एशिया महाद्वीप से विश्व के पेट्रोल का एक तिहाई भाग और दक्षिणी अमेरिका से 16% प्राप्त होता है। इस प्रकार इन अद्वैतिक सित देशों में प्राथमिक व्यवसायों में ही अधिकांश जनसंख्या नियोजित रहती है और औद्योगिक उत्पादन का अभाव रहता है। अग्रांकित तालिका से आर्थिक विकास और औद्योगिकरण का घनात्मक सह-सम्बन्ध स्पष्ट होता है—

राष्ट्रीय आय में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान¹

प्रति व्यक्ति आय वर्ग	कुल राष्ट्रीय धन का प्रतिशत			
	आधिक उत्पादन	उद्योग	सेवाएँ	कुल
125 डॉलर से कम आय वाले देश	47	19	33	100
125 से 249 डॉलर आय वाले देश	40	25	35	100
250 से 374 डॉलर आय वाले देश	30	26	45	100
375 या अधिक डॉलर वाले देश	27	28	46	100
अधिक आय वाले विकसित देश	13	49	30	100

आधुनिक युग में किसी देश के औद्योगीकरण में शक्ति के साधनों का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान होता है और प्रति व्यक्ति विद्युत शक्ति के उपयोग से भी किसी देश के औद्योगिक विकास का अनुमान लगाया जा सकता है। अद्वैत-विकसित देशों में प्रति व्यक्ति विद्युत शक्ति का उपयोग बहुत कम होता है जो इन देशों में औद्योगीकरण के अभाव का प्रतीक है।

4. प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर (Low level of Per Capita Income)—अद्वैत-विकसित अथवा विकासमान देशों का एक प्रमुख लक्षण इनकी निर्घंटना अथवा सामान्य दरिद्रता है जो प्रति व्यक्ति आय के निम्न स्तर से भलकनी है। इस हिट से विकसित और अद्वैत-विकसित देशों में जमीन-आसमान का अन्तर है। विकसित देशों में जहाँ समृद्धि इठलाती है वहाँ अद्वैत-विकसित देशों में निर्घंटना वा नम्ब नृत्य होता है।

संयुक्त राष्ट्रसभ के अंगकर्ता के अनुसार सातवें दशक के शुरू में विकसित पूँजीवादी राज्यों में प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक आय 1,037 डॉलर और नवोदित स्वाधीन देशों में 83 डॉलर थी। इन अंगकर्ता की तुलना बरने से प्रकट होता है कि भूतपूर्व उपनिवेश और अद्वैत-उपनिवेश अपने आर्थिक विकास में 12 गुना (1,037 : 83) पीछे हैं।² 1964 में जेनेवा में बाणिज्य तथा विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसभ के सम्मेलन में भाषणएं देते हुए कीनिया ने प्रतिनिधि, बाणिज्य एवं उद्योग मंत्री जॉ. जी. कियानो ने सकेत किया था कि “संदान्तिक रिपोर्टों और

1 Source U.N World Economic Survey 1961

2 पूँजीवाद व वन्य : तीसरी दुनिया, पृ 112

निम्न जीवन-स्तर और निम्न जीवन-आय-स्तर (Low Standard of Living and Low Level of Life-age)—आयिक विप्रभाव की वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत करने वाले अन्य आंकड़ों को लें तो भी पूर्जीवादी दुनिया वे अतिविकसित औद्योगिक राज्यों से एंगिया, अफ्रीका और लैंटिन अमेरिका के पिछ्छे देशों की भिन्नता स्पष्ट प्रवाट होती है। यह पता चलता है कि अद्वैतिक अथवा नवोदित स्वाधीन देशों में मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता भी भली प्रकार पूरी नहीं हो पाती। “एक मनुष्य की दैनिक आहार आवश्यकता 2,500 से 4,000 किलोरों तक होती है, जो इस पर निर्भर करता है कि वह विस तरह का बाम करता है। औसत आवश्यकता 3,000 किलोरी निश्चित की जा सकती है। आगे दी गई तालिका पर विचार करते समय इसे ध्यान में रखना होगा। आप देखेंगे कि भूतपूर्व उपनिवेशों तथा अद्वैत-उपनिवेशों से सम्बन्धित आंकड़े हमेशा ही औसत आंकड़ों से और कई अवस्थाओं से तो 2,200 किलोरी की न्यूनतम सीमा से भी कम हैं, जो अपर्याप्त पोषण अर्थात् भुज्जमरी के द्योतक हैं।”

“इन आंकड़ों से केवल एक ही निचोड़ निकाला जा सकता है, वह यह कि भूतपूर्व उपनिवेशों और अद्वैत-उपनिवेशों के निवासी अपीष्टिक भोजन प्रहण करते हैं जिसका परिणाम उनके वीच व्याप्त कुपोषण तथा ऊची मृत्यु-दर है। वेरीवेरी, सूखे का रोग, स्कर्बी, पिलंग्रा, क्वाशिओर्कोर आदि अनक रोग सीधे अपीष्टिक भोजन तथा पोषिकता की कमी के फलस्वरूप होते हैं। भिसाल के लिए, मध्य पूर्व में पांच साल तक के बच्चों में से एक तिहाई इन्हीं रोगों के शिकार होकर मरते हैं। अफ्रीका में 6 महीने से 6 साल तक की उम्र के 96 प्रतिशत बच्चों को प्रोटीन की कमी से पंदा होने वाली क्वाशिओर्कोर नामक धीमारी हो जाती है।”

1 Proceedings of the United Nations Conference on Trade and Development, Geneva, March 23—June 16, 1964, Vol. II, Policy Statements, p. 251 (‘तीसरी दुनिया’ से उद्दृत)

2. मू. जूकोव एवं अन्य : तीसरी दुनिया, पृ. 112.

सारांश रूप में प्रति व्यक्ति निम्न आय लोगों के निम्न जीवन स्तर की सूचक है। अद्विकसित देशों में खाद्य पदार्थ उपभोग की प्रमुख वस्तु है जिस पर लोगों की आय का 65 से 70 प्रतिशत तक खर्च होता है जबकि उन्नत देशों में लगभग 20 प्रतिशत। अद्विकसित देशों की अधिकांश जनसंख्या के भोजन में माँस, अण्डा, मछली, दूध, मक्कल आदि पोषक खाद्य पदार्थ विलकूल नहीं होते। लोग बढ़ी अस्वास्थ्यप्रद परिस्थितियों में रहते हैं और समुचित चिकित्सा सुविधाएँ भी उपलब्ध नहीं होती। बास्तव में निर्धनता अद्विकसित देशों का एक ऐसा रोग है जो उन्हे विभिन्न सकटों में उत्तमाए रखता है। प्रो० कैरनक्रास ने ठीक ही लिखा है कि अद्विकसित देश विश्व अर्थ-व्यवस्था की गदी बस्तियाँ हैं। प्रति व्यक्ति आय कम होने से ही अन्तर्राष्ट्रीय लोगों की कार्य-क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

खाद्य खपन और जीवन-अवधि के दो महत्वपूर्ण सूचकों को लेकर विकसित पूँजीवादी राज्यों और पिछड़े देशों के बीच जो मारी अन्तर है, उसे सोवियत सघ की विज्ञान अकादमी के सदस्य यू० जूकोव एवं उनके सहलेखकों ने नीचे दी गई दो तालिकाओं के आंकड़ों से बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया है—

सातवें दशक में कुछ देशों में खाद्य-खपत

(देश में उत्पादित + आयातित खाद्य-पदार्थ प्रति दिन प्रति व्यक्ति)

कॅलोरी	देश	प्रोटीन (ग्राम)
3,510	न्यूजीलैण्ड	109
3,270	ग्रेट ब्रिटेन	89
3,140	आस्ट्रेलिया	90
3,100	संयुक्त राज्य अमेरिका	92
3,100	कनाडा	94
3,000	जर्मन सधार्मक गणराज्य	80
औसत आवश्यकता—		औसत आवश्यकता—
3,000 कॅलोरी		80 ग्राम
निम्नतम निरापद—		
2,500 कॅलोरी		
2,690	ब्राजील	65
2,620	संयुक्त अरब गणराज्य	77
निम्नतम निरापद—		
2,490	वेनिजुएला	66
2,330	सीरिया	78

2,200 बैलोरी—

इससे नीचे

अपर्याप्त पोषण की बैलोरी
स्थिति भारी है

देश

प्रोटीन
(ग्राम)

2,100	लीबिया	53
2,050	पेरू	51
2,040	भारत	53
1,980	पाकिस्तान	44
1,830	फिलिपीन	43

सातवें दशक में विवसित पूँजीवादी राज्यों और नवोदित स्वाधीन
राज्यों में तुलनात्मक (प्रति एक हजार आवादी के हिसाब से)

विवसित पूँजीवादी राज्य

पश्चिमी यूरोप	78—125
उत्तरी अमेरिका	77—84
जापान	73
आस्ट्रेलिया	86

स्वाधीनता प्राप्त उपनिवेश और महां-उपनिवेश

एशिया	19—24
अफ्रीका	25.6—33.3
लैंटिन अमेरिका	6.7—17.0

सातवें दशक में

कुछ इलाकों में औसत जीवन-ग्रन्थि	
उत्तरी अमेरिका	70-73
आस्ट्रेलिया	70-73
पश्चिमी यूरोप	68-70
लैंटिन अमेरिका	50-55
एशिया	40-50
अफ्रीका	30-40

नोट . कुछ अफ्रीकी और लैंटिन अमेरिकी देशों में औसत जीवन-ग्राहु उसी
स्तर पर है, जिसपर प्राचीन रोम के समय में थी—30 वर्ष 1¹

1. पू. बूकोव एवं अन्य : तीसरी दुनिया, भेद 114-115.

5 पूँजी की कमी (Deficiency of Capital)—अद्विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाएँ पूँजी में निधन (Capital Poor) और कम बचत और विनियोग करने वाली (Low Saving and low investing) होती है। देश के साधनों के उचित उपयोग नहीं होने और साधनों के अविकसित होने के कारण पर्याप्त मात्रा में उत्पादन के साधनों का सृजन नहीं हो पाता और साथ ही इसी कारण वहाँ की पूँजी की मात्रा वर्तमान तकनीकी ज्ञान के स्तर पर साधनों के उपयोग और आर्थिक विकास की आवश्यकताओं से बहुत कम होती है। किन्तु इन देशों में नेटवल पूँजी की ही कमी होती है अपितु पूँजी निर्माण की दर (Rate of Capital Formation) भी बहुत निम्न होती है। इन अद्विकसित देशों में आय का स्तर बहुत नीचा होता है अत बचत की मात्रा भी कम होती है। स्वामादिक रूप से बचत की मात्रा कम होने का परिणाम कम विनियोग और कम पूँजी निर्माण होता है। इन अद्विकसित देशों में उपभोग की प्रवृत्ति (Propensity to Consume) अधिक होती है और आर्थिक विकास के प्रयत्नों के कलहवर्ण आय में जो बृद्धि होती है उसका अधिकांश भाग उपभोग पर व्यय कर दिया जाता है। बढ़ी हुई आय में से बचत की मात्रा नहीं बढ़ने का एक कारण जैसा कि श्री नरेंद्र से ने बतलाया है प्रदर्शनात्मक प्रभाव (Demonstration effect) है जिसके अनुसार व्यक्ति अपने समृद्धशाली पड़ोसी के जीवन स्तर को अपनाने का प्रयत्न करते हैं। इसके साथ ही इन देशों में जनसत्त्वा में बृद्धि होती रहती है। इन सब कारणों से उत्पादन के लिए उपलब्ध घरेलू बचत बहुत कम होती हैं। डॉ ग्रोन की गणना के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की 90% जनसत्त्वा के पास व्यय के ऊपर आय का कोई आधिकार्य नहीं होता।

इस प्रकार अद्विकसित देशों में बचत की दर कम होती है जिससे विनियोग के लिए पूँजी प्राप्त नहीं होती। जो कुछ योड़ी बहुत बचत होती है वह उच्च आय वाले वर्गों में होती है जो इन्हे विदेशी प्रतिभूतियों में विनियोजित करना चाहते हैं जिनमें जोड़िम कम होती है। अद्विकसित देशों की विनियोग की आवश्यकताओं की इस कमी को विदेशी पूँजी के द्वारा पूरा करने का प्रयास किया जाता है, किन्तु इन देशों की साख, भूगतान की योग्यता और राजनीतिक स्थिति इस दृष्टि से बहुत उत्साहवर्द्धक नहीं होती। अत अद्विकसित देशों में पूँजी निर्माण की दर 5-6% होती है। इसके विपरीत विकसित देशों में कुल राष्ट्रीय आय के 15 से 20% तक कुल विनियोग होता है। श्री कालिन कलार्क के कुछ वर्षों पूर्व के एक अध्ययन के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और पश्चिमी यूरोप के देशों में पूँजी निर्माण की दर 15 से 18%, स्वेडन में 17%, नार्वे में 25% थी जबकि यह भारत में केवल 6% ही थी।

(6) निर्धारित पर निर्भरता और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रतिवृत्ता—
अद्विकसित देशों का एक प्रमुख लक्षण निर्धारित पर उनकी अत्यधिक निर्भरता है।

अधिकाश पिछड़े देशों से बच्चा माल भारी मात्रा में निर्यात किया जाता है। यू. जूकोव के अनुसार, "अधिकांश देश विश्व-मण्डलों में अपनी कृषि उपज बेचने हैं और औद्योगिक माल खरीदने हैं।" सोवियत सघ की विज्ञान असादमो वे सदस्य यू. जूकोव और उनके सह-सेसवों न अप्रिम तालिका में 24 देशों के नाम ममिनित किए हैं जो उपनिवेश अयवा अद्दं-उपनिवेश रह चुके हैं पर आज स्वाधीन हैं अर्थात् जो अद्दं-विकसित देशों की पक्तियों में हैं। इनमें से प्रत्येक के सामने ऐसी वस्तु का उत्पादन सम्बन्धी आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है, जिसका उसकी अर्थ-व्यवस्था में विशेष महत्व है। देश के निर्यात तथा राष्ट्रीय आय में भी उसका हिस्सा दिखाया गया है। इन आंकड़ों से यह पुष्ट होती है कि इन देशों का आर्थिक ढाँचा अधिकांशत एक ही फसल पैदा करने वाला एवंगी है। साथ ही इन आंकड़ों से तीसरी दुनिया के अद्दं-विकसित देशों तथा औद्योगिक हृष्टि से समृद्ध विकसित पूँजीवादी देशों के बीच बतंभान सम्बन्धों के आर्थिक ढाँचे के एवं पहलू पर भी प्रकाश पड़ता है और हमें पता चलता है कि दोनों को पृथक् करने वाली आर्थिक खाई चौड़ी होनी जा रही है।

विकासमान देशों की अर्थव्यवस्था और निर्यात का एकाग्री विशेषीकरण¹

देश	मुख्य पैदावार और निर्यात	निर्यात से प्राप्ति, प्रतिशत में बुल निर्यात से हुई	कुल निर्यात से हुई प्राप्ति का भाग	कुल राष्ट्रीय आय का भाग
कुवैत	खनिज तेल	99	97	
इराक	खनिज तेल	99	40	
सेनेगाल	मूँगफली	92	—	
बेनिजुएला	खनिज तेल	91	55	
सऊदी अरब	खनिज तेल	90	83	
नाइजीरिया	मूँगफली	87	—	
ईरान	खनिज तेल	85	33	
कोलम्बिया	कॉफी	74	29	
बर्मा	चावल	74	26	
हैटी	कॉफी	77	25	
सालवेडोर	कॉफी	73	—	
म्बाटेमाला	कॉफी	73	25	
मिस्र	कपास	70	18	
पनामा	केला	67	12	

देश	मुख्य पैदावार और निर्यात	निर्यात से प्राप्ति, प्रतिशत में कुल निर्यात से हुई	कुल राष्ट्रीय प्राप्ति की मांग आय का भाग
श्रीलंका	चाय	66	41
धान	कोकोआ	66	40
चिली	ताम्बा	63	20
मलाया	रबड़	62	40
लाइबेरिया	रबड़	62	—
ब्राजील	कॉफी	62	12
पाकिस्तान	जूट	58	9
चल्लम्बे	ऊन	58	9
बोलीविया	टीन	57	29
इन्डोनेशिया	केला	56	25

जहाँ तक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का सबाल है, गैर-न्यायाज्ञवादी दुनिया के विदेश व्यापार में विकासमान देशों का हिस्सा 1953 के 28 प्रतिशत से गिरकर 1966 में 21 प्रतिशत रह गया था। इस बीच इनका काज बढ़ता जा रहा है और उनकी स्वर्ण तथा मुद्रानिधि कम होती जा रही है।

यू. जूकोव ने अपने अध्ययन में आगे लिखा है—“1964 में जैनेवा में हुए वार्षिक एवं विकास सम्बन्धी समुक्त राष्ट्र सघ के सम्मेलन ने 1970 के पूर्वानुभाव सहित कुछ दस्तावेजे प्रचारित की थी। अन्य बातों के साथ-साथ उनमें यह चेतावनी भी दी गई थी कि 1970 तक विकासमान देशों के निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य की अपेक्षा 9 अरब से 13 अरब डॉलर कम होगा। इसके प्रलादा उन्हें ऋण को निवाटने, कर्ज का व्याज नुकाने तथा विदेशी कम्पनियों को प्राप्त होने वाले मुनाफे तथा लाभांश की रकम को अद्वा करने के लिए करीब 8 अरब डॉलर की और जल्लरत पड़ेगी। इस हिसाब को सगाने वालों ने सुझाव दिया था कि तीसरी दुनिया के बकाये में जो भारी बमी है, उसकी पूर्ति अशत नूसन विदेशी पूँजी-निवेश और सरकारी ऋणों से की जा सकती है। यह आशा प्रकट करते हुए वे स्पष्टत कही आशाज्ञादी थे, क्योंकि उनके अनुसार इन साधनों से होने वाली प्राप्तियाँ 12 अरब डॉलर तक पहुँच सकती हैं। यदि उनका तखमीना ठीक साबित हो, तो भी 5 अरब से 9 अरब डॉलर तक की कमी बनी रहेगी। परन्तु इससे भी अधिक निराशाजनक पूर्वानुभाव लगाया गया है, समुक्त राष्ट्र सघ ने कुछ विशेषज्ञों के मतानुसार 1975 तक विकासमान देशों को केवल अपने आयात में भुगतान के लिए शायद दसियों अरब डॉलर की कमी का सामना करना पड़ सकता है।”¹

1. Ibid, p 121-122

स्तर नीचा होता है। जिससे बहुत दर और परिणामस्वरूप विनियोग दर कम होती है। फलस्वरूप उत्पादकता भी कम होती है और इसी प्रकार यह कम चंता रहता है।

9 बाजार की अपूर्णताएँ (Imperfections of the Market)— डॉ थी एस नाग के अनुमार, “आर्थिक गत्यात्मकता में साधनों के अनुकूलतम प्रावटन और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अधिकतम उत्पादक क्षमता प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है किन्तु स्थिर अर्थव्यवस्था में कई बाजार की अपूर्णताएँ इसे ‘उत्पादन सीमा’ (Production Frontier) की ओर बढ़न से रोकती हैं।” निर्धन देश इस हृष्टिकरण से स्थिर अर्थव्यवस्था बाले होते हैं। जाति, धर्म, स्वभाव, प्रवृत्तियों की भिन्नता, निर्धनता, अजिक्षा, यातायात के साधनों का अभाव आदि थम की गतिशीलता में बाधा पहुँचाते हैं। इसी प्रकार पूँजी की गतिशीलता भी कम होती है। अद्वैत-विकसित देशों में साधनों की इस गतिहीनता के अतिरिक्त एकाधिकारिक प्रवृत्तियाँ, देश-विदेश के बाजारों का ज्ञान नहीं होता, बेलोच आर्थिक ढाँचा, विणिष्टोकरण का अभाव, पिछड़ी हुई समाज व्यवस्था आदि के कारण साधनों का सतुलित और उत्तित अवालन नहीं हो पाता है। अर्थव्यवस्था गतिहीन होती है जिससे इसके विभिन्न क्षेत्र के मूल्य आय के प्रति सुवेदनशील नहीं होते। इस प्रकार साधनों का असन्तुलित संपोग, अद्वैत-विकसित देशों के अद्वैत-विकास का कारण होता है।

10 आर्थिक विद्यमता (Economic Disparities)— अद्वैत-विकसित देशों में व्यापक रूप में धन और आय की विद्यमता तथा उच्चति के अवसरों की असमानता पाई जाती है। देश की अधिकांश सम्पत्ति, आय और उत्पत्ति के साधनों पर एक छोटे से समृद्ध वर्ग का अधिकार होता है जबकि देश के बहुत बड़े निर्धन वर्ग को आय का घोड़ा सा भाग प्राप्त होता है। इसी प्रकार प्रगति के अवसर भी योग्यता की अपेक्षा जाति और आर्थिक क्षमता पर निर्भर करते हैं। धनिक वर्ग में बचत क्षमता अधिक होती है जिसके द्वारा और प्रधिक धन क्रमान्ते के साधन इनके हाथ में प्राप्त जाते हैं। निर्धन वर्ग को लाभ पहुँचने वाले कार्यों जैसे, सामाजिक सुरक्षा, समाज सेवायां, श्रम-सधो, प्रगतिशील करारोपण आदि सम्मान अधिक विकसित नहीं होती हैं। परिणामस्वरूप, इन निर्धन देशों में धनी देशों की अपेक्षा व्यापक मार्यादिक विद्यमता पाई जाती है। प्रो. साइमन कुजनेडस के अनुकूल अनुग्राम इस दृष्टि के परिचायक है—

देश	सम्पूर्ण आय का जनसंख्या के 20% धनिक वर्ग को प्राप्त होने वाला प्रतिशत	सम्पूर्ण आय का जनसंख्या के 70% निर्धन वर्ग को प्राप्त होने वाला प्रतिशत
विकसित देश		
स. रा. अमेरिका	44	34
ब्रिटेन	45	35
अद्वैत विकसित देश		
भारत	55	28
थीलंका	50	30

उपरोक्त विवरण में स्पष्ट है कि विकसित देशों की अपेक्षा अद्वैतविकसित देशों में आर्थिक असमानता अधिक है। प्रो महालनबीस रिपोर्ट के अनुसार सन् 1955-56 में देश के 5% लोगों के पास देश की कुल आय का 23% भाग या और इसमें भी सर्वोच्च वर्ग के 1% व्यक्तियों को 11% आय प्राप्त होती थी। इसके विपरीत सबसे निम्न वर्ग के 25% लोगों को समस्त आय का केवल 10% भाग प्राप्त होता था।

(ब) जनसंख्या सम्बन्धी लक्षण

(Demographic Characteristics)

समस्त अद्वैतविकसित देशों में जनसंख्या सम्बन्धी विशेषताएँ समान नहीं पाई जाती। ये देश जनसंख्या के घनत्व, आयु सरचना और जनसंख्या में परिवर्तन की दर में भी भिन्नता रखते हैं। बाकर एवं यामे के अनुसार भारत और पाकिस्तान में सन् 1800 के पश्चात् जनसंख्या वृद्धि की दर कई पश्चिमी देशों की जनसंख्या वृद्धि की दर से भिन्न नहीं रही है। इसके अतिरिक्त अधिक जनसंख्या बाले देशों की जनसंख्या वृद्धि की दर ही सर्वाधिक हो, ऐसी बात नहीं है। फिर भी अद्वैतविकसित देशों की जनसंख्या सम्बन्धी निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएँ हैं—

1 जनसंख्या की अधिकता (Over Population)—इई अद्वैतविकसित देशों की जनसंख्या अधिक होती है। यद्यपि इन अधिक जनसंख्या बाले देशों के लिए भी निरपेक्ष (Absolute) रूप में अधिक आवादी बाले देश बहना उचित नहीं है, क्योंकि जनसंख्या की अधिकता या अधिकता (Over population or under population) को उस देश के प्राकृतिक साधनों के सन्दर्भ में देखना चाहिए। इसके अतिरिक्त सभी अद्वैतविकसित देश जनसंख्या की गमस्या से गमित नहीं हैं। लेटिन अमेरिका और आस्ट्रेलिया कम जनसंख्या (Under Population) बाले देश हैं। अफ्रीका महाद्वीप भी तकनीकी ज्ञान के वर्तमान स्तर पर कम जनसंख्या बाला क्षेत्र ही कहा जा सकता है। इसी प्रकार भारत आदि कुछ देशों में अधिक जनसंख्या हो सकती है किन्तु यमस्त अद्वैतविकसित देश अधिक जनसंख्या के भार से ग्रस्त नहीं हैं।

2 जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर (High rate of population growth)—अद्वैतविकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि की दर भी अधिक है। इकाके क्षेत्र के 17 देशों में से 8 देशों में जनसंख्या वृद्धि की दर 2% और 3% के मध्य है और कुछ देशों की इससे भी अधिक है। लेटिन अमेरिका में भी इसी प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसके विपरीत विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि की दर कम है। अद्वैतविकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि की उच्च दरों का कारण जन्म-दर का ऊँचा होना और मृत्यु दर का कम होना है।

3 जीवनावधि की अल्पता (Low life Longevity)—जीवनावधि का आशय देशवासियों की औसत आयु है। अद्वैतविकसित देशों में आय की कमी के कारण जीवन स्तर नीचा होता है और निर्धनता तथा आर्थिक विषमताओं की अधिकता के कारण औसत आयु कम होती है। वस्तुतः प्रति व्यक्ति आय और

जीवनावधि में सकारात्मक भृत्य स्थब बहुगा है यही कारण है कि जहाँ विकसित देशों में लोग अधिक समय तक जीवित रहते हैं, वहाँ अद्वितीय विकसित देशों में जीवनावधि कम होने का परिणाम है—धनी देशों की अपेक्षा इन देशों में अधिक व्यक्ति छोटी आयु में मर जाने हैं एवं इस प्रकार कार्य करने की अवधि भी कम ही होती है।

4 आयु वितरण (Age distribution)—अद्वितीय विकसित देशों की जनसंख्या में कम उम्र वाले लोगों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है और इनमें बालकों की संख्या अधिक होती है। एशिया अफ्रीका और लेटिन अमेरिका देशों में जो अद्वितीय विकसित क्षेत्र हैं 15 वर्ष से कम आयु वाली संख्या कुल जनसंख्या का 40% है जबकि संयुक्तराज्य अमेरिका और इंग्लैण्ड आदि में यह अनुपात केवल 23 से 25% तक है। इस प्रकार इन देशों में अनुत्पादक उपभोक्ताओं का भाग अधिक होता है।

5 सक्रिय जनसंख्या का भाग कम होना (Less active population)—अद्वितीय विकसित देशों की जनसंख्या में बालकों का अनुपात अधिक होने के कारण सक्रिय जनसंख्या का भाग कम होना है। यहाँ काव्य न करने वाले ग्रामियों का भाग अधिक होता है। बालकों और अनुत्पादक व्यक्तियों का अनुपात अधिक होने के कारण उनके जन्म पालन गोपण आदि पर अधिक व्यय होता है और अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ जाता है। भारत में सन् 1961 में 14 वर्ष तक का ग्रामीण-बर्ग जनसंख्या का 41% था जबकि जन्मनी में 21% और फ्रास में 24.7% था।

6 ग्रामीण क्षेत्र की प्रधानता (Pre dominance of Rural Sector)—अद्वितीय विकसित देशों में ग्रामीण क्षेत्र की प्रधानता रहती है। इन देशों की अधिकांश जनता ग्रामीण में निवास करती है और यही अवधारणायों जैसे कृषि, बन संस्करण पालन आदि में जीवन का निर्णय करती है। आर्थिक विकास के साथ यात्रा इस हिति में परिवर्तन होता है। प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि के अनुपात में खाद्यान्नों की मीठा में वृद्धि नहीं होती और दूसरी ओर कृषि में भूमि के अधिक उपयोग के कारण गहन और विस्तृत दोनों प्रकार की कृषि प्रणालियों द्वारा कृषि उत्पादन बढ़ता है। परिणामस्वरूप कृषि एवं ग्रामीण व्यवसायों में जनसंख्या का अनुपात कम होता जाता है और दूसरी ओर श्रीदोगीकरण के कारण बड़े बड़े नगरों का विकास होता है और यही जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ता जाता है।

(स) सामाजिक विशेषताएँ (Social Characteristics)

अद्वितीय विकसित अव्यवस्थायों में आर्थिक विकास की हालिया से पाए जाने वाली मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

1 अद्वितीय विकसित मानव पूँजी (Under-developed human capital)—आर्थिक विकास में मनव पूँजी का निर्धारक महत्व है। विकसित मानवीय पूँजी अर्थात् स्वत्थ शिक्षित कुरुकृष्ण एवं नैनितात्मक ममता गैज़ामी आर्थिक विकास में महत्व सहायक होते हैं किन्तु दुमार्गवश अद्वितीय विकसित देशों में यह मानव पूँजी भी अद्वितीय विकसित ही होती है। देश में वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा का तया कुराल थमिकों

का अभाव होता है। स्वास्थ्य का स्तर भी प्रायः नीचा होता है। लोगों में विवेकपूर्ण दिवारधारा का भी अभाव होता है। इसके अनिवार्य अनाभाव के बारण लोगों के विकास के लिए अधिक पूँजी लगाना सम्भव नहीं होता। उदाहरणार्थ, भारत में जहाँ वैज्ञानिक प्रयोगान पर प्रति वर्षता 15 रुपये व्यवहार किया जाता है वहाँ अमेरिका और फ्रान्स में यह व्यवहार 154 रुपये और 110 रुपये है।

2 अब सामाजिक विशेषताएँ-अद्वैतिक अर्थव्यवस्थाएँ अनेक सामाजिक दोषों से यस्त होती हैं। प्रायः समाज विभिन्न वर्गों में विभाजित होता है और ये वर्ग अपने प्रयोग से रुद्धिगत परम्पराओं पर आचरण करते हैं तथा नवीन प्रयत्नों को सखलना से एवं प्रयत्नावृत्ति का अनानेतों को तंत्रार नहीं होते। समाज में गहनों का प्रयोग लोकप्रियता के लिए होता है। स्त्रियों के अतिरिक्त पुरुष भी गहन पहिनना पसन्द करते हैं। रीत रिवाज बहुत महंगे होते हैं जिन्हें निभाने में प्रायः का बड़ा अग्र व्यय करना पड़ता है। फलस्वरूप वचत वी मात्रा कम हो जाती है और पूँजी का निर्माण नहीं हो पाता। स्त्रियों को पुरुषों की प्रेक्षा गोण स्थान प्राप्त होता है। उनकी जाति पर तरह तरह के अकृत्य होते हैं। पार्विक व सामाजिक हृष्टि से पराधीनता की वेडियो में जकड़े रहने के कारण स्त्री समाज के उत्थान में सहायक नहीं हो पाती। सामाजिक स्तर (Status) का भी विशेष महत्व होता है। मजदूरी आदि के नियारिए में सविदा की घ्रेक्षा परम्पराओं का प्रभाव अधिक पड़ता है। इन सब बातों का कुल मिला कर यह प्रभाव होता है कि अद्वैतिक देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आविक विवास के पथ पर अग्रसर नहीं हो पाती।

(d) तकनीकी विशेषताएँ (Technological Characteristics)

अद्वैतिक अर्थव्यवस्थाओं में उत्पादन की प्राचीन पराम्परागत विधि का उपयोग किया जाता है। फलस्वरूप प्रति वर्षता उत्पादन विकसित राष्ट्रों की अपेक्षा बहुत कम रहता है। तकनीकी और सामाजिक दोनों ही प्रकार की शिक्षा का अभाव होने वे कारण अद्वैतिक देशों में विकसित देशों की अपेक्षा उत्पादन में बहुत अधिक रिक्तापन रहता है। परिवहन और सचार साधनों का प्रभाव भी अर्थव्यवस्था को विद्युत धकेलता रहता है। प्राविधिक ज्ञान के प्रभाव के कारण अकृशल श्रमिकों की सहाया अधिक होती है और इसलिए आविक विकास के लिए प्रयत्नशील अद्वैतिक देशों को तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने के लिए विकसित देशों का मुँह देखना पड़ता है। वास्तव में प्राविधिक प्रगति और आविक विकास एक दूसरे के कारण और परिणाम है। अद्वैतिक देशों में जहाँ तकनीकी प्रगति के कारण द्रुत आविक विकास नहीं हो पाता वहाँ प्रयाप्त आविक साधनों के बारण द्रुत तकनीकी प्रगति के लिए अधिक प्रयास करना भी सम्भव नहीं हो पाता।

(e) राजनीतिक विशेषताएँ (Political Features)

राजनीतिक क्षेत्र में अद्वैतिक राष्ट्रों की स्थिति प्रायः बड़ी दयनीय होती है। ये राष्ट्र राजनीतिक हृष्टि से प्रायः कमज़ोर होते हैं और उन पर अन्य देशों के

दबाव अथवा आकमण का सदैव भय बना रहता है। समुचित साधन उत्पत्ति न होने के कारण देश की रक्षार्थी ग्राम्यनिक शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित मैत्रिक शक्ति का अभाव भी बहुत बढ़प्रद होता है। जबता गरीब होने के बारए वेष्णी आवश्यकताओं की पूर्ति में ही लगी रहनी है और राजनीतिक अधिकारों के प्रति विशेष सज्जन नहीं होती। अधिकांश व्यक्तियों में यतार्थ रूप में राजनीतिक अधिकारों के बारे में अन्तिमता ही पाई जाती है। अर्द्ध-विकसित देशों में प्रथम तो मध्यम वर्ग का अभाव पाया जाता है और यदि वह वर्ग होना भी है तो सामाज्यत बहुत निर्भल होता है। प्रायः निकसित अर्द्ध व्यवस्थाओं में मध्यम वर्ग के इस अभाव की समस्या नहीं होती। आर्थिक विकास की हड्डि से यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि अधिकांशत मध्यम वर्ग से ही साहसी, कुशल प्रशासक और योग्य व्यक्ति प्राप्त होते हैं।

(ई) अन्य विशेषताएँ (Other Characteristics)

अर्द्ध-विकसित अर्द्धव्यवस्थाओं की अन्य उल्लेखनीय विशेषताओं में हम योग्य प्रशासन के अभाव, उत्पत्ति के साधनों में असमानता स्थिर व्यावसायिक ढाँचे दोषपूर्ण प्राशुलिक व मौद्रिक संगठन आदि को ले सकते हैं। इन देशों में जो प्रशासनिक धन्त्र होता है वह प्रायः कुशल और योग्य नहीं होता। अधिकारीगण व्यक्तिगत स्वार्थों को ऊँचा स्थान देते हैं। ईमानदार अधिकारियों के अभाव से आर्थिक विकास के साधनों का दुरप्रयोग होता है और राष्ट्र की प्रगति अवश्य होती है।

उत्पत्ति के साधनों में अनमानता होने से आणानुहूल उत्पादन सम्भव नहीं होता। विकासशील अर्द्धव्यवस्थाओं के विपरीत अर्द्ध-विकसित देशों में उत्पत्ति के साधनों में वांछित गतिशीलता नहीं पाई जाती। फलस्वरूप राष्ट्र की अर्द्धव्यवस्था में अधिकतम उत्पादन सम्भव नहीं हो पाता। अर्द्ध-विकसित अर्द्धव्यवस्थाओं का व्यावसायिक ढाँचा प्रायः स्थिर रहता है। इस कारण भी उत्पत्ति के साधनों में गतिशीलता नहीं पाई जाती। परिणामत न तो उद्योगों में विशिष्टीकरण ही हो पाता है और न देश आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर होता है।

ऐसी अर्द्धव्यवस्थाओं में प्राशुलिक और मौद्रिक संगठन प्रायः दोषपूर्ण होता है। राजस्व प्रायः अप्रत्यक्ष करों के माध्यम से प्राप्त होता है जिनकी प्रकृति घटोगामी (Regressive) होती है। प्रायः के साधन के रूप में प्रत्यक्ष करों का महत्व बहुत होता है। प्रतिशीत कर प्राय नहीं पाए जाते। वर-संग्रह विधि मितव्ययी नहीं होती और कर अपवचन भी बहुत बहुत होता है। मुद्रा दाजाइ प्रायः अविकसित होते हैं। सरकारी जीद्रिक नीटि परिस्थितिवश प्रायः इन्हीं दुर्बल होती है कि देश की अर्द्धव्यवस्था को समुचित ढग से नियन्त्रित नहीं कर पाती।

निष्पर्त हम यही कह सकते हैं कि प्रायः उपरोक्त सभी विशेषताएँ अर्द्ध-विकसित अर्द्धव्यवस्थाओं में व्युत्पादिक मात्रा में पाई जाती हैं। विश्व के समस्त अर्द्ध-विकसित देशों की सम्पत्ति ढग से एक प्रकार की विशेषताएँ बतलाना बहुत बहिन है वयोकि विभिन्न देशों की आर्थिक, सामाजिक, ग्रीष्मोगिक और कृषि सम्बन्धी अवस्थाएँ व प्रवृत्तियाँ भिन्न-भिन्न हैं। यद्यपि इन देशों में विकास की पद्धतियाँ, गतिर्या-

जनसंख्या की विशेषताएँ और आन्तरिक परिस्थितियां भी भिन्न भिन्न हैं तथापि इन भिन्नताओं के बावजूद प्रविकौश परिस्थितियों में एक यड़ी मात्रा तक उनकी विशेषताओं में एकता व समानता गई जाती है। इसी विशेषताओं के आधार पर हम अद्वैतिक अर्थव्यवस्थाओं को, विकसित अर्थव्यवस्थाओं से भिन्न करके भली प्रकार पहचान पाते हैं।

अद्वैतिक देशों की समस्याएँ

(Problems of Under-Developed Countries)

अद्वैतिक देशों की समस्याएँ निम्नलिखित बगों में विभाजित की जा सकती हैं—

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| (1) आर्थिक समस्याएँ | (4) राजनीतिक समस्याएँ, |
| (2) सामाजिक समस्याएँ | (5) अन्तर्राष्ट्रीय समस्याएँ, |
| (3) प्रशासनिक समस्याएँ, | |

आर्थिक समस्याएँ

अद्वैतिक देश अनेक पार्थिक समस्याओं से प्रस्त हैं, जैसे—

- (1) बचत एवं पूँजी-निर्माण की समस्या, (2) निर्धनता का विषेला कुचक्क,
- (3) उपभोग और घरेलू बाजार की अपर्याप्तता, (4) समुचित आर्थिक रचना का न होना, (5) कृषि एवं भूमि से सम्बन्धित बाधाएँ तथा (6) बेरोजगारी।

अद्वैतिक देशों में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होती है, प्रति बचत नहीं हो पानी। बचत न होने से पूँजी का बीचित निर्माण नहीं होता फलस्वरूप प्रार्थिक विकास के क्रिया कलाप गति नहीं पाते। प्रति व्यक्ति आय कम होने से देश में उपभोग की मात्रा कम होनी है, परिणामतः घरेलू बाजार का क्षेत्र सीमित रहता है। अन्तोगत्वा देश की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। प्राप्त कम होने से बचत और पूँजी निर्माण को आघात पहुँचता है और माँग व उपभोग के कम होने से पूँजी चिनियों के प्रति कोई आवर्यण नहीं रह पाता। लघु पैमाने पर उत्पादन कार्य हीन से बड़े उत्पादन की बचत सम्भव नहीं हो पाती। समुचित आर्थिक रचना का प्रभाव इन समस्याओं को और भी विषय बना देना है। आर्थिक सरचना में रेलो सड़ो परिवहन के अव्य साधनों, चिकित्सालयों, स्कूलों, विजली, पानी, पुनरोद्देशीय की सम्मिलित रिया जाता है। यदि इन साधनों की समुचित अवस्था नहीं होती तो आर्थिक विकास की गति अवरुद्ध हो जाती है। कृषि एवं भूमि से सम्बन्धित विभिन्न समस्याएँ अद्वैतिक देशों को प्रस्त किए रहती हैं। आयः यह देखा गया है कि अद्वैतिक देश कृषि पर आर्थिक दबाव, कृषि जोतों के उप-विभाजन व उप-खण्डन, कृषि क्षेत्र, अधिक लगान, सिंचाई साधनों के प्रभाव, कृषि विपणन की असुविधा, प्रति इकाई कम उपज, सुख सुविधाओं की कमी आदि विभिन्न समस्याओं से प्रस्त रहती हैं। आर्थिक विकास अवरुद्ध होने से देश में बेरोजगारी की समस्या खड़ी हो जाती है। अद्वैतिक देशों में बेरोजगारी के अतिरिक्त अद्वैत बेरोजगारी (Under-employment) अथवा अहश्य बेरोजगारी (Disguised unemployment) की समस्या भी विशेष रूप से गम्भीर होती है।

सामाजिक समस्याएँ

अद्वैतविकसित देश विभिन्न सामाजिक समस्याओं से घसित रहते हैं। आर्थिक विकास की दृष्टि से इन देशों की मूलभूत सामाजिक समस्याएँ निम्नलिखित होती हैं—(1) जनसख्या में वृद्धि और जनसख्या का निम्न गुण स्तर होना, (2) सामाजिक और सश्वागत बाधाएँ व झटियाँ, एवं (3) कुशल साहसियों का अभाव।

अद्वैतविकसित देशों की प्रमुख सामाजिक-आर्थिक समस्या जनसख्या की तीव्र वृद्धि है। एक और तो आय और पूँजी का अभाव होता है तथा दूसरी और जनसख्या की नीत्र वृद्धि आर्थिक विकास के प्रयत्नों को विफल बनाती है। इन देशों की आर्थिक हितति ऐसी नहीं होती कि जनसख्या-वृद्धि के भार को बहन कर सकें एवं रोजगार के समुचित अवसर उपलब्ध करा सकें। सामाजिक और सश्वागत झटियाँ व कुरीतियाँ भी देश को आगे बढ़ने से रोकती हैं। इनके कारण जनता नवीन परिवर्तनों और परिस्थितियों को अपनाने से यथासम्भव बचना चाहती है, फलस्वरूप देश में तकनीकी और वैज्ञानिक क्रान्ति का भारं प्रशस्त नहीं हो पाता। अद्वैतविकसित राष्ट्रों में साहसी वर्ग का भी अभाव पाया जाता है जबकि यही वर्ग मूलत उत्पत्ति के विभिन्न साधनों को जुटाने और सक्रियता देने का उत्तरदायित्व बहन करता है। अव्यवस्थित सामाजिक राजनीतिक-आर्थिक ढाँचे के कारण अद्वैतविकसित देशों में आर्थिक बातावरण ऐसा नहीं होता जो साहसी वर्ग को आगे लाए। परिणामतः देश की प्रगति धीरे-धीरे होती है।

राजनीतिक समस्याएँ

अद्वैतविकसित देशों की प्रमुख राजनीतिक समस्याओं में हम राजनीतिक अस्थिरता, नियोजन के प्रति उदासीनता, अमिको के शोपण व बन्धन आदि को से सकते हैं। राजनीतिक जागरूकता का अभाव होने से प्राय दीर्घजीवी राजनीतिक गुट या दल नहीं पनप पाते और शासन-सत्ता में स्थायित्व नहीं आ पाता। यह राजनीतिक अस्थिरता एक और तो आर्थिक विकास के लिए हृद और स्थाई नीतियों को अवश्य बरती है, दूसरी ओर राष्ट्रीय प्रनिरक्षा को निर्देश बनानी है। अग्रिकृति और रुदिवादी जनता नियोजन के महत्व को स्वीकार नहीं करती। राजनीतिक दृष्टि से अस्थिर सरकारें जनता में नियोजन कार्यक्रमों के प्रति विश्वास पैदा नहीं कर पाती। फलस्वरूप देश को नियोजन के लाभ नहीं मिल पाते। अद्वैतविकसित देश विभिन्न अमिक समस्याओं से भी अस्त रहते हैं। प्राय स्वाधी अमिक वर्ग की कमी बनी रहती है। रुदिवादिता और सामाजिक बन्धनों के कारण अमिकों में अम-सघों जैसी समस्याएँ समुचित ढंग से नहीं पनप पाती। जब देश का अमिक वर्ग ही ग्रन्तिशल, अजागरूक और अशिक्षित हो तो देश के आर्थिक विकास को स्वभावतः गति नहीं मिल सकती।

प्रशासनिक समस्याएँ

अद्वैतविकसित देश प्रशासनिक हृषि से बहुत मधुगल, ग्रन्थज्ञानिक और पिछड़े हुए होते हैं। देश की गरीबी और ग्रन्थज्ञान जनता में चारित्रिक स्तर को ऊंचा नहीं उठाने देनी, फनस्वरूप कुगल और इमानदार प्रशासनिक अधिकारियों की सदा कभी बनी रहती है और राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा निंजी हितों को अधिक महत्व दिया जाता है। अण्णाचार का दाना देश के आर्थिक विकास का गला घोटता रहता है। इसके प्रतिरिक्त प्रायमित्ता की समस्या भी बनी रहती है। अद्वैतविकसित देश गभी क्षेत्रों में पिछड़े होते हैं और इन सभी क्षेत्रों का ममुचित रूप में विकास करना आवश्यक होता है, लेकिन पूँजी और उत्तरति के आवश्यक साधनों के अभाव के बारण यह सम्भव नहीं हो पाता कि सभी क्षेत्रों का मन्तुलित विकास किया जा सके। फनस्वरूप प्रायमिकता की समस्या निरन्तर विद्यमान रहती है। देश के सन्तुलित विकास के लिए विकास कार्यक्रमों को प्रायमिकता का अम देना पड़ता है।

अन्तर्राष्ट्रीय समस्याएँ

'गरीबी जोख सब की भाभी' वाली बहावत अद्वैतविकसित देशों पर पूरी तरह ल गूँ होती है। ये देश आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हृषि से तो परेशान ही हैं लेकिन विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय समस्याएँ भी इन्हे दबाएँ रहती हैं। विकसित राष्ट्र इस प्रकार की प्रतिस्पर्धात्मक परिस्थितियाँ पैदा कर देते हैं जिनका अविकसित देश प्राय समुचित ढग से सामना नहीं कर पाते और उन्हे अनेक रूपों में विकसित राष्ट्रों का आश्रय स्वीकार करना पड़ता है।

अन्य समस्याएँ

उपर्युक्त समस्याओं के अतिरिक्त अद्वैतविकसित देश और भी अनेक समस्याओं से ग्रस्त रहते हैं। अद्वैतविकसित देशों में आर्थिक विकास के माथ साथ मूल्य भी बढ़ते हैं। यदि यह बढ़ोत्तरी मौद्रिक आय की अपेक्षा कम होती है तब तो वोई समस्या पैदा नहीं होती, इन्तु यदि यह वृद्धि मौद्रिक आय की अपेक्षा अधिक हो जाती है तो समाज मुद्रा स्फीति के सकट से फैसले लगता है। दूसरी गम्भीर समस्या विदेशी मुद्रा की होनी है। आर्थिक विकास के लिए आवश्यक अनेक साधनों को विदेशों से आयात करना होता है जिसके लिए वाँछित विदेशी मुद्रा नहीं मिल पाती। विदेशी मुद्रा के अभाव में आवश्यक माध्यनों के आयात को रोकने से आर्थिक विकास की गति अवरुद्ध होने का खनरा रहता है, इसलिए अद्वैतविकसित देशों को सहायता व ऋण के लिए विस्तित राष्ट्रों पर निर्भर रहना पड़ता है। यह निर्भरता पूँजी व यान्त्रिक ज्ञान दोनों क्षेत्रों में होती है।

अद्वैतविकसित देशों की इन विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न उपायों के अतिरिक्त एक प्रभावशाली और अनुशासित राजकोषीय नीति का महत्व सर्वोन्नति है। राजकोषीय नीति का अर्थ विकसित अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण यह होना चाहिए कि वह पूँजी निर्माण और पूँजी की गति को बढ़ाने में सहायक बने ताकि यहाँ स्थाई वृद्धि की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिले। इस उद्देश्य की पूर्ति में

प्रभावशाली करनीति, सार्वजनिक व्यव-नीति, सार्वजनिक क्रण-नीति और हीनार्थ प्रयत्न की नीति, बड़ी सहायक हो सकती है जिन्हे आवश्यकतानुसार प्रयुक्त किया जाता चाहिए। प्रभावशाली राजकोषीय नीति अर्थव्यवस्था की उन्नति में निरायक योगदान कर सकती है।

अद्वै-विकसित देशों की एक कठिन समस्या विदेशी मुद्रा से सम्बन्धित है। इन राष्ट्रों को कृषि, वन्यजीव, साधारणी, सिचाई साधनों, खाद, दीज आदि की धूति के लिए बहुत कुछ विदेशों पर निर्भर करना पड़ता है। इन साधनों की उपलब्धि तभी सम्भव है जब या तो नियति किया जाए अथवा भूगतान हेतु पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त की जाए। विदेशी मुद्रा के अभाव में आर्थिक विकास अवश्द्ध न हो इसके लिए अद्वै-विकसित राष्ट्रों को विकसित राष्ट्रों से समय-समय पर पूँजी व तकनीकी ज्ञान दोनों रूपों में सहायता मांगनी पड़ती है। कभी-कभी यह सहायता कृषणों के रूप में भी मिलती है। आयात नियमनण व नियति प्रोत्साहन के द्वारा भी विदेशी विनियम की समस्या को हल करने का प्रयास किया जाता है। कभी-कभी अवमूल्यन का सहारा भी लिया जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय बैंक और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएं विदेशी मुद्रा सम्बन्धी सहायता विभिन्न रूपों पर प्रदान करती हैं।

अद्वै-विकसित राष्ट्रों के आर्थिक विकास की सामान्य आवश्यकताएं

(General Requisites for Development of Under-developed Countries)

अद्वै-विकसित राष्ट्रों के आर्थिक विकास के लिए केवल समस्याओं को दूर करना ही जाफी नहीं है और न ही पूँजी-निर्माण अथवा नवीन तरेजो से ही समस्या का पूर्ण समाधान सम्भव है वल्कि आर्थिक विकास के लिए निम्नलिखित सामान्य आवश्यकताओं का होगा भी आवश्यक है—

1. **स्वदेशी शक्तियों (Indigenous Forces)**—अद्वै-विकसित राष्ट्रों के आर्थिक विकास की प्रक्रिया स्वदेशी शक्तियों पर आधारित होनी चाहिए। वाह्य शक्तियां केवल स्वदेशी शक्तियों को प्रोत्साहन दे सकती हैं, किन्तु उनका प्रतिस्थापन (Substitution) नहीं बन सकती। यदि केवल विदेशी सहायता के बल पर ही किसी योजना वा प्रारम्भ किया गया तो आर्थिक विकास क्षणिक होगा। विदेशी सहायता पर पूर्ण रूप से निर्भरता के परिणामस्वरूप देश के प्राकृतिक साधनों का उपयोग भले ही हो जाए, केविन थेमिकों की कार्यकृतता नहीं बढ़ सकेगी। अत आर्थिक विकास के लिए विदेशी सहायता को केवल सीमान्तर हृषि से ही हितकर मानते हुए अनियमित रूप से उसे स्वदेशी शक्तियों पर ही आधारित करना चाहिए। विदेशी सहायता अत्यकालीन रूप में ही हितकारी सिद्ध हो सकती है, स्थायी रूप से नहीं। मेयर और बाल्डविन के अनुसार “यदि विकास की प्रतियोगियता और दीर्घकालीन (Cumulative and long-lasting) हो तो विकास की शक्तियां विकासशील राष्ट्र के अन्तर्गत ही होनी चाहिए।”

2. पूँजी-संचय में वृद्धि (Increase in Capital Accumulation)—
अद्वैतिकसित राष्ट्रों के लिए वास्तविक पूँजी का संचय अत्यावश्यक है। पूँजी-संचय मुहूर्यत तीन बातों पर निर्भर करता है—(i) वास्तविक बचतों की मात्रा में वृद्धि हो। (ii) देश में पर्याप्त मात्रा में वित्त एवं साख सुविधाएँ हो, तथा (iii) पूँजीगत वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए विनियोग बार्य हो। अद्वैतिकसित राष्ट्रों में पूँजी निर्माण आनंदरिक और बाह्य दोनों ही साधनों द्वारा किया जा सकता है। घरेलू साधनों में वृद्धि तभी सम्भव है जब कि बचत की मात्रा में वृद्धि, अम-शक्ति और प्राकृति साधनों का उपयोग पर रोक गतिशीलता एवं उचित निर्देशन आदि हो। घरेलू पूँजी का निर्माण सम्भव न होने पर बाह्य साधनों से अर्थात् अन्तर्राष्ट्रीय साधनों से पूँजी-निर्माण किया जा सकता है। इन साधनों में प्रत्यक्ष वास्तविक विनियोग विदेशी अनुदान, सहायता व ऋण आदि सम्मिलित हैं। पूँजी-संचय की वृद्धि के साथ ही यह भी आवश्यक है कि उसके उपयोग या विनियोग करने की समुचित व्यवस्था हो। इसके अतिरिक्त प्राविधिक और सगठन सम्बन्धी विकास भी उच्च स्तर का होना चाहिए।

3 बाजार पूर्णता (Perfectress of the Market)—बाजार की अपूर्णांगों को दूर करने के लिए सामाजिक एवं आर्थिक सगठनों के वैकल्पि स्वरूपों का होना आवश्यक है। अधिक उत्पादन के लिए वर्तमान साधनों का अधिकतम उपयोग किया जाना जरूरी है। यह आवश्यक है कि बाजार में एकाधिकारी प्रवृत्तियों को दूर या कम कर पूँजी और साख का पूर्ण रूप से विस्तार करने, उत्पादन वी सीमाओं को पर्याप्त रूप से बढ़ाने उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि करने, यहाँ पर निर्भरता को कम करने जरूरतमन्द लोगों को साख सुविधाएँ समय पर उपलब्ध कराने आदि के लिए प्रभावशाली और सफल प्रयत्न करना आवश्यक है। मेयर और बाल्डविन के अनुसार “देण की राष्ट्रीय आय को तीव्र गति से बढ़ाने के लिए नवीन आवश्यकताओं नवीन विचारधाराओं, उत्पत्ति के नए ढंगों और नई संस्थाओं वी आवश्यकता है। आधुनिक आर्थिक विकास में धार्मिक रुकावटें आदि होने से या तो प्रगति कम गति से होगी या उसके स्वभाव को ही बदलना होगा।”

4 पूँजी संचय की शक्ति (Capital Absorption)—अद्वैतिकसित राष्ट्रों में पूँजी-निर्माण की मन्द गति प्राविधिक ज्ञान की कमी कुशल श्रमिकों के अभाव आदि के कारण पूँजी सोखने या विनियोग करने की शक्ति प्राय सीमित होती है। इन देशों में एक बार विकास आरम्भ हो जाने पर पूँजी सोखन या विनियोग करने की शक्ति बढ़ने लगती है, यद्यपि प्रारम्भ में मुद्रास्फीति (Inflation) का भय सदा बना रहता है। इसके अतिरिक्त यदि इन राष्ट्रों में पूँजी संचय उनकी सोखने की शक्ति से अधिक हो जाता है तो वहाँ भुगतान-सञ्चालन सम्बन्धी कठिनाइयाँ उठ खड़ी होती हैं अर्थात् अद्वैतिकसित देशों में पूँजी निर्माण की मात्रा के अनुरूप ही पूँजी-विनियोग करने की शक्ति बढ़नी चाहिए।

5 मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक आवश्यकताएँ (Sociological and Psychological Requirements)—ग्रदृं विकसित देशों में प्रार्थिक विकास के लिए मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकताओं का भी महत्व है। राष्ट्र की विनियोग-नीति पर सामाजिक-सांस्कृतिक-राजनीतिक-धार्मिक-प्रार्थिक मूलयों और प्रेरणाओं का समुक्त प्रभाव पड़ता है। देश के नागरिकों द्वारा नवीन विचारों और विवेक का आश्रय लेने पर तथा धार्मिक और हड्डियां परम्पराओं और परम्पराओं से उन्मुक्त रहने पर वहाँ प्रार्थिक विकास तीव्र गति से होना सम्भव है। ग्रदृं-विकसित देश आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर हो, इसके लिए आवश्यक है कि देशवानियों में भौतिक हाथेकोण उत्पन्न करने वाली सामाजिक परिस्थितियाँ पेंदा की जाएँ और यह भावना जाग्रत की जाए कि मनुष्य प्रहृति का स्वामी है। यह भी उपयोगी है कि समुक्त परिवार-प्रथा के स्थान पर एकाकी परिवार प्रथा को स्थान दिया जाए। ग्रदृं विकसित देशों के निवासियों में प्राय साहृद की भारी कमी रहती है। इसकी पूर्ति सुख्यत तीन बातों पर निर्भर करती है—योग्यता, प्रेरक शक्ति एवं सामाजिक तथा आर्थिक वातावरण। योग्यता में दूरदृश्यता, बाजार-अवसरों को पहचानने की क्षमता, कार्य की वैकल्पिक सम्भावनाओं को पहचानने का विवेक, व्यक्तिगत योग्यता आदि वातें सम्मिलित रहती हैं। प्रेरक शक्ति में भौद्विक ज्ञान, सामाजिक प्रतिष्ठा आदि को सम्मिलित किया जाता है जिससे कि व्यक्ति को प्रेरणा प्राप्त हो। आर्थिक सामाजिक वातावरण में आन्तरिक शान्ति, सुरक्षा आर्थिक स्थिरता आदि वातें सम्मिलित की जाती हैं। आर्थिक विकास में नेतृत्व का भी यहुत महत्व है। बारबारा बांड का यह कथन बिलकुल ठीक है कि “आर्थिक विकास की प्रभावशाली नीति के लिए यह विचारधारा आवश्यक है कि अपेक्षित पूँजी व सचालन के लिए योग्यता एवं कुशल व्यक्ति हो। अष्टाचार और स्वार्थ से उन्नति नहीं हो सकती।”

6 विनियोग का आधार (Investment Criteria)—ग्रदृं विकसित राष्ट्रों के आर्थिक विकास के लिए विनियोग का सर्वोत्तम आवश्यक बनाना कठिन कार्य है। इसके लिए कोई निश्चित मापदण्ड निर्धारित करना भी सुगम नहीं है क्योंकि उद्योगों का उत्पादन विभिन्न ढंगों से प्रभावित होता है। किंतु आर्थिक विनियोग का आधार निर्धारित करने के लिए कुछ वातें आवश्यक ठहराई हैं। प्रो मॉरिस डॉब (Maurice Dobb) के अनुसार ग्रदृं-विकसित देशों को अपनी विनियोग नीति (Investment Policy) के सम्बन्ध में निम्नांकित बातों का ध्यान रखना चाहिए—

- (i) विनियोग राशि का कुल आय से अनुपात,
- (ii) विनियोग की जाने वाली राशि का विभिन्न क्षेत्रों में वितरण, एवं
- (iii) उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में अपनाई जाने वाली तकनीक का चुनाव।

इनके अतिरिक्त अनेक अर्थ-शास्त्रियों ने विनियोग के अन्य मापदण्ड भी बताए हैं जैसे—

- (i) न्यूनतम पूँजी उत्पादन-अनुपात (Minimum Capital Output Ratio),

(ii) अधिकृतम् रोजगार एव

(iii) अधिकृतम् बचन की जाने वाली राशि की मात्रा जिसका पुनर्विनियोजन किया जा सके।

व्यावहारिक रूप में उपर्युक्त मापदण्डों का उपयोग नहीं किया जाता वहोकि इनका क्रियान्वयन प्रत्यक्ष कठिन है तथा ये मापदण्ड प्रायः परस्पर संगत (Consistent) नहीं होते। यद्यपि विनियोग के लिए प्रस्तावित साधनों का सर्वोत्तम यावटन 'सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त' (Marginal Productivity Theory) द्वारा किया जाना चाहिए लेकिन इस सिद्धान्त के व्यावहारिक क्रियान्वयन में भी अतेक बाधाएँ उपस्थित हो जाती हैं जिनके कारण यह मापदण्ड भी प्रायः अव्यावहारिक बन जाता है तथापि इसके द्वारा विविध योजनाओं को चुनने या रद्द करने के औचित्य वो तो जांचा ही जा सकता है। वर्तमान में राष्ट्रीय ग्राम्य की अधिकृतम् करने के लिए बम-पूँजी-उत्पादन-अनुपात (Low capital output ratio) की नीति अपनाना थेपस्कर है, इन्हुंने जब धोय भविष्य में प्रति व्यक्ति उगज को अधिकृतम् करना हो तो पूँजी-प्रधान तरनीक की अपनाना अधिक अच्छा है। प्रो. हार्वेलिवेस्टिन की मान्यता है कि विकसित देशों के नीति निर्माणार्थी को चाहिए वे विविध उद्योगों में सीमान्त प्रति व्यक्ति पुनर्विनियोग ग्रन्थ (Margina per Capita re-investment Quotient) की विन्ता करें, न कि पूँजी की सीमान्त उत्पादकता बराबर करने की।

पश्चिमी देशों का अर्थशास्त्र विद्युते देशों के लिए अनुपयुक्त

पश्चिमी देशों का अर्थशास्त्र नवोदित और पिछड़े देशों के शासकों को सम्मोहित किए जा रहा है। यह एक विशेष मनोवृत्ति की उम्मीद है। औपचारिक रूप से साम्राज्यों का अन्त भले ही हो गया हो, लेकिन आर्थिक साम्राज्य अब भी कायम हैं, और वे पुरानी तरफ पढ़ति को ही नए तरीके से पोषित करते हैं। यद्यपि तीसरी दुनियाँ के देशों ने अर्ट्टाड समुक्तराष्ट्र सघ, निगुंट देश सम्मेलन ग्रादि मन्त्रों से सामूहिक स्वर से इस तरफ पढ़ति का विरोध करना शुरू कर दिया है। स्वीडन के विह्यात अर्थशास्त्री प्रोफेसर गुन्नार मिंडल ने अपने 'एशियन ड्रामा' में सकलित तथ्यों के आधार पर पश्चिम के असन्तुलित अर्थशास्त्र का भायाजाल छव्स्त करने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई और उसमें जो कमी रह गई उसे उन्होंने अपनी पुस्तक 'द चैलेन्ज ऑफ बल्ड पावरटी' में पूरा कर दिया है। इस पुस्तक में गुन्नार मिंडल ने यद्यपि इस बात का विवेचन विस्तार से नहीं किया है कि अल्प विकसित देशों के विकास को सम्भव बनाने और तीव्र करने के लिए विकसित तथा अविकसित देशों को क्या प्रभुत्व नीतियाँ अपनानी चाहिए, तथापि उन्होंने पश्चिमी देशों के हृष्टिकोण की कमियों को बताते हुए नीति-निधारिकों के लिए सोचने-विचारने की यथेष्ट सामग्री प्रस्तुत की है।

गुन्नार मिंडल ने प्रथम अध्याय में ही पश्चिमी देशों के हृष्टिकोण की कमियाँ बताते हुए कहा है कि "उन देशों में अनुसधान भी ग्राम्य राजनयिक होता है और अनुसधान का समारम्भ विश्लेषणात्मक पूर्वसकल्पनाओं अथवा मान्यताओं के आधार

पर होता है।” उनकी मान्यता है कि विकसित देशों में शुद्ध आर्थिक हृष्टि से किया गया विश्लेषण अल्प-विकसित देशों पर इसलिए लागू नहीं होता वयोंकि उनकी सकलपनाएँ नमूने और सिद्धान्त देशों के यथार्थ के अनुरूप होते हैं।

इस अनुमधान में बुनियादी कमी है कि यह हृष्टिकोण प्रदृश्यियों और सस्थायों से प्रेरित होता है। विकसित देशों में ये या तो इस हृष्टि से सगत बन गए हैं कि वे विकास के उत्साह का मार्ग प्रशस्त करते हैं अथवा तीव्रता से और विना किसी व्यवधान के व्यवस्थित होकर विकास वा मार्ग प्रशस्त करते हैं, लेकिन यह मान्यता कम विकसित देशों के बारे में सही नहीं हो सकती। इनकी प्रवृत्तियाँ अथवा रुक्खान स्थिताएँ ऐसी हैं कि वे बाजारों के सम्बद्ध में विश्लेषण को अव्यावहारिक बना देती हैं।

विकसित तथा अल्पविकसित देशों के बैज्ञानिक अध्ययन के बारे में उनका निष्कर्ष है कि “इस समय वह कार्य जिस रूप में हो रहा है, साधारणतया उनमें अल्पविकसित देशों की उन परिस्थितियों को छिपाने का प्रयास किया जाता है जो आमूल और दूरगामी सुधारों की आवश्यकता को सर्वाधिक प्रसारित करते हैं। इसने अर्थशास्त्र के एक प्राचीन पूर्वाग्रह का भी अनुसरण किया है। यह कार्य सीधे दृग से यह मानकर किया गया है कि समानतावादी सुधार आर्थिक विकास के विपरीत हैं जबकि स्थिति यह है कि ये सुधार आर्थिक विकास को प्रेरणा देते हैं और इसकी गति सीधे बनाते हैं।”

एक अन्य प्रश्न में पश्चिम के व्यापारियों के बारे में उनका विचार है कि “जन समुदाय की प्राय यन्त्रवर् निक्षिक्यता और अल्प-विकसित देशों में सुधारों के प्रयास का अभाव पश्चिम के उन व्यापारिक हितों को अच्छा लगता है जो अल्प विकसित देशों में अपनी पूँजी लगाना और अपने उद्योग चालू रखना चाहते हैं। सत्तारूढ़ समूह इन कामनियों के स्वाभाविक सहयोगी होते हैं। यह उपनिवेशी नीति को उसी रूप में जारी रखने का प्रमाण है और इससे इस आरोप का अनित्य सिद्ध होता है जो पश्चिम के व्यापारियों पर उन्हें ‘नव पूँजीवादी’ कहकर लगाया जाता है।”

भूमि सुधार और खेती—अल्प विकसित देशों में भूमि की उत्पादकता का प्रश्न भूमि-वितरण, खेती के तरीकों सामाजिक विषयता आदि अनेक परिस्थितियों से सम्बद्ध होता है, जिसका कोई उचित समाधान नहीं है। काफी छानबीन और विश्लेषण के पश्चात् अध्येता मिड्ल आयह बरते हैं कि विकासशील देशों में “नई कृषि विधियाँ तथा टेक्नोलॉजी ऐसी हों जिसमें श्रम का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सकता हो, यह इस कारण भी जहरी है कि खेती में लगी थम-शक्ति का इस समय कम उपयोग हो रहा है और अधिकांश अल्प विकसित देशों में प्रत्येक दशक के अन्त में लगी थम शक्ति में निरन्तर सेबी से वृद्धि होती रहेगी।” लेकिन किसी नई व्यवस्था के लिए जहरी है कि खेतिहरक का भूमि से लगाव हो : “टाई पर खेती करने की अपाएक प्रणाली न हो टेक्नोलॉजी गम्भीरी परिवर्तन के उपयोग की हृष्टि से लाभदायक है और न ही श्रम और धन के रूप में विनियोग

की हड्डि से ।” गुनार मिंडन की हड्डि में यह एक ऐसा बुनियादी कार्य है जिसे किए बिना जो तुब्र भी किया जाएगा उसका लाभ केवल ऊँचे स्तर के लोग उठाते रहेंगे और असमानता में वृद्धि होती रहेगी ।

मिंडल की हड्डि में, अल्प-विकसित देशों में अनाज की पूर्ति बढ़ाने के लिए उनका दाम उचित स्तर से ऊँचा बनाए रखने का तर्क भी, अमीर फ़िसानों के ही हित में होगा, बगेकि बटाइदार या छोटा किसान मुश्किल से ज़रूरत भर का अनाज पेंदा करता है—यदि कटाई के समय उसे इज़्ज़े की अदायगी या अन्य प्रावध्यक्त्वाओं के लिए गलत बैबना पड़ा तो बाद में अपना पेट भरने के लिए और महंगे दामों में खरीदना पड़ता है ।

यही स्थिति उन्नत बीज, उच्चरक आदि के लारण उपजे, ‘प्रतिशय तकनीकी आशावाद के सम्बर्द्ध में पाई जाती है’ नए बीजों के उपलब्ध होने की बात का इस्तेमाल बारके बड़े पैमाने पर मूँस्वामित्व और दस्तकारी प्रणाली के सुधारों की बात को पीछे ढाल दिया गया है । इन सुधारों के अनाव में नए बीज का उपलब्ध होना उन अन्य प्रतिक्रियावादी शक्तियों से गठजोड़ करेगा जो इस समय अन्य विकसित देशों में ग्रामीण जनसम्पद और असमानता बढ़ाने में सहायक बन रही है ।

शिक्षा—बर्तमान शिक्षा प्रणाली ने जो उपनिवेशकालीन प्रणाली का मान विस्तार है, समाज में उसी विशेष परिवर्तन नहीं किया है, और न ही वह कर सकती है क्योंकि इस प्रणाली में प्रगामकों अध्यापकों विद्यार्थियों और सर्वाधिक शक्तिशाली उच्च वर्ग के परिवारों के शक्तिशाली स्वार्थ निहित है । यदि दक्षिण-पूर्वी एशिया में साक्षरता और प्रौढ़ शिक्षा के सम्बर्द्ध में यह बाक्य खास दिलचस्प है—‘जब वयस्कों को शिक्षा देने के प्रयत्नों को एक और उठा कर रख दिया गया तो साक्षरता के लक्ष्य को प्राइमरी स्कूलों में बच्चों की भर्ती की सख्ता में तेजी से वृद्धि के कार्यक्रम में बदल दिया गया ।’

नरम राज्य—प्रथमी लेखकों की तरह मिंडल का भी यह मत है कि विभिन्न सीमाओं तक सभी अल्प विकसित देश नरम राज्य हैं लेकिन उनकी यह भी मान्यता है कि विकसित देशों में भी नरम राज्य के लक्षण पाए जाते हैं—अमेरिका के लोग, अल्प-विकसित देशों के लोगों के समान, लेकिन उत्तर-पश्चिम यूरोप के देशों के लोगों के विपरीत, अपने कानूनों में ऐसे आदशों को स्थान देते हैं, जिन्हे संयुक्तराज्य अमेरिका में कभी भी प्रभावशाली ढग से लागू नहीं किया गया । यद्यपि संयुक्तराज्य अमेरिका में प्रशासन कभी भी बहुत अधिक प्रभावशाली नहीं रहा तथापि इस देश ने बहुत तेजी से आर्द्धिक उन्नति की । यह उन अनेक परिस्थितियों के कारण समझ हुआ, जो आज गरीबी से यस्त अल्प-विकसित देशों से बहुत भिन्न थी । विकासशील देशों में होता यह है कि राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियाँ ऐसे कानून नहीं बनने देती जो लोगों के ऊपर अधिक उत्तरदायित्व डालते हों । जब कभी कानून बन जाते हैं तो उनका पालन नहीं होता और इस्तेह लागू करना भी आसान नहीं होता । इसका मूल कारण यह है कि स्वाधीनता के प्रारम्भिक दौर में सकारात्मक

राजनीतिक हृष्ट से विशिष्ट लोगों ने ये नए कानूनी अधिकार (व्यक्त मताधिकार आदि) लोगों को दिए लेकिन वे लोग इन अधिकारों को बास्तविकता के प्राधार पर स्थापित करने के लिए उत्सुक नहीं थे। इम कार्य से बच निकलना भी आसान था, क्योंकि नीचे से कोई दबाव नहीं था। ऐसी स्थिति में यदि सरकार बदलती है और सख्त सरकार (जैसे पाकिस्तान में जब ग्रथूद की तानाशाही आई) बागड़ोर भभालती है तो भी वह नरम ही रहती है क्योंकि (1) वह उपयोगी सांस्थानिक परिवर्तन नहीं करा पाती और (2) सरकार में परिवर्तन समाज के सर्वोच्च वर्ग के लोगों के आपसी भगड़े के परिणामस्वरूप होते हैं ये परिवर्तन कही भी गोब जन समुदाय द्वारा अपने उत्पीड़न के विश्व विद्रोह के परिणामस्वरूप नहीं आए।¹

पश्चिमी देशों के आर्थिक साम्राज्यवाद के विरुद्ध तीसरी दुनियाँ की रणनीति

तीसरी दुनियाँ के राष्ट्र, जो प्राचार्यत्व आधिक साम्राज्यवाद के दीर्घकाल तक शिकार रहे हैं और आज भी हैं अब एक नए अर्थतन्त्र और नए समाज की रचना के लिए प्रयत्नशील हैं। पश्चिम के आधिक साम्राज्यवाद के प्रति उनकी रणनीति बदल रही है जो पिछले कुछ अर्त में सम्पन्न हुए विभिन्न सम्मेलनों में प्रकट हई हैं।

तीसरी दुनियाँ के देश जिन्हे प्रीप्रिवेशिक जुआ उतार फैक्ने के बाद आशा थी कि समुक्तराष्ट्र संघ के माध्यम से या सीधे पश्चिमी देशों की आर्थिक सहायता (ग्रनुदान और मुख्यत ऋण) उनकी औद्योगिकी और उनसे आपार्टिक लेनदेन नया अर्थतन्त्र और नए समाज की रचना का मौका देगा समझ गए है कि उप्रति देशों के सामन्तीतन्त्र को उनसे सहानुभूति नहीं है। यही नहीं उन्होंने यह भी महसूप ऋण लिया है कि सभी हीब्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मच्चों पर पश्चिमी देशों के विरुद्ध जेहाद (धर्म युद्ध) छेड़ा जाना चाहिए। इसका स्वर दिल्ली में 'एशिया और प्रशांति क्षेत्र के लिए आर्थिक सामाजिक आयोग' के वार्षिक अधिवेशन (26 फरवरी से 7 मार्च 1975) में ही नहीं बल्कि लेख उत्पादक देशों के अल्जियर सम्मेलन (मार्च, 1975) में भी सुनाई पड़ा।² लीगा में समुक्तराष्ट्र उद्योग विकास संगठन के दूसरे सम्मेलन और हवाना में तटस्थ देशों के सम्मेलन में यही स्वर मुख्य हआ है। इसका लक्ष्य औद्योगिक देशों से अधिक साधन और सुविधाएँ प्राप्त करना तो ही ही साध ही विकासशील देशों को एकता के सूत्र में बांधना तीसरी दुनियाँ के साधनों का उपयोग करना और आपसी लेनदेन बढ़ाना ताकि स्वावलम्बन के मार्ग पर बढ़ा जा सके। तेज उत्पादक देशों द्वारा मूल्य बढ़ाने से उसे एक नई शक्ति मिली है—विश्व के उत्पादन में विकासशील देशों के बर्तमान 7 प्रतिशत योग को सन् 2000 तक बढ़ाकर 25 फीसदी करने का नारा हाल के अल्जियर सम्मेलन में ही दिया गया था—मगर उतना नहीं जितना होना चाहिए था क्योंकि तेज उत्पादक देशों में पश्चिम से जुड़ने का मोह पैदा हो गया है।³

1 दिनांक, 25-31 जूलाई 1976, पृष्ठ 9-10

2 दिनांक, मार्च, 1965

“लीमा मे भारत के उद्योग और नागरिक पूति मन्त्री थी थी ए पै ने सयुक्तराष्ट्र उद्योग विकास सगठन के दूसरे सम्मेलन को सम्बोधित करते हए अन्तर्राष्ट्रीय सामती प्रथमतन्त्र की खासी विधिया उठोड़ी । थी पै ने इहां कि विकासशील देशों के प्रयत्नों के बावजूद विकसित और विकासशील देशों मे श्रीद्योगिक अन्तर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि द्रमीर देश पैर्सी निवेश की माना बढ़ने मे समर्थ हैं । यही नहीं, वे अन्य उन्नत देशो से ही व्यापार करना पसंद करते हैं । उन्होंने अपने बाजार और लाभ मुरक्किन रखने के लिए तरह तरह के प्रतिवन्य ईजाद कर रखे हैं । धनिक देशों की मुमाफाखोरी और शोषण की प्रवृत्ति का उदाहरण देते हुए भारतीय उद्योग मन्त्री ने बताया कि विकासशील देशों को विवश किया जाता है कि वे बिना धुना कपड़ा (Gray cloth) निर्यात करें । यह कपड़ा धनिक देशों मे रासायनिक तथा अन्य विधियों द्वारा साफ होकर ऊचे दामो मे विकता है । इसी प्रबार, उन्होंने पूछा, क्या वजह है कि हमारी वाय सिफे पेटियों मे ही खरीदी जाती है ? क्या इसलिए कि फिर उसे आज्ञायक डिब्बों मे भरकर मुनाफ़ा कमाया जा सके ? विकासशील देशों को कच्चा माल मुहैया करने वाला क्षेत्र ही माना जाता है । विकासशील देश जो जिसे निर्यात करते हैं उसका भाव भी विकसित देशों के ग्राहक इस तरह नियन्त्रित करते हैं कि तीसरी दुनिया के देशों की आमदनी मे उतनी बढ़ोत्तरी नहीं होती जितनी कि आपात करने वाले माल के—मशीन, उर्वरक आदि के—भाव मे हो जाती है । थी पै ने स्पष्ट शब्दों मे कहा कि पश्चिमी देशों के माल—इसात तैयार माल, मशीन आदि सबके मूल्य तेल का भाव बढ़ने के पहले से चढ़ने लगे थे ।”

“आपात निर्यात सहायता थम बहुत श्रीद्योगिकी आदि के ग्रलावा विकास शील देशों की लीमा मे कोशिश यह रही कि इस उद्योग सगठन को सयुक्त राष्ट्र का स्थायी और स्वतन्त्र सगठन बना दिया जाए । लेकिन पश्चिमी देश इसके पक्ष मे नहीं थे । द्वितीयी प्रतिनिधि ने स्पष्ट शब्दों मे कहा—हमे सदेह है कि इससे आप लोगों को कोई लाभ होगा । स्विटजरलैण्ड के प्रतिनिधि ने श्रीद्योगिक उत्पादन का लक्ष्य 25 / निर्धारित करने का विरोध किया—यह व्यावहारिक नहीं है ।”

आर्थिक विकास के अन्तर्गत संरचनात्मक परिवर्तन : उत्पादन, उत्पन्नोग्रु, रोजगार, निवेश और ब्यापार के संगठन ने परिवर्तन

(Structural Changes under Development : Changes in the Composition of Production, Consumption, Employment, Investment and Trade)

आर्थिक विकास के अन्तर्गत संरचनात्मक परिवर्तन
(Structural Changes under Development)

किसी देश के आर्थिक उत्पादन में दीर्घकालीन और सतत् वृद्धि को प्रायः आर्थिक विकास कहा जाता है। पौरीवलीज युग वा यूनान, आँगस्टबालीन रोम, मध्ययुगीन फ्रांस, आधुनिक अमेरिका और भारत तथा मिस्र के मुख्य युग इस परिभाषा की परिधि में आते हैं।¹ संरचनात्मक परिवर्तनों की ओर सवेत करते हुए साइमन कुन्जनेट्स ने लिखा है—“प्राधुनिक युग में, मुख्य संरचनात्मक परिवर्तनों का लक्ष्य कृपि मदों के स्थान पर आर्थिक मदों का उत्पादन (प्रौद्योगिकरण की प्रक्रिया), प्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या वितरण (शहरीकरण की प्रक्रिया), लागों की सापेक्ष आर्थिक स्थिति में परिवर्तन (रोजगार की स्थिति तथा आय स्तर आदि के द्वारा) और मांग के अनुरूप वस्तुओं एवं सेवाओं वा वितरण रहा है।”²

एक अन्य स्थल पर साइमन कुन्जनेट्स ने लिखा है—“आधुनिक आर्थिक विकास सारभूत रूप में आर्थिक व्यवस्था को लागू करना अर्थात् आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान के द्वारे हुए प्रयोग पर आधारित उत्पादन की एक व्यवस्था को लागू करना है, किन्तु इसका अर्थ संरचनात्मक परिवर्तनों से ही है, क्योंकि महत्व की दृष्टि से नए उद्योग उत्पादन लेते हैं और विकसित होते हैं जबकि पुराने उद्योग लुप्त होने जाते हैं—यह प्रक्रिया बदले में समाज की उस अवस्था की माँग बरती है जो ऐसे परिवर्तनों को

1 Simon Kuznets Six Lectures on Economic Growth, p. 13

2 Simon Kuznets Modern Economic Growth, p. 1

ग्रहण कर सके। एक समाज को इतना समर्थ और योग्य होना चाहिए कि वह प्रति व्यक्ति उत्पादन में अभिवृद्धि करने वाले उत्तरोत्तर नव-प्रवर्तनों को ग्रहण कर सके और स्वयं उनके अनुकूल ढाल सके। इस प्रकार प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि महत्वपूर्ण है वयोऽि इसमें सरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक रूप से सन्निहित है और ये परिवर्तन प्राविधिक नव-प्रवर्तनों तथा समाज की बढ़नी हुई मांगों और परिवर्तनों के अनुकूल समाज के ढलने की क्षमताओं के कलस्वरूप होते जाते हैं।¹

नियमित आर्थिक विकास के दो मूल स्रोत हैं—(1) प्राविधिक ज्ञान (Technology) एवं (2) सामाजिक परिवर्तन (Social Change)। इन दोनों की अन्त क्रिया का परिणाम ही आर्थिक विकास होता है। इस सम्बन्ध में साइमन कुजनेट्स के मतानुसार 'किसी भी युग में आर्थिक वृद्धि अर्थव्यवस्था में मात्र प्राविधिक ज्ञान अथवा सामाजिक परिवर्तनों वे कारण ही नहीं होती बल्कि यह कृपि उद्योग और सेवा क्षेत्रों में विकास की प्रक्रिया के कलस्वरूप होने वाले किंवद्य सरचनात्मक परिवर्तनों के कारण होती है।'² पुराने उद्योगों का नवीनीकरण होने लगता है तथा नए उद्योग अस्तित्व में आते हैं। आय के वितरण की स्थिति परिवर्तित होने लगती है। उत्पादन, उपभोग, रोजगार, विनियोजन, व्यापार आदि के ढाँचों में अनिकारी परिवर्तन होने लगते हैं।

सरचनात्मक परिवर्तनों को निम्नलिखित कुछ मुख्य शोधकों के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जा सकता है जैसे—

- (1) औद्योगिक ढाँचे में परिवर्तन,
- (2) औद्योगिक क्षेत्र के आन्तरिक ढाँचे में परिवर्तन,
- (3) आय के वितरण में परिवर्तन, एवं
- (4) जनसंख्या के विकास की प्रवृत्तियाँ।

1 औद्योगिक ढाँचे में मुख्यतः दो परिवर्तन होते हैं। प्रथम, उत्पादन में कृपि क्षेत्र का अश कम हो जाता है तथा द्वितीय, उद्योग और सेवा क्षेत्रों का उत्पादन प्रतिशत अधिक हो जाता है। कुजनेट्स के मतानुसार, सामान्यतः विकास से पूर्व की स्थिति में कृपि क्षेत्र के उत्पादन में औसतन योग लगभग 50% था, और कुछ देशों में तो यह अनुपात दो तिहाई से भी अधिक था। विकास की एक लम्बी अवधि के पश्चात् कृपि उत्पादन का भाग घटकर 20% और कुछ देशों में 10% से भी कम हो गया। आस्ट्रेलिया की स्थिति इस हृष्ट से अपवाद रही। उद्योग का अश जो विकास से पूर्व इन देशों में कुल उत्पादन का 20 से 30% था, वह दो हुई अवधि से बढ़कर 40 से 50% हो गया।³

2 औद्योगिक क्षेत्र के आन्तरिक ढाँचे के परिवर्तन तकनीकी (Technology) तथा अनिम मांग (Final Demand) से सम्बन्धित होते हैं। इन परिवर्तनों के अन्तर्गत अग्राकृति परिणाम आते हैं।

1 Simon Kuznets Six Lectures on Economic Growth, p. 15

2 Simon Kuznets Modern Economic Growth p. 13

3 Ibid, p. 47, Tab. 31

- (i) उत्पादन वस्तुओं का अनुपात अधिक हो जाता है।
- (ii) खाद्य और दस्तुओं के उपभोग में कमी होती है, किन्तु कागज, धातु तथा रासायनिक पदार्थों का उपभोग बढ़ जाता है।
- (iii) उत्पादक इकाइयों का आकार बढ़ जाता है।
- (iv) शहरीकरण की प्रवृत्ति अधिक बढ़ जाती है।
- (v) निजी व्यवसाय में रहने की प्रवृत्ति के स्थान पर बेतनभोगी व्यवसायों के प्रति आकर्षण बढ़ता है।
- (vi) ऐत-पोदी व्यवसायों के प्रति लोग अधिकाधिक आकर्षित होते हैं।

3. सरचनात्मक-परिवर्तन आय के वितरण से सम्बन्धित होते हैं। इन परिवर्तनों के अन्तर्गत परिवारों की आय का राष्ट्रीय आय में प्रतिशत घट जाता है। प्रसान्नतर अध्ययन के अनुसार यह 90% से घटकर लगभग 75% रह जाता है। सरकार की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है और निगमों का महत्व भी बढ़ जाता है। सरकारी अनुदानों की राशि और हस्तान्तरण आय (Transfer incomes) से भाग में वृद्धि होती है। इनके अतिरिक्त सम्पत्ति से प्राप्त आय (Property Income) का भाग 20-40% से घटकर केवल 20% या इससे भी कम हो जाता है। निजी व्यवसाय में सलगन-व्यक्तियों के स्थान पर बेतनभणीयों की सहाया बढ़ने लगती है। व्यक्तिगत आय की विषमताएँ कम हो जाती हैं। उत्पादन साधनों को मिलने वाली आय और व्यक्तिगत आय के वितरण (Distribution of the Factoral and Personal Income) में परिवर्तन आने लगता है।

4. अर्थव्यवस्थाओं में कुछ सरचनात्मक परिवर्तन जनसूच्या के हाँचे से सम्बन्धित होते हैं। आर्थिक वृद्धि की स्थिति में जनसूच्या भी तीव्र गति से बढ़ती है। पश्चिमी दूरोप के अनेक देशों में जहाँ पूँजी प्रचुर और थम दुर्लभ था, वहाँ जनसूच्या की वृद्धि का आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योग रहा है। किन्तु ऐसे अत्यधिक सूचित देशों में जहाँ पूँजी दुर्लभ और थम प्रचुर होता है, जनसूच्या वृद्धि का प्रभाव विपरीत होता है। आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप प्राय शैशवकालीन मृत्यु-दर कम हो जाती है। शैशवकालीन मृत्यु-दर में कमी के कारण उत्पादक आयु का अनुपादक आयु में अनुपात बढ़ जाता है। श्रमिकों में स्त्रियों का अनुपात कम हो जाता है, किन्तु सेवा क्षेत्र में शिक्षित स्त्रियों की सूच्या में पर्याप्त वृद्धि होती है।

प्राय पूर्व विकास की स्थिति में कुल जनसूच्या का अधिकतम अनुपात 15 वर्ष की आयु तक होता है। भारत में जनसूच्या का 50 प्रतिशत से भी अधिक भाग 18 वर्ष की आयु से कम वाला है। आर्थिक विकास के कारण मृत्यु-दर में कमी आती है, परिणामस्वरूप उत्पादकीय वर्ग का अनुपात बदल जाता है।

आर्थिक विकास की प्रक्रिया विदेशी व्यापार के अनुपातों वो भी प्रभावित करती है। विदेशी व्यापार के भ्रोक्तु अनुपात विकसित देशों में लगभग 31%। तथा अविकसित देशों में 20% से भी कम रहते हैं। अविकसित देशों के लिए विदेशी व्यापार का अत्यधिक महत्व होते हुए भी उत्पादन की आधुनिक तकनीकी के

अभाव में, विकसित देशों की प्रतिस्पद्धा में नहीं टिक पाते। आर्थिक विकास की गति के साथ साथ एक और जहाँ उत्पादन में पूँजी निर्माण का अनुपान बढ़ने लगता है तथा कुछ उपभोग -यष्य में भोजन तथा आवास सम्बन्धी व्यय का प्रनुपात घटने लगता है, वही दूसरी ओर विदेशी व्यापार की मात्रा, स्वरूप तथा दिशा में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं।

आर्थिक विकास के कारण न केवल आर्थिक ढाँचे में ही परिवर्तन होते हैं, वरन् गैर-आर्थिक ढाँचे में भी यतेव ऐसे क्रान्तिकारी परिवर्तन होते हैं जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से देश की आर्थिक संरचना को प्रभावित करते हैं। प्रायः अविकसित देशों में राजनीतिक अस्थिरता, राष्ट्रीय हित के विषयों पर भी राजनीतिक दलों में मतभेद का अभाव प्रभावहीन सरकार आदि इन देशों के आर्थिक विकास तथा आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। सौसूखिक रूप से बायं करने की प्रवृत्ति आदि वे मूल्य लिए जाते हैं जो प्रत्यक्ष रूप में श्रम विभाजन व बाजार सम्बन्धों को प्रभावित करते हैं तथा अप्रत्यक्ष रूप से उप राजनीतिक साठन को प्रभावित करते हैं जो देश के आर्थिक विकास से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णय लेने व नीति-निर्धारण की शक्ति रखते हैं।

सभी प्रकार के कारण सभी प्रकार के आर्थिक कार्यों (Economic Functions) को सरचना में परिवर्तन आते हैं। उत्पादन-कार्यों (Production Functions) में तबनीकी भूमिका प्रमुख हो जाती है। बचत के अन्तर्गत विकास की स्थिति में व्यक्तिगत बचत (Personal Savings) का अनुपात कम हो जाता है। सरकारी बचत का अनुपात प्राय बहुत कम होता है। अविकसित देशों में व्यक्तिगत बचत वा अनुपात बहुत अधिक होता है। बचत की यह स्थिति अविक संठन की ओर संकेत करती है अर्थात् अविकसित देशों में असंगठित क्षेत्रों से बचतें प्राप्त होनी हैं जबकि विकसित देशों में संगठित क्षेत्र का कुल बचतों में अनुपात सर्वाधिक होता है। विदेशी व्यापार की स्थिति में भी अनेक क्रान्तिकारी परिवर्तन होते हैं।

उत्पादन की संरचना, उपभोग व प्रवर्त्तियाँ (Structure, Use & Trends of Output)

कृषि, उद्योग, आदि क्षेत्र मिलकर राष्ट्रीय उत्पादन करते हैं। उत्पादन का उपभोग तीन मदों पर होता है—(i) उपभोग, (ii) पूँजी निर्माण, तथा (iii) नियंत्रण।

(i) उपभोग दो प्रकार के है—(a) निजी उपभोग, एवं (b) सरकारी उपभोग। निजी उपभोग की मद में भूमि व आवासीय भवनों के सभी प्रकार के उपभोग पदार्थों के क्षय सम्मिलित हैं। यह तीनों उपभोगों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। विकसित देशों में उत्पादन का लगभग 64 प्रतिशत निजी उपभोग पर व्यय होता है। सरकारी उपभोग के अन्तर्गत वस्तुओं व सेवाओं की खरीद आती है। इसमें से उन वस्तुओं व सेवाओं की मात्रा को घटा दिया जाता है जिसकी पुन बिक्री की जाती

है। राजकीय व्यावसायिक प्रतिष्ठानों व निगमों द्वारा काय को सरकारी उपभोग में सम्मिलित नहीं किया जाता, किन्तु सुरक्षा व्यय को इस मद के अन्तर्गत लिया जाता है। “इस प्रकार परिभाषित सरकारी व्यय राष्ट्रीय उत्पादन के लगभग 14 प्रतिशत से कुछ अधिक भाग के लिए उत्तरदायी रहा है।”¹

(ii) पूँजी निर्माण वस्तुओं के उस मूल्य को प्रकट करता है जिससे देश के पूँजी-सचय में वृद्धि होती है। विशुद्ध पूँजी-निर्माण में पूँजी के उपभोग व हास पर विचार भी किया जाता है। कुजनेट्स के अनुसार कुल राष्ट्रीय उत्पादन का 20 से 25 प्रतिशत भाग सबल पूँजी-निर्माण हेतु बाम आता है। विशुद्ध पूँजी-निर्माण में राष्ट्रीय उत्पादन का 15 प्रतिशत भाग होता है। देश की बचत राष्ट्रीय पूँजी निर्माण को प्रकट करती है तथा देश के पूँजी-सचय में होने वाली वृद्धि घरेलू पूँजी-निर्माण कहलानी है। अधिकांश देशों में सबल पूँजी निर्माण में यह अनुपात 10 से 20 प्रतिशत तक बढ़ गया। विकास में वृद्धि के साथ-साथ यह अनुपात 10 से 20% तक बढ़ जाता है। किन्तु डग्लैण्ड एवं अमेरिका में 19वीं शताब्दी के मध्य से यह अनुपात स्थिर चला आ रहा है। उल्लेखनीय है कि एक शताब्दी की दीर्घ अवधि के उपरान्त भी कुल बचतों का अनुपात इन दो देशों में स्थिर बना रहा जबकि प्रतिवर्षीय उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई।

इस प्रकार राष्ट्रीय उत्पादन में पूँजी-निर्माण का भाग या तो नियर रहा अथवा कुछ बढ़ा किन्तु सरकारी उपभोग व्यय के अनुपात में वृद्धि के साथ, कुल राष्ट्रीय उत्पादन में निजी उपभोग व्यय के अनुपात में निश्चित रूप से गिरावट आई। विश्व युद्ध से पूर्व यह अनुपात 80 प्रतिशत था जो युद्ध से दो दशाब्दी बाद की अवधि में गिरकर 60 प्रतिशत गह गया। अर्थात् कुल राष्ट्रीय उत्पादन की वृद्धि दर की अपेक्षा कुल घरेलू उपभोग की वृद्धिन्द्र बहुत कम रही।

इस सन्दर्भ में सोवियत रूस के आँकड़े अधिक दिलचस्प हैं, क्योंकि स्वतन्त्र बाजार वाले देशों की भाँति वहाँ भी विकास के परिणामस्वरूप घरेलू उपभोग का अनुपात कम तथा सरकारी उपभोग व कुल पूँजी का राष्ट्रीय उत्पादन में अनुपात अधिक हुआ किन्तु इन परिणामों की प्राप्ति रूस ने स्वतन्त्र उद्यम वाली अर्थ-व्यवस्थाओं की तुलना में देवल हुई अवधि में ही कर ली।

देश की स्थायी सम्पत्ति में पूँजी निर्माण की वृद्धि के रूप को देखते हुए दो महत्वपूर्ण तथ्य सामने आते हैं—प्रथम स्थायी सम्पत्ति में वृद्धि, तथा द्वितीय, वस्तुओं की सचित मात्रा में कमी। इस कमी की पृष्ठभूमि में यातायात व साधार के साधनों में सुधार कृपि क्षेत्र के अग्र में कमी तथा माँग में अल्पकालीन परिवर्तनों की पूर्ति के लिए वस्तुओं की सचित-मात्रा के स्थान पर बढ़ी हुई उत्पादन-क्षमता का प्रयोग है। इसके प्रतिरक्त स्थायी सम्पत्ति व कुल पूँजी-निर्माण में भवन-रिमाण के अनुपात ने गिरावट आती है, किन्तु उत्पादक साज सामान (Producer's Equipment) के अनुपात में वृद्धि होती है। उत्पादन-वृद्धि का कारण विकास

के परिणामस्वरूप जनसंख्या की वृद्धि-दर में कमी तथा औद्योगिक समयों का विस्तार होना है।

कुजनेट्स ने कुछ देशों की पूँजी प्रदा अनुपातों (Capital Output Ratios) की गणना की है। इनके अनुसार, "इटली के राष्ट्रीय उत्पादन की दर न, पूँजी-प्रदा अनुपातों में कमी के कारण, पर्याप्त वृद्धि प्रदर्शित की। नावें में पूँजी-प्रदा अनुपातों में गिरावट बहुत कम रही। किन्तु इमर्लैण्ड, जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडन, अमेरिका, कनाडा आमदे लिया, जापान आदि देशों में सकल सीमान्त पूँजी-प्रदा अनुपातों (Gross Incremental Capital-output Ratios) ने वृद्धि प्रदर्शित की—प्रारम्भिक अवधि में वृद्धि 3 व 4 5 के मध्य थी तथा बतंमान अवधि में 4 व 6 के बीच रही।"¹

सीमान्त पूँजी-प्रदा अनुपातों में इस वृद्धि का कारण न तो सकल घरेलू पूँजी-निर्माण की सरचना म परिवर्तन रहे हैं, और न ही कृषि, खान व निर्माण आदि उद्योगों द्वारा पूँजी-निर्माण मे उत्पन्न सरचनात्मक परिवर्ता। श्रम साधन मे हुए परिवर्तनों के कारण भी इन अनुपातों मे होने वाली वृद्धि प्रमाणित नहीं होती। यह स्थिति इम सिद्धान्त की अमत्य प्रमाणित करती है कि जब श्रम-शक्ति म वृद्धि की दर घटती है तब पूँजी-प्रदा अनुपात बढ़ते हैं। इन अनुपातों मे वृद्धि के कारण तथा विभिन्न देशों मे पाए जाने वाले इन अनुपातों के स्तर मे अन्नर उन अनेक अवन्याशों मे अन्तर्निहित हैं जो भौतिक पूँजी की मांग को प्रभावित करती हैं तथा जिनके कारण उत्पादन की एक ही भात्रा श्रम व पूँजी के विभिन्न समयोंगो द्वारा प्राप्त की जा सकती है।

इमर्लैण्ड व अमेरिका के अतिरिक्त अधिकांश देशों मे पूँजी-निर्माण का उत्पादन अधिक हुआ। यदि पूँजी-निर्माण का भाग अधिक होना है तो सीमान्त पूँजी-प्रदा अनुपात उसी स्थिति मे स्थिर रहने हैं जब राष्ट्रीय उत्पादन मे सानुपातिक वृद्धि होती है।² इस स्थिति को कुजनेट्स न एक उदाहरण द्वारा प्रस्तुत किया है। मान लीजिए कुल घरेलू उत्पादन = \$ 1000, सकल घरेलू पूँजी-निर्माण = \$ 150, वास्तविक वृद्धि दर = 50 प्रतिशत तथा सीमान्त सकल पूँजी-प्रदा अनुपात = 3 0 है। यदि कुल उत्पादन मे पूँजी-निर्माण का अनुपात $\frac{150}{1000}$ से बढ़कर $\frac{210}{1000}$ (40% की वृद्धि) हो जाता है, तब सीमान्त पूँजी-प्रदा अनुपात उसी स्थिति मे 3 0 रहेगा जब उत्पादन की वृद्धि दर 5 से बढ़कर 7 (अथवा 40% की वृद्धि) हो जाती है।

उत्पादन की सरचना मे जनसंख्या का वृद्धि-दरों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। "यदि जनसंख्या घटती हुई दर से बढ़ती है, जैसाकि अनेक विकसित देशो मे होता है, तो कुल उत्पादन मे स्थिर दर से भी वृद्धि होने पर, प्रति व्यक्ति उत्पादन बढ़ती हुई दर से बढ़ता है। पूँजी-निर्माण के भाग मे निरन्नर वृद्धि होती रहने की

1. Ibid, p 122

2. Ibid, p 123

स्थिति में यदि पूँजी-प्रदा अनुपात को स्थिर रखना है और कुल उत्पादन की वृद्धि में सीधे से तीव्रतर गति बनाए रखनी है तो प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि की दर कुल उत्पादन की वृद्धि-दर से भी कहीं अधिक होनी चाहिए। इस प्रकार, प्रति व्यक्ति उत्पादन की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई दरों के कारण अधिक बचत होती है। अधिक बचत के परिणामस्वरूप पूँजी-निर्माण का भाग भी बढ़ता है—जिसका आशय यह है कि यदि सीमान्त पूँजी प्रदा अनुपात को बढ़ती हुई स्थिति में रखना है तो कुल उत्पादन व प्रति व्यक्ति उत्पादन की वृद्धि दर और भी अधिक तीव्र दी जानी चाहिए।¹

उपभोग में संरचनात्मक परिवर्तन (Structural Changes in the Composition of Consumption)

उपभोग की सरचना की विवेचना व्यक्तिगत बचत व उपभोग्य आय (Disposable Income) के अनुपातों की दीर्घकालीन प्रवृत्तियों के आधार पर वीजा सकती है। व्यक्तिगत करो (आयकर आदि) के भुगतान के पश्चात् जो आय परिवारों के पास शेष रहती है, उसे उपभोग्य आय कहते हैं। यह वह आय होती है जिसे लोग अपनी ईच्छा के अनुसार खर्च कर सकते हैं अथवा बचा सकते हैं। इस आय का वह भाग जिसे वे बस्तुओं व सेवाओं पर व्यय नहीं करते, व्यक्तिगत बचत की श्रेणी में आता है।

विगत वर्षों में, विशुद्ध बचत का लगभग 48 से 49% भाग परिवारों से प्राप्त हुआ है। विशुद्ध बचत कुल बचतों का 60 प्रतिशत व कुल राष्ट्रीय उत्पादन का 23 प्रतिशत रही। इस प्रकार परिवारों की विशुद्ध बचत वा भाग कुल राष्ट्रीय उत्पादन में 6.7 प्रतिशत रहा। उपभोग आय कुल उत्पादन का 70.3 प्रतिशत रही। अब विशुद्ध बचत, उपभोग आय का औसतन $\frac{6.7}{70.3}$ अथवा 9.5% रही।²

कुञ्जनेट्स के प्रध्ययनानुसार यह एक शास्त्रीय की अवधि में प्रति व्यक्ति उपभोग्य आय की वृद्धि-दर अवधि के अन्त में अपने प्रारम्भिक मूल्य का 45 गुना हो गई। उपभोग्य आय में इसी अधिक वृद्धि के बावजूद, बचत का अनुपात बहुत कम रहा, क्योंकि उपभोग्य आय का बड़ा भाग उपभोग व्यय के रूप में काम आया। उपभोग प्रवृत्ति के व्यधिक रहने के मुद्यत दो कारण हैं—आधुनिक आधिक उत्पादन के गहरी ढाँचे के कारण जीवन-लागत में अतिरिक्त वृद्धि लघा शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के लिए भानव पर अचिकाधिक विनियोजन।³

सारली 52 में कुञ्जनेट्स ने उपभोग के ढाँचे में परिवर्तनों को पांच श्रेणियों में प्रस्तुत किया है—भोजन, पेय, वस्त्र, आवास तथा अन्य। इन मध्य में सरकार द्वारा प्रदत्त शिक्षा स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाएँ सम्मिलित नहीं हैं।

1 Ibid, p 124

2 Ibid, p 125

3 Ibid, p 128, Table 5.2

उपभोग (वर्तमान मूल्यों पर)
(Current Prices)

भोजन	पेष पदाय व तम्बाकू	वस्त्र	आवास	अन्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
इंग्लैण्ड				
1880-99	34.2	13.8	—	10.7
1950-1959	31.3	14.1	11.7	12.8
इटली				
1861-80	52.0	17.2	—	5.8
1950-1959	46.6	10.7	11.5	5.2
नार्वे				
1865-1875	45.2	7.0	10.9	19.8
1950-59	30.3	8.1	16.7	10.1
कनाडा				
1870-1890	32.2	5.7	16.9	26.7
1950-59	23.7	8.3	10.2	21.2

निष्कर्षः कुल उपभोग में भोजन व्यय का भाग कम हुआ वस्त्रों के व्यय का भाग अधिक हुआ। आवासीय भवनों पर विए गए व्यय की स्थिति स्नाइट नहीं है। 'अन्य' मदों के अन्तर्गत घर के फर्नीचर व साज सामान, बाहन, चिकित्सा-सुविधा, मनोरजन आदि को जो भार दिया गया है उससे यह निष्कर्ष निश्चलता है कि जैसे जैसे प्रति व्यक्ति उपभोग वस्तुओं के क्षय में पृद्धि होती है उक्त वस्तुओं के भाग में वृद्धि होती।

वस्त्र वाली मद में पाए जाने वाले अन्तर और भी अधिक उल्लेखनीय हैं। जर्मनी, नार्वे व स्वीडन में वस्त्रों की मद वाले भाग में पर्याप्त वृद्धि होती है किन्तु इंग्लैण्ड में वस्त्रों का अनुपात वर्तमान कीमतों पर स्थिर रहता है, स्थिर कीमतों पर यह अनुपात गिरता है।

कुल उपभोग में आवासीय व्यय के अनुपात में उक्त मदों की अपेक्षा अधिक अन्तर पाए गए हैं। किन्तु कुज्जेटम् द्वारा प्रस्तुत अनुमानों के अनुसार नार्वे स्वीडन व इंग्लैण्ड में आवासीय भवनों के अनुपात में गिरावट रही। अमेरिका व कनाडा में इस मद की प्रवृत्ति स्थिरता की रही—विशेषकर द्वितीय विश्वयुद्ध से पूर्व की पवधि में प्रथम विश्व युद्ध पे पूर्व जर्मनी में इस मद में वृद्धि की प्रवृत्ति रही। उक्त निष्कर्षों से दो तथ्य स्पष्ट होते हैं। प्रथम, प्राधुनिक ग्राहिक वृद्धि के दौरान, उपभोग वस्तुओं की क्षय के सार व ढाँचे का यदि विश्लेषण किया जाता है तो उपभोग प्रवृत्ति की सीमा का अधिक रहना निश्चित है, किन्तु दूसरी ओर उपभोग की मदों के उपवर्गों

की प्रवृत्तियों में स्वाभाविक अनुपातों के विपरीत अनेक असमतियाँ सम्भव हैं। भोजन की किसी विशेष भद्र पर व्यय की प्रवृत्ति गिरने के स्थान पर बढ़ने की हो सकती है और इसी प्रकार वस्त्रों के किसी मद पर व्यय की प्रवृत्ति बढ़ने के स्थान पर घटने की हो सकती है।

उपभोग की उक्त समस्त मदों के निष्कर्षों के कारणों को तीन श्रेणियों में रखा जा सकता है—(1) आधुनिक व्यवस्थाएँ भिन्न हो गई हैं; जिन्होंने उपभोग की सरचना व स्तर में अनेक बड़े परिवर्तन ला दिए हैं, (2) प्रायोगिक परिवर्तन (Technological Changes)—विशेषकर उपभोग-वस्तुओं के क्षेत्र में तथा (3) क्रियाशील जनसंस्थाएँ के व्यावसायिक वितरण व आय-वितरण के विभिन्न पहलुओं में परिवर्तन। इन तरहों के कारण उपभोग प्रवृत्ति प्रभावित होती है तथा कुल उपभोग में अनेक उपत्रणों का अनुपात परिवर्तित होता रहता है। यद्यपि ये तत्त्व परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं, किन्तु पृथक् रूप से इनका विश्लेषण येठ हो सकता है।

रहन-सहन की अवस्थाओं में परिवर्तनों के अन्तर्गत सबसे प्रमुख प्रवृत्ति शहरीकरण की है। अम-विभाजन व विशिष्टीकरण की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है, परिवारों की क्रियाएँ बाजारोन्मुख (Shifts from non-market activities to market activities) होने लगती हैं।

यह क्रिया पूँजी-निर्माण के अनुपात में उपभोग वस्तुओं के उत्पादन को निश्चित रूप से बढ़ाती हो, यह प्रावश्यक नहीं है, क्योंकि अदीत में भी विशिष्टीकरण व अम-विभाजन की स्थिति से पूर्व पूँजीगत वस्तुओं का उत्पादन सापेक्ष रूप से इतना अधिक होता रहा है जितना कि उपभोग वस्तुओं का। किन्तु इस परिवर्तन पर प्रभाव उपभोग वस्तुओं के क्य के ढाँचे की प्रवृत्तियों पर अवश्य होता है।

द्वितीय, शहरीकरण से जीवन-लागत बढ़ जाती है। जीवन-लागत की इस वृद्धि का उपभोग वस्तुओं के क्य पर प्रभाव पड़ता है। बचत व पूँजी-निर्माण भी प्रभावित होते हैं। इस स्थिति का विभिन्न उपभोग वस्तुओं पर भिन्न-भिन्न प्रभाव पड़ता है। उदाहरणार्थ, शहरी आवादी की खरीदों का शहरों में उत्पादित उन वस्तुओं की अपेक्षा जिनका ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोग होता है, कृषि-पदार्थों पर कही अधिक प्रभाव पड़ता है।

शहरी जीवन 'प्रदर्शनकारी प्रभाव' (Demonstration Effect) से प्रभावित होता है। प्रदर्शनकारी प्रभाव के कारण उपभोग का स्तर बढ़ जाता है। नए उपभोग पदार्थों के प्रति आकर्षण में वृद्धि होती है। इसके परिणामस्वरूप सापेक्ष रूप से बचत व पूँजी-निर्माण की अपेक्षा उपभोग-व्यय की प्रवृत्तियाँ अधिक स्पष्ट रूप से प्रभावित होती हैं।

उपभोग के ढाँचे को प्रभावित करने वाले अन्य परिवर्तन प्रायोगिक परिवर्तन (Technological Changes) हैं। ये परिवर्तन ही आधुनिक आर्थिक वृद्धि के

मूल स्रोत हैं। इन परिवर्तनों के कारण नई प्रकार की उपभोग्य वस्तुएँ प्रसिद्धत्व में आती हैं और पुरानी वस्तुओं में अनेक सुधार होते हैं। साद्य पदार्थों के अन्तर्गत भी ऐफोजेरेजन, केनिंग (Refrigeration and Canning) आदि नवीन प्रक्रियाओं के कारण भोजन की कुल मांग और विभिन्न वर्गों में इसके वितरण पर प्रभाव पड़ता है। मानव निमित वस्तुओं, विद्युत प्रसाधनों, रेडियो, टेलीविजन, मोटरगाड़ियाँ, हवाई यातायात आदि नई उपभोग्य वस्तुओं का बढ़ता हुआ उपभोग इसी प्रकार के परिवर्तनों के कारण होता है। यद्यपि तकनीकी परिवर्तनों के पूँजीगत वस्तुओं व उपभोग वस्तुओं पर सापेक्ष प्रभाव की माप कठिन है, तथापि प्राज के विकसित देशों में अनेक प्रकार के नए से नए उपभोग पदार्थों के बढ़ते हुए उपभोग में प्रायोगिक परिवर्तनों का प्रभाव उपभोग की सरचना पर स्पष्टतः परिलक्षित होता है।

प्रायोगिक प्रगति के कारण उपभोक्ता के अधिमानों में भी आन्तिकारी परिवर्ता आते हैं। उदाहरणार्थ, पोषण तत्त्वों के सम्बन्ध में अधिक ज्ञान-वृद्धि के कारण भोजन की वस्तुओं के प्रति उपभोक्ताओं की हचि म अन्तर प्रा जाता है। यह निविदाद सत्य है कि प्रायोगिक प्रगति के परिणामस्वरूप प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय का स्तर काफी अधिक बढ़ा है तथा समाज के विभिन्न वर्गों में उपभोग्य वस्तुओं के वितरण की स्थिति में मौलिक भिन्नता आ गई है।

उपभोग प्रभावित करने वाले तीसरे प्रकार के परिवर्तन आय वितरण से सम्बन्धित होते हैं। जब क्रियाशील शमिक निजी व्यवसाय से हटकर सेवा क्षेत्र के प्रति आकर्षित होते हैं तब वेतनभोगी शमिकों का कुल धम शक्ति में अनुपात अधिक हो जाता है। परिणामस्वरूप, उपभोग्य वस्तुओं का वितरण व बचतें प्रभावित होती हैं। अप्रशिक्षित व्यवसायों से हटकर शमिकों का श्वेतपोशी व्यवसायों की ओर उन्मुख होना भी उपभोग के ढांचे में बढ़ा परिवर्तन लाता है। निजी अन्यवसायियों की अपेक्षा श्वेतपोशी व्यवसायों में कार्यरत वेतनभोगी-वर्ग जीवन का न्यूनतम स्तर अधिक ऊँचा रहता है। उनकी इस प्रवृत्ति का उपभोग की सरचना पर विशेष प्रभाव होता है।

“आय वितरण सम्बन्धी परिवर्तनों के कारण व्यक्तियों का जीवन-स्तर इस प्रकार प्रभावित होता है कि उपभोग व्यय का उन वस्तुओं पर अनुपात बढ़ जाता है जिनकी आय लोच इकाई से कम होती है तथा जिन वस्तुओं की आय लोच इकाई से अधिक होती है, उन पर उपभोग व्यय का अनुपात कम हो जाता है। इसी कारण भोजन की मद का व्यय आयिक विकास के परिणामस्वरूप कम हो जाता है क्योंकि विकसित देशों में इस मद की आय लोच सामान्यतः ५५ तथा निर्धन देशों में ७ पाई जाती है। दूसरी ओर वस्त्रों के मद की आय लोच इकाई से अधिक प्राय १७ के लगभग होती है। कुछ देशों में भीटर आदि औटोमोबाइल्स की आय लोच १८ तथा शराब आदि मादर पदार्थों के लिए आय लोच १९४ पाई जाती है। ग्रन्त आय में वृद्धि के कारण इकाई से अधिक आय लोच वाली वस्तुओं—वस्त्र, औटोमोबाइल्स,

मादक पदार्थ आदि पर उपभोग व्यय का अनुपात आय में वृद्धि से अधिक हो जाता है।¹

उपभोग की सरचना में परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी उर्क तत्त्वों के अतिरिक्त कुछ अन्य कारण भी हैं जिनमें प्रमुख जीवन के मूल्यों से सम्बन्धित होते हैं। यदि आज का व्यक्ति वर्तमान में उपभोग को अधिक महसूल देता है, भौतिक आवश्यकताओं की तुष्टि के प्रति अधिक व्यष्ट रहता है अपेक्षाकृत भविष्य के लिए चर्चत की राशि में वृद्धि करने के, तो ऐसी स्थिति में उपभोग का अनुपात, उपभोग आय में, चर्चत व पूँजी निर्माण की अपेक्षा कही अधिक बढ़ जाता है।

समान्यत उपभोग के लिए राष्ट्रीय आय का 85 से 100 प्रतिशत उपयोग किया जाता है। अत पूँजी निर्माण में राष्ट्रीय आय का भाग प्रायः शून्य से 15 प्रतिशत तक रहता है। अल्पकाल में अद्यवा किसी व्यापार चक्रीय अवधि के कालान्तर में उपभोग व पूँजी निर्माण में राष्ट्रीय आय के अनुपात उर्क अनुपातों की तुलना में कुछ कम अद्यवा अधिक हो सकते हैं। किन्तु हम उपभोग के विश्लेषण को दीघकाल से सम्बन्धित रखते हुए यह मान्यता लेकर चलते हैं कि दीघकाल में राष्ट्रीय आय का उपभोग पर अनुपात 82 से 98 प्रतिशत की सीमाओं में रहता है। विकसित देशों में यह प्रतिशत यदि 82 तथा अर्द्ध-विकसित देशों में 98 रहता है तो अर्द्ध-विकसित क्षेत्रों की प्रति व्यक्ति आय जो विकसित क्षेत्रों की प्रति व्यक्ति आय का तगभग 17वाँ भाग होती है उपभोग पर इस प्रकार व्यय होती है कि अर्द्ध-विकसित क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति उपभोग का स्तर विकसित क्षेत्रों की अपेक्षा 1/13 रहता है।²

व्यापार में सरचनात्मक परिवर्तन

(Structural Changes in the Composition of Trade)

आर्थिक विकास के कारण उपभोग व उत्पादन की सरचना में होने वाले परिवर्तन आय के स्तर पर निम्नर करते हैं। किन्तु विकास की अवस्था विदेशी व्यापार की सरचना के लिए सामेश रूप से कम उत्तरदायी है। विदेशी व्यापार के अनुपात (Foreign Trade Proportions) मुख्यत देश के आकार द्वारा निर्धारित होते हैं। देश के आकार व विदेशी व्यापार के अनुपातों में विपरीत सम्बन्ध होता है। छोटे देश के विदेशी व्यापार-अनुपात प्रायः बड़े तथा बड़े देश के व्यापार अनुपात छोटे होते हैं। इसके दो मुख्य कारण हैं—(i) प्राकृतिक साधनों की विविधता क्षेत्रफल के आकार पर निम्नर करती है। इसीलिए छोटे आकार वाले देश के आर्थिक दौने में कम विविधता पाई जाती है, (ii) छोटे देश आधुनिक स्तर के शोध्यगिक सदब के अनुकूलतम पैमाने (Optimum Scale of Plant) के सचालन की क्षमता नहीं रखते हैं। अत विदेशी वाजारों पर निम्नर रहता है। इसके अतिरिक्त कुछ छोटे राष्ट्र करिप्य प्राकृतिक साधनों की हाट से एक विशेष लाभ की स्थिति

1 Ibid, p 135

2 Simon Kuznets, Economic Growth and Structure, p 149

में हो सकते हैं। अब राष्ट्रों का उदाहरण लिया जा सकता है। तेल के धोन में इन्हे विशेष लाभ प्राप्त है। इस विशेष स्थिति के कारण विश्व के सभी बाजार इन छोटे राष्ट्रों को अपने व्यापार के लिए उपलब्ध होते हैं। अत विशेष लाभ की स्थिति बाला छोटा देश अपने साधनों को एक बड़े अनुपात में एक अथवा कुछ चुने हुए क्षेत्रों में केन्द्रित कर सकता है। दूसरी ओर एक बड़ा राष्ट्र तुलनात्मक लाभ की हाँसी से अपने साधनों को अनेक क्षेत्रों में लगाने की स्थिति में होता है।

व्यापार की सरचना से सम्बन्धित दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य मांग ढाँचा (Structure of Demand) अथवा उपभोग व पूँजी-निर्माण में वस्तुओं का प्रवाह है। दोनों प्रकार के देशों में मांग के ढाँचे में विविधता पाई जाती है क्योंकि प्रति व्यक्ति आय का स्तर बढ़ा हुआ होने पर एक छोटे देश में भी उन वस्तुओं की मांग होगी, जिनका वहाँ उत्पादन नहीं होता है।

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि घरेलू उत्पादन के केन्द्रित ढाँचे व अन्तिम मांग के विविधतापूर्ण ढाँचे में अन्तर की सीमा बड़े राष्ट्रों की अपेक्षा छोटे राष्ट्रों में अधिक होगी। घरेलू उत्पादन के केन्द्रित ढाँचे व अन्तिम मांग के विविधतापूर्ण ढाँचे की यह विपरीता (Disparity) विदेशी व्यापार के कारण ही समझ हो सकी है।

एक देश की विविधतापूर्ण मांग की पूर्ति आयातों द्वारा की जा सकती है। छोटे राष्ट्रों के बाजारों में बड़े राष्ट्रों की अपेक्षा विदेशी प्रतियोगिता अधिक होती है। प्रत्येक देश के विदेशी व्यापार-अनुपात की गणना वस्तुओं के नियाति व आयातों के योग को राष्ट्रीय आय तथा आयातों के योग से विभाजित करके की गई है।

यह अनुपात चरम स्थितियों में शून्य व डिकाई हो सकता है। यह अनुपात शून्य तब होता है जब विसी देश में आयात नियात शून्य होते हैं तथा यह अनुपात इकाई तब होता है जब देश में घरेलू उत्पादन बिलकुल नहीं होता है तथा सम्पूर्ण मांग की पूर्ति केवल आयातों से की जाती है व आयातों का भुगतान पुनः नियातो (Re exports) से किया जाता है। यदि आयात घरेलू उत्पादन के बराबर होते हैं और नियाति व आयात परस्पर समान होते हैं तब भी यह अनुपात 1 होता है। आयातों के बराबर नियातों के होने पर, 2 अनुपात यह प्रदर्शित करता है कि आयात राष्ट्रीय उत्पादन के दसवें भाग से कुछ अधिक होते हैं तथा 4 अनुपात का अर्थ यह होता है कि राष्ट्रीय उत्पादन में आयातों का भाग 25 है।

समान आकार वाले विभिन्न देशों को यदि विभिन्न समूहों में रखा जाए तब भी देश के आकार व विदेशी व्यापार-अनुपात में विपरीत सम्बन्ध मिलेगा। प्रति व्यक्ति आय की अपेक्षा प्रस्तुत स्थिति में देश का आकार विदेशी व्यापार के अनुपात को प्रभावित करने वाला अधिक महत्वपूर्ण तत्व है। जनसंख्या के आकार की उपेक्षा करते हुए प्रति व्यक्ति आय के आधार पर जब देशों को विभिन्न समूहों में रखा जाता है, तब आय के पैमाने पर नीचे की ओर आने पर विदेशी व्यापार के अनुपात में कोई अमिक परिवर्तन नहीं पाया जाता है।

**Relation Between Foreign Commodity Trade, Size of Country and Level of Income per Capita
(1938-39 and 1950-54)**

Groups of Countries	Number of Countries	1938-39 Average Population (Millions) or Average Income per Capita (\$)	Average Foreign Trade Ratio	Number of Countries	1950-54 Average Population (Millions) or Average Income per Capita (\$)	Average Foreign Trade Ratio
A. Countries Arrayed in Descending Order of Population Size						
1.	10	135.4	0.17	10	103.9	0.21
2.	10	16.2	0.24	10	22.0	0.24
3.	10	7.3	0.31	10	10.4	0.41
4.	10	3.7	0.38	10	5.3	0.41
5.	12	1.5	0.38	10	2.7	0.41
6.	6			7	0.8	0.41
B. Countries Arrayed in Descending Order of Income per Capita						
7.	10	429	0.29	10	1,021	0.35
8.	10	214	0.32	10	514	0.41
9.	10	106	0.19	10	291	0.40
10.	10	66	0.36	10	200	0.24
11.	5	40	0.24	10	115	0.38
12.	VI			7	67	0.26

Source : *Simon Kuznets : Six Lectures on Economic Growth*, p. 96

छोटे देशों के विदेशी व्यापार की दो महत्वपूर्ण विशेषताएँ होती हैं। प्रथम, इन देशों के निर्यात एक अयवा दो वस्तुओं से केन्द्रित रहते हैं। तेल, बाफी, टिन आदि कुछ इसी प्रकार की मध्ये हैं जिनकी निर्यात मौग विश्व में बहुत अधिक पाई जाती है। निर्यातों का यह केंद्रीकरण वडे अविकसित देशों में पाया जाता है जिनमें निम्न-स्तरीय उत्पादन तकनीकी प्रयोग नहीं जाती है। निम्न-स्तरीय तकनीकी के कारण ऐसे देशों में कुछ ही वस्तुओं में तुलनात्मक लाभ की स्थिति पाई जाती है। द्वितीय, छोटे देशों के आयात व निर्यातों का सीधा सम्बन्ध किमी एक वडे राष्ट्र से होता है, किन्तु वडे आकार वाले देशों का आयात-निर्यात व्यापार अन्य देशों के साथ होता है।

विदेशी व्यापार वडे देशों की अपेक्षा छोटे देशों के लिए अधिक महत्वपूर्ण होता है। इन देशों में घरेलू उत्पादन कुछ ही क्षेत्रों में केन्द्रित रहता है। प्रति घरेलू उत्पादन का क्षेत्र सीमित होने के कारण अन्तिम मार्ग के एक वडे भाग की पूर्ति विदेशी व्यापार द्वारा ही सभव है किन्तु छोटे देशों के व्यापार की भी सीमाएँ होती हैं। इन सभी सीमाओं को विदेशी व्यापार द्वारा दूर कर पाना सभव नहीं है। सरकारी हस्तक्षेप व अन्तर्राष्ट्रीय संघर्षों के कारण विदेशी व्यापार में अवरोध उपस्थित हो जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ आवश्यक वस्तुओं के निर्यात का अर्थ बहुत बड़ी लागत चुकाना होता है।

जनसंख्या के आकार में कमी के साथ-साथ एक विशेष बिन्दु तक ही विदेशी व्यापार का औसत अनुपात बढ़ता है। उस बिन्दु के पश्चात अनुपात का बढ़ना रुक जाता है। उदाहरणार्थ, उक्त सारणी में 1938-1939 के वर्ष में समूह I में यह अनुपात 38 तक पहुँचता है और वाले समूह II में जनसंख्या में 1.5 मिलियन की कमी होने पर भी यह अनुपात 38 ही बना रहता है। 1950-54 में अनुपात की उच्चतम सीमा सम्बन्धी सद्य की अधिक पुष्टि होती है। समूह III में 10.5 मिलियन जनसंख्या की स्थिति में भी यह अनुपात 41 का अधिकतम स्तर प्राप्त कर लेता है और इस स्तर के बाद एक मिलियन से कम वाले समूह में भी इस अनुपात में कोई वृद्धि नहीं होती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि समय विशेष में वर्तमान राजनीतिक स्थानांतर व आधिक परिस्थितियों में कुल उत्पादन के उस भाग की जो व्यापार के लिए उपलब्ध होता है एक उच्चतम सीमा होती है।

विदेशी व्यापार पर वडे देशों की तुलना में छोटे देशों की निर्मंता अधिक होती है। “विदेशी व्यापार वा प्रति व्यक्ति आय के स्तर के साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है। प्रति वडे देश अपेक्षाकृत कहीं छोटे विदेशी व्यापार के अनुपातों से ‘आधिक वृद्धि’ करने की स्थिति में होते हैं। आधिक वृद्धि को क्रिया व राष्ट्रीय उत्पादन की एक महत्वपूर्व दिशा (विदेशी व्यापार) में छोटे व वडे देशों की स्थिति में अन्तर पाया जाता है अर्थात् विभिन्न घरेलू व विदेशी क्षेत्रों के योगदानों के अनुपातों की दृष्टि से छोटे व वडे देशों की स्थिति भिन्न होती है।”¹

विदेशी व्यापार के क्षेत्र में अविकसित देशों की राष्ट्रीय आय व निर्यातों का अनुपात प्राय 10% होता है जबकि समृद्ध अरथवा विकसित देशों के लिए प्राय 20 से 25% पाया जाता है। इसके अतिरिक्त अविकसित देश मुख्यतः कच्चे माल के निर्यातक होते हैं, जबकि विकसित देश निर्मित वस्तुओं के निर्यातक होते हैं।

GATT के अनुसार अल्प-विकसित देश निर्मित वस्तुओं के कुल उपभोग का केवल एक-तिहाई भाग का ही आयात करते हैं और यह अनुपात उत्तरोत्तर कम होता जा रहा है।¹

आर्थिक विकास की स्थिति (Under development) विदेशी व्यापार के अनुपातों पर दो विपरीत तरीकों से प्रभाव डालती है। प्रथम, यह स्थिति कुल उत्पादन के आकार को सीमित करती है, परिणामतः विदेशी व्यापार के अनुपात में वृद्धि होती है तथा आर्थिक हीनता की स्थिति निम्नस्तरीय तकनीकों को प्रकट करती है।

विनियोग के स्वरूप में परिवर्तन

(Changes in the Composition of Investment)

अविकसित देशों की मुख्य समस्या उत्पादकता में कमी होना है और यही इनकी दखिला के लिए उत्तरदायी है। उत्पादकता में वृद्धि पूँजी-संचय की वृद्धि पर तथा पूँजी-संचय की वृद्धि विनियोग की मात्रा पर निर्भर करती है अर्थात् आर्थिक विकास के कार्यक्रमों के प्रारम्भ तथा इनकी गति को तीव्र करने के लिए अधिक से अधिक विनियोगों की आवश्यकता है। बिन्दु विनियोग नीति विस प्रकार की होनी चाहिए, इस सम्बन्ध में दो हृष्टिकोण हैं—(1) क्रमिक विकास का हृष्टिकोण (Gradual Approach) तथा (ii) विनियोग की विशाल योजना का हृष्टिकोण (Big Push Approach)। प्रथम हृष्टिकोण के प्रनुसार विनियोगों का प्रयोग प्रारम्भ में कृपि विकास, सामाजिक ऊपरी पूँजी निर्भाण (Social Overhead Capital) तथा लघु उद्योगों के विकास के लिए होना चाहिए। फिर जैसे जैसे राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो, शैन-शैन क्रमिक रूप से भी उद्योगों में विनियोग किया जाना चाहिए। लेटिन अमेरिका, अफ्रीका के पूर्वी भाग तथा दक्षिणी एशिया के कुछ भागों में यही नीति अपनाई गई है।

दूसरा हृष्टिकोण विनियोग की विशाल योजना का समर्थन करता है। यह विचार इस मान्यता पर आधारित है कि जब तक सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में विकास कार्यक्रमों में विशाल पैमाने पर परिवर्तन नहीं होते तब तक विकास प्रक्रिया स्वतः सचालित व सचई गति प्राप्त नहीं कर सकती। इस मत के समर्थकों में लिबिन्स्टीन (Leibenstein) व नेलसन (Nelson) उल्लेखनीय हैं। लिबिन्स्टीन का 'आवश्यक शून्यतम प्रयास का विचार' (Critical Minimum Effort Thesis) तथा नेलसन का 'निम्नस्तरीय सतुलन जाल' (The low Level Equilibrium Trap) का सिद्धान्त इस हृष्टिकोण की श्रेणी में आते हैं। इन सिद्धान्तों के द्वानुसार

भारी विनियोगों की आवश्यकता होती है ताकि उत्पादन में बूढ़ि की दर जनसंख्या की विकास दर से अधिक हो सके।

विनियोग बचत पर निर्भर करते हैं, किन्तु अद्वैतविकासित देशों में बचत-दर बहुत कम है। इन देशों में बचत-दर जहाँ 4 व 5 प्रतिशत के बीच है, वहाँ विकासित देशों में यह दर 15 प्रतिशत व इससे भी अधिक है। आधिक विकास की प्रक्रिया को गति देने के लिए बचत की निरन्तर बढ़नी हुई दर आवश्यक होती है और विनियोग के स्तर को 5 प्रतिशत बढ़ाकर राष्ट्रीय आय के 15 से 18 प्रतिशत तक करना आवश्यक हो जाता है।

"1870-1913 की अवधि में ब्रिटेन के जो तथ्य उपलब्ध है, वे यह प्रमाणित करते हैं कि इस अवधि में वहाँ विनियोग की औसत दर 10 प्रतिशत थी तथा समृद्ध वर्षों में यह 15 प्रतिशत भी रही। अमेरिका में 1867-1913 की अवधि में शुद्ध विनियोग दर 13 से 16 प्रतिशत रही, जबकि कुल विनियोग 21 से 24 प्रतिशत के मध्य रहा। जापान में 1900-1901 में 12 प्रतिशत तथा पागे की दशाविद्यों में इसके 17 प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान है।¹ इसके विपरीत भारत में पूँजी-निर्माण की दर बहुत कम है, परिणामस्वरूप विनियोग-दर यथेष्ठ विकास दर प्राप्त करने के लिए अपर्याप्त है। अद्वैतविकासित देशों में पूँजी-निर्माण की निम्न दर निम्नलिखित सारणी में प्रस्तुत की गई है—

कुल राष्ट्रीय उत्पादन में पूँजी निर्माण का अनुपात²

विकासित देश	वर्ष	कुल पूँजी-निर्माण	अद्वैतविकासित देश	वर्ष	कुल पूँजी निर्माण
नार्वे	1959	29%	बर्मा	1960	17%
आस्ट्रिया	1960	24%	पुर्तगाल	1959	17%
नीदरलैंड	1960	24%	श्रीलंका	1960	13%
कनाडा	1960	23%	आयरलैंड	1959	13%
स्विट्जरलैंड	1959	23%	चिली	1959	11%
स्वीडन	1960	22%	फिलीपाइन्स	1959	8%
ब्रिटेन	1960	16%	भारत	1959	8%
अमेरिका	1960	16%			

इसके अतिरिक्त साइमन कुजनेट्स ने भी विकासित व अविकासित देशों में पूँजी-निर्माण की औसत दर के अन्तर को अप्रलिखित प्रकार प्रस्तुत किया है।

1 Planning Commission-The First Five Year Plan, p. 13

2 U.N. Statistical Year Book, 1961

प्रति व्यक्ति आय स्तर व पूँजी निर्माण की दर¹

देशों के समूह	कुल उत्पादन में कुल पूँजी निर्माण की दर
1	21.3%
2	23.3%
3	17.2%
4	15.7%
5	18.2%
6	13.3%
7	17.1%

प्रथम व द्वितीय समूह की औसत पूँजी निर्माण दर 22.2% तथा तृतीय, चतुर्थ व पचम समूहों की औसत दर 16.3% तथा 5-6 और 7 में इसका औसत 15.2% प्रतिशत है। इस प्रकार घनी देशों में निम्न आय वाले देशों की अपेक्षा पूँजी-निर्माण की दर काफी कम है। अत स्पष्ट है कि आर्थिक पूँजी निर्माण वाले देशों में प्रति व्यक्ति पूँजी का उपभोग दर कम आय वाले देशों की अपेक्षा बहुत कम है। इस विषयता को निम्नलिखित सारणी में प्रस्तुत किया गया है—

कुछ उद्योगों में प्रतिव्यक्ति नियोजित पूँजी²

उद्योग	अमेरिका	मैक्सिको	भारत
झेड और बेकरी उद्योग	5.0	1.7	3.5
बस्त्र उद्योग	8.7	2.1	1.8
इस्पात उद्योग	32.1	10.8	5.7
चीनी उद्योग	26.8	8.2	2.6
कागज, लुगदी व कागज के सामान से सम्बन्धित उद्योग	10.2	8.9	6.6

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया के अन्तर्गत सर्वाधिक महत्व विनियोगों का दिया जाता है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कॉर्ज के अनुभार रोजगार का स्तर प्रभावपूर्ण मांग (Effective Demand) पर निर्भर करता है। प्रभावपूर्ण मांग के दो अनुभाग होते हैं—(i) उपभोग मांग व (ii) विनियोग मांग। अल्पकाल में उपभोग के प्रति अधिकानों में परिवर्तन लाना कठिन होता है। विनियोगों का वर्गीकरण नियी विनियोग, सार्वजनिक विनियोग व वित्तीय विनियोगों के रूप में किया जा सकता है। व्यापारिक प्रतिष्ठानों व परिवारों द्वारा किए गए, ऐसे व्यय जो पूँजी संचय में वृद्धि करते हैं, नियी विनियोग बहलाते हैं। राजनीय प्रतिष्ठानों द्वारा पूँजी निर्माण के लिए व्यय सार्वजनिक विनियोग की थेरेणी में आता है। एक व्यक्ति अथवा प्रतिष्ठान जब अन्य व्यक्ति या प्रतिष्ठान से देवल परिसम्पत्ति

1. Simon Kuznets Six Lectures on Economic Growth pp 72 & 73

2. Tinbergen The Design of Development 1958, p 73

का श्रय विक्रय करना है, जिससे किसी नई परिसम्पत्ति का निर्माण नहीं होता है, वित्तीय विनियोग बहलाता है।

विकासोन्मुख देशों में जहाँ विकास दर को अधिक से अधिक बढ़ाने का लक्ष्य होता है, विनियोग का स्वरूप निर्धारित करने से पूर्व विनियोग नीति के लक्ष्य निश्चित करना प्रतिवार्य है। इन देशों में विनियोग के लक्ष्य रोजगार को अधिकतम करना, निर्यातों को अधिकतम करना, सम्भुनित विकास, आय व पूँजी का व्यायोचित वितरण आदि हो सकते हैं। यदि अल्पकाल में अधिकतम उत्पादन का लक्ष्य रखा जाता है तो कृपि तथा उपभोग वस्तुओं के उद्योगों में विनियोग किया जाता है, क्योंकि इन उद्योगों की परिपक्वता अवधि (Gestation Period) कम होती है। यदि उत्पादन में दीर्घकालीन एवं सत्र० वृद्धि आवश्यक समझी जाती है तो पूँजीगत वस्तुओं के उद्योगों (Capital Goods Industries) में विनियोग बाँचनीय होता है। अर्थात् विनियोगों की सरचना का निर्धारण आर्थिक विकास के लक्ष्यों पर निर्भर करता है। अत सभी अविकलित देशों के लिए समान विनियोग नीति गम्भीर नहीं है।

सामान्यत आर्थिक विकास के दौरान ऐसे उद्योगों में विनियोगों को प्राधिकता दी जाती है, जिनम् (i) वर्तमान उत्पादन व विनियोग का अनुपात (Ratio of Current Output to Investment), (ii) थम व विनियोग का अनुपात (Ratio of Labour to Investment) तथा (iii) निर्यात वस्तुओं व विनियोग का अनुपात (Ratio of Export Goods to Investment) अधिकतम होना सभव हो।

पूँजी के उचित वितरण तथा आय की विपरीताओं को दूर करने की दृष्टि से कृपि व लघु उद्योगों में विनियोग आवश्यक होता है। विकासोन्मुख देशों में आय की विपरीताएँ वहूत अधिक पाई जाती है, अतः विकास के दौरान प्राय कृपि व लघु उद्योगों में विनियोग की मात्रा बढ़ाने पर बल दिया जाता है, किन्तु दीर्घकालिक व स्थाई विकास की दृष्टि से भारी उद्योगों में विनियोग भी आवश्यक होता है। अत आर्थिक विकास के दौरान इन दोनों लक्ष्यों में सतुलन (Balance) रखा जाता है।

आर्थिक विकास की दीर्घकालिक अवधि में सरकारी प्रतिष्ठानों में विनियोग का अनुपात बढ़ाता जाता है तथा निजी विनियोग के अनुपात में कमी की प्रवृत्ति प्रारम्भ हो जाती है। अल्प-विकासित देशों में विकास के लिए अद्वैत-सरचना (Infra structure) जैसे रेलों, मटको, नहरों, शक्ति परियोजनाओं तथा अन्य प्रकार की आर्थिक और सामाजिक ऊपरी पूँजी (Economic and Social Overheads) आवश्यक होती है। निजी विनियोगों द्वारा इन कारों के लिए पूँजी-संचय सभव नहीं होता है। यद्यपि निजी विनियोगों की तुलना में सार्वजनिक विनियोग दर प्राय कम होती है, तथापि सार्वजनिक सेवा का आर्थिक विकास के साथ-साथ अधिक से अधिक विस्तार किया जाता है, क्योंकि सार्वजनिक विनियोगों का मुग्ध उद्देश्य प्रतिफल की दर की अधिकता न होकर, सामाजिक उत्पादकता (Social Productivity) का उद्देश्य

Productivity) को अधिक से अधिक बढ़ाना एवं निजी विनियोगों के आकर्षण के लिए वाह्य बचत (External Economies) को उत्पन्न करना होता है।

इटली में राजकीय प्रतिष्ठानों की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है। अधिकांश उद्योग सरकारी क्षेत्र में आते हैं। इनमें से अनेक उद्योगों में लाभ-दर काफी ऊँची है। किन्तु वी. लुट्ज के अनुसार, "रोजगार के स्तर को बनाए रखने के लिए अनेक हानिकारक उद्योगों में भी विनियोग किया गया है।"¹ सार्वजनिक विनियोग व निजी विनियोग का अनुपात लगभग 60 : 40 है।

विनियोग के क्षेत्र में सरकार की दूसरी भूमिका अनुदान, सहायता आदि देने की होती है। सरकारी अनुदान व सहायता के माध्यम से नए स्थानों पर उद्योग विकसित करने के प्रयत्न होते हैं। इगलैण्ड व फॉस न लन्दन व पैरिस से कारखानों को अन्यत्र स्थापित करने में सरकारी अनुदानों का प्रयोग किया है। नार्वे ने जनसंख्या का उत्तर से स्थानान्तरण रोकने का प्रयत्न किया है।

सरकार निजी क्षेत्र के विनियोगों पर भी अपना नियन्त्रण रखती है। अब प्रश्न उठता है कि विनियोग नियोजन (Investment Planning) में सरकार की बढ़ती हुई भूमिका आवश्यक है अथवा अहितकर। सभी देशों के लिए इस प्रश्न का एक उत्तर सभव नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर निजी व्यवसाय के प्रतिस्पर्द्धा, सरकारी अधिकारी तथा व्यापारियों की सापेक्ष कुशलता व योग्यता पर निर्भर करता है। फॉस की नियोजन पद्धति में सरकार व निजी व्यवसाय की दोहरे सहयोग से विनियोग निर्णयों में पर्याप्त सुधार हुए हैं। परिणामतः फॉस विनियोगों से विकास की बढ़ती हुई दर प्राप्त करने में समर्थ रहा है।

पूँजी-प्रदा अनुपात (Capital Out-put Ratio)

इसी भी देश के लिए पूँजी की आवश्यकता के अनुमान पूँजी-प्रदा अनुपात (Capital Out put Ratio) की धारणा पर निर्भर करते हैं। अर्थ-व्यवस्था के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पूँजी-प्रदा अनुपात भिन्न होता है। अर्द्ध-विकसित देशों के कुपि क्षेत्र में यह अनुपात कम होता है तथा औद्योगिक क्षेत्र में अधिक रहता है। सार्वजनिक इलायण के उद्योगों (Public Utilities) में यह अनुपात और भी अधिक होता है। यहां विनियोग की सरचना में पूँजी-प्रदा अनुपात की भी महत्वपूर्ण भूमिका है।

तकनीकी (Technology)

विनियोगों पर तकनीकी स्तर का भी प्रभाव पड़ता है। अर्द्ध-विकसित देशों में तकनीकी स्तर निम्न होते के कारण पूँजी की उत्तरादत्ता कम होती है और इसलिए पूँजी-प्रदा अनुपात अधिक रहता है। किन्तु जब कोई नई तकनीकी किसी अर्द्ध-विकसित देश में प्रयोग में ली जाती है तो आश्चर्यजनक लाभ प्राप्त होते हैं। यदि अधिक पिछड़े हुए देशों ने पूँजी का विनियोजन शिक्षा, प्रशिक्षण आदि पर

किया जाता है तो विकसित देशों की अपेक्षा कही अधिक तेजी से विकास की बढ़ती हुई दरों को प्राप्त किया जा सकता है।¹

संक्षेप में, विनियोग की सरचना बचत-दर, आर्थिक लक्ष्य, पूँजी-प्रदा अनुपात, तकनीकी आदि के स्तर पर निर्भर करती है। सभी अद्विकसित देशों के लिए कोई एक विनियोग नीति उपपुक्त नहीं हो सकती।

रोजगार के ढाँचे में परिवर्तन (Structural Changes in Employment)

आर्थिक विकास की प्रक्रिया के दौरान रोजगार की दिशा, स्तर व सरचना के परिवर्तनों को मुख्यतः निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—

- (1) कार्यारम्भ की आयु व कार्य-मुक्ति की आयु में परिवर्तन
- (2) क्रियाशील श्रम-शक्ति का व्यावसायिक वितरण
- (3) कार्यशील श्रम शक्ति में स्त्री व पुरुष का अनुपात
- (4) कुशल व अकुशल श्रम के अनुपात
- (5) निजी व्यवसायकर्ता व कर्मचारी वर्ग का अनुपात।

सामान्यतः, आर्थिक विकास के कारण विकसित देशों में कार्यारम्भ करने की आयु में जहाँ एक और उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, वहाँ साथ ही कार्य मुक्ति की आयु में कमी की गई है।

साइमन कुजनेट्स के अध्ययन के अनुसार प्रारम्भ में कर्मचारियों का कुल राष्ट्रीय आय में जो अनुपात 40 प्रतिशत था, वह बढ़कर वर्तमान वर्षों में 60 और 71 प्रतिशत हो गया है। इस प्रवृत्ति का मुख्य कारण श्रम-शक्ति में कर्मचारी वर्ग की संख्या में वृद्धि रहा है। साहसी व निजी उद्यमकर्ताओं का प्रतिशत 35 से घटकर केवल 20 रह गया। दूसरी ओर कर्मचारियों का प्रतिशत 65 से बढ़कर 80 हो गया। इस प्रवृत्ति के लिए औद्योगिक ढाँचे के परिवर्तन उत्तरदायी हैं।

आज भी अद्विकसित देशों के कृषि क्षेत्र में लगी कुल श्रम-शक्ति में उद्यमियों का अनुपात, उद्योग व सेवा क्षेत्रों की अपेक्षा बहुत अधिक है। यह अनुपात कमश 66, 31 और 35 प्रतिशत है जबकि विकसित देशों में यह अनुपात कमश 61, 11 व 17 प्रतिशत पाया जाता है। आर्थिक विकास के कारण कृषि में श्रम का अनुपात कम होने लगता है, परिणामस्वरूप, साहसियों व निजी उद्यमकर्ताओं का कुल श्रम शक्ति में अनुपात भी बहुत कम रह जाता है। उद्योग व सेवा क्षेत्र के आकार में वृद्धि तथा इनके असंगठित से संगठित स्वरूप में परिवर्तन के कारण भी साहसियों व निजी व्यावसायियों की कुल श्रम-शक्ति का अनुपात गिर जाता है।

छोटे किसान, व्यवसायी, आदि का अपने निजी व्यवसायों से हट कर कर्मचारी वर्ग की ओर आकर्षित होना, देश के आर्थिक-जीवन व योजना के आधार में एक मूलभूत परिवर्तन उत्पन्न करता है। व्यावसायिक स्तर में इस अन्तर का कई

70 आधिक विकास के सिद्धान्त

दिल्ली में प्रभाव होता है—परिवार व बच्चों के प्रति सुख में परिवर्तन, उपभोग के स्तर में भिन्नता, बच्चत करने की अपेक्षा शिक्षा व प्रशिक्षण में विनियोजन की प्रवृत्ति आदि।

कुजनेट्स ने कर्मचारियों के व्यावसायिक ढाँचे में परिवर्तन निम्नलिखित सारणी द्वारा स्पष्ट किए हैं—

कर्मचारियों का व्यावसायिक ढाँचा (1900-1960)

	व्यावसायिक समूहों का अनुपात (%)		सिर्फों का व्याव- सायिक अनुपात (%)	
	1900	1960	1900	1960
1. कुल अम शक्ति में कर्मचारियों का अनुपात (%)	74.9	93.0	22.7	34.3
व्यावसायिक समूह				
2 व्यवसायी तकनीसियन	5.7	12.2	35.2	38.1
3 प्रबन्धक व अधिकारी	8	5.8	17.4	36.4
4 दफनरी बाबू	4.0	16.0	24.2	67.6
5 दिक्की अभिकर्ता	6.0	8.0	17.4	36.4
6 श्वेतपोशी कर्मचारी	16.6	42.0	24.5	45.6
7 आपटमेन, फोरमेन प्रादि	14.1	15.4	2.5	2.9
8 बारीगर एवं ऐस ही अन्य लाग	17.1	15.4	34.0	28.1
9 खेत व खानों के अतिरिक्त अस्थिक	16.6	5.9	3.8	3.5
10 खेत पर काम करने वाले अस्थिक तथा फोरमेन	23.6	2.6	13.6	17.3
11 Manual Workers	71.4	45.4	14.0	15.7
12 मृत्यु वर्ग	4.8	9.6	34.3	52.4
13 घरेलू अस्थिक	7.3	3.0	96.6	96.4

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि—

- (1) शारीरिक अम का अनुपात 1900 की तुलना में 1960 में बहुत अधिक गिरा है। श्वेतपोशी बाबूओं की सख्ता में अत्यधिक वृद्धि हुई है परन्तु अकुशल अम के स्थान पर कुशल अम का अनुपात अधिक हुआ है।
- (2) ये परिवर्तन सेवा क्षेत्र में अम-शक्ति के अनुपात में वृद्धि तथा कृषि क्षेत्र में गिरावट को प्रदर्शित करते हैं।
- (3) व्यावसायिया (Professionals), तकनीकी कर्मचारी, प्रबन्धक, अधिकारी बाबू आदि वी मांग में वृद्धि हुई है।
- (4) अधिक कुशलता की मांग में वृद्धि हुई है तथा अकुशल अम के अवसर बम हुए हैं।

सामान्यत लोगो वा भुकाव मजदूरी के कार्यों से हटकर वेतनभोगी व्यवसायों की ओर रहा है। आर्द्धोगिक क्षेत्र में इन दोनों प्रकार के शमिकों वे अनुपात में भारी अन्तर पाया जाता है—कृषि में वेतनभोगी कर्मचारियों का अनुपात 4 से 13 प्रतिशत, उद्योग में 11 से 18 प्रतिशत तथा सर्वाधिक सेवा क्षेत्र में 42 से 83 प्रतिशत रहा है।

60 वर्ष की अध्ययन अवधि में स्त्रियों का अनुपात 23 से 34% तक बढ़ा है। इसका कारण, आर्थिक विकास के कारण स्त्रियोंचित कार्यों की सुविधाओं में बढ़ि होना है।

अधिक जनसंख्या वाले देशों में आर्थिक विकास से पूर्व की स्थिति में गुप्त वेरोजगारी (Disguised Unemployment) की स्थिति पाई जाती है। तबनीकी व उत्पादन साधनों के दिए हुए होने पर, कृषि में शम की सीमान्त उत्पादकता का शून्य पाया जाना गुप्त वेरोजगारी की स्थिति को प्रकट करता है। वेरोजगारी की यह स्थिति प्रायः उस स्थिति में पाई जाती है, जब रोजगार के विकल्प कम होने के कारण अधिकांश शम कृषि में लगा हुआ होता है। आर्थिक विकास के कारण उद्योग व सेवा क्षेत्रों का विस्तार होता है। खेतिवाक रोजगारों के अवसरों में बढ़ि होती है परिणामत गुप्त वेरोजगारी विलुप्त होने लगती है। विकसित देशों में गुप्त वेरोजगारी नहीं पाई जाती।

आर्थिक विकास के प्रमुख तत्त्व एवं डेनिसन का अध्ययन

(Major Growth Factors, Denison's Estimate of the Contribution of Different Factors to Growth Rate)

आर्थिक विकास के प्रमुख तत्त्व (Major Growth Factors)

विभिन्न सर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विकास के आधार के रूप में विभिन्न तत्त्वों का उल्लेख किया है। इस प्रकार के तत्त्व जो विकास का प्रारम्भ करते हैं 'प्राथमिक तत्त्व' या 'प्रधान चालक' (Prime-mover) या 'उपकरक' (Initiator) कहलाते हैं। जब विकास की यति प्रारम्भ हो जाती है तो कई अन्य ऐसे तत्त्व जो इस विकास को तीव्रता प्रदान करते हैं, 'पौरा तत्त्व' या 'प्रभावक' या 'पूरक तत्त्व' कहलाते हैं। उक्त तत्त्वों का वर्गीकरण आर्थिक और अनार्थिक तत्त्वों (Economic and Non-economic Factors) के रूप में भी विद्या जाता है। विभिन्न राष्ट्रों के आर्थिक विकास में भिन्न-भिन्न तत्त्व महत्वपूर्ण रहे हैं। आर्थिक विकास के मुख्य कारक या घटक निम्नलिखित हैं—

1. प्राकृतिक साधन (Natural Resources)
2. मानवीय साधन (Human Resources)
3. पूँजी (Capital)
4. तकनीकी ज्ञान (Technical Knowledge)
5. साहसी एवं नव प्रवृत्तन (Entrepreneur and Innovation)
6. संगठन (Organisation)
7. राज्य की नीति (State Policy)
8. संस्थाएँ (Institutions)
9. अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ (International Circumstances)

1. प्राकृतिक साधन (Natural Resources)—प्राकृतिक साधनों वा आशय उन जीविक साधनों से हैं जो प्रदृष्टिप्रदत्त हैं। एक देश में उपलब्ध भूमि, पानी, खनिज सम्पदा, वन, वर्षा, जलवायु आदि उस देश के प्राकृतिक साधन कहलाते हैं। किसी भी

देश के आर्थिक विकास में इन प्राकृतिक साधनों का ग्रत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। किसी देश के प्राकृतिक साधन जितने अधिक होगे वहाँ उतना ही आर्थिक विकास अधिक होगा। एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन की मात्रा अत्यधिक सीमा तक इसकी मिट्टी और उसका स्थानीय बन सपदा—कोयला, लोहा, खनिज तेल एवं अन्य वई पदार्थों पर निर्भर करता है। जैसाकि रिचार्ड टी मिल ने लिखा है, 'जनसंख्या एवं श्रम की पूर्ति के समान प्राकृतिक साधन भी एक देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उबर मूमि और जन के अभाव के कारण कृषि का विकास नहीं हो पाएगा। लोहा, कोयला आदि खनिज सपदा के अभाव में औद्योगीकरण द्रुतगति नहीं ले पाएगा। प्रतिकूल जलवायु आदि भौगोलिक परिस्थितियों के कारण आर्थिक शिक्षाओं के विस्तार में वाधा पहुँचेगी। अब प्राकृतिक साधनों का आर्थिक विकास वो सीमित करने या प्रोत्साहित करने में निरायक महस्त होता है। आर्थिक विकास के उच्च स्तर पर पहुँचे हुए अमेरिका, कनाडा आदि देश प्राकृतिक साधनों में भी सम्पन्न है।'

आर्थिक विकास के लिए प्राकृतिक साधनों की बहुलता ही पर्याप्त नहीं है बल्कि उनका सुविचारित उपयोग देश की प्रार्थिक प्रगति के लिए होना चाहिए। इन साधनों का विदोहन इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे देश की अधिकतम लाभ प्राप्त हो और देश की आर्थिक स्थिरता में सहायता मिल सके। इनका देश की आवश्यकताओं के लिए इस प्रकार योजनावधि उपयोग होना चाहिए जिससे इनका न्यूनतम अपव्यय हो और भविष्य वे लिए भी अधिक समय तक उपयोग में आते रहे। तभी दीर्घालीन आर्थिक विकास में महायता मिल पाएगी। यदि इनके वर्तमान को ध्यान में रखकर ही उपयोग किया गया तो यद्यपि वर्तमान काल में आर्थिक प्रगति कुछ अधिक सम्भव है किन्तु इनके शीघ्र समाप्त हो जान या कम प्रभावपूर्ण रह जाने के कारण भावी आर्थिक विकास कुठित हो जाएगा। आर्थिक विकास के लिए न केवल वर्तमान साधनों अग्रिम सम्भावित (Potential) साधनों का भी महत्व है। अत नए प्राकृतिक साधनों की खोज तथा वर्तमान प्राकृतिक साधनों के नए नए उपयोग भी खोजे जाने चाहिए। अमेरिका, कनाडा आदि विनियोगित देशों में उनका विकास प्रारम्भ होने के पूर्व भी सम्पूर्ण प्राकृतिक साधन थे, किन्तु उनका उचित विकास और विदोहन (Exploitation) नहीं किया गया था। इस प्रकार किसी देश के प्राकृतिक साधनों की अधिकता और उनका उचित उपयोग आर्थिक विकास में बहुत सहायक होते हैं। प्राकृतिक साधनों की प्रपर्याप्तिता में भी अन्य तत्त्वों द्वारा द्रुत आर्थिक विकास किया जा सकता है। स्विट्जरलैण्ड और जापान प्राकृतिक साधनों में अपेक्षाकृत कम सम्पन्न हैं, किन्तु फिर भी विकास अन्य तत्त्वों के द्वारा इन्होंने अपनी अर्थव्यवस्थाओं को अत्यधिक विकसित किया है।

2. मानवीय साधन (Human Resources)—मानवीय साधन का आशय उस देश में निवास करने वाली जनसंख्या से है। यद्यपि केवल कार्यशील जनसंख्या (Working Population) ही, जो कुल जनसंख्या का एक भाग होती है, आर्थिक

विकास को प्रत्यक्ष रूप से अधिक प्रभावित करती है किन्तु अप्रत्यक्ष रूप से समस्त जनसंख्या का ही आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। वस्तुत देश की जनसंख्या, उसका आकार (Size), कार्यक्षमता (Efficiency), सरचना (Composition), वृद्धि दर (Growth rate), विभिन्न व्यवसायों में वर्गीकरण आदि उस देश के आर्थिक विकास पर गहरा प्रभाव डालते हैं। आर्थिक विकास का आशय उत्पादन में वृद्धि है और थम, या जनशक्ति (Man-Power) उत्पादन का एक प्रमुख, सत्रिय (Acute) और अत्याज्य (Indispensable) साधन है। अन देश का आर्थिक विकास उस देश के मानवीय साधनों पर ही बहुत कुछ निर्भर करता है। यदि हिसी देश में विकास की आवश्यकताओं के अनुरूप जनसंख्या है, यदि उस देश के निवासी स्वस्थ, परिश्रमी, शिक्षित, कुशल, उच्च चरित्र और विवेच्यूण् इटिकोण वाले हैं तो अन्य बातें समान होने पर उस देश का आर्थिक विकास भी अधिक होगा। जैसा कि श्री रिचार्ड टी निल का कथन है, “आर्थिक विकास एक याँत्रिक प्रक्रिया नहीं है…… अन्तिम रूप से यह एक मानवीय उपक्रम है एव अन्य मानवीय उपक्रमों के समान इसका परिणाम अन्तिम रूप से इसको सचालित करने वाले मनुष्यों की कुशलता, गुण प्रीर प्रवृत्तियों पर निर्भर करता है।”

किन्तु जनसंख्या और आर्थिक विकास का सम्बन्ध दिलचस्प और जटिल है। मनुष्य आर्थिक क्रियाओं का साधन और साध्य दोनों ही है। साथ ही जनसंख्या में वृद्धि जहाँ एव और उत्पादन के आधारभूत सावन थम वो पूर्ति में वृद्धि वरके उत्पादन वृद्धि में सहायक होती है दूसरी ओर यह उन ज्यक्तियों की सरया में भी वृद्धि वर दती है जिनमें उत्पादन का वितरण होता है। इस प्रकार आर्थिक विकास में बाधक सिद्ध होती है। किन्तु ऐसा केवल उन अद्विकसित देशों के बारे म ही कहा जा सकता है जहाँ जनसंख्या और थम-शक्ति आ बाहुल्य है। शेष अद्विकसित देशों में जहाँ जनसंख्या की अधिकता नहीं है जैसे लेटिन अमेरिकी देशों में तथा अन्य विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि यव भी आर्थिक विकास में सहायक है। वस्तुत इनिहास के प्राचीन काल से आधुनिक समय तक जनसंख्या में वृद्धि विश्व में उत्पादन वृद्धि का एक बड़ा साधन (Major source) रहा है।

अत बढ़ती हुई जनसंख्या विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों के विकास में सहायक होती है क्योंकि इससे उत्पादन और आर्थिक क्रियाओं के विस्तार के लिए आवश्यक थम प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त वृद्धिमान जनसंख्या से वस्तुओं और सेवाओं की मांग में वृद्धि होती है वाजार का विस्तार होता है और उत्पादन में वृद्धि होती है। किन्तु अद्विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के भोजन, बस्त, आवास एव अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु देश के बहुत से साधन प्रयुक्त हो जाते हैं और विकास की गति धीरो हो जाती है। इस प्रकार इन अद्विकसित देशों में अतिरिक्त मानव शक्ति (Surplus Man Power) विकास में बाधा बन जाती है। किन्तु कुछ लोगों के मनमुसार इन अद्विकसित देशों में इस अप्रयुक्त,

अतिरिक्त ग्रद्दू-नियोजित और अनियोजित (Un employed) मानव शक्ति में ही पूँजी-निर्माण की सम्भावनाएँ छिपी हुई हैं। लार्ड कीन के अनुसार छिपी हुई वचन की सम्भावनाएँ (Concealed saving potential) हैं। प्रो. ए. बी. माउन्टजोय के अनुसार, 'कुछ परिस्थितियों में प्रत्येक ग्रद्दू-विकसित देशों में पाई जाने वाली अपार धर्म-शक्ति एक गहान् आर्थिक सम्भावना है जिसमा पूरा पूरा उपयोग किया जाना चाहिए। मानव शक्ति पूँजी का उपयोग बरतन के साथ साथ पूँजी निर्माण (कार्य द्वारा) भी करती है।' इन प्रकार विकास के प्रयत्नों में सलग्न ग्रद्दू-विकसित देशों में भी अधिक जनसरका विकास में सहायक बन सकती है। यदि उसका उचित नियोजन द्वारा उपयोग (Proper Planning) किया जाए। अत खट्ट है कि आर्थिक विकास में विकसित मानवीय साधन एक महत्वपूर्ण कारबंड है। आर्थिक विकास के लिए शिशा, प्रशिक्षण अनुभव, प्रेरणा, साठन आदि द्वारा मानवीय साधनों का विकास किया जाता चाहिए। डॉ. बी. के यार की राब के अनुसार उत्पादन प्रणिधा म मानवीय साधन (Human Factor) की कुशलता मानव सम्बन्धी चार तरवों (अ) शारीरिक (Physical), (ब) मानसिक (Mental), (स) मनोवैज्ञानिक (Psychological) और (द) संगठनात्मक (Organizational) पर निर्भर करती है।

3. पूँजी (Capital)—वास्तव में पूँजी आधुनिक आर्थिक विकास की कुंजी है। एक देश की पूँजी उत्पादित या मानव-कृत उत्पादन के साधनों जैसे भवन, घारखान, मशीनें यन्त्र उपकरण रेले आदि होती हैं। इन पूँजीगत वस्तुओं के अभाव में आर्थिक विकास सम्भव नहीं है। जिस देश के पास पूँजीगत साधनों (Capital Goods) की अपर्याप्ति होगी वह देश अपकार्ता अधिक विकसित हो पाएगा। अत आर्थिक विकास की मुख्य समस्या इन पूँजीगत वस्तुओं में वृद्धि या पूँजी के समय अथवा पूँजी निर्माण (Capital formation) की है। आर्थिक विकास हेतु साधनों में वृद्धि आवश्यक है और यह वृद्धि पूँजी संचय से ही हो सकती है। पूँजी संचय (Capital accumulation) यन्त्र, औजार भवा आदि में वृद्धि करने की प्रक्रिया है। यदि पूँजीगत वस्तुओं की मात्रा वष्ट के आरम्भ की घेतार अन्त में अधिक है तो देश में पूँजी-संचय हुआ है और इस अन्तर के बराबर देश में पूँजी वृद्धि हुई है। इसे वित्तियां भी कहते हैं। इस प्रकार पूँजीगत वस्तुओं की वृद्धि का आशय है कि देश में पहले से अधिक वारस्ताने वांध नहर, रेले सड़कें यन्त्र उपकरण, बच्चा माल इंधन, इन्वेन्ट्रीज (Inventories) आदि हैं जिसका परिणाम अधिक उत्पादन और आर्थिक विकास के रूप में प्रटट होता है। प्रो. नवर्मे के शब्दों में—'आर्थिक विकास की प्रक्रिया का अर्थ भविष्य में उपभोग की वस्तुओं का विस्तार करने के लिए वर्तमान समय में समाज के उपलब्ध साधनों के कुछ भाग दो पूँजीगत वस्तुओं के कोप में वृद्धि के लिए लगाना है।' आर्थिक विकास का माशय उत्पादन में वृद्धि है और इसके लिए कृषि के लेन में उवरक, गन्ध और गौणधियों की पूर्ति और सिंचाई योजनाओं का निर्माण, श्रीदोगिक उत्पादन में वृद्धि के लिए

विभिन्न कारबानों की स्थापना और समग्र उत्पादन में बृद्धि के लिए विद्युत एवं शक्ति तथा यातायात एवं सचार साधनों का विकास करना आवश्यक है और इसके लिए पूँजी प्रावश्यक है। रिचार्ड टी गिल के अनुसार “पूँजी सचय बर्तमान युग में निर्धन देशों को धनवान बनाने और औद्योगिक युग का प्रारम्भ करने वाले कारकों में से एक प्रमुख कारक है।”

अत पूँजी निर्माण के लिए बर्तमान उपभोग को कम करके बचत में बृद्धि करना आवश्यक है। तत्पश्चात् बैंक, बीमा कम्पनियों आदि वित्तीय संस्थाओं के द्वारा इस बचत को एकत्र करके विनियोग करताएँ के पास पहुँचाया जाता है। इसके बाद पूँजी-निर्माण के लिए आवश्यक है कि इस बचत को विनियोग करके नई पूँजीगत वस्तुओं का निर्माण किया जाए। अद्विकसित देशों में पूँजी की अत्यन्त कमी रहती है और पूँजी का यह अभाव उसके विकास में प्रमुख बाधक तत्व बन जाता है। अत आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है कि इनमें पूँजी-निर्माण की दर बढ़ाई जाए। इसके लिए यह ज़रूरी है कि राष्ट्रीय आय में बृद्धि की जाए, बड़ी हुई आय में से अधिक बचत की जाए एवं उसे विनियोजित किया जाए जैसा कि प्रो पाल अलवट ने लिखा है, “आर्थिक विकास की उच्चतम दरें आम तौर से उच्ची देशों में पाई गई हैं जहाँ उत्पादन के विनियोग के लिए आविष्ट अनुपात अपेक्षाकृत ऊंचा रहा है।” किन्तु यदि परेलू पूँजी निर्माण आवश्यकता से कम हो तो विदेशी पूँजी के द्वारा भी आर्थिक विकास में योग लिया जा सकता है। भारत जैसे अद्विकसित देश अपनी बचत (Saving) और निवेश (Investment) की मात्रा बढ़ाकर तथा निजी पूँजी (Domestic Capital) की कमी को विदेशी पूँजी (Foreign Capital) से पूरी करके आर्थिक विकास के मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं।

4 तकनीकी ज्ञान (Technical Knowledge) — विभिन्न देशों के आर्थिक विकास में तकनीकी ज्ञान भी बहुत महत्वपूरण है। तकनीकी ज्ञान का अभाव एक अद्विकसित देश के मार्ग में बड़ी बाधा उपस्थित करती है और तकनीकी ज्ञान का विस्तार और उत्पादन की नई-नई प्राविधियों की खोज उत्पादन की मात्रा में बृद्धि गुणों में श्रेष्ठता और मूल्यों में व्यूनता के द्वारा आर्थिक विकास में प्रत्यक्ष सहायता करती है। डब्ल्यू ए एलिट्स के अनुसार, “तकनीकी ज्ञान की प्रगति को ऐसे नवीन ज्ञान के स्वरूप ये परिभासित कर सकते हैं जिसके बारण या तो बर्तमान वस्तुएँ वस्तुएँ लागत पर पैदा की जा सकें या नई वस्तुओं का उत्पादन हो सके।” इस प्रकार तकनीकी ज्ञान के द्वारा वस्तुओं का मूल्य कम किया जा सकता है, उनके गुणों में विस्तार किया जा सकता है, विभिन्न प्रकार की नई वस्तुओं का उत्पादन किया जा सकता है, पदार्थों का विभिन्न उपयोग किए जा सकते हैं नवीन साधनों का पता लगाया जा सकता है। इसके बारें मार्ग में बृद्धि, बाजार में बृद्धि उत्पादन बृद्धि और अन्तत प्रायिक विकास होता है। उत्पादन की तकनीक में सुधार बरह या नवीन प्राविधियों का उपयोग करके ही अद्विकसित देश अपने कृषि व्यवस्था का विकास कर सकते हैं। भारत में 3/4 जनसंख्या कृषि गर निर्भर होते हुए भी

खाद्यान्नों की कमी और कृषि की दशा ज्ञानीय है। इसका मुख्य कारण कृषि की परम्परागत विधियों का अनुभरण करना है। ऐसे देशों के आर्थिक विकास के लिए कृषि का विकास अत्यन्त आवश्यक है और वह उपलब्ध तकनीकी ज्ञान के पूर्ण उपयोग और उसमें वृद्धि करके ही प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार प्रद्वं-विकसित देशों में ननिज व्यवसाय, भूत्स्य पालन, उदाग-धन्धा आदि में भा परम्परागत तरीकों का ही उपयोग किए जाने के कारण ये पिछड़ी हुई आवश्या में रहते हैं। इनके विकास के लिए अध्ययन, अनुसंधान द्वारा तकनीकी ज्ञान में वृद्धि तथा उत्पादन में उपयोग आवश्यक है।

वेवल अद्वं-विकसित देशों के लिए ही तकनीकी ज्ञान का महत्व नहीं है, बल्कि विकसित देशों के विकास में भी इसका उपयोग अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इन देशों ने नवीन प्राविधियों के सहारे अपन प्राकृतिक साधनों वा पर्याप्त विदोहन करके तथा थर्मिकों की वार्षिकमता बढ़ा कर द्वात् आर्थिक विकास किया है। इन विकसित देशों की भावी आर्थिक वृद्धि के लिए भी तकनीकी ज्ञान का विशेष महत्व है। डब्ल्यू ए एल्टिस के मतानुमार, “इसबी (पूर्ण रोजगार वाले देश की) वृद्धि दर बुनियादी रूप से तकनीकी प्रगति और जनसंरक्षण में वृद्धि पर निर्भर करती है। कोई भी नीति जिससे तकनीकी प्रगति होती है, वृद्धि की दर वो बढ़ाती है।” इसी प्रकार रिचार्ड टी गिल वा मत है—“आर्थिक विकास अपने लिए महत्वपूर्ण पौष्टिकता नवीन विचारों, आविष्कारों, विधियों और तकनीकों वे स्रोतों से प्राप्त करता है जिसके अभाव में खाहे ग्रन्थ साधन बितने ही पक्ष में हो, आधुनिक विकास अनिवार्य रूप से असम्भव या।”

आर्थिक विकास की प्रतिया में तकनीकी ज्ञान के विकास और उपभोग का जहाँ इतना अधिक महत्व है वहाँ दूसरी और ये देश इस क्षेत्र में अत्यन्त पिछड़े हुए हैं। यही नहीं, ये देश ज्ञान, विज्ञान और तकनीक के विकास के लिए अध्ययन, अनुसंधान आदि पर अधिक धन व्यय नहीं कर पाते। किन्तु इनके समक्ष विकसित देशों द्वारा अपनाए गए तकनीकी ज्ञान का बोय होता है जिसे अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार प्रयुक्त करके ये देश अपने यहाँ आर्थिक विकास कर सकते हैं। बस्तुतः भारत जैसे अद्वं विकसित देश, विकसित देशों में अंजित तकनीक और प्राविश्यों में अपनी परिस्थितियों के अनुसार समायोजन करके उत्पादन में वृद्धि करने में सफल रहे।

डब्ल्यू ए एल्टिस के अनुमार तकनीकी ज्ञान में वृद्धि दो प्रकार की होती है। जिस तकनीकी प्रगति का नई पूँजी के अभाव में विदोहन नहीं किया जा सकता उसे ‘Embodyied’ तकनीक प्रगति कहते हैं तथा दूसरी प्रकार की Disembodied’ तकनीकी प्रगति कहलाती है जिसका विना नवीन पूँजी के ही विदोहन किया जा सकता है।

यह आर्थिक विकास में तकनीकी ज्ञान एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है। एल्टिस के अनुमार “तकनीकी प्रगति सम्भवत् आर्थिक विकास को सम्भव बनाने वाला महत्वपूर्ण साधन है।”

5 साहसी एवं नव-प्रवर्तन (Entrepreneur and Innovation)—नए आविष्कार और तकनीकी ज्ञान आर्थिक विकास में, उपयोगी नहीं हो सकते जब तक कि इनका आर्थिक रूप से विदोहन नहीं किया जाए या उत्पादन में उपयोग नहीं किया जाए। रिचार्ड टी. गिल के अनुसार “तकनीकी ज्ञान आर्थिक हृष्टिकोण से प्रभावपूर्ण तभी होता है जबकि इसका नव-प्रवर्तन के रूप में प्रयोग किया जाए जिसकी पहल समाज के साहसी या उद्यमकर्ता करते हैं।” श्री याले व्वाजन के मतानुसार, “न तो आविष्कार की योग्यता और न केवल आविष्कार ही आर्थिक विधि का उत्पादन करते हैं या उस विधि को कम मिसव्ययतापूर्ण विधियों के स्थान पर प्रयुक्त करने वो तैयार करते हैं।” किसी आविष्कार या उत्पादन की नवीन तकनीक की ओज़ के पश्चात् भी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो दूरदर्शी होता है, जिससे उत्पादन में वृद्धि या इसकी लागत में कमी होती है। तत्पश्चात् यह तकनीकी ज्ञान या आविष्कार उपयोगी सिद्ध होता है। ऐसे व्यक्ति को ‘साहसी और उत्पादन में उसके नवीन विधियों के प्रयोग को नव-प्रवर्तन’ कहते हैं। शुम्पीटर के अनुसार, ‘नव-प्रवर्तन का आण्य किसी भी सृजनात्मक परिवर्तन (Creative Change) से है।’ इसका सम्बन्ध आर्थिक विद्याओं के किसी भी पहलू से हो सकता है। उत्पादन में इनके उपयोग का परिणाम आर्थिक विकास होता है। इस प्रकार आर्थिक विकास में नव-प्रवर्तन और उद्यमी एक महत्वपूर्ण घटक प्रमाणित होते हैं। प्रसिद्ध अर्थ-शास्त्री शुम्पीटर विश्वास था कि साधनों की वृद्धि से भी बढ़ कर ये ही वे घटक हैं जो आर्थिक विकास की कुज़ज़ी हैं वयोंकि आर्थिक विकास वर्तमान साधनों को नवीन विधियों से प्रयुक्त करने में निहित है। प्रो. याले व्वाजन के अनुसार भी ‘धार्यिक विकास उद्यम या साहस के साथ इस प्रकार सम्बद्ध है कि उद्यमी को उन व्यक्तियों के रूप में परिभासित किया गया है जो ‘नवीन संयोगों’ वा सृजन करते हैं।’ के इ. बोल्डिंग के अनुसार “आर्थिक प्रगति की समस्याओं में से एक व्यक्तियों वो ‘नव-प्रवर्तन’ बनने को प्रोत्साहन देने वी है।”

ब्लैरेन्स डानहोफ ने उद्यमियों को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया है—

1 नव प्रवर्तन उद्यमी (Innovating Entrepreneurs) जो आकर्षक सम्भावनाओं और प्रयोगों को सर्वप्रथम कार्य रूप में परिणात करते हैं।

2 अनुकरण करने वाले उद्यमी (Imitative Entrepreneurs) जो सफल नव-प्रवर्तनों को प्रहरण करने को प्रस्तुत रहते हैं।

3 ‘फेबियन’ उद्यमी (Fabian Entrepreneurs) वडो सावधानी से उन समय ही नव प्रवर्तन को प्रहरण करते हैं जब यह स्पष्ट हो जाता है कि ऐसा नहीं करने पर उन्हें हानि होती।

4 ड्रॉन उद्यमी (Drone Entrepreneurs) जो अन्य समाज उत्पादकों दी अपेक्षा अपनी आय कम होने पर भी उत्पादन में परिवर्तन नहीं करते।

अत स्पष्ट है कि विभिन्न देशों के आर्थिक विकास में उद्यमी और नव प्रवर्तन महत्वपूर्ण साधन हैं, किन्तु महँ-विकसित देशों में इन उद्यमियों की वमी रहती है।

इन देशों में विभिन्न उत्पादन क्रियाओं को अपनाएं जाने के विस्तृत क्षेत्र रहते हैं जिनके विदोहन हेतु उद्यमियों की आवश्यकता होती है। स्वदेश में योग्य माहसियों की कमी रहती है जिनकी पूर्ति देशों से उद्यम का ग्राहात करके बीं जाती है। प्रजातान्त्रिक पद्धति द्वाले देशों में आर्थिक निजी उद्यमी होते हैं जबकि समाजवादी देशों में समस्त आर्थिक क्रियाएँ सरकार द्वारा सचालित बीं जाती हैं। अब स्वतन्त्र आर्थिक विकासों में भी ये आर्थिक क्रियाएँ सरकार द्वारा सचालित की जाती हैं क्योंकि निजी उद्यमियों से बांधनीय आर्थिक विकास की आशा नहीं बीं जा सकती अतः सरकार आर्थिक क्रियाओं में उद्यमी के रूप में सम्मिलित हो रही है। भारत में पचवर्षीय योजनाओं द्वारा देश के आर्थिक विकास में निम्नी उद्यमियों के साथ-साथ सरकार ने भी कोई उद्योग व्यवस्था स्थापित किए हैं। विदेशी उपकरणों का भी लाभ उठाया जा रहा है।

6 संगठन (Organisation)—आर्थिक विकास का एक प्रमुख तत्त्व उचित व्यवस्था या संगठन है। बांधनीय गति से आर्थिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि आर्थिक एवं अन्य क्रियाएँ उचित ढंग से संगठित की जाए। उत्पादन वृद्धि के लिए उत्पादन के साधनों में वृद्धि आवश्यक है, किन्तु यदि समाज बिना उत्पादन बीं तकीक और संगठन में परिवर्तन किए केवल उत्पादन के साधनों में वृद्धि करने पर ही प्रारंभित निर्भर रहता तो विद्युते दो सौ वर्पों में हुए आर्थिक विकास का होना कठिन था। जिस किसी भी देश में आर्थिक विकास हुआ है उसका मह एक प्रमुख लक्षण रहा है कि कुल उत्पादन वृद्धि उससे अधिक तीव्र गति से हुई है जो उत्पादन के साधनों में हुई है अर्थात् इसका श्रेय उत्पादन के साधनों के उचित संगठन को है। बजार भूमि को कृपि योग्य बनाना उसमें सिचाई की व्यवस्था करना, अच्छे खाद, बीज एवं यन्त्रों का उपयोग करना, देश के खनिज, बन, जल एवं शक्ति के साधनों तथा मानव शक्ति का उचित उपयोग और विकास करना, उद्योगों का उचित पैमाने तक विस्तार करना, विशिष्टीकरण आदि आर्थिक संगठन से सम्बन्धित ऐसे प्रश्न हैं जिनमें सुधार से आर्थिक विकास को गति मिलती है। प्रो. पी. आर. पी. डॉब के कथनानुसार “आर्थिक विकास की समस्या मुख्यतः वित्तीय समस्या नहीं है बल्कि आर्थिक संगठन व व्यवस्था की समस्या है।”

इस प्रकार आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्त्वों में उत्पादन के साधनों के उपयोग के तरीकों में परिवर्तन का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इस प्रकार का एक परिवर्तन या संगठन से सम्बन्धित एक तत्त्व उत्पादन के पैमाने और विशिष्टीकरण में वृद्धि है। प्रो. रिचार्ड टी. गिल न तो उत्पादन के पैमाने और विशिष्टीकरण वृद्धि को आर्थिक विकास का प्राकृतिक साधन, मानवीय साधन और पूर्जी के सचय के समान एक अलग ही कारक माना है। वस्तुतः बड़े पैमाने पर उत्पत्ति (Large Scale Production), श्रम विभाजन (Division of Labour) और विशिष्टीकरण (Specialization) आर्थिक विकास में अत्यन्त सहायता है। बड़े पैमाने के उत्पादन से आन्तरिक और बाह्य मित्रव्यविधाएँ प्राप्त होती हैं जिसमें बड़ी मात्रा में सही

धस्तुओं का उत्पादन होता है। आर्थिक विकास के लिए आवश्यक कुछ विशाल सामग्री का निर्माण भी विस्तृत पैमाने के उत्पादन पर ही सम्भव है। थम-विभाजन उत्पादकता में बढ़िया करता है। अर्थ-शास्त्र के जनक स्वयं एडम स्मिथ के अनुसार, "थम की उत्पादक शक्तियों में सर्वाधिक सुधार थम-विभाजन के प्रभावों के परिणामस्वरूप हुआ प्रतीत होता है।" जैसा कि रिचार्ड टी. गिल ने बतलाया है, "अर्थव्यवस्था को व्यक्तिगत कुशलता या विशेष प्राइवेट या भौगोलिक लाभों का उपयोग करने के पोषण बना कर, बढ़ियान विशेषज्ञता का विकास करके, उत्पादन का प्रशमापीकरण और यन्त्रीकरण को सुविधाजनक बना कर, उद्योगों के संगठन में इस प्रकार के परिवर्तन आर्थिक विकास में शक्तिशाली पोंगदान देते हैं।"

अर्द्ध-विकसित देशों में आर्थिक विकास के लिए अनुकूल आधिक संगठन नहीं होता। उत्पादन छोटे पैमाने पर बहुधा कुटीर और लघु उद्योगों के द्वारा होता है। थम-विभाजन और विशिष्टीकरण का अभाव होता है क्योंकि बाजारी का विस्तार सीमित होता है और बहुधा उत्पादन जीवन-तिवाह के लिए किया जाता है विनियम के लिए नहीं। अवकाशिक संगठन के विभिन्न विकसित रूपों जैसे सयुक्त पूँजी कम्पनी सहकारिता आदि का प्रभावपूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है। अत ऐसे अर्द्ध-विकसित देशों के आर्थिक संगठन में उचित परिवर्तन अपेक्षित है। भारत में भी इस ओर प्रयास किया जा रहा है। विस्तृत पैमाने पर उत्पादन, थम-विभाजन, विशिष्टीकरण आदि बढ़ रहे हैं। लघु उद्योगों का भी पुनर्गठन किया जा रहा है। सयुक्त पूँजी कम्पनियाँ, सार्वजनिक निगम (Public Corporations) और सहकारिता का क्षेत्र विस्तृत हो रहा है।

7. राज्य की नीति (State Policy)—विभिन्न देशों के आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण तत्व उपयुक्त सरकारी नीति है। आर्थिक विकास के लिए सर्वप्रथम आवश्यकता राजनीतिक स्थिरता, आन्तरिक और बाह्य सुरक्षा तथा शान्ति है। दिना स्थिर सरकार के आर्थिक विकास असम्भव है। इसके साथ ही आर्थिक विकास के लिए यह भी आवश्यक है कि सरकार आर्थिक विकास के उपयुक्त नीति अपनाएं यद्यपि प्राचीन काल से राज्य का क्षेत्र सीमित था, किन्तु आधुनिक सुरक्षारें ऐसे बहुत से आर्थिक कार्य सम्भव करती हैं जिनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। यदि किसी देश की सरकार ऐसी है जो आर्थिक विकास में हचिनही रखती और उसके लिए प्रयत्न नहीं करती तो उस देश के आर्थिक विकास की कोई सम्भावना नहीं है। इसके विपरीत यदि किसी देश की सरकार आर्थिक विकास के लिए हचिन रखती है और प्रयत्न करती है तो अन्य बातें समान रहने पर भी उस देश के आर्थिक विकास की नीति अधिक होती है। प्रो. हब्लू ए लेविस का कथन है कि कोई भी देश बुढ़िमान सरकार से सक्रिय प्रोत्साहन के प्रभाव में आर्थिक विकास नहीं कर सका है।

प्रदूँ-विकसित देशों में पूँजी, कुशल थम, तकनीकी ज्ञान का अभाव रहता है। इन देशों में विकास के लिए यातायात और सन्देशवाहन के साधन, शक्ति के साधन,

नवीन तकनीक आदि का विकास करना होता है तथा इस प्रकार की कर नीति, मूल्य नीति, मोट्रिक नीति राजकोपीय नीति, विदेशी व्यापार नीति, औद्योगिक नीति, थ्रम नीति अपनानी होती हैं जिससे विकास के लिए आवश्यक वित्तीय साधन उपलब्ध हो सके, लोग पूँजी की बचत और विनियोजन को प्रोत्साहन दें, देश में आवश्यक उद्योगों की स्थापना हो सके, विकास के लिए आवश्यक देशी और विदेशी कच्चा माल, यत्न उपकरण उपलब्ध हो सकें, विदेशी से आवश्यक साज-सज्जा माना जाने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सके, कुगल जनशक्ति का सृजन हो सके। यही नहीं अद्विक्षित देशों में विनियोजन के कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ निजी उद्यमी पूँजी विनियोजन नहीं करते या जो अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ऐसे क्षेत्रों में सरकार को स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उद्यमी का कार्य बरना पड़ता है। आर्थिक विकास का आशय देश वर्तमान और सम्भाव्य माध्यमों का इस प्रकार उपयोग करना है जिससे अधिकतम उत्पादन हो और अधिकतम लाभ हो। यही कारण है कि आज विश्व के समस्त अद्विक्षित देशों में आर्थिक विकास का कार्य सरकार द्वारा एक योजनावधि तरीके से सचालित किया जाता है जिसमें सरकार का उत्तरदायित्व और भी अधिक बढ़ जाता है। नियोजित अर्थव्यवस्था बाले देशों में सरकारी क्षेत्र (Public Sector) का विस्तार होता जाता है। अद्विक्षित देशों के आर्थिक विकास में सरकारी नीति का महत्व भारत के उदाहरण से पूर्णतः स्पष्ट ही जाता है जिसने सरकार द्वारा निमित पचवर्षीय योजनाओं के द्वारा पर्याप्त आर्थिक विकास किया है।

8 संस्थाएँ (Institutions)—आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त वातावरण भी आवश्यक है। इसके लिए न केवल आर्थिक संस्थाएँ ही अग्रिम राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मतोवैज्ञानिक और धार्मिक वातावरण, मान्यताएँ एवं संस्थाएँ इस प्रकार की होनी चाहिए जो विकास को प्रोत्साहित करें। राष्ट्रमध्य समिति रिपोर्ट के अनुसार, “उपयुक्त वातावरण की अनुभिति में आर्थिक प्रगति असम्भव है। आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है कि मनुष्यों में प्रगति की इच्छा हो और उनकी सामाजिक आर्थिक, राजनीतिक एवं वैज्ञानिक संस्थाएँ इस इच्छा को क्रियान्वित करने में सहायता हो।” प्रोफेसर पालि अलदर्ट के मतानुसार, “किसी भी आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य शर्त इसकी सम्भवता में लोच होने के साथ-साथ इसके समाज और अर्थव्यवस्था की सरचना परिवर्तन की सम्भावनाओं के लिए खुली हो।” ...“आर्थिक विकास के लिए धनात्मक प्रेरणा एक ऐसी सम्भवता है जो अपने मूल्यों (Values) में भौतिक समृद्धि को उच्च प्राथमिकता देती है।” इसी प्रकार के विचार हरमन फाइनर ने भी प्रकट किए हैं, “वर्तमान सदर्भ में ‘वातावरण’ का क्या आशय हो सकता है? इसका अर्थ जीवन निवाह स्तर में उच्चता की इच्छा की उपस्थिति है जो अन्य मूल्यों की अपेक्षा उच्च प्राथमिकता रखती है।”

इस प्रकार स्पष्ट है कि आर्थिक विकास में जनता के जीवन स्तर को उच्च बनाने की इच्छा एक चालक शक्ति (Motive Power) है जो उस देश की संस्थाओं पर निर्भर रहती है। जहाँ भारत जैसी जमीदारी या जागीरदारी प्रथा प्रचलित होगी,

जिसके कारण कृपकों के परिश्रम द्वारा उत्पन्न कमाई का उपयोग शोधण द्वारा जमीदार और जमीरदार लोग करते हो, वहाँ कृपक की आर्थिक परिश्रम की प्रेरणा समाप्त होगी और कृपि का द्रुत आर्थिक विकास नहीं हो सकेगा। इसके विपरीत जहाँ लोगों को अपने प्रयत्नों का पूरा प्रतिफल मिलने की व्यवस्था होगी, वहाँ लोगों को आर्थिक परिश्रम की प्रेरणा मिलेगी और आर्थिक विकास होगा।

अद्वैत-विकसित देशों में कई संस्थान ऐसे होते हैं जो आर्थिक विकास में बाधक होते हैं। भू धारण की प्रतिगामी प्रणालियाँ, संयुक्त-परिवार प्रथा, जाति-प्रथा, उत्तराधिकार के नियम, स्त्रियों की स्थिति, भूमि का मोह, मविदा (Contract) की अपेक्षा स्तर (Status) पर निर्भरता, अधविश्वास, परस्परागत रूढ़िश्वस्तर, सामाजिक अपव्यय, परिवर्तन के प्रति असहित्यता, आध्यात्मिक दृष्टिकोण कुछ घासित भावनाएँ यादि आर्थिक विकास को हतोत्साहित करते हैं। ये संस्थाएँ आर्थिक विकास के लिए 'आवश्यक परिवर्तन' को कठिन बनाकर आर्थिक विकास में बाधा उपस्थित करती हैं। अत अद्वैत-विकसित देशों में उन धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं में इस प्रकार परिवर्तन करना चाहिए और नवीन संस्थाओं का निर्माण किया जाना चाहिए जिससे आर्थिक विकास में सहायता मिले। इन देशों की सामाजिक संस्थाओं में विकास के लिए शान्तिकारी परिवर्तनों की आवश्यकता है जो धैर्यानिक तरीकों से या शिक्षा का प्रचार करके या उच्च जीवन की इच्छा जाप्रत करके की जानी चाहिए।

संक्षेप में किमी देश के आर्थिक विकास में उन सहायों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है जो देशवासियों में मिठोपघोग की इच्छा, भौतिक समृद्धि की आकृष्णा, आर्थिक लाभ के अवसरों को प्राप्त करने वी अभिलापा जाप्रत करती हो।

९. अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ—आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण निधरिक तत्त्व अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ हैं। आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय परस्पर निर्भरता के मुग्ग में दूसरे देशों के सहयोग के बिना आर्थिक विकास की तो बात ही क्या, कोई भी देश जीवित नहीं रह सकता। यदि कोई देश दीर्घकालीन युद्ध में सलग है तो उसका आर्थिक विकास असम्भव है। अद्वैत-विकसित देशों के आर्थिक विकास में तो अनुकूल बाह्य परिस्थितियों का भी महत्व होता है। इन देशों में पूँजी का अभाव होता है जिसे विदेशों से अनुदान, खरण एवं प्रत्यक्ष विनियोग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है जो निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार का हो सकता है। इन देशों में तकनीकी ज्ञान का भी अभाव होता है जिसे विकसित देशों में देशवासियों के प्रशिक्षण या विदेशियों की सहायता द्वारा पूरा किया जाता है। आर्थिक विकास के लिए कृपि और ग्रोवोगिक विकास आवश्यक है। कृपि के विकास के लिए उच्चरक, शोधविद्या, यत्नोपकरण सथा विशाल दिवार्ड योजनाओं के लिए आवश्यक सामग्री दिलेशों से प्राप्त करनी होती है। ग्रोवोगिकरण के लिए उच्चे माल मशीनों यादि वा भारी मात्रा में ग्राम्यत करना पड़ता है जिसका भुगतान निर्यातों में दूढ़ि द्वारा अंजित विदेशी मुद्रा के द्वारा करना होता है। यह कार्य तभी प्रच्छी प्रकार से समाप्त हो सकता है

जबकि अन्तर्राष्ट्रीय बातावरण सम्भावनापूर्ण हो, सम्बन्धित देश का विदेशी से अधिकाधिक मैंबीपूर्ण सम्बन्ध हो और वे उस देश के आर्थिक विकास में पर्याप्त सहायता देने हो। यदि एक देश दीर्घकालीन युद्ध में सलग्न हो तो उसके आर्थिक विकास की सम्भावनाएँ अत्यधिक शीर्ष होगी। अत अनुरूप बाह्य परिस्थिति, आर्थिक विकास का एक प्रभावशाली तत्त्व है।

आर्थिक विकास के कारक और उनकी सापेक्षिक देन (Relative Contribution of Growth Factors)

सब कारक परस्पर सम्बन्धित होते हैं और एक की वृद्धि से दूसरे का विकास होता है। उदाहरणार्थ, यदि प्राकृतिक साधन अधिक होगे तो उत्पादन अधिक होगा। पूँजी का निर्माण अधिक होगा जिससे विनियोजित करके आय में वृद्धि की जा सकेगी। आय में इस वृद्धि के कारण मानवीय साधनों का विकास होगा, अध्ययन एवं अनुसंधान पर अधिक धन व्यय करके तकनीकी ज्ञान वा विकास किया जा सकेगा और सरकार भी आर्थिक विकास के उत्तरदायित्व को अच्छी प्रकार निर्वाह कर सकेगी। इसी प्रकार यदि देश में स्थिर सरकार है जो आर्थिक विकास के अनुरूप नीतियों को अपनाती है तो देश के प्राकृतिक साधनों का विवेकपूर्ण उपयोग किया जा सकेगा। देश में विकास के लिए आवश्यक सत्याग्रो का सृजन किया जाएगा जिससे उत्पादन में वृद्धि होगी और पूँजी-निर्माण की गति बढ़ेगी। इसी प्रकार यदि देश में विकसित जनशक्ति होगी तो अपनी योग्यता और परिश्रम से प्राकृतिक साधनों का अच्छा विदोहन कर सकेगी। यदि पूँजी की पर्याप्तता होगी तभी प्राकृतिक साधनों और नवीन तकनीकी ज्ञान वा उचित उपयोग किया जा सकेगा। यदि सगड़न या व्यवस्था अच्छी होगी तो उत्पादन के साधनों-अम, पूँजी, प्राकृतिक साधनों का उचित और लाभप्रद उपयोग किया जा सकेगा और उनकी उत्पादकता में वृद्धि होगी। इसी प्रकार यदि देश में स्थिर, ईमानदार और विकास-नीतियों से अपनाने वाली सरकार होगी और प्राकृतिक साधनों के विकास की पर्याप्त सम्भावनाएँ होगी तो विदेशी से अधिकाधिक सहायता उपलब्ध हो सकेगी।

अत आर्थिक विकास के उपरोक्त समस्त कारक परस्पर सम्बन्धित हैं और समान रूप से आवश्यक हैं। एक के अभाव में अन्य का महत्व कम हो सकता है। उदाहरणार्थ, यदि देश में प्राकृतिक साधनों का अभाव है तो अन्य घटक इतने ही सक्षम हो आर्थिक विकास सीमित ही होगा। जापान, स्विट्जरलैण्ड आदि देशों के अतिरिक्त समस्त विकसित देशों में प्राकृतिक साधनों का आर्थिक विकास में अत्यधिक योगदान रहा है। भूतकाल में आर्थिक विकास में प्राकृतिक साधनों की देन कितनी महत्वपूर्ण रही है, इसके बारे में प्रो. रिचार्ड टी गिल ने लिखा है, “पश्चिमी सम्यता का अधिकांश इतिहास भूमि और साधनों के अधिग्रहण के सन्दर्भ में लिखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त आधुनिक विश्व के राबोच्च जीवन-स्तर वाले देश कनाडा और अमेरिका में आर्थिक विकास की प्रक्रिया तथा नवीन साधनों की खोज और उपयोग दोनों साथ साथ होते रहे।” इस प्रकार भूतकाल में प्राकृतिक साधनों की

देन महत्वपूर्ण रही है, किन्तु इनका भविष्य में क्या महत्व रहेगा, यह अनिश्चित है; यथोकि अब समस्त विश्व के हृष्टिकोण से साधनों में धनी ग्रन्थने केर कम ही है, यथापि मानव में नवीन 'साधनों' के सृजन की क्षमता को भी नजर-ग्रन्दाज नहीं दिया जा सकता।

इसी प्रकार, आधिक विकास में पूँजी की देन भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। पूँजी के बिना प्राकृतिक साधनों का विदोहन नहीं किया जा सकता, वर्तमान युगीन विश्वालकाय कारबानों की स्थापना नहीं हो सकती, अब वी उत्पादकता नहीं बढ़ाई जा सकती। सच तो यह है कि आधिक विकास में पूँजी का योगदान भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। प्रो डब्ल्यू ए लेविस ने पूँजी-निर्माण को आधिक विकास की एक केन्द्रीय समस्या बतलाते हुए लिखा है, "यह एक केन्द्रीय समस्या है यथोकि आधिक विकास का केन्द्रीय तथ्य (ज्ञान और कुशलता को सम्मिलित करते हुए) तीव्रता से पूँजी सचय है।" कुछ अर्थशास्त्री आधिक विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्त्व तकनीकी ज्ञान को मानते हैं। वस्तुत तकनीकी ज्ञान की इतनी अधिक प्रगति के बिना आधिक विकास इस सीमा तक असम्भव होता है। इसी प्रकार कुछ अर्थशास्त्री नव-प्रवर्त्तन (Innovation) और उद्यम (Enterprise) को सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक स्वीकार करते हैं। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री शुम्पीटर के अनुसार उद्यमी और उनकी नव-प्रवर्त्तन की कियायों को ही आधिक विकास का थेप है। किन्तु आधिक विकास में उत्पादन के साधनों की उचित व्यवस्था अनुकूल बातावरण, निकास की इच्छा को प्रेरित करने वाली सामाजिक सम्यायों का भी कम महत्व नहीं रहा है। इनके प्रभाव में भीतिक मानवीय और वित्तीय साधनों की पर्याप्तता होने पर भी उनका सदृशयोग या दुरुपयोग नहीं होने पर आधिक विकास नहीं हो पाएगा। इनी प्रकार कुछ लोग राज्य की उचित नीति को आधिक विकास का मुख्य घटक बतलाते हैं। सोवियत रूस और अन्य समाजवादी देशों की उच्च आधिक प्रगति का बहुत बड़ा थेप वहाँ की विकास के लिए प्रयत्नशील सरकारों को ही है। किन्तु वस्तुतः इन सब में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक किसी देश की कुशल, विवेकपूर्ण हृष्टिकोण और हड सकलप वाली जन शक्ति ही है। उत्पादन के अन्य कारबो जैसे प्रगतिक साधन, वित्तीय साधन, तकनीकी ज्ञान संगठन, बातावरण संस्थान, सरकार एवं अन्तर्राष्ट्रीय बातावरण का निर्माण और विकास मनुष्यों के द्वारा ही किया जाता है। डॉ बी के आर बी राव ने इन सम्बन्ध में लिखा है कि आधिक विकास सम्बन्धी अध्ययन से पता चलना है कि पूँजी सचय आधिक विकास की मात्रा और गति को निर्धारित करने वाले कारबो में से केवल एक है। नग-प्रवर्त्तन, प्राविधि और ज्ञान आदि भी उन्हें ही महत्वपूर्ण हैं जिन्हें यन्त्र और उत्पक्ष। किन्तु ये सर मानवीय तत्त्व से बहुत अधिक सम्बन्धित हैं और आनिक विकास के लिए अन्तर्कायी मानवीय प्रयत्नों की गहरता और गुणों पर इनके प्रभाव द्वारा ही करते हैं।

इम प्रश्नार यद्यपि कई विचारकों ने आधिक विकास के लिए नित नित कारबों को महत्व दिया है किन्तु वे सभी आवश्यक और महत्वपूर्ण हैं। विरतिन

देशों के आर्थिक विकास का थेप किसी तत्त्व को नहीं दिया जा सकता यद्यपि भिन्न-भिन्न देशों में विभिन्न कारकों का कुछ अधिक महत्व हो सकता है। अमेरिका के आर्थिक विकास में न केवल भौगोलिक दशाओं, बिन्तु सामाजिक, राजनीतिक सभी परिस्थितियों ने योग दिया है। सोवियत रूस के आर्थिक विकास में सरकार का योगदान सराहनीय है। डॉ नोल्स ने इन्डिया की आर्थिक क्रान्ति का थेप वहीं के लोगों की साहस भावना को दिया है। जापान आदि भ प्राकृतिक साधनों का योगदान कम रहा है। यत् आर्थिक विकास में किस कारक का अधिक महत्व है यह विभिन्न देशों की परिस्थितियों, विकास की अवस्था और विकास की विचारधाराओं पर निर्भर करता है। ये सब कारक परस्पर सम्बन्धित हैं और उनके महत्व में विभिन्न परिस्थितियों के सन्दर्भ में अन्तर ही जाता है। अन्त में हम बी. शेपर्ड से सहमत हैं जिनके अनुसार किसी एक कारक से नहीं परिन्तु विभिन्न महत्वपूर्ण कारकों द्वारा उचित अनुपात में मिलाने से आर्थिक विकास होता है। इस सम्बन्ध में जोसफ एल फिशर का यह कथन उल्लेखनीय है कि “आर्थिक विकास के लिए किसी एवं विशेष तत्त्व को पृथक् करना और इसे ऐसे आर्थिक विकास का प्रथम या प्राथमिक कारण बताना न तो ठीक ही है और न ही विशेष सहायक है। प्राकृतिक साधन, कृषिश्रम, मशीनें और उपकरण, वैज्ञानिक एवं प्रबन्धात्मक साधन एवं आर्थिक स्थानीयवरण सभी महत्वपूर्ण हैं। यदि उन्हें आर्थिक समृद्धि प्राप्त करनी है तो क्षेत्रों और राष्ट्रों को इन कारकों को प्रभावपूर्ण ढंग से मिलाना चाहिए।”

आर्थिक विकास की अवस्थाएँ (Stages of Economic Growth)

विश्व के विभिन्न देशों में आर्थिक विकास की गति और प्रक्रिया में पर्याप्त अन्तर रहा है। अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विकास के ऐतिहासिक क्रम को विभिन्न अवस्थाओं में विभक्त करने का प्रयत्न किया। इस सम्बन्ध में प्रो रोस्टो का योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आर्थिक विकास की अवस्थाओं को निम्न थेलियों में विभक्त किया जा सकता है—

- (1) परम्परागत समाज की स्थिति (Stage of Traditional Society),
- (2) स्वयं स्कूर्ट-विकास से पूर्व की स्थिति (Stage of Pre condition of take off),
- (3) स्वयं स्कूर्ट की स्थिति (Stage of take off),
- (4) परिपक्वता की स्थिति (Stage of Maturity), एवं
- (5) उच्च-स्तरीय उपभोग की अवस्था (Stage of Mass consumption).

1 परम्परागत समाज की स्थिति—प्रो रेस्टो के अनुसार, “परम्परागत समाज से आशय एक ऐसे समाज से है जिसका ढाँचा समिति उत्पादन कार्यों के अन्तर्गत विज्ञान, प्रविधि एवं भौतिक विश्व की न्यूटन के पूर्व की स्थिति के आधार पर विकसित हुआ है।” परम्परागत समाज में साधारणतः कृषि और उन्नेशों व परम्परागत तरीकों से कार्य किया जाता है। यन्त्रों, विशेषकर शक्ति-चंच-

सामान्यत उपयोग नहीं किया जाता। उद्योग अत्यन्त अविकसित अवस्था में पाए जाते हैं और सीमित उत्पादन होने के कारण विनियम व्यवस्था भी सीमित रहती है। परम्परागत समाज में राजनीतिक सत्ता प्रायः मूल्स्वामियों से हाथ में केन्द्रित होती है। अपनी भूमि की उपज के बल पर ही यह वर्ग आर्थिक शक्ति हथिया कर समाज के अन्य वर्गों पर शासन करने लगता है। कहीं कहीं उद्योग और वृद्धि में नवीन पद्धतियाँ दिखाई देती हैं, किन्तु मूलत सम्पूर्ण आर्थिक व्यवस्था अविकसित और स्थिति पाई जाती है।

2. स्वयं स्फूर्ति विकास से पूर्व की स्थिति— रोस्टो ने इसे विकास की दूसरी अवस्था माना है। यह अवस्था बस्तुत स्वयं स्फूर्ति अवस्था (Stage of Take off) की भूमिका (Prelude) मान है। इससे एक ऐसे समाज का बोध होता है जिसमें परिवर्तन होने प्रारम्भ हो जाते हैं और समाज परम्परागत स्थिति से निकलकर द्वितीय अवस्था की ओर अग्रभर होने लगता है। समाज को इतनी सुविधाएँ मिलना शुरू हो जाती हैं कि वह आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतियों को अपना सके नवीन तकनीको का उपयोग कर सके तथा इनके आधार पर अपने विकास की गति में तेजी ला सके। सार्वांश में, जब परम्परागत समाज में पुराने मूल्यों के स्थान पर नवीन दातावरण को प्रस्तावित करने के प्रयत्न होने लगते हैं तभी 'स्वयं स्फूर्ति विकास से पूर्व की स्थिति' उत्पन्न होती है। इस अवस्था में दैवतों द्वारा कम्पनियों द्वारा दिया गया सम्मान आदि विभिन्न आर्थिक सत्यांगों का आकर्षणीय होता है और सम्पूर्ण अर्थ अवस्था या इसके एक बड़े भाग में चेतना जागृत हो जाती है। परम्परागत समाज की सभी अवधारणाएँ परिवर्तित होने लगते हैं। उत्पादन प्रक्रिया में वाष्य अवधारणा विसी सीमा तक विद्युत् शक्ति का उपयोग होता है तथा वृहत् स्तर पर उत्पादन होने के कारण विनियम का क्षेत्र भी विस्तृत हो जाता है। परिवर्तन को सूखम बनाने के लिए सामाजिक ऊपरी लागतों (Social overheads) का निर्माण होने लगता है, कृषि में प्राविधिक क्रमिति (Technological Revolution) आने लगती है तथा आधिक कुशल उत्पादन और प्राकृतिक साधनों के वित्रय से वित्त प्राप्त करके आयात में वृद्धि की जान लगती है और जहाँ तक सम्भव हो पूँजी का आयात प्रोत्साहित होता है। इस अवस्था में जो भी परिवर्तन प्रारम्भ होते हैं उनमें विदेशी पूँजी और प्रविधि का योगदान मुख्य रहता है। फिर भी इस अवस्था में आर्थिक विकास का एक समाधान क्रम नहीं बन पाता। इसके पश्चात् अर्थव्यवस्था स्वयं स्फूर्ति (Take-off) की ओर अग्रसर हो जाती है।

3. स्वयं स्फूर्ति अवस्था— आर्थिक विकास की तृतीय अवस्था वो रोस्टो ने स्वयं-स्फूर्ति-अवस्था (Stage of Take-off) की सन्ता दी है। इस अवस्था को परिभाषित करना बहिर है, रेस्टो के अनुसार स्वयं-स्फूर्ति एक ऐसी अवस्था जिसमें विनियोग की दर बढ़ती है और वास्तविक प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि हो जाती है तथा इस प्रारम्भिक परिवर्तन से उत्पादन-नक्तीकी में महत्वपूर्ण परिवर्तन आ जाते हैं और आय का प्रवाह इस तरह होने लगता है कि विनियोग द्वारा प्रति व्यक्ति उत्पादन की प्रवृत्ति बढ़ती रहती है।

स्वयं स्फूर्तं अवस्था में आर्थिक विकास कुछ भीमित क्षेत्रों में तीव्र गति से होने लगता है और आधुनिक श्रीदोगिक-तकनीकी वा प्रयोग होता है। विकास सामान्य एवं नियमित गति से होने लगता है तथा प्राविधि अथवा पूँजी के लिए देश पर निर्भर नहीं रहता। विकास मार्ग म आने वाली प्राचीन रुद्धियाँ एवं वाधाएँ समाप्त हो जाती हैं तथा शक्तियाँ अधिक शक्तिशाली होकर विकास में सहयोग प्रदान करती हैं। नई प्राविधियों वे माध्यम से उद्योगों और कृषि में उत्पादन वृद्धि वा क्रम स्वयमेव चलता रहता है। श्रीदोगिक विकास वी गति कृषि की अपक्रा सामान्यत अधिक तीव्र रहती है। देश की अर्थ-व्यवस्था बिना इसी बाहरी सहायता के विकास कर सकती है और उत्पादन को अधिकतम वीमा तक पहुँचाना सम्भव हो जाता है। विनियोग और बचत का राष्ट्रीय आय मे ग्रनुमात 10 प्रतिशत या इससे अधिक रहता है। बल्याणकारी उद्योगों का तीव्र गति से विकास होता है और ऐस सस्थागत ढाँचे वा निर्माण होने लगता है जो घरेलू साधनों से विकास के लिए पूँजी एकत्रित करने की क्षमता रखता हो। रोस्टो के ग्रनुमार विकास की इस अवस्था में शिक्षा तथा प्राविधिक प्रशिक्षण के साथ-साथ रेलों सड़कों और सचार बाहन के साधनों का भी विकास हो जाता है। प्रो रोस्टो न कुछ प्रमुख देशों की स्वयं स्फूर्तं अवस्था की अवधियाँ भी दी हैं—

स्वयं स्फूर्तं अवस्था

देश	स्वयं स्फूर्त अवस्था की अवधि	देश	स्वयं स्फूर्त अवस्था की अवधि
ग्रेट ब्रिटेन	1783-1802	हस	1870-1914
फ्रांस	1830-1860	कनाडा	1896-1914
बेल्जियम	1833-1860	अर्जेण्टाइना	1935
स. रा. अमेरिका	1843-1860	टर्की	1937
जर्मनी	1850-1873	भारत	1952
स्वीडन	1868-1890	चीन	1952
जापान	1878-1900		

प्रो रोस्टो के ग्रनुमार स्वयं स्फूर्तं अवस्था की अनेक आवश्यक शर्तों मे मुख्य ये हैं—राष्ट्रीय आय मे जनस्थाया से अधिक वृद्धि निर्यात मे वृद्धि, मूल्यों मे स्थायित्व, यातायात एवं शक्ति के साधनों का विस्तार, मानवीय साधनों का उपयोग, सहकारी सस्थापन पूँजीगत एवं आधारभूत उद्योगों की स्थापना कृषि-क्षेत्र की उत्पादकता मे वृद्धि कुशल प्रबन्धक और साहसी वय वा उदय, सरकारी क्षेत्र मे व्यवसाय आदि।

4 परिपक्वता की स्थिति—चीयी अवस्था मे अर्थ-व्यवस्था परिपक्वता की ओर उत्तमुख होती है। रोस्टो के शब्दों मे, 'आर्थिक परिपक्वता को परिभाषित करने की विविध पद्धतियाँ हैं, किन्तु इस उद्देश्य के लिए इसे काल के रूप मे परिभाषित किया जा सकता है, जब समाज अपने अधिकांश साधनों मे आधुनिक तकनीकी को प्रभावपूर्ण ढंग से अपनाए हुए है।' परिपक्वता की स्थिति मे विनियोग और बचत की दर

20 प्रतिशत तक पहुंच जाती है। विभिन्न नए उद्योगों की स्थापना हो जाती है और देश की अन्य देशों पर सामान्य निर्भरता समाप्त हो जाती है। आधुनिक प्राविधियों के इच्छित उपयोग द्वारा राष्ट्रीय आय की वृद्धि का क्रम जारी रहता है। जनसख्ता की वृद्धि की अपेक्षा आय वृद्धि की दर अधिक हो जाती है। स्वयंस्फूर्त-अवस्था के प्रमुख क्षेत्रों की सहायतार्थ नवीन क्षेत्रों को प्रोत्साहन मिलने लगता है। रोस्टो के अनुसार साधारणतः स्वयंस्फूर्त अवस्था से परिषवता की स्थिति में पहुंचने में किसी देश को 60 वर्ष लग जाते हैं। परिषवता के लिए सभी राष्ट्रों में एक ही समान नियम, विशेषता और प्रकृति का होना जरूरी नहीं है। अमेरिका, ब्रिटेन, स्वीडन, जापान, रूस आदि देशों ने विभिन्न ढंगों से परिषवता की अवस्था को प्राप्त किया है।

5 उच्च स्तरीय उपभोग की अवस्था—विकास की अन्तिम अवस्था उच्च स्तरीय उपभोग की अवस्था है। प्रथम तीन अवस्थाओं में जिन बस्तुओं के उपभोग को विलासिता साना जाता है, वही वस्तुएँ विकास की इस अन्तिम अवस्था में सामान्य बन जाती हैं और सर्व-साधारण जनता उनका उपयोग करने की स्थिति में आ जाती है। उच्च स्तरीय अथवा अधिक उपयोग की अवस्था (Stage of Mass Consumption) में श्रौतोगिक विकास अपनी चर्चा सीमा पर होने लगता है। अब समाज में रहने वाले पूर्ति की अपेक्षा मौज़ि को अधिक महत्व देने लगते हैं। उत्पादन की समस्या से घ्यान हटा कर उपभोग की समस्या और कल्याण की ओर उगमुख हो जाते हैं। उपभोग में वृद्धि, शक्ति-प्राप्ति के प्रयास, कल्याणकारी राष्ट्र की स्थापना के प्रयास, आदि के द्वारा प्रत्येक राष्ट्र इस अवस्था में आर्थिक कल्याण में वृद्धि करने में जुट जाता है। इससे पूर्व की अवस्थाओं में उत्पादन की वृद्धि को उपयोग की अपेक्षा अधिक प्राथमिकता दी जाती है पर इस अवस्था में उपभोग की बस्तुओं की ग्राहित साधारण मूल्यों पर होने लगती है। आर्थिक अवस्था के परिषवत् स्तर के बाद वास्तविक आय में सीमान्त ह्रास का उपयोगिता नियम लागू हो जाता है और अर्थव्यवस्था को इस स्थिति से उत्पन्न विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

अर्थशास्त्रियों ने विकास दर का अनक विविधों से विश्लेषण किया है। एडवर्ड डेनिसन ने जिस विधि से इटली, जर्मनी फ्रांस, डेनमार्क, नीदरलैण्ड्स नार्वे, बेल्जियम, इंग्लैण्ड, सशुक्तरराज्य अमेरिका आदि 9 पश्चिमी देशों की विकास दरों का विश्लेषण किया है, उसमें उत्पादन कारबों के परिवर्तनों के योगदान तथा उत्पादन में प्रति इकाई साधन के परिवर्तनों के योगदान का पृथक् पृथक् विवेचन किया गया है। थम पूँजी, भूमि तथा इनके परिवर्तनों की मात्र के लिए सर्वप्रथम इन साधनों को सम्भव अनुभाग (Components) में विभक्त किया है, साधन के प्रत्येक अनुभाग की विकास दर में अवश्यक साधन की गणना की है तथा इसके पश्चात् सभी अनुभागों के अशों के योग से प्रत्येक साधन की विकास दर पर होने वाले प्रभाव को पृथक् से ज्ञात किया गया है। अत में प्रत्येक साधन की विकास दर को उस साधन के राष्ट्रीय आय के प्रतिफल से गुणा किया गया है। यह गुणनफल राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर में उस साधन के अग्र को प्रकट करता है। इस प्रकार सभी साधनों के अधिकान्त

योगदान की कुल साधनों की विकास दर (Growth rate of total factor input) की परिभाषा दी है।

इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम डेनिसन ने 1909 से 1957 की अवधि में अमेरिका के अन्तिम विकास के विशेषण के लिए किया। प्रस्तुत अध्ययन में जिन 9 पश्चिमी देशों की आर्थिक प्रगति का अध्ययन किया गया है उनकी विकास दरें 1950-1962 की अवधि में निम्नांकित प्रकार से रही—

	(प्रतिशत विस्तृती में)
पश्चिमी जर्मनी	7.3
इटली	6.0
फ्रांस	4.9
नीदरलैण्ड्स	4.7
डेनमार्क	3.5
नार्वे	3.5
संयुक्तराज्य अमेरिका	3.3
बेल्जियम	3.2
यू. के.	2.3

किसी साधन का प्रति इकाई उत्पादन में क्या योगदान रहता है, इसे देखने के लिए उत्पादन के प्रत्येक स्रोत के लिए एक भिन्न तकनीकी आवश्यक समझी गई। इस सन्दर्भ में डेनिसन ने प्रत्येक स्रोत के योगदान का निम्न तत्त्वों के आधार पर विवेचन करने का प्रयास किया है—

- (1) साधन आवटन में महत्वपूर्ण परिवर्तन
- (2) पैमाने की बचतें
- (3) पूँजी की प्रीसत जीवन अवधि में परिवर्तन
- (4) पूँजी-संचय का प्रारम्भिक वर्पों में सतुलन

इसके अतिरिक्त प्रयुक्त साधनों (Employed Resources) पर माँग के दबाव का जिन अवधियों में उत्पादन पर विशेषकर कृषि उत्पादन पर प्रभाव रहा है, उन अवधियों के अन्तर को हाटि में रखते हुए साधन का प्रति इकाई उत्पादन की विकास दर पर जो प्रभाव हुआ है उसको भी विवेचना करने का प्रयत्न किया गया है।

उक्त स्रोतों के अतिरिक्त भी विकास दर को प्रभावित करने वाले कुछ स्रोत शेष रह जाते हैं—जैसे ज्ञान में प्रगति (Advances in Knowledge), प्रौद्योगिक प्रगति (Technological Progress) मनुष्य किस सीमा तक कठिन परिश्रम करते हैं, विकास दर में अक्षतिपूरक क्षतियाँ (Non-compensating Errors in Growth rates) आदि को डेनिसन ने अवशिष्ट स्रोतों (Residuals) की सज्जा दी है। सक्षेप में जिन स्रोतों का पृथक् से स्पष्ट रूप से विवेचन व वर्गीकरण सम्भव नहीं हो सका उन स्रोतों को डेनिसन ने अवशिष्ट स्रोतों की श्रेणी में लिया है।

अब के योगदान की माप के लिए निम्नलिखित तत्त्वों का अध्ययन किया है—
(1) रोजगार में परिवर्तन

- (2) रोजगार में लगे हुए काम के वार्षिक घण्टों में परिवर्तन
- (3) आयु व लिंग के आधार पर वर्गीकृत श्रमिकों में मानव घण्टो (Man hours) का वितरण
- (4) प्रत्येक श्रमिक की शिक्षा के स्तर के अनुसार प्रदत्त भारो (Weights) के आधार पर मानव घण्टो की सरचना में परिवर्तन।

1950-62 की अवधि में रोजगार में वृद्धि की हृषि से जर्मनी का प्रथम तथा अमेरिका का द्वितीय स्थान रहा। रोजगार की सरचना को स्थिर मानते हुए भी, रोजगार की मात्रा में निरपेक्ष वृद्धि के परिणामस्वरूप विभिन्न देशों की विकास दर उनके सामने दिए हुए प्रतिशत बिन्दुओं से प्रभावित हुई—

जर्मनी	15
संयुक्तराज्य अमेरिका	9
नीदरलैण्ड, डेनमार्क यू के, इटली व बेल्जियम	8 से 4 तक
फ्रांस व नार्वे	1

पूरे समय काम करने वाले मजदूरों व वेतनभोगी गैर कृपि श्रमिकों द्वारा किए गए काम के वार्षिक घण्टों में गिरावट की प्रवृत्ति उक्त अवधि में प्राय नगण्य रही। संयुक्तराज्य अमेरिका व फ्रांस की स्थिति में तो इस सन्दर्भ में कोई अन्तर नहीं आया किन्तु जर्मनी में गिरावट का प्रतिशत 93 रहा। कुछ अन्य देशों में स्थिति मध्यवर्ती रही। संयुक्त राज्य अमेरिका में रोजगार की मात्रा में वृद्धि का मूल कारण स्त्रियों व विद्यार्थियों द्वारा अपने अद्वाच के समय कार्य करने की व्यक्ति हुई प्रवृत्ति रहा है। स्त्रियों व छात्रों द्वारा सप्ताह में केवल कुछ घण्टों काम करने के कारण अमेरिका में श्रमिकों के घण्टों का औसत गिर गया। इटली में इसके विपरीत रोजगार के अवसरों में वृद्धि के कारण Involuntary Part time Employment कम हो गया। अन्यत्र आधे समय रोजगार (Part time Employment) की स्थिति में बहुत कम परिवर्तन हुए।

डेनिसन ने काम के पूरे घण्टों में जिस वर्ष परिवर्तन हुए है उनवे काम पर पड़ने वाले शुद्ध प्रभाव का अनुमान भी लगाया है। आंतिक उत्पादकता की शति की मान्यता लेते हुए अद्वाचालीन रोजगार के महत्व में परिवर्तनों पर भी विचार किया है। इन सबक परिणामस्वरूप अमेरिका की विकास दर में 2 वी कमी पाई और शेष ४ में से ५ देशों में कमी का यही स्तर रहा। जर्मनी में सर्वाधिक कमी आई। फ्रांस में कमी की स्थिति नगण्य रही बिन्तु इटली में यह कुछ घनात्मक रही।

अम की औसत कुशलता पर आयु तथा लिंग वी सरचना में परिवर्तनों का क्या प्रभाव होता है, इसकी माप प्रति घण्टा प्राप्त आय भारों (Hourly earning rates) के आधार पर वी गई। स्त्रियों के काम के घण्टों के अनुपात में अत्यधिक वृद्धि के परिणामस्वरूप संयुक्तराज्य अमेरिका में उक्त परिवर्तन का प्रभाव सर्वाधिक प्रतिकूल रहा। इससे वहीं की विकास दर म 1% की वमी आई, बिन्तु घनेक देशों जैसे फ्रांस व इटली म लगभग 1% की वृद्धि हुई।

शिक्षा में विस्तार के कारण श्रमिकों की कुशलता में शोसत वृद्धि के प्रतिशत विभिन्न देशों में इस प्रकार रहे—

संयुक्तराज्य अमेरिका	·5
बेल्जियम	4
इटली	3
फ्रांस व यू. के.	2
नीदरलैण्ड, डेनमार्क व जर्मनी	·1

थम के उक्त चारों ग्रनुमागों के सम्मिलित परिणामस्वरूप संयुक्तराज्य अमेरिका की विकास दर में 1.1% की वृद्धि हुई। जर्मनी में वृद्धि की मात्रा इससे भी अधिक रही।

इस अध्ययन में पूँजी को चार बगों में विभाजित किया गया है। विकास दर में आवासीय भवनों के योगदान की माप राष्ट्रीय खातों में आवासीय सेवाओं के शुद्ध मूल्य को देखकर प्रत्यक्ष रूप से की जा सकती है। इस मद के बारण संयुक्तराज्य अमेरिका में विकास दर की वृद्धि 25% तथा जर्मनी में 14% रही। अन्तर्राष्ट्रीय परिसम्पत्तियों के योगदान को भी प्रत्यक्षत भाग जा सकता है। अमेरिका में इसका योगदान 0.05% तथा नीदरलैण्ड में इससे कुछ अधिक रहा। गैर-आवासीय निर्माण इक्विपमेण्ट व बस्तु सूचियों के सप्रहो का अमेरिका में योगदान 5% रहा और बेल्जियम को छोड़कर यूरोप के अन्य देशों में इस मद का विकास दर में योग कम रहा, किन्तु जर्मनी में सर्वाधिक वृद्धि इस स्रोत से 1.4% की हुई।

सभी प्रकार की पूँजी में 1950-62 की अवधि में विकास दर में अमेरिका में 8% की वृद्धि हुई तथा यूरोप के सभी देशों में वृद्धि का यही स्तर रहा। नीदरलैण्ड व डेनमार्क में यद्यपि अमेरिका की तुलना में पूँजी के कारण विकास दर में कुछ अधिक वृद्धि हुई, किन्तु बेल्जियम व यू. के. के में वृद्धि स्तर बहुत ही कम रहा।

उत्पादन बारको के विकास दर में योगदान की हित्रि से तथा यह मानते हुए कि सभी देशों में पैमाने का स्थिर प्रतिफल नियम (Constant Returns to Scale) त्रियाशील है। 1950-62 की अवधि में विभिन्न देशों में विकास-दर की स्थिति निम्न प्रकार रही—

जर्मनी	2.8
डेनमार्क	1.6
संयुक्तराज्य अमेरिका	2.0
फ्रांस व बेल्जियम	1.2
नीदरलैण्ड	1.9
यू. के.	1.1
नार्वे	1.0

इस अवधि में राष्ट्रीय आय एवं उत्पादन साधनों की वृद्धि दर में इतनी कम अनुरूपता देखी गई कि साधनों के आवटन की दृष्टि से इसके समाधान के लिए तीन पहलुओं का विश्लेषण किया गया है—(1) कृषि का संकुचन (Contraction of Agriculture), (2) गैर-कृषि निजी व्यवसाय का संकुचन (The contraction of non-farm self-employment), और (3) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रतिबन्धों की कमी (The reduction of barriers to International Trade)।

1950 में, सभी देशों में साधनों का एक बड़ा अनुपात, विशेषकर मानव-थम कृषि में लगा हुआ था। 1950-62 की अवधि में उक्त सभी 9 देशों में कृषिगत रोजगार का प्रतिशत 30 से 47 तक कम हो गया। कृषि में लगे हुए मानव थम की सभी देशों में भारी कमी हुई, किन्तु कृषिगत रोजगार के महत्व और गैर-कृषि रोजगार पर इसके प्रभाव में इन देशों में भारी असमानता रही। 1950 में शू के में कुल रोजगार में कृषिगत रोजगार का प्रतिशत 5 था, वेल्जियम में 11, अमेरिका में 12, जर्मनी, डेनमार्क व फ्रैंस में 25 से 29 तथा इटली में 43% था।

प्रति इकाई साधन (Input) से सामान्यतः कृषि में गैर-कृषि उद्योगों की तुलना में राष्ट्रीय उत्पादन बहुत कम होता है। इसके अतिरिक्त एक दी हुई अवधि में गैर-कृषि क्षेत्र की आय को साधनों की वृद्धि के अनुपात में बढ़ाया जा सकता है जबकि कृषि पहले से ही साधनों के भार से इतनी अधिक दबी हुई होती है कि कृषि क्षेत्र से यदि थम की सम्पूर्ण मात्रा को हटा भी लिया जाता है तो कृषि उत्पादन पर कोई विशेष प्रतिकूल प्रभाव नहीं हो सकता।

1950-62 में कृषि-क्षेत्र से गैर-कृषि क्षेत्र के उद्योगों पर साधनों का स्थानान्तरण करते के परिणामस्वरूप विकास दर में वृद्धि की स्थिति इस प्रकार रही—

पू. के	1 से कुछ कम
संयुक्त राज्य अमेरिका	2
वेल्जियम	7
फ्रैंस	8
जर्मनी	10
इटली	10

गैर-कृषि निजी व्यवसाय (Non-farm self-employment) में थम की अधिक मात्रा के लगे रहने का प्रभाव भी कृषि की भौति थम की सीमान्त उत्पादकता का बहुत कम होने के रूप में होता है। गैर-कृषि व्यवसायों पर स्वामित्व के अधिकार रखन वाले, बिना किसी पारिश्रमिक के बायं करने वाले थमिक भिन्न-भिन्न देशों में गैर-कृषि रोजगार के भिन्न-भिन्न अनुपातों को दर्शाते हैं। 9 में से 5 देशों में यह अनुपात 1950-1962 की अवधि में कम हुआ है। थमिकों की एक बड़ी सहयोगी वृद्धि के रूप में पारिश्रमिक देने वाले रोजगारों में

लगाया गया। इन हटाए गए व्यक्तियों का कार्य या तो शेष श्रमिकों द्वारा कर लिया गया और इस प्रकार उत्पादकता पर कोई प्रभाव नहीं हुआ पर यथा हटाए गए श्रमिकों की संख्या के अनुपात से बहुत कम अनुपात में नए श्रमिक लगा कर उनके हिस्से के कार्य को करवा लिया गया। इस परिवर्तन के लाभों की स्थिति निम्न प्रकार रही—

अमेरिका व इंग्लैण्ड में

04

इटली, फ्रांस, नार्वे व नीदरलैण्ड्स में

22 से 26 तक

अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिवन्धों को हटाने से लाभ इस प्रकार रहे—

अमेरिका

0

इंग्लैण्ड

2

वेलियम, नीदरलैण्ड्स, नार्वे और इटली 15 या 16

साधन आवंटनों के इन तीन पहलुओं के योग से 1950-1962 की अवधि में विकास दरों पर जो समुक्त प्रभाव हुआ, उसकी स्थिति निम्न प्रकार रही—

यू के	1
अमेरिका	3
वेलियम	5
नीदरलैण्ड्स	6
नार्वे	9
फ्रांस	10
जर्मनी	10
इटली	14

ये अन्तर सापेक्ष रूप से बहुत अधिक हैं।

1950-1962 की अवधि में साधनों (Inputs) व साधन आवंटनों की विकास दरों में सम्मिलित योगदान के प्राधार पर अध्ययनगत 9 देशों वो एक श्रेणी क्रम (Ranking) दिया जाना सम्भव हो सका। किन्तु माँग के दबाव व मौसम के परिवर्तनों के कारण साधनों का प्रति इकाई उत्पादन पर जो प्रभाव हुआ, उसकी परस्पर तुलना सम्भव नहीं हो सकती थी। इस तथ्य का विवेचन अवशिष्ट साधनों (Residuals) के सम्बन्ध में किया गया। अवशिष्ट साधनों के योगदान को डेनिसन ने विकास दर की कुल वृद्धि में से स्पष्ट रूप से अनुमानित साधनों के योगदान को घटाकर प्राप्त किया। अमेरिका में अवशिष्टों (Residuals) का योगदान 1950-55 व 1955-62 की अवधियों में 76 रहा तथा कुछ मामूली समायोजनों के बाद 1920 से आगे तक की अवधि के परिणाम भी यही रहे हैं। अवशिष्टों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अमेरिका में विद्या में वृद्धि (Advances in Knowledge) की रही है। 1955-1962 की अवधि में 7 अन्य देशों में अवशिष्ट साधनों का प्रभाव 75 से 97 के मध्य रहा। अमेरिका के अतिरिक्त ये देश वेलियम, डेनमार्क, नीदरलैण्ड्स, जर्मनी यू के व नार्वे थे। फ्रांस में अवशिष्ट साधनों का योगदान 150 तथा इटली में 130 रहा। इस प्रकार फ्रांस में इस

स्रोत की वृद्धि अमेरिका से भी अधिक रही। फॉस में इन साधनों के ग्रन्तगत तकनीकी प्रगति, प्रबन्ध कुशलता में सुधार, गंर कृपि मजदूरी व बेतन वाले रोजगार से अतिरिक्त थम को हटाना, साधनों के आवटन में सुधार, प्रोत्साहन देने वाली कुछ श्रेष्ठ विधियाँ, अधिक कड़ा परिश्रम करने की प्रवृत्ति और इसी प्रकार के कुछ अन्य साधन अपनाए गए।

1950-1955 की अवधि में जर्मनी में अधिक तथा इटली में कुछ कम अशों में विकास दरों में जो भारी वृद्धि हुई उसका मुख्य कारण युद्धकालीन विघ्यासों (Distortions) की पुनरंचना था।

सामन्य निष्कर्ष यह निकाला जा सकता है कि विकास दर की दृष्टि से देशों का श्रेणीकरण (1950-1962 की अवधि में) कुल मिलाकर साधनों में परिवर्तनों, श्रेष्ठ साधन आवटन, तकनीकी सुधार तथा युद्धकालीन विघ्यासों की पुनरंचना आदि द्वारा निर्धारित हुआ है।

विकास दर में वृद्धि का मूल कारण पैमाने की बचतें (Economics of Scale) भी रही है। कुछ सीमा तक यह इसलिए भी होता है, क्योंकि पैमाने की बचत के लाभ बाजारों के आकार के विस्तार पर निर्भर करते हैं, इसलिए जहाँ एक और विकास दर में अन्य कारणों से वृद्धि होती है, यह वृद्धि पैमाने की बचतों व बाजारों के विस्तार के कारण कही अधिक बढ़ जाती है।

यूरोपीयन कीमतों के स्थान पर यदि अमेरिकी कीमतों के भावों के आधार पर उपभोग की भद्री को पुनर्मूल्यांकित किया जाए तो यूरोपीयन देशों की विकास दर और अधिक कम होगी। 1950-1962 में कुल मिलाकर इस कमी की सीमा बेलिजियम, नर्बे और यू. के में 1, डेनमार्क व नीदरलैंड्स में 2, फॉस में 5, इटली में 6 तथा जर्मनी में 9 रही। विकास दर में उक्त बमी इसलिए भी होता है कि विभिन्न वस्तुओं का यूरोप में उपभोग अमेरिका की सुलना में कम रहता है, जबकि यूरोप की कीमतें अमेरिका की कीमतों की तुलना में अधिक ऊँची रही हैं तथा वस्तु की आय लाच भी अधिक है।

यूरोप के देशों में प्रति इकाई उपभोग में वृद्धि ऊँची आय लोच वाली वस्तुओं में केन्द्रित रही है तथा जिन वस्तुओं की कीमतें अमेरिका की तुलना में अधिक थी, प्रति इकाई उपभोग में जितनी अधिक वृद्धि हुई, विकास दरों का अन्तर उतना ही अधिक बढ़ता गया। इन निष्कर्षों का परीक्षण उपभोग कीमतों के भावों के आधार पर किया जा सकता है। डेनिसन की यह मान्यता है कि सर्वाधिक उत्तरदायी तत्त्व पैमाने की बचतें हैं। विकसित देशों में जैसे ही प्रति इकाई उपभोग में वृद्धि हुई, वृद्धि का केन्द्र वे वस्तुएँ अधिक रही, जिनका जलाशय कम गत्रा में हुआ और विशेषकर वे वस्तुएँ जिनकी प्रति इकाई सागत अमेरिका की तुलना में अधिक ऊँची रही। अमेरिका में बड़े पैमाने के उत्पादन की तकनीकी उपलब्ध थी और इसलिए जैसे ही बाजारों का विस्तार हुआ, इस तरफीसी का अपनाना सम्भव हो सका।

विकास दर के स्रोतों के अतिरिक्त डेनिसन ने रोजगार में जगे हुए प्रति अवक्तु के अनुसार राष्ट्रीय आय के स्तर सम्बन्धी अस्तरों के स्रोतों का भी पृथक् से

अध्ययन करते का प्रयास किया है। अमेरिका की कीमतों में माप करने पर रोजगार में लगे हुए प्रति व्यक्ति के अनुसार यूरोप के देशों की राष्ट्रीय आय, इटली को छोड़कर 1960 में अमेरिका की आय की तगभग 58 से 65 प्रतिशत थी। इटली में यह 40 प्रतिशत थी।

विकास के स्रोतों व आय के अन्तरों वी तुलना वे आधार पर डेनिसन द्वारा प्रकार के निष्कर्ष (Observation) प्रस्तुत बताते हैं।

डेनिसन की प्रथम प्रत्यालोचना (Comment) का सम्बन्ध साधनों के आवटन से है। अमेरिका की तुलना में फॉस व जर्मनी में गैर-कृषि रोजगार की बृद्धि द्वारा साधा कृषिगत निजी स्वामित्व वाले रोजगार की कमी द्वारा राष्ट्रीय आय बृद्धि की अधिक सम्भावना (Potentiality) थी। यह तथ्य इम निष्कर्ष की पुष्टि करता है कि साधन की प्रति इकाई से उत्पादन की मात्रा में फॉस व जर्मनी में अधिक बृद्धि वयो हुई। फॉस व जर्मनी इस स्रोत का तेजी से विदोहन (Exploitation) कर रहे हैं किन्तु राष्ट्रीय आय के अन्तर को अमेरिका की तुलना में विशेष कम नहीं कर पाएगा।

साधनों का पुनर्व्यविटन भी इसकी बड़े अशो में पुष्टि बताते हैं कि ड्रिटेन वी विकास दर में फॉस व जर्मनी की विकास दर अधिक वयो रही? विन्तु प्रति अभिक राष्ट्रीय आय का स्तर 1960 में इगलैण्ड में भी उतना ही ऊँचा था जितना कि फॉस व जर्मनी में। इसका कारण इगलैण्ड में साधनों के आवटन में असरगतियों को कम किया जाना माना जाता है। गैर कृषि उद्योगों में इगलैण्ड का प्रति व्यक्ति उत्पादन इटली से भी कम था। साधनों के आवटन में सुधार एक ओर इगलैण्ड, फॉस एवं जर्मनी में आय के अन्तर का मार्ग खोल रहा है तथा दूसरी ओर यू. के व इटली में इस अन्तर को समाप्त कर रहा है।

कृषि व निजी व्यवसाय की प्रवृत्ति इटली की आय के स्तर को बहुत अधिक घिरा रही है। इटली में यूरोप के अन्य देशों की तुलना में आय के कम होने का यही मुख्य कारण है। शिक्षा व पौँजी की कमी के कारण भी अन्तर में बृद्धि होती है।

डेनिसन की दूसरी प्रत्यालोचना (Comment) का सम्बन्ध अवशिष्ट साधनों की उत्पादकता (Residual Productivity) से है। डेनिसन का निष्कर्ष है कि यदि प्रति अभिक, मात्रा व कुशलता में, भूमि व पौँजी के अनुपात में, बाजारों के आकारों में, साधनों के यत्न और उत्पादन की लागतों में, साधनों पर भाँग के दबाव आदि में कोई अन्तर नहीं होते तो यूरोप के देशों में अवशिष्ट उत्पादकता 1960 में इटली के अतिरिक्त अमेरिका से 28 प्रतिशत कम होती। किसी भी प्रकार के सुधार किए जाएं या अन्तर उत्पन्न किए जाएं, यूरोप की प्रति व्यक्ति आय अमेरिका के स्तर पर तब तक नहीं पहुँच सकती जब तक कि इस अवशिष्ट उत्पादकता के अन्तर को कम नहीं किया जाता। डेनिसन के अनुसार, 1962 तक फॉस वे अतिरिक्त किसी भी देश में यह अन्तर नहीं आ सका।

1925 में इटली के अतिरिक्त अमेरिका का राष्ट्रीय आय का स्तर इतना

उपर पहुंच चुका था जितना कि यूरोप के देशों का 1960 में था। 1960 में अवशिष्ट उत्पादकता (Residual Productivity) यूरोप के देशों में 1925 के अमेरिका से भी कम थी। अमेरिका की विकास दर में इन 35 वर्षों में अधिक बढ़ते रहने का कारण शिक्षा, लकनीकी व विज्ञान की प्रगति रहा है।

निष्कर्ष यह है कि महाद्वीपीय देश (Continental Countries) अमेरिका की तुलना में विकास की अधिक दर प्राप्त करने में इसलिए असफल रहे कि उनका मुख्य लक्ष्य 1950 से 'आर्थिक विकास' न होकर केवल 'आर्थिक वृद्धि' रहा। गुणात्मकता के स्थान पर परिमाणात्मकता पर उनका ध्यान केन्द्रित रहा। अमेरिका में स्त्रियों को रोजगार में अधिक लगाया गया, अम शक्ति में शिक्षण-प्रशिक्षण में वृद्धि की गई। शक्ति, अन्वेषण व विकास कार्यक्रमों की ओर अधिक ध्यान लगाया गया। कृषि व्यवसाय को कम किया गया तथा लघु स्तरीय गैर-कृषि निजी व्यवसायों को निरत्साहित करने की नीति अपनाई गई। पूँजी के संचय को भी सापेक्ष रूप से इतना नहीं बढ़ाया गया जितना कि यूरोप के अधिकांश देशों में हुआ। केवल जर्मनी ही ऐसा देश रहा जो अमेरिका की अपक्षा विकास की अधिक दर प्राप्त कर सका।¹

1. "Sources of Post war Growth in Nine Western Countries," American Economic Review, May 1967, pp 325 to 332.

आर्थिक विकास से सम्बन्धित विचारधाराएँ : लेविस, हैरड-डोमर, महालनोबिस तथा अन्य

(Approaches to the Theory of Development : Lewis, Harrod-Domar, Mahalanobis and others)

“आर्थिक विकास का सभी देशों के लिए सभी परिस्थितियों में सामान्य कोड़ प्रामाणिक सूत नहीं हैं, अत आर्थिक विकास का एक सामान्य सिद्धान्त बताना अति कठिन है।”

—प्रो. फ्रीडमन

आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कम आय वाली आर्थिक व्यवस्था का अधिक आय वाली व्यवस्था में ह्यान्तरण होता है। यदि आर्थिक विकास को इस रूप में परिभाषित करें तो स्वाभाविक रूप से जिज्ञासा होती है कि यह ह्यान्तरण किस प्रकार और किन परिस्थितियों में होता है। आर्थिक विकास के सिद्धान्त इस जिज्ञासा को बहुत कुछ शान्त करने में महायक होते हैं। उनसे पता चलता है कि अद्वितीय दोषित चक्रों (Vicious Circles) को तोड़कर सतत विकास की शक्तियों का सृजन कर सकता है। आर्थिक विकास के सिद्धान्तों से ज्ञात होता है कि विश्व के कुछ राष्ट्र विकसित और दूसरे राष्ट्र अविकसित वयों रह गए।

आर्थिक विकास का विचार नया नहीं है। समय-समय पर अर्थशास्त्री आर्थिक विकास के कारकों और सिद्धान्तों पर विचार प्रकट करते रहे हैं। कीनस के ‘सामान्य सिद्धान्त’ के प्रकाशन के बाद आर्थिक विकास के आधुनिक मॉडलों (Models) का निर्माण किया जाने लगा। आर्थिक विकास से सम्बन्धित निम्नलिखित तीन विचारधाराएँ हैं—

- (1) लेविस का आर्थिक विकास का सिद्धान्त,
- (2) हैरड डोमर मॉडल,
- (3) महालनोबिस मॉडल।

आर्थर लेविस का आर्थिक वृद्धि का सिद्धान्त

(W Arthur Lewis' Theory of Economic Growth)

पृष्ठभूमि (Background)

‘आर्थिक वृद्धि’ के सिद्धान्त की रचना में आर्थर लेविस ने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रीयों (Classical Economists) की परम्परा को ही अनुसरण किया है। स्मिथ से लेकर माक्मन तक सभी अर्थशास्त्रीयों ने इसी अभिभव की पुष्टि की

है कि अद्वैत-विकसित अर्थव्यवस्थाओं में 'निर्बाह-मजदूरी पर श्रम की असीमित पूर्ति उपलब्ध है।' इन अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक वृद्धि का कारण पूँजी सचय (Capital Accumulation) में खोजने का प्रयत्न किया है। इसकी व्याख्या इन्होंने आय-वितरण के विश्लेषण के रूप में की है; प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के मॉडलों में 'आय-वृद्धि' (Income-growth) व 'आय वितरण' (Income distribution) का विवेचन एक साथ हुआ है। लेविस भी इन अर्थशास्त्रियों की भाँति आर्थिक वृद्धि के अपने मॉडल में यही मान्यता लेकर चलते हैं कि 'अद्वैत-विकसित देशों में निर्बाह-मजदूरी पर असीमित मात्रा में श्रम उपलब्ध है।' लेविस ने अपने मॉडल में दो क्षेत्र लिए हैं—(1) पूँजीवादी क्षेत्र (Capitalist Sector) व (2) निर्बाह क्षेत्र (Subsistence Sector)।

परिकल्पना (Hypothesis)

मॉडल में यह परिकल्पना की गई है कि आर्थिक वृद्धि पूँजी सचय का फलन है और पूँजी सचय तब होता है जब श्रम को निर्बाह क्षेत्र से स्थानान्तरित करके पूँजीवादी क्षेत्र में प्रयुक्त किया जाता है। पूँजीवादी क्षेत्र पुनर उत्पादित होने वाली पूँजी (Reproducible Capital) का प्रयोग करता है, जबकि निर्बाह क्षेत्र में इस प्रकार की पूँजी प्रयुक्त नहीं होती तथा इस क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रदा (Per Capita Output) पूँजीवादी क्षेत्र की अपेक्षा कम होता है।

मॉडल की सैद्धान्तिक सरचना

(Theoretical Frame-work of the Model)

लेविस के मॉडल का मुख्य केन्द्र बिन्दु इस तथ्य की विवेचना करना है कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के मूल सैद्धान्तिक ढांचे में रहते हुए, वितरण, सचय व विकास से सम्बन्धित समस्याओं का समाधान किस प्रकार सम्भव है। इन समस्याओं का विवेचन बन्द एवं खुली दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में किया गया है।


(i) बन्द अर्थव्यवस्था (Closed Economy)—बन्द अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित मॉडल का प्रारम्भ लेविस इस मान्यता से करते हैं कि निर्बाह मजदूरी पर श्रम की पूर्ति पूर्णतः लोचदार (Infinitely Elastic) होती है। वे इस कथन को विश्व के सभी भागों में क्रियाशील मानकर नहीं चलते हैं। इस मान्यता की क्रियाशीलता को लेविस केवल उन देशों से ही सम्बद्ध करते हैं जो पनी आवादी बाले हैं तथा जहाँ पूँजी व प्राकृतिक साधनों की सुलना में जनसंख्या इतनी अधिक है कि उनकी अर्थव्यवस्थाओं में अधिकांशत 'श्रम की सीमान्त उत्पादकता नगण्य, शून्य या नहरात्मक पाई जाती है।' कुछ अर्थशास्त्रियों ने इस स्थिति को गुप्त बेरोजगारी (Disguised Unemployment) की सज्जा दी है तथा मूलत इपि-क्षेत्र को गुप्त बेरोजगारी के प्रति उत्तरदायी पाया है।

(ii) श्रम की सीमान्त-उत्पादकता शून्य है या नाइप्प—लेविस अपने मॉडल में इसे विशेष महत्वपूर्ण न मानते हुए, इस तथ्य पर अधिक वल देते हैं कि अद्वैत-विकसित अर्थव्यवस्थाओं में श्रम का प्रति इकाई मूल्य निर्बाह-मजदूरी के स्तर पर

होता है। अतः जब तक इस मूल्य पर थ्रम-पूर्ति मार्ग से अधिक बनी रहती है, तब तक थ्रम-पूर्ति को असीमित कहा जाता है। थ्रम-पूर्ति की इस स्थिति में मजदूरी के बर्तमान स्तर पर निवाह क्षेत्र से थ्रम को पूँजीवादी क्षेत्र में स्थानान्तरित करते हुए एक बड़ी सीमा तक नए उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं तथा पुराने उद्योगों का विस्तार किया जा सकता है। थ्रम की न्यूनता रोजगार वे नए स्रोतों के निर्माण में किसी अवरोध (Constraint) का कार्य नहीं करती। कृषि, आकस्मिक थ्रम, छोटे-मोटे व्यापारी, घरेलू सेवक, गृह-सेविकाएँ, जनस्वास्थ्य-बृद्धि आदि वे स्रोत हैं जिनसे निवाह मजदूरी पर थ्रम, पूँजीवादी क्षेत्र में स्थानान्तरित किया जा सकता है। चिन्तु यह स्थिति अकुशल थ्रम के लिए ही लागू होती है। जहाँ तक कुशल थ्रम का प्रश्न है, समय विशेष पर किसी विशेष प्रकार के कुशल थ्रम की पूँजीवादी क्षेत्र में कमी सम्भव है। कुशल थ्रम के आतंगत वस्तुकार, विद्युत कार्यकर्ता (Electricians), वेल्डर्स (Welders), जीव-विशेषज्ञ (Biologists), प्रशासक (Administrators) आदि आते हैं। सेविस के मतानुसार, कुशल थ्रम का अभाव वेवल अंशिक बाधा (Quasi-bottleneck) है। प्रशिक्षण सुविधाएँ प्रदान करके अकुशल थ्रम की इस बाधा को दूर किया जा सकता है। विकास या विस्तार के मार्ग में वास्तविक बाधाएँ (Real bottlenecks) पूँजी और प्राकृतिक साधनों का अभाव हैं। अत लेविस के अनुसार जब तक पूँजी व प्राकृतिक साधन उपलब्ध हैं, आवश्यक कुशलताएँ (Necessary Skills) बुद्धि समयान्तर (Time lag) से प्राप्त की जा सकती हैं।

(iii) यदि थ्रम असीमित पूर्ति में उपलब्ध है और पूँजी दुर्लभ है तो पूँजी का थ्रम के साथ उस बिन्दु तक प्रयोग किया जाना चाहिए जहाँ थ्रम की सीमान्त उत्पादकता मजदूरी के बर्तमान स्तर के समान रहती है। इसे चित्र 1 में दर्शाया गया है।—

चित्र-1




उक्त चित्र में क्षितिजीय शक्ति पर श्रम की मात्रा तथा लम्बवत् शक्ति पर सीमान्त उत्पादकता की माप की गई है। पूँजी की मात्रा स्थिर (Fixed) है। $OW =$ वर्तमान मजदूरी, $OM =$ पूँजीवादी क्षेत्र में प्रयुक्त श्रम, $MR =$ निवाह क्षेत्र में प्रयुक्त श्रम, $OR =$ कुल श्रम, $OWPM =$ पूँजीवादी क्षेत्रों के श्रमिकों की मजदूरी, $WNP =$ पूँजीवादियों का अतिरेक (Capitalists Surplus) प्रकट करते हैं। यदि पूँजीवादी क्षेत्र से बाहर श्रम की सीमान्त उपयोगिता ज्ञान्य हो तो श्रम की OR मात्रा को रोजगार में रखा जाना चाहिए था, किन्तु पूँजीवादी क्षेत्र में श्रम की OM मात्रा को रोजगार देने पर ही लाभ कमाया जा सकता है। श्रम की इस मात्रा से पूँजीपति $OWPM$ के बराबर मजदूरी देकर $ONPM$ के बराबर आय अर्जित करते हैं, अतः दोनों का अन्तर ($ONPM - OWPM$) = WNP पूँजीपतियों का अतिरेक दर्शाता है। M से आगे की श्रम-मात्रा निवाह-मजदूरी प्राप्त करती है।

(iv) पिछों हुई अर्थव्यवस्थाओं में पूँजीपतियों को कुछ विशेष प्रकार के विनियोगों का अधिक अनुभव होता है—विशेषकर व्यापार व कृषि सम्बन्धी विनियोगों का तथा निर्माण-उद्योगों का अनुभव कम अथवा नगण्य होता है। परिणामतः ये अर्थव्यवस्थाएँ इस अर्थ में असमुत्तित (Lopsided) रहती हैं कि कुछ क्षेत्रों में अनुकूलतम से बहुत कम (Much less than optimum) विनियोग किया जाता है। कुछ कार्यों के लिए वित्तीय संस्थाएँ (Financial Institutions) अत्यधिक विकसित होती हैं, जबकि दूसरी ओर कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बच रहते हैं जिनको वित्तीय संस्थाओं का सहयोग नहीं मिल पाता है। व्यापार हेतु पूँजी संस्ती मिल सकती है, किन्तु शृह-निर्माण अथवा कृषि के लिए नहीं।

(v) लेविस के अनुसार निवाह-मजदूरी की तुलना में पूँजीवादी-मजदूरी 30 प्रतिशत या अधिक होती है। इस अन्तर के प्रभाव को चित्र-2 में प्रदर्शित किया गया है—

चित्र-2




OS =निर्वाह क्षेत्र की प्रति इकाई आय

OW =पूँजीवादी क्षेत्र की प्रति इकाई आय (वास्तविक)

"समुद्र से उपरा लेते हुए यह कहा जा सकता है कि पूँजीपति-श्रम व निर्वाह-श्रम के मध्य प्रतिस्पर्धा की सीमान्त रेखा अब किनारे के रूप में नहीं, अपितु एक शिखर के रूप में प्रतीत होती है।"¹ (To borrow an analogy from the sea, the frontier of competition between capitalist and subsistence labour now appears not as a beach but as a cliff.)

उपरोक्त अन्तर पर पूँजी-निर्माण निभंर करता है। प्राथिक विकास की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्व इस तत्व का है कि पूँजीवादी अतिरेक का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। यदि इसका उपयोग नई पूँजी की उत्पत्ति के लिए होता है तो इसका परिणाम पूँजीवादी क्षेत्र का विस्तार होता है। निर्वाह क्षेत्र से हट कर अधिक सूख्या में अभिक पूँजीवादी क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। इससे पूँजीवादी अतिरेक में और वृद्धि होती है तथा अतिरेक की अधिकता पूँजी-निर्माण की मात्रा को अधिक से अधिकतर करती जाती है। जब तक अतिरिक्त श्रम पूँजीवादी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक यह कम कियाशील रहता है। इस स्थिति को चित्र-3 में दर्शाया गया है।

चित्र-3



भ्रम की मात्रा

चित्र-2 के समान OS =निर्वाह-मजदूरी और OW =पूँजीवादी-मजदूरी।

WN_1Q_1 =प्रारम्भिक अतिरेक (Initial Surplus)। चूंकि इसका कुछ भाग पुन विनियोजित कर दिया जाता है, जिससे स्थायी पूँजी की मात्रा में वृद्धि होती है और इसलिए उसकी सीमान्त उत्पादकता N_2Q_2 स्तर तक बढ़ जाती है। इस दूसरी स्थिति में अतिरेक व पूँजीवादी रोजगार दोनों अधिक हो जाते हैं। यह कम N_2Q_2 से

1. Ibid, p 412.

N_3Q_3 तक तथा N_3Q_3 से N_4Q_4 तक और इसी प्रकार उस समय तक चलता रहता है, जब तक कि अतिरिक्त श्रम की स्थिति रहती है। तकनीकी

(vi) लेविस के मॉडल में पूँजी-प्रारूपिक प्रगति तथा उत्पादकता के सम्बन्धों की विवेचना की गई है। पूँजीवादी क्षेत्र के बाहर तकनीकी ज्ञान की प्रगति से मजदूरी का स्तर बढ़ता है, परिणामस्वरूप पूँजीवादी अतिरेक की मात्रा प्रटी है। किन्तु लेविस की यह मान्यता है कि पूँजीवादी क्षेत्र में ज्ञान-वृद्धि व पूँजी एक ही दिशा में इस प्रकार कार्य करते हैं कि मजदूरी में कोई वृद्धि नहीं होती है, बल्कि राष्ट्रीय आय में लाभों का अनुपात अधिक हो जाता है। नए तकनीकी ज्ञान के व्यावहारिक उपयोग के लिए नया विनियोग आवश्यक है। नया तकनीकी ज्ञान चाहे पूँजी को बचाने वाला हो, चाहे श्रम को, इससे उपरोक्त चित्र में प्रदर्शित स्थिति में कोई अन्तर नहीं आता है। लेविस के मॉडल में 'तकनीकी ज्ञान की वृद्धि और उत्पादक-पूँजी में वृद्धि' एक ही तत्त्व के रूप में मान गए हैं।

पूँजी-निर्माण (Capital Formation)

लेविस ने पूँजी-निर्माण के दो ढांचों का विवेचन किया है—

- (1) लाभों द्वारा पूँजी-निर्माण, और
- (2) मुद्रा पूर्ति में वृद्धि द्वारा पूँजी-निर्माण।

बचत की बड़ी राशि लाभों से प्राप्त होती है। यदि किसी अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय में बचत का अनुपात बढ़ रहा है तो हम उस अर्थव्यवस्था के सम्बन्ध में निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि वहाँ राष्ट्रीय आय में लाभों का अग्र वृद्धि पर है। समान आय वाले दो देशों में से जिन देश में लगानों की तुलना में लाभों का राष्ट्रीय आय में अग्र अधिक होता है, वहाँ अपेक्षाकृत वितरण की विप्रभाव कम पाई जाएँगी तथा बचत की मात्रा अधिक होगी। आय की असमानता यदि लगान की तुलना में लाभों का अग्र अधिक होने के कारण होती है तो यह स्थिति पूँजी-निर्माण के अधिक अनुकूल मानी जाती है।

तब प्रतिष्ठापित मॉडल (Neo-classical Model) में पूँजी-निर्माण के बल उपभोग वस्तुओं के उत्पादन क्षेत्र से साधनों के स्थानान्तरण द्वारा ही सम्भव है किन्तु लेविस के मॉडल में भूमि व पूँजी को बैंकहिंपक उपभोगों में से हटाए बिना ही श्रम द्वारा पूँजी-निर्माण सम्भव है तथा उपभोग वस्तुओं के उत्पादन की मात्रा को बिना कम किए ही पूँजी-निर्माण किया जा सकता है।

यदि किसी अर्थव्यवस्था में पूँजी का अभाव है, किन्तु कुछ साधन अप्रयुक्त अवस्था में हैं, जिनके प्रयोग से पूँजी-निर्माण किया जा सकता है तो यह अत्यन्त बांधनीय है कि उनके प्रयोग के लिए अतिरिक्त मुद्रा का निर्माण भी आवश्यक हो तो किया जाना चाहिए। अतिरिक्त मुद्रा से किसी प्रकार की अन्य दूसरी वस्तुओं के उत्पादन में कोई कमी नहीं आती है। जिस प्रकार लाभों द्वारा पूँजी-निर्माण से उत्पादन व रोजगार में वृद्धि होती है, उसी प्रकार साथ द्वारा वित्तीयकरण में भी

रोजगार व उत्पादन के स्तर बढ़ते हैं। लाभों द्वारा निमित पूँजी व साथ द्वारा निमित पूँजी का अन्तर उत्पादन पर प्रभाव के रूप में परिलक्षित नहीं होता किन्तु कीमतों व आय-वितरण पर इस अन्तर का तत्काल प्रभाव होता है।

लेविस के मॉडल में, प्रतिरिक्त श्रम से पूँजी-निर्माण की स्थिति में, विशेषकर जब श्रम का भुगतान अतिरिक्त मुद्रा से हिया जाता है, मूल्य बढ़ जाते हैं, किन्तु उपभोग वस्तुओं वा उत्पादन स्थिर रहता है। रोजगार में कार्यरत एवं श्रमिकों के बीच उपभोग वस्तुओं का पुन वितरण (Redistribution) अवश्य होता है किन्तु इस प्रक्रिया का अर्थ 'बलपूर्वक बचत' (Forced Saving) के रूप में नहीं लगाया जाना चाहिए। लेविस के मॉडल में नव-प्रतिष्ठापित मॉडल की भाँति 'बलपूर्वक बचत' की स्थिति न होकर बलपूर्वक उपभोग वस्तुओं के पुन वितरण की स्थिति अवश्य विद्यमान है (There is a forced redistribution of consumption, but not forced saving)। जैसे ही विनियोग वस्तुओं के कारण उत्पादन बढ़ने लगता है, उपभोग स्तर भी ऊँचा होने लगता है। लेविस के अनुसार मूल्यों में प्रसार की स्थिति केवल अल्पावधि के लिए रहती है जब तक कि प्रारम्भिक अवस्था में आय तो बढ़ती है किन्तु उपभोग वस्तुओं का उत्पादन नहीं बढ़ता, किन्तु योडे समय बाद ज्यों ही पूँजीगत वस्तुएँ उपभोग वस्तुओं का उत्पादन प्रारम्भ कर देती हैं मूल्य गिरने प्रारम्भ ही जाते हैं। लेविस का तो मत इस सम्बन्ध में यह कि "पूँजी निर्माण के लिए मुद्रा प्रसार स्वयं विनाशक होता है और इससे यह भी आशा की जा सकती है कि मूल्य चढ़कर उस स्तर से भी नीचे गिर सकते हैं जहाँ से उन्होंने गिरना शुरू दिया था।" इस प्रकार ज्यों ज्यों पूँजी-निर्माण होता है, उत्पादन और रोजगार में निरन्तर वृद्धि होती रहती है। परिणामस्वरूप लाभ बढ़ते हैं, जिन्हें विनियोजित करके पुन पूँजी निर्माण को बढ़ाया जा सकता है और आर्थिक विकास का यह कम जारी रहता है। किन्तु विकास की यह प्रक्रिया बहु अर्थव्यवस्था में अनिश्चित काल तक नहीं चल सकती। निम्नलिखित परिस्थितियों में यह प्रक्रिया रुक जाती है—

- (i) जब पूँजी निर्माण के परिणामस्वरूप अतिरिक्त श्रम शेष नहीं रहता।
- (ii) पूँजीवादी विस्तार की तीव्र गति के कारण निर्वाह क्षेत्र की जनसंख्या इतनी कम हो जाती है कि पूँजीवादी व निर्वाह दोनों क्षेत्रों में श्रम की सीमान्त उत्पादकता बढ़कर मजदूरी का स्तर ऊँचा कर देती है।
- (iii) निर्वाह क्षेत्र की अपेक्षा पूँजीवादी क्षेत्र का तीव्र विस्तार, रुपिगत पदार्थों के मूल्यों में इतनी अधिक वृद्धि कर देता है कि व्यापार की जरूर (Terms of Trade) पूँजीवादी क्षेत्र के प्रतिकूल हो जाती है, परिणामस्वरूप, श्रमिकों को अधिक मजदूरी देनी पड़ती है।
- (iv) निर्वाह क्षेत्र में उत्पादन की नई तकनीकी वे अपनाए जाने से पूँजीवादी क्षेत्र में भी वास्तविक मजदूरी बढ़ जाती है।
- (v) पूँजीवादी क्षेत्र में यदि श्रम आन्दोलन ऊँची मजदूरी प्राप्त करने में सफल हो जाता है।

उपरोक्त परिस्थितियों में पूँजीवादी अतिरेक पर विषयीत प्रभाव होता है। यदि अन्य देशों में अतिरिक्त श्रम की स्थिति विचारान हो तो पूँजीवादी अपने अतिरेक को विपरीत प्रभाव से निम्नलिखित किसी एक विधि से बचा सकते हैं—

जब देश में श्रम की असीमित पूर्ति की स्थिति समाप्त हो जाती है तो पूँजीवादी असीमित श्रम वाले अन्य देशों से सम्बन्ध बनाते हैं। वे अधिकों का बड़े पैमाने पर आवास करते हैं या पूँजी का निर्यात करने लगते हैं—

(i) अधिकों का बड़े पैमाने पर आवास (Mass Immigration)—सेंद्रान्तिक हट्टि से यह सम्भव है कि कुशल अधिकों का आवास (Immigration) देश के अकुशल अधिकों की माँग को घटा सकता है, किन्तु ध्यवहार में अत्यन्त कठिन है। अधिक सम्भावना इस बात की है कि इस प्रकार के आवास से नए विनियोगों और नए उद्योगों की सम्भावनाएँ बढ़कर पूर्ति की तुलना में सभी प्रकार के श्रम की माँग में वृद्धि कर सकती है।

(ii), पूँजी का निर्यात करना (Exporting Capital)—हूँसरा उपाय ऐसे देशों को पूँजी का निर्यात करना है जहाँ जीवन निर्बाह मजदूरी के स्तर पर पर्याप्त मात्रा में श्रम शक्ति उपलब्ध हो। इससे पूँजी निर्यातक देश में श्रम की माँग कम हो जाती है और मजदूरी की दर गिरने लगती है यद्यपि इसके परिणामस्वरूप मजदूरी का जीवन स्तर और इस प्रकार वास्तविक मजदूरी बढ़ भी सकती है।

आलोचनात्मक समीक्षा—प्रो. लेविस की उपरोक्त विचारधारा की निम्न आधारों पर आलोचना की जा सकती है—

(i) प्रो. लेविस के सिद्धान्त का आधार अद्वैतिकसित देशों में असीमित मात्रा में श्रम की पूर्ति पर आधारित है किन्तु दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के कई देशों में ऐसी परिस्थितियाँ उपस्थित नहीं हैं। अत इस सिद्धान्त का खेत्र सीमित है।

(ii) लेविस के सिद्धान्त का आधार अद्वैतिकसित देशों में उपलब्ध पर्याप्त अकुशल श्रम शक्ति है। उनके विचार से कुशल अधिकों का प्रभाव एक अस्थाई अवरोध उपस्थित करता है जिसे अधिकों के प्रशिक्षण आदि के द्वारा दूर किया जा सकता है। किन्तु वस्तुतः पर्याप्त मात्रा में श्रम शक्ति के उचित प्रशिक्षण आदि में काफी समय लगता है और इस प्रकार कुशल श्रम शक्ति की कमी एक बड़ी कठिनाई उपस्थित करती है।

(iii) लेविस का उपरोक्त सिद्धान्त इस तथ्य पर आधारित है कि इन अद्वैतिकसित देशों में पूँजीपति वर्ग द्वारा लाभों को विनियोजित करते रहने से पूँजी मच्य होता है। इसका मानस्य है कि यहाँ 'विनियोग मुण्डक' (Investment Multiplier) क्रियाशील रहता है, किन्तु अद्वैतिकसित देशों के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता।

(iv) इस सिद्धान्त के अनुसार पूँजीपति वर्ग द्वारा लाभों को विनियोजित करते रहने से पूँजी मच्य होता है। इसका मानस्य है कि यहाँ 'विनियोग मुण्डक' (Investment Multiplier) क्रियाशील रहता है, किन्तु अद्वैतिकसित देशों के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता।

(v) लेविस के विकास के इस द्वैष अर्थव्यवस्था वाले प्रारूप (Dual Economy Model) में कुल मांग (Aggregate Demand) की समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया है। इस सिद्धान्त में यह माना गया है कि पूँजीबादी क्षेत्र में जो कुछ उत्पादन किया जाता है उसका या तो ऐसी क्षेत्र में उपभोग कर लिया जाता है या निर्यात कर दिया जाता है। किन्तु इससे निर्वाहि क्षेत्र की देवेज जाने की सम्भावना है और यदि ऐसा होता है तो विकास की प्रक्रिया पहले ही रुक सकती है।

उपरोक्त दोपो के बावजूद भी लेविस के इस विकास-प्रारूप की यह विशेषता है कि इसमें विकास प्रक्रिया को स्पष्ट रूप में समझाया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि पूँजी की कमी और श्रमिकों की बहुलता वाले अर्द्ध-विकसित देशों में पूँजी-मच्य किस प्रकार होता है। इसके अतिरिक्त इस सिद्धान्त के सदर्भ में किए गए 'साख प्रसार' (Credit Inflation) जनसंख्या वृद्धि, ग्रन्तराष्ट्रीय तथा तकनीकी प्रगति सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन भी वास्तविकता लिए हुए हैं।

हेरड-डोमर मॉडल (The Harrod-Domar Model)

हेरड और डोमर ने पूँजी-मच्य (Capital Accumulation) को आर्थिक वृद्धि के अपने माइलों में निर्णायक चल (Crucial Variable) के रूप में निया है। पूँजी सचय की देवियोग का फलन मानते हैं तथा विनियोग की दो मूमिकायों की विवेचना करते हैं—(1) विनियोग आय का निमाण करता है, और (2) यह उत्पादन क्षमता (Productive Capacity) में वृद्धि करता है। इन माइलों में प्रमुख परिकल्पना यह है कि प्रारम्भ में आय का सतुरित स्तर यदि पूर्ण रोजगार के बिन्दु पर है तो प्रति वर्ष सतुरन के इस स्थायित्व को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि विनियोग द्वारा उत्पन्न अतिरिक्त क्षय शक्ति की मात्रा इतनी होनी चाहिए जो विनियोग द्वारा बढाए गए उत्पादन को खपाने (Absorb) के लिए पर्याप्त हो। यदि वास्तविक आय बढ़ती नहीं है, वही स्थिर रहती है तो इस स्थिति के निम्नलिखित प्रभाव होते—

- (1) नई पूँजी अप्रयुक्त रहेगी।
- (2) नई पूँजी का उपयोग पूर्व उत्पादित पूँजी की लागत पर होगा।
- (3) नई पूँजी का श्रम के लिए प्रतिस्थापन किया जाएगा।

इस प्रकार यदि पूँजी सचय के साथ आय में वृद्धि नहीं होती है तो इसका परिणाम यह होगा कि श्रम और पूँजी दोनों ही अप्रयुक्त (Unemployed) रहें। अत विनियोग वस्तुओं की अधिकता व वे रोजगार श्रम की स्थिति से अर्थव्यवस्था को मुक्त रखने के लिए आय में स्थायी व निरन्तर वृद्धि आवश्यक है। दूसरे शब्दों में जिस समस्या का इन माइलों में अध्ययन किया गया है, वह यह है कि क्या कोई ऐसी स्थाई निरन्तर विकास-दर सम्भव है जो दोहरा पूर्ण रोजगार मापदण्ड (The double full employment criterion) की पूर्ति करती है अर्थात् जिसके कारण पूँजी व श्रम के लिए पूर्ण राजगार की स्थिति कायम रहती है। हेरड व डोमर के मॉडल

समान निष्कर्षों पर पहुँचते हैं, अत इनका मॉडल सयुक्त रूप में आधारभूत हैरड डोमर माडल (Basic Harrod Domar Model) के नाम से जाना जाता है। इस मॉडल का सामान्य लक्ष्य, पूर्ण क्षमता सम्बन्धी स्टॉक वी शर्त (Full Capacity Stock Condition) तथा बचत/विनियोग सम्बन्धी बहाव की शर्त (Flow Condition of Saving/Investment) के साथ वस्तु-बाजार (Product Market) में सतुलन रखना तथा इसके साथ श्रम बाजार के सतुलन को सम्बद्ध करना है।

मान्यताएँ (Assumptions)

हैरड डोमर मॉडल वी निम्नलिखित मान्यताएँ हैं—

1. केवल एक प्रकार की वस्तु का उत्पादन होता है अर्थात् कुल आय अथवा उत्पादन एक समरूप प्रकृति अथवा ग्राहकी का होता है (Total income is a homogeneous magnitude)।

2. पूँजी के स्टॉक तथा आय में एक निश्चित तकनीकी सम्बन्ध (a fixed technological relationship) होता है।

3. आय में बचत का अनुपात स्थिर रहता है अर्थात् बचत की औसत प्रवृत्ति व सीमान्त प्रवृत्ति परस्पर समान होती है अर्थात् $APS=MPS$ पूँजी गुणांक (Capital Coefficient) स्थिर रहता है।

4. विनियोग तथा उत्पादन क्षमता की उत्पत्ति के मध्य कोई विशेष समयान्तर (Significant time-lag) नहीं होता है।

5. राष्ट्रीय उत्पादन के केवल दो ही उपयोग होते हैं—

(i) उपभोग (Consumption)

(ii) विनियोग (Investment)

6. केवल एक ही उत्पादन-कारक पर विचार होता है अर्थात् केवल पूँजी का ही विवेचन किया जाता है।

7. पूँजी का हास नहीं होता है अर्थात् पूँजी के स्टॉक की जीवनावधि अनन्त होती है।

8. अम शक्ति में एक स्थिर दर (Constant rate) से वृद्धि होती है तथा

* इस बढ़ी हुई श्रम शक्ति के लिए वस्तु बाजार में पूर्ण मांग रहती है।

9. पूँजी व श्रम दोनों में पूर्ण रोजगार वी स्थिति रहती है।

10. विदेशी व्यापार नहीं होता है और न ही विसी प्रकार का राजकीय हस्तक्षेप होता है।

11. हैरड मॉडल में बचत व विनियोग वास्तविक अथवा 'एक्सपोस्ट' (Expost) के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं।

हैरड डोमर मॉडल को पूर्णत समझने के लिए हैरड व डोमर के मॉडलों का पृष्ठ-पृष्ठक विवेचन आवश्यक है।

हेरड-मॉडल (The Harrod Model)

हेरड मॉडल प्रतिष्ठापित संत्य $S=I$ (बचत = विनियोग) के साथ प्रारम्भ होता है। इसे हेरड निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यवत्त करते हैं—

$$GC=S$$

उपरोक्त समीकरण इस तथ्य को प्रतिपादित करता है कि “विकास दर त्वरक और बचत की सीमान्त प्रवृत्ति का अनुपात होती है, अथवा वास्तविक बचत विनियोगों के बराबर होगी।” अतः

एक्सपोस्ट (Expost) अर्थ में वास्तविक विनियोग आवश्यक रूप से प्राप्त बचत (Realized Savings) के बराबर होता है : इस प्रकार

$$SY_t = C(Y_t - Y_{t-1}) \quad (1)$$

प्राप्त विकास दर (Realized rate of growth) को निम्न प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है—

$$G=Y_t - Y_{t-1} \quad (2)$$

समीकरण (1) के दोनों पक्षों को CY_t से विभाजित करते हुए—

$$\frac{S}{C} = \frac{Y_t - Y_{t-1}}{Y_t}$$

और इससे हम निम्न Identity प्राप्त कर लेते हैं—

$$G = \frac{S}{C} \quad \text{or} \quad GC = S$$

हेरड की यह मान्यता है कि एक्सपोस्ट बचतें (Expost Saving) सदैव एकत्रएन्टे पूर्ण रोजगार के स्तर (Exante full employment level) के बराबर होती हैं। किन्तु विनियोजित की जाने वाली राशि स्वयं में इतनी पर्याप्त होती चाहिए कि प्राप्त विकास-दर के कारण न तो पूँजी का अवैधिक सचय (Unintended accumulation) ही हो और न ही पूँजी के बतंगान स्टॉक में ही किसी प्रकार की कमी आए। यदि अवैधिक सचय होता है तो वास्तविक आप अपेक्षाकृत कम होगी और बचत वैधिक स्तर से नीचे गिर जाएँगी, क्योंकि उत्पादन में वृद्धि द्वारा समस्त बतंगान विनियोग राशि वा उपयोग नहीं हो सकेगा। पूँजी के अवैधिक हास की स्थिति में, बचत यांद्धित स्तर से अधिक होगी और उत्पादक यह अनुभव करने लगेंगे कि उत्पादन में वृद्धि के अनुपात में, उन्होंने पर्याप्त विनियोजन नहीं किया है। किन्तु यदि हम यह मानते हैं कि $S_t = S_1$ तो उत्पादकों द्वारा किया जाने वाला विनियोजन उत्पादन में वृद्धि की दृष्टि से उचित प्रमाणित होगा। इस अधिकत्य के कारण वे त्वरक C_t के अनुरूप विनियोजन करना चाहेंगे, जो विनियोग की गत समानुपाती दर C (Past Proportional rate C) के बराबर होगा, क्योंकि वे वास्तव में प्राप्त विकास दर के बराबर भावी विकास दर को जारी रखना चाहते हैं। इसलिए भावी वास्तविक विकास दर आवश्यक विकास दर के रूप में जारी रहेगी। इस प्रकार, जब तक $C_t = C$, तब तक प्राप्त विकास दर (G) वैधिक विकास दर -(G_w or Warranted Growth Rate) के बराबर होगी। इस सम्पूर्ण व्यवस्था

को इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है, $C_r = C$, तब $G = G_0$ तथा सभी प्रपेक्षाएँ इसमें पूरी होती हैं। अब

$$G = \frac{S}{C} = \frac{\gamma_t + \gamma_{t+1}}{\gamma_t} \text{ और } G_0 = \frac{S}{C_r} = \frac{\gamma_{t+1} - \gamma_t}{\gamma_{t+1}}$$

जब $G = G_0$, तब $G_{t+1} = G_t$

$G = G_0$ होने पर, व्यवस्था इस प्रकार के विकास पथ से बदल जाती है जिससे उत्पादन में परिवर्तन की वास्तविक दर के कलन के रूप में वित्तियोग सदैव उत्पादन के वर्तमान स्तर पर प्राप्त बचतों के बराबर होगा।

सन्तुलन की आवश्यकताओं को पुन निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है—

$$\frac{\Delta Y}{Y} - \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{S}{Y}$$

$$\text{जो } GC = S \text{ अथवा } \frac{\Delta K}{Y} = \frac{S}{Y} \text{ है}$$

अब चूंकि $\frac{\Delta K}{\Delta Y}$ वह पूँजी स्टॉक है, जो उत्पादन में प्रपेक्षित वृद्धि के लिए आवश्यक है, अन्य शब्दों में वांछित विनियोग की यह वह राशि है, जो वर्तमान बचत के बराबर होनी चाहिए। इसलिए इसे हम निम्न प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं—

$$\frac{\Delta K}{Y} = \frac{I}{Y} = \frac{S}{Y}$$

सन्तुलन मार्ग की सन्तुष्टि के लिए आवश्यक शर्तों से सम्बन्धित विभिन्न विधियों (Approaches) को निम्नलिखित सारणी में स्पष्ट किया गया है।

सारणी-1 सन्तुलन शर्तें (Equilibrium Conditions)¹

शर्त (Condition)	सरचनात्मक प्राचल (Structural Parameters)			वांछित विकास दर (Required Growth Rate)		
	$\frac{S}{Y}$	$\frac{\Delta K}{\Delta Y}$	$\frac{\Delta Y}{Y}$	$\frac{S}{Y}$	$\frac{\Delta K}{\Delta Y}$	$\frac{\Delta Y}{Y}$
(1) $\frac{S}{Y} = \frac{\Delta Y}{Y} \frac{\Delta K}{Y} = \frac{\Delta K}{Y}$,		4	0.05	0.20		
	$S = I$					
(2) $\frac{\Delta Y}{Y} = \frac{S}{\frac{\Delta K}{\Delta Y}}$, $G = \frac{S}{C}$	0.20	4				0.05
	$\frac{S}{\frac{\Delta K}{\Delta Y}}$					
(3) $\frac{\Delta K}{Y} = \frac{S}{\frac{\Delta Y}{Y}}$, $C = \frac{S}{G}$	0.20		0.05			4
	$\frac{S}{\frac{\Delta Y}{Y}}$					

1 Stanley Bober, The Economics of Cycles and Growth, p. 260

सारणी-1, पंचल 1 में, विकास दर या आय वृद्धि = 0.05 प्रति अवधि और सीमान्त पूँजी-प्रदा अनुपात = 4 होने पर, इस विकास दर को बनाए रखने के लिए, बचत और विनियोग आवश्यक होगे = 20 / [I=4(0.05)=0.20=S] यदि इस राशि से कम या अधिक बचत रहती हैं तो तस्तुरूप ही आय में वृद्धि की दर 5 / से अधिक अथवा कम रहेगी, परिणामस्वरूप, विनियोगों का पारदर्शन अनिवार्य होगा और इस परिवर्तन के कारण विकास दर भी बदल जाएगी।


पंचल 2 के अनुसार, यदि सरचनात्मक प्राचल (Structural Parameters) अर्थात् बचत $\left(\frac{S}{Y}\right)$ और सीमान्त पूँजी प्रदा अनुपात $\left(\frac{\Delta K}{\Delta Y}\right)$ दिए हुए होते हैं तो विकास दर ज्ञात हो जाती है ($I = G = \frac{20}{4} = 0.05$)। इस विकास दर का स्थायी बने रहना प्राचलों के स्थापित्व (Stability) पर निर्भर करता है।
 पंचल 3 के अनुसार, यदि कोई भी दो चल (Variables) दिए हुए होते हैं, तो आवश्यक तीसरा चल ज्ञात किया जा सकता है। जैसे $\frac{S}{Y}$ प्रथवा I (विनियोग) = 20 तथा विकास दर $\left(\frac{\Delta Y}{Y} \text{ or } G\right) = 0.5$ दिए हुए हैं। इनकी सहायता से तीसरा चल सीमान्त पूँजी प्रदा अनुपात $\left(\frac{\Delta K}{\Delta G}\right)$ इस प्रकार ज्ञात किया गया है— $\frac{20}{0.5} = 4$

उपरोक्त सन्तुलन-पथ की पूर्ण रोजगार-पथ के रूप में विवेचना इसलिए नहीं की गई है क्योंकि यह मान्यता आवश्यक नहीं है कि केवल पूर्ण रोजगार की अवस्थाओं के अन्तर्गत ही स्थायी व निरन्तर विकास दर की विशेषताएँ (Properties) का स्वतं सचालन सम्भव होता है। उदाहरणार्थ हिक्स की E E रेखा (Hicksian E E line) पूर्ण रोजगार से पूर्व-स्थिति में भी स्थायी विकास (Steady growth) को दर्शाती है। पूर्ण रोजगार की मान्यता के लिए प्रारम्भिक शर्त (Initial condition) के रूप में यह मान कर चलना आवश्यक है कि $G =$ पूर्ण रोजगार के है, अथवा हैरड की शब्दावली में यह कहा जाना चाहिए कि $G = G_0, G_n$ का प्राथम्य स्वाभाविक विकास दर (Natural Growth Rate) से है। यह वह दर (Rate of advance) है जिसकी अधिकतम सीमा जनसंख्या की वृद्धि और तकनीकी सुधारों पर आधारित होती है। इसे एक अन्तिम उच्चतम विकास दर (Ceiling Growth Rate) के रूप में भी परिभासित किया जा सकता है जो G के अधिकतम औसत मूल्य की सीमा निर्धारित करती है। $G = G_w = G_n$ सन्तुलन मार्ग के निर्धारण के लिए हमको न केवल स्वतन्त्र रूप से निर्धारित S और C चलों के ही संयोग को लेना चाहिए बल्कि साथ ही यह भी निश्चित कर लेना चाहिए कि विकास की यह दर तथा वह दर जिससे श्रम शक्ति में वृद्धि होती है,

परस्पर बराबर हैं। श्रम शक्ति की वृद्धि दर अधिकांशत उत्पादन की वृद्धि से स्वतन्त्र होती है। इसका निर्वारण ईमोप्राफिक शक्तियों द्वारा होता है।

ज्यामितीय विश्लेषण द्वारा इस स्थिति को और अधिक स्पष्ट किया जा सकता है।

चित्र-4



मॉडल का ज्यामितीय विश्लेषण

(Geometric Analysis of the Model)¹

चित्र-4 में Y_0 से Y_1 तक उत्पादन में परिवर्तन (ΔY) प्रेरित (Induced) विनियोग की Y_1 पर वास्तविक राशि $= I_1 = S_1 (Y_1)$ होगी। विनियोग की इस राशि से उत्पादित आय $= Y_2$ होगी। पुन उत्पादन में परिवर्तन i.e. $Y_2 - Y_1 = \Delta Y_2$ से प्रेरित विनियोग की राशि $I_2 = S_2 (Y_2)$ होगी। टूटी हुई विनियोग रेखा (Dashed Investment Line) तथा Y -अक्ष के समानान्तर छोस रेखा का कटाव बिन्दु (Intersection point) उस आवश्यक विनियोग को प्रदर्शित करता है जो आगे वृद्धि के कारण किया जा रहा है (i.e., it indicates the required investment that is forthcoming)। *यदि हम विनियोग गुणाक (Investment coefficient) में किसी परिवर्तन के न होने की मान्यता लेते हैं तो बचत का प्रनुपात जितना अधिक होगा उतनी ही अधिक वृद्धि दर उत्पादन अथवा आय में होती चाहिए जिससे सन्तुलन के लिए पर्याप्त विनियोग प्रेरित हो सके।² (The greater the proportion of savings the greater must the rate of increase in output be to induce sufficient investment to maintain Equilibrium, if we assume no change in the investment coefficient)

1 H Piven, A Geometric Analysis of Recent Growth Models AER 42, Sept., 1952 pp. 594-595

2 Ibid p. 261

सारणी-2 में उन विभिन्न विकास दरों को दर्शाया गया है जो S और C (S =बचत की सीमात्त प्रवृत्ति और C =पूँजी-प्रदा अनुपात) के विभिन्न संयोगों (Different Combinations) पर आवश्यक होती है।

सारणी-2. भिन्न शर्तों के अन्तर्गत आवश्यक विकास दर¹
(Required Growth Rate under Different Combinations)

S	C			
	$\frac{1}{2}$	1	4	10
0	0	0	0	0
0.10	0.20	0.10	0.025	0.01
0.20	0.40	0.20	0.05	0.02

यदि $S=10$ और $C=\frac{1}{2}$ हो तो $G=20$ होगी, किन्तु $S=20$ होने पर G ($i.e. = 20$) को स्थिर रखने के लिए C को $\frac{1}{2}$ से बढ़ाकर 1 किया जाना आवश्यक होगा। परन्तु यदि हमको सारणी का विश्लेषण उत्पादन में आवश्यक वृद्धिन्दर के रूप में करना है, तो बचत का अनुपात = 10 के लिए हुए होने पर, पूँजी-प्रदा-अनुपात में $\frac{1}{2}$ की कमी, अर्थात् 1 से $\frac{1}{2}$ होने की स्थिति में, सन्तुलन कायम रखने के लिए विकास दर में 100 प्रतिशत वृद्धि आवश्यक होती है। अर्थात् किसी दी हुई आमत बचत प्रवृत्ति (APS) का त्वरक गुणांक (*Acceleration Coefficient*) जितना कम होगा, उतना ही प्रथिक पूँजी रोजगार की स्थिति बनाए रखने के लिए पर्याप्त विनियोग को प्रेरित करने के उद्देश्य से विकास-न्दर को छोड़ा रखना होगा। इसके प्रतिरिक्त, जैसा कि सारणी में प्रदर्शित किया गया है, जितना छोड़ा गुणांक (C) होगा, उत्पादन में वृद्धि दर उतनी कम होगी—यद्या जब $C=\frac{1}{2}$, तब $G=40$ है और जब $C=10$ है तब $G=02$ है। उदाहरणार्थ, विनियोग फलन जितना अधिक लेटा हुआ (*Flatter*) है, उतना ही अन्तर Y के स्तरों में पाया जाता है, बशर्ते कि, $S=I$ हो।

डोमर मॉडल (The Domar Model)

हेरड के मॉडल को सरलता से डोमर के मॉडल में परिवर्तित किया जा सकता है। दोनों के ही मॉडल यह प्रतिपादित करते हैं कि पूँजी रोजगार को बनाए रखने के लिए, पूँजी रोजगार के स्तर वाली आय से प्राप्त वौद्धित बचत की राशि वौद्धित विनियोगों के बराबर होनी चाहिए। डोमर मॉडल का मूल प्रश्न यह है कि बढ़ते हुए पूँजी संचय से प्रतिफलित बढ़ती हुई उत्पादन क्षमता का पूँजी उपयोग करने के लिए किस दर से अर्थव्यवस्था का विकास किया जाना चाहिए? इसके विपरीत हेरड मॉडल में अन्तर्निहित प्रश्न इस प्रकार है कि अर्थव्यवस्था में किस दर

1 Paul A. Samuelson 'Dynamic Process Analysis', Survey of Contemporary Economics, H. S. Ellis (Ed.), AEA-Series, p. 362

से वृद्धि होनी चाहिए कि विनियोजक विनियोजन की अपनी वर्तमान दर को जारी रखने में ओर्डिनेशन का अनुभव करें। डोमर जहाँ बदलती हुई उत्पादन-क्षमता के तकनीकी प्रभाव से सम्बन्ध रखते हैं, वहाँ हैरड अपने को मूलत विनियोग निर्णयों पर केन्द्रित रखते हैं।

मॉडल की विवेचना (Interpretation of the Model)

उक्त मॉडल में—

σ =उत्पादन क्षमता में वृद्धि + नए विनियोग की राशि। सामान्यतः σ का मूल्य विनियोग के मूल्य से भिन्न होगा क्योंकि नई उत्पादन-क्षमता के एक अश के लिए वर्तमान सुविधाएँ (Existing facilities) उत्तरदायी होती हैं। इस प्रकार—

$I\sigma$ =अर्थव्यवस्था की 'उत्पादन सम्भावना' (Productive Potential)

I में परिवर्तन से गुणक द्वारा कुल मांग (Aggregate demand) में परिवर्तन होता है, जिसे निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है—

$$\Delta Y = \frac{1}{S} \Delta I,$$

जहाँ $\frac{I}{S}$ =गुणक, ΔI =विनियोग में परिवर्तन, ΔY =मांग में वृद्धि,

S =चक्र की सीमान्त प्रवृत्ति या MPS विनियोग में परिवर्तन तथा साथ ही, उत्पादन-क्षमता में भी वृद्धि उत्पन्न करता है, जिसे $I\sigma$ से दर्शाया जाता है। व्यवस्था में उत्पादन-क्षमता में न आधिक्य की स्थिति रहे और न न्यूनता की, इसके लिए कुल मांग व कुल पूति की सापेक्ष वृद्धि दरें, स्थिर रहनी चाहिए। अत यह आवश्यक है कि—

$$\Delta I = \frac{I}{S} - \sigma I$$

उपरोक्त समीकरण के दोनों पक्षों को S से गुणा करते हुए और I से विभाजित करने पर प्राप्त परिणाम होगा—

$$\frac{\Delta I}{I} = \sigma - S$$

इस समीकरण से स्पष्ट है कि पूर्ण क्षमता के उपयोग का सतुलन मार्ग तभी बना रह सकता है, जबकि विनियोग में सापेक्ष परिवर्तन की दर विनियोग की उत्पादकता दर के बराबर रहती है। यदि यह दर कम है प्रथम् जब $\frac{\Delta Y}{Y} < \sigma - S$ परिणाम अतिरिक्त क्षमता की उत्पत्ति होगा। आय का वर्तमान पर्याप्त स्तर कल और भी अधिक आय के स्तर की आवश्यकता पैदा करेगा। अर्थव्यवस्था के निर्दर्श गति से चलने रहने के लिए विनियोग दर का तीव्र गति से निरतर बढ़ते रहना आवश्यक होगा।

मॉडल का गणितीय उदाहरण

(Numerical Example of the Model)¹

यदि हम यह मानते हैं कि $S=0.25$ और $\sigma=0.10$ तो \$ 10 के नए विनियोग से \$ 1 के बराबर नयी उत्पादन क्षमता का निर्माण होता है। निम्नलिखित सारणी में $t=1$ अवधि से सत्रुलन की स्थिति प्रारम्भ करते हुए, हम देखते हैं कि यदि विनियोग में $\sigma \cdot S = 2.5\%$ की वाँछित दर से वृद्धि होती है तो प्रत्येक अवधि में उत्पादन क्षमता की वृद्धि जो पूर्ण उपयोग में रखने के लिए, आप में जो परिवर्तन होता है, वह पर्याप्त होगा। दूसरी अवधि में पूँजी का स्टॉक $400(0.025) = \$10$ से बढ़ता है, जिसके कारण उत्पादन क्षमता में $10(0.10) = 1$ की वृद्धि होती है। $t=2$ अवधि में 2.5% की दर से विनियोग बढ़कर 10.25 हो जाता है। इस विनियोग से वास्तविक मांग में जो वृद्धि होगी, वह वही हुई क्षमता के पूर्ण उपयोग के लिए आवश्यक है, इन्तु इस प्रक्रिया के क्रम में $t=3$ अवधि में पूँजी का स्टॉक बढ़कर 420.25 हो जाता है तथा उत्पादन-क्षमता 1.025 से बढ़ जाती है। इस बढ़ी हुई उत्पादन-क्षमता के पूर्ण उपयोग के लिए विनियोग 2.5% की दर से बढ़कर 10.506 हो जाएगा। इस प्रकार जब तक विनियोग में वाँछित दर से वृद्धि जारी रहती है, पूर्ण क्षमता बताए पथ सत्रुलित बना रहता है (The full capacity path is maintained as long as investment keeps rising at the required rate).

सारणी के पैनल B में विनियोग स्थिर रहता है। इस स्थिति में हम यह देखते हैं कि प्रत्येक अवधि में उत्पादन क्षमता (Output Capacity) और वास्तविक मांग (Actual Demand) का अन्तर बढ़ता जाता है। यह स्थिति डोमर के मूल हृष्टिकोण को इन शब्दों में स्पष्ट करती है, 'जब प्रत्येक अवधि में विनियोग और आप स्थिर रहते हैं, तब क्षमता निरतर बढ़ती जाती है। इस क्रम में एक ऐसा विन्दु आ पहुँचेगा जिस पर साहसियों की अपेक्षित प्रत्याशाओं (Anticipations) के पूरा न होने पर, विनियोग में गिरावट की प्रवृत्ति प्रारम्भ होने लगती है। इस प्रकार विकास क्रम की समाप्ति विनियोगों में गिरावट लाने के लिए पर्याप्त है (Thus a cessation of growth is sufficient to cause a decline)।'

पैनल C के अनुसार विनियोग में वृद्धि की धीमी दर से उत्पादन क्षमता में अतिरेक की स्थिति उत्पन्न होती है; पूर्ति और मांग में अन्तर स्पष्ट होता जाता है, क्योंकि विनियोग में 2.5% के स्थान पर केवल 1% से ही वृद्धि होती है।


1. Gardner Ackley • Macro Economic Theory, p 516

डोमर मॉडल की स्थितियाँ (The Domar Model Conditions)¹

<i>t</i>	पूँजी का स्टॉक (Capital Stock)	थपता-उत्पादन (Capacity Output)	मांग (Demand)	उपभोग (Consumption)	विनियोग (Investment)
पैनल A					
1	400	40	40	30	10
2	410	41	41	30.75	10.25
3	420.25	42.025	42.025	31.518	10.506
पैनल B					
1	400	40	40	30	10
2	410	41	40	30	10
3	420	42	40	30	10
पैनल C					
1	400	40	40	30	10
2	410	41	40.4	30.3	10.1
3	420.1	42.01	40.8	30.6	10.2

डोमर-मॉडल के सतुलन-मार्ग को निम्न चित्र द्वारा भी प्रदर्शित किया जा सकता है—

चित्र 5



चित्र-5 में I_0 और S_0 का कटाव बिन्दु (Intersection point) प्राय का पूर्ण क्षमता स्तर (Full capacity level of income) प्रदर्शित करता है। इसके

1 H Pilgrim, op cit., quoted from Stanley Bober, op cit., p 267

अतिरिक्त, टूटी हुई लम्बवत् रेखा (The vertical dashed line) I_0 विनियोग के परिणामस्वरूप S_0P_0 मात्रा से बढ़ी हुई उत्पादन-क्षमता को प्रदर्शित करती है। उत्पादन क्षमता में इस वृद्धि के बारण आय में भी इसी दर से वृद्धि प्रावश्यक हो जाती है। जब विनियोग I_0 से बढ़कर I_1 हो जाता है तब जिस दर से आय बढ़ती है, उससे $I_1 S_1$ पर नया सतुलन स्थापित हो जाता है। इस नए सतुलन पर आय वृद्धि की सीमा S_2P_2 हो जाती है तथा विनियोग राशि में भी वॉल्युम परिवर्तन आवश्यक हो जाता है।

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि—

1 क्षमता गुणांक (Capacity coefficient) जितना कम होता है अथवा क्षमता रेखा (Capacity Line) का ढाल जितना अधिक (Steeper) होता है, विनियोग मात्रा में उतना ही कम परिवर्तन आवश्यक होता है।

2 किसी दिए हुए क्षमता गुणांक पर, बचत रेखा जितनी ढाल होगी जितनी अथवा जितनी अधिक बचत की सीमान्त प्रवृत्ति होगी, विनियोग राशि उतनी ही अधिक सतुलन बनाएं रखने के लिए आवश्यक होगी।

3 जिस प्रकार हेरड मॉडल में जब एक बार अर्थव्यवस्था सतुलन के मांग से हट जाती है तब बचत फलन और विनियोग फलन में परिवर्तन के मध्य नीतिविकल (Policy Choices) रहते हैं, जिन्हें डोमर मॉडल हमें σ तत्व के रूप में विनियोग के लिए तकनीकी आधार के प्रति सतक करता है।

दोनो मॉडल में परस्पर सम्बन्ध

(Relation between two Models)

डोमर मॉडल में

$$\frac{\Delta Y}{Y} = \Delta I \left(\frac{I}{S} \right) = \text{Demand (मांग)}$$

$$\frac{\Delta I}{I} = \sigma I = \text{Supply (पूर्ति)}$$

$$\text{और } \frac{\Delta Y}{Y} = \sigma I = G_r \text{ (Required Growth Rate)}$$

इस प्रकार के सतुलन मार्ग में $S=I$ होता है। यदि I से S अधिक या कम होता है तो इसके परिणामस्वरूप आवश्यक स्तर से कम अथवा अधिक उत्पादन क्षमता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है अथवा विनियोग दर बहुत अधिक अथवा बहुत कम रहती है। डोमर साहसियों को कोई ऐसा व्यवहार करन का सुझाव प्रस्तुत नहीं करते हैं, जो उनके लिए विनियोग की मात्रा के उचित परिवर्तन की निश्चयात्मकता का आधार बनता हो। वे केवल उस राशि का उल्लेख करते हैं जिससे विनियोग की मात्रा में वृद्धि होनी चाहिए।

हेरड मॉडल में—

$$\frac{\Delta Y}{Y} = \Delta I \left(\frac{I}{S} \right) = \text{Demand (मांग)}$$

$$\frac{\Delta I}{I} = \frac{S}{C} = \text{Supply (पूर्ति)}$$

$$\text{और } \frac{\Delta Y}{Y} = \frac{S}{C_r} = G_w \text{ (Warranted Rate of Growth)}$$

इस प्रकार के सतुलन में $S=I=C_r$, यदि $I > S$ है तो साहसी प्रपते गत विनियोग निलंबों पर अमृष्ट होते हैं इसलिए विनियोग को बढ़ाना या घटाना चाहते हैं। हेरड साहसियों के लिए इस प्रकार के आचरण अवयवा कार्य करन की प्रेरणा प्रस्तुत करते हैं, जिसके करने पर विकास की उचित दर जारी रहती है और विकास की इस दर के कन्वॉर्लैप विनियोग में उचित परिवर्तन स्वतं प्रेरित होता है, जबकि डोमर मॉडल में विनियोग की उचित राशि एक बाह्य चल या तत्व (Exogeneous Variable or Element) के रूप में प्रयुक्त होती है।

दोनों के सतुलन मार्गों को परस्पर सम्बन्धित करते हुए हम यह पाते हैं कि डोमर-मॉडल की निरत बदलती हुई उत्पादन-क्षमता, प्रेरित विनियोग की उचित राशि का परिणाम होती है, अर्थात्

$$\frac{\Delta I}{I} = \sigma I = \frac{S}{G_r}$$

और विकास की वह दर भी जो क्षमता को बहन करती है, साहसियों के गत निलंबों के अधिकार्य को प्रमाणित करती है, अर्थात्

$$G_r = G_w = G.$$

मॉडल की अद्वितीयता के लिए व्यावहारिकता (Applicability of the Models for UDCs)

प्रथम, मॉडल में 'प्रस्थापित' (Instability) की समस्या वास्तव में अद्वितीयता की नहीं विकल्पिक विकसित देशों की समस्या है। अद्वितीयता की समस्या स्वयं 'आर्थिक वृद्धि' (Growth) है।

द्वितीय, इस मॉडल में 'संस्थानी स्टेगेनेशन' (Secular Stagnation) की विवेचना की गई है, जो वर्तमान वाले देशों की विशेषताओं के प्रत्यर्गत नहीं आता है।

इसके अतिरिक्त ये प्रयुक्त चल अधिकार्यता के सम्बन्ध स्वरूप को दर्शाते हैं। समूहों (Aggregates) के आधार पर निर्मित मॉडल देशों के मध्य अन्न सम्बन्धों को प्रदर्शित नहीं कर सकता है इसलिए अद्वितीयता की अद्वितीयता भी विकास जन्म-संरचनात्मक परिवर्तनों को प्रस्तुत करने में अनुप्रयुक्त होता है।

अविकासित ये मॉडल मान्यताओं एवं Abstractions पर आधारित हैं, इसलिए यथार्थता से दूर है।

उत्पादन कलन को स्थिर माना गया है, इसलिए उत्पादन-न्वारकों में परस्पर अतिस्थापन के लिए इन मॉडलों में कोई स्थान नहीं है।

यद्यपि अद्वैत-विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए इन मॉडलों की व्यावहारिकता बहुत कम है, तथापि कुल मिलाकर भाष्य, विनियोग और बचत के लक्षणों के सम्बन्ध में एक उचित जानकारी प्रदान करने में वडे उपयोगी है। साथ ही इन लक्षणों की पारस्परिक अनुरूपता (Consistency) के परीक्षण हेतु भी ये मॉडल उपयुक्त समझे जाते हैं। कम आय वाले देश मुद्रा-प्रकार के प्रति वडे Susceptible होते हैं, इस तथ्य की विवेचना भी इन मॉडलों में की गई है। इन देशों में विनियोग-दर में अल्प वृद्धि के परिणाम अथवा प्रभाव अत्यधिक तीव्र होते हैं, क्योंकि प्रारम्भिक विनियोग दर एवं विकास-दर बहुत निम्न होती है। इस तथ्य का प्रतिप्रदेश भी इन मॉडलों में समुचित रूप से किया गया है। इस प्रकार, मूलत विकसित अर्थव्यवस्थाओं से सम्बन्धित होते हुए भी हेरड डोमर मॉडल की अद्वैत-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं के लिए उपयोगिता है।

हिक्स द्वारा हेरड-मॉडल की समालोचना (Hicks's Comments on Harrod Type Macro Dynamics)

प्रो. हिक्स के शब्दों में, “किसी ऐसी अर्थव्यवस्था की क्रियाओं को, जिसमें सम्मुख विनियोजन प्रेरित विनियोजन होता है, समझना एक दिलचस्प स्थिति है।” प्रो. हिक्स ने हेरड डोमर मॉडलों की निम्नलिखित समालोचनाएँ प्रस्तुत की हैं—

1 पूँजी की समरूपता (Homogeneity of Capital) की मान्यता अवश्यक है। यदि हम इसे मान भी ले तब भी $K_t = K_t^*$ ($K_t =$ पूँजी का प्रारम्भिक स्टॉक और $K_t^* =$ पूँजी का वान्दित स्टॉक) स्टॉक सतुरन की पर्याप्त शर्त न होकर, केवल एक आवश्यक शर्त है, क्योंकि योग (Aggregates) समान हो सकते हैं, किन्तु कुछ पूँजियों के वास्तविक स्टॉक का कुछ अर्थवा सभी उद्योगों में वांछित स्तर से अधिक तथा कुछ अन्य उद्योगों में वांछित स्तर से कम होना सम्भव है।

2 प्रति अवधि म बचत गुणांक (S) को स्थिर मानना भी तर्क-युक्त नहीं है। मॉडल के बीजगणितीय स्वरूप में यह अन्तिमिहत है कि अवधि के प्रारम्भ व अंत में पूँजी-प्रदा अनुपात वही रहता है, किन्तु सामान्यत वांछित पूँजी-उत्पादन पर आक्षित रहना आवश्यक नहीं है।

3 हेरड की G_w (Warranted Rate of Growth) सतुरन-मार्ग के निर्धारण के लिए पर्याप्त नहीं है। $GC = S$ केवल एक बहाव शर्त (Flow Condition) है, क्योंकि हेरड मॉडल में पूँजी का कोई ऐसा भाग नहीं है जो स्वत निर्धारित होता हो, इसलिए एक निरण्यक सतुरन-पथ के लिए कुछ अधिक सरलीकरण (Simplification) की आवश्यकता है।

4 हेरड मॉडल को अधिक अर्थयुक्त बनाने हेतु यह शर्त आवश्यक है कि $C^* > S$ ($C^* =$ पूँजी-प्रदा अनुपात और $S =$ बचत गुणांक) यदि विचारधीन अवधि केवल एक माह है, C^* काफी बड़ा होना चाहिए, किन्तु यदि अवधि दीर्घ हो तो यह शर्त $C^* > S$ बहुत कम संतुष्ट हो सकेगी। परन्तु यह स्पष्ट है

कि $C > S$ की शर्त मॉडल में आवश्यक है। यह महत्वपूर्ण विचार है, क्योंकि 'हेरड मॉडल की अस्थायित्वता (Instability) सम्बन्धी केन्द्रीय स्थिति' इनी पर निर्भर करती है।

5. आय के साथ-साथ बचत में वृद्धि की प्रवृत्ति को प्रकट करने का ग्रन्थ दिक्कल्प उपभोग दिलम्बनों (Consumption Lags) के भाव्यम द्वारा हो सकता है। प्रतः यदि हम इस मान्यता को छोड़ दें कि वृद्धित पूँजीगत अवधि के उत्पादन पर निर्भर करती है तब भी 'अस्थायित्वता' (Instability) के प्रमाण पर कोई रहा प्रभाव नहीं होगा।

6. हेरड ने G_n (Natural Growth Rate) की परिकल्पना विकास की सी उच्चवान्दर के रूप में की है, जिसकी अधिकतम सीमा निर्धारण श्रम-पूर्ति की उच्चतम सीमा (Ceiling) करती है। हेरड के अनुसार श्रम-पूर्ति की इस सीमा के उपरान्त उत्पादन का विस्तार आगे नहीं हो सकेगा, बल्कि उत्पादन में कभी की प्रवृत्ति पैदा होगी, किन्तु यह आवश्यक नहीं है। वास्तव में, श्रम-पूर्ति की अधिकतम सीमा के आ जाने के पश्चात, पूँजी-प्रदा अनुपात बढ़ने लगेगा और श्रम के रोजगार में वृद्धि न होने की स्थिति में भी उत्पादन का विस्तार जारी रह सकता है। श्रम-पूर्ति के स्थिर रहते हुए पूँजी की सांख्यिकी में वृद्धि द्वारा उत्पादन का विस्तार किए जाने की सम्भावना पर नव-प्रतिष्ठापित अर्थशास्त्रियों (Neo-classical Economists) द्वारा विचार किया गया है। इस सम्बन्ध में केलडोर (Kaldor) का नाम उल्लेखनीय है। जॉन रॉबिनसन द्वारा समालोचना

(A Comment by John Robinson)¹

1 जॉन रॉबिनसन का $G = \frac{S}{V}$ के सम्बन्ध में मत है कि पूँजी से प्राप्त साधन

(ग) S और V को प्रभावित करता है। अतः विभिन्न साधन-दरों की स्थिति में विकास-दर कोई एक न होकर अनेक हो सकती है।

एक विकास-दर के स्थान पर विभिन्न साधन-दरों के अनुलेप द्वारा एक विकास-दरों की सम्भावना का उत्तर देते हुए हेरड ने कहा है कि यद्यपि एक गतिशील स्थिति उत्पादन की अवस्था में (In a State of Dynamic Equilibrium) एक से अधिक साधन-दरों की सम्भावना को अस्वीकारा नहीं जा सकता है, तथापि हेरड इसे एक असामान्य स्थिति मानते हैं।

2. जॉन रॉबिनसन के अनुसार पूरी अवधि के दौरान स्थिर रहने वाली विकास-दर अर्थात् $G = \frac{I}{K}$ होती है। हेरड के अनुसार इसका तात्पर्य है कि सीमान्त पूँजी-प्रदा अनुपात, अवैबवस्था में औसत पूँजी-प्रदा अनुपात के समान होता है किन्तु हेरड इस मान्यता को असंत भाव मानते हुए, रॉबिनसन की विकास-दर

¹ John Robinson : "Harrod After Twenty One Years". Sept. 1970, Vol. LXXX, p. 731

1c $G = \frac{I}{K}$ की अवधारणा को अस्वीकार करते हैं।

3 तीसरी आलोचना है कि हरड मॉडल में यह मान्यता ली गई है कि 'सम्पूर्ण शुद्ध लाभ परिवारों में वितरित होता है'। किन्तु इस आलोचना का उत्तर देते हुए हरड का मत है कि अपने मॉडल में उन्होंने इस प्रकार की मान्यता की कही भी विसी प्रकार से कल्पना नहीं की है।

निष्कर्ष (Conclusion)

हरड-डोमर मॉडल के विशेषण का सारांश निम्न प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है—

1. स्थायी व निरन्तर विकास की समस्या में विनियोजन की भूमिका केन्द्रीय होती है।

2. बड़ी हुई उत्पादन क्षमता के परिणामस्वरूप अधिक उत्पादन अथवा अधिक बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यह स्थिति आय के व्यवहार पर निर्भर करती है।

3. आय के व्यवहार के लिए ऐसी शर्तों की कल्पना की जा सकती है, जिनके अन्तर्गत पूर्ण रोजगार की स्थिति को कायम रखा जाना सम्भव है।

4. डोमर के अनुसार सन्तुलन-विकास-दर गुणक के आकार तथा नए विनियोग की उत्पादकता पर निर्भर करती है। यह बचत की प्रवृत्ति गुणा त्वरक के विनोम के बराबर होती है। अत यदि पूर्ण रोजगार को बनाए रखना है तो सचम व्याज-दर से आय में बढ़ि होना आवश्यक है।

5. व्यापार चक्रों को स्थायी आर्थिक वृद्धि के मार्ग में एक विचलन के रूप में विचारा गया है।

महालनोबिस मॉडल

(The Mahalanobis Model)

महालनोबिस मॉडल विकास-नियोजन (Development-planning) का एक चार क्षेत्रीय अर्थमिति मॉडल (A four Sector Econometric Model) है। मॉडल का निर्माण अर्थमिति की सकाय प्रणाली (Operational-System) द्वारा किया गया है। मॉडल में कुछ सीमा दशाप्रे (Boundary-Conditions) तथा सरचनात्मक प्राचल (Structural Parameters) व साथ ही कुछ साधन-चक्रों (Instrument-Variables) एव लक्ष्य-चक्रों (Target-Variables) के एक समूह का प्रयोग किया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था को चार क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है (1) विनियोग वस्तु क्षेत्र (The Investment Goods Sector), (2) फैक्ट्री उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र (The Factory Consumer Goods Sector), (3) लघु-इकाई उत्पादन क्षेत्र अथवा घरेलू उद्योग क्षेत्र (Small Unit Production Sector or House-hold Industries' Sector), तथा (4) सेवा उत्पादन क्षेत्र (The Sector Producing Services)। इन क्षेत्रों के लिए त्रिमूल K, C₁, C₂ C₃

चिह्नों (Symbols) को प्रयोग में लिया गया है। आय-निर्माण (Income Formation), रोजगार-वृद्धि (Employment Generation) तथा बचत व विनियोग की विधि (The Pattern of Saving and Investment) की हैं—मेरे इन क्षेत्रों में परस्पर सरचनात्मक सम्बन्धों (Structural Relations) को देखा गया है। महालनोबिस के इस चार क्षेत्रीय अर्थमिति मॉडल का निर्माण सन् 1955 में हुआ। इससे पूर्व 1952 में महालनोबिस ने एक क्षेत्रीय मॉडल तथा 1953 में पूर्जीगत वस्तु क्षेत्र तथा उपभोग वस्तु क्षेत्र बाले द्विशेषीय मॉडल की सरचना की थी।

परिकल्पना (Hypothesis)

प्रस्तुत मॉडल में देश में अनुमानित 5,600 करोड़ की धनराशि से द्वितीय पचवर्षीय योजना की अवधि में 5% वार्षिक विकास-दर (5% Annual Growth Rate) व 11 मिलियन व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त रोजगार की उपलब्धि की एकलक्षणीय की गई है। अनुमानित धन-राशि को अर्थव्यवस्था के चारों क्षेत्रों में स प्रकार वितरित करने का प्रयास किया गया है कि प्रत्येक क्षेत्र में जम्मा राष्ट्रीय विधि की वार्षिक वृद्धि तथा रोजगार वृद्धि का योग कमशा 5% तथा 11 मिलियन वितरिक्त व्यक्ति हो सके। इसीलिए इस मॉडल को आर्थिक विकास के मॉडल के वर्तन पर प्राय वितरण मॉडल (Allocation Model) की सक्षमता दी जाती है।

मॉडल का ग्राह्य (Structure of the Model)

मॉडल में लिए गए चारों क्षेत्रों—विनियोग वस्तु क्षेत्र, फैक्टरी उत्पादित उपभोग वस्तु क्षेत्र, लघु वा यूह उद्योगों द्वारा उत्पादित उपभोग वस्तु क्षेत्र, तथा सेवा उत्पादन क्षेत्र, के लिए चार उत्पादन-पूँजी अनुपात (Output Capital Ratios) अथवा उत्पादकता गुणांक (Productivity Coefficient) लिए गए हैं, जिनको β 's (बीटाज्) प्रकट करते हैं, पूँजी अथवा अनुपातों (Capital Labour Ratios) के लिए θ 's (थोटाज्), वितरण प्राचनों (Allocation Parameters) के लिए λ 's (लेम्बदाज्) का प्रयोग किया गया है, जो कुछ विनियोग का प्रत्येक क्षेत्र में अनुपात प्रदर्शित करते हैं। मॉडल में विभिन्न आर्थिक मात्राओं (Economic Magnitudes) के समाधान हेतु युग्मपद समीकरण प्रणाली (System of Simultaneous Equations) अपनाई गई है। सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए कुल आय तथा कुल रोजगार के रूप में लक्ष्य चलों की मान्यता लेते हुए, दिए हुए उत्पादकता गुणांकों और पूँजी अथवा अनुपातों तथा कुल विनियोग की मात्रा की सहायता से युग्मपद समीकरणों द्वारा प्रत्येक क्षेत्र में जनित रोजगार व आय के अनुभागों (Components) को ज्ञात किया गया है।

मॉडल में निम्नलिखित तत्व अज्ञात (Unknown) हैं—

K	C_1	C_2	C_3
γk	γ_1	γ_2	γ_3
Nk	N_1	N_2	N_3
λk	λ_1	λ_2	λ_3

जिसमें γ 's (गामाज) = क्षेत्रों में जनित आय-वृद्धि,
 N s = रोजगार वृद्धि,

त्रीते λ 's (लेम्बद्वाज) = वितरण प्राचलों (Allocation Parameters)
 ने लिए प्रयुक्त हुए हैं।

मॉडल में आंकड़ों (Datas) के लिए निम्न चिह्न प्रयोग में लिए गए हैं —

I

β_k

β_1

β_2

β_3

θ_k

θ_1

θ_2

θ_3

जिसमें β 's = उत्पादन पूँजी प्रनुपात, I = कुल विनियोग
 θ 's = पूँजी शर्म अनुपात

मॉडल के समीकरण (Equations of the Model)

मॉडल में 11 समीकरण तथा 12वाँ अज्ञात तत्व हैं। समीकरण निम्न प्रकार हैं—

$$(1) \gamma k + \gamma_1 + \gamma_2 + \gamma_3 = \gamma \quad (\text{प्रथम कल्पित स्थिरांक} - \text{First Arbitrary Constant})$$

$$(2) Nk + N_1 + N_2 + N_3 = N \quad (\text{द्वितीय कल्पित स्थिरांक} - \text{Second Arbitrary Constant})$$

$$(3) \lambda K I + \lambda_1 I + \lambda_2 I + \lambda_3 I = I \quad (\text{तृतीय स्थिरांक} - \text{Third Constant})$$

$$(4) \gamma K = I \lambda K \beta K$$

$$(5) \gamma_1 = I \lambda_1 \beta_1$$

$$(6) \gamma_2 = I \lambda_2 \beta_2$$

$$(7) \gamma_3 = I \lambda_3 \beta_3$$

$$(8) NK = \frac{I \lambda K}{\theta K}$$

$$(9) N_1 = \frac{I \lambda_1}{\theta_1}$$

$$(10) N_2 = \frac{I \lambda_2}{\theta_2}$$

$$(11) N_3 = \frac{I \lambda_3}{\theta_3}$$

11 समीकरण तथा 12वाँ अज्ञात तत्व होने के कारण, समीकरणों की इस व्यवस्था में एक अश की स्वतन्त्रता (One Degree of Freedom) है। महालनोबिस ने इस स्वतन्त्रता का उपयोग निम्न समीकरण में किया है—

$$(12) \lambda K = \frac{1}{2} \text{ or } 33$$

युग्मद समीकरणों की उपरोक्त व्यवस्था में

$$\begin{bmatrix} \gamma \\ N \\ I \end{bmatrix} = \begin{cases} \text{काल्पिक स्थिरांक, मॉडल की सीमा-दशाओं के प्रतीक हैं।} \\ \text{ये कुल मिलाकर लक्ष्य (Overall Targets) को भी प्रकट करते हैं।} \end{cases}$$

$\begin{bmatrix} \theta's \\ \beta's \end{bmatrix} = \begin{cases} \text{प्रार्थीगिकी द्वारा दिए हुए सरचनात्मक प्राचल (Technologically given Structural Parameters), जिनको} \\ \text{योजनाबधि में अपरिवतनशील (Unchanged) माना गया है।} \end{cases}$

$\lambda's$ =वितरण प्राचल (Allocation Parameters), जिनको वास्तविक नियोजन प्राचल (Actual Planning Parameters) माना जा सकता है। ये प्राचल व्यवस्था में दिए हुए नहीं होते, किन्तु व्यवस्था की प्रक्रिया में से स्वयं उभर कर प्रकट होते हैं तथा ये नियोजकों द्वारा की गई अपेक्षाओं की स्थिति को दिखाते हैं।

$\begin{bmatrix} \gamma's \\ N's \end{bmatrix} = \begin{cases} \text{प्रमुख क्षेत्रीय लक्ष्य चल (Vital Sectoral Target-variables तथा मॉडल के हल के रूप में निर्धारित होते हैं।} \end{cases}$

उपर्युक्त मुगमद समीकरण व्यवस्था का मूल्य उद्देश्य यह ज्ञात करना है कि वितरण प्राचलों को क्या मूल्य दिए जाने चाहिए अब व्यवस्था विनियोजन के लिए उपलब्ध संसाधनों को अव्यवस्था के विभिन्न चार क्षेत्रों में किस प्रकार वितरित किया जाना चाहिए कि क्षेत्रों में जनित आय व रोजगार-वृद्धि का कुल योग निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कुल आय तथा कुल रोजगार की पूर्ति कर सके। महालनोबिस के समक्ष द्वितीय पचवर्दीय योजना की अवधि में वांषक विकास दर का तथा 11 मिलियन व्यक्तियों के लिए रोजगार की उपलब्धि का प्रश्न था, जिसके समाधान हेतु उन्होंने देश के साधनों का अनुमान 5,600 करोड़ रुपये प्रथम बार लगाया। इसके पश्चात् सांखिकी विधियों से $\beta's$ और $\theta's$ का मूल्य निर्धारित करते हुए, समीकरणों के हल द्वारा, अव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र के लिए विनियोग का वितरण निश्चित किया।

मॉडल का स्वयात्मक हल

(Numerical Solution of the Model)

प्रो. महालनोबिस ने अपने मॉडल का निम्नलिखित स्वयात्मक हल प्रस्तुत किया है—

क्षेत्र (Sectors)	प्राचल (Parameters)	
	$\beta's$	$\theta's$
K	$\beta K = 20$	$\theta K = 20,000$ रु
C_1	$\beta_1 = 35$	$\theta_1 = 8,750$
C_2	$\beta_2 = 1.25$	$\theta_2 = .500$
C_3	$\beta_3 = 45$	$\theta_3 = 3,750$

$\beta's$ व $\theta's$ को तकनीकी वी स्थिति (State of Technology) निर्धारित करती है। मॉडल में विनियोग बस्तु क्षेत्र ने लिए वितरण प्राचल अनुपात (λK) दिया हुआ हात है तथा शेष तीन क्षेत्रों के अनुपात λ_1 , λ_2 व λ_3 उपरोक्त मुगमद समीकरणों के हल द्वारा प्राप्त होते हैं।

चूंकि $\lambda K = \frac{1}{2}$ or $I = 5,600$ करोड रु. दिया हुआ है, अत दिए गए आंकड़ों के आधार पर क्षेत्र (K) में विनियोजन की मात्रा का निर्धारण निम्न प्रकार किया गया है—

$$\lambda K I = 33 \times 5600 = \frac{33}{100} \times 5600 = 1850 \text{ करोड रु.}$$

इस विनियोजन के परिणामस्वरूप आय में वृद्धि निम्न प्रकार होगी—

$$YK = I + K \Delta K$$

$$= \frac{1850 \times 20}{100}$$

i.e. 370 करोड रु., जबकि क्षेत्र K में रोजगार वृद्धि निम्न प्रकार होगी—

$$NK = \lambda K I / \theta K$$

$$= \frac{1850}{20,000} = 9 \text{ मिलियन या } 9 \text{ लाख}$$

इसी प्रकार योजनावधि के 5 वर्षों में अन्य क्षेत्रों की आय-वृद्धि तथा रोजगार-वृद्धि की ज्ञात किया जा सकता है। सभी क्षेत्रों के सहपातमक हलों को निम्नलिखित सारणी में प्रदर्शित किया गया है—

क्षेत्र (Sectors)	विनियोजन (I) (करोड रु.)	आय-वृद्धि ΔY	रोजगार-वृद्धि (लाखों में) ΔN
K	1850	370	90
C_1	980	340	110
C_2	1180	1470	470
C_3	1600	720	430
	5610	2900	1100

आलोचनात्मक मूल्यांकन (A Critical Appraisal)

विकास नियोजन का महानोविस मॉडल 'आर्थिक वृद्धि' का एक स्पष्ट और सुनियोजित (Clear and well arranged) ऐसा मॉडल है, जिसमें एक छह-विकसित देश की विकास-नीति के आवश्यक तत्व अन्तर्निहित हैं। मॉडल की सरचना में भारतीय सांख्यिकी संस्थान (Indian Statistical Institute) द्वारा किए गए सांख्यिकी अन्वेषण (Statistical Investigations) के निष्कर्षों का लाभ लठाया गया है। मॉडल का भौतिक स्वरूप पर्यामिति की सकाय प्रणाली पर आधारित है। इस मॉडल का उपयोग भारत की द्वितीय पचवर्षीय योजना में किया गया। इस प्रकार मॉडल का व्यावहारिक स्वरूप (Operational Character) होते हुए भी, इसमें प्रतेक कमियाँ हैं। ये कमियाँ सक्षेप में घट्रिखित हैं—

1. ग्रधिक सुनिश्चित नहीं (Not so Deterministic)—यह मॉडल ग्रधिक सुनिश्चित नहीं है। किसी मॉडल की पूर्णता समीकरणों तथा अज्ञातों (Unknowns) की सम्भागों की समानता पर निर्भर करती है, किन्तु प्रस्तुत मॉडल में 11 समीकरण और 12वाँ अज्ञात हैं। परिणामस्वरूप, समीकरण-व्यवस्था के एक अज्ञात को काल्पनिक मूल्य दिया गया है ($e \lambda K = \frac{1}{2}$ Assumed)। काल्पनिक मूल्य देने की स्वतन्त्रता की इस स्थिति में स्पष्ट है कि विभिन्न काल्पनिक मूल्यों के आधार पर भिन्न-भिन्न हल सम्भव होंगे। यह कभी मॉडल की पूर्णता अथवा सुनिश्चितता दो कम करती है किन्तु साथ ही यह विशेषता नियोजकों को अपनी विजी अवधारणाओं के प्रयोग की स्वतन्त्रता प्रदान करती है (This, however, introduces the element of choice into the model)।

2. कल्पित मूल्य के लिए केवल λK ही बोली चुना गया, अन्य अज्ञात तत्त्व क्यों नहीं लिए गए? इस प्रश्न का मॉडल में कोई उत्तर नहीं है।

3. एक अश की स्वतन्त्रता वाले मॉडल में अनुकूलतम् हल (Optimum Solution) के लिए पूर्वनिर्धारित सामाजिक कल्याण फलन (A Predetermined Social Function) का होना आवश्यक है, किन्तु दुर्भाग्यवश हमारे नियोजकों के समक्ष, द्वितीय पचवर्षीय योजना के नियमणि के समय, इस प्रकार का कोई निश्चित कल्याण फलन (Welfare Function) नहीं था।

4. मॉडल में मांग-फलनों की उपेक्षा की गई है। नियोजकों की यह मान्यता है कि एक नियोजित अर्थव्यवस्था में जो कुछ उत्पादित किया जाता है, उसका उपभोग, उपभोक्ताओं के मांग ग्रधिमानों (Demand Preferences) तथा विभिन्न मूल्यों के द्वारा इद निश्चित है। इस प्रकार की मान्यता ने मॉडल को से (Say) के नियम 'Supply has its own demand' जैसा यांत्रिक स्वरूप (Mechanistic Type) प्रदान कर दिया है।

5. एक विद्युती हुई अर्थव्यवस्था के विकास नियोजन के दोरान बाजार तत्त्व, भनोवैज्ञानिक वातावरण, लोक-उत्साह, विशिष्ट दबाव विन्दु (Specific Pressure Points) आदि से सम्बन्धित जो महत्वपूर्ण परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, उनकी पहलनोविस ने अपने मॉडल में, गणितीय सरलता के लिए, उपेक्षा की है।

6. मॉडल में, विनियोजन के एकल-समरूप-कोष (Single Homogeneous Fund) का सकेत है, जिसका समरूप विनियोजन वस्तुओं के लिए ही उपयोग किया जा सकता है, किन्तु विनियोजन वस्तुएँ प्रायः विजातीय (Heterogeneous) होती हैं, जिनके लिए विनियोजन-शूह (Investment Matrix) के प्रयोग की आवश्यकता है। इसलिए जट्टी व्यवस्था समरूप (Homogeneous) नहीं होती है, वहा इस मॉडल का प्रयोग, खुली अर्थव्यवस्था (Open Economy) में सम्भव नहीं है।

7. शूदिगत पदार्थों तथा धर्म की पूर्ति भी पूर्णतः बेलोच नहीं होती है। इनकी पूर्ति को मॉडल में पूर्णतः बेलोच माना गया है।

8 मॉडल में उत्पादन तकनीकियों को स्थिर मानना भी त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि विकास-प्रक्रिया के क्रम में उत्पादन-तकनीकियाँ, प्राय परिवर्तित होती रहती हैं।

9 सरचनात्मक प्राचलों को बाल्पनिक मूल्य प्रदान किए गए हैं।

10 विनियोजन में निजी क्षेत्र व सार्वजनिक क्षेत्रों के अनुपातों के सम्बन्ध में मॉडल शाम्ल है।

सारांश—कुछ सरचनात्मक सम्बन्धों के समूह को लेकर सकाय प्रणाली द्वारा किसी अर्थव्यवस्था के आधिक ढाँचे वा इस प्रकार विश्लेषण करना कि नियोजन प्रक्रिया के दौरान उपलब्ध कुछ विनियोग-राशि का अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में धेष्ठतम वितरण किया जा सके, मॉडल की मुरुख विशेषता है। किन्तु अन्य अर्थमिनि मॉडलों के समान ही इस मॉडल की भी अनेक अव्यावहारिक व बाल्पनिक मान्यताओं के कारण अव्यावहारिक उपयोगिता बहुत कम हो गई है। प्रस्तुत मॉडल में आंकड़ा से सम्बन्धित चलो (Data Variables : e. β 's and θ 's) के लिए अनेक अव्यावहारिक मान्यताएँ ली गई हैं।

किन्तु फिर भी भारतीय परिस्थितियों में, साहसपूर्ण द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना (Bold Second Five Year Plan) के निर्माण में एक सरचनात्मक आधार विकसित करने हेतु महालनोबिस मॉडल ने रचनात्मक भूमिका सम्पादित की है। अपनी यान्त्रिक विधियों के बावजूद, अत्यधिक आमक स्थिति वाले समय में, यह मॉडल भारतीय नियोजन को एक साकार दिशा देने में समर्थ हो सका है।

कुछ अन्य हृष्टिकोण (Some Other Approaches)

आर्थिक विकास के सम्बन्ध में निम्नलिखित अर्बेशास्त्रियों के हृष्टिकोणों का अध्ययन भी उपयोगी है—

- (1) नर्क्से (Nurkse)
- (2) रोडन (Rodan)
- (3) हर्षमैन (Hirschman)
- (4) मिन्ट (Myint)
- (5) लेबेनस्टीन (Leibenstein)

नर्क्से का हृष्टिकोण (Approach of Nurkse)

प्रो. रेणा नर्क्से ने अपनी पुस्तक 'Problems of Capital Formation in Under developed Countries' में प्रद्वं विकसित देशों में पूँजी के महत्व, पूँजी-निर्माण, सन्तुलित विकास आदि से सम्बन्धित विषयों एवं विषयी हुई बेरोजगारी और उसके द्वारा पूँजी निर्माण के सम्बन्ध में विचार प्रकट किए हैं।

प्रो. नर्क्से के विकास सम्बन्धी विचारों का सारांश यह है कि प्रद्वं विकसित अवृद्धि अवृद्धि विकसित देश आर्थिक विषयता से ग्रस्त है, इस विषयता को दूर करने के लिए सन्तुलित विकास (Balanced Growth) आवश्यक है प्रौद्र यह सन्तुलित विकास तभी सम्भव है जब प्रतिरक्त जन शक्ति का प्रयोग करके पूँजी प्राप्त की

जाए। प्रो नक्से के अनुसार “अद्वैत-विकसित देशों में पूँजी की मात्रा बहुत कम होती है।” ये देश अपनी राष्ट्रीय आय का 5 से 8% तक ही बचा पाते हैं। इसके विपरीत विकसित देशों में बचत की मात्रा कुल राष्ट्रीय आय की 10 से 30% तक होती है। अद्वैत-विकसित देशों में इस शोचनीय स्थिति का मुख्य कारण है बचत की पूर्ति को भी कमी रहती है और बचत की मांग की भी कमी रहती है। बचत की पूर्ति की कमी इसलिए रहती है क्योंकि प्रायः उसकी मांग कम होती है। इस प्रकार मांग इसलिए कम होती है क्योंकि उसकी पूर्ति कम होती है। यह आर्थिक विप्रवाना का चक्र (Vicious circle) निरन्तर चलता रहता है जो अद्वैत-विकसित देशों को आर्थिक विकास की ओर अप्रसर नहीं होने देता। प्रो नक्से के अनुसार, ‘आर्थिक दृष्टिकोण में कम पूँजी के कारण विनियोजन कम होता है। फनस्वरूप उत्पादकता कम होती है। कम उत्पादकता के कारण लाभ कम होता है परिणाम-स्वरूप, उत्पादन कम होता है। उपरोक्त उत्पादन से रोजगार के अप्रसर कम रहते हैं और इसलिए प्रायः कम होती है। परिणामत बचत कम होती है और पूँजी-निर्माण भी कम होता है।’

प्रो नक्से ने अद्वैत-विकसित देशों की इस आर्थिक विप्रवाना को दूर करने के लिए सन्तुलित विकास पर बहुत बल दिया है। उनका सबसे अधिक आग्रह कृपि-झेंडो की अतिरिक्त जन-शक्ति (Surplus Man-power) को अन्य पूँजीगत परियोजनाओं में नियोजित करके प्रभावपूर्ण बचत (Effective Saving) और पूँजी निर्माण की अभिवृद्धि पर है। नक्से के कथनानुसार कृपि करने की तकनीक को

“विनियोजित रखते हुए भी कृपि उत्पादन में कमी किए बिना, कृपि में नियोजित जनसंस्था का बहुत बड़ा भाग कृपि क्षेत्र से हटाया जा सकता है।” वहाँ समान कृपि उत्पादन बिना तकनीक में परिवर्तन किए हुए कम थम शक्ति से भी प्राप्त किया जा सकता है।” किन्तु नक्से की यह मान्यता है कि इस अनउत्पादक थम शक्ति को उत्पादक थम-शक्ति में बदलने की समस्त प्रक्रिया की वित्त-व्यवस्था स्वयं इसमें से ही की जानी चाहिए। ऐसा होने पर ही देश में बचत और पूँजी निर्माण की मात्रा म वृद्धि हो सकेगी। इसीलिए नक्से ने ग्रामीण छिपी हुई बेरोजगारी (Disguised Unemployment) को छिपी हुई बचत की सम्भावनाएँ (Disguised Saving Potential) माना है। इस प्रकार उन्होंने अद्वैत-विकसित देशों की अप्रयुक्त जन-शक्ति के उपयोग द्वारा पूँजी-निर्माण पर बल देकर इन देशों में आर्थिक विकास पर जोर दिया है।

सन्तुलित विकास का विचार (Concept of Balanced Growth)

प्रो नक्से ने आर्थिक विकास के लिए सन्तुलित विकास पद्धति का प्रतिपादन किया है। उनके मतानुसार, “अद्वैत-विकसित देशों में निर्धनता का विषयला चक्र (Vicious Circle) व्याप्त रहता है जो आर्थिक विकास को अवश्य रखता है। यदि इस दूषित चक्र को किसी प्रकार दूर कर दिया जाए, तो देश का आर्थिक विकास

सम्भव हो सकेगा। निर्धन देशों में निधनता का यह चक्र मांग और पूर्ति दोनों ओर से क्रियाशील रहना है। पूर्ति पहलू से विचार करें तो वास्तविक आय की तमी के कारण बचाने की क्षमता बहुत ही है। आय की कमी का कारण, निम्न उत्पादनता और निम्न उत्पादनता का कारण पूँजी की स्वतंपता होती है। पूँजी की कमी बचत के नीचे स्तर का परिणाम होती है। यदि मांग पहलू से विचार करें तो यह निष्पर्ण निकलता है कि आय की तमी के कारण क्य की क्षमता भी सीमित होती है। इससे मांग कम होती है।" परिणामस्वरूप, उत्पादकों भे विनियोग करने का कम उत्पाद होता है। अर्थव्यवस्था की उत्पादकता विनियोजित पूँजी पर निर्भर चरती है। विनियोगी की कमी के कारण उत्पादन और आय का स्तर कम होता है। पुन वही चक्र प्रारम्भ होता है। इस प्रकार इन दूपिन नकों के कारण, अर्द्ध-विकसित देशों के विकास में बाधाएँ उपस्थित होती हैं।

आर्थिक विकास के लिए इस विवरणे चक्र को दूर करना आवश्यक है। विनियोग सम्बन्धी व्यक्तिगत निर्णयों द्वारा सीमित क्षेत्रों में अल्प मात्रा में किए गए विनियोग से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, प्रो नर्कसे के मतानुसार, "विवरणे चक्रों को दूर करने के लिए विभिन्न उद्योग विस्तृत रूप से एक साथ आरम्भ किए जाने चाहिए जा एक दूसरे के लिए विस्तृत बाजारों की स्थापना करेंगे और एक दूसरे के पूरक होंगे।" उनके मतानुसार, समस्या वा हल इस बात में निहित है कि 'व्यापक क्षेत्र में विभिन्न उद्योगों में एक साथ पूँजी लगाई जाए और बहुत से उद्योगों को एक साथ विकसित किया जाए ताकि सभी एक दूसरे के ग्राहक बन सकें और सभी का पाल बिक सके।' प्रो नर्कसे रोइस्टेन रोडन (Roseinstein Rodan) के जूते के प्रसिद्ध कारखाने का उदाहरण देकर सन्तुलित विकास की आवश्यकता पर बल देने हैं। मानलो एक जूते का कारखाना स्थापित किया जाता है। इससे इसमें काम करने वाले श्रमिकों, पूँजीपतियों और नियोजकों को आय प्राप्त होगी किन्तु वे समस्त आय तूतों को खरीदने के लिए ही तो नहीं व्यय करेंगे। वे अन्य वस्तुएँ भी क्य करेंगे। इसी प्रकार साथ ही इस उद्योग के श्रमिक ही सारे जूते नहीं खरीद सकते। दूसरे उद्योगों के श्रमिक ही तो अतिरिक्त जूते खरीदेंगे। यदि अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों या उद्योगों का विकास नहीं किया जाएगा तो यह कारखाना प्रसफल हो जाएगा। प्रत्येक यह कठिनाइ एक साथ ही अनेक पूरक उद्योगों की स्थापना करने से हल ही सकती है। जो एक दूसरे के ग्राहक बन जाते हैं। इस सम्बन्ध में प्रो नर्कसे न लिखा है कि 'अधिकांश उद्योग जो जन उपभोग के लिए उत्पादन करते हैं इस अर्थ में पूरक होने हैं कि वे एक दूसरे के लिए बाजार की व्यवस्था करके परस्पर सहारा देने हैं।' उनके मतानुसार शारीरिक विकास के लिए सन्तुलित आहार (Balanced diet) जिस प्रकार आवश्यक है उसी प्रकार अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सन्तुलित विकास (Balanced Growth) पद्धति आवश्यक है।

प्रो नर्कसे ने सन्तुलित विकास की धारणा वा अकुर जे वी से (J B Say) के इस कथन से प्राप्त किया है कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं बना लेती है (Supply

आर्थिक विकास के सिद्धान्त

creates its own demand)। उन्होंने इस नियम सम्बन्धी किया है कि “प्रत्येक प्रकार की उत्पादन वृद्धि यदि निजों हित द्वारा निर्देशित प्रनुपात में सब प्रकार की उत्पत्ति में गलत गणना के बिना विभाजित की जाए तो न केवल साथ अपनी मांग का निमिण कर लेती है, बल्कि उसे अपने साथ रखती है।” लेकिन किसी व्यक्तिगत उद्यमी द्वारा किसी विभिन्न उद्योग में बड़ी मात्रा में लगाई गई पूँजी बाजार के छोटे आकार के कारण लाभहीन हो सकती है। किन्तु विभिन्न उद्योगों में व्यापक क्षेत्र में एक साथ सुध्यविस्थित रूप से पूँजी विनियोग से बाजारों के आकार का विस्तार होता है और इससे आर्थिक कुशलता के सामान्य स्तर में सुधार होता है। अत विभिन्न उद्योग विस्तृत रूप से एक साथ आरम्भ किए जाने चाहिए और विभिन्न प्रकार के उद्योगों में पूँजी विनियोग की लहर (a wave of capital investments in a number of different industries) उठनी चाहिए। ऐसे होने पर उद्योग एक दूसरे के पूरक होगे, जिससे विस्तृत बाजारों की व्यापता होगी और तीव्रता से आर्थिक विकास होगा। इसे ही नक्ते ने ‘सन्तुलित विकास’ का नाम दिया है। अत ‘सन्तुलित विकास’ का आशय उत्पादन-क्रियाओं में विभिन्न प्रकार के सन्तुलन से है। यह सन्तुलन दो प्रकार का हो सकता है—प्रथम समुद्री (Forward) एवं द्वितीय विमुद्री (Backward)। समुद्री सन्तुलन के मनुसार कृषि-उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ उन उद्योगों में भी विस्तार आवश्यक है जो इसके अतिरिक्त उत्पादन को चाहेने। विमुद्री सन्तुलन के अनुसार यदि किसी उद्योग का विस्तार करना है तो इस उद्योग के सचालन के लिए आवश्यक कच्चा माल, इंधन, यन्त्रपोकरण आदि से सम्बद्धित उद्योगों का भी विकास किया जाना चाहिए।

सन्तुलित विकास के प्रभाव—सन्तुलित विनियोग से आर्थिक विकास पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही सन्तुलित विकास के कारण बाह्य मितव्यविताओं (External economies) में वृद्धि होती है। ये मितव्यविताएँ दो प्रकार की होती हैं, प्रथम, क्षैतिजीय मितव्यविताएँ (Horizontal economies) एवं द्वितीय, उत्तरीय मितव्यविताएँ (Vertical economies)। वस्तुत आकार प्रकार द्वाले विभिन्न उद्योगों में बड़े पैमाने पर पूँजी विनियोग से उद्योगों का उत्तरीय और धैर्यप्रीय एकीकरण सम्भव होता है और इससे भी दोनों प्रकार की मितव्यविताओं का विस्तार होता है। शम के अधिक अच्छे विभाजन, पूँजी, कच्चे माल और तकनीकी कुशलता का सामूहिक प्रयोग, बाजारों का विस्तार तथा आर्थिक और सामाजिक ऊपरी पूँजी (Economic and Social overhead capital) वा अधिक अच्छा और सामूहिक उपयोग आदि के कारण भी उत्पादन इकाइयों को लाभ होता है।

सन्तुलन के क्षेत्र—प्रो नक्ते द्वारा प्रतिपादित, सन्तुलित विकास वा यह सिद्धान्त विकास प्रक्रिया से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में सन्तुलन की आवश्यकता पर दब देता है। कृषि और उद्योगों के विकास में समुचित सन्तुलन रखा जाना

चाहिए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसी प्रकार अर्थव्यवस्था के घरेलू क्षेत्र (Domestic Sector) और विदेशी क्षेत्र (Foreign Sector) में भी सन्तुलन स्थापित किया जाना चाहिए। विकास की वित्त-अवस्था में निर्यात-भाग्य (Export earnings) महत्वपूर्ण है। अत घरेलू क्षेत्र के साथ साथ निर्यात क्षेत्र में पूँजी-विनियोग किया जाना चाहिए। प्रो नर्से के अनुमान “सन्तुलित विकास अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अच्छा आधार है।” उनके विचार से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिए यातायात सुविधाओं में सुधार, उनकी लागत में कमी, नटकर बाधाओं की समाप्ति और मुक्त व्यापार क्षेत्रों का विकास किया जाना चाहिए। इससे विकासशील देश परस्पर एक दूसरे के लिए बाजारों का कार्य करेंगे और उनका विकास होगा। कृपि और उद्योगों, घरेलू और निर्यात क्षेत्रों के सन्तुलित विकास के समान ही भौतिक-पूँजी और मानवीय-पूँजी में साथ साथ विनियोग किया जाना चाहिए। दोनों के सन्तुलित विकास के प्रयत्न किया जाने चाहिए क्योंकि ‘भौतिक पूँजी’ में विनियोग तब तक व्यर्थ रहेगा जब तक कि उपके सचालन के लिए जनता शिक्षित और स्वस्थ न हो। इसी प्रकार प्रस्त्यक्ष उत्पादन कियाओ और आर्थिक तथा सामाजिक ऊपरी सुविधाओं में भी सन्तुलित विनियोग किया जाना चाहिए। इस प्रकार नर्से ने तीव्र आर्थिक विकास हेतु मन्तुलित विकास की जैली का प्रतिपादन किया है जिसके अनुसार “अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में तथा एक उद्योग का विकास करने के लिए उससे सम्बन्धित प्रत्येक उद्योगों में एक साथ विनियोग किया जाना चाहिए।” कुछ क्षेत्रों या उद्योगों पर ही ध्यान देने से अन्य उद्योगों ‘प्रत्येक विकसित सन्तुलन’ से ग्रस्त रहेंगे और विकास में बाधाएँ उपस्थित होगी। प्रो ए डब्ल्यू लेविस के अनुसार ‘विकास के यंकमों में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का एक साथ विकास होना चाहिए ताकि उद्योग और कृषि के मध्य तथा घरेलू उपभोग के लिए उत्पादन और निर्यात के लिए उत्पादन में उचित सन्तुलन रखा जा सके।”

सरकार एवं सन्तुलित विकास—अद्वैत विकसित देशों में निजी उपक्रम के द्वारा व्यापक क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं में पूँजी-विनियोग की लहर का एक साथ सचार किया जाना दुष्कर कार्य है। इसलिए सन्तुलित विकास में राज्य द्वारा विकास प्रक्रिया के आयोजन, निर्देशन एवं समन्वय के लिए पर्याप्त स्थान है। सरकार से यह आशा की जाती है कि वह उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में एक साथ विनियोजन का आश्वासन दे। अत सन्तुलित विकास के लिए केन्द्रीय नियोजन आवश्यक होना चाहिए। किन्तु नर्से के अनुसार “सन्तुलित विकास के लिए केन्द्रीय आर्थिक नियोजन अनिवार्य नहीं है। सरकारी नियोजन के पक्ष में कई महत्वपूर्ण कारण हैं लेकिन सन्तुलित विकास उनमें से कोई कारण नहीं है।”

नर्से की यह भी मान्यता है कि निजी उपक्रम द्वारा भी वैद्यनीय प्रभाव कुछ प्रेरणाओं और प्रोत्साहन से प्राप्त किए जा सकते हैं। उन्होंने बतलाया है कि सामान्य मूल्य प्रेरणाओं द्वारा अत्य अश में सन्तुलित विकास किया जा सकता है किन्तु बढ़ती हुई जनसंख्या की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के साथ सन्तुलित विकास

की नीची स्तर भी सह विस्तार को प्राप्त कर लेती है। प्रारम्भिक दिनियोग के मौद्रिक एवं अन्य प्रभावों के द्वारा विभिन्न उद्योगों में पूँजी-विनियोग की नई सहर दौड़ाई जा सकती है। इस प्रकार प्रो नर्सें का सन्तुलित-विकास का सिद्धान्त निजी उपक्रम वाली अर्थव्यवस्था में जागू होता है। उनके सिद्धान्त में बाजार विस्तार, बाध्य मितव्यवतास्मी और मूल्य प्रेरणाओं द्वारा ही मतुलित विकास पर बल दिया गया है। उनके मतानुसार, “आवश्यक दिनियोग के लिए सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का उपयोग प्रधानत प्रशंसकीय कुशलता का प्रश्न है।”

नर्सें के विचारों की आलोचना—तर्कसे के सन्तुलित विकास के विचारों की हर्षमैन, सिंगर, कुरिहारा आदि ने निम्न आधारों पर आलोचनाएँ की हैं—

1 सन्तुलित विकास के अन्वर्गत बहुत सी उत्पादन इकाइयों या अनेक उद्योगों का एक साथ विकास करने के लिए बड़ी मात्रा में पूँजी, तकनीकी ज्ञान, प्रबन्ध कुशलता आदि की आवश्यकता होती है। घट्ट-विकसित देशों में एक साथ प्रयोग के लिए इन साधनों का अभाव होता है। ऐसी स्थिति में, इन उत्पादन इकाइयों की स्थापना से, इनकी मौद्रिक और वास्तविक लागत में बढ़ि होती और उनका मितव्यवतास्मीक सचालन कठिन हो जाएगा।

2 प्रो विन्डल बर्जर के अनुसार, नर्सें के विकास प्रारूप (Model) में नए उद्योगों की स्थापना की अपेक्षा वर्तमान उद्योगों में लागत कम करने की सम्भावनास्मी पर ध्यान नहीं दिया गया है।

3 नर्सें ने विभिन्न उद्योगों को परिपुरक माना है, जिन्हुंने हस सिंगर (Hans Singer) के अनुसार ये परिपुरक न होकर प्रतिस्पर्द्धी होते हैं। जैसा कि जे मारकस फेर्नेंसिंग (J Marcus Flemming) ने लिखा है—“जहाँ सन्तुलित विकास के सिद्धान्त में यह माना जाता है कि उद्योगों के मध्य अधिकांश सम्बन्ध परिपुरक हैं साधनों की पूर्ति वी सीमाएँ प्रकट करती हैं कि यह सम्बन्ध अधिकतर प्रतिस्पर्द्धात्मक है।”

हर्षमैन (Hirschman) के अनुसार “सन्तुलित विकास का सिद्धान्त विकास सिद्धान्त के रूप में भ्रसफल है।” विकास का आशय, एक प्रकार की अर्थव्यवस्था से अन्य प्रकार की और उन्नत अर्थव्यवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया से है, जिन्हुंने ‘सन्तुलित विकास’ का आशय एक पूर्णरूप से नई और स्वयं सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था की ऊपर से स्थापना से है। हर्षमैन के मतानुसार, यह विकास नहीं है, यह तो किसी पुरानी वस्तु पर नई वस्तु की कलम लगाना भी नहीं है। यह तो आविक विकास का पूर्णरूप से दैर्घ्य तरीका है।

4 घट्ट-विकसित देशों में उत्पादन के साधन अनुभात में नहीं होते। दुष्कृदेशों में थम अत्यविक है तथा पूँजी एवं साहसी कुशलता की कमी है। दुष्कृदेशों में थम और पूँजी दोनों की कमी है जिन्हें मन्त्र साधन पर्याप्त भावा में हैं। सन्तुलित विकास की धारणा को व्यावहारिक रूप देने में ऐसी स्थिति बड़ी बारक है।

5. सन्तुलित विकास का सिद्धान्त इस मान्यता के आधार पर चलता है कि

अद्वैतविकास देश बहुत ही प्रारम्भिक स्थिति से विकास आरम्भ करते हैं। किन्तु वस्तुत ऐसा नज़ीर होता। वास्तव में प्रत्येक अद्वैतविकासित राष्ट्र एक ऐसी प्रवस्था से विकास की शुरूआत करता है जहाँ पूर्वविनियोग या पूर्वविकास की छाया विद्यमान रहती है। ऐसी स्थिति में विनियोग के कुछ ऐसे गौचित कार्यक्रम टैने हैं जो स्वयं सम्बन्धित नहीं होते, किन्तु जो वर्तमान वस्तुलत के पूरक के रूप में असन्तुलित विनियोग का स्वरूप ग्रहण करते हैं।

6 कुरिहारा दे अनुसार "सन्तुलित विकास निजी उपकरणों पर प्रोत्साहित करने के लिए बांधनीय नहीं है किन्तु जहाँ तक अद्वैतविकासित देशों का सम्बन्ध है, यह स्वयं इसके लिए ही बांधनीय है। नकंसे की अद्वैतविकासित अर्थवदस्था के सीमित बाजार और निम्न वास्तविक आय द्वारा निजी व्यक्तियों की विनियोग की प्रेरणा को बाबा पहुंचाने की शिकायत धनावशक होनी यदि क्षमता—विस्तारक और आय उत्पादक प्रकृति के स्वभावी सावेचनिक विनियोग को महस्त्वपूर्ण मूलिका अदा करने दी जाएगी।"

7 सन्तुलित विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में विनियोग के लिए बड़ी मात्रा में साधन होने चाहिए। किन्तु अद्वैतविकासित देशों के साधन सीमित होते हैं यदि इन थोड़े से साधनों को ही विभिन्न और अधिक क्षेत्रों में फैलाया जाएगा, तो उनमें बांधनीय गति नहीं प्राप्त होगी और सम्भव है कि किसी भी क्षेत्र में प्रगति नहीं हो पाए तथा साधनों का अपव्यय हो। अतः सन्तुलित विकास का सिद्धान्त इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है—एक सौ पुष्ट भी उम मूलि पर उग मरते हैं जहाँ पोषक तत्वों के अभाव में एक वौद्धा भी मुर्खा सकता है।' डॉ. हस्टिंगर के अनुसार, 'सन्तुलित विकास की नीति को अपनाने के लिए इन साधनों की आवश्यकता होती है उनकी मात्रा इतनी अधिक होती है कि उनको जुटाने वाले देश वास्तव में अद्वैतविकासित नहीं हो सकते।' इसीलिए उन्होंने इन देशों के लिए 'Think Big' को सो उचित बतलाया है, किन्तु 'Act Big' के सुभाव को अबुद्धिमत्तापूर्ण बतलाया है।

8 सन्तुलित विकास के लिए केंद्रीय नियोजन, निर्देशन आदि आवश्यक हैं जिसका अद्वैतविकासित देशों के विकास में पर्याप्त महत्व है। नकंसे ने सन्तुलित विकास के लिए इस बात को पूर्णरूप से नहीं स्वीकारा है।

9 नकंसे का सन्तुलित विकास का सिद्धान्त वस्तुतः विकासित देशों के अवसाद सम्म (Slump Equilibrium) की स्थिति की ही व्याख्या करता है, किन्तु अद्वैतविकासित देशों में अद्वैतविकास सम्बन्ध की स्थिति होती है और यह उसकी व्याख्या नहीं बरता है।

वस्तुतः सन्तुलित विकास का सिद्धान्त कीन्ति के व्यापार चक्र के सिद्धान्त की ही परिवर्तित रूप है। कीन्ति के इस सिद्धान्त के अनुसार "एक साध बहुमुखी विनियोग से आर्थिक क्रियाओं में सन्तुलित पुनर्वस्थान (Balanced Recovery) लाया जा सकता है क्योंकि वहाँ उद्योग, मरीने, प्रबन्धक, श्रमिक तथा उपभोग की

अदर्श आर्द्ध सब कुछ प्रभावपूर्ण मांग की कमी के बारण अस्थायी रूप से स्थगित कार्यों को पुनर सचालित करने की प्रतीक्षा में विचारान होते हैं।" विन्तु अद्विकसित देशों में समस्या मांग की कमी की नहीं, साधनों के अभाव की होती है, जिसके कारण व्यापक विनियोग दुष्कर होता है।

10 विभिन्न देशों के आर्थिक विकास का इतिहास भी यही स्पष्ट करता है कि इनमें आर्थिक विकास का स्वरूप असन्तुलित ही रहा है। इगलैण्ड में सर्वप्रथम, बस्त्र उद्योग, अमेरिका में रेलोग और जापान में लोहा एवं इस्पात उद्योगों का विकास हुआ, जिससे अन्य उद्योगों के विकास को दब मिला। जे. आर. टी. हेग के अनुसार "सन्तुलित विकास अन्तिम परिणाम था, जो नवीन कियाज्ञों के नवीन उत्पादन पतन तथा परिवर्तनीय साधनों के सयोग द्वारा उपादित तथा धोयित हुआ। यह एक ऐसी घटना नहीं है जो परम्परा पोषक क्षेत्रों (Mutually Supporting Sectors) के एक साथ बहुमुखी विस्तार के फलस्वरूप हुई हो।"

रोजेन्स्टीन रोडान की विचारधाराएँ

(Approach of Rosenstein Rodan)

रोजेन्स्टीन रोडान ने भी सन्तुलित विकास का समर्थन किया है, परन्तु वे चाहते हैं कि यह सन्तुलित विकास-प्रदूषि बड़े धक्के' (Big Push) के रूप में अपनाई जाए। 'बड़े धक्के के सिद्धान्त' (Theory of Big Push) के अनुसार स्थिर अर्थव्यवस्था (Stagnant Economy) की प्रारम्भिक जड़ता को समाप्त करने के लिए और इसे उत्पादन तथा आय के उच्च स्तरों की ओर बढ़ाने के लिए व्यूनतम प्रयत्न या 'बड़े धक्के' (Big Push) की आवश्यकता है। यह बड़ा धक्का तब होता है, जब एक साथ ही विभिन्न प्रकार की कोई पूरक परियोजनाओं को प्रारम्भ किया जाए।

रोडान के मतानुसार, "अद्विकसित अथवा अल्प विकसित देशों में आर्थिक व सामाजिक ऊपरी सुविधाओं (Social and Economic overheads) की नितान्त कमी होती है जिनकी वृत्ति करने की न तो तिजी साहसियों में समता होती है और न ही इच्छा।" भरत राज्य को चाहिए कि वह इन ऊपरी सुविधाओं (Social and Economic overheads) अर्थात्, यातायात, सचार, शक्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंक, ट्रेनिंग आदि में अधिक मात्रा में धन लगाए और इस प्रकार निजी विनियोजनों तथा औद्योगीकरण के इच्छुक लोगों को उद्योग सोलने की प्रेरणाएँ प्रोट सुविधाएँ प्रदान करे। प्रो. रोडान के अनुसार, अद्विकसित देशों में धीरे-धीरे विकास करने की पद्धति अनन्ती ठीक नहीं है। इन देशों में वास्तविक विकास तो केवल 'बड़े धक्के' (Big Push) से ही सम्भव है क्योंकि तभी हम 'उत्पादन की बाह्य मित्त-प्रथा' अथवा उत्पत्ति वृद्धि के नियम के लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

"यदि विकास की किसी भी आयोजना में सफल होता है तो इसके लिए एक व्यूनतम मात्रा में विनियोजन आवश्यक होगा।" इसी देश को स्वयं स्वूत्त विकास की स्थिति में पहुँचने के लिए प्रयत्न करना भूमि से हवाई जहाज के उठने में सम न है। हवाई जहाज को नम में उड़ान के लिए एक निश्चित गति पहुँचना आवश्यक

है। घीरे घीरे बढ़ने से बाम नहीं चल सकता। इसी प्रकार विकास कार्यक्रम को सकून बनाने प्रो॰ अर्द्धवस्था को स्वयं स्फूर्ति देगा मेरे पहुँचने के लिए बड़े घबके के रूप मेरे एक निश्चिन मात्रा मेरे समस्त क्षेत्रों मेरे विनियोजन प्रतिवार्य है।"

'विकास की आधाराओं को लगाने के लिए बड़ा घबका ही आवश्यक है। एक निश्चिन न्यूनतम मात्रा से कम मात्रा मेरे उत्तमाह और कार्य से काम नहीं चल सकता। छोटेन्होटे और यदा कदा किए जाने वाने प्रयत्नों से विकास सम्भव नहीं हो सकता। विकास का बातावरण तभी उत्पन्न होता है जब एक न्यूनतम मात्रा का विनियोजन एक न्यूनतम गति मेरे किया जाय।"

प्रो. रोडान के 'बड़े घबके के सिद्धान्त' के पक्ष मेरे प्रमुख तर्क अर्द्ध-विकसित देशों मेरे बाह्य मित्तव्ययताओं के अभाव पर आधारित है। बाह्य मित्तव्ययताओं का आशय उन लाभों से है जो समस्त अर्थव्यवस्था या कुछ कियाओं या उपकरणों को मिलने हैं जिन्हें जो विनियोक्ता इकाइयों को प्रत्यक्ष रूप मेरे कोई प्रत्याय (Returns) नहीं देते हैं। पूर्ति की वृद्धि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण चाहुं या मित्तव्ययताएँ यतायात, शक्ति प्राप्ति के रूप मेरे सामाजिक ऊपरी मुद्रिताएँ (Social overhead facilities) हैं जो अन्य क्षेत्रों मेरे विनियोग के अवमर बढ़ाते हैं। रोजेन्स्टीन रोडान ने निम्नलिखित तीन प्रकार से बाह्य मित्तव्ययताओं और अविभाज्यताओं (Indivisibilities) मेरे भेद किया है—

(i) उत्पादन-कार्य मेरे विशेष रूप से सामाजिक ऊपरी पूँजी की पूर्ति मेरे अविभाज्यता (Indivisibility of production function, specially in the supply of social overhead capital)

(ii) मांग की अविभाज्यता या मांग की पूरक प्रकृति (Indivisibility of demand or the complementary character of demand)

(iii) बचत की पूर्ति मेरे अविभाज्यता (Indivisibility in the supply of savings)

सामाजिक ऊपरी पूँजी की पूर्ति की अविभाज्यता स्वाभाविक है, क्योंकि इसका न्यूनतम आकार आवश्यक रूप से ही बड़ा (necessarily large minimum size) होता है। उदाहरणार्थ, आधी रेल लाइन निर्माण से कोई लाभ नहीं होगा, अतः पूरी रेल लाइन के निर्माण के लिए आवश्यक मात्रा मेरे विनियोग करना अनिवार्य है। साथ ही, इस प्रकार का विनियोग प्रत्यक्ष उत्पादक कियाओं के पूर्व होना चाहिए। नियर्ति के लिए कृषि क्षेत्र के विकास के लिए विनियोग तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि क्षेत्रों से बन्दरगाहों पर कृषि-उपज को पहुँचाने के लिए सड़क का निर्माण नहीं कर दिया जाता। रोजेन्स्टीन रोडान का मांग की अविभाज्यता का विचार इस तथ्य पर आधारित है कि एकाकी विनियोग परियोजना को बाजार की कमी की भारी जोखिम को उठाना पड़ सकता है। इसके विपरीत, यदि कई पूरक परियोजनाओं को एक साथ प्रारम्भ किया जाता है तो वे एक हूँसरे के लिए बाजार प्रस्तुत कर देते हैं और उनके असफल होने की सभावना नहीं रहती है। रोजेन्स्टीन रोडान इस बात को एक जूते के कारखाने के उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते

है। मानलो कि एक स्थैतिक और बद अर्थव्यवस्था में एक इूतों का बारबाना स्थापित किया जाता है जिसमें 100 श्रमिकों को जो पहले अर्द्ध-नियोजित थे काम पर लगाया जाता है। उनको दी जाने वाली मजदूरी उनकी आय होगी जिन्हु इतका बहुत थोड़ा भाग ही इूतों को खरीदने में व्यय किया जा एगा। ऐसी अर्थव्यवस्था में क्योंकि अतिरिक्त क्रय-शक्ति का कोई साधन नहीं है और नियर्जत की भी कोई सम्भावना नहीं है, वाकी बचे हुए इूतों की बिक्री नहीं हो पाएगी और कारबाना असफल हो जाएगा। जिन्हु स्थिति उस समय एकदम भिन्न और अधिक अच्छी होगी यदि एक नहीं अपितु 10 000 पहले के अर्द्ध-नियोजित श्रमिकों को बाम पर लगाने वाले 100 कुपि और औद्योगिक उपकरण स्थापित किए जाएं जिनमें अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्र की तुलना में उत्पादकता के उच्च स्तर पर विभिन्न प्रकार की बस्तुएं उत्पन्न की जाएं। ऐसी स्थिति में उत्पन्न की गई अतिरिक्त आय अतिरिक्त उत्पादन को खरीदने के काम में लाई जा सकेगी और कुल विनियोगों की सफलता सुनिश्चित हो जाएगी।

‘बड़े धर्दे के सिद्धान्त के सन्दर्भ में तीसरी अर्थात् ‘बचत की पूर्णि’ की अविभाज्यता की घारणा का उदय इस बात से होता है कि विशाल न्यूनतम विनियोग कार्यक्रमों की वित्त अवस्था के लिए ऊंची न्यूनतम बचत अनिवार्य है। रोजेन्स्टीन रोडान के मतानुसार ‘आय के नीचे स्तर वाली अर्द्ध विकसित अवस्थाओं में बचत की ऊंची दरों को प्राप्त करने का एक मात्र तरीका विनियोगों में वृद्धि ही है जिसे इन देशों में यहाँ के अविकसित और अप्रयुक्त जन शक्ति तथा अन्य साधनों को गतिशील बना कर ही प्राप्त किया जा सकता है।’

इस प्रकार उपरोक्त अविभाज्यताओं का पूरा लाभ उठाने और बाह्य-मित्रव्यवस्थाओं से लाभान्वित होने के लिए विशाल मात्रा में विभिन्न धोत्रों में पूर्णी विनियोग करना चाहिए, अर्थात् अर्थव्यवस्था को बड़ा धक्का’ विकास की ओर लगाना चाहिए। प्रो नर्सेस ने भी रोजेन्स्टीन रोडान की उपरोक्त अविभाज्यताओं के अधार पर ही सतुरित विकास की पढ़ति का समर्थन किया है। बड़े धर्दे के सिद्धान्त में सस्यागत परिवर्तन पर भी जोर दिया गया है। जिस्त् इस सिद्धान्त को भी पूर्ण नहीं माना गया है। अर्द्ध विकसित देशों के औद्योगिकरण और आधिक विकास के बायंकम में ‘बड़ा धक्का’ (Big push) लगाना बड़ा कठिन है ब्योकि, इन देशों के साधन अत्यल्प होते हैं। इसके अतिरिक्त सनुलन विकास के सिद्धान्त के विषद् जो आलीचनाएँ भी जाती हैं वे सामान्यतया इस सिद्धान्त पर भी लागू होती हैं।

हर्पमैन की विचारधारा (Approach of Hirschman)

असतुलित विकास की शैली—नर्सेस भी सतुलित विकास की शैली के विपरीत, एओ हर्पमैन (A. O. Hirschman) ने आविन विकास के लिए असतुलित विकास भी शैली को अपनाने का सुझाव दिया है। हर्पमैन के ‘असतुलित विकास के सिद्धान्त’ के मतुसार, “अर्थव्यवस्था के सभी धोत्रों में विनियोजन नहीं

करते कुछ ऐसे नुने हुए क्षेत्रों में सीमित साधनों का उपयोग किया जाता है जिससे उसका प्रभाव अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ता है और धीरे-धीरे सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था में किशो-प्रनिक्रिया द्वारा शूलनावद्वि विविदारा आर्थिक विकास होता है। अद्वि-विकसित देशों में साधनों का अभाव रहता है और यह सम्भव नहीं होता कि बढ़मुखी विकास के लिए सभी क्षेत्रों में विशाल मात्रा में इन साधनों का विनियोजन कर सकें। इसके अतिरिक्त इन सीमित साधनों को सभी क्षेत्रों में फैला दिया जाए तो उनका उतना प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। अत हर्षमैन ने यह मत व्यक्त किया है कि अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों या उद्योगों में विनियोजन बरने से, विनियोग के नए अवसर उत्पन्न होंगे और इससे ग्रामीण आर्थिक विकास का पथ प्रशस्त होगा। उन्होंने लिखा है कि 'विकास इसी प्रकार आगे बढ़ा है जिसके अनुसार पारिक वृद्धि अर्थव्यवस्था के महत्वशुण्णु क्षेत्रों से दूसरे क्षेत्रों से, एक उद्योग से दूसरे उद्योग में और एक फर्म से दूसरी फर्म में पहुँचाई गई है।' यह विकास को असतुलनों की एक शूलना (Chain of dis-equilibria) मानते हैं, जिन्हे समाप्त करने की ग्रेक्षा बनाए रखा जाना चाहिए। हर्षमैन के भतानुमार पूर्व-निर्धारित योजना के अनुसार अर्थव्यवस्था में जानवूक कर असतुलन उत्पन्न करना, अद्वि-विकसित देशों में आर्थिक विकास को प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि है।

हर्षमैन के अनुसार विश्व के किसी भी देश में असतुलित विकास नहीं हुआ है। आधुनिक विकसित देश भी विकास के वर्तमान स्तर पर सतुलित विकास शैली द्वारा नहीं पहुँचे हैं। सयुक्तराज्य अमेरिका की सन् 1950 की अर्थव्यवस्था की, सद् 1850 की प्रारंभिक से तुलना करने पर ज्ञात होता है कि उसके कई क्षेत्र विकसित हुए हैं किन्तु पूरी शकावती में सभी क्षेत्र एक ही दर से विकसित नहीं हुए हैं। अन अद्वि-विकसित देशों के विकास के लिए भी अननुलित विकास की पद्धति उपयोगी है। हर्षमैन ने यह भी सांकेति है कि 'यदि अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने रहता है तो विकास की नीति का उद्देश्य तनाव (Tension), अनुपात (Disproportions) और असाम्य बनाए रखें। आदर्श स्थिति वह है, जबकि एक असाम्य विकास के प्रयत्नों के लिए प्रेरित करें जिससे पुनः इसी प्रकार का असाम्य उत्पन्न हो और इसी प्रकार चलता रहे।'

उनके अनुसार नई परियोजनाएँ पूर्व निर्धारित परियोजनाओं द्वारा सृजित वाह्य मिति परियोजनों को हस्तानत (Appropriation) कर लेती हैं और बाद वाली परियोजनाओं के उपयोग के लिए कुछ बाह्य मिति परियोजनाओं का स्वयं भी सृजन करती हैं। किन्तु कुछ परियोजनाएँ ऐसी होती हैं, जो स्वयं सृजित मिति परियोजनाओं से अविकल शोषण करती हैं। इस प्रकार की परियोजनाओं में लगाई गई पूँजी को 'प्रेरित विनियोग (Induced investment)' कहा जाता है क्योंकि उनसे बाह्य मिति परियोजनाओं को कुल मिलाकर कोई लाभ नहीं होता है। इसके दिपरीत कुछ परियोजनाएँ ऐसी होती हैं जो उपयोग में लाई गई बाह्य मिति परियोजनाओं से अधिक मिति परियोजनाओं का सृजन करती हैं। अर्थव्यवस्था के इष्टिकोण से दूसरे प्रकार की

परियोजनाओं में निजी लाभदायकता (Private profitability) की अपेक्षा अधिक सामाजिक वार्छिनीयता (Social desirability) होती है। अत विकास-नीति का उद्देश्य प्रथम प्रकार के विनियोगों को रोकना और दूसरे प्रकार के विनियोगों को प्रोत्साहन देना है। इस प्रकार, विकास की आदर्श सरचना एक ऐसा अनुक्रम (Sequence) है, जो साम्य से दूर ले जाता है और इस अनुक्रम में प्रथेक प्रयत्न पूर्व असाम्य से प्रेरित होता है और जो अपने बारे में नष्ट असतुलन उत्पन्न करता है। इसके लिए पुनः प्रयत्नों की आवश्यकता होती है। पाल एलगर्ट (Paul Alpert) के अनुसार 'अ' उद्योग का विस्तार ऐसी मितव्ययताद्वयों को जन्म देता है जो 'अ' के लिए बाह्य होती है लेकिन जो 'ब' उद्योग को लाभ पहुँचाती है। अत 'ब' उद्योग अधिक लाभ में रहता है और इसका विस्तार होता है। 'ब' उद्योग का विस्तार भी अपने साथ मितव्ययताएँ लाता है जिससे उद्योग 'अ' 'भ' और 'द' लाभान्वित होते हैं। इस प्रकार प्रथेक कदम पर एक उद्योग, दूसरे उद्योगों के पूर्वविस्तार द्वारा सृजित बाह्य मितव्ययताद्वयों का लाभ उठाता है और साथ ही दूसरे उद्योगों के लाभ के लिए बाह्य मितव्ययताद्वयों का सृजन करता है। ऐसा बहुधा हुआ है कि रेलवे निर्माण ने विदेशी वाजारों तक पहुँच (Accessibility) उत्पादन करके निर्यात के लिए कपास के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया है। मस्ते घरेलू कपास की उपलब्धि ने सूनी वस्त्र उद्योग की स्थापना में योग दिया है। रेले वस्त्र उद्योग, निर्यात के लिए कृषि के विकास ने मरम्मत करने वालों और ध्रुत में मशीनों यत्रों के निर्माण के लिए मांग तंत्याग की है। इसके विस्तार से धीरे-धीरे स्वदेश में इस्पात उद्योगों को जन्म मिला है और यह कम निर्भर चलना रहता है। एक उद्योग द्वारा प्रस्तुत बाह्य मितव्ययताद्वयों के द्वारा दूसरे उद्योगों की स्थापना का कम कई अद्विकसित देशों में चला है। भारत और ब्राजील का नाम इस हृष्टि से उल्लेखनीय है।

असंतुलन की विधि—हर्यंसन के विचारानुसार अद्विकसित देशों में दुनियादी कमी समाजों की होती है। पूँजी का भी उतना अभाव नहीं होता, जितना कि उन उद्यमियों का, जो जोखिम सम्बन्धी निरण्यंश लेकर इन मसाजों का उद्योग करते हैं। इस समस्या के समाधान हेतु अधिकाधिक उद्यमियों को विनियोग के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कुछ सीमा सक्ष पूर्व विवास के द्वारा ऐसी परिस्थितियों का सृजन किया जाना चाहिए जिससे नीन विनियोग लाभदायक और उचित प्रतीत होता हो और वे उसके लिए विदेश हो जाएं। हर्यंसन ने विनियोग के लिए अर्द्धवस्था को निम्नचिलित दो भागों में विभाजित किया है और उनमें से किसी एक के भी द्वारा असंतुलन उत्पन्न किया जा सकता है। ये दो क्षेत्र सामाजिक झगड़ी पूँजी (Social Overhead Capital S O C) और प्रत्यक्ष उत्पादन क्रियाएँ (Directly Productive Activities) हैं।

सामाजिक ऊपरी पूँजी द्वारा असंतुलन (Unbalancing with S O C)—सामाजिक ऊपरी पूँजी के अन्तर्गत शिक्षा, रबास्थ, यातायात, सचार, पानी, विद्युत,

प्रकाश तथा सिचाई आदि जनोपयोगी सेवाएँ आती हैं। इनमें विनियोग वरने से इनका विकास होगा जिससे प्रत्यक्ष उत्पादन क्रियाओं में भी निजी विनियोग को प्रोत्साहन मिलेगा। उदाहरणार्थे, सस्ती विजली से लघु और कुटीर उच्चोग का विकास होगा। सिचाई को सुविधाओं से कृपि उच्चोग का उचित विकास होगा। सामाजिक ऊपरी पूँजी में किए गए विनियोग कृपि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य आदि के आदानो (Inputs) को सस्ता करके इसकी प्रत्यक्ष सहायता करेंगे। तब तक पर्याप्त विनियोगी द्वारा सामाजिक पूँजी सम्बन्धी सस्ती और थ्रेछ सेवाओं की उपलब्धि नहीं होगी, प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं में निजी विनियोग को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। सस्ते यातापात के साधनों और सस्ती विद्युत शक्ति की पर्याप्त उपलब्धि से ही विभिन्न प्रकार के उच्चोग स्थापित हो सकेंगे। अत सामाजिक ऊपरी पूँजी में विनियोग द्वारा एक बार अर्थव्यवस्था को असतुलित किया जाए ताकि, उसके सद्प्रभावों के कारण बाद में प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं में भी विनियोग अधिकाधिक हो और अर्थव्यवस्था का विकास हो। जैसा कि प्रो. हर्पमैन ने लिखा है—“सामाजिक ऊपरी पूँजी में विनियोगों का समर्यान अन्वित उत्पादन पर इसके प्रत्यक्ष लाभों के कारण नहीं किया जाता, अपितु, इसलिए किया जाता है क्योंकि यह प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं को आनंद की इजाजत देते हैं। इस प्रजार प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं (DPA) में विनियोग की पूर्व आवश्यकता है।”

प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं द्वारा असंतुलन (Unbalancing with DPA)—अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं (DPA) के द्वारा भी असंतुलन उत्पन्न किया जा सकता है और उसके द्वारा अर्थव्यवस्था के विकास का भी प्रयत्न किया जा सकता है। यदि प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं में प्रारम्भिक विनियोग बढ़ावा जाएगा तो सामाजिक ऊपरी पूँजी (SOC) पर दबाव पड़ेगा तथा उसकी कमी अनुभव की जान लगेगी। पर्याप्त सामाजिक ऊपरी पूँजी निर्माण के अभाव में यदि प्रत्यक्ष-उत्पादक-क्रियाएँ आरम्भ की गईं तो उत्पादन लागत बढ़ जाएगी। इन सब कारणों से स्वाभाविक रूप से सामाजिक ऊपरी पूँजी (SOC) का भी विस्तार होगा। इसी प्रकार प्रत्यक्ष उत्पादक-क्रियाओं के प्रारम्भ से होने वाली आप में वृद्धि और राजनीतिक दबाव से भी सामाजिक ऊपरी पूँजी पर विनियोग को प्रोत्साहन मिलेगा।

विकास का पथ (Path to Development)—सामाजिक ऊपरी पूँजी (SOC) से प्रत्यक्ष उत्पादन-क्रिया (SOC to DPA) के प्रथम अनुक्रम (Sequence) को हर्पमैन ने सा. ऊ. पू. की अतिरिक्त क्षमता द्वारा विकास (Development via excess capacity of SOC) और प्र. उ. कि. से सा. ऊ. पू. (From DPA to SOC) के द्वितीय अनुक्रम को सा. ऊ. पू. की स्वल्पता द्वारा विकास (Development via shortage of SOC) कहा है। प्रथम प्रकार के विकास पथ में विनियोग अनुक्रम लाभ की आशाओं से भीर द्वितीय प्रकार के राजनीतिक दबाओं से होता है, क्योंकि सा. ऊ. पू. और प्र. उ. कि. दोनों का ही एक साथ विस्तार नहीं किया जा सकता। अतः विकास के लिए किसी एक पथ को चुनना पड़ता है। दोनों

मार्गों में से किम मार्ग का अनुमतरण किया जाए? इस सम्बन्ध में हर्षमैन सा ऊ पू. की स्वल्पता (Development via shortage of SOC) को प्रसन्न करते हैं।¹

अगली और पिछली शृंखलाएँ (Forward and Backward Linkage)— आर्थिक विकास के लिए असतुलन का महत्व समझ लेने के पश्चात् अगली समस्या इस बात को जात करने की है कि विस प्रकार का असतुलन विकास के लिए अधिक प्रभावशाली है। अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्र इतने महत्वपूर्ण और प्रभावशाली होते हैं कि उनके विकसित होने पर अन्य क्षेत्र स्वयंसेव प्रगति करने लग जाते हैं। उदाहरणार्थ, इस्पात कारखानों की स्थापना से पिछली शृंखला के प्रभावों (Backward linkage effects) के कारण, वच्चा लोहा, कोयला, अन्य धानु-निर्माण-उद्योग, सीमेन्ट आदि की मांग बढ़ने के कारण इन उद्योगों का विकास होता है। इसी प्रकार आगे की शृंखलाओं के प्रभाव (Forward linkage effects) के कारण मशीन निर्माण उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग यन्त्र उद्योग तथा सेवाओं को प्रोत्साहन मिलता है। इस प्रकार इस्पात उद्योग की स्थापना से अर्थव्यवस्था को एक गति मिलती है। उत्पादन की पूर्व और बाद वारी अवस्थाओं में विनियोग बढ़ने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। अत विकास-प्रक्रिया का उद्देश्य ऐसी परियोजनाओं को जात करना है जिनका अधिकाधिक शृंखला-सम्बन्ध प्रभाव हो। पिछली और अगली शृंखलाओं का प्रभाव आदान प्रदान (Input-output) सारणियों द्वारा मापा जा सकता है यद्यपि इनके बारे में अद्विक्षित देशों में विश्वसनीय जानकारी नहीं होती है। ऐसी परियोजनाएँ जिनका शृंखला प्रभाव अधिक हो, विभिन्न देशों और विभिन्न समयों में भिन्न भिन्न होती हैं। लोहा और इस्पात उद्योग इसी प्रकार की एक परियोजना है। हर्षमैन के अनुसार “सर्वोच्च शृंखला प्रभाव वाला उद्योग लोहा तथा इस्पात है (The industry with the highest combined linkage score is iron and steel)” किन्तु अधिकतम शृंखला प्रभाव वाले लोहे और इस्पात उद्योग से ही औद्योगिक विकास का प्रारम्भ नहीं हो सकता है व्यांकि, अर्द्ध विकसित देशों में अन्तर्राष्ट्रीय और शृंखला प्रभावों की वमी होती है। इन देशों में कृषि आदि शायमिक उत्पादन उद्योग होते हैं जिनके दोनों प्रकार के प्रभाव नियंत्रित होते हैं परिणामस्वरूप, रोजगार या कुल राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि के रूप में अर्थव्यवस्था पर इनके विकास के प्रभाव बहुत बहुत होते हैं।

इसीलिए हर्षमैन ‘अन्तिम उद्योग पहले’ (Last industries first) की बात का समर्थन करते हैं। इन उद्योगों को ‘Import Inclave Industries’ भी कहते हैं, जो पिछली शृंखला के व्यापक और गम्भीर प्रभाव उत्पन्न करते हैं। वस्तुतः पिछली शृंखलाओं के प्रभाव जो कई अन्तिम अवस्था वाले उद्योगों (Last stage Industries) के सदृक परिणाम होते हैं, अधिक महत्व वाले होते हैं। पिछली शृंखलाएँ मांग में वृद्धि के कारण उत्पन्न होती हैं। प्रारम्भ में ‘Import Inclave industries’ में

1 Paul Alpert : Economic Development-Objectives and Methods, p. 179.

विदेशों से किसी वस्तु के हिस्से मंगाकर देश में उनको सम्मिलित (Assemble) करने के रूप में अन्तिम उद्योग स्थापित किए जाने चाहिए। पिछली श्रृंखलाओं के द्वारा खाद में इनकी मार्ग में वृद्धि होने पर इन हिस्सों के उद्योग भी स्वदेश में ही स्थापित किए जाने चाहिए और इन आयात प्रतिस्थापन करने वाले उद्योगों को संरक्षण या अनुदान (Subsidy) आदि के रूप में सहायता दी जानी चाहिए।

सक्षेप में, प्रो. हर्पर्मैन की 'आर्थिक विकास की असतुलित शैली' को उन्हीं के शब्दों में निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है—“आर्थिक विकास असमान वृद्धि के मार्ग का अनुसरण करता है कि दबावों, प्रेरणाओं और प्रनिवार्यताओं के परिणामस्वरूप संतुलन की स्थापना की जाती है कि आर्थिक विकास का कुशलता-पूर्ण मार्ग अव्यवस्थित होता है और कठिनाइयों और कुशलताओं, मुविधाओं, सेवाओं और उत्पादों की कमियों तथा कठिनाइयों से मुक्त होता है; कि श्रीरामिक विकास अधिकौश में पिछली श्रृंखलाओं के द्वारा मार्ग बड़ा पर्याप्त यह प्रपना मार्ग अन्तिम स्पर्श (Last touches) से मध्यवर्ती और आधारभूत उद्योगों की ओर लेगा।”

हर्पर्मैन के हिट्कोए का मूल्यांकन (Critical Appraisal of Hirschman's Approach)—हर्पर्मैन द्वारा प्रतिपादित 'असतुलित विकास का मिद्दान्त' अद्वैतिकसित देशों में आर्थिक विकास की गति में हीमता लाने का एक उपयोगी उपाय है। विकास के लिए प्रेरणाओं और उसके मार्ग में आने वाली बाधाओं प्रादि का इस सिद्धान्त में उचित रूप से विवेचन किया गया है। पिछली और अगली श्रृंखलाओं के प्रभावों और अन्तिम अवस्था उद्योग (Import Inclave Industries) का विवेचन भी उपादेय है। अद्वैत-विकसित देशों के लिए प्रत्यधिक वांछनीय नियान्त सबद्वान् और आयान प्रतिस्थापन तथा प्रारम्भिक अवस्थाओं में उद्योगों को संरक्षण और सहायता पर भी इस सिद्धान्त में उचित बल दिया गया है। हर्पर्मैन के इस सिद्धान्त में न तो रूस जैसी पूर्ण केन्द्रीकृत-नियोजन-परिकल्पना का समर्थन किया गया है, न ही पूर्णरूप से नियंत्रित उपकरण द्वारा विकास की समर्थता को ग्रन्थित भाना गया है। सामाजिक ऊपरी पूर्जी के विकास में वह सार्वजनिक उत्तरदायित्व पर बल देता है वयोऽि, निजी-उपकरण द्वारा इनका वांछित विकास असम्भव है और इसके अभाव में प्रत्यक्ष उत्पादन कियाएँ प्रोत्साहित नहीं हो सकती। इस प्रकार, हर्पर्मैन नियंत्रित अव्यवस्था के पक्ष में प्रतीत होते हैं। जो अद्वैत-विकसित देशों के सदर्म में पूर्ण उपयुक्त विचार है।

आलोचना—हर्पर्मैन ने सिद्धान्त की निम्नलिखित आलोचनाएँ की गई हैं—

1. पाल स्ट्रीटन (Paul Streeten) ने हर्पर्मैन के उक्त सिद्धान्त की आलोचना करते हुए लिखा है कि “महत्वपूर्ण प्रश्न असतुलन उत्पन्न करने का नहीं है बल्कि विकास को गति देने के लिए असतुलन का अनुकूलतम अश क्या हो, कितना और कहाँ असतुलन पैदा किया जाए, महत्वपूर्ण बिन्दु (Growing Points) क्या हैं?” इस प्रकार इस सिद्धान्त में असतुलन की सरचना, दिशा और समय पर पर्याप्त ध्यान केंद्रित नहीं हुआ है।

2. पॉल स्ट्रीटन के अनुसार इस सिद्धान्त से विस्तार की प्रेरणाओं पर ही ध्यान दिया गया है तथा असतुलन द्वारा उत्पन्न अवशेषों की अद्वेलना की गई है।

3. असतुलित विकास के सिद्धान्त के अनुसार अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में ही विनियोग किया जाता है। इससे प्रारम्भिक अवश्या में जब तक परिपूरक उच्चोगों का विकास नहीं हो, साधन अप्रयुक्त और निष्क्रिय रहते हैं। इस प्रकार आधिक्य समता (Excess Capacity) के कारण एक और काफी अवश्य छोता है जब कि दूसरी और साधनों के अभाव में उद्योग स्थापित नहीं होते।

4. इस सिद्धान्त के अनुसार, एक क्षेत्र में विनियोगों को केन्द्रित किया जाता है जिससे अर्थव्यवस्था में असतुलन दबाव और तनाव उत्पन्न हो जाते हैं। इन्हे दूर करने के लिए दूसरे क्षेत्रों में विनियोग किया जाता है और इस प्रकार आर्थिक विकास होता है। विभूति अद्वैत-विकसित देशों में ये दबाव और तनाव आर्थिक विकास को अवरुद्ध करने की सीमा तक गम्भीर हो सकते हैं।

5. कुछ आलोचकों के अनुसार तकनीकी अविभाज्यताओं गणना और अनुमान की त्रुटियों एवं माँग तथा पूर्ति की सारणियों के बेलोच स्वभाव के कारण, अद्वैत-विकसित अर्थव्यवस्थाओं में स्वाभाविक रूप से ही असतुलन उत्पन्न होते रहते हैं। अत अर्थशास्त्रियों द्वारा नीति के रूप से यह बताया जाना आवश्यक नहीं है।

6. इस सिद्धान्त का समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं के लिए सीमित महत्व है क्योंकि वहाँ विनियोग सम्बन्धी निश्चय, बाजार-तन्त्र और प्रेरणाओं द्वारा नहीं अपितु राज्य द्वारा किए जाते हैं।

7. असतुलित विकास के लिए आवश्यक प्रेरणा तान्त्रिकता (Inducement mechanism) का उपयोग वही व्यावहारिक हो सकता है, जहाँ साधनों में आन्तरिक लोच और गतिशीलता हो, किन्तु अद्वैत-विकसित देशों में साधनों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानान्तरण कठिन होता है।

8. असतुलित विकास के सिद्धान्त के विरुद्ध सबसे बड़ा तर्क यह प्रस्तुत किया जाता है कि इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रसारक प्रवृत्तियों को जन्म मिलता है। इस सिद्धान्त के अनुसार, अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में विनियोग किया जाता है जिससे प्राय में धृढ़ि होती है। परिणामस्वरूप उपरोक्त वस्तुओं की माँग और मूल्य अपेक्षाकृत बढ़ जाते हैं। अद्वैत-विकसित देशों में इन्हे रोकने के लिए मौद्रिक और राजकोषीय उपाय भी अभावपूर्ण नहीं हो पाते। इस प्रवार, मुद्रा प्रसारक प्रवृत्तियों विकसित होने लगती हैं।

9. हृष्मेन द्वारा उल्लिखित 'शृंखला अभाव' (Linkage effects) भी अद्वैत-विकसित देशों में इतने सक्रिय और अभावपूर्ण नहीं सिद्ध होते।

उपरोक्त सीमाओं के होते हुए भी असतुलित विकास की तकनीक अद्वैत-विकसित देशों के द्रुत विकास के लिए अत्यन्त उपयोगी है और कई अद्वैत-विकसित देशों ने विकास के लिए इस युक्ति को अपनाया है। सोवियत रूस ने इस पद्धति को अपना कर अपना द्रुत विकास किया है। भारतीय योजनाओं में भी विशेष रूप से

दूसरी योजना में इस शैली को अपनाया गया है। योजना में विशेषरूप से भारी और आधारभूत उद्योगों के विकास को पर्याप्त महत्व दिया गया है। सार्वजनिक विनियोगों में उद्योगों का भाग प्रथम योजना में केवल 5% से भी कम था। किन्तु द्वितीय योजना में यह अनुपात बढ़ कर 19% और तृतीय योजना में 24.2% हो गया था।

प्रो. मिन्ट की विचारधारा (Approach of Prof Myint)

प्रो. मिन्ट (Myint) के अनुसार विदेशी उद्यमियों द्वारा उपनिवेशों में अपनाई गई दुर्भाग्यपूर्ण नीतियों ने इन देशों में विकास की प्रक्रिया के प्रारम्भ को रोका है। इन देशों में सचालित खनन और बागान (Mining and Plantation ventures) व्यवसायों में इनके प्रबन्धकों का यह हृष्टिकोण था कि स्थानीय श्रमिकों में विकास क्षमता नहीं है। प्रत्यन्धून माय वाले देशों के श्रमिकों में प्रचलित माय के स्तर के लगभग दरावर ही मजदूरी दी गई। मजदूरी की यह न्यून दरें जहाँ पर्याप्त मात्रा में श्रमिकों को आकर्षित नहीं कर सकी, वहाँ पर श्रमिकों का भारत, चीन आदि कम आय वाले देशों से आयात किया। इस सन्दर्भ में प्रो. मिन्ट ने एल. सी. नोयल्स (L C Knowles) के इस कथन का उद्धरण दिया है कि ब्रिटिश उपनिवेश की तीन मातृभूमियाँ थीं—ब्रिटेन, भारत और चीन। इस प्रकार इन उपनिवेशों में मजदूरी बहुत कम दी गई। प्रो. मिन्ट ने सुझाय दिया है कि यदि नियोजकों ने इन्हे ऊँची मजदूरी दी होती और स्थानीय श्रमिकों की उत्पादकता में उम स्तर तक वृद्धि के लिए प्रयत्न किए होते जिस स्तर ने इस मजदूरी नीति को लाभदायक बनाया होता, तो सम्भवत उन्होंने विकास की गतिविधियों को प्रेरणा दी होती।

प्रो. मिन्ट के विचारानुसार यदि गाँवों में नई और आकर्षक प्रकार की उपभोक्ता वस्तुएँ विक्री के लिए पहुँचाई जाती हैं और अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रबलन किया जाता है तो निर्वाह अर्थव्यवस्था (Subsistence Economy) को भी विकास की उत्तेजना मिलती है। नई उपभोक्ता वस्तुओं के परिचय द्वारा विकास की उत्तेजना का विचार मिन्ट के पूर्व भी बतलाया गया था। ये विचार नई प्रावश्यकताओं के मानव व्यवहार पर प्रभाव के साधारण मतोविज्ञान पर आधारित हैं।

लेबेन्स्टीन की विचारधारा (Leibenstein's Approach)

प्रो. हार्डे लेबेन्स्टीन जै अपनी प्रमुख कार्यक्रम 'Critical Minimum Effort Thesis' में आर्थिक विकास से सम्बन्धित बहुत महत्वपूर्ण विचार प्रकट किए हैं। अपने इस ग्रन्थ में लेबेन्स्टीन ने भारत, चीन, इन्डोनेशिया आदि उन अद्विकसित या अल्पविकसित देशों की समस्याओं का अध्ययन किया है, जिनमें जनसंख्या का घनत्व अधिक है। यद्यपि उनका लक्ष्य इन देशों की समस्याओं को समझाना है, उनका समाधान प्रस्तुत करना नहीं तथापि उन्होंने समस्याओं के समाचानार्थ कुछ महत्वपूर्ण उपाय अवश्य सुझाए हैं। लेबेन्स्टीन ने अपनी पुस्तक में यह अध्ययन किया

है कि अर्द्ध-विकसित देशों के पिछड़ेपन से किस प्रकार मुक्ति पाई जा सकती है। उन्होंने अपने ग्रन्थ में विकास के समस्त घटकों और नीतियों को अपनी अध्ययन सामग्री नहीं बनाया है बरब उनका मुख्य लक्ष्य उनके 'न्यूनतम आवश्यक प्रयत्न' (Critical Minimum Effort) के बाद या भूत (Thesis) को समझाना रहा है।


लेबेन्स्टीन के मतानुसार दीर्घकालीन स्थाई और स्वयं स्कूर्ट विकास के लिए यह ग्रावश्यक है कि अर्थव्यवस्था में जो विनियोजन किया जाए वह इतनी मात्रा में हो, जिससे पर्याप्त स्कूर्ट मिल सके। लेबेन्स्टीन के अनुसार मात्र इसी उपाय से अर्द्ध-विकसित देश अपने ग्राथिक दुष्कर से मुक्ति पा सकते हैं।

लेबेन्स्टीन के कथनानुसार अर्द्ध-विकसित या ग्रल्प-विकसित देशों में पाए जाने वाले दुष्कर उन्हे प्रति व्यक्ति आय के निम्न साम्य की स्थिति में रखते हैं। यद्यपि ऐसे देशों में अम और पूँजी की मात्रा में परिवर्तन होते हैं किन्तु उनके प्रभाव के कारण ए प्रति व्यक्ति आय के स्तर में नगण्य परिवर्तन होते हैं। इस हित से निकलते हैं लिए कुछ 'न्यूनतम आवश्यक प्रयत्न' (Critical Minimum Efforts) की ग्रावश्यकता है, जो प्रति व्यक्ति आय को ऐसे स्तर तक बढ़ा दे जहाँ से सतत् विकास-प्रक्रिया जारी रह सके। उन्होंने बताया है कि पिछड़ेपन से हम निरन्तर दीर्घकालीन विकास की आशा कर सकें, यह आवश्यक (यद्यपि सदा पर्याप्त नहीं) जारी है कि इसी बिन्दु पर या कुछ अवधि में अर्थव्यवस्था को विकास के लिए ऐसी उत्तेजना (Stimulus) मिले जो निर्णित न्यूनतम आवश्यक प्रयत्नों से अधिक हो। लेबेन्स्टीन के मतानुसार प्रत्येक अर्थव्यवस्था में दो प्रकार की शक्तियाँ क्रियाशील रहती हैं। एक और कुछ 'उत्तेजक' (Stimulants) तत्त्व होते हैं जिनका प्रभाव प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करने वाला होता है। दूसरी ओर कुछ पीछे धकेलने वाले (Shocks) तत्त्व होते हैं जो प्रति व्यक्ति आय को घटाने का प्रभाव रखते हैं। अर्द्ध-विकसित देशों में प्रथम प्रकार के तत्त्व कम और द्वितीय प्रकार के तत्त्व अधिक प्रभावशील होते हैं। अत आय घटाने वाले तत्त्वों से कहीं अधिक आय में वृद्धि करन वाले तत्त्वों को उत्तेजित करन पर ही अर्थव्यवस्था विकास के पथ पर अग्रसर हो पाएगी और ऐसा तभी सम्भव होगा, जबकि न्यूनतम आवश्यक प्रयत्न (Critical Minimum Efforts) किए जाएंगे।

प्रति व्यक्ति आय और जनसत्त्वा-वृद्धि का सम्बन्ध—लेबेन्स्टीन का सिद्धान्त इस अनुभव पर आधारित है कि जनसत्त्वा वृद्धि की दर प्रति व्यक्ति आय के स्तर का फलन (Function) है और यह विकास की विभिन्न अवस्थाओं से सम्बन्धित है। आय के जीवन निर्वाह साम्य स्तर (Subsistence Level of income level) पर जन्म और मृत्यु दरें अधिकतम होती हैं। आय के इस स्तर से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने पर मृत्यु-दरे गिरना प्रारम्भ होती है, यद्यपि प्रारम्भ में जन्म दरें कम नहीं होती हैं परिणामस्वरूप, जनसत्त्वा वृद्धि की दर बढ़ जाती है। इस प्रकार, प्रारम्भ में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, जनसत्त्वा वृद्धि की दर को बढ़ानी है किन्तु ऐसा एक सीमा तक ही होता है और उसके पश्चात् प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से

जन्म-दर गिरने लगती है, क्योंकि ड्यूमोण्ट (Dumont) की 'Social Capitality' की धारणा के अनुसार, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ-साथ बच्चों की सख्त्या में वृद्धि होता है। इसके अतिरिक्त विशिष्टीकरण सामाजिक और आर्थिक गणितीयता तथा नोकरी व्यवस्था आदि में प्रतिस्पर्द्धा में वृद्धि आदि कारणों से बड़े परिवार का पालन पोषण बढ़िया और व्ययसाध्य हो जाता है। अतः आय की वृद्धि के साथ पहले जन्म दरें स्थिर होती हैं तत्त्वज्ञान गिरना प्रारम्भ कर देती है। इस प्रकार ज्यो-ज्यो अद्व्यवस्था विकास की ओर बढ़नी जाती है जनसख्त्या वृद्धि की दर त्यो-त्यो तरंग होती जाती है। जापान और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों में इस प्रकार के उदाहरण देखे जा सकते हैं। लेवेस्टीन के मतानुसार, जीव विज्ञान की हिप्ट से जनसख्त्या की अधिकतम वृद्धि की दर 3% से 4% के बीच में होती है। जनसख्त्या की इस ऊँची वृद्धि की दर पर कावू पाने और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करके जनसख्त्या वृद्धि की दर नो घटाने के लिए न्यूनतम प्रावश्यक प्रपत्ती की आवश्यकता है। इसे निम्न चित्र हारा स्पष्ट किया गया है—

चित्र-6



जन संख्या वृद्धि की दर

उपरोक्त चित्र में N और P वक्र आय में वृद्धि दर और जनसख्त्या में वृद्धि-दर को निर्माण करने वाली प्रति व्यक्ति आय के स्तर को प्रदर्शित करते हैं। a बिन्दु पर जो कि निर्वाह साम्य का बिन्दु है, आय वृद्धि और जनसख्त्या वृद्धि की दर समान है। यदि प्रति व्यक्ति आय में थोड़ी वृद्धि होती है, मानलो यह OY_b हो जाती है, तो जनसख्त्या-वृद्धि की दर और आय वृद्धि की दर दोनों बढ़ती हैं, किन्तु आय-वृद्धि की अपेक्षा जनसख्त्या में वृद्धि तेजी से होती है। प्रति व्यक्ति आय के इससे भी उच्च स्तर OY_e पर जनसख्त्या वृद्धि की दर 2% है जबकि आय-वृद्धि की दर केवल 1% है। चित्र में Y_{eg} जनसख्त्या वृद्धि की दर Y_{ec} आय वृद्धि की दर से अधिक है। इस

समस्या के समाधान के लिए प्रति व्यक्ति आय की दर इतनी बढ़ानी चाहिए, जिससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि की दर जनसंख्या वृद्धि की दर को दोषे छोड़ दे। ऐसा प्रति व्यक्ति आय के स्तर के Y_0 से अधिक होने पर ही हो सकता है। यहाँ से जनसंख्या-वृद्धि की दर गिरना शुरू हो जाती है प्रतः निरन्तर आर्थिक विकास की स्थिति को लाने के लिए Y_0 न्यूनतम आवश्यक प्रति व्यक्ति आय का स्तर है प्रौर इसे प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आवश्यक प्रयत्न किए जाने चाहिए।

प्रति व्यक्ति आय का स्तर आय में वृद्धि करने वाला तत्व है प्रौर इसके द्वारा प्रेरित जनसंख्या में वृद्धि, आय घटाने वाला तत्व है। अतः निरन्तर आर्थिक विकास की स्थिति में अर्थव्यवस्था को पहुँचाने के लिए यह आवश्यक है कि प्रारम्भिक पूँजी-निवेश ही निश्चित न्यूनतम स्तर से अधिक हो जो स्वयं उद्भूत या प्रेरित आय घटाने वाली शक्तियों पर काढ़ पाने योग्य प्रति व्यक्ति आय का उच्च स्तर प्रदान करे।

अद्य-विकासित देशों में जनसंख्या-वृद्धि के अतिरिक्त भी उत्पादन साधनों की अविभाज्यता के कारण होने वाली आमतरिक अमितव्ययताएँ, बाह्य-परस्पर निर्भरता के कारण होने वाली बाह्य अमितव्ययताएँ सांस्कृतिक, सामाजिक और संस्थागत बाधाओं की उपस्थिति तथा उन्हें दूर करने की आवश्यकता भी इन देशों में बड़ी मात्रा में आवश्यक न्यूनतम प्रयत्नों की अनिवार्यता सिद्ध करती है। किन्तु अद्य-विकासित देशों में आय के बल जीवन निर्वाह स्तर योग्य होनी है प्रौर इसला समस्त व्यय प्रचलित उपभोग के लिए ही होता है। बहुत थोड़ी राशि ही मानव और भौतिक पूँजी निराण के लिए व्यय की जा सकती है। अतः सतत् आर्थिक विकास का पथ प्रशस्त करने के लिए न्यूनतम आवश्यक प्रयत्न (Critical Minimum Efforts) आय के जीवन-निर्वाह से अधिक ऊंचे स्तर पर होन चाहिए।

विकास-अभिकर्ता (Growth Agents)—लेबेन्स्टीन ने अपने सिद्धान्त को इस तर्क पर आधारित किया है कि भैरवव्यवस्था में विकास के लिए उपयुक्त कुछ आर्थिक दशाएँ उपस्थित रहती हैं जो ध्याद-वृद्धि की शक्तियों की आय में कमी करने वाली शक्तियों की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ाती हैं। 'विकास अभिकर्ता' (Growth Agents) इन दशाओं को जन्म देते हैं। 'विकास अभिकर्ता' वे होते हैं, जो विकास में योग देने वाली क्रियाओं (Growth Contributing Activities) को सचालित करते हैं। उद्यमी (Entrepreneur), विनियोजक (Investor), बचत करने वाले (Saver) एवं मन्त्र प्रवर्तक (Innovator) आदि उल्लेखनीय विकास अभिकर्ता हैं। विकास साधकों का इस विकास में योगदान देने वाली क्रियाओं वे कारण पूँजी प्रौर बचत की दर अम-जक्ति की कुशलता, ज्ञान और जोखिम की मात्रा में वृद्धि होती है। लेबेन्स्टीन के अनुसार 'विकास साधकों का विस्तार होगा या नहीं' यह इन क्रियाओं के सम्भावित प्रौर वास्तविक परिणाम तथा सम्भावनाओं, क्रियाओं प्रौर परिणामों की अभ्य किया द्वारा उत्पन्न ग्रामे विस्तार (Expansion) प्रौर सकुचन (Contraction) के लिए प्रेरणाओं पर निर्भर करते हैं। ये प्रेरणाएँ दो प्रवार की होती हैं।

(i) शून्य-राशि प्रेरणाएँ (Zero sum Incentives)—इनसे राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं होती है, इनका केवल वितरणात्मक प्रभाव होता है।

(ii) धनात्मक राशि-प्रेरणाएँ (Positive sum Incentives)—जो राष्ट्रीय आय में वृद्धि करती हैं केवल दूसरे प्रकार की प्रेरणाओं द्वारा ही आर्थिक विकास हो सकता है। किन्तु अर्द्ध-विकास देशों में प्रथम प्रकार की क्रियाओं में ही व्यक्ति सत्रान रहते हैं और दूसरे प्रकार की क्रियाएँ अत्यधिक मात्रा में मचालित की जाती हैं। जो कुछ इस प्रकार की क्रियाएँ की जाती हैं वे अर्थव्यवस्था में विशुद्ध विकास की अनुपस्थिति के कारण प्रभावहीन ही रहती हैं। इसके ग्रतिरक्त प्रति व्यक्ति आय पर विपरीत प्रभाव डालने वाली निम्नलिखित प्रवृत्तियाँ भी क्रियाशील रहती हैं—

(i) सम्भावित बढ़िमान आर्थिक अवसरों में कटौती और रोक द्वारा वर्तमान आर्थिक विवायतों (Privileges) को बनाए रखने वाली (Zero-sum Activities) शून्य राशि प्रेरणाएँ।

(ii) परिवर्तन के प्रतिरोध में की मई सगठित और असगठित शम द्वारा की जाने वाली अनुदार कार्यवाहियाँ।

(iii) नवीन ज्ञान और विचारों का प्रवरोध।

(iv) निजी और सार्वजनिक सहस्राओं द्वारा अनुत्पादक प्रकृति के व्यय में वृद्धि।

(v) जनसंख्या-वृद्धि के परिणामस्वरूप होने वाली अम-शक्ति में वृद्धि जिसके कारण प्रति व्यक्ति उपलब्ध पूँजी की मात्रा कम हो जाती है।

आर्थिक प्रगति पर विपरीत प्रभाव डालने वाले उपरोक्त तत्वों को प्रभावहीन करने के लिए पर्याप्त मात्रा में न्यूनतम आवश्यक प्रयत्न (Sufficiently large critical minimum efforts) किए जाने चाहिए, जो धनात्मक-राशि क्रियाओं को उत्तेजित करें। ऐसा होने से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी जिसके कारण बचत और विनियोग की मात्रा बढ़ेगी। परिणामस्वरूप, 'विकास अभिकर्ताओं' (Growth Agents) का विस्तार होगा, विकास में उनका योगदान बढ़ेगा, विकास में वाधक तत्वों की प्रभावहीनता बढ़ेगी, सामाजिक और आर्थिक गतिशीलता को बढ़ाने वाले सामाजिक वातावरण का निर्माण होगा, विश्वासीकरण बढ़ेगा और द्वितीयात्मक और तृतीयात्मक उद्योगों का विस्तार होगा। इन सबके कारण सामाजिक वातावरण में ऐसे परिवर्तनों का मार्ग साफ होगा। जिससे जन्म-दर और जनसंख्या वृद्धि की दरें गिर जाएंगी। और लेवेन्टीन ने अर्द्ध-विकसित देशों वे लिए इस न्यूनतम आवश्यक प्रयत्नों की मात्रा का भी अनुमान लगाया है।

समीक्षा—प्रो. लेवेन्टीन ने व्यापनी पुस्तक के प्रावक्षण्य में लिखा है कि उनका उद्देश्य स्पष्टीकरण और व्याख्या करना है, न कि कोई नुस्खा बताना है। किन्तु उनके इस सिद्धान्त ने कई अर्थशास्त्रियों और नियोजकों को आकर्षित किया है और यह अर्द्ध-विकसित देशों वे आर्थिक विद्युतेन को दूर करने का एक उपाय माना जाने लगा है। इसका एक कारण यों यह है कि उसका यह विचार अधिकारी अर्द्ध-विकसित देशों द्वारा अपनाई गई जनतान्विक नियोजन (Democratic Planning)

पहली से मेल खाता है। इसके साथ ही यह रोजेन्स्टीन रोडन (Rosenstein Rodan) के 'बड़े प्रयत्न' (Big Push) के सिद्धान्त की अपेक्षा वास्तविकता के अधिक निकट है, क्योंकि, अब विकसित देशों के आरोग्यीकरण के लिए एक बार ही 'बड़ा धमका' देना कठिन होता है, जबकि लेबेन्स्टीन के 'भूनतम आवश्यक प्रयत्नों' को छोटे प्रयत्नों के रूप में टुकड़ों-टुकड़ों में विभाजित करके प्रयोग में लाया जा सकता है।

किन्तु यह सिद्धान्त भी आलोचना मुक्त नहीं कहा जा सकता। इस सिद्धान्त के अनुसार प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने पर एक बिन्दु तक जनस्वास्थ्य-वृद्धि की दर बढ़ती जाती है और उसके पश्चात् उसमें गिरावट आने लगती है। किन्तु वस्तुतः यह प्रयत्न प्रक्रिया, अर्थात्, जनस्वास्थ्य-वृद्धि की दर बढ़ने का कारण प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि नहीं, अपितु चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि के कारण घटने वाली मृत्यु-दर है। उदाहरणार्थे, भारत ये 1911-21 में मृत्यु-दर 48.6 प्रति हजार से घट कर 1951-61 में 22.8 प्रति हजार रह जाने के कारण प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि नहीं, अपितु रोगों पर नियन्त्रण और चिकित्सा व जन-स्वास्थ्य का अधिक ज्ञान और इन सुविधाओं में वृद्धि हुई है। इसी प्रकार इस बिन्दु के पश्चात् जन्म-दर से कमी का श्रेय भूनतम आवश्यक स्तर पर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को नहीं है। अब विकसित देशों में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की जन्म दर को नहीं घटा सकती है। जापान एवं अन्य प्रगतिशील देशों में जिनके आधार पर लेबेन्स्टीन ने अपना विश्लेषण प्रस्तुत किया है, यह सत्य हो सकता है। किन्तु अब विकसित देशों में जन्म-दर को घटाने के लिए लोगों के दृष्टिकोण समझ सामाजिक संस्थाओं आदि में परिवर्तन और शिक्षा प्रचार की आवश्यकता है। वस्तुतः जन्म दर में कमी करने के लिए प्रति व्यक्ति आय में भूनतम आवश्यक स्तर से अधिक वृद्धि होने तक कोई भी अब विकसित देश प्रतीक्षा नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति में जनस्वास्थ्य की स्थिति विरफ्तोटक देशों परहण कर सकती है।



आर्थिक विकास के लिए नियोजन

(Planning for Economic Growth)

“आयोजन का अर्थ केवल कार्य-सूची बना लेने से नहीं होता और न ही यह एक राजनीतिक आदर्शवाद है। आयोजन एक बुद्धिमत्तापूर्ण, विवेकपूर्ण तथा चेंजानिक पद्धति है जिसके अनुसार हम अपने आर्थिक व सामाजिक उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं व पाप्त कर सकते हैं।” —जवाहरलाल नेहरू

नियोजित अर्थ-व्यवस्था आधुनिक काल की एक नवीन प्रवृत्ति है। 19वीं शताब्दी में पूँजीवाद, व्यक्तिवाद और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का बोल बाला रहा तथा अधिकांश देश स्वतन्त्र व्यापार-नीति और आर्थिक स्वतन्त्रता के समर्थक रहे। लेबिन पिछ्ची अर्द्ध-शताब्दी में रूस की क्रान्ति, सन् 1929-32 की विश्व-व्यापी आर्थिक-भूम्दी, दो भीषण महायुद्धों व उपनिवेशवाद की समाप्ति, खोक-वित्त, तकनीकी प्रगति, एव सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक प्रवृत्तियाँ आदि के कारण आर्थिक नियोजन का महत्व स्थापित हो चुका है और आज प्रत्येक देश में किसी न किसी अपने नियोजन का मार्ग अपनाया जा रहा है। सासार के लगभग सभी देश अपने आर्थिक विकास और उन्नति के लिए आर्थिक नियोजन में जुटे हुए हैं।

आर्थिक नियोजन इतना महत्वपूर्ण और उपयोगी सिद्ध हुआ है कि अमेरिका, ब्रिटेन आदि स्वतन्त्र अर्थ-व्यवस्था वाले देश भी व्यापक अर्थ में नियोजन का सहारा लेने लगे हैं। अर्द्ध-विकसित देशों में तो नियोजन अरथव्यक्ति साभदायक है ही क्योंकि इसके द्वारा शीघ्र पूँजी-निर्माण की प्रक्रिया को गति देकर द्रुत आर्थिक विकास किया जाना सम्भव है। अर्द्ध-विकसित देशों की मूल समस्या कीमत स्थायित्व के साथ आर्थिक वृद्धि करना है। आर्थिक वृद्धि की उच्च दर, आर्थिक नियोजन पर निर्भर करती है। नियोजित अर्थ व्यवस्था में ही एक अभीष्ट सीमा तक पूर्ण रोजगार, समानता, स्थायित्व आदम-निर्भरता आदि आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति सम्भव है। अनियोजित अर्थव्यवस्था निजी उद्यम वालों स्वचालित अर्थ व्यवस्था में सतुलन की स्थिति तो सम्भव है, किन्तु आर्थिक विकास की उच्च दर के लिए स्वचालित अर्थ-व्यवस्था के निम्न स्तरीय सतुलन को नष्ट करना आवश्यक है। कीन्स के अर्थशास्त्र में स्पष्ट सबैत

मिलता है कि स्वत प्राप्त पूर्ण रोजगार जैसी कोई स्थिति नहीं होती है (There is no automatic full employment)। 'पेरेटो उत्तमावस्था' (Pareto-optimality) का सिद्धान्त भी यह स्पष्ट करता है कि सम्पत्ति व आय का वितरण इस सिद्धान्त की मुख्य शर्तों के अन्तर्गत नहीं आता अर्थात् विकास, समानता, स्थायित्व, आत्म-निर्भरता, पूर्ण रोजगार आदि आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आर्थिक नियोजन आवश्यक है। इसीलिए प्रदं-विकसित देशों में आर्थिक वृद्धि की उच्च दर प्राप्त करने के लिए नियोजन का मार्ग अपनाया जाता है।

नियोजित और अनियोजित अर्थ-व्यवस्था की तुलना

(Comparison of Planned and Un-planned Economies)

जो देश आर्थिक विकास तथा अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आर्थिक नियोजन की पद्धति को अपनाते हैं, उस देश की अर्थ-व्यवस्था को नियोजित अर्थ-व्यवस्था (Planned Economy) कहते हैं। 'नियोजित अर्थ-व्यवस्था' में बेंद्रीय नियोजन सत्ता द्वारा सचेत रूप से निर्धारित आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आर्थिक क्रियाओं का सचालन किया जाता है जिन पर सरकार का प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से नियन्त्रण होता है। नियोजित प्रथं व्यवस्था के विपरीत अनियोजित अर्थ-व्यवस्था वह होती है जो आर्थिक नियोजन को नहीं अपनाती है। नियोजित और अनियोजित अर्थ-व्यवस्था में होने वाले निम्नलिखित प्रमुख अन्तर हैं—

नियोजित अर्थ-व्यवस्था (Planned Economy)	अनियोजित अर्थ-व्यवस्था (Un planned Economy)
1. इसमें समस्त अर्थ-व्यवस्था को एक इकाई मान कर सम्पूर्ण आर्थिक क्षेत्र के लिए योजना बनाई जाती है।	1. इसमें व्यक्तिगत मांग के अनुसार व्यक्तिगत उत्पादक इकाई के लिए योजना बनाई जाती है।
2. आर्थिक क्रियाओं के निर्देशन के लिए बेंद्रीय नियोजन अधिकारी होता है।	2. इसमें ऐसा नहीं होता है।
3. सार्वजनिक हित सर्वोपरि होता है।	3. निजी लाभ अधिक महस्तपूर्ण होता है।
4. आर्थिक क्रियाएँ पर राज्य नियन्त्रण होता है।	4. आर्थिक क्रियाएँ राज्य-नियन्त्रण और हस्तक्षेप से मुक्त होती हैं।
5. उत्पादन राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है।	5. उत्पादन मांग के अनुसार किया जाता है।
6. मूल्य-तानिकता महत्वहीन होती है।	6. मूल्य तानिकता महत्वपूर्ण होती है।
7. यह नियमित अर्थ-व्यवस्था होती है।	7. यह स्वतन्त्र प्रतिशोधिता पर आधारित होती है।

नियोजित अर्थव्यवस्था (Planned Economy)	अनियोजित अर्थव्यवस्था (Un-planned Economy)
8. इसमें समस्त राष्ट्र के हाईकोले से उद्देश्य निश्चित होते हैं।	8. बहुधा समस्त राष्ट्र के हाईकोले से उद्देश्य निश्चित नहीं किए जाते।
9. उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक निश्चित ग्रवधि होती है।	9. इसमें कोई निश्चित ग्रवधि नहीं होती।
10. यह समाजवाद के अधिक निश्चित है।	10. यह पूँजीवाद से मव्वन्वित है।
11. यह एक विवेकपूर्ण अर्थव्यवस्था है।	11. यह आकस्मिक अर्थव्यवस्था है।

नियोजित अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठता (Superiority of Planned Economy)

नियोजित अर्थव्यवस्था की उपयोगिता का आभास हमें पूर्वतर विवरण से मिल चुका है। आज विश्व के लगभग सभी देश इसी न किसी हप में आर्थिक नियोजन को अपनाए हुए हैं और इससा कारण नियोजन से होने वाले अतिशय लाभ ही है। ये लाभ इतने महत्वपूर्ण हैं कि कोई भी आधुनिक राष्ट्र इनकी उपेक्षा नहीं कर सकता। अधिकांश अद्वैतिक देशों ने इन्हें आर्थिक विकास के लिए आर्थिक नियोजन की तकनीक अपनाकर अपने यहाँ नियोजित अर्थव्यवस्था स्थापित वरके उसके मुन्दर फलों को चाहा है और हम भी आर्थिक विकास को और तेजी से बढ़ाने लगे हैं। कई देशों में पूर्ण हप से नियोजित अर्थव्यवस्था (Planned Economies) है। आर्थिक नियोजन के सहारे ही सोवियत रूस ने इतनी आश्वयजनक प्रगति की है कि प्रो. एस. ई. हेरिस के इस मत से कोई मतभेद नहीं हो सकता कि 'विश्व के अध्य किसी भी देश ने इतनी इन्हें विश्वतासे एक पिछड़ हुए कृषिप्रधान देश से अत्यधिक आर्थिक, आर्थिक शक्ति सम्पद देश में परिवर्तित होने का अनुभव नहीं किया है।' लेकिन अनेक व्यक्ति आर्थिक नियोजन के मार्ग के कदु आलोचक हैं। प्रो. हेयक (Prof Hayek) नियोजन को दासता का मार्ग मानते हैं। हमारे लिए इन विरोधी विवारों का मूल्यांकन करने के लिए यह उपयुक्त होगा कि हम आर्थिक नियोजन के पक्ष और विपक्ष, दोनों पहलुओं को देख लें।

नियोजन के पक्ष में तकं (Arguments for Planning)

आर्थिक नियोजन की श्रेष्ठता के पक्ष में निम्नलिखित प्रमुख तकं दिए जाते हैं-

1. तीव्र आर्थिक विकास सम्भव—आर्थिक नियोजन की पद्धति को अपना कर ही तीव्र आर्थिक विकास किया जा सकता है। वैसे तो अमेरिका, इंग्लैण्ड, फ्रांस आदि पश्चिमी देश आर्थिक नियोजन के बिना ही आर्थिक प्रगति के उच्च स्तर पर पहुँच गए हैं। किन्तु इनमें इन्हें पर्याप्त समय लगा है और इनकी प्रगति अपेक्षाकृत

बम भी रही है, जबकि, हस, चीन आदि देशों ने नियोजन का सहारा लेकर अत्यल्प समय में ही द्रुत आर्थिक विकास किया है। आधुनिक अर्द्ध-विकासित देशों के लिए भी तेजी से आर्थिक विकास उनके जीवन मरण का प्रश्न बन गया है। अतः उनके लिए नियोजन-पद्धति अपनाना अधिक बाँटनीय है। आर्थिक नियोजन से इन देशों का द्रुत आर्थिक विकास तो होगा ही, साथ ही, ऐसा इन देशों की अर्थ-व्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में होगा। आर्थिक नियोजन में हृषि, उद्योग शक्ति सिचाई, यातायात, सचार, सेवाओं आदि सभी क्षेत्रों में विवेकपूर्ण और सततित कार्यक्रम सत्त्वालित किए जाते हैं। अतः नियोजन पद्धति अपनाने पर इन देशों में उत्पादन, राष्ट्रीय आय आदि में वृद्धि होगी जिससे देशवासियों का जीवन-स्तर उच्च होगा और जनता की सुखी एवं परिपूर्ण जीवन वित्त पाने की आकांक्षाएँ मूर्तं रूप ग्रहण कर पाएंगी।

2 निर्णयों एवं कार्यों में समन्वय—अनियोजित अर्थ-व्यवस्था की सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें असत्य उद्योगपति व्यापारी उत्पादक आदि ग्रलग शलग आर्थिक और उत्पादक क्रियाओं में सलग्न रहते हैं और उनके निर्णयों एवं कार्यों में समन्वय करने की कोई व्यवस्था नहीं होती। वे अपनी इच्छानुसार भनमाने निर्णयों के अनुसार उत्पादन करते हैं और उनमें कोई ताल मेल नहीं होता। प्रो. लर्नर (Prof Lerner) के अनुसार ऐसी अर्थ-व्यवस्था उस मोटर के समान है जो चालक रहित है जिसके नव याक्षी इसके स्टिरिंग हूल के पास इसे अपनी इच्छानुसार घुमाने के लिए पहुँचने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसके विपरीत नियोजित अर्थ-व्यवस्था में एक केन्द्रीय नियोजन अधिकारी की देख रेख में देण की आवश्यकताओं और साधनों के अनुसार उत्पादन सम्बन्धी निर्णय किए जाते हैं, जिन्हे पूर्ण करने के लिए एक समन्वित कार्यक्रम बनाया जाता है। इससे अर्थ-व्यवस्था में गडबडी नहीं होती।

3 दूरदृशितापूर्ण अर्थ-व्यवस्था—एक नियंत्रित अर्थ-व्यवस्था, अनियोजित अर्थ-व्यवस्था की अपेक्षा अधिक दूरदृशितापूर्ण होती है। इसीलिए, इसे 'खुले हुए नेत्र वाली अर्थ-व्यवस्था' (An economy with open eyes) कहते हैं। नियोजित अर्थ-व्यवस्था में नियोजन-सत्ता अर्थ-व्यवस्था में बहुत ही धीरे धीरे होने वाले और सूक्ष्म-परिवर्तनों पर भी विचार कर लेती है, जिनके बारे में अनियोजित अर्थ-व्यवस्था के व्यक्तिगत उत्पादक को बिल्कुल जानकारी भी नहीं हो पाती। एक केन्द्रीय अधिकारी इस बात का पता लगा सकता है कि वृच्छे माल का तेजी से शोपण तो नहीं हो रहा है, साधनों का अपव्यय तो नहीं हो रहा है, मानवीय शक्ति का दूरपश्य तो नहीं हो रहा है या जनस्थान सेती से तो नहीं बढ़ रही है। यदि ऐसा हो तो इनकी रोकथाम के लिए तुरन्त कदम उठाए जा सकते हैं। इस प्रकार, नियोजित अर्थ-व्यवस्था में साधनों का भी दूरदृशितापूर्ण उपयोग होता है।

4 व्यापार चक्रों से मुक्ति—व्यापार-चक्र अनियोजित अर्थ-व्यवस्थाओं की सबसे बड़ी दुर्बलता है। इन अर्थ-व्यवस्थाओं में आर्थिक तेजी और मदी के चक्र नियमित रूप से आते रहते हैं, जिनके लिए पूँजीबाद की कुछ विशेषताएँ जैसे स्वतन्त्र प्रतिस्पद्धों, लाभ-द्वेष्य (Profit Motive) एवं अनियन्त्रित निजी उपक्रम आदि

उत्तरदायी हैं। ब्यापार-चक्र अर्थ-व्यवस्था में अस्थिरता और अनिश्चितता देंदा करके भारी आविक बुराइयों को जन्म देते हैं। नियोजन रहित अर्थ-व्यवस्था में व्यक्तिगत उत्पादक, अपनी इच्छानुसार, उत्पादन करते हैं और इससे उत्पादन कभी मांग से कम और कभी अधिक होने की सब सम्भावनाएँ रहती हैं। यही कारण है कि अनियोजित अर्थ-व्यवस्था में समय-समय पर आविक उत्तर-चक्राव याते रहते हैं, जबकि अनियोजित अर्थ-व्यवस्था में प्राय ऐसा नहीं होता। सन् 1930 की विश्वव्यापी मदी से अमेरिका, इंग्लैण्ड आदि बहुत बुरी तरह प्रस्त थे।

5. उत्पत्ति के साधनों का विवेकपूर्ण उपयोग—अद्वैतिकसित देशों में उत्पत्ति के साधनों की इडी कमी होती है इसलिए देश के अधिकतम लाभ और सामाजिक कल्याण की हृषिट से इन सीमित साधनों का विवेकपूर्ण उपयोग आवश्यक है। किन्तु अनियोजित अर्थ-व्यवस्था में आवश्यक प्रौद्य अनावश्यक पदार्थों के उत्पादन के बीच साधनों का विवेकपूर्ण उपयोग नहीं हो पाता, क्योंकि व्यक्तिगत उत्पादक उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करता है जो उसे अधिकाधिक लाभ दे, त कि उन वस्तुओं का, जो सामाजिक हृषिट से आवश्यक हो। यदि अनाज के उत्पादन वी अपेक्षा मादक पदार्थों के उत्पादन में विनियोगों से उसे अधिक लाभ होगा तो वह अनाज के स्थान पर इन मादक पदार्थों का ही उत्पादन करेगा। इस प्रवार, अनियोजित अर्थ-व्यवस्था में साधन अनावश्यक कायों में भी लगा दिए जाते हैं जबकि, आवश्यक परियोजनाएँ साधनों के अभाव में शुरू नहीं हो पाती। इन नियोजित अर्थ-व्यवस्था में सामाजिक आवश्यकताओं को हृषिट में रखते हुए साधनों का विवेकपूर्ण आवदन होता है।

6. प्रतिस्पर्द्धानित दोपो से मुक्ति—प्रतिस्पर्द्धा के कारण, जो अनियोजित पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था की एक प्रमुख सूखा है, बहुमूल्य साधनों का अपव्यय होता है। सम्भावित ग्राहकों को आकर्षित करने और अपनी विक्री बढ़ा कर लाभ कमाने के लिए विभिन्न प्रतिस्पर्द्धा फर्में विज्ञापन, विक्रय कला आदि पर विपुल धन-राशि व्यय करती हैं। कभी-कभी गलघोट प्रतियोगिता (Cut-throat Competition) के कारण कई फर्में बरबाद हो जाती हैं। प्रतिस्पर्द्धा के कारण प्रतिस्पर्द्धा फर्मों में कर्मचारियों और आविक उपकरणों का दुहराव भी होता है। प्रो. डर्बिन (Durbin) के अनुसार ‘प्रतिस्पर्द्धा की स्थिति आविक जीवन को बुद्धिमत्तापूर्ण दशा में नहीं ले जाती है।’ नियोजित अर्थ-व्यवस्था में प्रतिस्पर्द्धा को अस्तन्त सीमित कर दिया जाता है। अत यहाँ इन दोपो से मुक्ति मिल जाती है।

7. आविक स्थानता की स्थापना—अनियोजित अर्थ-व्यवस्था की कुछ स्थानों जिसे निजी-सम्पत्ति, उत्तराधिकार और मूल्य-प्रक्रिया आदि के कारण इसमें भारी आविक विषमता पायी जाती है, जिसे किसी भी प्रकार उचित नहीं कहा जा सकता है। इन स्थानों के कारण आय की विषमता, धन की विषमता और अवसरों की विषमता उत्पन्न होती है, जिससे एक और समाज के करियर व्यक्तियों के पास समाज का धन केन्द्रित हो जाता है तो दूसरी ओर अधिकांश जनता की बुनियादी आवश्यकताएँ भी पूरी नहीं हो पाती हैं। प्रो. डर्बिन के अनुसार, “अनियोजित

अर्थ-व्यवस्था में सामाजिक समानता नहीं हो सकती है।” ऐसी स्थिति में सामाजिक कठुना उत्पन्न होती है और वर्ग-संरप्त बढ़ना है। यही नहीं, ऐसी स्थिति में, समाज कुछ योग्य व्यक्तियों की सेवा से भी बचित हो जाता है। किन्तु नियोजित अर्थ-व्यवस्थाओं में, ग्रनियोजित अर्थ-व्यवस्थाओं की अपेक्षा बहुत कम आर्थिक समानता वीं और बढ़ना है इसलिए इन देशों के लिए नियोजित अर्थ व्यवस्था उपयुक्त है।

8. शोपण को समाप्ति—ग्रनियोजित पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्थाओं में एक अन्य दुराई सामाजिक परोपजीविका (Social Parasitism) भी पाई जाती है। अनेक व्यक्ति विना श्रम किए ही अनाजित आय (Unearned Income) के द्वारा जीविका निर्वाह करते हैं। कई व्यक्तियों को उत्तराधिकार में भारी सम्पत्ति मिल जाती है। कई व्यक्ति लगान, ब्याज लाभ, के रूप में भारी मात्रा में आय प्राप्त करते हैं। इस प्रकार वे दिना श्रम किए ही इस प्रकार की आय प्राप्त करने में समर्थ होने हैं। नियोजित अर्थ-व्यवस्था में इस प्रकार के शोपण और परोपजीविका को समाप्त किया जाता है। ग्रनियोजित अर्थ-व्यवस्था विशाल जनसमुदाय को आय और रोजगार की सुरक्षा प्रदान करने में भी असफल रहती है। किन्तु नियोजित अर्थ-व्यवस्था में कार्य और आवश्यकता के अनुसार पारिश्रमिक दिए जाने की व्यवस्था की जाती है और जनता की अधिक सामाजिक सुरक्षा (Social Security) का प्रबन्ध किया जाता है।

9. कृषिम अभावों के सृजन का भय नहीं—ग्रनियोजित अर्थ-व्यवस्थाओं में बस्तुओं के कृषिम अभावों का सृजन किया जाता है ताकि उपभोक्ताओं से केवे मूल्य लेकर अधिकाधिक लाभ कमाया जा सके। इसके साथ ही एकाधिकार और आर्थिक सघबदी के द्वारा भी मूल्य-टूटि करके उपभोक्ताओं का शोपण किया जाता है। किन्तु नियोजित अर्थ-व्यवस्थाओं में उत्पादन के साधनों, व्यवसाय आदि पर बहुधा सरकारी स्वामित्व रहता है या उद्योगपतियों, व्यापारियों आदि पर कड़ी नियरानी रखी जाती है। अत इस प्रकार शोपण सम्भव नहीं है।

10. ग्रनियोजित अर्थ-व्यवस्था में सामाजिक लागतों की बचत—पचालन के परिणामस्वरूप उद्योगों के निजी-उपकरण द्वारा समाज को कुछ हानिकारक परिणाम मुगाताने पड़ने हैं जिन्हें सामाजिक लागतें (Social Costs or Un-compensated Diservices) कहा जाता है। ये लागतें प्रौद्योगिक वीमारियों, चक्रीय बेशारी, शोपणिक बेशारी, गम्भी वस्तियों का निर्माण, धुपांशु वानावरण आदि के रूप में होती हैं। इनका भार निजी उद्योगपतियों को नहीं अपनातु, समाज को उठाना पड़ता है। निजी उद्योगपतियों द्वारा लागू की गई तकनीकी प्रणति से भी कुछ स्थितियों में भशीनों और थमिकों की अप्रयुक्ता बढ़ती है किन्तु नियोजित अर्थ-व्यवस्था में इस प्रकार को समस्याओं से बचना सम्भव है क्योंकि इन समस्याओं के समाधान की पूर्व व्यवस्था कर ली जाती है।

11. जन-कल्याण के घेय की प्रमुखता—ग्रनियोजित अर्थ-व्यवस्था में आर्थिक क्रियाएं और उत्पादन-कार्य निजी उद्योगपतियों द्वारा निजी लाभ के लिए किया जाता है। वहीं सामाजिक-कल्याण पर ध्यान नहीं दिया जाता। यहीं बारण है कि

अनियोजित पूँजीवादी व्यवस्था में वस्तुओं के गुणों में निरावट, खराब वस्तुओं की मिलावट और मूल्य तृदिंदा द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण किया जाता है। कम मजदूरी देकर या अधिक समय बाम करा करके थमिकों का भी शोषण किया जाता है। इस प्रकार अनियोजित अर्थव्यवस्था में निजी-लाभ को प्रमुखता दी जाती है। इसके विपरीत, नियोजित अर्थव्यवस्था में एक व्यक्ति के लाभ के लिए नहीं अपितु अधिकाधिक जनता के अधिकतम कल्याण के लिए आर्थिक क्रियाएँ संचालित की जाती हैं।

12. जनता का विशेष रूप से थमिक वर्ग को सहयोग मिलना—नियोजित अर्थव्यवस्था में सरकार को जनता का अधिकाधिक सहयोग उपलब्ध होता है क्योंकि उनका विश्वास होता है कि नियोजन के साम एक व्यक्ति या एक वर्ग को नहीं अपितु समस्त जनता को मिलने वाले हैं। ऐसी व्यवस्था में थमिकों का भी अधिकाधिक सहयोग मिलता है क्योंकि उनके हृतों की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। इसके विपरीत, अनियोजित अर्थव्यवस्था में निजी-उत्पादकों को थमिकों का पूर्ण सहयोग नहीं मिल पाना है और उनके सहयोग के अभाव में उत्पादन में अधिक प्रगति नहीं की जा सकती है। अम-संघी द्वारा अपनाई जाने वाली 'धीरे चलो' (Go slow) नीति का उत्पादन और आर्थिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

13. पूँजी निर्माण की ऊँची दर—नियोजित अर्थव्यवस्था में एक विवेकपूर्ण योजना के अनुसार कार्य किया जाता है। साय ही इसमें वर्तमान के साथ भावी प्रगति पर भी ध्यान दिया जाता है। इसलिए उर्भोग को कम करके बचत-विनियोग और पूँजी निर्माण की दर तेजी से बढ़ाई जा सकती है। सार्वजनिक उपकरणों का विस्तार होता है और उनके लाभों का भी पुनर्विनियोग किया जाता है। उदाहरणार्थ, सीधियत रूप में विगत कुछ वर्षों में पूँजी-सचय की दर सब पूँजीवादी अनियोजित अर्थव्यवस्था वाले देशों से अधिक रही है। अद्वैतिक सिद्धांशों की एक बड़ी समस्या पूँजी का अभाव है, जिसका आर्थिक विकास में बहुत महत्व है। अत. ये देश नियोजित पद्धति द्वारा पूँजी निर्माण दर में तेजी से वृद्धि करके ही तेजी से आर्थिक विकास कर सकते हैं।

14. अधिकतम तकनीकी कुशलता (Maximum Technical Efficiency)— अधिकतम तकनीकी कुशलता के सिद्धान्त के प्रनुसार एक नियोजित अर्थव्यवस्था में उत्पादन साधनों को सगठित करके कई प्रकार की मित्रव्ययताएँ प्राप्त की जा सकती हैं। एफ. ज्वेनिग (F Zwenig) के अनुसार नियोजित अर्थव्यवस्था में उत्पादक साधनों के सगठन के पैमाने में विस्तार, निजी-स्वतंत्रों और इच्छाम्रों पर ध्यान दिए विना उनके पुनर्प्रबन्ध की सम्भावनाएँ, एक और यन्त्र और श्रम के विशिष्टीकरण के नए अवसर प्रदान करेंगी वही दूसरी ओर साधन का केन्द्रीकरण करेंगी। परिणामस्वरूप उद्योगों का अधिक लाभदायक स्थानों में हस्तान्तरण, उत्पादन को अच्छे समिति कारखानों का आवटन और श्रीदोगिक इकाइयों का विलोनीकरण या परस्पर अधिक सहयोग सम्भव होगा। इसके अतिरिक्त अनियोजित अर्थव्यवस्था में साधनों का पूर्ण उपयोग सम्भव नहीं होता। ऐसी स्थिति में विशाल

माना में प्राकृतिक और मानवीय साधन प्रग्रहण रहते हैं। ग्रन्ड-विकसित देशों में पूजी की अपेक्षा प्राकृतिक और मानवीय साधन ही प्रधिक रहते हैं और ये देश एक निषिद्ध योजनानुसार इनका दुरुपयोग करके तेजी से आर्थिक विकास कर सकते हैं।

15 राष्ट्रीय सकट के समय सर्वोच्च उपयुक्त व्यवस्था—नियोजित अर्थव्यवस्था युद्ध या सूक्ष्मकालीन स्थिति में सर्वशा अप्रोग्य होती है। ऐसे सकटों से मुक्ति के लिए अर्थव्यवस्था पर विभिन्न प्रकार के नियन्त्रण लगाए जाते हैं। यहाँ तक कि पूजीवाद का गढ़ कहलाने वाले सबुकराज्य अमेरिका ने भी द्वितीय महा युद्ध में विजय पाने के लिए बड़ी सीमा सक आर्थिक नियोजन को अपनाया था। इस प्रकार ऐसे समय अनियोजित अर्थव्यवस्थाओं भी नियोजित अर्थव्यवस्थाओं में परिवर्तित हो जाती है।

नियोजित व्यवस्था के विपक्ष में तर्क

(Arguments against Planned Economy)

नियोजित अर्थव्यवस्था में कमियाँ भी हैं जिनके कारण कुछ लोगों ने इसके विपक्ष में अपने लक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। नियोजित अर्थव्यवस्था के विरुद्ध निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं—

1 अस्त व्यस्त (Muddled) अर्थव्यवस्था—नियोजित अर्थव्यवस्था में बाजार और मूल्य तानिकता (Market and Price Mechanism) पर आधारित स्वयं सचालन (Automaticity) समाप्त हो जाती है। अब आर्थिक क्रियाओं में विवेकशीलता नहीं रहती क्योंकि योजना अधिकारी द्वारा किए गए मनमाने नियंत्रणों के प्राधार पर उत्पादन का कार्यक्रम बनाया जाता है। इसीलिए नियोजित अर्थव्यवस्था को अवेर में स्लॉप (Leap in the dark) कहा जाता है। किन्तु इसका आशय यह नहीं है कि नियोजित अर्थव्यवस्था से मूल्य प्रक्रिया बिलकुल समाप्त हो जाती है। उदाहरणार्थ, सीधियत हस में नियोजन सत्ता द्वारा निर्धारित कीमतों (Assigned Prices) की नीति को अपनाया जाता है। वहाँ उ केवल पदार्थों के मूल्य अपितु उत्पादन के साधनों की कीमतें भी नियोजन सत्ता द्वारा निर्धारित की जाती है।¹

2 अकुशनता में बृद्धि—पूर्णरूप से नियोजित अर्थव्यवस्था में समस्त उत्पादन कार्य सरकार द्वारा किया जाता है और उत्पादन में सलग्न अधिकारी कर्मचारी सरकारी कर्मचारी हो जाते हैं। सरकारी कर्मचारी स्वाभाविक हौ स ही निजी उद्देश्यों की अपेक्षा कम हुक्के लेते हैं। उत्तरी कल्प दस्तावेज़ (Service Commodity) वेतन, प्रेड, उन्नति के योजनाएँ आदि पूर्व-नियोजित होते हैं यत उत्तर अधिक दुग्धनाम में कार्य करने की प्रेरणा तथा पहल की भावना समाप्त हो जाती है। पूर्ण नियोजित अर्थव्यवस्था में प्रतिशत्तरी समाप्त हो जाती है तथा सतहना, कुशनना, मित्रता, नव प्रदर्शन आदि प्रतिस्पर्द्धांतरित लाभों से समाज धन्ति रह जाता है।

3. तानाशाही और लाल फीताशाही का भव्य—प्रालोचकों का यह कथन है कि नियोजित अर्थव्यवस्था में तानाशाही और लाल फीताशाही का पोषण होता है। समस्त देशवासी केवल मजदूर बन जाते हैं तथा प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा ही सब नियंत्रण लिए जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति को कोई महत्व नहीं दिया जाता और सरकार ही संचालित बन जाती है। बहुत यह कहा जाता है कि तानाशाही के चिना नियोजन अमम्भव है किन्तु वस्तुतः ऐसा नहीं है। विगत कुछ वर्षों में सोवियत रूस में भी तत्कालीन प्रधानमन्त्री खुश्चेव ने सरकारी मशीनरी के विकास के लिए योजना बनाई थी। इसके अतिरिक्त जनतान्त्रिक नियोजन (Democratic Planning) में तो यह समस्या उदय ही नहीं होनी। प्रो. लास्ट्री और श्रीमती बारबरा ऊटन के अनुभार नियोजन से मानवीय स्वतन्त्रता बढ़ती है।

4. भ्रष्टाचार और अनियमितादै—प्रालोचकों का मत है कि नियोजित व्यवस्था में राज्य कर्मचारियों में भ्रष्टाचार बढ़ता है। सरकारी कर्मचारियों के पास अपापक अधिकार होते हैं और वे इसका उपयोग अपने हित के लिए कर सकते हैं। इस प्रकार की शक्ति निरावार नहीं है पर साथ ही यह भी है कि नियोजित अर्थव्यवस्था में निजी सम्पत्ति और उत्तराधिकार जैसी सह्यायों की समाप्ति पर सरकारी कर्मचारियों में भ्रष्टाचार स्वयमेव ममाप्त हो जान की प्रबल सम्भावना रहती है।

5. विशाल मानवशक्ति की आवश्यकता—प्राय यह भी कहा जाता है कि योजनाओं के निर्माण और किसानव्यवस्था के लिए बड़ी मात्रा में जनशक्ति की आवश्यकता पड़ती है। प्रो. लेविस (A. W. Lewis) ने इस सन्दर्भ में कहा है कि नियोजन की सकनता के लिए पर्याप्त मात्रा में कुशल, योग्य और अनुभव प्राप्त अधिकारियों की आवश्यकता होती है और अद्य-विकसित देशों में इतनी बड़ी मात्रा में कुशल व्यक्तियों का मिलना अमम्भव होता है।¹ किन्तु क्या स्वतन्त्र और अनियोजित अर्थव्यवस्था में विशाल जनशक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती। वहाँ भी मध्यस्थ, विज्ञापक, वितरक, सेलसर्वेन आदि के हैं में काफी व्यक्तियों की आवश्यकता होती है।

6. उपभोक्ता की सार्वभौमिकता का अन्त—प्रालोचकों के अनुसार नियोजित अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता अपनी प्रयुक्ता को खो देता है। अनियोजित अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को समाट समझा जाता है क्योंकि, उसकी इच्छाओं और माँगों के अनुसार ही उत्पादन किया जाता है, किन्तु नियोजित अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को उसी वस्तु का उपयोग करना पड़ता है, जो राज्य उसे देता है। इसके उत्तर में नियोजन के समर्थकों का कहना है कि क्या अनियोजित अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता वस्तुतः यमाद् होता है? क्या मुद्राविहीन उपभोक्ता को जो कुछ भी खरीदने योग्य न हो, समाट बताना हास्यास्पद नहीं है। उपभोक्ता की पसन्द की नियोजित अर्थव्यवस्था में अवहेलना नहीं की जा सकती। सोवियत-संघ में भी राज्य उपक्रमों द्वारा उत्पादन योजनाओं को बनाते समय उपभोक्ताओं की पसन्दगियों पर ध्यान दिया जाता

1. W A Lewis. Principles of Economic Planning, p. 19

है। मारिम डाब के अनुमार वहाँ उरभोक्ताओं के अधिमातों को जनते के लिए प्रदर्शनियों आदि में जनता के चयन (Choice) को अकित किया जाता है।

7. अभिको के व्यवसाय चुनते की स्वतन्त्रता की समाप्ति—नियोजित अर्थ-व्यवस्था में अभिको को स्वेच्छा से व्यवसाय चुनते की स्वतन्त्रता नहीं रहती और उन्हें विभिन्न कारों में आवश्यकता और परिस्थितियों के अनुमार लगाया जाता है। नियोजको के मनानुमार अनियोजित अर्थ-व्यवस्था में भी अभिको को इच्छानुमार व्यवसाय चुनते की सुविधा और सामर्थ्य कहाँ होती है। वहाँ भी जनता द्वारा अपनाए जाने वाले व्यवसाय, अभिभावको की सम्पत्ति, हैमियन, सामाजिक प्रभाव और सिकारित्र पर नियंत्र करते हैं। इसके अनियित नियोजित अर्थव्यवस्था में भी अभिको को उनकी योग्यता, इच्छा, भुक्ताव के अनुमार ही कार्य देने का अधिकाधिक प्रयत्न किया जाता है। श्रीमनी वारवरा डटन के अनुसार, नियोजन के द्विना रोजगार का स्वतन्त्रतापूर्वक चयन नहीं हो सकता, जबकि नियोजन में ऐसा सम्भव है।

8. सकलण-काल में अव्यवस्था की संभावना—प्रायः यह भी कहा जाता है कि अनियोजित से नियोजित अर्थ-व्यवस्था में सकलण-काल में पर्याप्त मात्रा में अव्यवस्था और गडबडी हो जाती है जिससे उत्पादन और राष्ट्रीय आय पर विपरीत प्रभाव पड़ता है; किन्तु ऐसा किमी आवारभूत परिवर्तन के समय होता है। अत देश के दीर्घकालीन और द्रुत आर्थिक विकास के लिए इस प्रकार की अस्थाई मडबडी वहन करनी ही पड़ती है।

9. अत्यधिक योग्यता—नियोजन के विषद् एक तरं यह प्रस्तुत किया जाता है कि नियोजित पर्यावरण में गुप्त रूप से सचालित की जाती हैं और इनमें योग्यता को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है जिससे जनता का अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाता है। किन्तु यह तरं भी निराधार है। साम्यवादी रूप में भी नियोजन नीचे से प्रारम्भ किया जाता है जिसके निर्माण में कारखानों के श्रमिकों और सामूहिक कृपकों का हाथ होता है। इसके अतिरिक्त योजनाएँ सदा ही विचार-विभाग, वाद-विवाद आदि के लिए जनता के समझ रखी जाती हैं प्रीत उन पर सुभाव आमतित किए जाते हैं। जनतानियक नियोजन में तो नियोजन के सभी स्तरों पर जनता को सम्बन्धित किया जाता है और उसे अधिकाधिक जानकारी दी जाती है।

10. राजनीतिक कारणों से अस्थिरता का भय—नियोजित अर्थव्यवस्था राजनीतिक कारणों से भी प्रस्तर होती है। जो राजनीतिक दल इसे चाहता है, इसके सत्ता में ग्रलग होते ही नियोजन का त्याग किए जाने की सम्भावना हो सकती है क्योंकि नई सरकार नियोजन के पक्ष में न हो। इस परिवर्तन के कारण अर्थव्यवस्था को हानि उठानी पड़ती है। प्रो जेक्स (Jewkes) के अनुसार राजनीतिक अस्थिरता के ऐसे वातावरण में दीर्घकालीन श्रीदोगिक परियोजनाएँ नहीं पनप सकती हैं। किन्तु आर्थिक नियोजन एक अच्छी चीज़ है और कोई भी अच्छी चीज़ को हर राजनीतिक दल मानता है। हाँ, नियोजन को लागू किए जाने के तरीके में अन्तर हो सकता है।

11. सदैव किसी न किसी प्रकार के आधिक संकट की उत्तिथति—आलोचना के अनुमार नियोजन अर्थ-व्यवस्था में सदैव किसी न किसी प्रकार का संकट विद्यमान रहता है, किन्तु अनियोजित अर्थव्यवस्था कोनसी आधिक प्रहृति के संकट से मुक्त रहती है। इसमें सदैव मुद्रा-स्त्रीति, मुद्रा-मकुचन, बेकारी, व्यापार चक्र, पदार्थों वा अनाव, वर्ग-व्यवद आदि संकट बने ही रहते हैं। वशा यह एक तथ्य नहीं है कि अनेकों की अर्थव्यवस्था में युद्धोत्तर-काल में अनेक व्यापारिक उत्तार-बढ़ाव आए। यह भी एक तथ्य है कि वहाँ इस प्रकार के मक्टों से अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए अभियन्त्रित वश उत्तर संघर्ष का निर्माण किया गया है। वस्तुत नियोजित की अपेक्षा अनियोजित अर्थव्यवस्था आधिक संकट प्रस्त रहती है।

12. बहु-वर्षीय नियोजन अनुचित है—इस परिवर्तनशील सासार में परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। साथ ही, भविष्य भी अनिश्चित होता है। किन्तु योजना में बहुधा बहु-वर्षीय उदाहरणार्थ पौचं या सात इमी प्रकार कई वर्षों के लिए बनाई जाती हैं। इस बीच परिस्थितियाँ और आवश्यकताएँ बदल जाती हैं। परिणामस्वरूप, नियोजन न केवल निर्यंत्रक अपिन्तु हानिप्रद भी हो सकता है किन्तु इम आजोचना में कोई सार नहीं है, क्योंकि बहुधा योजनाएँ लचीली होती हैं और उनमें परिस्थितियों के अनुमार परिवर्तन कर लिया जाता है।

13. अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष की संभावना—व्यक्तिगत राष्ट्रों द्वारा अपनाए गए राष्ट्रीय नियोजन से अन्तर्राष्ट्रीय वैमनस्य और संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। प्रो. रॉबिन्स (Prof Robins) के अनुमार राष्ट्रीय नियोजन का विश्व अर्थव्यवस्था पर बहुत गम्भीर प्रस्तव्यस्त प्रभाव पड़ता है। वस्तुत अधिकांश देशों द्वारा राष्ट्रीय नियोजन अपनाने से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में सकुचन अभियों की अन्तर्राष्ट्रीय गतिशीलता में बाधाएँ, पूँजी के विमुक्त प्रवाह पर ग्रवरोध बढ़ते हैं जिससे अन्त में, राष्ट्रों में पारस्परिक तनाव और वैमनस्य का वातावरण पत्तपत्ता है किन्तु वस्तुत यह आलोचना निर्गंधार है। अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष राष्ट्रीय नियोजन से नहीं, उत्तर राष्ट्रवाद से उत्पन्न होता है जो अनियोजित अर्थ-व्यवस्था में भी हो सकता है। बास्तव में नियोजन के परिणामस्वरूप पारस्परिक सहयोग बढ़ता है। अच्छी योजनाएँ प्रस्तुत करने और नियोजित पद्धति को अपनाने के कारण ही भारत को विकसित देशों, विश्व बैंक तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय-संस्थाओं से सहायता प्राप्त हुई है।

नियोजित अर्थव्यवस्था के पक्ष और विपक्ष में उत्तर तर्फों पर विचार करने पर ज्ञात होता है कि नियोजन का पक्ष प्रबन्ध है और जो कुछ तर्क इसके विरुद्ध प्रस्तुत किए गए हैं वे अधिक सशक्त नहीं हैं। अनियोजित अर्थव्यवस्था के पक्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले तर्क जैसे अर्थव्यवस्था की स्वयं संचालकता, उभयोक्ता की सावंभीमिकता और बाजार नानिकरता का मुक्त कार्यवाहन आदि बातें भी सीमित मात्रा में ही सही हैं। अनियोजित अर्थव्यवस्था में असमानता, अस्थिरता असुरक्षा और एकाधिकार आदि कई बुराइयाँ होती हैं जिन्हें केवल उत्तरार्दश से ही दूर नहीं किया जा सकता है अत इन बुराइयों को जड़ अनियोजित अर्थव्यवस्था का ही समाप्त कर नियोजित अर्थव्यवस्था की स्वापना ही श्रेयस्कर है।

नियोजन के लिए निर्धारित की जाने वाली बातें (Tasks of Planning)

यद्यपि प्रश्न उठता है कि किस प्रकार के नियोजन में ग्रंथिकरण आर्थिक वृद्धि सम्भव है—केन्द्रित नियोजन या अवयवा विकेन्द्रित नियोजन में? यह एक विवादास्पद प्रश्न है। केन्द्रित नियोजन (Centralised Planning) में, समस्त आर्थिक नियंत्रण केन्द्रीय सरकार द्वारा लिए जाने हैं, जबकि विकेन्द्रित नियोजन में, नियंत्रण लेने की सत्ता व्यक्तिगत इकाइयों में वितरित होती है। पूर्ण केन्द्रित नियोजन अवयवा पूर्ण विकेन्द्रित नियोजन असामान्य स्थितियाँ हैं। वास्तव में, आर्थिक नियोजन राज्य व सरकार व नियंत्री उद्यम का पृथक्-पृथक् तथा दोनों का संयुक्त अनुपास कितना रहता है? यह राजनीति का प्रश्न है तथा प्रत्येक देश में इस सम्बन्ध में भिन्नता पाई जाती है। इसी प्रकार उत्पादन के कुछ साधनों का स्वामित्व सरकार तथा कुछ का नियंत्री उद्यम के हाथों में पाया जाता है। आर्थिक नियोजन किसी भी प्रकार का हो, सभी में निम्नलिखित पांच बातें निर्धारित की जाती हैं—

- (1) वृद्धि के लक्ष्यों का निशारण (Fixing of the Growth Targets)
- (2) अन्तिम मार्ग व अन्तः उद्योग मार्ग वा निर्धारण (Determination of Final and Inter industry Demand)
- (3) विनियोग लक्ष्यों वा निर्धारण (Determination of Investment Targets)
- (4) योजना के लिए साधनों का सम्ग्रह (Mobilisation of Resources for the Plan)
- (5) परियोजनाओं का चुनाव (Project Selection)

1 वृद्धि के लक्ष्यों का निशारण (Fixing of the Growth Targets)—आय-वृद्धि, रोजगार-वृद्धि आदि लक्ष्यों की प्राप्त हेतु आर्थिक आयोजन किया जाता है। किसी देश की आर्थिक योजना के आय, रोजगार, उत्पादन आदि से सम्बन्धित उद्देश्यों को एक सुनिश्चित व अर्थं युक्त दिशा प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि इन उद्देश्यों को सख्तात्मक लक्ष्यों म (Quantified Targets) परिवर्तित किया जाए। योजना के उद्देश्य जब सख्तात्मक रूप में परिवर्तित बर दिए जाते हैं, तब वे योजना के लक्ष्य कहे जाते हैं (Targets are quantified objectives)।

एक योजना के अन्तर्गत लक्ष्यों का निशारण, उत्पादन, विनियोग, रोजगार, नियर्ति, आयात आदि से सम्बन्धित ही सन्तान है। योजना के लक्ष्य पूरे देश के स्तर पर क्षेत्रानुसार या विशेष आयोगिक इकाइयों अवयवा परियोजनाओं के लिए निर्धारित किए जा सकते हैं। लक्ष्यों का निशारण, उत्पादन अवयवा उत्पादन कारकों की भौतिक इकाइयों के या मूल्य-इकाइयों के रूप में किया जाता है। लक्ष्यों का निशारण क्वचिं भाल की मात्रा, थम-शक्ति, प्रशिक्षण सुविधाएँ, घरेलू तथा विदेशी मुद्रा में उपलब्ध

वित्तीय कोष व अर्थ साधनों की मात्रा को निश्चित करने में सहायक होते हैं। निर्धारित लक्ष्यों के प्रनुसार ही इन साधनों का अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में आवटन किया जाता है।

कुछ योजनाएँ कठिपथ सामूहिक लक्ष्यों (Aggregative Targets) तक सीमित होती हैं जबकि कुछ अर्थ योजनाओं के अन्तर्गत लक्ष्यों की एक लम्बी सूची तैयार की जाती है। उदाहरणार्थ द्रगोस्ताचिया की पचवर्षीय योजनाओं में लगभग 600 वस्तु-ममूलों से सम्बन्धित लक्ष्यों को अमामान्य रूप से विस्तृत विवरण दे साय निर्धारित किया गया है। किन्तु लक्ष्यों की सूचा अधिक बड़ी तरह होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी सूचा में निर्धारित विस्तृत व्यौरे वाले लक्ष्यों को प्राप्त करना अनेक कठिनाइयों से पूर्ण होता है। लेविस के भानुमार 'लक्ष्यों की एक लम्बी सूची बनाना और इसे प्रकाशित करना अधिक से अधिक अस्त्वेष्ट्र रूप में मात्र एक अनुमान या भावी परिवर्तन (Forecast or a Projection) हो सकता है तथा अपने निकृष्टतम् रूप में केवल एक गणितीय परम्परा-भाव रह जाता है जिसका कोई व्यावहारिक महत्व नहीं होता है।"¹

2 अन्तिम मांग व अन्त उद्योग मांग का निर्धारण (Determination of Final and Inter industry Demand)—वृद्धि के लक्ष्यों को निर्धारित करने के बाद विकास-दर निश्चित की जाती है। विकास-दर के निर्धारण के पश्चात् सेवाओं की मांग में वृद्धि व वस्तुपो की मांग में वृद्धि को पृथक् रूप से जात किया जाता है तथा राष्ट्रीय विकास-दर को क्षेत्रीय विकास दरों में विभक्त किया जाता है। इस कार्य में दो तकनीकी प्रक्रियाएँ की जाती हैं—

- (1) अन्तिम उत्पादन का निर्धारण
- (2) अन्त क्षेत्रीय मांग का निर्धारण

उपभोक्ताओं द्वारा अन्तिम मांग व अन्त क्षेत्रीय मांग का योग वस्तु की कुल मात्रा को प्रकट करता है। अत कुल मांग के भावी अनुमानों के लिए उपभोक्ता की मांग तथा अन्त क्षेत्रीय मांग के अनुमान लगाना आवश्यक है। कुल मांग के अनुमान मांग की आय-लोच की सहायता से लगाए जा सकते हैं। मान सीजिए भोजन व वस्त्र की आय-लोच—अमर 6 व 15 दी हुई हैं। इस स्थिति म प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय 10% होती है तो भोजन की मांग में वृद्धि $6 \times 10 = 6\%$ तथा इसी प्रकार वस्त्र की मांग में $15 \times 10 = 15\%$ वृद्धि होती है। जब इस तरह प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि तथा आय की लोचें दी हुई हो तो प्रत्येक वस्तु की मांग की जात किया जा सकता है। सब वस्तुओं की मांग का योगफल कुल मांग होती है। कल मांग को जात करने की इस विधि में दो बड़े दोष हैं—(1) यह कीमत के परिवर्तनों पर विचार नहीं करती है। (2) इसमें आय की लोच को योजनावधि के लिए स्थिर माना जाता है।

अन्ते उद्योग मांग के अनुमानों के लिए आदा प्रदा प्रणाली (Input output System) अपनाई जाती है। इस प्रणाली में आदा प्रदा के अनुपात स्थिर माने जाते हैं। आदा प्रदा के इन अनुपातों को तकनीकी गुणांक (Technical Coefficients) कहा जाता है। मैट्रिक्स की भाषा में इन गुणांकों को 'Ay' में प्रगट किया जाता है। इन तकनीकी गुणांकों के आधार पर अन्ते उद्योग मांग की समानता की जाती है। तकनीकी गुणांकों के प्रयोग का एक बड़ा दोष यह है कि इन गुणांकों को स्थिर माना जाता है। यह एक दोषपूर्ण माम्यता है क्योंकि साधन बदलते हैं, तकनीकी बदलती है अतः गुणांकों का परिवर्तित होना स्वाभाविक है।

3 विनियोग लक्ष्यों का निर्धारण (Determination of Investment Targets)—मांग-निवारण के पश्चात् दूसरा प्रश्न भौतिक लक्ष्यों को विनियोग लक्ष्यों में परिवर्तित करने का है। इस कार्य के लिए पूँजी-गुणांक अवबा पूँजी-उत्पादन अनुभातों की आवश्यकता होती है। इन अनुभातों के योग द्वारा हम कुल विनियोग-राशि का अनुमान लगा सकते हैं। पूँजी उत्पादन अनुभात, पूँजी की बह इकाई है जिनमी उत्पादन की एक इकाई उत्पन्न करने के लिए आवश्यकता होती है। उदाहरणार्थे, यदि 8 लाख रुपये की पूँजी विनियोग से 2 लाख ह का माल तैयार होता है यह 2 लाख ह का माल तैयार करने के लिए 8 लाख ह की पूँजी विनियोगित करनी पड़ती है तो पूँजी उत्पादन अनुभात इस स्थिति में 4 होगा।

जब कृषि, उद्योग, भेदवा आदि क्षेत्रों के भौतिक लक्ष्य निर्धारित कर लिए जाते हैं तथा इन क्षेत्रों के लिए पूँजी-उत्पादन अनुभात निश्चित हो जाते हैं तब सरलता से प्रत्येक क्षेत्र के लिए आवश्यक विनियोग वी मात्रा निकाली जा सकती है। प्रो महालनोविस ने अपने चार क्षेत्रीय विकास माइल से इसी प्रकार वित्तीय आवधान करने का प्रयास किया है। प्रो महालनोविस माइल के आधार पर ही डितीय पचरंगीय योजना में मर्वन्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए विनियोग की राशि निर्धारित की गई है।

4 योजना के लिए साधनों का संग्रह (Mobilisation of Resources for the Plan)—हुन विनियोग-राशि का अनुमान लगाने के पश्चात् यह देखा जाता है कि विनियोगों की वित्तीय व्यवस्था किस प्रकार सम्भव हो सकेगी। यह योजना का भाग कहलाता है। आर्थिक नियोजन द्वारा विकास करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम और बड़ी मात्रा में परियोजनाएँ प्रारम्भ की जाती हैं। इन कार्यक्रमों को संचालित करने और परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए बड़ी मात्रा में साधनों की आवश्यकता होती है। विकास वी इन विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के संचालन के लिए आवश्यक साधनों की व्यवस्था एवं उनकी गतिशीलता आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण समस्या है। दा राज के अनुसार, 'एक योजना नहीं के बराबर है यदि इसमें निर्धारित विकास का वार्यक्रम साधनों के एक नियत करने के कार्यक्रम पर आधारित और समर्वित नहीं किया हो।'

आर्थिक विकास के लिए राजकीय, मानवीय और वित्तीय साधनों की

आवश्यकता होती है। इन साधनों का अनुमान प्रीर उनको गतिशील बनाना मुख्यतः निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है—(i) राजवित की मशीनरी, (ii) उद्देश्यों की प्रकृति, (iii) योजनावित, (iv) अम प्रीर वंजी की स्थिति, (v) शिक्षा एवं शैक्षण्य चेतना, (vi) प्रन्तररूपीय स्थिति, (vii) मूल्यस्तर और जनता की आर्थिक दशा, (viii) विदेशी विनियोग बोध, (ix) सरकार की आर्थिक स्थिति, एवं (x) आर्थिक विषयमता की मात्रा।

5 परियोजनाओं का चुनाव (Project Selection)—वित्तीय व्यवस्था के पश्चात् विनियोग-परियोजनाओं (Investment Projects) का चुनाव किया जाता है। विनियोग परियोजनाएँ विनियोगों के उत्पादन से जोड़ने वाली शृंखला का कार्य करती है। किन्तु परियोजना-चुनाव एक तकनीकी कार्य है जिसमें परियोजना के लिए स्थान का चुनाव, तकनीकी का चुनाव, वाजारों का चुनाव आदि तकनीकी नियंत्रण सम्मिलित हैं। परियोजनाओं का चुनाव योजना-निर्माण का पांचवां बड़ा कार्य है।

प्राय किसी योजना की मूलभूत कमज़ोरी परियोजनाओं के चयन को लेकर होती है। ठोस व लाभदायक परियोजनाओं के अभाव में योजना घसफर रहती है। पाकिस्तान योजना आयोग के अधिकारी डॉ महबूब उल हक के अनुसार ‘पहली और दूसरी योजनाओं की कमज़ोरी यह रहती है कि आयोजन का निर्माण गहराइयों में नहीं है। एक और जहाँ विभिन्न क्षेत्रों में ताल-मेल रखते हुए एक समष्टि योजना (Aggregative Plan) का प्रारूप निर्मित करने में पूरे प्रयत्न किए गए किन्तु दूसरी और योजना के विभिन्न क्षेत्रों के प्रारूपों को सुविचारित व सुनियोजित परियोजनाओं से परिपूरित करने के प्रयत्न नहीं हुए।’

ग्यारेयाला ने सन् 1960 में एक सार्वजनिक विनियोग कार्यक्रम का उद्घोटन किया, किन्तु एक वर्ष बाद ही अमेरिकी राजधों के संगठन ने यह प्रतिवेदित किया कि “विभिन्न मत्रालयों के लिए पूर्ण विकसित परियोजनाओं को पर्याप्त संख्या में ज्ञात करना कठिन हो रहा है।”

परियोजनाओं का चयन करने की अनेक विधियाँ हैं। सामान्यत परियोजनाओं का चयन वर्तमान मूल्य-विधि अथवा लागत-लाभ विश्लेषण विधि द्वारा किया जाता है।

6 योजना की क्रियान्वयनि—योजना के क्रियान्वयन का यह कार्य सरकारी विभागों, सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यक्रमों का सञ्चालन सरकार या उसकी एजेंसियों द्वारा तथा निजी-क्षेत्र के कार्यक्रम निजी उपक्रमियों द्वारा पूर्ण किए जाते हैं। सरकार भी इन्हे निर्धारित नियमानुसार सहायता देती है। इस प्रकार योजना की सफलता बहुत कुछ इसी अवस्था पर निर्भर होती है। अनेक देशों में योजना-निर्माण पर अधिक एवं क्रियान्वयन पर कम ध्यान दिया जाता है। अत योजना की सफलता के लिए इस स्तर पर कोई निर्धियता एवं शिखिलता नहीं बरती जानी चाहिए।

योजना की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि समय समय पर उसके सचालन और उसकी प्रगति वा मूल्यांकन किया जाता रहे। अतः समय समय पर इस बात का लेखा-जोखा लिया जाता है कि योजना में लक्ष्यों के अनुगत में कितनी प्राप्ति हुई और उसमें कमियाँ कहाँ और क्यों हैं? इसके लिए उत्पादन की प्रत्येक शाखा की तात्त्विक और आर्थिक दोनों हाफियों से समालोचना की जानी चाहिए। भारत में योजना के मूल्यांकन का कार्यक्रम 'मूल्यांकन संगठन' (Programme Evaluation Organisation) द्वारा किया जाता है।

नियोजन की सफलता की शर्तें (Conditions for Success of Planning)

आर्थिक विकास के लिए आधुनिक युग में नियोजन कई अद्वैत-विकसित देशों में ग्रन्थाया जा रहा है। किन्तु नियोजन कोई ऐसी प्रणाली नहीं है जिसके द्वारा स्वप्रमेत्र ही आर्थिक विकास हो जाए। योजनाओं की सफलताओं के लिए कुछ शर्तें की होना आवश्यक हैं। सफलता की ये शर्तें विभिन्न देशों और परिस्थितियों के अनुमार भिन्न भिन्न होनी हैं। किन्तु सामान्य रूप से ये शर्तें सबंध आवश्यक हैं—

1. पर्याप्त एवं सही अंकड़े और सूचनाएँ—नियोजन को योजना निर्माण और क्रियान्वयन के लिए सम्पूर्ण आवश्यकताओं के विभिन्न पहलुओं का, वर्तमान परिस्थितियों का तथा राष्ट्रीय आवश्यकताओं का ज्ञान होना चाहिए। वर्तमान स्थिति क्या है और इसमें कितना सुधार किया जाना चाहिए? यह सुधार किस प्रकार किया जा सकता है और इसके लिए कौन से साधनों की कितनी मात्रा में आवश्यकता है। इन सब बातों का निर्णय विश्वसनीय और पर्याप्त अंकड़ों के आवधार पर ही किया जा सकता है अतः नियोजन की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि उत्पादन, उपभोग, आप, व्यय, बचत, विनियोग, उपलब्ध कर्जवे माल, शक्ति के साधनों की मात्रा, बाजार की माँग, आयात निर्धारित मूल्य स्तर, जनस्वास्थ्य आदि के बारे में विश्वसनीय और पर्याप्त प्रांकड़ों का सकलन किया जाए। असत्य तथ्यों और सूचनाओं के अवधार पर बनाई गई योजनाएँ असकल हो सकती हैं। अतः सांख्यिकीय स्थिति ऐसी होनी चाहिए जो नियमित रूप से निरन्तर सूचना प्रदान करती रहे ताकि परिस्थितियों में परिवर्तन आने पर योजनाओं में भी यथासमय समायोजन किया जा सके।

2. सुनिश्चित और स्पष्ट उद्देश्यों का होना—नियोजन की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि उसके सुनिश्चित और सुष्ठृण्ड उद्देश्य निश्चित किए जाएं जो देश की प्रावश्यकताओं के अनुहार हो। परिस्थितियों के अनुहर उद्देश्यों और लक्ष्यों का विवारण नहीं करने से पूर्ण रूप से वे परिपूर्ण नहीं हो पाते। इसी प्रकार, यदि लक्ष्य सुनिश्चित और स्पष्ट नहीं हुए तो वांछीय दिग्गजा में तत्परता के साथ प्रयत्न नहीं किए जाएंगे। परिणामस्वरूप लक्ष्यों की पूर्ति अनुरोध होनी तथा नियोजन असकल हो जाएगा। अतः परिस्थितियों के उन्मुक्त तथा सुनिश्चित उद्देश्य होने चाहिए। साथ ही परिस्थितियों में परिवर्तन की गुणादान होनी चाहिए।

3 नियोजन मांग विश्लेषण पर आधारित होना चाहिए—आधिक विकास की प्रक्रिया में विभिन्न उत्पादक इकाइयों का विस्तार होता है और उत्पादन में वृद्धि होनी है। अब विकास उत्पादन की विभिन्न शाखाओं में विनियोग, कच्चे माल का उपयोग और रोजपार की मात्रा में वृद्धि होती है जिससे उत्पादन वृद्धि के साथ-साथ सौदिक आय बढ़नी है। किन्तु ऐसी स्थिति में आय उपाजित करने वाले विभिन्न वर्गों के आय-वितरण की प्रकृति में भी परिवर्तन होता है, क्योंकि इस प्रक्रिया के विभिन्न क्षेत्र या उत्पादक इकाइयों का विरास विभिन्न मात्रा में हो सकता है यहाँ तक कि कुछ के सकूचन की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अत इस विकास प्रक्रिया की उत्तरोत्तर प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न प्रकार की उत्पादित वीं गई इन वस्तुओं और सेवाओं की मांग और पूर्ति के मध्य सन्तुलन रखा जाए।

4 प्राथमिकताओं का निर्धारण (Fixing of Priorities)—आधिक नियोजन को अपनाने वाले कार्यक्रम और आवश्यकताएं अनन्त होते हैं जिन्हें भौतिक और वित्तीय साधन अपेक्षाकृत सीमित होते हैं अत वैज्ञानिक नियोजन की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि इन विभिन्न कार्यक्रमों में देश की आवश्यकताओं और परिस्थितियों के प्रत्युम्भार प्राथमिकताएं निर्धारित कर ली जाएं। नियोजन वा मुख्य उद्देश्य उत्पादन में अधिकतम वृद्धि करना है, इस हेतु देश की समाधन स्थिति, आवश्यकताएं और विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण उद्योगों के विकास को प्राथमिकता और महत्व दिया जाना चाहिए। योजना में ऐसी परियोजनाओं को ही सम्मिलित किया जाना चाहिए जिनसे राष्ट्रीय व्यवाण में अधिकतम योग प्राप्त हो सके। योजना में यह निश्चय कर लिया जाना चाहिए कि विभिन्न क्षेत्रों में से किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाए जैसे उद्योगों के विकास को प्राथमिकता दी जाए अथवा कृषि वा इन विभिन्न क्षेत्रों (Sectors) में से भी यह निर्णय किया जाना चाहिए कि इनके किस पहलू पर अधिक बन दिया जाए और किन परियोजनाओं पर पहले ध्यान दिया जाए। इस प्रकार साधनों, विदेशी विनियमय की उपलब्धि राष्ट्रीय महत्व के सदर्म में विवेकपूर्ण निर्णय के आधार पर प्राथमिकताएं निर्धारित की जानी चाहिए और साधनों का आवाटन भी इसी के अनुसार किया जाना चाहिए। प्राथमिकताओं का निर्धारण जितना उपयुक्त होया, योजना की सफलता उतनी ही अधिक होगी।

5. साधनों की उपलब्धि (Availability of Resources)—योजना में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं। इनकी सकृतता पर ही योजना की सफलता निर्भर होती है। योजना के इन कार्यक्रमों और विभिन्न परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त मात्रा में भौतिक (Physical) और वित्तीय (Financial) साधनों की आवश्यकता होती है। योजना की सफलता के लिए बड़ी मात्रा में भौतिक साधन जैसे कच्चे माल, मशीनें, यन्त्र, औजार, रसायन, इस्पात, सीमेट, तकनीकी जानकारी आदि की आवश्यकता होती है जिसे

देश और विदेश से उत्तरवाच किया जाना चाहिए। इसी प्रकार वित्तीय साधनों की आवश्यकतानुमार उपलब्धि भी बहुत महत्वपूर्ण है जो आन्तरिक या बाह्य स्रोतों से प्राप्त की जानी चाहिए। वित्तीय साधनों की व्यवस्था बड़ा दुष्कर कार्य होता है योकि इसमें सफलता कई बातों पर निर्भर करती है जैसे राष्ट्रीय आय की मात्रा, पूँजी-उत्पादन का अनुपात (Capital-output ratio), आन्तरिक धन और विनियोग-दर, भुगतान सञ्चालन की मात्रा, जनता की कर-देय क्षमता, सरकार की कर एकत्रीकरण की क्षमता, योजनाओं में जनता का विश्वास, सरकार की आर्थिक स्थिति, घाटे की वित्त-व्यवस्था की सीमा, विदेशी सहायता आदि। अत योजनाओं की सफलता इन भौतिक और वित्तीय साधनों की उपलब्धि पर अधिक निर्भर दरती है। इदृश वार साधनों के अभाव में योजना के कार्यक्रमों में कटौती करनी पड़ती है।

6. विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखना (Maintaining Balance Between Different Sectors)—योजना की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों और उद्योगों वा सञ्चालित विकास किया जाए। अर्थव्यवस्था में एक उद्योग और यहाँ तक कि उत्पादक की एक इकाई भी मात्र और पूर्णि के द्वारा अन्य से परस्पर सम्बन्धित होती है। अत उद्योग का विकास तब तक असम्भव है जब तक कि अन्य के उत्पादन में भी बढ़ि न हो। एक उद्योग का द्रुतगति से विकास करने और अन्य उद्योगों की अवहेलना करने से अर्थव्यवस्था में कई प्रकार की जटिलताएँ और अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं। अत नियोजन की सफलता के लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग, यातायात, विद्युत्, सामाजिक सेवाओं आदि का सञ्चालित विकास किया जाना चाहिए। इसी प्रकार देश के समस्त प्रदेशों या भागों का भी सञ्चालित विकास किया जाना चाहिए। वास्तव म नियोजन की सफलता इसी बात में निहित है।

7 उचित आर्थिक संगठन (Suitable Economic Organisation)—उचित आर्थिक संगठन को उपस्थिति में ही नियोजन सफल हो सकता है। अत नियोजन की सफलता के लिए उचित आर्थिक ही नहीं, अपितु सामाजिक संगठन का भी निर्माण किया जाना चाहिए। अर्द्ध विभिन्नता देशों में इस हाइ से वर्तमान सामाजिक आर्थिक संगठन और सरकार के पुनर्गठन की आवश्यकता है। उपगुरुत्व वातावरण के अभाव में आर्थिक प्रगति असम्भव है। इसलिए, विकासार्थी नियोजन की सफलता के लिए वर्तमान आर्थिक संगठन में इस प्रकार परिवर्तन करना चाहिए और नवीन आर्थिक संस्थाओं का मृद्गन करना चाहिए जिससे योजनाएँ सफल और आर्थिक विकास तीव्रता से हो सके। इष सम्बन्ध में अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियन्त्रण में बढ़ि, सहायता वा विकास, भूमि सुधार कार्यक्रमों की क्रियान्विति, सांवेदनिक सेवा वा विस्तार, विदेशी व्यापार का पुनर्गठन आदि इष परिवर्तन अर्द्ध विभिन्न देशों के लिए आवश्यक हैं।

8 योजना के क्रियान्वयन की उचित व्यवस्था (Proper Machinery for Plan Implementation)—योजना निर्माण से भी अधिक महत्वपूर्ण क्रियान्वयन

की ग्रवस्था है। यत इसको क्रियान्वित करने और निर्धारित कार्यश्रमों पर पूरण रूप से अग्रल कराने के लिए सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में कुशल सगठनों का निर्माण अत्यन्त आवश्यक है। योजना की सफलता उन व्यक्तियों पर निर्भर करती है जो इसे कायलूप में परिणाम करने में सक्षम होते हैं। अत यह कार्य ऐसे व्यक्तियों को सुपुर्दि किया जा ना चाहिए जो योजना के उद्देश्यों को समझते हों उनम् यास्था रखते हों और जिनमें योजना के वायरक्टनों को ममान्त करने के लिए आवश्यक कुशलता, प्रनुभव, ईमानदारी और कर्त्तव्यपरायणता हो। योजना के मचालन का मुख्य कार्य प्रनुभव, ईमानदारी और कर्त्तव्यपरायणता हो। योजना के मचालन का मुख्य कार्य सरकार का होना है और इसके लिए 'हृद संशब्द' और भ्रष्टाचार रहित प्रशासन' की आवश्यकता है। अद्द विवरित देशों में बढ़ुधा निर्वन्त सरकार होती है, आन्तरिक अशान्ति होनी है और कभी कभी विदेशी सरकार उनकी योजनाओं में हस्तक्षेप करती है और उनम् अपनी इच्छानुसार परिवर्तन पर बल देती है। नियोजन की सफलता के लिए इन परिस्थितियों की ममाप्ति आवश्यक है। नियोजन की सफलता के लिए यह भी बोधनीय है कि वहाँ की वेन्ट्रीय सरकार राज्य सरकारों वी अपेक्षा जनकिताली हो और उसे विशेष अधिकार मिले हो जिससे वह अपनी राजनीतिक इकाइयों में भी योजनाओं को लागू करने में सफल हो सके।

9. जनता का सहयोग (Public Co-operation Forthcoming)—
योजनाओं की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि उसे पूरा जन समर्थन और जन सहयोग मिले। प्रजातान्त्रिक नियोजन में तो इसका विशेष महत्त्व है, व्योकि वहाँ सरकार को भी जकिन जनता द्वारा प्राप्त होती है। प्रो आर्थर लिविस के अनुसार 'जन उत्साह आधिक दिक स के लिए स्तिथता प्रदान करने वाला तेल और पेट्रोल दोनों ही है। यह एक ऐसी यतिमान जकिन है जो लगभग समस्त बातों को सम्भव बनाती है।' योजनाओं में जनता द्वारा अविकाधिक सहयोग तथा प्राप्त होता है जब वह योजनाओं में अनने आपको भागीदार (Participant) समझे। वह यह समझे कि "यह योजना हमारी है, हमारे लिए है, हमारे द्वारा है तथा इससे जनता को ही समान रूप से लाभ मिलने वाला है।" साथ ही, उन्हे यह भी विश्वास होना चाहिए कि योजनाएं उपयुक्त हैं और योजनाओं में घन का दुरुपयोग नहीं किया जा रहा है। ऐसा तभी हो सकता है, जबकि योजना निर्माण और क्रियान्वयन में जनता वा सहयोग हो। भारतीय योजनाओं में जन-प्रतिनिधि संस्थाओं के रूप में विभिन्न संस्कृत पर आमतचायतों, पचायत समितियों जिला परिषदों तथा राज्य और वेन्ट्रीय विधान पंडिलों को सम्बन्धित किया जाता है। जनता का समर्थन और लोक सहयोग प्राप्त करने का एक तरीका यह भी है कि योजनाओं का अविकाधिक प्रचार किया जाए जिससे जनता 'योजनाओं की सिद्धि में अपनी समुद्दि' समझे।

10 उच्च राष्ट्रीय चरित्र (High National Character)—राष्ट्रीय चरित्र की उच्चता लगभग सभी बातों को सम्मर बनाती है। योजना की सफलता के लिए भी यह तत्त्व अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। यदि देश में परिश्रमशील, कर्तव्य-परायण, ईमानदार और राष्ट्रीयता की भावना से युक्त उच्च चरित्र वाले व्यक्ति होंगे तो

योजनाओं ही सफलता की अधिक सम्भावनाएँ होगी किन्तु, अधिकांश प्रदूँ-विकसित देशों में उच्च राष्ट्रीय वरित्र का अभाव होता है। वहाँ स्वदेश से अधिक स्व-उदार को समझा जाता है। ऐसी स्थिति में योजनाओं में अपेक्षित सफलता नहीं मिलती है। वस्तुतः निर्वन्तता के दबनीय निम्नस्तर पर उच्च-नीतिकता की बात करना व्यावहारिकता की अपेक्षा करना है, किन्तु इस मध्यावधि में भी शिक्षा, प्रचार आदि के द्वारा बहुत कुछ किया जा सकता है।

11. राजनीतिक एवं प्राकृतिक अनुकूलता (Favourable Political and Natural Conditions)—आर्थिक विकास के लिए अपनाएँ गए नियोजन के लिए राजनीतिक परिस्थितियों का अनुकूल होना आवश्यक है। विदेशों से विशेष रूप से विकसित देशों से अच्छे सम्बन्ध होने पर अधिक विदेशी सहायता और सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। अदूँ-विकसित देशों के लिए इसका बहुत महत्व है। किन्तु यदि किसी देश को अन्य देशों के आक्रमण का मुकाबला करना पड़ रहा हो या इस प्रकार की आपेक्षा हो तो उसके साथन आर्थिक विकास की अपेक्षा सुरक्षा प्रत्यनो पर व्यवहार किए जाने हैं। परिणामस्वरूप, आर्थिक नियोजन की सफलता सदिग्द हो जाती है। तृतीय योजना की सफलता पर भारत पर चीनी और पाकिस्तानी आक्रमणों का विपरीत प्रभाव पड़ा। इसी प्रकार बाढ़, भूकम्प, अतिवृष्टि अनावृष्टि आदि प्राकृतिक प्रकोप भी अच्छी से अच्छी योजनाओं को असफल बना देते हैं। अदूँ-विकसित देशों में तो इन प्राकृतिक प्रकोपों का विशेष कुपरिणाम होता है, क्योंकि ऐसी अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं में प्रकृति का प्रभाव अधिक होता है। भारत की तृतीय पचवर्षीय योजना की कम सफलता का एक प्रमुख कारण सूखा, बाढ़ और मौसम की खराबी रही है। गत बर्षों में अर्थव्यवस्था में सुधार के जो लक्षण प्रकट हुए हैं, उसका बड़ा थोड़ा भी प्रकृति की अनुकूलता को ही है।

आर्थिक शर्तें—नियोजन सफलता के लिए अपर्याप्त शर्तों के अतिरिक्त निम्न-लिखित अन्य शर्तों का होना भी आवश्यक है—

1. योजना के प्रभावशाली क्रियान्वयन की व्यवस्था और इसके लिए सरकारी व निजी दोनों ही क्षेत्रों में कुशल संघठन का निर्माण।

2. योजनानुति के समस्त साधनों का उचित मूल्यांकन किया जाए और उत्पादन के लक्षणों का निर्धारण उचित व सन्तुलित ढंग से हो।

3. दीर्घकालीन और अल्पकालीन नियम यथासम्भव साथ-साथ चलें, अर्थात्, दीर्घकालीन योजना के साथ-साथ योजना भी बनाई जाए, ताकि योजना के विभिन्न वर्षों में साधनों का समान उपयोग हो और समान रूप से प्रगति की जा सके।

4. योजना की उपलब्धियों का मध्यावधि मूल्यांकन किया जाए, ताकि, विभिन्नों का पता लगा कर उन्हें दूर किया जा सके।

5. विकेन्द्रित नियोजन किया जाए अर्थात्, योजनाएँ स्थानीय स्तर पर बनाई जाएं और राज्य-स्तर व केन्द्रीय स्तर पर उनका सम्बन्ध निया जाए।

6 योजना के उद्देश्यों, लक्ष्यों, प्राथमिकताओं, साधनों आदि का जनता में पर्याप्त प्रचार और विज्ञापन किया जाए तथा लोगों में योजना के प्रति चेतना, जागृति व रुचि उत्पन्न की जाए।

7 नियोजन राष्ट्र के लिए हो, न कि किसी वर्ग विशेष या दल विशेष के लिए।

उपरोक्त आवश्यकताओं (प्रपेक्षाओं) के प्रतिरिक्षण यह भी आवश्यक है कि जनसत्त्वा बूढ़ि पर उचित नियन्त्रण रखा जाए। जनसत्त्वा का विस्फोट अच्छे से अच्छे नियोजन को अपफल बना सकता है। पुनर्शब्द यह भी जरूरी है कि नियोजन को एक निरन्तर होने वाली प्रक्रिया के रूप में ग्रहण किया जाए। एक योजना की सफलता दूसरी एवं दूसरी योजना की सफलता तीसरी योजना की सफलता के लिए सीढ़ी सैंयार करती है और इस प्रकार उन सीदियों का सिलसिला निरन्तर चलता रहता है वरों कि आर्थिक विकास की कोई सीमा नहीं होती।

बचत-दर एवं विकास-दर को प्रभावित करने वाले तत्त्व

(Factors Affecting the Saving Rate and the overall Growth Rate)

आर्थिक विकास पूँजी निर्माण दर पर निर्भर करता है। पूँजी निर्माण-दर विनियोग दर द्वारा नियंत्रित होती है तथा विनियोग-दर धरेलू बचत और विदेशी सहायता पर निर्भर करती है। विदेशी रुपण देश की अर्थव्यवस्था में व्यापक व सूचनान के रूप में भार स्वस्फूर्त समझे जाने हैं। अब धरेलू बचत ही पूँजी निर्माण का मुख्य स्रोत होती है। बचत में वृद्धि आनंदिक व दाहा चौंडों द्वारा की जा सकती है। आनंदिक ओंगों के अन्तर्गत बचत में वृद्धि ऐच्छिक रूप में उपयोग में कटौती द्वारा भी जा सकती है तथा प्रतिवार्ष रूप से बचत में वृद्धि अनियक कर्णों तथा सरकार के लिए क्रण देवर की जाती है। अर्द्ध देशीजगार थम को उत्पादन में लगाकर तथा मुद्रा-स्तरों के माध्यम द्वारा भी बचत में वृद्धि सम्भव है। बाह्य चौंडों के प्रबन्धन अर्थिक विनाय की वितीय व्यवस्था विदेशी पूँजी के विनियोग उपयोग वस्तुओं के आवश्यकों में कटौती तथा देश की व्यापार-शर्तों में मुधार द्वारा भी जा सकती है।

बचत-दर को प्रभावित करने वाले तत्त्व

1. धरेलू बचत (Domestic Savings)—धरेलू बचत उत्पादन में वृद्धि अथवा उपयोग में कटौती या दोनों प्रकार से बढ़ायी जा सकती है। अर्द्ध-विकसित देश में, देश की जनसंख्या का अधिकारी भाग, निर्वाह स्तर पर जीवनदान बरता है। इसलिए ऐच्छिक बचत की मात्रा बहुत कम होती है। इन्तु इन देशों में उच्च घाय वाले भूम्कानियों, व्यापारियों तथा व्यवसायियों का एक छोटा वर्ग भी होता है, जो प्रदर्शनभारी उपयोग (Conspicuous Consumption) पर एक बड़ी राशि व्यय करता है। इस प्रकार के उपयोग को प्रतिवर्तित करके बचत में वृद्धि की जा सकती है।

इन देशों में मजदूरी व वेतनभौगी वर्ग के व्यक्तियों की श्रवृत्ति बचत बने की अपेक्षा व्यय करने की अधिक होती है। यह वर्ग भी प्रदर्शन प्रभाव (Demonstration Effect) से प्रभावित होता है; फलस्वस्फूर्त इस वर्ग की बचत और भी कम हो जाती है।

भूस्वामियों को लगान-आय इन देशों में उत्तरोत्तर बढ़ि द्वारा हो सकती है किन्तु समाज वा यह वर्ग अपनी बचत को उत्पादक-विनियोगों के रूप में प्रयुक्त नहीं करता है। विवित देशों में समाज भी उत्पादक विनियोगों के लिए बचत का एक स्रोत है।

इस अर्थव्यवस्था में वितरित व अवितरित दोनों प्रकार के लाभ, बचत के महत्वपूर्ण माध्यम होते हैं। “यदि लाभों को बचतों का मुख्य स्रोत माना जाता है तो एक ऐसी अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय में, जिसमें बचत दर 5 प्रतिशत से बढ़कर 12 प्रतिशत हो जाती है, लाभों के अनुपात में अपेक्षाकृत अधिक बढ़ि परिवर्तित होनी चाहिए।”¹

बचत आय स्तर पर निर्भर करती है। आय के निम्न स्तरों पर बचतें प्रायः नगण्य होती हैं। जैसे जैसे आय बढ़ती है, बचत दर में भी बढ़ि होती है। किन्तु प्रति व्यक्ति आय में बढ़ि से बचत में बढ़ि आवश्यक नहीं है। बचत आय के वितरण पर निभर करती है। लाभ-अर्जित करने वाले साहसियों के बग के उदय के कारण बचत दर में बढ़ि होती है। यह वर्ग अपने लाभों का पुनः विनियोजन करता है। लेविस के अनुसार, “राष्ट्रीय आय में बचत का अनुपात कवल आय की असमानता का ही फलन नहीं है, बल्कि अविक सूक्ष्म रूप में यह राष्ट्रीय आय में लाभों के अनुपात का फलन है।”²

2 करारोपण (Taxation)—अर्थव्यवस्था में अनिवार्य बचत की उत्पत्ति के लिए करों का प्रयोग किया जा सकता है। यदि कर लाभों पर लगाए जाते हैं तो बचत दर कम होती है तथा विनियोगों पर इनका विपरीत प्रभाव होता है। यद्यपि लोगों की बचत को कर कम करते हैं किन्तु सरकार के विनियोग व्यय में बढ़ि करते हैं, तो ऐसे करों से पूँजी निर्माण दर कम नहीं होती है। जब सरकार लाभों पर भारी दर से कर लगाती है, परिणामस्वरूप, तिजी बचत दर कम होती है, तब कुल बचत-दर को घिरने से रोकने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि सरकारी बचत में बढ़ि की जाए।³

3 सरकार को अनिवार्य छहण देना (Compulsory Lending to Government)—करों का एक विकल्प सरकार को अनिवार्य छहण देने की योजना है। एक निश्चित राशि से अधिक उपर्जित करने वाले व्यक्तियों से सरकार उनकी आय का एक भाग, अनिवार्य रूप से छहण के रूप में ले सकती है। बचत दर में बढ़ि का एक साधन यह भी है, किन्तु इस सम्बन्ध में यह घ्यान रखा जाना चाहिए कि सरकारी प्रतिश्रूतियाँ इस प्रकार की हो जो सम्भावित बचत कर्ताओं (Potential Savers) को आकर्षित कर सकें।

1 W A Lewis Theory of Economic Growth, p 233

2 W A Lewis Ibid, p 227

3 W A Lewis Ibid, p 242

4 उपभोग आयातो पर प्रतिबंध (Restriction of Consumption Imports) — आयातित-वस्तुओं के उपभोग में कटौती द्वारा भी बचत दर को बढ़ाना जा सकता है। उपभोग वस्तुओं के आयातों में कटौती द्वारा विदेशी विनियम की बचत होगी, पूँजीगत-वस्तुओं के आयात पर व्यवहार किया जा सकता है। उपभोग-वस्तुओं के स्थान पर, पूँजीगत वस्तुओं के आयातों से आर्थिक विकास दर बढ़ती है। एक और जहाँ आयातित डाम्पेग-वस्तुओं में कटौती की जाती है, वहाँ दूसरी ओर उपभोग वस्तुओं का घरेलू उत्पादन नहीं बढ़ने दिया जाना चाहिए अन्यथा बचत दर में इस तर्क से बढ़ि नहीं हो पाएगी।

5 मुद्रा स्फीति (Inflation) — मुद्रा-स्फीति भी एक महत्वपूर्ण तरङ्ग है। जब मूल्यों में बढ़ि होती है तब लोग उपभोग में कटौती करते हैं। परिणामस्वरूप, उपभोग-वस्तुओं का उत्पादन कम होता है। अत उपभोग वस्तुओं के क्षेत्र से साधन-मुक्त होकर पूँजीगत वस्तुओं के उत्पादन के लिए उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार की बचत अनेकछुक बचतें (Forced Savings) बढ़नाती हैं।

6 गुप्त-बेरोजगारी को समाप्त करना (To Remove Disguised Unemployment) — मतिरिक्त-थम को निर्वाह क्षेत्र से पूँजीवादी-भेत्र में स्थानान्तरित करके पूँजी-निर्माण किया जा सकता है। जिन श्रमिकों की सीमान्त-उत्पादकता कृपि में शून्य है, उनको कृपि से हटाकर पूँजी-परियोजनाओं पर लगाया जा सकता है। इस प्रकार सम्पूर्ण निर्वाह-कोप (Subsistence Fund) को पूँजीगत परियोजनाओं में प्रयुक्त किया जा सकता है। परन्तु इस प्रक्रिया ने कुछ बाधाएँ आती हैं। प्रथम, गैर-कृपि क्षेत्र में स्थानान्तरित श्रमिक पूर्वपिक्षा भोजन की अधिक मात्रा की मांग करते हैं। द्वितीय, कृपि क्षेत्र में बचे हुए श्रमिक भी भोजन के उपभोग में बढ़ि करता चाहते हैं। तृतीय, कृपि क्षेत्र से पूँजीगत परियोजनाओं तक भोजन सामग्री ले जाने की यातायान लागत भी निर्वाह काप को कम करती है। यदि निर्वाह कोप के इन छिपों (Leakages) की पूति गैर-कृपि क्षेत्र से याघनों के समान द्वारा की जा सकती है तो यह व्यवस्था पूँजी-निर्माण का एक थोड़ा लोन हो सकती है।

7 विदेशी ऋण (Foreign Borrowing) — विदेशी ऋण दो विधियाँ द्वारा पूँजी निर्माण करते हैं—(1) विदेशी ऋणों का प्रयोग पूँजीगत सामग्री के आयात के लिए किया जा सकता है, (2) जिस सीमा तक विदेशी ऋणों की सहायता से एक देश अपने आयातों की बढ़ि करता है, उस सीमा तक आयात स्थानान्तरों वा उत्पादन तथा देश के नियंत्रित, घटाए जा सकते हैं। इन उद्योगों के उत्पादन में गिरावट के कारण जो सामन-मुक्त होने हैं, उनको पूँजीगत-वस्तुओं के क्षेत्र में लगाया जा सकता है। इस प्रकार विदेशी ऋण प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से पूँजी निर्माण की दर को बढ़ाने में सहायक होते हैं।

8. विदेशी व्यापार (Foreign Trade) — विदेशी व्यापार भी पूँजी निर्माण की दर को बढ़ाने में सहायक होता है। यदि निर्यातों के मूल्यों में बढ़ि होनी है तो देश की आयात अमता में भी बढ़ि होनी है। यदि आयात-अमता में बढ़ि को

जीगन-वस्तुप्रो के आयात हेतु प्रयुक्त किया जाता है, तो इससे पूँजी-निर्माण की दर में वृद्धि होनी है।

अतः पूँजी-निर्माण को तथा फनर, विकास-दर को प्रभावित करने वाले मुख्य तत्त्व निम्नलिखित हो सकते हैं—

- (1) उत्पादन में वृद्धि भवया उपयोग में कटीनी, (2) प्रदर्शन प्रभाव,
- (3) लगान-माय में वृद्धि, (4) लागो में वृद्धि, (5) करारोपण, (6) सरकार को दिया जाने वाला अनिवार्य छए, (7) उपयोग आवानो पर प्रतिवन्ध,
- (8) मुद्रा-स्फीनि, (9) गुण देरोजगारी की समाजि, (10) विदेशी श्रह तथा,
- (11) विदेशी व्यापार।

— — — विकास-दर और उसे प्रभावित करने वाले तत्त्व

इश की विकास-दर के निर्धारित तत्त्वों में बचन भी महत्वपूर्ण है। विकास-दर के अन्य निर्धारक-तत्त्वों को विवेचना से पूर्व विकास-दर का सामान्य अर्थ समझना आवश्यक है। सामान्य विकास-दर का निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया जाता है—

$$\text{विकास-दर} = \frac{\text{बचन}}{\text{पूँजी-युग्माक}}$$

पूँजी-युग्माक प्रयवा पूँजी-प्रदा अनुपात का आशय पूँजी का उस मात्रा से है, जो उत्पादन की एक इकाई के लिए आवश्यक होनी है। पूँजी-उत्पादन अनुपात दो प्रकार के होने हैं—(क) औनत पूँजी-प्रदा अनुपात और (क) सीमान्त पूँजी-प्रदा अनुपात। औनत पूँजी-प्रदा अनुपात का अर्थ देश के कुल पूँजी-भवय तथा वार्षिक उत्पादन के अनुपात में लगाया जाता है। सीमान्त पूँजी-प्रदा अनुपात से आशय पूँजी-नवय में वृद्धि तथा उत्पादन में वार्षिक वृद्धि के अनुपात से है।

(क) औनत पूँजी-प्रदा अनुपात के निर्धारक तत्त्व (Factors Determining the Average Capital Output Ratio)—जिसी अर्थव्यवस्था में औनत पूँजी-प्रदा अनुपान विभिन्न तत्त्वों पर निर्भर करता है, जो उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। ये मुख्य तत्त्व निम्नलिखित हैं—

1. तकनीकी सुधार (Technological Improvements)—तकनीकी सुधारों द्वारा पूँजी की उत्पादकता में वृद्धि होनी है। इससे पूँजी-प्रदा अनुपात घटता है।

2. धम-उत्पादकता (Labour Productivity)—यदि धम उत्पादकता में वृद्धि होनी है, तो पूँजी की पूर्व-मात्रा से अधिक उत्पादन किया जा सकता है। इस स्थिति में पूँजी-प्रदा अनुपात घटता है।

3. विभिन्न क्षेत्रों के सापेक्ष महत्व में परिवर्तन (Shift in the Relative Importance of Different Sectors)—औनत पूँजी-प्रदा अनुपात, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के पूँजी-प्रदा अनुपातों पर निर्भर करता है। यदि किसी देश में

ओदीगिक विकास पर अधिक बल दिया जाता है तो ओदीगिक क्षत्र के सापेक्ष महत्त्व में बढ़ि होगी परिणामस्वरूप पूँजी प्रदा अनुपात बढ़ जाएगा ।

4 विनियोग का ढंग (Pattern of Investment)—यदि विनियोग-योजना में सार्वजनिक-उपयोग तथा पूँजीगत-वस्तुओं के ओदीगिक विकास पर बल है तो औसत पूँजी-प्रदा अनुपात अधिक होगा । इसके विपरीत, यदि घरेलू उद्योगों तथा कृषि विकास को अधिक महत्त्व दिया जाता है तो पूँजी प्रदा अनुपात घटेगा ।

5 तकनीकी का चुनाव (Choice of Technique)—अम-गहन तकनीकी में पूँजी प्रदा अनुपात कम तथा पूँजी-गहन तकनीकी में यह अनुपात अधिक होता है ।

(ख) सीमान्त पूँजी-प्रदा अनुपात (Marginal Capital Output Ratio)—कुछ अर्थशास्त्रियों के मतानुसार अर्द्ध-विकसित देशों में यह अनुगत ग्राहणात्मक अधिक होता है । अर्थशास्त्री विपरीत मत रखते हैं । इस अनुपात के अधिक होने के निम्नलिखित कारण हैं—

1 पूँजी का दुर्घटना (Waste of Capital)—अर्द्ध-विकसित देशों में अम-अकृशल होता है, इसलिए मज़बीतों का उपयोग कृशलता से नहीं होता है । परिणामस्वरूप उत्पादन कम होता है । इस कारण विकसित अर्थशास्त्रीयों की ग्राहणात्मक अर्द्ध-विकसित अर्थव्यवस्थाओं में यह अनुपात अधिक पाया जाता है ।

2 तकनीकी (Technology)—अर्द्ध-विकसित देशों में पूँजी उत्पादकता कम होती है । इसका कारण निम्नस्तरीय तकनीकी है । इस कारण उत्पादन की एक इकाई के लिए अधिक पूँजी आवश्यक होती है । इस स्थिति में यह अनुपात बढ़ जाता है ।

3 सामाजिक ऊपरी पूँजी (Social Overhead Capital)—अर्द्ध-विकसित देशों में सामाजिक ऊपरी पूँजी के लिए बड़े विनियोग किए जाते हैं । ये विनियोग पूँजी-गहन होते हैं, परिणामस्वरूप पूँजी-प्रदा अनुपात अधिक रहता है । विकसित देशों में भी निम्नांतर-उद्योगों की अपेक्षा सार्वजनिक उपयोग के उद्योगों में यह अनुपात अधिक होता है । अर्द्ध-विकसित देशों में यह अनुपात और भी अधिक ऊचा रहता है ।

यदि भारी उद्योगों में विनियोग किया जाता है तो पूँजी प्रदा अनुपात अधिक होगा ।

निम्नलिखित अवस्थाओं में पूँजी प्रदा अनुपात अर्द्ध-विकसित अर्थव्यवस्थाओं में नीचा रहता है—

(i) यदि देश की विकास नीति ऐसी है कि कृषि व लघु उद्योगों पर अधिक बल दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में सीमान्त पूँजी प्रदा अनुपात कम रहेगा ।

(ii) आर्थिक विकास की प्रारम्भिक अवस्थाओं में पूँजी की अल्प राशि के विनियोजन से भी अप्रयुक्त उत्पादन-क्षमता वा पूरा उपयोग किया जा सकता है ।

परिणामस्वरूप उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि होती है। उत्पादन में इस प्रकार की वृद्धि से पूँजी प्रदा अनुपात कम रहेगा।

(iii) निम्नस्तरीय तकनीकी के कारण अद्विकसित अर्थव्यवस्थाओं में प्राय पूँजी प्रदा अनुपात अधिक रहता है। किन्तु कभी-कभी जब नई तकनीकी प्रयोग में आती है तो आश्चर्यजनक लाभ परिलक्षित होते हैं। इसोलिए अधिक पिछड़े हुए देशों में पूँजी वित्तयोजित की जाती है। साथ ही, शिक्षा व प्रशिक्षण पर आवश्यक ध्यय किया जाता है, ताकि विकसित देशों की अपेक्षा अद्विकसित देशों में अधिक ऊँची विकास दरें प्राप्त की जा सकें। इस भत की पुष्टि में अर्थशास्त्रियों द्वारा सोवियत रूस व जापान के उदाहरण दिए जाते हैं।¹

(iv) जब पूँजी का प्रयोग नए प्राकृतिर साधनों के विदेहन (Exploitation) हेतु किया जाता है तो उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि होती है, परिणामस्वरूप, पूँजी-प्रदा अनुपात कम रहता है।

अत स्पष्ट है कि विकास-दर के दो मूल घटक होते हैं—(1) बचत तथा (2) पूँजी-गुणांक। इन घटकों को जो तत्त्व प्रभावित करते हैं, उनसे विकास दर प्रभावित होती है। बचत व पूँजी-गुणांक को प्रभावित करने वाले तत्त्वों को ही विकास-दर के नियांकित तत्त्व कहा जाता है।

आर्थिक-नियोजन द्वारा विकास करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम और विशाल मात्रा में परियोजनाएँ प्रारम्भ की जाती हैं। इन कार्यक्रमों को सचालित करने एवं परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए बड़ी मात्रा में साधनों की आवश्यकता होती है। विकास की इन विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के सचालन के लिए आवश्यक साधनों की व्यवस्था एवं उनकी गतिमयता आर्थिक-नियोजन की प्रतिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझा है। इन साधनों के विकास के लिए विकास-दर गतिमयता पर ही निर्भर करती है। यदि ये साधन आवश्यकतानुसार पर्याप्त मात्रा में होंगे तो विकास की अधिक सम्भावना होगी। इसी प्रकार, इन्हे जितना अधिक योजनाओं के लिए गतिशील बनाया जा सके, विकास की गति उतनी ही तीव्र होगी। साधनों की उपलब्धि और उनको गतिशील बनाने की क्षमता की तुलना में यदि विकास के कार्यक्रम और गति अधिक रखी गई, तो ऐसी योजना की सफलता सदिग्द रहेगी। डॉ राज के मनुसार “एक योजना नहीं के बराबर है, यदि इसमें निर्धारित विकास का कार्यक्रम साधनों के एकत्रित करने के कार्यक्रम पर आधारित और समन्वित नहीं किया गया हो।”

साधनों के प्रकार (Types of Resources)

आर्थिक-विकास के लिए मुख्य रूप से भौतिक साधन, मानवीय साधन और वित्तीय साधनों की आवश्यकता होती है। ‘भौतिक साधन’ देश में स्थित प्राकृतिक साधनों पर निर्भर करते हैं। एक देश प्राकृतिक साधनों में जितना सम्पन्न होगा, भौतिक साधनों की उतनी ही प्रचुरता होगी। यद्यपि अधिकांश अर्द्ध-विकसित देश प्राकृतिक साधनों में सम्पन्न हैं, तथापि उनका उचित विद्रोहन नहीं किया गया है और उनके विकास की व्यापक सम्भावनाएँ हैं।

इसी प्रकार, अधिकांश अर्द्ध-विकसित देशों में मानवीय साधन भी पर्याप्त मात्रा में होते हैं। अत योजनाओं का विस्तार, उनकी सफलता और विकास की

गति उनके लिए उपलब्ध वित्तीय साधनों, उनकी गतिमयता, उनके उचित आवटन तथा उपयोग पर निर्भर करती है।

'वित्तीय साधनों का महत्व देश के आर्थिक विकास में बहुत है। आर्थिक योजना के लिए वित्तीय साधन और उनको एकत्रित करने का तरीका योजना सिद्धि हेतु प्रमुख स्थान रखता है। वित्त एक देश के साधनों को गतिशील बनाता है चाहे वे भौतिक साधन हो या वित्तीय अथवा आन्तरिक साधन हो या बाह्य।'

गतिशीलता को निर्धारित करने वाले कारक (Factors Determining Mobilisation)

साधनों का अनुमान और उनको गतिशील बनाना मुख्यतः निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है।¹

(i) राज वित्त की यन्त्र प्रणाली (Machinery of Public Finance)—यदि देश की अर्थव्यवस्था सुसग्ठित हो जिसमें विकास हेतु उपयुक्त और कुण्डल राजकोषीय नीति को अपनाया गया हो, तो आन्तरिक साधनों को अधिक सफलतापूर्वक गतिशील बनाया जा सकता है। इनके विपरीत यदि मार्वजनिक वित्त की यन्त्र प्रणाली अबूशल होगी तो अपेक्षाकृत कम साधन जुगाए जा सकेंगे।

(ii) उद्देश्यों की प्रकृति (Nature of Objectives)—उद्देश्य की प्रकृति पर भी साधनों की गतिशीलता निर्भर करती है। यदि योजना का उद्देश्य युद्ध लड़ना है तो बाह्य साधन कम प्राप्त हो सकेंगे। किन्तु यदि इसका उद्देश्य द्रुत गति से आर्थिक विकास करना हो तो विदेशी साधन भी अधिक गतिशील हो सकेंगे। यदि योजना के लक्ष्य बहुत महत्वाकांक्षी होंगे तो कुल एकत्रित साधन अधिक होंगे और जनता पर भार भी अधिक होगा।

(iii) योजना की अवधि (Period of Plan)—यदि योजना एक वर्षीय है तो वर्ष मात्रा में कोयों की आवश्यकता होगी और इससे देश के आन्तरिक साधनों पर अधिक दबाव नहीं पड़ेगा। किन्तु यदि योजनाओं की अवधि लम्बी होगी तो वर्षी मात्रा में साधनों को गतिशील बनाने की आवश्यकता होगी।

(iv) अम और पूँजी की स्थिति (Situation with regard to Labour and Capital)—यदि देश में अम शक्ति की बहुलता है तो साधनों को गतिशील बनाने में अम प्रधान तरीके (Labour intensive) उपयुक्त होंगे। इनके विपरीत यदि देश में पूँजी की विपुलता है और अनिवार्य अम शक्ति नहीं है तो साधनों को गतिशील बनाने में अधिक पूँजी गहन (Capital intensive) तकनीकी आवश्यकता होगी।

(v) शिक्षा एवं राष्ट्रीय चेतना (Education and National Consciousness)—वित्तीय साधनों को योजना दी वित्त व्यवस्था के लिए गतिशील बनाने में देशवासियों की शिक्षा और राष्ट्रीय भावना का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि

देशवासी शिखित हैं, उनमें राष्ट्रीय भावना है और वे अपने उत्तरदायित्व को समझने वाले हैं तो योजना के लिए आर्थिक वित्त जुटाया जा सकेगा। अल्प बचत, बाजार बहए यहाँ तक कि करो से भी आर्थिक साधन, एकत्रित किए जा सकेंगे।

(vi) अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति (International Situation) — यदि अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण शान्त हो और सहयोगपूर्ण है और दिशा में तनाव कम है तो बाह्य साधनों से आर्थिक वित्त उपलब्ध हो सकेगा। इसके अतिरिक्त, यदि योजना को अपनाने वाले देश के अन्य धनी देशों से अच्छे सम्बन्ध हैं या वह युढ़, सुरक्षा अथवा आक्रमण के लिए नहीं, अपितु आर्थिक विकास के लिए नियोजन को अपना रहा है तो इन विकसित देशों से तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं में आर्थिक मात्रा में योजनाओं के संचालन के लिए वित्त उपलब्ध हो सकेगा। ऐसी स्थिति में, योजनाओं की वित्त-व्यवस्था में बाह्य साधनों का महत्व बढ़ जाएगा।

(vii) मूल्य-स्तर और जनता की आर्थिक स्थिति (Price level and Economic condition of the people) — यदि मूल्य बढ़ रहे हों और इसके कारण जीवन स्तर-व्यवहार बढ़ रहा होगा तो लोगों के पास बचत कम होगी। साथ ही, जनता भी सरकार के इस साधन को गतिशील बनाने के कार्यक्रम में आर्थिक सहयोग नहीं करती। शरिरणामस्वरूप, आन्तरिक साधन कम जुटाए जा सकेंगे।

(viii) विदेशी विनियमय कोष (Foreign Exchange Reserves) — यदि एक देश के पास पर्याप्त विदेशी विनियमय कोष है तो साधनों को गतिमय बनाना सुगम होगा। ऐसी स्थिति में, 'हीनार्थ प्रबन्धन' भी वित्त का एक स्रोत बन सकता है और उसमें अन्य स्रोतों पर कम भार होगा। राजस्व, बाजार, बचत आदि वित्त के कम महत्वपूर्ण साधन हो जाएंगे। इसके विपरीत, यदि विदेशी विनियमय कोष छोटा है तो 'हीनार्थ प्रबन्धन' (Deficit Financing) भी कम होगा और वित्त के अन्य स्रोतों पर कर भार बढ़ जाएगा।

(ix) सरकार की आर्थिक नीति (Economic policy of the Government) — यदि देश की अर्थव्यवस्था सोवियत रूस की तरह पूर्णत केन्द्रित हो तो साधनों को आर्थिक मात्रा में सेरलतापूर्वक गतिशील बनाया जा सकता। किन्तु यदि देश में जनतान्त्रिक शासन प्रणाली और निःस्तरकाप पूर्ण अर्थव्यवस्था हो तो अपेक्षाकृत कम मात्रा में साधन गतिशील बनाए जा सकेंगे।

(x) आर्थिक विपरीता की मात्रा (Degree of Economic Inequality) — यदि देश में आर्थिक विपरीता तथा आय की असमानता इम होगी और उत्पादन के साधनों पर समाजिक स्वामित्व का विस्तार हो रहा होगा ऐसी स्थिति में सावंतव्यनिक उत्पक्षनों की आय के रूप में साधनों की आदिक वृद्धि होगी। विनरण की भागीदारी प्रणाली और उत्पादन के सामूहिक स्वामित्व से राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगी और वित्त की गतिशील बनाने के लिए साधन आर्थिक उपलब्ध हो सकेंगे। किन्तु यदि समाज में आर्थिक विपरीता है और उत्पादन नियन्त्रित न हो सकता तित किया जाता है तो योजनाओं की वित्त-व्यवस्था के मुख्य साधन बर, बहए, बचत आदि होगे।

साधनों का निर्धारण (Determination of Resources)

एक देश के द्वारा बनाई जाने वाली योजना के कार्यक्रमों के निर्धारण हेतु साधनों का अनुमान लगाना पड़ता है। अनुमानित साधनों पर ही योजना का आकार और कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है। इसीलिए उपलब्ध या गतिशील बनाए जा सकने वाले साधनों की मात्रा का अनुमान लगाना आवश्यक होता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि देश और उसके बाहर ऐसे क्रियाशील घटकों पर विचार किया जाए जो योजनाओं की वित्त व्यवस्था को प्रभावित करने वाले हों। सर्वप्रथम विदेशी सहायता और बाह्य साधनों का अनुमान लगाया जा सकता है। यद्यपि सोवियत रूस ने अपनी योजना को आन्तरिक साधनों से ही सचालित किया था, किन्तु ऐसी स्थिति में देशवासियों को भारी त्याग करना पड़ता है और कष्ट उठाना पड़ता है। आधुनिक अर्द्ध-विकसित देशों के लिए अपने देशवासियों से इस मात्रा में भारी त्याग और कष्टों का बहुन कराना बाँधनीय नहीं है साथ ही इतना आसान भी नहीं है। अतः इन देशों की योजनाओं की वित्त-व्यवस्था में बाह्य साधनों का पर्याप्त महत्व है। इन्हे याताम्भव आन्तरिक साधनों को अधिकतम मात्रा में गतिशील बनाना चाहिए। किन्तु ऐसा जनता पर बिना विशेष कष्ट द्वारा की जानी चाहिए। यद्यपि, किसी देश को विकास के लिए बाह्य साधनों पर ही पूर्णाङ्ग से निर्भर नहीं होना चाहिए किन्तु अर्द्ध-विकसित देश बिना बाह्य साधनों के बीचित दर से प्रगति भी नहीं कर सकते। अतः दोनों स्रोतों का ही उचित उपयोग किया जाना चाहिए। कोलम्बो योजना में भी इस विचार को स्वीकार किया गया है कि इन दशों को विशाल मात्रा में विदेशी विनियोगों के रूप में प्रारम्भिक उत्तेजक (Initial Stimulus) की आवश्यकता है। कई दशों की योजनाओं में लगभग 50% तक वित्तीय साधनों के लिए बाह्य स्रोतों पर निर्भरता रखी गई है।

योजना के लिए वित्तीय साधनों की गतिशीलता (Mobilisation of Financial Resources)

वित्तीय साधनों की गतिशीलता का तात्पर्य, योजना की वित्त व्यवस्था के लिए इनके एकत्रीकरण से है। योजनाओं की वित्त-व्यवस्था करने के प्रमुख रूप से निम्नलिखित दो स्रोत हैं—

(अ) बाह्य साधन (External Resources) तथा

(ब) आन्तरिक साधन (Internal Resources)

बाह्य साधन (External Resources)

अर्द्ध-विकसित देशों में न केवल पूँजी की उपलब्ध मात्रा ही कम होती है प्रभितु चालू बचत दर भी निम्न स्तर पर होती है। एक अनुमान के अनुसार लेटिन अमेरिका, मध्य पूर्व अफ्रीका, दक्षिण मध्य एशिया और सुदूर-पूर्व के निर्देशन देशों की घरेलू बचत दर 5% से भी कम रही है। ऐसी स्थिति में ये देश स्वयं स्फूर्त अर्थव्यवस्था

में पहुँचने और दून आर्थिक विकास हेतु आवश्यक बड़ी मात्रा में विनियोग नहीं कर सकते हैं। बांद्रोप विनियोग और उपलब्ध वचत के मध्य के इस अन्तर को पूरा करने के लिए विदेशी सहायता अपेक्षित है। बाह्य माध्यनों का योजना की वित्त व्यवस्था में इसलिए भी महत्व है क्योंकि इन देशों की जनता निर्धन होनी है और अतिरिक्त बरारोपण द्वारा अधिक धन-मंद्रह भी नहीं किया जा सकता है। निर्धनता और कम आय के कारण कहानों द्वारा भी अधिक अर्थ मंद्रह नहीं किया जा सकता। हीनार्थ प्रबंधन (Deficit financing) का भी असीमित मात्रा में आवध नहीं लिया जा सकता है क्योंकि इसमें मुद्रा प्रत्यारित प्रवृत्तियों को जन्म मिलता है। इसीलिए योजनाओं की आवश्यकताओं और आन्तरिक साधनों में जो अन्तर रह जाता है उसकी पूर्ति हेतु बाह्य साधनों का सहारा लेना पड़ता है। पहले यह धारणा थी कि केवल परियोजनाओं की विदेशी विनियोग की आवश्यकताओं तक ही बाह्य सहायता सीमित रहती चाहिए किन्तु अब यह माना जान लगा है कि न केवल विदेशी विनियोग की आवश्यकता के मामान अपिन्तु, धरेन्तु आवश्यकताओं के लिए भी विदेशी सहायता आवश्यक है।

इस प्रकार योजनाओं की वित्तीय आवश्यकताएं और आन्तरिक साधनों का अन्तर विदेशी सहायता की मात्रा का निर्धारण करता है। जिनकी विदेशी सहायता इस अन्तर के बराबर होगी उनका ही देश का दून आर्थिक विकास होगा। किन्तु अधर्म प्रवल्लों के बाबूद भी बहुत साधनों से इतना वित्त उपलब्ध हो जाए यह अवश्यक नहीं है क्योंकि बाह्य महायना की उपलब्धता कई आर्थिक और सामाजिक बाहों पर निर्भर करती है जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं—

(i) विदेशी व्यापार की स्थिति (ii) विदेशी विनियोग का अंतर (iii) धरेन्त और विदेशी वस्तुओं के भूल्य व होने वाले परिवर्तन (iv) बाह्य विश्व में स्थापित वीं मात्रा (v) स्वदेश और विदेशी में मुद्रान्वयन या मुद्रान्वयन की मात्रा (vi) विनियोग के अनुनादक रहने की अवधि (vii) विनियोगों की उत्पादकता अवार्द्ध पूँजी उत्पाद अनुरोध (viii) आन्तरिक स्थायित्व (ix) अन्तर्राष्ट्रीय बातावरण (x) विश्वित देशों द्वारा सहायता की इच्छा (xi) डिवित योजना निर्माण। विशुद्ध आर्थिक हृषिकेयोंग में विदेशी महायन का मापदण्ड सहायता प्राप्त करने वाले देश के बचने की मालिक का उद्देश्य और जुड़ावे की सामर्थ्य भी होनी चाहिए किन्तु आधुनिक विश्व में विदेशी सहायता में राजनीतिक हृषिकेयोंग को ही प्रमुखता दी जानी है। इस मध्यन्द में श्री यूजीन आर. ब्लैक (Eugene R. Black) (भूतपूर्व अध्यक्ष विश्व-बैंक) न चिना है कि विदेशी सहायता कभी-कभी केवल कूटनीतिक संतिक मिठां को त्रप्त के लिए ही दी जानी है।” ऐसी स्थिति में तटस्थता की नीति में विश्वास करने वाले और गुटबन्दी से दूर रहने वाले अद्वैतविक्षन देश, विदेशी सहायता प्राप्त करने पर बठिनाई अनुभव करते हैं, किन्तु इसके बाबूद भी इन्हें-विक्षित देशों को अपनी योजनाओं की वित्त-व्यवस्था हेतु बाह्य साधनों से पर्याप्त सहायता मिलनी रही है।

बाह्य साधनों के रूप (Forms of External Resources)—बाह्य साधन प्रमुख रूप से निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं—

(i) निजी पूँजी (Private Capital)—बाह्य साधन विदेशों में स्थित निजी व्यक्तियों और गैरमरकारी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध होने हैं। निजी पूँजी को मुख्यतः प्रत्यक्ष विनियोग द्वारा ही गतिशील बनाया जा सकता है, किन्तु आजकल नियोजित अर्थव्यवस्था में इसके लिए सीमित क्षेत्र होता जा रहा है क्योंकि नियोजित अर्थव्यवस्था में निजी-उपक्रम के लिए सीमित क्षेत्र होता है। साथ ही विदेशी विनियोगकर्ता को सरकार अधिक लाभ नहीं लेने देती। बहुधा इन देशों की मरकारा द्वारा विदेशी पूँजी पर अनेक नियन्त्रण और ऐसी शर्तें लगाई जाती हैं, जिन्हे विदेशी विनियोगकर्ता स्वीकार नहीं करते। इसके अतिरिक्त इन अद्वैत-विकसित देशों में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थापित्क का अभाव रहता है। अनेक बार सरकारें बदलती रहती हैं, जिनमें इन विदेशी विनियोगों के बारे में विरोधी नीति हो सकती है। राष्ट्रीयकरण तथा विनियोग नियन्त्रण द्वारा भविष्य में इस विदेशी पूँजी और इस पर लाभ के स्वदेश में हस्त न्तरण पर प्रतिबन्ध का भय भी विकसित देशों से, अद्वैत-विकसित देशों में निजी पूँजी-प्रवाह में कमी जाता है।

भारत में निजी-पूँजी विदेशी निजी अभिकरण (Private Agencies) द्वारा विनियोगों और भारतीय कम्पनियों द्वारा विश्व बैंक से लिए गए ऋणों के रूप में पर्याप्त मात्रा में विदेशी निजी पूँजी का आर्थिक विकास में योगदान रहा है किन्तु गत वर्षों में विश्व बैंक के ऋणों का महत्व बढ़ गया है। भारत की कुल निजी पूँजी में से विदेशीयों द्वारा नियन्त्रित उपकरणों या प्रत्यक्ष विदेशी विनियोगों का भाग अधिक है। सन् 1957 में यह भाग 90% था जिसमें विगत वर्षों में निरन्तर कमी होती रही है।

(ii) सार्वजनिक विदेशी विनियोग (Public Foreign Investments)—अद्वैत-विकसित देशों की योजना विनियोगों का बहुत महत्व है। विदेशी सरकारों द्वारा दिए गए ऋण, अनुदान या प्रत्यक्ष विनियोगों द्वारा इन पिछड़े हुए देशों में अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाएँ प्रारम्भ और पूर्ण की गई हैं। विकसित देशों की सरकारें, अद्वैत-विकसित देशों के आर्थिक विकास में उनके उत्तरदायित्व को पूर्वान्धिका अधिक समर्थने लगी हैं, इसीलिए ये इन विकासशील देशों को अधिक सहायता देने लगी हैं। विन्तु सार्वजनिक विदेशी विनियोगों द्वारा सहायता देश की सरकारें सहायता के इच्छुक देश को राजनीतिक रूप से प्रभावित करना चाहती है और अपनी शर्तें सहायता के साथ लगा देती है। भारत में सरकारी क्षेत्र के बोकारो में स्थापित होने वाले चौदे इस्यात कार्गाने में प्रमेरिका ने सहायता देना इसलिए स्वीकार नहीं किया था क्योंकि यह सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा था। इसी प्रकार अन्य शर्तें भी जोड़ दी जाती हैं और स्वतन्त्र तथा तटस्थ नीति को अपनाने वाले या स्वाभिमानी राष्ट्र इस प्रकार की विदेशी वित्तीय सहायता आवश्यकतानुसार प्राप्त करने में समर्थ नहीं होते हैं। किंतु भी विकसित देशों की सरकारों से कई

आन्तरिक वित्त के साधन—आन्तरिक वित्त के निम्नलिखित प्रमुख साधन हैं—

- (i) चालू राजस्व से बचत (Surplus from Current Revenues)
- (ii) सार्वजनिक उपकरणों से लाभ (Profit from Public Enterprises)
- (iii) जनता से ऋण (Public Borrowings)
- (iv) हीनार्थ प्रबन्धन (Deficit Financing)
- (v) प्राविधिक जमा-निधि (Provident Fund etc.)

(i) चालू राजस्व से बचत (Surplus from Current Revenues)—

योजनाओं की वित्त-व्यवस्था का चालू राजस्व से बचत सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। चालू राजस्व से अधिक बचत हो इस हेतु करों का लगाना और पुराने करों की दर में घृद्धि करना होता है। करारोपण, आन्तरिक साधनों में एक प्रमुख है, क्योंकि इससे कुछ बचत में घृद्धि होती है। यह एक प्रकार की विवशतापूर्ण बचत है। कर व्यवस्था इस प्रकार से समठिन की जानी चाहिए जिससे न्यूनतम सामाजिक त्याग से अधिकृतम कर राशि एकत्रित की जा सके। इसके लिए अधिकाधिक जनसंख्या को कर परिधि में लाया जाय। करों की चोरी रोकी जाए और प्रगतिशील करारोपण लायू किया जाए जिससे प्राप्त कर-राशि का अधिकांश भार उन व्यक्तियों पर पड़े जो इस बोझ को बहन करने में सक्षम हो, साय ही इससे ग्राम्यक विप्रमता कम हो। किन्तु साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि करों के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़े तथा बचत, विनियोग और कार्य करने की इच्छा हनोत्पाहित न हो। विकासार्थ, अपनाएं गए नियोजन के प्रारम्भिक बाल में मुद्रा प्रसारिक प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, क्योंकि इस समय भारी मात्रा में पूँजी विनियोग होता है। ऐसा उस समय अधिक होता है जबकि लम्बे समय में फल देने वाली योजनाएँ होती हैं। करों द्वारा जनता से अतिरिक्त क्षय गति लेकर मुद्रा-प्रसारिक प्रवृत्तियों का दमन करने में भी सहायता मिलती है और इन प्रवृत्तियों का दमन योजनाओं की सफलता के लिए अतिप्राप्तिश्यक है। अत इन्हींनी इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे कम से कम कुपरिणाम हो और अधिक से अधिक वित्तीय-साधन गतिशील बनाए जा सके।

अधिकांश अद्वैतिक सित देशों में जनता की आय अति न्यून होने के कारण वित्त-व्यवस्था के साधन के रूप में करारोपण का महत्व विकसित देशों की अपेक्षा कम होता है। वहाँ जीवन-स्तर उच्च बनाने की आवश्यकता होती है और इसलिए किसी भी सीमा तक कर बढ़ाते जाना बांधनीय नहीं होता है। अद्वैतिक सित देशों में करदान क्षमता (Taxable Capacity) कम होती है और राष्ट्रीय आय का अन्य भाग ही कर संग्रह में प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, गत वर्ष पंद्रू भारत में कुल करों से प्राप्त-आय, कुल राष्ट्रीय आय की केवल 9% ही थी जबकि यह इंग्लैण्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, न्यूजीलैण्ड, बनाडा और लका में क्रमशः 35%, 23%, 23%, 27%, 19% और 20% थी।

भारतीय विकास योजनाओं में विकास के हेतु विशाल कार्यक्रम सम्मिलित किए गए और समस्त योनों से वित्तीय साधनों को गतिशील बनाने का प्रयत्न किया गया। इसके साथनों का पूर्ण उपयोग किया गया। करों की दर से बढ़िया की गई और नवीन कर लगाए गए। प्रथम पचवर्षीय योजना में देश के अपने साधनों (mainly through own resources) से 740 करोड़ रु. वी. वित्त-व्यवस्था का अनुमान लगाया गया जबकि वास्तविक प्राप्ति 725 करोड़ रु. (कुल वित्त-व्यवस्था का 38.4 प्रतिशत) हुई। इसमें कराधान की योजना पूर्व दरों पर चालू राजस्व से बचत 382 करोड़ रु. थी। द्वितीय पचवर्षीय योजना में देश के अपने साधनों से वास्तविक प्राप्ति 1,230 करोड़ रु. (कुल वित्त-व्यवस्था का 26.3 प्रतिशत) हुई जिसमें कराधान की योजना पूर्व दरों पर चालू राजस्व से बचत 11 करोड़ रु. थी। तृतीय योजना में देश के अपने साधनों से 2,908 करोड़ रु. (कुल वित्त व्यवस्था का 33.9 प्रतिशत) प्राप्त हुए जिसमें कराधान की योजना पूर्व दरों पर चालू राजस्व से बचत (—) 419 करोड़ रु. की थी। चतुर्थ योजना में अन्तिम उपलब्धि अनुमानों के अनुसार देश के अपने साधनों से 5,475 करोड़ रु. (कुल वित्त-व्यवस्था का 33.9 प्रतिशत) प्राप्त हुए जिसमें कराधान की योजना पूर्व दरों पर चालू राजस्व से बचत (—) 236 करोड़ रु. थी।¹ पाँचवीं योजना में सरकारी क्षेत्र में देशीय बचत 15,075 करोड़ रु. और गैर-सरकारी क्षेत्र में देशीय बचत 30,055 करोड़ रु. अनुमानित की गई है।²

(ii) सार्वजनिक उपक्रमों से लाभ (Profit from Public Enterprises)— पूर्ण नियोजित अर्थ-व्यवस्था में उत्पादन का लगभग समस्त कार्य सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन रहता है। किन्तु अन्य प्रकार की नियोजित अर्थ व्यवस्थाओं में भी सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन उत्पादक इकाइयों वी. सल्या में बढ़िया होती रहती है और सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार होता है। इस कारण वित्तीय साधनों में राजस्व का भाग घटकर, सार्वजनिक उपक्रमों के लाभों का भाग रहता जाता है। उदाहरणार्थ सोवियत रूस में जनता आय का केवल लगभग 13% भाग ही कर के हृष में देती है। सरकारी आय का प्रमुख साधन सार्वजनिक उद्योगों वा आधिकाय ही होता है। सार्वजनिक उपक्रम केवल अपने सामना-आधिकाय के द्वारा ही योजनाओं की वित्त-व्यवस्था के लिए धन उपलब्ध नहीं करते, किन्तु इन उपक्रमों में कई प्रकार के बोध होते हैं जिनसे सरकारें समय-समय पर अपने वित्तीय उत्तरदायियों का निवाह करती हैं।

सार्वजनिक उपक्रमों का सामना मुख्यतः उन देशों में एक बड़ा वित्तीय साधन के रूप में प्रकट होता है जहाँ पूर्ण-व्यवस्था से नियोजित अर्थ व्यवस्था हो और समस्त उत्पादन कार्य सरकार द्वारा ही किया जाता हो, किन्तु यविकार्त्तंग अर्ड-विकसित देशों में इस प्रकार की पूर्ण-नियोजित अर्थ व्यवस्था और सार्वजनिक क्षेत्र वा विस्तार नहीं

1 इण्डिया 1976, पृष्ठ 173.

2 योजना, 22 दिसम्बर, 1973, पृष्ठ 7.

होता है, वहाँ उत्पादन क्षेत्र में निजी-उद्यम भी क्रियाशील रहता है। इसलिए, वहाँ सार्वजनिक उपकरणों की सख्ती प्रीर स्वभावतः उनके लाभ की मात्रा भी अनुमति होती है। इन देशों में जो कुछ सार्वजनिक उपकरण हैं वे हाल तो स्थगित किए गए हैं और उन्होंने अभी पर्याप्त मात्रा में लाभ कमाना आरम्भ नहीं किया है। अनुभव अभाव के कारण इनकी मफलता का स्तर बहुत खींचा है। इन सब कारणों से इन देशों में नियोजन हेतु, वित्तीय साधनों को गतिशील बनाने में स्त्रों से अधिक अपेक्षा नहीं की जा सकती। साथ ही, यह प्रश्न भी दिवादाम्पद हुआ है कि इन सार्वजनिक उपकरणों को लाभ के उद्देश्य (Profit Motive) पर साचालित किया जाय या इन्हे लाभ का साधन नहीं बनाया जाए। यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि निजी-उपकरण में मूल्य इस प्रकार निर्धारित किए जाने चाहिए जिससे कर सहित उत्पादन लागत निकलने के पश्चात् इतना लाभ प्राप्त हो जिससे पूँजी और उपकरण इस प्रीर आक्रमित हो सकें। किन्तु सरकारी उपकरणों के समक्ष व्यावसायिक और आर्थिक हासिलों की अपेक्षा जन-कल्याण का ध्येय प्रधृति होता है। इसी कारण बहुत्या सार्वजनिक उपकरणों की स्थिति एकाधिकारिक होने हुए भी इनके मूल्य कम हो सकते हैं। किन्तु यदि यह माना जाने लगा है कि सार्वजनिक उपकरण लाभ नीति के आधार पर साचालित किए जाने चाहिए जिससे सरकार को आत्म निर्भर बनने में मदद मिलेगी। उपरे पास योजनाओं की वित्त-व्यवस्था के लिए मुगमतापूर्वक साधन उपलब्ध न हो सकेंगे और साथ ही मुद्रा-प्रसारिक प्रवृत्तियों को रोदने में भी सहायता मिलेगी।

भारत में योजनावधि आर्थिक विकास का मार्ग अपनाने के बाद सार्वजनिक क्षेत्र वा विस्तार निरन्तर होता गया। यह 25 एटों म प्रीदोगिक और वाणिज्यिक उपकरणों का केन्द्रीय सरकार का निवेश 2⁰ करोड़ रुपये से बढ़कर अब 6 000 करोड़ रुपये से भी अधिक हो गया है। जहाँ 25 वर्ष पहले प्रथम उपकरण के लिए योजना में शुरू होत समय केवल पाँच उपकरण थे, वहाँ अब ज देश के चारों कोनों में ऐसे संग्रह 200 उपकरण चल रहे हैं। देश की योजनाओं ने सार्वजनिक क्षेत्र से निरन्तर बढ़ती हुई मात्रा में वित्त उपलब्ध होने की आशा भी गयी है। पर ऐसी के योगदान के अतिरिक्त अर्थ उद्योगों से नित वी उपलब्धि का चिन्ह अविकाशित निराशाजनक ही रहा है। प्रथम पचवर्षीय योजना में ऐसी से 115 करोड़ रुपये और द्वितीय योजना में 167 करोड़ रुपये, तृतीय योजना में केवल 62 करोड़ रुपये रहा। चौथी योजना में स्थिति तेजी से विगड़ी, जहाँ प्रारम्भिक अनुमान 265 करोड़ रुपये वी प्राप्ति का था, वहाँ अन्तिम उपलब्धि अनुमान (-) 165 करोड़ हाथा का रहा। अन्य सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से प्रथम और द्वितीय योजना में उपलब्धि नष्ट रही जबकि, तृतीय योजना में वास्तविक प्राप्ति 373 करोड़ रुपये भी रही। चौथी योजना में अन्तिम उपलब्धि अनुमानों के अनुसार यह प्राप्ति 1 300 करोड़ रुपये वी रही। प्रारम्भिक अनुमान 1,764 करोड़ रुपये था। भारत में सार्वजनिक उपकरण अपेक्षित पूर्ति-स्तर से अभी बहुत दूर है और इस स्थिति के लिए इन उद्योगों की निम्न कार्यक्रमालना, इन उद्योगों

अशान्ति, अमितव्ययितापूर्ण योजनाओं का निर्माण आदि तत्व उत्तरदायी है। भारतीय योजनाओं के लिए इस स्रोत से अधिक वित्तीय साधन अधिक गतिशील बनाए जाएं, इसके लिए आवश्यक है कि इनकी कुण्डलता का स्तर ऊँचा हो, ये प्रयत्ने पैरों पर खड़े हो और योजनाओं के लिए दुर्बल साधन जुटाने की हाई से इन्हे उचित लाभ प्राप्त हो। यह उत्साहवर्द्धक बात है कि पिछले कुछ समय से सरकार सार्वजनिक उपकरणों के प्रति विशेष रूप से जागरूक हो गई है। वेन्ट्रीय सरकार के वाणिज्यिक उपकरणों द्वारा अधिक लाभ कमाया जाने लगा है। आधिक समीक्षा 1975-76 के अनुसार, 1974-75 में कुल 121 चालू उपकरणों के प्रबलंग सम्बन्धी परिणामों से कुल मिलाकर 312 करोड़ रुपये के कर की अदायगी से पूर्व निवल लाभ हुआ है। यह लाभ 1973-74 में 114 चालू उपकरणों द्वारा प्राप्त 148.7 करोड़ रुपये के लाभ को रकम से दगुनी रकम से भी अधिक है। लाभ कमाने वाले उपकरणों की संख्या 82 थी। उन्होंने कुल मिलाकर 451 करोड़ रुपये का वास्तविक लाभ कमाया, घाटे में चलने वाले उपकरणों की संख्या 39 थी और उनको हुए कुल घाटे की रकम 139 करोड़ रुपये थी।

(iii) जनता से ऋण (Public Borrowings)—करों से प्राप्त आय और सार्वजनिक उपकरणों के अधिकार से आधिक विकास के लिए बनाई गई योजनाओं के सचालन के लिए आवश्यक राशि प्राप्त नहीं होने पर जनता से ऋण प्राप्त किए जाते हैं। इस प्रकार, योजनाओं की वित्त व्यवस्था में जनता से प्राप्त ऋणों की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, किन्तु योजनाओं की वित्त व्यवस्था हेतु ऋणों का उपयोग अरथन्त सोच विचार करके करना चाहिए, क्योंकि इनकी प्राप्ति के साथ ही इनकी व्याज सहित अदायगी का प्रश्न भी जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही प्रद्ध-विकसित देशों में आय और जीवन स्तर की निम्नता के कारण इस साधन द्वारा योजनाओं के लिए दूसी-सचय की बहुत अधिक सम्भावना नहीं होती, क्योंकि निर्धनता के कारण बचत वा अवसर बम होता है और वही हुई आय में भी उपभोग की प्रवृत्ति अधिक होने के कारण बचत कम होती है। धनिक वर्ग भी प्रतिष्ठा सम्बन्धी उपभोग पर बाधी व्यय करता है। साथ ही, आय तथा अवसर वो समानता में वृद्धि करने के लिए प्रयत्न किए जाते हैं। इससे विकासार्थ पर्याप्त बचत उपलब्ध नहीं होती है। प्रो. लेविस के अनुसार, “विकास सम्बन्धी विनियोजन के लिए उन्हीं अर्थव्यवस्थाओं में ऐच्छिक बचत उपलब्ध होती है जहाँ उद्यमियों का राष्ट्रीय आय में अधिक भाग होता है और उन तथा आय की समानता के प्रवर्तनों से यह भाग घटता जाता है। इन सभी कारणों से पिछड़े हुए देशों में जनता से प्राप्त ऋण या ऐच्छिक बचत आधिक नियोजन हेतु वित्त प्रदान करने में अधिक सहायक नहीं होती है।” किन्तु जनता को अधिकाधिक मात्रा में बचत करने को श्रोत्साहित करके इस साधन वा, विशेष रूप से, अहर बचतों को गतिशील बनाया जाना चाहिए। मुद्रा-प्रसारिक मूल्यों में वृद्धि को रोकने की हाई से यह उपभोग को प्रतिबन्धित करन वा भी अच्छा

उपर्युक्त है। इसीलिए, बैंक, जीवन-शीमा विभाग, डाक-विभाग, सहकारी सम्पाद्यों का विस्तार करके ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बचत की आदत को बढ़ाना चाहिए और इस बचत को ऋणों के रूप में प्राप्त कर लेना चाहिए। ये सार्वजनिक ऋण दो प्रकार के होते हैं प्रयम, अल्प बचत (Small Savings) और द्वितीय, बाजार-ऋण (Market Loans)। विवासार्थ नियोजन की वित्त-व्यवस्था हेतु इन दोनों ही साधनों को गतिशील बनाया जाना चाहिए।

भारत में योजनाओं के साधनों की गतिशील बनाने में सार्वजनिक ऋण के साधन का भी उपयोग किया गया है। देश के भीतर और विदेशों से लिए गए सार्वजनिक ऋण की राशियाँ इस प्रकार हैं—

भारत सरकार का सार्वजनिक ऋण¹

(करोड रु में)

विवरण	1950-51	1960-61	1965-66	1974-75 (समाप्ति)	1975-76 (बजट)
1 देश के भीतर ऋण					
(क) स्थाई ऋण					
(1) चालू ऋण	1,438 46	2,555 72	3,417 28	6,434 96	6,759 81
(2) प्रतिभूति बाण्ड	—	—	—	83 80	83 80
(3) इनामी बाण्ड	—	+15 63	11 35	1 04	0 94
(4) 15 वर्षीय बचत-					
पत्र	—	3 45	3 78	1 40	1 00
(5) बदायगी के					
दौरान के ऋण	6 49	22 73	33 72	54 19	54 19
योग—स्थानीय ऋण	1,444 95	2,597 53	3,466 13	6,575 39	6,899 74
(ख) चल ऋण					
(1) सरकारी					
हुण्डियाँ	358 02	1,106 29	1,611 82	4,709 43	5,165 51
(2) वित्त चल					
ऋण	212 60	274 18	340 70	733 36	732 36
(3) कोष जमा					
प्राप्तियाँ एवं					
अय चल ऋण	6 73	—	—	—	—
योग चल ऋण	577 35	1,380 47	1,952 52	5,442 79	5,897 87
योग देश के भीतर ऋण	2,022 30	3,978 00	5,418 65	1,2018 18	1,2797 61
2 विदेशी ऋण	3 2 0	760 96	2,590 62	6 419 26	7 031 95
योग सार्वजनिक ऋण	2 054 33	4,738 96	8 009 27	1 8437 44	1 9829 56

1 India 1976, p 155.

(iv) हीनार्थं प्रबन्धन (Deficit Financing)—योजना की वित्त-व्यवस्था के लिए जब उपरोक्त घोटों से पर्याप्त साधन मतिशील नहीं बनाए जा सकें तो सरकारे 'हीनार्थं-प्रबन्धन' का सहारा लेती है। सरकार के बजट में जब व्यय की जाने वाली राशि, आन्तरिक ऋण तथा विदेशी सहायता से प्राप्त राशि से कम हो जाती है, तो इस अन्तर को पूति मुद्रा विस्तार करके अर्थात् नोट छाप के द्वारा जाती है। इसे 'हीनार्थं-प्रबन्धन' या 'घाटे की अर्थ-व्यवस्था' कहते हैं। जब सरकार के बजट में घाटा होने पर वह देवदीय बैंक के अधिकारियों से कहणे ले जो इसकी पूति चलन में वृद्धि अर्थात् पत्र-मुद्रा छाप करके करे तो वह 'हीनार्थं प्रबन्धन' कहताता है। डॉ बी. के. आर. बी राव के अनुसार, "जब सरकार जान-वूँफ कर दिसी उद्देश्य से अपनी प्राप्त से अधिक व्यय करे जिससे देश में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो जाए, तो उसे 'घाटे की अर्थ-व्यवस्था' कहना चाहिए।" भूतकाल में 'हीनार्थं प्रबन्धन' का उपयोग युद्ध-काल में वित्तीय साधन जुटाने या मन्दी-काल में इसके उपचार-स्वरूप किया जाता था किन्तु आधुनिक युग में विकासार्थी नियोजन की वित्त-व्यवस्था हेतु इस प्रकार की निर्मित मुद्राओं का उपयोग किया जाता है। विकास के लिए प्रयत्नशील राष्ट्रों द्वारा की वित्तीय आवश्यकताएँ अधिक होती हैं। इन देशों में आन्तरिक बचत, कर, आय और विदेशी सहायता से प्राप्त साधन बहुधा एक और कम पड़ जाने हैं और घाटे की पूति हीनार्थं-प्रबन्धन द्वारा की जाती है। इससे जहाँ मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है। वहाँ दूसरी प्रारंभाओं को पौंजीगत बस्तुओं में लगाया जाता है जिससे सामान्यतः मूल्य-वृद्धि होती है और जनता अनुपात से कम उपभोग कर पाती है। घाटे द्वारा अर्थ-व्यवस्था बहुधा अन्तर्काल में मुद्रा-प्रसारिक प्रबृत्तियों को जन्म देती है। अत साधन का सहारा एक निश्चिन सीमा तक ही किया जाना चाहिए, अग्रण्य इससे मूल्य-वृद्धि होगी, जिससे योजनाओं की वित्त-व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। परिणामस्वरूप, मुद्रा स्वीकृति तक होती है, जबकि हीनार्थं प्रबन्धन द्वारा उत्पादन और बचतों में सीन्ह वृद्धि हो। साय ही, इसके लिए विनियन प्रकार के नियन्त्रण लगाए जाएं। इसीलिए भारतीय योजना-प्रयोग न यह अत व्यक्त किया है कि "नियन्त्रणों के बारे में हठ और स्पष्ट नीनि के अभाव में, और साय ही, समय की एक निश्चिन अवधि में इन नीनि के जारी रहने के अवश्यकता विना न केवल हीनार्थं-प्रबन्धन का क्षेत्र ही सीमित हो जाता है, अनियु सापेक्षिक रूप से बजट के अल्प घाटे से भी मुद्रा-प्रसारिक दबावों के उत्पन्न होने वा नियन्त्रण खतरा बना रहता है।"

बुद्ध अर्थशास्त्रियों के अनुसार हीनार्थं-प्रबन्धन या इसमें निहिन सास किस्तार में वित्तीय तथा नियोजन प्रस्तार सम्बन्धित है। जब कभी मुद्रा या सास का किस्तार होता है तो इसके लिए न केवल मुद्रा-चलन, मूल्य-मजदूरी आदि पर ही देवदीय नियन्त्रण होता है, बल्कि अन्य कई पहलुओं जैसे-उपभोग उत्पादन, प्रतिमूति-वाजार, बैंक-बैंलैंस आदि पर भी नियन्त्रण रखा जाता है। इसकी सफलता के लिए नियोजित पद्धतियाँ अपनाई जाती हैं। इसी प्रकार नियोजन में बुद्ध सीमा तक मुद्रा और सास विस्तार का अवस्थन अनियार्थ-सा है क्योंकि विकास की विनियन परियोजनाओं की

वित्त व्यवस्था अकेले अन्य साधनों से नहीं हो पाती, इसके लिए कुशल प्रशासनिक यन्त्र प्रणाली, विशेषज्ञ और ईमानदार व्यक्तियों द्वारा नियोजन तथा उचित नियोजन और नियन्त्रण आवश्यक हैं। यदि चलन यन्त्र की विस्तारवादी युक्ति को बुढ़िमता, कुशलता तथा सीमाओं में और आर्थिक प्रगति को दूर करने या सर्वांगीण विस्तारवादी अर्थव्यवस्था की आन्तरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने लिए सचालित किया जाए, तो कि अनुत्पादक सेनिक या सामाजिक व्यय पर नए रिया जाए तो परिणाम लाभदायक होगे अन्यथा इसके हानिकारक परिणाम हो सकते हैं।

भारतीय विकास योजनाओं में वित्त-व्यवस्था के लिए हीनार्थ-प्रबन्धन के साधनों का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय पचवर्षीय योजनाओं में हीनार्थ प्रबन्धन से प्राप्त वास्तविक वित्त व्यवस्था कमश 333 करोड रुपये, 954 करोड रुपये, और 1,133 करोड रुपये की रही। चतुर्थ योजना में हीनार्थ-प्रबन्धन की वित्त-राशि अन्तिम उपलब्ध अनुमानों के अनुसार, 2,060 करोड रुपये रही। चतुर्थ योजना में प्रारम्भ में 850 करोड रुपये की हीनार्थ-प्रबन्धन-राशि अनुमानित की गई थी, लेकिन यह 2,060 करोड रुपये तक इसलिए बढ़ी, क्योंकि बगलादेश के स्वतन्त्रता-संग्राम में भारत को सक्रिय योगदान देना पड़ा। सन् 1971 में भारत-पाक मुद्द हुआ, 1971-72 और 1972-73 में कृषि-उत्पादन निराशाजनक रहा, तेल के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में भारी बढ़ि हो गई। पांचवीं पचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में बजट घाटा 295 करोड रुपये का रहा, 1975-76 का सशोधित अनुमान 490 करोड रुपये रहा, जबकि बजट अनुमान 247 करोड रुपये का ही था, और अब 1976-77 के बजट में कुल घाटा 320 करोड रुपये का अनुमानित किया गया है। विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था में हीनार्थ-प्रबन्धन के साधन का स्थायमूर्ख आश्रय लिया जाना चाहिए। मुद्रा-मूर्ति उत्पादन-बृद्धि के अनुसार समायोजित होनी चाहिए। दुर्भाग्यवश भारत में ऐसा सम्भव नहीं हो सका है और हीनार्थ प्रबन्धन के फलस्वरूप मूल्यों में भारी बढ़ि हुई। विकासोन्मुख में अर्थ व्यवस्था में हीनार्थ-प्रबन्धन का अपना महत्व है किन्तु इसका आश्रय सीमित मात्रा में उचित नियन्त्रणों के साथ लिया जाना चाहिए। देश में व्याप्त मुद्रा-प्रसारित प्रवृत्तियों को दबाने के लिए हीनार्थ प्रबन्धन को न्यूनतम रखने के प्रयास अभी तक अधिकांशत असफल ही रहे हैं। भारत में, गत वर्षों के हीनार्थ-प्रबन्धन के दुष्परिणामों को देखते हुए अब इस व्यवस्था का आमामी वर्षों में कोई क्षेत्र नहीं है, लेकिन यह भी स्वीकार करना होगा कि हमारी विकासशील अर्थव्यवस्था में योजना के लिए साधनों की प्राप्ति की हृष्टि से और अर्थव्यवस्था को सक्रिय बनाने के लिए अभी हीनार्थ-प्रबन्धन के साधन से तुरन्त बच निकलना सम्भव नहीं है। यदि घाटे के वित्त-प्रबन्धन में अचानक ही भारी कटौती कर दी गई तो आशका है कि अर्थव्यवस्था में कुल मांग के घट जाने से निष्क्रियता की स्थिति (Recessionary Situation) पैदा हो जाएगी। यदि सरकार बहुत सावधानी और समय के साथ उपयुक्त समय पर, उपयुक्त मात्रा में हीनार्थ-प्रबन्धन का आश्रय कुछ समय तक लेती रहे तो साधनों को गतिशील बनाने की हृष्टि से यह उपाय कारगर सिद्ध हो सकता है। बाँधित उद्देश्यों को आघात न

लगे और जनता मूल्य बूढ़ि से परेशान न हो, इसीलिए ऐसे समुचित प्रशासनिक और आर्थिक कदम उठाने होंगे जिससे कृषिम मूल्य-बूढ़ि न हो सके और स्फीटिजनक दबाव कम हो जाए। निष्ठर्यंत “जिनका शोध धाटे की अर्थ व्यवस्था और मूल्य बूढ़ि चक्र रोका जाएगा, उतना ही हमारे स्वस्थ आर्थिक विकास के लिए बह्याणकारी होगा।”

बचत और विकास : भारत में राष्ट्रीय बचत आन्दोलन

बचत से व्यक्ति, समाज और राष्ट्र वा कल्याण होता है। बचत पौंजी-निर्माण का सर्वोत्तम साधन है, जिससे देश प्रगति के पथ पर तीव्रता से बढ़ाना है और जन-साधारण का जीवन-स्तर केंच उठाता है। बचत द्वारा हम विकासशील अर्थव्यवस्था से उत्पन्न महंगाई पर अकुश लगा सकते हैं। बचत भी एक खर्च है, जिसे सरकार, व्यापारी तथा अन्य कोई व्यक्ति करता है। बचत की घनराशि किसी कार्य विशेष के लिए व्यय की जाती है। व्यक्ति और व्यापारी समुदाय जो बचाते हैं, वही सरकार की बचत है। सरकार के बचत विभागों द्वारा बचाई गई रकम भी इसी शेर्ही में आती है। भारत में सरकार ने बचत प्रवृत्ति दो प्रोत्साहन देने के प्रचुर प्रयास किए हैं, इसी कारण देश में राष्ट्रीय बचत आन्दोलन सफलता के साथ आगे बढ़ा है।

एक अध्ययन के अनुसार भारत में प्रथम घन्तव्यपूर्ण योजना में बचत दर 8.6% थी, जो द्वितीय योजना में बढ़कर 9.9% हो गई। तिन्तु तृतीय योजना में यह घटकर 8% रह गई और चतुर्थ योजना में बढ़कर किर 10% हो गई। इस समय बचत दर 11% है। गत 20 वर्षों में औसत, व्यक्तिगत और सरकारी बचत 13.6% थी।¹ बस्तुतः, चतुर्थ योजना में राष्ट्रीय बचत जुटाने के कार्य को उल्लेखनीय सफलता मिली। चतुर्थ योजना के दौरान राष्ट्रीय बचत में 1,385 करोड़ रुपये जुटाए गए जबकि लक्ष्य केवल 1,000 करोड़ रुपये के एकत्रित करने का था। राष्ट्रीय बचत को दिशा में यह बात अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि कुल बचत में व्यक्तिगत बचत का योग, जो 1972-73 में 49% था, 1973-74 में 56% और 1974-75 में 62% हो गया।²

देश में आपादृ-स्थिति और समाज के कमजोर वर्गों की स्थिति सुधारने के लिए आर्थिक विकास के 20 सूची कायक्रम की घोषणा के बाद एक नया बातावरण बना है, जो अल्प बचत द्वारा देश के आन्तरिक साधन जुटाने हेतु अत्यन्त अनुकूल है। अल्प बचत करने वालों के लिए योजनाएँ

भारत सरकार ने अल्प बचत योजनाएँ प्रमुख रूप से अस्पष्ट बचत करने वाले लोगों—जैसे छोटे किसानों, कारखाना मजदूरों, सामाजिक परिवारों की गृहणियों और ऐसे ही अन्य लोगों के लिए बनाई है। राष्ट्रीय बचत संगठन, जो विभिन्न बचत योजनाओं का सचालन करता है, आम आदमी की बचत जा सचय करता है और

1. योजना 7 व 22 दिसम्बर 1975, पृष्ठ 26

2. भारत सरकार, राष्ट्रीय बचत, तब्दील 1975

उन्हे 1,16,800 डाकघरों के माध्यम से, जिनमें 90% देहाती लोगों में है, इनटूट करता है।

ये बचत योजनाएँ समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों की आवश्यकताएँ पूरी करती है। इनमें सर्वप्रथम डाकघर बचत योजना है, जो सन् 1834 में सरकारी बचत बैंक के रूप में शुरू हुई थी। इन वर्षों के दौरान बचत बैंक की जमा में तिरन्तर वृद्धि होती है और इस समय बचत बैंक में जमा-राशि 1,274 करोड़ रु है तथापि बास्तव में वह जनता का बैंक है, क्योंकि यहाँ 5 रु की अल्प-राशि से बैंक खाता खोला जा सकता है और बाद में। इसकी राशि नकद जमा कराई जा सकती है।

परम्परा से ही डाकघर-बचत बैंक का व्याज प्राप्तकर से मुक्त है। कर-दाताओं को अल्प बचत में धन लगाने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन देने के लिए अधिक व्याज देने वाली (10.25% प्रति वर्ष) कर-योग्य सिक्युरिटिमार्फ हैं। इन सभी बचत योजनाओं पर वाणिज्य बैंकों द्वारा भी जाने वाली दरों पर व्याज दिया जाता है। सेकिन इन पर कुछ अतिरिक्त रियापत्र दी जाती हैं। जैसे—कर-मुक्त व्याज, अधिक कर से मुक्ति, आय कर से मुक्ति और सामाजिक सुरक्षा।

इस समय डाकघर बचत बैंक के अतिरिक्त अल्प बचत करने वालों के लिए दस और योजनाएँ हैं। इनमें से उन लोगों के लिए हैं जो एक साथ राशि जमा करना चाहते हैं, और 1, 2, 3, 4, 5 और 7 वर्ष बाद उसकी वापसी चाहते हैं। दो योजनाएँ मासिक बचत करने वालों के लिए हैं, जो प्रत्येक महीने नियत राशि जमा करते हैं और निश्चित अवधि के पश्चात् आवर्यक व्याज राशि वापस पात है। इसके अतिरिक्त एक लोक भविष्य निधि योजना भी है। यह योजना स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया के माध्यम से चलाई जाती है। यह योजना अपना स्वतंत्र कारोबार करने वाले लोगों, जैसे—डाकघरों, वसीलों और छोटे व्यापारियों के लिए है। 1975 के अन्त से व्यापिक बचत पर्यों की एक अन्य योजना शुरू की गई है। यह योजना उन लोगों के लिए है, जो इस राम्र एकमुश्त राशि जमा करना चाहते हैं और कुछ वर्षों के पश्चात् मासिक भुगतान चाहते हैं।

बचत वृद्धि

योजना आयोग ने यह अनुभव करके कि, अल्प बचत द्वारा काफी साधन जुटाए जा सकते हैं, प्रथम योजना में अल्प बचत के लिए 255 करोड़ रु का लक्ष्य निर्धारित किया गया। अल्प बचत सञ्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए गए—जैसे नए बचत-पत्रों की विक्री, राज्यवार लक्ष्य निर्धारित करना, एजेंसी सिस्टम की पुनः शुरूआत आदि। प्रथम योजनावधि में कुल मिलाकर 242 करोड़ रु अल्प बचत में एकवट किए गए, जबकि लक्ष्य 225 करोड़ रु का था। यह राशि अल्प बचत में प्रथम योजनावधि में जमा कुल राशि में से इसी अवधि में निकाली गई राशि घटाकर

निकलती है। द्वितीय योजना में अल्प बचत में 400 करोड़ रु, तृतीय योजना में 575 करोड़ रु और चतुर्थ योजना में 1,385 करोड़ रु एकत्र किए गए, जबकि द्वितीय योजना में 500 करोड़ रु तृतीय में 600 करोड़ रु और चतुर्थ योजना में 1,000 करोड़ रु एकत्र करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

अल्प बचत में 31 मार्च, 1975 को कुल मिलाकर सम्भग 3,600 करोड़ रु जमा थे। यह राशि वर्तमान सरकारी (भारत सरकार के) बजार न्हण में, 6,435 करोड़ रु के आवे स अधिक है और भारत सरकार के भविष्य निषि खाते में जमा 1,291 करोड़ रु की सम्भग तीन गुनी है।

कुछ नई योजनाएं

अल्प बचत आन्दोलन की एक सामाजिक-आधिक विचारधारा है। इस प्रादोलन ने सर्वेया जनता का समर्थन पाने पर जोर दिया गया है और इसके लिए जनता को हमेशा यह समझाने का प्रयत्न किया गया है कि निजी और राष्ट्रीय दोनों दृष्टिकोण से बचत से क्या लाभ है, इस बात को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय बचत संगठन ने अनेक नई योजनाएं आरम्भ की हैं और अल्प बचत में पूँजी लगाने वालों को अतिरिक्त प्रो-साहून दिया है। प्रमुख योजनाओं के नाम निम्नलिखित हैं—वेतन फ्रारा बचत योजना, भहिला प्रधान बचत योजना, सचिया, ग्रामीण डाकघरों के छाँच पोस्टपास्टर एवं प्रूनिट ट्रस्ट। राष्ट्रीय बचत योजनाओं को अधिक आकर्षक बनाने और सामाजिक सुरक्षा के साथ सम्बद्ध करने हेतु दो नई योजनाएं शुरू की गई हैं। प्रथम, सरक्षित बचत-योजना इसके अधीन पाँच वर्षीय आवर्ती जमा खाते में जमा की गई 20 रुपय प्रति महीने तक की राशि सरक्षित है। यदि इस खाते में पैसा जमा करने वाला अक्षि दो वर्ष तक बिना पैसा निकाले अपनी जमा देता रहता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को तुरन्त ही खाते का कुल परिपक्व मूल्य दे दिया जाएगा। दूसरी योजना उन खातेदारों के लिए है, जो अपने बचत-बैंक खाते में कम से कम छ घंटे महीने तक 200 रुपये लगातार जमा रखते हैं। यह द्वा योजना है।

राज्य सरकारों के सहयोग से किसानों से सम्पर्क स्थापित करने हेतु विशेष अभियान चलाए गए हैं। किसानों के पास फसल के दौरान अतिरिक्त पैसा होता है और अभियान फ्रारा उन्हे अपना यह पैसा आकर्षक अल्प बचत योजनाओं में लगाने के लिए तंयार करने का प्रयत्न किया जाता है। गभा, कपास आदि का दिक्रिय करने वाली सरकारी समितियों के साथ यह अवस्था की गई है कि वे किसानों को दी जाने वाली राशि में से अल्प बचत के लिए उनके हिस्से की राशि काट लें। राष्ट्रीय बचत संगठन इस बात का भी प्रयत्न करता है कि कारखाना मजदूर अपने बोनस वी राशि अद्यता बकाया वेतन की राशि का कुछ हिस्सा अल्प बचत में लगाए।

अल्प बचत योजनाओं के अधीन जमा की गई राशि का अधिकौश हिस्सा राज्य सरकारों को विकास योजनाओं को लागू करने के लिए दीर्घावधि ऋण के रूप

में दिया जाता है। राज्यों को अल्प बचत में प्रधिक धन जुटाने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दिए जाते हैं।

पांचवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय बचत समठन, बचत करने वाले व्यक्तियों की सख्ता, जनसख्ता के 7% से बढ़ाकर 15% बरने का प्रयत्न करेगा। साथ ही चेतन से बचत करने वाले समूहों की सख्ता भी रोजगार प्राप्त व्यक्तियों के 20% से बढ़ाकर 40% करने का प्रयत्न किया जाएगा। महिला बचत योजना कार्यवित्तमों की सख्ता 4 हजार से बढ़ाकर 10,000 कर दी जाएगी। साथ ही, देश के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययन करने वाले एक तिहाई छात्रों को सचिविका बचत बैंक योजना के अधीन ले लिया जाएगा।

बचत आदीलत की सफलता जनता के समर्थन पर निर्भर करती है। पिछले कार्य को देखते हुए उपर्युक्त भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त करना और पांचवीं योजना के लिए निश्चित 1,850 करोड़ रु. जुटाना पूर्वरूप से सम्भव प्रतीत होता है।

9

उपभोग-वस्तुओं और सम्बन्धी- वस्तुओं के लिए माँग के अनुमान, आदा-प्रदा चुणावों का उपयोग

(Demand Projections for Consumption Goods and Intermediate Goods, the Use of Input-Output Co-efficients)

किसी भी देश की आर्थिक विकास योजना के लिए उस देश के साधनों तथा उपभोक्ता-वस्तुओं की बत्तमान तथा भावी स्थिति की जानकारी आवश्यक है। इसीलिए योजना-निर्माण से पूर्व साधनों तथा उपभोक्ता-वस्तुओं की माँग की समानता की जाती है। उपभोक्ता वस्तुओं की माँग को 'अन्तिम माँग' (Final Demand) तथा साधनों की माँग को 'व्युत्पन्न-माँग' (Derived Demand) कहा जाता है। जो वस्तुएँ अन्य वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त होती हैं उनको सम्बन्धी वस्तुएँ (Intermediate Goods) तथा जिनका अन्तिम प्रयोग (Final use) उत्पादन के लिए न होकर उपभोग के रूप में होता है, उनको उपभोक्ता वस्तुएँ (Consumer Goods) कहा जाता है।

मध्यवर्ती वस्तुओं से सम्बन्धित मध्यवर्ती माँग को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है—(1) प्रारम्भिक आवादन (Primary input) अथवा थम की माँग तथा (2) अन्तिम उत्पादन में प्रयुक्त वस्तुओं की माँग। उपभोक्ता-वस्तुओं की माँग का अनुमान आय लोच के प्राधार पर लगाया जाता है तथा थम की माँग व मध्यवर्ती वस्तुओं की माँग की समानता आदा-प्रदा तकनीकी (Input-Output Technique) द्वारा की जाती है।

आय-लोच द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं की माँग के अनुमान
(Demand Projections of Consumer Goods)

आय लोच की सहायता से कुल माँग के अनुमान अप्रीकित से प्रकार लगाते जाते हैं—

मान लीजिए भोजन और वस्त्र की आय लोच क्रमशः ६ व १५ दी हूई है। यदि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि-दर 10% हो तो, आय-लोच के प्राधार पर भोजन की माँग में $6 \times 10 = 6\%$ तथा वस्त्र की माँग में, $15 \times 10 = 15\%$ वृद्धि होगी।

इस प्रकार, प्रति व्यक्ति आय-वृद्धि तथा आय-लोच दी हुई हो तो, प्रत्येक वस्तु की मांग को आंका जा सकता है तथा सब वस्तुओं के मांग के योग द्वारा कुल मांग की समाप्ति की जा सकती है।

अर्थव्यंति लेविस ने एक दस वर्षीय कल्पित आर्थिक योजना का उदाहरण लेते हुए मांग के अनुमानों की समष्टि समाप्ति (Macro Exercise) प्रस्तुत की है। इन्होंने मांग के अनुमानों के लिए मुख्यतः तीन तत्त्वों का उल्लेख किया है—
 (1) जनसंख्या, (2) उपभोग व्यय में प्रति व्यक्ति वृद्धि का तत्त्व तथा (3) उपभोक्ता की हृचि में परिवर्तन का तत्त्व। इनके अनुसार संबंधित मांग के अनुमानों के लिए प्रारम्भिक वर्ष (Year 0) के उपभोग को जनसंख्या वाले वृद्धि तत्त्व से गुणा करना चाहिए, पौर इसके पश्चात् गुणनफल को प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि वाले तत्त्व से और अन्य में उपभोक्ता की हृचि में होने वाले परिवर्तन सम्बन्धी तत्त्व से गुणा करना चाहिए। इसे निम्नलिखित सारणी द्वारा स्पष्ट किया गया है—

	Year 0	आय-लोच	Year 10
खाद्य वस्तुएँ	200	.5	266
पशुओं से प्राप्त वस्तुएँ	100	1.2	144
स्थानीय निर्मित वस्तुएँ	30	1.1	43
निर्माण प्रक्रिया के अन्तर्गत वस्तुएँ	70	1.2	101
अन्य निर्मित वस्तुएँ	48	1.5	71

(a) जनसंख्या वृद्धि-दर 2.3% प्रति वर्ष है। इसीलिए पूरे 10 वर्ष के लिए जनसंख्या तत्त्व 1,256 है।

इसे निम्न सूत्र द्वारा निकाला गया है—

$$P_{10} = P_0 (1+r)^{10} \text{ अथवा } P_{10} = P_0 (1+0.023)^{10}$$

$$P_{10} = P_0 \times 1,256$$

(b) उपभोग-व्यय में प्रति व्यक्ति वृद्धि 11.9% होती है। इस तत्त्व में प्रत्येक वस्तु की आय-लोच का प्रयोग किया जाता चाहिए।

(c) हृचि में परिवर्तन तीसरा गुणक तत्त्व है जो जनसंख्या वृद्धि अथवा मांग प्रवृत्ति से प्रभावित नहीं होता। केवल हृचि में परिवर्तन के कारण नहीं वस्तुएँ, पुरानी वस्तुओं का स्थान लेने लगती हैं।

उक्त तीनों गुणक तत्त्वों का प्रयोग करते हुए 10वें वर्ष में खाद्य-सामग्री की मांग होगी, जबकि प्रारम्भिक मांग 200 है—

$$(200) (1,256) (1.0 + 119 \times .5) = 266$$

इसी प्रकार उक्त सारणी में प्रदर्शित अन्य वस्तुओं की मांग को निम्न प्रकार जात किया जा सकता है—

पशुओं द्वारा प्राप्त वस्तुओं की मांग—

$$(100) (1,256) (1.0 + 119 \times 1.2) = 144$$

स्थानीय निर्मित वस्तुओं की मांग—

$$(30) (1256) (10 + 119 \times 1.1) = 43$$

निर्मित प्रक्रिया के अन्तर्गत वस्तुओं की मांग—

$$(70) (1256) (10 + 119 \times 1.2) = 101$$

अन्य निर्मित वस्तुओं की मांग—

$$(48) (1256) (10 + 119 \times 1.5) = 71$$

मध्यवर्ती वस्तुओं (Intermediate Goods) तथा अम की मांग व कुल उत्पादन की संगलेना व आदा-प्रदा तकनीकी के आधार पर की जाती है।

आदा-प्रदा तकनीकी

(Input-Output Technique)

आदा प्रदा तकनीकी उत्पादन का एक रेखीय स्थायी गुणांक मॉडल (A Linear Fixed Coefficient Model) है। इस मॉडल के प्रवर्तन प्रो लियनटिक थे।

इसपात उद्योग का उत्पादन अनेक उद्योगों में आदा (Input) के रूप में प्रयुक्त होता है। इसलिए उत्पादन का सही स्तर तभी मालूम हो सकेगा, जबकि सभी n उद्योगों के लिए आवश्यक आदा (Inputs) की आवश्यक मात्राएँ जात हो। अनेक अन्य औद्योगिक उत्पादन भी स्वय इसपात उद्योग के लिए आदा के रूप में प्रयुक्त होगा। परियामत भन्य वस्तु के उत्पादन के उचित स्तर आंशिक रूप से इसपात उद्योग की आदा सम्बन्धी आवश्यकताओं पर निर्भर करेगा। अन्न उद्योग निर्भरता की इटि से n उद्योगों के उत्पादन का उचित स्तर वह होता है जो अन्य व्यवस्था की समस्त आदा आवश्यकताओं (Input Requirements) के अनुकूल (Consistent) हो।

अत दृष्टि है कि उत्पादन नियोजन में आदा प्रदा विशेषण का प्रमुख स्थान है। किसी भी देश के आर्थिक विकास की योजना अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा के कार्यक्रमों में इस विधि का प्रयोग किया जाता है।

यदि विशिष्ट रूप से देखा जाए तो इस पद्धति को सामान्य सन्तुलन विशेषण का प्रकार नहीं कहा जा सकता। यद्यपि इस मॉडल में विभिन्न उद्योगों की पारस्परिक अन्त निर्भरता पर बल दिया जाता है तथापि तकनीकी भाषा में उत्पादन के सही स्तर वे होते हैं जो वाजाह मनुकन की शर्तों को पूरा करने की अपेक्षा तकनीकी आदा-प्रदा सम्बन्धों को सन्तुष्ट करते हैं।

आदा-प्रदा मॉडल का ढाँचा¹

इस प्रणाली में सम्पूर्ण ग्रंथंवस्था में n उद्योगों की कल्पना की जाती है। प्रत्येक उत्पादक इकाई एक ही वस्तु का उत्पादन करती है। उस वस्तु के उत्पादक की J^{th} इकाई के लिए आदा की एक निश्चित मात्रा प्रयोग में आती है, जिसे ' a_{ij} ' द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। चूंकि मॉडल एक रेखीय है इसलिए J^{th} उत्पादन की J^{th} मात्रा के लिए J^{th} आदा की a_{ij} x_j मात्रा आवश्यक होगी।

इस मॉडल में उत्पादन के स्थिर गुणांक होते हैं इसलिए आदाओं के मध्य कोई प्रतिस्थापन नहीं होता अतः x_j उत्पादन के लिए संदर्भ $a_{ij} x_j$ मात्रा ;th आदा की मात्रा आवश्यक होगी तथा k^{th} आदा की $a_{kj} x_j$ मात्रा आवश्यक होगी। इस प्रकार के मॉडल को ही आदा-प्रदा मॉडल कहते हैं। a_{ij} को आदा-गुणांक (Input Coefficient) कहते हैं तथा $[a_{ij}]$ मैट्रिक्स (Matrix) को आदा-मैट्रिक्स कहते हैं। आदा-प्रदा के निम्नलिखित दो मॉडल होते हैं—

(1) बन्द मॉडल (Closed Model)

(2) खुला मॉडल (Open Model)

यदि आदा-प्रदा के मॉडल में आदा वस्तुओं का समूह पूर्ण प्रणाली में केवल एक बार ही प्रकट होता है तथा जिसे अन्य ऐसी वस्तुओं के समूह से जाना जाता है, जो अन्तिम उत्पादन के रूप में भी एक ही बार प्रकट होते हैं और वर्तमान उत्पादन के अतिरिक्त आदाओं का कोई अन्य स्रोत नहीं होता और अन्तिम उत्पादन का भी आदाओं के अतिरिक्त कोई अन्य उपयोग नहीं होता, तो इन विशेषताओं वाले मॉडल को बन्द मॉडल (Closed Model) कहते हैं।

खुला मॉडल (Open Model) सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था का मॉडल होता है जिसमें निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं—

(i) n वस्तुओं का उत्पादन-क्षेत्र जहाँ एक और अन्तिम वस्तुओं के उत्पादन को प्रकट करता है, साथ ही उत्पादन-क्षेत्र के लिए आवश्यक आदाओं का भी प्रतीक होता है (Production Sector of n output which are also inputs within the Sector)।

(ii) एक ऐसा अतिरिक्त आदा जो किसी भी उत्पादन-किया जिसका उत्पादन क्षेत्र से सम्बन्ध होता है, प्रयोग में नहीं लिया जाता।

(iii) अन्तिम वस्तुओं की मांग आदाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात् भी बनी रहती है।

उत्पादन-क्षेत्र $n \times n$ आदा-मैट्रिक्स का होता है। मैट्रिक्स की यह प्रणाली अद्वैत-धनात्मक (Semi-positive) होती है तथा जिसका विघटन (Decomposition) सम्भव नहीं माना जाता है। ऐसी मैट्रिक्स के लिए A का प्रयोग किया जाएगा। X को भौतिक उत्पादन का वेक्टर (Vector) मानने पर AX आदा की आवश्यकताओं का वेक्टर (Vector) होगा तथा $X - AX = (I - A)X$ शुद्ध उत्पादन का वेक्टर कहलाएगा अर्थात् यह वेक्टर वस्तुओं दी उन मात्राओं को प्रकट करेगा जो उत्पादन-क्षेत्र के बाहर विक्षय हेतु उपलब्ध होती हैं। यह वेक्टर Value added की मात्रा को प्रकट करता है।

मान्यताएँ (Assumptions)

इस मॉडल की निम्नलिखित प्रमुख मान्यताएँ हैं—

(1) प्रत्येक उद्योग एक समलूप (Homogeneous) वस्तु का उत्पादन करता है।

- (2) आदा अनुपात (Input Ratio) स्थिर रहता है।
- (3) पैमाने के स्थिर प्रतिफल क्रियाशील रहते हैं।
- (4) यह उत्पादन-फलत एकरेखीय (Linear) है।
- (5) उत्पादित वस्तुओं का संयोग स्थिर (Fixed Product Mix) रहता है।

तथ्य की आदा (Inputs) एक निश्चित अनुपात में प्रयुक्त होते हैं, यह निम्नलिखित समीकरण द्वारा स्पष्ट होता है—

$$\frac{a_{ij}}{a_{kj}} = \frac{X_i}{X_k}$$

उक्त समीकरण में आदा-प्रदा अनुपातों को रखने से निम्नलिखित परिणाम प्राप्त होता है—

$$X_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} X_j + F_i \quad (i=1, 2, \dots, n)$$

जो एकरेखीय समीकरणों के मॉडल को प्रकट करता है जिसमें स्थिर गुणांक होते हैं तथा जो n उत्पादन प्रभावों के साथ एक दूसरे से सम्बन्धित होते हैं एवं अन्तिम मांग से भी सम्बन्धित होने हैं (F_1, \dots, F_n)।

एक n उद्योग वाली अर्थव्यवस्था के लिए आदा गुणांकों को A मैट्रिक्स के रूप में $A = [a_{ij}]$ निम्नलिखित प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है—

Output (अन्तिम उत्पादन)

आदा (input)					\overline{N}
	I	II	III	...	
I	a_{11}	a_{12}	a_{13}	a_{1n}
II	a_{21}	a_{22}	a_{23}	a_{2n}
III	a_{31}	a_{32}	a_{33}	a_{3n}
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
N	a_{n1}	a_{n2}	a_{n3}	a_{nn}

यदि कोई उद्योग अपने द्वारा उत्पादित वस्तु को आदा के रूप में प्रयुक्त नहीं करता है, तो मैट्रिक्स के मुख्य करण (Diagonal) पर आने वाले सभी तत्व (Elements) शून्य होते हैं।

आदा-प्रदा गुणांकों के उपयोग

(Uses of Input-Output Coefficient)

इन गुणांकों की सहायता से, यदि अन्तिम मांग का वेक्टर (Vector) दिया हुआ हो तो प्रत्येक क्षेत्र का कुल उत्पादन और कुल मूल्य-वृद्धि ज्ञात की जा सकती है। कुल उत्पादन की संगणना (Calculation of Gross Output)

आदा-प्रदा तकनीकी के आधार पर कुल उत्पादन की संगणना को निम्न प्रकार उदाहरण द्वारा समझाया गया है—दो उत्पादन क्षेत्र दिए हुए हैं—

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$$

दिया हुआ मांग बैंकटर $D = [{}^{40}]$ है। उक्त सूचनाओं से कुल उत्पादन निम्न प्रकार मेट्रिक्स इनवर्स (Inverse) करके ज्ञात किया गया है—

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} (I-A) = \begin{bmatrix} 8 & -4 \\ -1 & 5 \end{bmatrix}$$

Co factor Matrix

$$\begin{aligned} & 8(5) - (-4)(-1) \\ & -(-1)(-4) + 5(8) \\ & \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 4 & 8 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$Adj A$ = Transpose of Co Factor Matrix—

$$Adj A = \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 1 & 8 \end{bmatrix}$$

Inverse of Matrix

$$\frac{Adj}{D} = \frac{1}{36} \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 1 & 8 \end{bmatrix}$$

$$\text{अथवा} \begin{bmatrix} \frac{50}{36} & \frac{40}{36} \\ \frac{10}{36} & \frac{80}{36} \end{bmatrix}$$

$$\therefore \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{50}{36} & \frac{40}{36} \\ \frac{10}{36} & \frac{80}{36} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 60 \\ 40 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{50 \times 6}{36} & \frac{40 \times 41}{36} \\ \frac{10 \times 60}{36} & \frac{80 \times 40}{36} \end{bmatrix} = \frac{250}{3} + \frac{400}{9} = \frac{1150}{9}$$

$$\frac{50}{3} + \frac{800}{9} = \frac{950}{9}$$

इस प्रकार X_1 का कुल उत्पादन $= \frac{1150}{9}$ तथा X_2 का कुल उत्पादन

$\frac{950}{9}$ होगा X_1 कृषि क्षेत्र का उत्पादन प्रकट करता है तथा X_2 गंगर कृषि-क्षेत्र का उत्पादन प्रकट करता है।

मध्यवर्ती वस्तुओं की सगणना

(Calculation of Intermediate Goods)

मध्यवर्ती वस्तुओं की सगणना निम्न प्रकार की जाती है—

$$\begin{bmatrix} a_{11} & X_1 \\ a_{21} & X_2 \end{bmatrix} = \text{क्षेत्र I की मध्यवर्ती वस्तुएँ।}$$

$$\begin{bmatrix} a_{12} & X_2 \\ a_{22} & X_2 \end{bmatrix} = \text{क्षेत्र II की मध्यवर्ती वस्तुएँ।}$$

$$\text{अर्थवा } \cdot 2 \times \frac{1150}{9} = \frac{2300}{9}$$

$$\cdot 1 \times \frac{1150}{9} = \frac{1150}{9}$$

$$\frac{2300}{9} + \frac{1150}{9} = \frac{345}{9}$$

= क्षेत्र I की मध्यवर्ती वस्तुओं का कुल मूल्य

$$4 \times \frac{950}{9} = \frac{3800}{9}$$

$$5 \times \frac{950}{9} = \frac{4750}{9}$$

$$\frac{3800}{9} + \frac{475}{9} = \frac{855}{9}$$

= क्षेत्र II की मध्यवर्ती वस्तुओं का कुल मूल्य।

मध्यवर्ती वस्तुओं की सगणना बरने के पश्चात् अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र की शुद्ध मूल्य वृद्धि (Value added) ज्ञात भी जा सकती है। इस वृद्धि को ज्ञात करने के लिए कृपि क्षेत्र कुल उत्पादन में से मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य घटा दिया जाता है। उपरोक्त उदाहरण के क्षेत्र I व II की मूल्य-वृद्धि निम्नलिखित प्रकार निकाली जा सकती है—

$$\therefore \text{क्षेत्र I का कुल उत्पादन} = \frac{1150}{9}$$

$$\therefore \text{I की मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य} = \frac{345}{9}$$

$$\therefore \text{क्षेत्र I की शुद्ध मूल्य वृद्धि} = \frac{1150}{9} - \frac{345}{9} = \frac{805}{9}$$

$$\text{इसी प्रकार क्षेत्र II की शुद्ध मूल्य वृद्धि} = \frac{950}{9} - \frac{855}{9} = \frac{95}{9}$$

ज्ञात की जा सकती है।

प्राथमिक आदा (Primary Input) या शर्म की मात्रा ज्ञात करना सुले मॉडल बाले क्षेत्र में आदा गुणों के प्रत्येक खाने में तत्त्वों (Elements) का योग एक से लागत (Partial Input Cost) प्रदर्शित करता है, जिसमें प्राथमिक आदा (Primary Input) का मूल्य शामिल नहीं होता। अतः यदि योग एक से अधिक या एक के बराबर होता है, तो आर्थिक हित से उत्पादन लाभदायक नहीं माना जाता है। इस तथ्य को निम्न प्रकार प्रकट किया जा सकता है—

$$\sum_{i=1}^n a_{ij} < 1 \quad (j=1, 2, \dots, n)$$

चूंकि आदा की एक हपये लागत उत्पादन के समस्त साधनों के भुगतान करने में समाप्त हो जानी चाहिए, इसलिए कालम का योग एक हपये से जितना कम होता है, वह प्राथमिक आदा के मूल्य को प्रकट करता है। J^n वस्तु की एक इकाई के उत्पादन में लगने वाला प्राथमिक आदा का मूल्य निम्न प्रकार प्रकट किया जा सकता है—

$$1 - \sum_{l=1}^n a_{1l}$$

निम्नलिखित उदाहरण द्वारा इसे ज्ञात किया जा सकता है—

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 4 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}^4$$

इस मैट्रिक्स से उक्त विधि के द्वारा प्रत्येक क्षेत्र का कुल उत्पादन ज्ञात किया जा सकता है, जो निम्नलिखित है, X_1 अथवा क्षेत्र I का कुल उत्पादन = 24 84, X_2 अथवा क्षेत्र II का कुल उत्पादन = 20 68 तथा क्षेत्र III का कुल उत्पादन = 18 36 होगा। इसके पश्चात् मैट्रिक्स के कॉलमों का योग किया जाता है तथा योग को एक में से घटाकर प्राथमिक आदा का गुणांक ज्ञात कर लिया जाता है। इस गुणांक से क्षेत्रीय उत्पादन को जब गुणा किया जाता है तो प्राथमिक आदा का मूल्य ज्ञात हो जाता है। उक्त मैट्रिक्स के अनुसार प्राथमिक आदा के गुणांक होग—

$$1 - \sum_{l=1}^n a_{1l} = 3 \ 3 \ 4$$

[प्रथम कॉलम का योग $2+4+1=7$ जिसे एक में से घटाने पर 3 शेष रहता है। इसी प्रकार, कॉलम दो व कॉलम तीन के अक 3 व 4 निकाले गए हैं।]

क्षेत्र I = $3 \times 24 84 = 7 452$ का प्राथमिक आदा मूल्य,

क्षेत्र II = $3 \times 20 68 = 6 204$ का प्राथमिक आदा मूल्य,

क्षेत्र III = $4 \times 18 36 = 7 344$ का प्राथमिक आदा मूल्य,

कुल प्राथमिक आदा मूल्य = $7 452 + 6 204 + 7 344 = 21 000$ होगा।

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि उत्पादन योजना में इस मॉडल का बहुत महत्व है। इसकी सहायता से अर्थ व्यवस्था के प्रत्येक उत्पादन-क्षेत्र का बुल उत्पादन कुल मूल्य-बूँदि व प्राथमिक आदा का मूल्य ज्ञात किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य भी ज्ञात किए जा सकते हैं।

10

उत्पादन-लक्ष्यों का निर्धारण

(Determination of Output Targets)

अद्वैतिक सित देशों में विकासार्थी नियोजन की सफलता के लिए कुछ पूर्व आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यक है। इसमें एक महत्वपूर्ण शर्त विश्वसनीय और पर्याप्त ग्रांकड़ों के साधारण पर उचित उत्पादन-लक्ष्यों का निर्धारण है। लक्ष्य निर्धारित करने का कार्य बहुत कुछ देश की आधारभूत नीतियों पर आधारित होता है। सर्वप्रथम, नियोजन-सम्बन्धी व्यापक नीतियाँ निर्धारित कर ली जाती हैं। इन व्यापक नीतियों के अनुरूप नियोजन के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। ये उद्देश्य, देश विशेष की परिस्थितियों, आवश्यकताओं, विभागाराओं, साधनों आदि को दृष्टि में रखते हुए सामाजिक, प्रार्थिक तथा राजनीतिक सरचना के सन्दर्भ में निर्धारित किए जाते हैं। विकास योजना के लिए निर्धारित इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्राथमिकताओं का निर्धारण किया जाता है और विभिन्न क्षेत्रों के लिए उत्पादन-लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं।

लक्ष्य-निर्धारण का महत्व—आर्थिक नियोजन का लक्ष्य दी हुई अवधि में देश के साधनों का अनुकूलतम उपयोग करके अधिकाधिक उत्पादन बढ़ा करना और देशवासियों के जीवन-स्तर को उच्च बनाना है। इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों में सर्वोमुखी विकास की आवश्यकता होती है किन्तु किसी भी देश के साधन, विशेष रूप से अद्वैतिक सित देशों वे, सीमित होते हैं। अत इन साधनों का विवेकपूर्ण उपयोग आवश्यक है। इनके प्रभाव में अधिकतम उत्पादन और अधिकतम सामाजिक लाभ सम्भव न होगा। वस्तुत, साधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को ही 'प्रार्थिक नियोजन' कहते हैं। अत यह आवश्यक है कि उन कार्यक्रमों को पहले पूरा किया जाए जो देश की सुरक्षा के लिए जहरी हैं या जो धन्य प्रकार से आवश्यक है या जिनसे आगे द्रुत आर्थिक विकास करने में बहुत योगदान मिल सकता है। इसीलिए, आर्थिक नियोजन में पहले प्राथमिकताओं (Priorities) का निर्धारण कर लिया जाता है तथा उन प्राथमिकताओं के अनुसार, विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन लक्ष्य (Targets of Output) निर्धारित किए जाते हैं। लक्ष्य निर्धारित करने पर ही

उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न किए जाते हैं। यही कारण है कि योजनाओं में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन—लक्ष्य निर्धारित कर लिए जाते हैं। इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए ही, नियोजन में प्रयत्न किए जाते हैं और नियोजन की सफलता भी इन लक्ष्यों की पूर्ति से ही आकी जाती है। नियोजन के लक्ष्य व्यापक और विषयगत होते हैं। इन लक्ष्यों की पूर्ति के आधार पर नियोजन की सफलता का मूल्यांकन भी पूर्ण नहीं हो सकता। किन्तु नियोजन के लक्ष्य भौतिक रूप में निर्धारित किए जाते हैं जिसके पूर्ण होने या न होने का अवेक्षाकृत सही मूल्यांकन किया जा सकता है।

लक्ष्य-निर्धारण की विधि—अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए सक्ष्य-निर्धारण का कार्य विभिन्न मन्त्रालयों और संगठनों से लिए गए विशेषज्ञों के कार्यशील समूहों (Working Groups) द्वारा किया जाता है। लक्ष्य-निर्धारण समग्र नियोजन के व्यापक उद्देश्यों और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए ग्रावियर की साधनों की उपलब्धि को भी ध्यान में रखा जाता है। लक्ष्यों के निर्धारण में इन कार्यशील दलों को योजना आयोग के द्वारा समय-समय पर पथ प्रदर्शन और निर्देशन भी निलंता रहता है। लक्ष्य-निर्धारण में समर्छित जनसत्त (Organised Public Opinion) पर भी ध्यान दिया जाता है और उसे भी इसमें भागीदार और उत्तरदायी बनाया जाता है। निर्धारित लक्ष्यों पर आधारित योजना को, प्रसगति (Inconsistency) से बचाने के लिए योजना आयोग, विभिन्न प्रकार से जांच करता है। इसके पश्चात् ही योजना को अपनाया जाता है। असमति होने पर अर्थव्यवस्थाओं में अन्तर्राष्ट्रीय असंतुलन (Inter-Sectoral Imbalances) उत्पन्न हो सकते हैं। उत्पादन के ये लक्ष्य सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र, प्रत्येक उद्योग, प्रत्येक परियोजना एवं उत्पादन इकाई के लिए निश्चित किए जा सकते हैं।

विभिन्न विशेषणों पर आधारित—लक्ष्य-निर्धारण में मात्रात्मक दृष्टिकोण से विभिन्न लक्ष्य सम्मिलित होते हैं उदाहरणार्थ, इतने अधिक भिलियन टन खाद्यान्न, इस्पात, उर्वरक, ईंधन, सीमेन्ट आदि का उत्पादन अमुक मात्रा में किलोवाट विजली की नवीन क्षमता का सृजन, इतनी अधिक धील लम्बी रेलवे लाइनों और सड़कों का निर्माण, इतनी अधिक प्रशिक्षण और जिक्षण सत्याओं की स्थापना, राष्ट्रीय आय में अमुक मात्रा में बढ़ि आदि। शो के घोप के अनुसार—“इस प्रकार के लक्ष्य न केवल सरकारी उपक्रमों के लिए ही निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है, बल्कि कम से कम वडों निजी फर्मों के लिए भी निर्धारित किए जाने चाहिए, ताकि कम पूर्ति वाले पदार्थ वांछित उद्देश्यों के लिए ही उपयोग में लाए जा सकें।”¹

डब्ल्यू ए. लेविस के अनुसार, निझी-क्षेत्र के लिए लक्ष्य-निर्धारण में “बाजार और मूल्यों का उन्हीं हिसाब और साँखियकीय तरफीयों से विशेषण किया जाना चाहिए, जिनको इस उद्देश्य से निजी फर्मों अपनाती है। इसके अतिरिक्त जहाँ

1. O. K. Ghosh : Problems of Economic Planning in India, p. 61.

कही अर्थव्यवस्था को समग्र रूप से लाभ या हानि, निजी कर्मों की अपेक्षा अधिक या कम होने की सम्भावना हो, वहाँ आवश्यक समायोजन किया जाना चाहिए।” प्रत्येक उद्योग के सम्बन्ध में ग्रलग-ग्रलग ऐपा किया जाना चाहिए, प्रौद्योगिकी की जानी चाहिए कि प्रत्येक उद्योग के लिए लगाए गए अनुमान परस्पर और समग्र अर्थव्यवस्था के लिए लगाए अनुमान से सगत तो है। प्रत्येक उद्योग अन्य घरेलू उद्योगों से कुछ क्रय करता है। वह कुछ आवासित वस्तुएँ भी क्रय करता है। यह अन्य उद्योगों की अपनी वस्तुएँ बेचता भी है। इसके उत्पादन (Products) उपभोक्ताओं को बेचे भी जाते हैं और कुछ का निर्यात भी किया जा सकता है। यह उद्योग बबत भी करता है, कर भी चुकाता है और विनियोग भी करता है। प्रत्येक उद्योग के लिए निर्धारित उत्पत्ति का योग कुल निर्धारित उत्पत्ति के बराबर होना चाहिए। इसी प्रकार वी स्थिति प्रत्येक उद्योग के विनियोग, इसके उत्पादन का उपभोग, निर्यात और इसी प्रकार कई बातों के लिए होना चाहिए। आधेर लेविस के अनुसार, “लक्ष्यों की सगति की ओर का एकमात्र तरीका प्रत्येक उद्योग के लिए और सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए ‘Set of Inter-locking tables’ का निर्माण करना है। इसके लिए राष्ट्रीय आय और आदा-प्रदा (Input-Output) विधियों को काम में लाया जाता है।”

लक्ष्य निर्धारण में ध्यान देते योग्य बातें—योजना के विभिन्न लक्ष्य इस प्रकार से निर्धारित किए जाने चाहिए ताकि राष्ट्र के लिए उपलब्ध सभी साधनों का सर्वोत्तम उद्योग सम्बन्ध हो सके। योजना के लिए ये लक्ष्य निश्चित व्यापक उद्देश्यों और प्राथमिकताओं के अनुमान निर्धारित किए जाने चाहिए। वे परस्पर सम्बन्धित और सम्नुलित होने चाहिए। विभिन्न अनुपातों की गणना की जानी चाहिए एवं इन अनुपातों को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की विभिन्न शाखाओं में बनाए रहना चाहिए। इन्हे ‘समष्टि आर्थिक (Macro-Economic) अनुपात कहते हैं। अर्थव्यवस्था की इन विभिन्न शाखाओं में भी प्रत्येक पहलू के अधिक विस्तृत अनुपातों की बनाए रखना चाहिए। इन्हे अष्टि आर्थिक (Micro Economic) अनुपात कहते हैं। योजना के लक्ष्य समस्त अर्थव्यवस्था को एक इकाई मान कर निर्धारित किए जाने चाहिए। उत्पादन-लक्ष्य, त केवल वर्तमान आवश्यकताओं को, अपितु भावी और सम्भावित आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किए जाने चाहिए।

अर्थव्यवस्था में सम्नुलन बनाए रखने के लिए आढ़ी सम्नुलन-प्रणाली (Cross-wise balances) द्वारा कुल उत्पादन-नक्शों तथा कुल उपलब्ध साधनों जैसे जनशक्ति, वनिज पदार्थ, यातायात, शक्ति आदि के बीच सम्नुलन स्थापित किया जाना चाहिए। एक सम्नुलन उत्पादन-लक्ष्यों तथा उपलब्ध जनशक्ति के मध्य होना चाहिए। उपलब्ध थम शक्ति को तियोजित करने से जितता उत्पादन किया जा सकता है, यदि उत्पादन-लक्ष्य इससे उत्तम निर्धारित किए जाएंगे, तो जनशक्ति का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा सकेगा और वेरोजगारी फैलेगी। इसी प्रकार, यदि इसी बस्तु के उत्पादन लक्ष्य बहुत बड़ा या अधिक निर्धारित किए गए, तो उस बस्तु के

उत्पादन में प्रयुक्त कच्चे माल आदि का या तो पूरा उपयोग नहीं हो पाएगा या उनकी कमी पड़ जाएगी। उत्पादन-लक्ष्यों के निर्धारण में स्थानीयकरण सन्तुलन (Location Balance) और वित्तीय सन्तुलन (Financial Balance) भी स्थापित किए जाने चाहिए। वित्तीय साधनों की अपेक्षा भौतिक लक्ष्य अधिक ऊँचे निर्धारित किए गए तो वित्तीय साधनों के अभाव में अप्रयुक्त भौतिक साधन एकत्रित हो जाएंगे और अर्थव्यवस्था में बाधाएं उत्पन्न हो जाएंगी। इसके विपरीत, यदि उत्पादन-लक्ष्यों की अपेक्षाकृत वित्तीय साधनों को अधिक यतिशील बनाया गया तो मुद्रा-प्रसारिक प्रवृत्तियों को जन्म मिलेगा। इसके अतिरिक्त, अधोगमी-सन्तुलन (Backward Balances) भी स्थापित किया जाना चाहिए। इस प्रकार का सन्तुलन अन्तिम उत्पादनों (Finished Products) तथा इस अस्तु के उत्पादन के लिए आवश्यक विभिन्न वस्तुओं (Components) के मध्य सम्बन्धों को प्रबंध करता है। यदि नियोजन की अवधि में कुछ प्रतिशत से ट्रैक्टरों का उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य निश्चित करते हैं, तो ट्रैक्टरों के निर्माण के लिए आवश्यक आदा (Input) जैसे, लोहा एवं इस्पात, इंधन, शक्ति एवं अन्य पदार्थों का उत्पादन भी बढ़ाना होगा।

साथ ही, योजना के लक्ष्य यथार्थवादी होने चाहिए। वे इतने कम भी नहीं होने चाहिए जिनकी प्राप्ति बहुत आसानी से हो जाए और जिनके लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़े। यदि ऐसा होगा तो राष्ट्रीय शक्तियाँ विवासोनमुख नहीं हो पाएंगी। इसके अतिरिक्त लक्ष्य नीचे रखने से देश का आर्थिक-विकास तीव्रता से नहीं हो पाएगा और जनता का जीवन-स्तर ऊँचा नहीं हो पाएगा। इसलिए आर्थिक नियोजन के लक्ष्य बहुत अधिक नीचे नहीं रखने चाहिए, अपितु, ये कम महत्वाकांक्षी होने चाहिए। ऐसा होने पर ही देश के साधन और शक्तियाँ विकास के लिए प्रेरित होगी तथा द्रुत आर्थिक विकास होगा। देश को स्वयं-स्फूर्त अर्थव्यवस्था में पहुँचने के लिए अनुनतम आवश्यक प्रयत्न (Critical Minimum Efforts) करने होंगे। इसीलिए, उत्पादन-लक्ष्य ऊँचे रखे जाने चाहिए किन्तु वे इतने ऊँचे भी नहीं होने चाहिए, जो प्राप्त होने में बड़िन हो या जिन्हे प्राप्त करने में जनता को बहुत त्याग करना पड़े अथवा कठिनाईयाँ उठानी पड़ें। ये लक्ष्य न बहुत नीचे प्रोत्त न बहुत ऊँचे होने चाहिए। इनके निर्धारण में व्यावहारिक पहलू पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। निर्धारित किए गए लक्ष्य बेलोच नहीं होने चाहिए और इनमें परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार, परिवर्तन किए जाने की गुंजाइश होनी चाहिए।

भारतीय नियोजन में लक्ष्य-निर्धारण

भारत में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में लक्ष्य-निर्धारण का कार्य विभिन्न कार्यशील समूहों द्वारा किया जाता है। इन कार्यशील समूहों (Working Groups) के सदस्य विभिन्न मंत्रालयों और विशिष्ट सम्बन्धों से लिए गए विशेषज्ञ होते हैं। ये दल योजना आयोग द्वारा भेजे गए सुझावों, निर्देशों आदि के अनुसार लक्ष्य-निर्धारित करते हैं। इस कार्य में समिति जनमत पर भी ध्यान दिया जाता है। लक्ष्यों को

शम्भितम् रूप से स्वीकार करते के पूर्व इनकी समति (Consistency) की विभिन्न प्रकार से जाँच की जाती है।

कृपि-धेत्र में लक्षण-निर्धारण—कृपि धेत्र के लिए उत्पादन बृद्धि के लक्ष्य निर्धारित करते समय मुख्यतः दो बातों का ध्यान रखा जाता है—

- (i) योजनावधि में भोजन, ग्रोथोगिक कच्चे माल और नियतियों के लिए अनुमानित आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।
- (ii) जिन्हें प्राप्त करना व्यावहारिक रूप से सम्भव हो।

कृपि धेत्र में लक्षण-निर्धारण के कुछ प्रमुख तत्त्व हैं, जैसे—प्रशासनिक, तकनीकी तथा समुदाय स्तर पर सगठन, सत्त्व, विशेष रूप से मध्यम और दीर्घकालीन तथा उंचरक, कौटनाशक, कृपि यन्त्र आदि के लिए विदेशी विनियम आदि पर विचार किया जाता है। इन तत्त्वों की उत्पादन के अनुभार ही कृपि धेत्र में लक्ष्य-निर्धारित किए जाते हैं और इन तत्त्वों की कमी ही लक्ष्यों की सीमाएँ निर्धारित करती है। कृपि धेत्र के ये लक्ष्य कृपि सम्बन्धी विभिन्न कार्यों जैसे तिचित थोनफल, भूमि को कृपि योग्य बनाना, भूमि से भू संरक्षण कार्यक्रमों का सञ्चालन करना, सुधरे हुए बीजों का उत्पयोग, खाद और उंचरकों का उत्पादन एवं उत्पयोग, सुधरे हुए यन्त्रों और उपकरणों का उत्पयोग आदि के बारे में निर्धारित किए जाते हैं। कृपि के इन आवानों के अतिरिक्त कृपि धेत्र के उत्पादन सम्बन्धी लक्ष्य भी निर्धारित किए जाते हैं। उदाहरणार्थ, प्रमुख मात्रा में गेहूं, चावल, गन्ना, कपास, जूट, तिलहन, खाद्यान्न, दालें आदि का उत्पादन किया जावेगा। समस्त देश के बारे में इन लक्ष्यों को स्थानीय, प्रादेशिक और राज्य योजनाओं के लक्ष्यों के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

ग्रोथोगिक धेत्र में लक्ष्य निर्धारण—उद्योगों से सम्बन्धित लक्ष्य-निर्धारण में सबैप्रथम अर्थव्यवस्था के अन्य धोनों से उद्योगों के अनुभाव पर विचार किया जाता है। साथ ही, आधारभूत वस्तुओं, जैसे स्पात, सीमेन्ट, कोयला, रसायन आदि की मात्रा का अनुभाव समाया जाता है। प्रत्येक स्थिति में वर्तमान स्थिति पर विचार किया जाता है। इसमें देश में उत्पादन, आपात, पूँजीगत लागतें, कच्चे माल की उत्पादन, विदेशी-विनियम की आवश्यकता आदि पर विचार किया जाता है। आधारभूत उद्योगों के बारे में ही नहीं अपिनु, अन्य उद्योगों के बारे में भी इसी प्रकार वी बातों को ध्यान में रख कर लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। निझी-धेत्र में सबालित उद्योगों के लिए योग्यता आपात युक्त उत्पादक इकाइयों, उद्योग के प्रतिनिधियों वा प्रतिनिधि संस्थाओं से विचार-विमर्श करता है। इस प्रकार, व्यक्तिगत उद्योग और अन्य सभी उद्योगों के अन्तर्में लक्ष्य निर्धारित कर लिए जाते हैं। तत्परतावश इनमें पारस्परिक सम्बन्ध (Mutual Inter relationship) और मुख्य उद्योगों के आदाप्रदा (Input-output) के आधार पर समायोजन कर लिया जाता है। वई छोटे उपमोक्ता उद्योगों के लिए इस प्रकार के विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते,

प्रपितु प्रधिकांश उद्योगों के बारे में उत्पादन या स्थापित धमता के स्तर के बारे में योजना में जानकारी दे दी जाती है।

शक्ति एवं यातायात—शक्ति एवं यातायात के लक्ष्यों को कृषि और उद्योगों के विकास तथा उत्पादन के अनुमानों के आधार पर निश्चित किया जाता है। यह अनुमान लगाया जाता है कि कृषि और उद्योगों का किनाना विकास होगा और इनके लिए तथा उपभोग आदि के लिए कितनी शक्ति की आवश्यकता होगी। साथ ही, कृषि-उत्पन्न मण्डियों, उपभोक्ताओं तथा बन्दरगाहों तक पहुँचने के लिए कृषि आदानों (Agricultural Inputs) को कृपकों तक पहुँचाने के लिए तथा उद्योगों के लिए कच्चे माल को कारखानों में पहुँचाने, कारखानों से निमित माल बाजारों, उपभोक्ताओं तथा बन्दरगाहों तक पहुँचाने के लिए किस मात्रा में यातायात के साधनों की आवश्यकता होगी। इन अनुमानों के प्रनुमान योजना में यातायात के साधनों के विकास के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। शक्ति और यानायात के साधन सम्बन्धी लक्ष्यों को निर्धारित करने में एक बठिनाई यह होती है कि इन सुविधाओं की व्यवस्था इनकी आवश्यकता के पूर्व ही की जानी चाहिए, क्योंकि इनको भी पूरे होने में समय लगता है। किस्तु कृषि और उद्योगों के लक्ष्य योजना प्रक्रिया में बहुत बाद में प्रनिम रूप प्रदृष्ट करने हैं। अतः कृषि और उद्योगों के विकास की दीर्घकालीन योजना पूर्व ही तैयार होनी चाहिए जिसके आधार पर शक्ति और यातायात के लक्ष्य समय पर निर्धारित किए जा सक। भारत में इस प्रकार के दीर्घकालीन नियोजन के कारण ही भूकंकाल में शक्ति और यानायात के लक्ष्य उनकी मांग से पिछड़ गए हैं। इस कमी की पूर्ति के लिए भारतीय नियोजन में प्रयात किए गए हैं।

शिक्षा क्षेत्र में लक्ष्य निर्धारण—तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के प्रशिक्षण में अधिक समय लगता है। किसी अभियन्ता या चिकित्सक या कृषि विशेषज्ञ आदि को तैयार करने में कई बर्ष लग जाने हैं। अतः आगे आने वाली योजना के लिए वर्तमान योजना के प्रारम्भ में ही लक्ष्यों को निश्चित कर लिया जाता है। आगामी योजना में किनते कुशल श्रमिकों या तकनीकी कर्मचारियों अथवा विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ेगी। इन अनुमानों के प्रनुमान व्यक्तियों को तैयार करने के लिए वर्तमान योजना में लक्ष्य निर्धारित कर लिए जाते हैं। इसलिए भारत में योजना-आयोग कई बर्षों से जन शक्ति के दीर्घकालीन प्रशिक्षण के कार्यक्रम बनाता रहा है। मानव शक्ति पर अध्ययन अनुप्रवान के लिए व्यावहारिक जन-शक्ति अनुप्रवान संस्थान की दिल्ली में स्थापना भी गई है। विभिन्न प्रकार की जन-शक्ति की आवश्यकताओं के अनुमान लाए जाने हैं और तदनुसार प्रशिक्षण, शिक्षा आदि के कार्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं।

सामान्य शिक्षा-सम्बन्धी लक्ष्य निर्धारण में भारतीय संविधान और उसमें वर्णित नीति-निर्देशक तत्वों (Directives of State Policy) तथा उसमें समय-समय पर हुए सशाधनों को ध्यान में रखा जाता रहा है। इस सम्बन्ध में योजनाओं में लक्ष्यों का निर्धारण 6 से 11 वर्ष की आयु के समस्त बालकों को नियुक्त और

अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था सृतीय योजना के अन्त तक और 14 वर्ष तक की आयु के समस्त बालकों को अनिवार्य और नि-शुल्क शिक्षा की व्यवस्था चौथी या पांचवी योजना के अन्त तक करने के घेये और व्यापक निर्देशों के आधार पर किया जाता रहा है। इस व्यापक सक्षय के अनुरूप प्रत्येक योजना में प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय स्तरों का अध्यापकों को नियुक्त करने और शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर छात्रों को प्रविष्ट करने के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं।

स्वास्थ्य, आवास, सामाजिक कल्याण के लक्ष्य निर्धारण, इन सुविधाओं के लक्ष्य दीर्घकालीन हृष्टिकोण से विकसित की जाने वाली सुविधाओं पर विचार-विनियम के पश्चात् निर्धारित किए जाते हैं। भारत इन क्षेत्रों में बहुत पिछड़ा है और इन सुविधाओं में हेजी से बृद्धि की आवश्यकता है। किन्तु इन कार्यक्रमों को उनकी आवश्यकताओं की अपेक्षा बहुत कम राशि आवंटित की जाती है। परिणाम-स्वरूप इनके लक्ष्य कम ही निर्धारित होते रहे हैं।

अन्तिम लक्ष्य निर्धारण—इस प्रकार, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के अलग अलग उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं जिन्हे मिलाकर समग्र योजना का निर्माण किया जाता है। इन लक्ष्यों के आधार पर सम्पूर्ण योजना के लिए स्थिर और स्थिर पूँजी तथा विदेशी विनियम आवश्यकताओं का अनुभान लगाया जाता है। तत्पश्चात् इस बात पर विचार किया जाता है कि आन्तरिक और बाह्य स्तोतों से ये किस मात्रा में साधनों को गतिशील बनाना सम्भव है और कितने पूँजीगत साधन और विदेशी विनियम योजना के लिए उपलब्ध हो सकेंगे। इनकी उपलब्धि के सम्बंध में समस्त योजना या किसी विशेष क्षेत्र के लक्ष्यों के कम करने या बढ़ाने की गुजारी पर विचार किया जाता है। लक्ष्यों को अन्तिम रूप देने में रोजगार बृद्धि के अवसरों और आधारभूत कच्चे माल की उपलब्धि पर भी विचार किया जाता है। इन सब बातों पर विचार करने के पश्चात् योजना के लक्ष्य निर्धारण को अन्तिम रूप दिया जाता है।

लक्ष्य निर्धारण प्रक्रिया की कमियाँ—भारतीय योजनाओं के लिए लक्ष्य-निर्धारण प्रक्रिया में कई कमियाँ हैं। कई अर्थशास्त्रियों ने लक्ष्य-निर्धारण में और विभिन्न वित्तीय-गणनाओं की दूसरी योजनाओं की तकनीक और आधारों की आलोचना की है। योजना अध्येता ने बड़े-बड़े लक्ष्यों के बारे में तो विचार किया किन्तु विनियोग व्यय के प्राकृतिक विश्लेषण पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। इन लक्ष्यों का निर्धारण कई गलत और अपूर्ण मान्यताओं के आधार पर किया। लक्ष्य-निर्धारण में, यथार्थ पूँजी-उत्पादन अनुपात का उपयोग तड़ी किया गया। एम् एल सेठ (M L Seth) ने भारत में लक्ष्य-निर्धारण-प्रक्रिया में निम्नलिखित कमियाँ बताई हैं—

(1) योजना के अन्तिम वर्ष के लिए लक्ष्य-निर्धारित करने में बहुत ध्यान दिया जाता है किन्तु इन लक्ष्यों को योजनावधि के सभी वर्षों के लिए विभाजित नहीं किया जाता।

(ii) अर्थव्यवस्था के कुछ धोनी जैसे-उद्योग, शक्ति, सिंचाई, यातायात प्रादि की परियोजनाओं में जहाँ भारी मात्रा में विनियोग हो और जिनके पूरण होने की प्रबंधि ग्रंथिक लम्बी हो ।

इन परियोजनाओं के आधिक, तकनीकी, वित्तीय और अन्य परिणामों पर पूरा विचार नहीं किया जाता । इसी कारण, परियोजना की प्रारम्भिक अवस्थाओं में पर्याप्त प्रगतिशील व्यवित्र और आवश्यक समर्थन उपलब्ध नहीं हो पाते ।

(iii) किसी परियोजना के निर्माण की स्थिति में बाद में, जाकर अप्रत्याशित तत्वों के कारण विभिन्न परिवर्तन और समायोजन करना आवश्यक हो जाता है । इसलिए योजना उससे प्राप्त होने वाले लाभों, लागत अनुमानों और वित्तीय साधनों के दृष्टिकोण से लचीली होनी चाहिए । भारतीय नियोजन के लक्ष्य-निर्धारण में इस और ग्रंथिक प्रयत्नों की आवश्यकता है ।

उत्पादन-क्षेत्रों में विनियोगों का आवंटन

(Allocation of Investment between Production Sectors)

आर्थिक विकास और योजना-कार्यक्रमों की सफलता के लिए भारी मात्रा में पूँजी का विनियोग आवश्यक होता है। अधिक बचत का सृजन करके इसे बाजार तात्त्विकता तथा दितीय स्थिति द्वारा गतिशील बना कर, उत्पादक आदेयों में व्युत्पन्नतरित करके विनियोगों की मात्रा में वृद्धि की जा सकती है। अर्थव्यवस्था में विनियोगों की यह मात्रा उपलब्ध बचत की मात्रा और धर्दव्यवस्था की पूँजी-शोषण-क्षमता (Absorptive Capacity) पर निर्भर करती है। पूँजी शोषण क्षमता का आशय समाज और व्यक्तियों में उपलब्ध पूँजीगत आदेयों के उपभोग करने की योग्यता से है।

आर्थिक विकास के लिए विश्वाल मात्रा में पूँजी का विनियोजन ही पर्याप्त नहीं है अपिनु पूँजी का विनियोग सुविचारित और युक्ति-युक्त होना चाहिए। अर्द्ध-विकसित देशों में विनियोजित किए जाने वाले साधनों की अत्यन्त स्वल्पता होती है। साथ ही उनकी मांग और उपयोगों में वृद्धि भी होती रहती है। अत इन विनियोजित किए जाने वाले साधनों के विभिन्न वैकल्पिक उपयोगों में से चयन करना पड़ता है। अत यह समस्या पैदा होती है कि विभिन्न क्षेत्रों में अर्थात् कृषि उद्योग या सेवाओं में, निजी या सार्वजनिक उद्योगों में, पूँजीगत या उपभोग बहुत्यों के उत्पादन में और देश के विभिन्न क्षेत्रों में से किसे अधिक मात्रा में विनियोग किया जाए और इन सभी क्षेत्रों के सभी भागों में किस प्रकार विनियोगों का आवटन किया जाए। सामान्यतः इन विभिन्न क्षेत्रों प्रोत्तुके भागों में विनियोग के लिए वास्तविक साधनों का प्रवाह अर्थात्, राजनीतिक और सामाजिक तत्त्वों से प्रभावित होता है। किन्तु यह आर्थिक विकास में तीव्रता लाने के लिए केवल विनियोगों की अधिकता के साथ-साथ उनका विवेकपूर्ण आवश्यक है।

**विनियोग विकल्प की आवश्यकता
(Need for Investment Choice)**

सेंद्रियिक रूप से आदर्श अवस्था में पूर्ण और स्वतन्त्र प्रतियोगिता होती है और उत्पादन के साधनों एवं विनियोगों के विभिन्न उपयोगों में अनुकूलतम् वितरण की मात्रा की जाती है। यहाँ मज़हूरी और ब्याज दरें मांग और पूँजि की शक्तियों के

द्वारा निर्धारित होती हैं और प्रत्येक साधन का उपयोग सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त के अनुसार उम बिन्दु तक किया जाता है, जिस पर इसकी सीमान्त उत्पत्ति उसके लिए चुकाई जाने वाली कीमत के बराबर होती है। थम, पूँजी आदि किसी साधन की पूति में वृद्धि होने पर इसका मूल्य घटने से गेगा और इससे इम साधन के अधिक प्रदूषक किए जाने को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके विपरीत किसी साधन की पूति में कमी आने पर उसके मूल्य में वृद्धि होनी है और उसका उपयोग हतोत्साहित होता है। इस प्रकार स्वतन्त्र उपकरण अर्थव्यवस्था में मूल्य-प्रक्रिया और बाजार-तान्त्रिकता के द्वारा न केवल साधनों का पूर्ण नियोजन हो जाता है, अपितु उनका सर्वाधिक प्रभावपूर्ण और अनुकूलतम उपयोग भी होता है।

किन्तु व्यवहार में ऐसा नहीं हो पाता है। एक तो स्वयं पूर्ण प्रतियोगिना का होना असम्भव है और दूसरे उत्पादन में बाह्य मितव्ययताश्रो का प्रादुर्भाव और उत्पादन के पैमाने में परिवर्तन के साथ लागतों का बढ़ना या घटना साधनों के आदर्श विवरण में बदलाएँ उत्थित कर देने हैं। इस प्रकार स्वतन्त्र उपकरण में साधनों और विनियोगों का अनुकूलतम परिवर्तन होता है। इसके अतिरिक्त, उत्पादन की आवृत्तिक तकनीकी दमाएँ किसी भी दीर्घकालीन उत्पादन-प्रक्रिया में सीमान्त उत्पादन और लागत के समायोजन को कठिन बना देती है, क्योंकि जब एक बार उत्पादन की किसी तकनीक को ग्रहण कर लिया जाता है, तो तदनुलूप साधनों के अनुपात को भी पूँजीशार करना पड़ता है। निजी उद्यमियों का विनियोग सम्बन्धी निर्णय तकनीकी ज्ञान का स्तर, थम पूति, मजदूरी, ब्याज और मूल्य स्तर, उपयोग के लिए उपलब्ध कोषों की मात्रा और पूँजी और थम के तकनीकी सम्बन्ध आदि के ज्ञात या अज्ञात सूचनाओं के अनुसार निर्णय लेने पड़ते हैं।

अनियन्त्रित मुक्त उपकरण प्रणाली में विनियोग के आवटन में अर्थ कमियां भी होती हैं। निजी उद्यमियों का उद्देश्य निजी-लाभ को अधिकतम करना होता है। इसके आगे वे सामाजिक-कल्याण की उपक्रम कर जाते हैं। साथ ही उनकी दूरदृश्यता की शक्ति भी सीमित होती है। विनियोग की किसी विशेष परियोजना की अर्थ-व्यवस्था पर और किसी विशेष नए उद्योगों की स्थापना या पुराने उद्योगों के विस्तार का, अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों या आय के वितरण और उसकी सुरचना, उत्पादन के साधनों की पूति और लागत पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस बात को विचारने की विज्ञान निजी उद्यमकर्ता नहीं करते और न ही वे इस कार्य के लिए सधम होते हैं। परिणाम-स्वरूप अर्थव्यवस्था में होने वाले समय प्रभावों का ज्ञान एक ऐसे अभिकरण द्वारा ही हो सकता है जिसे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के व्यवहार और प्रतिक्रिया का विस्तृत और पर्याप्त ज्ञान हो। निजी-उद्यमियों द्वारा लिए गए विनियोजन सम्बन्धी उत्तरोक्त कमियों के कारण ही सरकार द्वारा विनियोग कार्यक्रमों में भागीदार बनने की आवश्यकता उत्पन्न होती है। निजी-उपकरण व्यवस्था में साधनों का अनुकूलतम प्रावर्तन नहीं हो पाता है। आवश्यक कार्यों के लिए पूँजी उपलब्ध नहीं हो पाती, जबकि सामाजिक और राष्ट्रीय हट्टि से अनावश्यक परियोजनाओं पर बहुत अधिक

साधन विनियोजित किए जाते हैं। अत सरकार को प्रत्यक्ष विनियोग द्वारा या निजी उद्यमियों द्वारा किए जा रहे विनियोगों को नियन्त्रित करके विभिन्न क्षेत्रों, उद्योगों और प्रदेशों में विनियोगों का अनुकूलतम् आवटन करता चाहिए। बस्तुत सरकार विनियोगों के आवटन प्रौद्य उनकी तकनीक सम्बन्धी समस्याओं के बारे में दीर्घकालीन और अच्छी जानकारी रखने और उन्हे हल करने की स्थिति में होती है। उसके नायन भी अपरिभित होते हैं। वह देश के उपलब्ध और सम्भावित साधनों और विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं सम्बन्धी सूचनाओं से भी सम्पन्न होते हैं। सरकार निजी उपक्रमियों की अपेक्षा विनियोगों की मात्रा में होने वाले परिवर्तनों के परिणाम-स्वरूप, विभिन्न क्षेत्रों प्रौद्य समूची अर्द्धव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों का अधिक अच्छा अनुमान लगा सकती है। अत राज्य आर्थिक क्रियाएँ में माग लेकर प्रौद्य विनियोग नीति द्वारा वित्तीय साधनों का उपयुक्त वितरण करने में समर्थ हो सकती है। विशेषत वह यातायात के साधनों, टिचाई और विद्युत योजनाओं द्वारा बड़ी मात्रा में बाह्य मितव्यवनाओं का सृजन करके आर्थिक विकास को तीव्रतांत्रिक प्रदान कर सकती है। वह निजी उद्यमियों द्वारा उपेक्षित क्षेत्रों में स्वयं पूँजी विनियोजन कर सकती है। इस प्रकार एक उद्योग या क्षेत्र का विस्तार दूसरे उद्योग या क्षेत्र में होता है।

अद्वैतिक देशों की विनियोजन सम्बन्धी विशिष्ट समस्याएँ (Special Investment Problems in Underdeveloped Countries)

अद्वैतिक देशों की विशिष्ट राष्ट्राजिक और आर्थिक विशेषताओं के कारण इन देशों में विनियोगों के आवटन की समस्या, विकसित देशों की अपेक्षा अधिक जटिल होती है। साधनों की अपर्याप्ति उपलब्धि और साधनों के तकनीकी प्रतिस्थापन के सीमित अवसर उचित विनियोग नीति अपनाने में वाधाएँ उपस्थित वरते हैं। प्रौद्य किंडलबर्जर (Prof Kindleberger) के अनुमान, अद्वैतिक देशों में 'साधन स्तर पर सरचनात्मक असाम्य' (Structural disequilibrium at the factor level) होता है। यहाँ पूँजी स्वतंत्रता और अम शक्ति की वहुतता होती है। परिणामस्वरूप ये देश पर्याप्त मात्रा में बेरोजगारी और अद्वैत-वेरोजगारी से प्रस्त रहते हैं। अम की सीमान्त-उत्पादकता शून्य या शून्य के लगभग होती है, किन्तु मजदूरी की वास्तविक दर उससे भिन्न होती है जो अम की मांग और पूर्ति की शक्तियों के निर्धारण द्वारा होती है। इसका प्रमुख कारण इन देशों की अर्द्धव्यवस्था में समग्रित और प्रमाणित दो भिन्न भिन्न क्षेत्रों की उपस्थिति है। समग्रित क्षेत्र में अम सगठनों, सामाजिक मुरक्का-सम्बन्धों और सरकार की अम कल्याणवादी नीति के कारण मजदूरी की दरें असामित्त क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होती है। अत उत्पादन की तहनीक अधिक पूँजी गहन होती है और ऐसी परियोजनाएँ में पूँजी विनियोजित की जाती है किन्तु दूसरी और पूँजी का अभाव अपनी स्वयं की कठिनाइयाँ उपस्थिति करती है। पूँजी के अभाव के अतिरिक्त सामाजिक राजनीतिक उपस्थितियों भी

उत्पादन की आधुनिक और कुगल प्रणालियों के प्रहरण करने में बाधाएँ उपस्थित करता है। उदाहरणार्थ, ढोटे खेतों को बड़ी कृषि समत्तियों में परिवर्तित करने के कृषि विनियोग कार्यक्रम (Agricultural Investment Programme) का ऐसे देश में विरोध किया जाता है, जहाँ अधिक भूमि का स्वामित्व सामाजिक सम्मान का होता है। डी ब्राइटसिंह (D Bright Singh) के अनुसार “आवश्यक पूँजी उपलब्ध होने पर भी भारी उद्योगों में पूँजी विनियोग हड़ औद्योगिक आधार का निर्माण करने और आधिक विकास को गति देने में तभी सकल हो सकता है जबकि समाज आधिक-विस्तार के उपयुक्त सामाजिक मूल्यों को प्रहरण करे।” अत इन अङ्ग-विकसित देशों में विनियोग कार्यक्रम का निर्धारण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो विकास कार्यक्रम और परियोजनाएँ अपनाई जाएं, वे यथासम्भव बर्तमान सामाजिक और आधिक संस्थाओं और मूल्यों में कम से कम हस्तक्षेप करें। साथ ही इन संस्थाओं और मूल्यों में भी शनै-शनै परिवर्तन किया जाना चाहिए। अङ्ग-विकसित देशों द्वारा इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि वे विकसित देशों का अन्धानुकरण करके ही विनियोग के लिए परियोजनाओं का चयन नहीं करें अपितु देश की साधन-वृत्ति (Factor supply) की स्थिति के अनुसार उन्हें समायोजित भी करें।

अधिकांश अङ्ग-विकसित देशों में कृषि की प्रधानता होती है। कृषि वर्षों के अधिकांश व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करती है, राष्ट्रीय शाय का बड़ा भाग उत्पन्न करती है और विदेशी विनियम के अर्जन में भी कृषि का महत्व होता है। किन्तु कृषि व्यवसाय अद्यन्त विछड़ी अवस्था में होता है। अत यहाँ कृषि विकास कार्यक्रमों पर विशाल पूँजी विनियोजन की आवश्यकता होती है, किन्तु इन देशों में औद्योगिक विकास की उपेक्षा भी नहीं की जा सकती क्योंकि कृषि के विकास के लिए औद्योगिक विकास आवश्यक है। अत औद्योगिक परियोजनाओं पर भी भारी मात्रा में पूँजी-विनियोग आवश्यक होता है। अत, अङ्ग-विकसित देशों में उद्योग कृषि सेवाओं आदि में उचित विनियोग नीति अपनाने की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार, अङ्ग-विकसित देशों में सांवेजनिक क्षेत्र के विस्तार को बहुत समर्थन मिलता है।

विनियोग मानदण्ड (Investment Criteria)

आधिक विकास के लिए नियोजन हेतु वित्तीय साधनों को नियशील बनाना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही विनियोग की प्रकृति का निर्धारण करना है। इन देशों को न केवल विनियोग-दर के बारे में ही निरुद्योग बरना पड़ता है, अपितु विनियोग सरचना के बारे में भी उचित निरुद्योग करना पड़ता है। सरकार का यह कर्तव्य होता है कि इस प्रकार के विनियोग कार्यक्रम अपनाएं, जो समाज और राष्ट्र के लिए सर्वाधिक लाभप्रद हो। अत विभिन्न क्षेत्रों, परियोजनाओं, उद्योगों और प्रदेशों में विनियोग कार्यक्रम को निर्धारित करते समय स्थानिक सोच-विचार की आवश्यकता है। गत वर्षों में, भर्त शास्त्रियों द्वारा द्रुत आधिक विकास के उद्देश्य से

विनियोगों पर विचार करने के लिए कई मानदण्ड प्रस्तुत किए गए हैं जो निम्नलिखित हैं—

1. समान सीमान्त-उत्पादकता का मानदण्ड

(Criteria of Equal Marginal Productivity)

इस सिद्धान्त के अनुसार विनियोग और उत्पादन के साधनों का सर्वोत्तम आवटन तब होता है कि जब विभिन्न उपयोगों में इसके परिणामस्वरूप सीमान्त विनियोग सर्वाधिक लाभप्रद नहीं होगे, क्योंकि उनको एक क्षेत्र में स्थानात्मक करके कुल लाभ में बढ़िया करने की गुआयश रहेगी। प्रतः विभिन्न क्षेत्रों, उद्योगों और प्रदेशों में विनियोगों का इस प्रकार वितरण किया जाना चाहिए जिससे उनकी सीमान्त-उत्पादकता समान हो। अर्द्ध-विकसित देशों में श्रम की बहुलता और पूँजी की सीमितता होती है। अतः विनियोग नीति इस प्रकार की होनी चाहिए जिसमें, कम मात्रा में पूँजी से ही अधिक मात्रा में श्रम को नियोजित किया जा सके। अन्य शब्दों में विनियोग नीति देश में उपलब्ध श्रम और पूँजीगत साधनों का पूर्ण उपयोग करने में समर्थ होनी चाहिए। यदि देश में पूँजी का अभाव और श्रम की बहुलता है, जैसा कि अर्द्ध-विकसित देशों के बारे में सत्य है, तो यह देश निम्न पूँजी श्रम अनुपात वाली परियोजनाओं को अपनाकर अधिक तुलनात्मक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार, विनियोग कार्यक्रमों को निर्धारित करते समय हेक्सर-ओह्लिन (Hicksian Ohlin) के तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त (Doctrine of Comparative Cost) पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। यद्यपि पूँजी की सीमित उपलब्धता की स्थिति में श्रम-शक्ति के पूर्ण उपयोग से श्रम की प्रत्येक इकाई की सीमान्त उत्पादकता में कमी आती है तथापि अधिक शमिकों के नियोजित हो जाने के कारण कुल उत्पादन में बढ़िया हो जाती है और इस प्रकार विनियोग अधिकतम साभप्रद हो जाते हैं। यह सिद्धान्त साधन उपलब्धता (Factor Endowment) पर आधारित है, जिसमें श्रम और पूँजी आदि उपलब्ध साधनों के पूर्ण उपयोग पर ध्यान दिया गया है। अतः अर्द्ध-विकसित देशों में जहाँ पूँजी का अभाव और श्रम की बहुलता है, श्रम-प्रदान और पूँजी विवरण विनियोगों को अपनाना चाहिए। सीमान्त-उत्पादकता को समान करने का सिद्धान्त केवल स्थैतिक दशाओं के अन्तर्गत अल्पकाल में ही विनियोगों का कुशल आवटन करने में सक्षम होता है। मारिस डॉब (Maurice Dobb) के अनुसार सक्षमता स्थिति के अनुसार, पूँजी-विवरण परियोजनाओं को अपनाना एक प्रकार से प्रगति या परिवर्तन की आकौश्च के बिना बर्तमान निम्न दशा को ही स्वीकार करना है। जबकि इत आर्थिक विकास के लिए उत्पादन के संगठन, सरचना और तकनीकों में परिवर्तन आवश्यक है। इसी प्रकार इन देशों में पूँजी-महन परियोजनाओं से सर्वेषां बचा नहीं जा सकता। यहाँ पर्याप्त मात्रा में जल, खनिज आदि प्राकृतिक साधन मणोपित हैं जिसको विकसित करने के लिए प्रारम्भ में भारी विनियोगों की प्रावश्यकता होती है। इस्पात कारखाने, तेल-शोधक शालाएं, यातायात सचार, बन्दरगाह प्रादि आर्थिक

विकास के लिए प्रत्यक्ष आवश्यक होते हैं और इन सभी में बड़ी मात्रा में पूँजी विनियोग की आवश्यकता होती है।

2. सामाजिक सीमान्त उत्पादकता का मानदण्ड

(Criteria of Social Marginal Productivity)

विनियोगों का एक महत्वपूर्ण मापदण्ड सामाजिक 'सीमान्त उत्पादकता' है जो एक प्रकार से, 'समान सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त' का संशोधित रूप है। इस सिद्धान्त का प्रतिपादन 1951 में ए. ई. काहन (A E Kahn) ने किया जिसे बाद में हॉलिस बी चेनेरी (Hollis B Chenery) ने विकसित किया। इस सिद्धान्त के अनुसार, यदि विनियोगों द्वारा आर्थिक विकास को गति देना है, तो पूँजी ऐसे कार्यक्रमों में विनियोजित की जानी चाहिए, जो सर्वाधिक उत्पादक हो अर्थात् जिनकी सीमान्त सामाजिक उत्पादकता सर्वाधिक हो। सीमान्त सामाजिक उत्पादकता सिद्धान्त के अनुसार, विनियोग की अतिरिक्त इकाई के लाभ का अनुमान इस आधार पर नहीं लगाया जाता है कि इससे निजी उत्पादक को क्या मिलता है किन्तु इस बात से लगाया जाता है कि इस सीमान्त इकाई का राष्ट्रीय उत्पादन में कितना योगदान रहा है। इसके लिए न केवल आर्थिक, अपितु सामाजिक लागतों और सामाजिक लाभों पर भी ध्यान दिया जाता है ए ई काहन (A E Kahn) के अनुसार सीमित साधनों से अधिकतम आय प्राप्त करने का उपयुक्त मापदण्ड 'सीमान्त सामाजिक उत्पादकता' है जिसमें सीमान्त इकाई के राष्ट्रीय उत्पत्ति के कुल योगदान पर ध्यान दिया जाना चाहिए, न कि केवल इस योगदान (या इसकी लागतों) के उस भाग पर ही ध्यान दिया जाना चाहिए जो निजी विनियोगकर्ता को प्राप्त हो।" इस सिद्धान्त के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में विनियोगों की सीमान्त सामाजिक उत्पादकता समान होनी चाहिए। भारत जैसे अद्विकसित देशों के सम्बन्ध में विकासार्थी नियोजन में किए जाने वाली सीमान्त सामाजिक उत्पादकता की उच्चता वाले विनियोग निम्नलिखित हैं—

(i) जो सर्वाधिक उत्पादकता वाले उपयोगों में लगाए जाए, ताकि विनियोगों से प्रचलित उत्पादन का अनुपात अधिकृतम हो या पूँजी उत्पादन अनुपात न्यूनतम हो। अन्य शब्दों में पूँजी उन क्षेत्रों, उद्योगों, परियोजनाओं और प्रदेशों में विनियोजित की जानी चाहिए, जिनमें लगी हुई पूँजी से अधिक श्रमिकों को नियोजित किया जा सके।

(ii) जो ऐसी परियोजनाओं में लगाए जाएं, जो व्यक्तियों की बुनियादी आवश्यकताओं की वस्तुओं का उत्पादन करें और बाह्य मितव्ययताओं में बृद्धि करें।

(iv) जो पूँजी के अनुपात में नियंत्रित पदधर्थों में वृद्धि करें, यथार्थतः जो नियंत्रित सबद्धन या आयात प्रतिस्थापन में योगदान दे।

(v) जो अधिकृत घरेलू कच्चा-माल तथा अन्य साधनों का अधिकाधिक उपयोग करें।

(vi) जो शीघ्र कलदायी हो, ताकि मुद्रा प्रसार, विरोधी शक्ति के रूप में कार्य कर सके।

सीमान्त सामाजिक उत्पादकता के मानदण्ड की श्रेष्ठता इस बात में निहित है कि इसमें किसी विनियोग कार्यक्रम की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले समग्र प्रभावों पर ध्यान दिया जाना है। अतः यह सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त की अपेक्षा अधिक अच्छाई है किन्तु इसकी अपनी भी सीमाएँ हैं। आर्थिक विकास के दौरान न केवल सामाजिक आर्थिक तत्त्वों, अपितु जनसत्त्वा की मात्रा, गुण, स्वभाव और उत्पादन तकनीक आदि में भी परिवर्तन आता है। अतः इस मानदण्ड का उपयोग एक अर्थव्यवस्था की सम्पूर्ण गत्यात्मक परिस्थितियों के सदर्भ में करना चाहिए। कुछ सामाजिक उद्देश्य परस्पर विरोधी हो सकते हैं। अतः विभिन्न उद्देश्यों में से कुछ का चयन करना एक बड़िया कार्य होता है। इसमें नीतिक निर्णयों की भी आवश्यकता होती है। इसी प्रकार विनियोगों की दिशा और उनके अन्तिम परिणामों के बारे में भी विचारों में अन्तर हो सकता है। उदाहरणार्थ, किसी विशिष्ट परियोजना में पूँजी का विनियोग करने से राष्ट्रीय आय में तो वृद्धि हो, किन्तु उससे आय वितरण अनन्त न हो। इसी प्रकार कुछ परियोजनाओं में विनियोग से राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति उपभोग निष्ठ भविष्य में ही बढ़ सकता है, जबकि किन्तु अन्य परियोजनाओं से ऐसा दीर्घकाल में हो सकता है। अतः सामाजिक उद्देश्यों के निर्धारित किए विवा विनियोगों की दिशा, सरचना और प्रगति के बारे में निरुद्योग लेना बहुत बड़िया है।

इसके अतिरिक्त, सीमान्त सामाजिक-उत्पादकता की यह धारणा अवास्तविक है। यह निजी-लाभ से भानदण्ड की अपेक्षा कम निश्चित है। बाजार मूल्य, सामाजिक मूल्यों (Social Values) को ढीक प्रकार से प्रकट नहीं करते। अतः विनियोगों में निहित सामाजिक लाभों और सामाजिक लागतों का सम्पादक माप असम्भव है। मानदण्ड की सबसे बड़ी कमी यह है कि, इसमें विनियोगों के एक बार के प्रभावों पर ही ध्यान दिया जाता है। वस्तुतः हमें किसी विनियोग से प्राप्त तत्त्वकाल लाभों पर ही ध्यान नहीं देता चाहिए, अपितु भावी लाभों एवं पूँजी सबव्य पर भी विचार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त विनियोग के अप्रत्यक्ष प्रभाव जैसी भावी बचत, उपभोग सरचना, जनसत्त्वा वृद्धि आदि पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

3. तीव्र विकास विनियोग मानदण्ड

(Criteria of Investment to Accelerate Growth)

गेलेन्सन और लीबेनस्टीन (Galeenson and Liebenstein) ने पड़-विवित देशों में विनियोग के मानदण्ड के लिए सीमान्त प्रति व्यक्ति पुनर्विनियोग लक्ष्य

(Marginal per Capitare Investment Quotient) की धारणा का समर्थन किया है। किसी अर्थव्यवस्था के उत्पादन की पुनर्विनियोग क्षमता एक और प्रति श्रमिक उपलब्ध पूँजी से प्रति श्रमिक उत्पादन की मात्रा और दूसरी प्रोट्र जनसंख्या का उपयोग और पूँजीगत साधनों के प्रतिस्थापन आदि का अन्तर है। प्रति श्रमिक पूँजी से इष्ट आधिक्य का अनुपात पुनर्विनियोग लघुधि (Re-investment Quotient) कहताता है। उचित विनियोग नीति वह होती है, जिसके द्वारा साधन उपभोगों की अपेक्षा अधिक अनुपात में पूँजी-कार्यों की ओर बढ़े। देश की पूँजी से इन हृष्टि से मानव पूँजी को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। लीबेन्स्टीन के अनुसार, पूँजीगत-पदार्थों और मानव-पूँजी के रूप में कुन पूँजी निर्माण अनिवार्य सामान्य पुनर्विनियोग और जनसंख्या के आकार में वृद्धि पर निर्भर करता है। यदि पुनर्विनियोग वर्ष प्रति वर्ष बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय में लाभों का भाग बढ़ाना पड़ेगा। पुनर्विनियोग लघुधि मानदण्ड के अनुसार, दीर्घकालीन पूँजीगत वस्तुओं (Long-lived Capital Goods) में पूँजी विनियोजित की जानी चाहिए। अद्वैतिकसित देशों को यदि सफलतापूर्वक तेजी से विकास करना है तो उत्पादन में वृद्धि के लिए विकास प्रक्रिया के प्रारम्भ में ही वडे पैमाने पर प्रयत्नों की आवश्यकता है, जिसे लीबेन्स्टीन ने न्यूनतम आवश्यक प्रयत्न कहा है। अन्य जगद्दो में विनियोग ग्राहण (Investment Allocation) इस प्रकार का होना चाहिए जिससे विकास-प्रक्रिया की प्रारम्भिक अवस्था में ही तेजी से पूँजी निर्माण हो।

पुनर्विनियोग लघुधि में उक्त मानदण्ड की भी आलोचनाएँ की गई हैं। इस सिद्धान्त की यह मान्यता कि लाभों की अधिकता के कारण पुनर्विनियोग भी अधिक होगे, उचित नहीं मानी गई है। ए के सेन (A K Sen) के मतानुसार पूँजी की प्रति इकाई पर ऊँकी दर से पुनर्विनियोग योग्य आधिक्य देने वाले विनियोगों से ही विकास दर में तेजी नहीं लाई जा सकती। यह आधिक्य अधिक हो सकता है किन्तु इस उत्पादन कार्य में लगे व्यक्तियों की उपभोग की प्रवृत्ति में वृद्धि हो जाए तो पुनर्विनियोग योग्य आधिक्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, इस मानदण्ड में सामाजिक कल्याण के चारों की उपेक्षा की गई है। पूँजी-गहन विनियोगों और तकनीकों के अपनाने से श्रमिकों का विस्थापन (Displacement) होगा। साथ ही इस मानदण्ड में वर्तमान की अपेक्षा भविष्य पर अधिक ध्यान दिया गया है।

4. विशिष्ट समस्याओं को नियन्त्रित करने का मानदण्ड (Investment criteria which aim at controlling specific problems)

इस मानदण्ड का उद्देश्य विकास प्रक्रिया में उत्पन्न विशिष्ट समस्याओं को नियन्त्रित करके स्थायित्व के साथ आधिक विकास करना है। विकास की प्रारम्भिक अवस्थाओं में मुग्धतात् सन्तुलन की प्रतिकूलता और मुद्रा प्रसारिक दबावों के कारण विकास में अस्थायित्व आ सकता है। अद्वैतिकसित देशों को बड़ी मात्रा में पूँजीगत

सामग्री और कच्चा माल आदि मेंगाना पड़ता है। औद्योगीकरण और विनियोग के कारण मौद्रिक आय बढ़ती है जिससे उपभोग वस्तुओं का आयात भी बढ़ जाता है। इससे विदेशी मुद्रा की कमी एक बड़ी कठिनाई बन जाती है। इसी प्रकार लोगों की मौद्रिक आय बढ़ने के कारण वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है और मुद्रा-प्रसारिक प्रवृत्तियाँ जन्म लेने लगती हैं। अत ऐसे क्षेत्रों में विनियोग किया जाना चाहिए जिससे नियति वृद्धि और आयात-प्रतिस्थापन द्वारा देश की विदेशी विनियम सम्बन्धी स्थिति सुटूट हो और मुद्रा-प्रसारिक प्रवृत्तियों का भी प्रादुर्भाव नहीं हो सके। जे जे पोलक (J J Polak) ने भुगतान सञ्चालन पर पड़ने वाले प्रभावों के हाइकोण से विनियोगों को निम्नलिखित तीन प्रकार से विभाजित किया है—

- (i) ऐसे विनियोग, जो नियति वृद्धि करने या आयात-प्रतिस्थापन करने वाली वस्तुएँ उत्पन्न करें। परिणामस्वरूप नियति आधिक उत्पन्न होगा।
- (ii) ऐसे विनियोग जो ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करे जो यहले देश में ही बैचने वाली वस्तुओं या नियोत की जाने वाली वस्तुओं का प्रतिस्थापन करे। इस स्थिति में भुगतान सञ्चालन की स्थिति में विनियोगों का प्रभाव तटस्थ होगा।
- (iii) ऐसे विनियोग जिनके कारण जो स्वदेश में ही बैची जाने वाली वस्तुओं की मात्रा में मांग से भी अधिक वृद्धि हो। वहाँ भुगतान सञ्चालन पर विपरीत प्रभाव होगा।

अतः विनियोगों के परिणामस्वरूप किसी भुगतान सञ्चालन की स्थिति पर पड़ने वाले दुरे प्रभावों को घूसनहम करने के लिए उपरोक्त वर्णित प्रथम थेणी के उत्पादक कार्यों पर विनियोगों को केन्द्रित करना चाहिए और तृतीय थेणी को विलुप्त छोड़ देना चाहिए। तृतीय थेणी के विनियोगों को बड़ी सावधानी के पश्चात् भुगतान सञ्चालन की स्थिति पर उनके विपरीत प्रभावों और अर्थव्यवस्था पर उनके लाभों की पारस्परिक तुलना के पश्चात् चुनना चाहिए।

किन्तु पोलक (Polak) के उपरोक्त मत की भी सीमाएँ हैं। ए. ई. काहन (A E Kahn) के अनुसार कुछ विनियोगों से मौद्रिक आय में वृद्धि हुए बिना ही वास्तविक पाय में वृद्धि हो और जिसे आयानो पर व्यय किया जाए। यहाँ तक कि विनियोगों के परिणामस्वरूप वास्तविक आय में वृद्धि के साथ-साथ जब मौद्रिक प्राय में वृद्धि हो तो ऐसी स्थिति में आयातों का बढ़ना अनिवार्य नहीं है। बस्तुत अद्विकसित देशों में बड़ी मात्रा में आयातों के लिए इन देशों के उत्पादन वी प्रलयमुखी प्रवृत्ति ही बहुत सीमा तक उत्तरदायी है और यो-उद्योगों अर्थव्यवस्था का बिना रहता है तथा विभिन्न उद्योगों की स्थापना होती है। यो-उद्योगों देश के घरेन्ट उत्तराधिक वे सिए वस्तुओं की पूति बढ़ जाती है और आयात की प्रवृत्ति (Propensities to Import) कम होने लग जाती है। साथ ही नियति-मुख उद्योगों में विनियोग को केन्द्रित करना ही आधिक विकास की गारंटी नहीं है। उदाहरणार्थ, भारत एवं अर्थ उपनिवेशों में प्रथम युद्ध के पूर्व वागानों और निस्सारक (Extractive) उद्योगों

में बड़ी मात्रा में पूँजी विनियोजित की गई थी, जिससे नियन्त्रण-पदार्थों का उत्पादन होता था, किन्तु फिर भी इन विनियोगों का देश में आय और रोजगार बढ़ान तथा आर्थिक विकास को गति देने में योगदान अत्यधिक था। वास्तव में किसी भी विनियोग कार्यक्रम के भुगतान सञ्चालन पर पड़ने वाले प्रभावों का विनाश समस्त विकास कार्यक्रम पर विचार किए हुए विलक्षण अलग से कोई अनुमान लगाया जाना सम्भव नहीं है।

जिस प्रकार आर्थिक विकास की प्रारम्भिक अवस्था में भुगतान सञ्चालन की विपक्षता की समस्या उत्पन्न होती है उसी प्रकार मुद्रा-प्रसारिक प्रवृत्तियों की समस्या भी बहुधा सम्पन्न आ रही होती है जो आन्तरिक प्रसाम्य का सकेत है। आर्थिक विकास की प्रारम्भिक अवस्था में बड़ी बड़ी परियोजनाओं पर विशाल राशि व्यय की जाती है। बहुधा ऐसे परियोजनाएँ दीर्घकाल में ही फल देने लगती हैं, अर्थात् इनका 'Gestation Period' अधिक होता है। इन कारणों से मौद्रिक आय बहुत बढ़ जाती है, किन्तु उस प्रकार सूल्य बढ़ने लग जाते हैं। कुछ देश बड़ी मात्रा में प्राथमिक वस्तुओं का नियंत्रित करते हैं और इन देशों में कभी कभी आर्थिक स्थिरता आयातक देश में आने वाली तेज़ी और सन्दी के कारण इन पदार्थों के उत्तार-बढ़ाव के कारण उत्पन्न हो जाती है अतः विभिन्न क्षेत्रों में विनियोगों का आवटन इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे उपरोक्त दोनों प्रकार की आर्थिक स्थिरता या तो उत्पन्न ही नहीं या शीघ्र ही समाप्त हो जाए। यदि मुद्रा प्रसारिक प्रवृत्तियों का जन्म समाजिक ऊपरी लागतों (Social Overhead Costs—SOC) में अत्यधिक विनियोग के कारण हुआ है तो कृषि उद्योग आदि प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं (Direct Productive Activities—DPA) में अधिक विनियोग किया जाना चाहिए। यदि यह विशाल पूँजी-महा-परियोजनाओं में भारी पूँजी विनियोग के कारण हुआ है तो ऐसे उपरोक्त उद्योगों और कम पूँजी-महा-परियोजनाओं में विनियोगों का आवटन किया जाना चाहिए, जो शीघ्र फलदायी हो। इसी प्रकार विदेशी व्यापार के कारण उत्पन्न होने वाली आन्तरिक स्थिरता को दूर करने के लिए उत्पादन को विविधीकरण करना चाहिए, अर्थात् विनियोगों को थोड़ा से नियंत्रित के लिए उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में ही केन्द्रित नहीं करना चाहिए अपितु वही विभिन्न क्षेत्रों और उद्योगों में लगाकर अर्थव्यवस्था को लोचपूर्ण बनाना चाहिए। कृषि-व्यवस्था में अस्थिरता निवारण हेतु सिचाई की व्यवस्था और मिश्रित खेती की जानी चाहिए।

5. काल श्रेणी का मानदण्ड

(The Time Factor Criteria)

किसी विनियोग कार्यक्रम पर विचार करते समय न केवल विनियोग की कुल राशि पर ही विचार करना चाहिए अपितु इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि उक्त परियोजना से कितने समय पश्चात् प्रतिफल मिलने लगेगा। इस विषय पर विचार करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अद्वैतिक सामाजिक

राजनीतिक और आर्थिक कारणों से विनियोगों के फलों से लाभान्वित होने के लिए दीर्घकाल तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते। अत विनियोग-निर्धारण में काल श्रेणी का भी बहुत महत्व है। इसलिए ए. के सेन ने काल श्रेणी का मानदण्ड प्रस्तुत किया है। इस दण्ड में एक निश्चित अवधि में उत्पादन अधिक प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। यदि पूँजी और उत्पादन के अनुपात और बचत दर समान बन रहे, तो पूँजी प्रधान और धम-प्रधान नक्तीको वे मार्ग की रेखा नीची जा सकती है और यह जात किया जा सकता है कि दोनों में से किससे अधिक प्रतिफल प्राप्त होगा।

6. अन्य विचारणीय बातें

(i) आय वितरण—विभिन्न विकास कार्यक्रमों का आय के वितरण पर भी भिन्न भिन्न प्रभाव पड़ता है। अत नवीन विनियोग इस प्रकार के होने चाहिए जो आय और धन की असमानता को बढ़ाने की अपेक्षा कम करें। आर्थिक समानता और उत्पादकता के उद्देश्यों में लाभदायक समन्वय की आवश्यकता है।¹

(ii) मात्रा के साथ मूल्य और मार्ग पर भी ध्यान—विनियोग कार्यक्रम निर्धारित करते समय इस बात पर भी ध्यान देना आवश्यक है कि उत्पादित वस्तु का मूल्य क्या है? वेवल भौतिक मात्रा में अधिक उत्पत्ति करने वाला विनियोग अच्छा नहीं कहलाया जा सकता, यदि उसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं का न कोई मूल्य हो और न मार्ग ही हो। उदाहरणार्थ, अपेक्षाकृत दम पूँजी से न्तों की अधिक मात्रा उत्पादित की जा सकती है, किन्तु यदि इन गूतों की मार्ग और इनके लिए बाजार नहीं है, तो ऐसे विनियोग और उत्पादन से अर्थ व्यवस्था लाभान्वित नहीं होगी।

(iii) विदेशी-विनियोग—भारत जैसे विकासशील देशों के लिए विदेशी विनियोग की भारी समस्या है। विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं और क्षेत्रों में दूर्जी विनियोग-विदेशी-विनियोग की स्थिति को भिन्न-भिन्न प्रकार से प्रभावित करता है। एक कारखाना दूसरे की अपेक्षा अधिक नियांत्रित की वस्तुएँ तैयार करने वाला हो सकता है। इसी प्रकार एक उद्योग दूसरे उद्योग की अपेक्षा आयातित वस्तुओं का अधिक उपयोग करने वाला हो सकता है। अत ऐसे कार्यक्रमों क्षेत्रों, उद्योगों और परियोजनाओं में पूँजी विनियोजित की जानी चाहिए, जो नियांत्रित की क्षमता में बढ़िकरें और आयात की आवश्यकता को कम करें।

(iv) सन्तुलित विकास—इसके अतिरिक्त विनियोगों द्वारा अर्थ-व्यवस्था के सन्तुलित विकास पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। पूँजी विनियोग के परिणाम-स्वरूप कृषि, उद्योग, यातायात तथा सम्बेश-बाहन, सिचाई, विद्युत और सामाजिक सेवाओं का समानान्तर विकास किया जाना आवश्यक है। ये सब एक दमरे वे पूरक हैं।

विनियोगों के आवटन में न केवल अर्थ-व्यवस्था के कृषि, उद्योग आदि विभिन्न क्षेत्रों के सन्तुलित विकास को ध्यान में रखा जाना चाहिए, अपितु देश में भौगोलिक क्षेत्रों के सन्तुलित विकास पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इद्युडे हुए प्रदेशों में अपेक्षाकृत अधिक विनियोग किए जाने चाहिए।

अर्थ-व्यवस्था के क्षेत्र (Sectors of Economy)

अर्थ-व्यवस्था को निम्नलिखित तीन क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है—

(क) कृषि-क्षेत्र (Agricultural Sector)—अर्थ-व्यवस्था के इस क्षेत्र के अन्तर्गत कृषि और तत्सम्बन्धी कायक्रम, जैसे भिराई, पशुपालन, मत्स्य-पालन, बागान, सामुदायिक विकास, बनारोपण, सहवारिता, भू-सरकारण आदि कार्यक्रम सम्मिलित हैं। कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत, उभत सौर अद्युद्धे खाद, बीज, यन्त्र और औजारों की व्यवस्था, कीट और रोगनाशक औपचियों की उपलब्धता, उचित-न्दर पर पर्याप्त मात्रा में साथ सुविधाओं की उपलब्धि आदि कार्यक्रम सम्मिलित किए जाते हैं। मुख्यतः अद्यु-विकसित देश कृषि प्रधान होते हैं अब उनकी अर्थ-व्यवस्था में कृषि-क्षेत्र का बहुत महत्व है।

(ख) उद्योग क्षेत्र (Industrial Sector)—इस क्षेत्र के अन्तर्गत निर्माण-उद्योग (Manufacturing Industries) तथा खनिज-व्यवसाय आते हैं। अविद्याश अद्यु-विकसित देशों में, उद्योग-धन्दे कम विकसित होते हैं तथा वहाँ आर्थिक विकास को तीव्रता देने और अर्थ-व्यवस्था का विविधीकरण करने के लिए उज्जी से औद्योगीकरण की आवश्यकता हाती है। अत नियाजन में इस क्षेत्र को भी पर्याप्त मात्रा में विनियोगों का आवटन किए जाने की आवश्यकता है।

(ग) सेवा क्षेत्र (Service Sector)—सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत व्यवसाय प्रमुख रूप से, यातायात एव सन्देश बाहन के साधन आते हैं, इसके अतिरिक्त, वित्तीय सम्बन्ध, प्रशासनिक सेवाएँ, शिक्षा, चिकित्सा, अग्रिंद और इद्युडे वर्गों का कल्याण आदि कार्यक्रम भी इसी क्षेत्र में सम्मिलित किए जा सकते हैं। विकासार्थ नियोजन के परिणामस्वरूप कृषि और उद्योगों की प्रगति के लिए यातायात और अन्य सामाजिक ऊर्जाएँ पूँजी तथा जन-शक्ति के विकास के लिए सेवा-क्षेत्र पर ध्यान दिया जाना भी अत्यावश्यक है।

किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाए ?

(Problem of Priority)

इस सम्बन्ध में विभिन्न विचार प्रस्तुत किए गए हैं। विचार का मुख्य विषय यह है कि विनियोग कायक्रमों में कृषि को प्राथमिकता दी जाए या उद्योगों को। नियोजित आर्थिक विकास विनियोग कार्यक्रमों में कुछ लोग कृषि को महत्व अधिक देने का आशह करते हैं तो कुछ विचारक औद्योगीकरण के लिए अधिक मात्रा में विनियोगों को आवश्यकता दिए जाने पर बल देते हैं। कृषि क्षेत्र में विशाल मात्रा में विनियोजन का समर्थन करने वाले इन्हें आदि विकसित देशों का उदाहरण देते

हुए वहते हैं कि औद्योगीकरण के लिए हृषि का विकास एक आवश्यक घटना है। यहीं तक कि ब्रिटेन में भी 18वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्दशी में हुई कृषि की उल्लेखनीय प्रगति ने जी वर्षों होने वाली औद्योगिक व्यापार के लिए आधार तैयार किया। फिर अद्वितीय व्यवस्था प्रभुत्व रूप से कृषि-प्रबन्धन है, जब तक इनके कृषि आदि प्रायविक क्षेत्रों को विकसित नहीं किया जाता। तब तक इनकी आर्थिक प्रगति नहीं हो सकती। प्रोफेसर थियोडोर शुल्ज (Prof Theodore Schultz) के अनुसार “उच्च खाद्य वहाव वाली अर्थ-व्यवस्था में जहाँ समाज की अधिकांश प्राय का खाद्य पदार्थ प्रतिनिधित्व करते हैं कृषि के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में नहीं और अधिक अच्छी उत्पादन सम्भावनाओं की बहुत योड़ी गुजाइश होती है, क्योंकि खाद्यान्नों के उत्पादन के लिए आवश्यक उत्पादक प्रयत्न ही कुल का बहुत बड़ा भाग होते हैं।”

इसके विपरीत दूसरे समुदाय के विचारकों का टूट मत है कि अद्वितीय-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में कृषि उत्पादकता बहुत कम होती है। साथ ही, जनसंख्या का भारी दबाव होता है। अत इन देशों की मुख्य समस्या आय में तेजी से वृद्धि करने और बट्टी हुई जनसंख्या को गैर कृषि-क्षेत्रों में स्थानान्तरित करने की है। अत इन देशों में कृषि पर ही विनियोगों को केन्द्रित करने से कार्य नहीं चलेगा। यह तुलिमत्तापूर्ण भी नहीं होगा अत इन परिस्थितियों में कृषि की अपेक्षा उद्योगों में विनियोगों को अधिक विनियोजित करने की आवश्यकता है। अप्रैल 1957 में टोकियो में हुई आर्थिक विज्ञास वी अन्तर्राष्ट्रीय बान्कोंस (International Conference on Economic Growth) में प्रो कुरिहारा (Prof Kurihara) ने अद्वितीय-विकसित देशों के विकास के लिए कृषि आवारित विकास की नीति की निम्नलिखित भारणों से अनुपयुक्त बतलाया—

(i) देशों की अपेक्षा कृषि की सीमान्त-उत्पादकता कम होती है। अत इन देशों के सीमित साधनों को कृषि पर विनियोजित करना अमितव्ययितापूर्ण होगा।

(ii) कृषि क्षेत्र में उद्धोगों की अपेक्षा बचत की प्रवृत्ति (Propensity to Save) कम होती है क्योंकि घनिक कृषि को में प्रदर्शन उपभोग (Conspicuous Consumption) की प्रवृत्ति होती है।

(iii) बहुधा व्यापार की शर्तें कृषि पदार्थों के प्रतिकूल ही रहती हैं, अत, कृषि के विकास को महत्व देने और औद्योगिक विकास की उपेक्षा करने से इन देशों की मुगलान सन्तुलन की स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

अत प्रो कुरिहारा के मतानुसार ‘कृषि और औद्योगिक उत्पादन में सतुर्नित वृद्धि एक विलासिता है, जिसे वेवल पर्याप्त वास्तविक पूँजी वाली उन्नत यार्थी व्यवस्था ही सुगमतापूर्वक अपना सकती है, किन्तु जिसे पूँजी वाले देश कठिनाई से ही सह सकते हैं। एक अद्वितीय-विकसित अर्थ-व्यवस्था के लिए जहाँ सीमित बचत होती है और पूँजी को अप्युक्त करने वाली विनियोग परियोजनाएँ जिन्हें प्राप्त करने के लिए परस्पर

प्रतिस्पद्धि करती है, यह उपयुक्त होगा कि वे अपने प्रयत्नों को श्रीदोगिक क्षेत्र के द्रुत विकास के लिए ही केन्द्रित करें और कृषि-क्षेत्र को प्रतिक्रिया एवं प्रभावों द्वारा ही विकसित होने दें।”¹

इसी प्रकार, कुछ विचारक सामाजिक ऊपरी पूँजी (SOC) के रूप में यातायात एवं सचार, विशुद्ध, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी आदि जनोपयोगी सेवायों को महत्व देते हैं। उनका विश्वास है कि इन कार्यक्रमों में पूँजी का विनियोजन किया जाए जिससे कृषि और उद्योग आदि प्रत्यक्ष उत्पादक त्रियांशों के लिए आधार का निर्माण हो और ये तेजी से विकसित हो सकें।

कृषि में विनियोग क्यों ? (Why Investment in Agriculture ?)

अधिकांश अद्य-विकसित देश कृषि-प्रधान है और उनकी भूर्धा व्यवस्था में कृषि का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। इन देशों में कृषि, देशवासियों के रोजगार, राष्ट्रीय आय के उत्पादन, जनता की खाद्य सामग्री की आवश्यकताओं की पूर्ति, उद्योगों के लिए कच्चा माल, निर्यातों द्वारा विदेशी-विनियोग के अर्जन आदि का एक मुख्य साधन है। अत देश के आर्थिक विकास के किसी भी कार्यक्रम में इस क्षेत्र के विकास की तनिक भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। बास्तव में इन देशों में योजनाओं की सिद्धि बहुत बड़ी मात्रा में कृषि-क्षेत्र में विनियोगों के केन्द्रित करन पर ही निर्भर है। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं—

1 कृषि-विकास से श्रीदोगिक विकास के लिए साधन उपलब्ध होना—कृषि विकास न केवल स्वयं अपने लिए, अपितु श्रीदोगिक विकास के लिए भी आवश्यक होता है। आज के प्रमुख उद्योग, विकास की प्रारम्भिक अवस्थाओं में समृद्ध और विकासमान कृषि ने ही निर्माणी उद्योगों के विकास के लिए आवारणिला प्रस्तुत की थी। कृषि-विकास से इसकी उत्पादकता और कुल उत्पादन में वृद्धि होती है, जिससे कृषि क्षेत्र में आय में वृद्धि होती है। इससे इस क्षेत्र में बचत की सम्भावनाएँ बढ़ती हैं, जिसको ऐच्छिक या बाधित रूप से कर या कृषि पदार्थों के अनिवार्य मुण्ठान आदि के द्वारा एकत्रित करके गैर-कृषि-क्षेत्रों में विकास के लिए साधन जुटाए जा सकते हैं। जापान ने अपने आर्थिक विकास में इस पद्धति का बड़ा उपयोग किया। सन् 1885 से 1915 तक की द्रुत आर्थिक विकास की अवधि में कृषकों की उत्पादकता अच्छी कृषि पद्धतियों के कारण दुगुनी से भी अधिक हो गई। कृषक जनसंख्या की इस बढ़ी हुई आय का अधिकांश भाग भूमि पर भारी कर लगाकर ले लिया गया और इसका उपयोग गैर-कृषि-क्षेत्रों में प्रमुख रूप से उद्योगों के विकास में विनियोजित किया गया। बहुत कृषि-क्षेत्र से इतनी अधिक आय प्राप्त की गई कि उस समय वहाँ की केन्द्रीय सरकार की कुल वर आय का 93.3% भाग भूमि पर करारोपण द्वारा प्राप्त किया जाता था। सोखियत रूप से कृषि की उत्पादकता को

तेजी से बढ़ाया और कृषि क्षेत्र के आधिकाय को द्रुत औद्योगिकरण की वित्त-व्यवस्था करने के उपयोग में लिया। इसी प्रकार चीन में 1953 और 1957 के बीच कृषि से प्राप्त कर आय का 40% से भी अधिक भाग गैर-कृषि-क्षेत्रों में विकास के लिए प्रयुक्त किया गया। मोल्डोकोस्ट, इर्स्ट, युगांडा आदि भी कृषि आय के बहुत बड़े भाग को अर्थ-व्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों की वित्त-व्यवस्था के लिए उपयोग कर रहे हैं। इस प्रकार, स्पष्ट है कि कृषि क्षेत्र का विकास बचत में वृद्धि करके विनियोजित किए जाने वाले कोषों में वृद्धि करता है, जिनका उद्योग आदि अन्य क्षेत्रों में उपयोग करके समग्र आर्थिक विकास की गति को तीव्र किया जा सकता है।

2. वृद्धिमान जनसंख्या को भोजन की उपलब्धि—अर्द्ध-विकसित देशों में वृद्धिमान जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध कराने और उनके भोजन तथा उपभोग स्तर का ऊंचा उठाने के लिए भी कृषि-कार्यक्रमों को बड़े पैमाने पर सञ्चालित किया जाना आवश्यक है। कई अर्द्ध-विकसित देशों में जनसंख्या अधिक है और इसमें तेजी से वृद्धि हो रही है। इसके अतिरिक्त भारत जैसे देश में बहुती हुई जनसंख्या की तो बात ही क्या, बत्तमान जनसंख्या के लिए भी खाद्यान्न उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं? एक ग्रन्तुमान के ग्रन्तुसार एशिया और अफ्रीका के निर्धन देशों की बढ़नी हुई जनसंख्या के लिए ही इन देशों में खाद्यान्न उत्पादन को। 5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ाने की आवश्यकता है। भारत जैसे देश में तो यह जनसंख्या वृद्धि-दर 2.5% वार्षिक है, अतः इस हित से ही खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिए। साथ ही इन देशों में गुण और मात्रा दोनों ही हपिकाणों से भोजन का स्तर निम्न है, जिसका इनकी कार्यक्षमता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। थीलका, भारत और फ़िलीपीन्स में भोजन का वास्तविक उपभोग न्यूनतम आवश्यकता से भी 12 से 18% कम है। आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप ज्यो-ज्यो इन देशों की राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, स्थो-त्यो प्रतिवर्षिक भोजन पर व्यय में वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त औद्योगिकरण के परिणामस्वरूप, जहरी जनसंख्या में वृद्धि होगी तथा गैर-कृषि व्यवसायों में नियोजित व्यक्तियों के अनुपात में वृद्धि होगी। उद्योग-वन्यों और अन्य व्यवसायों में लगे इन व्यक्तियों के सिसाने के लिए भी खाद्यान्नों की आवश्यकता होगी। इन सब कारणों से देश में खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि की आवश्यकता है जिसे कृषि के विकास द्वारा ही पूरा किया जा सकता है, अन्यथा भारत की तरह करोड़ों लोगों का अन्ध विदेशों से आयात करना पड़ेगा और दुर्लभ विदेशी-मुद्रा की व्यय करना होगा।

3. औद्योगिकरण के लिए बच्चे माल की उपलब्धि—किसी भी देश के औद्योगिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि औद्योगिक कच्चे माल के उत्पादन में भी वृद्धि हो। बहुत से उद्योगों में कृषि-जन्य कच्चे माल का ही उपयोग किया जाता है। कई अन्य उपभोक्ता उद्योगों के लिए बन्य उपज की आवश्यकता होती है। अतः जब तक पर्याप्त मात्रा में अच्छे किस्म के सस्ते कच्चे माल की उपलब्धि नहीं

हो सकती, तब तक औद्योगिक विकास नहीं हो सकता और न इन उद्योगों की प्रतिस्पर्द्धा शक्ति-वढ़ सकती है। अतः उद्योगों के लिए औद्योगिक कच्चे माल के उत्पादन में वृद्धि के लिए भी कृपि का विकास आवश्यक है।

4. विदेशी विनियोग की समस्या के समाधान में सहायक—यदि आधिक विकास कार्यक्रमों में कृपि विकास को महत्व नहीं दिया गया, तो देश में खाद्यान्नों और औद्योगिक कच्चे माल की कमी पड़ सकती है, और इन्हे विदेशी से आयात करने के लिए बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा व्यय करनी पड़ेगी। वैसे भी किसी विकासमान अर्थव्यवस्था की विकास की प्रारम्भिक अवस्था में विदेशी से बड़ी मात्रा में मशीनें और अन्य पूँजीयत सामग्री का आयात करना पड़ता है। इसका भुगतान कृपि जन्य और अन्य कच्चे माल के निर्यात द्वारा ही किया जा सकता है। अतः कृपि में प्रतिस्पर्द्धा लागत पर उत्पादन वृद्धि आवश्यक है। नियोजन में विशाल परियोजनाओं पर बड़ी मात्रा में धनराशि व्यय दी जाती है। इससे लोगों की मौद्रिक आय बढ़ जाती है। साथ ही वस्तु और सेवा उत्पादन में शोध वृद्धि नहीं होती। अतः अर्थ-व्यवस्था में मुद्रा प्रकारिक प्रवृत्तियाँ बढ़ने लगती हैं जिनका दमन वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति में वृद्धि से ही किया जा सकता है। इसके लिए भी या तो बहुत सीमा तक कृपि-उत्पादन में वृद्धि करनी पड़ेगी या विदेशी से आयात करना पड़ेगा जिनके लिए पुनः विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी। अतः इस समस्या के समाधान की विधि निर्यात योग्य पदार्थों की उत्पादन वृद्धि है जो अधिकांश अद्वैत-विकसित देशों में प्राथमिक पदार्थ है। यद्यपि आधिक विकास के साथ-साथ देश में अन्य निर्यात योग्य पदार्थों का उत्पादन भी बढ़ जाता है किन्तु जब तक अर्थ-व्यवस्था इस स्थिति में नहीं पहुँचती, तब तक ऐसे देशों भी विदेशी विनियोग स्थिति बहुत अधिक सीमा तक कृपि-नदार्थों के उत्पादन और निर्यात पर ही निर्भर दरेगी। अतः इन देशों में निर्याती हारा अधिक विदेशी मुद्रा का अर्जन करने या अपने वृंदि जन्य पदार्थों के आयात में कमी करने के लिए भी कृपि विकास का महत्व दिया जाना चाहिए।

5. औद्योगिक-क्षेत्र के लिए बाजार प्रस्तुत करना—विकासार्थ नियोजन में कृपि विकास, औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादित वस्तुयों के लिए बाजार प्रस्तुत करता है। ऐसे औद्योगिक विकास में, जिसमें उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की मात्रा नहीं हो कोई लाभ नहीं हो सकता। यदि केवल औद्योगिक विकास की ओर ही ध्यान दिया गया, तो अन्य क्षेत्रों की आय में वृद्धि नहीं होगी जिससे औद्योगिक वस्तुओं की मात्रा नहीं बढ़ पाएगी। किन्तु, यदि पूँजी विनियोजन के परिणामस्वरूप कृपि-उत्पादन में वृद्धि होती है तो कृपि में सलमन व्यक्तियों की आय में वृद्धि होगी, जिसको औद्योगिक-वस्तुओं के क्रय पर व्यय किया जाएगा। ऐसा भारत जैसे अद्वैत-विकसित देश के लिए तो और भी आवश्यक है, जहाँ की अधिकांश जनता कृपि व्यवसाय में सलमन है।

6. उद्योगों के लिए अधिकारों की पूर्ति—कृपि-विकास, औद्योगिक-क्षेत्र के लिए आवश्यक अम की पूर्ति सम्भव बनाता है। कृपि विकास के कार्यक्रमों से कृपि उत्पादन और कृपक की उत्पादकता में वृद्धि होती है और देश की जनसख्त्या के लिए आवश्यक

कृषि उत्पादन हेतु कृषि व्यवसाय के सचालन के लिए कम व्यक्तियों की ही प्रावश्यकता रह जाती है, शेष व्यक्तियों में से औद्योगिक क्षेत्र अपने विकास के लिए श्रमिकों को प्राप्त कर सकता है।

7. कम पूँजी से बेरोजगारी की समस्या के समाधान में सहायता—अर्द्ध विकसित देश व्यापक बेरोजगारी, अर्द्ध-बेरोजगारी और छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या से ग्रस्त हैं। वहाँ जन-शक्ति के एक बहुत बड़े भाग को रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इन देशों की विकास-योजनाओं का उद्देश्य, समस्त देशवासियों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना भी है। दूसरी ओर इन देशों में पूँजी की अत्यन्त कमी है। उद्योगों की स्थापना हेतु अपेक्षाकृत अधिक पूँजी की आवश्यकता होती है, किन्तु कृषि-व्यवसाय में कम पूँजी से अधिक व्यक्तियों को रोजगार दिया जा सकता है।

उद्योगों में विनियोग

(Investment in Industries)

योजना विनियोग में कृषि-क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता देने का आशय यह नहीं है कि उद्योग एवं सेवाओं को कम महत्व दिया जाए। इनका विकास भी कृषि विकास के लिए आवश्यक है। आर्थिक विकास के किसी भी कार्यक्रम में इनकी प्रगति के लिए पर्याप्त प्रयत्न किए जाने चाहिए। कृषि व्यक्ति औद्योगिक विकास का अर्थ औद्योगिकरण से लगते हैं। आर्थिक विकास प्रक्रिया में औद्योगिकरण का महत्व निम्नलिखित कारणों से है—

1 औद्योगिक विकास से कृषि-पदार्थों की माँग में वृद्धि—औद्योगिक-विकास द्वारा कृषि जन्य एवं ग्रन्थ प्राथमिक पदार्थों की माँग बढ़ती है। औद्योगिक-विकास के कारण, अधिक मात्रा में कृषि जन्य कच्चे माल की प्रावश्यकता होती है। औद्योगिकरण के कारण औद्योगिक-क्षेत्र में श्रमिकों की मात्र बढ़ती है, जिसका एक भाग भोजन पर व्यय किए जाने से भी कृषि पदार्थों की माँग बढ़ती है। इस प्रकार, औद्योगिक विकास, कृषि विकास को प्रभावित करता है। जिस प्रकार से कृषि क्षेत्र की बड़ी हुई आय गैर कृषि क्षेत्र के नियमित माल वी खपत बढ़ाने से सहायक होती है उसी प्रकार औद्योगिक क्षेत्र में होने वाली आय में वृद्धि कृषि पदार्थों की माँग में वृद्धि करके उसके विकास के लिए प्रेरणा प्रदान करते हैं।

2 अप्रयुक्त जन-शक्ति को रोजगार देने हेतु आवश्यक—निर्धन देशों में जनसंख्या की अधिकता और बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण कृषि पर जनसंख्या का भार अधिक है। वैकल्पिक उद्योगों के अभाव के कारण अधिकांश जनता जीविका-निर्धारा हेतु कृषि का अवलम्बन लेती है। किन्तु परम्परागत उत्पादन विधियों और कृषि व्यवसाय के अत्यन्त पिछड़े होने के कारण श्रमिकों की एक बहुत बड़ी संख्या या तो बेरोजगार रहती है या अर्द्ध-बेरोजगारी की शिकार रहती है। कृषि-व्यवसाय में यह महत्व बेरोजगारी अधिक व्याप्त रहती है। अनेक अनुभानों के अनुसार, कृषि-क्षेत्र की $\frac{1}{2}$ से $\frac{1}{4}$ जनसंख्या कृषि व्यवसाय नी आवश्यकताओं से अधिक होती

है। ग्रीष्मोगिक विकास के परिणामस्वरूप, देश की इस अप्रयुक्त जन-शक्ति को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकेंगे। इससे कृषि पर जनसंख्या का भार भी कम होगा और कृषि क्षेत्र में प्रति व्यक्ति उत्पादकता में बढ़ि होगी।

3 अर्थ-व्यवस्था को बहुमुखी बनाने के लिए आवश्यक—केवल कृषि या प्राचमिक व्यवसायों पर ही विनियोगों को केन्द्रित करने से अर्थ-व्यवस्था एकाकी हो जाती है। निर्धन देशों में जनसंख्या का एक बड़ा भाग कृषि-व्यवसाय में लगा रहता है। निर्धन देशों की कृषि-क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता एकांगी तथा असत्तुलित अर्थ-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न करती है। अर्थ व्यवस्था को बहुमुखी बनाने के लिए इन देशों में द्रुत ग्रीष्मोगिकरण आवश्यक है। वैसे भी कृषि आदि व्यवसाय प्रकृति पर निर्भर होते हैं, जिनसे इस व्यवसाय में स्थिरता और निश्चितता नहीं आ पाती। अत अर्थ-व्यवस्था का विविधीकरण आवश्यक है और इसके लिए द्रुत ग्रीष्मोगिकरण किया जाना चाहिए।

4 कृषि के लिए आवश्यक आवादानों (Inputs) की उपलब्धि—कृषि-विकास की योजनाओं में रासायनिक उत्पादक, कीटनाशक ग्रौपधियाँ, ट्रैक्टर एवं अन्य कृषि यन्त्र तथा ग्रीजार, तिचाई के लिए पम्प, रहट आदि की आवश्यकता होती है। अत इन वस्तुओं का उत्पादन और इनसे सम्बन्धित ग्रीष्मोगिक विकास आवश्यक है। ग्रीष्मोगिकरण मुख्यन कृषि-उद्योगों (Agro-industries) से कृषि विकास को प्रत्यक्ष सहायता मिलती है और कृषि-विकास के किसी भी कार्यक्रम में उक्त उद्योगों की कभी उपेक्षा नहीं की जा सकती।

5 गैर कृषि पदार्थों की मांग पूर्ति—आर्थिक विकास के कारण जनता की आप में बढ़ि होती है और कृषि पदार्थों के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के गैर-कृषि पदार्थों की मांग में भी बढ़ि होती है। ऐसा नागरिक जनसंख्या के अनुपात में बढ़ि के कारण भी होता है जो मुख-सुविधा की नई नई चीजों का उपयोग करना चाहती है। गैर कृषि पदार्थों की बढ़ती हुई इस मांग की पूर्ति हेतु उद्योगों में भी पूँजी विनियोग की आवश्यकता होती है।

6 उद्योगों में श्रमिकों वी सीमान्त उत्पादकता की अधिकता—कृषि में, उद्योगों की अपेक्षा, श्रम का सीमान्त उत्पादन-मूल्य कम होता है। ग्रीष्मोगिक विकास से श्रमिकों का कृषि से उद्योगों में हस्तान्तरण होता है, जिसका आशय गैर-कृषि क्षेत्र को अपेक्षा-कृत कम मूल्य पर श्रम पूर्ति से होता है। इससे अर्थ-व्यवस्था में श्रम संसाधनों के वितरण में कुशलता बढ़ती है और श्रम एवं पूँजी विकास में अच्छा सन्तुलन स्थापित होने की अविक्ष सम्भावना रहती है।

7. सामाजिक एवं अन्य साम्राज्य बहुधा आर्द्धिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हृष्टि से पिछड़े हुए होते हैं। ग्रीष्मोगिकरण से मानवीय कुशलताओं में बढ़ि होती है, जोसिं उठाने की श्रवृत्ति जाग्रत होती है तथा इससे सामाजिक सारचना अधिक प्रगतिशील और गतिशील (Dynamic) होती है। ग्रीष्मोगिकरण द्वारा नागरिक जनसंख्या का अनुपात बढ़ता है, जो अधिक विवेकपूर्ण व तर्कशील

होती है। इससे व्यक्तिगती और भौतिकवादी दृष्टिकोण का भी विकास होता है जो आर्थिक विकास के लिए अधिक उपयुक्त है। श्रोदोग्निक विकास में शहरी बाजारों का विस्तार होना है, जिससे यातायात और सचार-भाषणों का विकास होना है। साथ ही, इससे कृषि व्यापारी करण भी होना है और कृषि क्षेत्र में नवीन प्रवृत्तियों को जन्म मिलता है।

सेवा-क्षेत्र में विनियोग (Investment in Services)

कृषि और उद्योग आदि को प्रत्यक्ष उत्पादक-क्रियाओं के अतिरिक्त, आर्थिक विकास के लिए सामाजिक क्षेत्रों पूँजो (SOC) का निर्माण आवश्यक है। इसके अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सचार तथा पानी, विद्युत प्रकाश आदि जनोपयोगी सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। अर्ध-यवस्था के इस सेवा क्षेत्र में पूँजी-विनियोग करने से इनका विकास होगा, जिससे प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं में भी निजी-विनियोग को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही, ये सेवाएं, प्रत्यक्ष रूप से कृषि और औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के लिए भी अनिवार्य हैं। कृषि उत्पादन को खेनों से मणिडों, नगरों, बन्दरगाहों और विदेशों तक पहुँचाने के लिए सड़कों, रेलों बन्दरगाहों और जहाजरानों का विकास अनिवार्य है। इसी प्रकार, कारखानों और नगरों से कृषि के लिए आवश्यक आदानों जैसे—ल्हाच, बीज, कृषि यौजार, बीट ताशक, तकनीकी ज्ञान आदि खेनों तक पहुँचाने के लिए भी यातायात और सचार के साधन आवश्यक हैं। विभिन्न स्थानों से कारखानों तक कच्चे माल, इंधन आदि को पहुँचाने और उद्योगों के निर्विन माल को बाजारों तक पहुँचा कर, औद्योगिक विकास में सहायता देने के लिए भी यातायान एवं सचार साधनों का महत्व कम नहीं है। वाहन यातायान और सम्बेशवाहन किसी भी अध्य-यवस्था के स्नायु सन्तु हैं और अर्ध-यवस्था लंबी यातायान के मुचाह सचालन के लिए यातायात और सम्बेशवाहन के साधनों का विकसित होना अत्यन्त आवश्यक है। इनकी उपेक्षा करन पर कृषि और औद्योगिक विकास में भी निश्चिन रूप से घटराध (Bottle Necks) उपस्थित हो सकते हैं।

इसी प्रकार, सस्ती और पर्याप्त मात्रा में विद्युत उपलब्धि भी आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। सस्ती विजनी द्वारा लघु और कूटीर उद्योगों के विकास के बड़ी सहायता निल सकती है। सिचाई के लिए लघु और मध्यम सिचाई योजनाओं में किया जायें तथा द्वारा बहुत सहायता निल सकती है। विजनी द्वारा छोट-छोट पर्सिपाल सेट और दूसरे बल चलाकर खेतों को सिचित किया जा सकता है। बड़े उद्योगों के लिए सस्ती और पर्याप्त मात्रा में विद्युत उपलब्धि बहुत सहायक है। इस प्रकार विद्युत विह से द्वारा कृषि और औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है। शिक्षा, प्रशिक्षण तथा चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं का विकास देश की जन-जाति के विकास में सहायक होता है। अम, कल्याण-और प्रियद्वी जाति के कल्याण-कार्यक्रम इन वर्गों के विकास के लिए आवश्यक हैं। इन

समस्त सेवाओं द्वारा देश की जन-जर्ति की कार्य-कुशलता बढ़ती है और मानव-पूँजी का निर्माण होता है। देश के आर्थिक विकास के लिए मानवीय-पूँजी निर्माण में साधनों को विनियोजित करना भी आवश्यक है।

इस प्रकार, सामाजिक ऊपरी पूँजी (SOC) और सेवा-क्षेत्र में किए गए विनियोग कृपि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य आदि के ग्रादानों को सस्ता करके इनकी प्रत्यक्ष सहायता करते हैं। जब तक पर्याप्त विनियोगों द्वारा सस्ती और थोषु सेवाओं की उत्तमता नहीं होती, तब तक प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं में विनियोगों को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा और न ही ये ज्ञानप्रद होंगे। अत अर्थ-व्यवस्था के इस क्षेत्र में भी पर्याप्त मात्रा में विनियोगों को आवंटित किया जाना चाहिए, जिससे सद्प्रभावों के कारण, बाद में, प्रत्यक्ष-उत्पादक-क्रियाओं में विनियोग अधिकाधिक किए जाएंगे और अर्थ-व्यवस्था विकास पथ पर अग्रसर होंगी। प्रो हर्षमन (Prof Hirschmann) ने मतानुसार सामाजिक ऊपरी पूँजी (SOC) का निर्माण प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं को आने का आमन्त्रण देता है।

तीनों क्षेत्रों में समानान्तर व सन्तुलित विकास की आवश्यकता (Need of Balanced Growth in all the Three Sectors)

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि नियोजन प्रक्रिया में अर्थ-व्यवस्था के इन तीनों क्षेत्रों का अपना-अपना महत्व है और इन तीनों के समानान्तर और सन्तुलित विकास की आवश्यकता है। इसके अभाव में एक क्षेत्र का कम विकास, दूसरे क्षेत्र के विस्तार के लिए बाधा बन सकता है। उदाहरणार्थ यदि श्रीदोगिक उत्पादन का विस्तार होता है, किन्तु कृषि-क्षेत्र में कोई प्रगति नहीं होती, तो श्रीदोगिक-क्षेत्र की अतिरिक्त आय प्राप्तिक क्षेत्र की सीमित पूर्ति पर बदाव ढालेगी और मुद्रा प्रसारिक प्रवृत्तियों का उदय होगा या बाह्य साधनों पर कुप्रभाव पड़ेगा। इसी प्रकार यदि गैर-कृषि-क्षेत्रों में वृद्धि हुए बिना कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है तो कृषि, पदार्थों की मांग पूर्ति की अपेक्षा कम हो जाएगी। परिणामस्वरूप, मूल्य कम होंगे, आय भी कम होंगी और विकास में बाधाएँ पहुँचेंगी। अत सभी क्षेत्रों का समानान्तर और सन्तुलित विकास किया जाना चाहिए।

किन्तु सन्तुलित विकास का आशय सभी क्षेत्रों में समान दर से आर्थिक विकास नहीं है। बहुधा आय-वृद्धि के साथ साथ आय का भाग अधिक अनुपात में, निमित-वस्तुओं पर ध्यय किया जाता है। साथ ही, श्रीदोगिक विकास की गति बहुधा धीमी रही है, उसे तीव्र करने की आवश्यकता है। इसलिए विनियोग कार्यक्रमों में श्रीदोगिक-क्षेत्र का अपेक्षाकृत तीव्रता से विस्तार होता चाहिए, किन्तु, एक क्षेत्र या क्षेत्रों की उपेक्षा करके अन्य क्षेत्र या क्षेत्रों में विनियोगों को, केन्द्रित करना बुद्धिमत्तापूर्ण-नीति नहीं है। रोम में हुई विश्व जन-सम्मेलन (World Population Conference, 1954) के प्रतिवेदन के अनुसार विगत वर्षों में घोषित आर लेटिन अमेरिका के कम आवादी धारों में पूँजी और साधनों को कृषि क्षेत्र से उद्योगों की और प्रवृत्त करने से, न केवल कृषि विकास को ही प्रभावित किया, अपितु सामाज्य अर्थ-व्यवस्था

में भी बाँधभीय दबाव उत्पन्न कर दिए। वस्तुत अद्वैतिकसित देशों में कृषि-क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए और विनियोग कार्यक्रमों का निर्धारण करते समय अधिकांश राशि कृषि-विकास-कार्यक्रमों हेतु आवश्यित दी जानी चाहिए। आर्थिक इतिहास के अनुसार शोध्योगीकरण और पूँजी निर्माण के किसी भी कार्यक्रम की सफलता इस बात में निहित है कि उसके साथ शीघ्र फलदायक कृषि विकास परियोजनाएँ भी साथ-साथ प्रारम्भ की जाएँ। ढी एस नाग के मतानुसार 'कृषि-क्षेत्र में विनियोग कृषि उत्पादकता और कृषि पर अत्यन्त उल्लेखनीय प्रभाव पैदा कर सकते हैं। इने अन्य क्षेत्रों के लिए मार्ग का सूजन करने और विशाल मात्रा में पूँजी-निर्माण में योगदान देने हेतु पहलकर्ता के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है।'¹ जहाँ कही भी कृषि की उपेक्षा की गई है वहाँ या तो अर्थ-व्यवस्थाएँ हिंसर हो गई हैं या उनकी विकास-दरें गिर गई हैं। इगलैण्ड और चीन की उपेक्षा काँस की अर्थ-व्यवस्था की सापेक्षिक स्थिरता का बारण, वहाँ कृषि-क्षेत्र की धीमी प्रगति है।

अत विनियोग कार्यक्रमों में कृषि, उद्योग सेवाओं को यथोचित महत्व दिया जाना चाहिए। इन तीनों क्षेत्रों की प्रतिस्पर्द्धा नहीं बरन पूरक समझना चाहिए। ये तीनों क्षेत्र एक दूसरे से सम्बन्धित हैं और परस्पर निर्भर हैं। साथ ही, एक क्षेत्र का विकास दूसरे क्षेत्र को विकास की प्रेरणा देता है।

विनियोग आवटन सम्बन्धी कुछ नीतियाँ (Some Policies of Allocation of Investment)—समस्त देशों में एक सी परिस्थितियाँ विद्यमान नहीं रहती। अत इस सम्बन्ध में कोई सामान्य सिद्धान्त नहीं बनाया जा सकता। अद्वैतिकसित देशों को आज के विकास देशों में अपनाई गई प्राथमिकताओं को भी उसी रूप में नहीं ग्रहण कर लेना चाहिए व्योकि उनकी परिस्थितियाँ भिन्न थी। अत प्रत्येक देश को अपनी परिस्थितिनुसार विभिन्न क्षेत्रों में विनियोगों का आवटन करना चाहिए। इस सम्बन्ध में अप्र पृष्ठ पर कुछ नीति संकेत दिए हुए हैं जिन्हें स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार संशोधित करके अद्वैतिकसित देश अपना सकते हैं—

(i) किसी एक क्षेत्र के उद्योग अव्यावहारिक क्रिया को दूसरी से अधिक महत्वपूर्ण नहीं माना जाना चाहिए। इस प्रकार, एक क्षेत्र की उपेक्षा करके अन्य क्षेत्र में विनियोगों को केन्द्रित नहीं करना चाहिए। प्राथमिकताओं के निर्धारण में 'सीमान्त सामाजिक उत्पादकता के सिद्धान्त' का अनुसरण किया जाना चाहिए।

(ii) विनियोग-आवटन पर विचार करते समय, स्थानीय परिस्थितियों जैसे—साधनों की स्थिति, आर्थिक विकास का स्तर, तकनीकी स्तर, संस्थागत घटकों एवं इसी प्रकार के अन्य तत्त्वों पर भी विचार किया जाना चाहिए।

(iii) अन्य विकासित और अद्वैतिकसित देशों के अनुभव द्वारा भी लाभ उठाना चाहिए।

(iv) ऐसे देशों में जहाँ अतिरिक्त श्रम-शक्ति और सीमित पूँजी हो विकास की प्रारम्भिक घटवस्थाएँ मेरुदण्ड, सिचाई, यातायात एवं अन्य जनोपयोगी सेवाएँ पर पूँजी विनियोजन अधिक लाभप्रद रहता है। इन क्षेत्रों में अल्प पूँजी से ही अधिक व्यक्तियों को रोजगार दिया जा सकता है, साथ ही, निर्माणी उद्योगों को भी विकसित किया जाना चाहिए।

(v) विकासमान अर्थ घटवस्था में यह सम्भव नहीं होता कि अर्थ-घटवस्था के सभी क्षेत्र पूर्ण-सतुलित रूप से समान-दर से प्रगति करें। आर्थिक विकास अवधि में कहीं आधिक्य और कहीं कमी का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। इन्तु इस सम्बन्ध में अधिकाधिक सूचनाएँ तथा आंकड़े एकत्रित करके सीमित साधनों को उन क्षेत्रों में प्रयुक्त करना चाहिए, जहाँ उनका सर्वोत्तम उपयोग हो।

12

विभिन्न क्षेत्रों से विनियोगों का आवंटन

(Allocation of Investment between Different Regions)

आर्थिक विकास की हृषि से नियोजन को अपनाने वाले, अद्वैतिक सिद्धि देशों के पास मुख्यतः साधनों तथा पूँजी का समावह होता है। इसके विपरीत, पूँजी विनियोग के लिए क्षेत्रों, परियोजनाओं और उद्योगों की बहुलता होती है। इनमें से प्रत्येक में पूँजी का समुचित विनियोग करने पर ही आर्थिक विकास को गति दी जा सकती है। अतः इन देशों की प्रमुख समस्या यह होती है कि इन विनियोगों का उचित और विवेकपूर्ण आवंटन किम प्रकार हो, पिछले अध्यायों में हम विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में विनियोगों के आवंटन पर विचार कर चुके हैं। इस अध्याय में हम विशेषतः भौगोलिक क्षेत्रों या प्रदेशों में विनियोगों के आवंटन पर विचार करेंगे।

विभिन्न क्षेत्रों में विनियोगों का आवंटन

(Allocation of Investment Between Different Regions)

विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में विनियोगों के आवंटन के सम्बन्ध में कई विकल्प हो सकते हैं। एक विकल्प यह है कि देश के आर्थिक हृषि से पिछड़े क्षेत्रों में अधिक विनियोग किया जाए। अन्य विकल्प यह हो सकता है कि विकास की अधिक समावना वाले क्षेत्रों में, अधिक राशि विनियोजित जी जाए। एक और विकल्प यह हो सकता है कि सब क्षेत्रों में समान रूप से विनियोगों का आवंटन किया जाए।

1. पिछड़े क्षेत्रों में अधिक आवंटन - विसी देश के स्थानिक और समृद्धि के लिए न बेकल द्रुत गति से आर्थिक विकास प्राप्तशक्ति है अपितु यह भी आवश्यक है कि उस देश के नभी क्षेत्रों वा तीव्रता से और नतुरिल आर्थिक विकास हो। सभी क्षेत्र और सारी जनता उस विकास और समृद्धि में भागीदार बनें। यह तभी सम्भव है, जबकि देश के आर्थिक हृषि से पिछड़े क्षेत्रों में अधिक पूँजी वा विनियोजन किया जाए। अधिकांश विकासशील देश न बेकल अद्वैतिक होते हैं, अपितु इनके विभिन्न क्षेत्रों की आर्थिक प्रगति और समृद्धि में भी सारी अन्तर है। विभिन्न क्षेत्रों की प्रति व्यक्ति आय से बड़ी विपरीता है। उदाहरण/र्थ, भारत में तृतीय पचदर्शीय योजना के अन्त में, अर्थात् 1965-66 में, विट्ठर राज्य की प्रति व्यक्ति आय बेकल

212 91 ह थी। इसके विपरीत, पश्चिमी बगाल की प्रति व्यक्ति आय उक्त वर्ष में 433 43 ह थी, जो बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय की दुगुनी से भी अधिक थी। असतुलित विकास के कारण ही देश के कुछ राज्य अन्य राज्यों से बहुत पिछड़े हुए हैं। विभिन्न क्षेत्र वासियों के जीवन स्तर में भारी अन्तर है। यह बात कदाचि उचित नहीं है। किमी एक क्षेत्र की विवरनता से अन्य समृद्ध क्षेत्र के लिए भी कभी-कभी खनरा पैदा हो सकता है। फिर आर्थिक-नियोजन का उद्देश्य देश की राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना है। राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि तब तक सम्भव नहीं है जब तक इन क्षेत्रों की आय में वृद्धि नहीं हो और यह तभी सम्भव है जबकि इन पिछड़े हुए क्षेत्रों में पर्याप्त पूँजी विनियोजन किया जाए। देश के सभी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करने के लिए भी इन प्रदेशों में अधिक पूँजी विनियोग और उद्योग-धन्दों की स्थापना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ विकास हेतु आवश्यक सामाजिक और आर्थिक ऊपरी सुविधाओं, रेलों, सड़कों, विद्युत सिचाई की सुविधाओं, शिक्षा तथा चिकित्सा आदि की सुविधाओं का योग्यावधार होता है। इन क्षेत्रों में आर्थिक विकास को गति देने के लिए तथा कृषि और उद्योगों के विकास हेतु इन आधारभूत सुविधाओं के निर्माण की अत्यन्त आवश्यकता होती है और इनमें भारी पूँजी-विनियोग की आवश्यकता होती है। इस प्रकार यदि देश के समस्त भागों में प्रति व्यक्ति आय में समान दर से वृद्धि करना चाहे तब भी पिछड़े क्षेत्रों में अधिक विकास कार्यक्रम अपराम्भ किए जाने चाहिए। किन्तु आर्थिक, सामाजिक और राष्ट्रीय हृष्टि से केवल यही आवश्यक नहीं है कि देश के सभी क्षेत्र समान-दर से विकसित हो अपितु यह भी अनिवार्य है कि पिछड़े क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक गति से विकास करें। इसके लिए यह आवश्यक है कि देश के इन पिछड़े और निर्घन क्षेत्रों में विनियोगों का अधिकाधिक भाग आवर्टन किया जाए। सार्वजनिक-क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना के समय इस सतुलित क्षेत्रीय-विकास की विचारधारा को अधिक ध्यान में रखा जाए। सतुलित श्रेत्रीय विकास के उद्देश्य की प्राप्ति अल्पवाल में नहीं हो सकती। यह एक दीर्घकालीन उद्देश्य है जिसकी पूर्ति करने के लिए पिछड़े हुए क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक ऊपरी लागतों पर बड़े पैमाने पर पूँजी-विनियोग की आवश्यकता है।

2 विकास की सम्भावना वाले क्षेत्रों में विनियोग—वस्तुत विद्युड़े क्षेत्रों में अधिक विनियोग किए जाने का तर्क आर्थिक की अपेक्षा सामाजिक कारणों पर अधिक प्राधारित है। अत विकास कार्य अथवा कायकम वहाँ सचालित किए जाने चाहिए, जहाँ उनकी सफलता की अधिक सम्भावना हो। इन अद्वितीय विकासित देशों में विनियोग योग्य साधनों का अत्यन्त योग्यावधार होता है। अत इनका उपयोग उन स्थानों एवं परियोजनाओं में किया जाना उपयुक्त है जहाँ इनकी उत्पादकता अधिक हो और देश को अधिकतम लाभ हो। प्रत्येक देश में सब क्षेत्र द्रूत विकास के लिए विशेष रूप से समय अर्थ-व्यवस्था के हृष्टिकोण से, समान रूप से उपयुक्त नहीं होते, क्योंकि सब स्थानों और क्षेत्रों की भौगोलिक स्थितियाँ समान नहीं होती। कुछ क्षेत्रों में भौगोलिक परिस्थितियाँ विकास के अधिक अनुकूल होती हैं तो कुछ क्षेत्रों में विकास में बाधक

तत्त्व अधिक प्रबल होते हैं। इसलिए सब क्षेत्रों में सतुरित विकास और विनियोगों के समान आवटन की नीति चाहनीय नहीं हो सकती। अत्यधिक रेगिस्टरेशनी क्षेत्रों या पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक पूजी-विनियोग करना उत्पादन-वृद्धि की हाई से अधिक लाभप्रद नहीं होगा। इसके विपरीत यदि यही विनियोग विशाल कृषि-क्षेत्रों में कृषि-विकास के व्यापक कार्यक्रमों और गहन-कृषि के लिए किए गए, खनिज सपदा में समृद्ध क्षेत्रों में किए गए, किसी विशाल नदी चाटी परियोजना के सचालन के लिए किए गए तो ऐसा न केवल उस क्षेत्र के लिए अपितु समग्र अर्थ-व्यवस्था के लिए हितकर होगा। प्रत्येक अर्थ-व्यवस्था में कुछ वृद्धिमान बिन्दु (Growing Points) होते हैं। उसी प्रकार, कुछ क्षेत्रों में विकास की सम्भावनाएँ अधिक होती हैं और विनियोगों द्वारा इन्हीं सम्भावनाओं का विदीहन करना चाहिए। स्वाभाविक रूप से प्राकृतिक साधनों में धनी क्षेत्रों में विनियोग आवटन की प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

3 जभी क्षेत्रों में समान-रूप से विनियोग आवंटन—विनियोग आवटन के लिए देश के रामी क्षेत्रों में समान रूप से विनियोगों का आवटन किया जाना चाहिए, यह सिद्धान्त न्यायपूर्ण है और समानता के सिद्धान्त पर आधारित है किन्तु अधिक अव्यावहारिक नहीं है। सब क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियाँ और प्राकृतिक साधन भिन्न-भिन्न होते हैं। इन विभिन्न क्षेत्रों की विकास क्षमताएँ भी भिन्न-भिन्न होती हैं। जनसंख्या और क्षेत्रफल से अन्तर होता है साथ ही विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताएँ भिन्न-भिन्न होती हैं। अत सब क्षेत्रों के लिए समान विनियोगों की नीति अव्यावहारिक है।

उचित विनियोग-नीति—उचित विनियोग-नीति में उपरोक्त तीनों सिद्धान्तों, मुख्य रूप से प्रथम दो हाईकोरों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। वस्तुत विस्तीर्णीकालीन नियोजन में न केवल समस्त देश के विकास के प्रयत्न किए जाने चाहिए, अपितु विछड़े हुए क्षेत्रों को भी अन्य क्षेत्रों के समान-स्तर पर लाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। इस दृष्टि से विनियोग-आवटन में विछड़े हुए क्षेत्रों को कुछ रियायत दी जानी चाहिए। किन्तु फिर उन प्रदेशों और क्षेत्रों को अधिक राजि आवटित की जानी चाहिए, जिनमें विकास की सम्भावनाएँ (Growth Potential) अधिक हो। विकास की प्रारम्भिक अवस्थाओं में इस प्रवार की नीति और भी आवश्यक है, क्योंकि सीमित साधन होने के कारण आधिक विकास के कार्यक्रमों को ऐसे केन्द्रों पर स्थापित किया जाना चाहिए, जहाँ विनियोजन के घन्तकूल फल प्राप्त होते हैं। बाद की अवस्थाओं में सतुरित प्रादेशिक विकास को इस्टिंट से विनियोगों का आवटन किए जाने पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

भारतीय-नियोजन और संतुलित प्रादेशिक-विकास

भारत के विभिन्न क्षेत्रों के आधिक विकास के स्तर में पर्याप्त भिन्नता है। देश के विभिन्न राज्यों में ही नहीं, परिस्तु एवं राज्य के अन्दर भी विभिन्न क्षेत्रों में

आधिक प्रगति के स्तर में पर्याप्त अन्तर है। भारतीय नियोजन में देश के सन्तुलित विकास के प्रयत्न किए गए हैं। पिछड़े हुए क्षेत्रों को उन्नत करने के लिए विशेष कार्यक्रम अपनाएं गए हैं, किन्तु विकास की दृष्टि से अधिक सूक्ष्म क्षेत्रों में विनियोगों की ओर ध्यान दिया गया है। इस प्रकार, विनियोग-नीति का आधार जहाँ समस्त अर्थ व्यवस्था और देश की दृष्टि से आधिक विकास को गति देने वाले क्षेत्रों में अधिक विनियोग करना रहा है, वहाँ सन्तुलित प्रादेशिक विकास की दृष्टि से भी विनियोग कार्यक्रम संचालित किए गए हैं। देश की प्रति व्यक्ति आय और आधिक प्रगति की हार्दिक में क्षेत्रीय विप्रवासीओं को कम करने और क्षेत्रीय सतुलन स्थापित करने की ओर भी, याजना-निर्माताओं का ध्यान दिया गया है। यद्यपि, प्रथम पञ्चवर्षीय योजना में इम दिशा में विशेष उपाय प्रयोग में नहीं लाए जा सके, किन्तु द्वितीय एवं तृतीय विकास योजनाओं में क्षेत्रीय-विप्रवासीओं को दूर करने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया और इस उद्देश्य से कुछ कार्यक्रम आरम्भ किए गए हैं।

प्रकार ने अपनी लाइसेंस आदि नीतियों द्वारा सतुलित विनियोगों को प्रभावित किया है। मोटरगाड़ियाँ रसायन उद्योग, कागज उद्योग आदि के लिए दिए गए ला सेन्सो से पता चलता है कि इनमें पिछड़े क्षेत्रों का अनुपात बढ़ गया है। सरकारी क्षेत्र की औद्योगिक-परियोजनाओं के बारे में जो निश्चय किए गए, उनसे स्पष्ट होता है कि वे दूर-दूर हैं एवं उनसे विभिन्न प्रदेशों में औद्योगिक विकास होगा। उडीमा भे हरकेता इस्पात कारखाना और उर्वरक कारखाने का विस्तार, असम में नूनमाटी तेलशोधन कारखाना व उर्वरक कारखाना और प्राकृतिक गैस का उपयोग एवं वितरण, केरल में फाइटो रासायनिक कारखाना, उर्धरक कारखाने की क्षमता का विस्तार तथा एक जहाजी याँड़ का निर्माण, आन्ध्र प्रदेश में रासायनिक औपचार्यकारखाना, विणायकपट्टनम् की सूखी गोदी, हिन्दुस्तान शिपयाँड़ का विस्तार प्राय दूसरे और आन्ध्र पेपर मिल्स का विस्तार, मध्य प्रदेश में नोटो के कागज का कारखाना, बुनिय दी ऊर्ध्व सह कारखाना परियोजना, नेपा पेपर मिल्स का विस्तार, भिसाई इस्पात कारखाना और विजली के भारी सामान की परियोजना, उत्तर-प्रदेश में कीटाणुनाशक औपचार्यों का उत्पादन, उर्वरक कारखाना, ऊर्ध्व सह कारखाना तथा यन्नों के कारखाने का विस्तार, राजस्थान में तीव्र तथा जरूरी की खानों का विस्तार एवं परिद्रावकों की स्थापना, सूक्ष्म-यन्त्र-कारखाना, पजाव में मशीनी योजारों का कारखाना, मद्रास में शल्य उपकरणों, निवेली लिग्नाइट उच्च ताप कार्बनीकरण कारखाना, टेलीप्रिन्टर कारखाना और इस्पात ढलाई कारखाना, गुजरात में तेल-शोधक कारखाना और जमू कश्मीर में सीमेन्ट के कारखानों आदि की स्थापना से पिछड़े क्षेत्रों को विकसित होने का अवसर मिलेगा। विकास योजना में निजी-क्षेत्र में कारखानों की स्थापना पर किया गया पूर्जी-विनियोग भी सन्तुलित औद्योगिक विकास में सहायक होगा। जैसे उत्तर-प्रदेश में एल्यूमीनियम कारखाना, राजस्थान में उर्वरक, नाइलोन, कास्टिक मोड़ा, पी. सी. सी. आदि के कारखाने, असम में नकली रबड़, पोलिविलीन तथा कार्बन ब्लेक की परियोजनाएँ और कागज की लुगदी तैयार करने

का कारखाना तथा केरल में मोटरो के रबड़-टायर तैयार करने के कारखाने देश में सन्तुलित औद्योगिक विकास में सहायक होंगे।

इसी प्रकार ग्रामीण कार्यक्रम (Rural Works Programme) के लिए क्षेत्रों का चुनाव करते समय उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है, जहाँ जनसंख्या का दबाव अधिक हो और प्राकृतिक साधन कम विकसित हो। तृतीय योजना में तो पिछड़े क्षेत्र में 'औद्योगिक क्षेत्र' (Industrial Development Areas) की स्थापना का भी कार्यक्रम था। चतुर्थ योजना में भी विनियोग आवटन में पिछड़े क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया।

किन्तु इतना सब होते हुए भी भारतीय नियोजन में 'विकासमान विन्दुओं' (Growing Points) की उपेक्षा नहीं की गई है। ऐसी परियोजनाओं को, जाहे वे पिछड़े क्षेत्रों में हो या समृद्ध क्षेत्रों में, विनियोगों के आवटन में प्राथमिकता दी गई है।

निजी और सार्वजनिक-क्षेत्रों में विनियोगों का आवंटन

(Allocation of Investment Between Private
and Public Sectors)

प्राचीन बाल में यह मत याप्त था कि राज्य को देश की आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और व्यक्तियों और सम्याजों को आर्थिक नियाओं में पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिए। सगहबी और अठारहबी शताब्दी में आर्थिक जगत में परम्परावादी अर्थशास्त्रियों के निहंस्तक्षेप के सिद्धान्त वो मान्यता मिली हुई थी। न केवल आर्थिक क्षेत्र में बिन्तु अन्य क्षेत्रों में भी सरकारी कारों को सीमित रखने पर ही बल दिया गया था। लोगों का विश्वास था कि वह सरकार सबसे अच्छी है जो भूगतम शासन करे (The Government is best which governs the least)। इसके साथ ही लोगों ने यह भी विचार किया कि राज्य आर्थिक नियाओं का सचालन सुचारू रूप से मितव्ययितापूर्वक नहीं कर सकता है। अर्थशास्त्र के एडम स्मिथ (Adam Smith) का विश्वास था कि 'सभ्राट् प्रोर व्यापारी से अधिक दो अच्छे विरोधी चरित्र नहीं होते' (Not two characters are more inconsistent than those of a sovereign and the trader) जिन्होंने 19वीं शताब्दी में सरकारी-नियन्त्रण तथा नियमन का मार्ग प्रशस्त होने लगा। 20वीं शताब्दी के आरम्भ में स्वतन्त्र उपकरण वाली अर्थ-व्यवस्था के दोष स्पष्ट रूप से प्रकट होने लगे। राज्य हस्तक्षेप-मुक्त उपकरण के कारण गलघोटा प्रतियोगिता (Cut throat Competition), आर्थिक शोषण, व्यापार-चक्र, आर्थिक-सकट एवं अन्य सामाजिक कुरीतियों आदि का प्रादुर्भाव हुआ। स्वतन्त्र उपकरण पर आधारित अर्थ-व्यवस्था के इन दोषों ने इसकी उपयुक्तता पर से विश्वास डाला दिया। अब यह स्वीकार किया जाने लगा कि आर्थिक क्रियाओं पर सरकारी नियमन एवं नियन्त्रण-मात्र ही पर्याप्त नहीं, अपितु अब सरकार को आर्थिक नियाओं में प्रत्यक्ष रूप से भी भाग लेना चाहिए। इस प्रकार अब सरकारें भी, आर्थिक क्रियाओं को सचालित करने लगी और सार्वजनिक क्षेत्र का प्रादुर्भाव हुआ। आज लगभग सभी देशों में किसी न किसी रूप में सार्वजनिक-क्षेत्र पाया जाता है। इस प्रकार, कई देशों में मिश्रित अर्थ-व्यवस्था (Mixed Economy) का जन्म हुआ है।

सार्वजनिक और निजी-क्षेत्र का अर्थ (Meaning of Public and Private Sector)

निजी क्षेत्र और निजी-उद्यम पर्यायिकाची शब्द हैं। निजी-क्षेत्र का आशय उन समस्त उत्पादन इकाइयों से होता है जो किसी देश में निजी-व्यक्तियों के स्वामित्व, नियन्त्रण और प्रबन्ध में सरकार के सामान्य नियमों के अनुसार सचालित की जाती हैं। इस क्षेत्र में सभी प्रकार के निजी-उद्यम जैसे-धरेलू और विदेशी निजी-उद्योग तथा कम्पनी-क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। निजी-क्षेत्र में वे सभी व्यापारिक औद्योगिक और व्यावसायिक कारोबार शामिल होते हैं, जो व्यक्तिगत पहल के परिणाम हैं। इसके विपरीत सार्वजनिक क्षेत्र का आशय समस्त राजकीय उपकरणों से है। राजकीय-उपकरण का अर्थ ऐसी व्यावसायिक स्थिति से होता है, जिस पर राज्य का स्वामित्व हो अथवा जिसकी प्रबन्ध व्यवस्था राजकीय यन्त्र द्वारा की जाती हो या स्वामित्व और नियन्त्रण दोनों ही राज्य के अधीन हो। सार्वजनिक क्षेत्र में मुख्यतः सरकारी कम्पनियाँ, राजकीय विभागों द्वारा सचालित उद्योग और सार्वजनिक नियम ग्राहते हैं। निजी-क्षेत्र का अधिकांश भाग थोटे-थोटे अमरण्य उत्पादकों एवं कर्तिपय बड़े उद्योग-पतियों से मिलकर बनता है, जो देश में सर्वांग फैले हुए होते हैं। निजी-क्षेत्र में मुख्यतः एकाकी व्यापारी, सामेदारी समूह, प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कम्पनियाँ आदि के रूप में उत्पादक इकाइयाँ आती हैं।

भारत सरकार ने निजी और सार्वजनिक-क्षेत्र को निम्न प्रकार परिभाषित किया है—

सार्वजनिक-क्षेत्र—समस्त विभागीय उपकरण, कम्पनियाँ और परियोजनाएँ, जो पूर्ण रूप से सरकार (वेन्ट्रीय या राज्य) के स्वामित्व और सचालन में हों, समस्त विभागीय-उपकरण, कम्पनियाँ या परियोजनाएँ, जिसमें सरकारी पूँजी का विनियोग 51% या इससे अधिक हो, समस्त विधान द्वारा स्थापित संस्थाएँ और नियम सार्वजनिक क्षेत्र में माने जा सकते हैं।

निजी-क्षेत्र संस्थापित व्यापार और उद्योग में सलग्न प्राइवेट पार्टियाँ और वे कम्पनियाँ एवं उपकरण, जिसमें सरकारी (वेन्ट्री अथवा राज्य) विनियोग 51% से कम है निजी-क्षेत्र में मानी जा सकती है।

आर्थिक विकास में निजी-क्षेत्र का महत्व

(Importance of Private Sector in Economic Development)

1. **आर्थिक विकास का आदि स्रोत**—विश्व के आर्थिक इतिहास को देखने से, जात होता है कि उसकी इतनी अधिक आर्थिक प्रगति का श्रेय निजी-क्षेत्र को है। अमेरिका, फ्रांस, नार्वे, स्वीडन, जर्मनी आदि देशों ने निजी क्षेत्र द्वारा ही इतनी अधिक प्रगति की है। अमेरिका को तो निजी-उद्यम-पद्धति पर गर्ने है। अमेरिका अपनी अर्ध-व्यवस्था में निजी-उद्यम को प्रधानता देने के लिए वचनबद्ध है। वहाँ राष्ट्रीय सकट के समय भी सार्वजनिक पहल वो दूसरा स्थान दिया जाता है। वस्तुत वह इतनी तीव्र गति से आर्थिक उन्नति करने में निजी-उद्यम के द्वारा ही

सफल हुआ है। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् जर्मनी में भी अर्थ-व्यवस्था के प्रबन्ध में राज-मत्ता का प्रयोग कम से कम करने की नीति अपनाई गई है। डॉ. इराहर्ड ने, जिनका दावा है कि युद्धोत्तरकाल में जर्मनी प्रतियोगिता ढारा समृद्ध होने में सफल हुआ है सरकारी हस्तक्षेप के विरुद्ध आवाज उठाई है। जापान की आर्थिक उन्नति में निजी-क्षेत्र का विशेष योगदान रहा है। फँस, नीदरलैण्ड, नार्वे, स्वीडन और ब्रिटेन में भी निजी-क्षेत्र का योग कुल राष्ट्रीय आय में 75% से 80% के लगभग है। आधुनिक विश्व में भी सोवियत संघ, पूर्वी यूरोप के देश, चीन, उत्तरी कोरिया और वियनाम आदि साम्यवादी देशों को छोड़कर अन्य देशों में निजी-उपक्रम की प्रधानता है। यहाँ तक कि पूर्वी-यूरोपीय देशों में भी, कृपि कुछ सीमा तक निजी क्षेत्र के व्यक्तियों के हाथ में ही है।

आधुनिक अर्द्ध-विकसित देशों में भी निजी-उपक्रम का बहुत महत्व है। इससे आर्थिक विकास में सहायता मिलती है। लेबनान और उरगोय में स्वतन्त्र बाजार पढ़ति के आधार पर अर्थ व्यवस्था कार्य कर रही है। पाकिस्तान, याइलैण्ड, फारमोसा देल्ली कोरिया, मनेशिया, नाईजीरिया, ग्रेंटाइना, ब्राजील, चिली, कोलम्बिया, बेनेजुएला इत्यादि देशों में सामान्यत मिश्रित अर्थ व्यवस्था है, जिसमें निजी-क्षेत्र की ओर अधिक मुकाबला है। इन देशों की अर्थ-व्यवस्था में राज्य नियन्त्रण बहुधा केवल उन क्षेत्रों पर है जिनमें निजी उद्यम कार्य करने के लिए या तो तैयार नहीं है अथवा उसमें इनकी सामर्थ्य नहीं है, किन्तु मैंविसको और भारत में सरकारी-क्षेत्र एक विशाल निजी क्षेत्र के साथ कार्य कर रहा है।

2 जनतानिक विचारधारा-विश्व के जनतानिक देश राजनीतिक स्वतन्त्रता के समान आर्थिक स्वतन्त्रता के भी हड समर्थक हैं। प्रजातानिक शासन में नामरिकों को कुछ सीमाओं के साथ आर्थिक स्वतन्त्रता प्रदान दी जाती है। उन्हे निजी-समर्पति का अधिकार होता है और उत्पादन साधनों को क्रय करने, अपनी सम्पत्ति वा इच्छा-नुपार उपयोग करने, विक्रय आदि की स्वतन्त्रता होती है। ऐसी स्थिति में, निजी-उपक्रम का होना स्वाभाविक ही है। निजी उपक्रम की पूर्ण समाप्ति केवल साम्यवादी देशों में ही हो सकती है। प्रति विश्व का जो भी देश जनतानिक मूल्यों में विश्वास करता है, वहाँ निजी-उपक्रम का आर्थिक विकास में योगदान महत्वपूर्ण होता है।

3 सरकार के पास उत्पादन साधनों की सीमितता—यदि ऐसे देश नियोजित अर्थ व्यवस्था के सचालन हेतु ममस्त उत्पत्ति के साधनों को सार्वजनिक-क्षेत्र में लेना चाहें तो सरकार को उसके उपलब्ध साधनों का बहुत बड़ा भाग दीर्घकाल तक मुश्किले के रूप में देना पड़ेगा। इससे अन्य क्षेत्रों के लिए सरकार के पास साधनों की कमी पड़ेगी और आर्थिक प्रगति अवश्य हो जाएगी। इसके अतिरिक्त, जब निजी-उपक्रमियों को राष्ट्रीयकरण करके स्थिरीकृत दी जाती है तो उनके पास अन्य उत्पादन के साधनों को क्रय करने और अन्य उपक्रमों को प्रारम्भ करने के लिए धन पहुँच जाता है, इस प्रकार निजी क्षेत्र का अस्तित्व बना रहता है। अर्द्ध-विकसित देशों में वस्तुत उद्योग, उत्पादन तथा उपक्रम के इतने अधिक क्षेत्र होते हैं कि सरकार अपने समस्त साधनों

से भी इन्हे स्थापित नहीं कर सकती। ऐसी स्थिति में, उचित नीति यही है कि निजी-क्षेत्र के व्यवसायों को कार्य करने दिया जाए और राज्य ऐसे तरीने व्यवसायों को प्रारम्भ एवं विकसित करे जिनकी देश को अधिक आवश्यकता हो।

4 निजी-उपक्रम की क्षमता का लाभ—निजी उपक्रम प्रणाली में निजी सम्पत्ति (Private Property) और निजी लाभ की छूट होती है। पूँजीपतियों को लाभ कराने और उसका उपयोग करने की स्वतन्त्रता होती है अत वे प्रधिक से अधिक लाभ कराने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए वे उत्पादन कायों को अपेक्षाकृत अधिक मित्रव्यविता और कुशलतापूर्वक सचालन करते हैं। इसके विपरीत, सार्वजनिक क्षेत्रों की बार्य-क्षमता इतनी अधिक नहीं होती क्योंकि उनका प्रबंध आदि ऐसे व्यक्तियों द्वारा दिया जाता है जिनका हित उनसे बहुत अधिक नहीं बढ़ा होता। भारत के कई सार्वजनिक उपक्रम भारतीय अर्थ व्यवस्था पर भार बने हुए हैं। वास्तव में सार्वजनिक क्षेत्र की अपेक्षा निजी क्षेत्र की कार्यक्षमता अधिक थोड़ होती है। लाभ कराने की छूट के कारण पूँजीपतियों में उत्पादन प्रेरणा उत्पन्न होती है और वे अधिक बचत और विनियोग करने को तथ्य होते हैं। निजी-क्षेत्र का अस्तित्व सामान्य जनता में सरकार के प्रति विश्वास जाग्रत करता है और व्यक्तिगत अर्थ साधन राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध होते रहते हैं।

5 विदेशी पूँजी और वित्तीय साधनों की प्राप्ति—योजनाओं के लिए निर्धारित विशाल कार्यक्रमों की वित्त व्यवहस्त्रा केवल आक्तरिक साधनों से ही सम्भव नहीं हो सकती। कुछ अपवादों को छोड़कर प्रत्येक देश के आर्थिक विकास में विदेशी पूँजी और वित्तीय साधनों से पर्याप्त सहायता मिली है। अद्देविकसित राष्ट्रों को योजनाओं को पूरा करने के लिए विदेशी पूँजी की आवश्यकता है किन्तु विदेशी पूँजीपति और उद्योगपति उन देशों में ही पूँजी विनियोजित करने को प्रस्तुत होते हैं जहाँ राष्ट्रीयकरण का भय न हो, जहाँ निजी उपक्रम विद्यमान हो और उसको उचित सुविधाएँ तथा प्रेरणाएँ प्राप्त होतया जहाँ सार्वजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र के साथ द्वितीय प्रतियोगिता न करता हो। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में भी वित्तीय सहायता देते समय इस बात पर विचार करती है कि उनकी सहायता द्वारा स्थापित व्यवसायों से न देवल उस देश के निवासी ही लाभान्वित हो अपितु अन्य देशों को भी उनसे लाभ मिल सके। इस उद्देश्य पूर्ति हेतु उपक्रमों का स्वतन्त्र सचालन आवश्यक है।

6 कुछ व्यवसायों की प्रहृति निजी उपक्रम के अनुकूल होना—कुछ व्यवसायों की प्रहृति निजी उपक्रम के अधिक अनुकूल होती है और उनके कुण्डल सचालन के लिए व्यक्तिगत पहल की आवश्यकता होती है। इस वर्ग में वे व्यवसाय सम्मिलित किए जा सकते हैं, जिनमें उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत रुचि की और ध्यान दिया जाना आवश्यक होता है। ललितकलायें इसके उदाहरण हैं। कृषि भी एक ऐसा ही व्यवसाय है, जिसे निजी उपक्रम के लिए पूर्णनया ढोड़ा जा सकता है।

7 निजी क्षेत्र वो बुराइयों को दूर किया जाना सम्भव—सार्वजनिक-क्षेत्र के समर्थकों के अनुसार, निजी क्षेत्र में शोपण तत्व की प्रधानता होती है। इनसे अनियन्त्रित

तथा उपभोक्ताओं के शोधणे के साथ-साथ धन और आर्थिक शक्ति का वैश्वीकरण होता है और सामाजिक तथा आर्थिक विप्रमत्ता उत्पन्न होती है; इन्तु यह तभी सम्भव है, जब इसे निरकृश रूप से कार्य करने का प्रवसर दिया जाए। नियोजित अर्थ-व्यवस्था में राज्य निजी-क्षेत्र को उचित नियन्त्रण और नियमन द्वारा कल्याण-कारी राष्ट्रीय नीतियों के अनुकूल चलने के लिए बाध्य कर सकता है। इस प्रकार, निजी-क्षेत्र का उपयोग आर्थिक विकास के लिए किया जा सकता है।

आर्थिक विकास में सार्वजनिक-क्षेत्र का महत्व

(Importance of Public Sector in Economic Development)

वस्तुतः आधुनिक विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है, जहाँ पूर्णरूप में निजी-उद्यम का अस्तित्व हो या जहाँ सार्वजनिक उपक्रम का किसी न किसी रूप में अस्तित्व न हो। निजी-उपक्रम के प्रबल समर्थक समुक्तराज्य अमेरिका में भी असु उत्पादन, रॉकेट-रिसर्च, सुरक्षा-उत्पादन आदि सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत हैं। पश्चिमी यूरोप व ई देशों में भी बायुयान-निर्माण-ड्यूग और सार्वजनिक उपयोगिताएं सरकारी के हाथों में ही हैं। आधुनिक अद्विकसित देशों में, जिन्होंने आर्थिक नियोजन को प्रारम्भ करके नियोजित आर्थिक विकास की पद्धति को अपनाया है, स्वयं सरकार वृहत् पंमाने पर पूँजी लगाकर आर्थिक विकास प्रक्रिया को बल पहुँचाने की आवश्यकता है। इन अर्थ-व्यवस्थाओं में सार्वजनिक-क्षेत्र का विस्तार मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से आवश्यक है—

1. नियोजित अर्थ-व्यवस्था की देश—नियोजित अर्थ-व्यवस्था का प्रारम्भ, सर्वेत्रयम्, भोविष्यत रूप में हुआ था और वहाँ धीरे-धीरे समस्त अर्थव्यवस्था को सार्वजनिक-क्षेत्र के अन्तर्गत ले लिया गया। अत अनेक व्यक्तियों का विचार है कि नियोजित अर्थ-व्यवस्था और उत्पादन साधनों का पूर्णरूप से सरकारी स्वामित्व और सचालन समानार्थक है, अर्थात्, नियोजित अर्थ-व्यवस्था में एकमात्र सार्वजनिक-क्षेत्र ही होता है। नियोजन सम्बन्धी यह भल उचित प्रतीत नहीं होता और प्रजातन्त्रवादी नियोजन में निजी-क्षेत्र का अस्तित्व भी होता है, किन्तु यह तो मानना ही पड़ेगा कि नियोजित अर्थ-व्यवस्था में, सार्वजनिक-क्षेत्र का महत्व बढ़ जाता है। नियोजन का अर्थ, देश के साधनों का सामाजिक हित से अधिकाधिक विवेकपूर्ण उपयोग से है और ऐसा निजी-क्षेत्र द्वारा बिलकुल सम्भव नहीं है। अत, नियोजन के इस उद्देश्य पूर्ति हेतु सार्वजनिक-क्षेत्र का विस्तार नितान्त आवश्यक है। वस्तुतः सार्वजनिक-क्षेत्रविहीन नियोजन की बल्पना भी नहीं की जा सकती।

2 योजना के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए—आर्थिक नियोजन में विभिन्न क्षेत्रों के विकास हेतु विशाल कार्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों को समर्पण करने और परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए विशाल मात्रा में पूँजी-विनियोग की आवश्यकता है। इस समस्त पूँजी का प्रबन्ध केवल निजी-क्षेत्र द्वारा नहीं हो सकता। अत, विशाल योजनाओं के विशाल कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए सरकार को आगे आता ही पड़ता है।

3 बड़ी मात्रा में पूँजी वाले उद्योगों की स्थापना—प्राधुनिक युग में कई उद्योग बहुत बड़े पैमाने पर सचालित किए जाते हैं और इनमें करोड़ों रुपयों की पूँजी की आवश्यकता होती है। लोहा एवं इस्पात, खनिज-तेल और तेल-शोधन हवाई-जहाज, रेल, मोटर, विद्युत-सामग्री, मशीनें आदि के उद्योग इसी प्रकार के होते हैं और नियोजन की सफलता के लिए इनमें से अधिकांश की स्थापना और विकास आवश्यक है। इसी प्रकार, योजनाओं में विशाल नदी-धाटी परियोजनाएं प्रारम्भ की जाती हैं, जिनमें करोड़ों रुपयों की पूँजी लगाने की आवश्यकता होती है। निजी व्यक्तियों के लिए इतने बड़े उद्योग और परियोजनाओं को हाथ से लेना अमर्भव-सा है—विशेष रूप से, भारत जैसे अद्विकसित देश के लिए जहाँ आर्थिक और वित्तीय सम्याएं बहुत अल्प विकसित हैं इसी कारण, भारत में लोहा और इस्पात उद्योग आदि की स्थापना के लिए सरकार को याने आना पड़ा और सभी बहुदेशीय नदी-धाटी योजनाएं वेद्यीय और राज्य सरकारों द्वारा प्रारम्भ की गई। बोवारो जैसी विपुल व्यवसाय योजना के लिए निजी-क्षेत्र सक्षम नहीं होता। ऐसी परियोजनाओं में सार्वजनिक-क्षेत्र द्वारा विनियोग यनिवार्य-सा है।

4 अधिक जोखिम वाली परियोजनाओं का प्रारम्भ—कुछ व्यवसायों में न केवल अधिक मात्रा में पूँजी की आवश्यकता होती है, अपितु जोखिम भी अधिक होती है। आर्थिक विकास की प्रारम्भिक अवस्थाओं में तो यह बात विशेष रूप से लागू होती है। ऐसी स्थिति में, निजी उद्यमी ऐसे क्षेत्रों और उद्योगों में पूँजी नहीं लगाते, क्योंकि देश में पूँजी सीमित होती है और पूँजी-वित्तियोजन के अन्य कई लाभदायक क्षेत्र होते हैं। प्रति सरकार के लिए ऐसी परियोजनाओं में पूँजी-वित्तियोजन करना अनिवार्य हो जाता है, जिनमें जोखिम अधिक होती है। सड़कें विशाल नदी धाटी योजनाएं, मू-सरकारी तथा बनारोपण आदि इस प्रकार की योजनाएँ हैं।

5 लोकोपयोगी सेवाओं का सचालन—यातायात एवं सदेशवाहन के साधन, डाक-तार, विद्युत तथा गैस आदि का उत्पादन तथा वितरण, पेयजल की पूर्ति आदि कई व्यवसाय एवं सेवाएं अत्यन्त आवश्यक और एकाधिकारिक प्रवृत्ति की होती हैं और उनको निजी क्षेत्र में देने से उपभोक्ताओं का शोषण और निजी लाभ की दृष्टि से इनका सचालन होता है। वस्तुत ये आवश्यक सेवाएँ हैं और इनका सब लग व्यापक सामाजिक लाभ की दृष्टि से किया जाना चाहिए। वैसे भी निजी-एकाधिकार सरकारी एकाधिकार की प्रयोक्ता अच्छा नहीं समझा जाता। इन सेवाओं का योजना के लक्ष्यों को पूरा करने की दृष्टि से भी सरकार के नियन्त्रण में होना आवश्यक है। ऐसीलिए इन व्यवसायों को सरकारी-क्षेत्र में चलाना चाहिए और इनके लिए विनियोगों की पर्याप्त राशि आविष्ट की जानी चाहिए।

6 राजनीतिक तथा राष्ट्रीयकरण—कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जिन्हे राजनीतिक और राष्ट्रीयकरण से, निजी-क्षेत्र के हाथ में नहीं छोड़ा जा सकता। सुरक्षा और सेनिक महाव के उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए ही सुरक्षित रखे जाने चाहिए, अत्यधा इनकी गोपनीयता को सुरक्षित रखना कठिन होगा साथ ही प्रयोगित

कुशलता नहीं आ पाएगी। इसी प्रकार कुछ ऐसे उद्योग होने हैं, जिनका अर्थात् वस्था पर नियन्त्रण रखने की हृष्टि से सार्वजनिक-क्षेत्र में सचालन करना आवश्यक होता है।

7 तकनीकी हृष्टिकोण— अर्द्ध-विकसित देशों में तकनीकी ज्ञान का स्तर नीचा होता है। यह ज्ञान उन्हें विदेशी से प्राप्त करना है। कभी-कभी यह तकनीकी-ज्ञान विदेशियों द्वारा उनकी सामेदारी में उद्योग स्थापित करने पर ही प्राप्त होता है किन्तु इन विदेशियों की कार्यवाही पर उचित नियन्त्रण आवश्यक है, जो निजी-क्षेत्रों की अपेक्षा उद्योगों के सार्वजनिक क्षेत्र में होने पर अधिक प्रभावशाली होता है। इसके अतिरिक्त, रूस आदि समाजवादी देशों में उत्थान और ग्रीष्मोमिक अनुमधान सरकारी-क्षेत्र में होता है। ऐसे देश बहुधा, तभी अम्ब देशों को तकनीकी-ज्ञान तथा सहयोग देते हैं, जबकि ये परियोजनाएँ सम्बन्धित देश की सरकार द्वारा चलाई जाएँ। भारतीय योजनाओं में इसपात, विद्युत-उपकरण, खनिज तेल की खोज और तेल शोधन मूक्षम एवं जटिल उपकरण, भारी मशीन निर्माण, मिश्र वायुयान निर्माण योजनाओं के सरकारी क्षेत्र में स्थापित किए जाने के कारण ही रूस, रूमानिया, चैकोस्लोवाकिया आदि देशों से तकनीकी-ज्ञान और सहयोग मिल सका।

8. योजना के समाजवादी लक्ष्यों की प्राप्ति— कई आधुनिक अर्द्ध-विकसित देशों की योजनाओं का एक प्रमुख उद्देश्य समाजवाद या समाजवादी पद्धति का समाज स्थापित करना है। वे देश में धन और उत्पादन के साधनों के केन्द्रीयकरण को कम करने और आर्थिक विप्रमता को कम करने को कृत सकल्प है। इन उद्देश्यों की पूर्ति में सार्वजनिक-क्षेत्र का विस्तार अत्यन्त सहायक होता है। उपकरणों पर किसी विशेष व्यक्ति का अधिकार नहीं होने से उस उपकरण का लाभ किसी एक व्यक्ति की जेब में नहीं जाकर, सार्वजनिक-हित में प्रयुक्त किया जाता है। इससे व्यक्तिगत एकाधिकार, सम्पत्ति का केन्द्रीयकरण कम होता है और आर्थिक समानता की स्थापना होती है।

9. योजना के लिए आर्थिक साधनों की प्राप्ति— सार्वजनिक क्षेत्र में सचालित उपकरणों का लाभ सरकार को प्राप्त होता है, जिससे सरकार की आर्थिक स्थिति सुधरती है और वह देश के आर्थिक विकास के लिए अधिक धन व्यय कर सकती है। अत योजना के सचालन के लिए वित्तीय साधनों की प्राप्ति की आशा से भी, कई सरकारी उपकरण स्थापित किए जाते हैं। सार्वजनिक उपकरणों में थमिकों को अधिक धैतन, कार्य की अच्छी दशा, शिक्षा, आवास, चिकित्सा आदि की अधिक सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। इस प्रकार इनका उपयोग समाज कल्याण के लिए किया जा सकता है।

10. द्रुत आर्थिक विकास के लिए— नियोजन में द्रुत आर्थिक विकास के लिए भी सार्वजनिक-क्षेत्र का विस्तार आवश्यक है। उदाहरणार्थ सावियन रूस ने पूर्णरूप से सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा ही गत अर्द्ध-शताब्दि में अभूतपूर्व तथा आश्चर्यजनक

आर्थिक प्रणति की है। इसका यह आशय नहीं है कि निजी-क्षेत्र आर्थिक विकास के अनुपयुक्त है। इंग्लैण्ड, अमेरिका, जापान आदि में निजी-क्षेत्र के अन्तर्गत ही आर्थिक विकास की उच्च दरें प्राप्त की हैं, किन्तु सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा आर्थिक विकास कम समय सेता है।

11. अच्छे प्रशासन के लिए—नियोजित अर्थ-व्यवस्था में अच्छे प्रशासन के लिए साधनों का अच्छा वितरण और उपयोग होना चाहिए। इसके लिए व्यवसाय के अच्छे प्रशासन की भी आवश्यकता है। सरकारी क्षेत्र के व्यवसाय इस इटि से अच्छे होते हैं। इनसे कर-वसूली, मूल्य-नियम, पूँजीगत और उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण आदि में सुविधा होती है। सरकारी उत्पादन तथा वितरण सम्बन्धी नीतियों को अभावपूर्ण बनाने के लिए भी सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार आवश्यक है।

विनियोगों का आवटन (Allocation of Investment)

अब स्पष्ट है कि निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की अपनी-अपनी उपयोगिताएँ और लाभ हैं। अब आर्थिक नियोजन के अन्तर्गत दोनों की ही अच्छाइयों का लाभ उठाने के लिए दोनों ही क्षेत्रों से युक्त मिश्रित-अर्थव्यवस्था (Mixed Economy) को अन्नाना चाहिए। इससे पूलूँहप से निजी उत्पन्न वाली अर्थव्यवस्था और पूँजीहप से सार्वजनिक उपक्रम अर्थ-व्यवस्था दोनों ही आपत्तियों से सकेगा। जनतान्त्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले, अद्विकसित देशों के लिए तो बचा जा यही एकमात्र उपयुक्त मार्ग है। अब इन देशों के नियोजन में निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में आर्थिक क्रियाओं का सचालन किया जाना चाहिए और दोनों क्षेत्रों के लिए ही विनियोगों का आवटन किया जाना चाहिए। किस अनुपात में इन दोनों क्षेत्रों का स्थान दिया जाए या पूँजी विनियोगों का उनरदायित्व सीधा जाए, इसके बारे में कोई एक संवेदन्य सिद्धान्त नहीं बनाया जा सकता। विभिन्न देशों की परिस्थितियाँ भिन्न-भिन्न होती हैं। अब प्रत्येक देश को अपनी परिस्थितियों के अनुसार, विनियोगों का निजी और सार्वजनिक-क्षेत्र में वितरण करना चाहिए, किन्तु नियोजित अर्थ-व्यवस्था में सार्वजनिक-क्षेत्र का विस्तार अपेक्षाकृत अधिक गति से होता है। इस सम्बन्ध में भारत की द्वितीय पञ्चपर्यायी योजना में कहा गया है कि "सरकारी-क्षेत्र का विस्तार तीव्रता से होना है। जिस क्षेत्र में निजी-क्षेत्र प्रवेश करते ही तरपर न हों, राज्य ने केवल ऐसे क्षेत्र में विकास कार्य ही शुरू नहीं करना है। वल्कि अर्थ-व्यवस्था में पूँजी-विनियोग के येटन लो ह्य देने से प्रधान भूमिका यदा करनी है। विकासशील अर्थ-व्यवस्था में, जिसमें विविधता उत्तरोत्तर उत्पन्न होने की गुणजाइश है, लेकिन यह आवश्यक है कि यदि विवास कार्य अपेक्षित गति से किया जाना है और वृहत् सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति वी दिशा में प्रभावशाली ढग से योग देना है, तो सरकारी क्षेत्र में वृद्धि समग्र रूप में ही नहीं, परिपूर्ण निजी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक होनी चाहिए।"

तृतीय और चतुर्थ योजना में यह तर्क और भी अधिक बल के साथ स्पष्ट रूप में रखा गया और योजना में कहा गया कि "समाजवादी समाज का उद्देश्य रखने वाले देश की अर्थ-व्यवस्था में सरकारी क्षेत्र वो उत्तरोत्तर प्रमुख स्थान प्रहरण करता है।" मनुभाई शाह का भारत के सम्बन्ध में यह कथन समस्त अर्द्ध-विकसित देशों के लिए उपयुक्त है कि "हमारे गरीब देश में पूँजीवाद निरर्थक, निष्फल तथा उपर्योगिताहीन है। ऐसे देश में जर्हा निछड़ापन गहरा पहुँच चुका है, जर्हा गरीबी भरी पड़ी हो, जहाँ करोड़ो बच्चों को शिक्षा उपलब्ध नहीं हो, वहाँ समाज का सचालन अधिक हिस्से में शासन के पास ही रहना चाहिए।" भारत में सार्वजनिक-क्षेत्र का महत्व निजी-क्षेत्र की अपेक्षा अधिक बलाने हुए एक बार भूतपूर्व राष्ट्रपति जाफिर हुमैन ने लिखा था कि "यदि सार्वजनिक क्षेत्र की अपेक्षा निजी क्षेत्र को प्रधानता दी जाती है, तो वह हमारे समाजवादी समाज के विकास के लिए घातक होगा।"

अत नियोजित प्रथ-व्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र का निरन्तर विस्तार होना चाहिए। किसी सीमा तक सार्वजनिक-क्षेत्र को विनियोगों का उत्तरदायित्व सौंपा जा सकता है, यह सम्बन्धित देश की आर्थिक परिस्थितियों, आर्थिक श्रीरोगिक नीति, राजनीतिक विचारधारा (Political Ideology), निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की अब तक की कुशलता और भविष्य के लिए क्षमता आदि वातों पर निर्भर करता है, किन्तु इस सम्बन्ध में सिद्धान्तों की अपेक्षा व्यवहारिकता पर प्रधिक बल दिया जाना चाहिए। कृषि, लघु एवं ग्रामीण उद्योग, उपभोक्ता उद्योग, आन्तरिक व्यापार आदि में पूँजी निजी क्षेत्र द्वारा विनियोग की स्वतन्त्रता होनी चाहिए, किन्तु जनोपयोगी सेवाएँ, नदी धाटी योजनाएँ, वित्तीय संस्थाएँ, भारी और आधारभूत उद्योग तथा ग्रन्थ देश और अर्थ-व्यवस्था की हाफ्टे से महत्वपूर्ण उद्योगों में सार्वजनिक-क्षेत्र को ही पूँजी-विनियोग करना चाहिए।

भारत में निजी और सार्वजनिक-क्षेत्रों में विनियोग

(Investment in Private & Public Sector in India)

नियोजित विकास के पूर्व

स्वतन्त्रता के पूर्व भारत के आर्थिक एवं श्रीरोगिक विकास का इतिहास देश में निजी-क्षेत्र के विकास वा इतिहास है। उस समय भारत में सार्वजनिक-क्षेत्र नाम-मान को ही था। उस समय सरकारी क्षेत्र में, रेलें, डाक तार, आकाशवाही, पोर्ट-ट्रस्ट, रिजर्व बैंक और इण्डिया, आईनन्स फंडट्रीज और कलियथ ऐयर-कॉपट, नमक श्रीप कुण्डेन आदि के कारखाने ही थे। इनके अतिरिक्त, सारा व्यवसाय निजी उद्योगपतियों द्वारा संचालित किया जाता था। स्वतन्त्रता के पश्चात् राष्ट्रीय सरकार ने देश के श्रीरोगिक और आर्थिक विकास की ओर ध्यान देता प्रारम्भ किया और इस सदर्भ में, सार्वजनिक उपकरणों के महत्व को समझा। सन् 1947 से प्रथम योजना के प्रारम्भ होने तक सिर्फ़ दो वर्षों में रासायनिक उर्वरक कारखाना, चित्ररेजन में

रेल के इन्जिन बनाने का कारखाना, बगलोर में यन्त्रोपकरण बनाने का कारखाना एवं दामोदर घाटी विकास निगम आदि सरकारी उपक्रम प्रारम्भ किए गए। परिणामस्वरूप 1952 में प्रकाशित प्रथम पचवर्षीय योजना के समय केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों का कार्यक्रम पूँजी सहित कुल स्थिर आदेयों का पुरत्त मूल्य (Book Value of Gross Fixed Assets) सन् 1947-48 के 875 करोड़ रु. से बढ़कर 1,272 करोड़ रु हो गया। इसके अतिरिक्त पोर्ट ट्रस्ट नगरपालिका में एवं अन्य ग्रन्ड-सार्वजनिक अभिकरणों की उत्पादक आदेय राशि 1,000 करोड़ रु थी। इसके बिपरीत, निजी क्षेत्र की कुल उत्पादक आदेय राशि, कृषि, लघु-स्तरीय उद्योग, यातायात एवं आवास भवनों के अतिरिक्त, सन् 1950 में 1,474 करोड़ रु अनुमानित की गई थी।¹

नियोजित अर्थ-व्यवस्था में

प्रथम पचवर्षीय योजना में ग्रोवोगिक विद्यायों के निजी और सार्वजनिक क्षेत्र विभाजन के भार्ग-प्रदर्शक के रूप में, सन् 1948 की ग्रोवोगिक नीति ने कार्य किया, जिसके अनुसार, कुछ उत्पादन-क्षेत्र तो पुण्यरूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए ही नियोजित कर दिए गए थे और कई अभ्य क्षेत्रों में भी सरकारी क्षेत्र का विस्तार की चाही की गई थी। अत उद्योगों में कई परियोजनाएं सरकारी-क्षेत्र में स्थापित की गईं। साथ ही, अन्य क्षेत्रों में भी, जैसे नदी-घाटी योजनाएं, कृषि-विकास-कार्यक्रम, यातायात एवं सचार आदि में भी सरकारी क्षेत्र ने कार्यक्रम शुरू किए। परिणामस्वरूप योजनावधि में, जहाँ निजी-क्षेत्र ने पर्याप्त प्रगति की, वहाँ सार्वजनिक-क्षेत्र का भी पर्याप्त विस्तार हुआ। इस योजना में अर्थ-व्यवस्था में कुल पूँजी-विनियोग 3,360 करोड़ रु हुआ, जिसमें से 1,660 करोड़ रु अर्थात् 46.4% विनियोग सरकारी क्षेत्र में हुआ और शेष 1800 करोड़ रु अर्थात् कुल का 53.6% निजी-क्षेत्र में हुआ। योजना के पूर्व अर्थ-व्यवस्था में सार्वजनिक-क्षेत्र के भाग को देखते हुए पूँजी-विनियोग बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार, इस योजना में सार्वजनिक-क्षेत्र में पूँजी निर्माण प्रति वर्ष बढ़ाना रहा। सार्वजनिक क्षेत्र में पूँजी-निर्माण सन् 1950-51 में 267 करोड़ रु से बढ़कर 1955-56 में 537 करोड़ रु हो गया। इसी ग्रवधि में निजी-क्षेत्र में पूँजी निर्माण 1,067 करोड़ रु से बढ़कर 1,367 करोड़ रु. हुआ।

प्रथम पचवर्षीय योजना—इस योजना में 792 करोड़ रु ग्रोवोगिक विकास हेतु नियोजित किए गए थे, जिसमें से 179 करोड़ रु सार्वजनिक क्षेत्र में, उद्योग और लन्जिज विकास पर, व्यवहार किए जाने थे। इसमें से 94 करोड़ रु का उद्योग में विनियोग के लिए प्राबंधन था। किन्तु वास्तविक विनियोग 55 करोड़ रु ही हुआ। इस ग्रवधि में सार्वजनिक क्षेत्र में, अनेक बड़े कारखानों का निर्माण या विस्तार हुआ, जैसे—हिन्दुस्तान शिपिंग, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स फैक्ट्री, बगलोर, जलयान एवं

1. Nabha Gopal Das . The Public Sector in India

चायुयान कारखाने, हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स, चितरजन का रेल इंजिन कारखाना, बगलोर की टेलोफोन फैक्ट्री, कलकत्ता की डेकिल फैक्ट्री आदि। राज्य सरकारों द्वारा भी सार्वजनिक-क्षेत्र के लिए प्रयत्न किया गया, जिसमें प्रमुख है—मैसूर के भद्रावती वर्स में इस्पात का निर्माण एवं मध्यप्रदेश में नेपा नगर में अखबारी कागज का उत्पादन, उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म यथा कारखाना। इसके अतिरिक्त, बहुदेशीय नदी-धार्टी योजनाओं में भी पर्याप्त पूँजी-विनियोग सरकारी-क्षेत्र में किया गया।

इस योजना के पांच वर्षों में निजी क्षेत्र का विनियोग 1,800 करोड रु. हुआ, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में यह 1,560 करोड रु ही था। इस प्रवार इस योजना में निजी क्षेत्र में विनियोग कुल मिलाकर सार्वजनिक-क्षेत्र की अपेक्षा अधिक हुआ विन्तु सापेक्ष रूप से कम हुआ। इस योजना में उद्योगों के सम्बन्ध में निजी क्षेत्र द्वारा 707 करोड रु के कार्यक्रम बनाए गए थे जिनमें से 463 करोड रु उद्योगों के विस्तार, आधुनिकीकरण, प्रतिस्थापन एवं चालू हास पर और 150 करोड रु कार्यशील पूँजी पर विनियोग किए जाने थे। योजनाकाल में निजी-क्षेत्र में इन 463 करोड रु के विरुद्ध 340 करोड ही व्यय हुए। इस प्रकार, निजी-क्षेत्र में भी विनियोग पिछड़ गया।

द्वितीय पचवर्षीय योजना—द्वितीय योजनाकाल में दोनों क्षेत्र का कुल विनियोग 6,800 करोड रु हुआ। सार्वजनिक-क्षेत्र का विनियोजन 3,700 करोड रु और शेष 3,100 करोड रु निजी क्षेत्र का विनियोजन रहा। अतः स्पष्ट है कि इस योजना में सार्वजनिक क्षेत्र का विनियोजन निजी क्षेत्र के विनियोजन की अपेक्षा अधिक है, जबकि प्रथम योजना में स्थिति ठीक इसके विपरीत थी। इसी प्रकार, इस योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में पूँजी-निर्माण भी निरन्तर बढ़ता ही गया। इस अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र में पूँजी निर्माण 537 करोड रु से बढ़कर 912 करोड रु. हो गया। इसी अवधि में निजी-क्षेत्र में पूँजी-निर्माण 1,367 करोड रु से बढ़कर 1,789 करोड रु हो गया। द्वितीय योजना में सार्वजनिक-क्षेत्र के विस्तार का एक मुख्य कारण सार्वजनिक क्षेत्र में कई विशाल कारखानों की स्थापना किया जाना था। सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिए, इस योजना में 770 करोड रु व्यय किए गए थे जबकि मूल अनुमान 560 करोड रु का था। इस अवधि में दुर्गापुर, रुकेला एवं भिलाई में विशाल इस्पात कारखानों का निर्माण हुआ, इसके अतिरिक्त खनिज तेल की खोज के लिए इडिया आइल लिमिटेड तेल-शोधन के लिए इण्डियन रिफाइनरीज लिमिटेड और विशुद्ध तेल वितरण के लिए इण्डियन आयल लिमिटेड की स्थापना की गई। अन्य कई कारखाने, जैसे—भोपाल का भारी विजली का कारखाना, हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, रांची कर्टलिइजर कॉर्पोरेशन आँक इण्डिया, नेशनल इस्टर्न मेन्ट्स लिमिटेड आदि की स्थापना की गई जिनके अधीन कई औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित की गईं। उद्योगों से सम्बन्धित इन इकाइयों के अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र में कई अन्य व्यावसायिक संस्थाओं का भी निर्माण किया गया, जैसे—1958 में सेन्ट्रल वेयर हार्डिंग कॉर्पोरेशन, 1959 में एक्सपोर्ट केंडिट एवं मारटी

कारपोरेशन, 1956 में भारतीय जीवन बीमा निगम, 1957 में नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन, 1958 में उद्योग पुनर्वित्त निगम एवं सन् 1956 में राज्य व्यापार निगम आदि। इन सब संस्थाओं में करोड़ों रुपयों की पूँजी विनियोजित की गई। इसके अतिरिक्त, रेलों एवं अन्य यातायात साधनों तथा नदी घाटी योजनाओं के विकास के लिए सार्वजनिक-क्षेत्र में आयोजन किया गया। परिणामस्वरूप, द्वितीय योजना में सार्वजनिक-क्षेत्र का पर्याप्त विकास हुआ।

इस योजना में कार्यक्रम, श्रीदोगिक नीति प्रस्ताव 1956 के अनुसार, बनाए गए थे, जिसमें सार्वजनिक-क्षेत्र की पर्याप्त वृद्धि के लिए व्यवस्था की गई थी; किन्तु फिर भी इस योजना में निजी क्षेत्र का काफी विस्तार हुआ। इस योजना में निजी क्षेत्र में कुल पूँजी-विनियोग 3,100 करोड़ रु., सार्वजनिक-क्षेत्र में होने वाले विनियोग की राशि से 700 करोड़ रु. कम है। निजी-क्षेत्र द्वारा अर्थ-व्यवस्था में पूँजी निर्माण भी रहा। इस योजना में श्रीदोगिक विकास के लिए निजी-क्षेत्र को केवल 620 करोड़ रु. विनियोजित करना था, किन्तु वास्तविक विनियोजन 850 करोड़ रु. का हुआ। इस योजना में निजी-क्षेत्र में इस्पात, सीमेट, बडे और मध्यम इन्जीनियरिंग उद्योगों का पर्याप्त विकास हुआ। इसके अतिरिक्त, निजी-क्षेत्र में श्रीदोगिक मशीनें, जैसे—सूती बस्त्र-उद्योग, एक्कर-उद्योग, कागज एवं सीमेट-उद्योग की मशीनें तैयार करने वाले उद्योग और उपभोक्ता उद्योगों में पूँजी विनियोजित की गई।

अत ख्याप्त है कि इस योजना में सरकारी-क्षेत्र और निजी-क्षेत्र दोनों का विकास हुआ, किन्तु सार्वजनिक-क्षेत्र का अपेक्षावृत्त अधिक विकास हुआ। योजनावधि में इसीरियत बैक अॉफ इण्डिया और जीवन-बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण तथा राजकीय व्यापार निगम आदि संस्थाओं की स्थापना को भूत-रूप देने का प्रमुख विषय गया। द्वितीय योजना में सार्वजनिक विनियोगों से वृद्धि का कारण 1956 में सरकार द्वारा श्रीदोगिक नीति का मनोनीकरण करना और उसमें अर्थ व्यवस्था एवं उद्योगों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों की सरकारी क्षेत्र में सचालित किए जाने की व्यवस्था है। साथ ही, देश की तीव्र श्रीदोगीकरण की आकौशा तथा आर्थिक समानता और धन के विवेच्नीकरण पर आधारित समाजवादी समाज की स्थापना की राष्ट्रीय उत्कठा के कारण भी इस प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिला।

तृतीय पञ्चवर्षीय योजना—इस योजना में आर्थिक क्रियाओं के, सरकार तथा व्यक्तियों में, विभाजन का आधार सन् 1956 की श्रीदोगिक नीति को ही माना गया। यद्यपि बाद में उत्पादन वृद्धि के हॉट्टकोण में इसमें निजी-क्षेत्र के पक्ष में बोडा समर्थन किया गया। परिणामस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र की राष्ट्रीय सरकारी नीति के कारण इस योजना में भी सार्वजनिक क्षेत्र के लिए विनियोग-राशि अधिक प्रावित की गई। निजी-क्षेत्र में भी विनियोगों की मात्रा में वृद्धि हुई, योकि, उसे भी निर्धारित क्षेत्रों में विस्तित होते रहने के लिए सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिए जाने की नीति को जारी रखा गया। इस योजना के कुल विनियोग 12,767 करोड़ रु. हुआ जिसमें से 7,129

करोड रु (1,448 करोड रु चालू व्यय सहित) सार्वजनिक क्षेत्र में और 4,100 करोड रु निजी-क्षेत्र में व्यय हुआ। द्वितीय योजना में यह राशि क्रमशः 3,700 और 3,100 करोड रु थी अत उपर्युक्त है कि सार्वजनिक-क्षेत्र का कुल विनियोग में भाग 60.6 / तक पहुँच गया था।

इन योजना में, द्वितीय योजना में प्रारम्भ किए गए उद्योगों को पूरा किया जाने एवं भिलाई, दुर्गपुर, रुकेला आदि कारखानों की स्थापित क्षमता में बढ़ि करने के अतिरिक्त अनेक नए कारखाने स्थापित किए गए जिनमें प्रमुख हैं—निवेली, ट्रांस्फे, गोरखपुर में उर्वरक के कारखाने, होशगावाड (मध्य-प्रदेश) में सेवयूरिटी पेपर मिल, बगलौर में घड़ी बनाने का कारखाना, दुर्गपुर में स्थनिज मणीनो का कारखाना, कोयली (गुजरात) में सेल-शोधक कारखाना, कृषिकेश में शैयपथियाँ निर्माण करने वाला कारखाना, रानीपुर तथा रामचन्द्रपुर में भारी विजली के सामान बनाने का कारखाना, पिंजोर (पंजाब) में मशीनी औजार बनाने का कारखाना आदि। तृतीय योजना में ही भारत पर चीनी आक्रमण हुआ और सरकारी क्षेत्र में प्रतिरक्षा उद्योगों पर विशाल मात्रा में पूँजी लगाई गई। राज्य सरकारों द्वारा भी मैसूर आइरन एंड स्टील बड़से आनंद्र पेपर मिलस आदि में पूँजी विनियोग किया गया।

सार्वजनिक-क्षेत्र में स्थापित उपरोक्त श्रौद्धोगिक परियोजनाओं के अतिरिक्त आर्थिक क्रियाओं के सचालन हेतु अनेक अन्य संस्थाओं का निर्माण किया गया, जैसे—1962 में जिपिग कॉर्पोरेशन ग्रॉफ इण्डिया 1963 में भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम और गांधीय बीज निगम 1964 में भारतीय श्रौद्धोगिक विकास निगम आदि। परिणामस्वरूप अर्धायवस्था में सार्वजनिक विनियोगों में बढ़ि हुई।

इस योजना में निजी क्षेत्र में 4,190 करोड रु का विनियोग किया गया। किन्तु समस्त विनियोजित राशि में निजी-क्षेत्र का भाग निरतर घटता हुआ था, वयोंकि इस बीच सार्वजनिक क्षेत्र के विनियोगों में बढ़ि होती रही। योजनावधि में सरकार ने श्रौद्धोगिक नीति को निजी-क्षेत्र के पक्ष में थोड़ा सशोधित किया और उवरक उत्पादन में निजी-क्षेत्र का सहयोग लिया गया।

चतुर्थ पञ्चवर्षीय योजना—आरम्भ में चतुर्थ योजना के लिए 24,882 करोड रु वा प्रावधान रखा गया जिसमें सार्वजनिक-क्षेत्र के लिए 15,902 करोड रु और निजी-क्षेत्र के लिए 8,980 करोड रु की व्यवस्था थी। 1971 में योजना वा मध्यावधि मूल्यांकन किया गया और सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय को बढ़ाकर 16,201 करोड रु कर दिया गया। योजना का पुन मूल्यांकन किया गया और अब अन्तिम उपलब्ध अनुमानों के अनुसार, चतुर्थ योजना में सार्वजनिक-क्षेत्र में कुल व्यय 15,724 करोड रु. प्रांक गया है।¹ यदि सार्वजनिक उपक्रमों को ल, तो 31 मार्च, 1974 को केवल सरकार के 122 उपक्रमों में कुल 6,237 करोड रु की पूँजी लगी हुई थी। पञ्चवर्षीय योजनाओं में सरकारी उपक्रमों में पूँजी निवेश का विस्तार अप्रलिखित सारणी द्वारा स्पष्ट है²—

1 India 1976 p 172

2 Ibid, p 262

अवधि	उपक्रमों की संख्या	कुल पूँजी निवेश (करोड इ.)	बोनस वापिक विकास दर (प्रतिशत में)
प्रथम पचवर्षीय योजना के आरम्भ में	5	29	—
द्वितीय पचवर्षीय योजना के आरम्भ में	21	81	36
तृतीय पचवर्षीय योजना के आरम्भ में	48	953	133
तृतीय पचवर्षीय योजना के अन्त में (31 मार्च, 1966)	74	2,415	31
31 मार्च, 1970	91	4,301	10
31 मार्च, 1972	101	5,052	8
31 मार्च, 1973	113	5,571	10
1974 (चतुर्थ योजना के अंत में)	122	6,237	12

विदेशी-विनियोग का महत्व और आवश्यकता (Importance and Necessity of Foreign Exchange)

आर्थिक नियोजन के लिए विशाल साधनों की आवश्यकता होती है। अर्द्ध-विकसित देश पूँजी, यन्त्रोपकरण, तकनीकीज्ञान आदि में अभावप्रस्त होते हैं। इसलिए एक निर्धन देश केवल धन साधनों द्वारा ही आधुनिक रूप में विकसित नहीं हो सकता। अत उन्हे नियोजन कार्यक्रमों की सफलता के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्री विदेशों से आयात करनी पड़ती है। नियोजन की प्रारम्भिक अवस्थाओं में अत्यधिक मात्रा में पूँजीगत पदार्थों, मशीनों, कल्पुर्जों उद्योग और कृषि के लिए प्रावश्यक उपस्कर, प्रौद्योगिक कच्चा माल, रसायनिक सामग्री और तकनीकी विशेषज्ञों का आयात करना पड़ता है। विद्युत और सिंचाई की विधान नदी घाटों योजनाओं के लिए विभिन्न प्रकार के यन्त्र, इस्पात तथा संमेट आदि का विदेशों से आयात करना पड़ता है। कृषि-विकास के लिए उर्वरक, कट्टनाशक औपचियाँ और उन्नत यन्त्र आदि का भी विदेशों से आयात करना पड़ता है, क्योंकि अर्द्ध-विकसित देशों में इनका उत्पादन भी कम होता है और कृषि व्यवसाय पिछड़ा हुआ भी होता है। ऐ विकासोन्मुख देश जब योजनाएं अपनात हैं, तो विकास की प्रारम्भिक अवस्थाओं में यातायात और सदर्शवाहन के साधनों का भी दृढ़ विकास करना चाहते हैं क्योंकि विकास के लिए यह प्रथम आवश्यकता होती है। इनसे राम्बन्धित सामग्री का भी विदेशों से आवश्यकता पड़ता है। विभिन्न विकास योजनाओं में अत्यधिक विकास को भी महत्व दिया जाता है और इस्पात, भारी रसायन, इंजीनियरिंग, मशीन-निर्माण, खनिजन-तेल, विद्युत उपकरण आदि उद्योगों के विकास के लिए भारी मात्रा में मशीनरी, कच्चा माल, मध्यवर्ती पदार्थ, इंधन, रसायन और कल्पुर्जों का आयात करना पड़ता है। इन सब परियोजनाओं के तिमाही और बुद्धि समय तक सनातन के लिए विदेशी तकनीकी विशेषज्ञों का भी आयात प्रावश्यक है। परिणामस्वरूप, देश की आय में वृद्धि होती है। इस बढ़ी हुई आय का बहुत बड़ा भाग आधुनिक जीवन

की नवीन वस्तुओं के उपभोग पर व्यय किया जाता है, जिनकी पूर्ति भी विदेशों से मार्गांकर की जाती है। अनेक अद्वैत-विकसित देश कृषि-प्रधान होते हुए भी कृषि व्यवसाय और उत्पादन-पढ़ियों के अवनत होने के कारण देश की आवश्यकतानुसार खाद्याल्य और उद्योगों के लिए कृषि-जनित व्यवसाय माल भी उत्पन्न नहीं करते। अतः उन्हें खाद्याल्य और ऐसे कच्चे माल का भी आवाहन करना पड़ता है। भारतीय योजनाओं में देश ही हुआ। अधिकारी अद्वैत-विकसित देश अधिक जनसंख्या से प्रसिद्ध होते हैं और इनकी जनसंख्या-वृद्धि का दर भी अधिक होती है। इस बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अधिक मात्रा में उपभोग सामग्री और उत्पादक वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति के लिए आवाहनों का आश्रय लेना पड़ता है। कई अद्वैत-विकसित देशों में आवाहनों के बढ़ने का यह भी एक कारण है। इस प्रकार, विकासार्थ नियोजन के प्रारम्भिक वर्षों में आवाहनों के बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। इन देशों को परिपोषक आवाहन (Maintenance Imports), विकासात्मक आवाहन (Developmental Imports) और अस्फीटिकारी आवाहन (Anti-inflationary Imports) करने पड़ते हैं। इन सब आवाहनों के भुगतान हेतु विदेशी-विनियम की आवश्यकता होती है।

निर्यात और विदेशी-विनियम का अन्तर—स्पष्ट है, कि विकासोन्मुख अर्थ-व्यवस्था में वृद्धिमान दर से आवाहन करने पड़ते हैं। विदेशों से इन पदार्थों का आवाहन करने वे लिए इनका भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, जिसे ये देश अपनी वस्तुओं का निर्यात करके प्राप्त कर सकते हैं। अधिक मात्रा में वस्तुएँ आवाहन की जा सके, इसके लिए यह आवश्यक है, कि ये देश व्याधिकाधिक मात्रा में अपने देश से पदार्थों का निर्यात करके अधिकाधिक विदेशी मुद्रा या विदेशी-विनियम अर्जित करे। इन निर्यातों में हृथ्यगत और अदृश्य (Visible and Invisible Exports) दोनों निर्यात सम्मिलित हैं। इस प्रकार, विकासोन्मुख देशों के लिए निर्यातों में वृद्धि करना आवश्यक होता है। किन्तु, दुर्भाग्यवश, इन देशों में नियोजन की प्रारम्भिक अवस्थाओं में निर्यात क्षमता बहुत अधिक नहीं होती है। एक तो स्वयं देश के विकास-कार्यक्रमों के लिए वस्तुओं की आवश्यकता होती है। दूसरे, आर्थिक विकास के कारण बढ़ी हुई आवाहनों को भी जनता, उपभोग थर ही व्यय करना चाहती है, जिसके इन देशों में उपभोग की प्रवृत्ति अधिक होती है। अतः निर्यात-योग्य आधिक्य (Exportable Surplus) कम बच पाता है। योजनाबद्ध आर्थिक विकास में जो कुछ उत्पादन किया जाता है, वह उपभोग की बढ़ती हुई आवश्यकता में प्रयुक्त कर लिया जाता है। परिणामस्वरूप, इतनी अतिरिक्त निम्न-स्तरीय उत्पादकता और मुद्रा-प्रमाणिक प्रवृत्तियों के कारण उत्पादन लागत अधिक होती है और दिश्व के बाजारों में वे प्रतिस्पर्द्धा में प्रारम्भिक वर्षों में नहीं टिक पाते; फलस्वरूप, व्यापार प्रतिकूल हो जाता है जिसके एक और आवाहनों में वृद्धि होती है तथा दूसरी ओर उनके भुगतान के लिए निर्यात अधिक नहीं बढ़ पाते। इस प्रकार विदेशी-विनियम का सकट पैदा हो जाता है। किन्तु एक पूर्णत केन्द्रित अर्थ-व्यवस्था में विशेष-रूप से सोवियत संघसी

आर्थ-व्यवस्था में, विदेशी व्यापार के क्षेत्र में ऐसी कठिनाइयाँ कम पैदा होती हैं, परन्तु भारत जैसी आर्थिक रूप से नियोजित या मिश्रित आर्थ-व्यवस्था (Mixed Economy) में विदेशी व्यापार में इस प्रकार का भुगतान-प्रस्तुतन उत्पन्न होना सामान्य बात है।

विदेशी विनियम के आवटन की आदर्शकता—स्पष्ट है कि विकासार्थ नियोजन में विश्व प्रकार की सामग्री का आयात करना पड़ता है किन्तु उसका युग्मतान करने के लिए नियर्ती से पर्याप्त मात्रा में आवश्यकनानुसार विदेशी विनियम उपलब्ध नहीं हो पाता। यद्यपि स्वदेश में ही उत्पादन में वृद्धि करके आयात प्रतिस्थापन के पर्याप्त प्रयत्न किए जाते हैं और नियर्ती में वृद्धि के लिए भी अर्थक प्रयास किए जाते हैं किन्तु विदेशी विनियम की स्वल्पता ही रहनी है इसीलिए, उपलब्ध विदेशी विनियम के समुचित उपयोग की समस्या उदय होती है। यदि देश के लिए वांछनीय सभी पदार्थों का आयात के लिए पर्याप्त मात्रा में विदेशी विनियम उपलब्ध हो जाए तो फिर इस प्रकार की समस्या ही उत्पन्न न हो, किन्तु जिस प्रकार से अन्य आर्थिक क्षेत्रों में वैकल्पिक उपयोग बाले सीमित साधनों से अनन्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु चयन (Choice) की समस्या उदय होती है उसी प्रकार, विभिन्न उद्योगों में इन विदेशी मुद्रा कोपों की सीमित साधनों के उचित और विदेशी पूरण आवटन की समस्या उदय होती है, जिसके समुचित समाधान से नियोजन की सफलता दा ग्रस्त बढ़ जाता है।

विदेशी-विनियम का आवटन (Allocation of Foreign Exchange)

अत यह आवश्यक है कि योजनाओं में आयात-कार्यक्रम, एक सुविचारित योजना के आधार पर सचालत किया जाए, जिससे दुलभ विदेशी मुद्रा का अधिकतम उपयोग हो सके।

इस सम्बन्ध में तनिक सशोधन के साथ वही सिद्धान्त प्रयनाया जा सकता है जो देश में विनियोगों के आवटन (Allocation of Investment) के लिए अपनाया जाता है। इस सदर्म में ‘सीमान्त-सामाजिक लाभ का सिद्धान्त (Principle of Marginal Social Benefit) बड़ा सहायक हा सकता है। इस सिद्धान्त के अनुसार विभिन्न उद्योगों में विदेशी मुद्रा का आवटन इस प्रकार किया जाना चाहिए ताकि इनसे प्राप्त सीमान्त लाभ समान हो। तभी इस विदेशी मुद्रा से देश को अधिकाधिक लाभ मिल सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि विदेशी मुद्रा के आवटन में देश के लिए सर्वाधिक आवश्यक क्षेत्रों और परियोजनाओं को प्राप्तिकर्ता दी जाए। अद्य-विकसित देशों के आयात को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है—

- (अ) सुरक्षा सामग्री का आयात (Import of Defence Equipment)
- (ब) निर्वाह सम्बन्धी आयात (Maintenance Imports)
- (स) विकासात्मक आयात (Developmental Imports)
- (द) अदृश्य आयात (Invisible Imports)

(अ) सुरक्षा सम्बन्धी आयात (Imports of Defence Equipment)—सुरक्षा, किसी भी देश की सर्वोपरि आवश्यकता होगी है। कोई भी देश इस कार्य में उदाधीनता नहीं बरत सकता। अत नियोजन में सुरक्षा सामग्री के आयातों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कई देशों के नियोजन का तो मुख्य उद्देश्य ही देश की रक्षा या आत्मभरण (Defence or Offence) के लिए सुरक्षा को इड बरना होता है। वैसे भी इनमें से अधिकांश घट्ट विवित देश अभी गत कुछ वर्षों से ही स्वतंत्र हुए हैं और सुरक्षा की हाफ्ट भी दुर्बल है। इन देशों के पड़ोसियों में सीमा सम्बन्धी झगड़े भी रहते हैं जिनके कारण, ये देश युद्ध की आशंका से प्रस्त रहते हैं और सुरक्षा के लिए आत्मर गहते हैं। यहाँ तकीकी ज्ञान का भी इतना अधिक विकास नहीं हुआ है, जिससे सारी सुरक्षात्मक सामग्री का उत्पादन वे स्वय बर सकें। अत इन्हे विदेशों से भारी मात्रा में अस्त्र जस्त, गोला-बालू तथा सुरक्षा उद्योगों के लिए आवश्यक सामग्री का आयात करना आवश्यक होता है जिनके अभाव में इन देशों की सुरक्षा ही खतरे में पड़ सकती है। अत इस कार्य के लिए विदेशी-विनियम के आवटन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। देश का अस्तित्व देश की सुरक्षा पर निर्भर करता है जो विकासवाद की एक बस्तु है। सुरक्षा की हाफ्ट से आवश्यक सामग्री के आयात में उपेक्षा बरन के दुष्परिणाम हो सकते हैं। अत सुरक्षा की हाफ्ट से आयात की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूर्णत्व से विदेशी विनियम उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

(ब) निर्बाह सम्बन्धी आयात (Maintenance Imports)—निर्बाह सम्बन्धी आयात या परिपोषक आयातों में आयात की जाने वाली उन बस्तुओं को सम्मिलित करते हैं जो अर्थ-व्यवस्था के बर्तमान स्तर पर सुचार रूप से सचावन के लिए आवश्यक हैं। भारत जैसे अद्वितीय विवित देशों के सदर्न में इसमें निम्नलिखित वर्ग सम्मिलित विए जा सकते हैं—

(i) खाद्यान्न—अधिकांश अद्वितीय विवित देश इष्ट-प्रधान हैं, किन्तु कृषि की पिछड़ी हुई देश और जनसंख्या की अविक्ता होने के कारण, वहाँ खाद्यान्नों का अभाव होता है और इसकी पूर्ति विदेशों से खाद्यान्नों का आयात करके की जाती है। खाद्यान्न किसी भी देश की बुनियादी आवश्यकता है और इसकी पूर्ति चाहे किसी भी स्तर से हो, आवश्यक रूप से की जानी चाहिए। इन देशों का जीवन-स्तर पहले से ही अत्यन्त शून्यतम स्तर पर है और उसम बटौती किसी भी प्रकार नहीं दी जा सकती। अत यद्यपि इन देशों में खाद्यान्नों का उत्पादन महत्वपूर्ण बृद्धि के प्रयत्न रिए जा सकते हैं जिसकी यहाँ बहुत बड़ी गुणजायश है, किन्तु यदि इसमें तुरन्त इतनी बृद्धि नहीं हो पाए तिसके देश की खाद्यान्नों की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो, तो निश्चित रूप से खाद्यान्नों का भी आवश्यक मात्रा ने आय त किया जाना चाहिए और उसके लिए पर्याप्त मात्रा में विदेशी-विनियम आपटिन किया जाना चाहिए। भारत का उदाहरण इस सम्बन्ध में स्पष्ट है।

(ii) औद्योगिक कच्चा माल—इस वर्ग में कच्चा माल, मुख्यतः इष्ट-जन्य

कच्चा माल, सम्प्रसित किया जा सकता है। अनेक अद्वैत-विकसित देशों में, स्वयं के उद्योगों के लिए, कच्चा माल उत्पन्न नहीं होता है अथवा कम मात्रा में होता है, जिसकी पूर्ति विदेशी से इन पदार्थों का आयात करके की जाती है। उदाहरणार्थ, भारत कृषि-सम्बन्धी बच्चे माल में, सालें, खोपरा, कच्ची रबड़, कच्ची कपास, कच्चा जूट, ग्रनिमित तम्बाकू आदि का आयात करता है। इन सभी वस्तुओं के आयात को देश में ही उत्पादन में वृद्धि वरके कम किया जाना चाहिए। साथ ही, इस बात के भी प्रयास किए जाने चाहिए कि इन आयानित वस्तुओं के स्थान पर उपयुक्त देशी वस्तुओं का उत्पादन हो। अत इन वस्तुओं के लिए विदेशी-विनियम कम उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इस वर्ग की अधिकांश में उभी वस्तुओं के लिए विदेशी मुद्रा आवटित बीजानी चाहिए जो निर्यातित वस्तुओं के निर्माण में सहायता दे तथा जिनके स्थान पर देश में उत्पादित वस्तुओं का उपयोग नहीं हो सकता हो।

(iii) खनिज तेल—अधिकांश अद्वैत-विकसित देशों में खनिज तेल का अभाव है। उदाहरणार्थ, भारत में खनिज तेल की आवश्यकता का कुछ भाग ही उत्पन्न होता है। जेप तेल विदेशी से आयात करना पड़ता है। वैसे भी खनिज तेल वी आवश्यकता उद्योग-धन्धों और यातायात आदि बी वृद्धि के साथ वढ़ती जाती है। सुरक्षा के लिए भी इसका महत्व होता है। अत इस मद के आयात में कटौती बरना तब तक सभव नहीं है, जब तक देश में नए खनिज भण्डारों का पता लगाकर उनसे अधिक तेल निकाला जाए या वर्तमान तेल भण्डारों हे ही अधिक तेल निकाला जाए और उसके शोधन की उचित व्यवस्था की जा सके, किन्तु तल बी खोज करन और तेल-शोधन संस्थाएँ स्थापित करने के लिए भी विदेशी से मशीनें अन्य सामग्री एवं तकनीशियन आयात रखने पड़ते हैं जिनके लिए विदेशी मुद्रा चाहिए।

(iv) रासायनिक पद थं—प्रत्येक देश को रासायनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है, किन्तु अधिकांश प्रद्वैत-विकसित देशों ने रासायनिक उद्योग अत्यधिक अविकसित होते हैं। कृषि-उद्योग आदि की प्रगति हेतु रासायनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है। सुरक्षा उद्योगों के लिए भी रासायनिक उद्योग आवश्यक है। इसलिए इस मद में कटौती बरना अनुचित है। अत, इस मद के लिए भी आवश्यक विदेशी-विनियम आवटित किया जाना चाहिए।

(v) निर्मित वस्तुएँ—अर्थ व्यवस्था में चालू उत्पादन को बनाए रखने के लिए भी कुछ निर्मित पदार्थ विदेशी से आयात करने पड़ते हैं उदाहरणार्थ, भारत में इस वर्ग के प्रतिस्थापन और मरम्मत के लिए मशीनें कागज, अखबारी कागज, लोहा एवं इसपात, अलौह धातु आदि आते हैं। इन वस्तुओं का उत्पादन देश में नहीं होता है तथा वे वस्तुएँ देश के वर्तमान उत्पादन के लिए आवश्यक हैं। अत इसके लिए भी पर्याप्त विदेश विनियम का आवटन किया जाना चाहिए।

(s) विकास-सम्बन्धी आयात (Developmental Imports)—आधिक नियोजन और विकास की दृष्टि से इस प्रकार के आयात सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। योजनाओं में कई प्रकार की परियोजनाएँ और विशाल कार्यक्रम प्रारम्भ किए जाते

हैं। प्रत्येक देश की योजनाओं में विशाल नदी-धारी योजनाएँ, इस्पात कारखाने, भारी विद्युत उपकरण, मशीन निर्माण, इंजीनियरिंग, रासायनिक-उर्वरक, कृषि-उपकरण तथा विविध प्रकार के कच्चे, मध्यवर्ती और निर्मित माल की प्रावश्यकता होती है। विकास की प्रारम्भिक अवस्थाओं में उक्त पदार्थों का भारी मात्रा में आयात करना पड़ता है। इस स्थिति में इन पारंपरिक योजनाओं के प्रारम्भ और क्रियान्वयन के लिए विदेशों से विशेषज्ञ की भी आयात करना पड़ता है। अतः इसके लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है। अन्य बातें समान रहने पर विकास की प्रारम्भिक अवस्थाओं में जितने अधिक इन पदार्थों का आयात सम्भव होगा और परियोजनाएँ पूरी की जाएँगी, उनना ही अधिक तीव्र गति से आर्थिक विकास सम्भव होगा। अबेक बार इन पदार्थों का आयात सम्भव नहीं हो पाने के कारण विकास में बाधाएँ उपस्थित होती हैं। भारत की द्वितीय पचवर्षीय योजना, विदेशों से सामग्री आयात करने के लिए विदेशी विनियम की कठिनाई के कारण ही भवर में पड़ गई थी। अत विकास सम्बन्धी आयात भी अवश्यक है और इसके लिए पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा आवश्यक होती जानी चाहिए।

(d) अन्य कार्य या अदृश्य आयात (Other Work or Invisible Imports) —प्रत्यक्ष रूप से पदार्थों के आयात के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए भी विदेशी-विनियम की आवश्यकता होती है। विदेशों से लिए हुए ऋण और उसकी अदायगी के लिए भी विदेशी मुद्रा चाहिए। इस प्रकार का भुगतान प्रत्येक राष्ट्र का नैतिक कर्तव्य है। साथ ही, इन अर्द्ध-विकसित देशों को भविष्य में भी विदेशों से कहर लेना आवश्यक होता है। इसके लिए, इनकी सास और प्रतिष्ठा तभी बनी रह सकती है, जबकि ये पूर्व जटणों का भुगतान कर दें। अत अर्द्ध-विकसित देशों को दिवेशों से लिए हुए ऋण और ऋण सेवाओं (Debt and Debt Services) के लिए भी विदेशी मुद्रा का प्रावधान रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त, अर्द्ध-विकसित देशों के अनक व्यक्ति विकसित देशों में शिक्षा, प्रविष्टिशुल्क और अनुभव द्वारा विशेषज्ञता प्राप्त करने जाते हैं, जो वहाँ से लौटकर देश के अधिक विकास में योगदान देते हैं। यूकि देश में विविध धेनों में तकनीशियनों और विशेषज्ञों की प्रत्यक्ष दुलभता होती है अत इन व्यक्तियों की, विदेशों में योग्यादीक्षा के लिए भी पर्याप्त विदेशी मुद्रा का आवश्यक किया जाना चाहिए, किन्तु इस बात की सावधानी बरती जानी चाहिए कि ये व्यक्ति उन विकसित देशों पे विशेषज्ञ बनकर स्वदेश आएं और देश टिक में ही कार्य करें। वर्ड बार यह होता है कि इनका स्वदेश के प्रति आकर्षण समाप्त हो जाता है और ये वही दस जाते हैं। इससे देश की दुर्लभ मुद्रा द्वारा विकसित बुद्धि का बहाव (Intellectual drain) होता है, इसे रोका जाना चाहिए। विभिन्न देशों में प्रार्थिक सहयोग की सम्भावनाओं में वृद्धि तथा उद्योग, व्यापार, व्यवसाय आदि के लिए वर्ड प्रतिनिधि मण्डल और अध्ययन दल विदेशों को भेजे जाते हैं। उदाहरणार्थ व्यापार-प्रतिनिधि-मण्डल, उद्योग-प्रतिनिधि-मण्डल, निर्यात-सम्भावना प्रब्लेम-दल आदि। इनके लिए भी विदेशी मुद्रा आवश्यक होती जानी चाहिए। किन्तु इसके गठन और इनकी

सख्ता सावधानीपूर्वक निर्धारित की जानी चाहिए। इन दलों में न्यूनतम आवश्यक ध्यक्तियों को ही सम्मिलित किया जाना चाहिए। साथ ही, सख्ता भी कम होनी चाहिए तथा निश्चित खाम होने की स्थितियों में ही ऐसा किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, कई सौस्कृतिक-प्रतिनिधि मण्डल, सःभावना-मण्डल, खेलकूद प्रतिनिधि मण्डल आदि विदेशों में भेजे जाते हैं। यद्यपि, पारस्परिक सदभावना और सूभ-नूभ पैदा करने के लिए इनका भी अपना महत्व है, किन्तु इन कार्यों के लिए विदेशी-विनियम अत्यन्त सीमित मात्रा में ही उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

आवटन से प्रायमिकता—ग्रन्त स्पष्ट है कि दुर्लभ विदेशी-विनियम आवटन में सर्वोच्च प्रायमिकता मुरक्षा और खाद्यान्नों को दी जानी चाहिए क्योंकि इनके साथ देश की जनता के जीवन-मरण का प्रश्न सम्बन्धित होता है। निर्वाह और विकास-सम्बन्धी कार्यों हेतु विदेशी मुद्रा, आवश्यक अपरिहार्य आयातों के लिए आवटित की जानी चाहिए। इनमें मुख्यत लोहा एवं इस्पात, बोयला, रेलें, विशिष्ट शक्ति योजनाएं, उवंरक, मशीनें आदि को प्रायमिकता दी जानी चाहिए। ऐसी परियोजनाओं, जिनके कार्य में काकी प्रगति हो चकी हो या जो पुराणता के नजदीक हो, सर्वप्रथम, विदेशी-मुद्रा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विदेशी-विनियम के इस आवटन में आवश्यकतानुसार केन्द्रित कार्यक्रमों (Core Projects) को सर्वोच्च महत्व दिया जाना चाहिए। विशेषत उन वस्तुओं के आयात के लिए विदेशी-विनियम प्रदान किया जाना चाहिए, जो ऐसी वस्तुओं के उत्पादन में सहायक हो, जिनका या तो निर्धारित किया जाए या जो आयातित वस्तुओं के स्थान पर वाम आकर आयातों में कमी करे। इस विदेशी-विनियम के आवटन और आयातों की स्वीकृति का केन्द्रित उद्देश्य निर्धारित में गृह्णि तथा आयात प्रतिस्थापन होना चाहिए। विदेशी मुद्रा का उपयोग अधिकतर उपभोक्ता उद्योगों के लिए नहीं प्रयित् पूँजीगत-पदार्थों के आयात हेतु किया जाना चाहिए। नियोजन में वैसी ही परियोजनाएं सम्मिलित की जानी चाहिए जो आवश्यक हो, जिनमें विदेशी-विनियम की न्यूनतम आवश्यकता हो और विदेशी-विनियम उत्पादन अनुपत्त कम हो। ऐसी परियोजनाओं के लिए ही विदेशी-विनियम का आवटन किया जाना चाहिए जो भूठी प्रतिष्ठा दाली नहीं, अपितु देश के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक हो।

भारतीय नियोजन में विदेशी-विनियम का आवटन

(Allocation of Foreign Exchange in Indian Planning)

अलक घोष के अनुसार, प्रथम पचावर्षीय योजना में भारत की विदेशी व्यापार नीति के प्रमुख तत्त्व, नियांतों को उच्च स्तर पर बनाए रखना और उन्हीं वस्तुओं का आयात करना या जो राष्ट्र-हित में आवश्यक हो या जो विकास और नियोजन की आवश्यकताओं को पूरी करें तथा देश के पास उपलब्ध विदेशी-विनियम साधनों तक ही मुग्धतान के मरम्भन को रखा जाय। अत इस योजना के प्रारम्भिक वर्ष में आयात से सम्बन्धित प्रारम्भ में नियन्त्रण नीति अपनाई गई, किन्तु बाद में मशीनें एवं अन्य आवश्यक उपभोग सामग्री के आयात में फिर उदारता बरती गई। वर्ष

1953-54 में खाद्यान्नों के आयात में कमी हुई, कच्चे माल की आवश्यकता ग्रो भी पूर्ति भी स्वदेशी साधनों से करने की चेष्टा की गई। अत उपात और कच्चे गृह ग्रो का आयात भी कम रिया गया। किन्तु योजना के लिए आवश्यक मशीनों के लिए विदेशी विनिमय की स्वीकृति देने में अनुदरता नहीं दिखाई गई। वर्ष 1954-55 में ग्रोधोगिक विकास में सहायता करने हेतु अधिक उदार-आयात-नीति अपनाई गई। कच्चे माल, मशीनें तथा उपभोक्ता वस्तुओं के आयात के लिए भी विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराई गई, किन्तु ऐसी वस्तुएँ, जो देश में उत्पादित की जाती थीं, उनके आयात में कटौती की गई। 1955-56 में योजनाग्रो के लिए आवश्यक मशीनों और सीहे एवं इस्पात के लिए विदेशी-विनिमय अधिक आवाटित किया गया। प्रथम योजनावधि में वापिक ग्रोमत आयात 724 करोड़ रु रहा, जिसमें से उपभोग नी ग्रोसत 235 करोड़ रु तथा कच्चे माल एवं अद्वै-निर्मित वस्तुओं का ग्रोसत 364 करोड़ रु था।¹ पूँजीगत वस्तुओं का ग्रोसत 125 करोड़ रु प्रति वर्ष रहा।

द्वितीय पचवर्षीय योजना में भारी एवं आधारभूत ग्रोधोगिक विकास पर काफी बल दिया गया। अत पूँजीगत-वस्तुओं के आयात में बढ़ि हुई। प्रथम योजना के ग्रोसत वापिक आयात से द्वितीय योजना में वापिक आयात 50% अधिक हो गया। इस योजना में पूँजीगत वस्तुओं, कच्चे माल, मध्यवर्ती वस्तुओं एवं वस्तु-नुज़ों के आयात के लिए बहुत अधिक विदेशी मुद्रा व्यय की गई। इस योजना में पूँजी वस्तुओं के आयात के लिए प्रतिवर्ष 323 करोड़ रु की विदेशी मुद्रा व्यय की गई। प्रथम योजनावधि में आयातों के लिए व्यय किए गए कुल विदेशी-विनिमय में पूँजीगत-वस्तुओं पर व्यय का भाग 17% था, जो दूसरी योजनावधि में बढ़कर 30.0% हो गया। प्रथम एवं द्वितीय योजना में व्यापारिक क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के पदार्थों पर निम्न प्रकार विदेशी-विनिमय व्यय हुआ—

प्रथम पचवर्षीय आयातित वस्तुओं की श्रेणी	द्वितीय पचवर्षीय योजना वापिक ग्रोमत
1. उपभोग वस्तुएँ	235 करोड़ रु.
2. कच्चा एवं अद्वै-निर्मित माल	364 करोड़ रु.
3. पूँजीगत-वस्तुएँ	125 करोड़ रु.
योग	724 करोड़ रु.
	1,072 करोड़ रु.

उपनोक्त सारणी से स्पष्ट है कि द्वितीय योजना में विदेशी-विनिमय की अधिक राशि, पूँजीगत-वस्तुओं को आवाटित की गई। द्वितीय योजना में प्रथम योजना की अपेक्षा उपभोग-वस्तुओं के आयात में केवल 12 करोड़ रु. की बढ़ि हुई जबकि पूँजीगत-वस्तुओं के आयात में 198 करोड़ रु. की बढ़ि हुई। द्वितीय योजना

के द्वीगम विदेशी-विनिमय की बड़ी कठिनाइयाँ महसूस हुईं, अतः जुलाई, 1957 से प्रायान में कटौती की कठोर नीति को अपनाया गया, जिसके अनुसार विदेशी-विनिमय अत्यन्त आवश्यक कार्यों के लिए ही उपलब्ध कराया गया। साथ ही, अर्थ-व्यवस्था में उत्पादन और रोजगार के स्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक आयातों के लिए भी स्वीकृति दी गई।

तृतीय पचदर्थीय योजना में भी विशाल विनियोजन कार्यक्रम जारी रहे एवं भारी और पूँजीगत उद्योगों को प्राथमिकता दी गई। इस योजना में आयातों हेतु बन 5,750 करोड़ रु. अनुमान लगाया गया। इसमें से 1,900 करोड़ रु तृतीय योजना की परियोजनाओं के लिए आवश्यक मशीनें एवं साज-सज्जा के लिए आवश्यक किए गए। शेष 3,650 करोड़ रु. आयात प्रतिस्थापन की सम्भावनाओं को व्यान में रखने के पश्चात् भी आवश्यक कच्चे माल मध्यवर्ती उत्पादन, प्रतिस्थापन के लिए पूँजीगत-वस्तुएँ एवं आवश्यक उपभोग वस्तुओं के आयात के लिए आवश्यक किए गए। इस प्रकार इस योजना में 1,900 करोड़ रु की विदेशी-मुद्रा, विकासात्मक आयातों के लिए और 3,650 करोड़ रु परियोजक आयातों के लिए आवश्यक भी गई। विदेशी-विनिमय के आवटन में निर्यात-उद्योगों के लिए आवश्यक आयातों को प्राथमिकता दी गई किन्तु आयातों की वृद्धि के परिणामस्वरूप होने वाले विदेशी संकट से मुक्ति के लिए आयातों के लिए सीमित मात्रा में विदेशी-विनिमय उपलब्ध कराने वी नीति जारी रही। आयात-निर्यात नीति समिति के अनुसार आयात नियन्त्रण की कार्यवाही और नियन्त्रण के सरकार और निर्यात सबर्दन के माध्यन स्वरूप अपनाई गई।

चतुर्थ योजना इस प्रकार नियमित की गई, ताकि द्रुत धार्थिक विकास हो। डसलिए, यह योजना गत योजनाओं से भी विशाल बनाई गई। परिणामस्वरूप, अर्थव्यवस्था के बर्नमान स्तर को बनाए रखने और इस योजना में सम्मिलित की गई नई परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए मशीनें और उपकरणों की भारी मात्रा में आयात वी आवश्यकता अनुभव की गई। विदेशी नदेण सेवाओं के भुगतान के लिए भी इस योजना में अधिक व्यवस्था की गई।

नियोजित अर्थव्यवस्था के दिए प्रमुख तर्क यह है कि इसमें स्वतन्त्र और प्रतिस्पद्धार्थी मूल्य-प्रतिक्रिया के अभाव म साधनों का विवेच्यपूर्ण आवटन नहीं होता। वस्तुतः पूर्णांग से नियोजित समाजवादी अर्थव्यवस्था के समान ऐह-इकिया नहीं होती। वहाँ मूल्य स्वतन्त्र अर्थव्यवस्था में मूल्यों के प्रमुख कार्य-साधनों का आवटन तथा माँग और पूर्ति के सन्तुलन का कार्य नहीं करते। स्वतन्त्र अर्थव्यवस्था में मूल्य-पदार्थों और सेवाओं की माँग और पूर्ति में साम्य स्थापित करने का प्रमुख कार्य करते हैं। इस प्रकार, सन्तुलन न केवल पदार्थों और सेवाओं में, बल्कि उत्पादन के साधनों के बारे में भी स्थापित किया जाता है। उत्तरार्णाथ, यदि इसी मूल्य पर कियी वस्तु की माँग, उपकी पूर्ति से बढ़ जानी है तो मूल्यों में वृद्धि होती है, परिणामस्वरूप एक और तो माँग कम होने वी और उत्पाद होती है और दूसरी ओर उन वस्तु के उत्पादन की अधिक प्रेरणा मिलने से उनकी पूर्ति बढ़ती है। इन प्रकार, माँग और पूर्ति में नाम्य स्थापित हो जाता है। यह साम्य उन मूल्य पर ही सकता है, जो मूल्य, मूल्यमन्तर से कुछ ऊंचा हो, किन्तु यह निश्चिन रूप से उन स्तर से नीचा होता है, जो नए सन्तुलन के पूर्व था। इस प्रकार, एक दार की मूल्य वृद्धि, आगे मूल्य-वृद्धि की रोकनी है और ऐसा करने पर ही मूल्य घरने आविष्ट कार्य को सम्पन्न करते हैं। इस प्रकार स्वतन्त्र उपक्रम काली अर्थव्यवस्था में मूल्य एक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। नियोजित अर्थव्यवस्था में इस प्रकार की मूल्य-तोत्रिका नहीं होती, त ही वहाँ मूल्य साधनों के आवटन और माँग तथा पूर्ति में सन्तुलन का कार्य करते हैं। वहाँ भी मूल्य-नीतिका का अस्तित्व तो हो सकता है, किन्तु वह पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के समान 'स्वतन्त्र' और 'प्रतिस्पद्धार्थी' नहीं होती। वहाँ मूल्य-निर्धारण, बाजार की शक्तियों दे द्वारा नहीं होता, बरोड़ि समाजवादी नियोजित व्यवस्था में स्वतन्त्र बाजार भी नहीं होते। अन् वहाँ 'प्रदत्त मूल्य' (Assigned Prices) होते हैं जिनका नियोजित विद्रोही नियोजन अधिकारी द्वारा दिया जाता है। पदार्थों के मूल्य ही नहीं, अपनी उत्पादन साधनों के मूल्य भी केवल नियोजन सत्ता द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, क्योंकि सरकार ही वहाँ एकम न

एकाधिकारी होती है और उत्पादन साधनों का स्वामित्व और नियन्त्रण उसी में ही निहित रहता है। इस प्रकार पूर्ण नियोजित अर्थव्यवस्था में अधिक से अधिक जानवृक्ष कर बनाई हुई मूल्य प्रणाली होती है।

मूल्य-नीति का महत्व (Importance of Price-Policy)

विकासोन्मुख राष्ट्रों दी नियोजित अर्थव्यवस्था में उचित मूल्य नीति महत्वन्त आवश्यक होती है। मिथित अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत तो इसका और भी अधिक महत्व होता है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सावंजनिक क्षेत्र के साथ साथ स्वतन्त्र बाजार सहित विशाल निजी क्षेत्र भी क्रियाशील रहता है। व्यवस्थाओं में सरकारी नीति, पूँजी विनियोगकर्त्ताओं और उपभोक्ताओं के व्यवहार पर मूल्यों की घटा बढ़ी नियंत्रण करती है। निजी उद्यमियों या पूँजी-विनियोजकों का मुरय नहेश्य अधिक से अधिक लाभ बनाना होता है। उनकी रुचि सदैव मूल्यों में वृद्धि करने में रहती है। ये वस्तुओं के कृतिग्रंथालयों का सूजन करके भी ऐसा करते हैं। दूसरी ओर उपभोक्ताओं का प्रयत्न अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करने का रहता है। उक्त दोनों वर्ग इस समस्या से सम्बन्धित आर्थिक विकास के विभिन्न पहलुओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं देते। ऐसी स्थिति में योजना अधिकारी को बड़ी तत्परता से मूल्यों पर नियन्त्रण करके और तत्सम्बन्धी उचित नीति को अपनाना आवश्यक होता है। मूल्यों की अधिक वृद्धि से न केवल सामान्य जनता को ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है अपितु योजना-लक्ष्य, आय व्यय सम्बन्धी अनुपात भी गलत सिद्ध हो जाते हैं और योजना को उसी रूप में क्रियान्वित करना असम्भव हो जाता है। इसके विपरीत मूल्यों में अधिक गिरावट भी उचित नहीं कही जा सकती क्योंकि इसमें उत्पादकों की उत्पादन प्रेरणा समाप्त हो जाती है। उत्पादन वृद्धि के लिए प्रेरणास्पद मूल्य होना भी आवश्यक है। अत मिथित अर्थव्यवस्था में उचित मूल्य-नीति को अपनाया जाना आवश्यक होता है। यही नहीं पूर्ण नियोजित अर्थव्यवस्था में भी नियोजन सत्ता द्वारा विभिन्न वर्गों की वस्तुओं के मूल्य, सावधानी और विचारपूर्वक निर्धारित किए जाते हैं।

मूल्य-नीति का उपयोग सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण अस्त के रूप में किया जाता है। राज्य की मूल्य-नीति द्वारा अर्थव्यवस्था के किसी भी क्षेत्र, उद्योग फर्म या व्यक्तिगत उत्पादक का हित या अहित हो सकता है। यदि देश की भूल्य नीति में कुछ चुटि हो, तो समग्र देश को इसका भारी मूल्य चुकाना पड़ सकता है। मूल्य-स्तर को घटा-बढ़ा कर आय-वितरण को भी प्रभावित किया जा सकता है, क्योंकि मूल्य वृद्धि की अवधि में समस्त पदार्थों के मूल्य एक ही अनुपात में नहीं बढ़ते। अतिक्रम पदार्थों के मूल्यों में परिवर्तन को प्रभावित करके इन पदार्थों के उत्पादन और उपयोग की मात्रा को भी घटाया बढ़ाया जा सकता है। सावंजनिक-क्षेत्र के व्यवसायों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों को थोड़ा ऊँचा रख कर आर्थिक विकास हेतु पर्याप्त साधन जुटाए जा सकते हैं। इस प्रकार नियोजित

अर्थव्यवस्था में मूल्य-नीति बहुत महत्वपूर्ण है। डॉ. वी. के आर वी. राठौ के अनुसार "साम्यवादी देशों में भी आधुनिक चिन्तनधारा से मांग और पूर्ति में वैद्यनीय परिवर्तन लाने के लिए विशेषत खरकार की शक्ति और प्रशासन पर निर्भर रहने की ग्रेपेटा कम से कम कुछ भीमा तक मूल्य-प्रक्रिया के उपयोग के महत्व का प्रमाण मिलता है। इस प्रकार नियोजित अर्थव्यवस्था में भी मूल्यों का धनात्मक योगदान होता है और एक बुद्धिमत्तापूर्ण नीति में व्यक्तिगत पदार्थों वी मांग और पूर्ति में इन परिवर्तनों को लाने के लिए, जो अब्द-विकास से विकास में हस्तान्तरण के लिए इतन आवश्यक है, मूल्य प्रक्रिया का उपयोग करना होता है। रिजर्व बैंक और इण्डिया के भूतपूर्व नवनंदर एच वी आर. आवगर के अनुमार 17 वर्ष पूर्व आयोजित आर्थिक विकास की प्रक्रिया प्रारम्भ करने में भारत का मुख्य उद्देश्य था—प्रदिवीश लोगों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि करना और उनके लिए जीवनयापन के विविध और अविक समृद्ध नए मार्ग खोजना। यदि आयोजित वृद्धि का फल जनसाधारण तक पहुँचाना है, तो हमें एक मूल्य-नीति निर्धारित करनी होगी और एक सुनियोजित मूल्य ढाँचा तैयार करना होगा। मूल्य नीति का सम्बन्ध केवल किसी एक वस्तु ही नहीं, अपितु वस्तुप्रो और सेवाओं के सामान्य और सापेक्षक मूल्यों से भी है।

मूल्य-नीति का उद्देश्य (Aims or Objectives of Price Policy)

विकासशील नियोजित अर्थव्यवस्था में, मूल्य नीति निम्नलिखित उद्देश्यों पर केन्द्रित होनी चाहिए—

- (1) योजना की प्रायमिकताओं एवं लक्ष्यों के अनुमार मूल्यों में परिवर्तन होने देना।
- (2) न्यून आय वाले उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग-वस्तुप्रो के मूल्यों में अधिक वृद्धि को रोकना।
- (3) मूल्य-स्तर में स्थिरता बनाए रखना।
- (4) मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियों पर रोक लगाना और मुद्रास्फीति के दोषों को बढ़न से रोकना।
- (5) उत्पादकों हेतु प्रेरणास्प्रद मूल्यों को बनाए रखना।
- (6) मुद्रा-प्रसार और उपभोक्ता वस्तुप्रो के उत्पादन में उचित सम्बन्ध बनाए रखना।

मूल्य-नीति और आर्थिक विकास (Price Policy and Economic Development)

मूल्य वृद्धि आवश्यक—सामान्यत यह माना जाता है कि आर्थिक विकास की प्रवृत्ति में मूल्य-वृद्धि न केवल अपरिहार्य है, अपितु अनिवार्य भी है। विकास के

मूल्यों में ऊपर की ओर दबाव तो निहित ही है क्योंकि नियोजन हेतु भारी मात्रा में पौँडी निवग किया जाता है। इससे तुम्हें मीट्रिक आय बढ़ जाती है, किन्तु उसके अनुरूप वस्तु उत्पादन नहीं बढ़ता, क्योंकि किसी परियोजना के प्रारम्भ करने के एक अवधि पश्चात् ही उससे उत्पादन आरम्भ होता है। अत मीट्रिक आय की अवधा समय पर निर्भर करती है। अधिक मूल्यों से उत्पादकों को भी प्रेरणा मिलती है। समय पर निर्भर करती है। अधिक मूल्यों से उत्पादकों को भी प्रेरणा मिलती है। अत आर्थिक नियोजन का उद्देश्य जन साधारण का जीवन स्तर उच्च बनाना है। अत अमिती के जीवन स्तर को उच्च बनाने के लिए उनकी मजदूरी और अन्य सुविधाओं में वृद्धि की जाती है। अद्वैत-विकसित देशों में धर्म-प्रधान तकनीकें अपनाएं जाने के कारण लागत में मजदूरी का भाग अधिक होता है। अत मजदूरी बढ़ जाने से लागतों और मूल्यों का बढ़ जाना स्वाभाविक होता है। इस प्रकार यह माना जाता है कि आर्थिक विकास की हृषि से मूल्यों में थोड़ी वृद्धि हितकर ही नहीं, अनिवार्य भी है, क्योंकि अद्वैत-विकसित देशों के आर्थिक विकास में एक बड़ी बाधा, बचत के अभाव के कारण उपस्थित होती है। विदेशों से पदाप्त मात्रा में बचत की प्राप्ति नहीं होने पर देश में ही 'विवरणापूर्वक बचत' (Forced Saving) के द्वारा साधन प्राप्त किए जाते हैं। ऐसी हृषि बचत मात्रा न्यूनतम उपभोग स्तर और आय में नकारात्मक असर या स्वरूप असर के कारण बहुत थोड़ी होती है। मूल्य-वृद्धि आय वितरण को उच्च आय वाले वग के पक्ष में पुनर्वितरण करके बचत वृद्धि करने में सहायता करती है, क्योंकि इस वर्ग की बचत करने की सीमान्त-प्रवृत्ति (Marginal Propensity to Consume) अधिक होती है। परिणामस्वरूप साधनों को विकास हेतु अधिक गतिशील बनाया जा सकता है।

मूल्य-वृद्धि के पक्ष में यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि यह विनियोग के लिए उचित वातावरण का निर्माण करती है, किन्तु इस सम्बन्ध में यह सब मूल्यत इस बात पर निर्भर करता है कि मूल्य-वृद्धि की गति क्या है? यदि मूल्य तीव्रता से बढ़ रहे हों और अति मुद्रा प्रसार का भय हो, तो विनियोक्ता हतोत्साहित होगे। कम से कम सामाजिक हृषि से बांधितीय परियोजनाएं तो नहीं अपनाई जाएंगी; ही बहुत कम मूल्य-वृद्धि की आशा इस हृषि से विकास के लिए हितकर होगी।

मूल्य-वृद्धि के पक्ष में एक तर्क यह भी है कि मुद्रा-प्रसार उन मीट्रिक आय का सृजन करता है, जो पहले नहीं थी। इससे देश के तुपुत्त साधनों, विशेषत जन-शक्ति को गतिशील बनाने और इन्हे उत्पादक कार्यों में नियोजित करने में सहायता मिलती है। इससे आर्थिक विकास में ताक्षता आती है।

मूल्य-वृद्धि आवश्यक नहीं—किन्तु अनेक विचारक, विकासशील अर्थ-यवस्था में विकास हेतु मूल्य-वृद्धि आवश्यक नहीं मानते। इस मत के समर्थन में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं—

(1) बचत पर विपरीत प्रभाव—मूल्य-वृद्धि से बचत पर विपरीत प्रभाव

पड़ता है। निरन्तर मूल्य नूदि अधिकांश व्यक्तियों की, बचत की इच्छा और योग्यता पर विपरीत प्रभाव डालती है। मूल्य-वृद्धि देश की मुद्रा और चलन में जनता के विश्वास को डगमगा देते हैं। देश की अधिकांश बचत करने वाले अपनी बचत की बैंक-जमा, बीमा-पॉलिसियो या सरकारी-प्रतिभूतियों (Government Securities) के रूप में रखते हैं। मूल्य वृद्धि अथवा मुद्रा-प्रसार के कारण, जब इन लोगों के इस रूप में रखी हुई मुद्रा मूल्य घटता जाता है तो व्यक्तियों में बचत के स्थान पर व्यय करने की इच्छा बढ़ती हो जाती है, या फिर वे अपनी बचत को सोना, जमीन-जायदाद या विदेशी-विनियम ब्य करने में उपयोग में लाते हैं। इन दोनों ही स्थितियों में पूँजी निर्माण को घटका समझा है। अधिकांश अपनी बचत की विदेशी में लगाते हैं।

मूल्य वृद्धि से जिस प्रकार बचाने की इच्छा पर कुरा प्रभाव पड़ता है उसी प्रकार बचाने की क्षमता भी कुप्रभावित होती है। मुद्रा प्रसार से कृपको, ग्रोवोलिक श्रमिकों द्वाटे व्यापारियों और मध्यवर्ग की वास्तविक आय में भारी कमी होती है और उनका व्यय आय से भी अधिक बढ़ जाता है। इसके विपरीत मूल्य स्थायित्व से बचत मात्रा बढ़ती है। कम से कम वे ऋणात्मक बचत वो समाप्त करने या उन्हे कम करने में तो अवश्य सहायक होती है। यह एक तथ्य है कि मूल्य-वृद्धि के समय में राष्ट्रीय आय में पारिवारिक क्षेत्र की बचत का भाग घट जाता है किन्तु मूल्य-स्थायित्व की स्थितियों में इस अनुपात में तीव्र वृद्धि होती है।

(ii) विकास की हृष्टि से लाभदायक विनियोग नहीं—मुद्रा प्रमाण से सदैव ही लाभ और लाभदायक विनियोगों में वृद्धि हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। चिली के अनुमार वहाँ सन् 1950 और 1957 की अवधि में 10 गुनी मूल्य-वृद्धि हुई, किन्तु स्थिर-पूँजी में विनियोगों की मात्रा गिर गई। बहुधा, मूल्य-वृद्धि विनियोगों को प्रोत्साहित करती है किन्तु इस समय इस बात की बहुधा सम्भावना होती है कि विनियोक्ता विवेच्यूरां एवं दीर्घकालीन हृष्टिकोण से विनियोग सम्बन्धी निरांय नहीं ले पाते, तुरन्त फलदायक और अधिकाधिक लाभदायक परिवोजन ऐसी बहुधा हाथ में ली जाती हैं जो दीर्घकालीन आर्थिक विकास की हृष्टि से महत्त्वपूर्ण नहीं होती। इस प्रकार ये विनियोग आर्थिक विकास की हृष्टि से, अधिक लाभप्रद नहीं हो पाते।

(iii) विदेशी विनियम पर विपरीत प्रभाव—आर्थिक विकास की गति प्रारम्भ में बहुत कुछ विदेशी विनियम साधनों पर निर्भर करती है। यह विदेशी-विनियम या तो आयातों की अपेक्षा अधिक निर्यात करके अथवा विदेशी-पूँजी के आयात द्वारा उपलब्ध होता है। मूल्य-वृद्धि से विदेशी विनियम के इन दोनों ही स्रोतों पर कुप्रभाव होता है। मूल्य-वृद्धि से देश में दस्तुओं की उत्पादन-लागत बढ़ जाती है और इससे निर्दात होत्साहित होते हैं। इससे विदेशी-विनियम का आभाव है और ऐसी स्थिति में विनियम नियन्त्रण, विदेशी विनियम में सहै की प्रवृत्ति और विदेशी विनियम-दर में गिरावट आती है, परिणामस्वरूप, जिन्हीं विदेश-पूँजी भी होत्साहित होती है।

(iv) आर्थिक विषयमता में वृद्धि—निरन्तर मूल्य-वृद्धि से आर्थिक विषयमता में वृद्धि होनी है क्योंकि इस समय लाभों में अधिक वृद्धि होती है। ऐसी स्थिति में, मूल्य-वृद्धि कतिपय व्यक्तियों को ही धनवान बनाती है और अधिकांश को निर्घनना की ओर ले जाती है। अत आर्थिक विकास की वित्त-व्यवस्था बरने का मुद्रा-प्रसारिक पद्धति से सामाजिक तनाव और सघर्ष बढ़ता है। यदि आर्थिक विकास का आवश्यक आय के न्यूनतम स्तर पर रहने वाले लोगों की सहजा में कमी करता है तो तीव्र मूल्य-वृद्धि ऐसे आर्थिक विकास के कदापि अनुकूल नहीं है।

(v) अनेक देशों के उदाहरण—यदि आर्थिक विकास का आवश्यक राष्ट्रीय आय में वृद्धि से लें तो भी मूल्य-वृद्धि आर्थिक विकास में अनिवार्य रूप से सहायक नहीं है। मूल्य-वृद्धि के बिना भी राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो सकती है और अधिक वृद्धि होने पर भी राष्ट्रीय आय में बहुत कम वृद्धि हो सकती है। उदाहरणार्थ मारत की प्रथम योजना में उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में 5% की वृद्धि हुई, किन्तु राष्ट्रीय आय 18.4% बढ़ी। इसके विपरीत, द्वितीय योजना में उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में 29.3% की वृद्धि हुई, जबकि राष्ट्रीय आय ये 21.5% की ही वृद्धि हुई। तृतीय योजना में तो मूल्य 36% बढ़े, किन्तु राष्ट्रीय आय में केवल 14% की ही वृद्धि हुई। अत मूल्य-वृद्धि आर्थिक विकास की कोई आवश्यक चार्ट नहीं हो सकती। पश्चिमी जर्मनी, जापान, कनाडा, इटली आदि के अनुभवों से भी यही बात सिद्ध होती है। सन् 1953-59 की अवधि में पश्चिमी जर्मनी की राष्ट्रीय आय में 12% वार्षिक दर से वृद्धि हुई, किन्तु इसी अवधि में मूल्यों में केवल 1% वार्षिक की दर से वृद्धि हुई। जापान में 1950 और 1959 की उक्त अवधि में राष्ट्रीय आय 12.3% वार्षिक की दर से बढ़ी, किन्तु इस समस्त अवधि में मूल्य केवल 2% ही बढ़ पाए। इटली में तो इस अवधि में मूल्य स्तर में 1 प्रतिशत की कमी आई, किन्तु फिर भी राष्ट्रीय आय 4 प्रतिशत बढ़ गई। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोप की प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार “युद्धोत्तर वर्षों में अत्यधिक विकासित देशों में औसत रूप से प्रति व्यक्ति उत्पादन में 4% की वृद्धि उस अवधि में हुई। जब उन्होंने अपने यहाँ मौद्रिक स्थायित्व बनाए रखा। इन देशों में मुद्रा-प्रसार के समय उत्पादन में केवल प्रथम अवधि की अपेक्षा आधी ही वृद्धि हुई। तो तीव्र मुद्रा-प्रसार के समय तो उत्पादन-वृद्धि की प्रवृत्ति उससे भी कम रही।”

निष्कर्ष

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि मूल्य-वृद्धि आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य नहीं है। किन्तु फिर भी अधिकांश लोगों का मत है कि आर्थिक विकास को तीव्र गति देने के लिए मूल्यों में अत्यल्प वृद्धि (Gently or Moderately Increasing Prices) लाभदायक है। मूल्यों में 1 या 2% वृद्धि या ‘रेगता हुआ मुद्रा प्रसार’ (Creeping Inflation) अपरिहार्य है। किन्तु, इस बात की सावधानी बरतना

प्रावश्यक है कि यह 'रेंगता मुद्रा प्रमार' (Creeping Inflation) बूढ़ते हुए और ज़ुड़कते हुए (Galloping Inflation) मुद्रा-प्रसार में परिवर्तित नहीं हो जाए। इस प्रकार की स्थिति हीन पर सब आर्थिक प्रगति घबराहट हो जाती है। भारत जैसे विकासोन्मुख देशों में इस प्रकार का भय अवश्यम्भावी है, जहाँ उद्योग और मूल्य रूप से भागी तथा आधारभूत उद्योग कृषि भी प्रपेभा आर्थिक लीवर गति से विकसित हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में खाद्य और डार्भोक्ता-वस्तुओं और धोनीयिता कच्चे माल की कमी उत्पन्न होकर, इनके मूल्य तेजी से बढ़ सकते हैं। अन्य वृद्धि वस्तुओं और अन्य सेवाओं के मूल्य भी इन वस्तुओं के मूल्यों पर निर्भर करते हैं, अतः मजदूरी और अन्य पदार्थों के मूल्य बढ़ते हैं। इस प्रकार, मजदूरी मूल्य वृद्धि (Wage-Price Spiral) चक्र चलता रहेगा, योजनाओं के अनुमान गलत हो जाएंगी और विकास की आशाएं धूमिल हो जाएंगी।

इस प्रकार एक और यह मन व्यक्त किया जाता है कि मूल्य-प्रक्रिया को उत्पादन-वृद्धि करने और उत्पादन सरचना को बाँधिन दिग्गज निर्देशन के उपयोग किए जाने के लिए मूल्य नीति में कुछ लोध होनी चाहिए। दूसरी ओर, आर्थिक विकास में निहित भारी पूँजी विनियोग के कारण उत्पन्न मुद्रा प्रमाणित-प्रवृत्तियाँ, मुराय रूप से, प्रावश्यक उपभोग वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिए मूल्य-स्थापित्व बांधनीय है। किन्तु, दोनों ही स्थितियों में आधारभूत बांधनीय बात यह होनी चाहिए कि युनियनी उपभोक्ता-वस्तुओं और पूँजीगत वस्तुओं के उत्पादन में प्राप्त वृद्धि बांधनीय है। जो मूल्य-नीति इस उद्देश्य की पूर्ति करे वही आर्थिक विकास के लिए उचित नीति है। डॉ वी के प्रार. वी राव के मतानुसार "जिस सीमा तक मूल्यों वृद्धि उत्पादन-वृद्धि नहीं करे, उम सीमा तक मूल्य-वृद्धि अनुचित है और इसे रोकने के लिए यथायमन्मव प्रयत्न किए जाने चाहिए। किन्तु जिस सीमा तक मूल्य-वृद्धि उपभोग या धनावश्यक दिशाओं पर साधनों के उपयोग में बढ़ी लाती है, यह बांधनीय है और इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मूल्य-वृद्धि उत्पदन-वृद्धि नहीं करने पर भी उस समय स्वीकार्य है, जबकि यह बांधनीय क्रियाओं में मांग का पुनर्निर्देशन, उत्पादक-शक्तियों का पुनर्वितरण और उत्पादन का नवीनीकरण करे।"

मूल्य-नीति के दो पहलू (Two Aspects of Price Policy)

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि नियोजित अर्थ-व्यवस्था में आर्थिक विकास के लिए सहायक उचित मूल्य-नीति आवश्यक है। डॉ वी. प्रार. वी राव के प्रानुगार इस नीति के बृहत् और सूक्ष्म (Macro and Micro) दोनों पहलू होने चाहिए।

बृहत् पहलू (Macro Aspect)—बृहत् पहलू में, मूल्य-नीति, मौद्रिक नीति और राजकीयीय नीति का स्वरूप ग्रहण कर लेती है। आर्थिक विकास में भारी विनियोगों के कारण एक और तो समाज के सीमित साधनों की मांग बढ़ने से मूल्य-वृद्धि होती

है, दूसरी ओर रोजगार-वृद्धि के परिणामस्वरूप, व्यक्तियों की मौद्रिक आय में वृद्धि होती है जिसका परिणाम व्यय में वृद्धि के कारण मूल्य-वृद्धि होता है। मूल्य-वृद्धि से रोजगार-आय और मार्ग पुन बढ़ती है जिसके कारण पुन मूल्य बढ़ते हैं। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए बुनियादी उपभोक्ता वस्तुओं और आधारभूत विनियोग वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाया जाना आवश्यक है। विनियोग वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि, दीर्घकाल में, अधिक प्रभावशाली होती है, जबकि उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि मूल्य-वृद्धि को रोकने का तात्कालिक उपाय सिद्ध होती है। इसके विपरीत अनावश्यक उपभोक्ता-वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि या साधनों के अनावश्यक उपभोक्ता और पूँजीगत वस्तुओं के निर्माण हेतु उपयोग मुद्रा-प्रसारिक-प्रवृत्तियों को बल देता है, क्योंकि साधन सीमित होते हैं। इस प्रकार, उनका मूल्य-वृद्धि को रोकने के लिए समुचित उपयोग नहीं हो पाता, किन्तु, विकासमान अर्थ-व्यवस्था से ऐसा होना स्वाभाविक ही है। अत. कुछ मौद्रिक और राजकोषीय उपयोगों की आवश्यकता होती है, जो आय तथा आय के उपयोग को सुप्रभावित करके बाह्यित दिशा प्रदान कर सके।

भारत की तृतीय पञ्चवर्षीय योजना की रिपोर्ट के अनुसार मूल्य-नीति के प्रमुख अग्र मौद्रिक और राजकोषीय-प्रमुणासन है। “मौद्रिक नीति द्वारा व्यय और तत्त्वजनित आय को गलत व्यक्तियों के हाथों में जाने से रोकना चाहिए।” इसके द्वारा वस्तुओं का सट्टे के लिए सप्तह और उन्हे छिपाकर रखने की प्रवृत्ति पर काढ़ पाना चाहिए। इस सब में उचित ‘व्याज-दर की नीति’ और ‘चयनात्मक साख नियन्त्रण’ (Selective Credit Control) के द्वारा सहायता ली जानी चाहिए। मौद्रिक-नीति के साथ-साथ ही राजकोषीय-नीति का उपयोग भी किया जाना चाहिए। मौद्रिक-नीति वैको आदि के द्वारा अतिरिक्त क्षय-जक्षि के सृजन वौ नियमित और नियन्त्रित करती है, तो राजकोषीय नीति में करारोपण (Taxation) इस प्रकार विद्या जाना चाहिए, जिससे व्यय विए जाने के लिए जन-साधारण के पास, विशेष रूप से ऐसे लोगों के पास जो अपव्यय करें, आय कम हो जाए। इस उपभोग को समर्पित और सीमित करने तथा बचत को अधिक प्रभावकारी ढंग से गतिशील बनाने में समर्थ होना चाहिए। इस प्रकार मौद्रिक और राजकोषीय दोनों नीतियों का उद्देश्य जनता के हाथ में कम आय और क्षय-जक्षि पहुँचाना तथा इस आय में से भी अधिकाधिक बचत की प्रेरणा देना होना चाहिए। प्रो वी के आर. वी. राव ने वृहत्-नीति (Macro Policy) के कार्य-वहन को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि “मूल्यों के मम्बल्म में वृहत् नीति व्यक्तिगत मूल्यों पर प्रत्यक्ष प्रभाव के रूप में ही नहीं, अपितु अप्रत्यक्ष रूप से आय सृजन और आय के उपयोग इन दो चल तस्वीरों पर प्रपने प्रभाव द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सचालित होती है, जो मूल्यों में समस्त परिवर्तनों के लिए मौद्रिक-सरचना को निर्धारित करते हैं।”¹ इस नीति का सार

1 Dr. V K R V Rao : Essays in Economic Development, p 151.

अतिरिक्त आय के सृजन और उसके व्यय को प्रतिबन्धित करना है, जिससे मांग कम हो और मूल्य वृद्धि न हो पाए ।

सूक्ष्म पहलू (Micro Aspects)—मूल्य-नीति के इस पहलू के अन्तर्गत अर्थी-व्यवस्था में आधारभूत विनियोग-वस्तुओं और आवश्यक उपभोक्ता-वस्तुओं के उत्पादन में अधिकाधिक वृद्धि की जाए, ताकि वह अतिरिक्त विनियोजन के परिणामस्वरूप बड़ी हुई आय एवं उपभोग व्यय के अनुरूप हो जाए । इस उद्देश्य से नियोजन अधिकारी को इस प्रकार की नीति प्रपनानी पड़ेगी, ताकि एक और साधनों का उपयोग आर्थिक विकास के लिए आधारभूत विनियोजन वस्तुओं और बुनियादी उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में लगे तथा दूसरी ओर इन वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के उत्पादन में साधनों का उपयोग हतोत्साहित हो अर्थात् प्रथम स्थिति में मूल्य-नाभिकता का उपयोग 'उत्तेजक' (Stimulant) के रूप में और द्वितीय स्थिति में 'प्रवरोधक' (Deterrent) के रूप के किया जाए । परन्तु इस बात की सावधानी बरती जानी चाहिए कि ऊंचे मूल्यों के रूप में मूल्य-तात्त्विकता का आवश्यक वस्तुओं के उपभोग को हतोत्साहित करने के रूप में उपयोग से साधन इन आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन की ओर आकर्षित नहीं होने लगें । इसी प्रकार, ऊंचे मूल्यों के रूप में मूल्य-तात्त्विकता का आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में 'उत्तेजक' के रूप में उपयोग का परिणाम यह नहीं होना चाहिए कि इससे वाँछित विनियोग वस्तुओं की मांग में कमी की प्रवृत्ति और बुनियादी उपभोक्ता वस्तुओं में भुदा-प्रसारिक लागत-प्रतिक्रिया उत्पन्न हो जाए । ऐसा होने पर मूल्य-वृद्धि द्वारा प्रोत्साहन तथा हतोत्साहन के परिणामस्वरूप वाँछनीय उद्देश्यों की पूति नहीं हो सकेगी । अत यूक्ष्म पहलू का इस प्रकार से उपयोग किया जाना चाहिए ताकि कम से कम वाँछनीय दातों के साथ अधिकतम वाँछनीय परिणाम प्राप्त किए जा सकें ।

इसके लिए अनावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि की जानी चाहिए, किन्तु साव ही, इस क्षेत्र में ऊंचे कर लगाए जाने चाहिए और साधनों का नियन्त्रित आवरण किया जाना चाहिए । आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि के लिए मूल्य-वृद्धि द्वारा प्रोत्साहन देने की प्रवेशा इनका उत्पादन सावंतव्य-क्षेत्र में किया जाना चाहिए । जहाँ यह सम्भव नहीं हो वहाँ भी उत्पादन-वृद्धि के लिए ऊंचे मूल्यों की प्रेरणा की प्रवेशा करो में रियायत देना अधिक थेपस्कर है । जहाँ कर सम्भवनी रियायतों से भी आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता हो वहाँ विक्रय-प्रदान (Sales Subsidies) दिए जाने चाहिए । आधारभूत उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहित होने हें जिए इन्हीं मूल्य-वृद्धि से बचता चाहिए और इसके स्थान पर इनकी उत्पादन-लागत को कम करने के लिए उत्पादन में प्रयुक्त आदानों (Inputs) के मूल्य दाम किए जाने चाहिए, किन्तु यदि मूल्यों में वृद्धि से किसी प्रबार बचता सम्भव नहीं हो तो मूल्य-नियन्त्रण और विनियोग राज्य को अपने हाथों में लेने चाहिए और जनता को इन आधारभूत उपभोक्ता वस्तुओं को एक मूलतम आवश्यक मात्रा हिंदूर मूल्यों पर उत्पादन बाराई जानी चाहिए और

इस हानि की पूर्ति, अनुतम आवश्यक मात्रा से अतिरिक्त पूर्ति के मूल्यों में वृद्धि द्वारा की जानी चाहिए।

प्रिंसिप्स अर्थ-व्यवस्था में मूल्य-नीति के सिद्धान्त (Principles of Price-Policy in Mixed Economy)

आर्थिक विकास और नियोजन के सन्दर्भ में मूल्य-नीति से सम्बन्धित उपरोक्त सिद्धान्तिक विवेचन के आधार पर डॉ. बी. के आर. बी. राव ने मूल्य-नीति सम्बन्धी निम्नलिखित सिद्धान्तों का निरूपण किया है—

1. विकासार्थ नियोजन में भारी पूँजी विनियोग के कारण जनता की आय में वृद्धि होती है। आय की इस वृद्धि के अनुल्प ही उत्पादन-वृद्धि होनी चाहिए प्रत्येक मूल्य-वृद्धि होगी। इस उत्पादन में वृद्धि का जितना भाग अर्द्ध-निमित भवस्था में हो या विक्रय के लिए उपलब्ध नहीं हो, आय के उसी भाग के अनुल्प नकद संग्रह (Cash holdings) में वृद्धि होनी चाहिए। सर्केप में, किसी ऐसे व्यष्टि की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए जिससे या तो उत्पादन में अथवा नकद संग्रह में वृद्धि न हो।

2. अर्थ-व्यवस्था के किसी भी क्षेत्र या समूह की आय में वृद्धि के अनुल्प उस क्षेत्र या समूह के उत्पादन में वृद्धि अथवा अन्य क्षेत्रों या समूह से हस्तान्तरण होना चाहिए अन्यथा मूल्य-वृद्धि की प्रवृत्ति प्रारम्भ हो जाएगी।

3. विनियोगों में वृद्धि के अनुल्प ही बचत में वृद्धि करने के प्रयत्न किए जाने चाहिए। यदि वह सम्भव नहीं हो तो विनियोगों में भावी वृद्धि को बचत में सम्भावित वृद्धि तक सीमित कर देना चाहिए।

4. दुनियादी उपभोक्ता-वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ाने से रोकने का प्रयत्न करना चाहिए, भले ही सामान्य मूल्य-स्तर को रोकने का प्रयत्न आवश्यक नहीं है, क्योंकि मूल्य-स्तर में प्रत्येक वृद्धि सुदूर-प्रसारिक नहीं होती। केवल आधारभूत उपभोक्ता-वस्तुओं की मूल्य-वृद्धि ही लागत-मुद्दा-प्रसार (Cost-inflation) के द्वारा तीव्र मूल्य वृद्धि को जन्म देती है।

5. आर्थिक विकास की अवधि में दुनियादी उपभोक्ता वस्तुओं की मांग दो पूर्ण सम्भावना होती है। अत इन वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ाने से रोकने के प्रयत्न तभी सफल हो सकते हैं, जबकि इन वस्तुओं के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हो। यदि इन वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि हेतु मूल्य-वृद्धि को प्रोत्साहन देना आवश्यक हो तो अस्पष्टकालीन नीति के रूप में इसका भवलम्बन किया जा सकता है। किन्तु इस बीच मूल्य स्थिर रखने के उद्देश्य की पूर्ति के किए 'मूल्य-नियन्त्रण' और 'नियन्त्रित-वितरण' आदि उपायों को भी अपनाया जाना चाहिए।

6. जब तक अर्थ-व्यवस्था स्वयं-स्फूर्ति अवस्था में नहीं पहुँच जाए, तब तक विकासशील अर्थ-व्यवस्था में मूल्य-वृद्धि की प्रवृत्ति जारी रहती है। किन्तु कभी-कभी से प्राकृतिक आपदाओं या कभी वाले क्षेत्रों पर कभ ध्यान दिए जाने के कारण अन्य कारणों से यह प्रवृत्ति बहुत हड़ हो जाती है और मूल्यों में विभिन्न मौसमों

क्षेत्रों या प्रदेशों में भारी तेजी आ जाती है। इस प्रकार की समस्याओं के निराकारण हेतु 'बफर स्टॉक' (Buffer Stock) का निर्माण किया जाना चाहिए। 'बफर स्टॉक' द्वारा सरकार अर्थकाल में पूति को मांग के अनुहर समायोजित करने में सफल होती है। इस प्रकार, इनके द्वारा अर्थकालीन और अस्थायी वृद्धियों को रोका जा सकता है।

विभिन्न प्रकार के पदार्थों से सम्बन्धित मूल्य-नीति

कृषि पदार्थ—गढ़-विकसित अर्थ व्यवस्थाओं में आर्थिक विकास के लिए उचित कृषि पदार्थ सम्बन्धी नीति का बड़ा महत्व होता है। इन पदार्थों के मूल्य मांग और पूति की स्थितियों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। अधिकांश पढ़-विकसित देशों में राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि-जन्य उत्पादन का भाग लगभग 50% होता है। अत देश में सामान्य मूल्य-स्तर पर कृषि पदार्थों के मूल्य परिवर्तनों का बड़ा प्रभाव पड़ना है। साथ ही, भारत जैसे गढ़-विकसित देशों में उपभोक्तागण अपनी आय का अधिकांश भाग खाय-पदार्थों पर व्यय करते हैं जो मुख्यतः कृषि-जन्य होते हैं। जब इन पदार्थों के मूल्यों में अधिक वृद्धि होती है, तो व्यक्तियों में अपनी व्यापार बढ़ना है। मजदूर अपनी मजदूरी बढ़ाने के लिए संगठित होते हैं। महाराष्ट्र भौति में वृद्धि के लिए दबाव बढ़ जाता है। कई उद्योगों के लिए कच्चा मान भी कृषि द्वारा प्राप्त होता है। इनके मूल्य बढ़ने से इन उद्योगों की लागत बढ़ जानी है और देश-विदेश में इनकी प्रतिस्पर्द्धा-शक्ति कम हो जाती है। अत इन विकासशील देशों की योजनाओं की सफलता के लिए कृषि-पदार्थों के मूल्यों में स्थायित्व और तीव्र वृद्धि को रोकना आवश्यक है। साथ ही, मूल्य इतने कम भी नहीं होने चाहिए जिससे उत्पादकों का प्रोत्तमाहन प्रमाणित हो जाए। इस हिट से बहुधा कृषि-पदार्थों के अधिकतम और न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर देने चाहिए। कृपकों को प्रोत्तमाहन देने के लिए अरबश्यकनामार 'Price Support' की नीति को अपनाना चाहिए।

इस सम्बन्ध में इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि इन पदार्थों के मूल्यों में अधिक उत्तार-चढ़ाव नहीं हो। इन सब हृषिकोणों से कृषि-पदार्थ सम्बन्धी मूल्य-नीति बहुत व्यापक होती चाहिए जिसमें उत्पादन से लेकर विनरण तक की उचित व्यवस्था सञ्चालित हो। उत्पादन वृद्धि के प्रयत्न किए जाने चाहिए और इस हेतु भूमि-सुधार, प्रकृति पर कृषि की निर्मतता ये कमी तथा उत्तरक, यन्त्र, साल सादि आवश्यक आदानों की व्यवस्था की जानी चाहिए। मुख्य कृषि पदार्थों, विशेष रूप से खायानों की न्यूनतम और अधिकतम मूल्य निर्धारित कर देने चाहिए। न्यूनतम मूल्य इस प्रकार के होने चाहिए ताकि कृपकों में अधिक उत्पादन की प्रेरणा बनी रहे और अधिकतम मूल्य इस प्रकार निर्धारित किए जाने चाहिए जिससे उपभोक्ताओं पर अधिक भार नहीं पड़े। कृषि सम्बन्धी मूल्य-नीति का एक महत्वपूर्ण तत्व सरकार द्वारा 'बफर स्टॉक' का विस्तृत पैमाने पर निर्माण है। यह स्वदेश में उत्पादन कम हो तो उचित मूल्य पर इन पदार्थों को विदेश से आपात की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। कृषि पदार्थों के उचित वितरण हेतु घोक-स्तर पर राज्य व्यापार का विस्तार, खुदरा

विक्री के लिए स्थान-स्थान पर सहकारी और सरकारी वितरण एजेंटियों की स्थापना की जानी चाहिए। संक्षेप में कृपि पदार्थों की मूल्य-नीति से सम्बन्धित निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

- (1) मूल्य-नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे उत्पादक और उपभोक्ता दोनों पक्षों को लाभ हो।
- (2) मूल्यों में भारी उत्तार-चढ़ाव को रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए।
- (3) विभिन्न कृपि पदार्थों के मूल्यों में सापेक्ष समानता रहनी चाहिए।
- (4) कृपि पदार्थों और ग्रोथोगिक पदार्थों के मूल्यों में भी समानता रहनी चाहिए।
- (5) कृपि पदार्थों के उत्पादन-वृद्धि के सब सम्बन्ध उपाय किए जाने चाहिए।
- (6) कृपि पदार्थों के वितरण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। इसमें राज्य-व्यापार, सहकारी तथा सरकारी एजेंसियों का विस्तार किया जाना चाहिए।

ग्रोथोगिक वस्तुओं का मूल्य—आवश्यक उपभोक्ता पदार्थ, जो विनासिता और आरामदायक वस्तुओं की व्येणियों में आते हैं, का मूल्य निर्धारण बाजार-तान्त्रिकता पर छोड़ दिया जाना चाहिए। यदि आवश्यकता हो तो इनमें भी मूल्य-वृद्धि की स्वीकृति दी जानी चाहिए, किन्तु साथ ही ऊचे कर और साधनों का नियन्त्रित वितरण किया जाना चाहिए। किन्तु ग्रोथोगिक कच्चे माल जैसे सीमेन्ट, लोहा एवं इसात, कोयला, रासायनिक पदार्थ आदि के मूल्यों को नियन्त्रित किया जाना चाहिए। ग्रोथोगिक निर्मित वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए मूल्य नियमन अत्यन्त महत्वपूर्ण है। सम्बन्धित मूल्य-नीति इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे मुद्रा प्रसारित प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं हो। साथ ही, इनका उचित उपयोग और वितरण हो। घरेलू उपयोग को कम करने, निर्यात में वृद्धि करने, उत्पादन और विनियोगों के प्रोत्साहन के लिए ग्रोथोगिक पदार्थों के मूल्यों में तकिया वृद्धि की नीति को स्वीकार किया जा सकता है, किन्तु साथ ही, मूल्य ऐसे होने चाहिए जिससे उत्पादकों को अत्यधिक लाभ (Excessive Profit) नहीं हो। वस्तुतः ग्रोथोगिक पदार्थों के क्षेत्र में भी उत्पादक और उपभोक्ता दोनों वर्गों के हितों की रक्षा होनी चाहिए। कृपिक्षेत्र में न्यूनतम मूल्य अधिक महत्वपूर्ण हैं क्योंकि कृषकों की मोल भाव करने की शक्ति कम होती है। इसके विपरीत ग्रोथोगिक क्षेत्र में अधिकतम मूल्य अधिक महत्वपूर्ण है। किंग और शूलक दूल्हों को भी डिपिलन करना होगा। डिपिलन द्वारा पदार्थों के मूल्य, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अधिक रखे जा सकते हैं, जिससे उनका आनन्दित उपभोग कम हो। साथ ही, बिना हानि उठाए उसे विदेशियों को सस्ते मूल्यों पर बेचा जा सके। भारत में चीनी के मूल्य निर्धारण की नीति इसी प्रकार की रही है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का मूल्य—निजी व्यवित्रयों द्वारा उत्पादित

वस्तुओं और सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के मूल्य-निर्धारण के लिए अपनाई गई नीतियाँ भिन्न हो सकती हैं। निजी-उपक्रमों में मूल्य-निर्धारण इस प्रकार होता चाहिए जिससे कर-सहित उत्पादन नामत निकलने के पश्चात् इतना लाभ प्राप्त हो ताकि पूँजी तथा उपक्रम आकर्षित हो सके। किन्तु सरकारी उपक्रमों के समक्ष मूल्य-निर्धारित करते समय व्यावसायिक हॉटिंगोले की अपेक्षा जन-कल्याण का ध्येय प्रमुख होता है। इसीलिए, सार्वजनिक उपक्रमों की स्थिति बहुधा एकाधिकारिक होते हुए भी इनके मूल्य कम हो सकते हैं क्योंकि सरकार का विचार इस रूप में उपभोक्ता को रियायन देना हो सकता है। किन्तु विभिन्न विचारकों में इस बात पर मतभेद नहीं है कि सार्वजनिक उपक्रमों की मूल्य-नोटि लाभ के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए अथवा नहीं।

मूल्यनीति से उपक्रम को लाभ—कुछ विचारकों के मतानुसार सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य इस प्रकार निर्धारित हो जाने चाहिए जिससे उन पर विनियोजित पूँजी पर पर्याप्त लाभ हो सके। इससे जहाँ सरकार को विकास के लिए पर्याप्त धनराशि प्राप्त हो सकेगी, वहाँ मुद्रा प्रसारित प्रवृत्तियों के दमन में भी सहायता मिलेगी। इन उपक्रमों पर हानि पर चलाने से मुद्रा प्रसारित प्रवृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं, क्योंकि इस प्रकार कम मूल्य बसूल करने से जनता के पाय व्यय करने के लिए अधिक राजि रह जाती है। साथ ही, राजकोप में कम राशि पहुँचती है, जिनकी पूति जनता से अधिक वर बसूल कर की जाती है। इन उपक्रमों द्वारा उत्पादित वस्तुएँ और सेवाएँ कम मूल्य पर बेचने से इसका बोझ सामान्य जनता पर पड़ता है, जबकि उसका लाभ उस वस्तु का उपभोग करने वाले कुछ व्यक्तियों को ही मिलता है। उपभोक्ताओं को एक वर्ग के रूप में इस प्रकार रियायन देना उपयुक्त नहीं है। अत इन उपक्रमों द्वारा उत्पादित पदार्थों और सेवाओं में मूल्य इतने होने चाहिए जिससे उन्हें सन्तोषप्रद लाभ मिल सके। इससे देश की विकास योजनाओं के लिए सहज ही साधन उपलब्ध किए जा सकते हैं, यदि किन्हीं वारसों से इसी उद्देश्य को आधिक सहायता देना भी हो सो भी लाभ-हानि का लेखा-जोखा स्पष्ट रूप से दिखाया जाना चाहिए और उपक्रम को दी गई सहायता को अलग दिखाया जाना चाहिए।

लाभ-रहित स्थिति में भी सचालन—उन विवरण से स्पष्ट है कि इन उपक्रमों की कुशलता का मापदण्ड इनके द्वारा प्राप्त लाभ है, किन्तु ऐसा अनिवार्य नहीं है। नाभा गोपालदास के मतानुमार “एक सार्वजनिक व्यवसाय हानि पर चलाया जा रहा है, किन्तु वह सही गैरि, विद्युत, यानायात या डाक व्यय के रूप में हानि से भी अधिक सामाजिक कल्याण में बृद्धि कर रहा हो।” सार्वजनिक व्यवसायों के लिए यह बांधनीय है कि वे स्वावलम्बी हों किन्तु व्यापक सामाजिक हिनों की हॉटिंग से कम मूल्य की नीति अपनाकर उन्हें ‘नियोजित हानि’ पर भी सचालित विद्या जाना अनुचित नहीं है। वस्तुतः सरकार का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं प्रवितु अधिकाधिक सामाजिक वल्याणु होता है। अत सरकार द्वारा उत्पादित ऐसी वस्तुओं और सेवाओं

के मूल्य कम लिए जाने चाहिए जिनका उपयोग मुख्यतः समाज के निर्धन, शोषित और पीड़ित व्यक्ति करें।

किन्तु इसका यह भाषण कदापि नहीं है कि सरकारी उपक्रम कुशलतापूर्वक नहीं सचालित किए जाने चाहिए। उपक्रम की कुशलता एक अन्य वस्तु है जिसका मूल्य-निर्धारण से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है। उत्पादन लागत से कम मूल्य पर इनकी वस्तुएँ विक्रय किए जाने पर भी उपक्रम को निजी क्षेत्र की ऐसी ही इवाई की कुशलता के स्तर पर सचालित करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। लाभ-रहित स्थिति में सचालन के समर्थक इस तर्क को भी सन्तोषप्रद नहीं मानते कि लाभ-मूल्य-नीति (Profit-Price-Policy) अपनाने से उपभोक्ताओं के पास व्यवहार के लिए कम राशि दबेगी जिससे व्यवहार होगा और मुद्रा-प्रसारिक प्रवृत्तियों का दमन होगा। ऐसा तभी सम्भव है, जबकि वह उद्योग एकाधिकारिक हो और उसकी मांग बेलोन हो।

अत कभी-कभी यह विचार प्रस्तुत किया जाता है कि सार्वजनिक उपक्रमों की मूल्य-नीति का आधार 'न लाभ, न हानि' (No Profit, No Loss) होना चाहिए। किन्तु नियोजन द्वारा विकासशील निर्धन देशों के लिए यह नीति अनुचित है। अद्वैत विकसित देशों में वित्तीय साधनों को जुटाने की समस्या होती है और अधिक मूल्य की नीति अपना कर सार्वजनिक उपक्रमों के लाभ योजनाओं की वित्त-व्यवस्था का एक बड़ा स्रोत बन सकते हैं। यही कारण है कि नियोजन पर अखिल भारतीय कॉर्पोरेशन कमेटी के ऊटी में होने वाले सेमिनार में डॉ बी के आर बी. राव ने 'न लाभ, न हानि' की नीति को अस्वीकार करते हुए लाभ-मूल्य नीति का समर्थन किया। आजकल भारत में योजना-आयोग भी इसी नीति पर चल रहा है और उसकी प्रत्येक योजना में सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त लाभों पर उत्तरोत्तर अधिक नियंत्रण प्रदर्शित की गई है। अन्य अद्वैत-विकसित देशों के लिए भी यही मूल्य-नीति उचित है।

वस्तु नियन्त्रण (Commodity Control)

नियोजित अर्थ-व्यवस्था में नियन्त्रण निहित है। कई बार नियोजित अर्थ-व्यवस्थाओं में भेद, उनमें व्याप्त नियन्त्रण की प्रकृति और लक्षणों के आधार पर किया जाता है। नियन्त्रण जितने अधिक और कठोर होते हैं वहाँ नियोजन भी उतना ही कठोर होता है। इसके विपरीत जहाँ नियन्त्रण कम और सरल होते हैं, वहाँ नियोजन अधिक जनतान्त्रिक और कम कठोर होता है। इस प्रकार 'नियन्त्रण' नियोजन की एक प्रमुख विशेषता है। थोंस विल्सन के अनुसार, "नियोजन और भीतिक नियन्त्रण इतने अधिक सम्बन्धित हैं कि इन्हे लाभग्रन्थि भाना जा सकता है।"¹ इस प्रकार, नियोजन में कई प्रकार के नियन्त्रण होते हैं। वस्तुत नियोजित अर्थ-व्यवस्था का आशय ही नियोजन अधिकारी द्वारा नियित सामाजिक उद्देश्यों के

लिए नियन्त्रित अर्थ-व्यवस्था है पूर्ण नियोजित अर्थ-व्यवस्था अधिक नियन्त्रित रहता है, किन्तु मिश्रित जनतान्त्रिक-नियोजन में नियन्त्रण अधिक व्यापक नहीं होते। किन्तु फिर भी नियोजित अर्थ-व्यवस्थाओं में वस्तु नियन्त्रण आवश्यक हो जाता है। इन अर्द्ध-विकसित देशों में नियोजन अवधि में उपभोक्ता और पूँजीगत दोनों प्रकार की वस्तुओं की मांग बढ़ती है। विकास कार्यक्रमों के लिए कई परियोजनाएं सुचालित की जाती हैं, जिनके लिए विशाल मात्रा में पूँजीगत वस्तुएं चाहिए। ये वस्तुएं स्वदेशा तथा आयातित दोनों प्रकार की हो सकती हैं। जिस प्रकार विकास के लिए यह आवश्यक है कि ये वस्तुएं उचित मूल्यों पर प्राप्त हों, उसी प्रकार यह भी आवश्यक है कि अच्छी किस्म की, पर्याप्त मात्रा में और समय पर निरन्तर ये वस्तुएं उपलब्ध हों। आवश्यकतानुसार, विभिन्न क्षेत्रों, उद्योगों, व्यक्तियों आदि में इनका उचित आटन हो और अनुकूलतम् उपयोग हो, इसके लिए इन वस्तुओं का नियन्त्रण आवश्यक है। इसमें इनके नियन्त्रित मूल्यों पर विक्री के साथ-साथ विभिन्न फर्मों तथा उद्योगों का कोटा (Quota) भी निर्धारित किया जा सकता है।

नियोजन के अन्तर्गत बहुधा उपभोक्ता वस्तुओं का भी अभाव रहता है। उत्पादन के अधिकांश साधनों का अधिकाधिक भाग विनियोग कार्यक्रमों में लगाया जाता है। अधिकांश उपलब्ध, वित्तीय और भौतिक साधनों का उपयोग पूँजीगत वस्तुओं के उत्पादन में लगाया जाता है। सिवाई, विद्युत, सीमेन्ट, इस्पात, मशीन और मशीनी औजार भारी विद्युत सामग्री, भारी रसायन आदि परियोजनाएं प्रारम्भ की जाती हैं। इस प्रकार, नियोजित अर्थ व्यवस्था में साधन पूँजीगत परियोजनाओं में लग जाते हैं और उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन की ओर कम ध्यान दिया जाता है। देश के आर्थिक विकास को गति देने और उसे स्वयं-स्फूर्त-अवध्य में पहुँचाने के लिए यह आवश्यक भी है, किन्तु इससे उपभोक्ता वस्तुओं की कमी पड़ जाती है। साथ ही, नियोजन के परिणामस्वरूप व्यक्तियों की आप भी बढ़ती है, जिसे उपभोग पर ध्यय किया जाता है। इससे उपभोग वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। इन देशों की तीव्रता से बढ़ती हुई जनसंख्या भी इनकी मांग में वृद्धि कर देती है। ऐसी स्थिति में इनके मूल्य-वृद्धि की प्रवृत्ति होती है। बहुधा उद्योगपति वर्ग वस्तु की स्वल्पता के कारण परिस्थितियों का नाजायज लाभ उठाकर अधिकाधिक मूल्य लेने का प्रयास करते हैं। इसके लिए कृत्रिम अभावों का सृजन भी किया जाता है। काला बाजार और मुनाफ़खोरी को प्रोत्साहन मिलता है, जिससे निर्धन वर्ग को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्हें इन पदार्थों की आवश्यक न्यूनतम् मात्रा भी प्राप्त नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में इन उपभोक्ता वस्तुओं, विशेष रूप से आवश्यक पदार्थों जैसे, खाद्यान्न, चीनी, खाद्य, तेल मिट्टी का तेल, सावुत वस्त्र आदि का नियन्त्रण तो आवश्यक सा हो जाता है। केवल मूल्य नियन्त्रण या मूल्य निर्धारण ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यदि वस्तु मूल्य नियन्त्रित कर दिए गए तो वस्तुएं द्विग्राती जाएंगी और काला बाजार (Black Market) में वेदी जाएंगी या वे अच्छी विस्तम वी नहीं होंगी या फिर उनके उत्पादकों को पर्याप्त प्रेरणा नहीं मिलने के कारण उत्पादन

बन होगा। अत. उचित मूल्य-नीति अपनाई जाने के साथ-प्राय यह भी आवश्यक है कि इन वस्तुओं के उत्पादन, उपभोग-विनियम और वितरण पर पूर्ण नियन्त्रण रखा जाए। उत्पादन-स्तर पर इनके उत्पादन में बोई शिथिलता नहीं बरती जाए और क्षमता का पूरा उपयोग करके अधिकाधिक उत्पादन किया जाए। साथ ही, उसे बाजार में विक्री हेतु उपलब्ध कराया जाए। इन वस्तुओं की विक्री भी नियन्त्रित हृप से स्वयं सरकार द्वारा या सहकारी समितियोंद्वारा नियन्त्रित एजेंसियोंद्वारा भी जाए। जो कुछ उपलब्ध हो उसके उचित वितरण की व्यवस्था की जाए। यदि उचित वितरण व्यवस्था न हो, जैसे कुछ लोगों को कम और कुछ लोगों को अधिक वस्तुएँ मिल सके तो यह बात अधिक सहन नहीं की जा सकती। इन वस्तुओं के वितरण में राशनिंग (Rationing) नीति भी अपनाई जा सकती है।

भारतीय नियोजन में मूल्य और मूल्य-नीति (Prices and Price-Policy during Planning in India)

प्रथम पंचवर्षीय योजना—भारतीय नियोजन में प्रारम्भ से ही मूल्य नियमन की ओर ध्यान दिया गया है। प्रथम योजना द्वितीय विश्वयुद्ध और विभाजन जनित वस्तुओं की कमी को दूर करने और मुद्रा प्रसारिक प्रवृत्तियों को रोकने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गई थी तथा अपने इस उद्देश्य को प्राप्त करने में यह सफल भी हुई। इस योजनावधि में मुद्रा-पूर्ति में भी 13% की वृद्धि हुई और 330 करोड़ रुपये की धाटे की अर्थ-व्यवस्था की गई किन्तु मानसून की अनुरूपता के परिणामस्वरूप उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई। खाद्याश्रयों का उत्पादन 20%, कपास का उत्पादन 45% और तिलहन का उत्पादन 8% बढ़ गया। योजनावधि में कृषि-उत्पादन निर्देशांक 1949-50 वर्ष का आधार मानते हुए 96% से बढ़गर 117% हो गया। आर्थिक उत्पादन में 18·4 पाइस्ट की वृद्धि हुई। उत्पादन में इस वृद्धि के साथ साथ सरकार द्वारा किए गए प्रयत्नों, कोरिया-युद्ध की समाप्ति के कारण मूल्यों में गिरावट आई। सन् 1952 में थोर-मूल्य-निर्देशांक में कमी आई और कुछ समय तक मूल्यों में लगभग स्थिरता रही। सन् 1953-54 में बहुत अच्छी फसल हुई जिसके कारण मूल्यों में बहुत गिरावट आई। कुल निलाकर योजना-काल में थोक मूल्यों के निर्देशांक में 20%, खाद्य-पदार्थों के मूल्य निर्देशांक में 25%, निमित-पदार्थों के मूल्य निर्देशांक में 3·6% और आर्थिक सचेत माल के मूल्य-निर्देशांक में 32% की कमी आई। योजनावधि में मूल्यों की इस गिरावट के बातावरण में राज्य ने यथोचित मूल्य निर्धारित करने और अनेक कार्यवाहियोंद्वारा मूल्यों को इस स्तर से नीचे नहीं गिरने देने के लिए प्रयास आरम्भ किए ताकि उत्पादकों को मूल्यों के गिरने से हानि न हो।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना—यह योजना प्रथम योजना की अपेक्षा बहुत बड़ी थी। सार्वजनिक क्षेत्र में 4,600 करोड़ रुपये व्यय किए गए। निजी क्षेत्र में 3,100 करोड़ रुपये का वित्तयोग हुआ। योजनावधि में 948 करोड़ रुपये की धाटे की अर्थ-व्यवस्था की गई जो समस्त योजना व्यय का 20% था। साथ ही इस

अवधि में मुद्रा पूर्ति 2,216 करोड़ रुपये से बढ़कर 2,868 करोड़ रुपये हो गई। इस प्रकार मुद्रा पूर्ति में 29% की वृद्धि हो गई। दुर्भाग्यवश कृषि-उत्पादन में वृद्धि नहीं हो सकी अपितु कई वर्षों में तो विगत वर्षों की अपेक्षा उत्पादन में कमी आई। उदाहरणार्थ, सन् 1957-58 में खाद्यान्नों का उत्पादन गत वर्ष की अपेक्षा 60 लाख टन कम हुआ। सन् 1959-60 में भी खाद्यान्नों के उत्पादन में इसके पिछले वर्ष की अपेक्षा 40 लाख टन की गिरावट आई। इसी वर्ष जूट, कपाम और तिलहन के उत्पादन में कमश 12%, 18% और 12% की गिरावट आई। इस प्रकार योजना अपने उत्पादन लक्ष्यों में काफी दिछड़ गई। परिणामस्वरूप, द्वितीय योजना में मूल्य वृद्धि होना स्वाभाविक था। जनभरपा वृद्धि ने भी इसे सहारा दिया। इस योजना में मूल्यों में निम्नतर वृद्धि होती रही। योजनावधि में शोक मूल्यों का सामान्य निर्देशांक (General Index of Wholesale Prices) 33% बढ़ गया। इसी प्रकार, खाद्यान्नों, औद्योगिक वर्जनों माल, निमित वस्तुओं के मूल्य निर्देशांकों में कमश 48%, 45% तथा 25% की वृद्धि हुई।

योजनावधि में मूल्य नीति के अन्तर्गत खाद्य तथा अन्य सामग्री में उचित सन्तुलन बनाए रखने पर बल दिया गया। खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए प्रेरणास्प्रद मूल्य स्तर आवश्यक था और सरकार इस नीति को अपनाती रही। इस योजना में मूल्यों के अत्यधिक उतार-चढ़ाव को रोकने के लिए खाद्यान्नों के बफर-स्टॉक के निर्माण का प्रायोजन किया गया। साथ ही, आषाढ़ निर्यात कोटे भी मात्रा की समय से पूर्व घोषणा, अग्रिम सौदों पर नियन्त्रण साल का नियन्त्रण एवं अन्य वित्तीय कार्यवाहियों को अपनाया गया। इसके बावजूद भी मूल्य वृद्धि को नहीं रोका जा सका। बस्तुत योजना के अन्तर्गत उत्तोग लनिज यातायात विद्युत आदि पर अधिक विनियोजन के साथ साथ मूल्य वृद्धि रोकने के लिए कृषि उत्पादन में वृद्धि आवश्यक है। किन्तु भारत में कृषि उत्पादन की मात्रा मोसम और मानसून की अनुहंसता पर निर्भर करती है जो अनिश्चित है। अतः मूल्य नीति का आधार कृषिगत उदायों के भडार पर्याप्त मात्रा में बनाए रखना है ताकि कमी के समय मूल्यों को नियन्त्रित रखा जा सके। द्वितीय योजना में मूल्य-नीति की निम्नलिखित कमियाँ थी—

(i) मूल्य नीति को प्रभावशाली ढग से लागू नहीं किया गया और उसके क्रियास्वयन पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया।

(ii) मूल्य नीति से सम्बन्धित कार्यवाहियों में पारस्परिक समर्तव का अभाव था।

(iii) मूल्य-नीति को दीर्घकालीन हाइकोरें और आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित नहीं किया गया।

तृतीय पचवर्षीय योजना—द्वितीय योजना के प्रारम्भ और तृतीय योजना के प्रारम्भ के बातावरण में पर्याप्त मन्त्र था। जहाँ प्रथम योजना में मूल्यों में गिरावट आई थी वहाँ अन्य योजनाओं में मूल्य 35% बढ़ गए थे। इसलिए तृतीय योजना में

मूल्य नियमन-नीति की ओर विशेष ध्यान दिया गया था। द्वितीय योजना में मूल्य-नियमन के लिए सुहृद नीति को कोई विशेष महत्व नहीं दिया गया, किन्तु इस बात का आवश्यक अनुमान लगा लिया गया था कि विकास कार्यक्रमों के लिए विनियोजन की नई मांगों को तुलना में पूर्ति कम ही होगी और इसलिए मुद्रा-प्रसारिक प्रवृत्तियों की सभावना और उनके नियन्त्रण की समस्याएँ उत्पन्न होगी। इसके बावजूद भी योजना-आयोग ने इन कठिनाइयों के भय से विकास कार्यक्रमों को कम करना उचित नहीं समझा। इस प्रकार द्वितीय योजना-निर्माण में विकास को अधिक महत्व दिया गया और मूल्यों की स्थिरता को आवारभूत आवश्यकता नहीं माना गया।

किन्तु तृतीय योजना के समय परिस्थितियाँ भिन्न थीं। देश का विदेशी मुद्राकोप भी बहुत कम हो गया था और इसलिए विदेशों से अधिक मात्रा में पदार्थों का आयात वर्के बहुत अधिक की दर से हो गया था। विदेशी-विनियम की स्थिति में सुधार हेतु नियर्ति में वृद्धि और आयात में कमी करना आवश्यक था। मूल्य-वृद्धि से योजना के कार्यक्रमों पर भी अत्यन्त दुष्प्रभाव पड़ता है। योजना की सफलता सदिग्य हो जाती है। फिर तृतीय योजना में तो विकास कार्यक्रमों और विनियोजन की राशि द्वितीय योजना की व्यवेक्षा बहुत अधिक थी। तृतीय योजना में 10,400 करोड़ रुपये के विनियोजन का लक्ष्य था। ऐसी स्थिति में मूल्य-वृद्धि की सभी सम्भावनाएँ थीं। अत तृतीय योजना में एक सुहृद मूल्य नीति भी आवश्यकता को स्वीकार किया गया था और मूल्य नियमन की आवश्यकता अनुभव की गई थी। किन्तु मूल्य-नियमन का आशय मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं होने देने से नहीं है। भारी पूँजी विनियोजन के कार्यक्रम वाली विकासोन्मुख अवव्यवस्था में थोड़ी-बहुत मूल्य वृद्धि अप्रत्याशित और हानिकारक नहीं है, जिन्हें मूल्यों में अधिक वृद्धि को तथा उसमें आने वाले उच्चावचनों को रोकने हेतु उचित मूल्य-नीति आवश्यक थी।

तृतीय योजना में इसी आवार पर मूल्य-नीति बनाई गई थी, जिसमें कर-नीति, मोट्रिक-नीति, व्यापारिक-नीति, पदार्थ-वितरण नीति आदि को सम्बिंदित रूप से अपनाने का आयोजन था। कर-व्यवस्था इस प्रकार भी करनी थी जिससे उपभोग को योजना के अनुकूल प्रतिबन्धित और सीमित किया जा सके तथा विनियोजन हेतु पर्यालि साधन जुटाए जा सकें। मोट्रिक-नीति द्वारा साख का नियमन तथा नियन्त्रण, सहुं की सौदेबाजी तथा इस उद्देश्य से पदार्थों का संग्रह हतोत्साहित हो। व्यापारिक नीति द्वारा विदेशों से आवश्यक वस्तुओं का आयात करके बनायी दी जानी जाने वाले दूर करना था। किन्तु इसके लिए दीर्घकालीन आयात को कम करने वी आवश्यकता पर बल दिया गया था। कुछ अत्यन्त आवश्यक वस्तुओं का मूल्य-नियन्त्रण अपनाया जाना था और इनके मूल्यों को एक सीमा से अधिक नहीं बढ़ने देना था। साथ ही इनके समुचित वितरण के लिए राशनिक पद्धति को भी अपनाया जा सकता था। इस योजना में मध्यस्थी और उनके लाभों को सीमित करने या समाप्त करने लिए सरकारी या सहकारी संस्थाओं द्वारा इनके वितरण को प्रोत्साहित किए जाने पर अधिक बल दिया गया था। अद्य-विकसित देशों में खाय-पदार्थों के मूल्यों में स्थिरता

लाना बहुत आवश्यक होता है। अन् इस योजना में भी खाद्यान्नों के मूल्यों में योग्यिता स्थिरता लाना आवश्यक था। इसके लिए सरकार द्वारा खाद्यान्नों के सम्पर्क को पर्याप्त मात्रा में बढ़ाना था। साथ ही, मूल्य-वृद्धि को रोकने लिए कुपि और श्रौद्धोगिक उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि का आग्रह था।

इनके बाबूद भी इस योजना में निरन्तर तेजी से मूल्य वृद्धि हुई। मुख्यतः कुपि पदार्थों के मूल्य काफी बढ़ गए। योजना के प्रथम दो वर्षों में तो मूल्य-वृद्धि नगण्य थी। सन् 1961-62 में समस्त पदार्थों के मूल्य निर्देशांक में 4.6 पाइट की मिराबट आई। इन्हुंने सन् 1962-63 से मूल्य-वृद्धि शुरू हुई और यह वृद्धि योजना के अन्त तक जारी रही। तृतीय योजना के इन पाँच वर्षों में खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित थोक मूल्य निर्देशांक 48.4% बढ़ गया। श्रौद्धोगिक कच्चे माल, निर्मित माल और समस्त पदार्थों के थोक मूल्य निर्देशांकों में क्रमशः 32.6%, 22.1% और 36.4% की वृद्धि हो गई। परिणामस्वरूप, अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक (All India Consumer Price-Index) (आधार वर्ष 1949=100) योजना के प्रारम्भ में 125 से सन् 1965-66 में 174 हो गया। इसी प्रकार तृतीय योजना में भी मूल्यों से बहुत वृद्धि हुई। इन मूल्य-वृद्धि के लिए पदार्थों की मांग और प्रूति दोनों से सम्बन्धित घटक उत्तरदायी थे। इस योजनावधि में चीज़ी और पाकिस्तानी आक्रमण के कारण सुरक्षा-डिप्टी में भारी वृद्धि हुई। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में वैसे भी पर्याप्त वृद्धि विनियोजित की गई। जनस्वरूप में निरन्तर वृद्धि होती रही, इन्हुंने कुपि-उत्पादन में वृद्धि नहीं हो सकी। साथ ही 1.150 करोड़ रुपये के हीनार्थ-प्रबन्धन का सहारा लिया गया। मुद्रा-पूर्ति में भी 51.8% की वृद्धि हुई। योजनावधि में करों द्वारा भी पर्याप्त राशि एकत्रित की गई। विशेषतः अप्रत्यक्ष करों का अधिक आक्षय लिया गया। इसी कारण मूल्यों में तेजी से वृद्धि हुई।

योजनावधि में इस वृद्धि को रोकने के लिए प्रयत्न किए गए। खाद्यान्नों के मूल्यों को नियन्त्रित करने की ओर विशेष ध्यान दिया गया। उचित मूल्य की दूकानों (Fair Price Shops) की संख्या बढ़ाई गई। सरकार ने अनुदान देकर खाद्य नींबू को कम मूल्य पर जनता को डालवन कराने के प्रयत्न किए। इन उचित मूल्य वाली दूकानों से जनता को विनियित प्रताज की मात्रा निरन्तर बढ़ती गई। यह सन् 1962 में 43 लाख से बढ़ कर 1965 में दुगुने से अधिक हो गई। खाद्यान्नों के मप्रहण के अधिक और अच्छे प्रयत्न किए गए। विदेशों से पर्याप्त मात्रा में अन् का आपात किया गया। बड़े-बड़े नगरों में उचित विनियित के लिए खाद्यान्नों के राजनीति का सहारा लिया गया। खाद्यान्नों पौर आवश्यक पदार्थों के मूल्यों को नियन्त्रित किया गया और उन्हें बमून किए जाने का आग्रह किया गया। आवश्यक उभयोग वस्तुओं के प्रविहृ मूल्य लेते और उनके अनावश्यक मप्रह को रोकने के प्रयत्न किए गए। रिज़वी बैंक द्वारा समय-समय पर साक्ष नीति में इस प्रकार के परिवर्तन किए गए जिनके बुनियादी उभयोग्यों के अनावश्यक मप्रह को रोका जा सके। इसके लिए भारत सुरक्षा नियमों (Defence of India Rules) का सहारा लिया गया और

अनधिकृत सप्रहक्ताओं दण्डित करने का आयोजन किया गया। किन्तु इसके बावजूद भी तृतीय योजना में मूल्य-वृद्धि को रोका नहीं जा सका। निम्नलिखित सारणी में विभिन्न पदार्थों की वार्षिक वृद्धि दरें दी गई हैं—

मूल्य-निवेशोंको में वार्षिक वृद्धि दरें (प्रतिशत में)¹

पदार्थ	द्वितीय योजना	तृतीय योजना	1960-67
1 सम्पूर्ण वस्तुएँ	7.0	6.4	15.0
2. खाद्यान्न	7.7	8.1	18.4
3 श्रोदोगिक कच्चा माल	9.4	6.6	20.8
4 निमित वस्तुएँ	4.9	4.1	9.2

एकवर्षीय योजनाओं में मूल्य—उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि द्वितीय योजना में शुल्ह हुआ मूल्य-वृद्धि का कम तृतीय योजना में भी जारी रहा और प्रथम एकवर्षीय योजना सन् 1966-67 में तो मूल्यों में वृद्धि-दरें सर्वोपरि रही। केवल इसी दर्द में समस्त वस्तुओं के मूल्यों में 15% और खाद्यान्नों के मूल्यों में 18.4% की वृद्धि हुई। श्रोदोगिक कच्चे माल के मूल्यों में भी तेजी से वृद्धि हुई। इसका मुख्य कारण सूना था। सन् 1967-68 में योक मूल्यों में 11% और खाद्य पदार्थों के मूल्यों में 21% की वृद्धि हुई। परन्तु सन् 1968-69 की अवधि में मूल्यों में अपेक्षाकृत स्थिरता आई। कुछ पदार्थों के मूल्यों में गिरावट आई। इसका एक प्रमुख कारण मानसून और मौसम की प्रभुकृता के कारण कृषि-उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि होना है।

चौथी और पांचवीं योजनाएँ—चतुर्थ पञ्चवर्षीय योजना में स्थायित्व के साथ आर्थिक विकास (Growth with Stability) करने का उद्देश्य रखा गया। योजना से सम्बन्धित 'Approach Paper' में स्थायित्व को निम्नलिखित दो उद्देश्यों से सम्बन्धित किया गया—

(i) कृषि पदार्थों की भीतर उत्पादन में घाने वाले आर्थिक उच्चावचनों को रोकना।

(ii) मूल्यों में निरन्तर मुद्रा-प्रसारित वृद्धि को रोकना।

प्रथम उद्देश्य से सम्बन्धित मुख्य कार्यक्रम कृषि पदार्थों के 'बफर-स्टॉक' का निर्माण करना था। अत चतुर्थ योजना में पर्याप्त बफर-स्टॉक का निर्माण करने का निश्चय किया गया। मुख्य हर से ग्रनार्डों के बफर-स्टॉक बनाने पर आर्थिक ध्यान दिए जाने की बात कही गई। यह आशा व्यक्त की गई कि सरकार मुख्य कृषि-पदार्थों की सावेकार मूल्य-परदाना को हितर बनाने और इन्हें इस प्रकार नियमित करने की स्थिति में होनी ताकि योजना को कई उद्देश्यों को पूरा करने में योग मिले।²

दूसरे उद्देश्य के बारे में यह मत व्यक्त किया गया कि मूल्यों में निरन्तर मुद्रा प्रसारित वृद्धि को रोकना मुख्य रूप से हीनार्थ प्रबन्धन में स्थग पर नियंत्र करता है।

1 रिक्वेट वैक आफ इण्डिया बुलेटिन, जून 1967, पृष्ठ 742

2 Notes on Approach to the Fourth Plan, Growth

सम्पादित

साथ ही, मूल्यों में सम्भावित वृद्धि की रोकने हेतु ग्रन्थ उपाय और नीतियाँ भी अपनाई जाएंगी। 'उचित मूल्य की दूकानें' और 'उपभोक्ता सहकारी भण्डारों' का पर्याप्त मात्रा में विस्तार किया जाएगा और उनकी परिविमें प्रत्येक नई वस्तुएँ भी लाई जाएंगी। इससे आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के भूल्यों में स्थायित्व लाया जा सकेगा। इस प्रकार की व्यवस्था, विशेष रूप से मौसमी उत्तर-चढ़ावों को रोकने और आकस्मिक दबावों (Sudden pressures) का सामना करने के लिए अधिक सहायक होगी। इस और किए गए पूर्व प्रयत्नों का एकीकरण और विस्तार किए जाने का निश्चय किया गया ताकि पर्याप्त व्यापक और कुशल सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public system of distribution) को जन्म दिया जा सके। विदेशों से वस्तुओं का आयात और अधिक्षमवस्था के सुचालन हेतु आवश्यक विदेशी पदार्थों की प्राप्ति सार्वजनिक अभिकरणों द्वारा किए जाने पर भी बल दिया गया।

उक्त योजना में यह माना गया कि मूल्य स्तर को स्थिर बनाए रखने में कृषिउत्पादन का महत्वपूर्ण भाग होता है। यह कहा गया कि हाल ही के अनुभवों से ज्ञात होता है कि जीवन-स्नार की लागत में निर्देशांक (Cost of Living Index Number) में खाद्यान्नों के मूल्य निरायिक महत्व रखते हैं। अत रहन सहन के व्यय को स्थिर बनाए रखने हेतु खाद्यान्नों के मूल्यों को स्थिर रखना आवश्यक है। अत योजना में खाद्यान्नों के उत्पादन और मुरुग रूप से कृषि-उत्पादन में वृद्धि की अनिवार्यता स्वीकार की गई। चतुर्थ योजना में कृषि-उत्पादन में 5% वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया। साथ ही, श्रीदोगिक उत्पादन में 9% प्रतिवर्ष की वृद्धि तथा अन्य क्षेत्रों में पर्याप्त वृद्धि का लक्ष्य रखा गया।

पांचवीं योजना में इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया कि आर्थिक विकास इस ढंग से हो ताकि मुद्रा-स्फीति न होने पाए, मूल्यों के बढ़े हुए स्तर में गिरावट आए, निर्धन व्यक्तियों के लिए उचित मूल्यों पर उपभोग वस्तुएँ प्राप्त हो सके—इसके लिए पर्याप्त वसूली और उचित वितरण प्रणाली स्थापित की जाए।

सरकारी प्रयत्न— सम्पूर्ण नियोजन की अवधि में मुद्रा-प्रसारित प्रवृत्तियों के दमन हेतु सरकारी प्रयत्न दोनों दिशाओं से किए गए हैं। इसमें आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति बढ़ाने और अत्यधिक मांग को समर्पित करने के प्रयत्न किए हैं। आवश्यक वस्तुओं की उत्पादन वृद्धि के लिए सभी उपाय किए गए हैं। कृषियों को उत्पादन हेतु आवश्यक प्रेरणा प्रदान करने हेतु वस्तुओं के ग्यूनतम मूल्य निर्धारित किए गए हैं। खाद्यान्नों के वफर-स्टॉक का निर्माण, उसका अधिक अच्छा सप्रहरण (Procurement), इनका राजकीय व्यापार और भारी मात्रा में विदेशी से आयात की व्यवस्था की गई है। आन्तरिक वितरण के लिए सम्पूर्ण देश और खाद्यान्न क्षेत्रों में विभाजित किया गया और गैरु, चारबल आदि आवश्यक वस्तुओं के स्वतन्त्र रूप से लाने से जाने की नियन्त्रित किया गया। उपभोग वस्तुओं की उचित वितरण व्यवस्था के लिए 'सहकारी उपभोक्ता भण्डार' सुपर बाजार (Super Markets) और पर्याप्त मात्रा में 'उचित मूल्य की दूकानें' स्थापित की गईं। सरकार को कृषि पदार्थों के सम्बन्ध

में सलाह देने के लिए सद् 1965 में 'कृषि मूल्य आयोग' (Agricultural Price Commission) नियुक्त किया गया। वस्त्र, साबुत, बनस्पति थी, मिट्टी का तेल, खाद्य, तेल दूध, टायर प्रादि सामान्य उपयोग की वस्तुओं के मूल्यों को नियन्त्रित और नियमित किया गया। सीमेन्ट, इसात, कोयला, चीनी प्रादि के विनाश और मूल्यों के बारे में भी नियन्त्रण की नीति अपनाई गई। उपयोग को सीमित करने के हेतु मौद्रिक और राजकोषीय नीतियाँ अपनाई गईं। राजकोषीय नीति में बर-वृद्धि, नेर-विकास व्यवहार में कटीनी, कर-चोरी को रोकना, काले धन का पता लगाना, ऐच्छिक बचत में वृद्धि करना प्रादि के उदाय अपनाएँ गए। मौद्रिक-नीति के अन्तर्गत सात-नियन्त्रण हेतु सुले बाजार की नीति (Open Market Operations), बैंक-दर (Bank Rate) में वृद्धि, चयनात्मक सावध नियन्त्रण (Selective Credit Control) और मुरक्किन कोष की प्रावश्यकताओं में परिवर्तन प्रादि के सब उपाय अपनाएँ गए। इसके बावजूद भी नियोजित विकास अवधि में भारत में मूल्यों में स्थायित्व नहीं लाया जा सका और मूल्यों में लेजी से वृद्धि हुई। सद् 1972-73 और 1973-74 में तो थोक और फुटकर मूल्यों में भारी वृद्धि हुई जिससे जन-साधारण के लिए जीवन-निर्बाह भी कठिन हो गया।

सरकार ने मूल्य-वृद्धि को रोकने के लिए समुचित और तर्क संगत मूल्य-नीति को कठोरतापूर्वक लागू करने का निश्चय किया। उत्पादन वृद्धि के लिए बचत दर अधिक करने और मुद्रा-स्कीति को निष्प्रभावी बनाने के लिए 'हीनार्थ प्रबन्धन' की व्यवस्था पर अकृत्य लगाने का निश्चय किया गया। मूल्य नियन्त्रण के लिए प्रशासकीय मणीनरी को अधिक प्रभावशाली बनाने पर ध्यान दिया गया। खाद्यांशों के उत्पादन के सम्बन्ध में व्यावहारिक अनुमान लगाने और मूद्रा-प्रस्त सेत्रों में समय-समय पर खाद्यांशों को पहुंचाने की नीति पर अधिक प्रभावी रूप में अमल किया जाने लगा। सद् 1975-76 में मूल्य-नीति इस बात को ध्यान में रख कर बनाई गई कि कृषि गत वस्तुओं के मूल्यों में स्थिरता आ सके। इसी हृषि से सद् 1975-76 के विक्री के मौयम (प्रत्रेल मार्च) के लिए गेहूं की वसूली का मूल्य गत वर्ष के स्तर पर अर्थात् 105 रुपये प्रति किलोल रखी गई। 'कृषि-मूल्य आयोग' ने भी महसूस किया था कि सरकार ने गत वर्ष जो वृद्धि स्वीकार की है, वह उम समय से कृषि उत्पादन लागत में हुई वृद्धि की पूति करने के लिए पर्याप्त है। अधिक वसूली के लिए बोनस स्कीम पर अधिक व्यवस्थित रूप में अमल किया गया। मूल्य स्तर को रोकने के उपयोग को मुद्रण करने के लिए खरीफ के अनाज के मूल्यों के बारे में मूल्य-नीति निर्धारित की गई। 'कृषि मूल्य आयोग' की सिफारिशों के अनुरूप खरीफ के अनाज की वसूली का मूल्य 1974 के स्तर पर ही रखी गई। आयोग के सुझाव पर विचार किया गया कि चाबल की वसूली के सम्बन्ध में दो प्रकार की प्रोत्साहन बोनस स्कीमों को जारी किया जाए और मिला दिया जाए ताकि लक्ष्य पूर्ति को सुनिश्चित करने में सहायता मिले। कृषि-मूल्य-आयोग ने अनाज की वसूली के मूल्यों में तो कोई परिवर्तन करने की सिफारिश नहीं दी थी, लेकिन अपनी रिपोर्ट में गमा, जूट और

कपास के न्यूनतम समर्थित मूल्यों में वृद्धि करने का सुझाव दिया था। सरकार ने स्थिति पर पूर्णरूप से विचार करने के पश्चात् गन्ने का मूल्य ज्यो का त्यो रखने का फैसला किया क्योंकि कृषकों के हित को ध्यान में रखते हुए कानूनी न्यूनतम मूल्य महत्वहीन था। निर्धारित न्यूनतम मूल्य में वृद्धि करने का सबसे बड़ा प्रभाव यह पड़ता, कि लेवी चीनी की लागत और मूल्य बढ़ाने पड़ते और उपभोक्ता के लिए चीनी का मूल्य बढ़ाना पड़ता। सन् 1974-75 के मौसम में भी लेवी चीनी का अनुपात 70 से घटा कर 65 करके लेवी चीनी की एक समान अखिल भारतीय कीमत बनाए रखी गई थी, जिससे चीनी मिल उद्योग को जो लाभ मिलता है, वह कम न हो। लेवी चीनी का अनुपात घटाने से सरकारी वितरण प्रणाली पर कोई बुप्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि सन् 1974-75 में 48 लाख मैट्रिक टन चीनी का उत्पादन हुआ। कपास और जूट के समर्थित मूल्यों के बारे में सरकार ने 'कृषि मूल्य आयोग' की सिफारिशें मान ली। कपास का उत्पादन अधिक होने पर इसके मूल्य तेजों से नहीं घटे और चालू बर्ष में भी कपास की अच्छी फसल होने पर मूल्यों में गिरावट नहीं आई। इसके लिए आवश्यक कार्यवाही करने के प्रति सरकार सतर्क है। यद्यपि 1975-76 में विकास की आवश्यकताओं के अनुरूप मूल्यों को स्थिर रखने पर अधिक जोर दिया गया है, तथापि उत्पादन लागत में ही ही अनिवार्य वृद्धि को ध्यान में रखते हुए यह सम्भव नहीं हो सका है कि मूल्यों में कोई परिवर्तन न किया जाए। उपभोग वस्तुओं के मूल्यों में जमा-खोरी, तस्करी आदि के कारण वृद्धि न हो, इसके प्रति सरकार आपात्काल के दौरान बहुत अधिक सक्रिय हुई है और इसके परिणाम भी सामने आए हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुट्ट बनाना, मूल्य-वृद्धि को रोकना सरकारी नीति का एक महत्वपूर्ण अग है। जहाँ तक अनाज और चीनी का सम्बन्ध है, इस व्यवस्था के अन्तर्भृत इन चीजों के वितरण का कार्य उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम द्वारा किया जाता है। सम्पूर्ण देश में इन दुकानों का एक जाल सा बिछा हुआ है। आधिक समीक्षा 1975-76 के अनुसार, इस समय ऐसी दुकानों की संख्या 2 लाख 23 हजार है और ये 45 36 करोड़ व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं।

परियोजना मूल्यांकन के मानदण्ड;
विशुद्ध-वर्तमान मूल्य और प्रतिफल
की आन्तरिक-दर, प्रत्यक्ष और
अप्रत्यक्ष लागत एवं लाभ

(Criteria for Project Evaluation; Net Present Value and Internal Rate of Return; Direct and Indirect Costs and Benefits)

परियोजना मूल्यांकन के मानदण्ड
(Criteria for Project Evaluation)

विनियोजक के समक्ष प्रत्येक विनियोग-विकल्प होते हैं। सर्वाधिक लाभदायक विनियोग सम्बन्धी निर्णय प्रत्यक्ष कठिन होते हैं। विनियोजक के लिए यह निर्णय लेना कि किस परियोजना में पूँजी विनियोग करे, अनेक मानदण्डों पर निर्भर करता है। विनियोग सम्बन्धी निर्णय लेने की अनेक विधियाँ हैं। इन विधियों के अन्तर्मन विनियोग परियोजना के 'लागत प्रवाह' (Cost flows) तथा 'आय प्रवाह' (Income flows) का विचार किया जाता है। इन प्रवाहों के विश्लेषण द्वारा विनियोग निर्णय लिए जाते हैं। प्रवाहों के विश्लेषण की तकनीकी को प्राय 'लाभ-लागत विश्लेषण विधि' (Cost Benefit Method) कहा जाता है। इस विधि का मुख्य आधार विनियोग के प्रतिफल की आतिक दर को ज्ञात करना होता है। यह दर अनेक विधियों द्वारा ज्ञात की जा सकती है। इसे छ कल्पित विनियोग परियोजनाओं के एक उदाहरण द्वारा अप्रतिलिखित सारणी में समझाया गया है।

मारणी 1

परियोजना लागत एवं प्रतिफल दर¹
(Project Costs and Rate of Returns)

परियोजना (Project)	0	1	2	3	4	5	शुद्ध अवधि 1—5	शुद्ध आय 0—5
							(Net Periods)	(Net returns Periods)
A	—100	100	10	—	—	—	110	10
B	—100	50	50	10	10	—	120	20
C	—100	40	30	30	20	—	130	30
D	—100	28	28	28	28	—	140	40
E	—100	10	20	30	40	—	150	50
F	—100	—	—	—	40	—	160	60

उक्त मारणी के माध्यम में परियोजना मूल्यांकन की निम्न तीन प्रकार की प्रतिफल-दरों की गणना की गई है—

(1) औसत प्रतिफल-दर (Average rate of return)

(2) मूल-आय की प्राप्ति से सम्बन्धित अवधि वाली प्रतिफल-दर (Pay off period rate of return)

(3) आनंदिक प्रतिफल-दर (Internal rate of return)।

(a) प्रत्येक योजना का मूल लागत व्यय 100 रुपये है। (b) प्रत्येक की परिपक्वना अवधि 5 वर्ष है। (c) प्राप्त लाभों के पुनर्विनियोग की सम्भावना पर विचार नहीं किया गया है।

1 से 5 तक के कॉन्ट्रो में प्रति वर्ष होने वाले आय-प्रवाहों को प्रदर्शित किया गया है। शून्य अवधि वाले कॉन्ट्रो में प्रत्येक परियोजना की लागत कम बताई गई है। अन्तिम कॉन्ट्रो में कुल लाभों में से मूल लागत व्यय को घटाकर विशुद्ध लाभ बताए गए हैं। अन्तिम से पूर्व वाले कॉन्ट्रो में परियोजना की पूरी 5 वर्ष की अवधि वाले कुल लाभ बताए गए हैं।

(A) औसत प्रतिफल-दर विधि

(Average Rate of Return Method)

औसत प्रतिफल-दर निम्नलिखित दो प्रकार की होती है—(a) प्रारम्भिक विनियोग पर कुल औसत प्रतिफल दर, (b) प्रारम्भिक विनियोग पर शुद्ध औसत प्रतिफल दर। प्रारम्भिक विनियोग पर कुल औसत प्रतिफल दर वो प्रत्येक परियोजना के कुल लाभों की योजनावधि से विभाजित करके निकाला जाता है। इस प्रकार A, B, C, D, E, F परियोजनाओं के लिए यह दर नम्बर: 22, 24, 26, 28,

1. Henderson : Public Enterprise, ed. by R. Turvey, p. 158

30, 32 होगी। प्रारम्भिक वित्तियोग पर शुद्ध औसत प्रतिफल दर अन्तिम कॉलम में दिए गए शुद्ध लाभों को अवधि से विभाजित करके ज्ञात की जाती है। उक्त परियोजनाओं के लिए यह दर क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 व 12 है।

(B) मूल लागत की प्राप्ति वाली प्रतिफल दर (Pay off Period Rate of Return)

मूल लागत की प्राप्ति जिस अवधि में होती है उसकी गणना करते हुए प्रतिफल दर इस प्रकार ज्ञात की जाती है—उन लाभों को जोड़ लिया जाता है, जो मूल लागत के बराबर होते हैं। जिस अवधि तक लाभों का योग मूल लागत के बराबर होता है, उस अवधि के आधार पर प्रतिफल-दर का प्रतिशत ज्ञात किया जाता है। उक्त उदाहरण में परियोजना A के लिए केवल एक ही वर्ष में इसका लागत व्यय प्राप्त हो जाता है। अतः इसे 100% के रूप में व्यक्त किया जायेगा। B परियोजना में चूंकि मूल लागत दो वर्षों में प्राप्त होती है, अतः प्रतिवर्ष औसत प्राप्ति दर 50% होगी। C परियोजना में मूल लागत की प्राप्ति में 3 वर्ष लगते हैं। अतः प्रतिवर्ष की औसत प्राप्ति-दर $\frac{100}{3}$ या $33\frac{1}{3}\%$ होती है। इस प्रकार, सभी परियोजनाओं के प्रतिशत में औसत दर ज्ञात की जा सकती है, वह क्रमशः 28%, 25%, तथा $22\frac{2}{9}\%$ होगी।

उक्त विधियों में एक गम्भीर दोष यह है कि इनमें शुद्ध लाभों की प्रत्येक अवधि का विचार नहीं किया जाता। केवल वार्षिक औसत निकाला जाता है। पर्याप्त मूल्य राशि की प्राप्ति से सम्बन्धित अवधि वाली प्रतिफल दर (The Pay off Period Rate of Return) में समय का विचार किया जाता है, तथापि उस अवधि को छोड़ दिया जाता है, जिसमें पूर्व लागत व्यय की कमी हानि के पश्चात् भी लाभों का मिलना जारी रहता है।

(C) आन्तरिक प्रतिफल दर (Internal Rate of Return)

आन्तरिक प्रतिफल दर वाली विधि इन सभी से थेट्ठ मानी जाती है, क्योंकि इसमें उन समस्त वर्षों की गणना में विचार किया जाता है, जिनमें लागत और लाभ होते रहते हैं। आन्तरिक प्रतिफल-दर की परिभाषा उस कटौती-दर के रूप में की जाती है, जो लाभ व लागत के प्रवाहों के वर्तमान कटौती मूल्य को शून्य के बराबर कर देती है। आन्तरिक प्रतिफल-दर (IRR) विभिन्न परियोजनाओं के लिए निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात की जा सकती है—

$$-Y_0 + \frac{Y_1}{(1+r)} + \frac{Y_2}{(1+r)^2} = 0$$

जिसमें $-Y_0$ = मूल लागत तथा Y_1 व Y_2 प्रथम व द्वितीय वर्ष के लाभ प्रकट करते हैं। r = आन्तरिक प्रतिफल-दर। $\frac{1}{(1+r)}$ = x रखते हुए उक्त सभीकरण को निम्न प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है—

$$-Y_0 + Y_1x + Y_2x^2 = 0$$

इम समीकरण में परियोजना A के सामने आगत राशियों को रखकर इस मौजना की आन्तरिक प्रतिफल दर निम्न प्रकार निकाली गई है—

$$-100 + 100x + 10x^2 = 0$$

$$\text{या} \quad 10x^2 + 100x - 100 = 0$$

$$\text{या} \quad x^2 + 10x - 10 = 0$$

$$\therefore x = \frac{-10 + \sqrt{(10)^2 - 4x - 10^2}}{2}$$

$$x = 9.16 \text{ मान को, } r = \frac{1-x}{x} \text{ रखने पर आन्तरिक प्रतिफल दर}$$

9.1% या 09 ग्रामी है। इसी प्रकार अन्य परियोजनाओं की दर ज्ञात की जा सकती है, जो क्रमशः 10.7, 11.8, 12.4, 12.0 व 10.4 हैं।

उक्त परिणामों को निम्नलिखित सारणी में स्पष्ट किया गया है—

सारणी 2

परियोजना प्रतिफल दर
(प्रतिशत में)

परियोजना (1)	(A)		(B)		(C)	
	आवृत्ति प्रतिफल-दर		मूल-राशि की प्राप्ति से		आन्तरिक	
	पर कुल प्रतिफल	पर शुद्ध प्रतिफल	सम्बन्धित अवधि वाली	प्रतिफल दर (Pay off period rate of return)	प्रतिफल- दर (IRR)	
A	22	2	100			9.1
B	24	4	50			10.7
C	26	6	33.3			11.8
D	28	8	28			12.4
E	30	10	25			12.0
F	32	12	22.2			10.4

उक्त विधियों के अतिरिक्त, वर्तमान मूल्यों के आधार पर भी विभिन्न परियोजनाओं के तुलनात्मक लाभ देखे जा सकते हैं। परियोजना के वर्तमान मूल्य ज्ञात करने का सूत्र है—

$$\text{वर्तमान मूल्य} = \frac{R_1}{(1+r)} + \frac{R_2}{(1+r)^2} + \dots + \frac{R_n}{(1+r)^n} + \dots$$

*Quadratic समीकरण के सूत्र $-b \pm \sqrt{\frac{b^2 - 4ac}{a^2}}$ के बहुपार x का मूल्य ज्ञात किया गया है।

इस समीकरण में r का अर्थ व्याज की बाजार-दर से है। R परियोजना से प्राप्त लाभों को प्रकट करते हैं। दी हुई परियोजनाओं के वर्तमान मूल्य $2\frac{1}{2}\%$, 8% तथा 15% के आधार पर निकाले गये हैं। इन परिणामों को सारणी 3 में प्रदर्शित किया गया है।

सारणी 3

विभिन्न व्याज दरों पर परियोजनाओं के वर्तमान मूल्य¹
(Project Present Values at Different Interest Rates)

परियोजना	2 $\frac{1}{2}\%$	8%	15%
A	7.1	1.2	— 5.4
B	14.8	4.5	— 6.4
C	22.4	8.0	— 6.4
D	30.1	11.8	— 6.2
E	37.1	13.6	— 8.7
F	42.3	11.1	— 17.4

सारणी 3 के आधार पर विभिन्न परियोजनाओं को उनके प्रतिफल की अधिकता के ग्राम में विभिन्न श्रेणियों में विभक्त कर, यह देखा जा सकता है कि कौनसा विनियोग विकल्प अन्य विकल्प से कितना अधिक लाभदायक है।

सारणी 4 में इन श्रेणियों को दर्शाया गया है।

सारणी 4

नियोजन की वैकल्पिक विधियों द्वारा परियोजनाओं को प्रदत्त श्रेणी²

श्रेणी	औसत प्रतिफल दर	(Pay off Period)	आन्तरिक व्याज दरों पर वर्तमान मूल्य	प्रवधि		
				प्रतिफल-दर 9 $\frac{1}{2}\%$	8%	15%
1	F	A	D	F	E	A
2	E	B	E	E	D	D
3	D	C	C	D	F	B
4	C	D	B	C	C	C
5	B	E	F	B	B	E
6	A	F	A	A	A	F

इन श्रेणियों को ध्यान में रखकर विनियोजक विनियोज-विकल्प का चुनाव करता है। सर्वप्रथम वह प्रथम श्रेणी के विनियोग में अपनी पूँजी लगाता है। उदाहरणार्थ वह औसत प्रतिफल-दर विधि का प्रयोग करता है तो सर्वप्रथम F परियोजना में विनियोग करेगा। Pay off प्रवधि विधि के अन्तर्गत

1 Ibid, p 161

2 Ibid, p 162.

A परियोजना में तथा आन्तरिक प्रतिफल-दर विधि में D परियोजना को विनियोग के लिए चुनेगा। इसी प्रकार, वर्तमान मूल्य विधि में विभिन्न विनियोग विकल्पों के चुनाव किए जा सकते हैं।

परियोजना मूल्यांकन की वर्तमान कटौती-मूल्य-विधि

(The Present Discounted-Value Criteria of Evaluation)

लाभ-लागत विश्लेषण (Benefit-Cost Analysis) परियोजना मूल्यांकन की एक आधुनिक तकनीकी है। सबप्रथम इसका विकास व प्रयोग अमेरिका में किया गया। इस विधि द्वारा अनेक विकास परियोजना प्रस्तावों का आर्थिक मूल्यांकन किया गया है। लाभ लागत विश्लेषण की अनेक विधियाँ हैं, जिनमें मुख्य (1) विशुद्ध वर्तमान मूल्य विधि (Net Present Value Criteria) (2) आन्तरिक प्रतिफल दर (Internal Rate of Return) आदि हैं।

विशुद्ध वर्तमान-मूल्य-विधि (Net Present-Value-Criteria)

परियोजना मूल्यांकन की इस विधि में परियोजना के आय प्रवाह (Income Flows), लागत व्यय (Cost-outlay) तथा व्याज अथवा कटौती दर का विचार किया जाता है। इन तत्त्वों के आधार पर किसी भी परियोजना के वर्तमान कटौती मूल्य की गणना निम्नलिखित सूत्र के आधार पर की जा सकती है—

$$PV = -Y_0 + \frac{Y_1}{(1+r)} + \frac{Y_2}{(1+r)^2} + \frac{Y_3}{(1+r)^3} + \dots + \frac{Y_n}{(1+r)^n}$$

$$\text{अथवा } PV = -Y_0 + \sum_{t=1}^n \frac{Y_t}{(1+r)^t}$$

सूत्र में

PV =दी हुई परियोजना का वर्तमान कटौती मूल्य

$-Y_0$ =प्रारम्भिक लागत व्यय

Y_1, Y_2, Y_n क्रमशः प्रथम द्वितीय तथा n वर्षों की आय को प्रकट करते हैं

r =व्याज अथवा कटौती दर।

मात्र लीजिए कि किसी परियोजना से सम्बन्धित निम्नलिखित सूचनाएँ दी हुई हैं—

आय प्रवाह=—100, 50, 150

कटौती दर=10% अथवा 1 (मूल-राशि के इकाई होने पर)

-100 =प्रारम्भिक लागत व्यय तथा 50 व 150 क्रमशः प्रथम व द्वितीय वर्ष की आय प्रकट करते हैं, अर्थात् $Y_1=50$ व $Y_2=150$

इन सूचनाओं द्वारा उक्त सूत्र में रखते हुए 2 वर्षों की प्रवधि पर्याप्त परियोजना का वर्तमान शुद्ध कटौती मूल्य निम्न प्रदान जाते विद्या जा सकता है—

$$-100 + \frac{50}{1+1} + \frac{150}{(1+1)^2} = 66.5$$

वास्तव में, परिसम्पत्ति का कुल वर्तमान मूल्य (Gross Present Value) उक्त उदादरण में 166.5 होगा, जिन्हें इसमें से लागत व्यय 100 के घटाने पर दें।

मूल्य को 'विशुद्ध वर्तमान-मूल्य' (Net Present Value) कहा जाता है। अत विशुद्ध वर्तमान मूल्य $166.5 - 100 = 66.5$ है—

यदि एक लाभ के स्रोत (Benefit Stream) को $B_0, B_1, B_2 \dots B_n$ के रूप में प्रकट किया जाता है तथा जिसमें सभी B धनात्मक अथवा शून्य या ऋणात्मक हो सकते हैं। निम्नलिखित सूत्र द्वारा वर्तमान कटौती-मूल्य प्रकट किया जा सकता है—

$$B_0 + \frac{B_1}{(1+r)} + \frac{B_2}{(1+r)^2} + \dots + \frac{B_n}{(1+r)^n}$$

संक्षेप में ,

$$\sum_{t=0}^{t=1} \frac{B_t}{(1+r)^t}$$

जिसमें r कटौती दर को प्रकट करता है ।¹

इस अधिग्रन्थ में r का उपयुक्त नुनाव करना विशेष महत्व रखता है। सामान्यत यह माना जाता है कि व्याज की सही दर वह है जो समाज के समय अधिमान की दर (Rate of Social Time Preference) को दर्शाती है। उदाहरणार्थ यदि कोई समाज वर्तमान वर्ष के 100 रु को दूसरे वर्ष के 106 रु के समान महत्व देता है तो उस समाज की समय अधिमान दर 6% प्रति वर्ष होगी ।

उक्त विधि के सम्बन्ध में निम्नलिखित तीन उल्लेखनीय प्रस्थापनाओं (Proposition) पर विचार करना आवश्यक है—


1. विशुद्ध वर्तमान मूल्य अथवा लागत पर वर्तमान मूल्य का अतिरेक कटौती-दर पर निर्भर करता है। यदि विशुद्ध लाभों का प्रवाह — 100, 0, 150 है, तो इनका वर्तमान-मूल्य $r = 1$ होने पर 48 से कुछ बड़ा होगा तथा $r = 5$ की स्थिति में यह मूल्य $\frac{100}{3}$ होगा ।

2. वित्तियोग का कोन सा प्रवाह अधिकतम वर्तमान कटौती-मूल्य उत्पन्न करता है, इस प्रश्न का उत्तर सामान्यन कटौती दर पर निर्भर करता है। यदि प्रथम प्रवाह — 50, 20 और 80 तथा दूसरा प्रवाह — 60, 20 तथा 70 हो तो प्रथम प्रवाह के अधिशासी (Dominant) होने की स्थिति में, किसी भी कटौती दर के, इसका कटौती मूल्य दूसरे प्रवाह के कटौती मूल्य की अपेक्षा अधिक होगा। यदि दो प्रवाह — 100, 0, 180 और — 100, 165 और 0 हों तो 1% की कटौती-दर की स्थिति में प्रथम कटौती मूल्य लगभग 76 तथा दूसरे का 63 होगा। अत प्रथम प्रवाह को प्रथम थ्रेणी (Rank First) तथा दूसरे को द्वितीय थ्रेणी (Rank Second) मिलेगी। $r = 5$ की स्थिति में प्रथम प्रवाह का कटौती-मूल्य — 20 तथा इसकी द्वितीय होगी, जबकि दूसरा प्रवाह वर्तमान मूल्य के 10 होने के कारण प्रथम थ्रेणी प्राप्त करेगा ।

उक्त उदाहरणों से यह निष्कर्ष निकलता है कि 1% व 5% के मध्य एक निश्चित सामाजिक कटौती-दर होती है, जिस पर दोनों प्रवाहों का बर्तमान कटौती-मूल्य एक दूसरे के बराबर होता है। इस दर को हम r^* से प्रकट कर सकते हैं। r^* को दोनों प्रवाहों के बर्तमान मूल्यों को एक दूसरे के समान समीकरण में रखते हुए सुरक्षा से मानूम किया जा सकता है अर्थात् उक्त प्रवाहों को निम्न प्रकार रखने पर—

$$-100 + \frac{180}{(1+r)^2} = -100 + \frac{165}{(1+r)}$$

चित्र-7



सामान्यत हम किसी एक विशेष विनियोग प्रवाह का कटौती-दर के अनुरूप बर्तमान-मूल्य निर्धारित करते हैं। उक्त चित्र में X परियोजना का उदाहरण लिया जा सकता है। चित्र में सम्बन्ध पर PV_r या विनियोग का बर्तमान मूल्य दर्शाया गया है तथा स्थितिजीय अक्ष पर सामाजिक कटौती-दर दिखाई गई है। X प्रवाह का बर्तमान-मूल्य r के आकार का विपरीत होगा अर्थात् जितना अधिक r होगा उतना ही विनियोग प्रवाह का बर्तमान मूल्य कम होगा। इसीलिए X चक्र छहणात्मक ढाल वाला है। छहणात्मक ढाल का स्थितिजीय अक्ष को काट कर नीचे की ओर बढ़ना यह प्रकट करता है कि 50 / कटौती-दर पर प्रवाह का बर्तमान मूल्य छहणात्मक हो जाता है (जैसे $-100, 0, 180$ का $50 /$ से कटौती-मूल्य $= -20$) इसी प्रकार का सम्बन्ध Y प्रवाह के लिए स्थापित किया जा सकता है।


यदि दोनों प्रवाहों में से किसी एक प्रवाह की स्थिति अधिशासी (Dominant) होती है, तो प्रत्येक कटौती-दर पर इस प्रवाह की स्थिति सभी अन्य प्रवाहों से ऊंची

* , के लिए उभीकरण का हल, इसका मूल्य लगभग 9% प्रकट करेगा।

होगी। अधिग्राहन की अनुपस्थिति में X और Y एक दूपरे को चित्र के या तो धनात्मक क्वार्ड्रेंट (Quadrant) यथा ऋणात्मक क्वार्ड्रेंट (Quadrant) में काटेंगे। केवल r^* की स्थिति के अतिरिक्त अन्य सभी स्थितियों में दोनों प्रवाहों के वर्तमान मूल्य विभिन्न कटीती-दरों के अनुसार भिन्न-भिन्न होंगे। r^* पर दोनों के मूल्य समान होते हैं तथा r^* से कम पर X का मूल्य Y से अधिक होता है। भन्त में चित्र r_x व r_y कटीती-दरों को देखा जा सकता है, जिन पर दोनों प्रवाहों की कटीती-दर शून्य है।

पूर्व वर्णित विषयों के अतिरिक्त इस विधि से किसी परिसम्पत्ति के विकास-पथ के दिए हुए होने की स्थिति में वह अवधि (Optimal gestation period) जिसमें सम्पत्ति का अधिकतम शुद्ध वर्तमान-मूल्य प्राप्त किया जा सकता सम्भव है, ज्ञात की जा सकती है। यह पथ निम्न चित्र में दर्शाया गया है।

चित्र-8



चित्र में बटीती-दर द्वारा किसी परिसम्पत्ति की उस प्रनुक्लतम या इष्टतम परिपवर्तन अवधि (Optimal gestation period) का निर्धारण समझाया गया है, जिसमें सम्पत्ति का वर्तमान-मूल्य अधिकतम होता है।

तब उसका मूल्य पेढ़ वी वृद्धि के प्रनुपात में बढ़ता जाता है। उदाहरणार्थ, जब टिम्बर का पौधा लगाया जाता है। उदाहरणार्थ,

G_0G द्वारा विकास-पथ प्रकट किया गया है, OG_0 टिम्बर के प्रारम्भिक लागत को प्रकट करता है। इसलिए इसे एक ऋणात्मक मात्रा के रूप में चित्र में

प्रदर्शित किया गया है। शिनिजीय अक्ष से O_0G बक्ट पर ढाले गए लम्ब किसी मम्प विशेष पर टिम्बर के मूल्यों को दर्शाते हैं। दो वर्ष की अवधि बाले विन्दु पर टिम्बर का शुद्ध-मूल्य होता है। विभिन्न सम्बों की ऊँचाइयाँ वैकल्पिक विनियोगों के प्रवाह (Alternative Investment Stream) को प्रकट करती हैं। यदि $OG_0 = 50$ मानी जाती है, तो 4 वर्ष की अवधि बाला लम्ब टिम्बर के मूल्य को 100 के बराबर प्रकट करेगा। इसी प्रकार चित्र की सहायता से विभिन्न विनियोग विकल्पों के आय-प्रवाहों को निम्न प्रकार प्रकट किया जा सकता है—

जब	आय-प्रवाह
$t=5$	50,0,0,0,0,112
$t=6$	50,0,0,0,0,0,120

इसी प्रकार $t=7,8,9$ आदि को स्थिति में विभिन्न विनियोग विकल्पों को प्रकट किया जा सकता है। किन्तु समझना यह है कि इन विनियोग विकल्पों में से कौनसा विकल्प सर्वाधिक लाभदायक होगा। इसे हम सामाजिक कटीती-दर के आधार पर विभिन्न कटीती-दरों की रचना करके ज्ञात कर सकते हैं। मान सीजिए $r=5$ / दिवा हुआ है। इससे V_1V_1 कटीती वक्त की रचना की गई है। इस वक्त में यदि हम OV_1 पर 80 का माप करते हैं तो $t=1$ के दिन्दु पर लम्ब की ऊँचाई 84, $t=2$ पर 88.2 और इसी प्रकार एक एक वर्ष से बढ़ती हुई अवधि में 5 / को अधिकता से लम्बों की ऊँचाइयाँ अधिक होनी चाहीं जाएंगी। इस उदासीन वक्त का प्रत्येक विन्दु समाज के लिए समान महत्व रखेगा, क्योंकि $r=5$ / होने पर वर्तमान वर्ष के 100 व आगामी वर्ष के 105 में विनियोजक कोई अन्तर नहीं करेगा। समान सम्भोग की अनुभूति करते हुए इन विन्दुओं के प्रति वह उदासीन रहेगा।

इसी प्रकार लम्ब अक्ष पर अन्य उदासीनता वक्तों की रचना की जा सकती है। चिन में V_2V_2 व V_3V_3 इसी प्रकार के दो अन्य उदासीन वक्त दिए हुए हैं। इन उदासीनता वक्तों में से हमको उच्चतम वक्त का चुनाव करना चाहिए जो विकास-पथ के वक्त को स्पर्श करता है। V_2V_2 चित्र में उच्चतम उदासीन वक्त है। Q स्पर्श विन्दु है, जहाँ $t=6$ 2 वर्ष है। निकृप्त: शुद्ध लाभों के प्रवाह का 5 / की कटीती-दर पर अधिकतम वर्तमान-मूल्य OV_2 ऊँचाई द्वारा प्रकट होगा तथा परिपक्वता अवधि 6-2 वर्ष होगी। विशुद्ध वर्तमान मूल्य $OV_2 - OG_0$ द्वारा प्रकट होगा।

आन्तरिक प्रतिफल-दर

(Internal Rate of Return or IRR)

आन्तरिक प्रतिफल दर (The Internal Rate of Return) विनियोग मूल्यांकन की एक थेल्ड दिधि है। विनियोजक के समक्ष अनेक विनियोग विकल्प होते हैं। अपनी पूँजी को किस विनियोग में लगाए, यह उसके सामने एक महत्व-पूर्ण प्रश्न होता है। उदाहरणार्थ, दो विनियोग हैं—(1) एक ट्रक का बड़ी का।

सन्	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980
पनवाडी	500	500	500	500	500	500	500
टक	5000	5000	6000	10,000	200	100	20

टक से समान आय प्राप्त नहीं हो रही है, बिन्दु पनवाडी से प्राप्त होने वाली आय की राशि सभी वर्षों में समान है। अतः समस्या यह है कि उक्त दोनों विनियोगों से प्राप्त आय की परस्पर तुलना किस प्रकार की जाए। इस प्रश्न का उत्तर आन्तरिक प्रतिफल दर द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। प्रतिफल की आन्तरिक दर की सहायता से आय-प्रवाह को वर्तमान-मूल्य में परिवर्तित किया जा सकता है। तस्पीचान् प्रत्येक परियोजना का वर्तमान मूल्य व उसकी लागत का अनुपात $= \frac{V-C}{C}$ के रूप में निकाला जाता है। जिस परियोजना का उक्त अनुपात अधिक होगा, उसे थेष्टर समझा जाएगा।

अतः आन्तरिक प्रतिफल दर वह दर होती है, जो विनियोग के आय-प्रवाह व वर्तमान मूल्य को विनियोग की लागतों के वर्तमान मूल्य के ठीक बराबर कर देती है, अथवा यदि लाभ-लागत प्रवाहों के वर्तमान-मूल्यों को जोड़ा जाता है, तो योगफल शून्य के बराबर होगा ।¹

इस दर को निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है—

$$- Y_0 - \frac{Y_1}{(1+r)} - \frac{Y_2}{(1+r)^2} + \frac{Y_3}{(1+r)^3} + \dots + \frac{Y_n}{(1+r)^n} + \dots$$

संक्षेप में

$$- Y_0 \sum_{t=1}^n \frac{Y_t}{(1+r)^t}$$

$\frac{1}{(1+r)}$ = x रखते हुए पूरे प्रवाह में r का मान ज्ञात किया जा सकता है। r का मान ही आन्तरिक प्रतिफल दर कहलाती है। इसे कुछ विनियोग परियोजनाओं के उदाहरण लेकर गणितीय रूप में भी अप्राकृत प्रकार से समझाया जा सकता है—

1. "The internal rate of return is that rate of discount which makes the present value of the entire stream-benefits and costs-exactly equal to zero"

—E. J. Mishan : Cost-benefit Analysis, p. 198.

परियोजना	लागत	I क्रप की	II क्रप का
	(रु. मे) (-Y ₀)	आय (रु) (Y ₁)	आय (रु) (Y ₂)
A	10,000	10,000	0
B	10,000	10,000	1100

उक्त सूचनाओं को दिए हुए सूत्र में रखन पर

परियोजना A

$$\begin{aligned} -10,000 + 10,000x &= 0 \\ x &= 0 \\ r \text{ या } IRR &= 0 \end{aligned}$$

परियोजना B

$$\begin{aligned} -10000 + 10000x + 1100x^2 &= 0 \\ \text{अथवा } -100 + 100x + 11x^2 &= 0 \\ \text{या } -100 + \sqrt{(100)^2 + 11004} &= 211 \end{aligned}$$


$$\therefore x = 90 \quad \therefore r \text{ या } IRR = 10$$

$$\text{संक्षेप में } r \text{ or } IRR = \frac{1-x}{x}$$

इसी प्रकार अन्य परियोजनाओं की प्रतिक्रिया दर ज्ञात की जा सकती है। जिये क्रप में यह दर विभिन्न परियोजनाओं की स्थिति में अविकल्प होगी, उसी क्रम में विनियोजक अपनी पूँजी का विनियोग करेगा। उक्त उदाहरण में परियोजना A की अपेक्षा परियोजना B अधिक है। अतः पूँजी विनियोजन परियोजना B में ही होगी।

आन्तरिक प्रतिफल दर को चित्र द्वारा भी समझाया जा सकता है—

चित्र-9



चित्र में G_0G विकास-पथ दिया हुआ है। इस पर R_0 से एक सीधी रेखा खींची गई है। इस रेखा का विकासदर के हिस्से भी बिन्दु पर जो ढाल (Slope) है, वही आन्तरिक प्रतिफल दर (IRR) को प्रकट करती है। चूंकि ढाल निर्धारण स्पर्श बिन्दु में हिया जाना है जो NN' में प्रकट किया गया है। M बिन्दु पर R_0 से डाली गई सीधी रेखा $OR_0 = OG_0$ प्रवाह लागत-प्रवाहों के वर्तमान मूल्यों को परस्त बराबर प्रकट करती है। OG_0 परियोजना वी प्रारम्भिक लागत को प्रकट करता है तथा OR_0 परियोजना के लाभों के प्रवाह के वर्तमान-मूल्य को प्रकट करता है।

चित्र में—

OX पर समय

OY पर आगम (लाभ स्केल)

OP = उच्चतम वर्तमान मूल्य 5% की मामिक कटौती दर के अनुसार

OQ' = परिकल्पना परिषद्वना प्रवधि (Optimum Gestation Period)

वर्तमान मूल्य वाले मानदण्ड (Present Value Criterion) के अनुसार।

इसी परिणाम की आन्तरिक प्रतिफल दर वाले मानदण्ड द्वारा भी ज्ञात किया जा सकता है लेकिन इसे पूर्व हमें यह देखना है कि इस चित्र में आन्तरिक प्रतिफल दर को किस प्रकार दर्शाया जा सकता है।

हम यह जानते हैं कि आन्तरिक प्रतिफल दर के अस्तरांत लाभ-प्रवाह के वर्तमान मूल्य में लागत-प्रवाह के वर्तमान-मूल्य को घटाने से शून्य शेष रहता है।

चित्र में हम OG_0 व OR_0 के निरपेक्ष मूल्य समान भानते हैं, तो विकास-पक्ष G_0G पर R_0 बिन्दु से खींची गई सीधी रेखा (M बिन्दु पर) का ढाल को आन्तरिक प्रतिफल-दर का प्रतीक माना जा सकता है।

ढाल को ज्ञात करने के लिए हम $\tan \theta$ निकालते हैं।

$$\tan \theta = \frac{\text{लम्ब}}{\text{आधार}} = \frac{MK}{R_0K} = \frac{M'M - M'K}{OM'}$$

$$= \frac{\text{कुल आगम (Total Compounded Benefit)} - \text{लागत}}{OM' \text{ प्रवधि}}$$

$\tan \theta$ द्वारा व्यक्त कटौती-दर वो हम इसलिए आन्तरिक प्रतिफल दर भानते हैं क्योंकि यह दर $M'M$ भावी लाभों को OR_0 के बराबर वर्तमान-मूल्य में बदल देती है, जो प्रारम्भिक लागत OG_0 के बराबर होता है। उच्चतम सम्भव आन्तरिक प्रतिफल दर (Highest Possible Internal Rate of Return) R_0 से N बिन्दु पर विकास-पथ G_0G पर डाली गई स्पर्श-रेखा (Tangent) से निर्धारित होती है, क्योंकि R_0N की तुलना में किसी भी अन्य विकास-पथ पर डाली गई सीधी रेखा का ढाल अधिक नहीं हो सकता है। यदि उच्चतम प्रतिफल दर वाली अवधि को 'अनुकूलतम विनियोग अवधि' (Optimum Investment Period) के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो यह चित्र में ON' द्वारा प्रकट होता है, जो स्पष्टतः

OQ' से कम है। यह वर्तमान-मूल्य मापदण्ड वाली विधि की अनुरूपता अवधि को दर्शाता है।

IRR व NPV मापदण्डों की तुलना

विनियोग विकल्पों के दोनों मापदण्ड—शान्तिरिक प्रतिफल दर (*IRR*) तथा शुद्ध वर्तमान मूल्य (*NPV*) वैज्ञानिक हैं। विनियोग निष्ठाएँ में दोनों का ही सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। दोनों विधियों की अपनी कुछ ऐसी निजी विशेषताएँ हैं कि स्पष्टत यह कह देना कि दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, अत्यधिक कठिन है। इन विधियों में दो मूल अन्तर हैं—

1 शान्तिरिक प्रतिफल दर वाले मापदण्ड में प्रयुक्त कटौती दर का पूर्व इन नहीं होता है। यह दर स्वयं-सम्पत्ति के कलेक्टर में अन्तर्निहित होती है (*This rate is built in the body of the asset itself*)। वर्तमान मूल्य वाले मापदण्ड में कटौती-दर पहले से ज्ञात होती है। प्राप्त बाज की बाजार दर के अनुसार, इस मापदण्ड में सम्पत्ति का मूल्य ज्ञात किया जाता है।

2 शान्तिरिक प्रतिफल-दर, एक ही विनियोग प्रवाह के लिए, एक से अधिक ही सकती है। उदाहरणार्थ,

विनियोग प्रवाह (*Investment Stream*) = -100, 350, -400
 IRR की परिभाषा के अनुसार—

$$-100 + \frac{350}{(1+\lambda)} - \frac{400}{(1+\lambda)^2} = 0$$


दो दर प्राप्त होगी—

$$\lambda_1 = 46\%$$

$$\lambda_2 = 456\%$$

इस स्थिति को चित्र में निम्न प्रकार दर्शाया जा सकता है—

चित्र-10



दो आन्तरिक प्रतिफल दरों का उक्त उदाहरण एक विशेष प्रकार का उदाहरण है। n^{th} मूल्य वाले (of n^{th} roots) विनियोग प्रवाह (Investment Stream) की n ही आन्तरिक प्रतिफल दरें सम्भव हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी इस तथ्य को अख्वीकार नहीं कर सकता कि इस दृष्टि से वर्तमान मूल्य मापदण्ड का पक्ष आन्तरिक प्रतिफल दर वाले पक्ष से अपेक्षाकृत अधिक सशक्त प्रतीत होता है।

दोनों मापदण्डों में से किमता चुनाव किया जाए, इसमें कठिनाई यह आती है कि अनेक स्थितियों में दोनों मापदण्ड विनियोग प्रवाहों को समान श्रेणी (Same Ranks) प्रदान करते हैं। इस स्थिति में किस मापदण्ड को श्रेष्ठ समझा जाए, यह समस्या सामने आती है।

इस समस्या के समाधान हेतु अर्थशास्त्री Mc Kean ने यह सुझाव प्रस्तुत किया है कि एक निश्चित बजट सीमा में कुछ विनियोग परियोजनाओं का चुनाव इस प्रकार किया जाना चाहिए ताकि विनियोजित राशि का प्रत्येक परियोजना पर इस प्रकार वितरण हो कि उस विनियोग प्रवाह को आन्तरिक प्रतिफल दर (IRR) वर्तमान मूल्य की कटौती दर से अधिक हो। इस तथ्य को निम्नलिखित सारणी में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 5

परियोजनाएँ	समय			आन्तरिक प्रतिफल दर (IRR)	$PV_r \frac{(B-K)}{K}$ ($r=0.03$)	3% से वर्तमान मूल्य
	t_0	t_1	t_2			
A	-100	110	0	10%	7	100
B	-100	0	115	7%	8	100
C	-100	106	0	6%	1	100
D	-50	52	0	4%	-2	100
E	-200	2	208	2%	2	200

A, B, C, D व E पांच परियोजनाएँ दो हुई हैं। प्रत्येक की आन्तरिक प्रतिफल दर घटते हुए कम में दिखाई गई हैं। वर्तमान मूल्य के अनुसार शुद्ध लाभ का अनुग्राम 3% की कटौती दर के आधार पर दिया हुआ है।

यदि 1000 रुपये का बजट दिया हुआ है और उसमें से केवल 350 रुपये का विनियोजन करना है तो A, B, C व D परियोजनाओं का चुनाव किया जाना

चाहिए, जोकि E परियोजना की आन्तरिक प्रतिफल दर बेदल 2% है, जो बत्तमान मूल्य दी कटौती दर 3% से कम है। यद्यपि दोनों मापदण्डों के आधार पर चारों परियोजनाओं का श्रेणीक्रम (Ranking) समान नहीं रहेगा, तथापि दोनों ही मापदण्डों के प्रबन्धन चार विनियोग विकल्प ही अपनाएं जा सकते हैं।

यदि 200 रुपए का बजट हो तो IRR व NPV दोनों मापदण्डों के परिणाम A व B परियोजनाओं की समान श्रेणीयों प्रदान करते हैं। इन्हुंने यदि बजट कमल 100 रुपये हैं, तो IRR के अनुपार A का तरा NPV के अनुपार परियोजना B का चुनाव किया जाना उपयुक्त समझा जाएगा।

परियोजना मूल्यांकन की लागत-नाभ विश्लेषण विधि की आलोचना (A Critique of Cost-benefit Analysis)

यद्यपि लागत-नाभ विश्लेषण विधि परियोजना मूल्यांकन की एक थेट्ट विधि है, तथापि अनेक अर्थशास्त्रियों ने इस विधि की निम्न आलोचनाएँ की हैं—

- (1) परियोजनाओं को उचित प्रमाणित करने की हड्डि से सन्दर्भ लाने को बढ़ाव कर दिखाती है तथा अनेक उचित सामग्री की अपेक्षा करती है (Govt. inflates benefits and ignores costs)।
- (2) बास्तव में संगणित शुद्ध लाभ (Calculated net benefits) परियोजना की लाभदायकता को प्रमाणित नहीं करते हैं। उनकी संगणना यह ध्यान में रखते हुए की जाती है कि परियोजना के सम्बन्ध में लिदा गया निर्णय उचित है।
- (3) लाभ-सामग्री की मागणी में आर्थिक-तत्त्वों की उरेक्षा की जाती है तथा राजनीतिक लक्ष्यों को अधिक ध्यान में रखा जाता है।
- (4) आर्थिक कुशलता की अपेक्षा सामाजिक भूल्यों पर अधिक वज्र दिया जाता है (The value of social goals is stressed more than economic efficiency)।

उक्त आलोचनाओं के बावजूद, परियोजना मूल्यांकन को यह उत्तम विधि है। विनियोग निर्णयों में कुछ अवयों का आना स्वाभाविक है। इस प्रवार के अवयों (Constraints), कुछ भौतिक (Physical), कुछ प्रशासनिक (Administrative), कुछ राजनीतिक (Political), कुछ वैधानिक (Legal) तथा कुछ वित्तीय (Financial) होते हैं। भौतिक अवयों के कारण तकनीकी हृष्टि से उपयुक्त (Technically feasible) विनियोग विकल्पों का चुनाव भी सीमित हो जाना है, वैधानिक अवयों के कारण कानून में बिना संगोष्ठी के उचित विनियोग निर्णय लेने में कठिनाइयाँ आती हैं, प्रशासनिक अवयों-निर्णयों में विलम्ब के लिए उत्तरदायी होते हैं, राजनीतिक अवयों, आर्थिक कुशलता की उपेक्षा करते हैं तथा वित्तीय अवयों व्यय राशि की एक निश्चित सीमा से बाहर निर्णय लेने के गतिरोध उपस्थित करते हैं।

प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लागतें व लाभ (Direct and Indirect Cost and Benefits)

सिचाई, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि परियोजनाओं का मूल्यांकन इन से एक विशेष अवधि में प्राप्त लाभों तथा इन पर व्यय की गई लागतों के आधार पर किया जाता है। किन्तु परियोजना-मूल्यांकन में जो लाभ व लागतें ली जाती हैं, वे सामान्य बाजार मूल्यों के आधार पर नहीं आँखी जाती हैं उनके प्रकरण का आधार सामान्य लेखा विधि नहीं होती, अपितु 'छाया-मूल्य' (Shadow Prices) की अवधारणा होती है। सामान्य लेखा-विधि द्वारा बाजार मूल्य के आधार पर समणित लाभ व लागत प्राप्त प्रत्यक्ष लाभ व लागतों की श्रेणी में लिए जाते हैं। किन्तु, इस प्रकार की समणना से कोई आविक निष्ठर्प निकालना सम्भव नहीं होता, क्योंकि लेखा-करण लागतों के अतिरिक्त अनेक ऐसी लागतें भी होती हैं जिनकी प्रविष्ट यद्यपि लेखा-पुस्तकों में नहीं होती, किन्तु उनको गणना में लाए दिना लागत-प्रवाह का बत्तमान मूल्य निकालना आविक हृष्टि से अनुगम्यकर समझा जाता है। ठीक इसी प्रकार, लाभों के अन्वर्गत भी परियोजनाओं से प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त लाभों के अतिरिक्त बाह्य वस्तुतें आदि से सम्बन्धित लाभ होते हैं। लाभों के सम्पूर्ण प्रवाह की समणना में अन्य लाभों की भूमिका अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण होती है। ऐसे लाभों को सामान्यत 'अप्रत्यक्ष लाभों' की सज्जा दी जाती है। इनकी समणना 'छाया-मूल्यों' (Shadow Price) के आधार पर की जाती है।

प्रत्यक्ष लाभ (Direct Benefit) — प्रत्यक्ष अवदा प्रायमिक लाभ उन वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को प्रकट करते हैं, जिनका परियोजना द्वारा उत्पादन होता है। जो लाभ परियोजना से जीव व प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होते हैं 'प्रत्यक्ष लाभ' कहलाते हैं। उदाहरणार्थं सिचाई-परियोजना में बाट नियन्त्रण सिचाई, विद्युत-उत्पादन कृषि-उत्पादन में वृद्धि पेयजल की सुविधा, इन लाभों का अवलोप प्राप्त भौतिक होता है नथा इनकी माप-मुद्रा में लेखा मूल्यों के आधार पर की जाती है। विशेष अवधि में होने वाले मूल्यों के परिवर्तनों का अवश्य ध्यान रखा जाता है। अत मूल्य निर्देशांकों के आधार पर इन मूल्यों की समुचित या प्रसारित (Deflated or Inflated) अवश्य किया जाता है। इसी प्रकार, किसी यातायात परियोजना से कई प्रत्यक्ष लाभ हो सकते हैं जैसे—यात्रियों को आने-जाने की सुविधा, माल ढोने की सुविधा, व्यापार में वृद्धि, कुछ माला में रोजगार-वृद्धि आदि।

अप्रत्यक्ष लाभ (Indirect Benefit) — तकनीकी परिवर्तन के कारण उत्पन्न बाह्य प्रभाव 'अप्रत्यक्ष लाभ' होते हैं। बाह्य-प्रभाव परियोजना के उत्पादन अवदा अन्य व्यक्तियों द्वारा इसके उपयोग के परिणाम होते हैं। जो लाभ परियोजना से सीधे प्राप्त नहीं होते, वहिं जिनकी उत्पत्ति परियोजना के कारण होने वाले आविक बारण विकास से प्राप्त होती है, उनको 'अप्रत्यक्ष लाभ' कहते हैं। उदाहरणार्थं, सिचाई परियोजना के कारण सड़कों का निर्माण, नई रेलवे लाइनों का विद्युया जाना, नए नगरों का विकास, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, नए उद्योगों की स्थापना,

आदि अप्रत्यक्ष लाभ के उदाहरण हैं। इनके अतिरिक्त विनियोग की दर, जनसूख्या वृद्धि दर, श्रम की कुशलता, लोगों के सामाजिक व सांस्कृतिक विकास प्रादि पर पड़ने वाले परियोजना-प्रभावों को भी अप्रत्यक्ष लाभों की श्रेणी में लिया जा सकता है।

अप्रत्यक्ष लाभ उत्पादन की अग्रिम कड़ियों (Forward Production Linkages) से भी उत्पन्न होते हैं, ये कड़ियाँ उन व्यक्तियों की आय में वृद्धि करती हैं, जो परियोजना के उत्पादन की मध्यवर्ती-प्रक्रियाओं में सलग होते हैं। उदाहरणार्थ, किसी सिचाई परियोजना के अन्तर्गत उत्पादित कपास, बाजार में विक्री हेतु प्रस्तुत होने से पूर्व अनेक मध्यवर्ती प्रक्रियाओं में से गुजरता है। प्रत्येक मध्यवर्ती प्रक्रिया-कक्षा बढ़ी हुई व्यावसायिक प्रक्रियाओं से लाभ उठाता है।

'अप्रत्यक्ष लाभ', उत्पादन की पीछे वाली कड़ियों (Backward Production Linkages) के कारण भी प्राप्त होते हैं। इन कड़ियों के कारण उन व्यक्तियों की आय में वृद्धि होती है, जो परियोजना-क्षेत्र में वस्तु और सेवाएँ प्रदान करते हैं। उदाहरणार्थ, परियोजना द्वारा उत्पादित कपास के लिए मशीनरी, खाद तथा अन्य सामग्रियों की आवश्यकता होगी। इस प्रकार, विभिन्न प्रकार के व्यवसायों की एक शृंखला उत्पन्न होती है। सभी व्यक्ति, जो इस शृंखला के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक कार्य करते हैं, परियोजना से अप्रत्यक्ष रूप से सामान्यित होते हैं।

लागत (Costs)—परियोजना पर होने वाले प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष व्यय, 'लागत' कहलाती है।

प्रत्यक्ष लागत (Direct Costs)—प्रत्यक्ष लागत वह लागत होती है जो परियोजना के निमाण व कायान्वित करने में उचित रूप से उठाई जाती है। मुख्यतः ये लागतें निम्नलिखित होती हैं—(i) निर्माण लागतें, (ii) अभियान्त्रिक व प्रशासनिक लागतें, (iii) परियोजना के लिए काम में ली जाने वाली भूमि की अवसर लागत, (iv) परियोजना की कियान्विति के लिए सड़कें, रेलवे लाइनें, पाइप लाइनें, विद्युत् लाइनें पुल-निर्माण यदि आवश्यक हो तो इन पर होन वाली लागतें, (v) परियोजना के सचालन, सुरक्षा एवं पुनर्स्थापन सम्बन्धी लागतें।

अप्रत्यक्ष लागत (Indirect Costs)—जो लागत अप्रत्यक्ष लाभों की प्राप्ति हेतु की जाती है, उसे 'अप्रत्यक्ष लागत' कहा जाता है। उदाहरणार्थ, परियोजना में कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए आवास-मुविधाएँ, आच्छी सड़कें, बच्चों की शिक्षा के लिए पाठशाला, अस्पताल इत्यादि।

भाग-2

भारत में आर्थिक नियोजन

(ECONOMIC PLANNING IN INDIA)

भारतीय नियोजन

(Indian Planning)

स्वतन्त्रता के बाद भारत में तीव्र गति से आर्थिक विकास करने के लिए नियोजन का मार्ग अपनाया गया, किन्तु यह भारत के लिए नया नहीं था। स्वतन्त्रता से पूर्व भी भारत में अनेक योजनाएँ प्रस्तुत की गईं जिनमें 'विश्वेश्वरेया योजना', 'बम्बई योजना', 'जन-योजना', 'गांधीवादी योजना', आदि के नाम उल्लेखनीय हैं, तथा पिछे ये योजनाएँ कोरों कागजी रहीं, वास्तविक नियोजन कार्य राष्ट्रीय सरकार द्वारा ही प्रारम्भ किया जा सका।

विश्वेश्वरेया योजना (Visvesvaraya Plan)

सर एम विश्वेश्वरेया एक विख्यात इन्जीनियर थे। उन्होंने आर्थिक नियोजन पर सन् 1934 में 'भारत में नियोजित व्यवस्था' (Planned Economy for India) नामक पुस्तक प्रकाशित की। इस पुस्तक में भारत के आर्थिक विकास के लिए एक दस-वर्षीय आर्थिक कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की गई जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय आय को दस वर्षों की अवधि में दुगुना करना था। 'विश्वेश्वरेया योजना' में उद्योगों को विशेष महत्व दिया गया और साथ ही व्यवसायों में सन्तुलन स्थापित करके आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने का लक्ष्य रखा गया। 1934-35 में भारतीय आर्थिक सभा (Indian Economic Conference) की वापिक बैठक में इन प्रस्तावों पर काफी विचार-विमर्श किया गया किन्तु परिस्थितियाँ प्रतिकूल होने के कारण इस योजना के आर्थिक कार्यक्रमों की क्रियान्वयन के प्रयत्न नहीं हो सके। परन्तु इस तथ्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि इस योजना ने भारत में आर्थिक-नियोजन की संदर्भिक आधार-शिला रखी तथा विचारकों को नियोजन की दिशा में चिन्तन के लिए प्रेरित किया।

आर्थिक नियोजन पर प्रारम्भिक साहित्य के रूप में कुछ मन्य कृतियाँ भी प्रकाशित हुईं जिनमें पी. एम. लोकनाथद्वारा 'नियोजन के सिद्धान्त' (Principles of Planning), एन. एस. सुभाराव की नियोजन के कुछ पहलू' (Some Aspects of Planning), और के. एन. सेन की 'आर्थिक पुनर्निर्माण' (Economic Reconstruction) विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

राष्ट्रीय आयोजन समिति (National Planning Committee)

भारत में आर्थिक नियोजन की दिशा में दूसरा कदम राष्ट्रीय आयोजन समिति की स्थापना करना था। अक्टूबर, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कॉर्प्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष श्री सुभाष चन्द्र बोस ने दिल्ली में प्रान्तीय उद्योग मन्त्रियों का सम्मेलन बुलाया। सम्मेलन में देश की आर्थिक प्रगति के लिए सुभाव प्रस्तुत किए गए। इन सुभावों को त्रियान्वित करने के लिए श्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 'राष्ट्रीय योजना समिति' का गठन किया गया। प्रो के टी शाह इसके महासचिव मनोनीत किए गए। इस योजना समिति ने विभिन्न आर्थिक विषयों का अध्ययन करके विकास योजनाएं प्रस्तुत करने के लिए वर्द्ध उप-समितियाँ नियुक्त की। किन्तु द्वितीय विश्व युद्ध तथा कॉर्प्रेस मन्त्रिमण्डली के त्याग-पत्रों के बाद की राजनीतिक हलचल के कारण समिति का बार्य रुक गया और सन् 1948 में ही 'भारत में नियोजन' पर समिति के कुछ प्रतिवेदन सामने आ सके। इन प्रतिवेदनों में ग्रीष्मोगी-वर्षण, सार्वजनिक-भेत्र के विस्तार, श्रमिकों के उचित प्रतिफल, निजी उद्योगों के राष्ट्रीयकरण, गृह-उद्योगों वे विकास, सहकारिता को प्रोत्साहन सिचाई व विद्युत सुविधाओं के विस्तार, बनों की सुरक्षा और मू-संरक्षण आदि से सम्बन्धित आर्थिक सुभाव प्रस्तुत किए गए।

बम्बई योजना (Bombay Plan)

स्वतन्त्रता से पूर्व भारत में आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में 'बम्बई योजना' एक महत्वपूर्ण प्रयत्न थी। 1944 में भारत के आठ प्रमुख उद्योगपतियो—घनशयगदास विडला, जे आर. डी टाटा, जॉन मथाई, ए. डी थोफ, कस्तुरभाई लालभाई, सर आर्देश्वीर बनाल, सर पुरुषोत्तमदास, ठाकुरदास और सर श्रीराम ने भारत के आर्थिक विकास की एक योजना प्रस्तुत की। यही योजना 'बम्बई योजना' के नाम से प्रसिद्ध है। यह पन्द्रह-वर्षीय योजना थी। इस योजना का अनुमानित व्यय 10 हजार करोड़ रुपये था। इसका लक्ष्य योजनावधि में प्रति व्यक्ति आय को दुगुना अर्थात् 65% से बढ़ाकर 130 रुपये करना और राष्ट्रीय आय को 2200 से बढ़ाकर 6600 करोड़ रुपये करके तिगुना करना था। इस योजना के अन्तर्गत 1944 के अंकों पर कृषि-प्रदा (Agriculture Output) में 130 प्रतिशत, शौश्योगिक प्रदा (Industrial Output) में 500% और सेवाओं के उत्पादन (Output of Services) में 200% वृद्धि के सक्षम निर्धारित किए गए थे।

बम्बई योजना एक प्रकार से उत्पादन योजना थी। योजना के समूर्ण व्यय का 45% भाग उद्योगों के लिए निर्धारित किया गया था। उद्योग प्रधान होते हुए भी इस योजना में कृषि के विकास पर समुचित ध्यान दिया गया था। हृषि के लिए 1240 करोड़ रुपये के व्यय का प्रावटन किया गया। कृषि-उत्पादन में 130% के वृद्धि के लक्ष्य के साथ ही सिचाई-सुविधाओं में 200% वृद्धि का लक्ष्य भी रखा गया।

कृषि एवं उद्योग के अतिरिक्त इस योजना में यातायात के विकास पर भी पर्याप्त ध्यान दिया गया। इस योजना में 453 करोड़ रुपये के व्यय से 4001 मील लम्बी रेल संरचनों को 6200 मील तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया तथा इसके अतिरिक्त 2,26,000 मील कच्ची सड़कों को पक्का बनाने, मुरुख गाँवों को महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों से जोड़ने और बन्दरगाहों की सहाया में पर्याप्त बृद्धि करने का प्रस्ताव भी था। यातायात की मद पर कुल व्यय 940 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया।

योजना की समीक्षा

इस योजना में निजी क्षेत्र को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया गया। योजना की वित्त-व्यवस्था के अनुमान भी महत्वाकांक्षी थे। गृह-उद्योगों के विकास के लिए इस योजना में निश्चित कायक्रमों का आयोजन नहीं किया गया। व्यापार-सन्तुलन से छ सौ करोड़ रुपये, पौँड पावने से 1000 करोड़ रुपये और विदेशी सहायता से 700 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त करने के अनुमान भी तदिग्धि थे। इन सब कमियों के बावजूद इस योजना ने राष्ट्रीय आर्थिक पुनर्निर्माण की दिशा में एक समन्वित प्रयास और साहसिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया।

जन योजना (People's Plan)

'वर्षदई योजना' के नीन माह बाद ही इण्डियन फंडरेशन मॉफ लेवर की ओर से श्री एम एन. राय द्वारा जन-योजना प्रकाशित की गई। यह दस-वर्षीय योजना भी जिसके लिए प्रनुमानित व्यय की राशि 15000 करोड़ रुपये निर्धारित की गई। जन-योजना का मूल उद्देश्य जनता की सत्कालीन सौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना था। इस योजना के प्रथम पांच वर्षों में कृषि पर तथा अगले 5 वर्षों में उद्योगों के विकास पर ध्येय दिया गया था। इस योजना में कृषि को सबोच्च प्राथमिकता दी गई थी। कृषि उत्पादन में बृद्धि के लिए मूर्मि में 10 करोड़ एकड़ की बृद्धि, सिचाई के साधनों में 400% की बृद्धि तथा अधिक मात्रा में अच्छे खाद और बीज के उपयोग के लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। राजकीय सामूहिक कृषि के विस्तार, मूर्मि के राष्ट्रीयकरण और राजकीय कृषि-कार्म की स्थापना के सुझाव भी इस योजना में रखे गए थे। इसके अतिरिक्त श्रीदोगिक उत्पादन में 600% की बृद्धि का लक्ष्य इस योजना में रखा गया था और निजी उद्योगों में लाभ की दर को 3% तक सीमित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था।

यातायात के अन्तर्गत इस योजना में सड़कों व रेलों की लम्बाई में क्रमशः 15% एवं 50% की बृद्धि के लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। सड़कों की लम्बाई में 45,00,000 मील और रेलमार्गों में 24,000 मील की बृद्धि करने का आयोजन था। जहाजी यातायात के विकास के लिए 155 करोड़ रु. निर्धारित किए गए थे।

जन-योजना में ग्रामीण-सेवा की आय में 300% और श्रीदोगिक क्षेत्र की आय में 200% बृद्धि का अनुमान किया गया था। सहकारी समितियों को प्रोत्साहन

वित्तीय संस्थाओं पर राज्य का नियन्त्रण, धन व व्यापार का समान वितरण, गृह-निर्माण योजना आदि कार्यक्रम भी इस योजना में सम्मिलित थे।

योजना की समीक्षा

इस योजना में कृषि को सर्वाधिक महत्व दिया गया था। कृषि की तृनता में औद्योगिक विकास की उपेक्षा की गई थी। कुगेर-उद्योगों की ओर इस योजना में व्यक्तिगत व्यापार नहीं दिया गया था, किन्तु इस योजना में प्रस्तावित कृषक वर्ग की रक्षण-प्रस्ताव तथा लाभ की भावना के नियन्त्रण सम्बन्धीय आर्थिक सुभाव स्वागत थोग्य थे।

गांधीवादी योजना (Gandhian Plan, 1944)

इस योजना के निर्माता वर्षा के गांधीवादी नेता श्रीमन्नारायण अप्रवाल थे। यह योजना एक आदर्शवादी योजना थी, जिसका निर्माण गांधीजी के सिद्धान्तों के आधार पर किया गया था। इस योजना का अनुमानित व्यय 3500 करोड़ रुपयों के विरुद्ध निर्धारित किया गया। इस योजना का मुख्य लक्ष्य ऐसे विकेन्द्रित आर्थ-निर्भर कृषि-समाज की स्थापना करना था जिसमें गृह उद्योगों के विकास पर बल दिया गया हो।

यह योजना दस वर्षीय थी। इस योजना के निए विधारित 200 करोड़ रुपयों की आवर्त्तन राशि (Recurring Amount) को सरकारी उपक्रमों तथा 3500 करोड़ रुपयों की अनावर्तक राशि (Non-Recurring Amount) को आन्तरिक मुद्रा-प्रसार और करारोपण द्वारा प्राप्त किया जाना था।

इस योजना में 175 करोड़ रुपयों के अनावर्तक और 5 करोड़ रुपयों के प्रावर्त्तक व्यय से सिचाई सुविधाओं को दुगुना करने का कार्यक्रम बनाया गया था। योजना का लक्ष्य दस वर्षों में कृषि की आय को दुगुना करना था। योजना में गृह और ग्रामीण उद्योगों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। साथ ही मुरझा, उद्योग, खाने, जल-विद्युत-शक्ति, मशीन और मशीनीय औजार, रमायन इत्यान्यिति आदि बड़े प्रोर आधारभूत उद्योगों के विकास के लिए भी कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे। इसके अतिरिक्त रेल यातायात में 25% की वृद्धि ग्रामीण-क्षेत्रों में 2,00,000 नील लम्बी अंतिरिक्त सड़कों का निर्माण तथा चिकित्सा व शिक्षा सुविधाओं में पर्याप्त विवाह कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे।

योजना की समीक्षा

इस योजना के दो पक्ष थे—एक ग्रामीण क्षेत्र वा विकास ग्रामीण जीवन के अनुसार व दूसरा नगरीय क्षेत्र जिसका विकास बड़े उद्योगों द्वारा किया जाना था। परन्तु इस प्रकार का समन्वय असम्भव था। योजना में हीनार्थ प्रबन्धन (Deficit Financing) को भी आवश्यकता से अविक क महत्व दिया गया किन्तु एक विशेषता यह थी कि इसमें भारतीय आदर्शों को समर्हिष्ट करने का प्रयत्न किया गया।

अन्य योजनाएँ (Other Plans)

सन् 1944 में भारत की तत्कालीन ड्रिटिंग सरकार ने सर आर्देशीर दलाल की अध्यक्षता में योजना विभाग स्थापित किया। इस विभाग ने अल्पकालीन ब दीर्घकालीन कई योजनाएँ तैयार की जिनको युद्ध के पश्चात् नियान्वित किया जाना था। किन्तु युद्ध की समाप्ति के बाद परिस्थितियाँ बदल गईं, अतः किसी भी योजना पर कार्य नहीं किया जा सका।

सन् 1946 में भारत की अन्तरिम सरकार ने विभिन्न विभागों द्वारा तैयार की गई परियोजनाओं पर विचार करने तथा उनके सम्बन्ध में रिपोर्ट देने के लिए एक Planning Advisory Board की स्थापना की जिसके अध्यक्ष थी के. सी. नियोगी नियुक्त हुए। मण्डल ने नियोजन के मुह्य उद्देश्यों के रूप में जनता के जीवन-स्तर को उठाने और पूर्ण रोजगार देने पर बल देने का सुभाव रखा। मण्डल ने एक प्राथमिकता बोर्ड (Priorities Board) तथा एक योजना कमीशन (Planning Commission) की स्थापना के सुभाव भी दिए।

स्वतन्त्रता के बाद नियोजन (Planning after Independence)

सन् 1947 में राजनीतिक स्वतन्त्रता ने आर्थिक और सामाजिक न्याय के लिए मार्ग प्रशस्ति किया। कृषि, सिंचाई और खनिज सम्पदा के अनदोहित साधनों और उपलब्ध साधनों का आवटन करने की ज़हरत थी। आयोजन के द्वारा सुनिश्चित राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के ढाँचे के अन्तर्गत तेज और सन्तुलित विकास सम्भव हो सकता था। नवम्बर, 1947 में अधिक भारतीय कंफ्रेंस समिति ने श्री नेहरू की अध्यक्षता में Economic Programme Committee की स्थापना की जिसने 25 जनवरी, 1948 को अपने विस्तृत सुभाव प्रस्तुत किए और यह अनुशासा दी कि एक स्थायी योजना आयोग की स्थापना की जाए।

भारत सरकार ने देश के साधनों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकास का ढाँचा तैयार करने के लिए मार्च, 1950 में योजना आयोग की नियुक्ति की। आयोग ने मोटे तौर पर भारत में नियोजन के दो उद्देश्य बतलाए—

1. उत्पादन में वृद्धि करना और जीवन-स्तर को ऊँचा उठाना।

2. स्वतन्त्रता तथा लोकतान्त्रिक मूल्यों पर आधारित ऐसी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का विकास करना जिसमें राष्ट्रीय जीवन को सभी सम्यांगों के अन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय प्राप्त हो।

आर्थिक नियोजन के लक्ष्य इस प्रकार रखे गए—

1. राष्ट्रीय आय म अधिकतम वृद्धि करना ताकि प्रति व्यक्ति औसत आय बढ़ सके।

2. तीव्र आर्थिकीकरण एवं आधारभूत उद्योगों का शोध विकास।

3. अधिकतम रोजगार।

4. आय की असमानताओं में कमी एवं घन का अधिक समान वितरण।

5. देश में समाजवादी ढंग पर आधारित समाज (Socialistic Pattern of Society) का निर्माण।

इन सभी लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए देश में पचवर्षीय योजनाओं का सूचनात हुआ। अभी तक तीन पचवर्षीय योजनाएँ (1951-52 से 1965-66), तीन एकवर्षीय योजनाएँ (1966 से 1969) तथा चतुर्वें पचवर्षीय योजना (प्रब्रेल, 1969 से मार्च, 1974) समाप्त हो चुकी हैं और 1 अप्रैल, 1974 से चालू की गई पांचवीं पचवर्षीय योजना के तीन वर्ष बीत चुके हैं।

प्रथम तीन पचवर्षीय योजनाएँ¹

(First Three Five Year Plans)

उद्देश्य (Objectives)—प्रथम पचवर्षीय योजना (1951-52 से 1955-56) के दो उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य युद्ध और देश के विभाजन के कारण उत्तर आर्थिक प्रसन्नतुलन को ठीक करना था। दूसरा उद्देश्य था, साथ ही साथ सर्वांगीण, सन्तुलित विकास की प्रक्रिया शुरू करना जिससे निश्चित रूप से राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो और जीवन-स्तर में सुधार हो। 1951 में देश को 47 लाख टन साधान आयात करना पड़ा था और अर्थ व्यवस्था पर मुद्रा स्फीति का प्रभाव था। इसलिए योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता सिचाई और बिजली परियोजना सहित कृषि को दी गई और इनके विकास के लिए सरकारी क्षेत्र के 2,069 करोड़ रु के कुल परिवय (जो बाद में बढ़ाकर 2,356 करोड़ रु कर दिया गया) का 44·6 रखा गया। इस योजना का उद्देश्य निवेश को राष्ट्रीय आय के 5% से बढ़ाकर लगभग 7% करना था।

दिसंबर, 1954 में लोकसभा ने घोषित किया कि आर्थिक नीति का व्यापक उद्देश्य 'समाज के समाजवादी ढाँचे' की प्राप्ति होना चाहिए। समाज के समाजवादी ढाँचे के अन्तर्गत प्रगति की रूपरेखा निर्धारित करने की आधारभूत कसीटी निजी मुनाफा नहीं, बल्कि सामाजिक लाभ और आय तथा सम्पत्ति का समान वितरण होना चाहिए। इस धात पर बल दिया गया कि समाजवादी अर्थ-व्यवस्था, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के प्रति कुशल तथा प्रगतिशील हृषि अपनाए और उस स्तर तक कमिक्स प्रगति के लिए सधार्ह हो कि आम जनता खुशहाल हो सके।

द्वितीय योजना (1956-57 से 1960-61) में भारत में समाजवादी समाज की स्थापना की दिशा में विकास-ढाँचे को प्रोत्साहित बनाने के प्रयत्न दिए गए। इस योजना में विशेष बल इस बात पर दिया गया कि आर्थिक विकास के अधिकाधिक लाभ समाज के अनेकान्त वाम साधन-प्राप्त वर्गों को मिले और आय, सम्पत्ति और आर्थिक शक्ति को चन्द्र हाथों में सिमटने की प्रवृत्ति में लगातार बढ़ी हो। इस योजना के उद्देश्य थे—(1) राष्ट्रीय आय में 25% वृद्धि, (2) आधारभूत

और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष बल देते हुए हूत औद्योगीकरण, (3) रोजगार के प्रवसरों में वृद्धि और (4) आय और सम्पत्ति की विपरीताओं में कमी तथा आधिक शक्ति का और अधिक समान वितरण। इस योजना का उद्देश्य निवेश-दर परों राष्ट्रीय आय के लगभग 7% से बढ़ा कर 1960-61 तक 11% करना था। योजना में औद्योगीकरण पर विशेष बल दिया गया। लोहे तथा इस्पात और नाइट्रोजन उत्तरको सहित रसायनों के उत्पादन में वृद्धि और भारी इन्जीनियरी तथा मशीन निर्माण उद्योग के विकास पर जोर दिया गया। योजना में सरकारी क्षेत्र का कुल परिव्यय 4,800 करोड़ रु. था। इसमें से 3,650 करोड़ रु. निवेश के लिए था और निजी क्षेत्र का परिव्यय 3,100 करोड़ रु. था।

तीसरी पंचवर्षीय योजना (1961-62 से 1965-66) शुरू हुई जिसका मुख्य उद्देश्य स्वयं-स्कूल विकास की दिशा में निश्चित रूप से बढ़ना था। इसके तात्कालिक उद्देश्य ये थे—(1) राष्ट्रीय आय में 5% वापिक से अधिक वीं वृद्धि करना और साथ ही ऐसा निवेश ढाँचा तैयार करना कि यह वृद्धि-दर आगामी योजना अवधियों में बढ़ी रहे, (2) खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और कृषि-उत्पादन बढ़ाना जिससे उद्योग तथा नियति की ज़रूरतें पूरी हो नके, (3) इस्पात, रसायनों, इंजन और बिजली जैसे आधारभूत उद्योगों का विस्तार करना और मशीन निर्माण-समता स्थापित करना ताकि आगामी लगभग 12 वर्षों में औद्योगीकरण की भावी मांगों को मुख्यतः देश के अपने साधनों से पूरा किया जा सके, (4) देश की जन-शक्ति के माध्यन्तों का अधिक्तम उपयोग करना और रोजगार के अवसरों का पर्याप्त विस्तार करना, और (5) उत्तरोत्तर अवसरों की समानता में वृद्धि करना और आय तथा सम्पत्ति वीं विपरीताओं वो कम करना और आधिक शक्ति का और अधिक समान वितरण करना। राष्ट्रीय आय में लगभग 30 प्रतिशत वृद्धि कर के 1960-61 में 14,500 करोड़ रु. से बढ़ाकर (1960-61 के भूलो पर) 1965-66 में 19,000 करोड़ रु. करना और प्रति वर्षता आय में लगभग 17% वृद्धि कर के 330 रु. के बजाय इस अवधि के दौरान लगभग 385 रु. करना।

परिव्यय और निवेश (Outlay and Investment)—पहली योजना में, सरकारी क्षेत्र में 2,356 करोड़ रु. के सांशोधित परिव्यय के मुकाबले व्यय 1960 करोड़ रु. हुआ। दूसरी योजना में, सरकारी क्षेत्र में 4,800 करोड़ रु. की व्यवस्था के मुकाबले वास्तविक खर्च 4,672 करोड़ रु. रहा जबकि निजी क्षेत्र में 3,100 करोड़ रु. का विनियोग हुआ। तीसरी योजना में सरकारी क्षेत्र के लिए 7,500 करोड़ रु. के परिव्यय का प्रावधान था। इसके मुकाबले सरकारी क्षेत्र में वास्तविक खर्च 8,577 करोड़ रु. रहा। निजी क्षेत्र में 4,000 करोड़ रु. से अधिक का विनियोजन हुआ।

तीनों योजनाओं में उपलब्धियाँ (Achievements During the Three Plans)—पन्द्रह वर्षों के आयोजन से, समय-समय पर आधारों के बावजूद अर्थ-व्यवस्था में सर्वांगीण प्रगति हुई। आधारभूत सुविधाएँ जैसे सिचाई, बिजली और

परिवहन में काफी विस्तार हुआ और छोटे बड़े उद्योगों के लिए भविष्यत्व खनिज भण्डार स्थापित किए गए।

पहली योजना में मुख्यतः कृषि उत्पादन में बढ़ोत्तरी से, राष्ट्रीय आय में निर्धारित लक्ष्य 12 / से अधिक यानी 18 / वृद्धि हुई। दूसरी योजना में राष्ट्रीय आय में 25 / के निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 20 / वृद्धि हुई और तीसरी योजना में राष्ट्रीय आय (सशोधित) 1960-61 के मूल्यों पर पहले चार वर्षों में 20% बढ़ी और अन्तिम वर्ष में इसमें 5.7% की कमी आई। जनप्रथा में 25 / की वृद्धि के कारण 1965-66 में प्रति व्यक्ति वाधिक आय वही रही जो 1960-61 में थी।

पहली दो योजनाओं में कृषि-उत्पादन लगभग 41 / बढ़ा। तीसरी योजना में कृषि उत्पादन सन्तोषजनक नहीं था। 1965-66 और 1966-67 में सूखा पड़ा और कृषि-उत्पादन तेजी से गिरा। इससे अर्थ-अवस्था की विकास दर में ही कमी नहीं आई, बल्कि खाद्यान्नों के आयात पर भी हमारी निर्भरता बढ़ी। तीसरी योजना में देश ने 250 लाख टन खाद्यान्नों का आयात किया। हमें कपास की 39 लाख और पटसन की 15 लाख गाँठें भी आयात करनी पड़ी।

पहली दो योजनाओं में सगठित निर्माण उद्योगों में शुद्ध उत्पादन लगभग दुगुना हुआ। इसमें सरकारी क्षेत्र के उद्योगों का योग, जो पहली योजना के शुरू में 15 प्रतिशत था, दूसरी योजना के अन्त तक बढ़ कर 84 प्रतिशत हो गया। यह वृद्धि अधिकतर इस्तात, कोपला, खान, भारी रक्षायन जैसे आधारभूत उद्योगों में हुई। तीसरी योजना के पहले चार वर्षों में सगठित उद्योग का उत्पादन 810 प्रतिशत वाधिक बढ़ा। लेकिन योजना के अन्तिम वर्ष में भारत-पाकिस्तान युद्ध से हुई गडबड़ी और बिदेशी सहायता में आई बाधाओं के कारण वृद्धि दर घट कर 53 प्रतिशत रह गई। कुल मिलाकर तीपरी योजना में सगठित उद्योगों की वृद्धि-दर 11 प्रतिशत के लक्ष्य के मुकाबले 82 प्रतिशत रही लेकिन इस काल में एक उल्लेखनीय बात उत्पादन-नमता में वृद्धि तथा विविधन रही। यह बात प्रमुख रूप से इस्तात और अल्यूमीनियम, मशीनी औजार, ग्रोवरिंग गशीरों विजली और परिवहन उपकरण, उर्वरको, औपच, औषधि और पेट्रोलियम के उत्पादन में हुई। इन सब ने ग्रोवरिंग ढांचे को सुब्द बनाने में योग दिया।

आयोजन के इन वर्षों में स्वास्थ्य और शैक्षणिक सुविधाओं का उल्लेखनीय विस्तार हुआ। 1950-51 में जन्म पर अपेक्षित आयु 35 वर्ष थी जो 1971 में 50 वर्ष हो गई। रक्तों में प्रवेश की संख्या 1950-51 में 235 लाख थी जो 1965-66 तक बढ़कर 663 लाख हो गई। अनुरूपत जातियों और अनुसूचित जन जातियों की दशा सुधारने के लिए विशेष कार्यक्रम बनाए गए जिनसे उन्हें अनेक लाभ मिले और उनकी दशा बेहतर हुई।

तीन वार्षिक योजनाएं (Three Annual Plans)

तीसरी योजना के बाद तीन एक वर्षीय योजनाएं (1966-69) कार्यान्वित की गईं। भारत-पाकिस्तान युद्ध से उत्पन्न स्थिति, दो वर्षों के लापातार भीषण सूखे,

मुद्रा अवस्थायन, भूर्यों में वृद्धि और योजना के लिए उपनब्ध साधनों में कमी के कारण से चौथी योजना को अनितम रूप देने में बाधा पड़ी। इस दौरान चौथी योजना के मस्तिष्कों को ध्यान में रखने हुए तीन एकवर्षीय योजनाएँ बनाई गईं। इनमें तत्कालीन परिस्थितियों का ध्यान रखा गया। इस अवधि में अर्थ व्यवस्था की स्थिति और योजना के लिए वित्तीय साधनों की कमी से विकास व्यवहार कम रहा।

वार्षिक योजनाओं में विकास की मुख्य मद्दों का व्यवहार इस प्रकार रहा (करोड़ रुपए) कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र 1,166.6, सिवाई और बाढ़-नियन्त्रण 457.1, बिजली 1,182.2, ग्राम और लघु उद्योग 144.1, उद्योग और खनिज 157.0, परिवहन और सचार 1,239.1, शिक्षा 322.4, वैज्ञानिक प्रनुसन्धान 51.1, स्वास्थ्य 140.1, परिवार नियोजन 75.2, पानी की सप्लाई और सफाई 100.6, आवास शहरी और क्षेत्रीय विकास 63.4 पिछड़ी जातियों का कल्याण 68.5, समाज कल्याण 12.1, थम कल्याण और कारीगरों का प्रशिक्षण 32.5 और अन्य कार्यक्रम 123.5। तीन वार्षिक योजनाओं का कुल व्यवहार 6,756.5 करोड़ रुपये रहा।

चौथी और पांचवीं पचवर्षीय योजनाएँ

(Fourth and Fifth Five Year Plans)

चौथी पचवर्षीय योजना अप्रैल, 1969 से शुरू होकर मार्च 1974 तक रही और तत्परता 1 अप्रैल, 1974 से पांचवीं पचवर्षीय योजना चालू की गई जिसके तीन वर्ष पूरे होने को हैं। इन दोनों ही योजनाओं का विस्तृत विवेचन अगले अध्याय में किया गया है।

भारत में नियोजन : समाजवादी समाज का आदर्श

(Planning in India Ideal of Socialistic

Pattern of Society)

नियोजन का अभिप्राय एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण है जिसमें व्यक्ति तथा समाज के लिए सुरक्षा, स्वतन्त्रता और अवकाश के लिए स्थान हो—जिसमें व्यक्ति को उत्पादक दृष्टि से, नागरिक की दृष्टि से और उम्मोद्देश की दृष्टि से समुचित सम्बोध मिले। स्वतन्त्रता के पश्चात् राष्ट्रीय सरकार के लिए अनिवार्य हो गया कि एक निश्चित जीवन-स्तर, पूर्ण रोजगार, आय का समान वितरण आदि की व्यवस्था करके देशवासियों को सुरक्षा प्रदान की जाए। यह तभी सम्भव था जब उत्पादन के मुख्य साधनों पर समाज का अधिकार हो, उत्पादन की गति नियन्त्रित विकासमान हो और राष्ट्रीय आय का उचित वितरण हो। अत देश की भावी नीति को और देश के आर्थिक नियोजन को इन्हीं लक्ष्यों की पूर्ति के हेतु आवश्यक मोड़ देने का निश्चय किया गया। ऐसे उपाय खोजे जाने लगे जिनसे अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण हो सके। 1947 में दिल्ली कांग्रेस की बैठक में पारित प्रस्ताव में कहा गया था—“हमारा उद्देश्य एक ऐसे आर्थिक कलेवर का नव निर्माण और विकास होना चाहिए जिसमें धन के एक ही दिशा में एकत्र होने की प्रवृत्ति के बिना अधिकतम

उत्पादन किया जा सके, जिसमें नागरिक एवं ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में उचित सामृद्धस्य हो।” 1954 के अजमेर अधिवेशन में स्वर्णीय नेहरू ने कहा था कि बर्तगान भारत की समाजवादी व्यवस्था वस्तुत गौधीवादी समाज प्रीर विकासात्मक व्यवस्था के समन्वय का नया रूप है और देश के आधिक पुनर्निर्माण तथा देश में समाजवादी समाज की स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि शीघ्रातिशीघ्र आय के असमान वितरण को दूर किया जाए, प्राप्त साधनों वा विदोहन किया जाए, पूँजी को बाहर निकाला जाए, वेरोजगारी की समस्या को हल किया जाए तथा देश का तौन्न गति से आर्थिक विकास किया जाए। 1954 में ही लोक सभा में पारित प्रस्ताव में कहा गया कि जन-समुदाय के भौतिक कल्याण से ही देश की उन्नति अम्भव नहीं है, इसके लिए सामाजिक व्यवस्था में संस्थागत (Institutional) परिवर्तन करने होंगे। तत्पश्चात् 22 जनवरी, 1955 को ग्रामीण अधिवेशन में आधिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ जिसमें ऐसे समाज की स्थापना पर बल दिया गया जो समाजवादी समाज के निर्माण में सहायक हो। उपर्युक्त प्रस्ताव में समाजवादी समाज के इन भौतिक सिद्धान्तों को ध्यान में रखा गया—

(1) पूर्ण रोजगार, (2) राष्ट्रीय धन का अधिकृतम उत्पादन, (3) अधिकृतम राष्ट्रीय आत्मनिभरता, (4) सामाजिक एवं आधिक न्याय, (5) ज्ञानितपूर्ण अहिंसात्मक और लोकतान्त्रिक तरीकों पर प्रयोग, (6) ग्राम पञ्चायतों पर समितियों की स्थापना, एवं (7) व्यक्ति की सर्वोच्चता एवं उसकी आवश्यकताओं को अधिकृतम प्रायविक्ता।

समाजवादी समाज के इन सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण अधिवेशन में समाज की स्थापना के लिए ये लक्ष्य रखे गए—(1) जन साधारण के जीवन-स्तर में बढ़ि, (2) उत्पादन स्तर में बढ़ि, (3) दस वर्ष में पूर्ण रोजगार की व्यवस्था, (4) राष्ट्रीय धन का समान वितरण, एवं (5) व्यक्ति तथा समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति आदि। योजना आयोग द्वारा इन सिद्धान्तों वा समर्थन किया गया और इस प्रकार की व्यवस्थाएँ की गईं जो समाजवादी समाज की आधारशिला बन सकें। द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना का मूल आधार समाजवादी समाज का निर्माण रखा गया और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए दृतीय पञ्चवर्षीय योजना की रूपरेखा के मुहूर्य निर्माता विद्यात अर्यंशास्त्री महालनोबिस ने निम्नलिखित प्राठ उद्देश्यों पर विशेष बल दिया—

- (1) सावजनिक क्षेत्र के महत्व और उसकी सीमा को विस्तृत करना।
- (2) आधिक सुदृढ़ता के लिए आधारभूत उद्योगों का विकास।
- (3) गृह उद्योगों एवं हस्तकला वस्तुओं का अधिकृतम उत्पादन।
- (4) भूमि सुधारों की गति में तेजी एवं भूमि का समान वितरण।
- (5) छोटे उद्योगों का बड़े उद्योगों से रक्षण बरना और उन्हें पूरक बनाना।
- (6) जन-साधारण के लिए आशास, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा सेवाओं का विस्तार।

(7) वेरोजगारी समस्या की दस वर्षों में समाप्ति ।

(8) इन प्रवृत्ति में राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि तथा राष्ट्रीय आय का समान व उचित वितरण ।

1973-74 तक नियोजन और समाजवादी आदर्श की प्राप्ति का मूल्यांकन

स्पष्ट है कि भारत में नियोजन का आधार समाजवादी समाज का निर्माण रहा और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए नियोजन में विभिन्न कदम उठाए गए । प्रगति भी हुई, राष्ट्रीय आय बढ़ी जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट है—

आर्थिक प्रगति आँकड़ों में¹

	1960-61	1965-66	1973-74
राष्ट्रीय आय .			
शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन वर्तमान मूल्यों पर	13,300 करोड रु.	20,600 करोड रु.	49,300 करोड रु.
स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्यों पर	13,300 करोड रु.	15,100 करोड रु.	19,700 करोड रु.
स्थिर मूल्यों पर वर्तमान मूल्यों पर	306 रु.	426 रु.	850 रु.
बोर्डोगिक उत्पादन का सूचक (1960=100)	100 रु	154 रु.	201 रु.
भूगतान सञ्चालन विदेशी मुद्रा रोप	304 करोड रु.	298 करोड रु.	947 करोड रु.
विदेश व्यापार			
निर्यात	660 करोड रु.	810 करोड रु.	2,483 करोड रु.
आयात	1,140 करोड रु	1,394 करोड रु	2,921 करोड रु.

लेकिन नियोजन की वास्तविक उपलब्धियों को समाजवादी समाज के दर्पण में देखने पर अधिकांशत निराशा ही हाय लगी । इसमें सन्देह नहीं कि सरकार ने समाजवादी समाज की स्थापना के लिए प्रयत्न किए और योजनाओं को इस दिशा में मोड़ने तथा यति देने के लिए विनियन कदम उठाए, लेकिन विभिन्न कारणों से इसमें अपेक्षित सफलता न मिल सकी । व्यवहार में समाजवादी तत्वों को बोई प्रोत्साहन नहीं मिल पाया और न ही आय तथा सम्पत्ति का कोई उचित वितरण हो सका । चार पचवर्षीय योजनाओं, तीन एक वर्षीय योजनाओं और पांचवीं योजना के प्रारम्भिक छेड़ वर्ष के सम्पन्न होने के बाद भी यह देखकर सभी क्षेत्रों में निराशा छाई रही कि आय और घन वी असमानताओं में भारी वृद्धि हुई है तथा राष्ट्रीय आय का अविकांश भाग उद्योगपतियों और पूँजीपतियों को मिला है । यद्यपि निम्न वर्गों के रहन-सहन के स्तर में कुछ सुधार अवश्य हुआ है, लेकिन तुलनात्मक रूप से

1. भारत सरकार - सकलता के इस वर्ष (1966-1975), पृष्ठ 47-53.

यह निराशाजनक है और असमानताप्रो की खाई पहले से बढ़ी है। समाजवाद लाने की आशा जाने वाले अनेक सरकारी संस्थानों में भी पूँजीपतियों का प्रभुत्व छाया हुआ है। देश में न तो समाजवादी मनोवृत्ति ही जाग्रत हुई है और न व्यक्ति को आधिक सुरक्षा ही प्राप्त हो सकी है। पूर्ण रोजगार की बात तो दूर रही, बेरोजगारों की फौज निरन्तर बढ़नी जा रही है जिसका सम्पूर्ण राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। देश की श्रम-जक्ति को सदृप्योग न हो पाने से और बड़ी मात्रा में उसके अर्थ पड़े रहने से राष्ट्र को कितनी आधिक, सामाजिक और नीतिक हानि होती है इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र के विकास द्वारा निजी-शेयर पर कुछ रोक अवश्य लभी है, लेकिन आधिक सत्ता के केन्द्रीयकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। शेयरीय असमानताएँ भी बहुत कुछ यथापूर्व बनी हुई हैं और एकाधिकारी शक्तियों से बुद्धि हो रही है।

वस्तुत, समाजवाद की कल्पना कोरे भागजो पर ही हुई। देश में जिस दर से महोगाई बढ़ी, वस्तुप्रो के भाव आकाश दूने लगे और साधारण जनता जीवन-निर्वाह की आवश्यक वस्तुप्रो में भी जितने कष्ट का अनुभव करने लगी, उससे समाजवादी समाज का निर्माण कोसो दूर दिखाई देता था। मूल्य-वृद्धि का सामना करने के लिए सबसे सरल उपाय कर्मचारियों के बेतन में वृद्धि और तदनुसार घाटे की अर्थव्यवस्था समझा जाता रहा है। लेकिन इससे स्वभावत मुद्रा-प्रसार होता है और मुद्रा-प्रसार से हमें पुन मूल्य-वृद्धि के भवर म फँसना पड़ता है। फलस्वरूप हमारे गरीबी के बढ़ और अधिक बढ़ जाते हैं। इसीलिए शहरों में पाए जाने वाला गरीब-अमीर का अन्तर गरीबों में भी काफी गहरा होता गया। जैसा कि योगेशचन्द्र शर्मा ने 22 अप्रैल, 1973 के योजना-प्रक्र में प्रकाशित एक लेख में लिखा—“गांधी में एक और तो बड़े-बड़े भू-पति है, जिनके पास स्वयं अपने नाम पर या रितेदारों के नाम पर दूर-दूर तक फैली हुई कृषि-मूमि है और दूसरी और ऐसे किसान हैं जिनके पास केवल एक या दो बीघा जमीन है। बड़े भू-पतियों में या तो शहर के पूँजीपति और पुराने जमीदार हैं अथवा ऐसे राजनीतिक नेता हैं जिन्होंने अपने प्रभाव से काफी जमीन अपने पास बटोर ली है। ये भू-पति निश्चित रूप से मूल्य-वृद्धि से काफी साभान्वित हुए हैं और बड़ी हुई राष्ट्रीय आय को दोनों हाथों से बटोर रहे हैं। दूसरी ओर किसान हैं जो इस स्थिति में भी नहीं हैं कि पेंदा हुई फसल को कुछ समय तक रोक कर अपने पास रख लें। उन्हें तो तत्काल अपनी फसल को बाजार में ले जाकर बेचता पड़ता है, ताकि अपने लिए आवश्यकता की वस्तुएँ जुटा सकें।”

योजनाओं के बाइडो से पता चलता है कि भूमि का वितरण भी उचित रूप से नहीं हुआ। उपर्युक्त लेख के अनुसार “देश भर में जुलाई, 1972 तक लगभग 24 लाख एकड़ भूमि पर सरकार ने कब्जा किया, जिसमें लगभग आधा भाग ही वितरित किया जा सका।” यार्थ रूप में कृषि-मजदूरी और पट्टेदारों की सह्या में भी सन्तोप्त्रद कमी नहीं आई। ग्रामीण जीवन पर सहकारी सिद्धांत का प्रभाव अद्वार में निराशाजनक रहा। गरीबों में जो भूमिहीन व्यक्ति हैं, उन्हें रोजगार देने

के लिए बहुत कम सोचा गया तथा उसके व्यावहारिक स्वरूप को और भी कम महत्व दिया गया। न्यूनतम जीवन-स्तर की कल्पना कागजी ही अधिक रही। डॉ राव ने ठीक दी विचार प्रक्रिया कि ‘यदि समाजवाद के प्रश्न पर सरकारी हाई से विचार किया जाए अथवा केवल आंकड़ों की हाई से देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि इस दिशा में काफी प्रगति हुई है। लेकिन वास्तविकता यह है कि जिनी उम्मीद थीं उतनी भी आर्थिक उन्नति नहीं हुई है।’’‘देश में समाजवादी मनोवृत्ति एवं प्रवृत्ति का स्पष्ट रूप कही देखने को नहीं मिलता और न इस प्रकार की प्रवृत्ति पैदा करने की दिशा में कोई कार्यवाही की जा रही है। इसके विपरीत पूर्णवादी मनोवृत्ति एवं प्रवृत्ति दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और सरकारी नीति तथा कार्यक्रम भी इनका उत्साह भग करने में सफल नहीं हो पाए हैं।’’ डॉ राव का यह विचार निश्चय ही सारपूरण था कि “समाजवादी समाज के लिए आयोजन व्यूह रचना और तकनीक में मूल तत्व का अभाव रहा है। मूल तत्व ये हैं कि हमजन-साधारण में आस्था पैदा करने और जन-सहयोग प्राप्त करने में सफल नहीं हो रहे हैं।”

भारत में समाजवादी समाज की दिशा में नियोजन की सफलता का मूल्यांकन देश में व्याप्त ‘गरीबी’ के आधार पर किया जाना चाहिए और इस क्षीटी पर नियोजन एकदम फीका सिद्ध हुआ। ऐसे एच. पिट्टे ने 7 मार्च, 1973 के योजना-अक्ष में प्रकाशित अपने एक लेख में ठीक ही लिखा कि “गरीबी के स्तर को मापने का सरल निर्देशांक यही हो सकता है कि कुल उपभोक्ता व्ययों का बैंटवारा प्रमुख भागों में किया जाए, जैसे भ्रम, इधन, कपड़ा, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरक्षण आदि। भारत में इनमें से भोजन पर सर्वाधिक व्यय होता है। अनुमान है कि भारत में उपभोक्ता के कुल व्यय का 70 से 80 प्रतिशत तक भाव भोजन पर व्यय होता है।” प्रो दाण्डेकर ने भारत में गरीबी का जो विद्वापूरण अध्ययन किया उससे भी यह स्पष्ट है कि पिछले दशक के आर्थिक विकास का अधिकतम लाभ ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही क्षेत्रों में उच्च, मध्यम श्रेणी तथा अमीर वर्ग को ही हुआ और गरीब वर्ग इससे कुछ भी लाभान्वित नहीं हो सका, बल्कि उसके उपभोग में मिरावट हुई। इस अध्ययन का स्पष्ट एवं तार्किक निष्कर्ष यह निकलता है कि 1973-74 तक आय की असमानता में और बूढ़ि होकर अमीर तथा गरीब के बीच की खाई और भी विस्तीर्ण हो गई।

1974 से अगस्त 1976 तक का मूल्यांकन

आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगतियों के बावजूद दुर्भाग्यवश हम समाजवादी समाज की स्थापना के उद्देश्य में असफल रहे। लेकिन राष्ट्र ने बड़े सोच विचार के बाद एक ऐसे उद्देश्य को पकड़ा है जिसकी पूति को असम्भव नहीं माना जा सकता। वास्तव में सबसे बड़ी कमी सरकार के हृषि निश्चय की रही। सरकार द्वारा दी गई सुविधायों को उन सभी तत्त्वों ने सरकार की कमज़ोरी समझा जो सभी स्तरों पर आर्थिक अव्यवस्था लाना चाहते थे और सम्भवत उनकी यह भावना ही राजनीतिक

क्षेत्र में व्याप्ति नियन्त्रणीयता का प्रतिबिम्ब था। यह स्थिति दैदा हो गई कि देश की हितरता को कमज़ोर किया जान लगा, देश के कई भागों में हिमा का वातावरण फैलाया गया, हितरता और प्रगति के विरोधी राजनीतिक तत्त्वों ने अस्त चर्चता और साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़काया। जब यह स्पष्ट हो गया कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिता एवं प्रगति खतरे में पड़ गई हैं तो सरकार ने 26 जून, 1975 को राष्ट्रीय आपान् स्थिति की घोषणा की जो अभी वर्तमान 1976 तक जारी है और निकट नविधि में जब तक कि राष्ट्र एकदम मुख्यविहित नहीं हो जाना, इसके समाप्त हानि की सम्भावना नहीं दिखाई देती। इस आपान् स्थिति ने तोड़फोड़ और हिमा की प्रवृत्तियों की रोकथाम कर दी और अनुग्रासन का एक नया वातावरण पेंदा किया है जो भारत के विकास के लिए विशाल सम्भावनाओं को फिर से सही दिग्गज प्रदान करने के लिए और समाजिक तथा आर्थिक स्थायि के ढाँचे में तेजी से बृद्धि के कायक्कम को लागू करने के लिए आवश्यक है।

वास्तव में 1974 के मध्य से ही सरकार समाजवादी समाज के घोषित लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में विशेष रूप से सक्रिय हो गई। इन्दिरा सरकार द्वारा बैंकों के राष्ट्रीयकरण ने सरकार के इरादों को पहले ही साटू कर दिया था, 1974 के मध्य मुद्रा स्टीनि को गोकर्णे के लिए कुछ कठोर कदम उठाए गए (अनिवार्य जमा योजना लागू करना आदि)। इसी प्रकार जुनाई 1974 में ही सभी बैंकों के सबसे बड़े खानों पर रिजर्व बैंकों के कठार निगरानी सम्बन्धी आदेश लागू किए गए। सबसे महत्वर्ण बात यह रही कि पांचवीं पञ्चवर्षीय योजना को समाजवादी लक्ष्य की दिशा में यारंदाजी बनाने का प्रयास किया गया। पांचवीं योजना जित लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहती है वे इस प्रकार है—

1. एक ऐसा विकास कायंकम, जिसके द्वारा विद्वेत तथा शोपित समुदायों को अपनी सामूहिक व्यवस्था के अनुपार पूरा बढ़ने का उपयुक्त अवसर मिले और वे भी सबके कल्याण के लिए विए जा रहे कार्यों में हाथ बैठा सकें।

2. एक इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना जिसमें प्रत्येक वयस्क नागरिक को उसके योग्यतानुसार पूरा रोजगार प्राप्त हो सके और वह राष्ट्र की प्रगति में सहयोग दे सके।

3. उन उपायों की एक ऐसी व्यवस्था तैयार करना जिसके द्वारा अमीर-गरीब के बीच की स्थाइ को कुश समाप्त किया जा सके।

4. एक ऐसी जीवन धारा का निर्माण राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक समानता अरंभरूप और वास्तविक रूप में रहे।

समाजवादी समाज की स्थापना के लक्ष्य की प्रगति के लिए सरकार को प्रत्येक नीति का परिवार करना होगा और अपनी नीतियों को कठोरतापूर्वक अपनीजामा पहिनाना होगा। नीति निर्माण का उद्देश्य तब विफल हो जाता है जब उस नीति का समुचित ढार में किरण नहीं हो पाता। सरकार से अपेक्षित है कि—

1. वित्तसिनाओं पर भारी कर गमाया जाए। जब हम आर्थिक स्थिति

प्राप्त करने और एक न्यायोचित समाज का निर्माण करने के लिए प्रयत्नशील हैं तो यह प्रतुचिन है कि समाज का एक विशेष वय प्रदर्शन उपभोग में व्यस्त रहे। न्याय-सिद्धान्त का तकाजा है कि समाज का जो ध्यक्ति जितना अधिक कमाता है वह आनुगतिक रूप से सामाजिक जिम्मेदारियों का भी उत्तना ही अधिक भार वहन करे और अधिक कर देते समय कोई अमन्त्रोप महसूम न करे।

2 सरकार कटिबद्ध होकर उत्तादन के सभी साधनों भूमि श्रम पूँजी साहूप और माठन को एकत्र करके राष्ट्रीय आय में तीव्र वृद्धि के लिए प्रयत्नशील हो और राष्ट्रीय आय का उचित वितरण कर आय की प्रसमानता कम करने के लिए युद्ध स्तरीय ठोस कदम उठाए।

3 खाद्यान्न उत्तादन में तेजी से अधिकाधिक वृद्धि के लिए ठोम और युद्ध-स्तरीय कदम उठाए जाएं। मिवर्ड खाद्य जोन आदि के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराए जाएं। नहरों बांधों कुपों आदि का बड़ी सल्ला में निर्माण कर मौसम पर निर्भर रहने की प्रवृत्ति को तुकराया जाए।

4 प्रौद्योगिक विकास तीव्र गति से हो तथा कुछ समय के लिए पूँजी का नियन्ति व इ करके उससे अपने ही देश में अौद्योगिक विकास किया जाए।

5 धाटे की प्रथं-वस्था और मुद्रा प्रसार की प्रवृत्ति पर अकुश लगाया जाए।

6 काले धन को दाहर निकानने के लिए कठोर वैधानिक कदम उठाए जाएं।

7 सम्पन्न कियानों की आय पर ऊँची दर से करारोपण किया जाए और ग्राम आय से ग्रामीण क्षेत्रों में नए गोजगार पैदा किए जाएं।

8 देश के बड़े बड़े पूँजीतियों और उद्योगपतियों पर बेरोजगारी टैक्स लगा कर उत्त धन से वे गोजगार व्यक्तियों को समुचित आधिक सहायता दी जाए।

9 हड्डालों आदि पर कुछ वपों के लिए कठोरतापूर्वक रोक लगाकर देश के उत्तादन को बढ़ाया जाए और श्रम शक्ति का पूरा पूरा उपयोग किया जाए। यदि आवश्यक हो तो इसके लिए सविधान में भी संशोधन किया जाए।

10 उद्यागों के राष्ट्रीयकरण से सरकार नए उत्तरदायित्वों से घिर गई है। सरकार इन उत्तरदायित्वों को कुशनापूर्वक निभाए और सावजनिक क्षेत्र की कायदामना पर लोगों को संदेह न होने दे। आधुनिक प्रदर्श को प्रभावशाली बनाने के लिए सभी स्तरों पर सार्वजनिक अनुशासन का पूरा ध्यान रखा जाए। यह भली प्रकार समझ लिया जाए कि यदि जन जीवन में सामन्तशाही विशेषता घर करने लगेगी तो समाजवादी समाज की स्थापना के लिए आवश्यक सामाजिक परिवर्तन के अस्तित्व का अधार ही समाप्त हो जाएगा।

11 सरकार लघु योनाओं और कार्यकमों का जाल बिछाए ताकि बेकार पड़ी श्रम शक्ति का उत्तरों किया जा सके। बेरोजगारी को दूर करने के प्रत्येक सम्भव उपाय किए जाएं।

12 साम विक्र सेवाओं का तेजी से विस्तार किया जाए पर इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए कि साधारण जनता और पिछड़े वर्गों को उनकों

समुचित लान मिल सके। वस्तुओं के उत्पादन और उचित वितरण, दोनों पर प्रभावशाली टग से ध्यान दिया जाए।

13. वैह राष्ट्रीयवरण के प्रसग में जो कमियाँ घर कर गई हैं उनका याश्चित्र निराकरण किया जाए। प्रशासनिक व्यय को घटाया जाए। जो 'नए जमीदार और जागीरदार' बन हैं, जो 'नए-नए राजा-महाराजा' पनप गए हैं—उनकी आकस्मिक समृद्धि का पूरा लेका-जोका लिया जाए और सामाजिक-आर्थिक विप्रवासी को खाड़ कम करन की दिशा म महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएं। उच्च पदाधिकारियों की बतन वृद्धि की प्रवृत्ति पर अकृश लगाया जाए और छोटे राजा कर्मचारियों की बैनन-वृद्धि पर इस बर में ध्यान दिया जाए कि उससे मूल-वृद्धि को प्रोत्पादन न मिले। इस दिशा में सक्रिय रूप से विचार किया जाए कि न्यूनतम बैनन लगभग 250 रुपए हो और प्रवित्ततम बैनन लगभग 2000 रुपए से अधिक न हो। रेलों म प्रवर्म एवं द्वितीय श्रेणी समाप्त कर दी जाए।

यदि इन सभी और इसी प्रकार के अन्य उपायों पर प्रभावी रूप में अमल किया जाए तो इनम सन्देह नहीं हैं कि हम नियोजन के माध्यम से समाजवादी समाज की स्थापना के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ सकेंगे। इस लक्ष्य की पूर्ति की दिशा म 2 जुलाई, 1975 को 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा की गई जिसने देश का ध्यान राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास के अवूरे कार्य पर केन्द्रित किया और जिमशा समाज के सभी दर्गों न स्वागत किया। इससे जनता में नई आशा जाग्रत हुन है।

नया आर्थिक कार्यक्रम¹

यह नया कार्यक्रम अधिक से अधिक रेजी और कुशलता के साथ प्रमाण में लगया जा रहा है और लगभग एवं वर्ष की अत्यावधि में ही इसके प्रभावशाली परिणाम धान लगे हैं। आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को कम करने के लिए जो उपाय किए गए थे उन पर जोर दिया जा रहा है और सावंजनिक वितरण प्रणाली अमल म लान में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। जन-उपभोग की कई आवश्यक वस्तुओं के मूल्य काफी गिर गए हैं और वे अब पर्याप्त मात्रा म उपलब्ध होने लगी हैं। इसके जन-भागीरहण को बड़ी राहन मिली है। इस वर्ष खरीद की कमत रिकार्ड स्तर पर हुई है और आन वाली रवी वी फसल की सम्भावनाएं भी बहुत अच्छी हैं। प्रागा है कि 1975-76 में भारत में पूर्वपिक्षा सर्वाधिक सावान्नो का उत्पादन (114 करोड़ मी. टन) होगा। सवार्धक मात्रा में खाद्यान की बनूनी और उनके पर्याप्त भण्डार जमा करने का भरपूर प्रयत्न किया जा रहे हैं।

सभी राज्यों म सहकारी समितियों के द्वारा छानवादस्तो से आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त सप्लाई करने के लिए विशेष प्रयत्न किए गए हैं। इसी प्रकार नियन्त्रित मूल्यों पर किताबों और स्टॉकरों की सप्लाई के लिए भी प्रबन्ध किए गए हैं।

1. भारत सरकार : सर्वेन्द्रिय के दस वर्ष (1966-1975), पृष्ठ 42-46.

पाठ्य पुस्तकों और स्टेशनरी को तैयार करने तथा वितरण के लिए रियायती दरों पर केन्द्रीय मरकार न राज्य सरकार को कागज दिया है। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के लिए पुस्तकों के मूल्य निश्चिन करने के लिए भी कार्बाई की गई है और विद्यायियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहकारी स्टोर खोने गए हैं। विद्यायियों की सहायता के लिए विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा समाज के अन्य कमज़ोर वर्गों के विद्यायियों की मदद के लिए 70 हजार से अधिक पुस्तक-कोड देश में कार्य कर रहे हैं। इन कार्यों से विद्यायियों में काकी सभोष उत्पन्न हुआ है। विश्वविद्यालयों में अब अनुशासनहीनता का बातावरण नहीं है।

हृषि उत्पादन को और अधिक बढ़ावा देने के लिए नए अधिक कार्यक्रम में इस बात की ध्येयता की गई है कि 50 लाख हैक्टेयर अधिक जमीन में सिंचाई की जाएगी। विजली के उत्पादन में भी तेज़ी लाई जा रही है। औद्योगिक क्षेत्र में अर्थ ध्येयता के विभिन्न कमज़ोर क्षेत्रों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। उदाहरणार्थ, अप्रैल से अक्टूबर, 1975 के दौरान विद्युत वर्ष की इसी अवधि की अपेक्षा कोपले के उत्पादन में 11.6% विक्री योग्य इस्पात में 16.4%, पल्यूमीनियम में 38.2%, नत्र जनित रासायनिक खादों में 29.9% सीमेट में 15.3% और विजली के उत्पादन में 9.5% की वृद्धि हुई। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के क्रियाकलापों में हुआ सुधार जारी रहा और उत्तर दिल्ली में वृद्धि की समव दर अप्रैल अक्टूबर, 1975 की अवधि में पिछले वर्ष की इसी अवधि की अपेक्षा 15% अधिक रही। रेलों और बन्दरगाहों की काय पद्धति में सुधार हो जाने के कारण अब हमारे औद्योगिक उत्पादन में यातायात की कोई बाधा नहीं रही।

जबकि सार्वजनिक क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों का नियन्त्रण करता है वहीं निजी क्षेत्र को भी देश के विकास के लिए एक विशिष्ट भूमिका सौंपी गई है। हाल ही में कुछ ऐसे परिवर्तन किए गए हैं जिससे कि ये क्षेत्र विशेष रूप से इस भूमिका को पूरा कर सकें। औद्योगिक लाइसेंसिंग नीतियाँ और प्रणालियाँ सरल की गई हैं ताकि छोटे-छोटे उद्यमी पूँजी विनियोग कर सक और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में वृद्धि हो सके। सरकार ने आयात और नियत प्रणालियों को भी सरल कर दिया है और नई वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं।

मजदूरों ने भी प्रधान मन्त्री की 'औद्योगिक शान्ति' की घोषील पर शानदार दण से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। औद्योगिक शान्ति के कारण प्रापाद स्थिति के बाद जिन व्यक्ति दिनों की हानि हुई है वह पिछले वर्ष की इसी अवधि के व्यक्ति दिनों की हानि के 1/10 भाग से भी कम है। इसी प्रकार अनुचित तालाबन्दियों, छटनियों और जरन लुट्रों को रोकने के लिए सरकार द्वारा उचित कदम उठाए गए हैं। प्रबन्ध में मजदूरों को समिलित करने की हट्टि से सयन स्तर पर और विक्री स्तर पर उद्योगों में शमिकों को सम्बद्ध करने के लिए एक योजना कार्यान्वित की जा रही है। रोजगार और प्रशिक्षण को बढ़ाने के लिए अप्रेन्टिसशिप योजना की समिक्षा

की गई और एक तिहाई से अधिक जो स्थान खाली रह जावे थे वे पब भरे जा रहे हैं।

लाखों बुनकरों की सहायता के लिए हाथकरघा उद्योग के लिए एक विकास योजना बनाई गई है जिसमें अधिकांश भाग सहकारी समितियों का होगा और इसके हारा आवश्यक चीजों की सप्लाई और तिर्यात आदि को प्रोत्साहन दिया जाएगा। हाथकरघों के लिए एक पृथक विकास आयुक्त का संगठन बनाया गया है। मिलों के द्वेष में नियन्त्रित कथडे की योजना में सुधार किया जा रहा है ताकि कथडे की किस्म बढ़िया हो सके।

कृषि का उत्तरादन बढ़ाने के लिए और ग्रामीण समुदाय में आय तथा सम्पत्ति की विधमताओं को बढ़ाने के लिए भूमि सुधार आवश्यक है। कई राज्यों ने विभिन्न प्रकार के भूमि सुधार सम्बन्धी कार्यों पर लेजी से अमल करने के लिए और अतिरिक्त भूमि को भूमिहीन लोगों को देने के लिए कार्रवाई की है। आदिम-जाति के लोगों की जो जमीनें हैं वे उनसे न ली जा सकें, इसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं और उनको अपनी धरेलू जमीनों के स्वामित्व के अधिकार दिए जा रहे हैं। इसके अलावा भूमिहीन और कमज़ोर वर्गों को 60 लाख से अधिक मकान बनाने की जमीनें दी गई हैं। ग्रामीण मजदूरों का शोषण रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार ने एक अध्यादेश द्वारा देश में सभी प्रकार की बम्बुवा मजदूरी समाप्त कर दी है। न्यूनतम मजदूरियों में संशोधन किया गया है। साहूकरों के शिक्के से छोटे किसानों और भूमिहीन लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए क्रहणों पर पावनी सगा दी गई है। कई राज्यों ने इन अहणों की समाप्त करने के लिए कानून भी बनाया है। इसके साथ-साथ सहकारी क्रहण संस्थाओं को मजदूर छिया बा रहा है और 50 ग्रामीण बैंकों की योजना बनाई गई है जिसमें प्रत्येक बैंक की 100 शाखाएँ होगी। इस प्रवार ग्रामीण कारीगरों और कृषकों की क्रहण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 5 हजार बैंक होंगे। ऐसे 5 बैंक हरियाणा के भिन्नती में, राजस्थान के जयपुर में, पश्चिमी बंगाल के मालदा में और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और गोरखपुर में स्थापित हो चुके हैं।

राष्ट्रीय जीवन के सभी देशों में सुधौती और अयोग्यता को दूर करने के लिए कदम उठाए गए हैं। मनोवृत्तियों और प्रणालियों को बदलने के लिए प्रगतिशील ढाँचे ये कई सुधार किए जा रहे हैं। निकम्मे और वैईमान तत्त्वों को हटाया जा रहा है। सभी सावंजनिक एजेंसियों में ग्राहक सेवा का सुधार किया जा रहा है। इस समय वा नारा है—“जनता की सेवा—काम करके दिलाना।” देश में उदासीनता और वैदिकी का बातावरण अब ‘विश्वास और पक्षे दूरादे’ में बदल रहा है। एक समझदार और साहसी नेतृत्व में राष्ट्र शक्तिशाली ढग से आत्मनिर्भर और कुशल भर्य-व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है।

2

योजनाओं से विकास, बचत एवं विनियोग दरें-नियोजित तथा बास्तव से प्राप्त

*(Growth-rates and Saving [Investment] Rates—Planned
and Achieved in the Plans)*

भारत में चार पचवर्षीय योजनाएँ और तीन एकवर्षीय योजनाएँ पूर्ण करने के बाद । अरेल 1974 से पांचवीं पचवर्षीय योजना लागू हो गई है । अब तक पूरी की गई योजनाओं में विकास-दर, बचत तथा विनियोग दरों को क्या स्थिति रही है, इमाना पर्यावरण करने से पूर्व विकास दर का अर्थ समझ लेना आवश्यक है । प्राप्त विकास-दर दो निम्न प्रकार से फार्मूला द्वारा ज्ञात किया जाता है—

$$\text{विकास-दर} = \frac{\text{बचत}}{\text{पूँजी गुणाक या पूँजी-प्रदा-ग्रनुपात}}$$

उदाहरणार्थ, किसी अर्थ-व्यवस्था में पूँजी-प्रदा-ग्रनुपात 4 । है तथा जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 2% है और बचत एवं विनियोग दर 8% है । इस स्थिति में उम राष्ट्र की गढ़ीय प्राप्त 8/4=2% वार्षिक दर से बड़ेगी । किन्तु जनसंख्या की वृद्धि भी 2% होने के कारण प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं होगी और इस प्रकार प्रति व्यक्ति आय की हट्टि से देश की अर्थ-व्यवस्था स्थिर बनी रहेगी । चूंकि आर्थिक विकास का अर्थ प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि है, इसीलिए विकास में वृद्धि के लिए बचत एवं विनियोग की दर 8% से अधिक आवश्यक होगी । विकास-दर की उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि भारत की योजनाओं में नियोजित विकास-दर के अध्ययन के लिए सर्वप्रथम इस देश की बचत एवं विनियोग की स्थिति जानना आवश्यक है । यह देखना जरूरी है कि भारत की योजना में बचत एवं विनियोग दरों किस प्रकार रही हैं । उल्लेखनीय है कि भारतीय नियोजन और अर्थ-व्यवस्था के सम्बन्ध में विविध स्रोतों के अंकड़ों में प्राप्त अनुनादिक भिन्नता पायी जाती है । प्रस्तुत अध्याय देश की पचवर्षीय योजनाओं और विविध अर्थशास्त्री प्रो. विलफ्रेड मेलनबाम (Wilfred Malenbaum) के अध्ययन पर आधारित है । प्रो. मेलनबाम का अध्ययन प्रथम तीन पचवर्षीय योजनाओं और चतुर्थ योजना प्रारूप (1966) के सन्दर्भ में है । यद्यपि चतुर्थ पचवर्षीय योजना का प्रारूप बाद में संशोधित किया गया तथापि अध्ययन के लिए कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता ।

भारत में नियोजित बचत एवं विनियोग की स्थिति

यदि घरेलू बचतों को राष्ट्रीय आय के भाग के रूप में देखें तो 1951-52 में घरेलू बचतें राष्ट्रीय आय का केवल 5.3% थी। यह दर 1955-56 में बढ़कर 7.5% हो गई तथा 1960-61 में इस दर की स्थिति 8.5% थी। 1965-66 में ये बचतें कुल राष्ट्रीय आय का 10.6% किम्बा 1968-69 में यह घटकर 8.8% ही रह गई। चतुर्थ पञ्चवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष 1973-74 में इस दर की परिकल्पना 13.2% की गई।

जहाँ तक विनियोजन का प्रश्न है, 1950-51 में विनियोजन राष्ट्रीय आय का 5.6% या जो बढ़कर 1955-56 में 7.3% हो गया, 1960-61 में 11.7%, 1965-66 में 13% तथा 1968-69 में यह कम होकर 11.2% हो गया। 1973-74 में यह दर 13.8% अनुमानित की गई थी। बचत व विनियोजन की उपरोक्त दरों को नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत किया गया है¹—

वर्ष	बचत राष्ट्रीय आय का (प्रतिशत)	विनियोजन राष्ट्रीय आय का (प्रतिशत)
1950-51	—	5.6
1951-52	5.3	—
1955-56	7.5	7.3
1960-61	8.5	11.7
1965-66	10.6	13.0
1968-69	8.8	11.2
1973-74	13.2	13.8 (अनुमानित)

सितम्बर, 1972 की योजना के अन्क में भी प्रचलित मूल्य-दर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन के प्रतिशत के रूप में बचत और विनियोग की दरें प्रकाशित हुई थीं, वे निम्न प्रकार हैं²—

बचत और विनियोग की दरें

प्रचलित मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन का प्रतिशत

वर्ष	विनियोग	देशी बचत	विदेशी बचत
1960-61	12.0	8.9	3.1
1965-66	13.4	11.1	2.3
1966-67	12.2	9.0	3.2
1967-68	10.6	7.9	2.7
1968-69	9.5	8.4	1.1
1969-70	9.2	8.4	0.8
1970-71	9.6	8.3	1.1

1. पञ्चवर्षीय योजनाएँ

2. योजना (सितम्बर, 1972)

तालिका से स्पष्ट है कि 1960-61 अर्थात् द्वितीय योजना के अन्तिम वर्ष में विनियोग दर 12·0% तक पहुँच चुकी थी, जो 1965-66 अर्थात् तृतीय योजना के अन्तिम वर्ष तक बढ़कर 13·4% हो गई। किन्तु इसके बाद विनियोग दर बजाए बढ़ने के घटती ही चली गई और 1969-70 में यह निम्न स्तर 9·2% तक पिछ गई। विनियोग दर में कमी का प्रमुख कारण बचत दर में गिरावट है। 1965-66 में बचत दर अपने चरम स्तर 11·1% तक पहुँच गई। योजना आयोग का अनुमान था कि 1968-69 में विनियोग-दर 10·0% तक बढ़ेगी और 1973-74 तक 13·1% तक पहुँच जाएगी।

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने भी भारत में बचत की स्थिति का अध्ययन किया है। इस अध्ययन के अनुसार बचत आय-अनुपात 1951-52 में 5·1% और 1955-56 में 9·1% था। 1951-52 से 1958-59 तक देश की औसत-बचत आय-अनुपात 7·2% रही है। प्रथम पचवर्दीय योजना में यह अनुपात 6·6% और द्वितीय योजना के प्रथम तीन वर्षों में 7·9% रहा है। इस प्रकार यदि इस हिट से विचार करें तो बचत-अनुपात आशाप्रद है किन्तु सीमान्त बचत आय अनुपात की हाइ से विचार करें तो भिन्न स्थिति प्रकट होती है। उदाहरणार्थ 1953-54 से 1955-56 की अवधि में सीमान्त-बचत आय अनुपात (Marginal Saving-Income Ratio) 19·1 था जो 1956-57 से 1958-59 तक की अवधि में घट कर 14·2% रह गया। इस प्रकार कुल बचत में वृद्धि हुई किन्तु बड़ी हुई आय के अनुपात में बचतों में वृद्धि नहीं हुई है।

द्वितीय पचवर्दीय योजना में बचत अनुपात को 1955-56 के 7·3% से बढ़ाकर 11·0% करने का लक्ष्य रखा गया था। यह लक्ष्य कुछ महत्वाकांक्षी था किन्तु जैसा कि प्रो. शितार्थ ने पहले ही कह दिया था कि इस योजनावधि में घरेलू बचत के उक्त लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सकी। तृतीय योजना में विनियोजन की राशि को राष्ट्रीय आय 11·0% से बढ़ाकर 14% से 15% करने का लक्ष्य रखा गया था और उसके लिए घरेलू बचत को 8·5% से बढ़ा कर 11·5% करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस योजना के अन्तिम वर्ष अर्थात् 1965-66 में बचत की दर 10·4% रही जो अगले वर्ष अर्थात् 1967-68 में इसमें और कमी आई। योजना आयोग के अनुमान 1967-68 में बचत की दर राष्ट्रीय आय का 8% थी। परन्तु इसमें फिर से वृद्धि होने लगी है। 1968-69 में यह 9% थी।

विनियोग का क्षेत्रीय आवटन

अर्थ-व्यवस्था के कृषि, उद्योग, सचार आदि सेवा-क्षेत्रों में भारत की विभिन्न योजनाओं में परिकल्पित विनियोग किस प्रकार आवटित हुआ है, तथा सार्वजनिक क्षेत्र की इस दिशा में सापेक्ष भूमिका दैनंदिन ब्याही है, उसका विशेषण विषयात अर्थशास्त्री विल्फ्रेड मेलनबाम (Wilfred Malenbaum) द्वारा कुछ महत्वपूर्ण सांख्यिकी अको के आधार पर प्रस्तुत किया गया है—

महत्वपूर्ण अक्ष—भारत की विकास योजनाएँ
 (Important Number—India's Plans for Development, 1951-71)

माद	प्रथम योजना (1951-56)	द्वितीय योजना (1956-61)	तृतीय योजना (1961-66)	चतुर्थ योजना प्रारंभ (1966-71)
1.0 कृषि ग्रामीण (करोड रु.)	3500 100%	6200 100%	10400 100%	21350 100%
1.1 कृषि (सिंचाई सहित)	875 25	1180 19	2110 20	3439 16
1.2 बड़े उद्योग (गणित व सरनाम सहित)	805 23	1810 29	3682 35	8366 39
1.3 धन्य योटे उद्योग	175 5	270 4	425 4	550 3
1.4 यातायात सचार	775 22	1360 22	1726 17	3660 17
1.5 धन्य	870 25	1580 26	2497 24	5355 25
2.0 सार्वजनिक/कुल विनियोग अनुपात	53%	61 /	61 /	64 /.
3.0 योजनाएँ				
3.1 अतिरिक्त (मिलियन एकड़ी)		9 6	14	19
3.2 धन शक्ति		9	12	23

माद	प्रथम योजना (1951-56)	द्वितीय योजना (1956-61)	तृतीय योजना (1961-66)	चतुर्थ योजना प्रारूप (1966-71)
-----	--------------------------	----------------------------	--------------------------	-----------------------------------

4.0 राष्ट्रीय आय शुद्ध (करोड़ ₹)	8870	10800	14140	15930
4.1 नियोजन से पूछ का वप	10000	13480	18460	23900
4.2 गत योजना वप	112 /	250 /	340 /	500 /
4.3 वृद्धि (/)				
5.0 औसत शुद्ध विनियोग (राष्ट्रीय आय का अनुपात)	74 /	102 /	128 /	214 /
6.0 औसत परेल्यू बचतें (राष्ट्रीय आय का अनुपात)	57 /	81 /	98 /	150 /
7.0 शुद्ध आयत/शुद्ध विनियोग सीमा त पूँजी/प्रदा अनुपात	210 /	180 /	250 /	320 /
8.0 योक मूल्य स्तर (1952-53=100)	31	23	24	27
9.1 वार्ताविक औसत	1034	1081	1428	2052
9.2 योजनाओं में प्रयुक्त औसत (1948-49)	1040	1001	1275	1861
				(तून 1966)

दी गई सारणी से स्पष्ट है कि योजनाओं में आवश्यक विनियोग की वृद्धि वास्तविक अको में (In real terms) सारणी की पक्कि 10 में प्रदर्शित कुल विनियोग दर से बहुत कम रही है। तृतीय योजना में द्वितीय योजना की अपेक्षा 70% अधिक विनियोग की आवश्यकता परिकल्पित की गई है, और ड्रॉफट चतुर्थ योजना (1966) में तृतीय योजना से दुगुनी मात्रा में विनियोग के अनुमान लगाए गए हैं। मूल्य स्तर में विस्तार के समायोजनों के पश्चात् भी इन योजनाओं के लिए निर्धारित विनियोग में 30 से 40% तक की वृद्धि अनुमानित की गई है। महत्वपूर्ण तथ्य वास्तविक तथा नियोजित कुल विनियोग राशि के अन्तर (Gap) पर कीमतों का प्रभाव है। सारणी भी 9.1 व 9.2 पक्कियों में दिए गए कीमत अनुपातों पर आधारित अको को एक उदाहरण के रूप में देखने पर तृतीय योजना में नियोजित 10,400 करोड़ रु. की विनियोग दर की पूर्ण लगभग 11,500 करोड़ रु. के विनियोगों द्वारा ही की जा सकती है।

जहाँ तक विनियोग के क्षेत्रीय आवटन का प्रश्न है, सारणी की पक्कियाँ 1.1 से 1.5 विनियोग के क्षेत्रीय आवटन में एकरूपीय प्रवृत्ति (Consistency) प्रदर्शित करती हैं। कृपि में कुल विनियोग का अनुपात उत्तरोत्तर कम होता गया है जब कि उद्योग में यह अनुपात बढ़ता गया है। तृतीय योजना में अर्थव्यवस्था के इन दो गो मूल-क्षेत्रों के लिए कुल विनियोग का 55% निर्धारित किया गया। इसमें से उद्योग का अनुपात कृपि की अपेक्षा 75% अधिक रहा। यातायात और सचार के विनियोग में अनुपात द्वितीय योजना की तुलना में तृतीय योजना में 22% से घट कर केवल 17% रह गया। सेवा-क्षेत्र का विनियोग 47% के स्थान पर 41% रह गया किन्तु सरकारी सेवा व वस्तु-वितरण सम्बन्धी सेवाओं के लिए विनियोग के अनुपात में निरन्तर वृद्धि होती गई।

सारणी पक्कि 1.0-1.5 में दिए गए विनियोग के आँखों में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र सम्मिलित हैं, दोनों क्षेत्रों का अन्तर भारत की विकास नीतियों पर प्रकाश डालता है। पक्कि 2.0 में सार्वजनिक क्षेत्र के बढ़ते हुए सापेक्ष महत्व को देखा जा सकता है। 1951-56 में सार्वजनिक क्षेत्र का जो प्रतिशत 53 था वह घट कर 1966-71 में 64 प्रतिशत हो गया। अर्धांकित सारणी में कृपि, उद्योग, सेवा आदि क्षेत्रों में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों की सापेक्ष स्थिति को प्रदर्शित किया गया है—

नियोजित विनियोग का विवरण।

(Planned Investment Allocations)

पद	प्रथम सार्वजनिक नियोग	(1951-56)	द्वितीय सार्वजनिक नियोग	(1956-61)	तृतीय सार्वजनिक नियोग	(1961-66)	चतुर्थ सार्वजनिक नियोग	(1966-71)
1.0 शुद्ध विनियोग (करोड रु.)	1850	1650	3500	3800	2400	6200	6300	4100
1.1 खुपि (सिराई चहिल)	525	350	875	780	400	1180	1310	800
1.2 बढ़ उद्योग (ग्रामीण व छात्रन सहित)	380	425	805	1190	620	1810	2532	1100
1.3 अर्थ छोट उद्योग	25	150	175	120	150	270	150	275
1.4 यातापात व सेवाएँ	650	125	775	1235	125	1360	1486	250
1.5 अन्य	270	600	870	475	1105	1580	822	1675
							2497	1855
							3010	630
							3509	5305

विकास-दर (Growth Rate)

यद्यपि विकास-दर का निर्धारण आर्थिक हृष्टि से संबंधिती अको पर निर्भर करता है तथापि व्यावहारिक रूप में इस दर का निर्धारण मूलतः एक राजनीतिक निर्णय है, अथवा यह निर्णय देश की जन-धारणा के अनुसार लिया जाता है। किस गति के साथ एक देश के निवासी अपनी प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करना चाहते हैं अथवा गरीबी-उन्मूलन की आकांक्षा रखते हैं, इस प्रश्न का उत्तर उस देश की जन धारणा अथवा राजनेताओं से सम्बन्धित है। जहाँ तक भारत का प्रश्न है, इसकी प्रत्येक योजना के साथ प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करने का प्रश्न खुड़ा रहा है। भारत की प्रत्येक योजना के मूल में यह प्रश्न अन्तिमिहित है कि वित्तने वर्षों में इस देश को अपनी प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करना आवश्यक है। यह प्रश्न आज भी निरुत्तर है। भारत की प्रति व्यक्ति आय 600 रु से कुछ अधिक है, जबकि अमेरिका की प्रति व्यक्ति 4000 डॉलर पर विचार किया जा सकता है, अर्थात् हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति आय अमेरिका की तुलना में लगभग 1/50वाँ भाग है। इसी पृष्ठभूमि में भारत की योजनाओं में नियोजित तथा वास्तव में प्राप्त विकास-दरों का अध्ययन किया जा सकता है। E C A F E साहित्य में प्रति व्यक्ति आय के दुगुना होने सम्बन्धी एक दिलचस्प सारणी प्रस्तुत की गई है, जिसका एक अत्यन्त निम्न प्रकार है—

विकास-दर	जनसंख्यानुद्धि-दर	प्रति व्यक्ति विकास-दर	अवधि जिसमें यह दुगुनी होती है
4½%	2½%	2%	35 वर्ष
5½%	2½%	3%	23 वर्ष
3½%	2½%	1%	70 वर्ष

यदि प्रति व्यक्ति आय 3% की दर से बढ़ती है तो इसका तात्पर्य यह है कि राष्ट्रीय आय 5½% की दर से बढ़ रही है। यह वह विकास-दर है जिसकी चतुर्वें योजना में परिकल्पना की गई थी। इस दर के अनुसार प्रति व्यक्ति आय 23 वर्ष में दुगुनी हो सकती है। विकास की यह दर विशेष महत्वाकांक्षी नहीं है क्योंकि इस दर से भी हम अपनी प्रति व्यक्ति आय को 23 से 25 वर्ष की अवधि में दुगुना कर सकेंगे। पूर्व-योजनाओं की उपलब्धियों को देखने पर तो इस दर को भी स्थिर बनाए रखना असम्भव प्रतीत होता है, क्योंकि प्रथम योजना में प्रति व्यक्ति विकास-दर 1%, द्वितीय में 1.7% और तृतीय में केवल 0.4% रही है। 18-19 वर्ष की दीर्घावधि में भी प्रति व्यक्ति अधिकतम विकास-दर हम केवल 1.7% प्राप्त कर सकें, जिसे भी स्थायी नहीं रखा जा सका। इस स्थिति में जब तक परिवार-नियोजक किसी प्रकार का कोई चमत्कार नहीं कर रहे हैं तब तक 5 से 5½% विकास दर को प्राप्त करना और उसे स्थायी बनाए रखना सम्भव प्रतीत नहीं होता है। यदि हम प्रथम तीन योजनाओं में अधिकतम प्राप्त 1.7% की विकास-दर को भी स्थिर रख

पाते हैं तब भी हम 46% वर्षों में अपनी प्रति ०४क्ति आय को दुगुना कर सकेंगे। इसका यह अर्थ है कि सन् 2016 में हम इस स्थिति को प्राप्त कर पाएंगे। इन ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए ४% विकास दर सम्भव व प्राप्ति योग्य प्रतीत होती है तथा ५ या ५½% विकास दर का प्राप्त किया जाना उच्च उपलब्धि की श्रेणी में प्राप्त होगा। विकास दर के अनुभागों के रूप में करितपय वृद्धि सूचक ग्राहकों को ध्यन में रखना आवश्यक है जो आगे दिये जा रहे हैं।

वृद्धि सूचक ग्राहक

1950-51 से 1970-71 तक भारत की आय वृद्धि दर का अनुमान वर्त्त सूचकों से लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय आय की दर में ३.६० वृद्धि हुई जबकि कृषि उत्पादन व औद्योगिक उत्पादन में क्रमशः ३.२ / और ६.४ / की वार्षिक दर से वृद्धि हुई है। प्रति ०४क्ति आय के रूप में राष्ट्रीय आय में १.५ / प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हुई है जबकि अनाज के उत्पादन में १.४ / वार्षिक वृद्धि हुई है। प्रति हैक्टर अनाज के उत्पादन में १.९ / वार्षिक दर से वृद्धि हुई है। बचत आय अनुपात ५.७ / से बढ़ कर १०.० / अर्थात् लगभग दुगुना हो गया। प्रथम तीन योजनाओं में हुई विकास दर का संक्षेप में पहले ही विवेचन किया जा चुका है। इन योजनाओं के अनुभवों के आधार पर निमित्त चतुर्थ एवं पचम पचवर्षीय योजनाओं में विकास दरों का विश्लेषण आगे प्रस्तुत किया जा रहा है।

चतुर्थ पचवर्षीय योजना की आय वृद्धि दर

चौथी योजना में विकास की वार्षिक चक्र-वृद्धि दर का लक्ष्य ५.५ / से प्रथम अर्थात् लगभग ५.६ / था जब कि १९६९-७० में अर्थ-व्यवस्था की वृद्धि दर ५.३ / व १९७०-७१ में ४.८ / रही। इस प्रकार अब यवस्था की औसत वार्षिक चक्र-वृद्धि दर योजना में प्रस्तावित तर्ज की तुलना में केवल ५ / ही रही।

हृषि म ५ / वार्षिक चक्र निर्धारित थी गई थी पर वास्तविक वृद्धि दर १९६९-७० में ५.१ / और १९७०-७१ में ५.३% रही। इस प्रकार कुल मिलाकर हृषि क्षेत्र की उपलब्धि लक्ष्यों के अनुरूप रही।

खनन और विनिर्माण (Mining and Manufacturing) में ७.७% वृद्धि का प्रावधान था जेकिन १९६९-७० में ५% और ३.२% की ही वृद्धि हुई। इस प्रकार दोनों वर्गों की औसत वृद्धि दर ४.१% रही।

बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन का लक्ष्य ९.३% था किन्तु वार्षिक वृद्धि-मुद्द मूल्य के रूप में १९६९-७० में ५.९% और १९७०-७१ में ३.६% रही। इस प्रकार दो वर्गों की वार्षिक औसत वृद्धि ४.७% रही।

विद्युत गैस और जल आपूर्ति क्षेत्र में ९.५% वृद्धि दर रही और १९७०-७१ में ७.९%। इन प्रकार औसत वृद्धि दर ८.७% रही जो योजना के लक्ष्य ९.३% से कुछ कम थी।

परिवहन और सचार के लेवर में योजना का ६.४% वार्षिक वृद्धि का था लेकिन १९६९-७० में परिवहन व सचार की वार्षिक वृद्धि ५.९% रही और १९७०-७१ में

केवल 3·8% रही। इस प्रकार दो वर्षों की औसत वार्षिक-वृद्धि दर 4·9% रही। अभी मुख्यतः इसलिए हुई कि रेलों में शुद्ध-वृद्धि की दर केवल 0·4% रही।

बैंकिंग और बीमा के क्षेत्र में वृद्धि योजना के अनुसार से अधिक रही। योजना का लक्ष्य 4·7% वार्षिक-वृद्धि का था लेकिन 1969-70 में वास्तविक वृद्धि 9·2% रही और 1970-71 में 8·6% थी। इस प्रकार दो वर्षों के वृद्धि का औसत 8·9% रहा जो कि योजना के वार्षिक-वृद्धि के लक्ष्य से लगभग दुगुना था। सक्षेप में चौथी योजना में परिकल्पित 5·7% की कुल वृद्धि-दर की तुलना में अर्थव्यवस्था में 1969-70 में वृद्धि-दर 5·2% रही। इसके बाद 1970-71 में यह घट कर 4·2% और 1972-73 में 0·6% रह गई। आवश्यकताओं को देखते हुए चौथी योजना की अवधि की वृद्धि-दर बहुत कम और अपर्याप्त रही। पांचवीं योजना में 5·5% की वृद्धि-दर का लक्ष्य रखा गया है।

पांचवीं पचावर्षीय योजना की वृद्धि-दरे

चौथी योजना का लाभ उठाते हुए, पांचवीं योजना में 5·5% की वृद्धि-दर का जो लक्ष्य रखा गया है, उसके लिए आयोजन प्रीर अमल में कहीं अधिक कुशलता के अतिरिक्त कठिन निर्णयों, कठोर अनुशासन और बहुत त्याग की आवश्यकता होगी।

पांचवीं योजना के इस 5·5% की वृद्धि-दर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए (क) पहले से अधिक पूँजी-निवेश, (ख) अधिक कुशलता, (ग) पहले से अधिक वचत, आमदनी की प्रसमानताएँ दूर करने और उपभोग को इस ढंग से घटाने की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे समृद्ध बर्गों पर अधिकाधिक बचत करने का भार पड़े।

योजना के लक्ष्य का इस ढंग से विकास करना है कि मुद्रा-स्फीति न होने पाए। कुछ क्षेत्रों जैसे इस्पात, कोयला, सोह-धातुएँ, सीमेन्ट और उर्वरक, उद्यागों में पूँजी बहुल उद्योगों के विकास के लिए तो पूँजी जुटाना अनिवार्य है ही क्योंकि इससे ऐसी वस्तुओं का उत्पादन होता है जो रोजगार देने वाली है और जिनका कृषि में बहुत इस्तेमाल हो रहा है। इसी प्रकार उन क्षेत्रों पर भी अकुश रखना होगा जो न तो आदमी के उपभोग की वस्तुओं में आते हैं और न ही जिससे निर्यात-वृद्धि में सहायता मिलती है। मुद्रा-स्फीति के त्रिना विकास करने की नीति के अनुसार दीर्घ अवधि में और अल्पावधि में फल देने वाली परियोजनाओं का सनुलित मेल रखने और रोजगार देने वाले माल तैयार करने के उद्योगों और परमावश्यक मध्यवर्ती वस्तुएँ व पूँजीगत सामान बनाने वाले उद्योगों में लगाई जाने वाली पूँजी का भी सनुलित और उचित वितरण आवश्यक है।

भारत के विकास की स्थिति के सिहावलोकन के लिए राष्ट्रीय उत्पादन में वास्तविक वृद्धि तथा उत्पादन के तीन मुख्य क्षेत्रों—कृषि-उद्योग, व्यापार तथा सचार के उत्पादन के आंदोलों को एक सारणी में प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रथम तीन योजनाओं में वृद्धि के निर्धारित लक्ष्य 11·2%, 25% व 34% थे। लक्ष्यों वी तुलना में उपलब्धि का प्रतिशत कमश. 18, 21 व 13 रहा। प्रथम योजना वो छोड़ कर अन्य योजनाओं में प्राप्त वृद्धि-दर से कम रही।

शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन : कुल और बड़े मूल उत्पादन दरें
 (Net National Product : Total and Major Originating Sectors)

वर्ष	उत्पादन	पूर्ण उत्पादन राष्ट्रीय आय		संग्रह	उद्योग	व्यापार व संचार	
		(1)	(2)			(5)	(6)
1950-51	मूलउत्पादक	योग	मूलउत्पादक	योग	मूलउत्पादक	योग	मूलउत्पादक
	100	9325	100	5150	100	610	100
1951-52	101.7	9400	102	5250	102	640	105
1952-53	103.5	9775	105	5410	105	660	108
1953-54	105.4	10325	111	5875	114	685	112
1954-55	107.4	10625	114	5925	115	735	120
1955-56	109.5	11000	118	5960	116	825	135
श्रीसत्र विकास दर		(3.4%)		(3.0%)		(6.2%)	
प्रथम योजना	(1.7%)						(3.7%)
1956-57	111.7	11550	124	6125	119	895	147
1957-58	114.0	11450	123	5925	115	945	155
1958-59	116.4	12300	132	6450	125	970	159
1959-60	118.7	12475	134	6375	124	1040	171
1960-61	121.5	13294	143	6857	133	1215	199

वर्ष	आवश्यका	एक एवं दो वर्षीय आय	कुल	देशी	ब्राह्मण व सचार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शोषण विकास दर					
द्वितीय योजना	(2 1%)	(3 9%)	(2 8%)	(8 1%)	(5 1%)
1961-62	124 1	137 63	148	6925	135
1962-63	127 2	140 45	151	6747	131
1963-64	130 3	148 45	159	6940	135
1964-65	133 5	159 17	171	7558	147
1965-66	136 9	150 21	161	6520	127
भोजन विकास दर					
दूसरी योजना	(2 2%)	(2 2%)	(-0 9%)	(7 9%)	(5 8%)
1966-67	140 0	151 23	162	6442	125
1967-68	143 5	165 83	178	7629	148
1968-69	147 0	169 43	182	7558	147
भोजन विकास दर					
एक वर्षीय योजनाएँ	(2 5%)	(4 1%)	(5 0%)	(2 2%)	(3 6%)

सारणी में जनस्थ्या के वृद्धि-सूचकांक प्रीर औसत विक स-दर को प्रदर्शित किया गया है, जो प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं तथा एक वर्षीय योजनाओं में क्रमशः 17 /, 21 /, 2·2 / व 25 / रही। निरन्तर बढ़ती हुई जनस्थ्या भारत की आर्थिक प्रगति में बड़ी बाधक है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन का वृद्धि-सूचकांक सारणी के तीसरे खाने में प्रस्तुत किया गया है। इसमें प्रदर्शित अर्कों से स्पष्ट है कि प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में राष्ट्रीय उत्पादन की औसत वृद्धि दर अधिक रही, किन्तु तीसरी योजना में यह बहुत बहुत ही गई, जिन्हें पुनः एकवर्षीय योजनाओं में 22 / से बढ़ कर 41 / हो गई। यह एक अच्छी स्थिति का प्रतीक थी। सारणी के शेष खानों में अर्थं व्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों—कृषि उद्योग तथा व्यापार-संचार आदि की विकास-दरों को दर्शाया गया है। कृषि की विकास-दर तीसरी योजना तक निरन्तर गिरती रही। प्रथम योजना में यह दर जो 30 / थी, द्वितीय योजना में 2·8 / रह गई और तीसरी योजना में तो इसका प्रतिशत घटेगात्मक (-0·9 /.) हो गया, किन्तु एकवर्षीय योजनाओं में यह पुन बढ़ कर 5 / हो गई। दूसरी और उद्योग के क्षेत्र में विकास-दर द्वितीय योजना के बाद गिरती रही। द्वितीय योजना में यह दर 81% थी जो घटकर तीसरी योजना में 79% और एकवर्षीय योजनाओं में केवल 2·2% रह गई। यह चिन्ताजनक स्थिति का सबैत थी जिसमें सुधार के लिए औद्योगिक उत्पादन की दर को बढ़ाना अनावश्यक था। व्यापार व संचार के क्षेत्र में प्रगति का सूचकांक सन्तोषप्रद स्थिति को प्रवर्ट करता है।

प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाएँ-क्षेत्रीय लक्ष्य, वित्तीय आवंटन तथा उपलब्धियाँ (First Three Five Year Plans—Sectoral Targets, Financial Allocation and Achievements)

योजनाओं के उद्देश्यों को जब सरयात्मक स्वरूप प्रदान किया जाता है तब उद्देश्य बन जाते हैं। किसी अर्थ-व्यवस्था के कृषि, उद्योग, परिवहन तथा भावार आदि क्षेत्रों से सम्बन्धित विकास लक्ष्यों (Growth Targets) को क्षेत्रीय लक्ष्य (Sectoral Targets) कहते हैं। इन लक्ष्यों के अन्तर्गत मूलतः क्षेत्रों से सम्बन्धित भौतिक उत्पादन के लक्ष्य, क्षेत्रीय विकास दर, वित्तीय परिव्यय आदि लिए जाते हैं। भारतीय अर्थ-व्यवस्था को आधिक नियोजन के सन्दर्भ में कृषि, शक्ति, खनिज उद्योग, परिवहन तथा सचार, सामाजिक सेवाएँ प्रादि क्षेत्रों में विभक्त किया जाता है।

योजनाओं में वित्तीय आवंटन

(Financial Allocation in the Plans)

योजनाओं में विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित निर्धारित विकास-लक्ष्यों तथा इनकी उपलब्धियों के विश्लेषण से पूर्व यह उपयुक्त होगा कि इन क्षेत्रों पर आवंटित परिव्यय तथा इस परिव्यय की वित्त-व्यवस्था को जान लिया जाए। इस सदर्भ में सर्वप्रथम हम विभिन्न सारणियों द्वारा विनियोग, परिव्यय एवं वित्त-व्यवस्था को स्पष्ट करेंगे। प्रथम तीन योजनाओं में विनियोग

सारणी-1 में दिए गए विनियोग के अन्तों से सरकारी और निजी क्षेत्र के विस्तार की सापेक्ष स्थिति स्पष्ट होती है। नियन्त्रण रूप में यद्यपि दोनों ही क्षेत्रों में विनियोग दर में काफी वृद्धि हुई किन्तु दोनों क्षेत्रों का अनुपात प्रथम तीन योजनाओं में क्रमशः लगभग 15 18 37 31 तथा 71 49 रहा। इन अनुपातों से स्पष्ट है कि उत्तरोत्तर निजी क्षेत्र की तुलना में सरकारी क्षेत्र का अधिक विस्तार हुआ। यह स्थिति देश के समाजवादी दृष्टिकोण को स्पष्ट करती है।

सारणी-1

तीन योजनाओं में सरकारी और निजी क्षेत्र में विनियोग

(करोड रु. में)

योजना	सरकारी क्षेत्र का परिव्यय			निजी क्षेत्र में योजना		
	योजना प्रावधान	वास्तविक व्यय	वालू व्यय	विनियोग	विनियोग	वालू व्यय
प्रथम पचवर्षीय योजना	2,356	1,960	400	1,560	1,800	3,760
द्वितीय पचवर्षीय योजना	4,800	4,672	941	3,731	3,100	7,772
तृतीय पचवर्षीय योजना	7,500	8,577	1,448	7,129	4,190	12,767

तीन योजनाओं के परिचय
सारणी-2 में योजनाओं के वास्तविक सार्वजनिक परिचय (Outlay) को दर्शाया गया है। योजना-परिचय में राज्य व केन्द्र के भाग को पृथक् दृष्ट रखा गया है तथा कुल परिचय का विभिन्न आधिक हेतु पर आवटन तथा कोठको में राशि के आवटन का प्रतिशत दर्शाया गया है—

सारणी-2

प्रथम तीन योजनाओं में सरकारी क्षेत्र का परिचय
(करोड़ रु. में)

विषयस्थ की मात्रा	प्रथम योग		द्वितीय पंचवर्षीय योजना		तृतीय पंचवर्षीय योजना	
	करोड़*	राज्य	करोड़*	राज्य	करोड़	राज्य
1 कृषि और सम्पद बोर्ड	290 (14.8)	53 (9.7)	496 (90.3)	549 (11.7)	117. (10.7)	972 (89.3)
2 नियाई और वाणि नियमण	434 (22.2)	55 (12.8)	375 (87.2)	430 (9.2)	10 (1.5)	655 (98.5)
3 विद्युत्	149 (7.6)	28 (6.2)	424 (93.8)	452 (9.7)	113 (9.0)	1139 (91.0)
4 शाव और लघु उद्योग	42 (2.1)	106 (56.7)	81 (45.3)	187 (4.0)	203 (10.3)	203 (10.3)
5 खनिज और उद्योग	55 (2.8)	898 (95.7)	40 (4.3)	938 (20.1)	1764 (89.7)	1726 (20.1)

विवास और सद		पचवां पाँच वर्षीय योजना		हत्तीय पचवांपाँच योजना		
विषय	पचवां पाँच वर्षीय योजना	केन्द्र	राज्य	योग	केन्द्र	राज्य
	योग					योग
6 यातायात और सचार	518 (26.4)	1092 (86.6)	169 (13.4)	1261 (27.0)	1818 (86.1)	294 (13.9)
7 अन्य*	472 (24.1)	357 (41.8)	498 (58.2)	855 (18.3)	590 (39.6)	902 (60.4)
जिसमें						
(अ) शिला और चैलानिक	149 (7.6)	—	—	273 (5.8)	— •	—
अनुसंधान	98 (5.0)	—	—	216 (4.6)	—	—
(ब) स्वास्थ्य						
(स) परिवार नियोजन						
योग	1960 (100.0)	2589 (55.4)	2083 (44.6)	4672 (100.0)	4412 (51.4)	4165 (48.6)
					(0.3)	(100.0)

- * दोष बोलकरे। इस हड़तक राज्य के द्वारा मेरु वा परिव्यव 4600 करोड़ रुपये (जो याद में संगीहित कर 4672 करोड़ रुपये कर दिया गया और जिसके लिए केन्द्र और राज्य वार व्योरा उपलब्ध नहीं है) मेरे हैं उस हड़तक केन्द्र वा परिव्यव अधिक ही राखा है। केन्द्र और राज्य यारों (कारबमों) के नोटे बोलकर मेरु एवं अनुसंधान योजनाओं में परिव्यव वा प्रतिकर्तव्य बनाते हैं।

Source : India 1973 & 1974

योजना-परिव्यव की विस्तृत वर्णनया

विभिन्न प्रार्द्धक देशों के लिए आवश्यक परिव्यव के विस्तृत समव्यव सारणी-3 से सम्बन्ध है—

सारणी-3

सारकारी हेत्र मे योजना परिव्यय को वित्त-व्यवस्था

(करोड़ ह. मे)

मद	प्रथम पंचवर्षीय योजना		द्वितीय पंचवर्षीय योजना		तृतीय पंचवर्षीय योजना	
	आर्थिक वास्तविक अनुभाव	आर्थिक वास्तविक अनुभाव	आर्थिक वास्तविक अनुभाव	आर्थिक वास्तविक अनुभाव	आर्थिक वास्तविक अनुभाव	आर्थिक वास्तविक अनुभाव
1. मुख्यतया प्राप्ते साधनों से						
(1) करायान की योजना पूर्व दरो पर चालू राजस्व से बचत	740 (357)	725 (384)	1350 (281)	1230 (263)	2810 (375)	2908 (33.9)
(2) ग्रातिरिक करायान, जिसमे सार्वजनिक उद्यमों की बचत बढ़ाने के उपाय शामिल हैं	570	382	350	11	550	419
(3) रिजर्व बैंक से लाभ	ध	255ध	850ध	1052ध	1710	2892
(4) योजना के लिए अतिरिक्त साधन जुटाने के लिए उठाए गए उपायों से हुई प्राय को छोड़कर सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को बचत	—	—	—	—	—	—
—	170₹ फ	115₹ फ	150₹ फ	167₹ फ	100 650	62 373
(क) रेल (ख) धन्य						

मुद्रा	प्रथम पचवर्षीय योजना		द्वितीय पचवर्षीय योजना		तृतीय पचवर्षीय योजना आरंभिक बास्तविक अनुमान
	आरंभिक अनुमान	वास्तविक	आरंभिक बास्तविक	(33.9)	
2. मुख्यया घरेलू कर्हणों के जरिए					
(1) सार्वजनिक चक्रण, बाजार और जीवन वीमा निधान से सरकारी उद्यमो द्वारा लिए गए चक्रणों का हित शुद्ध	808 (39.1)	1019 (52.0)	2650 (55.2)	2393 (51.2)	2490 (33.9) 3246 (37.9)
(2) छोटी बदलें	115ह	208ह	700ह	756हर	800 823
(3) कापिकी जमा, आनवाय जमा, इनामी बौद्ध और स्वरूप बोड	225	243	500	422	600 565
(4) राज्य भविष्य निधियों के	—	—	—	—	— 117
(5) इसार्ट समानकरण निधि (शुद्ध)	45	92	250	175ज	265 336
(6) विविध दूरीगत प्राप्तियाँ (शुद्ध)	—	—	—	40	105 34
(7) पाटे का वित्त ह	133	147	—	46	170 238
3. कुल परेलू साधन (1 + 2)	290	333	1200	954	550 1133
	1546 (74.8)	1771 (90.4)	4000 (83.3)	3623 (77.5)	5300 6154 (70.7) (71.8)

माद	प्रथम पचवर्षीय योजना		द्वितीय पचवर्षीय योजना		तीसरी पचवर्षीय योजना	
	आरटीएक्स	सारतेलिक	आरटीएक्स	सारतेलिक	आरटीएक्स	सारतेलिक
4. विदेशी सहायता न	521 (25 2)	189 (96)	800 (16 7)	1049 (22 5)	2200 (29 3)	2423 (28 2)
5. कुल साधन (3+4)	2069 (100 0)	1960 (100 0)	4800 (100 0)	4672 (100 0)	7500 (100 0)	8577 (100 0)

नोट—कालांडर में दिए गए पाँच त्रै कुल के प्रतिशत हैं।

(अ) मद 1 (1) और 1 (4) के प्रस्तुतगत शामिल। (ब) रेल किराए और भाड़े में बढ़ि से हुई आय औ घोड़वर। (इ) रेल किराए और भाड़े में हुई बढ़ि से याय समेत। (फ) मद 1 (1) और 2 (6) के मानवता शामिल। (ह) बैन और राज्य सरकारों द्वारा बाजार से खरण। (र) स्टेट बैन प्रॉफ इण्डिया द्वारा भी एत 480 कोपों का निवेश शामिल है। (क) प्रथम शेर द्वितीय योजनाओं के आंकड़े प्रतिप्रवर्द्ध अल्पों से सम्बद्ध हैं। (इ) तृतीय योजना अवधि और उसके बाद ये लिए दर्शाएँ गए थाएं के वित्त के प्रतिक्रियाएँ सरकार की रिज़व बैन प्रॉफ इण्डिया के प्रति रुकुना (शोधाचिप और लघु शोधिदोगो) में परिवर्तन को दर्शाते हैं। पूर्व योजनाओं के लिए ये थाएं के बजट की पोर सकेत हैं। प्रथम योर द्वितीय योजना प्रवधियों में थाएं का वित्त कलम 260 करोड़ रुपये 1,170 करोड़ रुपये था। (म) राज्य भविध चिह्नियों से भिन्न दिता लवं लिए गए हुए शामिल है। (न) नई वित्तमय-दर के मानुसार।

प्रथम योजना का परिव्यय तथा वित्त व्यवस्था

सारणी-2 (परिव्यय 2) के प्रनुभार प्रथम योजना पर सरकारी क्षेत्र में 1960 करोड़ रु की राशि व्यय की गई। सारणी में दिए गए व्यय के ग्रावटन से स्पष्ट है कि इस योजना में कृषि को सर्वाधिक महत्व प्रिलियोक्योक्यों की कुल राशि का 37% भाग कृषि, सिचाई और बाढ़-नियन्त्रण पर व्यय किया गया। योजना में शक्ति, परिवहन तथा संचार वो भी आवश्यक महत्व दिया गया, जो इन मदों पर व्यय के क्रमशः 7.6% और 26.4% से परिवर्तित होता है। शक्ति तथा परिवहन व संचार को दी गई प्रायमिकना का उद्देश्य भावी विकास के लिए आधार-दर्विचे (Infra-structure) का निर्माण करना था। सभी प्रकार के उद्योगों व स्तरिजों पर कुल व्यय का बैनल 4.9% ही व्यय किया गया। जिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान तथा स्वास्थ्य पर कुल राशि का क्रमशः 7.6% व 5% व्यय हुआ। इन मदों पर व्यय का यह प्रतिशत यह प्रदर्शित करता है कि नियोजनों का इस योजना में जिक्षा व स्वास्थ्य सम्बद्धी सेवाओं के विस्तार की ओर भी व्यवेष्ट ध्यान रहा।

1960 करोड़ रु के व्यय की वित्तीय-व्यवस्था के लिए निजी साधनों से 752 करोड़ रु, घरेलू ऋणों से 1010 करोड़ रु तथा विदेशी सहायता से 189 करोड़ रु प्राप्त किए गए। प्रतिशत के रूप में इन मदों का कुल राशि में योगदान क्रमशः 38.4%, 5.2% तथा 9.6% रहा। घरेलू ऋणों वी मद में घाटे के वित्त के 333 करोड़ रु भी सम्मिलित हैं। प्रथम योजना के अन्तिम वर्षों में घाटे की वित्त-व्यवस्था का अधिक तेजी से उपयोग किया गया विभूति योजना की ग्रवधि के दौरान उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि होने के कारण मूल्य-स्तर योजना की पूर्व ग्रवधि की तुलना में 13% कम रहा तथा भुआतान सञ्चालन की स्थिति भी अनुकूल रही। द्वितीय योजना का परिव्यय तथा वित्त-व्यवस्था

द्वितीय योजना के लिए 4,800 करोड़ रु के व्यय का लक्ष्य रखा गया विभूति वास्तव में कुरा व्यय 4,672 करोड़ रु हुआ, जिमें से राज्यों ने 2,589 करोड़ रु तथा बेन्द्र ने 2,083 करोड़ रु व्यय किए। 4,800 करोड़ रु की प्रस्तावित राशि का कृषि व सामुदायिक विकास के लिए 11.8% सिचाई के लिए 7.9%, शक्ति के लिए 8.9%, बाढ़-नियन्त्रण व प्रम्य परियोजनाओं के लिए 2.2%, उद्योग व खनिज के लिए 18.5%, परिवहन व संचार के लिए 28.9%, सामाजिक सेवाओं के लिए 19.7% तथा शेष 2.1% विविध कार्यों के लिए निर्धारित किया गया। इन मदों पर प्रस्तावित राशि की तुलना में जो राशि वास्तव में व्यय हुई उसे 'परिव्यय सारणी' की कालम मरुपा पाँच में बताया गया है। प्रस्तावित तथा वास्तविक व्यय प्रतिशतों वी तुलना को सारणी-4 में प्रस्तुत किया जा रहा है—

सारणी-4

द्वितीय योजना को मदों पर प्रस्तावित तथा वास्तविक व्यय के प्रतिशत

मद	प्रस्तावित व्यय का प्रतिशत	वास्तविक व्यय का प्रतिशत
1. हृषि और सम्बद्ध क्षेत्र	11.8	11.7
2. तिचाई और बाढ़-नियन्त्रण	10.1	9.2
3. शक्ति (Power)	8.9	9.7
4. उद्योग व खनिज	18.5	24.1
5. परिवहन व संचार	28.9	27.0
6. सामाजिक सेवाएँ	19.7	10.4
7. अन्य	2.1	7.9
कुल	100.0	100.0

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि उद्योग व खनिज पर प्रस्तावित व्यय से वास्तविक व्यय की राशि अधिक रही तथा सामाजिक सेवाओं पर वास्तविक व्यय की राशि प्रस्तावित व्यय की राशि की तुलना में काफी कम रही। अन्य मदों के प्रतिशत को मिला कर भी सामाजिक सेवाओं के वास्तविक व्यय का प्रतिशत प्रस्तावित व्यय के प्रतिशत से काफी कम रहा है। इस योजना में सर्वोधिक ग्राम्यविकास यथापि उद्योग व खनिज क्षेत्र को दी गई, किन्तु कुल निरपेक्ष-राशि की हृषि से हृषि के लिए प्रथम योजना की तुलना में द्वितीय योजना में काफी बड़ी राशि का प्रावधान रखा गया। इसका अभिभाव यह है कि उद्योग व खनिज के क्षेत्र पर अत्यधिक बल दिए जाने पर भी हृषि के महत्त्व को इस योजना में पर्याप्त स्थान मिला।

जहाँ तक योजना के परिव्यय को वित्त-व्यवस्था का प्रश्न है, 4,800 करोड़ रु. के प्रस्तावित व्यय के लिए 1,200 करोड़ रु. की राशि का घाटे के वित्त के अन्तर्गत प्रावधान रखा गया तथा 400 करोड़ रु. के घाटा (Uncovered Deficit) के रूप में परेनू साधनों से बृद्धि के अतिरिक्त उत्तरो द्वारा पूर्ति के लिए छोड़ दिया गया। 800 करोड़ रु. विदेशी संघर्षों से तथा योजना की शेष 2,400 करोड़ रु. की राशि को कर, जनता से ऋण, रेन व भविष्य-निधि पादि परेनू साधनों से प्राप्त करने का प्रावधान किया गया। सरकारी क्षेत्र के 4,800 करोड़ रु. के अतिरिक्त 2,400 करोड़ रु. का विनियोग नियोजित क्षेत्र के लिए निर्धारित किया गया।

तृतीय योजना का परिव्यय तथा वित्त-व्यवस्था

सारणी—3 के अनुसार तृतीय योजना में सरकारी क्षेत्र के लिए 7,500 करोड़ रुपये तथा निजी क्षेत्र के लिए 4,100 करोड़ रुपये के परिव्यय का लक्ष्य रखा गया। 7,500 करोड़ रुपये के सरकारी व्यय का विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के लिए निम्न प्रकार आवटन किया गया—

सारणी—5

तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित सरकारी व्यय का विभिन्न आर्थिक मदों पर आवटन

मदे	प्रस्तावित व्यय (करोड़ रुपये में)	कुल का प्रतिशत
1. कृषि व सामुदायिक विकास	1068	14
2. बड़े व मध्यम सिचाई के साधन	650	9
3. शक्ति	1012	13
4. ग्रामीण व लघु उद्योग	264	4
5. सहायिता उद्योग व खनिज पदार्थ	1520	20
6. परिवहन व सचार	1486	20
7. सामाजिक सेवाएँ व विविध	1300	17
8. इन्वेन्टरीज	200	3
कुल	7500	100

तृतीय पंचवर्षीय योजना के कुल प्रस्तावित व्यय का कृषि, सिचाई और सामुदायिक विकास के लिए 25% व्यय निर्धारित किया गया। इन मदों को इस योजना में सर्वाधिक महत्व दिया गया। इस प्राथमिकता का मूल कारण द्वितीय योजना में कृषिगत उत्पादन के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जाना था। इसीलिए इस योजना में साधारणों के उत्पादन में वृद्धि की आवश्यकता विशेष रूप से अनुभव वी गई। सहायिता उद्योगों तथा खनिजों व परिवहन और सचार की मदों को समान प्राथमिकता प्रदान की गई। इन मदों में से प्रत्येक के लिए कुल व्यय का 20% व्यय निर्धारित किया गया।

योजना की प्रस्तावित 7,500 करोड़ रुपये की राशि की वित्त-व्यवस्था के लिए चालू राजस्व की बचत से 550 करोड़ रुपये अतिरिक्त कराधान से 1,710

करोड रुपये, रेलो से 100 करोड रुपये, सार्वजनिक प्रनिधानों से 450 करोड रुपये, सार्वजनिक ऋणों से 800 करोड रुपये, छोटी बचतों से 600 करोड रुपये, राज्य की भविष्य निधियों से 265 करोड रुपये, इस्पात-समानीकरण निधि से 105 करोड रुपये, विविध पूँजीगत प्राप्तियों से 170 करोड रुपये, घाटे के वित्त से 550 करोड रुपये तथा विदेशी सहायना से 2,200 करोड रुपये, प्राप्त करने का प्रावधान रखा गया। इन अर्थों को सारणी-3 में तृतीय पचवर्षीय योजना के शोर्पक के अन्तर्गत आरम्भिक अनुमान वाले कॉलम में दर्शाया गया है।

उपरोक्त वित्तीय मदों की मुश्ति विशेषता 1,710 करोड रुपये का अतिरिक्त करामान तथा घाटे की वित्त-व्यवस्था की राशि औं द्वितीय योजना की तुलना में कम किया जाना है। इसके अतिरिक्त विदेशी सहायना की आवश्यकता को अधिक अनुभव किया गया। इस मद के अन्तर्गत द्वितीय योजना के आरम्भिक अनुमान जहाँ 800 करोड रुपये के थे वहाँ इस योजना में इस मद से प्राप्त की जाने वाली राशि 2200 करोड रुपये अनुमानित की गई।

उपरोक्त विवेचन के अन्तर्गत सरकार अथवा सार्वजनिक व्यय का ही विश्लेषण किया गया है। सार्वजनिक व्यय के अतिरिक्त भारत की प्रथम तीन योजनाओं में निजी क्षेत्र का जो विनियम दृष्टा है उसे सारणी 13.1 में प्रदर्शित किया गया है। इन योजनाओं में निजी क्षेत्र का विनियम क्रमशः 1,800 करोड रुपये 3,100 करोड रुपये व 4,190 करोड रुपये रहा। इस क्रम में यह भी घ्यान रखा जाना चाहिए कि प्रथम पचवर्षीय योजना में 1960 के कुल व्यय में से 400 करोड रुपये चालू व्यय पर खर्च हुए और इस प्रवार सरकारी क्षेत्र का इस योजना में शुद्ध विनियम 1,560 करोड रुपये का हुआ। इसी प्रकार द्वितीय योजना के 4,672 करोड रुपये में से चालू व्यय के 941 करोड रुपये निकालने पर इस योजना की अवधि में सरकारी क्षेत्र का विनियोग 3,731 करोड ह तथा तृतीय योजना में व्यय की वास्तविक राशि 8,577 करोड रुपये में से चालू व्यय की 1,448 करोड रुपये की राशि निकालने पर इस योजना में सरकारी क्षेत्र का विनियोग 7,129 करोड रुपये हुआ।

योजनाओं में क्षेत्रीय लक्ष्य (Sectoral Targets in Plans)

प्रथम तीन पचवर्षीय योजनाओं के वित्तीय शावटन के द्वारा अब हुस्त हुस्त इन योजनाओं के क्षेत्रीय लक्ष्यों का अध्ययन करेंगे। इन योजनाओं में भारत के आर्थिक विकास की क्षमा स्थिति रही, विभिन्न आर्थिक मदों के अन्तर्गत क्या उपलब्धियाँ रही, उत्पादन के प्रस्तावित भौतिक लक्ष्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया जा सका, आदि प्रश्नों से सम्बन्धित तथ्यों को कृतिगत तथा औद्योगिक मदों के मन्दर्भ में प्रस्तुत किया जा रहा है। सर्वप्रथम कृतिगत मदों के लक्ष्यों तथा इनकी उपलब्धियों को सारणी-6 में दिया जा रहा है।

नारणी—6

चुनी हुई कृषिगत वस्तुओं के उत्पादन-संक्षय तथा प्रमाणि

मर्द	1940-51	1945-6	1950-61	1965-66		
	वास्तविक	प्रत्यादित लक्ष्य	वालद में प्राप्त लक्ष्य	वास्तविक	प्रत्यादित लक्ष्य	वालद में प्राप्त लक्ष्य
खाद्यान्न						
(मि टन)	54.92	61.60	69.22	82.0	72.29	72.0
फ़िलहन						
(मि टन)	5.09	7.07	5.63	7.0	10.7	6.3
राना गुड़						
(गि टन)	6.92	6.32	7.29	11.2	13.5	12.0
बपास						
(मि गाड़)	2.62	4.23	4.03	5.3	8.60	4.8
जूँ						
(मि गाड़)	3.51	5.39	4.48	4.1	4.48	6.5

Source (i) Economic Survey 1969-70 pp 66-67

(ii) Paul Streeten op cit p 32.

प्रथम याज्ञावधि में हृषि इत्यादन में वृद्धि हृषिगत मूलि के शोवासन में विस्तार करके दी गई। इन्हुं द्वितीय याज्ञा काल में हृषि की उत्पादकता में वृद्धि खल, रानायनिक खाद्य बीटनाइक दबावों द्वारा इक्कि आदि हृषिगत साधनों की पूर्ण दबाव की दी। इन साधनों की पूर्णता के विस्तार की सारणी-7 में प्रदर्शित किया गया है—

सारणी-7

हृषिगत साधन

मर्द	1950-51	1965-66
खाद (हजार टन नारणीवन)	56	600
विद्युत् (मि रिलोडाट घटा)	203	1730
मिचाइ नल टूर (म)	3500	32499
इंचन टस (मूल्य कराव रु म)	4.5	27.7

Source Economic Survey 1969-70 pp 66-67

सारणी 7 से स्पष्ट है कि 1950-51 की तुलना में 1965-66 में हृषिगत साधनों का प्रयोग में वृद्धि हुई है। खोद का उपयोग दस गुना विद्युत् का ग्राउंड गुना बढ़ा। ननकूरों की सर्वत्र में दस गुनी अधिक वृद्धि हुई तथा इंचन-तत्त्व का उपयोग भी दस गुना अधिक किया जाने लगा।

सारणी-8
कुछ श्रोतृगिक वस्तुओं के उत्पादन-लक्ष्य

मर्दे	1950-51	1955-56		1960-66	
		प्रस्तावित वास्तविक	प्रस्तावित वास्तविक	प्रस्तावित वास्तविक	प्रस्तावित वास्तविक
1 तंयार इम्यात (मि टन)	1 04	1·4	1 3	4 6	4 51
2 ग्रल्यूमिनियम घाटु (हजार टन)	4 0	12 0	7 3		62 1
3 डीजल इंजन (हजारों में) स्टेशनरी	5 5		10 0	85·0	93·1
4 कुन मोटरगाडियाँ (हजारों में)	16 5		25 3	68 5	70 7
5 मशीनी श्रोतार (मिलियन रु में)	3 0		7·8	230 0	294 0
6 चीनी मिल मशीनरी (मिलियन रु में)			1 9	80 0	77 0
7 माइक्रो (हजारों में)	99 0		513	1700	1574
8 सलफ्यूरिक एसिड (हजार टन)	101				662
9 सीमेन्ट (मि टन)	2 7	4 8	4·6		10·8
10 नाइट्रोजन उत्परक (हजार टन में)	9 0			233	232
11 क हिन्द कोडा (हजार टन)	12 0				218
12 कोयला (मि टन) (लिंगनाइट सहित)	32 8		38 4		70 3
13 कच्चा लोहा (मि टन) (गोपा को छोड़कर)	3 0		4 3		18 1
14 परिशुद्ध पैटोल पदार्थ (मिलियन टन)	0 2		3 6		9 4
15 उत्पन्न विद्युत् (विनियन कि घटा)	5 3				32 0

Source (i) Economic Survey 1969-70 pp 65-67

(ii) Paul Streeten op cit p 301

अर्थ व्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों के भौतिक लक्ष्यों को निरपेक्ष रूप में उपरोक्त सारणियों में प्रदर्शित किया गया है। लक्षणों की सापेक्ष स्थिति को और अधिक स्पष्ट करने की हड्डि से विकास लक्ष्यों को वार्षिक आमत विकास-दरों के रूप में सारणी-9 में प्रस्तुत किया जा रहा है। यह अध्ययन Paul Streeten एवं Michael Lipton का है। इन विकास-दरों के माध्यम से यह सरलसां से जाना जा सकता है कि कृषि, शक्ति, खनिज, उद्योग, यातायात और सचार आदि आर्थिक क्षेत्रों के विकास की सापेक्ष प्रवृत्ति प्रत्येक योजना अवधि में किस प्रकार की रही है।

सारणी-9

मुनि हावे लक्ष्य और उत्तराधिकारी—वार्षिक शैक्षणिक विकास दरों

(Selected Targets and Achievements—Annual Average Growth Rates)

मार्गदर्शक (Targets)	1950-51 के वर्ष साल का प्रतिक्रिया पर लक्ष्य (Targets) 1955-56 के वर्ष साल का प्रतिक्रिया पर लक्ष्य (Targets) 1955-56 over Actuals (1950-51)	1950-51 के वर्ष साल का प्रतिक्रिया पर लक्ष्य (Targets) 1955-56 over Actuals (1950-51)	1955-56 के वर्ष साल का प्रतिक्रिया पर लक्ष्य (Targets) 1960-61 के वर्ष साल का प्रतिक्रिया पर लक्ष्य (Targets) 1965-66 over Actuals (1955-56)	1955-56 के वर्ष साल का प्रतिक्रिया पर लक्ष्य (Targets) 1960-61 over Actuals (1955-56)	1955-56 के वर्ष साल का प्रतिक्रिया पर लक्ष्य (Targets) 1965-66 over Actuals (1960-61)	1955-56 के वर्ष साल का प्रतिक्रिया पर लक्ष्य (Targets) 1970-71 over Actuals (1960-61)				
1 कुल										
(i) कृषिप्रगति उत्तराधान										
खालीलान	3.4	4.7	4.1	3.5	4.0	2.0	5.1			
कर्पास	7.7	6.6	10.2	0.5	5.8	0.6	8.0			
गन्मा गुड़	2.4	1.4	5.4	9.0	—	2.4	1.6			
निलहट	1.5	1.9	6.3	4.4	7.0	4.4	4.3			
हूट	10.4	4.9	5.5	—	2.8	9.9	6.9			
चाप	0.7	1.9	2.4	4.6	3.2	3.2	3.8			
(ii) कृषिप्रगति उत्पादक कारक										
नेशनल खाद का उत्पयोग	—	13.8	na	14.4	na	2.0	23.8			
पार्ट कॉर्ट खाद का उत्पयोग	—	13.1	na	40.0	na	20.6	37.4			

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 शार्कि									
विद्युत् क्षमता वा									
उत्पादन									
किलोवाट	9.4	8.1	14.9	10.5	17.8	11.3	15.1		
3 स्वनिज									
क्षमता लोहा	बजेत बजेत	5.9 5.8	7.5 3.5	23.8 9.3	20.6 7.4	17.8 11.7	8.3 3.7	23.6 8.7	
कोयला									
4 उद्योग									
इस्पात	बजेत	10.6	5.0	27.8	12.1	24.2	16.5	12.1	
मशीन यन्त्र	मूल्य	—	16.7	30.6	54.3	33.8	30.0	31.8	
प्रलयमीनियम	बजेत	24.6	12.8	31.3	19.9	34.2	31.2	35.2	
तेचर्जन खाद	बजेत	57.4	54.0	29.8	4.3	52.0	25.0	43.0	
फॉकेट खाद	बजेत	27.2	5.9	57.4	35.1	49.4	24.0	40.3	
कागज तथा कागज									
के पुट्टी	बजेत	11.9	10.4	13.3	13.0	14.9	9.0	10.5	
सीमेन्ट	बजेत	12.2	11.2	23.1	11.3	10.3	5.3	12.4	
सूखी कागड़ा	सूखी	4.8	6.5	0.2	—	2.7	6.1	5.4	
चीनी	बजेत	6.0	10.7	3.9	9.4	3.1	1.8	5.5	
सख्ता	सख्ता	39.8	39.0	14.3	15.8	13.8	7.7	6.1	
विचार प्रबंध	सख्ता	11.6	7.6	15.3	11.6	29.8	18.7	18.4	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5 प्रातायात और सचार									
(i) रेले यांत्री पिरापा	द्वैर्मील भार द्वारा में	—	27	28	45	n.a	47	41	
(ii) राहके (पहाड़ी)	—	45	73	61	98	56	81		
(iii) जहाजरानी	मील	—	46	31	51	30	40	36	
(iv) डाक	—	—	42	134	123	78	129	135	
डाकघर	संख्या	—	88	64	70	41	59	412	
टेलीफोन	संख्या	—	106	106	107	87	134	121	
6—सामाजिक सेवाएँ									
(i) जनशारी	—	—	—	—	—	—	—	—	
छ. न-संख्या	छान	—	56	55	68	89	81	62	
प्राथमिक	—	66	55	33	55	104	115		
माध्यमिक	—	—	—	—	—	—	—	—	
उच्च माध्यमिक,	—	—	—	—	—	—	—	—	
चुन्करार	—	—	92	79	93	127	121	114	
(ii) स्वास्थ्य	—	—	—	—	—	—	—	—	
अस्पताल यंग्या	संख्या	—	20	44	83	52	53	46	
दार्शन	संख्या	—	30	15	12	30	40	81	
परिवार नियोजन	संख्या	—	n.a	780	620	378	470	358	

n.a.—not available

Source: Paul Streeten and Michael Lipton (Eds)—The Crisis of Indian Planning, PP 382-83.

प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाओं की उपलब्धियों का मूल्यांकन (An Evaluation of the Achievements of the First Three Five Year Plans)

प्रथम पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय में 18% वृद्धि हुई। वृद्धि का लक्ष्य 11% रखा गया था। द्वितीय योजना में राष्ट्रीय आय में 25% वृद्धि के विश्व वास्तविक वृद्धि के बीच 20% हुई। तृतीय योजना में 30% वृद्धि के लक्ष्य के स्थान पर राष्ट्रीय आय में 13.8% वृद्धि हुई। प्रति व्यक्ति आय की हाइट से प्रथम पंचवर्षीय योजना में 11% वृद्धि हुई, द्वितीय योजना में 18% वृद्धि के लक्ष्य के स्थान पर 11% वृद्धि हुई। 1960-61 के मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय 1960-61 में 306.7 रुपये थी। यह बढ़ कर 1964-65 में 333.6 रुपये हो गई किन्तु 1965-66 में पुनर घट कर 307.3 रुपये रह गई। इससे स्पष्ट है कि तृतीय योजना के अन्त में प्रति व्यक्ति आय लगभग वही रही है जो योजना के प्रारम्भ में थी।

1950-51 से 1964-65 तक राष्ट्रीय आय में 65% वृद्धि हुई तथा प्रतिवर्ष चक्र-वृद्धि दर के हिसाब से लगभग 3.8% की वृद्धि हुई। प्रति व्यक्ति वास्तविक औसत दर लगभग 1.8% रही। इन अंकों की हाइट से यह कहना उपयुक्त नहीं है कि प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाओं की 15 वर्षीय अवधि में भारत में आर्थिक विकास नहीं हुआ। किन्तु यह कहना यही है कि लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धि का स्तर कम रहा।

कृषि

प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि के उत्पादन में 18% वृद्धि हुई। खाद्यान्नों का उत्पादन 54.92 मिलियन टन से बढ़ कर 69.22 मिलियन टन हो गया। द्वितीय योजना के प्रनिम वर्ष 1960-61 में खाद्यान्न का उत्पादन 82.0 मिलियन टन हो गया किन्तु तृतीय योजना में खाद्यान्नों का उत्पादन घट कर केवल 72 मि. टन ही रह गया। औसत वार्षिक विकास-दर की हाइट से प्रथम पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्नों के उत्पादन में 3.4% औसत वार्षिक वृद्धि के लक्ष्य के स्थान पर 4.7% औसत वार्षिक वृद्धि हुई। किन्तु तृतीय योजना में 4.0% औसत वार्षिक वृद्धि के लक्ष्य के विश्व बीच 2.0% की ही वृद्धि हुई। खाद्यान्नों के उत्पादन की सफलता तथा तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफलता को प्रकट करते हैं। कुल मिलाकर खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धि में वृद्धि हुई। 1951 में खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति डालनिये जो 13.0 ग्रौंस थी वह 1965 में बढ़ कर 16.8 ग्रौंस प्रति व्यक्ति हो गई।

तिनहन ग्रन्त, जूट व चनास के उत्पादन की औसत वार्षिक वृद्धि-दर प्रथम योजना में क्रमशः 1.9, 1.4, 4.9 व 6.6% रही। अधिकांश कृषि-उपजों की औसत वार्षिक वृद्धि दर लक्ष्य से अधिक रही, किन्तु तृतीय योजना में जूट को छोड़ कर लगभग इन सभी कृषि-उपजों की औसत वार्षिक वृद्धि-दर कम हो गई। इस तथ्य को सम्बन्धित सारणी में देखा जा सकता है।

सिंचाई की हड्डि से प्रथम तीन योजनाओं में बड़ी व मध्यम श्रेणी की सिंचाई के प्रत्यन्त 13.8 मिलियन एकड़ क्षेत्र व लघु सिंचाई के प्रत्यन्त 31.6 मिलियन एकड़ क्षेत्र की वृद्धि हुई। जल्कि के क्षेत्र में 1950-51 में जो प्रस्थानित क्षमता (Installed Capacity) 23 लाख किलोवाट थी वह 1965-66 में बढ़ कर 102 लाख किलोवाट हो गई। विद्युत क्षमता में इस प्रकार पाँच गुनी वृद्धि हुई।

सक्षेप में भारत की तीन पद्धतियाँ योजनाओं के द्वारा उत्पादन का सूचनांक काफी ऊँचा रहा। 1950-51 में 90.6 (1949-50=100) से 1965-66 में बढ़ कर 169 हो गया। इस तरह वृद्धि का प्रतिशत लगभग 65 रहा। औद्योगिक क्षेत्र

हृषि की तुलना में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धियाँ प्रथम तीन योजनाओं की पन्द्रह वर्षीय अवधि में अधिक हुई। औद्योगिक उत्पादन का सूचनांक 1951 में 100 से बढ़ कर 1961 में 194 हो गया। 1955-56 में यह सूचनांक 139 तथा औद्योगिक उत्पादन का यह सूचनांक 1956 के 100 से बढ़ कर 1965-66 में 182 हो गया। उपभोग वस्तुओं के उत्पादन का मूल्य 1950-51 में (1960-61 के मूल्यों पर) जो 200 करोड़ रुपये था वह 1965-66 में बढ़ कर 488 करोड़ रुपये हो गया। मध्यवर्ती वस्तुओं का उत्पादन मूल्य 90 करोड़ रुपये से बढ़ कर 620 करोड़ रुपये तथा मशीनी उत्पादन का मूल्य 31 करोड़ रुपये से बढ़ कर 316 करोड़ रुपये हो गया। इस प्रकार सर्वाधिक वृद्धि मशीनी उत्पादन में हुई।

प्रमुख उद्योगों की प्रगति का उल्लेख सारणी 8 व 9 में किया जा सकता है। सारणी के अनुसार आर्थिक नियोजन के प्रथम 15 वर्षों में डीजल इंजन, मशीनी प्रौजार, नेत्रजन खाद, पेट्रोल पदार्थों, ग्रल्यूमीनियम आदि के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। ग्रल्यूमीनियम का उत्पादन 1950-51 में केवल 4000 टन था। 1965-66 में बढ़ कर यह 621 हजार टन हो गया। डीजल इंजन 1950-51 में 55 हजार थे। उनका उत्पादन 1965-66 में बढ़ कर 931 हजार हो गया। मशीनी प्रौजारों का मूल्य 1950-51 में जो केवल 3 मिलियन था वह 1965-66 में बढ़ कर 294 मिलियन हो गया। सीमेन्ट के उत्पादन में भी काफी वृद्धि हुई। 1950-51 में इसका उत्पादन 2.7 मिलियन टन था। 1965-66 में बढ़ कर यह 10.8 मिलियन टन हो गया। नेत्रजन खाद का उत्पादन 1950-51 के 9 हजार टन के मुकाबले 1965-66 में 232 हजार टन हो गया। आर्थिक नियोजन की इस पन्द्रह वर्षीय अवधि में तीन वर्षांत का उत्पादन लगभग चार गुना बढ़ा। डीजन इंजनों की सख्ता 17 गुना बढ़ी। मशीनी प्रौज भी 598 गुना अधिक वृद्धि हुई। नाइट्रोजन खाद का उत्पादन 26 गुना अधिक होते रहे। पेट्रोल से बने पदार्थों का उत्पादन 47 गुना अधिक हुआ।

ओमत वापिस विकास-दरो की हड्डि से हृषि की तुलना में औद्योगिक वस्तुओं में वृद्धि की ओमत वापिस दरों अपेक्षाकृत कही अधिक रही है। इन वापिस दरों वो सम्बन्धित सारणी से देखा जा सकता है। मशीनो-यन्मों की ओमत वापिस वृद्धि दर

प्रथम पचवर्षीय योजना के अन्त म 16.7% थी। तृतीय योजना के अन्त में यह 38% हो गई। अल्पदूरीनियम की औदून वार्षिक विकास-दर 1951-56 में 12.8% थी। 1965-66 में बढ़ कर यह 21.2% हो गई। इसी प्रकार प्रत्येक औद्योगिक भौमि की स्थिति को आंका जा सकता है।

द्वितीय योजना मुख्य रूप से औद्योगिकरण की योजना थी। इस योजना की अवधि में लोहा एवं इस्पात के सीन वारखान भिलाई (मध्य प्रदेश), हरकेला (उडीसा) और दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) में स्थापित किए गए। इस योजना में चिन्हरजन, टाटा, लोह उद्योग में विस्तार प्रोर इजोनियरिंग उद्योगों का विकास किया गया। लघु उद्योगों के विकास पर 180 करोड़ रुपय खर्च किए गए तथा विभिन्न उद्योगों के विकास के लिए अखिल भारतीय बोर्डों की स्थापना हुई।

सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार

आर्थिक योजनाओं के माध्यम से भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रत्यधिक विस्तार हुआ। अब देश में एक मुहूर्द सार्वजनिक क्षेत्र की स्थिति विद्यमान है। सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक प्रतिष्ठानों की संख्या में हुई उत्तरोत्तर वृद्धि को सारणी-10 में निम्न प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है—

सारणी-10
सार्वजनिक प्रतिष्ठानों की स्थिति

प्रारम्भ में	प्रतिष्ठानों का संख्या	कुल विनियोग (मिलियन रुपये में)
प्रथम योजना	5	290
द्वितीय योजना	21	810
तृतीय योजना	48	9530
चतुर्थ योजना	85	39020

1971-72 तक सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को कोई लाभ नहीं हुआ अपितु भारी हानि हुई। 1971-72 में विशुद्ध हानि की राशि 191.5 मिलियन थी जिन्हें 1972-73 में 101 प्रतिष्ठानों में से 67 प्रतिष्ठानों में 1044.6 मिलियन रुपये का विशुद्ध लाभ हुआ और 74 प्रतिष्ठानों में 867.6 मिलियन रुपये की हानि हुई। इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र का विशुद्ध लाभ 177.6 मिलियन रुपये रहा। भी री उद्योग मनानय के 1973-74 के प्रतिवेदन के अनुसार 14 सार्वजनिक प्रतिष्ठानों ने 1973-74 के दर्द में 4090 मिलियन रुपये के उत्पादन मूल्य का मानदण्ड स्थापित किया। विकास दर की छप्टि से सार्वजनिक क्षेत्र की विकास-दर जहाँ 5.5% रही वहाँ निजी क्षेत्र की विकास दर 1971-72 में 1% और 1972-73 में 2.5% रही। औद्योगिक उपादान में सरकारी क्षेत्र का अर्थ 1951 में देवल 2% था वह 1970 में बढ़ कर 5% हो गया।

यातायात एवं सचार-क्षेत्र की उपलब्धियाँ

यातायात एवं सचार-व्यवस्था का विकास औद्योगिकरण की आधारशिला

है। प्रथम योजना में रेल वी 380 मील लम्बी तर्दा लाइनें विद्युति गईं और रेल-ट्रैकिंग में 24.8 / वी वृद्धि हई। 636 मील लम्बी सड़कों का निर्माण हुआ। जहाजरानी वी क्षमता 3.9 लाख जी घार टी. से बढ़ा कर 4.8 लाख जी. आर टी. कर दी गई। 1950-51 में रेल इन्हों का वापिक उत्तरादत 27 से बढ़ कर 1955-56 में 179 इजन हो गया।

द्वितीय योजना में रेलों सड़कों और जहाजरानी के विकास के लिए विस्तृत विकास-वायं दिए गए। 8000 मील लम्बी रेलवे नाइनों का सुचार, 1,300 मील लम्बी लाइनों का दोहरीकरण और 500 मील लम्बी लाइनों का विद्युतीकरण किया गया जिससे माल ढोने की क्षमता 11.6 करोड टन से बढ़ कर 15.6 मिलियन टन हो गई। रेलों के विकास पर 1,044 करोड रुपये व्यय हुआ। सड़क-विकास पर 224 करोड रुपये व्यय करने से कच्ची व पक्की सड़कों की लम्बाईयाँ कमज़ 2,94,000 मील और 1,47,000 मील हो गई। इस प्रकार कच्ची एवं पक्की सड़कों में कमज़ 37,000 मील और 22,000 मील की वृद्धि हुई। जहाजरानी वी क्षमता 4.8 लाख जी घार टी. से बढ़ कर 8.6 लाख जी. आर. टी. हो गई।

तृतीय योजना में यानायान एवं सचार वे तिए 1,486 करोड रुपये (कुल वा 20 /) निर्धारित किया गया जब कि वास्तविक व्यय 21,107 करोड रुपये हुआ। अधिक व्यय का कारण सैनिक हृष्टि से भौतिक लक्ष्यों एवं कार्यक्रमों में परिवर्तन था। रेलों के माल ढोने की क्षमता 1450 लाख टन से बढ़ा कर 2540 लाख टन करने का (59 / वृद्धि) लक्ष्य था पर योजना के अन्त में यह क्षमता तिर्फ़ 2050 लाख टन ही थी। सड़कों के निर्माण में 292 करोड रुपये का व्यय कर 2,70,400 मील लम्बी कच्ची-पक्की सड़कें बनाई गईं। जहाजरानी वी क्षमता 8.6 लाख टन से बढ़ कर 15.4 लाख टन कर दी गई। इस प्रकार लगभग 7 लाख जी. घार. टी. की वृद्धि हुई।

सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र की उपलब्धियाँ

सामाजिक सेवाओं पर प्रथम योजना में कुल योजना व्यय का 25% भाग व्यय किया गया। प्राथमिक शास्त्रांगों की सहता 2.09 लाख से बढ़ कर 2.8 लाख हो गई। मेडिकल कलेजों की सहता 30 से बढ़ कर 42 और विद्याविषयों की सहता 2,500 से बढ़ कर 3,500 हो गई। अस्पतालों वी संख्या में 1,400 की वृद्धि हुई और डॉक्टरों की संख्या 59,000 से बढ़ कर 70,000 हो गई।

द्वितीय योजना में शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार एवं विकास से छात्रों की संख्या 3.13 करोड से बढ़ कर 4.35 करोड, चिकित्सालयों वी संख्या 10,000 से बढ़ कर 1,26,000, मेडिकल कलेजों वी संख्या 42 से बढ़ कर 57, पर्सवार नियोजन वेन्ड्रों वी संख्या 147 से बढ़कर 1649 हर दी गई। युव निर्माण-शार्य पर 250 करोड रुपये व्यय किए गए जिसमें आवास-गृहों की सहता में 5 लाख की वृद्धि हुई। निद्देश दण्डों में 4800 छोड़ त्रों को द्वात्रवृत्ति प्रदान की गई।

तृतीय योजना में शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा पर 1300 करोड रुपये व्यय

करने का प्रावधान या पर वास्तविक व्यय 1355.5 करोड रुपये हुआ। जिससे स्कूलों व शिक्षा प्राप्त करने वालों की संख्या 4 लाख और 4.5 करोड से बढ़ कर 5 लाख तथा 6.8 करोड हो गई। प्रस्तावों की संख्या 2000 की वृद्धि हुई। परिवार-नियोजन केन्द्रों की संख्या 1649 से बढ़ कर 11,474 हो गई। मेडिकल कॉलेजों की संख्या में 30 की वृद्धि हुई जिससे मेडिकल कॉलेजों की कुल संख्या देश में इस योजना के अन्त में 37 हो गई।

बचत व विनियोग

भारत में आर्थिक-नियोजन के प्रथम 15 वर्षों में बचत व विनियोग के क्षेत्र में रही स्थिति को सारणी-11 में प्रदर्शित किया गया है—

सारणी-11

वर्ष	बचत-राष्ट्रीय आय के प्रतिशत के रूप में	विनियोग राष्ट्रीय-आय के प्रतिशत के रूप में
1950-51	5.53	5.44
1955-56	9.26	9.86
1960-61	9.45	12.88
1965-66	10.5	14.00

1965-66 के सूचनाक से स्पष्ट है कि विनियोगों के लगभग 3.5 / भाग के लिए हमें विदेशी साधनों पर निर्मंतर रहना पड़ा है। धरेलू बचतों में वृद्धि आवश्यक विनियोगों के प्रतिशत नहीं हुई।

इस प्रकार आर्थिक नियोजन की प्रथम 15 वर्षीय अवधि में कृषि, उद्योग, यातायात और सेवाएँ आदि क्षेत्रों में उक्त उपलब्धियाँ रहीं। आर्थिक नियोजन की इस अवधि में देश की आर्थिक स्थिति सुटूट और गतिमान हुई है तथा विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों की उपलब्धियाँ उल्लेखनीय रही हैं तथावि योजनाओं के लक्ष्यों और वास्तविक उपलब्धियों में पर्याप्त अन्तर रहने, मुद्रा-स्फीति के कारण मूल्य-स्तर के व्रसामान्य रूप से बढ़ने, बेरोजगारी में निरन्तर वृद्धि, विदेश-विनियमन-सकट और उत्पादन के केन्द्रीकरण से सर्वसाधारण का जीवन-स्तर अभी तक भी बहुत निम्न स्तर पर है। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के होते हुए भी खाद्यान्नों के क्षेत्र में आवश्यकता की पूर्ति आपातों में करनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में सर्वसाधारण के जीवन-स्तर को उठाने और गरीबी का उन्मूलन करने के लिए हमको योजना के क्रियान्वित पक्ष पर विशेष ध्यान देना होगा। प्रशासनिक-कुशलता एवं ईमानदारी में वृद्धि करनी होगी। गत वर्षों के योजनावद्वारा आर्थिक विकास ने भारत की अर्थव्यवस्था को स्वयं-स्कूर्तं तथा आत्म-निर्भरता की स्थिति भी और बढ़ाया है, किन्तु आर्योजन के फलस्वरूप कृषि, उद्योग आदि क्षेत्रों में हुए रचनात्मक परिवर्तनों का लाभ उठाने के लिए हमको आर्थिक प्रयोजन के प्रति व्यावहारिक हृष्टिकोण अपनाना होगा।

रही। दूसरी योजना में भी विनियोग-दर की हड्डि से स्थिति आशाजनक रही। यह दर 11% के लगभग रही जो निर्धारित लक्ष्य के अनुहृष्ट थी। किन्तु तृनीय योजना में विनियोग व बचत दर में प्रगति असम्मोपजनक रही। 1965-66 से 14 से 15% के लक्ष्य की तुलना में विनियोग-दर 13.4% के लगभग रही। पांगे की तीन वापिक योजनाओं में भी स्थिति उत्तरोत्तर असम्मोपजनक होनी गई। विनियोग-दर निरन्तर गिरती गई। 1966-67 में यह गिर कर 12.2%, 1967-68 से 19.6% और 1968-69 में 9.5% रह गई। विनियोग-दर की इस गिरती हुई स्थिति पर चौंटी योजना में विशेष ध्यान दिया गया। फलस्वरूप स्थिति में पुन मुधार हुआ और विनियोग-दर बढ़ कर 1970-71 में 10.5% तथा 1971-72 में 11.5% के लगभग हो गई।

यदि आँकड़ों से हटकर भी देखें तो देश में उत्पादकता और मुद्रा प्रसार की जो स्थिति है उससे यही निष्कर्ष निकलता है कि राष्ट्रीय उत्पादन अपेक्षित स्तर से बहुत कम है, और इसके लिए विनियोग की असम्मोपजनक स्थिति भी एक सीमा तक उत्तराधारी मानी जा सकती है। अब आवश्यकता इस बात की है कि एक और विनियोजित पूँजी की उत्पादकता में वृद्धि की जानी चाहिए तथा दूसरी और उत्पादन में वृद्धि के लिए विनियोगों की दशा में ऐसे प्रयत्न किए जाने चाहिए जिनसे विनियोगों में वृद्धि हो सके। इससे पूर्व कि हम विनियोगों में वृद्धि के लिए सम्भावित उपायों पर विचार करें, उन तकनीकियों की जानकारी कर लेना उपयुक्त है जिनके द्वारा देश की योजनाओं के लिए बचतों को विनियोग-क्षेत्रों में आकर्षित करने के प्रयत्न किए गए। योजनाओं के विनियोग-विश्लेषण से स्पष्ट है कि बचतों को प्राप्त करने के लिए निम्न तीन तकनीकियां अपनाई गईं—

- (1) प्रत्यक्ष हस्तातरण विधि (Technique of Direct Transfer)
- (2) अप्रत्यक्ष हस्तातरण विधि (Technique of Indirect Transfer)
- (3) अनिवार्य हस्तातरण विधि (Technique of Forced Transfer)

प्रत्यक्ष हस्तातरण—बचतकर्त्ताओं से साधनों के संग्रह के लिए पहली विधि जो योजनाओं में प्रयुक्त हुई वह प्रत्यक्ष हस्तातरण की विधि थी। इस विधि के अन्तर्मंत किए गए प्रयत्नों का मूल उद्देश्य बचतकर्त्ताओं को विस्तीर्य सम्पत्तियों के क्षय के लिए प्रेरित करना था। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, डाकघर जमा योजनाएँ आदि शुरू की गईं। इस विधि के अन्तर्गत विशेष रूप से यह प्रयत्न किया गया कि बचतों का उपयोग उत्पादक-क्षेत्रों (Productive Channels) में हो तथा निजी क्षेत्र की अपेक्षा लोगों की बचतें सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवाहित हो।

अप्रत्यक्ष हस्तातरण—जनता की बचतों को विनियोजन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए दूसरी विधि अप्रत्यक्ष हस्तातरण की अपनाई गई। इस विधि के अन्तर्गत कुछ राजकीय तरीकों (Fiscal Measures) को प्रयोग में लाया गया। इन तरीकों के अन्तर्गत बाधान, अनिवार्य जमा प्रादि के माध्यम से बचतों को विनियोग के लिए उपलब्ध कराने के प्रयत्न हुए तथा साथ ही जीवन-बीमा भुगतान,

प्रोबीडेण्ट-फड आदि (Contractual Savings) के परिणाम को बढ़ाने के प्रयत्न किए गए। इन सब प्रयत्नों का मुख्य लक्ष्य उपभोग आय (Disposal Income) को कम करके वचनों का मृदृगत करना तथा इन वचनों को अनिवार्य एवं अद्वितीय नियोजन में स्थाप्त किया गया कि, पहला अनिवार्य विन्दु यह है कि क्या निजी वचतें, निजी विनियोगों की आवश्यकता को पूरा करने के उपरान्त, इतनी अधिक हो सकती है कि राज्य की सम्भावित आवश्यकताओं को पूरा कर सके। वचतों में पर्याप्तता की स्थिति तभी सम्भव है जब कि उपभोग को आवश्यक प्रतिबन्धों में रखा जाए। करों के रूप में या सावंजनिक प्रतिष्ठानों के लाभों के रूप में जितनी कम मात्रा में वचतें प्राप्त होंगी, उतनी ही अधिक आवश्यकता उपभोग को नियन्त्रित रखने की महसूस की जाएगी। परिणामस्वरूप उपभोग पर नियन्त्रण रखने के लिए अन्य तरीके काम में लिए जाएंगे।

अनिवार्य हस्तातरण—वचतों को विनियोजन के लिए उपलब्ध कराने की तीसरी विधि अनिवार्य हस्तातरण की प्रयोग में ली गई। यदि सरकारी प्रतिभूतियों की सीधी खरीद के द्वारा निजी वचतें सावंजनिक क्षेत्र के लिए प्राप्त नहीं होती हैं तो वचतों की उपलब्धि के लिए स्वीकृत मात्रा से अधिक मात्रा में निजी क्षेत्र से बैंक नकदी तथा जमाप्रो को अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं।

विनियोगों में वृद्धि के लिए उपरोक्त संदान्तिक तकनीकियों के अतिरिक्त समय पर सरकार द्वारा तथा रिजर्व बैंक द्वारा राजकोषीय और भौद्विक तरीके घोषित किए जाते हैं। साख, ऋण, कर आदि नीतियों में सशोधन किए जाते हैं, बैंक-दर को घटाया-बढ़ाया जाता है। अनेक प्रकार के नए कर लगाए जाते हैं और पुरानी कर-व्यवस्था में सुधार किए जाते हैं। बैंक-दर, खुले बाजार की क्रियाएं, नकद बोय प्रान्तुगत में नियन्त्रित आदि विनियोग तथा वचनों को प्रभावित करने वाली विधियों तथा कर, छह एवं व्यव-नीति सम्बन्धी राजकोषीय तरीकों से प्राप्त सभी परिचित हैं। इन नीतियों के संदान्तिक पहलुओं में जाकर हमको यह मान्यता लेते हुए कि विनियोग का बन्मान स्तर देश की आवश्यकताओं से बहुत कम है, उन उपायों को देखना चाहिए जिनसे भविष्य में विनियोग की दर में देश की आवश्यकताओं के अनुरूप वृद्धि की जा सके।

विनियोग-वृद्धि के उपाय

चतुर्थ पञ्चवर्षीय योजना के प्रारूप में विनियोगों की वृद्धि के लिए साधन-सम्बंह के कुछ सुझाव दिए गए हैं—

1. सावंजनिक प्रतिष्ठानों के अन्तर्गत सावंजनिक उपयोगिता प्रतिष्ठान और राजकीय क्षेत्र के अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान लिए जा सकते हैं। नियोजन वाले में सावंजनिक क्षेत्र का योजनामो में नियन्त्रित विस्तार दिया गया है और लगभग 5 हजार करोड़ से भी अधिक की राशि इस क्षेत्र से विनियोजित की गई है जिसके द्वारा इस भारी विनियोजन के यथेष्ट लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। सावंजनिक क्षेत्र से मिलने वाले

लाभ विनियोग योग्य साधन-मय्रह के लिए सर्वाधिक महत्व रखते हैं। सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के सम्बन्ध में नियुक्त कुछ समितियों ने इन उपक्रमों के लिए निश्चित प्रतिफल दर की सिफारिश की है।

2 जिन क्षेत्रों पर अतिरिक्त साधन जुटाने के लिए विशेष रूप से ध्यान दिया जा सकता है, उनमें राजकीय विद्युत संस्थानों का प्रमुख स्थान है। वैकट रमन समिति की सिफारिशों के अनुसार विद्युत संस्थानों से कम से कम 11% की दर से प्रतिफल मिलना चाहिए। जहाँ यह दर 11% से कम है, वहाँ इसे कम से कम 11% तक बढ़ाया जाना चाहिए। धीरे धीरे शुल्क में वृद्धि प्रयोक्षित है तथापि विजली दरों को इस प्रकार मिश्रित करना चाहिए जिससे आधिक हृष्टि से ग्रन्थी स्थिति बाले उपभोक्ताओं को अधिक दाम चुकाना पड़े।

3 सिचाई परियोजनाओं के सम्बन्ध में नियुक्त निर्जलिगण्डा समिति की यह सिफारिश भी विनियोग वृद्धि की हृष्टि से महत्वपूर्ण है कि सिचाई की दरें सिचित फसलों से कृषकों को प्राप्त अतिरिक्त बिशुद्ध लाभ के 25–40 % पर निश्चित की जानी चाहिए। कृषकों के उस वर्ग से साधन जुटाने के प्रयास बढ़ाने होंगे जिन्हें सिचाई योजनाओं से प्रत्यक्ष लाभ मिलता है।

4 चतुर्थ योजना में अतिरिक्त साधन व्यवस्था की हृष्टि से इस बात को भी महत्वपूर्ण समझा गया कि सार्वजनिक उपयोग के लिए सचालित उद्योगों को छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र के शोधांगिक और वाणिज्य प्रतिष्ठानों में लगी पूँजी पर होने वाली आय को धीरे धीरे बढ़ा कर 15 प्रतिशत करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

5 साधनों को बढ़ाने तथा साधनों में वृद्धि से विनियोगों का विस्तार करने का एक बड़ा उपाय करारोपण सम्बन्धी राजकीय साधन है। कृषि क्षेत्र अभी तक कर-मुक्त हैं। यद्यपि इस क्षेत्र में योजना काल के दौरान अरबों रुपयों का विनियोजन किया गया है और इस क्षेत्र में आय में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है। अतेक बड़े किसान समूद्र पूँजीपति बन गए हैं। अत बढ़ती हुई आय विषमताओं को रोकने तथा विनियोगों के लिए आवश्यक धन जुटाने के लिए कृषि-आय पर कर लगाया जाना चाहिए। वस्तुओं पर भी करारोपण की इस रूप में प्रभावशाली व्यवस्था होनी चाहिए अथवा अत्यधिक करों का दौड़ा इस प्रकार का होना चाहिए कि प्रदर्शनकारी उपभोग (Conspicuous Consumption) या विलासी उपभोग (Luxury Consumption) प्रतिवर्णित रहे। विक्री कर की दरों में पायी जाने वाली विभिन्न राज्यों में विषमता को दूर किया जाना चाहिए। विक्री दरों में समानता लाने से भी एक बड़ी राशि प्राप्त की जाना सम्भव है। शहरी सम्पत्ति के मूल्यों में अनाजित वृद्धि (Unearned increase) पर कर लगाया जाना चाहिए तथा आय और धन पर करों को अधिक प्रभावकारी बनाया जाना चाहिए। मृत्यु कर तथा पूँजी लाभ करों को शक्ति से कियाशील बनाया जाना चाहिए।

6. करों के सम्बन्ध में करारोपण की अपेक्षा करों की चोरी (Tax evasion) वो रोकने के प्रयत्न अधिक ग्रावश्यक हैं।

7. ग्रामीण बचतों से विनियोग के लिए बहुत बड़ी राशि प्राप्त हो सकती है। ग्रामीण बचत को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण बृहण-पत्र निर्गमित किए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त ग्रामीण जनता को ग्रामीण उद्योग, सिचाई कार्यक्रम, ग्रामनविद्युतिकरण, भ्रावास एवं पेय-जल की प्रभावी व्यवस्था द्वारा प्रत्यक्ष लाभ पहुँचा कर उनसे समुचित मात्रा में धन संग्रह किए जाने पर बल दिया जाना चाहिए।

8. काले धन की वृद्धि को रोकथाम करने और काले धन को बाहर निकलना कर विनियोग के लिए प्रयुक्त करने की नीतियों पर पुनर्विचार आवश्यक है। ऐसा, करते हुए इन उपायों पर विशेष वल देना होगा—तस्करी की रोकथाम, महस्वपूर्ण कृषि विनियोगों की सप्लाई पर और आधिक मात्रा में सामाजिक नियन्त्रण, उचित शहरी भूमि सम्बन्धी नीति पर प्रमल आदि। अनुमान है कि देश में लाभग उसी मात्रा में लोगों के पास काला धन छिपा हुआ है जिस मात्रा में देश में मुद्रा प्रचलन में है। अत भौद्विक तथा राजकोषीय नीतियों पर पुनर्विचार करके उन्हें इस रूप में प्रभावी बनाया जाना चाहिए कि काले धन में वृद्धि सम्भव न रहे। साथ ही काले धन को बाहर निकालने के लिए कठोर वैधानिक उपायों का आश्रय लिया जाना चाहिए। इससे विनियोगों के लिए एक बड़ी राशि प्राप्त की जा सकती है।

9. वित्त-व्यवस्था में घाटे को इस स्तर तक कम दिया जाना चाहिए कि जनता के पास धन-वृद्धि होने से वह अर्थ व्यवस्था की माँगों से अधिक नहीं बढ़े ताकि योजना के लिए धन की व्यवस्था करने में मुद्रा-स्फीति भी स्थिति न आए।

10. राज सहायता पर पुनर्विचार किया जाकर इसमें यथासम्भव कमी से भी विनियोग-वृद्धि के लिए भारी राशि प्राप्त की जा सकती है।

11. निर्दति में लेजी से वृद्धि और व्यायात प्रतिस्थापन की दिशा में कमज़ोर विन्दुओं को दूर किया जाना चाहिए।

12. कुछ विदेशी सहायता की राशि को यथाशीघ्र इस स्तर तक घटाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए कि वेवल बृहणों के भुगतान के लिए आवश्यक राशि ही विदेशी सहायता के रूप के स्वीकार की जाए।

उपरोक्त विवेचन से हम इन निष्कर्षों पर पहुँचते हैं कि योजनाओं के लिए विनियोग-वृद्धि की दृष्टि से हमें कई दिशाओं में एक साथ काम करना होगा। लोगों की बढ़ती हुई आय का एक बड़ा भाग विकास-कार्यों के लिए संग्रहीत करना होगा। घरेलू बचत की दर में पर्याप्त वृद्धि करनी होगी, क्योंकि लाभग 88 प्रतिशत विनियोगों की पूर्ति घरेलू बचतों से की जाती है। उपायों की श्रिय मिति के लिए प्रशासनिक यन्त्र में कुशलता सानी होगी। 1 अनुत्पादक व्यय पर नियन्त्रण लगाना होगा तथा उत्पादक व्यय की उत्पादकता में वृद्धि करनी होगी। एक और उत्पादकता वृद्धि के प्रयत्न तथा दूसरी ओर अनुत्पादक व्यय पर नियन्त्रण से ही योजनाओं के लिए आवश्यक विनियोग की पूर्ति सम्भव होगी।

उत्पादकता-सुधार के उपाय¹

(Measures to Improve Productivity)

भारत में उत्पादकता अन्वेषण का इतिहास लगभग 17 वर्ष पुराना है किन्तु इसका प्रारम्भ अमेरिका में कई दशकों पहले हो चुका था। द्वितीय महायुद्ध के अन्त में उत्पादकता की विचारधारा वो पश्चिमी जगत में व्यापक स्वीकृति मिली। जापान ने अमेरिका में जन्मी उत्पादकता की विचारधारा का पूरा लाभ उठाया। उसने अपने सभी स्तरों के श्रीद्वयिक कर्मचारियों को अमेरिका भेजा ताकि वे वहाँ के श्रीद्वयिक संयंत्रों से अनुभव प्राप्त कर सकें तथा अपने देश में संयंत्रों की कार्य-प्रणाली में अन्वयित ला सकें। भारत ने भी इसका अनुमरण किया और एक शिष्टमण्डल जापान यह ज्ञात करने भेजा कि किस प्रकार उस देश ने अपनी उत्पादकता में शीघ्र वृद्धि की है। शिष्ट-मण्डल के प्रतिवेदन के आधार पर भारत में 1958 में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् (National Productivity Council=NPC) की स्थापना की गई। विद्युत अर्थशास्त्री पी एस लोकनाथन् इसके अध्यक्ष मनोनीत किए गए।

उत्पादकता का अर्थ

भारतीय नियोजन के सम्बद्ध में उत्पादकता-सुधार के उपायों पर आमे से पूर्व उत्पादकता का अर्थ समझ लेना उपयुक्त है। उत्पादकता से आशय केवल वडे हुए उत्पादन से ही नहीं है और न ही श्रमिक की उत्पादकता से सम्बन्धित है। वास्तव में उत्पादकता का अर्थ कम से कम उपकरणों के साथ उत्पादन बढ़ाने की एक विधि के रूप में लगाया जाना उपयुक्त है। यह पूँजी के विनियोग, विज्ञली और इंधन की खपत, वस्तु सूची, वित्त तथा अन्य साधनों के रूप में मापी जा सकती है।

प्राय उत्पादकता, आदा व प्रदा के अनुपात के रूप में परिभासित की जाती है। उत्पादकता के उच्च स्तर के लिए लागत को कम करने तथा उत्पादन को बढ़ाने पर वल दिया जाता है। न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन साधनों के कुशल उपयोग (Efficient utilization) पर निर्भर करता है। किन्तु लागत की कमी व उत्पादन की वृद्धि वस्तु की विस्म को गिरा कर दी जानी चाहिए। उत्पादकता के अन्तर्गत कम लागत तथा अधिक उत्पादक के प्रतिरिक्त माल की श्रेष्ठ विस्म का भी व्यापार रखा जाना है। उत्पादकता की इस प्रवधारणा में भी एक कमी रह जाती है। वह यह है कि उत्पादकता की उपरोक्त परिभाषा वितरण पक्ष की व्याख्या नहीं करती है। एक विकासशील देश में उत्पादकता वृद्धि का परीक्षण उन वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के रूप में किया जाना चाहिए, जो सामान्य व्यक्ति के मांग-दौंडे के अधिक अनुहृत होती हैं। उत्पादकता के विश्लेषण के अन्तर्गत इस प्रकार की वस्तुओं पर लगे साधन तथा इन साधनों के कुशलतम उपयोग को लिया जाना

- 1 (a) योजना, 7 सितम्बर 1972—विकास के दो दशक (डॉ बी बी भट्ट)
- (b) योजना, फरवरी 1971—उत्पादिता-विशेषांक
- (c) India 1973, India 1974, India 1976
- (d) योजना, 13 फरवरी 1972 (उत्पादिता के सिद्धान्त)

चाहिए। उत्पादकता और उत्पादन दो भिन्न तत्व हैं। इन्हे समान ग्रन्थों में प्रयुक्त नहीं किया जाना चाहिए। उत्पादकता तथा उत्पादन में एक महत्वपूर्ण अन्तर यह है कि उत्पादन शब्द वस्तुओं के उत्पादन की भौतिक मात्रा के लिए प्रयुक्त होता है जबकि उत्पादकता शब्द वा प्रयोग साधनों के उपयोग में दिखाई गई कुशलता तथा श्रेष्ठता के लिए किया जाता है।

उत्पादकता का विचार उत्पादन-साधनों तथा आर्थिक विवास के कृषि, उद्योग आदि क्षेत्रों के सामर्य में किया जाता है। उत्पादन के साधन-धर्म का प्रति इकाई उत्पादन-धर्म की उत्पादकता तथा प्रति इकाई पूँजी का उत्पादन पूँजी की उत्पादकता बहलाता है। प्रति एक घण्टा प्रयवा प्रति हैक्टेयर कृषि के उत्पादन को कृषि उत्पादकता वहा जा सकता है। इसी प्रकार प्रति इकाई पूँजी को रूप में अयवा प्रति मानव घटे (Man Hour) के रूप में आर्थोगिक उत्पादन को प्राय आर्थोगिक उत्पादकता कहते हैं।

भारतीय राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् द्वारा उत्पादकता वृद्धि के प्रयत्न

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् श्रमिकों, मानिकों और सरकार के प्रतिनिधियों का एक ऐसा स्वायत्त संगठन है, जिसका उद्देश्य देशभर में उत्पादकता की चेतना उत्पन्न करना और उत्पादकता के जरिए देश को प्रगति के पथ पर ले जाना है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में है और इसके आठ क्षेत्रीय निदेशालय दम्बई, कलकत्ता, मद्रास, बगलौर, कानपुर, दिल्ली अहमदाबाद और चण्डीगढ़ जैसे महत्वपूर्ण आर्थोगिक नगरों में स्थित है। इसके अतिरिक्त 49 स्थानीय उत्पादकता परिषदें भी हैं, जिनके निकट सहयोग से उत्पादकता-कार्यक्रमों का सञ्चालन किया जाता है।

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् की स्थापना सन् 1958 में हुई थी और तब से अब तक उसका उद्देश्य रहा है कि कैसे उत्पादकता को राष्ट्रीय जीवन का अभिन्न ग्रन्थ बना दिया जाए, ताकि लोगों के रहन-सहन का स्तर ऊँचा उठे और देश कुशलाल हो। प्रबन्ध तथा उत्पादकता के क्षेत्रों में गत 16 वर्षों से राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् ने अपनी सेवाओं को विकसित किया है और उन्हे एक मानक रूप प्रदान किया है। इन क्षेत्रों में परिषद् प्रशिक्षण तथा परामर्श सेवाएँ देती रही है। इसके अलावा इसने नए क्षेत्रों में अपनी उत्पादकता तथा विशिष्ट सेवाओं को विकसित करने का प्रयास किया है। कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र निम्नलिखित हैं—

- (1) 'इंधन क्षमता' में दो वर्ष का प्रशिक्षण-कार्यक्रम
- (2) 'आचरण विज्ञान' में दो वर्ष का प्रशिक्षण-कार्यक्रम
- (3) 'वित्तीय प्रबन्ध' में दो वर्ष का प्रशिक्षण-कार्यक्रम
- (4) (क) निगमित योजना, (ख) उद्देश्यों के अनुमान प्रदर्शन,
- (ग) सम्पाद्यना प्रश्ययन, (घ) यातायात उद्योग, (इ) नागरिक पूर्ति नियम तथा (न) प्रस्पतालों में विशिष्ट सेवाओं के विवास के लिए विशेषज्ञों के दलों का गठन।

(5) श्रीयोगिक स्नेहन, कम्पन तथा घटनि, श्रीयोगिक विद्युत यन्त्र, संयन्त्र रख-रखाव उपकरण तथा प्रक्रिया-नियन्त्रण में श्रीयोगिकी सेवाओं का विकास आदि विषयों में कई प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।

एशियाई उत्पादकता संगठन के कार्यक्रमों को हिन्दुस्तान में कार्यान्वित करने तथा विभिन्न फैलोशिप कार्यक्रमों के अन्तर्गत विदेशों में प्रशिक्षण के लिए प्रत्याशियों को प्राप्तयोजित करने का काम रा उ प कर रही है। राउप के परामर्शदाताओं को समय समय पर प्रबल फिल्मा है कि वे देश तथा विदेशों में प्रशिक्षण लेकर प्रपत्ते जान और कुशलता में बढ़ि करे।

आवान् स्थिति की घोषणा में सभी क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था की उत्पादक तथा वितरण सम्बन्धी प्रणाली को कुशल बनाने के लिए जोरदार प्रयास की जरूरत पर जोर दिया गया है। देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने के लिए जिससे कि वह अनवरत बृद्धि ऊरता हुआ तथा मुद्रा-स्थोति से बचकर राष्ट्रीय एकता की सामाज्यिकि प्राप्त कर सके, अर्थव्यवस्था के सभी आधारभूत क्षेत्रों में उत्पादक सामर्थ्य के पूरे उपयोग, सभी तरह के नुकसान से बचने, व्यापार के स्रोतों को प्रवाही बनाने, खबरदूरी और प्रवाहकों सभी के द्वारा समय का पूरा-पूरा उपयोग करने, काम को पूरी लगत और सामाजिक इच्छा से करने समर्थनिष्ठा प्रदन्व-प्रद्वन्वी नियंत्रणों को उद्देश्यपूर्ण ढग से और शीघ्र लेने तथा आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण की प्राप्ति के लिए सम्पूर्ण रूप से आवश्यकता अनुभव करने की भावना पर जोर दिया गया है। राउप के प्रयासों का प्रभाव उसके वित्तीय खर्चों और आय को सामने रखकर नहीं मापा जा सकता, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक संगठनों की दुश्यनता और प्रणाली में सुधार करना है। अत लाभ उन संगठनों में दूढ़ा जा सकता है न कि राउप के वित्तीय बजट में। राउप ने उत्पादकता-बृद्धि के प्रयास में जो कुछ व्यव किया है, वह सरल राष्ट्रीय उत्पादका थोड़ा सा अश्व है, जबकि उत्पादकता बृद्धि का कार्य अर्थव्यवस्था में कुशलता का विकास करने का एक दुनियादी तत्त्व है। उत्पादन और वितरण और देश के सीमित वित्तीय तथा भौतिक साधनों के इस्तेमाल में कुशलता बढ़ाना अन्ततोगत्वा उन सभी लोगों की कुशलता और रवैये पर निर्भर है जो उत्पादन तथा वितरण के कार्यों में लगे हुए हैं। राउप की भूमिका तो यह है कि वह प्रशिक्षण कार्यक्रमों, समस्याओं का निदान तथा तथ्यों को स्पष्ट करके मानव-तत्त्व की इस प्रकार सहायता करे कि कार्य को बेहतर ढग से बिया जा सके।

उत्पादकता योजना को राष्ट्रीय आर्थिक योजनाओं से समन्वित करने की जरूरत है जिससे कि अर्थव्यवस्था के विस्तार और बृद्धि के लिए एक मुहृद्ध आधार प्रदान करने में उत्पादकता-प्राप्तोलन अपनी भूमिका अदा कर सके और राष्ट्रीय आर्थिक विकास म अपना कारगर योगदान दे सके। राउप अपने कार्यक्रमों का विस्तार और विकास करने की योजना राष्ट्रीय आर्थिक योजनाओं की जरूरतों के अनुसार करती है। इसके 1975-76 के कार्यक्रमों की योजना को पहले ही

अनिम स्वप्न दे दिया है, जिसका लक्ष्य है देश में उत्पादकता-प्रान्दोलन की वृद्धि और विनाश तथा उत्पादकता के माध्यम से राष्ट्र के आर्थिक विकास को गति प्रदान करने में सहायता करने की कुनौतीभर भूमिका और बढ़ती हुई जिम्मेदारी को सम्भालना।

उत्पादकता-प्रान्दोलन का प्रभाव

योजनाबद्ध कार्यक्रमों के पश्चात् अब यह वहा जा सकता है कि विकास के लिए विस्तृत स्तर पर आधारभूत औद्योगिक-ढाँचे का निर्माण किया जा चुका है तथा अनेक प्रकार के नवीन आर्थिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 25,000 करोड़ रु की महत्वाकांक्षी चौथी पञ्चवर्षीय योजना तथा 50,000 करोड़ रु से अधिक की वर्तमान पञ्चवर्षीय योजना आर्थर्थव्यवस्था के उत्पादक-स्वरूप के ही प्रतिफल हैं। 1968-69 की अवधि में औद्योगिक उत्पादन में 60% की वृद्धि विनियाग की इसी विशिष्ट वृद्धि के परिणामस्वरूप न हो कर उपयुक्त औद्योगिक क्षमता में वृद्धि के कारण ही सम्भव हो सकी थी।

आज हम लोहा इस्पात खाद, रसायन, मशीनी-यन्त्र, पेट्रो-रसायन भारी इन्जीनियरिंग आदि उद्योगों की स्थापना करके देश के आधारभूत औद्योगिक ढाँचे का निर्माण करने में हम समर्थ हो सके हैं। भारत इन वस्तुओं को उन्हीं देशों को निर्यात दर रहा है जिनसे वह 20 वर्ष पूर्व आयात करता था। 20 वर्ष पूर्व सूनी बस्त्र, इट, सीमेन्ट आदि कुछ एक उद्योगों को छोड़कर अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति विदेशी आयातों से होती थी। शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य आदि से सम्बन्धित सुविधाएँ प्रायः नगम्य थी। कुछ आवश्यक वस्तुओं की प्रति व्यक्ति उपलब्धि इस प्रकार है—

विद्युत्	0 0063 किलोवाट
मशीनी यन्त्र	0 0083 मि. क
इस्पात	0 0027 टन
रेल	0 0001 किलोमीटर
क्रूड तेल	0 0007 टन

भारतीय राष्ट्रीय उत्पादक परिपद के प्रयत्नों तथा पञ्चवर्षीय योजनाओं में किए गए प्रयासों के बावजूद उत्पादकता कमी बहुत कम है। कुछ प्रयत्नों को छोड़कर भारत में निर्मित प्रत्येक वस्तु की लागत अन्तर्राष्ट्रीय लागत की तुलना में बहुत ऊँची है। इसके अतिरिक्त हमारी उत्पादन-क्षमता का भी पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया। अत उत्पादकता वृद्धि के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

कृषि-उत्पादकता बढ़ाने के उपाय

गत कुछ वर्षों से कृषि के क्षेत्र में उत्पादकता में पर्याप्त वृद्धि ही है। कृषि-उत्पादकता एक प्रच्छेद स्तर पर पहुँच गई है। नई कृषि-नीति का पैकेज-नायंत्रम् कृषिगत ढाँचे में उत्पादकता की ओर सर्वेत करता है। इस समय लगभग निलियन से प्रधिक हैक्टेयर भूमि पर उन्नत विस्तर के बीचों ना प्रयोग होता है। जबकि गेहूँ की कुछ विस्तरों में 5 से 6 टन प्रति हैक्टेयर उत्पादन होने लगा है। जबकि

इससे पूर्व सिचित भूमि में भी बेबल 2 टन की पैदावार होती थी। उन्नत किस्म के बीजों के कारण अन्य अनाजों की पैदावार में भी काफी वृद्धि हुई है। चावल के क्षेत्र में 'Break Through' की स्थिति है। इसलिए यह दावा उचित प्रतीत होता है कि खाद्यांशों में 20 से 50 मिलियन टन की वार्षिक वृद्धि कृपि उत्पादकता में सुधार के कारण ही सम्भव हुई है।

इस स्थिति से प्रोत्साहित होकर ही योजना आयोग ने कृपि क्षेत्र में विज्ञान व तकनीकी प्रयोग को चतुरं-योजना की व्यूह-रचना (Strategy) में महत्व दिया था। हम उत्तरोत्तर इस तथ्य का अनुभव कर रहे हैं कि कृपि के क्षेत्र में उत्पादकता की वृद्धि के लिए सबसे अधिक अवसर प्राप्त है तथा वास्तविक मजदूरी में वृद्धि के रूप में और राष्ट्रीय बाजारों के विस्तार के रूप में कृपि-उत्पादकता में वृद्धि में आधिक विकास के अनेह ग्रप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होते हैं। भारत में कुछ भागों में देखे जाने वाले ट्रैकटर कृपि उपकरण तथा उच्चतर जीवन-स्तर कृपि के क्षेत्र में नवीन उत्पादकता तकनीकियों के प्रयोग के ही परिणाम हैं। राष्ट्रीय उत्पादकता में कृपि-क्षेत्र के महत्व को ध्यान में रखते हुए कृपि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कृपि के लिए नियोजित विनियोग जी राशि को बढ़ाना आवश्यक है।

उत्पादक वृद्धि के लिए निम्नलिखित सुझाव है—

1 अनुसंधान उत्पादकता वृद्धि का मूल आधार है। अत वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देकर तथा उसे व्यवहार में लाकर उत्पादकता में वृद्धि की जानी चाहिए। योजना आयोग ने कृपि क्षेत्र में विज्ञान व तकनीकी प्रयोग को खोयी और पाँचवीं योजना की व्यूह-रचना में अत्यधिक महत्व दिया है।

2 कृपि के लिए नियोजित विनियोग (Planned Investment) के अग्र को बढ़ाया जाना चाहिए। जब-कभी योजनाओं के परिव्यय में कमी करना आवश्यक समझा गया, योजना परिव्यय में कटौतियाँ कृपि के भाग को कम करके की गईं तथा कृपि का वास्तविक भाग संगोष्ठि अनुमानों में नियोजित अथवा प्रस्तावित राशि से बहुत कम रहा। विनियोग की अपर्याप्तता के कारण कृपि-उत्पादकता में अपेक्षित वृद्धि नहीं की जा सकी। प्रथम तीन योजनाओं में कृपि-विनियोग की स्थिति कुछ इसी प्रकार की रही।

3 मानव शक्ति का पूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए तथा सहकारी सेती को और अधिक प्रभावपूर्ण बनाया जाकर पैमाने, विनियोग और सगठन (Scale, Investment and Organization) के सम्बन्ध लाभ कृपि क्षेत्र में लेने चाहिए।

4. आवश्यक प्रशिक्षण द्वारा कृपि-श्रमिकों की उत्पादकता में वृद्धि की जानी चाहिए तथा कृपि के नए उपकरणों और नई तकनीकी प्रयोग के लिए इन्हें प्रेरित किया जाना चाहिए।

5. कृपि मूल्य नीति इस प्रकार की होनी चाहिए कि किसान को अपनी उत्तर का उचित मूल्य प्राप्त हो सके। कृपि मूल्यों से अनिश्चितता की स्थिति दूर की जानी चाहिए।

6 कृषि शिक्षा की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। देश के कृषि विश्वविद्यालयों को प्रयोगात्मक ज्ञान के ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए कि जिनसे कृषि के छात्रों को कार्य करने का अवसर मिले तथा वे व्यवहार में लाकर कृषि-उत्पादकता बढ़ि में योग दे सकें। पाँचवीं योजना में 25 500 कृषि स्वातंत्र्य, 4200 पशु चिकित्सक और 1400 कृषि इन्जीनियरों के बढ़ने का अनुमान है। कृषि के लिए प्रशिक्षित इस बांग से कृषि-उत्पादकता में बढ़ि की भारी आशाएं हैं।

7 रासायनिक खाद का प्रयोग बढ़ाया जाना चाहिए। पाँचवीं योजना के आधार वर्ष 1973-74 में रासायनिक खाद की खपत लगभग 19.7 लाख टन थी। योजना के अन्त तक यह खपत 52 लाख टन तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। आशा की जाती है कि रासायनिक खाद के बढ़ने हुए इस प्रयोग से कृषि उत्पादिता में आवश्यक बढ़ि सम्भव हो सकेंगी। मिट्टी परीक्षण की पर्याप्त सुविधाएं बढ़ायी जानी चाहिए, क्योंकि मिट्टी के आधार पर ही फसलों के उपाए जाने का नियोजन किया जा सकता है। पाँचवीं योजना में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं को सुखद बनाने और उनका उपयोग बढ़ाने के प्रनिरिक्त 150 स्वायी मिट्टी परीक्षा प्रयोगशालाएं स्थापित किए जाने का प्रावधान है।

8. छोटे और सीमान्त किसानों (Marginal Farmers) को जामिल किया जाना चाहिए। बारानी खेती बड़े खेतों पर शुरू की जानी चाहिए। शुष्क खेती के विस्तार की भी बड़ी आवश्यकता है।

9 पाँचवीं योजना में कृषि-उत्पादकता बढ़ाने के लिए खेती की रोकने तथा शुष्क भूमि के उचित उपयोग और बीहड़ों, सारी तथा रेतीली भूमि को खेती योग्य बनाने का भी सुझाव है।

10 विश्वविद्यालयों और अन्य शोध संस्थानों में किए अनुसन्धानों पर प्रयोग करने में जो कठिनाइयाँ सामने आई हैं उन्हें दूर बरने के प्रयत्न किए जाना चाहिए। इसके लिए विश्वविद्यालयों अनुसन्धान-पर्यावरणों और सरकार के बीच समझौते स्थापित किया जाना आवश्यक है।

11. शुष्क खेतों में घास, फसलों के पेड़ और बन लगाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इन खेतों में सौर ऊर्जा के उपयोग तथा हवा भरे पोलीथिलेट के ताम्बुओं में खेती करने का पाँचवीं योजना में सुझाव दिया गया है। कुर्य रेजिस्टरनी इलाकों में इस तरह से खेती की भी जा रही है।

12. ऊर्ध्वाई वाले इलाकों में भूमि के उचित उपयोग पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उबंर भूमि क्षतण और झूम खेती की स्वानीष समस्याओं को भी ध्यान में रखा जाना आवश्यक होगा।

13. कृषि के आधुनिकीकरण के लिए बड़ी मात्रा में Industrial Inputs की आवश्यकता है।

14 कृषि अरण व साथ सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। कृषि वित्त नियम, सहकारी बैंक एवं राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंकों आदि वित्तीय सम्यांगों द्वारा अरण देने की सुविधाएँ हैं। इन सुविधाओं में पर्याप्त वृद्धि की आवश्यकता है।

सक्षेप में कृषि-उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि-प्रशासन व सगठन को सुहृद बनाने, प्रामाणिक दीजों की पैदावार बढ़ाने, रासायनिक खाद का अधिक मात्रा में और भली भाँति प्रयोग करने तिचाई की उचित व्यवस्था, कटाई के बाद कृषि उपज रखने की सग्रह-व्यवस्था, बाजार-व्यवस्था आदि की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

थ्रम-उत्पादकता में वृद्धि के उपाय

भारतीय थ्रम उत्पादकता का स्तर विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है। अतः थ्रम-उत्पादकता बढ़ाने के लिए कुछ उपाय आवश्यक हैं—

थ्रमिक की Working Conditions असन्तोषप्रद हैं। कार्य करने के लिए अच्छी मशीनें और औजार थ्रमिक को नहीं मिलते। कारखाने में थ्रमिक की प्राथमिक आवश्यकताओं का अभाव है। अत थ्रमिकों को अच्छे वेतन, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा आदि की सुविधाएँ मिलनी चाहिए ताकि उनकी कुशलता व उत्पादकता में अपेक्षित वृद्धि हो सके।

2. कार्य ग्राध्यत तथा प्रोत्तमाहन पुरस्कारों (Work Studies and Incentives) द्वारा भी थ्रम-उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है।

3. उत्पादकता-वृद्धि के लिए पर्याप्त कार्यशील पूँजी (Working Capital) आवश्यक है।

4 उत्पादकता-वृद्धि में मानव तत्व (Human element) भी एक महत्वपूर्ण योग है। इसलिए संयत के फेन होने (Plant breakdown), बिजली न मिलने, आवश्यक निर्देशों के अभाव के कारण वर्द्धमान में खोए जाने वाले कार्य के घट्टो पर सामयिक रोक लगाई जानी चाहिए साथ ही पदार्थ व यन्त्र सम्बन्धी नियन्त्रण (Scientific material & tool control) और उपयुक्त वर्क-शॉप सुविधाओं की व्यवस्था (Provision for work-shop services) भी थ्रम की कुशलता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

5 कच्चे माल तथा आधुनिक मशीनरी के अभाव को दूर किया जाना चाहिए। समय पर कच्चा माल न मिलने के कारण बहुत से मानव घण्टे (Man-hours) वेकार हो जाते हैं।

6 थ्रम-उत्पादकता के लिए अच्छे प्रौद्योगिक सम्बन्धों का होना अत्यावश्यक है। प्रबन्ध पक्ष की ओर से थ्रमिकों को अच्छे वेतन, सुविधाएँ तथा कार्य करने की अच्छी व्यवस्थाएँ प्रदान कर उनकी प्रगति में खिच रखना है और थ्रमिकों की ओर से सत्रिय सहयोग देना है ताकि उत्थोग के लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। दोनों ओर से अच्छे प्रौद्योगिक सम्बन्धों के कारण प्रौद्योगिक एकता (Industrial Harmony) विकसित

होती है। सामाजिक इस प्रकार की पृष्ठभूमि में दोनों वयों के हित साधन की दृष्टि से निम्नलिखित क्षेत्रों को लिया जाता चाहिए—

- (1) अधिक उत्पादन,
- (2) सुरक्षापूर्ण व स्वास्थ्य कायदशास्त्र,
- (3) कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण,
- (4) श्रौद्धागिक इकाइयों का उचित विस्तार और स्थायित्व।

इस प्रकार थम उत्पादकता में वृद्धि के लिए जहाँ एक और श्रमिकों के लिए बायं की श्रेष्ठ अवधारणा और आवश्यक प्रशिक्षण की सुविधाओं की व्यवस्था करना आवश्यक है वहाँ दूसरी आग कायदील पूँजी का प्रयाप्त प्रबंधन तथा उत्पादन के संपत्र की समना का नियमित रूप से कुशलतम उपयोग करना भी अत्यन्त आवश्यक है। इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् न श्रमिकों के प्रशिक्षण के लिए प्रबंध और नियोजन सावधान के विकास, कायद व्यव्ययन विधि, उत्पादिता-सर्वेक्षण आदि की दिशा में किए गए प्रयत्न महत्वपूर्ण हैं।

श्रौद्धागिक उत्पादकता वृद्धि के उपाय

कृपि उत्पादकता तथा थम उत्पादकता के अतिरिक्त श्रौद्धागिक उत्पादकता का विश्लेषण भी आवश्यक है। श्रौद्धागिक उत्पादकता का सामाजिक अर्थ उत्पादन में लग माध्यनों की प्रति इकाइ उत्पादकता से लिया जाता है। श्रौद्धागिक उत्पादकता से सम्बन्धित उपाय में मुख्य है—Waste Control। 'वेस्ट कंट्रोल' की प्रभावशाली व्यवस्था द्वारा उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है। पहला आवश्यक कदम हर प्रकार Waste का लेखा करके उसक कारण तथा उसके प्रति उत्तरदायित्व का विश्लेषण करना है। यह सिद्धान्त सरल प्रतीत होता है, इन्तु व्यवहार में स्थिति विवरीत देवन का मिलती है। अधिकांश लघु उद्याग इकाइयों के पास ऐसी कार्ड व्यवस्था नहीं होती जिसके द्वारा यह अनुमान लगाया जाए कि उनके साधन इस सीमा तक बढ़ाव जाते हैं। साधनों की बढ़ावादी के नियन्त्रण के दो प्रभाव होते हैं। एक और यह लागत की कम करता है तथा दूसरी ओर उत्पादन-वृद्धि में सहायक होता है। साधनों की बढ़ावादी के मुख्य हर हो सकते हैं—(i) व्यय में ज्ञान बाले प्रयत्न (Lost efforts), (ii) गति में हकावट (Lost motions) (iii) अवधारणाओं की अस्तित्व (Ambiguity of Concepts), एवं (iv) वस्तुओं की अनावश्यक विस्तर (Undue variety of materials and products)। इन सभी प्रकार की 'Wastes' को स्टैंडर्डाइजेशन (Standardisation) से नियन्त्रित किया जा सकता है।

'स्टैंडर्डाइजेशन तथा उत्पादिता' (Standardisation and Productivity) की दृष्टि से एक श्रौद्धागिक प्रतिष्ठान के कायदाम को तीन बड़ी श्रेणियों में रखा जा सकता है—प्रबन्ध, इंजीनियरिंग और क्रय (Management, Engineering and Purchase)। प्रबन्ध के अन्तर्गत नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियन्त्रण व प्रगतिशाली क्रियाएं आती हैं। यदि प्रबन्ध-व्यवस्था इन उत्तरदायित्वों को ठीक से नियंत्रित हो तो वह उत्पादिता वृद्धि में सहायक होती है।

इन्हीनियरिंग प्रक्रिया के अन्तर्गत उत्पादन से सम्बन्धित डिजाइनिंग, नियंत्रण-कार्य, किस्म नियन्त्रण (Quality Control) आदि तरहीं की फलन आते हैं। इन तरहीं की फलनों पर उत्पादिता निर्भर करती है। अतः उत्पादकता वृद्धि के लिए इन्हीनियरिंग एहलुप्रो पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

क्य तीति का भी उत्पादकता पर गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि प्राधुनिक उत्पादन-नक्की की अधिकांश कच्चे माल के भूत पर निर्भर करती है। यदि स्टेंडाइजेशन को ध्यान में रखकर कच्चे माल वी खरीद की जा सकती है, तो उत्पादन-व्यवस्था में एक अनिवार्यता व असनुलग का तत्त्व आ जाता है। सामान्यतः विना स्टेंडाइज की वस्तुएं खरीदने पर उत्पादकता इस प्रकार प्रभावित होती है—

- (i) समय पर ठीक ढांग का सामान न मिलने से कार्य में दीर्घकालीन अथवा अल्पकालीन रुकावट,
- (ii) किसी काम की बार बार अस्वीकृति तथा उसे बार बार करना (Excessive rejection and re working),
- (iii) दोष पूणे वस्तुप्रो (Defective Products) के उत्पादन को रोकने के लिए प्रतिरक्ति नियंत्रण कार्य
- (iv) उपरोक्त कारणों से ऊपरी लागत में वृद्धि (Increasing Overhead charges for the above)।

भारत शब्द के तोता से विक्रेता में बदलता जा रहा है। दिन प्रतिदिन प्रतिस्पर्द्ध बढ़ती जा रही है। अतः व्यावसायिक सम्यानों के लिए शेषु विक्री-व्यवस्था करना आवश्यक है। विक्री में वृद्धि से लागत कम आती है और लागत में कमी से उत्पादकता बढ़ती है।

भारतीय योजना-परिव्यय के आवंटन का सूल्हाँकन

(Criticisms of Plan Allocation in India)

योजना परिव्यय के आवंटन का प्रश्न मूलत प्राथमिकताओं (Priorities) का प्रश्न है। प्रायः प्रत्येक देश में साधन सीमित होते हैं अतः योजनाओं में विस मद (Item) को कम या अधिक महत्व दिया जाए प्रश्न ही योजनाओं में प्राथमिकताओं का प्रश्न है। प्रायः प्रत्येक समस्या में दो पक्ष है—प्रथम, वित्तीय साधनों की उपलब्धि (Resource Availability)। और द्वितीय, उपलब्ध वित्तीय साधनों का आवंटन (Resource Allocation) समस्या के दूसरे पक्ष का विश्लेषण। प्रायः देश की क्षेत्रीय आवश्यकताओं (Regional needs), उत्पादन तथा वितरण सम्बन्धी आवश्यकताओं (Production & Distribution needs), प्रोच्चोगिक स्थिति (State of Technology), उपभोग तथा विनियोग सम्बन्धी आवश्यकताओं (Consumption and Investment needs) तथा सामाजिक आवश्यकताओं (Social needs) को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। इन्हीं के आधार पर योजना में प्राथमिकताएं निर्धारित की जाती हैं।

प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकताएं (Priorities of First Five Year Plan)

प्रथम योजना में परिव्यय की राशि प्रारम्भ में 2069 करोड़ रुपये प्रस्तावित की गई तरीखित अनुमानों में यह राशि बढ़ा कर 2378 करोड़ रुपये कर दी गई। योजना पर वास्तविक व्यय 1960 करोड़ रुपये हुआ।

कृषि व सिंचाई

कृषि व सिंचाई के लिए प्रथम योजना के प्रारूप में 823 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए थे, जो कुल प्रस्तावित व्यय का 3.5% था, जिन्हुंने इस मद पर वास्तविक व्यय 724 करोड़ रुपये हुआ जो प्रस्तावित व्यय से 99 करोड़ रुपये कम था। जिन्हुंने योजना के कुल वास्तविक व्यय (1960 करोड़ रु.) में इस मद का प्रतिशत 37% रहा जो प्रस्तावित प्रतिशत से 2% अधिक था।

इस प्रकार प्रथम योजना में कृषि और सिंचाई को मर्दोंच्च प्राथमिकता दी गई। यह प्राथमिकता उचित थी तथा योजना की पूर्वनिर्धारित व्यूह-उच्चना (Strategy) के अनुकूल थी, क्योंकि प्रथम योजना की व्यूह-रचना का मूल लक्ष्य देश में श्रौद्धोगी-व्यापार के लिए उपयुक्त पृष्ठभूमि तैयार करना था। कृषि के दिशांस से ही बच्चे माल-

की आवश्यक पूर्ति प्राप्त हो सकती थी तथा देश की अतिरिक्त अम-बक्ति (Surplus labour force) को रोजगार के अवमर प्रदान किए जा सकते थे। कृषिगत विनियोग की गर्भाविधि (Gestation Period) भी औद्योगिक विनियोग की तुलना में बहुत छोटी होनी है। कृषिगत विनियोग से शोध प्रतिफल मिलने लगते हैं। अत देश की राष्ट्रीय आय में बृद्धि के लिए भी कृषि के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता का दिया जाना उचित या तथा मन्य मदों की तुलना में इस मद पर आवित राशि का प्रायोजन योजना के उद्देश्यों के अनुकूल था।

परिवहन और सामाजिक सेवाएँ

परिवहन तथा सचार के लिए इस योजना में 570 करोड रुपये प्रस्तावित किए गए जो कुल प्रस्तावित व्यय का 24 / था। इस मद पर वास्तविक व्यय 518 करोड रुपये का हुआ जो कुल वास्तविक व्यय का 26 / था। सामाजिक सेवाओं के लिए प्रस्तावित व्यय 532 करोड रुपये का रखा गया था लेकिन वास्तविक व्यय 412 करोड रुपये हुआ। इस प्रकार प्रथम योजना में परिवहन तथा सचार का द्वितीय तथा सामाजिक सेवाओं का तीसरा स्थान रहा।

परिवहन तथा सामाजिक सेवाओं की प्राथमिकता को सरकारी क्षेत्रों में उचित छहराया गया। परिवहन तथा सचार को दी गई प्राथमिकता को उचित कहा जा सकता है, क्योंकि आर्थिक विकास में परिवहन तथा सचार की मुख्यालयों के विस्तार का बड़ा महत्व है। कृषि, उद्योग आदि किसी भी क्षेत्र में प्रगति के लिए कुशल परिवहन तथा सचार सेवाएँ आवश्यक हैं। बाजारों के विस्तार तथा देश के विभिन्न भागों को एक दूसरे से जोड़ने में और नवीन आर्थिक क्रियाओं के सचालन में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। किन्तु सामाजिक सेवाओं के लिए निर्धारित व्यय तथा इसको दी गई प्राथमिकता को उचित नहीं कहा जा सकता। यह तो उचित है कि देश के विकास के लिए मानव-तत्त्व को कुशलता वा बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक शिक्षा और चिकित्सा की सुविधाएँ मिलनी चाहिए। किन्तु भारत जैसे देश में इस मद पर किए जाने वाले व्यय का प्रधिकौश भाग प्रशासनिक व्यय के रूप में जाता रहा। सामाजिक कल्याण के नाम पर देश में करोड़ों रुपयों का अपव्यय हुआ। इस मद में से कटौती कर उद्योग तथा खनिज के विकास परिव्यय की मात्रा बढ़ाई जानी चाहिए थी। विकास की प्रारम्भिक अवस्था में आर्थिक ऊपरी पूँजी (Economic over-heads) का निर्माण सामाजिक ऊपरी पूँजी (Social over-heads) की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होता है।

उद्योग तथा खनिज

उद्योग तथा खनिज पर इस योजना में 188 करोड रुपये का व्यय प्रस्तावित किया गया था किन्तु वास्तव में केवल 97 करोड रुपये ही व्यय हुए। इस मद पर इतना कम राशि का आवटन अनुचित था।

द्वितीय पचवर्षीय योजना की प्राथमिकताएँ

(Priorities of the Second Five Year Plan)

द्वितीय योजना में 4800 करोड रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया।

इस प्रस्तावित राशि के मुक्त उले वास्तविक व्यय 4672 करोड़ रुपये का हुआ। यह उद्योग-प्रधान योजना थी। इस योजना में कृषि की प्राथमिकता को कम किया गया तथा प्रथम योजना की तुलना में उद्योग तथा खनिजों के लिए एक बड़ी राशि निर्धारित की गई।

कृषि तथा विचार्दि

कृषि तथा विचार्दि के लिए योजना में 1101 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की गई थी जो कुल प्रस्तावित व्यय का 23 प्रतिशत थी। इस मद पर वास्तविक व्यय 979 करोड़ रुपये का हुआ जो कुल योजना-परिव्यय का 21 प्रतिशत था। प्रथम योजना में इस मद पर व्यय का प्रतिशत जहाँ कुल व्यय का 37 था, वहाँ यह प्रतिशत घट कर इस योजना में केवल 23 रह गया। कृषि के विनियोग को कम करना नियोजन की अद्वार्दिता को दर्शाता है। पहली योजना के दोरान खाद्यान्न वी अच्छी स्थिति होने का कारण अच्छी वर्षा का होना था, किन्तु नियोजन को ने योजना की सफलता मान कर, द्वितीय योजना में कृषि पर कम ध्यान दिया। कृषि विनियोगों में कमी का यह परिणाम निकला कि दूसरी योजना में कृषि के लक्ष्य पूर्ण रूप से असफल रहे और खाद्यान्नों का उत्पादन गिर गया।

परिवहन तथा सचार

परिवहन तथा सचार के लिए योजना में 1385 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए थे कुल परिव्यय के 29 प्रतिशत थे। इस मद पर वास्तविक व्यय 1261 करोड़ का हुआ जो कुल वास्तविक व्यय का 27 प्रतिशत था। जहाँ तक व्यय के प्रतिशत वा प्रश्न है, पहली योजना की तुलना में इसमें कोई विशेष अन्तर नहीं आया। पहली योजना में यह प्रतिशत 26 था। किन्तु निरपेक्ष अब्दों के रूप में पहली योजना में जहाँ इस मद पर हुए वास्तविक व्यय की राशि केवल 518 करोड़ रुपये थी, वहाँ इस योजना में यह राशि 1261 करोड़ रुपये ही थी। इस मद के लिए इस बड़ी राशि का प्रावधान इस योजना में परिवहन व सचार को दिए गए ऊने महत्व को स्पष्ट करता है। इस योजना में परिव्यय की हाइ से सर्वोच्च प्राथमिकता इसी मद को दी गई। यह प्राथमिकता उचित थी, क्योंकि आर्थिक विकास की गति को सीढ़ा करने के लिए परिवहन तथा सचार के कुशल तथा तेज रपतार बाले साधनों के रूप में आर्थिक ऊपरी पूँजी का होना अत्यावश्यक था।

उद्योग तथा खनिज

द्वितीय योजना में इस मद के लिए 825 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई। वास्तविक व्यय वो राशि तो इससे वही अधिक (1125 करोड़ रुपये) थी। कुल प्रस्तावित व्यय में इस मद के प्रस्तावित व्यय का प्रतिशत 19 तथा कुल वास्तविक व्यय में इस मद के वास्तविक व्यय का प्रतिशत 24 रहा। इस प्रकार वास्तविक व्यय का प्रतिशत प्रस्तावित व्यय के प्रतिशत से 5 परिवर्त रहा। ये प्राइवेट इस योजना में उद्योग तथा खनिजों वो दिए गए महत्व को प्रकट बरते हैं। इस मद वो योजना में दूसरा स्थान मिला। उद्योगों के क्षेत्र में भी मूर व भारी उद्योगों जैसे

लोहा व इस्पात, मशीन, इंजीनियरी, रासायनिक आदि उद्योगों को विशेष स्थान दिया गया। निर्धारित विनियोगों का अधिकांग भाग इन उद्योगों के लिए प्रस्तावित किया गया। औद्योगीकरण की यति से तीव्रता लाने के लिए इस मद के लिए बड़ी राशि का आवटन उचित था। पहली योजना में इस मद की उपेक्षा की गई थी जिसके कानू-मनुभव का लाभ उठाते हुए इस योजना में इस मद के लिए किया गया वित्तीय आवटन (Financial Allocation) सर्वथा उचित था।

सरकारी क्षेत्र में किए गए उत्तरोक्त व्यय के अतिरिक्त निजी क्षेत्र में सगठित उद्योग और खनिजों पर 575 करोड़ रुपये व्यय किए गए। देश को औद्योगिक दिशा देने के लिए प्राथमिकता का यह पर्यावर्तन योजना के उद्देश्यों के अनुसूल था।

सामाजिक सेवाओं तथा विविध

सामाजिक सेवाओं के मद के लिए योजना में 1044 करोड़ रुपये की राशि का प्रस्ताव किया गया था। इस मद पर वास्तविक व्यय 855 करोड़ रुपये वा हुआ जो कुल वास्तविक योजना परिव्यय का 18 प्रतिशत था। प्राथमिकताओं की हृषि से इस मद का योजना में क.फी ऊंचा स्थान रहा। पहली योजना में सामाजिक सेवाओं के व्यय का प्रतिशत जहाँ 21 था, वहाँ इस योजना में इस मद के व्यय का प्रतिशत 18 रहा। पहली योजना की तुलना में व्यय के प्रतिशत में यह गिरावट उचित थी, क्योंकि प्रथम योजना के सन्दर्भ में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि देश के विभास की प्रारम्भिक अवस्थाओं में साधनों वा अधिक भाग सामाजिक मदों की अपेक्षा आधिक मदों पर अधिक लगाया जाना चाहिए। सामाजिक सेवाओं के व्यय में अनेक प्रकार की 'Leakages' का रहना स्वाभाविक है।

तृतीय पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकताएं (Priorities of the Third Five Year Plan)

तृतीय योजना में सर्वजनिक क्षेत्र का परिव्यय 7509 करोड़ रुपये का निर्धारित किया गया। सर्वजनिक क्षेत्र में इस योजना के दौरान वास्तविक व्यय 8577 करोड़ रुपये का हुआ।

कृषि और सिचाई

कृषि और सिचाई के लिए 1718 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए। कुल प्रस्तावित व्यय का यह 23 प्रतिशत था। इस मद पर वास्तविक व्यय 1753 करोड़ रुपये हुआ जो कुल वास्तविक व्यय का 21 प्रतिशत था। प्रतिशत व्यय की हृषि से योजना में इस मद को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। 25 प्रतिशत पर प्रथम परिवहन व सवार को तथा 23 प्रतिशत पर द्वितीय स्थान उद्योग और खनिज को मिला।

इस योजना में कृषि-क्षेत्र को द्वितीय योजना वी अपेक्षा अधिक महत्व दिया गया। कृषि विकास के लिए 1068 करोड़ रुपये तथा सिचाई-विकास के लिए 650 करोड़ रुपये का निर्धारण इस म्याति को स्पष्ट करता है कि इस योजना में समस्त व्यय का एक चौथाई भाग कृषि विकास के लिए रखा गया। यह वित्तीय प्रावधान उचित था। देश की बढ़ी हुई आबादी की आवश्यकता-पूर्ति के लिए

खाद्यान्नों के उत्पादन में भारी वृद्धि अपेक्षित थी। कृषि के क्षेत्र में रही द्वितीय योजना की असफलताओं की पूर्ति के लिए भी तृतीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दिया जाना उचित था।

उद्योग और खनिज

द्वितीय योजना की भाँति इस योजना में भी उद्योग और खनिज को प्राथमिकता दी गई। इस मद के लिए 1784 करोड रु प्रस्तावित किए गए जो कुल प्रस्तावित व्यय का 24 प्रतिशत था तथा वास्तविक व्यय इस मद पर 1967 करोड रु. हुआ जो कुल वास्तविक व्यय का 23 प्रतिशत था। द्वितीय योजना में देश द्वात् ओर्डीनरी इंस्ट्र्यूशन (Rapid Industrialisation) के लिए लोहा व इस्पात खाद, भारी भौमिका आदि के कारखानों के रूप में ऊपरी आर्थिक पूँजी (Economic overheads) का एक सुट्टड आधार निर्मित हो चुका था। अत इस ऊपरी आर्थिक पूँजी के अपेक्षित उपयोग के लिए यह आवश्यक था कि अधिक से अधिक उद्योग स्थापित किए जावें और ओर्डीनरी इंस्ट्र्यूशन के अधिक सुट्टड बनाने के लिए नए खनिजों की खोज की जावें तथा पुराने खनिजों का उत्पादन बढाया जावें। इसलिए इस योजना में उद्योग तथा खनिज पर किया गया वित्तीय प्रावटन उचित था। इस मद पर बड़ी राशि का प्रावधान होना आर्थिक विकास और ग्राम्य निर्मता के लिए आवश्यक था।

परिवहन तथा सचार

परिवहन तथा सचार के लिए 1486 करोड रुपये प्रस्तावित किए गए, जिन्हें वास्तविक व्यय 2112 करोड रु का हुआ जो सभी मदों की अपेक्षा अधिक था। जिन्हें वास्तविक व्यय के प्रतिशत की हृष्टि से इस मद का स्थान पहला रहा। तीव्र ओर्डीनरी इंस्ट्र्यूशन के उद्देश्य की हृष्टि से परिवहन तथा सचार को अधिक महत्व दिया जाना आवश्यक था। अत इस मद के लिए किया गया वित्तीय आयोजन उचित था।

सामाजिक सेवाएँ

सामाजिक सेवाओं पर योजना में 1493 करोड रु व्यय किए गए जबकि प्रस्ताव 1300 करोड रु का रखा गया था। इस योजना में सामाजिक सेवाओं को वित्तीय प्रावटन की हृष्टि से चौथा स्थान दिया गया। दो योजनाओं के बाद कृषि तथा उद्योग का जो आधारभूत ढाँचा निर्मित हुआ, उसके अनुरूप वार्षिकमों को आगे बढ़ाने के लिए अधिक सख्ता में कुण्डल धर्मिकों, इजीनियरों एवं कृषि विशेषज्ञों की आवश्यकता थी यह इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए सामान्य तथा तकनीकी जिक्षा आदि सामाजिक सेवाओं के लिए निर्धारित 1300 करोड रु की राशि उचित ही थी।

विद्युत् शक्ति

तीव्र ओर्डीनरी इंस्ट्र्यूशन के लिए विद्युत् शक्ति को भी प्राथमिकता दिया जाना उचित था। इस मद के लिए प्रथम योजना में 179 करोड रु, द्वितीय योजना में 380 करोड रु तथा इस योजना में 1012 करोड रु निर्धारित किए गए। प्रथम योजना की तुलना में इस योजना में देश में बढ़ायी हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 6 ग्रन्त व्यय वृद्धि का प्रावधान आवश्यक था।

शक्ति विनियोग के औचित्य का (Indian Energy Survey Committee) द्वारा परीक्षण किया गया। इस समिति के रिपोर्ट की अनुसार देश के सम्पुर्ण औद्योगिक तथा पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विद्युत् शक्ति उत्पादन के लिए बड़ी राशि की आवश्यकता थी।

चतुर्थ योजना में प्राथमिकताएँ (Priorities in the Fourth Five Year Plan)

चतुर्थ योजना में सार्वजनिक दैनंदिन 15,902 करोड़ रु. का व्यय प्रस्तावित किया गया। तृतीय योजना की भाँति इसमें उद्योग तथा खनिजों का महत्त्वपूर्ण स्थान रखा गया। कृषि तथा उद्योग को लगभग समान महत्त्व दिया गया। तृतीय योजना की अवधि में आर्थिक सकटों के परिणामस्वरूप 'योजना अवकाश' (P'an-holiday) की स्थिति हो गई तथा पचवर्षीय योजना के स्थान पर तीन वार्षिक योजनाएँ अतः कृषि और उद्योग पर लगभग समान विनियोग के कार्यक्रम योजना के उद्देश्यों के अनुरूप थे। कृषि तथा सिंचाई के लिए 3,815 करोड़ रु तथा उद्योग और खनन के लिए 3,631 करोड़ रु प्रस्तावित किए गए।

परिवहन तथा सचार को दूसरा स्थान दिया गया। विद्युत् शक्ति के लिए 2,448 करोड़ रु का प्रस्ताव किया गया तथा सामाजिक सेवाओं के लिए 2,771 करोड़ रु प्रस्तावित किए गए। इन मद्दों पर प्रस्तावित व्यय की उपरोक्त राशियाँ प्राथमिकता के क्रम में अनुरूप थीं, किन्तु मूल्य-स्तर की हाफिट से इन राशियों को देश की आवश्यकताओं के उचित नहीं कहा जा सकता। विशेष रूप से विद्युत् शक्ति के विकास के लिए अधिकतम साधनों की आवश्यकता थी।

6

चतुर्थ योजना का अनुयाँकन (अप्रैल 1969 से मार्च 1974)

(Appraisal of the Fourth Plan)

उद्देश्य (Objectives)

चतुर्थ योजना का लक्ष्य स्थिरतापूर्वक विकास की गति को तीव्र करना, हृषि
के उत्पादन में उत्तार-बढ़ाव को बढ़ाना तथा विदेशी महायना की अनियन्त्रितता के
कारण उसके प्रभाव को घटाना था। इसमा उद्देश्य ऐसे कायकमों द्वारा जो भौतिक
जीवन स्तर को ऊँचा करना था जिससे समानता और सामाजिक न्याय को प्रोत्तमाहन
भी मिले। इस योजना में रोजगार और शिक्षा की ध्यानस्था द्वारा कमज़ोर और कम
सुविधा प्राप्त वर्ग की दशा को मुकाबले पर विशेष वल दिया गया। इस योजना में
सम्पत्ति आय और आर्थिक शक्ति को अधिकाधिक लोगों में प्रसार करने और उन्हें
कुछ ही हाथों में एकत्र होने से रोकने के प्रयत्न भी किए गए।

योजना का लक्ष्य शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन को, जो सन् 1969-70 में 29,071
करोड़ रु. था, बढ़ाकर सन् 1973-74 में 38,306 करोड़ रु. करने का था। इसका
अर्द्ध या कि सन् 1960-61 के मूल्यों पर 1968-69 के 17,351 करोड़ रु. के
उत्पादन को सन् 1973-74 में 22,862 करोड़ रु. कर दिया गया। विकास की
प्रस्तावित औसत वार्षिक चक्रवृद्धि दर 5.7 प्रतिशत थी।¹

परिव्यय प्रीर निवेश (Outlay and Investment)

प्रारम्भ में चतुर्थ योजना के लिए 24,882 करोड़ रु. का प्रावधान रखा गया
था। इसमें सरकारी क्षेत्र के लिए 15,902 करोड़ रु. (इसमें 13,655 करोड़ रु.
का निवेश शामिल है) और निजी क्षेत्र में लगाने के लिए 8,980 करोड़ रु. की राशि
थी। सन् 1971 में इस योजना का मध्यावधि मूल्यांकन किया गया और सरकारी
क्षेत्र के परिव्यय को बढ़ाकर 16,201 करोड़ रु. कर दिया गया।

चतुर्थ योजना में सरकारी क्षेत्र का परिव्यय¹

मद	केन्द्र	राज्य	योग
1. कृषि और सम्बद्ध कानून	1,235 (76)	1,508 (9.3)	2,743 (16.9)
2. सिवाई और बाढ़ नियन्त्रण	17 (0.1)	1,188 (7.3)	1,205 (7.4)
3. विजली	510 (3.2)	2,370 (14.6)	2,880 (17.8)
4. ग्रामीण और लघु उद्योग	132 (0.8)	122 (0.7)	254 (1.5)
5. उद्योग और खनिज	2,772 (17.1)	211 (1.4)	2,983 (18.5)
6. यातायात और सचार	2,345 (14.5)	638 (3.9)	2,983 (18.4)
7. अन्य	541 (9.6)	1,612 (9.9)	3,153 (19.5)
जिपमे से			
(ग) शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान	375 (2.3)	529 (3.3)	904 (5.6)
(ब) स्वास्थ्य	151 (0.9)	186 (1.1)	337 (2.0)
(स) परिवार नियोजन	262 (1.6)	—	262 (1.6)
योग	8,552 (52.9)	7,649 (47.1)	16,201 (100.0)

कोठठों में दिए गए आरडे सम्बद्ध क्षेत्रों से परिव्यय का प्रतिशत बताते हैं।

जेव आंकड़े जिस हृद तक राज्यों के हिस्से का कुल परिव्यय 4,600 करोड़ रुपये (जो बाद में समोषित कर 4,672 करोड़ रुपये कर दिया गया) जिसके लिए केन्द्र और राज्य-वार व्योरा उपलब्ध नहीं है में से है, उस हृद तक केन्द्र का परिव्यय अधिक हो सकता है।

परिव्यय की वित्त-व्यवस्था

(Financing of Plan Outlay)

चतुर्थ योजना में सरकारी क्षेत्र में परिव्यय की वित्त-व्यवस्था अप्रानुसार रही—

1. India 1976, p. 172.

चतुर्थ योजना में सरकारी क्षेत्र में योजना परिव्यय की विस्तृत्यदस्या¹
(करोड रु० में)

गद	भारतीयक अनुमान	अन्तिम उपलब्ध अनुमान
1. मुख्यतया अपने साधनों से	7,102 (44.7)	5,475 (33.9)
(1) कराधान की योजना पूर्व दरों पर चालू राजस्व से बचत	1,673	(-) 236
(2) अतिरिक्त कराधान, जिसमें सार्वजनिक उद्यमों की बचत बढ़ाने के उपाय शामिल हैं	3,198	4,280
(3) रिजर्व बैंक के लाभ	202	296
(4) योजना के लिए अतिरिक्त साधन जुटाने के लिए किए गए उपायों से हुई आय को छोड़कर सार्वजनिक प्रतिष्ठानों की बचत	2,029	1,135
(क) रेल	265	(-) 165
(ख) अन्य	1,764	1,300
2 मुख्यतया घरेलू ऋणों के जरिए	6,186 (38.9)	8,598 (53.2)
(1) सार्वजनिक ऋण, बाजार और जीवन बीमा नियम से सरकारी उद्यमों द्वारा लिए गए ऋणों सहित (शुद्ध)	2,326	3,145
(2) छोटी बचतें	769	1,162
(3) वापिकी जमा, अनिवार्य जमा, इनामी बोड और स्वर्ण बोड	(-) 104	(-) 98
(4) राज्य भविष्य निधियाँ	660	874
(5) इस्पात समानकरण निधि (शुद्ध)	—	—
(6) विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ (शुद्ध)	1,685	1,455
(7) घाटे का वित्त	850	2060
3. कुल घरेलू साधन (1+2)	13,288	14,073 (87.1)
4. विदेशी सहायता	2,614 (16.4)	2,087 (12.9)
5. कुल साधन (3+4)	15,902 (100.0)	16,160 (100.0)

कोष्ठकों में दिए गए प्रतिके कुल के प्रतिशत हैं।

उपलब्धियाँ (Achievements)¹

चतुर्थ योजना के अन्तर्गत वृद्धि की दर का लक्ष्य 5·7% वार्षिक था, परन्तु 1969-70 में यह 5·7% रही। 1970-71 में यह शटकर 4·9%, 1971-72 में 1·4%, 1972-73 में (-) 0·9 और 1973-74 में 3·1% रह गई। योजना के प्रत्येक वर्ष में कृषि प्रोडक्ट उद्योग जैसे मुख्य क्षेत्रों में निम्न प्रकार के रूप दिखाई दिए।

चौथी योजना में लाभान्वित उत्पादन का लक्ष्य 12·9 करोड़ टन था। अन्तिम अनुमानों के प्रनुसार 1973-74 में यह उत्पादन 10·4 करोड़ टन था। उत्पादन कम होने का मुख्य कारण मौसम था। योजना में अपनाई गई नई कृषि नीतियों से गैरव के उत्पादन में नई सफलताएँ मिली। हालांकि चावल का उत्पादन सभ्नोपजनक था, परन्तु इस क्षेत्र में कोई उत्सुखनीय तकनीकी सफलता प्राप्त नहीं हुई। दालों और तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि की दर योजना में व्यक्तिगत वृद्धि की दर से कम थी।

जब चौथी पनवर्दीय योजना बनाई गई थी तब आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और आर्द्धोंगिक क्षेत्र की बहुत असत्ता का उपयोग भी नहीं हो रहा था। इसलिए मोहूदा क्षमता का भली प्रकार प्रयोग इस योजना का एक मुख्य उद्देश्य था। योजना के वर्षों में आर्द्धोंगिक क्षेत्र में वृद्धि की दर अकिंगे 8 से 10% से कम थी। योजना के पहले चार वर्षों में यह कमश्त 7·3, 3·1, 3·3 और 5·3% थी। 1973-74 में केवल नामांत्र की वृद्धि (एक प्रतिशत से भी कम) हुई। कुछ उद्योगों में तो उत्पादन की असत्ता कम थी, परन्तु कई अन्य प्रमुख उद्योगों—जैसे इस्पात और उवंक की उत्पादन असत्ता का उपयोग करने में बिजली और बच्चे माल की कमी और सचालन की समस्याओं के बारण रुकावट पड़ी।

वाधाओं के बाबूद योजना काल की उपलब्धियाँ सराहनीय रही और राष्ट्र शक्तिशान्ति दण से आसननिभर तथा कुशल अर्थ-व्यवस्था की ओर बढ़ा। 1 जुलाई, 1975 को 20-सूनी आर्थिक कार्यक्रम के बाद तो देश ने एक नई करबट ली ही है, लेकिन इससे पूर्व की प्रगति को भी हमें स्वीकार करना होगा।

आर्थिक प्रगति आंकड़ों में²

मद	1960-61	1965-66	1973-74
राष्ट्रीय आय			
शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन			
वर्तमान मूल्यों पर	13,300 करोड़ रु.	20,600 करोड़ रु.	49,300 करोड़ रु.
स्थिर मूल्यों पर	13,300 करोड़ रु.	15,100 करोड़ रु.	19,700 करोड़ रु.
प्रति व्यक्ति आय वर्तमान			
मूल्यों पर	306 रु.	426 रु.	850 रु.
स्थिर मूल्यों पर	306 रु.	311 रु.	340 रु.

1. India 1976, p. 174.

2. भारत सरकार, सकलग के दस वर्ष (1966-1975), पृष्ठ 47-53.

मद	1950-61	1960-66	1973-74
कृषि			
कुल बोया गया क्षेत्र	13 करोड	13 करोड	14 करोड
एक से अधिक फसलों वाला क्षेत्र	30 लाख हैक्टेयर 2 करोड हैक्टेयर	60 लाख हैक्टेयर 1 करोड	10 लाख हैक्टेयर 2 करोड
शुद्ध सिंचित क्षेत्र	2 करोड	2 करोड	3 करोड
उर्वरकों की खपत	50 लाख हैक्टेयर 3 लाख	70 लाख हैक्टेयर 7 लाख	20 लाख हैक्टेयर 28 लाख
खाद्यान्नों का उत्पादन	6 हजार टन 8 करोड	28 हजार टन 7 करोड	39 हजार टन 10 करोड
पशुओं की संख्या	20 लाख टन 33 करोड	20 लाख टन 34 करोड	36 लाख टन 35 करोड
सहकारी ऋण	60 लाख	40 लाख	50 लाख
प्राथमिक कृषि सहकारियाँ			
संख्या	2 लाख	2 लाख	2 लाख
सदस्य संख्या	1 करोड	2 करोड	3 करोड
दिए गए रुपए (अल्पावधि प्रोर मध्यावधि)	70 लाख	61 लाख	68 लाख
उद्योग और खनन	203 करोड रु	342 करोड रु	315 करोड रु
कोथले जा उत्पादन	5 करोड	7 करोड	8 करोड
शूद्ध पेट्रोलियम	60 लाख टन		10 लाख टन
लौह अयस्क	4 लाख	30 लाख	71 लाख
अल्यूमीनियम	54 हजार टन	22 हजार टन	98 हजार टन
चीनी	1 करोड	1 करोड	3 करोड
घनस्पति	10 लाख टन	80 लाख टन	40 लाख टन
चाय	18 हजार टन	62 हजार टन	1 लाख 48 हजार टन
	26 लाख	33 लाख	37 लाख
	99 हजार टन	88 हजार टन	45 हजार टन
	3 लाख	4 लाख	4 लाख
	40 हजार टन	1 हजार टन	49 हजार टन
	32 करोड चिप्रा.	37 करोड 46	46 करोड
		30 लाख चिप्रा.	50 लाख चिप्रा.

मद	1960-61	1965-66	1973-74
काफी	54 हजार टन	62 हजार टन	92 हजार टन
सूती कपड़ा	670 करोड़ मीटर	740 करोड़ मीटर	780 करोड़ मीटर
	5 करोड़	6 करोड़	5 करोड़
जूते (चमड़े और रबड़ के)	40 लाख जोड़े	90 लाख जोड़े	40 लाख जोड़े
कागज और गता (पेपर बोर्ड)	3 लाख	5 लाख	6 लाख
टायर (साइकिल, ट्रैक्टर और विमानों के)	50 हजार टन	58 हजार टन	51 हजार टन
	1 करोड़	1 करोड़	2 करोड़
	12 लाख	86 लाख	21 लाख
ट्यूब (साइकिल, ट्रैक्टर, और विमानों के)	1 करोड़	1 करोड़	1 करोड़
	33 लाख	87 लाख	46 लाख
अमोनियम सल्फेट	80 हजार टन	84 हजार टन	1 लाख
			21 हजार टन
सुपर फास्फेट	52 हजार टन	1 लाख	1 लाख
		10 हजार टन	20 हजार टन
साबुन	1 लाख	1 लाख	2 लाख
	45 हजार टन	67 हजार टन	11 हजार टन
सीमेन्ट	80 लाख टन	1 करोड़	1 करोड़
		8 लाख टन	47 लाख टन
तंयार इस्पात	24 लाख टन	45 लाख टन	47 लाख टन
हीजन इजन	55,50 लाख	1 लाख 1,200	1 लाख 37,700
शक्ति चालित पम्प	1 लाख, 9,000	2 लाख 44 हजार	3 लाख 27 हजार
सिलाई मशीनें	3 लाख 3,000	4 लाख 30 हजार	3 लाख
घरेनू रिफिनरेटर	11,700	30,600	1 लाख 13,300
विजली के मोटर	7 लाख	17 लाख	29 लाख
	28 हजार	53 हजार	8 हजार
	अश्व शक्ति	अश्व शक्ति	अश्व शक्ति
विजली के लैम्प	4 करोड़	7 करोड़	13 करोड़
	85 लाख	21 लाख	32 लाख
विजली के पब्से	10 लाख	13 लाख	23 लाख
	59 हजार	58 हजार	20 हजार
रेफिनो सेट	2 लाख	6 लाख	17 लाख
	82 हजार	6 हजार	74 हजार
साइकिलें	10 लाख	15 लाख	25 लाख
	71 हजार	74 हजार	77 हजार

मद	1960-61	1965-66	1973-74
वित्ती उत्पादन	1,700 करोड केडल्युएच.	3,682 करोड केडल्युएच.	7,275 करोड केडल्युएच
ग्रौदोगिक उत्पादन का सूचक ($1960=100$)	100	154	201
सामान तैयार करने वाले उद्योग			
पंजीकृत कारखाने	43 हजार	48 हजार	80 हजार
उत्पादन पूँजी	2,700 करोड	8,000 करोड	14,800 करोड
रोजगार में लगे मजदूर	33 लाख	39 लाख	60 लाख
व्यावसायिक शिक्षा पाने वाले व्यक्ति (इंजीनियरिंग)			
स्नातक	7,500	12,900	14,300
स्नातकोत्तर	500	1,000	1,400
चिकित्सा			
स्नातक	4,700	7,300	10,200
स्नातकोत्तर	500	1,100	1,900
कृषि			
स्नातक	2,600	4,900	4,600
स्नातकोत्तर	600	1,200	1,700
पशु चिकित्सा			
स्नातक	813	889	924
स्नातकोत्तर	104	90	244
रेले			
रेलमार्ग की सम्भाई	57 हजार किमी	59 हजार किमी	60 हजार किमी
यात्री किलोमीटर	7,800 करोड	9,700 करोड	13,600 करोड
माल भाड़ा (टन किलोमीटर)	8,800	11,700 करोड	12,200 करोड
चालू रोलिंग स्टाक इंजन	11 हजार	12 हजार	11 हजार
यात्री डिब्बे	28 हजार	33 हजार	36 हजार
माल के डिब्बे	3 लाख	3 लाख	3 लाख
	8 हजार	70 हजार	88 हजार
सड़के			
पकड़ी	2 लाख	3 लाख	4 लाख
	63 हजार किमी	43 हजार किमी	74 हजार किमी
सड़को पर मोटर गाड़ियों की संख्या	6 लाख	10 लाख	20 लाख
	94 हजार	99 हजार	88 हजार

मद	1960-61	1965-66	1973-74
जहाजरानी			
जहाज	172	221	274
सकल रजिस्टर्ड टन-भार	8 लाख 58 हजार	15 लाख 40 हजार	30 लाख 90 हजार
डाक और अन्य सेवाएँ			
डाकघर	77 हजार	97 हजार	1 लाख 17 हजार
तार घर	12 हजार	13 हजार	17 हजार
टेलीफोन	4 लाख 63 हजार	8 लाख 58 हजार	16 लाख 37 हजार
समाचार-पत्रों की			
प्रचार संस्था	2 करोड 10 लाख	2 करोड 40 लाख	3 करोड 31 लाख
रेडियो लाइसेंस	20 लाख	40 लाख	1 करोड 40 लाख
टेलीविजन लाइसेंस	—	200	1 लाख 63 हजार
भुगतान सञ्चालन			
विदेशी मुद्रा कोष	304 करोड रु	298 करोड रु	947 करोड
विदेशी व्यापार			
निर्यात	660 करोड रु	810 करोड रु	2,483 करोड रु
आयात	1,140 करोड रु	1,394 करोड रु.	2,921 करोड रु

नोट—1973-74 के आंकड़े स्थायी हैं।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना, (1974-79) 1 अप्रैल 1974 से लागू हुई है। योजना अपने तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुकी है तथापि, विभिन्न कठिनाइयों के कारण, योजना के मसौदे को अभी प्रनिम रूप नहीं दिया जा सका है। भारत सरकार की पांच सितम्बर 1976 की सूचना के अनुसार योजना आयोग ने 4 सितम्बर, 1976 को पांचवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे के अनिम रूप पर विचार किया। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री शीघ्रती इन्दिरा गांधी ने वी जो योजना प्रायोग की अध्यक्ष भी हैं। मसौदे पर अनिम रूप से विचार करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक दिल्ली में 24 और 25 सितम्बर को कुलाई गई और आवश्यक निर्णय लिए गए।

योजना के उद्देश्य

पांचवीं योजना के हृषिकोण पत्र को 'आर्थिक स्वतंत्रता का धोवणा-पत्र' कहा गया है। इस योजना के दो मुख्य उद्देश्य हैं—गरीबी का उन्मूलन और आर्थिक निर्भरता। इस योजना का उद्देश्य है कि जो 30 / लोग इस समय 25 ह अनिमास के न्यूनतम उपभोक्ता स्तर पर हैं, उनका स्तर बढ़ाकर 40 6 ह अनिमास (1972-73 के मूल्यों पर) कर दिया जाए यह न्यूनतम वांछित उत्तर है। मुख्य प्रयत्न यह होगा कि आर्थिक हृषिक से कमज़ोर वर्गों के लिए—विशेषतया खेनिहर मजदूरों और छोटे और अति लघु किसानों के लिए बड़े स्तरों पर रोकगार उपलब्ध कराया जाय।

राज्यों की योजनाओं के समेकित भाग में कुछ विशेष कार्यक्रम हैं। उनमें ऐसी उपयोजनाएँ तैयार की गई हैं जिनसे पिछले वर्गों का उत्थान हो। और पिछले क्षेत्रों का विशेषतया पर्वतीय तथा आदिम जातियों के क्षेत्रों का विकास हो। आर्थिक निर्वन स्तरों की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम भी बनाया गया है। योजना का लक्ष्य एक और तो कृषि और श्रोद्योगिक उत्पादन की वृद्धि को दर की तेजी से बढ़ाना है और दूपरी और विकास के कार्यों में इस तरह घन लगाना है कि मुद्रा स्फीति न हो। राष्ट्रीय उत्पादन में वार्षिक वृद्धि की दर का स्तर 5 5 /. रखा गया है।

अन्य बातों के अलावा पांचवी योजना को रीति-नीति में ये बातें और उल्लेखनीय हैं—(1) उत्पादन बढ़ाने वाले रोजगार का विस्तार, (2) समाज कल्याण कार्यक्रमों को और आगे बढ़ाना, (3) गरीब लोगों के लिए उचित भागों पर उपभोग वस्तुएं मिल सकें, इसके लिए पर्याप्त वसूली और वितरण की प्रणाली (4) नियन्त्रिका की वृद्धि और आयात होने वाली चीजों की जगह देगी चीजें देंदा करने का जोरदार प्रयत्न, (5) प्रविदार्य उपभोग पर कडाई से पाबन्दी, (6) चीपतों, वेतनों और आयों का समुचित सञ्चुलन तथा (7) सामाजिक, आधिक और क्षेत्रीय असमानताएं घटाने के लिए सह्यागत, वित्तीय तथा अन्य उपाय।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम

पांचवी योजना में सम्मिलित हरने के लिए जो राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम सोचा गया है, उसके अनुभार साधन चाहे कितने हो, किर मी सामाजिक उपभोग के सब क्षेत्रों के लिए पर्याप्त समाधान भी रखे जाएंगे। राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में निम्नलिखित प्रावधान हैं—

- (1) 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा की सुविधाएं (701 03 करोड रुपये),
- (2) रोगों की रोकथाम, परिवार नियोजन, पोषाहार, बाल-मृत्यु के कारण पता लगाने और गम्भीर रोगियों को अच्छे इलाज की सुविधाएं जुटान समेत सार्वजनिक स्वास्थ्य की न्यूनतम और समान सुविधाएं (821 67 करोड रुपये),
- (3) जिन गाँवों में पानी की हमेशा से डिल्लत रही है, या जहाँ शुद्ध जल नहीं मिलता, उनके लिए पीने के पानी की सुविधा (554 करोड रुपये),
- (4) 1,500 या इससे अधिक आवादी वाले गाँवों में हर मौसम में काम देनी वाली सड़कें (498 करोड रुपये),
- (5) भूमिहीन मजदूरों के वास्ते मकान बनाने के लिए विकसित जमीन (107 95 करोड रु.)
- (6) गन्दी बस्तियों की सफाई और सुधार (94 63 करोड रुपये),
- (7) लगभग 40% देहानी आवादी वो लाभ पहुँचाने के लिए बिजली देने का प्रबन्ध (276 03 करोड रुपये जिसमें केन्द्र शासित क्षेत्रों के लिए नियत राशि भी शामिल है)।

वृद्धि-दर

चौथी योजना के अनुभवों से लाभ उठाते हुए, पांचवी योजना में 5 5% की वृद्धि-दर का जो संक्षेप रखा गया है, उसके लिए आयोजन और अमल में कहीं अधिक कुशलता के अलावा कठिन नियंत्रण, कठोर अनुशासन और बहुत त्याग की आवश्यकता होगी।

पांचवी योजना के इस 5·5% वृद्धि-दर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पहले से अधिक पूँजी निवेश, अधिक कुशलता और पहले से अधिक बचत करनी होगी। इस दण से आय की असमानताएँ दूर करने और उपभोग की असमानता को घटाने की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे समृद्ध वर्गों पर अधिकाधिक बचत करने का भार पड़े।

योजना का लक्ष्य यह है कि मुद्रा-स्फीति न होने पाए। इस्पात, कौयला, अलौह धातुएँ, सीमेट और उबरक उद्योगों जैसे पूँजी-बहुल उद्योगों के विकास के लिए तो पूँजी जुटाना अनिवार्य है ही क्योंकि इनसे ऐसी वस्तुओं का उत्पादन होता है, जो रोज़ी देने वाली है और जिनका खेती-बाड़ी में भी बहुत उपयोग होता है। इसी प्रकार उन वस्तुओं पर नियन्त्रण रखना होगा, जो न जनसाधारण के उपभोग में आती हैं और न जिनसे निर्यात-वृद्धि में सहायता मिलती है।

पांचवी योजना में उत्पादन वृद्धि इन बातों पर निर्भर करेगी—(1) जो अर्थोजनाएँ हाथ में ली जा चुकी हैं, उनका पूरा होना, (2) उत्पादन-क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग, (3) अर्थ-व्यवस्था को ऐसा रूप देना कि जिससे तकनीकी तौर-तरीकों और लोगों के आम व्यवहार में परिवर्तन आए तथा (4) और अधिक निर्यात करने की हमारी क्षमता।

सार्वजनिक उपभोग 7% वार्षिक औसत से बढ़ेगा।

विकास परिव्यय

पांचवी योजना के लिए 53,411 करोड रुपये का परिव्यय निर्धारित है। इनमें 37,250 करोड रुपये सार्वजनिक क्षेत्र के लिए और 16,161 करोड रुपये निजी क्षेत्र के लिए हैं।

(क) सार्वजनिक क्षेत्र—सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न मदों और क्षेत्रों के लिए निर्धारित परिव्यय की राशि तालिका के अनुसार है—

सार्वजनिक (सरकारी) क्षेत्र के लिए परिव्यय¹

(करोड रु में)

मद	वेच्छ (क)	राज्य	सभ राज्य क्षेत्र	योग
1. कूपि	1946	2717	67	4730
2. सिनाई	140	2515	26	2681
3. बिजली	738	5343	109	6190
4. खनन तथा उत्पादन	8180	742	17	8939
5. निर्माण	25	—	—	25
6. परिदृश्य तथा सचार	5727	1297	91	7115
7. व्यापार तथा भण्डारण	194	11	—	205
8. आवास तथा सम्पत्ति	237	338	25	600
9. बैंकिंग तथा बीमा	90	—	—	90

1. India 1976, p. 175.

मद	बेन्द्र (क)	राज्य	संघ राज्य क्षेत्र	योग
10 सावजनिक प्रशासन तथा सुरक्षा	60	30	8	98
11 अन्य सेवाएँ	1953	3580	257	5790
(i) शिक्षा	484	1155	87	1726
(ii) स्वास्थ्य	253	517	26	796
(iii) परिवार नियोजन	516	—	—	516
(iv) पोषण	70	330	—	400
(v) नगर विकास	252	272	19	543
(vi) जल प्रदाय	16	924	82	1022
(vii) समाज कल्याण	200	26	3	229
(viii) पिछड़े वर्गों का कल्याण	55	167	4	226
(ix) धर्मिक कल्याण	15	38	4	57
(x) अन्य	92	151	32	275
12. विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी (ख)	419	—	—	419
13 पर्वतीय व आदिप जाति क्षेत्र	—	500	—	500
योग	19577	17073	600(ग)	37250(ध)

(ख) निजी (गैर-सरकारी) क्षेत्र—पांचवी योजना के दौरान गैर-सरकारी क्षेत्र में 16161 करोड़ रु व्यय किए जाने का प्रावधान है। खान और विनिर्माण क्षेत्र में कुल मिलाकर 6 250 करोड़ रु. लगाए जाएंगे जिनमें से 5,200 करोड़ रु. बड़े और मध्यम पैमाने के कार्यों में और 1,050 करोड़ रु. छोटे और ग्रामोद्योगों में लगाए जाएंगे।

वित्तीय स्रोत

पांचवी योजना के लिए 53 411 करोड़ रु के परिव्यय के लिए वित्तीय स्रोतों की व्यवस्था इस प्रकार की गई है—

1 चालू परिव्यय के लिए बजट व्यवस्था	5 850 करोड़ रु
2 देशीय बचत (सरकारी क्षेत्र)	15 075 करोड़ रु.
3 देशीय बचत (गैर सरकारी क्षेत्र)	30 055 करोड़ रु
4 कुल विदेशी सहायता	2 431 करोड़ रु,
योग	<u>53 411 करोड़ रु</u>

सरकारी क्षेत्र में योजना परिव्यय की वित्त व्यवस्था

सरकारी क्षेत्र में योजना परिव्यय की वित्त व्यवस्था इस प्रकार की गई है—

मद	करोड़ रु में 1972-73 के मूल्यों पर
1 1973-74 के कारों की दरों पर बेन्द्र और राज्य सरकारों के राजस्व खाता साधन	7348
(क) चालू राजस्व से बचत	5612
(ख) चालू राजस्व से निविधों को स्थानान्तरण	1736
(i) शोधन निधि (सिंकिंग कण्ड)	1484
(ii) अन्य निधि (शुद्ध)	252

मद	करोड र. में 1972-73 के मूल्यों पर
2. सरकारी उद्यमों से कुल बचत	5988
(क) केन्द्र	4331
(ख) राज्य	1657
3. अतिरिक्त साधन जुटाने से	6850
(क) केन्द्र	4300
(ख) राज्य	2550
4. सरकारी, सरकारी उद्यमों तथा स्थानिक निवासों द्वारा बाजार से लिए गए छूट	7232
5. छोटी बचतें	1850
6. राज्य भविष्य निविधि	1280
(क) केन्द्र	680
(ख) राज्य	600
7. वित्तीय स्थायांशों से निए गए सावधिक छूट (गुद)	895
(क) जीवन वीमा नियम और रिजर्व बैंक से लेय निए गए ब्लूगु	755
(ख) अन्य सावधिक दूरा	500
(ग) घटा वित्तीय स्थायांशों को अदायगी (-) 360	360
8. बैंकों से निए गए व्यापारिक छूट (गुद)	1185
(क) बैंकों के दबावा दूरा में वृद्धि	1500
(ख) घटा बैंकों में जमा रकम में वृद्धि (-) 315	315
9. घरें जमा पूँजी; तथा अन्य	1008
(क) कहा वित्तीय स्थायांशों द्वारा सावधिक छूटगों की अदायगी	128
(ख) अन्य प्राप्तियां (गुद)	880
10. जनता में निवासी की खपत (गुद)	81
(क) जनता में खपत कुल निवास	100
(ख) घटा खजानों और सरकारी संस्थाओं की नकदी में वृद्धि (-) 19	19
11. निजर्व बैंक से हृष्टियों के एवज में लिया गया छूट	1000
12. सावंतव्यनिक बैंकिंग तथा वित्तीय स्थायांशों के साधनों का नवन-निर्माण कायों में निवेश	90
13. सनातन हें दस्ता देनारों के प्राप्तियां (गुद)	2443
(क) देन में नए दृढ़ प्राप्ति से	2243
(ख) अमेरिका की 'हप्पा-राजि' से	200
कुल याग	37250

नोट—इसमें सामान देने वालों से मिला 400 करोड र. का बाजार आयित है।

निर्देशक सिद्धान्त

(1) परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करना, (2) वर्तमान क्षमता का भरपूर उपयोग, (3) मुख्य क्षेत्रों में आवश्यक न्यूनतम लक्षणों की प्राप्ति और (4) आर्थिक रूप से दुर्बंध वर्षों के लिए एक निश्चित न्यूनतम विकास-स्तर की प्राप्ति।

विदेशी सहायता

अनुमान है पांचवीं योजना में विदेशी सहायता कुल पूँजी निवेश का केवल 31 प्रतिशत होगी और सावंजनिक निवेश का 46 प्रतिशत, जबकि चौथी योजना में यह क्षमता 82 और 13.6 प्रतिशत थी। आशा है कि 1985-86 तक देश इस स्थिति में होगा कि अपने साधनों से क्षण सेवाओं और विदेशी मुद्रा की अन्य आवश्यकताएं पूरी कर सके। लेकिन सामान्य व्यावसायिक शर्तों पर विदेशी पूँजी देश में आने की गुँड़ताइश रहेगी। 1985-89 तक आर्थिक विकास के मामले में आत्मनिर्भर हो जाने प्रीतर 6.2 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से विकास करने की परिकल्पना की गई है।

अनुमान है कि देश के विदेशी मुद्रा कोष में 1978-79 में 100 करोड़ रुपये रह जाएगी और 1985-86 तक यह बिल्कुल समाप्त हो जाएगी।

निर्यात

पांचवीं और छठी योजनाओं में निर्यात में 7.6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि होने का अनुमान किया गया है और इसके पश्चात् 7 प्रतिशत की दर से। दूसरे शब्दों में देश का निर्यात 1973-74 के 2,000 करोड़ रु. से बढ़कर 1978-79 में 2,890 करोड़ रु. और 1983-84 में 4,170 करोड़ रु. और 1985-86 में 4,770 करोड़ रु. का होने की सम्भावना है। इन वस्तुओं के निर्यात में बहुत अधिक बड़ोत्तरी की आशा है इब्तीनियरी का सामान, खनिज, लोहा, दस्तकारियाँ (मोती, रत्न और जेवरात समेत), सूनी कपड़ा, इस्पात, मछली और मछली से बनी चीजें, और चमड़ा तथा चमड़े का सामान। पांच वर्षों की अवधि में जिस 890 करोड़ रु. की निर्यात वृद्धि का स्थाय रखा गया है, उसमें से लगभग दो तिहाई इन्हीं सात वस्तुओं से प्राप्त होगा।

आयात

पांचवीं योजना के प्रारूप में आशा की गई है कि घरेलू उत्पादन में वृद्धि और विकास द्वारा अनेक वस्तुओं जैसे मुलायम इस्पात, नाइट्रोजन और कॉफेट युक्त उत्पादक तथा कारखानों के लिए कई सामानों तथा उपकरणों का आयात बढ़ किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कई वस्तुओं—जैसे अलौह वस्तुओं का आयात कम किया जा सकता है। देश में ही उत्पादित कोयले और पनविजली का बढ़े पैमाने पर आयातित तेल के स्थान पर इंधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकेगा। तीव्रे के स्थान पर अल्पमीनियम का प्रयोग किया जा सकता है।

धातुओं, खनिजों और धातु की छीलन का आयात 1978-79 के 380 करोड़ रु. से घटकर 1983-84 में 340 करोड़ रु. रह जाने का अनुमान है, लेकिन इस्पात

के आयात में कमी और सम्भावना नहीं है। अलीह धातुओं के आयात में वृद्धि होने की सम्भावना है।

मज़ीनों प्रौर परिवहन उपकरणों का आयात 1978-79 के 964 करोड़ रु से बढ़कर 1983-84 में 1010 करोड़ रु और 1985-86 में 1035 करोड़ रु हो जाने का अनुमान है।

इन साफ किए पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से बने पदार्थों और मज़ीनों विद्युती रखने वाले पदार्थों के कुल आयात में भी वृद्धि की सम्भावना है जो 1978-79 के 811 करोड़ रु से बढ़कर 1983-84 में 1,240 करोड़ रु और 1985-86 में 1,500 करोड़ रु का हो जाने वा अनुमान है।

उचंरकों और उचंरकों के निए बच्चे माल के आयात में भी वृद्धीतरी की सम्भावना भी गई है। इनका आयात 1978-79 के 270 करोड़ रु से बढ़कर 1983-84 में 330 करोड़ रु होने की सम्भावना है।

अन्य आयातित वस्तुओं में महत्वपूर्ण वस्तुएँ रत्न आदि और कच्चा कारू है। इनका आयात हमारे यहाँ से निर्वात होने वाले तंशार जवाहरानो और कारू की मिरी के निए आवश्यक कच्चे माल की पूर्ति के लिए अनुमान किया गया है। हम 1983-84 तक अल्पवारी कागज और लुम्डी के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। विपास और वनस्पति तेज के मामले में हम लगभग आत्मनिर्भर बन गए हैं।

जड़ाबरानी और पर्सेटन का विकास किया जाएगा और प्रवासी भारतीयों द्वारा भेजे जाने वाले धन में होने वाली टाइबडी रोकने का प्रयास किया जाएगा। वचन और विनियोग

योजनावधि में पूँजी निर्माण की दर में लगानार वृद्धि होने की आशा है। अनुमान है कि पूँजी निर्माण की दर भी कुल राष्ट्रीय उत्पादन के 13.7% से बढ़कर 1978-79 में 16.3%, 1983-84 में 18.7% और 1985-86 में 19.7% हो जाएगी।

बचत दर भी बढ़ने की आशा है। यह 1973-74 के कुल राष्ट्रीय उत्पादन के 12.2% से बढ़कर 1978-79 में 15.7%, 1983-84 में 19% और 1985-86 में 20% हो जाएगी।

इन अवधियों में बचत का अनुमान बहुत कुछ जनमाधारण की बचत पर आधारित है। कुल बचत में 7.8% की वृद्धि का जो अनुमान लगाया गया है उसमें 5.4% अग जन माधारण की बचत रह जाएगा। अनुमान है कि मार्वर्तिक बचत दर 1973-74 के कुल राष्ट्रीय उत्पादन के 2.8% से बढ़कर 1985-86 में 8.2% हो जाएगी।

काले धन की वृद्धि की रोकथाम

काले धन की उत्पत्ति रोकने के लिए प्रजामत्रीय, वित्तीय और मूल्य सम्बन्धी नीतियों पर कार्य किया जा रहा है—(१) शहरी भूमि सम्बन्धी नीति जिसमें भूमि का समाजीकरण शामिल है, (२) विलहन जैसी महत्वपूर्ण इंटिजिमों

के विवरण पर और अधिक परिमाण में सामाजिक नियन्त्रण, और (ग) तस्करी की रोकथाम के लिए कारगर उपाय।

पर्यटन

पांचवी योजना में विदेशी पर्यटकों को आकुष्ट करने के लिए होटल परिवहन और अन्य सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही इस बात के लिए भी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं कि पर्यटन से होने वाली आय गैर-सरकारी हाथों में न चली जाए। ऐसा निर्णय किया गया है कि भारतीय होटलों में ठहरने वाले पर्यटकों को अपने दिल विदेशी मुद्रा में चुकाने होंगे। अनुमान है कि विदेशी पर्यटकों से होने वाली आय जो 1973-74 में 34 करोड़ रु. थी, वह 1978-79 में बढ़कर 49 करोड़ रु. हो जाएगी। पांचवी योजना की अवधि में विदेशियों के भारत यात्रा करने से कुल 100 करोड़ रु. की प्राप्ति होने का अनुमान है।

कृषि

पांचवी योजना में अनाजों की उपज में वार्षिक वृद्धि-दर 4·2% रखी गई है जो चौथी योजना की दर से बहुत कम है। यही बात अधिकांश फसलों पर लागू होती है। योजना में फसलों की उपज के मुख्य लकड़ पूरे पांच वर्षों के लिए निर्धारित किए गए हैं, जबकि अब तक कि योजनाओं में ऐसा नहीं किया गया था। ये लक्ष्य निम्नांकित तालिका में स्पष्ट हैं—

क्रम संख्या	फसल	इकाई	चौथी योजना के पांच वर्षों की सभावित उपज	पांच वर्षों के लक्ष्य
1.	चावल	लाख टन में	2,080 00	2,540 00
2	गेहूँ	"	1,260 00	1,680 00
3	मक्का	"	300 00	370 00
4	ज्वार	"	420·00	510 00
5	बाजरा	"	300 00	370 00
6	अन्य अनाज	"	290 00	330 00
7	दाले	"	550 00	650·00
		कुल यांग अनाज	5,200 00	6,450 00
8	तिलहन	लाख टन में	415 00	550 00
9.	गन्धा	"	6,350 00	7,750 00
10.	कपास	लाख गांठें	281 00	360 00
11.	पटनसन और सन	,	320 00	360 00

फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए इन बातों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है—(1) किसी विशिष्ट समस्याओं को मुलभाने के लिए अनुसंधान में वृद्धि, (2) कृषि विस्तार और प्रशासन को मजबूत करना, (3) प्रमाणित दीजों की पैदावार बढ़ाना तथा इन्हें और अधिक किसानों को देना, (4) राशायनिक खाद का

अधिक मात्रा में और भली भाँति प्रयोग, (5) पानी प्रबन्ध, (6) वित्त संस्थाओं द्वारा ऋण देने की सुविधाएँ बढ़ाना, (7) कटाई के बाद फसल रखने आदि वी सुविधाएँ बढ़ाना तथा इसकी विक्री का प्रबन्ध करना, (8) बाजार व्यवस्था के समर्थन के लिए फसल रखने के लिए पर्याप्त गोदामों की व्यवस्था ।

कार्य पद्धति—कृषि की कार्य पद्धति में भी क्रान्तिकारी सुधार किए जा रहे हैं। पिछले अनुभवों के परिणामस्वरूप खेतों में छोटे और सीमान्त किसानों को शामिल करने के हाइटकोहुए में परिवर्तन किया जाएगा। बारानी खेती बड़े पैमाने पर शुरू की जाएगी। छोटे किसानों और सीमान्त किसानों से सम्बद्ध योजनाएँ मिलान का विचार है। इन योजनाओं को बढ़ाया भी जाएगा। पिछली योजनाओं के द्वारा अधिक पैदावार देने वाली जो किसमें विकलित की गई और जो अच्छी भी साहित हो चुकी हैं, उन्हे पांचवीं योजना के द्वारा तिचाई के कमाण्ड क्षेत्रों के और अधिक इलाकों में दीया जाएगा। पांचवीं योजना में तिचाई वाले कमाण्ड क्षेत्रों का समन्वित विकास करने के लिए विशाल कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 50 बड़ी तिचाई परियोजनाओं पर लागू होगा और इससे 14 करोड़ हैक्टर भूमि में तिचाई की व्यवस्था हो जाएगी। इससे न केवल चाबल की उपज बढ़ाने में अधिक कई फसलें बोने में सहायता मिलेगी। तिचाई वाले इन इलाकों में व्यापारिक फसलें बोने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

योजना के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं में 'भूमि' खेती रोकना तथा 'भूमि' भूमि का उचित उपयोग आयोगिक योजनाओं के अधीन बोहड़ो, खारी और नमकीन तथा रेतीली जमीनों को खेती योग्य बनाना भी है।

पहाड़ों, विशेषकर हिमालय के इलाकों में और दक्षिण भारत के मालवाड़ इलाके में बायाती बड़े पैमाने पर बढ़ाई जाएगी। बागों में पैदा हुए फलों आदि की विक्री तथा इससे अन्य लाद्य पदार्थ बनाने पर भी ध्यान दिया जाएगा।

विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थाओं में किए गए अनुमधानों पर अमल करने के बारे में जो कमियाँ और कठिनाइयाँ सामने आई हैं, उन्हे दूर किया जाएगा। इसके लिए विश्वविद्यालयों अनुमधान संस्थायों और सरकार के विस्तार विभागों के बीच समर्चय स्थापित किया जाएगा। कृषि अनुमधान के मुख्य उद्देश्य होंगे—(1) पैशावार बढ़ाकर अनाजों की उपज बढ़ाते जाना, (2) भूमि और जल का बैज्ञानिक ढंग से उपयोग कर परिस्थितियों तथा आर्थिक लाभ को ध्यान में रखकर फसलें बोने का क्रम निश्चित करना, (3) उर्वर भूमि की देखभाल और इसे उपजाऊ बनाए रखना, (4) जल प्रबन्ध, और (5) रियर्ट को जार बाली फसलों की किसिम और उपज में सुधार।

रासायनिक खाद—पांचवीं योजना के आधार वर्ष (1973-74) में रासायनिक खाद की खपत लगभग 19.7 लाख टन होने वा अनुमान या। पांचवीं योजना के अन्त तक यह खपत 52 लाख टन तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। रासायनिक खाद की सतुरित प्रयोग बढ़ाने के लिए मिट्टी-परीक्षा की सुविधाएँ बाफी बढ़ाने वा विचार है।

बढ़िया धीज—पांचवी योजना में बीज टैक्सोलॉजी में अनुमधान करने पर काफी व्यापार जाएगा ताकि अच्छे धीज मिल सकें। पांचवी योजना में 4 लाख टन की अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने का प्रस्ताव है। ये प्लांट मुख्य रूप से सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्रों में होंगे।

कृषि उत्पकरण और मशीनें—अनुमान है कि पांचवी योजना के दौरान देश में ट्रैक्टरों को सर्वा 2 लाख से बढ़कर 5 लाख हो जाएगी। इसी तरह शक्ति चालित जुताई की मशीनों को सर्वा 10 हजार से बढ़कर लगभग एक लाख हो जाएगी। कृषि उत्पकरणों और मशीनों का उत्पादन बढ़ाने के कार्यक्रम को व्यापार में रखते हुए पांचवी योजना में कृषि इंजीनियरिंग की नई केन्द्रीय संस्था खोलन का विचार है। इन मशीनों को चालने वालों और इनकी मरम्मत करने वालों को ट्रेनिंग देने के लिए सुविधाएँ बढ़ाई जाएंगी।

उर्वर भूमि और पानी संरक्षण—पांचवी योजना में लगभग 90 लाख हैक्टर क्षेत्र में उर्वर भूमि और पानी के संरक्षण पर व्यापार जाएगा। इस प्रकार पांचवी योजना के अन्त तक उर्वर भूमि और पानी संरक्षण उत्ताप्ती से लाभान्वित इलाका एक करोड़ 80 लाख हैक्टर से बढ़कर ढाई करोड़ हैक्टर हो जाएगा। सारे देश की भूमि और जल के बारे में सूचना एकत्रित करने और इनका विश्लेषण करने के लिए 'केन्द्रीय उर्वर भूमि संरक्षण समठन' बनाया जाएगा। पांचवी योजना के दौरान बड़ी मिचाई योजनाओं के नौ नए जलग्रह क्षेत्रों में उर्वर भूमि के संरक्षण का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।

कृषि ऋण—अनुमान है कि पांचवी योजना के अन्त तक उपज के लिए प्रतिवर्ष लगभग 3 हजार करोड़ रुपये के अत्यावधि ऋणों की जम्हरत होगी। 1978-79 में महकारी और व्यावसायिक बैंकों द्वारा लगभग 1700 करोड़ रुपये के अत्यावधि उत्पादन ऋण दिए जाने लगेंगे। पांचवी योजना में पूँजी लगाने के लिए ऋण लेने का योजना के पांच वर्षों के लिए लक्ष्य 2400 करोड़ रुपये रखा गया है। योजना के अन्तिम वर्ष में महकारी और व्यावसायिक बैंकों द्वारा 1700 करोड़ रुपये के जो अत्यावधि ऋण दिए जाएंगे उनमें से 680 करोड़ रुपये छोटे किसानों को दिए जाएंगे। व्यावसायिक बैंक देश के और अधिक देहानी इलाकों में अपनी जाहाज़-खोलन की नीति जारी रखेंगे। आगा है पांचवी योजना के दौरान कृषि वित्त निगम कृषि विकास कार्यों के लिए 600 करोड़ रुपये से अधिक रुपये लगाने की सुविधाएँ दी जाएंगी।

कृषि मूल्य नीति—योजना के दौरान अनाजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य और खरीद मूल्यों में अस्तर बनाए रखना होगा। उत्पादन लागत और अन्य बातों को ध्यान में रखकर सभी महत्वपूर्ण फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बुझाई गुण होने से पहले घोषित कर दिया जाएगा। बाद में खरीद मूल्य की घोषणा की जाएगी और यह आपतीर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक ही होगा। कपास, पटसन महत्वपूर्ण तिलहनों और प्रबन्ध व्यापारिक फसलों के लिए पांचवी योजना में न्यूनतम समर्थन मूल्य निश्चित कर दिया जाएगा।

गोदाम भरता—योजना में विभिन्न संगठनों की सम्प्रहङ्गता योजना के प्रारम्भ में लगभग 131 लाख टन से बढ़ाकर योजना के अन्त तक लगभग 218 लाख टन करने का लक्ष्य है। जिनमें अन्न सुरक्षित रखने की सुविधाएँ बढ़ाई जाएंगी।

सहकारिता और सामुदायिक विकास

पांचवीं योजना में सहकारी विकास के चार विशेष उद्देश्य होंगे—(1) कृषि सहकारी समितियों (झरण, सप्लाई, विपणन प्रौद्योगिकी तथा अन्य) को सुडूढ़ करना, जिससे सभ्य समय तक कृषि का विकास होता रहे, (2) विकास क्षम उपभोक्ता सहकारी प्रवृत्ति का निर्माण जिससे उपभोक्ताओं को ठीक भाव पर सामान मिलता रहे, (3) सहकारी विकास के स्तर में, विशेषकर कृषि नहर के क्षेत्र में, क्षेत्रीय असन्तुलन दूर करना, और (4) सहकारी समितियों के पुनर्गठन की दिशा में विशेष प्रयास, जिससे वे छोटे और सीमान्त किसानों तथा गरीब लोगों के लाभ के लिए बाम कर सकें। योजना में अनुसूचित जनजीतियों की भलाई के लिए काफी कार्यक्रम होंगे।

पांचवीं योजना के ग्राम-विकास कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य खेती की पैदावार बढ़ाना और गाँव वालों को और अधिक रोजगार जुटाना है। अलग-अलग कार्यों के द्वारा 'समूचे गाँव' के विकास के लिए कार्यक्रम बनाए जाएंगे ताकि सभी ग्रामवासियों को उनका लाभ पहुँचे। इस हृष्टि से कार्यक्रम में इन उपायों को प्रमुख स्थान दिया गया है—(1) जमीनों की चक्रवन्धी, (2) पानी के इस्तेमाल पर अधिकतम नियन्त्रण और सुखे इलाकों में जमीन की नमी कायम रखने की हृष्टि से भूमि का समग्र विकास, (3) सिचाई का अधिकतम विकास और (4) सारे गाँव के लिए फसलों का कार्यक्रम और यह ध्यान रख कर कि सिचाई का सबसे अधिक उपयोग कैसे हो। समूचे गाँव सम्बन्धी इस कार्यक्रम को आजमाइशी तौर पर विहार, उडीसा, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के 29 गाँवों में शुरू करने का विचार है।

ग्राम विकास

पांचवीं योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक देहानों के रहने वाले सबसे गरीब 30 प्रतिशत स्तरों की मात्रित खर्च करने की प्रतिबंधित सामर्थ्य बढ़ाना है। इसका अभिन्नाय है कि लगभग ढाई करोड़ परिवारों की आमदानी काफी बढ़ती ही चाहिए। यह कार्य निम्नलिखित तीन दिशाओं में यत्न कर पूरा किया जाएगा—

1. छोटे और सीमान्त किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर दुखालू पशु पालने का कार्यक्रम। पशुपालन और मत्स्य पालन के कार्यक्रमों में इस प्रकार के दरिवतंत्र बिए जाएंगे ताकि इनसे कुल उत्पादन बढ़ने के साथ-साथ छोटे और सीमान्त किसानों तथा कृषि मजदूरों की आधिक अवस्था भी सुधरे।

2. कैंबडी योजना से उन्नी हुई सिचाई परियोजनाओं के कृष्णांड क्षेत्र विकसित किए जाएंगे तथा देश के जिन इलाकों में अवसर सूखा पड़ता है उनकी हालत सुधारने पर अधिक ध्यान दिया जाएगा।

3. कृषि अर्थ-व्यवस्था के अपेक्षाकृत वस्तों की हानत सुधारने के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रमों वो बढ़ाना तथा इन पर पूरी तरह ध्यान देकर अमल करना।

सिचाई नथा बाढ़-नियन्त्रण

सिचाई क्षमता में पर्याप्त वृद्धि की जाएगी। विशेष तौर पर सूखे से प्रस्ता इलाकों में। योजना में बड़ी और मकौली योजनाओं के लिए 2,401 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है और उनसे 62 लाख हैक्टर और भूमि की सिचाई हो सकेगी। इसमें चालू योजनाओं से होने वाली सिचाई भी सम्प्रलिप्त है।

पांचवीं योजना के आरम्भ में 235 लाख हैक्टर क्षेत्र भूमि में छोटी सिचाई योजनाओं से खेती की जा रही होगी। योजना के दौरान 60 लाख हैक्टर अतिरिक्त भूमि में लघु सिचाई योजनाओं से सिचाई की व्यवस्था हो जाएगी।

निमित्त सिचाई क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के लिए पांचवीं योजना में कुछ नहरी सिचाई क्षेत्रों में निम्नलिखित कार्यवाहियों द्वारा एकीकृत क्षेत्र विकास के लिए प्राथमिक परियोजनाएं प्रारम्भ किए जाने का प्रस्ताव है—(1) जोतो की चकवन्दी (2) भूमि की समतल बनाना और सही आकार देना, (3) पानी की धारा को निर्धारित करना, (4) नालों की सफाई और उनका नियन्त्रण (5) खाइयों की सफाई की व्यवस्था, (6) जहाँ कहीं आवश्यक हो, वहाँ भूमिगत जल से पूरक सिचाई सूविधा की व्यवस्था, (7) उत्पादन बढ़ाने में अडचन डालने वाले और पुराने सिचाई नियमों और कानूनों में संशोधन।

पांचवीं योजना में बाढ़-नियन्त्रण के लिए 301 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है, इससे 18 लाख हैक्टर भूमि के बचाव की व्यवस्था हो सकेगी।

विद्युत्

इस क्षेत्र में देश को बड़ी चुनौती का सामना करना है। इसी उद्देश्य से पांचवीं योजना में ये लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं—विज्ञली पूर्ति का स्थिरीकरण, कार्यक्रम के कार्यान्वयन में प्रगति, इस्पात उर्वरक तथा कोयला जैसे प्राथमिक उद्योगों के लिए विज्ञली-पूर्ति सुनिश्चित करना, सामाजिक उद्देश्यों के अनुकूल विज्ञली-विकास का नवीनीकरण तथा विज्ञल और टैक्नोलॉजी के विकास में तालमेल रखते हुए छाती योजना के लिए पर्याप्त रूप से अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करना। यह प्रस्ताव किया गया है कि पांचवीं योजनावधि में 165.5 लाख किलोवाट की क्षमता के प्रभावी सञ्चालन के साथ बढ़ा दी जाए।

उद्योग तथा खनिज

शौलोगिक और खनिज क्षेत्र के विकास से सम्बन्धित क्षेत्रों के विकास के लिए पांचवीं योजना के दौरान कुल परिव्यय 1 घरब 35 घरब 28 करोड़ रुपये रखा गया है जिसमें 83 घरब 28 करोड़ रुपया अर्थात् कुल का लगभग 62 प्रतिशत परिव्यय सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए है और शेष 52 घरब रुपया निजी तथा सहकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए। सार्वजनिक क्षेत्र में 78 घरब 29 करोड़ रुपया केन्द्रीय परियोजनाओं में तथा 4 घरब 49 करोड़ रुपया राज्यों और केन्द्र प्रशासित प्रदेशों की परियोजनाओं में खर्च करने का प्रस्ताव है।

सार्वजनिक क्षेत्र में बैंद्रीय निवेश को अधिकतम रक्षा इस्पात, अलोह धातुएँ, उर्वरक, कोयला, पैट्रोलियम और औद्योगिक मशीनरी जैसे उच्च प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों में स्थान की जाएगी।

हल्के इस्पात से सम्बन्धित प्रमुख कार्यक्रमों में भिलाई का 40 लाख मीट्रिक टन तक विस्तार, एक नियमित आधार पर बोकारो का 47.5 लाख मीट्रिक टन तक विस्तार और विशाखापत्तनम् और विजयनगरम् इस्पात परियोजनाओं के कायान्वयन भी उन्नेश्वरीय प्रगति शामिल है। मिश्रित इस्पात के लिए सालेम, दुर्गपुर और मेंसूर की परियोजनाओं को शुभ दिया जाएगा। सरकारी क्षेत्र के इस्पात कार्यक्रमों के लिए 16 अरब 22 करोड रुपये की व्यवस्था है।

अलोह धातुओं के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में 443 करोड रुपये की व्यवस्था है। पांचवीं योजना में जो नई परियोजनाएँ शुरू की जाएंगी, उनसे तौबा, जस्ता, सीसा और ग्रल्यूमीनियम के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि होने की सम्भावना है। इन्हींनियरी उद्योगों के लिए जो कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं उनके परिणामस्वरूप उत्पादनों में काफी वृद्धि होगी। इनका उत्पादन 1973-74 में 2700 करोड रुपये से बढ़कर 1978-79 में 5200 करोड रुपये हो जाने का अनुमान है। इस वृद्धि का पर्याप्त आयात में कमी होने के साथ नियात बढ़ाना भी है।

वास्तव में पांचवीं योजना में औद्योगिक विकास के कार्यक्रमों के लिए अत्मनिभरता और सामाजिक स्थाय के साथ विकास इन दो उद्देश्यों को सामने रखा गया है। औद्योगिक तथा खनिज क्षेत्र से सम्बन्धित योजना का लक्ष्य वार्षिक विकास दर 8.1 प्रतिशत प्राप्त करना है। इसमें एक ऐसा निवेश तथा उत्पादक प्रणाली की कल्पना की गई है, जो निम्नलिखित बातों पर बल देती है—

- (1) आधारभूत औद्योगिक क्षेत्र का तीव्र गति से विकास,
- (2) नियंत्रित उत्पादन
- (3) आप उपभोग की वस्तुओं की पर्याप्त सप्लाई,
- (4) अनावश्यक वस्तुओं के उत्पादन पर नियन्त्रण,
- (5) ग्राम तथा लघु उद्योगों को प्रोत्साहन,
- (6) औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्र का विकास और
- (7) औद्योगिक विकास के लिए विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी का प्रयोग।

ग्रामोद्योग और लघु उद्योग

योजना में लघु उद्योगों पर कुल मिलाकर लगभग 1960 करोड रुपये व्यय किए जाएंगे। पिछड़े क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और यह माना है कि 60 लाख अनियक्त लोगों को रोजगार मिल सकेगा। यह विश्वास प्रबल दिया गया है कि गरीबी और उपभोग में असमानता बहुत बहुत की दिशा में लघु और ग्रामोद्योगों का विकास बड़ा सहायक होगा। इस सम्बन्ध में, योजना में, तीनि सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्त इस प्रकार निर्धारित किए गए हैं—

- (1) सही उद्योगों का चुनाव किया जाएगा और उन्हें सलाहकार और

विपणन सेवाओं की सहायता दी जाएगी, (2) लघु उद्योगों और बड़े उद्योगों के बीच समूचित सम्पर्क स्थापित किया जाएगा। इसमें सरकार उपयोगी भूमिका निमाएंगी, (3) वित्तीय रियायते देकर पिछड़े क्षेत्रों में श्रीद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जाएगा, (4) श्रीद्योगिक विकास के लिए बुनियादी अवस्थापना का विस्तार किया जाएगा और बारानी खेती की नई विधियाँ अपनाकर तथा सिचाई की नई क्षमताओं के उपयोग से उपज बढ़ाई जाएंगी और पूँजी वित्तियोग की बाधाएँ दूर की जाएंगी।

लघु और ग्रामीणों के विकास की दशा में की जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण कार्यवाहीयाँ निम्नलिखित होंगी—

- (1) उद्यमियों को प्रोत्साहन देना और उनके लिए विभिन्न सलाहकार सेवाओं की व्यवस्था जिससे रोजगार के लिए प्रधिकतम अवसर मिल सकें, विशेषकर स्वयं-रोजगार के अवसर।
- (2) वर्तमान जानकारी और उपकरणों के भरपूर उपयोग की सुविधा।
- (3) उत्पादन तकनीक में सुधार और इसे विकास-क्षम बनाना।
- (4) पिछड़े इलाकों सहित कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों के चुने विकास केन्द्रों में लघु उद्योगों को बढ़ावा देना।

आधुनिक लघु उद्योगों का बड़े उद्योगों के सहायक के रूप में और विस्तार किया जाएगा।

परिवहन

पांचवी योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में परिवहन पर कुल परिव्यय 5697 करोड़ रुपया रखा गया है जिसमें 4343 करोड़ रुपया केन्द्रीय क्षेत्र में और 1354 करोड़ रुपया राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों में होगा। परिवहन सम्बन्धी अर्थव्यवस्था में रेलों का स्थान सर्वोंपरि बना रहेगा और अब तक की मुख्य प्रवृत्तियाँ भविष्य में भी जारी रहेंगी। परिवहन प्रणालियों में समन्वय पर जोर दिया जाएगा और सभी परिवहन दिशाओं में विकास किया जाएगा। सड़क सम्बन्धी उन कामों को प्राथमिकता दी जाएगी जो चौथी योजना से चले आ रहे हैं।

शिक्षा

पांचवी योजना में पिछले अनुभवों से सबक लेने और शिक्षा के ढाँचे में कुछ अनिवार्य परिवर्तन करने का प्रयत्न है। शिक्षा व्यूह-रचना में मुख्य जोर धार बहते पर रहेगा—(1) शिक्षा सम्बन्धी अवसरों को सामाजिक स्थाय सुनिश्चित करने की समग्र योजना का अग समझना, (2) शिक्षा-प्रणाली, विकास की आवश्यकताओं और रोजगार के बीच निकट का तालमेल रखना, (3) शिक्षा स्तर में सुधार, और (4) विद्यार्थियों समेत शिक्षा से सम्बद्ध समुदाय को सामाजिक और आर्थिक विकास के काम में शामिल करना।

शिक्षा और रोजगार में निकट सम्बन्ध स्थापित करने के लिए पाठ्यक्रम में ऐसे सुधार किए जाएंगे जिनसे विद्यार्थियों में रोजगार के अनुकूल प्रवृत्ति पैदा हो और

वे कुछ हुनर सीख सकें। उच्चनर माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक रूप दिया जाएगा और विश्वविद्यालय स्तर पर भी कुछ व्यावसायिक पाठ्यक्रम चालू किए जाएंगे तथा व्यावसायिक शिक्षा को देश की जनशक्ति सम्बन्धी आवश्यकताओं के अनुसार ढाला जाएगा।

प्रमुख गुण सुधार-कार्यक्रमों में, पाठ्यक्रम तथा परीक्षा में सुधार, अध्यापन तथा शिक्षा ग्रहण के तरीकों में सुधार, अध्यापकों का प्रशिक्षण, पाठ्य-पुस्तकों में सुधार, शिक्षा प्रक्रिया में जन सचार साधनों का अधिकाधिक उपयोग और भौतिक सुविधाओं में सुधार उल्लेखनीय कदम होंगे।

पांचबी योजना में प्राथमिक शिक्षा को प्राथमिकता दी गई है और इसके लिए चौथी योजना में जहाँ 237 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान रखा गया था, पांचबी योजना में 743 करोड़ रुपये का प्रावधान है। पिछड़े हुए इलाकों और देश के सबसे असुविधाप्रस्त बर्गों में शिक्षा के विस्तार पर मुख्य जोर दिया गया है। पांचबी योजना में शिक्षा के लिए 1,726 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इसमें 743 करोड़ रुपया प्रारम्भिक शिक्षा 241 करोड़ रुपया माध्यमिक शिक्षा और 164 करोड़ रुपया तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए है।

विज्ञान और टैक्नोलॉजी

वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में प्रगति अपर्याप्त और असन्तोषजनक रही है। इस सन्दर्भ में पांचबी योजना के मुख्य उद्देश्य ये हैं—(1) अर्थव्यवस्था के आधारभूत क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के प्रयत्नों का समर्थन, (2) परमाणु ऊर्जा, बाह्य अन्तरिक्ष और इलैक्ट्रोनिक्स जैसे क्षेत्रों में और अधिक प्रगति की व्यवस्था, (3) भूकान, स्वास्थ्य और शिक्षा आदि जनता की आधारमूल आवश्यकताएँ पूरी करने में योगदान, (4) जिन चुने हुए क्षेत्रों में सामर्थ्य है, उनकी क्षमता बढ़ाना, (5) डिजाइन इंजीनियरी और सलाह, प्राकृतिक साधनों का अनुमान लगान तथा इनका उपयोग करने कोयले का उचित उपयोग करने और विश्वविद्यालयों में युवकों को प्रशिक्षित करने जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की क्षमियाँ दूर करना।

वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जहाँ चौथी योजना में कुल 373·57 करोड़ है (योजना=142·27 करोड़ रुपये + गैर योजना=231·30 करोड़ रुपये) व्यवहार किए गए वहाँ पांचबी योजना में कुल 1568·22 करोड़ रुपये (योजना=1033·29 करोड़ रुपये + गैर योजना=534·92 करोड़ रुपये) का प्रावधान रखा गया है।

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और पोषाहार

चौथी योजना में स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर कुल 433·53 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी जिसमें से बास्तव में लगभग 343·91 करोड़ रुपये ही खर्च हुए, जबकि पांचबी योजना में स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर 796 करोड़ रुपये व्यवहार किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों पर पांचबी योजना के मुख्य उद्देश्य ये हैं—

(1) न्यूनतम सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था, जो परिवार-नियोजन और गर्भवती माताओं तथा बच्चों के लिए पोषक प्राहार की सुविधाओं से सम्बद्ध हैं।

- (2) देहाती इलाको मे और खासकर पिछडे तथा जन-जातियो वाले इलाको मे स्वास्थ्य सुविधाप्रो मे बृद्धि तथा प्रादेशिक असम्भुलन दूर करना ।
- (3) छून की बीमारियो, विशेषकर मलेरिया और चेचक पर नियन्त्रण पाने और उन्हे समाप्त करने के प्रयत्नो मे बृद्धि ।
- (4) स्वास्थ्य सेवाओ से सम्बद्ध व्यक्तियो की शिक्षा और ट्रेनिंग मे गुणात्मक सुधार ।
- (5) विशेषज्ञ सेवाप्रो का विशेषज्ञ देहाती इलाको मे विस्तार ।

योजना मे न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम इस प्रकार रखा गया है—

- (1) प्रत्येक सामुदायिक विकास खण्ड मे एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, (2) 10,000 वी आवादी पर एक उप-केन्द्र, (3) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो की कमियां समन्वित रूप से दूर करना, (4) प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए और ग्रामिक द्वाइयो की व्यवस्था, (5) चार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो म से एक को 30 रोगी शैल्या वाला ग्राम चिकित्सालय बनाना ।

शहरी विकास, आवास और पीने का पानी

शहरी विकास—पांचवी योजना मे शहरी विकास के लिए कुल 578.55 करोड रुपये रखा गया है । 252 करोड रुपये केन्द्रीय क्षेत्र मे और 326.55 करोड रुपये राज्यो और केन्द्र शासित क्षेत्रो के लिए हैं । इसके मुकाबले चौथी योजना मे 708 करोड रुपये रखा गया था ।

शहरी विकास परियोजनाओ मे अन्य बातो के अलावा वडे पैमाने पर भूमि प्रधिग्रहण और विकास का कार्यक्रम शामिल होगा । गन्दी बस्तियो के बातावरण के सुधार कार्यक्रम पर विशेष बल दिया जाएगा । अनुमान है कि लगभग 7 लाख गन्दी बस्ती-वासियो को लाभ पहुँचेगा ।

आवास—पांचवी योजना मे आवास पर कुल 4,670 करोड रुपए खर्च किया जाएगा । इसमे 580.16 करोड रुपये सरकारी क्षेत्र मे और 3,640 करोड रुपये निजी क्षेत्र मे होगा । इसके अलावा रेल, डाक तार आदि विभागो द्वारा 450 करोड रुपये और खर्च किया जाएगा । योजना के मुख्य उद्देश्य हैं—(1) बत्तमान मकानो की सुरक्षा और सभाल-सुधार, (2) भूमिहीनो को गांवो भ मकानो के लिए करीब 40 लाख प्लाट देने की व्यवस्था, (3) समाज के कुल दुर्बल वर्गो के लिए सकान बनाने के लिए सहायता देने की बत्तमान योजनाओ को जारी रखना, (4) ऐसी सस्थान्नो या अभिकरणो जैसे कि आवास तथा शहरी विकास निगम को जारी निम्न आय और मध्य आय वर्ग के लोगो वो सहायता देने की योजनाओ के लिए मदद जारी रखना, और (5) सस्ते इमारती सामान के विकास और अनुमधान जो और तेज करना ।

जलपूर्णि—इस क्षेत्र मे योजना के मुख्य उद्देश्य हैं—(1) 116 लाख समस्याप्रस्त गांवो मे पीने के पानी की व्यवस्था करना, (2) शहरी इलाको मे

जलशृंखला योजना जलदी पूरी करना विशेषकर अवूर्धी योजनाएँ पूरी करना, (3) जिन इलाकों में सीधर व्यवस्था नहीं है, वहाँ आम सौचालयों की जगह सफाई बाले शौचालय बनाना, (4) कृड़ा इकट्ठा करने और इसको फैक्ने के आधुनिक तरीके अपनाने के लिए प्रोत्साहन।

रोजगार, श्रम-शक्ति और श्रमिक कल्याण

पांचवीं योजना में कारीगरों के प्रशिक्षण, रोजगार सेवाओं और श्रमिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए 51 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। रोजगार नीति में (1) चेतन पर रोजगार और (2) स्वयं रोजगार सुविधाओं के विकास दोनों पर बल दिया जाएगा।

भारतीय श्रमिक संस्था का पुनर्गठन कर और इसका विस्तार कर राष्ट्रीय श्रमिक संस्था बनाई जाएगी। यह संस्था श्रमिकों से सम्बद्ध मामलों में अनुसंधान के द्वारे में समन्वय स्थापित करने वाली संस्था होगी।

समाज कल्याण

इस क्षेत्र में कुल परिव्यय 229 करोड़ रुपये का है। इसमें से 200 करोड़ रुपये केन्द्रीय क्षेत्र के लिए रखे गए हैं। योजना का लक्ष्य कल्याण और विकास सेवाओं का समायोजन करना है और इसके लिए ये उपाय सोचे गए हैं—(क) समाज-कल्याण के विकास और रक्षा के कार्यक्रमों का विस्तार, (ख) दुर्बल वर्गों, विशेषकर बच्चों और स्त्रियों के लिए किए जाने वाले सामाजिक और आर्थिक आयोजनों में समन्वय, (ग) रोजगार के कार्यक्रमों के जरिए कल्याण सेवाओं की वृद्धि, (घ) परिवारों को बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएँ मुहैया करना, और (ड) जिन स्त्रियों और बच्चों को सरकार ने आवश्यकता है, उनके लिए कल्याण के कार्यक्रम और वृद्धों तथा अशक्तों के लिए सहायता।

पुनर्वासि

विभिन्न प्रकार के विद्यापितों की समस्याएँ सुलझाने के लिए पांचवीं योजना में अस्थायी रूप से 70 करोड़ रुपये खर्च करने की व्यवस्था की गई है।

पांचवीं योजना के कुछ प्रश्न चिह्न

देश के अर्थशास्त्रियों और विचारकों ने पांचवीं योजना के हृष्टिकोण-पत्र और प्रारूप को गहराई से जांचा और उसकी कुछ आधारभूत आनियों तथा कमियों की ओर सरेत किया। दौँ ईश्वरदत्तमिह ने अपने एक लेख 'पांचवीं योजना कुछ प्रश्न-चिह्न' के अन्तर्गत इन आनियों की ओर अच्छा सरेत दिया। आर्थिक और राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में ऐसी शकाएँ प्रकट की गई कि पांचवीं योजना भी सम्भवत विद्युतीयों योजनाओं की तरह 'बात बड़ी और काम छोटा' वाली कहावत चरितार्थ करेगी। आलोचना के कुछ प्रमुख बिन्दु ये रहे हैं—

1. योजना में प्रस्तावित व्यय के आधार पर प्राप्त किए जाने वाले भौतिक लक्ष्यों का सरेत किया गया है पर "बड़ी हुई कीमतों के कारण परिव्यय और

भौतिक लक्षणों को प्राप्ति के सम्बन्ध में किए जा रहे आंकड़ेन मृग-मरीचिका के सहश दौख पड़ते हैं।" कीमतें जिस तेजी से बढ़ रही हैं, वह प्रस्तावित लक्षणों को निरर्थक सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं।

2. योजना के मूल में यह मान्यता निहित है कि गरीबी निवारण के लिए तीव्र दर से आर्थिक विकास आवश्यक है। योजना-काल में 5.5 प्रतिशत वार्षिक विकास की दर का लक्ष्य रखा गया है। पिछले दो दशकों में विकास की दर लगभग 3.8 प्रतिशत रही है और विकास की दर का कम होना देश की गरीबी का एक बड़ा कारण रहा है। वास्तव में, गरीबों को आधारभूत प्रावश्यक बस्तुओं की पूर्ति के लिए 5.5 प्रतिशत विकास की दर (यदि प्राप्त भी हो जाए तो) अपर्याप्त दिखाई देती है। दीर्घकालिक परिव्रेक्षण योजना के अनुसार पांचवी योजना में वम-मे-कम 6.2% विकास की दर होनी चाहिए थी।

3. योजना-प्रारूप में आय की विषमताओं को घटाने की बात की गई, पर जब तक आर्थिक विकास की गति तीव्र न हो, सम्मेव समानता के सिद्धान्त पर आधारित नीतियाँ भी परिस्थितियों में बुनियादी परिवर्तन नहीं ला सकती। डॉ ईश्वरदत्तसिंह का तर्क है कि यदि विकास की दर मुश्किल से 5.5 प्रतिशत तक ही प्राप्त की गई और समानता के सिद्धान्त पर आधारित नीतियाँ भी परिस्थितियों में परिवर्तन नहीं ला सकेंगी तो गरीबी-निवारण कैसे होगा? वास्तव में 'गरीबी निवारण' का नारा देना और गरीबी निवारण के लिए कार्य करना दो अलग बातें हैं।

4. योजना-प्रारूप में कीमत मजदूरी-आय नीति का सकेत है तथा इन तीनों में एक उचित सतुरन बनाए रखने की बात कही गई है। व्यापार, वसूली और विक्रय के कार्यों में सार्वजनिक क्षेत्र के हस्तक्षेप को बढ़ाव कर कीमतों में स्थायित्व लाने की चर्चा संसोधित परिकल्पना में है। एक राष्ट्रीय मजदूरी हाँचा बनाने की भी बात की गई है। काले धन की मात्रा को भी घटाने का भी सकेत किया गया है। इस प्रकार ये विचार निश्चित रूप से अच्छे हैं, लेकिन प्रश्न व्यावहारिकता का है। व्यापार एवं विक्रय के कार्य को सरकारी कर्मचारियों के हाथ में देने से कीमतों का क्षय हाल ही सकता है, कहना कठिन है। डॉ ईश्वरदत्तसिंह के शब्दों में, 'सरकारी प्रशासन में पलते हुए भ्रष्टाचार, कार्यकुशलता एवं व्यापारिक अनुभवों की कमी और प्ररणा के अभाव वाले वातावरण में राजकीय व्यापार से सामाजिक कल्याण बढ़ेगा, यह नहीं कहा जा सकता। समग्र राष्ट्रीय मजदूरी का प्रश्न भी अभी तो दिवान्वयन सह ही लगता है। वैसे कानूनी तौर पर तो निम्नतम मजदूरी प्रधिनियम भी बहुत दिनों से लागू है, लेकिन बहुत से क्षेत्र इससे अदूते हैं। अभी तो इसका भी ठीक-ठीक व्यूहा उपलब्ध नहीं है कि देश में काला धन कितना है। सरकारी अक्षयों और कर्मचारी की छत्र छाया में ही काले धन का बहुत कुछ अर्जन एवं सवर्द्धन होता है। यदि काले धन पर अक्षय लगाना है तो सरकारी तन्त्र पर स्पष्ट और कडे अकुश की आवश्यकता है।'

5. वेकारी निवारण के प्रश्न पर योजनाकारी का स्वर बहुत ऊँचा नहीं दिखाई पड़ता। वहाँ गया है कि नैर-कृषि क्षेत्रों में पर्याप्त रोजगार के अवसर देने के प्रयास होंगे। लेकिन बहुतों को स्वयं अपने को साकार बनाने के लिए लघु उद्योगों, कृषि, सेवाकार्य, निर्माण-कार्य आदि में अवमर ढूँढ़ने होंगे। शिक्षित वेकारी के दारों में योजनाकार निराश लगते हैं कि सार्वजनिक सेवायों में तो विश्वविद्यालयों और कॉलेजों स नए निकलन वालों को भी जगह देना मुश्किल होगा। वर्तमान वे रोजगारों का तो प्रश्न ही अलग है।

6. 13 जनवरी, 1974 के सप्ताहिक दिनमान में रामावतार चौधरी के लेख 'पांचवीं योजना के लक्ष्य क्या पूरे होग ?' में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की तर्कसंगत रूप में भालोकन की गई। योजना आयोग की गणनाओं के अनुमार देश की लगभग 30 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी के अत्यन्त खोफनाक दायरों में है, तुच्छ अन्य अनुमानों के अनुमार यह प्रतिशत 50 से 55 के बीच है। गरीबी की सरकारी माप वो हम सही मान भी ले तो कीब 17 करोड़ लोगों को जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएँ प्रदान करनी होगी। यह निश्चय ही एक दुष्कर कार्य है। पिछले बीस वर्षों में आर्थिक विषयमान सूचक अर्कों में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए पहले तीन योजना कालों में यह सूचक अक अमश 0.35, 0.30 तथा 0.30 रहा है। शहरी क्षेत्र के लिए यह 0.38 (पहली योजना), 0.36 (दूसरी योजना) व 0.36 (तीसरी योजना) था। इन तथ्यों से जाहिर है कि सामाजिक न्याय के अनवरत नाप के बावजूद प्रसाननता में कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं हुआ है। पांचवीं योजना आल के दोरान आय के पुनर्वितरण के कार्यक्रम इस क्लन्ना पर आधारित हैं कि यह विषयमान सूचक अक 0.32 (1973-74) से घट कर 0.20 (1978-79) हो जाएगा। अब तक की उपलब्धियों की पृष्ठभूमि में तो यह असम्भव ही लगता है। 18 करोड़ लोगों की रोजी-रोटी की जहरतें केवल राष्ट्रीय आय के सकलित् प्रतिरिक्ष उत्पादन से ही नहीं पूरी हो पाएंगी। इसके लिए समाज के उच्चकाल 10 प्रतिशत लागों को अपन विलासी उपभोग में भारी कमी वरनी पड़ेगी। यह सत्ताशील बगं ऐसा होन देगा, इसमें सन्देह है।

7. श्री चौधरी के अनुसार ही, योजना के प्रारूप में सरकारी खर्च में भारी कमी करने की बात भी की गई है। यह कहा गया है कि मावजनिक उपभोग व्यष्ट केवल 7 प्रतिशत वी सालाना रक्षनार से बढ़ेगा पर पिछले दशक का अनुभव तो कोई और ही कहानी कहता है। सार्वजनिक उपभोग व्यष्ट इस दोरान 15 प्रतिशत वी वापिक की गति से बढ़ रहा है।

8. कृषि की पांच प्रतिशत सालाना बढ़ोत्तरी के लिए प्रवृत्ति की कृपा पर बहुत अधिक निर्भर रहना पड़ेगा। पिछले बीस वर्षों में कृषि उत्पादन तीन प्रतिशत सालाना से अधिक नहीं बढ़ा है।

9. प्रारूप के अनुसार यदि आय के पुनर्वितरण का अम सम्भव हो गया तो भी 1978-79 के अन्न तक 8 करोड़ 64 लाख लोग गरीबी की सीमा से नीच ही रहेंगे। गरीबी समाप्त नहीं हो पाएंगी।

10. योजना प्रारूप में प्रायात माँगो का अल्पानुमान किया गया है। कच्चे माल, मशीनी उपकरण तथा विद्युत और परिवहन उपकरणों की आयात माल अल्पानुमानित हैं। पुनर्श्च, भारतीय आयातों का ढाँचा ऐसा है कि पांचवीं योजना के पांच वर्षों में आयातों में केवल 1·5 प्रतिशत की कमी होने की आशा की जा सकती है। निर्यातों की 7·5 प्रतिशत वृद्धि-दर भी कल्पनातीत लगती है। इसके अतिरिक्त निर्यातों को अन्तर्राष्ट्रीय मण्डलों में प्रतिस्पर्द्धा बनाने की बात दबकर रह गई है। कई बार तो निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की कीमत उनके निर्माण हेतु आयात किए गए कच्चे माल की लागत से कम होती है। इस प्रक्रिया में हम विदेशी मुद्रा अर्जित करने की बजाए स्थोते हैं।

11. योजना में जो विपुल राशि सरकार को देश के अन्दर जुटानी होगी, उसमें करों का आधिकार लिया जाना बड़ा असम्भोपजनक होगा। रिजर्व बैंक की 'रिपोर्ट अन कैरेन्सी एण्ड फाइनेंस' में कहा गया कि आय एवं निगम करों को पुन बढ़ाने से करों की खोरी को प्रथम भिन्नेगा। रिपोर्ट के अनुसार देश में अप्रत्यक्ष करों को लगाने की अवधि कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। उन्हें बढ़ाने से सरकार को घनराशि घटती हुई दर पर प्राप्त होगी। करों को बढ़ाने से एक और तो लोगों पर करों का बेतहाशा बोझ बढ़ेगा और दूसरी ओर कीमतों का भी बोझ बढ़ाया दबोकि घाटे की वित्त-व्यवस्था अपनानी होगी।

कुछ सुझाव

यद्यपि योजना में अनेक आन्तियाँ एवं कमियाँ हैं तथापि विद्युली योजनाओं की अपेक्षा यह अधिक दूरदर्शी है, इसमें सन्देह नहीं और फिर सरकार इस बात को बारम्बार दोहरा रही है कि इस बार योजना के कियान्वयन में पोल नहीं की जाएगी। फिर भी, योजना की सफलता के मार्ग में उपस्थित बाधाओं का तो निराकरण करना ही होगा। इस हृषि से निम्नलिखित उपाय करने होंगे—

1. सरकार मूल्यों को नियन्त्रित करके मूल्य-स्थिरता प्रदान करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए।

2. जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावशाली ढग से रोक लगाई जाए और यदि उचित हो तो कानूनी व्यवस्था का भी आधिकार लिया जाए।

3. मजदूरी तो दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है लेकिन उसके अनुपात में उत्पादन बहुत कम हो रहा है। अत सरकार को पूर्ण सजग रहना होगा कि देश में श्रीदोगिक हड्डतालें न हो। यह उचित होगा कि सरकार पांच वर्षों के लिए हड्डतालों को अवैधानिक ठहरा दे।

4. नौकरशाही की सकीण मनोवृत्ति भी सार्वजनिक हेत्र की असफलता का एक प्रमुख कारण रही है। सरकार नौकरशाही के इस हृषिकोण को बदलने का प्रयास करे कि केवल नियम और स्वीकृति के पालन से ही कर्तव्य की इतिहासी नहीं हो जाती।

5. योजना की सफलता के मार्ग में एक प्रमुख बाधा यह भी है कि राज्य

वैनियोग सहायता की मांग में एक दूसरे से प्रतियोगिता में फैले हैं। ग्रामीणों को बढ़ा-चढ़ा कर पेश करके कन्द्र से अधिकाधिक सहायता की मांग की जाती है। केन्द्र दो चाहिए कि वह राज्यों की इस मनोवृत्ति पर अकुश लगाए। राज्य-सरकारों को भी चाहिए कि वे समय से काम लें और योजना के लाभकारी ढम से क्रियान्वयन पर बल दें।

6. एकाधिकारी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना भी योजना की सफलता की दिशा में और आर्थिक न्याय की स्थापना की दिशा में एक उपयोगी बदम होगा।

7. खाद्यान्नों का पूर्ण रूप से राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए।

बास्तव में कोई भी योजना तभी सफल हो सकती है जब देश में उपलब्ध साधनों का समुचित विदोहन और उत्थयोग किया जाए। योजना के निर्धारित लक्ष्य तभी प्राप्त किए जा सकते हैं जब जनता केन्द्रीय शासन, राज्य प्रशासन और नियंत्रक परस्पर सहयोग से काम करें। 26 जून 1975 को राष्ट्रीय आपात्कालीन उद्घोषणा और 1 जुलाई, 1975 से 20 सूक्ष्मी आर्थिक कार्यक्रम लागू करने के बाद से देश में बहुमुखी प्रगति और अनुशासन का एक नया बातावरण बना है और एक वर्ष के अल्पकाल में ही उल्लेखनीय उत्तरविधयी हासिल की गई है। पाँचवीं योजना के मसौदे पर पुनर्विचार कर उसे अनितम रूप दिया जा रहा है।

1974-75 और 1975-76 के लिए वार्षिक योजनाएँ (Annual Plans for 1974-75 and 1975-76)

पाँचवीं परिवर्द्धन योजना के अग्र के रूप में 1974-75 के लिए जो वार्षिक योजना बनाई गई, उसके परिवर्धन के रूप में 4,844 करोड़ रु की राशि रखी गई। योजना का मुख्य उद्देश्य था—देश के भीतर और बाहर से उठते हुए उन दबावों का सामना करना, जो हमारी अर्थ-व्यवस्था को आवात पहुंचा रहे थे। बढ़ती हुई महंगाई और मुद्रा स्फीति पर प्रभावी अकुश रखने के लिए योजनाकाल में कुछ कठोर बदम उठाए गए। इस वार्षिक योजना से इस्तात, विद्युत् उत्पादन, याताशात और कोषसांचत्पादन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया। अन्तर्राष्ट्रीय तेल स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक भी था। अधिक निर्धारित व्यक्तियों की ग्रन्तिम आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम की पूर्ति की दिशा में भी प्रभावशाली कदम उठाए गए। परिशणमस्वरूप, प्राथमिक शिक्षा, प्रसीण स्वास्थ्य, पेय-जल, गन्डी वस्तियों की सफाई, आमीण सड़कों तथा विद्युतीकरण की स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ।

सन् 1975-76 की वार्षिक योजना के लिए परिवर्धन की राशि 5,978 करोड़ रु रखी गई। इस योजना का मुख्य लक्ष्य स्थानिकता के साथ आर्थिक विकास को गति देना था। विकास रणनीति की व्यूह रचना करते समय वितरणात्मक स्थितियों पर विशेष ध्यान दिया गया। इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया कि सभी क्षेत्रों में उपलब्ध शमताप्रमाण का पूर्ण उपयोग हो, आयात में बचत और निर्धारित में वृद्धि की जाए। उन परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई, जो दीर्घकालीन परियोजनाओं की अपेक्षा अल्पकाल में ही लाभ देने वाली हो। सन् 1975-76 की

वार्षिक योजना में विभिन्न मदों पर परिव्यय की राशियाँ निम्न सारणी द्वारा स्पष्ट हैं।

वार्षिक योजना (1975-76) के अन्तर्गत विभिन्न मदों के लिए परिव्यय (करोड़ हॉ में)

विवास की मद	क द्रीय और क द्र		राज्य	संघीय-स्वेच्छा	योग
	प्रस्तावित योजनाएँ	प्रस्तावित योजनाएँ			
1. कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र	278 56	400 26	12 59	691 41	
2. सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण	11 21	453 18	3 83	468 32	
3. विद्युत्	119 01	966 41	16 16	1101 58	
4. ग्रामीण और लघु-उद्योग	40 49	30 73	2 67	73 89	
5. उद्योग और खनिज	1534 19	109 35	0 48	1644 02	
6. यातायात और सचार	835 08	190 43	14 93	1040 44	
7. शिक्षा	92 07	110 37	11 65	184 09	
8. विज्ञान तथा प्रौद्यागिकी	71 27	—	—	71 27	
9. स्वास्थ्य	44 09	45 80	5 26	95 15	
10. परिवार नियोजन	63 20	—	—	63 20	
11. पोषण	3 95	14 95	0 46	19 36	
12. जल प्रदाय	1 03	123 28	13 51	137 82	
13. आवास और नगर विकास	34 59	98 64	8 93	142 16	
14. पिछड़े वर्गों का वर्स्याण	17 00	31 34	0 79	49 13	
15. समाज-कल्याण	11 00	2 38	0 40	13 78	
16. श्रम और श्रमिक-कल्याण	1 51	4 88	0 47	6 86	
17. अन्य	22 26	44 98	3 97	71 21	
18. रोजगार-वृद्धि कार्यक्रम	10 00	44 50	—	54 50	
19. पवनीय व ग्रादिम जाति क्षेत्र	—	40 00	—	40 00	
20. उत्तरी पूर्वी परियट	—	—	—	10 00	
योग	3,106 51	2,711 48	96 10	5,978 09	

1976-77 के लिए वार्षिक योजना का दस्तावेज़¹

“26 मई को सप्तम के समक्ष जो वार्षिक योजना का दस्तावज रखा गया, उसमें पूर्वपेक्षा ग्रधिक आविक विकास दर के साथ साथ 11 करोड़ 60 लाख टन अनाज के उत्पादन तथा आयोगिक शान्ति की आशा व्यक्त की गई है। योजना प्रायोग के अनुसार, यदि मूल्य स्थिर रहे, तो वार्षिक योजना से सार्वजनिक क्षेत्र में तीव्र विकास होगा। कुल योजना का लक्ष्य 7,852 करोड़ रुपये रखा गया है। सावजनिक

1 सन् 1976-77 की वार्षिक योजना का दस्तावेज (दिनांक 6-12 जून 1976) — योजना मंत्री डॉ शक्तर धौल।

धोन के अतिरिक्त निजी-क्षेत्र में भी तीव्र विकास करने के सम्बन्ध में उठाए गए कदमों को महत्वपूर्ण समझा जा रहा है और यह आशा की जाती है कि पिछले दशक में अर्थतन्त्र में जिस दर से पूँजी लगाई गई थी वह अपेक्षाकृत अधिक दर से लग सकती है। उद्योग में इस प्रकार का प्रस्तावित विकास मूल्यों के बर्तमान टॉचे में कोई वाधा उत्पन्न नहीं करेगा, क्योंकि देश में पर्याप्त अभ्यास आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धि में काफी सुधार आ गया है तथा उद्यागों में जाने वाले बच्चे माल जैसे लोहा, कोयला, चिजली इंधन तथा परिवहन आदि तत्वों में पर्याप्त सुधार आ गया है, इनके अतिरिक्त, सरकार द्वारा उठाए गए वित्तीय कदम मुद्रा स्फीति रोकने के लिए पर्याप्त समझे जाते हैं।

समृद्धि में योजना मन्त्री डॉ. शक्त घोष द्वारा रखे गए दस्तावेज के अनुसार आपानु-स्थिति तथा बीस सूची आधिक कार्यक्रम के कारण शैक्षणिक शान्ति पैदा हो गई है। बर्तमान वार्षिक योजना के लिए पूँजी देश में आर्थिक स्रोतों के द्वारा ही प्राप्त की गई है। पचवर्षीय योजना के प्राप्ति में जो अनुमान लगाया गया था, प्रथम तीन वर्षों में स्थानीय स्रोतों से प्राप्त पूँजी कर दर उससे काफी अधिक रही है। ऐसा अनुमान है कि केंद्रीय और राज्य-सरकारों के सरकारी उद्यम से 1974-75 और 1975-76 के बीच 2,450 करोड़ रु. बर्तमान वर्ष के लिए और 6,850 करोड़ रु. पद्धतिर्षीय योजना की पूरी अवधि के लिए प्राप्त होगे। वार्षिक योजना में बीस सूची आधिक कार्यक्रम के लिए कुल 2,337 करोड़ रु. रखे गए हैं।

इस सन्दर्भ में विभिन्न मुद्दों पर व्यव का आवण्टन इस प्रकार है—भूमि सुधार 37,26 करोड, छोटी सिचाई 149,04 करोड, वृहद और मध्यम तिचाई 613,63 करोड, सहकारिता 57,52 करोड, विद्युत् 1,289,69 करोड, हाथकरघा-उद्योग 11,70 करोड, भूमिहीनों के लिए भवन-निर्माण 9,97 करोड, नव-उद्यमी योजना 95 लाख गरीब बच्चों के लिए मुफ्त किताबें कागज आदि और पुस्तक बैंक 4,21 करोड रुपया।

इसके अतिरिक्त, राज्यों और बेंद्र शासित क्षेत्रों की योजना से 163 करोड से अधिक रुपये निश्चित किए गए हैं। दस्तावेज में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि बीस सूची आधिक कार्यक्रम को सामान्य आयोजना का विवर नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि यह जमका पूरक है।

देश में आधिक-विकास और मूल्य-वृद्धि पर तथा आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धि हेतु जो कदम उठाए गए हैं, उनमें पार्थिक प्रपराधियों, कानादाजारियों, जमालोरों और तस्करों का दमन, सभी प्रकार के माल का निश्चित भूल्य घोषित करने वी कानूनी व्यवस्था आदि भी शामिल है। इसके साथ-साथ 1975-76 में देश में वृष्टि-उत्पादन में काफी वृद्धि ने एक अच्छा बातावरण पैदा कर दिया। इस सन्दर्भ में मूल्य-वृद्धि पर रोक्याम का हवाला देते हुए बताया गया है कि इस वर्ष योक्ता के मूल्य निर्देशांक में 9.1% की गिरावट आ गई। शैक्षणिक कार्यकर्ताओं के लिए

'अखिल भारतीय उपभोक्ता-मूल्य-सूचकांक' में गत वर्षे जून से इस वर्ष के बीच 12.8 प्रतिशत की कमी हुई और कृषि-मजदूरों के लिए 22.1% की।

खरीफ की अच्छी फसल के साथ-साथ पर्याप्त माना में अनाज की बसूली का कार्यक्रम इस वर्ष सफलतापूर्वक चल पड़ा है। 7 मई सक्क खरीफ की फसल का 66 करोड़ 70 लाख टन बसूल किया गया, जबकि इसी अवधि में गत वर्ष 34 करोड़ 50 लाख टन ही खरीदा जा सका था। अर्थात् देश में अन्न का पर्याप्त भण्डार स्थापित हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में भूमि-मुवार पर बल दिया जा रहा है, और ग्रामीण में अधिक रोजगार उत्पन्न करने की योजनाओं पर कार्य हो रहा है। इस सम्बन्ध में, राज्यों में वहां जा रहा है कि भूमि सुधार और अतिरिक्त भूमि के बटवारे का कार्य तेज करें। कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए सिचाई के विकास पर बल दिया जा रहा है। 1975-76 में 25 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त-भूमि को सिचाई के प्रनगर्णत लाया गया। अब 50 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त-भूमि की सिचाई योजना पर अग्रसर हो रहा है।

विभिन्न ग्रीष्मोगिक उत्पादनों में उत्साहवर्द्धक वृद्धि रही है। इस सन्दर्भ में कोयला, इस्पात, अल्पूपीनियम, नाइट्रोजन उत्पादक, सीमेट तथा विचुन महत्वपूर्ण है। सावर्जनिक क्षेत्र के उद्यागों ने अच्छी प्रगति दर्शायी है। इसमें राष्ट्रीय टेक्सटाइल कारपोरेशन के कारखाने भी सम्मिलित हैं। रेलों, बन्दरगाहों के कुशल कार्य के कारण ग्रन्थ ब्यापार के प्रवाह में भी गति आ गई है। अब रेलमार्गों से पूर्वपिण्डा 12% अधिक बैगन गुजरते हैं। केन्द्रीय परकार ने स्थानीय सड़क परमिट जारी करन की नीति अपनाई है। अभी तक 5300 परमिट दिए जा चुके हैं।

ग्रीष्मोगिक बातावरण में क्रान्तिकारी परिवर्तन आया है, परिणामस्वरूप, उत्पादन बढ़ गया है। मजदूरों को उद्यागों में अन्तर्गत का अहसास दिलाने के लिए मजदूरों की सहूलियत का एक व्यापक कार्यक्रम तयार किया जा रहा है ताकि उद्योगों के सचालन में भी उनका पूरा-पूरा हिस्सा हो।

पिछले क्षेत्रों और वर्गों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस सम्बन्ध में 95.4 करोड़ रुपये पिछले वर्गों के माध्यिक विकास हेतु निश्चित किए गए हैं। इनमें जनजाति सम्बन्धी छोटी योजनाओं पर 40 करोड़ का व्यय भी शामिल है। 4 करोड़ 14 लाख अनुसूचित वर्ग और जनजातियों के छात्रों को इस योजना से सामंजस्यपूर्ण बाला है। इसके अन्तर्गत उन्हें विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियाँ मिलती हैं। इस पर 14 करोड़ रुपये व्यय होंगे। राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों को इसी कार्य के लिए 39 करोड़ 49 लाख रुपये दिए जा रहे हैं। प्रोफेसर दाँतवाला की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है जो सम्बूर्ण देश में विभिन्न ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के सामाजिक आर्थिक प्रभावों का अध्ययन करेगी।

यद्यपि बहुत इसी बात पर दिया जा रहा है कि योजनाप्रो के लिए घरेलू स्त्रोतों से धन प्राप्त किया जाए, तथापि विकासशील देश होने के नाते विश्व बैंक की सहायता से भी बहुत सी योजनाएँ और विकास-सम्बन्धी वार्यों को चलाने की आशा

करना अस्वाभाविक नहीं है। इस बर्ष भारत में आर्थिक विकास की अमूल्यपूर्व प्रगति को देखते हुए विदेशों में भी भारत को आर्थिक सहायता देने के बारे में प्रच्छावातावरण बन रहा है। भारत को सहायता देने वाले सहयोगी संगठन ने 1976-77 के लिए 170 करोड़ डॉलर देने का निश्चय किया है। 13 सदस्यीय सहयोगी समिति के सदमों ने कुल 100 करोड़ डॉलर देने की घोषणा की है, जबकि शेष 70 करोड़ डॉलर विश्व बैंक ने देने का बायो दिया है। यद्यपि यह गत बर्ष की राशि से 20 करोड़ डॉलर कम है, तथापि वास्तव में सभी देशों ने गत बर्ष की अपेक्षा अपना हिस्सा बढ़ाया है। किन्तु अमेरिकी डॉलर की मजबूत स्थिति के कारण डॉलरों में यह कुल राशि कम हो जाएगी। इस सम्बन्ध में यह महत्वपूर्ण है कि अधिसंघ देशों ने किसी न किसी रूप में अधिक रियायतें देने की घोषणा की है। उदाहरणार्थ, बेलिजियम ने ब्रह्मण पर ब्याज 2 से 1% कर दिया है। पश्चिम जर्मनी का कर्जा 10 बर्षों की ब्याज मुक्त अवधि के आधार पर दिया जा रहा है। जबकि इसकी अदायकी की अवधि 50 वर्ष है। फ्रांस ने सहायता की राशि में 8% की वृद्धि की है। पहले के समान ही क्रिटेन, डेनमार्क और नार्वे की सहायता पूर्णरूप से मनुदान के हृप में है। स्वीडन ने प्रथम बार अन्य स्कॉटलैंडियाई देशों का अनमरण दिया है। जापान ने सहायता की राशि में कुछ वृद्धि की है। यद्यपि अमेरिका ने इस प्रकार की कोई वृद्धि की घोषणा नहीं की है, तथापि उसने भारत के साथ पी एल 480 का एक समझौता अवश्य किया है।

इस अन्तर्राष्ट्रीय समूह ने आर्थिक क्षेत्र में प्रगति और मूल्य वृद्धि की रोशनी की सराहना करते हुए यह आशा व्यक्त की है कि भारत मरकार अपने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, जैसे—तिर्यात, कूटि और कर्जा पर अधिक ध्यान देनी रहेगी तथा परिवार नियोजन के कार्यक्रम को आगे बढ़ायेगी।

इसने इस बात पर जोर दिया है कि भारतीय आर्थिक विकास में कमज़ोर वर्गों का सहयोग आवश्यक है। 13 राष्ट्रों की इस बैठक में सभी देशों ने भारत के बारे में अनिरित जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया। भारतीय प्रतिनिधि श्री एम जी कौल ने इस प्रश्नोत्तर को मिश्रतापूर्ण बताया। विश्व बैंक के उपाध्यक्ष श्री प्रमोस्ट स्टन ने इस बात पर सत्सोप व्यक्त किया कि आर्थिक क्षेत्र में भारतीय कार्यक्रमों की सफलता के प्रसार में सभी सदस्य देश एकमत थ।

आज का आयोजन

1976-77 की वार्षिक योजना, जिसके मसीदे का विवरण कमर दिया जा चुका है, अर्थव्यवस्था में हुए सुधारों की पृष्ठभूमि में है। और इसकी मूल मुद्दा स्थिरता तथा सामाजिक न्याय के साथ सम्बूद्धि को प्रोत्ताहन देना है। योजना मन्त्री डॉ शक्ति घोष ने योजना परिषद के 7 जुलाई, 1976 के शक्र म प्रशाशित अपने लेख 'आज का आयोजन' में योजनामों की रखनीति, 1976-77 की योजना की सम्भावित सफलताओं और 1975-76 की उपलब्धियों का सूत्यासन प्रस्तुत किया है। इस लेख के आधार पर हम मुगमतापूर्वक यह अनुमान लगा सकते

हैं कि पांचवी योजना के शेष वर्षों में आयोजन के प्रति सरकार की नीति क्या होगी। प्रति उपयुक्त होगा कि हम, कुछ पुनरावृत्ति के दोष का सतरा उठाकर भी, डॉ घोष ने इस लेख का अवलोकन करें।

भारत ने नियोजित आर्थिक-विकास के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। मन 1951 में हमारी प्रथम पचवर्षीय योजना प्रारम्भ हुई थी। तब से चार पचवर्षीय योजनाएँ और तीन वार्षिक योजनाएँ पूरी हो चुकी हैं। पांचवी पचवर्षीय योजना का तीसरा वर्ष चल रहा है। ये सभी योजनाएँ निम्नतर विकास-शक्तियाँ वी कड़ी हैं। ये मूलभूत सामाजिक आर्थिक नीतियों में विकास कम की एक नस्वीर पेश करती हैं। योजना के प्रत्येक चरण में, बदलती स्थितियों नये अनुभवों व मूल्यांकन के बाद परिवर्तन हुए हैं।

प्रत्येक पचवर्षीय योजना एक दूरगामी परिप्रेक्षण को हटिंग में रखकर तीयार की गई है। प्रथम योजना 1951 में 1981 तक 30 वर्षों के आर्थिक विकास के आधारभूत रूप में बनाई गई थी। द्वितीय योजना का आयाम 1976 तक का था और तृतीय योजना 1961-76 की 15 वर्षीय योजना के प्रथम चरण के रूप में बनाई गई थी।

इसके पश्चात् 1965 के युद्ध में सहायता देने वाले देशों ने सहायता करने से इकार कर दिया। इस कारण 1965-66 तथा 1966-67 की फसलें खराब हो गई। उन स्थितियों में नियमित पचवर्षीय योजना के स्थान पर तीन (1966-69) वार्षिक योजनाएँ बनाई गईं। उनके बाद ही अगली पचवर्षीय योजना प्रारम्भ करने की अनुकूल स्थितियाँ उभर सकी।

आजकल पांचवी पचवर्षीय योजना का तीसरा वर्ष चल रहा है। इस सन्दर्भ में यह उल्लेखनीय है कि देश 1971-72 से ही आर्थिक विप्रवर्ती के दौर से गुजर रहा है। बगलादेश की भुक्ति से पूर्व वहाँ से बहुत ग्राहिक शरणार्थी भारत आए, फिर देश के बड़े भागों में अनावृष्टि और बाढ़ वा प्रकोप आया। खनिज पैट्रोलियम के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य एकाएक आसमान छूने लगे। साथ ही अनेक वस्तुओं के राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में भी खूब उछाल आया। तस्करी, काला बाजारी, कानून व व्यवस्था के प्रति घटती आस्था से स्थिति और भी बिघड़ गई।

लेकिन आपात-स्थिति लागू होन और प्रधानमन्त्री द्वारा बीस-सूनी आर्थिक-कार्यक्रम की घोषणा से आर्थिक तथा राजनीतिक अनुशासनहीनता पर अकृष्ण लग गया। देश की व्यवस्थित प्रगति के लिए उचित परिस्थितियाँ बन गईं। 1975-76 में सबसे उल्लेखनीय घटना मुद्रास्फीति पर काबू पाना था। अक्टूबर, 1974 से मूल्यों में गिरावट का रूप आया था, वह 1975-76 के दौरान भी बना रहा और अक्टूबर, 1975 के बाद से गिरावट-दर भी तेज हो गई। मार्च, 1976 के अन्त में थोक-मूल्य निर्देशांक 282.9 था जो पूर्व वर्ष की अपेक्षा 7.9% और सितम्बर, 1974 की अपेक्षा 14.4% कम था। 1975-76 का औसत निर्देशांक 1974-75 की अपेक्षा 3.3% कम था। राष्ट्र की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के सन्दर्भ में मुद्रास्फीति का बढ़ाव उलट जाना कोई छोटी उपलब्धि नहीं।

1974 के मध्य मुद्रास्फीति पर नियन्त्रण हेतु कुछ कदम उठाए गए थे। आपात् स्थिति की घोषणा के पश्चात् कुछ नए कदमों की घोषणा की गई, ताकि मूल्य-स्थिरता बनी रहे। ये निम्नलिखित थे—कालादाजारी, मुनाफाखोरी, और तस्करों के विरुद्ध जेहाद, काले धन के उपयोग पर अकुण, व्यापारियों के लिए कुछ अनिवार्य वस्तुओं की मूल्य-मूची टाँगना और स्टॉक की स्थिति बताना कानूनन अनिवार्य विद्या जाना, चीनी, बनस्पति, सीमेट, कागज, जैसे उद्योगों में सोल सेलिंग एजेंसी प्रणाली की समाप्ति आदि। साथ ही सरकार ने जलीरेवाजों के विरुद्ध विस्तृत पैमान पर अनियान चलाया। इससे व्यापारी वर्ग और उपभोक्ता वर्ग दोनों की मनोवृत्ति बदली है।

आवश्यक उपभोक्ता-वस्तुओं की सार्वजनिक-वितरण-प्रणाली को और भी मजबूत किया गया है ताकि गाँवों, पहाड़ों और कस्ती बाले तटीय क्षेत्रों में रहने वाले समाज के कमज़ोर वर्गों के व्यक्तियों व द्यात्रों को लाभ पहुँचे। वितरण-प्रणाली में सहकारी उपभोक्ता भण्डारों की भूमिका बढ़ी है। नागरिक आपूर्ति विभाग कुछ विशेष अनिवार्य वस्तुओं के उत्पादन, मूल्य और आपूर्ति-व्यवस्था की देखरेख कर रहा है। दिल्ली व नैनीताल में एक 'मॉडल योजना' प्रारम्भ की गई है, जिसे बाद में अन्य स्थानों पर भी लागू किया जाएगा।

रखी और खरीद फसलों के बमूली मूल्य गत वर्ष जितने ही रखे गए। ये स्थिर-मूल्य-नीति के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। साथ ही, सरकार यह भी चाहती है कि कृषकों को उनकी मेहनत का उचित फल मिले। इसलिए रखी की, जो व चने की फसलों के लिए भी समर्वन दिया गया। ईल, पटसन और नियन्त्रित कृषि का मूल्य भी अपरिवर्तित रहे। इसके अतिरिक्त पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्त व खाद्य तेलों के मायात की भी व्यवस्था की गई, ताकि सुरक्षित भण्डार बनाकर उन वस्तुओं की उपलब्धि बढ़ाई जा सके।

सन् 1976-77 की आविक योजना, अर्थ-व्यवस्था में हुए इन सुधारों की पृष्ठभूमि में तैयार की गई है। इस सात का दिशेष ध्यान रखा गया है कि योजना व्यय में बढ़िया से मुद्रास्फीति को प्रोत्साहन न मिले।

इस आविक योजना का गूल मुद्दा, स्थिरता और सामाजिक स्थाय के साथ सम्बूद्धि को प्रोत्साहन देना है। इसके लिए 78 अरब 52 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है जो गत वर्ष की अपेक्षा 31.4% अधिक है। इसमें कृषि, सिचाई, ऊर्जा, उद्योग और खनिज-क्षेत्रों के लिए विशेष व्यवस्था है। ये अर्थ-व्यवस्था के ग्रामान्तर ध्येय हैं। हृषि व सम्बद्ध सेवाओं पर पूर्व वर्ष के 6 अरब 91 करोड़ 41 लाख रुपयों की अपेक्षा 8 अरब 96 करोड़ 22 लाख रुपयों, सिचाई व वाढ नियन्त्रण पर 4 अरब 68 करोड़ 22 लाख रुपयों की अपेक्षा 6 अरब 86 करोड़ 79 लाख रुपयों और ऊर्जा पर 11 अरब 1 करोड़ 58 लाख रुपयों की प्रेक्षा 14 अरब 53 करोड़ 40 लाख रुपयों के परिवर्त्य की व्यवस्था की गई है।

सन् 1976-77 में खाद्यान्त 11 करोड़ 60 लाख टन, ईल 15 करोड़ टन,

क्षमता 75 लाख गाँठे (प्रत्येक 170 कि.ग्रा. की), पटसन व सन 65 लाख गाँठे (प्रत्येक 180 कि.ग्रा. की) का उपज लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यदि मौसम गत वर्ष के समान ही अनुकूल रहा, तो सम्भव है, उत्पादन लक्ष्य से भी अधिक हो। इसके लिए महीनी तथा की गई है कि उत्तरको की खपत बढ़े, सिचाई के अन्तर्गत क्षेत्र बढ़े, अधिक उपज देने वाली विहमो को अधिक विस्तृत पैमाने पर उगाया जाए और सरकार द्वारा के उन्नत तरीके अपनाए जाएं।

छोटी, मौजूदी व वही सिचाई योजनाओं से 20 लाख हैक्टेएर अतिरिक्त भूमि में सिचाई-व्यवस्था की जाएगी। 1975 में 40 जिलों में दालों का सघन विकास-वायंक्रम चल रहा है। इसके अतिरिक्त तिलहन, बपास, पटसन आदि प्रमुख नक्कड़ी कफलों के साथ-साथ, चीनी मिलों के आस पास के क्षेत्र में गम्भीर विकास का कार्यक्रम भी तेज किया जाएगा।

छोटे व सीमान्त-किसानों, विशेष रूप से अद्यशुष्क क्षेत्रों के, की उत्पादकता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए विभिन्न विकास कार्यों पर 93 करोड़ 83 लाख रु. व्यय किए जाएंगे।

उद्योगों व खनिजों के सिए गत वर्ष, जहाँ 16 घरब 44 करोड़ 2 लाख रुपये व्यय किए थे, वहाँ इस वर्ष 21 घरब 85 करोड़ 34 लाख रु. की व्यवस्था की गई है।

ग्रोथोग्राफ विवास के तेज होने के आसार है। इस्पात कोयला सीमेट, ऊर्जा व यातायात जैसे उपादानों में पूर्वपेक्षा सुधार आया है। स्थिति के और भी सुधरने की आशा है। 1976-77 में विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता में 25 लाख किलोवाट की वृद्धि होने की सम्भावना है। रेनो में भी पूरी तैयारी है कि गत वर्ष वही 21 करोड़ 40 लाख टन माल दुलाई की अपेक्षा इस वर्ष 22 करोड़ 50 लाख टन माल की दुलाई का लक्ष्य पूरा किया जाए। इन सबसे यह आशा बढ़ती है कि इस वर्ष आधिक वृद्धि वर्ष की दर गत वर्ष की अपेक्षा अधिक रहेगी।

इस वार्षिक योजना में बीस सूची आधिक कार्यक्रम के अनेक मुद्दों को विशेष महत्व मिला है। इन कार्यक्रमों को वर्तमान योजनाओं में समाहित करने के प्रयास किए गए हैं। बीस सूची आधिक कार्यक्रम से सम्बद्ध विभिन्न योजनाओं के लिए 1 घरब 63 करोड़ 71 लाख रु. रखे गए हैं। हमारी योजना-नीति में खाद्य व धृष्टि क्षेत्र अधिक महत्वपूर्ण है। खाद्यानन की उपज व वितरण, स्वावलम्बी होने के लक्ष्य में अनिवार्यता, जुड़े हैं ग्रोर, ग्राम व रोजगार, के बाल्कनीय स्तर, जुड़े हैं हाथारे, पन्नवितारण, के लक्ष्यों से।

वर्तमान योजना में इन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बड़ी, मध्यमी व छोटी सिचाई योजनाओं में हर मासके भी जांच करके खर्च की स्वीकृति दी जा रही है, ताकि चालू योजनाएं शीघ्रता से पूरी की जा सके। भूगत जल के अन्वेषण व उपयोग पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वर्तमान स्थिति में ऊर्जा के अन्य स्रोतों को ढूँढ़ना राष्ट्रीय आयोजना का अत्यन्त महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इनके लिए कोपला क्षेत्र में और अधिक पूँजी लगानी होगी तथा इस क्षेत्र का समन्वित विकास

करना होगा। साथ ही पैट्रोलियम की खपत घटानी होगी। यह उद्देश्य पैट्रोलियम का विकल्प ढूँढ़ कर, आर्थिक उपाय अपनाकर और देश में पैट्रोलियम के बड़े हुए उत्पादन ढारा प्राप्त करना होगा।

आयोजना की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि राज्य व उपक्षेत्रीय स्तर पर आयोजना तन्त्र को सुहृद किया जाए और राष्ट्रीय व प्रादेशिक योजनाओं में निर्दिष्ट कृषिनीतियों वो ध्यान में रखते हुए, कसलों की योजना पर तथा कृषि पर आधारित क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाए। भारत में रोजगार देने की योजनाओं को अन्य योजनाओं से सम्बद्ध करना होगा तथा यह भी ध्यान रखना होगा कि उत्पादन पर इनका अनुकूल प्रभाव पड़े। हमारी योजना में छोटे व सीमान्त कृषि व भूमिहीन मजाफूरों की सामर्थ्य बढ़ाने पर विशेष वल दिया गया है ताकि योजना-कार्यों में लगने वाले वन का लास कमज़ोर वर्गों को मिल सके। बीस सूनी आर्थिक कार्यक्रम में भूमि सुधार पर विशेष वल दिया गया है और आमीण जनसंघर्ष के दिलत वर्गों के अधिकारों की रक्षा पर भी ध्यान गया है।

हमारी आज की नियोजित प्रक्रिया को मुख्य उद्देश्य अर्थ-व्यवस्था के मूलभूत लक्ष्यों को पूरा करना है। ये हैं—गरीबी उन्मूलन और स्वावलम्बन की उपलब्धि।

आर्थिक कायापलट के प्रति निराशा का कोई कारण नहीं

1972-74 हमारे देश के लिए घोर आर्थिक सबट के दिन थे। इन दिनों उत्पादन में ठहराव के साथ-साथ स्कीतिकारी परिस्थितियाँ पेंदा हो गई थीं। इस सबट पर विजय प्राप्त करने में हमारे देश को जो सफलता मिली, उससे हमारे देश की ऐसी समता का सकेन मिलना है कि यदि राजनीतिक सकल्प बना रहे तो वह सबट की प्रत्येक स्थिति का डटकर सामना कर सकता है। अवृत्तवर, 1975 से मूल्यों के गिरते रहने, वय 1975-76 में वृद्धि के लिए अनुकूल परिस्थितियों के उत्पन्न होने और नए आर्थिक कायाक्रम के लागू किए जाने के कारण आर्थिक स्थिति पर बहुत अधिक जोर देने से अधिक उद्देश्यपूर्ण रीति से विकासोन्मुख नीति अपनाने के लिए हमगरा माग अब साफ हो गया है।

यद्यपि विजली उर्वरक और अच्छे बीजों की सप्लाई में सामान्यतः सुधार होना 1976-77 में खेती की अच्छी पैदावार होने की दिशा में एक शुभ लक्षण है, तथादि खेती की पैदावार में हर वर्ष घट-बढ़ का होना स्थाभाविक है। किन्तु, आगामी वर्षों में 50 लाख हैक्टेयर अधिक क्षेत्र में मिचाई के बड़े और मध्यम दर्जे के साधनों की व्यवस्था किए जाने के लक्ष्य वो, जो नए आर्थिक कायाक्रम का एवं आवश्यक भग है, सफलतापूर्वक प्राप्त करने से कृषि की पैदावार में न वैवल वृद्धि होने लगेगी, बल्कि पैदावार में बहुत अधिक घट-बढ़ होने की जो प्रवृत्ति है, वह भी कम हो जाएगी। हाल में अन्तर्राजीय जल विवादों का जिस गति से निपटारा हुआ है, उससे राष्ट्रीय जल साधनों के तेजी से और मुक्ति संगत विवास में सहायता मिलनी चाहिए। अधिक गौंथों से विजली लगाने से तिचाई सम्बन्धी छोटे निर्माण कार्य, जैसे—पम्पिंग-सेट लगाने में और अधिक धन लगाने को और बढ़ावा मिलेगा।

विश्वत, लोहा, इस्पात तथा सीमेट के उत्पादन में उत्साहवर्धक वृद्धि होने के कारण, यह आशा अब गई है कि उद्योगों में काम आने वाली बस्तुओं की कमी से 1976-77 और बाद के ग्रीष्मीय उत्पादन में कोई विशेष बाधा नहीं पड़ेगी। कृपि से प्राप्त होने वाले ग्रीष्मीय वच्चे मान रा जितना भण्डार मिलेगा उससे आशा है कि कृपि पर आधारित मुख्य उद्योगों के विकास पर कच्चे माल की कमी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। वर्तमान स्थिति में 1976-77 के दौरान ग्रीष्मीय उत्पादन की सम्भावना काफी आशाजनक है। अनाज की बस्तुली और अनाज के आयात की सम्भावित मात्रा को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि देश के पास अब प्रभूत मात्रा में अनाज का स्टॉक होना चाहिए। ग्रन्तराष्ट्रीय बाजारों की अनिश्चितता और मन्दी की स्थिति के कारण, नियंत्रित की सम्भावनाएँ हालांकि यद्यपि बुद्धि अनिश्चित वर्णी हुई है, लेकिन देश को विदेशी मुद्रा प्रारंभित-नियंत्रित की स्थिति ऐसी है कि निवेश के क्षेत्र में और अधिक वृद्धि करने के लिए सुनियोजित तरीके से बुद्धि उपाय किया जा सकता है। इस समय देश में और विदेशी में ऐसी परिस्थितियाँ हैं, कि भविष्य में उत्पादन के लिए काफी पूँजी लगाई जा सकती है।

वर्तमान सकेतो के अनुसार 1976-77 में पांचवीं योजना के शेष वर्षों में और अर्थ-व्यवस्था में वृद्धि की समग्र दर में विगत 15 वर्षों की दीर्घ अवधि से चली आ रही दर की अपेक्षा स्पष्ट सुधार होना चाहिए। लेकिन हमें समग्र विकास-दर को 55% के सुनियोजित लक्ष्य के आस-पास तक स्थिर करने के लिए अभी लम्बा रास्ता तय करना है। भविष्य की अपनी नीति निर्धारित करते समय हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 1975-76 और 1976-77 में जो इनना अधिक आर्थिक विकास हुआ है, वह बहुत हद तक भौसम के अनुकूल रहने के कारण भी हुआ है। इसीलिए अधिक गतिशील अर्थ-व्यवस्था प्राप्त करने के लिए जो कार्य करना है, उसकी गुणता के बारे में हमें किमी भ्रम में नहीं पड़े रहना चाहिए।

वर्तमान के वर्षों में भारत में जो आर्थिक प्रगति हुई है, उसके विश्लेषण से प्रकट होता है कि आगामी वर्षों में, आर्थिक विकास की दर को अपेक्षाकृत अधिक ऊंचे स्तर पर बनाए रखने हेतु निम्नलिखित क्षेत्रों में और अधिक प्रयत्न करने होंगे—

- 1) घरेलू बचत-दर में उत्तरोत्तर वृद्धि,
- (ख) नियंत्रित-स्वर्धन का और जोरदार कार्यक्रम बनाकर तथा विदेशों से आयात की जाने वाली बस्तुओं के स्थान पर देशी बस्तुओं के प्रयोग को प्रोत्साहन देकर देश की भुगतान-क्षमता को और दृढ़ करना,
- (ग) दुनियादी विद्री-योग्य बस्तुओं का और अधिक उत्पादन तथा उनके समान रूप से वितरण की अधिक कारगर व्यवस्था; और
- (घ) इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिए और ज्यादा कारगर उपाय करना कि हमारे समाज के निर्धारण वर्गों के व्यक्तियों को आर्थिक विकास से प्राप्त लाभों में पर्याप्त हिस्सा मिले।

इस बात पर जितना जोर दिया जाए उतना ही कम है व्योकि सुनियोजित विकास के किसी कार्य को सोहेश्य रूप में पुनः प्रारम्भ करने हेतु देश में पर्याप्त रूप से प्रान्तरिक बचत के जुटाए जाने की आवश्यकता है। सरकारी धोत्र के बड़े ही परिषद्य की वित्त-व्यवस्था करने के लिए पिछले अनुभव के आधार पर, धोत्र की वित्त व्यवस्था पर बहुत अधिक निम्न बरना उत्पादन के विरुद्ध और हानिचारक सिद्ध हो सकता है। मुद्रा-स्फीति किए बिना पर्याप्त धरेलू साधन न जुटा पाना ही हमारी विकास-प्रक्रिया की सबसे बड़ी बमजोगी रही है। अब वर्तमान धोत्र म, मूलयों की स्थिरता के सन्दर्भ म आधिक विकास में तेजी लाना मुख्यतः देश में आनंदरिक-बचत के साधन जुटाने के लिए नई नीतियाँ बनाने की हमारी क्षमता पर काफी अधिक निर्भर करता है।

हमारी नई नीति में बचत बरने पर ही अधिक बल नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि उत निजी-बचत की अधिकारी राशि को उच्च आर्थिकता वाले क्षेत्रों पर लगाने के लिए प्रोत्साहन भी दिया जाना चाहिए, जो इस समय ऐश प्रारम्भ की व्यवस्था करने वाले मकानों के निर्माण, भूमि के पट्टे के सोडे और जेवरी जैसे कम प्रार्थिकता वाले क्षेत्रों पर खर्च हो जाया करता था। हमारी आधिक नीतियाँ ऐसी होनी चाहिए ताकि उनसे बाला धन इकट्ठा करने की प्रवृत्ति में न केवल कभी ही आए, बल्कि आय के शेष भाग को समाजिक हित के उत्पादक कार्यों पर लगाने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन भी मिले। सगठित क्षेत्रों में बायं करने वाले व्यक्तियों के बेतन में वृद्धि की जाए, वह राष्ट्रीय उत्पादकता में होने वाली वृद्धि के एक निश्चित अनुपात से होनी चाहिए। आधिक प्रगति के कार्य से जो बोझ पड़ता है वह बोझ भी एक समान पड़ना चाहिए और आधिक प्रगति से जो लाभ मिलते हैं वे भी सबसे समान रूप से मिलने चाहिए।

सरकारी बचत में वृद्धि करने से निवेश-दर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी और उससे आय तथा समर्पण की विप्रमता भी नहीं बढ़ेगी। हम यह मन्दी तरह जानते हैं कि सरकारी बचत में तब तक अधिक वृद्धि नहीं की जा सकती, जब तक सरकारी क्षेत्रों में किए गए निवेश से हमें अधिक आय प्राप्त न हो। कुछ हद तक इसके लिए उत्तराधिक समता वा अधिक अच्छे ढग से उत्पोदा किया जाना आवश्यक है। इसके प्रान्तरिक अधिक युक्ति संगत मूल्य नीति निर्धारित करने की भी आवश्यकता है। पहले भी, इन प्रश्नों पर प्राय चर्चा की गई है और उन्होंने केवल बार तदर्दं आधार पर अमरन तरीके से निपटाया गया है। बिना दो धोत्र म, सरकारी-क्षेत्र के उद्योगों की आय में वृद्धि करने के लिए काफी योग्य प्रस्तुति रिपोर्ट गई है और इन प्रस्तुतों के अवधि सुपरिणाम प्राप्त होने लगे हैं। अब समय आ गया है कि हम सभी सरकारी उद्योगों की मूल्य-उत्पादन-नीतियों की सुधारस्थिति समीक्षा करें तथा उस नमीक्षा के आधार पर एक ऐसी युक्तिमयता नीति तैयार करें जो काफी हद तक स्थायी रह सके।

इस बात पर टीक ही जोर दिया गया है कि हमारी योजना वा प्रयुत उद्देश्य

आत्मनिर्भरता प्राप्त करना चाहिए। लेकिन हम उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में और प्रगति तभी की सकती है, जब हम अपने निर्णायक के परिमाण में 8 से 10 / तक की वार्षिक वृद्धि कर सके ताकि हम विदेशों से ऊर्जा आयात करने पर कम से कम निर्भर रह सकें। देश में तेल की खोज और विकास कार्यक्रम वो मुस्तैदी और तेजी से किया जा रहा है। यद्यपि तक जो परिणाम प्राप्त हुए हैं, वह काफी उत्तम हैं। बड़े जनकर्ता हैं। विगत दो वर्षों में निर्णायक-सम्बन्धी नीतियों और प्रक्रियाओं वो सरल बनाने के लिए गम्भीर रूप से प्रयत्न किया गया है। परिणामस्वरूप 1974-75 और 1975-76 में भारत के निर्णायक के परिणाम में दीर्घावधि और सात से लगभग 40% की वृद्धि हो जाने की सम्भावना है। निर्णायक के सम्बन्ध में मन्त्रिमण्डल समिति की स्थापना दिए जाने के फलस्वरूप निर्णायक के लगातार विकास के लिए सक्षम नीति का आधार निर्धारण करने के लिए नए सिरे से विचार करने में सहायता मिली है। लेकिन अभी काफी कुछ किया जाना चाही है जिससे निर्णायक के नए ध्येयों में पर्याप्त गति से वृद्धि होनी सुनिश्चित की जा सके।

भारत जैसे घट्ट विकसित देश में विकास की गति को तीव्र करने में थमिक-वस्तुओं की कमी को दूर किया जाना बुनियादी तौर पर कृषि क्षेत्र में की गई प्रगति पर निर्भर है। यह भी एक सर्वममत राष्ट्रीय उद्देश्य है कि देश की सबसे निम्न वर्गों की 40% जनता की ओर हमारी आयोजना सम्बन्धी नीतियों और प्रक्रियाओं में सर्वाधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। यह भी सर्वमान्य है कि भारत जैसे वृपि-प्रधान देश में ग्रामीण विकास के एकीकृत कार्यक्रम के माध्यम से ही हम उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन गांधी ना एकीकृत प्रिकास तब तक नहीं किया जा सकता, जब तक विस्तृत राष्ट्रीय आयोजन के पूरक के रूप में निवले स्तर से आयोजन करने पर जोर दिया जाए। प्राय सभी यह मानते हैं कि हमें पर्याप्त परिणाम तब तक प्राप्त नहीं हो सकते जब तक हम स्थानीय आवश्यकताओं साधनों और सम्बन्धनों की विस्तृत जानकारी के आधार पर अपनी योजनाएँ तैयार न करें। इन क्षेत्रों में अभी तक आशातीत प्रगति नहीं हुई है। पहले कृषि की पेदावार में वृद्धि के जो लद्य निर्धारित किए जाते थे, वे काफी हृद तक वास्तविक नहीं होने थे, क्योंकि वे क्षेत्री में काम आने वाली वस्तुओं और उत्पादन के ब्यौरेवार विश्लेषण तथा देश के विभिन्न क्षेत्रों में फसलों की अनुहनतम वास्तविक स्थिति तथा फसलों के क्रम के आधार पर नहीं निर्धारित किए जाते थे। इन कमियों को दूर करने के लिए सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों के महत्वपूर्ण साधन के रूप में विकेंद्रीकृत आयोजन पर अधिक वल देना चाहिए।

अनिरिक्त जन जरूरत और अन्य उपलब्ध स्थानीय साधनों का पूर्ण उपयोग न किया जाना हमारे ग्रामीण विकास कार्यक्रम की एक बड़ी कमज़ोरी रही है। कृषि के काम माने वाली वस्तुओं को विदेशों से विशाल मात्रा में मंगाकर प्रयाग करने के साथ पर भवित्व में हमें स्थानीय जनसत्ति और उपलब्ध स्थानीय साधनों के अधिकारिक उपयोग पर अधिक जोर देना पड़ेगा। यह आवश्यक नहीं है कि

कठिनाइयाँ जिप हा में राष्ट्रीय स्तर पर मामने आनी हैं, उसी रूप में स्थानीय स्तर पर भी पाएँ, जहाँ उम्पुंक साठात्तन ही और आयोजनात्मक उपायो द्वाग स्थानीय स पर्वो की पश्चात्तन से केन्द्रीय आयोजना में उपलब्ध सर्वो का प्रयोग इस क्षेत्र की सम्प्य यो को अभावपूर्ण तरीके में हल करने में किया जा सकता है। छोटे पौर सीमान्तिक कृपतो तथा कृपि मनदूगो के लिए बनाई गई विशेष योजनाओं से, ग्रामीण समाज के अवोधारुत निवास वर्ग के निवासियों के नामने आने वाली समस्याओं का व्यावहारिक हन ढूँढ़ने में अत्यन्त उत्तरोगी महायना मिली है। लेकिन प्रनुभव से मिल होता है कि इस प्रकार की योजनाओं से सर्वोकृष्ट परिणाम तभी निवास भवते हैं जब उन योजनाओं को एक क्षेत्र-विशेष के विकास सम्बन्धी कार्यक्रम का अनिवार्य अग बना दिया जाए। इसलिए प्रावस्थकना इस बड़त की है कि स्थानीय आवश्यकताओं साथनो तथा सम्भावनाओं का व्यापक सर्वेक्षण कर, उसके प्राधार पर ग्रामीण विकास के कार्यक्रम को समेकित प्रयास से पूरा किया जाए। कृपि वे आधुनिकीकरण के प्रत्येक सफल कार्यक्रम के अन्तर्गत, उत्पादन-सम्बन्धी तकनीक भ उत्तरोत्तर सुधार लाने तथा कृपको द्वारा उत्तर तकनीक के अपनाए जाने के लिए समुचित आर्थिक प्रोत्साहनो की व्यवस्था पर बन दिया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में अधिक महत्व इस बात को दिया जाएगा कि अनाज की खेनी भूमि की उत्पादकता में बृद्धि की जाए और अधिक उत्पादन कई किलो के गेहूँ की खेनी की भूमि की उत्पादकता की बृद्धि में रुकावट की, जिसका आभास बर्नमान में ही मिला है, समाप्त कर, उसकी उत्पादकता में बृद्धि की जाए।

यद्यपि 1950 के पश्चात् के कुछ वर्षों में देश की मिलाई-प्रणाली में कभी विस्तार हुप्रा है, तथापि देश की सिचाई-भनता का पूर्ण उत्पोग नहीं किया जा सका है। इस कमी को सिचाई के बडे बडे निर्माण-कार्यों के अन्तर्गत ग्राम वाले पिचित-क्षेत्रों के समेकित विकास कार्यक्रम के द्वारा पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है। यागामी कुछ वर्षों में मिलिन-क्षेत्रों की विकास-भनता का उत्पोग करना, कृपि की पैदावार बढ़ाने और सर्वजनिक-विनारण हेतु अधिक से अधिक अनाज वी खरीद करने के लिए बनाई जाने वाली कृपिनीति का प्रयुक्त अग होना चाहिए। इस कार्यक्रम में आजानुकूल प्रयत्न नहीं हुई है। इसलिए यह प्रावस्थक है कि सिचाई-क्षेत्र के विकास प्राधिकरणों की जीघ्र स्थापना किए जाने के सम्बन्ध में जो वाचाएँ आ रही हैं, उनको दूर किया जाए।

यदि हम चाहते हैं कि सक्षम सार्वजनिक विनारण-प्रणाली, हमारी व्यवस्था का स्थाई अग बन जाए तो हमे अनाज की खरीद के कार्यक्रम को भी बाजी कारण बनाना होगा। विश्व की अनाज की पैदावार तथा व्यापार की बर्नमान प्रवृत्ति के कारण दीर्घावधि के लिए पर्याप्त-मात्रा में विदेशी में अनाज प्राप्त करना प्रतिशिव्व हो गया है, चाहे हमारे पास उसे खरीदन के लिए साधन ही बयो न हो, अन सरकारी-विनारण प्रणाली का बनाए रखने के लिए आवात पर बहुत प्रधिक नियंत्र रहने की प्रवृत्ति को निहत्ताहित किया जाना चाहिए।

अगर अद्यवधस्था की बृद्धि की दर को, 5 से 6% के आसन्नास रखना है,

तो श्रीद्योगिक उत्पादन में विगत वर्षों में जो वृद्धि हुई है, उससे दुगुनी वृद्धि करनी होगी। अभी कुछ भ्रश्ता तक श्रीद्योगिक उत्पादन की भावी प्रगति पर सरकारी क्षेत्र की सम्मानित निवेश दर ता प्रभाव पड़ना रहेगा। किर भी विदेशों से वस्तुओं के आयात करने के स्थान पर देश में बनी वस्तुओं का प्रयोग किए जाने के पहले दौर के समाप्त हो जाने से भविष्य में श्रीद्योगिक उत्पादन में बराबर वृद्धि प्राप्त तभी की जा सकती है जब सर्व-साधारण के प्रयोग की उपभोक्ता-वस्तुओं की मात्रा में वृद्धि हो, यह कृपि की उपज बढ़ा कर और श्रीद्योगिक माल के निर्यात में तेजी से वृद्धि करके की जा सकती है। श्रीद्योगिक-विकास में तीव्र वृद्धि करने हेतु आयोजन करते हुए उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है।

फिर भी, सदियों पुरानी गणीयी और जड़ता अल्प समय में दूर नहीं की जा सकती, लेकिन यदि आवश्यक राजनीतिक सकल्प बना रहे और आर्थिक अनुशासन का कठोरतापूर्वक पालन किया जाए, तो हम काकी हृद तक घोर निर्धनता की खाइयों को पाट देने की आगा कर सकते हैं। यही नवीन प्रार्थिक वार्यक्रम का वास्तविक उद्देश्य है। इसलिए अब यह आवश्यक हो गया है कि हाल के महीनों में जा ठोस सफलता मिली है, उसे उसके आधार पर हम आगे बढ़ें, और आत्मनिर्भरता से विकास करने हेतु मध्यम अवधि की एक व्यापक नीति बनाएं।

भारत ने योजना-निर्माण-प्रक्रिया और क्रियान्वयन की प्रचाचात्तकीय स्थिति तभी (The Administrative Machinery for Plan Formulation Process and Implementation in India)

यदि प्रदूँ-विकसित देश द्वान आविक विकास करना चाहते हैं तो उन्हे प्रपत्ती अविकास योजनाएँ बनाकर किय निवात करनी चाहिए। सोवियत रूस ने भी आविक योजनाओं द्वारा ही आविक प्रगति की है। किन्तु आविक विकास हेतु जहाँ योजनायों का महत्वपूर्ण स्थान होता है वहाँ इनके विवेकानुरूप निर्माण और उनके उचित क्रियान्वयन का भी कम महत्व नहीं है। बस्तु योजना की सफलता उसके युक्तियुक्त निर्माण तथा उसकी क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। उदाहरणार्थ योजना निर्माण और क्रियान्वयन में अधिकाधिक व्यक्तियों की भागीदार बनाए जाने पर इसकी सफलता का अश बढ़ जाता है। किन्तु यदि योजना के सक्षय और कार्यक्रम सरकार द्वारा केवल ऊपर से जारी पर लादे जाएं तो योजना की सफलता सदिग्द हो जाती है। भारतीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. आर. माडगिल के ग्रनुमार “किसी योजना के निर्माण को अवस्था और तपाश्चात् इसके क्रियान्वयन में बितना अधिक प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होगा उनना ही अधिक अच्छा हमारा नियोजन होगा।”¹ अत योजना के निर्माण और क्रियान्वयन में अपनाई गई प्रणालियों का भी बहुत महत्व है।

भारत में योजना-निर्माण की प्रक्रिया (Planning Formulation-Process in India)

भारत में योजना-निर्माण का कार्य ‘भारतीय योजना आयोग’ द्वारा विया जाना है। भारत वी राष्ट्रीय योजना में एक और बेन्द्र और राज्य सरकारों की योजनाएँ तथा दूसरी और निजी क्षेत्र की योजनाएँ मिलती होती हैं। भारत में योजना स्वीकार किए जाने से पूर्व निम्नलिखित प्रबन्धान्वयों म होवर गुडरती है—

सामान्य दिशा निर्देश (General Approach)—प्रथम अवस्था में योजना-निर्माण हेतु सामान्य दिशा निर्देश पर विचार किया जाता है। योजना प्रारम्भ

योजना-ग्रामोग इन सभी मस्थानों द्वारा प्रस्तुत अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों सम्बन्धी कार्यक्रमों के आधार पर 'सक्षिप्त ड्रॉफ्ट मेमोरेण्डम (Draft Memorandum) तैयार करना है। इस मेमोरेण्डम में योजना के आकार, नीति सम्बन्धी मुख्य विषय, अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की अपेक्षा योजना के प्रयत्नों में कम पड़ने वाले सम्भावित क्षेत्रों प्रादि को भी प्रस्तुत किया जाता है। ड्रॉफ्ट मेमोरेण्डम में निची-नीचे के कार्यक्रमों का अधिक व्यौरा नहीं रहता है। योजना-ग्रामोग द्वारा यह ड्रॉफ्ट मेमोरेण्डम केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है, तत्पश्चात् यह 'राष्ट्रीय विकास परिषद्' (National Development Council) में प्रस्तुत किया जाता है।

ड्रॉफ्ट प्रारूप का निर्माण—इस अवस्था का सम्बन्ध ड्रॉफ्ट आउट-लाइन (Draft Outline) के निर्माण से है। राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा मुझाए गए प्रस्तावों तथा परिवर्तनों आदि के आधार पर योजना की ड्रॉफ्ट आउट-लाइन तैयार की जाती है। ड्रॉफ्ट मेमोरेण्डम की अपेक्षा यह अधिक व्यापक और बड़ा दस्तावेज (Memorandum) होता है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों (Sectors) के लिए विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं का व्यौरा तथा मुख्य नीति सम्बन्धी विषय, उद्देश्य और उनकी प्राप्ति के तरीके दिए होते हैं। इस दस्तावेज को विभिन्न मन्त्रालयों और राज्य सरकारों के पास मीमांसार्थ भेजा जाता है। इस पर केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल में भी विचार किया जाता है। इसके पश्चात् राष्ट्रीय विकास परिषद् इस पर विचार करती है, जिसकी सहमति के पश्चात् योजना की इस ड्रॉफ्ट आउट-लाइन का जनता एवं विभिन्न संस्थाओं, विश्वविद्यालयों द्वारा विचार-विमर्श एवं समालोचना के लिए प्रकाशित किया जाता है और जनता के मुझाव और विचार आमनिव लिए जाते हैं। राज्यों से राज्य-स्तर पर और जिला-स्तर पर तथा राष्ट्रीय स्तर पर संसद् के द्वारा सदनों द्वारा विचार किया जाता है। संसद् में पहले इस पर कुछ दिनों तक सामग्र्य विचार-विमर्श चलता है उसके पश्चात् कई संसदीय समितियों द्वारा प्राधिक विचारपूर्वक विचार किया जाता है।

राज्य सरकारों से विचार-विमर्श—इस बीच जबकि योजना के इस प्रारूप पर देश भर में विचार होता रहता है, योजना ग्रामोग विभिन्न राज्यों से उनकी योजनाओं के सम्बन्ध में विस्तृत वार्तालाप करता है। वार्ता के मुख्य विषय उनके विभाग वी सविस्तार योजनाएं, वित्तीय समाधान और अतिरिक्त साधनों के जुटाने सम्बन्धी उपाय आदि होते हैं। योजना-ग्रामोग और राज्य सरकारों वा यह परामर्श विभाग और राजनीतिज्ञ दोनों स्तरों पर चलता है। अनिम प निरंय राज्य के मुख्य मन्त्री से सलाह-मण्डिरे के पश्चात् ही लिए जाते हैं।

नया मेमोरेण्डम—इस अवस्था की मुख्य बात योजना-ग्रामोग द्वारा योजना के सम्बन्ध में नया मेमोरेण्डम तैयार करना है, जो राज्य-सरकारों के साथ मविभार वार्तालाप जनता और समितियों में द्वारा वी मई समीक्षा तथा विभिन्न दिन एवं कार्यशील दर्तों द्वारा दिए गए विस्तृत मुझावों के आधार पर तैयार किया जाता

है। इस दस्तावेज में योजना की मुख्य विशेषताओं, नीति-सम्बन्धी निर्देश, जिन पर बल दिया जाता है तथा उन विषयों का वर्णन होता है जिन पर योजना के अन्तिम रूप से स्वीकार किए जाने के पूर्व विचार की आवश्यकता है। इस मेमोरेंडम पर पुनः केन्द्रीय-मन्त्रमण्डल और राष्ट्रीय विकास परिपद द्वारा विचार किया जाता है।

योजना को अन्तिम रूप दिया जाना—केन्द्रीय मन्त्रमण्डल और राष्ट्रीय विकास परिपद द्वारा लिए गए नियंत्रणों के प्राधार पर योजना आयोग योजना की अन्तिम रिपोर्ट तैयार करता है। यह अन्तिम रिपोर्ट बहुत व्यापक होती है और इसमें योजना के उद्देश्य, नीतियों, कार्यक्रम और परियोजनाओं का विस्तृत वरण होता है। यह अन्तिम योजना पुनः केन्द्रीय-मन्त्रमण्डल और राष्ट्रीय विकास परिपद के समक्ष प्रस्तुत की जाती है, जिसकी सहमति के पश्चात् इसे सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। दोनों सदनों में कई दिनों के बाद विवाद के पश्चात् दोनों सदनों द्वारा स्वीकृति मिल जाने के बाद इसे लागू कर दिया जाता है तथा राष्ट्र से इसके क्रियान्वयन और उद्देश्यों तथा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अधील की जाती है।

योजना निर्माण—भारत में उपरोक्त प्रकार से ऊपर से केन्द्र द्वारा योजना बनाने के साथ-साथ समन्वय की निचली इकाइयों की आवश्यकताओं, उनके द्वारा लक्ष्यों के मूल्यांकन तथा सुभावों के अनुसार सरकार इस योजना में परिवर्तन या संशोधन करनी है। विभिन्न राज्यों, जिनमें और विकास-खण्डों द्वारा योजना के प्रारूप में निर्धारित व्यापक लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए योजनाएँ तैयार करने के लिए कहा जाता है। उनमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन करके अन्तिम योजना में समायोजन कर लिया जाता है। योजना-आयोग, राज्यों, जिलों और प्रत्यायत समितियों द्वारा प्रस्तुत आवश्यकताओं, प्रस्तावों, कायक्रमों और परियोजनाओं की आविष्कार और तकनीकी विधियों से सावधानीपूर्वक जाँच करता है और उनके आधार पर योजना-निर्माण किया जाता है।

समय समय पर पुनरावलोकन—योजना-निर्माण में काफी समय लगता है और इस बीच तथा योजना की पचवर्षीय अवधि में भी परिस्थितियों में परिवर्तन हो सकता है। अत योजना-आयोग एक बार पचवर्षीय योजना बना देने के पश्चात् भी देश और ग्रथ्यवस्था में समय-समय पर होने वाले परिवर्तनों पर निगरानी रखता है, तत्सम्बन्धी ग्रथ्यन करता है और आवश्यकतानुसार योजना में परिवर्तन और संशोधन करता रहता है। इसके अतिरिक्त पचवर्षीय योजना को वापिक योजनाओं में विभाजित कर दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष नवम्बर या दिसम्बर में योजना-आयोग और केन्द्रीय-मन्त्रालयों तथा राज्य-सरकारों के बीच गत प्रगति की समीक्षा, सासाधनों की स्थिति, लक्ष्यों के समायोजन की तकनीकी सम्भावनाओं और आगामी वर्ष की योजना की आवश्यकताओं पर विचारार्थ परामर्श चलता रहता है। केन्द्र और राज्य सरकारों के बजट इन्हीं वापिक योजनाओं को ध्यान में रखते हुए आगामी वर्ष फरवरी में बनाए जाते हैं। ये वापिक योजनाएँ अब भारतीय नियोजन की विशेषता बन गई हैं।

भारत में योजना-निर्माण की तकनीक (Techniques of Plan-formulation in India)

भारत में योजना आयोग द्वारा मध्यम और दीर्घकालीन योजनाओं के निर्माण में निम्नलिखित तकनीकों का प्रयोग किया जाता है—

1 अर्थव्यवस्था की स्थिति का साँहियकीय विश्लेषण—पर्याप्त और विश्वसनीय आँकड़ों के आधार में कोई नियोजन सफल नहीं हो सकता। साँहियकी आधारशिला पर ही नियोजन के प्रासाद का निर्माण होता है। अतः भारत में पचवर्षीय योजना के निर्माण में सर्वप्रथम अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं का साँहियकी विश्लेषण किया जाता है। आँकड़ों के आधार पर भूतकालीन प्रवृत्तियों और प्रगति की समीक्षा की जाती है और मुख्य आर्थिक समस्याओं का अनुमान लगाया जाता है। इन सबके लिए देश की अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों के बारे में साँहियकी एकत्रित किए जाते हैं। यह कार्य भारत में कई सरकारी और गैर-सरकारी सम्पाद्यों द्वारा किया जाता है और योजना-निर्माण में इनका उपयोग किया जाता है। भारत में साँहियकी सम्बन्धी स्थिति सुधारने हेतु विगत वर्षों में बहुत प्रयत्न किए गए हैं। 'केन्द्रीय साँहियको सगठन' (Central Statistical Organisation) सब 1948-49 से राष्ट्रीय आय के आँकड़े तैयार करता है। रिजर्व बैंक ग्रॉफ इण्डिया और केन्द्रीय साँहियकी सगठन द्वारा अर्थव्यवस्था में बचत और विनियोग के अनुमान तैयार किए जाते हैं। रिजर्व बैंक के द्वारा व्यापक मौद्रिक और वित्तीय साँहियकी एकत्रित किए जाते हैं। कृषि और शौद्धीयिक साँहियकी सूचनाओं के सुधार के लिए भी विभिन्न वर्षों में ग्रच्छे प्रदास किए गए हैं। योजना आयोग की 'प्रनुसंधान वार्षिक समिति' द्वारा भी विभिन्न समस्याओं के सम्बन्ध में अध्ययन अनुसंधान किए जाते हैं तथा यह विकास से सम्बन्धित अध्ययन अनुसंधानों के लिए विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण सम्पाद्यों द्वारा भी देती है। योजना आयोग के 'कार्यक्रम मूल्यांकन सगठन' (Programme Evaluation Organisation) द्वारा भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। अनेक विशिष्ट सम्पाद्यों द्वारा—'केन्द्रीय जल और शक्ति आयोग' (Central Water and Power Commission), 'जियोलॉजीकल सर्वे ग्रॉफ इण्डिया' (Geological Survey of India), 'ब्यूरो माइन्स' (Bureau of Mines), जनगणना विभाग, पाइल एण्ड नेच्यूरल गैस कमीशन (Oil and Natural Gas Commission) प्राकृतिक साधनों सम्बन्धी समिति (Committee on Natural Resources) आदि ने सम्बन्धित साधनों एवं समस्याओं के बारे में विस्तृत अध्ययन किए हैं और बरती रहती है। इसके प्रतिरिक्त प्रत्येक मन्त्रालय में सांरियकी-कक्ष होते हैं जो अपने विद्यय पर सभी प्रकार की सूचनाएं एकत्रित बरतते हैं। योजना-आयोग इन सभी क्षेत्रों द्वारा साँहियकी सूचनाओं और अध्ययनों के आधार पर अर्थव्यवस्था की स्थिति का विश्लेषण बरता है और योजना-निर्माण प्रक्रिया में आगे बढ़ती है।

2 ग्राविक विकास वी सम्भावनाओं का अनुमान लगाना—उपरोक्त अध्ययन

के आधार पर देश की आवश्यकताओं का अनुमान लगाया जाता है। इस पर विचार किया जाता है कि विकास की बांधनीय दर क्या होनी चाहिए। साथ ही नियोजन की प्रगति प्राथमिकताएँ तथा नीतियों के बारे में निश्चय किया जाता है। उदाहरणार्थ जनसंख्या और उम्मी आयु-मरचना सम्बन्धी भावी अनुभान योजना के दोरान खाद्याद, वस्त्र, निवास ग्रादि की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने में सहायक होते हैं। इसी प्रकार विकास की बांधनीय दर के आधार पर योजनावधि में बचत और विनियोग की आवश्यकताओं पर निर्णय लिया जाता है। तत्पश्चात् योजना निर्माण सम्बन्धी इन आवश्यकताओं की योजनावधि में उपलब्ध होने वाले वित्तीय संधनों के सन्दर्भ में छानबीन की जाती है। इस प्रकार, वित्तीय संधनों का अनुमान लगाया जाता है। निजी-प्रेत्र के वित्तीय संधनों का अनुमान रिजर्व बैंक के द्वारा प्रीर सार्वजनिक प्रेत्र के संधनों का अनुमान योजना-आयोग और वित्त मन्त्रालय द्वारा लगाया जाता है। साथ ही इस बात की सम्भावना पर भी विचार किया जाता है कि योजनावधि में केन्द्र और राज्य-सरकारे अतिरिक्त करारोपण द्वारा कितनी राशि जुटा पकड़ी। भारत जैसे अद्य-विकसित देश में, जहाँ जन-साधारण का जीवन-स्तर बहुत नीचा है, मनमाने द्वारा से कर नहीं लगाए जा सकते, अत इस बात पर सावधानीपूर्वक विचार करना होता है। योजना आयोग विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं और सम्भावित विदेशी सहायता के बारे में भी अनुमान लगाता है। सार्वजनिक उपकरणों के लाभों से नियोजन की कितनी वित्त-व्यवस्था हो सकेंगी तथा किस समांतरक दोनों प्रबन्धन (Deficit Financing) का लाभपूर्वक आश्रय लिया जा सकता है। हीनार्थ प्रबन्धन को कम से कम रखने का प्रयत्न किया जाता है अन्यथा मुद्रा प्रसारिक भूल्प-बूढ़ि हाने से योजना-निर्माण के प्रयत्न विफल हो जाते हैं। इस प्रकार पहले विनियोग की आवश्यकताओं और उसके पश्चात् वित्तीय संधनों का अनुमान लगाया जाता है। तत्पश्चात् योजना आयोग किसी एक को दूसरे से या दोनों में संशोधन करके समायोजन करता है। साथ ही, योजना आयोग विभिन्न प्रकार से इस बात की जांच करता है कि तैयार की जाने वाली योजना में कहीं असमर्ति सो नहीं है। उदाहरणार्थ, यह देखा जा सकता है कि प्रस्तावित विनियोग उपलब्ध बचतों के अनुरूप है या नहीं, विदेशी विनियम की आवश्यकता के अनुरूप इसकी उपलब्धि हो सकेगी या नहीं, आधारभूत कच्चे माल का आवश्यकता के अनुरूप उत्पादन होगा या नहीं। इस प्रकार, योजना आयोग विभिन्न कार्यक्रमों की संगति की जांच करता है ताकि अर्थव्यवस्था में असुलेन उत्पन्न नहीं होने पाए।

3 आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों का निर्धारण—योजना निर्माण के लिए प्रमुख आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों के निर्धारण का कार्य भी बहुत महत्वपूर्ण है, अतः भारत में योजना निर्माता इन उद्देश्यों के निर्धारण पर भी बहुत ध्यान देते हैं। इन उद्देश्यों के निर्धारण में उपलब्ध समय तथा भौतिक और वित्तीय दोनों प्रकार के संधनों के सन्दर्भ में विचार किया जाता है, विभिन्न उद्देश्यों में परस्पर विरोध होता है उनमें समायोजन किया जाता है। उदाहरणार्थ, अल्पकालीन और

दीर्घकालीन उद्देश्यों तथा वई आर्थिक तथा गैर-आर्थिक उद्देश्य परस्पर विशेषी होते हैं। आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण, ये दो उद्देश्य भी परस्पर विशेष प्रस्तुत कर सकते हैं। आर्थिक विकास पर अधिक महत्व देने से सामाजिक कल्याण की अवहेलना हो सकती है और सामाजिक कल्याण के कार्यक्रम अधिक प्रारम्भ करने पर आर्थिक विकास की भवित धीमी भी हो सकती है। अत योजना-निर्माता इन उद्देश्यों में सामजिक और सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं।

4 विभिन्न क्षेत्रों में लक्ष्य निर्धारण—इसके पश्चात् विभिन्न क्षेत्रों जैसे—कृषि, उद्योग, विद्युत्, सिचाई, यातायात, समाज-सेवाओं आदि में लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है और यह कार्यशील दलों (Working Groups) द्वारा किया जाता है। इन कार्यशील दलों के सदस्य, विभिन्न मन्त्रालयों और प्रध्य संगठनों से लिए गए विशेषज्ञ होते हैं। लक्ष्य निर्धारण करते समय यह कार्यशील दल योजना आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों और पथ-प्रदर्शन के अधीन कार्य करते हैं तथा जनसत पर भी ध्यान देते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में लक्ष्य निर्धारण के इस कार्य के पूर्ण होने के पश्चात् योजना आयोग समस्त अर्थव्यवस्था के हाउट्टोरण से इन लक्ष्यों की जांच करता है और देखता है कि विभिन्न लक्ष्यों में परस्पर अपगति (Inconsistency) तो नहीं है। योजना के लक्ष्यों के निर्धारण की विधि का बाण धिक्काले अध्याय में किया जा सकता है।

योजना को अन्तिम रूप दिया जाना—अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों जैसे—कृषि, उद्योग, विद्युत्, सिचाई, यातायात, समाज-सेवाओं आदि में भिन्न भिन्न लक्ष्यों के निर्धारण के पश्चात् इन सबको मिलाया जाता है और मूल अनुमानों से तुलना की जाती है। इस अवस्था में उपलब्ध होने वाले पूँजीगत साधनों और विदेशी मुद्रा के सन्दर्भ में इन लक्ष्यों पर विचार किया जाता है तथा साधनों को और आर्थिक गतिशील बनाने या लक्ष्यों को घटाने-बढ़ाने की गुणादृश्य पर विचार किया जाता है। साथ ही, योजना के रोजगार-सम्बन्धी प्रभावों तथा बुनियादी नीतिक पदार्थों, जैसे—लोहा, इस्पात, सीमेन्ट आदि की आवश्यकताओं पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाता है। इन सबके आधार पर सरकार और योजना आयोग द्वारा योजना की नीति, प्राकार, क्षेत्र, विनियोगों के आवटन, प्राविकृताओं के निर्धारण आदि के सम्बन्ध में निर्णय लिए जाते हैं और योजना को अन्तिम रूप दिया जाता है, जिसे क्रमशः वैद्युतीय मन्त्रिमण्डल, राष्ट्रीय विकास परिषद् और संसद् द्वारा स्वीकृति दिए जाने पर सामूहिक किया जाता है।

चतुर्थ योजना निर्माण तकनीक—चतुर्थ योजना के निर्माण में अपनाई गई तकनीक के अध्ययन से भारतीय नियोजन निर्माण की तकनीक स्पष्ट रूप से समझी जा सकती है। चतुर्थ योजना पर प्रारम्भिक विचार योजना आयोग के दीर्घकालीन नियोजन सभाग (Perspective Planning Division : P.P.D.) में 1962 में शुरू हुप्रा। योजना निर्माण के समय एक महत्वपूर्ण निर्णय इस सम्बन्ध में लेना होता है कि राष्ट्रीय आय का वितना भाग बचाया जाए और कितने का विनियोजन

किया जाए ? बचत-दर अधिक बढ़ाने पर जनता को उपभोग कम करना पड़ता है इस प्रकार, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः इस सम्बन्ध में वृहत् सोच-विचार की आवश्यकता होती है। दीर्घकालीन नियोजन सभाग ने योजना निर्माण की प्रारम्भिक अवस्था में, मूल्य रूप से इसी समस्या पर विचार-विमर्श किया कि योजना ने विनियोजन-दर क्या हो ? विनियोग-दर के निर्धारण हेतु जनता के लिए उपभोग-स्तर का निर्धारण भी आवश्यक है। योजना आयोग के दीर्घकालीन नियोजन सभाग (P. P. D.) ने इस बात का निर्णय किया कि जनसंख्या को न्यूनतम जीवन-स्तर उपलब्ध कराने के लिए 1960-61 के मूल्य स्तर पर 35 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह आवश्यक होगे। अतः यह निर्णय लिया गया कि नियोजन वा सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य जनता के जीवन-स्तर को उक्त 35 रुपये के स्तर तक ऊंचा करना है। किन्तु यदि इस उद्देश्य को 1975 तक प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय-आय में 40% या वर्ष 1961-75 में 10% से 20% वार्षिक वृद्धि आवश्यक थी। किन्तु ये लक्ष्य अत्यन्त महत्वाकांक्षी थे। अत न्यूनतम 35 रुपये के जीवन-स्तर प्रदान करने का लक्ष्य ढोड़ना पड़ा। इसके पश्चात् प्रमुख अर्थ-शास्त्रियों और राजनीतिज्ञों का एक अन्य अध्ययन-दल नियुक्त किया गया, जिसने 5 व्यक्तियों के परिवार के लिए 100 रुपये अर्बाहु 20 रुपये प्रति व्यक्ति के न्यूनतम जीवन-स्तर का प्रबन्ध किए जाने की सिफारिश तथा यह लक्ष्य 1975-76 तक अर्थात् 1965-66 से 10 वर्षों में प्राप्त करने थे। इस आधार पर दीर्घकालीन नियोजन सभाग ने चतुर्थ और पाँचवीं योजना में राष्ट्रीय आय में 7.5 या 7.7% वृद्धि के लक्ष्य का सुझाव दिया। समग्र राष्ट्रीय आय सम्बन्धी निर्णय कर लेने के पश्चात् दूसरा कार्य अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में तत्पादन-वृद्धि के लक्ष्यों को पूरण करने हेतु आवश्यक विनियोगों का विस्तृत अनुमान लगाना था। इसके पश्चात् दीर्घकालीन नियोजन सभाग ने असर्य सूक्ष्म योजनाओं (Micro Plans) को ममता अर्थ-व्यवस्था के लिए एक पूर्णसंगत योजना में समावेशित करने का कार्य किया। इसके लिए निम्नलिखित तकनीक अपनाई गई—

- (i) मूल्य या व्यष्टि स्तर (Micro-Level) पर सभी प्रकार के भावी अनुमान लगाना,
- (ii) सूक्ष्म या व्यष्टि स्तर पर वडी मात्रा में भौतिक सत्रुलनों का प्रयास करना।

प्रथम तकनीक के अन्तर्गत कुल घरेलू उत्पादन और व्यय तथा इसके प्रमुख भागों के सम्बन्ध में गणनाएँ की गई। चतुर्थ और पाँचवीं योजना में विदेशी-सहायता, शुद्ध विनियोग-दर, सार्वजनिक उपभोग-स्तर और व्यक्तिगत उपभोग के अनुमान लगाए गए। इसके पश्चात् 'समय-समय पर कुल घरेलू मांग की वृहत् वस्तु सरचना' (Broad Commodity Pattern of the Gross Domestic Demand at Various Points of Time) को ज्ञात करने के लिए कदम उठाया गया। दीर्घकालीन नियोजन सभाग ने विभिन्न व्यक्तिगत पदार्थों के लिए लक्ष्यों को ज्ञान किया।

निमित वस्तुओं में 165 वस्तुओं, खनिज-पदार्थों में 16 वस्तुओं और कृषि-पदार्थों में 40 से अधिक पदार्थों के लक्ष्य निर्धारित किए। जिस प्रकार 'दीर्घकालीन नियोजन समाग' (P.P.D.) न उत्पादन-लक्ष्य निर्धारित किए, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्तिगत पदार्थ उत्पन्न के दौरान उत्पन्न होने वाली राष्ट्रीय आय होगी। इस प्रकार दीर्घकालीन नियोजन समाग ने समस्त अर्थ-व्यवस्था और उसके विभिन्न क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाली राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया। सूक्ष्म या डिट्रिक्ट स्तर (Micro-Level) पर भौतिक सत्रुलनों के लिए अनेक पदार्थ चुने गए। एक पदार्थ के लिए भौतिक सत्रुलनों का आशय उस विस्तृत ब्यौरे से है जिसमें मुख्य उद्दोगों में, जिनमें उस पदार्थ का उपयोग होता है, माँग दिखाई होती है। सात ही, इस बात वा भी सहेत होता है कि किस प्रकार उस पदार्थ की उत्तरी मात्रा वा उत्पादन किया जाएगा या विदेशों से आयात किया जाएगा। चतुर्थ योजना में कोयला, पेट्रोल के पदार्थ, विद्युत, कच्चा-ब्लॉक्स, मैग्नीज, सीमट, रबर आदि वई वस्तुओं के लिए 'भौतिक सत्रुलन' तैयार किए गए थे।

इन सभी विस्तृत अध्ययनों एवं तंत्रालियों के पश्चात्, एक और योजना आयोग तथा दूसरी और देशीय सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों में परामर्श और विचार-विमर्श प्रारम्भ हुआ। योजना का आकार निश्चित करने में वित्त मन्त्रालय का महत्वपूर्ण योगदान था। परिणामस्वरूप, चतुर्थ योजना की प्रमुख रूपरेखाएँ प्रकट हुईं, जिनके आधार पर चतुर्थ योजना का ममोरेण्डम (दस्तावेज) तैयार हुआ, तब राष्ट्रीय परिषद् ने इस ममोरेण्डम पर विचार किया। इसने कृषि, सिवाई, उद्योग शक्ति, यातायात, सामाजिक सेवाएँ समाधन और पहाड़ी क्षेत्रों के विकासार्थ पांच समितिया नियुक्त की, जिन्होंने योजना पर विचार किया और अगस्त, 1966 में चतुर्थ योजना का प्रारूप प्रकाशित किया गया, किन्तु अनक कारणों से यह योजना सामून् नहीं की जा सकी। चतुर्थ योजना का निर्माण पुनः किया गया। इस नई चतुर्थ योजना की नीतियों और कार्यक्रमों का दिशा-निर्देश पन (Approach to the Fourth Five Year Plan) 17 व 18 भई की राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में प्रस्तृत किया गया। उसके आधार पर नइ चतुर्थ योजना 1969-74 का निर्माण किया गया, जिसे 21 अप्रैल, 1969 को संसद में प्रस्तृत किया गया।

योजना-निर्माण और फ़ियांवयन को प्रशासकीय मशीनरी

(The Administrative Machinery for Plan Formulation and Implementation)

भारत में योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन के लिए प्रशासकीय मशीनरी तथा योजना-तन्त्र के मुख्य अग निम्नलिखित हैं—

- (1) योजना-आयोग (Planning Commission)
- (2) राष्ट्रीय योजना परिषद् (National Planning Council)
- (3) योजना-आयोग के विभिन्न सम्भाग (Divisions of Planning Commission)
- (4) अन्य संस्थाएँ (Other Institutions)

योजना आयोग (Planning Commission)

भारत में योजना-निर्माण सम्बन्धी उत्तरदायित्व योजना आयोग का है, जिसकी स्थापना मार्च, 1950 में की गई थी। योजना आयोग ही हमारे नियोजन तंत्र का महत्वपूर्ण अग्र है। भारतीय संविधान में योजना प्रायोग की नियुक्ति की कोई व्यवस्था नहीं है, अतः इसकी स्थापना भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी।

आयोग के प्रमुख कार्य—योजना-आयोग की स्थापना के समय ही आयोग के प्रमुख कार्यों का स्पष्ट संकेत दिया गया था। तदनुसार आयोग के मुख्य कार्य सक्षेत्र में निम्नलिखित हैं—

1. प्रथम महत्वपूर्ण कार्य देश के साधनों का अनुमान लगाना है। योजना-आयोग देश के भौतिक, पूँजी-सम्बन्धी और मानवीय साधन का अनुमान लगाता है। वह ऐसे साधनों की बढ़ीतरी की सम्मादना का पता लगाता है जिनका देश में अभाव होता है। साधनों का अनुमान और उनमें अभिवृद्धि का प्रयत्न अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य है व्योक्ति इसके अभाव में कोई भी नियोजन असम्भव है।

2. योजना-आयोग का दूसरा कार्य है योजना-निर्माण। योजना-आयोग देश के साधनों के सर्वाधिक प्रभावशाली और सन्तुलित उपयोग के लिए योजना-निर्माण करता है।

3. योजना-आयोग का तीसरा कार्य है—योजना वो पूरा किए जाने की अवस्थाओं को परिभासित करना तथा योजना की प्रायमिकताओं का निर्धारण करना।

4. इसके पश्चात् योजना-आयोग इनके आधार पर देश के साधनों का समुचित आवटन करता है।

5. योजना-आयोग का पांचवां कार्य है, योजना-तंत्र का निर्धारण। आयोग योजना की प्रत्येक अवस्था के सभी पक्षों में सफल श्रियान्विति के लिए योजना-तंत्र की प्रकृति को निर्धारित करता है।

6. योजना-आयोग समय-समय पर योजना की प्रत्येक अवस्था के क्रियान्वयन में वी गई प्रगति का मूल्यांकन करता है। इस मूल्यांकन के आधार पर वह नीतियों और प्रयत्नों में परिवर्तन या समायोजन वी सिफारिश करता है।

7. योजना-आयोग का सातवां कार्य सुभाव और दिशा निर्देश सम्बन्धी है। योजना-आयोग आर्थिक विकास की गति अवहम करन वाले घटकों वो बताता है और योजना की सफलता के लिए आवश्यक स्थितियों का निर्धारण करता है। योजना-निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु आर्थिक परिस्थितियों नीतियों, विकास-कार्यक्रमों आदि पर योजना-आयोग सरकार को सुभाव देता है। यदि राज्य या केन्द्रीय सरकार किसी समस्या विशेष पर सुभाव मार्गे तो आयोग उस समस्या विशेष के समाधान के लिए भी अपने सुभाव देता है।

अपने कार्य के सफल-सम्पादन की हालित से योजना-आयोग को कुछ अन्य कार्य भी सौंपे गए हैं, जैसे—

(1) सामग्री, पूँजी और मानवीय साधन का मूल्यांकन, संरक्षण तथा उनमें

बृद्धि की सम्भावनाओं आदि को ज्ञान करना। इस सम्बन्ध में योजना-ग्राम्योग का कहना चाहिए कि बहुवित्तीय साधनों, मूल्य-स्तर, उपभोग प्रतिमान आदि का निरक्षण अध्ययन करता रहे।

(ii) साधनों के सन्तुलित प्रयोग की दिशा में योजना-ग्राम्योग को इस प्रकार की विधि अपनानी चाहिए जिससे एक और तो विकास की अधिकतम-दर प्राप्त की जा सके तथा दूसरी और सामाजिक व्याय की स्थापना भी हो सके।

(iii) योजना-ग्राम्योग, योजनाओं की सफलता के लिए, सामाजिक परिवर्तनों का अध्ययन करता रहे।

(iv) योजना ग्राम्योग आर्थिक एवं अन्य नीतियों का सामयिक मूल्यांकन करे और यदि नीतियों में किन्हीं परिवर्तनों की आवश्यकता हो तो इसके लिए मण्डिरपट्टल को सिफारिश करे।

(v) नियोजन की सकलीक का आवश्यक अध्ययन करते हुए उसमें मुद्धार का प्रयत्न करे।

(vi) योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए जन-सहयोग प्राप्त करे ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी दायित्व महसूस करते हुए योजना के कार्यों में भागीदार बन सके।

सिंगठन——योजना-ग्राम्योग की रचना करते समय यह उद्देश्य रखा गया था कि ग्राम्योग और मण्डिर-परिषद् में परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध हो। यही कारण है कि आरम्भ से ही ग्राम्योग में अन्य सदस्यों के अनिवार्य मन्त्रिपरिषद् के केविनेट स्तर के कुछ मन्त्रियों को सदस्यता प्रदान की गई। प्रधान मन्त्री ग्राम्योग का अध्यक्ष होता है। सितम्बर, 1967 में पुनर्गठन के बाद से प्रधान मन्त्री और वित्त मन्त्री के प्रतिरिक्त अन्य सभी सदस्य पूर्णकालीन (Whole time) रहे हैं और वे सरकार के मन्त्री नहीं होते। यद्यपि योजना ग्राम्योग के सभी सदस्य एक निकाय (Body) के रूप में कार्य करते हैं तथापि सुविधा की दृष्टि से प्रत्येक सदस्य को एक या अधिक विषयों का उत्तरदायित्व मिल दिया जाता है। वित्त मन्त्री योजना-ग्राम्योग के आर्थिक सम्मान (Economic Division) से निकटतम सम्पर्क रखता है।

यह प्रश्न विवादास्पद है कि मन्त्रियों को योजना ग्राम्योग का सदस्य बनाना कहाँ तक उचित है। कुछ का मत है कि योजना ग्राम्योग का पूर्ण स्वतन्त्र संगठन होना चाहिए। योजना ग्राम्योग का प्रमुख कार्य देश की आर्थिक समस्याओं पर सरकार को परामर्श देना है, अत यह उचित है कि इसका सदस्य उन्हीं को बनाया जाए जो रुपाति प्राप्त हों। साथ ही सदस्यों को स्वतन्त्र किन्तु समुक्त रूप से कार्य करने का अधिकार दिया जाए। प्रधान मन्त्री व अन्य मन्त्रियों को ग्राम्योग का सदस्य बनाना उचित नहीं है, क्योंकि इससे ग्राम्योग की स्वतन्त्रता कम होती है।¹ लेकिन

1. Also see • Estimate Committee, 1957-59, Twenty First Report (Second Lok Sabha), Planning Commission, p 21.

इस प्रकार का मत जननी नहीं रखता है। वास्तव में मन्त्री जनता के निकट सम्पर्क में रहते हैं और जनता की नबज को अधिक अच्छी तरह पर्हचानते हैं, प्रत जनता के लिए बनाई जाने वाली योजनाओं और योजना-मशीनरी से उनका निर्ट-सम्पर्क होना चाहिए। वैसे भी अधिक प्रभावशाली मत यहीं रहा है कि मन्त्रियों का आयोग वे साथ निकटतम सम्पर्क होना चाहिए ताकि मन्त्रिमण्डल और आयोग के मध्य ताल भेद बना रहे। इसके अतिरिक्त योजना के क्रियान्वयन के लिए अन्तिम उत्तरदायित्व मन्त्रिमण्डल पर ही होता है। प्रशासन ही वह मन्त्र है, जो योजना को सफल बनाने और क्रियान्वयन की दिशा में सर्वोपरि भूमिका निभाता है। अत नियोजन आयोग में मन्त्रियों को सदस्यता देना बाधित है। वीटी कृष्णमाचारी के मतानुसार योजना का क्रियान्वयन उसी स्थिति में प्रचल्ल हो सकता है, जब मन्त्रिमण्डल के सदस्य भी आयोग के विचार विवेचन और निर्णयों में भाग लें।

प्रशासन सुधार आयोग की सिफारिशें और योजना आयोग वा पुनर्गठन—सितम्बर, 1967 में योजना-आयोग का पुनर्गठन किया गया। योजना-आयोग वा यह पुनर्गठन प्रशासनिक सुधार आयोग (Administrative Reforms Commission) की सिफारिशों के आधार पर किया गया था, जो निम्नलिखित थी—

(i) आयोग के उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्य वैद्वीय मन्त्रियों में से नहीं लिए जाने चाहिए।

(ii) योजना आयोग वेवल विशेषज्ञों की ही सदस्यों नहीं जानी चाहिए और इसके सदस्यों को विभिन्न क्षेत्रों का ज्ञान और अनुभव होना चाहिए।

(iii) राष्ट्रीय नियोजन परियद् योजनाओं के निर्माण में बुनियादी निर्देश देती रहे। उसकी और उसके द्वारा नियुक्त विभिन्न समितियों की नियमित रूप से अधिक बैठकों की जानी चाहिए।

(iv) योजना आयोग को सलाहकार समितियों वी नियुक्ति में मित्राध्ययिता करनी चाहिए और उनकी स्थापना सोच विचार करके वी जानी चाहिए। नियुक्ति के समय ही समितियों के कार्यक्षेत्र और कार्य-सचालन विधि निर्धारित कर दी जानी चाहिए। योजना आयोग को अपने कार्य के लिए वैद्वीय मन्त्रालयों में कार्य कर रही सलाहकार समितियों का अधिकाधिक सहयोग लेना चाहिए।

(v) लोकसभा की सावंजनिक उपक्रम समिति के समान लोकसभा के सदस्यों की एक अन्य समिति बनाई जानी चाहिए जो योजना आयोग वे वार्षिक प्रतिवेदन तथा योजनाओं के मूल्यांकन से सम्बन्धित प्रतिवेदनों पर विचार करे।

(vi) आयोग के लिए मलाहकार विषय-विशेषज्ञ एवं विश्लेषणात्मक इस प्रकार के तीन पूर्ण स्तरीय अधिकारी होने चाहिए।

(vii) विकास से सम्बन्धित विभिन्न विषयों में प्रशिक्षण देने हेतु दिल्ली में एक प्रशिक्षण-संस्थान स्थापित किया जाना चाहिए।

(viii) उद्योगों वे लिए स्थापित विभिन्न विकास परियदों के साथ एक योजना मध्यूम सरनां रहना चाहिए जो निजी क्षेत्र के उद्योगों से योजना निर्माण में परामर्श एवं सहयोग प्राप्त कर सकते हैं।

(१) एक स्टेन्डिंग कमेटी की स्थापना की जानी चाहिए जो बेंट्रीय सरकार के विभिन्न आर्थिक सलाहकार कक्षों में अधिक समर्थन और समर्कों का कार्य करे। इसके सदस्य भिन्न-भिन्न भौतिकों तथा योजना-आयोग के आर्थिक एवं सांख्यिकीय कक्षों के अध्यक्ष होने चाहिए।

(२) प्रत्येक राज्य में निम्न प्रकार के त्रिस्तरीय नियोजन तथा स्थापित किए जाना चाहिए—

(a) राज्य योजना परिपद—यह विशेषज्ञों की सहायता होनी चाहिए। यह परिपद राज्य में योजना-आयोग के समान योजना सम्बन्धी कार्य करे, (b) विभागीय नियोजन संस्थाएँ—ये सम्बन्धित विभाग की भिन्न-भिन्न विकास परियोजनाओं में सम्बद्ध स्थापित करने प्रीत उनके क्रियाव्यन की देखभाल करने का कार्य करे, (c) सेत्रीय तथा जिला-स्तरीय नियोजन संस्थाएँ—इसके लिए प्रत्येक जिले में एक पूर्णकालीन योजना और विकास अधिकारी तथा एक जिला-योजना समिति होनी चाहिए। समिति में पचावतो और नगरपालिकाओं के प्रतिनिधि एवं कुछ व्यावसायिक विशेषज्ञ भी होने चाहिए।

अप्रैल, 1973 से पुनर्गठन—योजना आयोग की रचना और न्यून विभाजन में 1 अप्रैल, 1973 को पुनर्गठन किया गया। तदनुसार आयोग के सदस्य वीरुपरेखा इस प्रकार रही—

(1) प्रधान मन्त्री, पदेन अध्यक्ष।

(2) एक उपाध्यक्ष (योजना मन्त्री स्वर्गीय दुर्गप्रियासाद घर उस समय उपाध्यक्ष थे)।

(3) उपाध्यक्ष के अतिरिक्त आयोग के 4 और सदस्य (जिनमें कोई भी मन्त्री शामिल नहीं था, यद्यपि वित्त मन्त्री आयोग की बैठकों में भाग ले सकता था। ये सभी सदस्य पूर्णकालिक थे)।

जुलाई, 1975 से आयोग का गठन—जुलाई, 1975 में आयोग का गठन इस प्रकार था¹—

1. श्रीमती इन्दिरा गांधी	प्रधान मन्त्री तथा अध्यक्ष
2. पी. एन. हक्कर	उपाध्यक्ष
3. सी. सुबहुम्यम	वित्त मन्त्री
4. इन्द्रकुमार गुजराल	योजना राज्य मन्त्री
5. एस. चक्रवर्ती	सदस्य
6. दी. शिवरामन	सदस्य

आयोग में कार्य विभाजन

प्रशासनिक सुधार आयोग के सुभाव के अनुसार, आयोग के कार्यों को तीन भागों में विभाजित किया जाना परेक्षित है—योजना-निर्माण-कार्य, मूल्यांकन कार्य

1. India 1976, p. 170.

एवं प्रतिष्ठापन-कार्य । विकास से सम्बन्धित विषयों में प्रशिक्षण देने हेतु एक प्रतिष्ठापन संस्थान भी अपेक्षित है । बतंमान में दिल्ली में स्थापित इन्स्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कार्य कर रहा है । 1973 के मध्य आयोग के सदस्यों में कार्य-विभाजन की रूपरेखा इस प्रकार थी—

- (1) सदस्य डॉ. मिन्हास के पास सामाजिक सेवाएं (शिक्षा को छोड़कर), गृह-निर्माण और शहरी-विकास, थ्रम, रोजगार एवं मानव शक्ति, यातायात एवं सन्देशवाहन तथा पर्वतीय विकास सम्बन्धी कार्य थे ।
- (2) सदस्य श्री चक्रवर्ती के पास दीर्घकालीन नियोजन, आर्थिक-विभाग, शिक्षा और बहुस्तरीय नियोजन सम्बन्धी कार्य थे ।
- (3) सदस्य श्री शिवरामन के पास कृषि और सिचाई तथा योजना-क्रियाव्यन वे प्रबन्ध सम्बन्धी कार्य थे ।
- (4) सदस्य श्री एम. एस. पाठक के पास उद्योग, खनिज एवं शक्ति-सम्बन्धी कार्य थे ।

योजना आयोग के कार्यों के सचालन हेतु आन्तरिक संगठन की हाजिर से विभिन्न विभाग हैं, जो चार भागों में विभाजित हैं—

1. सम्बन्ध विभाग (Co-ordination Division)—इसके दो उप-विभाग हैं—योजना सम्बन्ध विभाग (Plan Co-ordination Section) तथा कार्यक्रम प्रशासन विभाग (Programme Administrative Division) । जब आयोग को विभिन्न विभागों में सहयोग की आवश्यकता होती है, तो सम्बन्ध विभाग अपनी मूलिका निभाता है । प्रशासन विभाग के कार्य व्यापिक और पचवर्षीय योजनाओं में सम्बन्ध, अविकसित क्षेत्रों का एता लगाना, प्रदेशों को केन्द्रीय सहायता के तरीकों तथा योजना को कुशल प्रभावपूर्ण ढंग से कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में परामर्श देना आदि हैं ।

2. साधारण विभाग (General Division)—योजना से सम्बन्धित विभिन्न कार्यों के लिए अनेक साधारण विभाग हैं । प्रत्येक विभाग का अध्यक्ष एक निदेशक होता है । मुख्य साधारण विभाग ये हैं—दीर्घकालीन योजना विभाग, आर्थिक विभाग, थ्रम एवं रोजगार विभाग, प्राकृतिक एवं वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग, सांख्यिकी तथा सर्वेक्षण विभाग, प्रबन्ध एवं प्रशासन विभाग ।

3. विषय विभाग (Subject Division)—आर्थिक गतिविधि के विभिन्न क्षेत्रों के लिए विषय-विभाग 10 हैं जो अपने विषय से सम्बन्धित योजना के लिए कार्य और शोध करते हैं—कृषि विभाग, भूमि सुधार विभाग, सिचाई और शक्ति विभाग, ग्राम और लघु उद्योग विभाग, समाज सेवा विभाग, गृह विभाग, यातायात एवं सचार विभाग, उद्योग एवं खनिज पदार्थ विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग ।

4. विशिष्ट विकास कार्यक्रम विभाग (Special Development Programme Division)—क्षेत्रीय विशेष कार्यक्रमों के लिए 'विशेष विकास कार्यक्रम विभाग' बनाए गए हैं । ये दो हैं—ग्रामीण कार्य विभाग, एवं जन-सहृदारिता विभाग ।

योजना आयोग से सम्बद्ध अन्य संस्थाएँ

1. राष्ट्रीय नियोजन परिषद् (National Planning Council) — इस संस्था की स्थापना सरकार द्वारा कर्णवरी 1965 में योजना आयोग के सदस्यों की सहायता से भी गई। जिसमें सावधानीपूर्वक चुने हुए सीमित संख्या में विशेषज्ञ नियुक्त किए जाते हैं। 'राष्ट्रीय नियोजन परिषद्' योजना आयोग के उपाध्यक्ष की प्रध्यक्षता में कार्य करता है।

2. कार्यशील दल (Working Groups) — योजना आयोग समय-समय पर 'कार्यशील समूह' नियुक्त करता है, जिनका कार्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए योजना-निर्माण में योजना आयोग और विभिन्न केन्द्रीय मन्त्रालयों में सम्बन्ध करना है। इन कार्यशील समूहों के सदस्य योजना आयोग और विभिन्न केन्द्रीय मन्त्रालयों से लिए गए तरफी की विशेषज्ञ, अर्थगार्फी और प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ उप-समूह (Sub groups) भी नियुक्त किए जाते हैं।

3. परामर्शदात्री संस्थाएँ (Advisory Bodies) — इन्हे Panel or Consultative Bodies भी कहते हैं। ये स्वार्ड संस्थाएँ होती हैं जो सरकार की विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों पर सुभाव देती हैं। इसके अतिरिक्त, समृद्ध सदस्यों से परामर्श लेने की व्यवस्था की गई है। इसके जिए Consultative Committee of Members of Parliament for Planning Commission तथा Prime Minister's Informal Consultative Committee for Planning बनाई गई है।

4. एसोसिएटेड बॉडीज (Associated Bodies) — इनमें से प्रमुख केन्द्रीय मन्त्रालय, रिजर्व बैंक और केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (Central Statistical Organisation) हैं। रिजर्व बैंक के आर्थिक विभाग से योजना आयोग निकट-सम्बन्धित रहता है तथा उसके द्वारा किए गए अध्ययन योजना आयोग के लिए उपयोगी होते हैं। रिजर्व बैंक के इस विभाग का सचालक योजना आयोग के लिए अर्थ-शास्त्रियों के देनल का मदस्य होता है। प्रायोग के लिए आवश्यक सांख्यिकीय एकत्रित करने का कार्य केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन करती है।

5. मूल्यांकन समितियाँ (Evaluation Committees) — योजनान्तर्गत प्रारम्भ की गई विभिन्न परियोजनाओं के कार्य-सचालन के मूल्यांकन हेतु 'मूल्यांकन समितियाँ' नामक विशिष्ट संस्थाएँ का निर्माण किया गया है। Committees on Plan Projects इस प्रकार का उदाहरण है।

6. अनुसंधान संस्थाएँ (Research Institutions) — योजना आयोग ने इस सम्बन्ध में 'अनुसंधान कार्यक्रम समिति' (Research Programme Committee) नामक विशिष्ट संस्था की स्थापना की है, जिसका अध्यक्ष योजना आयोग का उपाध्यक्ष होता है। इसमें देश के रूपाति प्राप्त समाज वैज्ञानिकों को भी सदस्य नियुक्त रिया जाता रहा है। इसी प्रकार प्राकृतिक साधनों के सरक्षण, विकास और उचित विदीहन प्रादि के लिए प्राकृतिक संसाधन समिति (Committee of Natural Resources) स्थापित की गई। इसके अतिरिक्त, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, भारतीय व्यावहारिक

आर्थिक अनुसंधान परिषद् (Indian Council of Applied Economic Research) और आर्थिक विकास संस्थान (Institute of Economic Growth) आदि संस्थाएँ महत्वपूर्ण आर्थिक-सामाजिक अनुसंधान कार्य करती हैं जिसका उपयोग योजना आयोग करता रहता है।

7. राष्ट्रीय विकास परिषद् (National Development Council) — राष्ट्रीय विकास परिषद् योजना आयोग की सर्वोच्च नीति-निर्धारक संस्था है। यह योजना आयोग और विभिन्न राज्यों में समन्वय स्थापित करने का भी कार्य करती है। इसके मुख्य कार्य हैं—

- (i) समय-समय पर राष्ट्रीय योजना के कार्य-सचालन का पर्यावलोकन करना।
- (ii) राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक और आर्थिक-नीति-सम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करना।
- (iii) राष्ट्रीय योजना में निर्धारित उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उपाय सुझाना।
- (iv) जनता का सक्रिय सहयोग प्राप्त करना।
- (v) प्रशासनिक सेवायों की कुशलता में वृद्धि करना।
- (vi) प्रत्येक विकासित समाज के वर्गों और प्रदेशों के पूर्ण विकास के लिए प्रयत्न करना।
- (vii) समस्त नागरिकों के समान व्यापार के द्वारा राष्ट्रीय विकास के लिए सहायता का निर्माण करना।

योजना आयोग की तरह राष्ट्रीय विकास परिषद् के पीछे भी सांविधानिक या कानूनी सत्ता नहीं होती, किन्तु इसकी सिफारिशों का केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा आदान प्रदान किया जाता है। इस परिषद् में देश के प्रधान मन्त्री और योजना आयोग के सदस्य होते हैं।

योजना का क्रियान्वयन (Implementation of the Plan)

भारत में योजना आयोग विशुद्ध रूप से परामर्शदात्री संस्था है। इसका कार्य योजनाप्रो का निर्माण करना और उनका मूल्यांकन करना है। इसके पास कोई प्रशासनिक शक्ति नहीं है अतः योजनाप्रो के क्रियान्वयन का कार्य केन्द्रीय सरकार और राज्य-सरकारों का है। योजना निर्माण के पश्चात् केन्द्रीय और राज्य सरकारें अपने विभिन्न मन्त्रालयों और उनके अधीन विभागों द्वारा योजना के लिए निर्धारित कार्यक्रमों और लक्ष्यों की प्राप्ति वी कार्यवाही करती है। कृषि, सिंचाई, सहकारिता, विद्युत्, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के कार्यक्रमों को प्रमुख रूप से राज्य सरकारें क्रियान्वित करती हैं क्योंकि ये राज्य-सूची में आते हैं। अन्य विषयों जैसे—वृहद्-उद्योग, रेलें, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रमुख बन्दरगाह, जहाजरानी, नागरिक उद्योग, सचार आदि से सम्बन्धित योजनाप्रो के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार पर होता है।

भारत में नियोजन सम्बन्धी परियोजनाओं में से कुछ का केवल केन्द्रीय सरकार क्रियान्वित करती है कुछ दो राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है और कुछ को केन्द्रीय और राज्य सरकारें दोनों मिलकर करती हैं। उदाहरणार्थे, भारत में प्रियाल नदी-घाटी योजनाओं में से कुछ का निर्माण और सचालन पूर्ण रूप से केन्द्रीय सरकार द्वारा, कुछ का केवल राज्य सरकारों द्वारा और कुछ केन्द्र और राज्य सरकारों ने तथा एक से अधिक राज्य सरकारों ने मिलकर किया है। निजी-क्षेत्र की योजनाओं का क्रियान्वयन निजी-क्षेत्र द्वारा किया जाता है यद्यपि सरकार इस कार्य में निजी क्षेत्र को आवश्यक वित्तीय, तकनीकी तथा अन्य प्रकार की सहायता देती है। सार्वजनिक क्षेत्र की योजनाओं का क्रियान्वयन सरकार द्वारा किया जाता है। कई अन्य देशों के समान भारत में भी योजनाकरण में विवेद्वीकरण की प्रवृत्तियाँ परिलक्षित होती हैं। लोकतान्त्रिक विवेद्वीकरण द्वारा जिला-स्तर पर जिला-परियोग तथा खण्ड स्तर पर पचायत निर्मित है, जो खण्ड-स्तर पर योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन का कार्य करती है।

इस प्रकार भारत में योजना का क्रियान्वयन केन्द्रीय और राज्य सरकारों के विभिन्न मन्त्रालयों और उनके अधीनस्थ विभागों द्वारा किया जाता है। योजना की सफलता इन विभागों के अधिकारियों और अन्य सरकारी कर्मचारियों की लुप्तता, कर्तन्यपरायणता तथा ईमानदारी पर निर्भर करती है। योजनाओं वी सफलता सामान्यत जनता के सहयोग पर निर्भर करती है।

प्रगति की समीक्षा—योजना के क्रियान्वयन के लिए उनका निरन्तर निरीक्षण और प्रगति की समीक्षा आवश्यक है ताकि योजना की सफलताओं और उसके क्रियान्वयन के मार्ग में आने वाली वाधाओं का पता लगाया जा सके। भारत में योजना आयोग का योजना निर्माण के अतिरिक्त एक प्रमुख कार्य “योजना की प्रत्येक अवस्था के क्रियान्वयन द्वारा प्राप्त प्रगति का समय समय पर ब्यौरा रखना तथा उसके अनुसार नीति में समायोजन तथा अन्य उपायों के लिए सिफारिशें करना है।” अत योजना आयोग समय समय पर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में योजना के क्रियान्वयन और सफलता का पर्यवेक्षण करता है। जब वापिक योजना वा निर्माण किया जाता है और उसे वापिक बजट में सम्मिलित किया जाता है तो आयोग वेद्ध और राज्य सरकारों से गत वर्ष की प्रगति के प्रतिवेदन मण्डित है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय मन्त्रालयों और राज्य-सरकारों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में विकास-कार्यक्रमों के व्यक्तिगत सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाती है। कार्यक्रम मूल्यांकन समठन तथा योजना की परियोजना भविति योजनाओं के क्रियान्वयन से सम्बन्धित समस्याओं वा अवस्थाओं का उद्देश्य परियोजनाओं की विलम्ब पूर्ति, अपर्याप्त सफलता, ऊँची लागतों अद्वितीय के कारणों वी जैविक करना और इन्हे दूर करने के उपाय बतलाना होता है। योजना आयोग योजना आवधि के मध्य में ही विभिन्न क्षेत्रों में योजना कार्यक्रमों की पूर्ति के सम्बन्ध में ‘Mid Term’ प्रतिवेदन भी

प्रकाशित करती है जिसमें ग्रामों की कार्यवाही की दिशाओं का भी सकेत होता है। प्रत्येक पचवर्षीय योजना के अस्त में योजना आयोग अधिक वी समग्र समीक्षा, विकास सम्बन्धी तथा आई द्वाई इंडिया और भविष्य के लिए सुझावों सहित प्रकाशित करता है। निजी-क्षेत्र में योजना वी प्रमति की समीक्षा और मूल्यांकन के लिए और अधिक प्रयत्नों वी आवश्यकता है।

भारतीय नियोजन की विशेषताएँ—भारतीय नियोजन की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएँ हैं—

- (i) भारतीय नियोजन जनतान्त्रिक नियोजन है।
- (ii) भारतीय नियोजन सोवियत रूस और चीन वी तरह पूर्ण वा व्यापक (Comprehensive) नियोजन नहीं है।
- (iii) भारतीय नियोजन का उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना है।
- (iv) भारतीय नियोजन केन्द्रित और विकेन्द्रित दोनों प्रवार का है।

भारतीय योजना-निर्माण प्रक्रिया की समीक्षा

1. कई आलोचकों ने योजना आयोग को 'समानान्तर सरकार' (Parallel Government), 'सुपर केविनेट' (Super Cabinet) और 'गाड़ी का पांचवाँ पहिया' (The Fifth Wheel of the Coach) कहा है। किन्तु इस प्रकार की आलोचनाएँ अतिरिक्त हैं। भारत में सम्पूर्ण आयोजन इस प्रकार का है कि राष्ट्रीय योजना भी कार्यनिवृत होती है और राज्यिक योजनाएँ भी। इस प्रकार, राष्ट्रीय हिनो वी दूर्ति भी होती है और प्रान्तीय एव स्थानीय हितों की भी। मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि दोनों एक दूसरे के पूरक बनें। यदि इस उद्देश्य की पूर्ति में वेन्ट्रीकरण को कुछ प्रोत्साहन मिलता है और वेन्ट्री और राज्य सम्बन्ध एकात्मकता के लक्षणों से प्रभावित होते हैं तो इसमें 'अशुभ' कोई बात नहीं है। इसके अतिरिक्त योजना आयोग एक परामर्शदात्री सम्बन्ध रहा है, इसके पास प्रशासनिक अधिकार नहीं हैं। योजना आयोग वेन्ट्री तथा राज्यों के विभिन्न स्तरों पर व्यापक विचार-विमर्श के पश्चात् ही निर्णय पर पहुँचता है। इस प्रकार राज्य के सम्बन्ध में आयोग नियोजन-क्षेत्र में जो कुछ भी कहता है, उसमें राज्यों की पूर्ण स्वीकृति प्राप्त होती है।

2. कुछ आलोचकों के अनुसार, योजना आयोग एक स्वतन्त्र और परामर्शदात्री सम्बन्ध के रूप में बायं नहीं कर पाता। मन्त्रियों को योजना आयोग का सदस्य नियुक्त, नियम, जाता, रहा, है। इस प्रकार, यह स्तर राजनीतिक प्रेरित है और यह विशेषज्ञ सम्बन्ध नहीं है। योजना आयोग की इम परम्परा का भी प्रतिरोध किया जाता है कि जब वही किसी मन्त्रालय से सम्बन्धित विषय पर आलोचकों का सुझाव है कि राष्ट्रीय विकास परियट् और मन्त्रिमण्डल को तो राष्ट्रीय योजना सम्बन्धी प्रमुख रेवायो और विभिन्न सीमायों का ही निरूपण करना चाहिए। इसके पश्चात् योजना निर्माण और विस्तृत व्योरा तंत्यार करने, प्रायमिकताओं और लक्ष्यों का

निवारण करने विभिन्न वैकल्पिक उपायों में से विकास की विस्तृत पद्धति को प्रयोग ने आदि के कार्य पूर्णरूप से योजना आयोग पर छोड़ दिए जाने चाहिए, क्योंकि ये तकनीकी मामले हैं। योजना आयोग के सदस्य सुविस्थात तहनीकी विशेषज्ञ होने चाहिए।

मन्त्रियों की सदस्यता न होने सम्बन्धी आयोग का तर्क सैद्धान्तिक रूप में अच्छा है और कुछ वर्षों पूर्व प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी सिफारिश की थी कि मन्त्रियों को आयोग का सदस्य नहीं बनाया जाना चाहिए। लेकिन व्यावहारिक स्थितियों का तकाजा है कि आयोग में मन्त्रिमण्डल को स्थान दिया जाए, क्योंकि नीतियों और निर्णयों के क्रियान्वयन का अन्तिम उत्तरदायित्व मन्त्रियों पर होता है। योजना की असफलता के लिए जनता प्रधानमन्त्री और योजना मन्त्री को ही दोषी ठहराएंगी, आयोग के विशेषज्ञों को नहीं। मन्त्रियों का जनता से निकट सम्पर्क होता है, वे जनता की आवाजाओं से परिचित होते हैं अत आयोग के तकनीकी विशेषज्ञों के विचारों को अपनी सलाह से अधिक व्यावहारिक और जनानुरूप बना सकते हैं। एक परामर्शदात्री सम्बान्ध में परामर्श के खोले जितने प्रभावशाली होगे निश्चय उतने ही अच्छे हो सकेंगे। हाँ, इस प्रकार के रक्षा कवच स्वशय होने चाहिए ताकि मन्त्रियों की उपस्थिति से आयोग के तकनीकी विशेषज्ञों और स्वतन्त्र सदस्यों की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका न रहे।

3 यह यालोचना की जाती है कि आयोग का आकार यावश्यक रूप से काफी बड़ा हो गया है और इसके पदाधिकारियों, कर्मचारियों, विभिन्न समितियों और सम्बान्धों में पर्याप्त मितव्यपिता किए जाने की गुजाइश है। आयोग की वर्द्धी विभागीय शास्त्राओं में कार्यों का स्पष्ट वर्गीकरण नहीं है और उनके कार्य एक दूसरे की परिधि में आ जाते हैं। अत प्रत्येक विभाग में विवेकीकरण किया जाना चाहिए। विषय समझागो पर अधिक ध्यान दिया जाना च हिए और साधारण सम्भागों की सरूपा कम की जानी चाहिए।

4 अधिकांश राज्य सासाधनों को गतिशील बनाने और उनके एकत्रीकरण के मामलों में राष्ट्रीय और दीर्घकालीन हास्तिकोण से कार्य नहीं करते हैं। अनेक राज्य सरकारों में योजना के सम्बन्ध सम्बन्धी प्राथमिक विचारों का भी अभाव है और योजना आयोग को हृदय देने वाली गाय समझते हैं। उनमें से अधिकांश के लिए आयोग ऋण का अर्थात् नहीं प्रथम आधारदाता है। अब तक राज्य सरकारें योजना आयोग से अधिक प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रही हैं और स्वयं न कम प्रयास किए हैं।

बहुधा ऐसे अवसर भी आते हैं जबकि योजना आयोग वो राज्यों के मुख्य मन्त्रियों को, सासाधनों के आवटन को गतिशील बनाने के सम्बन्ध में अप्रसन्न करना 'पड़े और ऐसा तभी हो सकता है जबकि आयोग वे सदस्य गैर राजनीतिक क्षेत्र से लिए गए हों। तृतीय योजना में कृपि पर वर द्वारा साधनों के एकत्रीकरण के बारे में एक भी बात नहीं कही गई यद्यपि ऐसा करना नितान्त आवश्यक था। यह बहा जाता है कि आयोग ने ऐसा राजनीतिक बांरणों से नहीं किया।

5. इसके अतिरिक्त पचवर्षीय योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन में और भी कई कमियाँ हैं। कई आलोचकों के अनुसार सरकारी नीतियों और योजना के उद्देश्यों के बीच पर्याप्त अन्तर रहता है। सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियाँ और किए गए उपाय योजना के सामाजिक न्याय-क्षेत्र को और अधिक व्यापक बनाने की योजना के उद्देश्य के विपरीत पड़ती है। यह भूमि-सुधारों को क्रियान्वित करने, निजी-क्षेत्र में कारपोरेट उपक्रम के विकास और मुद्रा प्रसारिक प्रदृढ़ितयों के नियन्त्रण आदि से सम्बन्धित समस्याओं को हल करने के सरकारी विधियों के बारे में अधिक मही हैं। राज्य-सरकारों ने बहुधा योजना के क्रियान्वयन में निर्धारित प्राथमिकताओं का अनुपालन नहीं किया। बहुधा विशिष्ट परियोजनाओं हेतु राज्यों द्वारा गई केन्द्रीय सहायता का उपयोग निश्चित उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया। योजना के क्रियान्वयन में एक और कमी यह अनुभव की गई कि योजना व्यय को सम्पूर्ण योजनावधि में समान रूप से वितरित नहीं किया गया। बहुधा योजना के प्रथम दो तीन वर्षों में कार्य धीरे चलता और अन्तिम वर्षों में निर्धारित व्यय शीघ्रता ने पूरा किया जाता है। इससे सरकारों का ध्यान योजना के भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति की अपेक्षा निर्धारित राशि को योजनावधि में व्यय करने पर अधिक केन्द्रित रहता है। परिणामस्वरूप, उतनी ही राशि व्यय करते पर भी अपेक्षाकृत कम लाभ रहता और प्रगति की दर कम रहती है। अब पचवर्षीय योजनाओं को एक वर्षीय कार्यक्रमों में विभाजित करके क्रियान्वित करने का निश्चय किया गया है जिससे उपरोक्त समस्या का उचित समाधान हो जाएगा। योजना आयोग के अध्यक्ष थी गाडगिल ने इसकी अनुपस्थिति के अनुमान “होता यह है कि पचवर्षीय योजनावधि के प्रारम्भ में प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक प्राप्त करने और अपनी इच्छानुसार कार्य करने के लिए दोड़-चूर करता है, क्योंकि यह कार्य अभी नहीं होने पर पांच वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इससे तनाव बढ़ता है। इससे योजना निर्माण में एक कठिन स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिससे हम बचना चाहते हैं”¹ और एक वर्षीय योजनाएँ इससे बचने का एक उपाय है।

6. भारतीय नियोजन में अब तक भी प्राथमिकताओं के मूल्यांकन के लिए कोई कसौटी उदाहरणार्थ, लागत लाभ विश्लेषण (Cost benefit Analysis) आदि का व्यवहार अभी तक नहीं किया गया। है यह आवश्यक है कि इस प्रकार के भावदण्ड का उपयोग किया जाए, अन्यथा प्रत्येक विशेषज्ञ अपने विभाग के लिए कुछ न. कुछ प्राप्त कर लेता है। ऐसे पक्षार्थ भारतीय, नियोजन, सभी, पक्षार्थी, तिलात्यों आदि वनाई गई विभिन्न योजनाओं का सप्रह है। इसका कारण यह है कि हमारे पास परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए कोई उपयुक्त मापदण्ड नहीं है जिससे विभिन्न विकल्पों में से कुछ विकल्पों का चयन किया जा सके। इस प्रकार, हमारे साथों का अपव्यय होता है। उदाहरणार्थ, सामाजिक क्षेत्रों में वाल अपराध (Juvenile delinquency), परित्यक्त बच्चे, मिक्षुक, देश्याएँ, अपग व्यक्ति, तथा अन्य कई प्रकार के पहलू आते हैं और यदि हम इस सम्बन्ध में अपने देश की अन्य देशों से

1 D. R. Gadgil. Formulating the Fourth Plan, Yojna, Feb. 23, 1969, p. 8.

तुलना करें, तो हमारे विशेषज्ञ स्वाभाविक रूप से यही कहेंगे कि ये सब पहलू अत्यन्त महसूसपूर्ण हैं, किन्तु यदि हमारे साधन सीमित हैं तो हमें इनमें चुनाव करना पड़ेगा। उदाहरणार्थ, हम पहले बाल अपराधियों और परिवर्तक द्वच्चों पर सारी राशि व्यय कर सकते हैं और भिजारियों और वेस्पाओं के लिए अधिक चिन्ता नहीं करें। यद्यपि कुछ वर्गों की इस प्रकार उपेक्षा करना एक कठोर निर्णय है, किन्तु हमें ऐसा करना ही पड़ेगा। इस प्रकार सभी क्षेत्रों में सब कार्यक्रमों को अपनाने की अपेक्षा कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में अधिकाधिक साधन लगाए जाने चाहिए अन्यथा विशेष परिणाम नहीं निकल पाएंगे।

7. हमारे योजना निर्णय की एक कमी यह है कि यद्यपि हमारा देश एक अत्यन्त निर्धन देश है किन्तु वित्त मन्त्रालय और योजना आयोग के प्रतिरिक्त नियोजन के सभी स्तरों पर साधनों के उपयोग में संयम की आवश्यकता को अनुभव नहीं किया गया है और साधनों का कई जगह अपव्यय किया गया है। हमें इस बात को अनुभव करना चाहिए कि हमारा देश विश्व के निर्धनतम देशों में से एक है, यहाँ हमें देश के साधनों का अत्यन्त भित्तिपूर्वक कार्य करना चाहिए। साथ ही, प्रबन्धालंक प्रयत्नों (Management Efforts) में अधिक सतर्कता ही आवश्यकता है। राज्यों की सहायता देने की प्रणाली भी उचित नहीं कही जा सकती। प्रशासनिक सुधार आयोग ने विभिन्न प्रकार के 'अनुरूप अनुदान' (Matching Grants) और सहायता की वर्तमान पद्धति में परिवर्तन का सुझाव दिया है। सोभाग्य से इसे राष्ट्रीय विकास परिपद् की बैठक में मुरुख मन्त्रियों और वेन्ट्रीय वित्त मन्त्रालय ने भी स्वीकार कर लिया है। अब राज्यों को 'प्रमापीकृत योजनाओं' (Standard Schemes) से युक्त योजनाओं को बनाने की आवश्यकता नहीं है। वे अपनी इच्छानुमार योजनाएं बना सकते हैं। केवल उन्हें योजना आयोग को उनके उद्देश्य बताने, और यह बताने की आवश्यकता है कि वे उन योजनाओं को किस प्रकार क्रियान्वित करेंगे? अब राज्यों को निश्चिन रूप से यह बता दिया जाएगा कि उन्हें कितनी सहायता मिलने वाली है? उसके पश्चात् उन्हें प्रपने प्रयत्नों द्वारा प्राप्त राशि का अनुमान लगाना होगा और उनके अनुरूप वे अपनी योजनाएं बना सकते हैं। अब राज्यों द्वारा योजनाओं का आधार उनके स्वयं के प्रयासों द्वारा साधनों की गतिशील बनाने पर निर्भर करेगा क्योंकि उन्हें वेन्ट्रीय सहायता का स्पष्ट अनुमान पहले ही प्राप्त हो जाएगा और राज्य 'Inflated Plans' प्रस्तुत नहीं करेंगे।

वास्तव में इस बात से इसकार नहीं किया जा सकता कि आयोग के पठन और योजनाओं के क्रियान्वयन में अनेक गम्भीर दाय रहे हैं और राष्ट्र की इनकी कीमत चुकानी पड़ी है। लेकिन 26 जून, 1975 को राष्ट्रीय आपात् स्थिति की उद्घोषणा और 1 जुलाई, 1975 से बीस-सूती आर्थिक कार्यक्रम लागू हुए जाने के पश्चात् राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के एक नया ढोड़ लिया है। यहौपर्युक्ती मुधार और प्रगति की एक लहर चल पड़ी है। योजना आयोग का पुनर्गठन किया गया है, पचवर्षीय योजना का पुनर्मूर्खीकृत किया जा रहा है और आशा है कि तितम्बर, 1976 में राष्ट्रीय विकास परिपद् की बैठक के बाद निकट भविष्य में योजना वा जी नया हृप जनता के समक्ष रहेगा वह विगत दर्पों की अपेक्षा अधिक व्यावहारिक रहेगा।

भारत में गरीबी और असमानता इस हद तक व्याप्त है कि विश्व के आर्थिक रणनीति पर भारत की भूमिका के महत्व की बात करना हास्यास्पद लगता है। आर्थिक धोकड़े, देशवासियों का जीवन स्तर, आर्थिक विषयमताओं की गहरी साईं, गरीबी के मुँह बोलने चिह्न इस बात की स्पष्ट भलक देते हैं कि भारत विश्व का एक अत्यधिक गरीब देश है। भारत में गरीबी की व्यापकता और भवावहता का अनुमान सरकार के 'गरीबी हटाओ' के नारे से भी व्यक्त होता है। देश की पांचवीं पचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य ही गरीबी और असमानता पर प्रहार करना तथा देश को आत्मनिर्भरता के स्तर पर पहुंचाना है। योजना-प्रारूप में यह निश्चय व्यक्त किया गया है कि 'प्रति-भयावह निर्वन्तता' अथवा गरीबी का जीवन-यापन करने वाले व्यक्तियों के जीवन स्तर को एक अनुनतम स्तर पर लाया जाएगा।

भारत में गरीबी और विषयमता को एक भलक

विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित सूचना के अनुसार, विश्व के लगभग 122 देशों में प्रति व्यक्ति आय के सम्बन्ध में भारत का स्थान 102वाँ है। हमारे देश में प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक आय 825 रु. है और विगत दस वर्षों में देश के आर्थिक विकास में मात्र 1.2% प्रतिवर्ष की वृद्धि हुई है।¹ एक अन्य अध्ययन के अनुसार विश्व में 25 देश ऐसे हैं, जो बहुत ही गरीबी की स्थिति में हैं और इन देशों में भारत का स्थान प्रमुख है। इन गरीब देशों में उच्चोगों का राष्ट्रीय आय में अशादान 10% से भी कम है तथा 15 साल से बड़ी उम्र की 20% से भी अधिक जनसंख्या अक्षिक्षित है। सयुक्तराष्ट्र के अनुसार इन देशों के 20% व्यक्तियों को पूरा भोजन नहीं मिलता और 60% लोगों को अपोष्टिक भोजन प्राप्त होता है। प्रतिवर्ष 30 लाख टन प्रोटीन वाल औद्योगिक राष्ट्र इन देशों में साधारण भेजते हैं।² भारत, जो गरीब देशों में

1. डॉ रामधय राय, निदेशक भारतीय सामाजिक अनुसंधान परिषद् का लेख 'देश के जिले और विकास के आवाय'—साप्ताहिक हिन्दुसत्तान 23, सितम्बर, 1973, पृष्ठ 13
2. जी आर बर्मा—'समाजवादी समाज की स्थापना के लिए गरीबी हटाना आवश्यक' योजना 22 मार्च, 1973, पृष्ठ 21.

प्रमुख है, विश्व की 15% जनसंख्या का उपके 1/7 क्षेत्रफल पे भरण पोषण कर रहा है, किन्तु राष्ट्रीय उत्पादन की इडिट से विश्व के 122 देशों मे उपका स्थान 95वाँ तथा एशिया के 40 देशों मे 30वाँ है। भारत की 45 करोड़ जनता किसी न किसी रूप मे बेरोजगार है। 38 करोड़ 60 लाख व्यक्ति निरक्षर हैं। प्रत्येक भारतीय लगभग 1,314 रु. के विदेशी-कृषणमार से दबा हुआ है।¹ 1 रुपये की क्रय-शक्ति मई, 1974 मे, मात्र 33.9 पैसे (आधार 1959 वर्ष) थी।² देश के लगभग 22 करोड़ व्यक्ति अत्यन्त गरीबीयूण जीवन बिना रहे हैं। देश मे आधिक विषमता चौका देने वाली है। जहाँ एक और गगनचुम्बी अट्टालिकाएँ हैं और वैभव अठखेलियाँ करता है वही दूसरी और व्यक्तियों के पास रहने को झोपड़ी भी नहीं है। वे सड़क पर ही जन्म लेते हैं, सड़क पर ही पलते हैं और सड़क पर ही मर जाते हैं।

(क) दाँड़ेकर एवं नीलकण्ठ रथ का अध्ययन

दाँड़ेकर एवं रथ ने अपनी बहुचर्चित पुस्तक 'भारत मे गरीबी' मे देश की निर्धनता (1960-61 की स्थिति) का चित्र खींचा है और यह चित्र बत्तमान स्थिति मे भी बहुत कुछ सही उत्तरता है। इसके अनुसार, देश की निर्धनता ही देश की गरीबी का प्रमुख कारण है। समार के सभी देशों मे भारत अत्यन्त निर्धन देश है। अफ्रीका, दक्षिणी-अमेरिका तथा एशिया के अनेक अविकसित देशों की अपेक्षा भी भारत गरीब है। निर्धनता में भारत की बराबरी केवल दो ही देश—पाकिस्तान और इण्डोनेशिया कर मरते हैं। यदि इस गरीबी को आँकड़ो मे स्पष्ट करना हो तो लोगो का जीवन-स्तर देखना होगा। सन् 1960-61 मे देश का औसत जीवन-स्तर अर्थात् प्रति व्यक्ति वाधिक निवाह-व्यय लगभग केवल 275 से 280 रुपयो तक ही था। अर्थात् प्रति दिन ग्रीसतन 75-76 पैसो मे लोग जीवन-यापन करते थे। इस औसत को ग्रामीण एवं शहरी भागो के लिए भिन्न-भिन्न करके बताना हो तो यह कहा जा सकता है कि देहाती भाग मे प्रति व्यक्ति वाधिक निवाह व्यय लगभग 260 रुपये था, वाधिक तौर पर देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि शहरी भाग का जीवन स्तर ग्रामीण भाग के जीवन-स्तर की अपेक्षा लगभग 40% अधिक था। परंतु जीवनोपयोगी वस्तुओ के मूलयो मे ग्रामीण एवं शहरी भागो मे विद्यमान अन्वर को ध्यान मे रखा जाए तो दोनों विभागो का औसत जीवन स्तर लगभग समान हो जाता है। सन्तेर मे सन् 1960-61 मे ग्रामीण जनता प्रतिदिन लगभग 75 पैसो मे और शहरी जनता लगभग 1 रुपये मे जीवन-यापन करती थी।

"समाज मे विद्यमान असमानताओ को ध्यान मे रखा जाए तो स्पष्ट है कि आउे से अविक अकिं औपत से नीचे होने वल्क लगभग 2/3 व्यक्ति औपत से नीचे थे। अर्थात् ग्रामीण भाग मे दो-तिहाई व्यक्तियो का दैनिक लंब 75 पैसो से भी कम था और शहरी भाग मे दो तिहाई लोगो का दैनिक व्यय एक रुपये से भी कम था।

1. वही, पृष्ठ 21

2. केन्द्रीय वित्त मन्त्री श्री चहार की सूचना—हिन्दुस्तान, 27 जुलाई 1974.

इनमें से अनेक व्यक्तियों का दैनिक व्यय इस औसत से बहुत ही कम था। संक्षेप में 40 प्रतिशत ग्रामीण जनता प्रतिदिन 50 पैसो से भी कम खर्च में जीवन-यापन करती थी। इसमें घर वा अनाज या अन्य कृषि-उपज, दूध वगैरह का जो प्रयोग घर में किया जाता है उसका बाजार मूल्य शामिल है। शहरी भाग में 50 प्रतिशत जनता प्रतिदिन 75 पैसो से भी कम खर्च में निर्वाह चलाती थी। दोनों भागों के बाजार-मूल्यों के अन्तर को ध्यान में रखा जाए तो ग्रामीण भाग के 50 पैसे और शहरी भाग के 75 पैसे लगभग समान थे।¹

इस गरीबी का जिन लोगों को प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है, उन्हे इन आँकड़ों पर सहमा दिशवास नहीं होगा। स्वर्णीय डॉ. रामनोहर लोहिया ने कुछ वर्ष पूर्व लोकसभा में यह कह कर सत्सनी उत्पन्न कर दी थी कि भारतीय ग्रामीण की औसत आय 19 पैसे प्रतिदिन है। जैसा होना चाहिए या सरकारी स्तर पर इसका प्रतिवाद किया गया। परन्तु कुछ समय पश्चात् सरकारी स्तर पर ही यह माना गया कि भारतीय ग्रामीण की औसत आय 37 पैसे प्रतिदिन है और यह माना जा सकता है कि सरकारी आँकड़ों और वास्तविक आँकड़ों में कितना अन्तर होता है।² दौड़ेकर एवं रथ की टिप्पणी है कि “अनेक व्यक्तियों को इसका विश्वास ही नहीं होता था और अब भी अनेक लोग इसकी सच्चाई में सन्देह करते हैं। परन्तु देश की गरीबी का यह सच्चा स्वरूप है, इन आँकड़ों में पंसे-दो पंसों का अन्तर पड़ सकता है। प्रतिशत में एक-दो अंकों का अन्तर हो सकता है किंतु स्थूल रूप में यह आँकड़े तथ्य-प्रदर्शक हैं।”³

“प्रश्न उठना है कि इतने से खर्च में ये लोग कैसे निर्वाह करते हैं? एक हृष्टि से इस प्रश्न का उत्तर बड़ा सरल है। इन लोगों के सामने यह सवाल कभी खड़ा नहीं होता कि पैसों का क्या किया जाए? शरीर की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने में ही उनका सारा पैमा खर्च हो जाता है। उदाहरणार्थ 1960-61 साल के मूल्यों को ध्यान में रखा जाए तो ग्रामीण भाग में प्रति व्यक्ति 50 पैसो में निर्वाह करना हो तो 55 से 60 प्रतिशत खर्च केवल जेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा आदि साधारणी पर, 20 से 25 प्रतिशत तेल, नमक, मिर्च, चीनी, गुड आदि खाद्य वस्तुओं पर, और 7 से 3 प्रतिशत ईंधन दीप वत्ती प्रादि पर करना पड़ता है अर्थात् कुल निर्वाह व्यय का 35 प्रतिशत भाग केवल जीवित रहने पर ही व्यय होता है। उसमें यह सोचने के लिए अवसर ही नहीं होना कि क्या खरीदा जाए और कौन-सी वस्तु न ली जाए। जेहूं 15 प्रतिशत में कबड्डी, साढ़ुन, तेल, पान, तम्बाकू, दबा-दाढ़ आदि का खर्च चलाना पड़ता है। उसी में कुछ कमी-बेसी ही सकती है।”³

दौड़ेकर एवं रथ ने अपने अध्ययन से निष्कर्ष निकाला है कि “1960-61 में उस समय के मूल्यों को ध्यान में रखा जाए तो ग्रामीण भाग में न्यूनतम आवश्यकता

1. डॉ रामाध्य राय वही, पृष्ठ 13.

2. दौड़ेकर एवं रथ वही, पृष्ठ 2

3. वही, पृष्ठ 3

को पूर्ण करने के लिए प्रतिदिन 50 पैसे या वार्षिक 180 रु लगते थे और इस हिमाचल से 1960-61 में देश की 40 प्रतिशत जनना गरीब थी। इन सोगो को साल भर में दो जून भोजन नहीं मिलता था अर्थात् उसका विश्वास नहीं था। शहरी भाग से जीवनोपयोगी वस्तुओं के मूल्यों को ध्यान में रखा जाए तो वहाँ प्रतिदिन 75 पैसे या वार्षिक 240 रुपये लगते थे। शहरी जनता में से 50 प्रतिशत व्यक्तियों को वे उपलब्ध नहीं थे। सेक्षेत्र में गरीबी की इस घूनतम परिभाषा के अनुमार भी 1960-61 में अर्थात् स्वाधीनता-प्राप्ति के 10-12 वर्ष बाद और अर्थात् विकास की पचवर्षीय योजनाओं के पूरा हो जाने के बाद भी देश की 40 प्रतिशत देहाती जनता और 50 प्रतिशत शहरी जनता गरीब थी। इन सभी व्यक्तियों का हिमाचल लगाया जाए तो उनकी संख्या 18 करोड़ से अधिक हो जाती है। 1960-61 में देश के लगभग 43 करोड़ लोगों में से 18 करोड़ लोग गरीब थे, अर्थात् भूले थे।^{1,2}

“गरीबी की यह मात्रा देश के सभी भागों में न समान थी और न है। साधारणता उत्तरी भारत में, अर्थात् पश्चिम, हिमाचल, राजस्थान, उत्तर-प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों में गरीबी कम है। इस प्रदेश की देहाती जनता में गरीबी की मात्रा 20-25% से अधिक नहीं है। इसके विपरीत दक्षिणी भारत में अर्थात् उमिलनाडू, केरल, ग्रान्डप्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्यों की देहाती जनता ने गरीबी की मात्रा 50-60% या उससे भी अधिक है। पूर्वी भारत में, अर्थात् बिहार, उडीता पश्चिमी बगल, असम आदि राज्यों में भी देहाती जनता में गरीबी की मात्रा 40-50% है। देहाती व्यक्तियों में से अधिकतर व्यक्ति रोटी की तलाश में शहरों की ओर आते हैं, इसलिए भारत के विभिन्न प्रदेशों में शहरी जनता में गरीबी की मात्रा भी उसके अनुमार कम या अधिक है।

“रोटी की आशा में यही गरीबी जब शहरों में पहुँच जाती है तब उसका रूप छुएंगा हो जाता है। गन्दी वस्तिया या पुटपाथ पर बैठकर सामने की आलीशान इमारतों की तड़क-भड़क देखने हुए, वही के विलासी-जीवन के सुरों की सुनते हुए, इससे पैदा होने वाली लालसा एवं ईर्ष्या को दबाते हुए या उसका जिवार बन कर यह गरीबी बुरे मार्ग पर चलने लगती है।

“सब 1960-61 में, अर्थात् योजनावन्द विवास की दो पचवर्षीय योजनाओं के पूरे हो जाने के पश्चात् भी देश की 40% देहाती और 50% शहरी जनता इस घूनतम जीवनस्तर की यन्दण में फँसी हुई थी।”²

सब 1960-61 की स्थिति का चित्रण करने के उपरान्त दिल्ली और रथ ने आगामी दस वर्षों के आधिक विकास पर दृष्टि डाली है और दिलाया है कि 1960-61 से 1968-69 तक विकास की गति प्रतिवर्ष 3% से अधिक नहीं होती अर्थात् राष्ट्रीय उत्पादन में प्रतिवर्ष 3% से अधिक वृद्धि नहीं हुई। राष्ट्रीय उत्पादन में इंडि-

1. वही, पृष्ठ 3
2. वही, पृष्ठ 4

की यह गति या दर देश की गरीबी को हटाने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि उत्पादन में वृद्धि के हिसाब से हो या 3% के हिसाब से, जनसंख्या अलग से घटनी स्वतन्त्र गति से बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त विकास योजनाओं में से अनेक उत्पादन कार्यक्रम प्राशानुहूल फनदायी नहीं हुए हैं। दृष्टिकोण एवं रथ ने अपना निष्कर्ष व्यवस्था के अधिभ्यक्त करते हुए लिखा है कि “1960-61 में जिस गरीबी का दैनिक व्यय 50 पैसे था वह 8 वर्षों के उत्तराभ्यास 1968-69 में 52 पैसे हुआ है, यह उस बेचारे के समझे में कैसे आए? और 1960-61 में जिसका दैनिक व्यय 50 पैसे भी नहीं था, जो अधिकर रहता था, उसे यदि कोई आँकड़ों का यह जादू बताकर यह पूछे कि, भरे बाबा बहुत आर्थिक प्रगति हुई है, विकास हो रहा है, हरति कान्ति का नारा बुलाद हुआ है, किर भी तुम इस तरह उदास क्यों हो? क्या तुम यह नहीं जानते कि दस माल पहले तुम 50 प्रतिशत भूखे रहते थे, जबकि अब केवल 48 प्रतिशत ही भूखे रहते हो? तो यह सब उस गरीबी की समझ में कैसे आए? देश की निर्धारण का यह स्वरूप देखने पर ऐसा लगता है कि मानो आर्थिक विकास के चूहे ने पहाड़ खोदना शुरू कर दिया है।”

(ख) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का अध्ययन

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण ने प्रति-व्यक्ति उपभोक्ता व्यय सम्बन्धी आँकड़े सकलित करके देगवासियों के जीवन-स्तर पर और इस प्रकार देश में गरीबी की व्यापकता पर प्रकाश डाला है। इस अध्ययन को सक्षेप में एस. एच. पिटवे ने योजना में प्रकाशित घटने एक लेख में व्यक्त किया है¹—

“राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का अनुमान है कि 1960-61 में प्रति व्यक्ति उपभोक्ता-व्यय 278.8 रु. वार्षिक था। प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय के ये आँकड़े ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों से अलग-अलग उपलब्ध किए गए हैं। 1960-61 में 43.27 करोड़ जनसंख्या में से 35.54 करोड़ जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में और 7.73 करोड़ शहरी क्षेत्र में रहनी थी। अनुमान के अनुमान ग्रामीण जनसंख्या का औपतन प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय 261.2 रु. था और ग्रामीण क्षेत्र की लगभग दो-तिहाई जनसंख्या इस औपतन स्तर से नीचे का जीवन व्यतीत कर रही थी। शहरी जनसंख्या का प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय औपत 359.2 रु. था और ग्रामीण क्षेत्र के समान ही शहरी क्षेत्र की भी दो-तिहाई जनसंख्या इस स्तर से नीचे का जीवन व्यतीत कर रही थी। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के उक्त निम्नस्तरीय उपभोक्ता व्यय ही इस बात के सूचक हैं कि भारत एक अत्यधिक गरीब देश है और जनसंख्या का एक बड़ा भाग निम्न स्तर पर जीवन व्यतीत कर रहा है।

“गरीबी की व्यापकता का यह एक बहुत ही दुखदायी तथ्य है कि 1960-61 में ग्रामीण क्षेत्र के लगभग 2.27 करोड़ व्यक्तियों में प्रति व्यक्ति मासिक व्यय 8 रु.

1. योजना दिनांक 7 मार्च, 1973, पृष्ठ 19—एस. एच. पिटवे का लेख ‘भारतीय गरीबी का विवेचन, रहन-सहन वा स्तर तथा जीवन-यापन की दशा’

से भी कम या अर्बांत् 27 पंसे प्रतिदिन से भी कम । यदि हम पाँचवीं पञ्चवर्षीय योजना की इकाई में निर्धारित गरीबी के न्यूनतम उपभोक्ता व्यय (1960-61 के मूल्यों के अनुमार 20 रु. प्रतिमास और अक्टूबर 1972 के मूल्यों के अनुमार लगभग 40 रु.) को यहाँ लागू करें तो विदित होगा कि 1960-61 में आमीण क्षेत्र के 22.49 करोड व्यक्ति अवधा लगभग 63% जनसंख्या उस स्तर से भी नीचे का जीवन यापन कर रही थी । शहरी क्षेत्र का भी यही हाल था, किन्तु उनकी स्थिति उनकी बदनार नहीं थी । सद् 1960-61 में 8 रु. प्रतिमाह तक अर्बांत् 27 पंसे प्रतिदिन से भी कम खर्च करने वाले व्यक्तियों की संख्या बहाँ 17 लाख अवधा 2.20 प्रतिशत थी । इसे भी यदि गरीबी की परिमापा के उसी परिप्रेक्ष्य से देखें तो विदित होगा कि शहरी क्षेत्र की लगभग 44% जनसंख्या निम्न-स्तर पर यापना युग्मारा कर रही थी । उन व्यक्तियों को जो जनसंख्या के इन गरीब बर्गों तथा आमीण क्षेत्र के लगभग 63% और शहरी क्षेत्र के 44% से अद्वृत्त है, उन्हें यह अत्यन्त आश्वर्यजनका व कल्पनातीत लगेगा कि ये अत्यधिक गरीब लोग इस स्तर पर किस प्रकार अपना जीवन यापन कर रहे होंगे । इनीलिए जब कोई व्यक्ति गरीबी के ये तथ्य जनना के सामने उत्तापन करता है तो कुछ व्यक्ति स्नब्द रह जाते हैं और सम्प्रकृति से उम पर अपना रोष प्रकट करते हैं तथा कुछ लोग तो इस पर विवाद से नहीं कर पाते । फिर भी, इस देश में इस प्रकार गरीबी एक भयावह सत्य है ।”¹

(ग) डॉ. रामाश्रम राय का आर्थिक विषयमता पर अध्ययन

देश में व्याप्त आर्थिक विषयमता का बड़ा विद्वतपूर्ण अध्ययन डॉ रामाश्रम राय (निदेशक, भारतीय सामाजिक अनुसंधान परिषद) ने साप्ताहिक हिन्दुस्तान दिनांक 23 सितम्बर, 1973 में प्रकाशित अपने लेख ‘देश के जिले और विकास के आयाम’ में प्रस्तुत किया है । इम अध्याय के कुछ मुख्य उद्दरण नीचे प्रस्तुत किए जा रहे हैं—

I. समाज के विभिन्न बर्गों, देश की भौगोलिक इकाइयों में सुलभ आर्थिक साधनों एवं सुविधाओं के वितरण के द्वारा यह विषयमता ठीक प्रकार परिलक्षित होती है । यह सर्वमान्य तथ्य है कि भारतीय जनता का जीवन स्तर बहुत ही निम्न है । जहाँ अमेरिका में प्रति व्यक्ति प्राय वा औसत 6000 डॉलर (लगभग 43,000 रु.) है, वहाँ हमारे देश में भाव 100 डॉलर (लगभग 725) है । ऐसी विषयमता की स्थिति में यदि प्राप्त साधनों के वितरण से विषयमता हो तो स्थिति कितनी शोचनीय हो जाएगी, इसकी कल्पना भाव से सिहरन उत्पन्न हो जाएगी ।

साधनों के वितरण की विषयमता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि 1960-61 के मूल्यों के आधार पर आमीण क्षेत्रों में प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति औसत उपभोक्ता व्यय केवल 258.8 रु. भाव था और 1967-68 तक इसमें भाव

1. एस. एच. गिट्टो, दट्टी, पृष्ठ 19-20

10 ह वी बृद्धि हुई जबकि तृतीय पचवर्षीय योजना तथा उसके पश्चात् दो आर्थिक योजनाओं में कुल मिलाकर लगभग 15,000 करोड़ रु देश के विकास पर व्यय किए गए। अप्रौढ़ प्रति व्यक्ति श्रीसतन 300 ह व्यय किए गए। अत स्पष्ट है कि विकास का लाभ सम्प्रभव वर्ग ने उठाया। इसमा एक ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जिनकी आय की मात्रा जिनकी अग्रिम है उनको विकास स्वरूप प्राप्त लाभ में से उतना ही अधिक अश प्राप्त होता है।

2. आर्थिक साधनों एवं सुविधाओं के विकास के साथ मात्र घनहीन एवं धनी वर्ग के अन्तराल में बृद्धि हुई है। ऐसी वात नहीं कि यह विषमता ग्रामीण क्षेत्रों तक ही सीमित हो। शहरी क्षेत्रों में भी इस अन्तराल में व्यापक बृद्धि हुई है। एक और जहाँ प्रालीशान कोठियों का निर्माण हुआ है, जहाँ एक वर्ग अत्यधिक आयुनिक एवं सम्पन्न नजर आ रहा है वहाँ भूखे पेट या आधा पेट खा कर सोने वालों की सूख्या में भी आशातीत बृद्धि हुई है।

3. यदि भौगोलिक इकाइयों के सम्बन्ध में विषमता को सें तो भी बड़े रोचक अतिथ्य सामने आते हैं। देश के सभी राज्यों में लगभग 350 जिले हैं। इनमें 303 जिलों में किए गए सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि केवल 130 जिले ही ऐसे हैं जिन्हें श्रीदोगिक एवं विकास की हट्टि से शीर्षस्थ माना जा सकता है। कुल 134 जिले ऐसे हैं, जिन्हें कृषि-विकास की हट्टि से उच्चकोटि का माना जा सकता है। श्रीदोगिक एवं कृषि-क्षेत्र में विकास की हट्टि से सम्पन्न जिलों की सूख्या मात्र 53 है और श्रीदोगिक हट्टि से सम्बन्धित किन्तु कृषि विकास की हट्टि से उच्चकोटि में रखे जाने वाले जिलों की सूख्या केवल 86 है।

अत स्पष्ट है कि कृषि विकास की प्रक्रिया केवल उग्नी जिलों में चल पाती है, जिनमें श्रीदोगिक विकास द्वारा कृषि विकास में सहायक ढाँचे का निर्माण हो चुका है पर्याप्त श्रीदोगिक हट्टि से विकसित जिलों में ही कृषि-विकास का कार्य होता है। कुछ ऐसे भी जिले हैं जो श्रीदोगिक हट्टि से कम विकसित हैं परन्तु कृषि क्षेत्र में काफी विकसित हैं। लेकिन ऐसे जिले केवल वही हैं जिनके निकटवर्ती जिलों में श्रीदोगिक एवं कृषि विकास हो चुका है और वे निकटवर्ती होने का लाभ उठा रहे हैं। जो जिते आरम्भ से ही आर्थिक विकास की हट्टि से पिछड़े हुए थे उनमें पिछली दोनों दशाविदियों में विकास कम या तो आरम्भ ही नहीं किए गए या बहुत कम किए जा सके हैं। इस प्रकार यह स्टॉट है कि विषमता आर्थिक क्षेत्र में ही नहीं, भौगोलिक-क्षेत्र में भी अव्यापक रूप से घटायी गई है।

4. हम एक प्रथम तरीके से भी इस विषमता को मान सकते हैं कि हम इन 303 जिनों को 6 वर्गों में बांट लें और प्रत्येक वर्ग का 6 विशेषताओं के आधार पर अध्ययन करें। ये 6 वर्ग हो सकते हैं—श्रीदोगिक विकास, आयुस्तरण, कृषि-विकास, आर्थिक विविधता एवं आर्थिक हीनता, प्रचल जनसूख्या तथा सामाजिक पिछडापन। यो चाहे तो अन्य वर्ग भी हो सकते हैं।

प्रथम वर्ग में 58 जिले हैं जिनमें श्रीदोगिक विकास नाममात्र को भी नहीं

हृषा और कृषि-विकास के नाम पर भी इन 58 में से केवल 18 ज़िलों ने थोड़ी-बहुत प्रगति की है। आपुस्तरण की हट्टि से अम-रार्य हेतु मानव-शक्ति का अभाव है, और जो मानव-शक्ति मूलभूत है, वह केवल जिन्हें में ही रोकार खोकती है। जिले के बाहर जाना उसके स्वभाव के विरुद्ध है। सामाजिक हट्टि से इन जिन्होंके निवासी एकत्र हैं।

द्वितीय वर्ग में 54 ज़िले हैं। जिनमें श्रीद्योगिक विकास तो काफी हृषा है, परन्तु कृषि-विकास के नाम पर थोड़ा-बहुत हो कार्य हो पाया है। मानव-सम्पदा भी कम है। किर इनमें से 40% जिन्होंकी अम-शक्ति कार्य की खोज में अन्यथा चर्ची जानी है। सामाजिक हट्टि से पर्याप्त मात्रा में धार्मिक विविधता विद्यनान है और वाफी जिलों में समाज के पिछड़े वर्गों की सल्ला अधिक है।

तृतीय वर्ग में 68 ज़िले हैं, जो कृषि-झेन में वाफी विकसित हैं। इनमें से 30 जिले ऐसे हैं, जो श्रीद्योगिक विकास की हट्टि से बहुत पिछड़े हुए हैं। यहाँ अम-शक्ति पर्याप्त भावा में उपलब्ध है। केवल 4 जिलों को छोड़ कर शेष जिलों के अभिक अपने जिन्हों से अन्य कही नहीं जाते। सामाजिक हट्टि से 23 जिलों में धार्मिक विविधता पाई जाती है और 53 जिन्होंमें पिछड़े वर्ग के व्यक्ति अधिक सरया में हैं।

चतुर्थ वर्ग में 45 ज़िले हैं। यह श्रीद्योगिक विकास की हट्टि से उन्नत हैं, परन्तु 18 जिले कृषि विकास में पिछड़े हुए हैं। 11 जिले ऐसे हैं जहाँ अम-शक्ति का अभाव है, किर भी प्राप्ति से अधिक जिलों में अभिक कार्य की खोज में इवर-उवर चले जाते हैं। सामाजिक हट्टि से धार्मिक विविधता बहुत अधिक पाई जाती है और 19 जिलों में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या अधिक है।

पाँचवीं श्रेणी के 45 जिलों में से 11 जिले श्रीद्योगिक विकास की हट्टि से तथा 5 जिले कृषि-विकास की हट्टि से पिछड़े हुए हैं। इस श्रेणी के अधिकांश जिलों में अम-शक्ति प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और 13 जिलों के केवल थोड़े से अधिक आजीविका की खोज में इवर-उवर जाते हैं। सामाजिक हट्टि से 42 जिन्होंमें धार्मिक विविधिता बहुत अधिक है और 29 जिलों में पिछड़े वर्गों की सल्ला काफी है।

छन्तीम वर्ग में 33 जिले आते हैं। इन सभी जिलों ने श्रीद्योगिक हट्टि से काफी प्रगति की है। कृषि-विकास में भी केवल 2 जिले ही पीछे हैं। अम-शक्ति भी सभी जिलों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन आधिक विकास के बावजूद अभिक आजीविका के लिए अन्य जिलों में जाते रहते हैं। केवल 8 जिलों में धार्मिक विविधता अधिक है और 26 जिलों में पिछड़े वर्गों की सल्ला अधिक है।

आधिक असमर्पित दर्हा तक बढ़ गई है तिसका लिए में इस बात पर चिन्ता प्रकट की जाती है कि देश के जिन्हें हाथों में आधिक शक्ति का सहेत्रण होना जा रहा है। अत्यन्त अल्प-सख्तक वर्ग उत्पादन के जिलों पर एकाधिकार रखे हुए हैं तथा एकाधिकारी-पूँजी का तीव्र विकास होना जा रहा है। नियाजन का एक मूलभूत उद्देश्य देश में व्याप्त आधिक विपरमाप्रो को अधिकाधिक कम करके

समाजवादी हंग में समाज की स्थापना की ओर आये बढ़ना है। हमारे देश में एक ओर तो कुछ प्रतिशत लोग वैभव वा जीवन विता रहे हैं तो दूसरी ओर जनता का अधिकांश भाग अभाव की द्याया में पल रहा है। न उन्हे भोजन की निश्चिवानता है और न आवास की। लाने और तन ढकने की पुरिधा भी देश के करोड़ों लोगों को ढग से उपलब्ध नहीं है। लाखों लोग “फुट-पाथों पर बैदा होने हैं पनपते हैं, मुक्ति, मर जाते हैं।”¹

(घ) भारतीय व्यापार एवं उद्योग मण्डलों के महासंघ हारा किया गया अध्ययन

भारतीय व्यापार एवं उद्योग मण्डलों के महासंघ ने जो अध्ययन विधा तदनुसार अकांडो का जादू कुछ भिन्न बैठता है। इस अध्ययन का सारांश 16 अक्टूबर, 1972 के दैनिक हिन्दुमतात् में निम्नानुसार प्रकाशित हुआ था—

देश में दम व्यक्तियों में से चार से अधिक व्यक्ति गरीबी की निर्धारित सामाजिक सीमा से भी नीचे हैं। वे प्रतिमास देहात के लिए अपेक्षित राष्ट्रीय न्यूनतम राशि 27 रुपये प्रति मास और शहरी के लिए 40·5 रुपये प्रतिमास से भी कम व्यय करते हैं। 1969 के अन्त में कुल 52 करोड़ 95 लाख की जनसंख्या में 21 करोड़ 83 लाख व्यक्ति अर्थात् 41·2 प्रतिशत गरीबी की निर्धारित सीमा से नीचे हैं।

सर्वा की हृषि से उत्तर प्रदेश और विहार में सर्वाधिक गरीब व्यक्ति हैं। उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ 86 लाख व्यक्ति गरीब है। देश के गरीबों का 30 प्रतिशत इन दोनों राज्यों में रहता है। परन्तु प्रतिशत की हृषि से सर्वाधिक गरीब लोग उडीसा में हैं। वहाँ 64·7 प्रतिशत व्यक्ति गरीबी की निर्धारित सीमा से नीचे हैं। इसके पश्चात् अरुणाचल प्रदेश वा स्थान है। वहाँ 57·4 प्रतिशत व्यक्ति गरीबी की सीमा से नीचे हैं। नागार्जुड में 52·9 प्रतिशत व्यक्ति गरीबी की सीमा से नीचे हैं। दम अन्य राज्यों में गरीबी की सीमा से नीचे बाले व्यक्तियों वा प्रतिशत 40 से 50 वे बीच है। अन्य राज्यों वा प्रतिशत इस प्रकार है—ग्राम्यप्रदेश 42·9, असम 40·6, विहार 49·4, जम्मू व कश्मीर 44·6, मध्य प्रदेश 44·9, मणिपुर 42·7 मैसूर (चर्नाटक) 41·3, राजस्थान 45·6, उत्तर प्रदेश 44·8 और तमिलनाडु 40·4। राजधानी दिल्ली में गरीबी का प्रतिशत सबसे कम अर्थात् 12·2 प्रतिशत है। गोप्ता, दमन और दीव का प्रतिशत 14·8 है। प्रति व्यक्ति वार्षिक आय दिल्ली में सर्वाधिक 1,185 रुपये, और जोधपुर, दमन व दीव में 1,130 प्रतिशत है जबकि सम्पूर्ण देश की ओरन प्रति व्यक्ति आय 589 रुपये है। पंजाब व हरियाणा में प्रति व्यक्ति ओरपत आय क्रमशः 1,002 रुपये और 903 रुपये है जबकि वहाँ गरीबी की सीमा के नीचे अपेक्षाकृत दम लोग अर्थात् 20·8 प्रतिशत हैं।

- सी एम चंद्रशेखर (सरकारी मूल्य नगर नियोगक, सेन्ट्रल टाउन एण्ड कंट्री व्हानिंग बायोनाइब्लेशन) से बातों पर आधारित लेख के अनुमार—प्रस्तुतात्त्व पुष्टे पत—साप्ताहिक हिन्दुस्तान, दिनांक 23 नितम्बर, 1973, पृष्ठ 33.

अन्य राज्यों के आँकड़े इस प्रकार हैं—

राज्य	प्रति व्यक्ति वार्षिक आय (रुपये)	गरीबी की सीमा (प्रतिशत में)
गुजरात	746	33.3
हिमाचल प्रदेश	725	34.1
केरल	645	37.9
महाराष्ट्र	739	33.5
त्रिपुरा	680	36.0
पश्चिम बंगाल	705	34.9
अण्डमान व निकोबार द्वीप	800	30.5
दादर व नागर हवेली	792	30.7
चण्डीगढ़	812	29.8
साक्षरी द्वीप	746	32.9
पाञ्चिचेरी	770	31.8

(इ) भारत में गरीबी को 1974-75 में स्थिति

भारत में व्याप्त गरीबी और असमानता के जो विभिन्न अध्ययन ऊपर प्रस्तुत किए गए हैं उनके आँकड़ों में योहा-बहुत अन्तर अवश्य है, लेकिन उनसे इस तथ्य की निविवाद रूप से पुष्टि होनी है कि देश भयावह गरीबी की स्थिति में है। 1960-61 में देश जिस भयानक गरीबी से छस्त था, लगभग उतनी ही भयावह गरीबी से आज भी है। नियोजन का धरिकाँश लाभ सम्बन्ध वर्ग को मिला है, विपक्ष वर्ग को बहुत कम, और लाभ का यह वितरण कुछ इस रूप में हुआ है कि आर्थिक विवरना की खाई पूर्वपिक्षा व्यविक्षिक चौड़ी हो गई है। बेन्द्रीय सरकार के भूत्युवं योजना-राज्य मन्त्री श्री मोहन धरिया ने 1 अगस्त, 1974 को राज्य-सभा में स्वीकार किया था कि भारतीय जनता का हु भाग (प्रयात् 67 प्रतिशत भाग) गरीबी की सीमा-रेखा से नीचे (Below Poverty line) जीवन व्यतीत कर रहा है—यदि 1960-61 के मूल्यों पर 20 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति उपरोक्त की लिया जाए।¹

संयुक्त राष्ट्रसंघ की 3 अगस्त, 1974 की सूचना के अनुसार संयुक्त राष्ट्र महासंचित कुर्त वालद्वीप न भारत की गणना विश्व के 28 निर्धनतम देशों में से है। दैनिक हिन्दुनान, दिनांक 4 अगस्त, 1974 में यह जानता है इस प्रश्न प्रबाधित हुई थी।²

1. The Economic Times, Friday, August 2, 1974—"Two-thirds of India's population was now living below poverty line, taking the monthly per capita a private consumption, of Rs 20 at 1960-61 prices as the standard".
2. हिन्दुनान, 4 अगस्त, 1974, १५५ 4.

"संयुक्तराष्ट्र महासचिव बुर्ट व हैदरीम ने भारत, पाकिस्तान तथा बगालदेश को उन 28 देशों की सूची में रखा है जो खाद्य तथा इंधन की महंगाई से बुरी तरह पीड़ित हैं। डॉ वाल्दहीम ने बताया कि एक ही आर्थिक धरातल पर स्थित ये देश आर्थिक सकट के परिणामस्वरूप उत्तराखण्ड कठिनाइयों का मुश्किला कर रहे हैं।

"24 देशों की जिनका प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय उत्पादन 200 डॉलर से नीचे है तथा चार देशों का 200 से 400 डॉलर के बीच है, सूची संयुक्तराष्ट्र के आपान् सहायता कार्यक्रम में दानदानाओं के सूचनार्थ प्रदान की गई। आईडी 1971 से हैं। संयुक्तराष्ट्र महासचिव ने बताया कि यद्यपि प्रत्यक्ष देश की वास्तविक स्थिति भिन्न है लेकिन विश्वास किया जाता है कि वे सभी गम्भीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं तथा कुछ मामलों में तो स्थिति इन्हीं चिन्ताजनक है कि लोगों को अत्यधिक छीना-झगटी तथा भुखमरी का सामना करना पड़ता है। 24 देश जिनका प्रति व्यक्ति वादिक राष्ट्रीय उत्पादन 200 डॉलर से कम है उनमें केभृत, मध्य अफ्रीका गणराज्य, चांद, इयोविया, केनिया, लेसोथो, मालायासी गणराज्य, माली, मेरिटानिया नाइजर, सिएरालियोन, सोमालिया, सूडान तज्जानिया तथा अपर बोल्टा। ऐशिया में वगनादेश, भारत, समेर गणराज्य, लाओस, पाकिस्तान, श्रीलंका, उत्तरी यमन तथा दक्षिणी यमन।

"चार अतिरिक्त देश जिनका प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय उत्पादन 200 से 400 डॉलर तक है, उनमें सेनेगल, एच साल्वाडोर, गुयाना तथा होन्डुरास हैं।"

गरीबी का मापदण्ड और भारत में गरीबी

गरीबी एक सापेक्षिक चीज़ है। वस्तुतः गरीबी का मापदण्ड देश और काले के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। "1964 में अमेरिका के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए गए एक सरकारी प्रतिवेदन के अनुसार वहाँ के 20 प्रतिशत लोग गरीबी की स्थिति में जीवन-न्यायन कर रहे थे। यदि गरीबी जीने के उसी पैमाने को यहाँ भी लागू किया जाए तो कठिपय व्यक्तियों के अतिरिक्त देश की समूहण जनसंख्या गरीब सिद्ध होगी।" विवरण को अविकृ स्पष्ट हर में लें तो अमेरिका जीते समृद्ध देश में भी गरीबी विद्यमान है। अमेरिकी शासन ने मुहूरत यह निर्वारित किया है कि यदि किसी परिवार की वापिक आय 3,000 डालर से कम है तो उसे 'गरीब' परिवार माना जाएगा। अमेरिका 'प्राविक अवसर' के सघ कार्यालय ने प्रनुमान लगाया है कि 1967 में 'अमेरिका' में कुल 2 करोड़ 20 लाख व्यक्ति गरीबों को थेण्ठी में आते थे। अमेरिका सामाजिक सुरक्षा प्रगतिसंबंधी के अनुमार पांच व्यक्ति वाले एक गरीब सेतिहर परिवार की अनुनतम आवश्यक आय 2,750 डॉलर वापिक अवर्ग संग्रह 21,000 रुपये वापिक आँखी यहै है। यदि इस आईडी को भारत के सम्बद्ध में देखें तो यहीं के इस आय वाले पांच सदस्यीय सेतिहर परिवार को देश के सशब्दिक सम्बन्ध परिवारों की थेण्ठी में रखा जाएगा अर्थात् अमेरिका में गरीबी

1. डॉ के. एन. राज : 'गरीबी और आयोजन', योजना, 22 जिल्हान्वर, 1972.

की जो सीमा रेखा है, भारत में वह अभीरी की सीमा रेखा है।¹ अब स्पष्ट है कि हमें अनन्त देश की विधियों के अनुलेप अपने आँकड़े रखने होंगे, भले ही अधिक्य और कटु लगें।

देश में विगत कुछ वर्षों से गरीबी को मापने हेतु उचित आँकड़े खोजने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके आधार पर देश की गरीबी का आँकड़ा खोजा जा सके और उसका समाधान कृदा जा सके। योजना आयोग ने 'निम्नतम मासिक उपभोक्ता-व्यय की आवश्यकता' के आधार पर प्रतिमान को स्वीकार किया है, और पांचवर्षीय परिवर्त्य योजना के ट्रिटीकोण-पत्र में गरीबी की परिभाषा और समस्या निम्न प्रकार से दी गई है²—

उपभोग के निम्नतम स्तर के रूप में गरीबी के स्तर वो स्पष्ट करना है। चतुर्वर्षीय योजना दस्तावेज में, 1960-61 के मूल्यों के अनुसार 20 रुपये प्रतिमास निजी-उपभोग को बाँधित निम्नतर स्तर माना गया था। बत्तमान (अक्टूबर, 1972) के मूल्यों के अनुसार यह राशि लगभग 40 रुपये होगी। अब गरीबी के उन्मूलन के लिए यह आवश्यक है कि हमारे असरूप देशवासी जो इस समय गरीबी के स्तर से, भी निम्न जीवन-निवाह कर रहे हैं उन्हें ऊपर दर्शाएं गए निम्नतम निजी-उपभोग का स्तर प्राप्त हो सके। समस्या की प्रचण्डता और प्रभावित लोगों की सख्त प्रत्येक क्षेत्र में भिन्न-भिन्न है। परन्तु प्रत्येक क्षेत्र में गरीबी प्रमुख समस्या है।

गरीबी और असमानता के मापदण्ड

गरीबी और असमानता एक सापेक्ष भाव है, जिसका ठीक-ठीक पता लगाना कठिन होता है। किन्तु लोगों के जीविकोपार्जन से सम्बन्धित क्रियाओं का तुलनात्मक अध्ययन करके हम अभीरी और गरीबी के बीच एक सम्भादित सीमा-रेखा खीच सकते हैं। कुल गरीबी सूचक स्तर निम्नलिखित है³—

(1) आप-व्यय स्तर—गरीबी सूचक पहला स्तर आप व्यय पर आधारित होता है। भारत में सर्वाधिक समरन्वय वे माने जा सकते हैं, जिनकी आर्थिक-आय 20,000 रुपये अधिक है, किन्तु अमेरिका में इस आय से बगड़ वाले गरीब समझे जाते हैं, अर्थात् अमेरिका में जो गरीबी की सीमा रेखा है वह हमारे देश में अभीरों की सीमा-रेखा है। दृढ़िकर और रथ के अध्ययन के अनुसार 1960-61 में गरीबों में 50 पैसे और शहरी में 85 पैसे प्रतिदिन प्रति व्यक्ति व्यक्ति व्यय था। उस समय आमीण जनसंख्या की 40% और शहरी जनसंख्या की 50% जनसंख्या गरीबी का जीवन बिता रही थी। 1967-68 के सरकारी आँकड़ों के अनुसार 5% व्यक्ति प्रतिदिन 20 पैसे, 5-10% व्यक्ति प्रतिदिन 27 पैसे और 40-50% व्यक्ति प्रतिदिन के

1. एस एच विटे वही पृष्ठ 19.

2. भारत सरकार योजना आयोग पांचवीं योजना के प्रति दण्डिकोण 1974-79 पृष्ठ 1.

3. जी आर वर्मी ना लेख—'समाजवादी समाज की स्थापना वे निए गरीबी हटाना आवश्यक'—योजना, 22 मार्च, 1973 पृष्ठ 21-22

51 पैसे व्यय करने हैं। यदि प्रति व्यक्ति 20 रुपये मासिक खर्च मानें तो 60% प्रामीण और 40% शहरी जनसम्म्या गरीबी की रक्खा से नीचे आएगी।

(2) उपभोग और पौष्टिकता का स्तर एक स्वस्य व्यक्ति के लिए सामान्यत 2,250 कंलोरी तुराक प्रतिदिन आवश्यक मानी गई है, जिन्हें रिजर्व बैंक के एक अध्ययन, जिसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्रमशः 1100 और 1500 कंलोरी तुराक प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आवश्यक मानी गई है, के अनुसार 1960-61 में गाँवों में 52 जनसम्म्या इससे बहुत भीज्जन पाती थी। सरकारी ग्राफिडों के अनुसार बत्तमान में 70% ग्रामीण जनसम्म्या तुराक के सम्बन्ध में गरीबी में पल रही है तथा शहरी जनसम्म्या का 50 से 60% भाग भोजन प्रोपर्टी की कमी में पलता है।

(3) भूमि-जोत-स्तर—देश की जनसम्म्या का 80 प्रतिशत या 44 करोड़ व्यक्ति गाँवों में बसते हैं, जिनमें से 70 प्रतिशत कृषि पर निर्भर हैं। इनमें 5 एकड़ से बहुत जोत वाले 5 करोड़ 31 लाख या 74 प्रतिशत हैं। 2·5 करोड़ एकड़ से बहुत जोत वाले 4 करोड़ 15 लाख या 58 प्रतिशत हैं और 1 करोड़ 58 लाख या 22 प्रतिशत विलकूल भूमिहीन हैं। इस प्रकार भूमिहीनों से लेकर 5 एकड़ से बहुत जोत वाले 11 करोड़ से भी अधिक लोग हैं, जो ग्रामीण गरीबी की हालत में जीवन विता रहे हैं।

(4) रोजगार-स्तर—सम्पन्न या विकसित देश वे हैं, जहाँ रोजगार-स्तर ऊँचा होता है अबवा उत्पादन के सभी माध्यमों को उनकी योग्यतानुसार रोजगार प्राप्त होता है, जिन्हें भारत में पिछले 25 वर्षों में वेरोजगारी 10 लाख से बढ़कर 45 करोड़ तक पहुँच गई है। इनमें लगभग 23 लाख शिक्षित वेरोजगार हैं। वेरोजगारी और अद्व-वेरोजगार के कारण देश की लगभग 22 करोड़ जनता की आमदनी एक रूपया रोज से भी कम है। विनियोग और रोजगार के अभाव में 70 प्रतिशत श्रोद्योगिक क्षमता बेकार पड़ी है। विनियोग, आय और रोजगार की यदि यही स्थिति रही तो 'गरीबी हटाओ' का स्वप्न 20वीं शताब्दी तक भी साकार नहीं हो सकेगा।

भारत में गरीबी और असमानता के कारण

योजना आयोग ने पौँछवी पचवर्षीय योजना के प्रति हिटकोण 1974-79 में गरीबी के दो मुख्य कारण बतलाते हुए निम्नलिखित टिप्पणी की है—

"गरीबी के दो मुख्य कारण हैं—(1) अपूर्ण विकास तथा (2) असमानता। इन दोनों पक्षों में से किसी एक को कम मानना या उपेक्षा करना उचित नहीं है। अधिकांश जन-प्रमुदाय दैनिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाता। व्योकि प्रयम बहुत बड़ी जनसम्म्या को देखते हुए कुल राष्ट्रीय आय और इस प्रकार कुन उपभोग बहुत ही कम है। द्वितीय इस आय और उपभोग का वितरण एक समान नहीं है। केवल एक ही दिशा में प्रयत्न करने से इस समस्या पर काढ़ नहीं पाया जा सकता। यदि असमानता उतनी ही विकट रही, जितनी कि इस

समय है, तो वास्तविक रूप से परिकलिप्त विकास दर से इस समस्या का समाधान सम्भव नहीं। इसी प्रकार, विकास दर में तीव्र वृद्धि किए विना सम्भावित समतामय नीतियाँ स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं ला सकती। अत व्यापक गरीबी को दूर करने के लिए विकास करना तथा असमानताएँ घटना आवश्यक है।¹¹

गरीबी और असमानता के उपरोक्त प्रमुख कारणों से सम्बद्ध अन्य सहायक कारण भी हैं। संक्षेप में अन्य कारण निम्नलिखित हैं—

(1) यद्यपि पिछले दशक में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन दुगुने से भी अधिक हो गया जिन्हीं इसी अवधि में वस्तुओं के मूल्यों में भी दुगुनी वृद्धि हो गई तथा मूल्यों में वृद्धि की गति शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन से बहुत अधिक है। जनसंख्या में 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष वी दर से वृद्धि होता, जबकि प्रति वर्षता शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में अनुकूल रूप में विशेष वृद्धि न हो पाता देश की आर्थिक अवनति और गरीबी के प्रसार का परिचायक है।

(2) नियोजन के फलस्वरूप जो भी आधिक विकास हुआ है, उस अल्प-वृद्धि का लाभ सम्पन्न वर्ग को अधिक हुआ है अर्थात् सम्पन्नता से वृद्धि हुई है और विषयनता पूर्वपिक्षा अधिक बढ़ी है।

(3) जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए कुल राष्ट्रीय आय और इस प्रकार कुल उपभोग बहुत ही कम है। इसके अतिरिक्त आय और उपभोक्ता वितरण एवं समान नहीं है। व्यावहारिक रूप में आन्तरिक उत्पादन-न्दर में वृद्धि के साथ-साथ जनसंख्या की वृद्धि दर को घटाने के प्रयत्न अधिकांशत असफल ही रहे हैं। चतुर्थ योजनावधि में भी अर्थव्यवस्था का वास्तविक सचालन इसी प्रकार हुआ जिससे आन्तरिक उत्पादन दर काफी घट गई।

(4) पिछले पृष्ठों में दिए गए आँकड़े सिद्ध करते हैं कि देश में ग्रामीण और शहरी दोनों ही जनसंख्या के सभी वर्गों में उपभोक्ता ध्यय में गिरावट हुई है। वास्तव में प्रति वर्षता उपभोक्ता ध्यय ही व्यक्तियों का जीवन स्तर प्रदर्शित करता है। गांवों और शहरों दोनों में ही गरीब वर्ग बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार आय की असमानता में कमी होने की अपेक्षा वृद्धि ही हुई है। दृष्टिकोण एवं रथ के अनुसार अधिक विकास का आधिकरण लाभ ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में उच्च मध्यम श्रेणी तथा आमीर वर्ग को ही हुआ है और नियंत्रण वर्ग को इससे कुछ भी लाभ नहीं हुआ है, बल्कि उनके उपभोग में गिरावट ही हुई है।

(5) प्रति वर्षता भ्रम उपभोग को जीवन निवाह का मापदण्ड लिये जाय और पौष्टिक स्थिति देखी जाय तो भी 1960-61 की अपेक्षाकृत स्थिति बदल दी है। 1960-61 में ग्रामीण क्षेत्र में पौष्टिक न्यूनता ग्रामीण जनसंख्या वा 52 प्रतिशत थी जो बढ़कर 1967-68 में 70 प्रतिशत तक पहुँच गई। इसके पश्चात् भी स्थिति उत्तरोत्तर गिरी ही है। अत स्पष्ट है कि देश की गरीब ग्रामीण जनसंख्या और अपोषण की स्थिति में जीवन निवाह कर रही है।

(6) राष्ट्रीय आय में वृद्धि को बड़ी हुई जनसख्ता वृद्धि सा गई है या वह देश के बड़े-बड़े पूँजीपतियों, व्यापारियों और एकाधिकारियों की जेबों में चली गई है। इसके अतिरिक्त, मूल्य वृद्धि, वेरोजगारी, महगाई और रिश्वतस्रोतों ने जनता की कमर तोड़ डाली है। जरगादन को तहसानों से छिपाकर काला-वाजारी करने, मूल्य वृद्धि करने और मुनाफ़ा कमान की प्रवृत्ति ने विषयता को बढ़ाया है। इसलिए सहकारियाँ, मुरार बाजार और सस्ते मूल्य की दूरानें प्रसकल रही हैं। सम्पत्ति की असमानता और गरीबी को बढ़ाने में हड्डालें, तालाबद्धी, धेराव आदि की घटनाएँ भी सहायक रही हैं।

(7) साधनों का अभाव भी गरीबी और असमानता को बढ़ाने में सहायक रहा है। योजना बनाते समय साधन एकत्र करने के सम्बन्ध में बढ़ा-चढ़ा कर अनुमान लगाए जाते हैं और अनेक प्रशासकीय तथा राजनीतिक बाधाओं का ध्यान नहीं रखा जाता है। परिणामस्वरूप प्रस्तावित कार्यक्रमों का एक भाग कार्यान्वित नहीं हो पाता और जो कार्यक्रम लागू होते भी है, उनका वह प्रभाव और परिणाम नहीं हो पाता जो अधिक नियन्त्रित और सतकं हृष्टिकोण स्पन्दन से होता।

(8) पूँजी और भू स्वामित्व में अन्तर आर्थिक विषयता का एक प्रमुख कारण है। अधिक भूमि और पूँजी बालों को दिना विशेष परिश्रम किए ही लगान, च्याज, लाभ आदि के रूप में आय प्राप्त होती है और उनकी आय भी काफ़ी अच्छी होती है। भारत में जमीदारी-प्रथा के उन्मूलन से पूर्व कृपक-क्षेत्र में घोर विषय वितरण था। जमीदारी-प्रथा के उन्मूलन के पश्चात् नता और पूँजीपति नए जमीदार और भू पति बन गए हैं, जिनमें से अधिकांश का कार्य है रफ़या उचार देना, ढटकर च्याज लेना और निर्धनों का शोषण करना। औद्योगिक क्षेत्र में भी हम देखते हैं कि देश के प्रमुख उद्योगों पर कतिपय लोगों का ही एकाधिकार है, जो प्रतिवर्ष करोड़ों रुपयों का लाभ अर्जित करते हैं।

(9) आर्थिक विषयता का द्वितीय प्रमुख कारण उत्तराधिकार है। प्रायः धनिक पुत्र, उसकी सम्पत्ति विना किसी परिश्रम के उत्तराधिकार में प्राप्त कर लेते हैं और धनी बन जाते हैं। इस प्रकार, उत्तराधिकार के माध्यम से, आय की विषयता फलती-फूलती आती है। दूसरी ओर निर्धन बच्चों को न तो समुचित शिक्षा ही मिल पाती है और न ही उनके लिए कमाई के लाभकारी उत्पादन-क्षेत्र ही सुलभ होते हैं।

(10) आर्थिक विषयता का एक बड़ा कारण धनी व्यक्तियों की बचत-समता का अधिक होना है। उनकी आय प्रायः इतनी अधिक होती है कि आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात् भी उनके पास पर्याप्त धन बचा रहता है। धनिकों की यह बचत आर्थिक विषयता को बढ़ाती है। यह बचत विभिन्न उत्पाद-क्षेत्रों में पूँजी का रूप धारण करती है तथा किंगड़, च्याज या लाभ के रूप में आय को और अधिक बढ़ाती है। दूसरी ओर निर्धन शोषण की चक्री में विसर्ते रहते हैं, अत उनकी बचत-समता नगण्य होती है।

(11) आर्थिक शोषण की प्रवृत्ति आर्थिक विषयन का प्रबल कारण है। श्रमिकों की सौदा करने की शक्ति कम होने के कारण आर्थिक शोषण की प्रवृत्ति का प्रादुर्भाव हुआ और पूँजीपति इसी कारण उनको उनकी सीमन्त उत्पादकता से कम मज़हूरी देहर उनका आर्थिक शोषण करते हैं। फलस्वरूप पूँजीपतियों का लाभ दिन प्रतिदिन बढ़ता है जबकि श्रमिकों की स्थिति प्राय दीनहीन (विशेषकर अद्विक्षित समाजों में) बनी रहती है। इस प्रकार आर्थिक असमानता निरन्तर बढ़ती जाती है।

गरीबी एवं असमानता को दूर अथवा कम करने के उपाय

भारत सरकार देश की गरीबी घोर आर्थिक विषयन को दूर करने के लिए कृत मन्त्र है। श्रीमती गाँधी ने भारतीय गरीबी की तस्वीर बो पहचाना है और 'गरीबी हटाओ' का सकलन लिया है। भारतीय इतिहास में अपने डग का यह पहला और महत्वपूर्ण सकलन है और इसी नारे को साकार बनाने के लिए सरकार एक के बाद एक कदम उठा रही है तथा पांचवीं पञ्चर्णीय योजना को इसी रूप में ढानने की प्रयत्न किया गया है कि वह गरीबी और असमानता को दूर करने वाली तथा देश को आत्म निर्भरता की सीढ़ियों पर चढ़ाने वाली सिद्ध हो। गरीबी और असमानता को मिटाने अथवा यथासाध्य कार्य करने के स्वप्न बो साकार बनाने हेतु ही भारत सरकार ने 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। राजा महाराजाओं को दिया जाने वाला मुपावजा प्रीवीर्स बन्द किया है। भूमि की अधिकतम ज्ञोन सीमा तथा गंगरी सम्पत्ति-निर्धारण के कान्तिकारी बदलों पर सत्रिय विचार हो रहा है और कुछ दिशाओं में आवश्यक कदम भी उठाए गए हैं। पांचवीं योजना 'गरीबी हटाओ' के उद्देश्य को लेकर चली है। आर्थिक सत्ता के केन्द्रीकरण को नीकने हेतु सरकार ने विभिन्न कदम उठाए हैं—जैसे श्रीनोगिक लाइमेंट नीति में समुक्ति समरोधन करना जमावोरी और कालेबाजारी के विषद्ध कठोर वैधानिक कदम उठाना रिजर्व बैंक द्वारा देश के बैंकों की '50 बड़े खातों' पर सतर्क हृषिक रखने के आदेश देना आदि।

गरीबी और असमानता को कम करने की दिशा में निम्नलिखित प्रपेक्षित कदमों को उठाना आवश्यक है—

1. निजी-सम्पत्ति की सीमा कठोरतापूर्वक निर्धारित कर दी जाए। ऐसे कानून बना दिया जाए ताकि भूमि, नकद पूँजी मकान आदि के रूप में एक सीमा से अधिक सम्पत्ति कोई नहीं रख सके। विषयन का भूत प्राधार ही निजी सम्पत्ति का स्वामित्व है अन इसी सीमा रेखा निर्धारित करना अनिवार्य है।

2. इस प्रकार के वैधानिक उपाय किए जिनसे निजी सम्पत्ति के उत्तराधिकार और सम्पत्ति अन्तरण की प्रथा समाप्त हो जाए अथवा वैद्वित रूप से सीमित हो जाए। यह उपयुक्त है कि उत्तराधिकार में सम्पत्ति प्राप्त करने वालों पर भारी उत्तराधिकार कर लगा दिया जाए। धनिकों पर ऊँची दर से मृत्यु कर लगाया जाए। सम्पत्ति अन्तरण पर भेट कर लगा दिया जाए ताकि किसी भी धनिक छाता अपनी सम्पत्ति अन्य के नाम अन्तरित करते समय उपे कुछ अश सरकार बो देता पड़े।

3. यद्यपि वर्तमान दर्नीति समाजवादी समाज को स्थापना की दिशा में सहयोगी है, तथापि यह अपेक्षित है कि धनिकों पर अधिकाधिक कठोरतापूर्वक आरोही कर लगाए जाएँ। दूसरी ओर निधनी को करों में अधिकाधिक छूट दी जाए, लेकिन उद्देश्य तक निष्फल हो जाएगा यदि बसूली ठीक ढण से न की गई।

4. यद्यपि सरकार एकाधिकारी प्रवृत्ति पर नियन्त्रण के लिए प्रयत्नशील है, तथापि अपेक्षित है कि विना किसी हिचक के कठोर एकाधिकार विरोधी कानून लागू किया जाए और मूल्य-संविधयों को रोका जाए। जो ददम उठाए जा चुके हैं उन्हें इस हृष्टि से अधिकाधिक प्रभावी बनाया जाए जिससे धनी व्यक्ति एकाधिकार-मुट का निर्माण न कर सकें। यह उपाय भी विवारणीय है कि सरकार एकाधिकारी द्वारा उत्पादित वस्तु का प्रधिकरण मूल्य निर्धारित करे।

5. विभिन्न साधनों के अधिकरण मूल्य निर्धारण की नीति द्वारा आय की असमानताएँ कम की जा सकती हैं। इस नीति का क्रियान्वयन प्रभावी ढण से होन पर आय की असमानताओं का कम होना निश्चित है। लेकिन साय ही, इस नीति से उत्पन्न समस्याओं के नियन्त्रण के प्रति सजग रहना भी आवश्यक है।

6. आय और सम्पत्ति की विपरीता को कम करने हेतु अनाजित आयों पर अत्यधिक उच्च दर से प्रगतिशील करारोपण आवश्यक है। भूमि के मूल्यों में दृढ़ि प्रथम लगान से प्राप्त आय, आकस्मिक व्यावसायिक लाभ, काला बाजारी से प्राप्त आय, एकाधिकारी लाभ, आदि पर अत्यधिक ऊँची दर से कर लगाया जाना चाहिए।

7. सरकार को निजी-सम्पत्ति का राष्ट्रीयकरण करके आय विपरीता का नियन्त्रण करना चाहिए। लेकिन यह उगाय एक बड़ा उप्र-अस्त्र है, जिसे भारत जैसे अद्वै-विकसित और रुदिवादी समाज के अनुकूल नहीं कहा जा सकता। इस बात का भय है कि इस उप्र उपाय से देश में व्यावसायिक उच्चम वो भारी आधात पहुँचे। भारत वी सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियाँ निजी सम्पत्ति के राष्ट्रीयकरण के प्रतिकूल हैं।

8. सामाजिक सुरक्षा-सेवाओं का विस्तार किया जाए। यद्यपि सरकार इस दिशा में प्रयत्नशील है, तथापि कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी रूप में लागू करना अपेक्षित है। वेरोजगारी, बीमारी वृद्धावस्था, दुर्घटना और मृत्यु—इन सरकारी का सर्वाधिक दुष्यभाव निधन वर्ग पर ही पड़ना है, अत इनसे सुरक्षा हेतु सरकार वो विस्तृत सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वित करनी चाहिए ताकि निधनों की आय में वृद्धि हो सके।

9. यह भी कहा जाता है कि सरकार को निधन-वर्गों को कार्य की गारण्टी देनी चाहिए। सरकार वो रोजगार-वृद्धि की प्रभावशाली योजना कर यह निश्चित करना चाहिए कि वेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध हो और यदि वह सम्भव न हो तो न्यूनतम जीवन स्तर निर्वाह करने हेतु उन्हें अनिवार्य आर्थिक-सहायता सुलभ हो सके।

10 सरकार कानूनी रूप से अधिक सम्बान्धोत्तरति पर नियन्त्रण लगाए। वह निश्चिन कर देना उत्तमुक्त होगा कि तीन बच्चों से अधिक सम्बान्ध करना कानूनी अपराध माना जाएगा। परिवार नियोजन के बायंक्रम में जिधिलता-विन्दुओं को दूर करने की प्रभावी चेष्टा की जाए।

11. उत्पादन-वृद्धि दर और सार्वजनिक निजी क्षेत्रों की बचत-दर असम्बन्धित है, अत उसमें वृद्धि करने के हर सम्भव उपाय किए जाएं और यदि इस दृष्टि से कट्टु प्रोर अप्रिय साधनों का प्रयोग करना पड़, तो उसमें भी हिचक न की जाए।

12. ठोग कार्यक्रमों को लागू किया जाए। विकास की रोडमार बहुल पर्दों जैसे छोटी तिचाई योजनाएं भू सरकण, कानूनी विकास, दुर्घ-उद्योग और पशुपालन, बन-उद्योग, मत्स्य-उद्योग गोदाम व्यवस्था परान, कृषि आधारित उद्योगों समेत लघु-उद्योग, सड़कों, तथा अन्य विशेष-कार्यक्रमों पर अधिकाधिक बल दिया जाए। दौड़ेकर एव रथ के प्रनुमार "उन समस्त व्यक्तियों को जो कार्य करने को तैयार हैं, तत्काल शुरू हो सकने वाले कामों में धूनतम मजदूरी देकर लगा दिया जाए जैसे भूमि-विकास, कृषि, बन-वृद्धि, सड़क-निर्माण आदि।

13. नैतिकता और न्याय की माँग करते हुए दौड़ेकर एव रथ ने गरीबी हटाने की दिशा में समाज के समृद्ध वर्गों से त्याग की माँग की है। उनके प्रनुमार समाज के समृद्ध वर्गों को जो आज उस धूनतम स्तर से वहीं अधिक ऊंचे स्तर पर जीवनयापन कर रहे हैं, जिसका हम आज गरीबों को आश्वासन देना चाहते हैं इस कार्यक्रम का बोझ उठाना ही बड़ेगा। गांव और शहर की जनसत्त्वा वे समृद्ध वर्ग में से पहले 5/- लोगों के प्रतिदिन के व्यय में 15/- की कटौती तथा उससे बाद के (कम समृद्ध) 5/- लोगों के प्रतिदिन के व्यय में 7½/- कटौती कर देने से ही कम चल जाएगा। यह बोझ बड़ा नहीं है, बजते कि अमीर लोग इसाफ और वृद्धि से काम लें। साथ ही आवश्यक विनीय-उपाय भी करने होंगे ताकि उन अमीरों से आवश्यक आधिक साधन प्राप्त किए जा सकें।

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रनि हृष्टिकोण में गरीबी और असमानता को दूर या कम करने सम्बन्धी नीति

देश की पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रमों में गरीबी उगमूलन और असमानताओं में कमी के सन्दर्भ में कुछ नीति सम्बन्धी पहलुओं का उल्लेख 'पाँचवीं योजना के प्रनि हृष्टिकोण 1974-79' में निम्नलिखित दिए गए हैं—

1. असमानताओं में कमी—व्यापक गरीबी उगमूलन हेतु आवश्यक है कि विकास उससे प्रधिक दर पर किया जाए जिस पर उस वर्ष के दोरान हुआ है। यह भी पर्याप्त नहीं है। चतुर्थ योजना के दस्तावेज में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि यदि उपमोग स्तर में उसी प्रकार असमानता बनी रही, जो कि 1967-68 में थी, तो 1969-70 से 1980-81 की अवधि के लिए विकास के उच्चतर की जो कल्पना की गई है, उसके बावजूद 1968-69 के मूल्यों के अनुसार जनसत्त्वा के दूसरे गरीब

दर्शाया का प्रति व्यक्ति उपभोग 27 रुपये प्रतिमास होगा। यदि 1960-61 के मूल्यों के अनुमार, उपभोग-स्तर 15 रुपये प्रति मास होगा। इस प्रकार, एक दशक तक तीव्र विकास करने पर भी दूसरे दर्शाया को 1960-61 के मूल्यों के अनुमार 20 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति मास उपभोग का स्तर प्राप्त करना सम्भव न होगा, जो निम्नतम वौद्धिक उपभोग का स्तर माना गया था। अत स्पष्ट है कि विकासोन्मुख नीति में पुनर्वितरण के उपाय भी दिए गए हो। इसके लिए न केवल उच्च-दर से आयोजन की आवश्यकता है, बल्कि उस विशेष वस्तु, जिस समाज के नियंत्रण वर्ग चाहते हैं, की उत्पादन वृद्धि भी आवश्यक है। इस प्रकार वौद्धिक विकास बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने की नीति का अनुमरण कर किया जा सकता है। इससे जन-उपभोग के समान और सेवाओं की आवश्यकता बढ़ी रहेगी। सामाजिक उपभोग और विनियोजन में वृद्धि भी आवश्यक है। जिससे वृहद जन-समुदाय की कुशलता और उत्पादकता का स्तर बढ़ा रहे तथा उनके जीवन-स्तर में भी सुधार हो। सामाजिक उपभोग रोजगार उत्पन्न करने वाले इन कार्यक्रमों को तंयार करते समय यह ज़रूरी है कि पिछड़े क्षेत्रों और जातियों को उच्च प्राथमिकता प्रदान की जाए। बास्तव में, जो असमानता कम करने के लिए बनाए जाने वाले किसी भी कार्यक्रम की नीति का आवश्यक पहलू यह होता चाहिए कि वे पिछड़े क्षेत्रों और जातियों पर विशेष रूप से कार्यान्वित हो। अत विकास के उचित स्वरूप की परिभाषा में केवल वस्तुएं और सेवाएं ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि विकास की परिभाषा में यह भी निश्चित किया जाना चाहिए कि तुलनात्मक रूप से पिछड़े क्षेत्रों और जातियों को वृद्धिशील उत्पादन और बढ़ती आय में उचित भाग प्राप्त होगा।

2 जनसंख्या वृद्धि को रोकना—निरन्तर जनसंख्या वृद्धि हो रही है। जनसंख्या का इस प्रकार बढ़ना गरीबी उन्मूलन के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। इसका आन्तरिक बचत पर कुप्रभाव पड़ता है और विकास हेतु जातक है। इसके अतिरिक्त, विकास प्रक्रिया पर कुप्रभाव पड़े बिना नहीं रहता, क्योंकि जीवन-निवाह के लिए वौद्धिक आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन पर अधिक ध्यान दता पड़ता है। राष्ट्रीय आय वृद्धि की किसी विशेष दर के अनुसार जितनी अधिक जनसंख्या बढ़ती उतनी ही प्रति व्यक्ति आय घटती जाएगी। इन सभी कारणों से, गरीबी-उन्मूलन के लिए यह आवश्यक है कि जनसंख्या की वृद्धि को ठीक ढंग से रोका जाए। अतः परिवार-नियोजन कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं की सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने की आवश्यकता है ताकि इस प्रकार की व्यवस्था की जा सके जो सुखद भविष्य का सकेत देता है। पांचवीं दरबारी योजना में परिवार-नियोजन कार्यक्रम के लिए विषयाल राशि अर्थात् 500 करोड़ रुपये रखे गए हैं। इससे प्रभावी कार्यक्रम आसानी से चलाया जा सकता है।

3 गरीबी उन्मूलन—भारत में गरीबी की समस्या बहुत व्यापक तथा जटिल है। अनः इसका किसी एक योजनावधि में समाधान करना सम्भव नहीं परन्तु वर्तमान परिस्थिति हमें इस बात के लिए मजबूर करती है कि पांचवीं योजना को

इस प्रकार का गोड़ दिया जाए साकि गरीबी-उम्मूलन की प्रक्रिया में तेजी साई जा सके और जनता की आर्थिकाश्रों की पूर्ति हो सके। ऐसी परिस्थितियों में जबकि मानवीय समाजनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा है, यदि शायोजना और कार्यान्वयन ठीक आधार पर चलाना है तो विकास दर और उत्पन्न के अनुमार अधिक समानता प्राप्त करना दोनों अन्योन्याधिन हैं। हाँगृहे, दस्तावेज में दी गई प्रस्तावित विकास दर व प्रणाली विकास प्रक्रिया को विदेशी सहायता की निर्भरता से मुक्ति, अधिक बारार और समेकित जनसंस्था पर धत, रोजगार के अवसरों पर बल, निम्नतम आवश्यकताओं के राष्ट्रीय कार्यक्रम की व्यवस्था, पिछड़े वर्गों की उन्नति और पिछड़े होनो का विकास और सांवर्जनिक वस्तुली तथा बैटवारे की पढ़ति की इस प्रकार व्यवस्था की गई जिसमें गरीब जनता को अन्योन्याधिन नीति-तत्त्वों के स्वयं में आवश्यक सामग्री उचित एवं स्थिर मूल्यों पर आप्त हो सके। निश्चित अवधि में गरीबी उम्मूलन करना पांचवीं योजना की मुख्य कार्य नीति है।

4 गरीबी-उम्मूलन की दिशालता को व्यान में रखना आवश्यक है। जब तक कठिनय जनों की पूर्ति नहीं की जानी तब तक योजना चाहे वित्ती भी अच्छी हो देग अपना उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकता। सबसे बड़ी आवश्यकता दृढ़ स्वावलम्बन की भावना से कृपि, फैक्टरी और कार्यालय में कार्य करने की है। जीवन और कार्यक्रम के सभी क्षेत्रों में सामाजिक अनुजासन बनाए रखना भी आवश्यक है। इसके लिए बलिदान करना पड़ेगा। विशेषज्ञ उन व्यक्तियों को जो अच्छी स्थिति में हैं। इन मामलों पर काफी अनुचेनता पंदा हो चुकी है और गरीबों की चुनौती का समाना करने के लिए प्रत्येक नागरिक को अपना प्रोग्राम करना पड़ेगा। सम्बन्धित वाघांशों को देखने हुए काफी वर्षों से कार्य करना होगा। शताविंश्यों पुरानी गरीबी को दूर करना कोई आसान काम नहीं है। अब राष्ट्र को सुनिश्चित कार्यवाही हारा, अपने सबल्प की पूर्ति हेतु तत्पर हो जाना चाहिए।

बीस-सूबी आर्थिक कार्यक्रम और गरीबी पर प्रहार

26 जून, 1975 को राष्ट्रीय आपाद् वी उद्घोषणा के तुरन्त बाद 1 जुलाई, 1975 को प्रधान मन्त्री श्रीमन्नी गांधी द्वारा बीस-सूबी आर्थिक कार्यक्रम घोषित किए जाने से पूर्व तक भारत की गरीब जनता निराशा में डूबी रही और गरीबी का कुचल अपने पांच पसारता रहा। लेकिन नवीन आर्थिक कार्यक्रम लागू किए जाने के पश्चात् एक समतापूर्ण नवीन समाज की रचना और गरीबी उम्मूलन की दिशा में एक बैंक बाद एक कठोर, किन्तु रचनात्मक, कदम उठाए गए और कुछ ही महीनों में भारत वे पिछड़े और गरीब वर्ग में यह आशा बस गई कि समझदृष्टि उनके द्वारे दिन निरूप भविष्य में समाप्त हो जाएगे, वे निधनता का कुचक्क सौड़ने में सफल हो सकेंगे। देश में व्याप्त गरीबी को समाप्त कर देना कोई एक दिन का अध्यक्ष महीनों की बात नहीं है, इसके लिए दैर्घ्यपूर्वक वर्षों तक निरन्तर प्रयात करने होंगे। प्रयात पहले भी किए गए थे लेकिन उनमें दम नहीं था, प्रशासनिक विधिलता और समाज के धनिक वर्ग के शोषण का बोलबाला था। लेकिन 1975

भारत में गरीबी और अममानता

के उत्तरार्द्ध से अनुशासन और जागृति का नया बातावरण बनाने और फलस्वरूप सरकार के कानूनों को ठोस रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। भारत की वर्तमान स्थिति में गरीबी हटाने का प्रमुख रूप से यह अर्थ है कि गांधी के गरीब लोगों, विजेपकर भूमिहीन मजदूरों, छोटे और सीमान्त-विसानों तथा गांधी के काशीगढ़ की स्थिति सुधारी जाए। इसीलिए प्रधान मन्त्री ने नए आर्थिक कार्यक्रम में और अपने विभिन्न भाषणों में इन बातों पर जोर दिया है—भूमि के कागजात स्थानीय लोगों के सहयोग से तेजार इए जाए, जोत की अधिकतम सीमा बाबून का परियासन दिया जाए, भूमिहीनों को आवास हेतु स्थान दिए जाए, रूपि के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतनों पर पुन विचार किया जाए, जामीरदारी प्रथा के अन्तर्गत बन्धक मजदूरों की प्रथा समाप्त की जाए, गांधी में महाजनों के लिए छहण की अदायगी में कूट दी जाए, आदि। इन सभी बातों पर जोर देन का अर्थ यही है कि गांधी में सामाजिक और आर्थिक शक्तियाँ सुविधाहीन बर्गों के हित में अधिकाधिक कायं करने लगे।

श्रीमती गांधी के कार्यक्रम को साकार रूप देने हेतु न केवल सरकारी मशीनरी, बल्कि समाज की रचनात्मक शक्तियाँ पूर्णरूप में सक्रिय हो उठी हैं। निजी-क्षेत्र को जमाखोरी, कालाबाजारी और सरचना आदि समाज विरोधी प्रवृत्तियों से मुक्त करने हेतु बठोर कानून बनाए गए हैं। आर्थिक अपराधों के लिए कठोर दण्ड की व्यवस्था भी की गई है। तस्करी की कमर तोड़ दी गई है। बेकार भूमि के स्वामित्व को और बजें की सीमा को निश्चित कर देने के लिए तथा जाहगी और शहरीकरण के बोग्य भूमि को सार्वजनिक-सम्पत्ति बनाने के हेतु बानूनी व्यवस्था की जा रही है। औद्योगिक शान्ति की स्थापना कर प्रत्येक दिशा में औद्योगिक उत्पादन तीव्रता से बढ़ाया जा रहा है ताकि राष्ट्रीय आय में बढ़ि के साथ-साथ प्रति व्यक्ति आय भी तेजी से बढ़े और व्यक्ति गरीबी के न्यूनतम स्तर से ऊंचा उठे। राज्यों में भूमि सुधार सम्बन्धी कायक्रमों पर तेजी से अमल किया जा रहा है प्रतिरक्त भूमि को भूमिहीन लोगों को देने के लिए सक्रिय रूप में कार्यवाही की जा रही है। अदिम जाति के लोगों को अपने घरेलू जमीनों के स्वामित्व के अधिकार दिए जा रहे हैं। भूमिहीन प्रोट कमजोर बर्गों को भवन निर्माण हेतु भूमि दी जा रही है। ग्रामीण भजदूरों का शोपण रोकने के लिए सभी प्रकार की बन्धुप्रा मजदूरी कानून समाप्त कर दी गई है। न्यूनतम मजदूरियों में सशोधन किया गया है प्रोट ग्रामीण थेनों में “सहूलियत-न्यौनतम, न्यौनतम-सहूलियत-न्यौनतम-उठाए जाए हैं। साहूलियतों के शोपणकारी छहणों पर पाबन्दी लगा दी गई है तथा सहूलियत छहण सम्बन्धी की भजवृत्त किया जा रहा है। ग्रामीण काशीगढ़ों और सीमान्त कृषकों की छहण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण बंडों का जाल बिछाया जा रहा है। ये सब कार्यवाहियाँ बोरी कामजो नहीं हैं, व्यवहार पे बठोरतापूर्वक इन बदमों को अमल में लाया जा रहा है फलस्वरूप, सुपरिणाम भी सामने आने लगे हैं। यही कारण है कि देश में उदासीनता और बेवसी का बातावरण अब विश्वास और पवके इरादे की लहर में बदल रहा है।

• भारत में आर्यिक नियोजन

प्रधान मन्त्री का आर्यिक वार्षिक हृग्रामे चिर-प्रभिलापित लक्षणों को प्राप्ति की दिशा में प्रयत्न है। यदि इसे सही ढंग से कार्यान्वित किया गया तो उससे भारत के विशाल जन और भौतिक साधनों का उपयोग राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास कार्यों में हो सकेगा। प्रधान मन्त्री का कहना है कि समृद्धि पाने का कोई छोटा रास्ता नहीं है। उन्होंने बताया है कि केवल एक ही जादू है जो गरीबी दूर कर सकता है, वह है, वही मेहनत जिसके साथ जहरी है—दूर-दृष्टि, पक्षा-इरादा और कड़ा अनुशासन। प्रधान मन्त्री ने एक कार्यश्रम तैयार किया है जिससे समग्र राष्ट्र एवं सूच में आवद्ध हो सकता है भले ही राजनीतिक विचारधारा मिल वयों न हो। यह सन्देश बड़ा स्पष्ट और बलगाली है। उनका आह्वान है कि सभी देशभक्त भारतीय देश को शोपण और अभाव से मुक्त करने हेतु मिलजुल कर कार्य करें।

10

भारत में वेरोजगारी-समस्या का स्वरूप तथा बैंकहिपक रोजगार नीतियाँ

(The Nature of Unemployment Problem and
Alternative Employment-Policies in India)

भारत एक विकासमान द्वितीय देश है जहाँ वेरोजगारी का स्वरूप ग्रीष्मीयिक दृष्टि से विकसित देशों की ओरेक्षा भिन्न है। देश में काफी बड़ी साहस्र में अधिक और शिक्षित वेरोजगार हैं यद्यपि अल्प-रोजगार की स्थिति में है। ऐसे अधिकों की समस्या में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है, जो वर्ष के बुद्ध महीनों में तो कार्यरत होते हैं और शेष महीनों में वेकार रहते हैं। भारत में वेरोजगारी की समस्या इतनी विकराल बन चुकी है कि उससे हमारा सम्पूर्ण अर्थ तन्न बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। समाजवादी समाज की स्थापना के लिए, लोगों के जीवन स्तर को ऊचा उठाने के लिए, देश की वहमुखी प्रगति और समृद्धि के लिए वेरोजगारी की समस्या के प्रभावी हल ढूँढ़ना भारत के लिए निःसदै है। एक आवश्यक शर्त और गम्भीर चुनौती है। इस और पूरा-पूरा ध्यान दिया जाना परमावश्यक है, तथा समस्या का विनाशनक पहलू यह है कि अब तक किए गए प्रयत्न वेरोजगारी की बढ़ती फैज पर अकुश नहीं लगा सके हैं। बुद्ध दृष्टियों से सफलता मिली है, पर कुल मिलाकर वह लगभग निष्प्रभावी ही मानी जानी चाहिए क्योंकि प्रत्येक योजना के अन्त में वेरोजगारों की कुल समस्या पूर्वावेक्षा अधिक ही मिलती है।

भारत में वेरोजगारी का स्वरूप और किसमें

(Nature and Types of Unemployment in India)

भारत में वेरोजगारी के कई रूप हैं। इनमें खुली वेरोजगारी, अर्थात् वेरोजगारी, ग्रामीण अल्प-रोजगारी, शिक्षित वर्ग की वेरोजगारी, ग्रीष्मीयिक-क्षेत्र में वेरोजगारी आदि प्रमुख हैं। इन्हें दो मोटे वर्गों में रखा जा सकता है—ग्रामीण वेरोजगारी एवं शहरी वेरोजगारी। भारत में वेरोजगारी के जो विभिन्न रूप उपलब्ध हैं, वे कृषि प्रधान अद्वैत-विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में प्रायः देखने को मिलते हैं।

सरचनात्मक वेरोजगारी (Structural Unemployment)—भारत में वेरोजगारी का विशेष पहलू यह है, कि यह वेरोजगारी 'सरचनात्मक' (Structural)

किम्म की है अर्थात् इसका सम्बन्ध देश के पिछड़े ग्राहिक ढाँचे के साथ है। इसीलिए यह वेरोजगारी दीर्घकालिक प्रकृति (Chronic Nature) की है। अर्थात् भारत में श्रमिकों की सहाया की अव्यवस्था रोजगार के अवनर अथवा रोजगार-मात्रा न के बल बहुत कम है वरन् यह कभी देश की पिछड़ी अर्थव्यवस्था से सम्बद्ध भी है। पूँजी निर्माण दर बहुत नीची होने से रोजगार-मात्रा का कम पाया जाना स्पष्टात्मक है। इस दीर्घकालिक प्रकृति की वेरोजगारी का हल यही है कि देश का तेजी से ग्राहिक विकास किया जाए।

छिपी या प्रचुरत वेरोजगारी (Disguised Unemployment)—भारत में वेरोजगारी के इस रूप से श्रमिकों का बड़ा भाग प्रभावित है। यह वेरोजगारी मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। ऊपर से तो ऐसा लगता है कि व्यक्ति काप्रत है किन्तु बास्तव में वे वेरोजगार होते हैं अर्थात् कार्यरत रहने के बावहूद उनसे उत्पादन में कोई व्यापक योगदान नहीं मिलता। प्रो नक्से के मतानुसार अर्द्ध-विरसित अर्थव्यवस्थाओं में कृषि क्षेत्र में सलग्न ग्रधिकारी श्रमिक ऐसे होते हैं जिन्हे यदि कृषिकार्य से हटा लिया जाए तो कृषि उत्पादन में कोई कमी नहीं होगी। ग्राहिक हृषिक से ऐसे श्रमिकों को वेरोजगार ही कहा जाएगा, क्योंकि यह उत्पादन-कार्य में कोई योग नहीं देते अथवा इनका सीमान्त उत्पादन शून्य होता है। त्रौंकि ऊपर से देखने पर ये श्रमिक काम में लगे होते हैं किन्तु बास्तव में उत्पादन राय में कोई योग न देते से ये वेरोजगार होते हैं। इसीलिए इनकी वेरोजगारी को 'प्रचुरत वेरोजगारी' कहा जाता है। ऐसी वेरोजगारी के सम्बन्ध में यह कहना बहुत कठिन होता है कि कितने व्यक्ति इस रूप में वेरोजगारी के शिकार हैं।

अन्य-रोजगार (Under-employment)—वेरोजगारी का 'अल्प रोजगारी' स्वरूप भी देश में पाया जाता है। इसके अन्तर्गत ने भगिक आने हैं जिन्हे थोड़ा बहुत काम मिलता है और वे थोड़ा बहुत उत्पादन में योगदान भी देने हैं, किन्तु जिन्हे वस्तुतः अपनी क्षमतानुसार कार्य नहीं मिलता अथवा पूरा कार्य नहीं मिलता। ये श्रमिक उत्पादन में अपना कुछ न कुछ योगदान तो करते हैं, लेकिन उतना नहीं कर पाते जिनना कि वे वस्तुतः कर सकते हैं। वेरोजगारी का यह रूप भी एक प्रकार से प्रचुरत वेरोजगारी का हो एक अंग है।

मौसमी वेरोजगारी (Seasonal Unemployment)—वेरोजगारी वा यह स्परूप भी मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में ही देखने को मिलता है। कृषि में सलग्न ग्रधिकारी श्रमिक ऐसे होते हैं, जिन्हें वर्ष के कुछ महीनों में काम उपलब्ध नहीं होता। ये श्रमिक वर्ष के कुछ मौसम में तो पूर्णरूप से कार्य में व्यस्त रहते हैं और कुछ मौसम में विलकून वेरोजगार हो जाते हैं। साथ ही कृषि छोटकर दूसरे काम की तलाश में बाहर भी नहीं जा पाते।

खुली वेरोजगारी (Open Unemployment)—इसका अनिप्राय ऐसी वेरोजगारी से है जिसमें श्रमिकों को कोई रोजगार नहीं मिलता, वे पूर्ण रूप से वेरोजगार रहते हैं। गाँवों से अनेक व्यक्ति रोजगार की तलाश में शहरों में जाते हैं, लेकिन कार्य न मिल पाने के कारण वेरोजगार पढ़े रहते हैं।

शिक्षित वेरोजगारी (Educated Unemployment)—शिक्षा के प्रसार के साथ मात्र इस प्रकार की वेरोजगारी का कुछ वर्षों में अधिक प्रसार होने लगा है। शिक्षित व्यक्तियों या श्रमिकों की आर्य के प्रति प्रत्पाणाएँ प्रलग्म मी होती है और वे विशेष प्रकार के कार्यों के योग्य भी होने हैं। शिक्षित वेरोजगारों में अधिकांश ऐसे हैं जो अल्प रोजगार की स्थिति में हैं और विशाल सख्त्या में ऐसे हैं जो खुली वेरोजगारी की अवसरा में हैं। शिक्षित वेरोजगार अधिकतर शहरों में पाए जाते हैं। शिक्षित ग्रामीण भी रोजगार की सलाश में प्रायः शहरों में ही भटकते रहते हैं।

वेरोजगारी की माप (Measurement of Unemployment)

भारत में वेरोजगारी के विभिन्न प्रकारों को देखते हुए प्रश्न उठता है कि वेरोजगारी की कौन सी किस्म में कितने वेरोजगार हैं अथवा देश में कुल वेरोजगारों की सम्पूर्ण अवस्था कितनी है? लेकिन इस प्रश्न का उत्तर सरल नहीं है क्योंकि देश में वेरोजगारी की उचित माप असम्भव सी है। हमारे यहाँ वेरोजगारी की कुछ इस प्रकार की है कि अभी तक ठीक ढग में डमकी माप नहीं की जा सकी है और डम सम्बन्ध में उपस्थित विभिन्न कठिनाइयों को देखते हुए ही 1971 की जनगणना में वेरोजगारों के आगमन का कार्य बन्द कर दिया गया है। दार्तेवाला समिति की 1970 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार देश में वेरोजगारी के सम्बन्ध में जो भी अनुमान लगाए गए हैं वे अविश्वसनीय हैं और समुचित अवधारणाओं तथा विधियों के सहारे नहीं लगाए गए हैं।

भारत में कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न वेरोजगारी को मापना एक वहत ही कठिन समस्या है क्योंकि इस क्षेत्र का एक लगाना लगभग असम्भव ही है कि कृषि क्षेत्र में कितने व्यक्तियों की वस्तुत आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त देश में कृषि मौसम पर निर्भर है और काम काज मौसम के अनुसार चलता है अर्थात् वर्ष के कुछ भाग में अत्यधिक श्रमिकों की आवश्यकता है तो कुछ भाग में बहुत कम। अत जो श्रमिक किसी एक समय में उत्पादन-हष्टि से बहुत आवश्यक होते हैं वे किसी दूसरे समय में गेर जहरी वा जाने हैं। यह भी एक बड़ी कठिनाई है कि ग्रामीण वेरोजगारी के सम्बन्ध में सही आंकड़ों का अभाव है। शहरी वेरोजगारी के सम्बन्ध में भी आंकड़ों का अभाव है जो आंकड़े उपलब्ध हैं वे रोजगार कार्यालयों द्वारा तैयार किए गए हैं। इन कार्यालयों में मुख्यतः शहरी लोग ही अपना नाम दर्ज कराते हैं और वह भी प्रायः कम सख्त्या म। देश में वेरोजगार व्यक्तियों के लिए इन कार्यालयों में नाम दर्ज कराना अनिवार्य नहीं है, अत विशाल सख्त्या में लोग अपना नाम इन कार्यालयों में दर्ज नहीं करवते। एक अध्ययन के अनुसार, भारत में लगभग 25% वेरोजगार हो—और वे भी शहरी—इन कार्यालयों में अपना नाम दर्ज कराते हैं। अधिकांश व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो वार्यरत तो होते हैं लेकिन वेरोजगारों की सूची में अपना नाम इसलिए दर्ज करा देते हैं कि उन्हें पधिक अच्छी नौकरी का अवसर मिल सके। सक्षेप में वेरोजगारी की माप सम्बन्धी विषय कठिनाइयों के परिणामस्वरूप ही देश में वेरोजगारी के सम्बन्ध में अधिक अनुमान उपलब्ध नहीं है और जो योड़े बहुत हैं उनमें भी परस्पर बहुत अन्तर है।

भारत में बेरोजगारी के अनुमान (Estimates of Unemployment in India)

यद्यपि बेरोजगारी के बारे में विश्वस्त अनुमान और आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं, तथापि इसमें संदेह नहीं कि देश के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में बहुत अधिक सूख्या में श्रमिक और जिक्षित व्यक्ति बेरोजगार हैं। दैनिकाला समिति के जो भी विचार रहे हों, लेकिन ये विचार अम शाजार में विद्यमान परिस्थितियों पर आधारित नहीं हैं और इस निष्पत्ति से बहुत कम लोगों की सहमति होगी कि 'ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या गम्भीर नहीं है।' बेरोजगारी के सम्बन्ध में सही अनुमान न होते हुए भी इप तथ्य पर पूर्णत विश्वास किया जा सकता है कि पचवर्षीय योजनाएँ बेरोजगारी-मामाधान का उद्देश्य प्राप्त करने में असमर्थ रही हैं। इसके विपरीत, अत्येक उत्तरोत्तर योजना के साथ बेरोजगारों की सूख्या में बढ़ोत्तरी होती गई है। एक अध्ययन के अनुसार, प्रथम योजना के अन्त तक कुल अम शक्ति में से केवल 2.9% व्यक्ति बेरोजगार थे, तृतीय योजना के अन्त तक बेरोजगारी की मात्रा बढ़कर 4.5% हो गई और मात्र, 1969 तक यह 9.6% के ग्राम्चर्योजनक आँकड़े तक पहुँच गई।¹ चतुर्थ योजना के प्रारम्भ में ही लगभग 100 लाख व्यक्ति बेरोजगार थे और यह अनुमान था कि चतुर्थ योजना के द्वारा लगभग 230 लाख नए श्रमिक अम-शाजार में प्रवेश कर जाएंगे। अत नीकरियां प्राप्त करने वालों की सूख्या 330 लाख हो जाएगी। नौकरियों की इस मांग के विरुद्ध, 185 से सेकर 190 लाख तक नीकरियां कायम की जाएंगी, जिनमें से 140 लाख गैर-कृषि क्षेत्र में और 43 से 50 लाख कृषि-क्षेत्र में होगी। चतुर्थ योजना के अन्त पर 140 लाख बेरोजगार व्यक्ति शेष रह जान की सम्भावना व्यक्त की गई।

भावनी समिति की रिपोर्ट मई, 1973 में प्रकाशित, तथ्यों के अनुसार सन् 1971 में देश में बेरोजगार व्यक्तियों की सूख्या लगभग 187 लाख थी। इनमें से 90 लाख तो ऐपे व्यक्ति थे जिनके पास कोई रोजगार नहीं था और 97 लाख ऐसे थे, जिनके पास 14 घण्टे प्रति सप्ताह का कार्य उपलब्ध था और जिन्हें बेरोजगार ही माना जा सकता था। इनमें से 161 लाख बेरोजगार व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों से थे और 26 लाख शहरी क्षेत्रों से। कुल अम-शक्ति के प्रतिशत के रूप में बेरोजगार व्यक्तियों की मात्रा 10.4 प्रतिशत थी। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की मात्रा 10.9 / और नगरीय क्षेत्रों में 8.1 / थी। यह विवरण निम्नलिखित सारणी में स्पष्ट है—

1971 में भारत में बेरोजगार श्रमिक

(लाखों में)

मद	कुल	ग्रामीण	नगरीय
कुल बेरोजगार व्यक्तियों की सूख्या	187	161	26
कुल अम शक्ति	1803.7	1483.7	320
बेरोजगार अम शक्ति के प्रतिशत रूप में	10.4	10.9	8.1

1. छद्मत एवं सुन्दरम् : भारतीय अध्यवस्था, पृष्ठ 643.

अन्तर्राष्ट्रीय थम-थम (I L O) के एगिंग सम्बन्धी एक सर्वेक्षण के अनुसार, भारत में 1962 में 90 प्रतिशत वेरोजगारी विद्यमान थी, किन्तु 1972 में कुल थम शक्ति के अनुपात के रूप में 11 प्रतिशत व्यक्ति वेरोजगार थे। यह स्पष्ट है कि अन्तर्राष्ट्रीय थम-थम का यह अनुसार भगवती समिति के अनुमान के अनुरूप ही है।

जहाँ तक शिक्षण वर्ग में वेरोजगारों की सरूप्या का सम्बन्ध है एक अध्ययन के अनुसार, 1951 में यह सरूप्या लगभग 24 लाख थी, जो 1972 में 32.8 लाख हो गई पर्याप्त। इसमें 13 गुना से भी अधिक बढ़ि हुई। 1970-72 के बीच शिक्षित वेरोजगारों की सरूप्या में लगभग 14.6 लाख की तीव्र बढ़ि हुई।

पचवर्षीय योजनाओं के दौरान रोजगार-विनियोग अनुपात

रिजब बैंक के विनियोग और रोजगार के अनुमान के अनुसार प्रथम योजना के दौरान एक नई नोकरी कायम करने के लिए औसतन 5,854 रुपये का विनियोग करना पड़ा और द्वितीय योजना में एक अतिरिक्त नोकरी कायम करने के लिए 7,031 रुपये का विनियोग करना पड़ा। तृतीय योजना में एक अतिरिक्त नोकरी कायम करने के लिए औसतन 6,939 रुपये का विनियोग हुआ। प्रथम तीन योजनाओं के 15 वर्षों में कुल 315 लाख नई नोकरियाँ कायम की गईं जिनमें से 225 लाख अर्धे लगभग 72% गैर-कृषि क्षेत्र में कायम की गई। प्रथम तीन पचवर्षीय योजनाओं के दौरान रोजगार और विनियोग का यह चित्र निम्नलिखित सारणी रोपण है¹—

पचवर्षीय योजनाओं के दौरान रोजगार और विनियोग

मद	प्रथम योजना	द्वितीय योजना	तृतीय योजना
1 स्थापित अतिरिक्त रोजगार (लाखों में)			
(क) गैर-कृषि क्षेत्र	55	65	105
(ख) कृषि क्षेत्र	15	35	40
कुल (क+ख)	70	100	145
2 कुल विनियोग (करोड रुपये)	3,360	6,750	11,370
3 1960-61 के यूरोपीय पर विनियोग, का सूचकांक	82	96	118
4 1960-61 के मूल्यों पर विनियोग (करोड रुपये)	4,098	7,031	10,062
5 रोजगार विनियोग अनुपात	1,5854	1,7031	1,6939

1 रिजब बैंक ऑफ इण्डिया बुलेटिन, दिसम्बर, 1969—छद्दत एवं मुद्रारम् से उदयृत, पृष्ठ 646

भारत में ग्रामीण बेरोजगारी (Rural Unemployment in India)

भारत में ग्रामीण बेरोजगारी के सम्बन्ध में तथ्य न तो स्पष्ट है और न यथार्थ ही। ग्रामीण बेरोजगारी के सम्बन्ध में रहस्य अब भी बना हुआ है परन्तु कई बातें अब विलकूल स्पष्ट हो गई हैं—

(क) परम्परागत अर्थ में इतनी बेरोजगारी नहीं है जितनी यि हम कलना करते हैं। सम्भवत हम ऐसी परिस्थिति में हो जबकि बेरोजगारी तो कम हो परन्तु रोजगार में आमदानी का स्तर बहुत निम्न हो।

(ख) परम्परागत बेरोजगारी और गरीबी सम्भवत इतने घनिष्ठ हृषि में सम्बद्ध न हो जैसाकि विशुद्ध तात्कालिक हृषि से लगता है—यह एक ऐसी सम्भावना है जिसके सत्य होने की स्थिति में बहुत दूर्घामी परिणाम हो सकते हैं।

(ग) ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रोजगार और बेरोजगारी के स्वरूप वी तह में जाने और छान-बीन करने की आवश्यकता अब भी बनी हुई है और हमें यह मान कर चलना होगा कि हम इस समस्या को मात्र 'धम शक्ति' की धारणा से, चाहे वह कितनी ही परिष्कृत हो नहीं सुलभा सकेंगे।

रोजगार सूचना योजनाएँ

ग्रामीण बेरोजगारी के सम्बन्ध में छान बीन तो जारी है परन्तु सरकार ने ग्रामीण रोजगार के लिए अनेक योजनाएँ चालू की हैं, जिनमें से निम्नलिखित अधिक महत्वपूर्ण हैं—

1. ग्रामीण रोजगार योजना—यह योजना 1971-72 में एक तीन वर्षीय योजना के रूप में आरम्भ की गई थी। इस योजना का उद्देश्य धम-प्रधान परियोजनाएँ चलाकर देश के प्रत्येक जिले में रोजगार के नए अवसर पैदा करना और स्थानीय विकास योजनाओं के माध्यम से टिकाऊ परिस्पत्तियाँ पैदा करना है। योजना आरम्भ करते समय इसका लक्ष्य प्रत्येक जिले में प्रति वर्ष 300 दिनों के लिए कम से कम एक हजार व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने वा था। देश में कुल 355 जिले हैं और इस प्रकार 3,55,000 लोगों को 300 दिनों के लिए अर्थात् 10,65,00,000 जन दिनों का रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया। योजना को पूर्णतया केन्द्रीय क्षेत्र योजना का रूप दिया गया और इसके लिए 50 करोड़ रु की राशि क प्रावधान रखा गया।

ग्रामीण रोजगार योजना, जो 1971-72 में एक तीन वर्षीय योजना के रूप में प्रारम्भ की गई, काफी प्रभावशाली सिद्ध हुई। 1973-74 तक की प्रगति का व्यौरा निम्न सारणी से स्पष्ट है—

1. योवना—22 मार्च, 1973—‘बेरोजगारी’ पर व्यावहारिक अर्थिक बन्दुक्यान की राष्ट्रीय परिषद् के निदेशक थी आई जैड अटटी का सेव।
2. कुश्केत्र—वर्षेत, 1974—‘ग्रामीण रोजगार योजना’ पर थी ती सी दाढ़े ना सेव।

निधि का आवटन व्यय और रोजगार

वर्ष	निधि का आवटन (लाख ह र में)	दी गई राशि (लाख र में)	किया गया वास्तविक व्यय (लाख र में)	पंदा रिया गया रोजगार (लाख जन दिनो में)
1971-72	5 000 00	3 373 43	3,116 08	789 66
1972-73	4 885 00	4 711 395 (बाद म 5 040 745 हो गया)	5,339 57	1322 51
1973-74	4 745 55 (30 9 73 तक)	1 595 74	976 13	256 31

ग्रामीण रोजगार की प्रभावशाली योजना से सेवीय कावड़तांगों का ग्रामीण विकास के लिए सामुदायिक विकास कायकों के अन्यगत बेरोजगार जन शक्ति का उचित उपयोग करने तथा उहे उत्पादन और निर्माणात्मक कार्यों में लगाने की दिशा में सफल अनुभव हुआ है। असम मेधालय, तमिलनाडु वेरल आन्ध्र प्रदेश गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के 40 से अधिक ज़िलों का पथवेदाण यही सिद्ध करता है कि ग्रामीण रोजगार योजना काफी सफल रही है और इसे समाप्त न करके अधिक प्रभावी रूप में अगे भी जारी रखा जाहिए।

2 छोटे किसानों की विकास एजेंसी—इस योजना का लक्ष्य थोड़ी सहायता देकर छोटे किसानों को अपने पैरों पर खड़ा होने के योग्य बनाना है। छोटे किसानों के अन्तर्गत वे किसान आते हैं जिनके पास 2.5 से 3 एकड़ सिंचित (या सिचाइ के योग्य) या 7.5 एकड़ तक असिचित भूमि है। यह सहायता प्राप्तानों या करण के रूप में हाती है ताकि विसान नए बीजों और खादों का पूरा पूरा लाभ उठा सकें।¹

3 सीमान्त कृषक और कृषि अभियंता एजेंसी—इस योजना के भी बही लक्ष्य हैं जो छोटे किसानों की विकास एजेंसी के हैं। अन्तर केवल इतना है कि यह योजना छोटे किसानों की विकास एजेंसी के अन्तर्गत न आने वाले छोटे किसानों और कृषि अभियों के लिए है। इसलिए यह छोटे किसानों की विकास एजेंसी की पूरक है। ग्रामीण कार्यों के माध्यम से कृषि अभियों को अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराना और छोटे किसानों को उसी प्रवार करण प्राप्तान तथा आविक सहायता उपलब्ध कराना जिस प्रकार वे छोटे किसानों की विकास एजेंसी के अन्तर्गत उपलब्ध कराई जाती है इस योजना का लक्ष्य है।²

1 योजना दिनांक 22 मार्च 1973—‘बेरोजगारी पर आई जैड चट्टी (व्यावहारिक आविक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिपद्ध के निश्चय)’ पा. लेख पृष्ठ 6

2 यही, पृष्ठ 6

4 सूखाप्रस्त क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम—ग्रामीण कार्यक्रम नामक योजना के लिए यह नदा नाम है, जो 54 सूखाप्रस्त जिलों तक सीमित है। इस योजना का लक्ष्य 'उत्पादन प्रधान' ऐसे निर्माण-कार्यों को हाथ ऐलेना है जिनमें अम-प्रवान हक्कनीकी का प्रयोग हो, ताकि सूखे के कारण पैदा होने वाली कमी की भीषणता बोकम हिया जा सके।¹

उपरोक्त विभिन्न रोजगार-सृजन-योजनाएँ काफी उपयोगी सिद्ध हुई हैं। व्यावहारिक आधिक अनुबान की राष्ट्रीय परिषद् के निदेशक श्री आर्द्ध जैड भट्टी ने 22 मार्च, 1973 के योजना-ग्रन्थ म तक प्रस्तुत किया है कि यदि हम परम्परागत वेरोजगारी के स्थान पर रोजगार की प्रभावशालिता पर विचार करें तो ग्रामीण वेरोजगारी सम्बन्धी रहस्य वाकी माना तक लुप्त हो जाएगा और हम गरीबी की समस्या से भी अधिक अवृद्धी तरह निपटने में समर्थ होगे। उपचार की हाईट से हम स्वयं उत्पादन के सृजन पर उतना बल नहीं देंगे जितना कि समाधि के विकास पर। उपरोक्त सरकारी योजनाओं में ध्यान दोनों ही तरफ हैं, तथापि समाधियों का विकास बहस्तुत इनमें गोल महत्व रखता है। श्री भट्टी के अनुमार गांवों की गरीबी की समस्या का सभी दण्ड हमें इस बात के लिए प्रेरित करे कि हम समाधियों के विकास और तकाल ही सम्भापक ढाँचे के विकास पर अपना ध्यान कन्द्रित करे। इसके लिए नीति सम्बन्धी कुछ क्रियार्थी परिवर्तन करने होंगे।

ग्रामीण वेरोजगारी को दूर करने के उपाय

ग्रामीण वेरोजगारी को दूर करने और ग्रामीण जन-शक्ति जा समुचित उपयोग करने के लिए सरकारी क्षेत्र में योजनाओं द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों के अन्तर्गत सघन कृषि-कार्यों में मजदूरों का उपयोग करना, निर्माण-मुद्रिताओं की बढ़ता, गांवों में लजु और ग्राम्य उद्योगों को बढ़ावित करना आदि अनेक कार्य समिलित हैं। सरकार की यह नीति रही है कि जहाँ तक हो सके मानव-अम-अमना का पूर्ण उपयोग किया जाए तथा आधुनिक मनोनो और यन्त्रों का उपयोग केवल उन्हीं क्षेत्रों में किया जाए जहाँ मानव-अम विकास-कार्यक्रमों को पूरा करने में समर्थ न हो। लेकिन इन सभी बातों के बावजूद ग्रामीण वेरोजगारी कम होने के स्वातं पर ही है। अत आवश्यक है कि पूरी ग्रामीण शक्ति का उचित उपयोग करने के लिए विशाल धैर्यने पर कार्य किए जाएं। इसके लिए कुछ उपयोगी सुझाव निम्नलिखित हैं—

1. ग्राम-पचायतों के अन्तर्गत जो विभिन्न कर्यक्रम (नालियाँ खुदवाना, तालाब खुदवाना, सड़कें बनाना, छोटे-छोटे पुल बांधना, भवन निर्माण करना आदि) चल रहे हैं उन्हें अधिक व्यापक स्तर पर और अधिक प्रभावी रूप में आगे भी जारी रखा जाए।

2. पचायतों को सौरे गए कार्यों के अतिरिक्त स्थायी रूप से चलने वाले ग्राम्य रोजगार-साधन भी गांवों में प्रारम्भ किए जाने चाहिए तथा इनके लिए

1. बही, पृष्ठ 7.

सेवा-सहकारी संस्थाओं को उत्तरदायी बनाया जाए। देश का समस्त ग्रामीण क्षेत्र सेवा-सहकारी संस्थाओं से सम्बद्ध है। उनका उपयोग कृषि-कृषण वितरण के लिए तो किया ही जाता है, किन्तु इनके अनिरिक्त ग्रामीण उद्योगों-जैसे पशुपालन, दुध व्यवसाय, मछली-पालन, मुर्गीपालन, टोकरी बनाना, सावुन बनाना, मिट्टी के बतन बनाना, बुनकर उद्योग, लुहारी, सुनारी, आदि के लिए साख की पूर्ति तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। इन ग्रामीण उद्योगों एवं व्यवसायों का व्यापक रूप से विस्तार किया जाए। अधिक से अधिक ग्रामीण जन-शक्ति का स्थापी उपयोग उन्हें इन उद्योगों में लगाकर ही किया जा सकता है। इससे गांव में रोजगार के अवसरों के साथ ही उत्पादन में भी वृद्धि होगी।

3. सहकारी संयुक्त कृषि समिति या सामूहिक सहकारी कृषि समिति, मछली पालन समिति, विचाई समिति, श्रम-निर्माण समिति, औद्योगिक एवं बुनकर समिति आदि की स्थापना अलग से भी गाँवों में करना उपयोगी है। इन समितियों द्वारा गाँवों में रोजगार की व्यवस्था की जा सकती है।

4. गाँवों के 10 से 18 वर्ष तक के बच्चों को इस प्रकार के काम देने चाहिए, जिन्हें वे अपने विद्या-अध्ययन करने के साथ-साथ कर सक। इससे उन्हें और उनके परिवार को अतिरिक्त आय प्राप्त हो सकेगी। पाठशाला भवन की सफाई, उमसी मरम्मत, उमसे फूँकों का बाग लगाना, गाँव में मन्दिरों तथा पचायत घर आदि के आस-पास बाग बगीचा लगाना, मिट्टी के लिनौने बनाना, काष्ठ की वस्तुएँ एवं लिलौने बनाना, कढाई, ड्लाइन, सिलाई, कटाई, महिला एवं बच्चों के बचत खोलना, पाठशाला में सहकारी उपभोक्ता भण्डार खोलना एवं उसका सचालन करना आदि अनेक कार्य हैं, जो विद्याध्ययन के साथ-साथ किए जा सकते हैं।

5. भूमि के चक्रबन्धी-कार्यक्रम को तेजी से अमल में लाया जाए ताकि किसान उसमें कुम्भा बनाकर डीजल-इजन या बिजली की मोटर से सिचाई कर सके। सिचाई की व्यवस्था होने से किसान वर्ष में दो या तीन कफल तैयार करके अपने बेकार समय का पूरा उपयोग कर सकें। साथ ही, एक जगह सारी भूमि इकट्ठी होने से भूमि की देखभाल भी अच्छी तरह हो सकेगी।

6. सरकार जूहण प्रणाली को मुगम बनाए। सरकार ने कृषि की उन्नति के लिए जूहण व्यवस्था तो की है परन्तु उसकी विधि इतनी पेचीदा, उलझनपूर्ण और जटिल है कि साधारण कृषक 6 माह तक अथक् परिश्रम करने के पश्चात् भी जूहण प्राप्त नहीं कर सकता। अतः सरकार को चाहिए कि जूहण स्वीकार करने की विधि को अधिक सरल बनाया जाए। प्रत्येक पचायत स्तर पर एक ऐप्सा चलता-फिरता कार्यालय बनाया जाए जो निश्चित तिथि पर गाँव में जाए और पटवारी, ग्राम सेवक तथा सहकारी समितियों से आवश्यक सूचना एकत्रित करके जूहण उसी स्थान पर स्वीकार करे। किसान को उसकी जमीन सम्बन्धी जानकारी के लिए पास दूक दी जाए, जिसमें जूहण, यदि कोई लिया हो, सो वह भी लिखा जाए।

7. शिल्पी वर्ग जिसमें लुहार, खाती, बुनकर, चर्मकार आदि सम्मिलित हैं,

बहुत दयनीय अवस्था में है। इस वर्ग के लोगों के अपने धने बन्द होने जा रहे हैं फलस्वरूप ये लोग शहरों में जाकर नौकरी की तलाश में भटकते फिरते हैं या गांवों में रहकर अपना निर्वाह बड़ी ही दुष्पद स्थिति में करते हैं यद्यपि आवश्यक है कि इस वर्ग के लोगों को उचित ट्रेनिंग देकर उनकी अपनी सहकारी समितियाँ बनवाई जाएँ तथा उनके धनधो का आधुनिकीकरण करन में उन्हें धन और आवश्यक साज़-सामान की सुविधा दी जाए।

8 जो ग्राम शहरों के पास स्थित हैं, जहाँ आवागमन के साधन सुलभ हैं, वहाँ मुर्गी पालन और डेरी उद्योग को प्रो-माहून दिया जाना चाहिए। भारत सरकार द्वारा यठित भगवती समिति ने भी अपनी सिफारिश में यह मुम्भाव दिया था।

शिक्षित बेरोजगारी (Educated Unemployment)

भारत जैसे अर्द्ध विकसित किन्तु विकासशील देश में जहाँ $\frac{3}{4}$ जनमत्या अशिक्षित है, सामान्य लिखन पढ़ने वाले व्यक्ति वो भी शिक्षित कहा जा सकता है। लेकिन शिक्षित बेरोजगारी के अन्तर्गत वे ही व्यक्ति माने जाएँगे जिन्होंने कम से कम मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करली हो। भारत में अधिकांश शिक्षित व्यक्ति बेरोजगारी के किन्तु किसी रूप से वीडिंग है। सरकार के पास इतने साधन नहीं हैं कि वह अल्पवाल में सभी शिक्षितों को अथवा शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार या पर्याप्त बेकारी भर्ता आदि दे सके। उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार 1972 में लगभग 32.8 लाख शिक्षित बेरोजगार थे। 1970 में सगभग 6.3 हजार हजार शिक्षित बेरोजगार थे। कुछ वर्षों पूर्व प्रकाशित पुस्तक 'भारत में प्रशिक्षितों की बेरोजगारी' में यह बताया गया है कि मार्च 1970 में 34.5 लाख शिक्षित व्यक्ति रोजगार वी तलाश में थे जिनकी संख्या मार्च 1971 तक 44.4 लाख हो गई अर्थात् 1 वर्ष में 22.2 प्रतिशत की वृद्धि हो गई। इस पुस्तक के अन्तिम अध्याय में चेतावनी देते हुए लिखा गया है, 'हमारे शिक्षित युवकों में बढ़ती हुई बेरोजगारी हमारे राष्ट्रीय स्थायित्व के लिए जबरदस्त खतरा है। उसे रोकने के लिए यदि समयोचित बदल नहीं उठाया गया तो भारी उथल पुथल का अन्दशा है।'

शिक्षित बेरोजगारी को दूर करने के उपाय

देश में शिक्षित बेरोजगारों को समस्या को दूर करने के लिए सरकार यद्यपि विभिन्न तरीकों से प्रयत्नशील है, तथापि निम्नलिखित मुम्भाव दिए जा सकते हैं—

1. देश में शिक्षित व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर सब तक नहीं बढ़ सकते जब तक कि द्रुत औद्योगिक विकास नहीं हो। यद्यपि सरकार औद्योगिक विकास के लिए संचेष्ट है, लेकिन उच्च स्तर के कराधान की नीति इस भार्ग में एक बड़ी बाधा है। अधिक कराधान से बचत वो प्रोत्साहन नहीं निलंता और जब तक

1. योजना, 22 मार्च, 1972 जी सी जायनवाल का सेवा शिक्षित बेरोजगारों वी समस्या राष्ट्रीय स्थायित्व के लिए खतरा है?" पृष्ठ 18

बचत नहीं होगी तथा उमका उनित विनियोग नहीं होगा, तब तक रोजगार नहीं बड़ेगा। अतः आवश्यक है कि कराधान दर को कम करके श्रीयोगिक विकास को प्रोत्साहन दिया जाए।

2. देश में उत्पादन-क्षमता का हाल ही के वर्षों में हास हुआ है। उत्पादन क्षमता तो विद्यमान है, लेकिन विभिन्न कारणों से उसका पूरा उपयोग नहीं हो पाता। साथ ही, उसमें उदाधीनना की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है। अत इस प्रकार के उपाय किए जाने चाहिए कि उत्पादन क्षमता के अनुमार पूरा उत्पादन हो सके ताकि अतिरिक्त रोजगार के अवसर उत्पन्न हो। देश में अनेक ऐसे श्रीयोगिक सम्पादन हैं जिनमें पूर्ण उत्पादन नहीं हो रहा है। सार्वजनिक-क्षेत्र इस रोग का सबसे बुरा शिकार है।

3. देश में लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास अपेक्षित गति से नहीं हो पा रहा है, जबकि इन उद्योगों की रोजगार-देय-क्षमता काफी अधिक होती है। जापान जैसे देश में लघु उद्योगों में लगभग 70 प्रतिशत लोगों को रोजगार मिलता है तो भारत जैसे विशाल देश में, जहाँ इन उद्योगों के प्रमाण की गुणादाश है, बहुत बड़े प्रतिशत में रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं।

4. इलैक्ट्रोनिक उद्योग का विकास भारत के लिए नया है। यदि इसका विस्तार किया जाए तो हजारों इंजीनियरों या डिप्लोमा होल्डरों को रोजगार मिल सकता है।

5. तकनीकी विशेषज्ञों के लिए सेवा-क्षेत्र, रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान कर सकता है। वर्तमान में ट्रॉजिस्टरों, डीजन-डजनों, वाहनों, रैफिजरेटरों आदि क्षेत्रों में उपयुक्त सेवा एवं सुधार की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। अत इस सेवा-क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

6. रोजगार की हड्डि से बनो का समुचित प्रयोग नहीं किया जाता है। अन्य राज्यों को चाहिए कि वे भी पश्चिमी वगाल राज्य के समान धन्यगहन प्रशिक्षण, जानी जानी वृद्धी की खोज, पशुगालन एवं चिकित्सा जैसे कार्यों को प्रोत्साहन देवर शिक्षित व्यक्तियों के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्रदान वरे।

7. सरकार सभी शिक्षित लोगों को न तो नौकरी प्रदान कर सकती है और न ही वेरोजगारी का भत्ता दे सकती है। यह बात प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी एक बार नहीं कई बार कह चुकी है। अत, विभिन्न क्षेत्रों के तकनीकी विशेषज्ञों को चाहिए कि वे अपना रोजगार स्वयं खोलें तथा अन्य सम्पादनों से पूँछी तथा बच्चे माल की व्यवस्था करें।

8. 19वीं शताब्दी की शिक्षा प्रणाली को यथाग्रीष्म बदला जाए, ज्योकि यह नौकरशाही वर्ग को पैदा करने वाली है जो वर्तमान स्थिति में निष्ठिक्य सिद्ध हो चुकी है। नवीन शिक्षा पद्धति में धर्म की महत्ता प्रतिष्ठित की जानी चाहिए तथा नौकरियों के पीछे दौड़ने वाली शिक्षा को तिलांजिली दी जानी चाहिए।

9. एक परिवार में जिहने कम बच्चे होंगे, उनकी शिक्षा दीक्षा का उतना ही उचित प्रबन्ध हो सकेगा तथा उचित नौकरी मिल सकेगी। जहाँ बच्चे अधिक ~~

वहाँ शिक्षा प्रयुक्त होगी और अल्प शिक्षित लोग शिक्षित बेरोजगारों की सहाया को बढ़ावेंगे। अतः परिवार सीमित होना आवश्यक है।

10. शिक्षित बेरोजगारों द्वारा स्वयं के उद्योग धन्ये चालू करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इस कार्य के लिए उन्हें कम व्याज-दर पर बैंक एवं अन्य सम्पाद्यों से कृषण दिलाएं जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। सरकार द्वारा उन्हें सुविधाएँ भी दी जानी चाहिए, जैसे आयकर की कुछ छूट, कच्चे माल की सुविधा, लाइसेंस की व्यवस्था आदि।

11. देश में कृषि-शिक्षा का प्रसार किया जाना चाहिए, विशेष रूप से आपीण-क्षेत्री में, ताकि शिक्षित लोग कृषि-व्यवस्था की ओर आपसर हो सकें।

12. सरकार द्वारा चालू किए गए कार्यक्रमों की उपलब्धियों से सम्बन्धित पर्याप्त आँकड़े एकत्रित किए जाने चाहिएं और उनके ग्राधार पर भविष्य के लिए इस समस्या से सम्बन्धित कार्यक्रम तैयार किए जाने चाहिएं तथा उन्हें व्यार्थित किया जाना चाहिए।

यदि इन विभिन्न उपायों पर प्रभावी रूप में अमल किया जाए और जो उपाय किए जा रहे हैं उन्हें अधिकाधिक व्यावहारिक तथा प्रभावशाली बनाया जाए, तो शिक्षित बेरोजगारी की समस्या दूर की जा सकती है।

बेरोजगारी के कारण

(Causes of Unemployment)

भारत में फैली व्यापक बेरोजगारी के लिए उत्तरदाधी प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं—

1. जनसंख्या-वृद्धि की तुलना में अल्प आर्थिक विकास—देश में प्रतिवर्ष 2.5% की दर से जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन द्रुत आर्थिक विकास न हो पाने के कारण जनसंख्या-वृद्धि के अनुपात में रोजगार की सुविधाओं में वृद्धि महीं हुई है। परिणामस्वरूप, अम-जक्ति के बाहुल्य की समस्या उत्पन्न हो गई है। स्वतन्त्रता से पूर्व कई दशाविद्यों तक देश की अर्थ-व्यवस्था के स्थिर रहने, परम्परागत उद्योगों का पतन होने और साथ ही आधुनिक फैल के विस्तृत पैमाने के उद्योगों के विकसित न हो सकने के कारण देश में बेरोजगारी बढ़ती गई। स्वतन्त्रता के पश्चात् यद्यपि व्यवर्धी योजनाओं के माध्यम से देश के आर्थिक विकास के प्रयत्न किए गए हैं, लेकिन आर्थिक विकास की गति बहुत धीमी रही है। साथ ही योजनाओं में रोजगार प्रदान वरने के सम्बन्ध में कोई व्यापक एवं प्रगतिशील नीति अपनाई जाने सम्बन्धी कमी भी रही है। पलस्वरूप, देश में बेरोजगारी का निरन्तर विस्तार हुआ है। आयोजित विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत बढ़ रहे रोजगार के अवसर अनिक संख्या में हो रही वृद्धि की तुलना में कम हैं। अतः बेरोजगारी कम नहीं हो पाती, बरत निरन्तर बढ़नी जाती है। जनसंख्या-वृद्धि का एक प्रभाव यह हुआ है कि उपभोग व्यय में भारी वृद्धि होने तभी है और पूँजी निवेश के लिए बचत आवश्यकतानुमार उपलब्ध नहीं हो पा रही है।

2. दोषपूर्ण आयोजन—रोजगार की हड्डि से भारतीय आयोजन मुख्यतः

दो प्रकार से दोषपूर्ण रहा है। प्रथम, रोजगार नीति से सम्बन्धित है और द्वितीय, परियोजनाओं का चयन। पवर्याप्ति योजनाओं में एक व्यापक प्रभावी और प्रगतिशील रोजगार नीति का बहुत बड़ी सीमा तक प्रभाव रहा है। प्रारम्भ में यह विचार प्रबल रहा कि आधिक वित्तास के परिणामस्वरूप रोजगार में बढ़ि होगी, अत विकास नीतियों बनाते समय रोजगार के उद्देश्य को लेकर अलग से विचार नहीं किया गया और न ही इस बात के लिए कोई नीति निर्धारित की गई कि योजनावधि में कितने लोगों को रोजगार दिए जाने हैं। रोजगार को योजना के मूल उद्देश्यों में प्रबल सम्मिलित किया गया, लेकिन इसे उच्च प्राथमिकता नहीं दी गई। रोजगार को केवल परिणाम के तौर पर समझते और मापने की नीति रही। केवल योजना-कार्यक्रमों के फलस्वरूप उपलब्ध होने वाले रोजगार के अनुम न लगाए गए। यह सोचकर नहीं चला गया कि योजनाओं के माध्यम से इतनी सख्त में लोगों को निश्चित रूप से रोजगार दिया जाना है। अब आगे चलकर द्वितीय योजनावधि में लघु उद्योगों पर जोर दिया गया तो रोजगार के अवसर बढ़ने लगे, लेकिन इस योजना के दौरान भी मूलत रोजगार-उद्देश्य को सामने रखकर इन उद्योगों को महत्व नहीं दिया गया। आयोजन की दूसरी गम्भीर त्रुटि परियोजनाओं के चयन सम्बन्धी रही। कुछ विशेष उद्योगों को छोड़कर, जाहीं पूँजी प्रधान तकनीक का अपालाया जाना अनिवार्य था, अन्य बहुत से उद्योगों के सम्बन्ध में वे कृतिपक उत्पादन-तकनीकों के बीच चयन करने की और समुचित ध्यान नहीं दिया गया। विदेशी तकनीकों पर निर्भरता बनी रही और कम श्रम प्रधान उत्पादन विधियों को मान्यता दी जाती रही। चनूर्ड योजना काल से सरकार ने रोजगार नीति में स्लैट और प्रभावी परिवर्तन किया। लघु उद्योगों को प्रोत्तमाहन दिया गया और ऐसी योजनाएं चालू की गईं जि नको रोजगार देय क्षमता अधिक हो। रोजगार के लक्ष्य निर्धारित करके निवेश कार्यक्रम तैयार किए जाने और उसे कार्यरूप देने की दिशा में सक्रिय कदम उठाए गए। पांचवीं योजना का मुख्यत रोजगार सबर्दङ्क बनाने की चाल की गई है।

3 दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति—भारतीय शिक्षा पद्धति, जो मूलत ब्रिटिश देन है दफनरी 'बायुप्रो' को जन्म देती है। यह शिक्षा पद्धति छात्रों को रचनात्मक कार्यों की ओर नहीं झोड़ती तथा स्वावलम्बी बनने की प्रेरणा भी नहीं देती। यह शिक्षा-पद्धति 'कुर्सी का मोह' जाग्रत बरती है, इस प्रवार की भावना पैदा नहीं करती कि सभी प्रकार का श्रम स्वरूप योग्य है।

4 कृषि का पिछड़ापन—भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन यहाँ की कृषि पिछड़ी हुई है और कृषि उत्पादन अन्य देशों की अपेक्षाकृत बहुत कम है। कृषि-व्यवसाय में ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 70% लोग लगे हुए हैं और ग्राम दूसरे व्यवसायों से प्राय दूर भागते हैं। इस प्रकार भूमि पर ही लोगों की आत्म निर्भरता बढ़ती जा रही है फलस्वरूप देश में अल्प रोजगार, प्रचलन वेरोजगारी आदि में काफी बढ़ि हो रही है।

वेरोजगारी के उपरोक्त मूलभूत कारणों में ही अन्य सहायक ग्रथवा गौण के रण निहित हैं। अतिवृद्धि ग्रथवा अनावृद्धि, अन्य प्राकृतिक प्रक्रीय, लोगों में आनंदोपन की प्रवृत्ति, समुक्त परिवार प्रणाली, 'धर से चिपके रहने' की बीमारी, आदि कारण भी वेरोजगारी के लिए उत्तरदायी हैं।

वेरोजगारी : उपाय और नीति (Unemployment : Measures and Policy)

वेरोजगारी की समस्या के निदान हेतु आर्द्धिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों से विभिन्न सुझाव दिए जाते रहे हैं और सरकार द्वारा भी निरन्तर प्रयत्न किए जाते रहे हैं। आमीण वेगेन्टगारी और शिक्षित वेरोजगारी निवारण के सदर्भ में निम्नलिखित सुझाव विचारणीय हैं—

(1) अधिकतम आय स्तर पर अधिकतम रोजगार की व्यवस्था करने के लिए जनसंख्या-वृद्धि पर तेजी से और कठोरता से नियन्त्रण लगाना पड़ेगा। इस सम्बन्ध में परिवार नियोजन सम्बन्धी कार्यक्रमों की व्यापक बनाना और कठोरता पूर्द्धक लागू करना हुआ। यह भी उचित है कि कानूनी रूप से हीन से अधिक सन्तान उत्पन्न करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाए।

(2) लघु एवं कुटीर उद्योगों के तीव्र विकास के साथ ही मिश्रित कृषि को अपनाया जाए अर्थात् कृषि के साथ-साथ पशुगालन और मुर्गीपालन आदि उद्योग भी अपनाए जाएं।

(3) मानवीय धर्म पर अधिकाधिक वल दिया जाए, जहाँ मणिकरण से कोई विशेष बचत न होती हो, वहाँ मानवीय धर्म का अधिकाधिक प्रयोग किया जाए।

(4) अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में किसी बड़े विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन के बाद भी यदि वेरोजगार व्यक्ति बचे रहे तो उन्हें एक बड़ी सूत्या में काम सिखा कर उन क्षेत्रों में भेजा जाए, जहाँ ऐसे प्रशिक्षित कारीगरों की कमी हो। इसके लिए प्रशिक्षण एवं मर्ग-दर्शन योजनाएं प्रारम्भ की जानी चाहिए।¹

(5) ग्रामीण औद्योगीकरण एवं विद्युतीकरण का तेजी से प्रसार किया जाए। प्रत्येक क्षेत्र में ग्रामीणिक विकास का एक-एक केन्द्र कायम किया जाए और इन्हें परिवहन तथा अन्य समुचित सुविधाओं के माध्यम से एक कड़ी के रूप में जोड़ दिया जाए। ऐसे केन्द्र उन गाहरों या गाँवों में स्थापित किए जाएं, जो कुशल कारीगरों तथा उद्योगपतियों वो छोच सकें और उन्हें विजली तथा अन्य सुविधाएं दी जा सकें।²

(6) शिक्षा-पढ़ति को इस प्रकार 'योग्यता' किया जाय जिससे कर्मचारियों को आवश्यकताओं के बदलने हुए ढंग से उसका मेल बैठ सके। कुछ चयनित क्षेत्रों

1. घोड़ना, दिनांक 22 फरवरी, 1973 में चन्द्रप्रसाद मादेश्वरी का लेख 'वेरोजगारी वी समस्या पर एक विहायम दृष्टि', पृष्ठ 25.

2. वही, पृष्ठ 25.

में जन-शक्ति सम्बन्धी ग्रध्ययनों वा प्रायोजन और तकनीकी शिक्षा-क्षेत्रों का विस्तार करने की नीति पर तेजी से प्रगल्भ किया जाए।

(7) कृषि-क्षेत्र में दृढ़ि की जाए। भारत में लाखों एकड़ जमीन बगर और बेकार पड़ी है जिसे अल्प प्रयाप से ही कृषि-योग्य बनाया जा सकता है। इससे एक प्रोटोर तो श्रमिकों को रोजगार मिलेगा तथा दूसरी ओर कृषि-क्षेत्र में दृढ़ि होकर कृषि-उत्पादन बढ़ेगा।

(8) आयोजन के निवेश-ढाँचे में, रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, मुख्यतः दो प्रकार के परिवर्तन लाना आवश्यक है—(क) उद्योगों का चयन-आधारमूलक ढाँचे पर अब तक काफ़ी निवेश हो चुका है और अब आवश्यकता इस बात की है कि अन्य उद्योगों—विषेष रूप से उपभोग-वस्तु-उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाए। ऐसे उद्योगों की रोजगार देप क्षमता अधिक होती है। इनके अन्तर्गत उत्पादन के अतिरिक्त वस्तुओं के वितरण आदि सेवाओं में भी रोजगार के अवसर बढ़ाने हैं। (ख) तकनीक का चयन-रोजगार-टृष्णा से थम-प्रधान तकनीकों के चयन को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इन दोनों प्रकार के परिवर्तनों द्वारा निवेश-ढाँचे को प्रभावित करने के लिए यह आवश्यक है कि सरकार वी विकास-नीति को मोड़ दिया जाए। उत्पादन पर बल देने की नीति के साथ ही साथ रोजगार बढ़ाने वाले उद्योगों और तकनीकों को प्रोत्साहन देने वी नीति अपनाई जाए।

(9) रोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए सासाधनों का अधिकाधिक प्रयोग करने के लिए तेजी से कदम बढ़ाए जाए। अल्प रोजगार में लगे लोगों के काम-काज को बढ़ाया जाए ताकि पहले से लगे समाधनों का अधिक उत्पादक प्रयोग सम्भव बन जाए। कृषि सम्बन्धी उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाए तथा स्व-नियोजित अक्तियों के लिए अधिक काम-काज की व्यवस्था की जाए ताकि उनकी अल्प रोजगार वी स्थिति को दूर किया जा सके।

(10) विकेन्द्रित उद्योग नीति अपनाई जाए ताकि बड़े बड़े शहरों की ओर बेरोजगार लोगों का जाना रुके अवधा कम हो। यह उचित है कि गाँवों और छोटे-छोटे शहरों के आस पास उद्योगों का विकास किया जाए। उद्योगों के विकेन्द्रीकरण के फलस्वरूप दो बातें मुख्य रूप से होती—प्रयम, श्रमिकों का स्थानान्तरण होकर और डिलीप, अल्प-रोजगार में लगे उन श्रमिकों की स्थिति सुधरेगी, जो बाहर नहीं जाते।

बेरोजगारी दूर करने के लिए उपरोक्त उपाय इस प्रकार के हैं कि रोजगार-नीति के बल रोजगार-नीति न बनी रह कर एक बहुमुखी नीति वा रूप धारणा कर लेनी है और इस प्रकार की रोजगार की उपलब्धि हमारी अर्थ-व्यवस्था के व्यापक विकास-कार्यक्रम का एक अभिन्न शंग बन जाती है।

बेरोजगारी सम्बन्धी 'भगवती समिति' की सिफारिशें (Recommendations of Bhagwati Committee)

भारत सरकार ने बेरोजगारी के सम्बन्ध में दिसम्बर, 1970 में जो 'भगवती समिति' नियुक्त की थी, उसने अपनी अन्तर्मिम रिपोर्ट में आगामी दो वर्षों में सभी

क्षेत्रों में 40 लाख व्यक्तियों को रोजगार देने की विभिन्न योजनाओं के लिए 20 अरब हपये की व्यवस्था वा सुभाव दिया था। इस विशेषज्ञ समिति ने अन्तर्रिम रिपोर्ट में जो प्रमुख सिफारिशें की थे वे गोजगारी-निवारण की दिशा में ग्राज भी महत्वपूर्ण मार्गदर्शक यन्त्र हैं। इन प्रमुख सिफारिशों का सारांश मार्च, 1972 के योजना अक्ष में थोक बेदारनाय गुप्त के एक लेख में दिया गया है, जो निम्न है—

(1) छाटे दिमानो और भूमिहीन मजदूरों की दुर्घटालाओं, मुर्गीपालन और सूप्रर पालन केन्द्रों के उत्पादनों के विधायन और हाट व्यवस्था के लिए आवश्यक संगठन बनाए जाने की आवश्यकता पर राज्यों को विचार करना चाहिए।

(2) किसानों को सहायता देने वाली संस्थाओं को, बटाईदारी और पट्टेदारों को कृषि और अन्य सहायक उद्योगों के लिए अत्यं अवधि के और मध्यावधि वर्ज दिलाने भ सहायता करनी चाहिए।

(3) प्रत्येक ज़िले के गाँवों में रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने वाले कार्यक्रमों के लिए राशि, उसकी जानसंरक्षा, वहां कृषि विभाग की हितति और अन्य महत्वपूर्ण वाती को ध्यान में रख कर निर्धारित की जानी चाहिए।

(4) कुछ नुने हुए ज़िलों में प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की जानी चाहिए ताकि उस क्षेत्र का बहुमुखी विकास हो सके।

(5) कृषि-संवाद-केन्द्रों की स्थापना को प्रायमिकता दी जानी चाहिए, व्योकि इनमें बहुत से इन्जीनियरों को काम मिलेगा।

(6) लघु सिवाई योजनाओं में अनेक लोगों को रोजगार मिल सकता है, अत अधिकाधिक अनिवार्य भूमि योजना के अन्तर्गत लाई जानी चाहिए। समिति का मुझाव था कि आगामी दो वर्षों में एक अरब हपये की लागत से 5 लाख हैंडेयर अनिवार्य भूमि योजना के अन्तर्गत लाई जाना प्रयोक्तित है। यह योजना चतुर्थ योजना में निर्धारित कार्यक्रम के अनिवार्य होनी चाहिए।

(7) समिति ने सुभाव दिया कि चतुर्थ योजना में निर्धारित लक्ष्यों के अनिवार्य 37 हजार और गाँवों में विजली एवं 3 लाख नल कूपों को विजली दी जानी चाहिए।

(8) गाँवों में विजली लगाने के कार्यक्रम को इस प्रकार लागू किया जाना चाहिए ताकि अपक्षाकृन पिछड़े राज्यों में अधिक विकास हो सके और वे राष्ट्रीय स्तर पर लाए जा सकें।

(9) राज्य सरकार सड़क-निर्माण-कार्य के लिए निर्धारित रकम उसी काम में खर्च करें और उस रकम को अन्य मदों भ व्यय न करें।

(10) अन्तर्देशीय जल-परिवहन-योजना से भी अनेक लोगों को रोजगार मिलेगा, प्रत सरकार को चाहिए कि वह अन्तर्देशीय जल-परिवहन-समिति की सिफारिशों पर अमल करें।

(11) गाँवों में आवास को विकट समस्या को देखते हुए सरकार को तेजी से भवन-निर्माण कार्यक्रम शुरू करना चाहिए।

(12) सरकार को गांवों में मकान बनाने के लिए व्यापक कार्यक्रम शुरू करना चाहिए तथा प्रचार साधनों के माध्यम से इस कार्यक्रम को प्रोत्साहन देना चाहिए।

(13) प्रत्येक राज्य में एक ऐसी एजेन्सी होनी चाहिए जो ग्रामीण क्षेत्रों में वह कार्य करेगी जो कार्य इस समय आवास-मण्डल नगरों में कर रहे हैं। ये कार्य हैं—भूमि वा अधिग्रहण और विकास करना तथा आवास योजनाएँ तैयार करके उन्हें क्रियान्वित करना।

(14) जीवन बीमा नियम को भी गांवों में आवास-कार्यक्रमों के लिए सहायता देनी चाहिए।

(15) गांवों में पेयजल सप्लाई करने की चालू योजनाओं को सुरक्षा क्रियान्वित करना चाहिए तथा इनको अधिकाधिक क्षेत्रों में लागू करना चाहिए।

(16) प्रत्येक राज्य में एक ग्रामीण आवास वित्त-नियम बनाया जाना चाहिए जो सहकारी समितियों, पञ्चायती-राज संस्थाओं तथा व्यक्तियों को मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता देगा।

(17) प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए एक व्यापक कार्यक्रम जल्दी ही प्रारम्भ करना चाहिए।

(18) जन साक्षरता के लिए जल्दी ही एक कार्यक्रम प्रारम्भ किया जाना चाहिए।

(19) ग्रीष्मीयिक क्षेत्र में व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए कारखानों की वास्तविक उत्पादन क्षमता को अधिकतम सीमा तक बढ़ाना अत्यन्त आवश्यक है।

(20) आर्थिक दृष्टि से अक्षम मिलों के बन्द होने की समस्या से निपटने हेतु सरकार को एक सम्पूर्ण योजना चाहिए, जो बन्द हो जाने वाले कारखानों की आर्थिक स्थिति तथा अर्थव्यवस्था की जांच करे। इस सम्पूर्ण योजना को एक ऐसी विधि अपनानी चाहिए, जिसके अन्तर्गत कारखाने के बन्द होने के सम्बन्ध में समय-समय पर सूचना दी जा सके।

(21) बैंकों को भी चाहिए कि वे अपना धन्वा स्वयं शुरू करने वाले लोगों को वित्तीय सहायता दे। बैंक अधिकारियों को चाहिए कि वे अधिक रोजगार देने वाली योजनाएँ शुरू करें और बैंक की प्रत्येक शाखा के लिए निश्चित लक्ष्य निर्धारित करें, जो उन्हें पूरा करना होगा। अतिरिक्त साधनों का काफी हिस्सा इन योजनाओं के लिए निर्धारित कर देना चाहिए। बड़े हुए कुल साधनों की 25 से 30% राशि इन योजनाओं के लिए निश्चित की जा सकती है।

(22) बैंकों को स्वयं धन्वा शुरू करने वाले लोगों की वित्तीय सहायता करने में प्रधिक उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए ताकि किसी भी घेसी के व्यक्ति को अपना धन्वा अथवा व्यवसाय प्रारम्भ करने के लिए नहरण लेने ने कठिनाई न हो।

(23) विशेष वित्तीय सहायता का अधिकाधिक लाभ उठाया जा सके, इसके लिए यह प्रावश्यक है कि अब्ज-दर, धन लोटाने की अवधि आदि नहरण की शर्तें

और अधिक उदार बनाई जाएं। इसके अतिरिक्त ऐसे नहण लेने वाले की आवश्यकता तथा उसकी मजबूरियों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। समिति का विचार है कि सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा ज्ञान-दरों से सम्बद्ध समिति की सिफारिशें तुरन्त लागू करने की दिशा में प्रयास करने चाहिए।

(24) उद्योगवित्यों को विशेष क्षेत्र या उद्योग में कच्चे माल के सम्बन्ध में जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उनको दूर करने के लिए उद्योगपति अपने सघ बना सकते हैं, जो सधु उद्योगों की कच्चे माल धन, उत्पादित वस्तुओं की विक्री आदि समस्याओं का समाधान कर सकते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर मामले को उपयुक्त अधिकारियों के पास ले जा सकते हैं। सरकार को भी इस तरह के समान बनाने की दिशा में प्रोत्साहन देना चाहिए।

(25) वेरोजगार व्यक्तियों के लिए आवेदन-पत्र नि गुह्यक होना चाहिए। यात्रा व्यय देने के सम्बन्ध में भी विशेष परिस्थितियों पर ध्यान रखा जाना चाहिए। केवल उस मामले में, जहाँ चुनाव के लिए माकाशकार आवश्यक है, वेरोजगार व्यक्तियों को यात्रा-व्यय दिया जाना चाहिए, ताकि वे साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो सकें। हाँ, यदि चुनाव के सम्बन्ध में उभी प्रावियों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा आवश्यक है तो सभी उम्मीदवारों को यात्रा व्यय देना आवश्यक नहीं है।

भगवती समिति की अन्तिम रिपोर्ट, 1973

(Final Report of the Bhagwati Committee, 1973)

भगवती समिति ने 16 मई, 1973 को अपनी अन्तिम रिपोर्ट भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर दी जिसमें आंकड़ों के आधार पर 1971 में वेरोजगार व्यक्तियों की संख्या 187 लाख आँकड़ी गई। इसमें से 90 लाख व्यक्ति तो ऐसे थे जिनके पास कोई रोजगार नहीं था और 97 लाख व्यक्ति ऐसे थे जिनके पास 14 घण्टे प्रति सप्ताह का कार्य उपलब्ध था अर्थात् वे वेरोजगार—से ही थे। अन्तिम रिपोर्ट के अन्तर्गत वेरोजगारों की समस्या को दूर करने के लिए मुख्यतः निम्नलिखित सुझाव दिए गए¹—

1. वेरोजगारों को काम की गारण्टी देने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यन्क मालूम किया जाए। जो व्यक्ति रोजगार में सलग्न है उन्हें रोजगार की हानि (Loss of Employment) की स्थिति में बीमा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए।

2. कार्याधिकार योजना (Right to work Scheme) समूर्ख देश में लागू की जाए।

3. देहातों के विचुटीकरण, सड़क-निर्माण, प्रामाणी मकानों और लघु सिक्काई योजनाओं को आगामी दो वर्षों में तेजी से लागू किया जाए। रोजगार धार्यकर्मों के लिए अतिरिक्त साधन जुटाने में कोई हिचकून की जाए और यदि आवश्यक हो तो विशेष वरों तथा चालू करों में वृद्धि का मार्ग अपनाया जाए।

4. काम के घण्टों को सप्ताह में 48 से घटा कर 42 किया जाए और फैक्टरियों को सप्ताह में पूरे 7 दिन तक प्रभावी रूप में चालू रखा जाए ताकि रोजगार में वृद्धि हो।

5. रोजगार एवं श्रम-शक्ति-नियोजन पर एक राष्ट्रीय आयोग गठित किया जाए।

6. विवाह-आयु लड़कों के लिए 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष करदी जाए।

भगवती समिति ने अपनी सिफारिशों में लघु सिचाई और ग्रामों के विद्युतीकरण के कार्यक्रमों को सर्वाधिक महत्व दिया। समिति का विचार था कि इन कार्यक्रमों और सड़क-निर्माण, ग्रामीण आवास आदि की योजनाओं से ग्रामीण वेरोजगारी तथा ग्राम्य रोजगार की समस्याओं पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। समिति ने सुझाव दिया कि श्रम-प्रधान उद्योगों के लिए कगों में छूट और रियायत की व्यवस्था की जाए तथा बड़े-बड़े नगरों से उद्योगों का विकारण किया जाए। यह सिफारिश भी की गई कि कृषि-क्षेत्र में श्रम बचाने वाली भारी मशीनों के प्रयोग पर नियन्त्रण लगाया जाए, विशाल पैमाने पर ग्रामीण निर्माण कार्यक्रमों का सञ्चालन किया जाए (जिसका संकेत ऊर किया जा चुका है), बातुनो द्वारा इन्जीनियरों एवं तकनीकी श्रमिकों के लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए। समिति का एक महत्वपूर्ण सुझाव यह भी था कि शिक्षा एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में वार्षिक दर से 5 लाख नौकरियों के लिए प्रबन्ध किया जाए। रोजगार एवं श्रम शक्ति नियोजन के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना के अनिवार्यता बेन्द्र एवं राज्य स्तर पर ऐसे पृथक् विभाग खोले जाएं, जिनका कार्य केवल रोजगार एवं श्रम शक्ति-नियोजन सम्बन्धी कार्यों की देखभाल हो। जो पिछड़े इलाके हैं उनके लिए पृथक् विकास-मण्डल (प्रादेशिक विकास बोर्ड) बनाए जाए। वेरोजगारी पर विभिन्न समितियों और अध्याय में दिए गए अन्य सुझावों पर ध्यान देने तथा उन्हें आवश्यकतानुसार प्रभावी रूप में अपल में लाने पर ग्रामीण एवं शहरी वेरोजगारी की समस्या का प्रभावी समाधान सम्भव है।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना और वेरोजगारी

(Fifth Five Year Plan & Unemployment)

1951 के पश्चात् प्रथम बार देश की इस योजना में वेरोजगारी दूर करने पर विशेष बल दिया गया है और विकास के अतिरिक्त अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य का एक मूल उद्देश्य माना गया है। पांचवीं योजना में रोजगार के महत्व को ठीक परिदृश्य में रखने हुए इस तथ्य को स्पष्टत खोकार किया गया है कि बेकार श्रम-शक्ति को समुचित रूप में प्रयोग में लान पर विकास-क्षेत्र में पर्याप्त मदद मिलती। योजना के दृष्टिकोण-पत्र में रोजगार-विषयक महत्वपूर्ण पहलू संक्षेप में अग्रानुसार है—

- (अ) भारत सरकार, योजना आयोग : पांचवीं योजना के प्रति दृष्टिकोण, 1974-79, पृष्ठ 3-8
- (ब) योजना, दिनांक 22 दिसम्बर, 1973 (पांचवीं योजना प्रारूप वित्तोर्धक), पृष्ठ 36.

1. देश को रोजगार के इच्छुक लोगों की बढ़ती हुई समस्या की भीषण समस्या से निपटने के लिए योजना बनानी होगी ताकि विकास के मार्ग में यह भयकर खतरा न बने और इनका देश की प्रवर्ति तथा बुशहाली के सशक्त सहायक के रूप में उपयोग किया जा सके।

2. विकास की गति बढ़ाने तथा असमानताएं घटाने के लिए उत्पादक रोजगार का विस्तार करना बहुत महत्वपूर्ण है। वेकार जन-शक्ति वेरोजगार, अपूर्ण रोजगार वर रहे तथा केवल दशकालीन रोजगार कर रहे लोग, विकास का ऐसे सक्षम साधन हैं जिनका यदि उचित उपयोग किया जाए तो इन विकास किया जा सकता है। इसके साथ-साथ असमानताओं का मुख्य कारण व्यापक वेरोजगारी, अपूर्ण रोजगार का विस्तार कर उसे उचित आय-स्तरों पर सुलभ किया जाए। रोजगार ही एक ऐसा निश्चित तरीका है, जिसके द्वारा गरीबी के स्तर से नीचे जीवन-निर्वाह करने वालों का स्तर ऊँचा उठाया जा सकता है। आय का पुनर्वैटवारा करने के लिए जो प्रचलित कर-नीतियाँ हैं वे स्वयं में इस समस्या पर कोई विशेष प्रभाव नहीं डाल सकती।

3. रोजगार नीति इस प्रकार की होनी चाहिए, जिससे वेतन पर मिलने वाला रोजगार तथा अपना धन्धा प्रारम्भ करने का रोजगार, इन दोनों का विस्तार हो सके और उनकी उत्पादकता बढ़े। पांचवीं योजना में कृषि-क्षेत्रों यानी निर्माण, खनन और निर्मित माल का उत्पादन, परियाण और वितरण परिवहन और सचार, व्यापार भण्डारण, वैकिंग बीमा तथा समाज सेवाओं में वेतन पर मिलने वाले रोजगार में काफी वृद्धि होने की सम्भावना है। कृषि, कृषीर उद्योग, सड़क परिवहन, व्यापार और सेवा क्षेत्रों में अधिक पूर्ण और उत्पादक धन्धा प्रारम्भ करने की सम्भावनाएँ हैं।

4. उत्पादन प्रणाली को चुन कर ही विशेष विकास की दर पर रोजगार का विस्तार किया जा सकता है। परन्तु यह प्रणाली श्रम-सघन होनी चाहिए। अथवा ऐसी प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए, जो दुर्लभ पूँजी या श्रम द्वारा कृपि करने का स्थान ले। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए चतुर्थ योजना में अनेक रोजगार उन्मुख कार्यक्रमों का सूत्रपात निया गया। आशा है कि इन स्कीमों द्वारा पांचवीं योजना में ऐसा रूप दिया जाएगा जिससे अधिकाविक स्थायी उत्पादक परियान्मपत्तियों के निर्माण के साथ-साथ इनमें सुलभ होने वाले रोजगार के अवसरों में कमी न आए। इन दो उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के कार्यक्रम तैयार करने होंगे, जिससे बत्तमान किसी द्वे प्रत्येक क्षेत्र की विकास-प्रक्रिया का अभिन्न अग बनाया जा सके।

5. निर्माण वार्ष में बहुत अधिक मजदूर कार्य करते हैं। अत रोजगार वृद्धि के दृष्टिकोण से निर्माण द्वे महत्वपूर्ण क्षेत्र मानना चाहिए। निर्माण कार्यक्रमात् दा विस्तार कुल नियतकालीन पूँजी-निर्माण के विस्तार से सम्बन्धित है।

6. बेतन वाले रोजगार के अवसरों में वृद्धि की जाएगी तथा अपना धन्या शुरू करने के लिए अधिक व्यापक स्तर पर सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी। समस्त कृषि-क्षेत्र के विकास पर बल दिया जाएगा और अतिरिक्त स्व-रोजगार की सम्भावनाओं का विकास किया जाएगा। बढ़ती हुई श्रम-शक्ति को कृषि-क्षेत्र में ही रोजगार पर लगाए जाने का प्रयास किया जाएगा।

7. कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलापों के लिए भूमि उत्पादन का बुनियादी आधार है। परन्तु इसे बढ़ाया नहीं जा सकता। अतः जिन लोगों के पास अत्यल्प भूमि है उन्हें भूमि देने का एक ही तरीका है कि जिनके पास बहुत अधिक भूमि है या जो अन्य काम कर रहे हैं, उनसे भूमि लेकर इन लोगों को दे दी जाए। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उच्च प्राथमिकता के आधार पर भूमि-मुधार पर बल दिया गया है। दूसरे, यह निश्चय किया गया है कि जो बेकार भूमि प्राप्त हो उसे भूमिहीन लेतिहर मजदूरों को देने के काम को प्राथमिकता दी जाए। तीसरे, जिन लोगों को भूमि दी जाए उन्हें भरपूर सगठन, धरण, निवेश तथा विस्तार की सुविधाएँ प्रदान की जाएं ताकि ये कृषि-कर्म सफलतापूर्वक कर सकें।

8. योजना में बड़ी, मझोली और छोटी सिचाई, उर्वरक, कीटनाशक, अनुसंधान और विस्तार, फसल की कटाई के बाद के काम तथा नई प्रौद्योगिकी को समर्थन प्रदान करने और उसका विस्तार करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। पशुपालन, दुध उच्चोग और मछलीपालन जैसे जिन कामों के लिए भूमि होनी आवश्यक नहीं है, को बढ़ावा देने पर बल दिया जाएगा। आशा है कि कृषि-क्षेत्र में रोजगार को प्रोत्साहन देने को ध्यान में रखते हुए अनाप-शनाप यन्त्रीकरण नहीं किया जाएगा। केवल इस प्रकार यन्त्रीकरण को प्रोत्साहित किया जाएगा, जो केवल श्रम को बचत करने की अपेक्षा भूमि के प्रति एक समस्त उत्पादन में वृद्धि करेगा।

9. कतिपय विशेष कार्यक्रम, जैसे—लघु कृषक-विकास अभियान और नाममात्र कृषि-श्रमिक परियोजनाएँ, ग्रामीण रोजगार की त्वरित स्कीम और सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम चतुर्थ योजना में आरम्भ किए गए। कुल मिलाकर, इन कार्यक्रमों को पृथक्-पृथक् लंबार किया गया तथा इनका सचालन भी स्थिति के अनुसार छिनरा पड़ा रहा। पांचवीं योजना में, न केवल इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में तेजी लानी होगी बल्कि विशिष्ट सचारात्मक सुधार भी करने होंगे। इन कार्यक्रमों में, घट्ट, घन्तुभृत, यहू, बाहात्ता, है, कि गहिं पश्चिम, पश्चिमित्र, कर्नला, है, तो, सामर्पत्यत्त्वा विकास कार्यक्रम और विशेष रूप से विशेष कार्यक्रमों को एक साथ मिलाना होगा। इन क्षेत्रीय लघु और सीमान्त कृषक तथा कृषि-श्रमिकों की अर्थ-व्यवस्था में सुधार लाने के लिए यहू आवश्यक होगा कि समेकित-क्षेत्र विकास की दिशा में प्रयत्न किया जाए।

10. कतिपय क्षेत्रों में, शारीरिक श्रम करने वालों को रोजगार की गारन्टी देने की दिशा में छोटा-सा प्रयास किया गया है।

11. ग्रामोद्योग और लघु उच्चोग, सड़क परिवहन, फुटकर व्यापार व सेवा

व्यवसाय ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिनमें अपना धन्वा आरम्भ करते की सम्भावनाएँ विचारान हैं। अतः जनसंख्या के भवत्त्वपूर्ण अश अर्थात् शहरी जनसंख्या, शिक्षित व तकनीकी दृष्टि से प्रशिक्षित, ग्रामीण कारोगर और ग्रामीण क्षेत्र में अन्य भूमिहीन तत्त्व ऐसे हैं जिनके लिए पूर्ण रोजगार की व्यवस्था करने के लिए उपर्युक्त क्षेत्रों में रोजगार का विस्तार करना होगा।

12. अर्थव्यवस्था में यदि रोजगार के साधन तथा अन्य क्षेत्रों के मध्य बेडगा विकास होता रहा, तो इससे रोजगार बढ़ने की अपेक्षा रोजगार कम होगा। अतः रोजगार और अन्य क्षेत्रों सञ्चालन में तालमेल होना चाहिए। सुविचारित रोजगार-उन्मुक्त योजना के रोजगार-सधन तथा पूँजी सधन क्षेत्रों के मध्य ठीक प्रकार का तालमेल अपेक्षित है।

13. रोजगार वृद्धि की सामान्य नीतियों को विशिष्ट कार्यक्रमों के साथ जोड़कर उनका तालमेल विठाना होगा ताकि विकास वेरोजगारों को उत्पादन कार्य पर लगाया जा सके। इस प्रयोग के लिए कुशलता प्राप्त तथा अन्य सामान्य वर्गों में अन्वर करना होगा।

14. द्रुत श्रीयोगिक विकास करने और उत्पादक अनुसंधान तथा विकास कार्यकलापों को कारगर हग से आगे बढ़ाने से वैज्ञानिकों इन्जीनियरों और तकनीशियनों को पूर्ण रोजगार दिया जा सकेगा। यदि परिकल्पित श्रीयोगिक विकास की दर और प्रणाली सही उत्तरती है और अनुसंधान और विकास के कार्यकलाप सभावना के अनुरूप विस्तार करते हैं तो इन्जीनियरों तकनीशियनों और सुवोग्य वैज्ञानिकों को रोजगार देन की समस्या नहीं रहेगी। प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए जो वायरनम बनाया जा रहा है, उससे भी रोजगार के अवसर सुलभ होने की सभावना है।

15. सार्वजनिक सेवाएँ, प्रशासनिक सेवाएँ तथा समाज सेवाएँ शिखित व्यक्तियों को रोजगार देने के मुख्य केन्द्र हैं। पांचवीं योजना के दौरान समाज सेवाओं में तीव्र विस्तार करने का विचार है। परन्तु इस पर कि इस व्यवस्था के दौरान रोजगार के इच्छुक शिखित लोगों की संख्या इससे काफी अधिक होनी। यह मानवा अव्यावहारिक होगा कि रोजगार की विधित में केवल सार्वजनिक सेवाओं के विस्तार से कोई सुधार किया जा सकता है, क्योंकि अर्थ-व्यवस्था के सामग्री तथा सेवा क्षेत्रों में भी समुचित सञ्चालन बनाए रखना जरूरी है। अतः विशेष प्रशिक्षण द्वारा कुशलता प्रदान कर तथा अन्य नीति सम्बन्धी परिवर्तन कर इन्हें समाज बनाने वाले क्षेत्रों में काम देना होगा।

16. दीर्घकालीन सम्भावनाओं के प्रतुसार, नौकरी के इच्छुक व्यक्तियों की समस्या का निदान बबल मार्ग पक्ष से विचार कर नहीं किया जा सकता। जहाँ तक कुशल कर्मचारियों का सम्बन्ध है, प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संस्थानों में प्रवेश की संख्या घटानी पड़ रही है, ताकि समस्या को सुलझाया जा सके। जहाँ तक प्राम लोगों का सम्बन्ध है, इस बारे में और भी तीव्रता से कार्यवाही करनी होगी ताकि

समस्या पर बाबू पाया जा सके। विश्वविद्यालय की शिक्षा को इस प्रशार विनियमित करना होगा जिससे उननी ही सख्ता में शिक्षा प्राप्त कर लोग विश्वविद्यालय से निकलें, जिन्हें लोगों को रोजगार पर लगाया जा सके। इसके लिए न केवल विश्वविद्यालय शिक्षा पर रोक लगानी होगी बल्कि भाद्रमिक शिक्षा को अधिक विविधता प्रदान कर उसे व्यावसायिक बनाना होगा ताकि उच्च शिक्षा प्रदान करने वाली सत्याग्रो में प्रवेश की भीड़-भाड़ को घटाया जा सके। इसके अतिरिक्त वे सभी नियमित उपाय अन्यायपूर्ण हैं जो समान शिक्षा अवमर मुलभ करने से इनकार करते हैं। समतल गतिशीलता प्रदान करने में शिक्षा, शक्तिशाली तत्त्व के रूप में कार्य कर सकती है। वर्तमान शिक्षा इस सम्बन्ध में कारण न होने के कारण यह आवश्यक हो गया है कि ठोन निर्णय लेकर उचित रीति-नीतियाँ अपनाई जाएँ।

यदि निर्धारित नीति और कार्यक्रमों को प्रभावी रूप में क्रियान्वित किया गया गया तो, कठिन परिस्थितियों के बावजूद यह आशा है कि पांचवीं योजना की समाप्ति से पूर्व रोजगार की स्थिति में बहुत सुधार हो चुका होगा।

भारत के संगठित क्षेत्र में रोजगार (1974-75)¹

(Employment in the Organised Sector in India)

संगठित क्षेत्र में, 1974-75 में रोजगार में लगभग 2 प्रतिशत वृद्धि हुई। यह सारी वृद्धि लगभग सरकारी क्षेत्र में ही हुई। सभी मुख्य उद्योग-समूहों ने (निर्माण को छोड़कर) रोजगार की इस वृद्धि में योगदान दिया। सेवा क्षेत्र में जिसके अन्तर्गत कुल रोजगार के लगभग 2/5 भाग के रोजगार की व्यवस्था है रोजगार में 2 3 / वृद्धि हुई है। निर्माण सम्बन्धी उद्याय समूह के क्षेत्र में रोजगार में 0 7 / की मामूली वृद्धि हुई और वह भी सरकारी क्षेत्र के कारण हुई, जिन्हें सरकारी क्षेत्र में रोजगार में कुछ कमी हुई। लेकिन खानों तथा पत्थर की खानों के क्षेत्रों में रोजगार में (+ 7 6 /) तथा व्यापार और बाणिज्य में (+ 8 8 /) रोजगार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, खानों में रोजगार में वृद्धि मुख्यतः कोयले वे उत्पादन में हुई महत्वपूर्ण वृद्धि हो जाने के कारण माल का लदान करने तथा माल उतारने के लिए अधिक मात्रा में कार्मिकों की आवश्यकता हो जाने के कारण और व्यापार तथा बाणिज्य क्षेत्र के रोजगार-वृद्धि, वैर्किंग सम्बन्धी क्रियाकलाप में विस्तार होने के कारण हुई। बागानों तथा बनो आदि क्षेत्रों में, रोजगार में 0 5 / वृद्धि हुई, जो सबसे कम थी। मकान निर्माण के कार्य में लगे हुए कार्मिकों की सख्ता में 2 4 / की कमी हुई क्योंकि निर्माण-कार्य पर, विशेषत सरकारी-क्षेत्र में निर्माण के कार्य में प्रयोग की जाने वाली सीमेट और इस्पात जैसी बुनियादी चीजों की कमी हो जाने के कारण पाबन्धी लगा दी गई थी।

प्रादेशिक क्षेत्रों के अनुसार, 1974-75 में संगठित क्षेत्र में रोजगार में सर्वाधिक वृद्धि पूर्वी क्षेत्र में (+ 2 5 /) हुई और उसके बाद रोजगार में सर्वाधिक वृद्धि दक्षिणी क्षेत्र में (2 4 /) हुई। लेकिन पश्चिमी क्षेत्र (+ 1 6 प्रतिशत),

उत्तरी क्षेत्र ($+15$ प्रतिशत) और मध्यवर्द्धी क्षेत्र (13 प्रतिशत) रोजगार में जो वृद्धि हुई, वह अखिल भारतीय स्तर की रोजगार की प्रीमत वृद्धि से कम थी। उत्तरी क्षेत्र में, राजस्थान, हरियाणा तथा जम्मू और कश्मीर में, रोजगार में, क्रमशः 52 प्रतिशत, 48 प्रतिशत और 28 प्रतिशत वृद्धि हुई, किन्तु दक्षिणी क्षेत्र में, कर्नाटक तथा आनंद्र प्रदेश में क्रमशः 39 प्रतिशत तथा 38 प्रतिशत वृद्धि हुई। पश्चिमी क्षेत्र में (जिसमें गोवा, दमन और दीव को शामिल नहीं किया गया था) गुजरात सबसे थाए रहा, जहाँ रोजगार में 30 प्रतिशत वृद्धि हुई। इसी प्रकार पूर्वी क्षेत्र में, उडीसा में रोजगार में सर्वाधिक वृद्धि ($+41$ प्रतिशत) हुई और इसके बाद पश्चिमी बगाल में सर्वाधिक वृद्धि ($+30$ प्रतिशत) हुई।

सितम्बर, 1975 के अन्त में रोजगार कार्यालयों में नौकरी के लिए नाम लिखवाने वालों की संख्या $92,54$ लाख थी, जो एक बप पहले से 71 प्रतिशत अधिक थी। इससे रोजगार में कुछ कमी होने का पता चलता है, क्योंकि पिछले 12 महीनों में 54 प्रतिशत वृद्धि हुई थी। यह कमी, निःसंदेह 1975 के मध्य तक उद्योग की धीमी गति के विकास से जुड़ी हुई है। तब से औद्योगिक उत्पादन में सुधार हुआ है जिसका पता, अधिसूचित खाली स्थानों और दी गई नौकरियों के आंकड़ों से चलता है, जो जुलाई-सितम्बर, 1975 में 1974 की इसी तिमाही की अपेक्षाकृत अधिक थी।

नए आर्थिक कार्यक्रम में रोजगार के अवसर में, अप्रेटिसो के मौजूदा सभी रिक्त स्थानों को तेजी से भर कर, रोजगार में वृद्धि की, विशेष रूप से शिक्षित युवकों के रोजगार की, परिकल्पना की गई है। जब यह कार्यक्रम घोषित किया गया था, उस समय एक लाख उपलब्ध स्थानों में से केवल लगभग $2/3$ स्थान बास्तव में भरे थे। सितम्बर, 1975 को समाप्त हुए तीन महीनों की अवधि में लगभग सभी रिक्त स्थानों में नियुक्तियाँ कर दी गई। अभी हाल में, अधिसूचित उद्योगों और व्यवसायों की सूची में वृद्धि की गई है। परिणामस्वरूप, अप्रेटिसो की संख्या में काफी वृद्धि होने की सम्भावना है।

राष्ट्रीय रोजगार सेवा

(National Employment Service. N.E.S.)

राष्ट्रीय रोजगार सेवा 1945 में शुरू की गई थी। इसके अन्तर्गत प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा चलाए जाने वाले अनेक रोजगार कार्यालय खोले गए हैं। ये रोजगार कार्यालय रोजगार की तलाश में सभी प्रकार के व्यक्तियों की सहायता करते हैं, विशेषकर शारीरिक रूप से बहित व्यक्तियों, भूतपूर्व संनिको, अनुसूचित जातियों और जन-जातियों, विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों तथा व्यावसायिक और प्रबन्धक पदों के उम्मीदवारों की। रोजगार सेवा अन्य कार्य भी करती है जैसे रोजगार सम्बन्धी मूलनाएँ एकत्र और प्रचारित करना तथा रोजगार और धर्मो सम्बन्धी अनुसंधान के क्षेत्र में सर्वेक्षण और अध्ययन करना। ये अनुसंधान तथा अध्ययन ऐसे आधारभूत अंकड़े उपलब्ध कराते हैं, जो जन-शक्ति के कुछ पहलुओं पर नीति निर्धारण में सहायता होते हैं।

रोजगार कार्यालय अधिनियम 1959 (रिक्तस्थान सम्बन्धी अनिवार्य ज्ञापन) के अन्तर्गत 25 या 25 से अधिक श्रमिकों को रोजगार देने वाले मालिकों के लिए रोजगार कार्यालयों को अपने यहाँ के रिक्त स्थानों के बारे में कुछ अपवाद के साथ ज्ञापित करना और समय-समय पर इस बारे में सूचना देते रहना आवश्यक है।

31 दिसम्बर, 1974 को देश में 535 रोजगार कार्यालय (जिनमें 54 विश्वविद्यालय रोजगार तथा मार्ग दर्शन ब्यूरो भी शामिल हैं) ये¹ निम्नलिखित सारणी में रोजगार कार्यालयों की गतिविधियों से सम्बन्धित आँकड़े दिए गए हैं—

रोजगार कार्यालय तथा अभ्यर्थी²

वर्ष	रोजगार कार्यालयों की संख्या	पंजीकृत संख्या	रोजगार		रोजगार	
			पाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या	चालू रबिस्टर कार्यालयों की संख्या	कार्यालयों का सामुदायिक उदाने वाले मालिकों का सामिक औसत	ज्ञापित सामुदायिक उदाने वाले रिक्त स्थानों की संख्या
1956	143	16,69985	1,89,855	7,58,503	5,346	2,96,618
1961	325	32,30,314	4 04,707	18,32,703	10,397	7,08,379
1966	396	38,71,162	5,07,342	26,22,460	12,908	8,52,467
1971	437	51,29,857	5,06,973	50,99,919	12,910	8,13,603
1972	453	58,26,916	5,07,111	68,96,238	13,154	8,58,812
1973	465	61,45,445	5,18,834	82,17,649	13,366	8,71,398
1974	481	51,76,274	3,96,898	84,32,869	12,175	6,72,537

नवम्बर, 1956 से रोजगार कार्यालयों पर देनिक प्रशासनिक नियन्त्रण का कार्य राज्य सरकारों को सौंपा गया है। अप्रैल, 1969 से राज्य-सरकारों को जनशक्ति और रोजगार योजनाओं से सम्बद्ध वित्तीय नियन्त्रण भी दे दिया गया। केन्द्रीय सरकार का कार्य-क्षेत्र अधिल भारतीय स्तर पर नीति-निर्धारण, कार्य-विधि और मानकों के समन्वय तथा विभिन्न कार्यक्रमों के विकास तक सीमित है।

229 रोजगार कार्यालयों तथा सारे विश्वविद्यालय रोजगार सूचना तथा मार्ग दर्शन ब्यूरो में युवक-युवतियों (ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें काम का कोई अनुभव नहीं है) और प्रौढ़ व्यक्तियों (जिन्हें खास-खास काम का ही अनुभव है) को काम-धन्दे से सम्बद्ध मार्ग-दर्शन और रोजगार सम्बन्धी परामर्श दिया जाता है।

शिक्षित युवक-युवतियों को लाभदायक रोजगार दिलाने की दिशा में प्रवृत्त करने के लिए रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के कार्य-मार्गदर्शन और आजीविका परामर्श कार्यक्रमों को विस्तृत और व्यवस्थित किया गया है। रोजगार सेवा अनुसंधान और प्रशिक्षण के केन्द्रीय संस्थान में एक आजीविका अध्ययन केन्द्र स्थापित किया गया है जो युवक-युवतियों तथा अन्य मार्गदर्शन चाहने वालों को व्यवसाय सम्बन्धी साहित्य देता है।

1 India 1976, p 343.

2 Ibid, p. 343.

राजस्थान में आर्थिक-नियोजन का संक्षिप्त सर्वेक्षण

(A Brief Survey of Economic-Planning in Rajasthan)

मुनाबी नगर जयपुर राजस्थानी बाला राजस्थान भारत मध्य के उत्तर राज्यों की श्रेणी में आने के लिए योजना-बद्ध प्रार्थिक विकास के मार्ग पर अग्रसर है। राजस्थान का सेत्रफल 3,42,214 वर्ग हिन्दूमीटर और जनसंख्या 1971 की जनगणना के आधार पर 2,57,65,806 है। भारत की प्रथम पचवर्षीय योजना के साथ ही 1951 में राजस्थान राज्य में नी आर्थिक नियोजन का सूत्रपात हुआ। राजस्थान राज्य अब तक चार पचवर्षीय योजनाएँ और तीन वार्षिक योजनाएँ पूरी कर चुका है। 1 अप्रैल, 1974 से राज्य में पांचवीं पचवर्षीय योजना लागू हो चुकी है। 1974-75 से जो एक वर्षीय योजनाएँ कार्यान्वित बी जा रही है, वे राज्य की पांचवीं योजना के अग्र रूप में हैं।

राजस्थान में आर्थिक नियोजन के सर्वेक्षण को निम्न शीर्षकों में विभाजित किया जा सकता है—

- (1) राजस्थान की प्रथम तीन पचवर्षीय योजनाएँ,
- (2) राजस्थान की तीन वर्षीय योजनाएँ,
- (3) राजस्थान की चतुर्थ पचवर्षीय योजना,
- (4) राजस्थान की पांचवीं पचवर्षीय योजना और वार्षिक योजनाएँ
(1974-75, 1975-76, 1976-77)
- (5) राजस्थान में सम्पूर्ण योजना-काल में आर्थिक प्रगति।

राजस्थान में प्रथम तीन पचवर्षीय योजनाएँ

राजस्थान की तीनों पचवर्षीय योजनाओं की प्रस्तावित और वास्तविक व्यर्थ राशि इस प्रशार रही—

योजना	प्रस्तावित व्यय-राशि (करोड रुपये में)	वास्तविक व्यय-राशि (करोड रुपये में)
1. प्रथम योजना	64.50	54.14
2. द्वितीय योजना	105.27	102.74
3. तृतीय योजना	236.00	212.63

पूर्वोक्त सारणी से स्पष्ट है कि योजना-व्यय की राशि उत्तरोत्तर बढ़ती गई। प्रथम योजना म सार्वजनिक-हेतु व्यय की राशि लगभग 54 करोड़ रुपये से बढ़कर द्वितीय योजना में लगभग 103 करोड़ रुपये और तीसीय योजना म लगभग 213 करोड़ रुपये हुए।

तीनो योजनाओं में सार्वजनिक-व्यय की स्थिति

राजस्थान की प्रथम तीनो योजनाओं में विकास के विभिन्न शीर्षकों पर सार्वजनिक व्यय की स्थिति (सम्बन्ध और प्रतिशत दोनों में) निम्न सारणी से स्पष्ट है—

(करोड़ रुपये में)

विकास के शीर्षक (वास्तविक)	प्रथम योजना रुपये	द्वितीय योजना		तृतीय योजना		
		कुल व्यय	प्रथम योजना से प्रतिशत (वास्तविक)	कुल व्यय	प्रथम योजना से प्रतिशत (वास्तविक) %	
1	2	3	4	5	6	7
1 कृषि एव सामुदायिक						
विकास	6 99	12 90	25 45	24 77	40 65	19 11
2 सिचाई	30 24	55 86	23 10	22 57	76 23	35 85
3. शक्ति	1 24	2 27	15 15	14 74	39 64	18 64
4 उद्योग तथा खनिज	0 46	0 85	3 38	3 29	3 31	1 50
5 सड़कें	5 55	10 25	10 17	9 90	9 75	4 59
6 सामाजिक सेवाएँ	9 12	16 84	24 31	23 67	42 03	19 77
7 विविध	0 55	1 01	1 09	1 06	1 02	0 48
योग	54 14	100 00	102 74	100 00	212 63	100 00

उपरोक्त ग्राहकों से स्पष्ट है कि राजस्थान की आर्थिक योजनाओं में सर्वोच्च प्राथमिकता सिचाई एव शक्ति को दी गई है। प्रथम योजना में कुल व्यय का लगभग 58 /, द्वितीय योजना में लगभग 37 /, और तृतीय योजना में कुल व्यय का लगभग 54 / सिचाई एव शक्ति पर व्यय किया गया है। प्रथम योजना में द्वितीय प्राथमिकता सामाजिक सेवाओं को रही जिस पर कुल वास्तविक व्यय का लगभग 17% खर्च किया गया। द्वितीय योजना में इस मद पर लगभग 24 / व्यय हुआ और इस दृष्टि से यह व्यय कृषि एव सामुदायिक विकास में किए गए व्यय (लगभग 25 प्रतिशत) के समिक्षा रहा। तृतीय योजना में भी सामाजिक सेवाओं और कृषि एव सामुदायिक विकास पर लगभग बराबर व्यय किया गया। सामाजिक सेवाओं पर 20 / से कुछ कम तथा कृषि एव सामुदायिक विकास पर 19 / से कुछ अधिक व्यय किया गया।

सार्वजनिक व्यय के इस आवटन से स्पष्ट है कि राजस्थान ने अपनी तीनों योजनाओं में एक और तो सिचाई एवं विद्युत-विकास का पूरा प्रयत्न किया और दूसरी ओर वह जन-कल्याण के लिए सामाजिक सेवाओं के विस्तार को भी छोड़ी प्राथमिकता देता रहा। परिवहन में प्रथम दोनों योजनाओं में सड़कों के विकास पर काफी बल दिया गया और तृतीय योजना भी भी कुल-व्यय का 6% से कुछ कम इस कार्यक्रम पर व्यय किया गया।

प्रथम तीनों योजनाओं में आर्थिक प्रगति

राजस्थान की तीनों पचवर्षीय योजनाओं में प्रधानति नियोजन के 15 वर्षों में (1951-66) हर्इ कुल उपलब्धियों का सामूहिक सिद्धावलोकन करता अध्ययन वी हॉस्टिंग से विशेष उपयुक्त होगा। इन तीनों योजनाओं में सिचाई एवं शक्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई और उनके बाद प्राथमिकता में सामाजिक सेवाओं, कृषि कार्यक्रमों सहकारिता एवं मामुदायिक विकास, यातायात एवं सचार तथा उद्योग और खनिज का क्रमशः द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पचम् एवं पठ्ठम् स्थान आता है।

इन प्राथमिकताओं पर आर्थिक विकास व्यय से अवृद्धिवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का विकास निम्न तर्थों से स्पष्ट है—

राजध की आय एवं प्रति वर्षति आय—राजस्थान राजध की 1954-55 में कुल आय (1961 के मूल्यों के आधार पर) 400 करोड़ रुपये थी। वह प्रथम योजना की समाप्ति पर 456 करोड़, द्वितीय योजना की समाप्ति पर 636.6 करोड़ रु और तृतीय योजना के अन्त में बढ़कर 841.8 करोड़ रु हो गई। प्रति वर्षति आय क्रमशः 260 रु, 323 रु और 381 रु हो गई। 1966-67 में राज्य की कुल आय 1,015 करोड़ तथा प्रति वर्षति आय 449 रु हो गई।

कृषि-विकास—कृषि-विकास को भी इन तीनों योजनाओं में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। भूमि-व्यवस्था में क्रान्तिकारी एवं प्रगतिशील सुधारों के परिणामस्वरूप जमीदारी तथा जानीरदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ। छोटे-छोटे और बिखरे खेतों की समस्या के लिए कानून तथा 18.81 लाख हैबटर भूमि वी चकवन्दी का कार्य पूरा किया गया।

कृषि उत्पत्ति में बृद्धि के लिए सुधरे बीज, रासायनिक खाद तथा बंजानिक कृषि को प्रोत्साहन मिला। राज्य में 50 बीज-विकास-कार्म स्थापित किए गए और 30.29 लाख हैबटर में सुधरे बीजों का प्रयोग हीने लगा। नए औजारों और यन्त्रोंकरण को प्रोत्साहन देने के लिए कृषि मन्त्रालय की स्थापना और रूस की सहायता से 1956 में भूरतगढ़ में कृषि कार्म का दूसरा प्रयास योजनाओं की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ रहीं।

कृषि के लिए प्रशिक्षित अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए उद्यमपुर में कृषि-विश्वविद्यालय, जोखनेर में कृषि महाविद्यालय का विस्तार, बीजनेर में पशुचिकित्सालय प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना कृषि-विकास की दिशा में साम्राज्यक नदम रहे।

पशु धन के विकास के लिए 17 केन्द्रीय ग्रामसंचार स्थापित किए गए। जहाँ राजस्थान के निर्माण के समय पशुधन के रोगों की रोकथाम के लिए राज्य में 57 औषधालय, 88 चिकित्सालय और 2 चल चिकित्सालय थे, वहाँ उनकी संख्या तृतीय योजना के अन्त में क्रमशः 204, 129 और 24 हो गई।

सार्वांशत राजस्थान के आर्थिक नियोजन के 15 वर्ष में राजस्थान में खाद्यान्न की उत्पादन क्षमता लगभग दुगुनी, तिलहन की तिगुनी, कपास की दुगुनी हो गई। राजस्थान में जहाँ सामान्य समय में भी 50 हजार से एक लाख टन खाद्यान्न का अभाव रहता था, वहाँ अब आत्मनिर्भर होकर अर्थ राज्यों को निर्यात करने की क्षमता हो गई। पशु-रोग निवारण, विकास तथा बीजों के सुधार की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की गई।

सिंचाई एवं शक्ति—राज्य के आर्थिक नियोजन में सिंचाई साधनों के विकास को सर्वोच्च प्रायमिकता दी गई। तीनों योजनाओं के कुल वास्तविक व्यय 369 58 करोड़ रुपयों में से 129 66 करोड़ रु के बेल सिंचाई पर व्यय किया गया। फलस्वरूप, सिंचाई-क्षेत्र 11 74 लाख हैक्टर (1950-51) से बढ़ कर तृतीय योजना के अन्त तक 20 80 लाख हैक्टर तक पहुंच गया।

शक्ति के साधनों पर कुल व्यय की गई राशि 56 62 करोड़ रु के बराबर थी। सन् 1950-51 में विधुन् उत्पादन-क्षमता 7·48 मेगावाट थी, जो 1967-68 में बढ़कर 163 मेगावाट हो गई। 1950 में केवल 23 विज्सी-धर थे जो 1967-68 में 70 हो गए। प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग भी 1965-66 तक 3 06 किलोवाट से बढ़कर 15 37 किलोवाट हो गया।

सहकारिता एवं सामुदायिक विकास—राजस्थान में जनता के सर्वांगीण विकास और जनसंहयोग वृद्धि के लिए 2 अवृत्तवर, 1962 को सामुदायिक विकास कार्य प्रारम्भ हुआ। अब राज्य की समस्त ग्रामीण जनसंलया सामुदायिक विकास की परिधि में आ गई। राज्य में 1965-66 तक 232 विकास खण्डों की स्थापना हो चुकी थी। इनमें 83 प्रथम चरण खण्ड, 95 द्वितीय चरण खण्ड और 66 उत्तर द्वितीय चरण विकास खण्ड थे।

विकेन्द्रीकरण के अन्तर्गत योजनाओं की समाप्ति पर 26 जिला परिषद्, 232 पचायत समितियाँ और 7,382 ग्राम पचायतें काम कर रही थीं।

सहकारिता का धोन भी बहुत बढ़ा है। जहाँ 1950-51 में राज्य में सहकारी समितियों की संख्या 3,590 थी और सदस्य संख्या 1 45 लाख थी, वहाँ 1965-66 में क्रमशः 22 571 तथा सदस्य संख्या 14 33 लाख हो गई है। तृतीय योजना के अन्त तक 33 प्रतिशत ग्राम्य परिवार सहकारिता आन्दोलन के अन्तर्गत लाए जा चुके थे जबकि 1950-51 में वह 1 5% ही था।

प्रशिक्षण के लिए जयपुर में सहकारिता प्रशिक्षण स्कूल तथा कोटा, हूंगरपुर व जयपुर में प्रशिक्षण केन्द्र शुरू किए गए।

सामाजिक सेवाएँ—तीनों पचार्पीय योजनाओं के अन्तर्गत सामाजिक सेवा

शेष पर 75,46 करोड़ रु ब्यय किए गए अर्थात् कुल ब्यय का 20.42% भाग शिक्षा, चिकित्सा व अम कल्याण आदि पर ब्यय किया गया। फलस्वरूप, शिक्षण-संस्थाओं की संख्या 6,029 (वर्ष 1950-51) से बढ़ कर 32,826 (वर्ष 1965-66) हो गई। इसी प्रवार, चिकित्सालयों व डिस्पेन्सरियों की संख्या भी 366 से बढ़कर 535 हो गई। जल-पूर्ति की योजनाएँ भी 72 ग्रामीण और शहरी केन्द्रों में पूरी की गई। इसके अतिरिक्त, राज्य में 3 विश्वविद्यालय, 5 मेडिकल कॉलेज, 3 इंजीनियरिंग कॉलेज और 4 कृषि-कॉलेज भी स्थापित हुए। लगभग 10 स्थानों पर पचायतीराज प्रशिक्षण केन्द्र कार्य करने लगे और 5 ग्राम सेवक प्रशिक्षक केन्द्र भी कार्यरत हुए।

योजनाकाल में गृह-निर्माण के कार्य में काफी प्रगति की गई। अल्प-ग्राम-गृह-निर्माण-योजना के अन्तर्गत 7,162 गृह-निर्माण किए गए। श्रीचोगिक गृह योजना के अन्तर्गत 3,974 मकान बनाए गए।

पिछड़े वर्ग की जनसंख्या राज्य की जनसंख्या का लगभग 1/4 भाग है। एकीकरण के समय इनकी स्थिति आर्थिक और सामाजिक, दोनों हाईयो से बहुत पिछड़ी हुई थी। इनकी स्थिति सुधारने के लिए छात्रवृत्तियाँ, गृह निर्माण, आवास व्यवस्था और अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान भी गई। तृतीय योजना के अन्त में इस क्षेत्र के अन्तर्गत 1 रिमांड होम, एक प्रमाणित शाला, 1 आपटर केवर होम, 1 बूढ़े एवं दुर्बलों के लिए एवं 3 रेस्क्यू होम काम कर रहे थे। इसके अतिरिक्त 19 परिवीक्षा अधिकारी भी परिवीक्षा सेवाएँ कर रहे थे।

परिवहन एवं संचार—राज्य के बहुमुखी विकास के लिए सड़क निर्माण पर ध्यान देना बहुत आवश्यक था, क्योंकि राज्य के पुनर्गठन के समय प्रति 100 वर्ग मील पर 5.35 मील लम्बी सड़कें थीं। सन् 1951 में कुल मिलाकर सड़कों की लम्बाई 18,300 किलोमीटर थी, वह तृतीय योजना की समर्पित पर बढ़कर 30,586 कि.मी. हो गई। प्रथम, द्वितीय और तृतीय योजनाओं में क्रमशः 5.5 करोड़ रु., 10.2 करोड़ रु और 9.7 करोड़ रु ब्यय से प्रत्येक योजना के अन्त में सड़कों की कुल लम्बाई 1955-56 में 22,511 किलोमीटर, 1960-61 में 25,693 किलो-मीटर और तृतीय योजना के अन्त 1965-66 में 30,586 किलोमीटर हो गई, अर्थात् तीन योजनाओं में 25.4 करोड़ रु के विकास ब्यय से सड़कों की कुल लम्बाई में 12,000 किलोमीटर से अधिक वृद्धि हुई। प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर 6 किलोमीटर लम्बी सड़कें हो गईं। इस प्रकार लगभग बुद्ध तहसील मुख्यालयों को ढोड़कर सभी तहसील मुख्यालयों को जिला मुख्यालयों से जोड़ दिया गया।

केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत ऐल परिवहन में फतहपुर-चुल, उदयपुर-हेमतनगर और गगानगर-हिन्दूमल कोट-ऐल लाइन बनाई गईं।

उद्योग—तीनों योजनाओं द्वारा अवधि में उद्योग एवं स्थनन् पर 7.15 करोड़ रु ब्यय किए गए। योजना के दौरान कई श्रीचोगिक मण्डरो, जैसे-कोटा, गगानगर, जयपुर, उदयपुर, भीलवाडा, भरतपुर, छोड़वाना, खेतडी आदि का विकास हुआ। रजिस्टर्ड कंपनियों की संख्या जहाँ प्रत्येक योजना के प्रन्त में 368 थीं वहाँ द्वितीय योजना

के पन्न में 856 और तृतीय योजना के पन्न में 1564 हो गई। राज्य में आद्योगिक इकाइयों की कुल सह्या नियोजन अवधि में लगभग 76% बढ़ी।

रोजगार—प्रत्येक योजना का प्रमुख उद्देश्य प्रत्यक्ष रूप से अपनी मानव-शक्ति का पूर्ण उपयोग करने का होता है। राजस्थान की पचवर्षीय योजनाओं में भी इस उद्देश्य की ओर उचित ध्यान देने की चेष्टा की गई है। द्वितीय योजना में 3.77 लाख व्यक्तियों को और तृतीय योजना में 6.50 लाख व्यक्तियों को अनिवार्य रोजगार प्रदान किया गया।

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि राजस्थान ने विभिन्न कठिनाइयों के बावड़द भी आर्थिक नियोजन के 15 वर्षों में महत्वपूर्ण प्रगति की। नियोजन काल में की गई सर्वांगीण प्रगति के आधार पर ही राजस्थान क्रमशः तेज़ी से आर्थिक व सामाजिक समृद्धि के मार्ग पर बढ़ रहा है। यह आशा है कि निकट भविष्य में राजस्थान आद्योगिक एवं सामाजिक दृष्टि से विकसित होकर देश के अन्य उन्नत राज्यों की ओर से आ लड़ा होगा।

राजस्थान की तीन वार्षिक योजनाएँ (1966-69)

तृतीय पचवर्षीय योजना की समाप्ति के उपरान्त, विकट राष्ट्रीय सकटों और भारत पाक संघर्ष आदि के कारण चतुर्थ पचवर्षीय योजना 1 प्रप्रेल, 1966 से लगू नहीं की जा सकी, इन्तु नियोजन का क्रम न टूटने देने के लिए, 1966-69 की अवधि ने तीन वार्षिक योजनाएँ कार्यान्वयित की गई। तीनों वार्षिक योजनाओं में कुल व्यय लगभग 137 करोड़ रुपये हुआ। पहले ही की भाँति सिचाई एवं शक्ति को प्राथमिकता दी गई और कुल व्यय का लगभग 61% इस मद पर खर्च हुआ। सामाजिक सेवाओं पर लगभग 15.5% व्यय हुआ और इस प्रकार प्राथमिकता की दृष्टि से इस मद का द्वितीय स्थान है। कृषि-कार्य पर कुल व्यय का लगभग 15% व्यय हुआ। परिवहन, सेवाएँ आदि पर लगभग 3% व्यय किया गया। इन वार्षिक योजनाओं में हृषि सिचाई व शक्ति को पहले से दी जाने वाली प्राथमिकता में और भी वृद्धि कर दी गई, जबकि सामाजिक सेवाओं पर किया गया प्रतिशत व्यय द्वितीय और तृतीय पचवर्षीय योजनाओं की अपेक्षा कम रहा। वास्तव में साधनों के अभाव में व पिछले योजनाओं की प्राथमिकताओं में कुछ परिवर्तन करना स्वाभाविक था।

विभिन्न कठिनाइयों के बावड़द वार्षिक योजनाओं में कुछ अंतरों में प्रगति जारी रही। 1968-69 के अन्न में विद्युत-उत्पादन 174 मेगावाट तक जा पहुंचा। खाद्यान्नों के उत्पादन में प्रथम वार्षिक योजना में स्थिति आशानुरूप नहीं रही, द्वितीय वार्षिक योजनाओं में खाद्यान्नों का उत्पादन लगभग 66 लाख टन हुआ, किन्तु तृतीय वार्षिक योजनाओं में खाद्यान्नों का उत्पादन प्रथम वार्षिक योजना के लगभग 43.5 लाख टन से भी घटकर केवल 35.5 लाख टन पर आ गया। सामाजिक सेवा धोन में प्रगति हुई, परिवार-नियोजन कार्यक्रम आगे बढ़ा और ग्रामीण तथा शहरी जल-नूरि कार्यक्रम भी सम्मोजनक रूप में आगे बढ़े।

राजस्थान की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969-74)¹

राज्य की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल, 1969 से आरम्भ हो गई, लेकिन कुछ कारणों से इसे अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका। योजना आयोग ने पांचवें वित्त-आयोग की सिफारिशों को व्यान में रखते हुए देश के विभिन्न राज्यों की योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन किया और 21 मार्च, 1970 को राजस्थान राज्य की संशोधित चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का आकार 302 करोड़ रुपये की निर्धारित किया जबकि राज्य-सरकार ने 316 करोड़ रुपये की योजना प्रस्तुत की थी।

इस योजना में राज्य द्वारा प्रस्तावित व्यय-राशि का आवटन (प्रतिशत सहित) इस प्रकार था।²

(करोड़ रुपये में)

विकास की भव	व्यय	चतुर्थ योजना का व्यय	
		चतुर्थ योजना का व्यय	कुल व्यय का प्रतिशत
1	2	3	
1. कृषिगत कार्यक्रम	23	7 3	
2. सहकारिता एवं सामुदायिक विकास	9	2 8	
3. सिचाई एवं शक्ति	189	59·8	
4. उद्योग तथा खनन	9	2 9	
5. परिवहन एवं सचार	10	3 2	
6. सामाजिक सेवाएँ	73	23 1	
7. अन्य	3	0 9	
कुल	316	100 0	

उक्त सारणी से स्पष्ट है कि चतुर्थ योजना में सर्वोच्च आधिकारिकता सिचाई एवं शक्ति को दी गई तथा दूसरे स्थान पर सामाजिक सेवाएँ रही। कृषिगत कार्यक्रम का इनके बाद स्थान रहा और इन पर कुल व्यय का 7 3% व्यय करने की व्यवस्था की गई। चतुर्थ योजना समाप्त होने के पश्चात् जब इसके व्यय और उपलब्धियों का अन्तिम मूल्यांकन किया गया तो योजना के उपरोक्त प्रस्तावित व्यय तथा वास्तविक व्यय में कोई विशेष अन्तर नहीं था। राजस्थान राज्य वे आय-व्यय के अध्ययन (वर्ष 1976-77) के अनुसार वास्तविक व्यय की राशि 308·79 करोड़ रु रही। चतुर्थ योजना की विभिन्न विकास भवों पर कितना वास्तविक व्यय हुआ, यह पांचवीं योजना से सम्बन्धित एक सारणी में (जिसमें दोनों योजनाओं के तुलनात्मक आंकड़े दिए गए हैं), दर्शाया गया है।

1. चौदों योजना का यह विवरण मूल्य रूप से दीन घोरों पर आधारित है—(क) पांचवीं योजना का प्रारूप जो जुलाई, 1973 में राज्य सरकार द्वारा तैयार किया गया, (घ) वित्त-मन्त्री राजस्थान का बजट आपण, 1973-74, एवं (घ) वित्त-मन्त्री का बजट आपण, 1974-75.
2. Draft Fifth Five Year Plan 1974-79, p. 13

चतुर्थ पचवर्षीय योजना में आर्थिक प्रगति

राज्य की आय-वृद्धि—चतुर्थ योजना में किए गए विभिन्न प्रयत्नों से राज्य की आय में वृद्धि हुई। 1971-72 के मूल्यों के अनुमान योजना समाप्ति के समय प्रति व्यक्ति आय 600 रुपये अनुमानित की गई। 1971 एवं 1974 के बीच राज्य की जनसंख्या में 8.51 प्रतिशत तक की दर से वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है।

कृषिगत कार्यक्रम—चतुर्थ योजना के दौरान कृषिगत कार्यक्रमों की आगे बढ़ाया गया। अधिक उन्नत किसिमों के बीजों, रासायनिक उर्वरकों और लघु सिचाई के माध्यम से कृषि-कार्यक्रमों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। 1971-72 के अन्त में अधिक उपज वाली फसलों की किसिम का क्षेत्रफल 8 लाख हैक्टेयर या जो 1972-73 के अन्त तक सगभग 12.34 लाख हैक्टेयर तक और 1973-74 में लगभग 13.20 लाख हैक्टेयर पहुंच गया। उर्वरकों का वितरण 1971-72 में 2.89 लाख टन था जो 1972-73 में लगभग 3.18 लाख टन तक पहुंच गया। वृष्टि-नियोजन से 1972-73 तक की समाप्ति तक 5.75 लाख टन खाद्यान्नों, 0.36 लाख टन निलहन एवं 90 लाख टन कपास की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता बढ़ने की आशा थी। 1973-74 में 7.1 लाख टन खाद्यान्न उत्पन्न होने का अनुमान या जबकि जौथी योजना के प्रारम्भ में उत्पादन-क्षमता का आधार-स्तर 6.3 लाख टन था। चतुर्थ योजनावधि में दुग्ध उत्पादन भी 22.70 लाख टन से बढ़कर 23.70 लाख टन तक हो गया। पौध सरक्षण की व्यवस्थाओं एवं नियन्त्रित विधियों को विस्तृत किया गया। भूमि समतलन सम्बन्धी कार्य भी हाथ में लिए गए। 1968-69 की तुलना में सहकारी साख में दुगुने से भी अधिक वृद्धि हो गई।

सिचाई एवं विजली—चतुर्थ योजनावधि की समाप्ति तक 7 मध्यम सिचाई योजनाएं प्रथम् पारबती, मेजा, मोरेल बेडच (वडगाँव), बेडच (बल्लभनगर), ओराई एवं खारी फीडर लगभग पूरी हो गई। इसके प्रतिरिक्त 30 अन्य लघु सिचाई योजनाओं पर भी कार्य प्रारम्भ हो गया। सिचित क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई। 1968-69 में जो सिचित क्षेत्र 21.18 लाख हैक्टेयर था, वह 1973-74 में बढ़कर सगभग 25.67 लाख हैक्टेयर हो गया। राजस्थान नहर क्षेत्र में बड़ी तेजी से प्रगति हुई और योजना की समाप्ति तक इस नहर परियोजना पर कुल व्यय लगभग 104 करोड़ रुपये का हुआ। 1968-69 में इसकी मिचाई-क्षमता ऐवल 1.64 लाख हैक्टेयर थी जो योजना की समाप्ति तक बढ़कर लगभग 2.80 लाख हैक्टेयर हो गई।

शक्ति अर्थात् विद्युत्-उत्पादन के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। जवाहर-सामर परियोजना एवं राणाप्रताप सागर आगु विद्युत्-शक्ति प्लान्ट की यूनिट एक का काम पूरा हो गया। अन्त स्थायी विद्युत्-उत्पादन जो 1968-69 में 174 मेगावाट था, बढ़कर 1973-74 में 400 मेगावाट तक हो गया। योजनावधि में प्रति व्यक्ति के पीछे खंड होने वाली विजली के ग्रांकड़े 26 किलोवाट प्रति व्यक्ति

से बढ़कर 60 लिलोग्राम तक हो गया। 1968-69 तक केवल 2,247 ग्रामीण बस्तियों में विद्युतीकरण हुया था, जो योजना के अन्त तक बढ़कर लगभग 5,850 बस्तियों तक पहुँच गया। विद्युतीकरण किए गए कुओं की संख्या भी 18,795 से बढ़कर लगभग 73,000 हो गई। इस प्रकार चतुर्थ योजना-काल में 54,000 से भी अधिक कुओं को विजली दी गई।

उद्योग एवं खनन—योजना-काल में श्रौद्धोगिक धोख में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। बनस्पति, तेल, सीमेन्ट, पावर के वित्त, सूती धागे, मशीन टूल्स, चीती एवं नाइलोन के धागे आदि के उत्पादन हेतु अनेक महत्वपूर्ण उद्योग स्थापित किए गए। कुछ दस्तुओं के उत्पादन में बहुत संतोषप्रद वृद्धि हुई। 1973 के अन्त तक बनस्पति तेली तथा उर्वरकी के उत्पादन में 1969 की तुलना में नमश 480 प्रतिशत एवं 96 प्रतिशत की वृद्धि हुई। नाइलोन के धागों, सीमेन्ट, माइका इन्स्यूलिशन वित्त एवं वालवियरिंग के उत्पादन में भी 1968 की तुलना में नमश 28 प्रतिशत, 15 प्रतिशत, 65 प्रतिशत एवं 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

राज्य वित्त नियम ने उद्योगों को अपनी ऋण-सहायता में भी काफी वृद्धि की। 1964-65 से 1968-69 की पाँच वर्ष की अवधि में 156 श्रौद्धोगिक इकाइयों को 4,50 करोड़ रुपये की कुल व्यवस्था सहायता दी गई थी और चतुर्थ योजनावधि में 1,065 इकाइयों को लगभग 15,36 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी जा सकने की सम्भावना थी। राज्य सरकार ने आधारभूत सुविधाएं देने की प्रणाली जारी रखी। योजना समाप्ति तक 13 श्रौद्धोगिक क्षेत्रों में 1,814 एकड़ श्रौद्धोगिक भूमि का विकास हो जाने तथा 252 श्रौद्धोगिक क्षेत्रों का निर्माण-कार्य पूरा हो जाने की आशा थी। राज्य ने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सेन्ट्रल ग्डिलक सेवटर एन्टरप्राइजेज) में किया गया विनियोजन 1966-67 में 16,86 करोड़ रुपये से बढ़कर 1973-74 में लगभग 100 करोड़ तक पहुँच गया। रजिस्टर्ड फैब्रियों की संख्या भी योजनावधि में 1,846 से बढ़कर लगभग 2,800 हो गई।

प्राविज क्षेत्र में सबसे उल्लेखनीय घटना भारतकोटडा में रॉक फॉस्फेट की उपलब्धि रही। चतुर्थ योजना की समाप्ति तक इन खानों से 7,95 लाख टन कच्चा धातु निकाले जा चुकने की आशा थी। योजना-काल में ताम्बा व कच्चे लोहे के उत्पादन में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। 1973 के समाप्त होने तक कच्चा माइका, सिल्वर, लैंड कन्सर्टेट, कैल्साइट एवं फैल्स्पार के उत्पादन में 1968 के स्थान पर नमश 114 प्रतिशत, 48 प्रतिशत, 114 प्रतिशत, 91 प्रतिशत एवं 42 प्रतिशत की अधिक वृद्धि हुई।

परिवहन व सचार—योजना-काल में परिवहन और सचार-क्षेत्र में काफी प्रगति हुई। लगभग 2,500 किलोमीटर लम्बी सड़के और बनी। 25 प्रतिशत भागों का योजनावधि की समाप्ति तक राष्ट्रीयकरण किया गया। पांचवीं योजनावधि में ज्ञात-प्रतिशत बस-भागों का राष्ट्रीयकरण कर देने की आशा वित्त मंत्री ने अपने शजट भाषण में घ्यवत की। सड़कों के विकास के फलस्वरूप 1973-74 के अग

तंक राज्य मे कुल सड़को की सम्भाई लगभग 33,880 किलोमीटर हो जाने की आशा थी।

सामाजिक सेवा—चतुर्थ योजना-काल मे सामाजिक सेवाओं और सुविधाओं मे पर्याप्त वृद्धि हुई। राज्य मे 2,100 से अधिक प्राथमिक शालाएं, 3,000 मिडिल स्कूल, 290 माध्यमिक एव उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा 7 नए बॉलिंग खोले गए। 1968-69 में ग्राम-जल-प्रदाय योजना 225 ग्रामों में चालू थी, किन्तु 1973-74 मे उनकी सख्त बढ़कर 1,427 हो गई। राजस्थान आवासन बोडे के तत्वावधान में गृह-निर्माण कार्य में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई। 1974 के अन्त तक 2,655 भवनों का निर्माण-कार्य पूरा हो जाने की आशा वित्त-मंत्री भवोदय ने अपने बजट भाषण मे घ्यक्षत की।

रोजगार—बेरोजगारों बो रोजगार देने की दिशा में भी काफी प्रयत्न किए गए। योजनावधि में लाभग 8 लाख लोगों को रोजगार की सुविधाएँ प्रदान की गई। ग्रामीण लोगों के लिए एव शिक्षित युवकों के लिए रोजगार प्रदान करने वाले अनेक कार्यक्रमों को हाथ मे लिया गया, जिनमें से अधिकांश कार्यक्रम भारत सरकार की सहायता से प्रारम्भ हुए। 1973-74 में भारत सरकार द्वारा प्राविट 2.76 करोड़ रुपये की राशि से एक 'हाफ-ए-मिलियन जाब्स प्रोग्राम' प्रारम्भ किया गया जिसके अन्तर्गत 20 हजार शिक्षित व्यक्तियों को नोजगार दिया जा सकेगा।

अत स्पष्ट है कि चतुर्थ योजनावधि मे राज्य मे विभिन्न क्षेत्रों मे प्रगति हुई। तथापि योजना-काल के अन्तिम दो वर्षों से राज्य को एक नाजुक आर्थिक स्थिति के दौर से गुजरना पड़ा, क्योंकि देश की समूची अर्थव्यवस्था मे मुद्रा-स्फीति का दबाव बढ़ गया। जबरदस्त सूखे के कारण अन्न-उत्पादन को और विद्युत्-उत्पादन मे कमी के कारण औद्योगिक उत्पादन को भारी आघात पहुँचने, विश्व में तेल-मूलकों मे असाधारण वृद्धि होने तथा अन्य सक्रिय के कारण देश की समूची अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव व असर पड़ता रहा।

राजस्थान की पांचवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप एवं 1974-75 की वार्षिक योजना

राजस्थान सरकार के नियोजित विभाग द्वारा जुलाई, 1972 मे राज्य की पांचवीं पंचवर्षीय योजना का हृष्टिकोण-पत्र प्रकाशित किया गया। इस हृष्टिकोण-पत्र मे पांचवीं योजना मे अपनाई जाने वाली आधारभूत नीतियों, विनियोग की मात्रा, दिकास-दर आदि के सवन्ध मे कठिपय प्रस्ताव रखे गए। विकास-दर 7%, आर्थिक प्रस्तावित की गई। सावजनिक क्षेत्र मे व्यय के लिए 775 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए जिनमे से 600 करोड़ रुपये की राशि केन्द्रीय सहायता के रूप मे प्राप्त की जानी थी। हृष्टिकोण-पत्र मे सिचाई व शक्ति को सर्वाधिक महत्व देते हुए कुल प्रस्तावित राशि 775 करोड़ रुपये का 60% निश्चित किया गया। कृषि-कार्यक्रमों के लिए 13%, उद्योग एव खनन के लिए 4.5% तथा सामाजिक सेवाओं के लिए 15% व्यय नियत किया गया। हृष्टिकोण-पत्र मे आर्थिक विषमताओं को दूर करने के

सम्बन्ध में कोई ठोस सुभाव नहीं दिए गए और वित्तीय साधनों के अभाव की समस्या पर भी समुचित ध्यान न दिया गया।

जुलाई, 1973 में राज्य सरकार द्वारा पांचवीं पचवर्षीय योजना का प्रारूप (Draft) तैयार किया जा कर योजना आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया। हॉटिटोण-पत्र में सार्वजनिक क्षेत्र में व्यय के लिए 775 करोड़ रुपये वा प्रावधान या चिन्तु प्रारूप में योजना का आकार 635 करोड़ रुपये ही रखा गया। राजस्थान राज्य के आय व्यय का अध्ययन 1976-77 के अनुसार पांचवीं योजना का कुल परिव्यय (Outlay) 691.47 करोड़ रुपये रखा गया है। भारत सरकार द्वी पांचवीं पचवर्षीय योजना का अन्तिम रूप से पुनर्मूल्यांकन अक्टूबर, 1976 में प्रकाशित होने वाली सम्भावना है और स्वाभाविक है कि राज्यों की पचवर्षीय योजनाओं में भी न्यूनाधिक हेरफेर सामने पाएंगे।

पांचवीं योजना (1974-79) पिछली योजनाओं की तुलना में अधिक व्यावहारिक और देश में समाजवादी ढाँचे के समाज की स्थापना के लक्ष्य के अधिक अनुकूल है। इसका सकेत राज्य के मुख्य मन्त्री हरिदेव जोशी के इन शब्दों से भी मिलता है कि, 'चार पचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन के पश्चात् अब यह अनुभव किया जाने लगा है कि आर्थिक विकास पर बल देने मात्र से स्वत ही न हो जनता के कमजोर वर्गों का जीवन स्तर ऊँचा होता है और न ही आमदनी और अन्य आर्थिक लाभों का व्यापक वितरण ही होता है। साथ ही, हम यह भी पाते हैं कि पिछली पचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन के उपरान्त भी हम अन्य राज्यों की अपेक्षा विकास के निम्नतर स्तर पर हैं। इस स्थिति में हमारे लिए यह आवश्यक है कि पांचवीं पचवर्षीय योजना में हम ऐसे प्रयास करें कि राज्य के विकास की गति में अधिकाधिक विकास हो ताकि राजस्थान और अन्य राज्यों के बीच विकास के स्तरों का अन्तर कम हो सके।'¹

पांचवीं योजना के उद्देश्य और मूल नीति

प्रमुख रूप से पांचवीं योजना के उद्देश्य इस प्रकार है—

- (1) आर्थिक विषमता कम से बहुत रहे
- (2) प्रत्येक को जीवन-यापन का साधन मिले
- (3) सामाजिक न्याय की प्रतिष्ठा हो
- (4) देशीय असमानता में कमी हो
- (5) मानव-मूल्यों का विकास हो।

इन उद्देश्यों का सकेत मुख्य मन्त्री श्री हरिदेव जोशी ने किया। स्पष्टत उनके ये कोई कूटनीति-प्रेरित वाक्य नहीं हैं अपितु योजना-प्रारूप में उल्लिखित उद्देश्यों का सक्षिप्तीकरण है। प्रारूप के प्रथम पृष्ठ के प्रथम पंक्ति में ही स्पष्ट रूप में उल्लिख है

1. राजस्थान विकास, दिसंबर, 1973 में मुख्य मन्त्री श्री हरिदेव जोशी का लेख 'पांचवीं योजना का आघार,' पृष्ठ 3

2 Ibid, p. 13

कि, "राज्य की पाँचवीं पचवर्षीय योजना का उद्देश्य विकास को स्थिरितों द्वारा उत्पन्न करने में समर्थ विभिन्न क्षेत्रों के विकास को प्रोत्साहन देकर आर्थिक आधार को मजबूत बनाना है। प्रयत्न यह होगा कि आर्थिक विकास के लाभ जनता के प्रधिकारिक बड़े भाग को मिल सकें और जनता के बहुमत के जीवन स्तर में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, महत्वपूर्ण सुधार हो सके।"¹ प्रारूप के प्रथम अध्याय में योजना के मूलभूत उद्देश्यों और योजना की व्यूह-रचना अथवा मूल नीति को विस्तार से स्पष्ट किया गया है। रपटा के लिए मुख्य विन्दु निनानुसार है²—

1. अर्थ-व्यवस्था के उन क्षेत्रों का विकास किया जाएगा जो विकास की गति को तोड़ करने और अधिकतम उत्पादन दे सकते में समर्थ हो।

2. विभिन्न क्षेत्र में विकास कार्यक्रम इस प्रकार निर्धारित किए जाएंगे जिससे समाज के कमजोर वर्गों को योजना के अधिकारिक लाभ उपलब्ध हो सके। उन कार्यक्रमों को वरियता दी जाएगी जो रोजमार के अवसरों को बढ़ा सकें। यह प्रयास किया जाएगा कि शिक्षा सुविधाओं, स्वास्थ्य-कार्यक्रमों, जल-पूर्ति, विद्युतीकरण, सड़कों, गन्दी वस्तियों के सुधार आदि के सम्बन्ध में ग्रामीण जनता की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति दी जा सके।

3. उन कार्यक्रमों को प्रयोगाया जाएगा जिनके द्वारा प्राथमिक उत्पादकों, कृषि-शमिकों और जनता के कमजोर वर्गों की आय में वृद्धि हो सके।

4. कृषि-नीति को अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। यह प्रयास किया जाएगा कि प्रति एकड़ उत्पादन बढ़े। साथ ही, अधिक गहन कृषि पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा, क्योंकि राज्य में नई भूमि पर कृषि विस्तार की सम्भावनाएं सीमित हैं। राज्य में पशुपालन के विकास की भारी सम्भावनायों को देखते हुए इसके लिए चरागाहों तथा चारे के विकास की दिशा में सक्रिय प्रयास किए जाएंगे।

5. भूमिगत-जल (Ground water) का विशेष रूप से प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि राज्य में सतही जल (Surface water) की मात्रा सीमित है।

6. सिचाई क्षमता का अधिकतम उपयोग करते हुए कृषि को के लिए कृषि और पशुपालन विकास के लिए साल-मुचिधायों का विस्तार किया जाएगा। भूमि को समतल बनाने तथा भू-सरकारण और शुष्क कृषि-कार्यक्रमों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इनके लिए चम्बल एवं राजस्थान नहर परियोजनायों के सिचाई-क्षेत्रों का समर्वित ढग से विकास किया जाएगा। इस विकास-कार्यक्रम में सड़कों और मण्डियों का निर्माण, विद्युतीकरण, वैज्ञानिक कृषि-पद्धतियाँ आदि विभिन्न बातें सम्मिलित हैं।

7. राज्य में बड़े मध्यम एवं लघु उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस बात का पूरा प्रयास होगा कि श्रीद्योगिक विकास निगमों के माध्यम से 'आधारित सरचना' (Infra-Structure) के विकास को गति मिले।

1 Draft Fifth Five Year Plan (Rajasthan) 1974-79, p. 1.

2 Ibid, pp. 8-12

योजना के प्रारूप में प्रस्तावित राशियों और आय-व्यय के अध्ययन 1976-77 में दिखाई गई राशियों में हुमा विशेष अन्तर नहीं आता। योजना प्रारूप में सर्वोच्च प्रायमिकता (49.9 प्रतिशत) सिचाई एवं शक्ति को दी गई है, दूसरा स्थान सामाजिक सेवाओं का है, जिनके 23.1 प्रतिशत राशि निर्धारित की गई है। कृषि-कार्यक्रम को तीसरा स्थान दिया गया है जिस पर 10.2 प्रतिशत राशि व्यय करने का प्रस्ताव है। यदि परिव्यय को भिन्न राशि में लें तो प्रारूप के अनुसार कुल 635 करोड़ रुपये के परिव्यय में से सिचाई एवं शक्ति पर 31.6 करोड़ हैं, सामाजिक सेवाओं पर 14.7 करोड़ हैं और कृषि-कार्यक्रमों पर 6.5 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान है और ये राशियाँ आय-व्ययक अध्ययन 1976-77 की राशियों से कुछ ही अन्तर रखती हैं। आय-व्यय के अध्ययन में भी सर्वोच्च प्रायमिकता सिचाई एवं शक्ति को, दूसरा स्थान सामाजिक सेवाओं को और तीसरा स्थान कृषि-कार्यक्रमों को दिया गया है।

राज्य की वार्षिक योजना (1974-75)

राजस्थान सरकार के आयोजना विभाग द्वारा 1974-75 की वार्षिक योजना (पांचवीं योजना के द्वय के रूप में) के प्रारूप में 98 करोड़ रुपये के व्यय का प्रावधान रखा गया लेकिन योजना आयोग द्वारा 79.80 करोड़ रुपये का परिव्यय ही स्वीकार किया गया। 1974-75 की इस वार्षिक योजना के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी हमें राजस्थान के वित्त मन्त्री के 1974-75 के बजट भाषण में मिलती है। अग्रिम विवरण इसी बजट भाषण के आधार पर दिया गया है।¹

वर्ष 1974-75 की वार्षिक योजना के परिव्यय (79.80 करोड़ रुपया) की वित्तीय व्यवस्था निम्न उपलब्ध स्रोतों से की जाने की व्यवस्था की गई।

(करोड़ रुपयों में)

1. केन्द्रीय सरकार से सहायता	45.06
2. राज्य द्वारा जुटाए गए अतिरिक्त साधन	5.00
3. आवासन हेतु जीवन-बीमा नियम से क्रहण	1.00
4. रिजर्व बैंक आँफ इण्डिया से क्रहण	0.80
5. राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का डिप्रिसिएशन रिजर्व	2.98
6. राज्य विद्युत मण्डल द्वारा क्रहण	13.95
(क) सार्वजनिक	4.95
(ख) जीवन-बीमा नियम से	4.00
(ग) आम-विद्युत नियम से	5.00
7. सार्वजनिक क्रहण	2.20
(क) राज्य आवासन-मण्डल	1.10
(ख) राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास नियम	1.10

1. वित्त मन्त्री, राजस्थान का बजट भाषण 1974-75, पृष्ठ 11-17

८. राजस्थान राज्य पर्यावरण विभाग का		1 49
दिविसिएशन रिजर्व		
९ नगरपालिकाओं की जल प्रदाय स्कीमों के		1 50
लिए जीवनन्दीमा नियम से नहुए		
	टोग	7 99
		<u>वार्षिक योजना में घाटा</u>
		5 82

चूंकि 79.80 करोड रुपये की योजना परिव्यय की वित्तीय व्यवस्था करने में 5.82 करोड रुपये की कमी पूरी नहीं हो पाती, अतः इसके लिए अतिरिक्त साधन जुटाए जान का निश्चय किया गया।

इस वार्षिक योजना में 79.80 करोड रुपये के परिव्यय का विभिन्न मदों का अनुसार आवटन इस प्रकार रखा गया—

(करोड रुपयों में)

१ दृष्टि एवं सम्बद्ध सेवाएँ	6 49
२ सहकारिता	1 09
३ उदायग एवं खान	3 26
४ परिवहन एवं सचार	6 10
५ सामाजिक एवं अन्य सामुदायिक सेवाएँ	20 88
६ जल एवं विद्युत विकास	40 55
७ अन्य सेवाएँ	1 43
	योग
	79 80

उपरोक्त 79.80 करोड रुपये के परिव्यय के अतिरिक्त सास्थानिक वित्तीय एजेन्सियों के माध्यम से विभिन्न राज्य नियमों, मण्डलों राज्य एजेन्सियों, सहकारी संस्थाओं एवं विद्यविद्यालयों द्वारा विकास की गतिविधियों में लगभग 72 करोड रुपये का और विनियोजन करने का अनुभान था। इसके अतिरिक्त, केन्द्र सचालित स्कीमों पर कम से कम 20.08 करोड रुपये के व्यय का अनुभान था। इस प्रकार, 1974-75 में सार्वजनिक क्षेत्र में विकास पर होने वाला कुल परिव्यय 171.88 करोड रुपये होने का अनुमान था।

राज्य की वार्षिक योजना (1975-76)

राज्य की वार्षिक योजना 1975-76 के लिए योजना आयोग द्वारा 105.50 करोड रुपये का पी व्यय अनुमोदित किया गया, जिन्हें कुछ अनुभाग जैसे जिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शामोंएवं विद्युतीकरण तथा क्षमाण विकास-प्रौद्योगिकी नियान्त्रण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु परिव्यय की राशि अधिक रही और 1976-77 के आय व्यय प्रध्ययन में दी गई एक सारणी के अनुमान सम्भावित व्यय 135.38 करोड रुपये हैं।

योजना का परिव्यय और सम्भावित व्यय

निम्नोंकि सारणी में राज्य की वार्षिक योजना 1975-76 के परिव्यय और सम्भावित व्यय की राशियों के साथ ही सम्पूर्ण पांचवीं योजना के परिव्यय को दर्शाया गया है। साथ ही, राज्य की चतुर्थ पञ्चवर्षीय योजना के परिव्यय और व्यय सम्बन्धी आंकड़े भी दिए गए हैं। इस प्रकार हमारे समक्ष चतुर्थ प्रोग्राम योजना का एक तुलनात्मक चित्र उपस्थित हो जाता है—

(करोड़ रुपये)

विभाग	चतुर्थ पञ्चवर्षीय योजना			पञ्चम पञ्चवर्षीय योजना		
	पार्व्यय (1969-74)	व्यय (1974-79)	परिव्यय (1974-79)	परिव्यय (1975-76)*	सम्भावित व्यय (1975-76)*	
1	2	3	4	5	6	
1 कृषि एवं सम्बन्धित						
सेवाएँ	25 10	22 55	73 93	10 79	11 56	
2 सहकारिता	8 20	8 12	8 30	1 10	1 14	
3 सिंचाइ एवं शक्ति	178 83	186 95	327 47	63 29	69 25	
4 उद्योग तथा खनन्	7 95	8 55	27 99	4 53	5 10	
5 यातायात एवं सचार	9 78	10 00	57 77	7 35	24 91	
6 सामाजिक सेवाएँ	73 38	71 65	189 27	23 31	22 95	
7 अन्य	2 97	0 97	6 75	0 47	0 47	
योग	306 21	308 79	691 47	110 84	135 38	

*प्रावधानिक

योजना के लक्ष्य और उपलब्धियाँ

राजस्थान राज्य के आय-व्ययक प्रध्ययन 1976-77 में राज्य की वार्षिक योजना (1975-76) के लक्ष्य और उपलब्धियों का जो विवरण दिया गया है, वह निम्नानुसार है—

“राज्य अर्थव्यवस्था में कृषि अनुभाग को महत्ता को देखते हुए सिचित खेत्रफल में बढ़ि तथा अन्य साधन जैसे खाद्य एवं उत्तम बीजों की उपलब्धि कराने के प्रयत्न किए गए। अधिक उपज देने वाले उत्तम बीज कार्यक्रम को 13 92 लाख हैक्टर भूमि तक विस्तारित करने, रासायनिक खाद का उपयोग 1 59 लाख मैट्रिक टन तक बढ़ाने तथा 55 लाख हैक्टर भूमि में पौध उत्पादन के विस्तार किए जाने का प्रावधान रखा गया। खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 1975-76 में 1974-75 के निर्धारित लक्ष्य की तुलना में 1 5 लाख मैट्रिक टन अधिक रखा गया।

वर्ष 1975-76 में लघु सिंचाइ योजना के लिए भूमि-विकास बैंडो के द्वारा वितरित करणे वाली राशि बढ़ा कर 12 40 करोड़ रुपये कर दी गई थी जिसमें 7 15

करोड रुपये की कृषि पुनर्वित निगम द्वारा दी गई राशि भी शामिल है। वर्ष 1975-76 के प्रारम्भ में 30 ए. आर. सी योजनाएँ चालू रही एवं 20 नवीन योजनाओं द्वारा प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित था। सिचाई विभाग द्वारा अधिकारित चालू योजनाओं को ही पूर्ण करने का कार्यक्रम था। विश्व बैंक महायता तथा दी पी ए. पी के कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमि विकास के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को राजस्थान नहर एवं चम्बल के क्षेत्रों में प्रारम्भ किया गया।

कृषि-विभाग को पुनर्मित करने, खेतों में तकनीकी प्रयोग अपनाने, भू-प्रक्षण कार्यक्रमों का अधिकाधिक सामर्ज्जन्य, युद्ध कृषि-प्रसार तथा लघु सीमान्तर कृषक एवं कृषि अभिक्षों में सम्बन्धित उल्जेवनीय कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए, जैसा कि आलोच्य वर्ष की सभी ज्ञा से हटाइयो वर्ष होना है। राज्य में इन कार्यक्रमों के क्रियान्वित होने से कृषि-क्षेत्र भ उल्लस्तनीय सुधार हुआ।

वर्ष 1975-76 में पश्च-पानन के अन्तर्गत एक प्राधार प्रामाण्ड्र 11 घातु एकत्रण उप इकाइयाँ, 6 पश्च चिह्नितमालय तथा दो नवीन भ्रमसुशील इकाइयाँ पर्याप्त पश्च चिह्निता एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को सुलभ कराने हेतु आलोच्य वर्ष में खोली गईं।

राज्य के मूख्यप्रस्त शेत्रों के व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति में सुधार एवं आय में वृद्धि करने हेतु दुग्ध-दिकास याजना पर निरन्तर मन्त्रव दिया गया। बीकानेर, अजमेर व जोधपुर की दुग्ध शालाओं का एवं जयपुर में नया संयन्त्र लगाने का कार्य लगभग समाप्त पर है। देरी-दिकास कार्य मुरुखत सहकारी क्षेत्र में होने से दुग्ध उत्पादक सहकारी इकाइयों को मनुदान देन तथा उनकी हिस्सा पूँजी को बढ़ाने का भी प्रावधान रखा गया।

राज्य की अन्य योजनाओं में से नहर एवं सड़क के किनारे वृक्षारोपण व चारागाह विकास के कार्यक्रम लिए गए। 6500 हेक्टर भूमि में गिरे हुए कूपों की केसिंग तथा भवन व प्रहरी स्तम्भ इत्यादि का निर्माण परिभ्रान्ति चनों के पुनर्वास कार्यक्रम के अन्तर्गत किया गया।

सहकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत कमजोर सहकारी बैंकों के पुनरोद्धार व हिस्सा पूँजी, जो कि सहकारी साल सस्थाप्तों का आधार है, में वृद्धि करने का कार्य किया गया। अल्प एवं मध्यकालीन सालों को प्रभावी कृषि हेतु जो 1974-75 में 41 93 करोड रुपये वीर्य, बढ़कर वर्ष 1975-76 में 62 32 करोड रुपये की हो गई, विशेष अभियान के अन्तर्गत वर्ष 1975-76 में कृषि परिवारों के विस्तार में लगभग 50 / की वृद्धि हुई, जबकि वर्ष 1974-75 में यह वृद्धि 42 / थी। सामुदायिक विकास क्षेत्र में, कृषि-उत्पादन को प्रोत्साहन देने हेतु प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं और पुरस्कार दिए गए। उपग्रह शैक्षणिक दूरदर्शन कार्यक्रम को राजस्थान के 385 गांवों में कार्यान्वयन करना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

सिचाई क्षेत्र के अन्तर्गत राजस्थान नहर, ब्यास इकाई प्रथम एवं द्वितीय, चम्बल प्रथम नरण, माही बजाज व जालम तथा चार मध्यम सिचाई योजनाएँ, जैसे से ई डाईवर्शन, मेजा फोड़, बैंतपुरा व गोपालपुरा चालू सिचाई योजनाएँ थीं।

वर्ष 1975-76 में सभी वृद्धि व मध्यम सिचाई परियोजनाओं से 110.40 हजार हैक्टर अतिरिक्त क्षेत्र में मिचाई होने की आशा है। इस प्रकार कुल मिचाई क्षेत्र गण वर्ष के 9.40 लाख हैक्टर से बढ़कर 10.34 लाख हैक्टर हो जाएगा। वर्ष 1975-76 में राजस्थान नहर प्रोजेक्ट कम्प्लेक्स के मिचित क्षेत्र में से कमश 2.84 लाख हैक्टर प्रोजेक्ट की वृद्धि की आशा है। समस्त साधनों के माध्यम से मिचित क्षेत्र वर्ष 1974-75 के 27.57 लाख हैक्टर से बढ़कर वर्ष 1975-76 में 28.59 लाख हैक्टर होने की सम्भावना है।

उद्योग एवं सेनिज क्षेत्र में राजस्थान राज्य उद्योग एवं सेनिज विकास निगम के स्कटर एवं दूरदर्शन यन्त्र सम्बन्धित प्लान्ट इस वर्ष उत्पादन-स्तर पर आ जाने की सम्भावना है। वीस सूनी आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत हाथ कर्चा उद्योग के विकास हेतु राजस्थान हाथ-कर्चा बोडे की स्थापना की गई है। खानों के अन्तर्गत राज्य की सोडियम सल्फेट प्लान्ट हीडवाना की उत्पादन क्षमता को बढ़ाया रखा है। डेरी वेग मैटल, जिसमें जास्ता एवं तीव्रे की 12 / मिथित मात्रा है, का अनुमानत 10 लाख में टन का भण्डार सम्बन्धित स्तर पर था। अस्थ वेस मैटल भण्डार पर अनुसंधान कार्य जारी रहा भामरकोटरा के प्रमाणित फास्फेट भण्डार की क्षमता वर्ष 1974-75 के 375 लाख में टन से बढ़ कर वर्ष 1975-76 में 395 लाख में टन हो जाने की सम्भावना है। सड़क क्षेत्र में राज्य एवं केन्द्रीय योजनाओं तथा अकाल घटन कार्यों के अन्तर्गत विशेष महत्व चालू योजनाओं को पूर्ण करने पर रहा। मिनियम नीड कार्यक्रम के अन्तर्गत 2500 एवं उससे अधिक जनसऱ्हा वाले ग्रामों को नई सड़कों से जोड़ने का कार्य प्रारम्भ किया गया।

राजस्थान एवं चम्पल नहर के कमाण्ड क्षेत्र के अन्तर्गत बस्तियों मण्डियों व उपज केन्द्रों को जोड़ने हेतु सड़क निर्माण के लिए प्रावधान किया गया। वर्ष 1975-76 में 395 किलोमीटर नवीन सड़कों का निर्माण करने का निश्चय किया गया। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा वर्षों में वृद्धि की गई तथा यात्रियों को सुविधा एवं प्रदान की गई है व लगभग 40 प्रतिशत सड़क भागों को निगम ने अपने अधीन ले लिया। पर्यटन क्षेत्र के अन्तर्गत दो नए डाक बगलों के निर्माण वर्गमान पर्यटन बाजारों में अधिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने तथा पर्यटक स्पर्सों के विकास जिम्मेदार को सुन्दर बनाने व माउण्ट आवू के विकास के लिए राशि का प्रावधान किया गया।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत नए प्राथमिकता स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण, अपूर्ण भवनों को पूर्ण करने एवं औषधि वितरण के कार्यक्रम किए गए। चिकित्सा शिक्षा-कार्यक्रम के अन्तर्गत 5 चिकित्सा महाविद्यालय एवं इनमें सम्बन्धित चिकित्सालयों में अनियिक स्टाफ नियुक्त कर दृढ़े नशक किया गया। वर्ष 1975-76 में आयुर्वेदिक पद्धति के अन्तर्गत 101 औषधालय लोकर ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार किया गया।

जल वितरण योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1975-76 तक, शहरी क्षेत्रों में

बढ़ा कर कमश 50 करोड रु एवं 10 करोड रुपये कर दी गई है ताकि साहूसारी पर लगाए गए प्रतिवर्ष के फलस्वरूप ऋण सुविधा में आयी बमी की पूति हो सके।

खेतिहार मजदूरों की भूमूलतम मजदूरी बढ़ा कर असिंचित क्षेत्रों में 4.25 रुपये, पिचित धेत्रों में 5.00 रुपये एवं बृहत् नहरी परियोजना क्षेत्र में 6.00 रुपये प्रतिदिन कर दी गई है तथा पुरुषों के लिए समान मजदूरी निर्धारित की गई है।

नहरी एवं भूमिगत जल सिवाई तथा पेय-जल हेतु सर्वेक्षण कार्य उत्साहपूर्वक किए गए। लघु नियाई योजनाओं के अन्तर्गत दिसंबर, 1975 के अन्त तक कुओं की सौदाने तथा उन्हें गहरा करने के बार्य का गति प्रदान की गई व ग्रामीण विशुनी-करण कार्यक्रम चालू रहा।

गिरण सम्भागों में गठित की गई 151 सहवारी समितियों के माध्यम से 1,204 छात्रावासों तथा किराए के मकानों में रह रहे 51,000 छात्रों को प्रति माह प्रति छात्र 8 किलोग्राम गेहूं तथा एवं किलोग्राम चीनी उचित भूल्यों पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। अक्टूबर, 1975 से ग्राम्यास पुस्तिकाओं के मूल्य में 5 से 12 प्रतिशत की ओर बमी की गई है तथा 3,216 बुक बैंकों की स्थापना की गई, जिनमें 5 लाख 49 हजार पुस्तकें उपलब्ध हैं। राज्य सरकार द्वारा स्थापित छात्रावासों के लगभग 5,700 अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के विद्यार्थियों को नि-शुल्क भोजन, वस्त्र एवं आवास की सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

1,300 ट्रेड, 250 तबनीकी एवं 50 स्नातक प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न स्थानों पर लगाया गया तथा शेष डिग्री/डिप्लोमा प्राप्त व्यक्तियों के सीधी भर्ती या उच्च अध्ययन हेतु चले जाने के कारण रिक्त रहे।

अक्टूबर, 1975 में गठित हाथ-करघा परियोजना मण्डल ने भारत सरकार को 1,32 करोड रुपये की एक योजना प्रस्तुत की है। जनता कपड़े का वितरण 3,209 खुदरा दुकानों एवं 299 अधिकृत मिल दुकानों के माध्यम से सुलभ कराया गया।

कर-चोरी उन्मूलन अभियान के अन्तर्गत 14,000 प्रकरणों की जाँच की गई तथा 21 लाख रुपये दण्ड के रूप में वसूल किए गए। 8,000 रुपये की सीमा तक प्राप्त कर में क्लूट दी गई। विभिन्न आर्थिक अपराधों की झीझ मुनवाई तथा विशेष न्यायालय स्थापित करने हेतु राजस्व से सम्बन्धित विभिन्न अधिनियमों में संशोधन किया गया। मार्च, 1976 के अन्त तक सड़क परिवहन के लिए 250 राष्ट्रीय परमिट प्रदात बन जाएंगे।

राज्य प्रशासन में सुधार लाने की हृषि से अष्ट एवं अकर्मण्य कर्मचारियों को सेवा मुक्त बनाने की कार्यवाही की गई, जिससे 1,906 कर्मचारियों को सेवा मुक्त किया गया।

निर्धन व्यक्तियों को नि-शुल्क कानूनी सहायता एवं सलाह देने के लिए उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीश व अन्य सदस्यों सहित कानूनी सहायता एवं सलाहका बोर्ड की स्थापना माननीय मुख्यमन्त्री की अध्यक्षता में भी गई है।

राज्य की वार्षिक योजना (1976-77)¹

योजना आयोग ने वर्ष 1976-77 की वार्षिक योजना का आकार 135 00 करोड रुपये निश्चित किया है किन्तु आयोग द्वारा राज्य परिवहन निगम के आन्तरिक स्रोतों से उपलब्ध साधनों की तुलना में आधिक परिव्यय ही समिलित बरते के कारण योजना का आकार 138 19 करोड रुपय होगा। उक्त विसंगति की ओर योजना आयोग का ध्यान भी आकर्षित किया गया है।

जहाँ वर्ष 1971-72 में प्रति व्यक्ति योजना व्यय केवल 23 रुपये था, 1-3-72 की अनुगमित जनसंख्या के आधार पर वर्ष 1976-77 में यह व्यय दुगने से भी अधिक बढ़कर 47 रुपये प्रति व्यक्ति होगा। इससे संकेत मिलता है कि विकास कार्यश्रमों पर राजस्थान किस गति से विनियोजन कर रहा है।

वार्षिक योजना के 138 19 करोड रुपये के परिव्यय का आवटन इस प्रकार है—

	परिव्यय	प्रतिशत	(करोड रुपयों में)
1 सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाएँ	24 74	17 9	
2 कृषि एवं सम्बद्ध सेवाएँ	13 09	9 5	
3 सहकारिता	1 26	0 9	
4 उद्योग एवं खनिज	4 44	3 2	
5 परिवहन एवं सचार	10 92	7 9	
6 तिचार्इ एवं विद्युत विकास	83 15	60 2	
7 अन्य	0 59	0 4	
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
योग	138 19	100 0	

उक्त योजना व्यय को वित्तीय व्यवस्था निम्न स्रोतों से होगी—

	परिव्यय	प्रतिशत	(करोड रुपयों में)
1 केन्द्रीय सरकार से सहायता	49 57		
2 अतिरिक्त साधनों से आय	33 52		
3 सार्वजनिक एवं वित्तीय प्रतिष्ठानों से ऋण	20 55		
4 परिवहन निगम के उपलब्ध आन्तरिक स्रोत	1 73		
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
योग	105 37		
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
वार्षिक योजना में घाटा	- 32 82		
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
योग	138 19		

1 वित्त मन्त्री (राजस्थान) का बजट भाषण 1976-77

इस प्रकार 138 19 करोड रुपये की योजना व्यय की वित्तीय व्यवस्था में 32 28 करोड रुपये की कमी रह जाती है।

वार्षिक योजना के अन्तर्गत 138 19 करोड रुपये के अतिरिक्त, सास्थानिक वित्तीय एजेंसियों के माध्यम से विभिन्न राज्य निगमो, मण्डलो, राज्य एजेंसियो, सहकारी संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों द्वारा विकास की गतिविधियों में लगभग 116 00 करोड रुपये के व्यय का और विनियोजन करने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त आगामी वर्ष में केन्द्र सचालित स्कीमों पर 20 33 करोड रुपये खर्च किए जाने का अनुमान है। इस प्रकार वर्ष 1976-77 में, सार्वजनिक-क्षेत्र में विकास पर होने वाला कुल परिव्यय 274 52 करोड रुपये होने की सम्भावना है।

Appendix—1

भारी उद्योगों का विकास

ओद्योगीकरण का पहला दौर आजादी के बाद तुरन्त ही शुरू हुआ। उसमें विजली, इस्पात, रासायनिक खाद, अल्युमिनियम, सीमेट तथा अर्थ-व्यवस्था के लिए अत्यन्त ही आवश्यक अन्य चीजों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया गया। यह सर्वथा स्वाभाविक है कि इन चीजों के उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें दुर्लभ विदेशी मुद्रा की बड़ी राशि खच करके विदेश से पूंजीगत सामान मिला।

दूसरा दौर दूसरी वर्चवर्षीय योजना के साथ शुरू हुआ, जब हमन आत्मनिर्भर ओद्योगिक विकास के लिए पूंजीगत सामान का उत्पादन करने की कई योजनाएं अपने हाथ में लीं। ऐसी योजनाओं के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता हुई, इनमें उत्पादन शुरू होने से भी काफी समय लगा और तुलनात्मक हृष्टि से, जहाँ तक मुनाफे का प्रश्न है, मुनाफा भी कम होने वाला था। इन सभी कारणों के अतिरिक्त, सरकार की नीति सार्वजनिक क्षेत्र को विकसित करने की थी, जिससे देश की अर्थ-व्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सके। इसलिए, सरकारी क्षेत्र में कई बड़े-बड़े कारखाने लगाने की योजना तैयार की गई। आज भारत में भारी उद्योग के बड़े सरकारी कारखाने निम्नलिखित हैं—

सरकारी क्षेत्र के कारखाने

1. भारत हेली इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड—यमेल वायलर, यमेल व हाइड्रोटर्बो सेटो, भारी रोटेटिंग मशीनों, बड़े शाकार के ट्रान्सफार्मरों तथा स्विचगियर के निर्माण के लिए इसके कारखाने तिहाई, भोपाल हरिद्वार तथा रामचन्द्रपुरम् में हैं।

2. भारी इंजीनियरिंग निगम (हेली इंजीनियरिंग कारपोरेशन) —भारी ढलाई तथा गढ़ाई, इस्पात सवारों के लिए सयत्र तथा मशीनें, क्रेशर तथा ग्राइन्डर, बड़ी क्षमता वाले एक्सकेप्टर, ड्रिलिंग रिंग तथा मारी मशीनों के क्लप्पुजें बनाने के लिए निगम ने रांची में तीन कारखाने स्थापित किए हैं।

3. भारीनग तथा समवर्गी मशीनरी निगम (माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन) —इस परियोजना के कारखाने दुर्गापुर में हैं और इन कारखानों में भूमिगत कोयला-खनन के काम में आने वाली मशीनें तथा बड़ा सामान उठाने घरने वाले उपकरणों का उत्पादन किया जा रहा है।

4. हि-दुस्तान मशीन टूल्स—किस्म किस्म के सामान्य तथा विशेष उपयोगों में आने वाले मशीनी आजारो, छापेखानों, ट्रैक्टरों तथा घडियों प्रादि के निर्माण के लिए हिन्दुस्तान मशीन टूल्स ने बगलीर, हैदराबाद, कलामासरी, पिंजोर तथा थीनगर में कारखाने स्थापित किए हैं।

5. भारत हैबी प्लेट्स तथा बेसल्स—विशाखापटनम् स्थित यह कारखाना हैबी प्रेसरवेसल, हीट एक्सचेंजर, एंप्रर सेपरेशन यूनिटें तथा पाइपिंग बनाता है। ये उपकरण रसायन तथा परिष्करण उद्योगों जैसे उवर्को, टेल शोधक बारखानों तथा पेट्रोकेमिकल संस्थाओं के लिए बनाए जाते हैं।

6. ब्रिवेणी हट्टवचरस—इलाहाबाद के नजदीक नैनी में स्थित इस बारखाने में जटिल ढाँचों, पेनस्टाक (अवधारक नलों), दरवाजों तथा सामान्य प्रकार के भौंडों का निर्माण होता है।

इसके साथ साथ सरकार के अन्य प्रयोक्ता मन्त्रालयों के अन्तर्गत भारी उपकरण व संयंत्र बनाने के लिए कारखाने स्थापित करने की भी कार्रवाई की गई जैसे रेल मन्त्रालय के अन्तर्गत इजिन व रेल के डिव्ये, जहाजरानी व परिवहन मन्त्रालय के अन्तर्गत जहाज निर्माण के कारखाने तथा प्रतिरक्षा की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिरक्षा मन्त्रालय के अन्तर्गत अर्थ मूदिंग तथा अन्य उपकरण।

निजी क्षेत्र

सदृश तथा मशीनों के विभिन्न उपकरण तथा पुर्जों का उत्पादन करने एवं बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र को भी बढ़ावा दिया गया। सीमेट चीनी, कागज, रसायन, औपचियों के निर्माण, कलपुर्जों, डीजल इंजन, पम्प, विजली के मोटर, ट्रान्सफार्मर तथा स्विचगियर, माल गाड़ी के डिव्ये तथा रेल के अन्य उपकरण, ट्रैक्टर वस व ट्रक आदि यात्री कारें, स्कूटर, मोटर साइकिल, मोमेड तथा मोटर गाड़ियों के किस्म-किस्म के पाटपुर्जों, सूती तथा जूट मिलों में काम आने वाली मशीनें तथा कास्टिंग, फोजिंग, वाल ब्रेयरिंग, पाइप तथा ट्यूबों जैसी संकड़ों किस्म की चीजों के उत्पादन के लिए औद्योगिक मशीनों की क्षमता को तेजी से बढ़ाया गया है।

क्षमता का उपयोग और तेजी से विकास तथा उपलब्धियाँ

क्षमता का उपयोग—भारी उद्योग विभाग का शुरू से ही यह प्रमुख उद्देश्य रहा है कि कारखानों की वर्तमान उत्पादन क्षमता से ही अथवा उसमें न्यूनतम बढ़ोतारी करके अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाए।

इसलिए, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कई कदम उठाए गए। मुख्य रूप से इसका अर्थ था कि सरकार इनके विनियन्नण की अपेक्षा इन कारखानों के विकास की ओर अधिक ध्यान दे तथा निर्णय की प्रक्रिया में तेजी लाकर नीति सम्बन्धी निर्णयों की कार्यान्वयन के लिए यथेष्ट सूचना पढ़ति की व्यवस्था करे। उत्पादन एकांशों को, अपने कारखानों के उत्पादन में विविधता लाने तथा अपनी अधिकतम उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक अधिकार देना भी जरूरी था।

सरकार ने एक और उत्पादनकर्ताओं पर अपने-अपने कारखानों की व्यवस्था कुशलतापूर्वक करने तथा उत्पादन खर्च को घटाने के लिए दबाव डाला, दूसरी ओर मूल्य नियन्त्रण तथा बोनस के भुगतान तथा छह लेने सम्बन्धी नीतियों को व्यावहारिक तरीके से लागू किया गया। इससे उत्पादन में वृद्धि होने के साथ-साथ

लागत में कमी होगी पौर हम अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अपना सामान सकनतापूर्वक बेच सकेंगे। इसके साथ-साथ सरकार का यह उद्देश्य रहा है कि उत्पादन के स्तर में कमी होने का फायदा समाज को मिले और मुनाफे की रकम व्यथे के कामों में नहीं लगाई जाकर उत्पादन को बढ़ाने व कारखाने को विस्तार देने के काम में लगाई जाए। सरकारी क्षेत्र के कारखानों की व्यवस्था विशेषज्ञों के हाथ में देने की ओर भी व्यवस्थित ध्यान दिया गया। इसी के साथ अधिकारी के इस तरह प्रतिनिधायन एवं विकेन्द्रीकरण की ओर भी ध्यान दिया गया जिससे सभी स्तरों पर लोगों को प्रोत्साहन मिलने के साथ उन्हे यह भी महमूल हो कि उत्पादन में हम सभी सहभागी हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि विभाग ने प्रधान सम योजक का कार्य स्वयं सभाला तथा कारखानों के लिए कच्चे माल, पाटपुराँ उपकरणों तथा दितीय सहायता की ही व्यवस्था नहीं की बल्कि कारखानों को दी जाने वाली सहायता और सरकार के अन्य भव्यालयों के नियंत्रण जल्द से जल्द कराकर कारखानों की मदद करने का भी काम शुरू किया।

सरकारी क्षेत्र की उपलब्धि—इस सबका परिणाम अत्यन्त ही सम्प्रदायिक रहा। सरकारी कारखानों में सन् 1971-72 में जहाँ 2 अरब 8 करोड़ रुपये मूल्य का उत्पादन हुआ था, वह सन् 1973-74 में प्राय दुपुना 4 अरब 9 करोड़ रुपये मूल्य का हुआ तथा सन् 1974-75 में उत्पादन और बढ़कर 5 अरब 51 करोड़ रुपये का हुआ। इसी अवधि में सन् 1972-73 से सरकारी कारखानों की जहाँ 13 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था, सन् 1974-75 में इन कारखानों ने 31 करोड़ रुपये का लाभ हुआ और इस प्रकार इन कारखानों ने 44 करोड़ रुपये कमाए। अब इस प्रवृत्ति को बनाए रखने की पूरी आशा है।

इन कारखानों की उपलब्धियों से ग्रीष्मनाहित होकर, विभाग ने अपने लक्ष्य बढ़ा दिए और 1975-76 में 7 अरब 25 करोड़ मूल्य का उत्पादन करने का लक्ष्य है। आपात्स्थिति के कारण अनुशासन तथा कर्तन्त्रियनिष्ठा का अनुरूप वातावरण तैयार हो जाने के फलस्वरूप यद्य सरकारी क्षेत्र के कारखानों ने अप्रैल, 1975 के स्तर पर मूल्यों को स्थिर करने, अनुत्पादक स्तरों में दश प्रतिशत की कटौती करने तथा साथ में ली हुई योजनाओं को तप्तप्रता तथा तेजी के साथ पूरा करने के साथ उत्पादन का लक्ष्य 7 अरब 25 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 8 अरब रुपये कर देने का निश्चय किया है।

उत्पादन में यह दृष्टि, यद्यपि कुछ कम मात्रा में, निजी क्षेत्र के कारखानों में भी हुई है। मशीन टूल्स, मूत्री मिलों की मशीनों, ड्रैक्टरो, स्कूटरो, मोटर साइकिलों तथा मोपेड, डीजल इंजनों तथा ध्रीदोगिक मशीनों का उत्पादन काफी बढ़ा है। आत्मनिर्भरता की ओर

देश के आविक विकास में भारी उद्दोगों वे महत्वपूर्ण योगदान, प्रीत सहायता का अनुग्रह इस द्वारा जा सकता है कि चौथी पचवर्षीय योजना के अन्त तक विजली उत्पादन के 85 प्रतिशत उपकरणों का विदेशों में आयात किया जाना

था जबकि पांचवीं योजना में विजली परियोजनाओं के 85 प्रतिशत उपकरण देशों में बनने लगेंगे। 15 प्रतिशत उपकरण भी, जो विदेशों से मंगाए जाएंगे, वे हैं, जिनके प्राइंटर पहले ही दिए जा चुके हैं। हमारी विजली उत्पादन की कुल क्षमता 1974 में 13 लाख किलोवाट थी, जबकि सन् 1975 में हम एक वर्ष में ही लगभग 26 लाख किलोवाट अधिक विजली उत्पादन करने में सफल हुए। साथ ही सन् 1973-74 के अन्त में विजली उत्पादन की हमारी कुल क्षमता प्रायः 1 करोड़ 9 लाख किलोवाट थी, जो ग्राशा है 1978-79 के अन्त तक 3 करोड़ 40 लाख किलोवाट हो जाएगी और यह सब प्रायः देश में बने उपकरणों से सम्भव होगा। 1947 में हमारे देश के गाँवों में विजली नहीं थी। सन् 1973-74 में 1,48,000 गाँवों तक विजली पट्टौच गई तथा विजली से चलने वाले पम्पों की संख्या 24,35,000 हो गई। प्रायः अतिरिक्त पूँजी निवेश के बिना तथा बर्तमान उत्पादन क्षमता वा ही उपयोग करके हमारे सरकारी क्षेत्र के कारखाने, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने इन यन्त्रों (ड्रिलिंग रिगो) के उत्पादन का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया है। इसी प्रकार थोड़ी सी अतिरिक्त पूँजी लगाकर ड्रिलिंग प्लेटफार्मों का उत्पादन भी शुरू किया जाने वाला है।

इसी प्रकार हम अन्य उद्योगों में भी आत्म-निर्भरता की दिशा में बढ़ रहे हैं। अब हम अपनी सीमेट तथा चीनी मिलों के कुछ प्रायः नगण्य पाटपुर्जों का छोड़कर सभी सम्बो तथा उपकरणों का निर्माण देश में कर रहे हैं। हमारे इन उद्योगों के कारखानों की उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि की गई है। सीमेट के कारखानों की उत्पादन क्षमता 600 मी. टन प्रतिदिन से बढ़कर 1,200 मी. टन प्रतिदिन तथा चीनी उत्पादन के लिए गन्नों की पेराई की 600 मी. टन प्रतिदिन की क्षमता को बढ़ाकर 1,250 मी. टन प्रतिदिन कर दी गई है। हमारी रेलगार्डियो मालगार्डियो नया सड़क यातायात के सभी प्रकार के बाहनों का सामान अब देश में ही नैयार किया जा रहा है। इनमें सभी प्रकार के मालडिब्बे, यात्री डिब्बे, इजन रेलें, स्लीपर, प्वाइट, कार्सिंग, फास्टर तथा सिम्नलिंग उपकरण सम्मिलित हैं। अब हमारी सड़कों के निर्माण में स्वदेशी रोड रोलरों तथा अन्य उपकरणों वा प्रयोग हो रहा है तथा इन पर चलने वाले बाहन सभी इसी देश में निर्मित हैं।

कोयला, धातुकर्मों सम्बन्ध तथा मशीनरी—प्रौद्योगिकी की चुनौतियों के बायदूद, इस्पात कारखानों के लिए सघन और मशीनरी के उत्पादन तथा कोयले प्रोत्तर अन्य खानों का तेजी से विकास हुआ है और हम प्रायः अपने ही प्रयासों से बोकारो इस्पात कारखाने की क्षमता 17 लाख से बढ़ाकर 47.5 लाख मी. टन तथा भिलाई कारखाने की क्षमता 25 लाख मी. टन से 40 लाख मी. टन करने जा रहे हैं। सन् 1973-74 में 7 करोड़ 80 लाख मी. टन कोयले के उत्पादन की तुलना में सन् 1978-79 में 13 करोड़ 50 लाख मी. टन उत्पादन का लक्ष्य स्वदेशी उपकरणों पर ही निर्भर रहकर पूरा किया जाएगा, जिनका उत्पादन मार्किंग एण्ड अलायड मशीनरी कारपोरेशन तथा निजी क्षेत्र के कुछ कारखाने मिलजुल कर करेंगे।

पाट पुर्जे तथा सूती वस्त्र मशीनरी—हमारे विकासमान इनीशियरिंग तथा सूती वस्त्र उद्योगों की अधिकौश आवश्यकताएँ अथवा उनके ग्राहनिकीकरण तथा

पुनर्स्थापना के लिए पाटपुर्जे तथा उपकरण तथा सूनी बस्त्र कारखानों के अधिकांश सम्बन्ध अब देश में ही उपलब्ध हैं। पिछले दो तीन वर्षों में इन दोनों उद्योगों में तेजी के साथ उत्पादन बढ़ा है। सद् 1972-73 में जहाँ 53 करोड़ रुपये मूल्य के पाट पुर्जे का निर्माण देश में हुआ था, सद् 1974-75 में यह उत्पादन बढ़कर 77 करोड़ रुपये का हुआ। जहाँ तक सूनी बस्त्र के कारखानों के लिए मशीनों का प्रश्न है, सद् 1972-73 में 31 करोड़ रुपये की मशीनें तैयार हुई जबकि 1974-75 में 81 करोड़ रुपये मूल्य की मशीनें तैयार हुईं।

रासायनिक तथा प्रक्रिया सम्बन्धीय तथा मशीनरी—जहाँ तक रासायनिक उर्वरको के लिए सम्बन्धीय तथा मशीनों, रासायनिक सम्बन्धीय तथा शोध (तेल) कारखानों का सम्बन्ध है, हमारा प्रयास इनके लिए ऐसे उपकरणों का तेजी के साथ निर्माण करने का रहा है जो इन कारखानों के काम या सकें प्रौद्योगिक इस क्षेत्र में वाहनव में बड़ी तेजी के साथ प्रगति हुई है। पहली बार, सितम्बर, 1975 में बोकारो इस्पात कारखाने को 550 मीटर प्रतिदिन उत्पादन क्षमता का एक टेनेज ग्रांवसीजन सम्बन्धीय तैयार करके दिया गया है। एक अन्य सरकारी कारखाना, भारत हैबी एलेट्रस एण्ड वैसेल्स सद् 1977 के अन्त तक पैच ऐसे सम्बन्धीय तैयार करके उनकी डिलीवरी दे देगा। रासायनिक उर्वरक सम्बन्धीयों के लिए नाइट्रोजन बाय यूनिटों का उत्पादन शुरू किया जा चुका है और इनकी डिलीवरी जल्दी ही की जाने लगेगी।

भारी उद्योग तथा निर्यात—भारी इनीशियरिंग उपकरणों का उत्पादन तेजी के साथ बढ़ाने प्रत्याख्यानिक उपकरणों का उत्पादन शुरू करने में तथा आत्मनिर्मरता प्राप्त करने की दिशा में देश तेजी के साथ बढ़ रहा है। अब हम अपने उत्पादनों का विदेशों को निर्यात कर सकते हैं तथा दूसरे देशों के विकास में हाथ बैठा सकते हैं। तथा विजली घर सम्बन्धीयों के हिस्से के रूप में हमारे उच्च दाव बाले बायलर मलेशिया तथा अन्य देशों में लगाए जा चुके हैं। कई एगियाई व अफ्रीकी देशों में हमारे देश में बनी हुई बसें सड़कों पर चल रही हैं तथा सारे सासार के कई रेल-व्यवस्था में हमारी मालगाड़ियों तथा यात्री गाड़ियों का उपयोग किया जा रहा है। सोमेट, चीनी, छोटे इस्पात कारखानों सूनी बस्त्रों के कारखानों नथा अन्य प्रकार की चीजों का उत्पादन करने वाले विभिन्न कारखानों के लिए हमने अपने सम्बन्धीय तथा मशीनों का निर्यात विदेशों में किया है जिससे उनकी अर्थव्यवस्था के विकास में सहायता मिली है। हमारे इजानियर-परामर्शदाता सासार के विभिन्न भागों में फैले हुए देशों, जैसे नीदिया, तजानिया, ईराक, ईरान, इण्डोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया तथा एगिया एवं अफ्रीका के कई अन्य देशों में कारखाने लगाने की योजनाएँ तैयार करने तथा कारखाने स्थापित करने में लगे हुए हैं।

निजी क्षेत्र

जहाँ तक निजी क्षेत्र के कारखानों का प्रश्न है, इस बात में सुनिश्चित होना अनिवार्य था कि प्रमुख रूप से जनता के पैसों (वित्तीय स्थानों तथा जनता से शेयर के रूप में प्राप्त) से जिस समर्ति का निर्माण हुआ है, उसका उपयोग उन-

Appendix—2

लघु उद्योगों का विकास

छोटे पेंमाने के उद्योगों का विकास 1966-75 के दशक में बस्तुत उल्लेखनीय है। यह विशेष रूप से रोजगार के अवसरों और छोटे कारखानों के उत्पादन के वित्तीय मूल्य से प्रकट होता है। निम्न आंकड़ों से पाठक को इस महान् उपलब्धि के बारे में पता चल जाएगा—

राज्यों के उद्योग निदेशालयों के साथ पर्यायित	1966	1974
कारखानों की संख्या (लाखों में)	1 20	4 09
रोजगार (लाखों में)	29 30	50 40
स्थिर विनियोग (करोड़ रुपयों में)	548 00	814 00
उत्पादन का मूल्य (करोड़ रुपयों में)	2,954 00	6 249 00

छोटे उद्योगों की इस प्रगति का कारण सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियाँ और विशेष कार्यक्रम हैं। छोटे पेंमाने के उद्योगों में बस्तुओं की व्यालिटी में सुधार और उत्कृष्टता के परिणामस्वरूप इस क्षेत्र के नियंत्रित में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, विशेष रूप से इस दशक के अन्तिम भाग में, जबकि नियंत्रित की जाने वाली बस्तुओं का मूल्य सद् 1970-71 में 119 करोड़ रुपये से बढ़कर सद् 1973-74 में 400 करोड़ रुपये हो गया। नियंत्रित की बस्तुओं में आधुनिक एवं जटिल किस्म की बस्तुएँ काफी थीं, जैसे हरका इंजीनियरिंग का सामान, इलेक्ट्रॉनिक बस्तुएँ, दबाइयाँ, तंत्रावर चमड़ा और चमड़े का सामान, हौजरी, सिलाई की मशीनें, साइकिल इत्यादि। इसके अलावा अनुमान है कि छोटे पेंमाने के कारखानों द्वारा ऐसी बहुत सी बस्तुएँ देश में तंत्रावर की जा रही हैं जो पहले बाहर से मौगाई जानी थीं। इस प्रकार बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत होती है।

यह बड़ी उल्लेखनीय बात है कि छोटे पेंमाने के उद्योगों के क्षेत्र में विकास, बड़े पेंमाने के उद्योगों के क्षेत्र में विकास का पूरक है। यह सम्बन्ध उप-ठेकेदारों के रूप में प्रकट होता है, जो दोनों क्षेत्रों के लिए लाभदायक है। सहायक कारखानों की संख्या सद् 1971 में 7,000 से बढ़कर सद् 1974 में 22,760 हो गई।

छोटे पैमाने के था त्र द्वारा जन-उपभोग की विभिन्न वस्तुओं की बड़ी मात्रा में पूर्ति की जाती है, जैसे चमड़ा और चमड़े का सामान, प्लास्टिक और रबड़ का सामान, रेडीमेड कपड़े, घातु की चादरों से बनने वाला सामान, स्टेशनरी की वस्तुएँ, साबुत और साफ़ करने के पाउडर, इत्यादि। इस दशक में छोटे पैमाने के क्षेत्र ने उत्पादन के नवीन और अधिक उत्कृष्ट क्षेत्रों में प्रवेग किया है जिनमें प्रन्य वस्तुओं के साथ-साथ टेलिविजन सेट, हृदय गति-नियामक (कार्डियक पेस मेकर), ई सी.जी. मशीनें, थ्रेण यन्त्र, टेप प्रोर केसेटी रिकार्डर, इन्टर काम सैट, माइक्रोवेव यन्त्र, मशीनीय यन्त्र, औपचारियाँ इत्यादि हैं। पांचवीं पचवर्षीय योजना में उन वस्तुओं के विकास पर विशेष रूप से बल दिया जा रहा है, जो कृषि के साथ प्राधुनिकीकरण तथा कृषि उपज के विधायन के लिए आवश्यक हैं। इसके साथ-साथ जन-उपभोग की वस्तुओं, सहायक एकांकों में निर्मित वस्तुओं तथा निर्यात की दृष्टि से उपयोग की वस्तुओं पर भी विशेष बल दिया जा रहा है।

पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास

उद्योगों के छिनराव सम्बन्धी सरकारी नीति के बारण गांवों और पिछड़े हुए क्षेत्रों में छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इन कार्यक्रमों का लक्ष्य न केवल बत्तमान बारीगरों की आय में वृद्धि और अतिरिक्त उत्पादक रोजगार के उद्देश्य से उनकी दक्षताओं में सुधार करना है बल्कि इन क्षेत्रों में प्राधुनिक उत्कृष्ट त्रॉटि के उद्योगों का विकास भी है। वैश्व-प्रायोजित योजना के रूप में, ग्रामीणोंग परियोजना कार्यक्रमों के श्रीगणेश द्वारा, नीति को एक निश्चित रूप प्रदान किया गया और इसके लिए राज्य सरकारों को शत-प्रतिशत सहायता प्रदान की जाती है। नव स्थापित बारखानों की सह्या और रोजगार के अवसरों के सन्दर्भ में उत्साहवर्द्धक परिणामों को दृष्टि में रखते हुए यह कार्यक्रम 1974 में 49 से 111 जिलों में फैला दिया गया। निम्न आंकड़े स्वयं अपनी प्रगति की कहानी कह रहे हैं—

मद	1965-66	1973-74
ग्रामीण पारियोजनाओं की संख्या	49	111
सहायता प्राप्त एकांकों की संख्या (सचिवी)	7,886	48,206
रोजगार (सचिवी)	48,775	2,07,136
उत्पादन का मूल्य (करोड़ रुपयों में)	32	70.27

मध्य 1974 में 87 परियोजनाओं में से 40 परियोजनाओं में, जहाँ दोनों कार्यक्रम चल रहे थे ग्रामीण कारीगर कार्यक्रम का क्रिशन्वयन ग्रामीणोंग परियोजना कार्यक्रम के साथ मिला दिया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत परम्परागत शिल्पों और प्राधुनिक व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे पम्प सैटो, बिजली की भोटरों की मरम्मत और ढलाई तथा खरीद आदि का काम इत्यादि। इसके बाद सहायता कार्यक्रम शुरू होता है, ताकि कारीगर अपने-प्रपने व्यवसायों में सामर्दायक ढग से रोजी कमा सके।

विकास के अधिक व्यापकता दर्शने की स्थापना की हट्टि से सदृश 1971 में पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए एक समक्त नीति अपनाई गई ताकि ये क्षेत्र भी विकसित क्षेत्रों की बराबरी कर सकें। इस कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्यों को विशेष प्रोत्साहन दिए जाते हैं जिनमें श्रीदोगिक हट्टि से पिछड़े हुए 244 ज़िलों में वित्तीय सहायता प्रो द्वारा रियायती दर पर वित उत्तराधि कराना भी शामिल है। लगभग 104 चुने हुए ज़िलों में, नए कारखानों के स्थिर पूँजी विनियोग पर और वर्तमान कारखानों के विस्तार के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 15 प्रतिशत सहायता दी जाती है। दुर्वंभ और आयानिन कच्चे माल की पूँजि तथा किसी पर भूमि में खीरीदाने में भी रियायतें दी जाती हैं। इसके अनावा कुछ चुने हुए पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ रेल की सुविधाएँ नहीं हैं, कारखानों को कच्चे माल और निमित वस्तुओं के परिवहन व्यय का 50 प्रतिशत सहायता के रूप में दिया जाता है। 1974-75 में स्थिर विनियोग पर सहायता के रूप में 4 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए, जबकि 1973-74 में यह राशि 56.90 लाख रुपये और 1972-73 में 11.76 लाख रुपये थी। 1974-75 वर्ष के लिए भ्रमुमानिन सहायता 9 करोड़ रुपये थी। यह पिछड़े हुए क्षेत्रों में श्रीदोगिक विकास का सूचक है। बहरहाल, इसमें छोटे सीमान्त और मध्यम उद्यागों को दी जाने वाली सहायता शामिल है।

विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम

छोटे उद्योगों के विकास के कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य कारखानों की इस दण से सहायता करना है कि वे एकीकृत सहायता कार्यक्रम के माध्यम से क्षमता का अधिकार स्वर प्राप्त कर सकें। इस एकीकृत सहायता कार्यक्रम में तकनीकी सेवाओं और सुविधाओं की अधिकाधिक उपलब्धि, प्रदूषन सम्बन्धी परामर्श और प्रशिक्षण, स्वदेश में माल की विक्री और निर्यात में सहायता इत्यादि सम्मिलित हैं। लघु उद्योग विकास संगठन लगभग 100 लघु उद्योग सेवा संस्थानों, शाखा संस्थानों, प्रसार केन्द्रों और उत्पादन केन्द्रों के माध्यम से इस प्रकार की व्यापक सेवाओं की व्यवस्था करता है। तकनीकी सहायता के लिए छोटे उद्यमियों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को देखते हुए लघु उद्योग विकास संगठन ने अपनी तकनीकी सेवाओं को और अधिक बढ़ाया है। विद्युत दस वर्षों के दौरान उद्यमियों को लगभग 5,000 मॉडल स्टीमो, संयन्त्र, मार्गदर्शकाओं, परियोजना भार्गदारिकाओं तथा अन्य स्टीमो आदि के अलावा 1,25,000 डिजाइन, ड्राइग और खाके दिए गए। श्रीदोगिक विकास संगठन द्वारा प्रदत्त तकनीकी सेवाओं की लोकप्रियता का प्रमाण यह है कि संगठन के तकनीकी अधिकारियों से मार्गदर्शन प्राप्त करने वाले उद्यमियों की संख्या सदृश 1965-66 में 57,000 से बढ़कर सदृश 1974-75 में 1,30,000 हो गई। इसके अलावा तकनीकी अधिकारियों ने एक वर्ष में श्रीमतन लगभग 70,000 कारखानों वा उनके स्थान पर जाकर मार्गदर्शन करने के लिए निरीक्षण किया। उद्यमियों ने लघु उद्योग विकास संगठन द्वारा प्रदत्त वर्कशॉप सुविधाओं से भी व्यापक फ़ेराने पर लाभ उठाया। लघु उद्योग सेवा संस्थानों की वर्कशॉपों द्वारा किए गए कामों की

वार्षिक संख्या सन् 1965-66 में 21,000 से बढ़कर सन् 1974-75 में लगभग 50,000 हो गई।

तेजों से बढ़ो और विविदता लिए हुए लघु उद्योग क्षेत्र की नई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लघु उद्योग विकास समिति ने अपनी तकनीकी सेवाओं को सरल बनाने एवं सुधारने के लिए प्रभावशाली कदम उठाए। नई मशीन और उत्कृष्ट सेवाओं के समावेश, चार क्षेत्रीय परीक्षा-केन्द्रों की स्थापना और चुने हुए उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिए एक विशेष कायक्रम के सचालन द्वारा लघु उद्याम सेवा संस्थानों के साथ सलग्न वर्कशॉरों का आधुनिकीकरण, इनमें सम्मिलित था। छोटे पैगान के उद्योगों की प्रतियोगी शक्ति के विकास को हाइट में रखने हुए इम कायक्रम के पर्याप्त प्रायिकता के पापार पर कुछ चुने हुए उद्योगों को मशीन, वित्त, कच्चा माल, प्रशिक्षण तथा तकनीकी प्रबन्ध सहायता उपलब्ध करने की व्यवस्था है। पांचवीं योजना-प्रवधि में 40 प्रकार के उद्योगों के लगभग 40,000 कारखानों को सेवाएँ उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

नई वक्तुओं के उत्पादन या वर्तमान श्रीदेविक कारखानों के विस्तार के लिए अनेक उद्यमियों, बारीगरों, तकनीकी विशेषज्ञों और दूसरे निवेशकर्ताओं को लघु उद्योग विकास समिति द्वारा समर्पित उद्योगवार और क्षेत्रवार सर्वोदयणों के प्राधार पर विस्तृत आर्थिक जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। श्रीसतन, लगभग 80,000 छोटे उद्यमी प्रति वर्ष इन सेवाओं से लाभ उठाते हैं।

लघु उद्योग प्रसार प्रशिक्षण संस्थान ने प्रबन्ध विकास, वित्तीय प्रबन्ध, विक्री सहायक एकको के विकास और क्षेत्रीय विकास इत्यादि के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सचालित करने की हाइट से अपनी गतिविधियों को कई गुना बढ़ा दिया है। संस्थान ने कई विकासशील देशों के प्रशिक्षणार्थियों के लिए विशेष पाठ्यक्रम भी आयोजित किए हैं।

छोटे पैमाने के क्षेत्र के लिए आयातित और स्थानीय कच्चा माल अधिकतम मात्रा में उपलब्ध कराने की हाइट से लघु उद्योग विकास समिति ने सम्बद्ध मन्त्रालयों और दूसरे संगठनों से घनिष्ठ समर्क स्थापित किया है। दुर्लभ कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने तथा स्थानीय और दुर्लभ कच्चा माल प्रयोग करने वाले कुछ उद्योग समूड़ों की आवश्यकताओं का ठीक ठाक आकलन करने की हाइट से लघु उद्योग विकास समिति ने, डैक्ट्रिलिक आयात पर औद्योगिक कारखानों की क्षमता का आकलन शुरू किया है।

जुनाई, 1969 में प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप छोटे एककों को बड़ी मात्रा में छहण दिए गए। दूसरे जो कदम उठाए गए, उनमें छोटे उद्योगों के लिए बैंकों से छहण लेने की प्रक्रिया को सरल बनाना, पिछों क्षेत्रों में कारखानों तथा इनीशियरिंग के स्नातकों के लिए उदार योजनाएँ इत्यादि हैं।

वढ़ता क्षितिज

गत दशक में सरकार के लघु उद्योग कार्यक्रम का बहुत तेजी से विस्तार हुआ है। हाल के वर्षों में छोटे पैमाने के क्षेत्र के विकास में सहायता की हाइट से बहुत सी नई योजनाएँ बनाई गई हैं।

सहायक कार्यक्रम के रूप में, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने फिस्तों में यांगड़ के प्राधार पर छोटे पैमाने के कारखानों की आधुनिकतम संरचन और मशीनें उत्पलब्ध कराने में सहायता दी। लगभग 15,000 कारखानों को 80 करोड़ रुपये की 30,000 अधिक मशीनें यव तक उत्पलब्ध कराई जा चुकी हैं। इस योजना का एक मुख्य पहलू यह है कि छोटे पैमाने के कारखानों द्वारा अपेक्षित, स्थानीय और आयातित दोनों प्रकार की मशीनें, आमान फिस्तों पर उत्पलब्ध कराई जाती हैं। यदि बहुत सल्ली से भी अन्दराजा लगाया जाए तो भी फिस्तों में स्थानीय और आयातित दोनों प्रकार की मशीनें लगाई गई हैं और 4 लाख लोगों को रोजगार मिला है।

लघु उद्योग विकास कार्यक्रम का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू फैक्टरियों के लिए स्थान की व्यवस्था, सामान्य सेवा सुविकाशों और अन्य विशिष्ट सेवाओं की व्यवस्था करके छोटे पैमाने के उद्योगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से औद्योगिक बस्तियों की स्थापना है। कुल मिलाकर 612 औद्योगिक बस्तियाँ प्रायोजित की गई हैं जिनमें से 455 ने मार्च, 1974 तक काम करना शुरू कर दिया था और इनमें 10,139 फैक्टरियाँ स्थापित हो चुकी हैं।

तुलनात्मक चित्र नीचे प्रस्तुत है—

	मार्च 1964 तक	मार्च 1974 तक
उन औद्योगिक बस्तियों को सख्ता जो पूरी बन चुकी है	181	499
निर्मित शेड	4,303	13,351
जिन शेडों में काम चालू है	2,635	9,465
रोजगार में लगे व्यक्तियों की सख्ता	29,227	1,75,700
दार्पण उदासादन	28 करोड़ रु	352 करोड़ रु

पिछले दशक में छोटे पैमाने के उद्योगों के शासनदार विकास का हाइट में रखते हुए कई विकासगील देश अपने-प्रपने देशों में छोटे पैमाने के उद्योगों के संगठित और अयोजित विकास में सहायता के लिए हमसे प्रार्थना कर रहे हैं।

छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के जरिए विभिन्न योजनाओं के अवैतन अनेक लक्ष्यों की प्राप्ति को हाइट में रखते हुए, योजनाओं के अन्तर्गत इस क्षेत्र के लिए निर्वाचित घनराशि में जो उल्लेखनीय हृदि हुई है वह अप्राकृत तातिरा से स्पष्ट है—

व्यय (करोड रुपयों में)

पहली योजना	5 20
दूसरी योजना	56 00
तीसरी योजना	113 06
चारिंक योजनाएँ (1966-69)	53 48
चौथी योजना	96 76
पांचवीं योजना (परिव्यय)	287 23

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि पांचवीं पचवर्षीय योजना में द्योटे पैम ने के उद्योगों के क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी धनराशि निर्धारित की गई है। पांचवीं योजना का एक उल्लेखनीय पहलू यह है कि इस योजना के निए स्वीकृत कुल धनराशि का लगभग 60 प्रतिशत पिछड़े हुए और ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों के विकास के लिए है।

पिछले दण्ड में लघु उद्योगों के विकास का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह रहा है कि इस क्षेत्र ने आर्थिक गतिविधि को बहुत अधिक प्रोत्साहित किया है और देश भर में फैले हुए बहुसंख्यक उद्यमियों में आत्म विश्वास की भावना पैदा की है। सस्थागत सहायता के साथ-साथ इस क्षेत्र की अन्तर्निहित गतिशीलता ने इसे राष्ट्र के आर्थिक विकास में प्रचुर मात्रा में योगदान करने योग्य बनाया है।

ग्राम और नघु उद्योग उत्पादन में वृद्धि (1975-77)

सूती हाथकरघा और विचूतु करघा हस्त का उत्पादन 1976-77 के दौरान 420 करोड मीटर और सूती हाथकरघा वस्त्र और उत्पादन के लगभग 107 करोड रुपये मूल्य के होने वी आज्ञा है। चालू तर्थ के दौरान 37 लाख 7 हजार चिलोयाम वच्चे रेजम के अतिरिक्त लगभग 53 लाख रुपये मूल्य की 6 करोड 2 लाख मीटर खादी के उत्पादन की आज्ञा है। रेजमो वस्त्र और उच्चिष्ठ के 15 करोड 50 लाख रुपये मूल्य के और नास्तिक टूट उत्पादन के लगभग 18 करोड 50 लाख रुपये मूल्य के 40 हजार टन के निर्यात किए जाने की सम्भावना है। इसी अवधि के दौरान ग्राम उद्योगों के उत्पादन के 173 करोड रुपये मूल्य के और हस्त-शिल्प के लगभग 201 करोड रुपये मूल्य के निर्यात किए जाने का अनुमान है।

1976-77 के दौरान विभिन्न लघु उद्योगों के विकास के कार्यक्रम के अन्तर्गत चालू योजनाओं विशेष रूप से हाथकरघा उद्योग और गलीचा बुनने में प्रशिक्षण तथा इसमें सुधार, आवश्यक सामान्य सेवा सुविधाओं के अन्य कार्यक्रमों को उच्च प्रायमिकता दी जा रही है। बेन्द्रीय लघु उद्योग विकास संगठन द्वारा अपनी सेवा संस्थाओं और विस्तार केन्द्रों के माध्यम से चुने हुए पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगों के विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है। अधिकांश राज्य सरकारों ने चुने हुए पिछड़े क्षेत्रों में उद्यमियों को प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की है।

सार्वजनिक क्षेत्र में विभिन्न लघु उद्योगों के लिए 1976-77 के लिए 95 करोड़ 2 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है। इसमें से केन्द्र के लिए 51 करोड़ 68 लाख रुपये और राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए 43 करोड़ 34 लाख रुपये का प्रावधान है। लगु उद्योगों के लिए 1976-77 की ग्राविधि के लिए केन्द्रीय प्रावधान 11 लाख 30 हजार रुपये का और खादी तथा ग्राम उद्योगों के लिए 25 करोड़ 20 लाख रुपये का है। इसमें विज्ञान पौर शौक्योगिकी योजनाओं के लिए व्यवधान भी शामिल है। इन प्रावधानों के प्रतिरिक्ष पहाड़ी एवं जनजातीय क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ साधन उपलब्ध किए जाएंगे। कुछ लोग ग्रामों साधनों से भी घन जुटाएंगे।

सूनी, ऊनी और रेजमी खादी वस्त्र में उन्नत डिजाइन अपनाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। ग्रामीण उद्योगों के विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों के अन्तर्गत धान से चावल निकालने और उन्हें पालिश करने के लिए विद्युत् चालित उपकरणों का अपनाया जाना, विद्युत् चालित धानियों की अधिक सख्ती में सफलाई, मधु मक्की पालन का विस्तार, ग्राम कुम्हारी का परम्परागत वस्तुओं में भवन-निर्माण सामग्री के उत्पादन में बदला जाना आदि शामिल हैं।

हाथकरघा उद्योग का नवीनीकरण और विकास आरम्भ किया जाएगा। यह हाथकरघा उद्योग सम्बन्धी उच्च प्रधिकार प्राप्त अध्ययन दल की सिफारिशों पर आधारित होगा। इसमें 13 प्रोत्साहन विकास और 20 नियतीतन्मुख उत्पादन परियोजनाओं की योजनाएँ, हाथकरघा का आधुनिकीकरण, सशोधन मुविधाएँ, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को आंतरिक सहायता और जीवं सोसायटियों एवं राज्य हाथकरघा विकास निगमों का सशस्त्रीकरण शामिल हैं।

केन्द्र द्वारा शामीण उद्योग परियोजनाओं की योजना की प्रगति पर विचार किया जा रहा है।

Appendix—3

ग्रामीण विकास

भारत ग्रन्ते लाखों गाँवों में रहता है। देश की 70 प्रतिशत जनमत्था अपनी जीविता के लिए ये भी पर निर्भर करती है और देश की लगभग आधी राष्ट्रीय आय कुपि से प्राप्त होती है। सरकारी के बाद ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर काफी जोर दिया जा रहा है। प्रशान्तमन्त्री द्वारा 20—सूरी आर्थिक कार्यक्रम में भी इसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।

ग्रामीण विकास के लिए अनेक दिग्गजों से प्रयत्न करने की जरूरत है। ग्रामीण विकास के किसी कार्यक्रम में भूमि और पानी जैसे प्रकृतिक साधनों के विकास और सरकार एवं ग्रामीण जनता का जीवन स्तर सुधार पर विशेष जोर दिया जाता है। इस दूभर कार्य को पूरा करने के लिए कृषि और मिचाई मन्त्रालय में अक्टूबर, 1974 में ग्रामीण विकास का एक नया विभाग बनाया गया। इस विभाग को पुराने मामुद विह विकास विभाग प्रीत कृषि क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रों में कर्जदारी की ममात्ति और कृषि क्षेत्र में सहकारियों का कार्य सौंदर्य दिया गया। इस विभाग की मुख्य जिम्मेदारियों में ये विषय शामिल हैं—

- (क) सामुदायिक विकास और पचायती राज सहित ग्रामीण विकास के सभी पहलू।
- (ख) समाज के दुर्बल वर्गों जैसे छोटे और सीमान्त (नाममात्र के) किसानों की भलाई सूखा पड़ने वाले, जन जातीय और पहाड़ी क्षेत्रों का विकास और ग्रामीण जनशक्ति का आयोजन और ऋजगार।
- (ग) कृषि अध्ययन और विक्री, जिसमें किस्म नियन्त्रण (एगमार्क) और विनियमित मण्डियों वा विकास शामिल है।

सामुदायिक विकास और पचायती राज

सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जिसे अब ग्रामीण विकास के समन्वित कार्यक्रम में बदला जा रहा है, 2 अक्टूबर, 1952 को शुरू किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण जनता के साधनों और सांस्कृतिक एवं आर्थिक पहलुओं को देखते हुए गाँवों का समग्र विकास करना है। इस ममय देश में 5,123 सामुदायिक विकास खण्ड हैं। प्रत्येक खण्ड में दो सकिय स्टेटों में काम होता है, अया [स्टेट I] और स्टेट II। एक विकास खण्ड 5 वर्ष तक स्टेट I में रहता है और इसके बाद दूसरे पाँच वर्ष के लिए स्टेट II खण्ड हो जाता है। पाँचवीं योजना में सभी राज्यों और केन्द्रजातिक क्षेत्रों के लिए सामुदायिक विकास और पचायती राज के प्रनतर्गत

129 80 करोड रुपये की राज्य मन्ड़िर की गई है। 1975-76 के लिए 13 65 करोड रुपये का खर्च मन्डूर किया गया है।

तीन स्तरीय पचायती राज्य व्यवस्था अब स्थानीय प्रशासन की विकास व्यवस्था के नमूने के रूप में स्वीकार की जा सकी है। 15 राज्यों में अर्थात् द्वान्द्व प्रदेश, प्रस्तु विद्वार (केन्द्र 8 जिलों में), गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्यप्रदेश महाराष्ट्र उडीसा, पञ्चाब, राजस्थान, तमिलनगु, उत्तरप्रदेश और पश्चिम बंगाल में इस तरह की व्यवस्था पहले ही लागू की जा चुकी है तथा पि जम्मू कश्मीर केरल, मणिपुर और त्रिपुरा में केवल गाँव पचायती कार्य कर रही हैं। नागालैण्ड और मेघालय में पचायती राज्य व्यवस्था नहीं है, लेकिन नागालैण्ड में क्षत्र, रेज और जन जातीय परिषदें हैं। देन्द्रियासित क्षेत्र अष्टमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, दिल्ली और गोवा, दमन और दीव में केवल ग्राम पचायती कार्य कर रही हैं। हिमाचल प्रदेश, अण्डीगढ़ तथा नागर हृदेली में क्रमशः तीन और दो स्तरीय पचायती राज्य व्यवस्था है। पांडिचेरी में 'ग्राम और कम्यून पचायती अधिनियम' की कुछ व्यवस्थाएं लागू होने के बाद, वहाँ पहली बार पचायती राज्य संस्थाओं की स्थापना की गई है। वहाँ वर्तमान म्यूनिसिपल कम्यूनों को अन्तरिम व्यवस्था के रूप में कम्यून पचायती परिषद बना दिया गया है।

इस समय देश में 2,19,892 गाँव पचायती हैं। इनके अन्तर्गत 5,44,355 गाँव और 40,68 करोड़ जनसंख्या है। इसके अलावा देश में 3,863 पचायती समितियाँ और 201 जिला परिषदें भी कार्य कर रही हैं।

प्रशिक्षण

यह अनुभान लगाया गया है कि ग्रामीण विकास के कार्यक्रम में लगे हुए 25 लाख निर्बाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। देश में ग्रामीण विकास के कार्यों में लगे विभिन्न वर्ग के लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए 200 से अधिक प्रशिक्षण केन्द्र हैं। इसके अलावा हैदराबाद में सामुदायिक विकास का राष्ट्रीय संस्थान है जो 9 जून, 1958 को मसूरी में स्थापित किया गया था। यह संस्थान सामुदायिक विकास और पचायती राज्य विचारधारा और उद्देश्यों को नई दिशा और प्रशिक्षण देने वाली शीर्ष संस्था के रूप में बनाया गया है। यहाँ सरकारी और गंरुचरकारी दोनों क्षेत्रों के प्रमुख सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाता है, -पाठ्यहारिक समाज विज्ञान में अध्ययन एवं अनुप्रयान के कार्यक्रम हाथ में लिए जाते हैं जिनमें सामुदायिक विकास द्वारा नियोजित सामाजिक परिवर्तन पर जोर दिया जाता है, प्रशिक्षण केन्द्रों के कर्मचारियों का शैक्षिक मार्गदर्शन किया जाता है और यह संस्थान सामुदायिक विकास और पचायती राज्य सम्बन्धी सूचना देने के केन्द्र के रूप में भी कार्य करता है। यहाँ राज्य सरकारों को सत्ताहृ-सेवा देने का कार्य भी किया जाता है।

स्वेच्छिक कार्यों को प्रोत्साहन

पीचवी योजना में एक नई स्त्रीम 'स्वेच्छिक कार्यों को प्रोत्साहन' कार्यान्वित करने के लिए शामिल की गई है। इस योजना के लिए 1,78 करोड़ रुपये खर्च की

व्यवस्था की गई है। इस कार्यक्रम के ग्रामीन विभिन्न प्रकार के सहयोगी सगठनों का बड़वा दो के लिए प्रोत्त परम उड़ए जाएंगे जैसे ग्रामीन माठों का विकास ग्रामीण स्टेडियूल माठों की रजिस्ट्रीज की सरल व्यवस्था, उनको निश्चित कार्य हाथ में लेन के लिए सहायता देना, रख रखाव प्रनुदान का विनरण और प्रयोगात्मक ग्रामीण पर महायोगी सगठनों का सघ बनान। एवं इसी तरह के अन्य कार्य।

दुर्गंल वर्गों के लिए कार्यक्रम

छोटे किसानों के विकास की एजेंसी एवं सीमान्त किसानों और कृषि मजदूरों के विकास की एजेंसी—ग्रामीण ने चौरी योजना के दोरान वर्गों के दिनमें छोटे और सीमान्त किसान प्रमुख हैं फायदे के लिए दो नई स्कीम—छोटे किसानों के विकास की एजेंसी और सीमान्त किसानों और कृषि मजदूरों के विकास की एजेंसी जुल की। इन एजेंसियों के प्रमुख कार्य हैं—समाज के ऐसे दुबल वर्गों का पना लगाना, उनकी समस्याओं का अध्ययन करना, उनके विकास की उपयुक्त योजनाएं तैयार करना, उन्हें सम्भागत सहायता दिलान वा प्रबन्ध करना, विस्तार सेवायों की व्यवस्था करना और इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए परवेशण की व्यवस्था करना। पिछले तीन चार वर्षों से 87 परियोजनाएँ—46 छोटे किसानों के विकास की एजेंसियों और 41 सीमान्त किसानों और कृषि मजदूरों की एजेंसियों काम कर रही हैं। आज्ञा है कि 1975-76 तक पांच वर्ष की अवधि में प्रत्येक छोटे किसानों की एजेंसी 50 000 छोटे किसानों और प्रदेश सीमान्त किसानों और कृषि मजदूरों के विकास की एजेंसी 20 000 सीमान्त किसानों और कृषि मजदूरों की सेवा करने लगेगी।

पांचवीं प्रवर्षीय योजना के अधीन छोटे किसानों के विकास की एजेंसियों सीमान्त किसानों और कृषि मजदूरों के विकास की एजेंसियों की कुल संख्या बढ़ाकर 160 की जा रही है और इनके लिए अस्थायी रूप से योजना खर्च के रूप में 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए दोनों कार्यक्रमों—छोटे किसानों के विकास की एजेंसी सीमान्त किसानों और कृषि मजदूरों के विकास की एजेंसी—वा अन्तर समाप्त कर दिया गया है और छोटे एवं सीमान्त किसानों तथा कृषि मजदूरों की सहायता के लिए निश्चित धोनी में कार्य करने वा इटिलोग अपनाया गया है। अब किसी धोने के समर्चित विकास पर जोर दिया जाता है और कार्यक्रम में भी खेती, पशु-पालन और इनको बढ़ावा देने वाले अन्य कार्यक्रमों जैसे छोटी सिचाई, भूमि का विकास, पशु पालन, डेरी उद्योग, मुर्गी पालन, सूप्रर पालन और भेड़ पालन—के विकास को अधिक महत्व दिया जाता है।

जन-जातीय विकास के लिए आजमाइशी परियोजनाएँ—1970-71 में जन जातीय विकास खण्डों के प्रलावा आन्ध्रप्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उडीया के 6 जिलों में 5 वर्ष के लिए आजमाइशी परियोजनाएँ शुरू करने वा निश्चय किया गया। जून, 1975 के अन्त तक इन जन जातीय विकास एजेंसियों को प्रनुदान के

रुप में 690 करोड रुपये दिए जा चुके थे। पांचवीं योजना में उड़ीसा में दो और परियोजनाएं मर्गदूर की गई हैं। सभी 8 परियोजनाओं में पांचवीं योजना में इस कार्यक्रम के लिए 10 करोड रुपए की अवस्था की गई है। जन-जातीय विकास की एजेंसी ने 1975 तक 1,88,000 जन-जातीय लोगों का पता लगाया है, जिनमें से लगभग 1,43,000 लोगों को आधिक कार्यक्रमों के अधीन लाभ पहुँचाया गया है। लगभग 2,009 लाख एकड़ भूमि को मुधरी हुई देशी की विधियों के अधीन लाया गया है। इस आधिक कार्यक्रम द्वारा नई सम्पर्क और प्रमुख सड़कों के निर्माण कार्यक्रम द्वारा बढ़ाया जा रहा है।

व्यावहारिक पोषण कार्यक्रम—व्यावहारिक पोषण कार्यक्रम, जो समुक्त राष्ट्र बाल कोष, खाद्य और कृषि संगठन और विश्व संगठन जैसे मन्तराष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है। आमीण जनता को मुधरे इसके पोषक भोजन से परिचित कराने वा कार्यक्रम है। यह एक शिक्षा और उत्पादन बढ़ाने वाला कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में पांच वर्ष बीच उम्र से बम के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बच्चे वाली माताओं के लिए पौष्टिक आहार की अवस्था बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है। युवक और महिला मण्डलों को पौष्टिक आहार तैयार करने के कार्यक्रम में सक्रिय रूप से शामिल किया जाता है।

इस कार्यक्रम के अधीन 1973-74 के अन्त तक 1,181 विद्यास खण्ड लाए जा चुके थे; पांचवीं योजना में व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम 700 नए विद्यास खण्डों में शुरू किया जाएगा।

सूखा पीड़ित क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम—देश के 13 राज्यों में 74 ऐसे जिलों का पता लगाया गया है, जो या तो पूरी तीर पर मरुथवा आंशिक रूप से सूखे से पीड़ित रहते हैं। इनमें 6 करोड जनसंख्या रहती है। राजस्थान में लगभग 56% भौगोलिक क्षेत्र, जिनमें 33% जनसंख्या रहती है, और आनंद प्रदेश में 33% भौगोलिक क्षेत्र, जिसमें 22% जनसंख्या रहती है, सूखा पीड़ित है सुखा पीड़ित क्षेत्र कार्यक्रम 1970-71 में इन जिलों में 100 करोड रु. की सामग्रत से शुरू किया गया था। उद्देश्य यह था कि इन जिलों में सिंचाई, भूमि-संरक्षण, बन लगाने और सड़क निर्माण का कार्यक्रम शुरू किया जाए, जिससे और विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा मिले। पांचवीं योजना में सूखा पीड़ित क्षेत्र कार्यक्रम के अधीन कृषि और सम्बन्धित क्षेत्रों के समन्वित आमीण विकास पर जोर दिया गया है। आशा है इन कार्यक्रमों से लगभग 70 लाख छोटे और सीमान्त किसान परिवारों को लाभ होगा। कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में भी किसानों के लाभ बी अनेक योजनाओं को कार्यान्वित किया जाएगा।

आमीण रोजगार और त्वरित योजना—क्षेत्र विशेष के समन्वित विकास के लिए बहुं लाभप्रद रोजगार के अवसर बढ़ाने और आधिक विकास के लाभों का समान बोटवारा करने के लगातार प्रयत्न आवश्यक हैं। 1971-72 में आमीण क्षेत्रों के द्वे रोजगार सोगों को तत्काल सहायता पहुँचाने के लिए आमीण रोजगार की त्वरित

योजना शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक ज़िले में प्रतिवर्ष 1,000 व्यक्तियों के लिए रोजगार पैदा करना है। देश के 350 ग्रामीण ज़िलों में प्रतिवर्ष कुल मिलाकर 875 लाख जन-दिवसी के बराबर रोजगार पैदा किया जाएगा।

आजगाइशी सधन ग्रामीण रोजगार परियोजना—ग्राजमाइशी सधन ग्रामीण रोजगार परियोजना 1972-73 में शुरू की गई और अभी जारी है। इस परियोजना का उद्देश्य वेरोजगारी की समस्या की व्यापकता, विस्तार और स्थिति एवं इसे हल करने की सम्भावित लागत का पता लगाना है। बुनियादी रूप से यह एक अनुसन्धान और क्रियान्वयन परियोजना है और देश के 15 चुने हुए विकास खण्डों में, जिनकी आधिक और सामाजिक परिस्थिति सम्बन्धी अवस्था अलग-अलग है, लागू की जा रही है। इस परियोजना का अनिम उद्देश्य ग्रामीण वेरोजगार और अद्व-रोजगारी की समस्या को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका खोजना है।

कृषि क्रहण और बिरो—रिजर्व बैंक ग्रांफ इण्डिया ने 1960 के आसपास ग्रामीण क्रहण की समस्या का अध्ययन करने के लिए अखिल भारतीय ग्रामीण क्रहण सर्वेक्षण समिति की स्थापना की थी। इस समिति ने सिफारिश की कि सहकारी आन्दोलन को मजबूत बनाया जाना चाहिए ताकि कृषि का समन्वित विकास हो सके। तब से यह आन्दोलन विभिन्न धेनों में फैल गया है जैसे कृषि उत्पादन, छोटी सिचाई, खाद, बीज, उर्वरक और अन्य पदार्थों का वितरण एवं सप्लाई तथा किसानों के लिए तकनीकी और अन्य सेवाओं की व्यवस्था। पिछले कुछ वर्षों में कृषि क्रहण नीति को उदार दर्ना दिया गया है। हाल ही में जो नवीनतम कदम उठाया गया है वह है अनेक राज्यों द्वारा ग्रामीण क्रहणों की समाप्ति के लिए की गई कार्यवाही, जो 20 सूची आधिक कार्यक्रम में एक प्रमुख सूच है। इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए रिजर्व बैंक ग्रांफ इण्डिया द्वारा क्रहण देने की अन्य व्यवस्थाएँ की जा रही हैं। यदि तरु सहकारियों कृषि क्रहण के लिए प्रमुख संस्थागत स्रोत है। सरकार न किसानों की क्रहण सम्बन्धी आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए धेनों वैकों की एक नई योजना भी शुरू की है। इन बैकों का कार्य वाणिज्यिक बैकों से अलग है। यह बैक विशेष रूप से छोटे और सीमान्त किसानों, कृषि मजदूरों, ग्रामीण दस्तकारों, छोटे उद्यमियों और व्यापार एवं अन्य उत्पादक कार्यों में लगे समान हैंियत के लोगों को क्रहण और वेशंगियों देते हैं। शुरू में 2 अक्टूबर, 1975 को ऐसे 5 बैक उत्तरप्रदेश में मुरादाबाद और गोरखपुर, हरियाणा में भिवानी, राजस्थान में जदपुर (लवाण) और पश्चिम बंगाल में मालदा में स्थापित किए गए। 1975 के अन्त तक अन्य बैन्डों में 10 और धेनों ग्रामीण बैक स्थापित किए जाने थे। 1969 में 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैकों के राष्ट्रीयकरण के बाद इन बैकों द्वारा कृषि धेनों को दिया जाने वाला क्रहण जो 1969 में 40·21 करोड़ रु. था, 1974 के अन्त में बढ़कर लगभग 540 करोड़ रुपये हो गया। राष्ट्रीय कृषि आयोग विसानों की सेवा समितियों भी ग्राजमाइशी आधार पर समर्थित की जा रही हैं। ये समितियों किसानों को समन्वित क्रहण, बीज, खाद, उर्वरक और अन्य सेवाएँ उपलब्ध कराएंगी।

कृषि पुनर्वित नियम—इस नियम की मतिविधियों का मुख्य उद्देश्य कृषि के क्षेत्र में पूँजी निवेश की गति को बढ़ाना और इसके उद्देश्यों में विविधता लाना है, ताकि विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में अधिक व्यायपूर्ण पूँजी-निवेश किया जा सके।

कृषि उपज की विक्री—पिछले क्षेत्रों की चुनी हुई विनियमित मण्डियों को अहरण देने की योजना चौथी पवर्पर्याय योजना में शुरू की गई। पांचवीं योजना के अधीन 'कमाण्ड' क्षेत्रों में स्थित और विशेष विस्म की व्यापारिक फसलों, जैसे बपास, पटहन और तम्बाकू की मण्डियों के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसानों को अपनी उपज को विस्म के प्रनुसार दाम मिलें, कृषि उपज (वर्गीकरण और विक्री) अधिनियम के अधीन वर्गीकरण शुरू किया गया। एगमार्क के अधीन वर्गीकरण के मानकों का स्तर बनाए रखने के लिए वैज्ञानिक परीक्षणों की अधिक प्रयोगशालाएं बनाई जा रही हैं।

आज ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। ग्रामीण जनता की दशा सुधारने के लिए नई सड़कें बनाई जा रही हैं, नए स्कूल खोले जा रहे हैं, नई सहकारी समितियां स्थापित की जा रही हैं। लेकिन इन लाभजनक उपलब्धियों के अलावा एक बात और है, जो अधिक भाहतवपूर्ण है यद्यपि उसकी माप तोल नहीं की जा सकती है और वह है लोगों की भावनाओं में महान् अविवर्तन। लोगों के विचारों और कार्यों में अकर्मण्यता समाप्त हो गई है। लोग मिल-जुल कर राष्ट्रीय कार्य कर रहे हैं और राष्ट्र निर्माण के इस महान् कार्य में साझोदारी की भावना स्पष्ट रूप से हृषिगोचर है।¹

Appendix—4

सिंचाई का विकास

हमारी पचवर्षीय योजनाओं में सिंचाई को सदैव महत्व दिया गया है लेकिन बार-बार सूखा और अकाल पड़ने से सिंचाई के विकास की गति में वृद्धि करने वी प्रोटोकल पश्चेष ध्यान केन्द्रित हुआ। प्रतएव तीसरी योजना के बाद से 1966 में, इन प्रयासों को बढ़ाया गया। सिंचाई योजना-कार्य तीन बगों, बड़े (5 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले), मध्यम (मैदानी इलाकों में 25 लाख रु. से लेकर 5 करोड़ रु. तक की लागत वाले और पहाड़ी क्षेत्रों में 30 लाख रु. से लेकर 5 करोड़ रु. की लागत वाले) तथा छोटे (मैदानी इलाकों में 25 लाख रु. से कम लागत वाले तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 30 लाख रु. से कम लागत वाले) में विभाजित किए गए हैं। अनुमान है कि बड़ी तथा मध्यम दर्जे की सिंचाई योजनाओं की क्षमता 5 करोड़ 70 लाख हैक्टर भूमि की सिंचाई करने की है, परन्तु 1974-75 तक हमने 2 करोड़ 18 लाख हैक्टर भूमि की सिंचाई करने की क्षमता ही अब तक पैदा की है।

पहली तीन योजनाओं में अर्थात् 1951 से लेकर 1966 तक लगभग 500 बड़े और मध्यम दर्जे के योजना कार्यों को नियान्वयन के लिए हाथ में लिया गया। चौथी योजना में, जो 1969 को शुरू हुई, 60 बड़े और 157 मध्यम दर्जे के, योजना कार्यों पर काम जारी रहा और 18 बड़े तथा 59 मध्यम दर्जे के योजना कार्यों को मन्त्री दी गई। पहले के खर्चों के अनुमानों में वृद्धि हाने के कारण 3 मध्यम दर्जे के योजना कार्यों को बड़े योजना-कार्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया। इस प्रकार चौथी योजना के दौरान 81 बड़े और 213 मध्यम दर्जे के, सिंचाई योजना कार्यों पर काम चल रहा था। इनमें से 6 बड़ी और 58 मध्यम दर्जे की योजनाओं पर काम पूरा किया गया। इस प्रकार पाँचवीं योजना में 75 बड़ी तथा 155 मध्यम दर्जे की योजनाओं पर काम अभी चल रहा है।

1966 के बाद से प्रबल तक की हुई प्रगति विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि इस अवधि में पैदा की गई 52 लाख हैक्टर भूमि की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सुनियोजित विकास के पहले के 15 वर्षों में पैदा की गई कुल क्षमता का लगभग 80% है। सभी फसलों के अन्तर्गत सिंचित भूमि लगभग दुगुनी हो गई है—यानी 4 करोड़ 50 लाख हैक्टर के स्तर पर। नलकूपों और पम्पसेटों के माध्यम से भूमिगत जल संसाधनों के अधिकाधिक उपयोग से सिंचाई के विकास में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। किसानों ने अपनी कमाई से या क्रहण देने वाली सस्याओं से उधार लेकर बहुत अधिक सरल्या में नलकूप अथवा कुएँ आदि लगवाए हैं। कम गहराई वाले नलकूपों की सरल्या 1973-74 में 7 82 लाख हो गई जबकि 1968-69 में केवल

2·45 लाख ही थी। इसी प्रकार पम्पसैटो (विजली और टीजन से चलने वाले—दोनों) की सूखा 1968-69 के 16·11 लाख से बढ़कर 1973-74 में 41·93 लाख तक पहुँच गई। जुलाई, 1975 में प्रधान मन्त्री द्वारा घोषित 20 सूची आर्थिक कार्यक्रम में सिचाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पांचवीं योजना के अन्त तक 50 लाख हैक्टर और कृषि योग्य भूमि में सिचाई की व्यवस्था की जाएगी।

परिव्यय और उपयोग

पिछले 9 वर्षों में सिचाई पर हुए परिव्यय और अंजित क्षमता के उपयोग के हूप में जो पूँजी-निवेश हुआ है वह उससे पहले के 15 वर्षों के पूँजी-निवेश से वही अधिक है। 1951 और 1966 के बीच बड़ी और मध्यम सिचाई योजनाओं पर 1,336 करोड़ रु खर्च किया गया, जबकि पिछले 9 वर्षों में अर्थात् 1966 और 1975 के बीच 1,682 करोड़ रु खर्च हुए। इस खर्च का एक बड़ा हिस्सा चालू परियोजनाओं पर खर्च किया गया जिससे पांचवीं योजनाओं के दौरान महत्वपूर्ण लाभ होंगे। इस योजना में 62 लाख हैक्टर अतिरिक्त क्षमता की परिकल्पना की गई है, इसमें से 55 लाख हैक्टर क्षमता चालू योजना कार्यों से ही प्राप्त होगी। हमारे देश की नदियों में कुल 18 खरब 81 अरब घन मीटर जल उपलब्ध है, इनमें से 5 खरब 67 अरब घन मीटर जल बड़े और मध्यम दर्जे की सिचाई परियोजना के जरिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। पहली योजना के शुरू में 93 खरब घन मीटर जल ही इस्तेमाल में लाया जाता था। तीसरी योजना के अन्त में यह बढ़कर 1 खरब 52 अरब घन मीटर हो गया। अर्थात् 15 वर्षों में 58 अरब घन मीटर की बढ़ोतरी हो गई। पिछले 9 वर्षों में जल का इस्तेमाल 2 खरब 5 अरब घन मीटर तक पहुँच गया है। इसका मतलब यह हुआ कि 53 अरब घन मीटर की और बढ़ोतरी हुई है। पिछले 9 वर्षों में बहुत सी ऐसी परियोजनाएँ पूरी की गई हैं जिनमें बहुत ऊँचे दर्जे की सकनीक और दक्षता से काम लिया गया। इन परियोजनाओं में आन्ध्र प्रदेश का नाशाजुँन सागर बांध, विहार में सोन बराज का नया स्वरूप देना, और गुजरात की बनास और हातमती परियोजनाएँ और उकई बांध, मध्यप्रदेश का हृतदेव बराज, राजस्वान में चम्बल नदी पर बांध और उत्तर प्रदेश में रामगगा बांध के नाम उल्लेखनीय हैं।¹

1. भारत सरकार—‘सिचाई’, दिसम्बर 1975

Appendix—5

राष्ट्रीय विकास और आंकड़े

=====

सामाजिक न्याय लाने की हृषि से अर्थ-व्यवस्था को नया रूप देने के लिए एक कल्याणकारी राज्य की योजना बनानी होती है और विकास के लिए आयोजन को सामग्री एवं मनुष्य के रूप में समाधनों एवं आवश्यकताओं सम्बन्धी तथ्यों एवं आंकड़ों पर आधारित होना चाहिए। तथ्य एवं आंकड़े एकत्र करने और इस आधार सामग्री का विश्लेषण करने की तकनीक बाले विज्ञान को साँखियकी कहते हैं। इस प्रकार साँखियकी-वेत्ता को देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है। अगर हमें यह पता नहीं है कि देश में खाद्य उत्पादन कितना हुआ है और कितनी आवश्यकता है तो लाखों लोगों को भारी कष्ट पटौदियों का खतरा हो सकता है। बांध बनने से पहले इजीनियर को यह जानना होता है कि जलाशय में कितना पानी प्रवाहित होगा और प्रस्तातित निर्माण कितने दबाव को सह सकेगा।

कार्य पद्धति

लेकिन साँखियकी के क्षेत्र में बाम करने वाला व्यक्ति जनता के सामने कम ही दिखाई देता है। वह व्यावहारिक रूप से लोगों से अपरिचित रह कर अवाध रूप से काम करता है। उसे पहले तथ्य एकत्र करने होते हैं। ऐसा करने से पहले उसे यह भी जानना चाहिए कि वह कौन सी जानकारी चाहता है वह कहीं मिलेगी और कैसे मिलेगी? काफी सोच विचार के बाद एक प्रश्नावली तैयार की जाती है और क्षेत्रीय कार्यकर्ता उन लोगों से सम्पर्क करता है जो उत्तर देंगे। किसी पर्योजना में, अगर हजारों नहीं तो सौंडो ऐसे कार्यकर्ताओं की सेवाओं की आवश्यकता होती है। इस प्रकार एकत्र विपुल आधार सामग्री अथवा आंकड़ों का विधायन एवं विश्लेषण आयुनिकतम तकनीकों से किया जाता है और इसके मूल्यांकित परिणामों से देश की आर्थिक समस्याओं को हल करने में मदद मिलती है।

मूल आधार सामग्री का विश्लेषण कई हृषिकोणों से करना होता है। यह काम हाथ से किया जा सकता है, लेकिन वह श्रम साध्य प्रक्रिया है। साँखियकी-विद्यों की मदद के लिए कम्प्यूटर आ गया है। इससे मिर्झा समय की बचत ही नहीं होती, बल्कि वह गणना करना भी सम्भव है जो किसी दूसरे तरीके से नहीं हो सकती।

भारत में व्यवस्था

स्वतन्त्रता के बाद सरकारी आंकड़ों को एकत्र करने और उनके प्रकाशन में विशिष्ट सुधार हुआ है। कई विश्वविद्यालयों में साँख्यिकी में पाठ्यक्रम हैं। भारत में समस्त सरकारी साँख्यिकी सम्बन्धी गतिविधि के शिखर पर साँख्यिकी विभाग है। इसकी स्थापना मन्त्रिमण्डल सचिवालय में 1961 में की गई थी, लेकिन अब यह योजना मन्त्रालय के अन्तर्गत है। साँख्यिकी विभाग के अन्तर्गत केन्द्रीय साँख्यिकी संगठन (सी. एस. ओ.), राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एन.एस.) और कम्प्यूटर मैच्च आते हैं। हर राज्य का अपना साँख्यिकी व्यूरो है जो केन्द्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम करता है। सन् 1961 में एक पृथक् सेवा भारतीय साँख्यिकी सेवा¹ का गठन किया गया था जिससे भारत सरकार में साँख्यिकी के विशेष ज्ञान बाले पदों की व्यवस्था की जा सके। इसमें इस समय लगभग 400 व्यक्ति हैं।

केन्द्रीय साँख्यिकी संगठन—सी.एस.ओ. के बायों से चले गए रहे मुख्य कार्य थे त्रिवेत्र इस प्रकार है—(1) राष्ट्रीय लेखा तंत्रायर करना, (2) ओर्डोगिक आंकड़ों का विद्यायन, सारणीकरण एवं विश्लेषण, (3) साँख्यिकीय प्रशिक्षण; और (4) मानकों को कार्यम रखना और समन्वय।

केन्द्रीय साँख्यिकी संगठन सभी साँख्यिकीय मामलों पर अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ और विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र साँख्यिकी कार्यालय तथा एशिया एवं प्रशास्ति की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् के साँख्यिकी डिवीजन के साथ सम्पर्क स्थापित रहता है। केन्द्रीय साँख्यिकी संगठन में विभिन्न विषयों की अलग ग्रलग यूनिटें हैं जहाँ इन विषयों के विशेषज्ञ काम करते हैं। यह यूनिटें केन्द्रीय विभागों और राज्य साँख्यिकी व्यूरो के साथ सम्पर्क रखती हैं। बहुत सी स्थायी समितियाँ कार्यकारी दलों का गठन करके सी.एस.ओ. ने साँख्यिकी मामलों पर केन्द्रीय भ्रातालयों के साथ समन्वय करने के लिए किया है। सी.एस.ओ. ने दूसरे विभागों को उनके हारा एकन आंकड़ों की गुणवत्ता को सुधारने में मदद दी है। केन्द्रीय साँख्यिकी संगठन और राज्य साँख्यिकी व्यूरो के बीच रिकट सम्पर्क स्थापित किया गया है जिससे साँख्यिकी के विकास के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाई जा सके। देश और राज्यों की पचवर्षीय योजनाओं में साँख्यिकी कार्यक्रम शामिल करने की हुष्टि से राज्य साँख्यिकी व्यूरो के निदेशकों की बैठकें समय समय पर होती रहती हैं। योजना आयोग के साँख्यिकी एवं सर्वेक्षण डिवीजन के माध्यम से सी.एस.ओ. योजना बी स्कीमों का समन्वय करता है और उन्हे पचवर्षीय योजनाओं एवं वार्षिक योजनाओं में शामिल करने में मदद देता है। इस प्रकार केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों की साँख्यिकी गतिविधियों का सचालन योजना की आवश्यकताओं के अनुरूप होता है।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण और कुछ ताजा सर्वेक्षण—इसका उद्देश्य भारतीय जनता के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं पर, जिसमें ओर्डोगिक एवं कृषि क्षेत्र भी शामिल हैं, निरन्तर आधार पर बड़े स्तर के नमूना सर्वेक्षण करना

था। इसका मुख्य उद्देश्य योजना की आवश्यकताओं को पूरा करना था। यह देश में सबसे बड़ा साँचियकी सगठन है। प्रबन्ध परिषद् ने सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षणों का दीर्घकालीन कार्यक्रम बनाया है जिसमें रोजगार, भूमि की जीत, क्रहण एवं निवाश, जनस्वास्थ्य के प्रध्ययन और परिवार नियोजन जैसे विषयों को प्रायमिकता दी जाएगी। आपात् स्थिति लागू होने पर प्रधान मन्त्री द्वारा घोषित आर्थिक कार्यक्रमों के सम्बन्ध में उनमें से बहुत से कार्यक्रमों को अत्यधिक महत्व मिला है।

कुछ ताजा सर्वेक्षण निम्न आधार पर किए गए हैं—

भूमिहीन खेतिहार मजदूरों एवं छोटे काश्तकारों की आर्थिक स्थिति (1970-71),

भूमि जीतों का ढाँचा और क्रहण एवं निवेश (1971-72),

देश में रोजगार एवं वेरोजगारी की स्थिति (1972-73),

जनस्वास्थ्य के पहलू और परिवार नियोजन की स्थिति (1973-74),

गैर कृषि उद्यमों में अपने रोजगार;

ग्रामीण अर्थमिक जाँच पड़ताल के परिणाम सहित (1974-75), और

देश में पशु गन उत्पादों का उत्पादन एवं पशुधन उद्यमों का अर्थशास्त्र (1975-76), यह अध्ययन इस समय चल रहा है।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की अनुरूप विशेषता यह रही है कि इसके कार्यक्रम में राज्य सरकारों ने भाग लिया है। हर सर्वेक्षण के लिए नमूने के एक भाग से सम्पर्क करने और सारणी बनाने का काम राज्य साँचियकी ब्यूरो द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण और राज्य ब्यूरो समान प्रक्रियाएँ ही अपनाते हैं। जलदी ही राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के काम को सिविकम तक फैला दिया जाएगा। राष्ट्रीयापी सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने के अलावा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण सगठन को औद्योगिक एवं कृषि आंकडे एकत्र करने का काम भी सौंपा गया है।

कम्प्यूटर केन्द्र—इसकी स्थापना 1967 में साँचियकी विभाग के सम्बद्ध कार्यान्वय के रूप में की गई थी। तीन हनीवेल—400 कम्प्यूटरों को लगाया गया था और ये चौबीस घण्टे काम करते हैं। आधार सामग्री की छानबीन करने और कुपल विश्लेषण करने में कम्प्यूटर बहुत मदद करते हैं। यह केन्द्र दिल्ली में और दिल्ली के आस पास सभी सरकारी विभागों और सरकारी क्षेत्रों के स्थानों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसका उपयोग करने वालों में प्रमुख नाम इस प्रकार हैं—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केन्द्रीय आवकारी एवं सीमा शुल्क बोर्ड, आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय, केन्द्रीय साँचियकी सगठन, भारतीय बायुसेना, थलसेना, सीमा सुरक्षा दल, नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक, गृह मन्त्रालय, आर्थिक मामलों का विभाग और दिल्ली टेलीफोन। सरकार के बड़े आर्थिक क्षेत्रों के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी इलेक्ट्रोनिक आवार सामग्री के विधायन के लिए व्यापक क्षेत्र हैं—जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, सामुदायिक विकास, पर्यटन, पर्सनल एवं कैरियर मेनेजमेंट, वेतन एवं लेखा और सूचियां आदि।

भारतीय साँस्लियकी संस्थान, कलकत्ता—भारतीय साँस्लियकी संस्थान की स्थापना कलकत्ता में 1932 में स्वर्गीय प्रोफेसर पी. सी. महालनोबिस की पहल पर वैज्ञानिक ज्ञान समिति के रूप में की गई थी। जीवनपर्यावरण इसके निदेशक एवं सचिव प्रो. महालनोबिस और वर्तमान निदेशक एवं सचिव द्वी सी. एस. शब्दन ने इसके लिए अध्यक्ष प्रयत्न किए हैं जिससे यह संस्थान बड़ा समर्थन बन गया है और निसके कलकत्ता (मुख्यालय), बगलौर, बडोदा, बम्बई, दिल्ली, हैदराबाद, भद्रास और चिंगड़म में प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र हैं। संस्थान ने सिद्धान्त और व्यावहारिक साँस्लियकी में अनुसंधान के लिए बहुत स्थान प्राप्त की है और भारत को विश्व के साँस्लियकी मानचित्र पर बिठा दिया है। 1955 में संसद में पास एक अधिनियम के अन्तर्गत इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है। संस्थान की मुख्य उत्तिविधियाँ इस प्रकार हैं—

- (1) विभिन्न गणित एवं साँस्लियकी सम्बन्धी शिक्षा रूपों में अनुसंधान,
- (2) ये पाठ्यक्रम चलाना—बी. स्टेट (आनंद), एम. स्टेट, पी.एच.डी. की डिग्रियाँ: साँस्लियकी साँस्लियकी गुणवत्ता नियन्त्रण, आपरेशनल रिसर्च आदि में डिप्लोमा पाठ्यक्रम और बाहरी छात्रों के लिए व्यावसायिक परीक्षाओं का आयोजन और
- (3) साँस्लियकी गुणवत्ता नियन्त्रण में परामर्श एवं प्रशिक्षण सेवाएं प्रदान करना।

यह संस्थान यूनेस्को एवं भारत सरकार के सत्त्वाद्वान में इटरनेशनल स्टेटिस्टिकल इस्टीच्यूट दि. हेग के सहयोग से अन्तर्राष्ट्रीय साँस्लियकी शिक्षा केन्द्र का संचालन करता है। प्रतिवर्ष नियमित एवं विशेषीकृत पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं और दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया, मुद्रूर पूर्व के विभिन्न देशों तथा अफ्रीका के राष्ट्रमण्डल के देशों के प्रशिक्षणार्थी भी इनमें शिक्षा पाते हैं।¹

1. भारत सरकार और हों का महत्व, दिसम्बर 1975.

Appendix-6

राष्ट्र के आधिक कायाकल्प के लिए परिवार नियोजन

आज देश के सामने मुख्य चुनौती गरोबो की समस्या है और प्रत्येक योजना या गतिविधि केवल तभी महत्वपूर्ण समझी जाती है जब वह इस समस्या को हल करने में सहायक होती है। जनसंख्या और परिवार नियोजन के प्रश्न को इसी सन्दर्भ में देखा जाना चाहिए।

परिवार नियोजन कार्यक्रम को अब एक अलग कार्यक्रम के रूप में देखना सम्भव नहीं है। इस कार्यक्रम को देश के सम्पूर्ण स्वास्थ्य और पोषण आहार कार्यक्रमों के साथ मिलकर चलाया जाना है और इसकी पहुँच दूर-दूर के देहाती क्षेत्रों और शहर की गन्दी बस्तियों में रहने वालों हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या तक होनी चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पौच्छी योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य, पोषण और परिवार नियोजन सेवाएं एक कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदान करने की व्यवस्था भी गई है। इसको पूरा करने के लिए निस्सन्देह प्रशासन, प्रशिक्षण और सगठन वी प्रक्रियाओं में मुख्य परिवर्तन करने होये। इस में आमितकारी कदम उठाए दिना नए हृषिकोण को सफलता मिलने की आशा नहीं है।

स्वास्थ्य, पोषण और परिवार नियोजन सेवाओं का एकीकरण करने के साथ-साथ परिवार नियोजन कार्यक्रम को भारत सरकार के कार्यक्रम वी जगह बास्तविक जन आनंदोलन के रूप में बदलना आवश्यक है। इस दिग्गज में श्रोमनी गाँधी और संजय गांधी न दिगुल फूँक दिया है और भारत सरकार तथा राज्य सरकारों ने इसे एक राष्ट्रीय कार्यक्रम मानते हुए आवश्यक कदम उठाए है। देश भर में 16 सितम्बर, 1976 से 30 सितम्बर, 1976 तक मनाया गया परिवार नियोजन पञ्चांडा राष्ट्र के हृद-सकल्प का परिचायक है। जनता के सभी वर्गों से अपेक्षित है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम को सफल बनाए। न केवल भारत सरकार बल्कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं ने भी स्पष्ट कर दिया है कि 'मुमलमानों को परिवार नियोजन अपनाना चाहिए। पवित्र कुरान में परिवार नियोजन की मनाही नहीं की गई है।'" ईरान में उत्तमांशों ने अपना एक फनवा जारी किया था जिसमें यह स्पष्ट कहा गया था कि इस्लाम में परिवार नियोजन या अधिक सन्नातों के जन्म पर नियन्त्रण के बारे में कोई बन्धन नहीं है।

1976-77 में परिवार नियोजन का जोरदार अध्योजन

लगभग एक करोड़ एक लाख तीन हजार व्यक्तियों को 1976-77 में परिवार नियोजन के अन्तर्गत लाने का फैसला किया गया है जबकि 1975-76 में यह लक्ष्य 75,10,000 व्यक्तियों को परिवार नियोजन के अन्तर्गत लाने का था। 1976-77 के निर्धारित अनुमानों के अनुमार 43 लाख नसबन्दियाँ दी जाएंगी, 11,40,000 लूप लगाए जाएंगे। परम्परागत गर्म निरोधकों तथा अन्य तरीकों का नियमित रूप से प्रयोग करने वालों की संख्या 46 लाख 90 हजार होगी।

परिवार नियोजन के लक्ष्यों के बारे में हाल ही में हुई केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार नियोजन परिषदों की बैठक में समीक्षा की गई थी और इसे अन्तिम रूप दिया गया था। महाराष्ट्र में सबसे अधिक 5,62,000 नसबन्दियों का लक्ष्य रखा गया है जबकि 1975-76 के दौरान इस राज्य में 3,18,300 नसबन्दियों का लक्ष्य रखा गया था। इसके बाद तमिलनाडु की बारी आती है जहाँ 5,00,000 नसबन्दियों का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश दोनों राज्यों के लिए लगभग 4,00,000 नसबन्दियों का लक्ष्य रखा गया है।

जहाँ तक परिवार नियोजन के अन्तर्गत लाए जाने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या का सम्बन्ध है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 12,02,9000 व्यक्तियों को परिवार नियोजन के अन्तर्गत लाया जाएगा। महाराष्ट्र में 8,55,800; तमिलनाडु में 83,000; पश्चिम बंगाल में 6,46,000, आन्ध्र प्रदेश में 5,87,800, अन्य प्रदेश 5,82,400 और बिहार में 5,27,100 व्यक्तियों को परिवार नियोजन के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है।

केन्द्रशासित प्रदेशों में दिल्ली का सबसे पहला स्थान है जहाँ 1976-77 के दौरान 29,000 नसबन्दियों का लक्ष्य रखा गया है। गोवा, दमन और दीव के लिए 8,000 और पाञ्जिचेरी के लिए 5,300 नसबन्दियों का लक्ष्य रखा गया है।

परिवार नियोजन के बारे में ये लक्ष्य राज्यों में पिछले वर्ष हुई प्रगति के आधार पर निर्धारित किए गए हैं। 1976-77 में परिवार नियोजन सम्बन्धी नीति की अपेक्षाकृत मुद्र्य विशेषता नसबन्दी पर जोर देना है। राज्यों से परिवार नियोजन कार्य की हर महीने समीक्षा करने को कहा गया है और साथ ही परिवार नियोजन कार्य में पाए जाने वाले दोषों की जांच करने तथा शीघ्रता से रुकावटों को दूर बरने पर भी बल दिया गया है।

1976-77 के दौरान परिवार नियोजन के लिए 70 करोड़ 14 लाख रुपये का बजट परिव्यय रखा गया है।

1976-77 के दौरान जन्म दर कम करने के राष्ट्रीय उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अधिक कठोर और जोरदार से कार्य किया जाएगा। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अनुसार पांचवीं योजना के अन्त तक जन्म दर 30 प्रति हजार तक लाई जाएगी।¹

1. कुक्सेन, जुलाई 1976, पृष्ठ 19

भारत सरकार की राष्ट्रीय जनसूच्या नीति की विशेषताएँ

- (1) विवाह की आमु बढ़ाकर लड़कों के लिए 21 और लड़कियों के लिए 18 वर्ष की जा रही है।
- (2) 30 सालं तक लालसभा और राज्य विधान सभाओं के प्रतिनिधित्व 1971 की जनगणना के स्तर पर ही रहेगा।
- (3) राज्यों वी योजनाओं में केन्द्रीय सहायता का 8 प्रतिशत भाग विशेष रूप से परिवार नियोजन कार्यों के लिए रखा जाएगा।
- (4) परिवार नियोजन आपरेशन कराने के लिए पुरुष और महिलाओं को दी जाने वाली रकम में बढ़ोत्तरी की जाएगी।
- (5) फिलहाल अनिवार्य नसबन्धी के प्रश्न पर कोई केन्द्रीय कानून नहीं बन रहा है।
- (6) पचायतों, भव्यापकों और श्रमिकों के लिए सामूहिक प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी।
- (7) परिवार नियोजन को जन आनंदोलन बनाने के उद्देश्य से इसमें स्वयं-सेवी सगठनों को सम्मिलित किए जाने की योजना का विस्तार किया जाएगा।
- (8) महिला शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए विशेष उपाए किए जाएंगे।
- (9) बालपोषक आहार कार्यक्रम वो उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। गिरसे कि बाल मृत्यु के मामलों में काफी कमी हो सके।
- (10) शिक्षा प्रणाली में जनसूच्या समस्या को शामिल किया जाएगा।
- (11) केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों की सेवा और आचरण नियमों में परिवर्तन किए जा रहे हैं जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे छोटे परिवार के सिद्धान्तों पर चलें।

“हमारे देश के आम आदमी को यह समझना होगा कि अपने देश से गरीबी और वेरोजगारी का नामोनिशान मिटाने के लिए हमने जो योजना बनाई है, परिवार नियोजन उसका एक अभिन्न और महत्वपूर्ण अंग है। अगर वे परिवार नियोजन को अपने जीवन का अग बना लेते हैं तो यह निश्चित है कि उनकी और उनके बच्चों की जिन्दगी बेहतर बन सकती है। उन्हें यह समझना होगा कि कोई माँ स्वस्थ नहीं रह सकती, यदि वह बार-बार और जल्दी जल्दी गर्भवती होती है। उन्हें यह भी मानना होगा कि बहुत सारे बच्चे पैदा करके उनका उचित तरह लालन-पालन न करना उनके साथ बेइन्साफी करना है।”

—राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन अली अहमद (18 अगस्त, 1976)

“हम अपने अनुभव से अच्छी तरह जानते हैं कि गरीबी दूर करने के प्रयत्नों में तभी सफलता मिल सकती है जब हमारे परिवार सुगठित हो। एक ही पीढ़ी में हमारी जनसूच्या में 25 करोड़ की वृद्धि हो गई है। यह वृद्धि ब्रिटेन की आबादी का 5 गुना है। हम अपने विकास कार्यों के अच्छे परिणाम दिखा सकते थे बशर्ते कि

हमारी जनसंख्या इतनी तेज़ रफ्तार से न बढ़ी होती। हमारी जनसंख्या नीति राजनीतिक मन्यताप्रो पर आधारित नहीं है। इसका उद्देश्य बच्चे-बच्चे की वेहतर तन्दुरुस्ती है तथा शिक्षा और रोजगार के अच्छे अवसर प्रदान करना है।”

—प्रधानमन्त्री श्रीमती इदिरा गांधी

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए परिवार नियोजन

केन्द्रीय ग्रमेनिक सेवा आचरण नियमों में सशोषन करके एक नई धारा जोड़ी गई है जिसके अंतीम केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी भी परिवार नियोजन अपनाएंगे।

नई धारा इस प्रकार है—

“प्रत्येक केन्द्रीय कर्मचारी को विश्वास दिलाना होगा कि उमके तीन से अधिक बच्चे नहीं होंगे, परन्तु 30 सितम्बर, 1976 तक जिन कर्मचारियों के तीन से अधिक बच्चे होंगे, उन पर यह धारा लागू नहीं होगी। यदि वे इस बात का विश्वास दिलाएं कि उमके बच्चों की संख्या उस दिन तक के मीड़दा बच्चों से अधिक नहीं होगी। यह नई धारा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को कार्य रूप देने की दृष्टि से जोड़ी गई है। यह सभी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर जिनकी संख्या लगभग 30 लाख है, उन पर लागू होगी।”

—भारत सरकार: 5 सितम्बर, 1976

Appendix—7

जनगणना 1971 तथ्य एक हृष्टि में¹

भारत की जनसंख्या	व्यक्ति	54 80 करोड़
	पुरुष	28 40 करोड़
	स्त्रियाँ	26 40 करोड़
दशवार्षिक वृद्धि (1961-71)	24 80 प्रतिशत	
जन-धनतंत्र ²	178 प्रति वर्ग कि. मी.	
स्त्री पुरुष अनुपात	930 स्त्रियाँ प्रति 1000 पुरुष	
साक्षरता दर (0-4 प्रायु वर्ग मिलाकर)	व्यक्ति	29·45 प्रतिशत
	पुरुष	39·45 प्रतिशत
	स्त्रियाँ	18·70 प्रतिशत
कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का अनुपात 19·91 प्रतिशत		
कुल जनसंख्या में कामगारों का प्रतिशत (केवल मुख्य धन्वा)		
	व्यक्ति	32·92
	पुरुष	52·50
	स्त्रियाँ	11·85
कामगारों के वर्ग	कुल कामगारों का प्रतिशत	
(1) काष्ठकार	कुल	43·34
	पुरुष	38·20
	स्त्रियाँ	5·14
(2) कृषि मजदूर	कुल	26·33
	पुरुष	17·57
	स्त्रियाँ	8·76
(3) पशुधन, बन, मत्स्य पालन, शिकार और बागान, फल उद्यान तथा सम्बद्ध धन्वे	कुल	2·38
	पुरुष	1·95
	स्त्रियाँ	0·43

- India 1971 pp 16-17
- घनत्व जम्मू और काश्मीर के आंकड़े छोड़कर निकाला गया है क्योंकि युद्ध विराम रेखा के दस पार के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(4) खनन और खदान	कुल	0 51
	पुरुष	0 44
	स्त्रियाँ	0 07
(5) उत्पादन उपयोगीकरण सेवाएँ (रविसिंग) और मरम्मत		
(क) घरेलू उद्योग	कुल	3 52
	पुरुष	2 78
	स्त्रियाँ	0 74
(ख) गैर घरेलू उद्योग	कुल	5 94
	पुरुष	5 46
	स्त्रियाँ	0 48
(6) निर्माण	कुल	1 23
	पुरुष	1 12
	स्त्रियाँ	0 11
(7) व्यापार और वाणिज्य	कुल	5 57
	पुरुष	5 26
	स्त्रियाँ	0 31
(8) परिवहन भव्यारण और सचार	कुल	2 44
	पुरुष	2 36
	स्त्रियाँ	0 08
(9) अन्य कामगार	कुल	8 74
	पुरुष	7 50
	स्त्रियाँ	1 24



Appendix—8

**राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय¹
(कारक मूल्यों पर)**

विवरण	1960-61	1971-72	1973-74
शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन (करोड रु.)			
चालू मूल्यों पर	13,267	36,599	49,290
1960-61 के मूल्यों पर	13,267	19,299	19,724
प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन (रु.)			
चालू मूल्यों पर	305.7	660.6	849.8
1960-61 के मूल्यों पर	305.7	348.4	340.1
शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन का सूचकांक (प्राधार वर्ष . 1960-61)			
चालू मूल्यों पर	100.0	275.9	371.5
1960-61 के मूल्यों पर	100.0	145.5	148.7
प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय उत्पादन का सूचकांक (प्राधार वर्ष . 1960-61)			
चालू मूल्यों पर	100.0	216.1	278.0
1960-61 के मूल्यों पर	100.0	114.0	111.3
कुल राष्ट्रीय आय (करोड रु.)			
चालू मूल्यों पर	14,003	38,899	52,193
1960-61 के मूल्यों पर	14,003	20,672	21,214
कुल राष्ट्रीय आय का सूचकांक			
चालू मूल्यों पर	100.0	277.8	372.7
1960-61 के मूल्यों पर	100.0	147.6	151.5

Appendix—9

**मूल उद्योग के अनुभार निवल - (एट्रीय उत्पाद
के अनुसार-प्रतिशत विभाजन¹
(1960-61 को कीमतों के आधार पर)**

उद्योग वर्ग	1960-61	1970-71	1974-75
1 कृषि, बन और लट्ठा उद्योग, मीन उद्योग, खनन और पत्थर की सुदाई उद्योग	52.5	45.8	41.2
2 मन्त्यूफ़ैक्चरिंग, निर्माण, बिजली, गैस तथा जल पूर्ति	19.2	22.6	23.8
3. परिवहन सचार और व्यापार	14.1	15.9	16.4
4 बैंक और बीमा, भू-गृहादि सम्पदा तथा आवासों का स्वामित्व और व्यापारिक सेवाएँ	4.2	4.1	4.4
5 सरकारी प्रशासन और रक्षा तथा अन्य सेवाएँ	10.5	12.6	14.8
6 उत्पादन लागत पर वास्तविक घरेलू उत्पादन	100.5	101.0	100.6
7 विदेशों से वास्तविक अभिकर्त्ता आय	(—)0.5	(—)1.0	(—)0.6
8 उत्पादन लागत पर वास्तविक राष्ट्रीय उत्पाद	100.0	100.0	100.0

1 आर्थिक समीक्षा 1975-76, पृष्ठ 60.

Appendix—10

**सकल राष्ट्रीय उत्पाद तथा निवल राष्ट्रीय उत्पाद
(अर्थात् राष्ट्रीय आय)¹**

सकल राष्ट्रीय उत्पाद (वरोड हरये)			निवल राष्ट्रीय उत्पाद (वरोड हरये)		प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय उत्पाद (रुपये)	
मोजना कीमतों के आधार पर	1960-61 के मूल्यों पर	मोजना कीमतों के आधार पर	1960-61 के मूल्यों पर	मोजना कीमतों के आधार पर	1960-61 के मूल्यों पर	
1	2	3	4	5	6	7
1960-61	13999	13999	13263	13263	305.6	305.6
1961-62	14799	14513	13987	13729	315.0	309.2
1962-63	15727	14880	14795	13993	325.9	308.2
1963-64	17978	15686	16977	14771	365.8	318.3
1964-65	21113	16870	20001	15885	422.0	335.1
1965-66	21866	16113	20636	15082	425.5	311.0
1966-67	25279	16324	23883	15240	482.5	307.9
1967-68	29652	17640	28102	16494	555.4	326.0
1968-69	30417	18184	28729	16991	554.6	328.0
1969-70	33669	19350	31770	18092	600.6	342.0
1970-71	36558	20334	34476	19033	637.3	351.8
1971-72	38814	20708	36535	19367	660.7	350.2
1972-73	42077	20460	39573	19077	700.4	337.6
1973-74	51902	21403	49148	20034	851.8	347.2
1974-75	63375	21478	60120	20075	1022.4	341.4
तीसरी आयोजना में वार्षिक वृद्धि						
दर	9.3	2.9	9.2	2.6	6.9	0.3
1966-67	15.6	1.3	15.7	1.0	13.4	(—)1.0
1967-68	17.3	8.1	17.7	8.2	15.1	5.9
1968-69	2.6	3.1	2.2	3.0	(—)0.1	0.6
1969-70	10.7	6.4	10.6	6.5	8.3	4.3
1970-71	8.6	5.1	8.5	5.2	6.1	2.9
1971-72	6.2	1.8	6.0	1.8	3.7	(—)0.4
1972-73	8.4	(—)1.2	8.3	(—)1.5	6.0	(—)3.6
1973-74	23.4	4.6	24.2	5.0	21.6	2.8
चौथी आयोजना में वार्षिक वृद्धि						
दर	11.3	3.3	11.3	3.3	9.0	1.2
1974-75	22.1	0.4	22.3	0.2	20.0	(—)1.7

Appendix-11

चुने हुए उद्योगों में उत्पादन¹

विवरण 1	इकाई 2	1960-61 1971-72 1974-75				
		3	4	5		
I खनन						
1. कोयला (लिग्नाइट सहित) दस लाख मीट्रिक टन	55 7	76 3	90 7			
2. कच्चा लोहा दस लाख मीट्रिक टन	11 0	34 7	35 5			
II धातु उद्योग :						
3. छला लोहा दस लाख मीट्रिक टन	4.31	6 80	7 64			
4. इस्पात के ढाले दस लाख मीट्रिक टन	3 42	6 41	6 43			
5. तीवार इस्पात दस लाख मीट्रिक टन	2 39	4 79	4 91			
6. इस्पात की ढली हुई वस्तुएँ हजार मीट्रिक टन	34	54	64			
7. अन्युभिन्नियम (प्राकृतिक धातु) हजार मीट्रिक टन	18 3	181 5	126 6			
8. ताँबा (प्राकृतिक धातु) हजार मीट्रिक टन	8 5	8 3	15 6			
III यांत्रिक इज्जीनियरी उद्योग						
9. मशीनी औजार दस लाख रुपये	70	550	925			
10. सूती कपड़ा बनाने की मशीनें दस लाख रुपये	104	338	773			
11. चीनी पिलो की मशीनें दस लाख रुपये	44	177	270			
12. सीमन्ट बनाने की मशीनें दस लाख रुपये	6	22	93			
13. रेल के डिव्हे हजार की संख्या में	11 9	8 5	11 1			
14. मोटर गाडियाँ (कुल) हजार की संख्या में	55 0	91 3	81 7			
(i) वाणिज्यिक गाडियाँ हजार की संख्या में	28 4	39 5	40 7			
(ii) कारें, जीर्वे और सैड रीवर हजार की संख्या में	26 6	51 8	41 0			

1	2	3	4	5
15. मोटर साइकिल और स्कूटर हजार की सह्या में	19·4	112	7	149 0
16 विद्युत चालित पम्प हजार की सह्या में	109	208		282
17. डीजल इंजन (स्थिर) हजार की सह्या में	44 7	69 9	114 3	
18. डीजल इंजन (मोटर गाड़ियों के) हजार की सह्या में	10 8	1·5		2 9
19. बाइसिकिल हजार की सह्या में	1071	1766		2341
20 सिलाई की मशीनें हजार की सह्या में	303	312		335

IV विजली इंजीनियरी उद्योग :

21. विद्युत ट्रान्सफार्मर	हजार किलोवाट एम्पियर	1413	8871	12439
22. विजली की मोटरें	हजार अश्व शक्ति	728	2348	3684
23. विजली के पख्ते	हजार की सह्या में	1059	2067	2247
24. विजली के लैम्प	दस लाख की सह्या में	43 5	120 6	134 0
25 रेडियो रिसीवर	हजार की सह्या में	282	2004	1966
26. विजली केबल				
(i) प्रलूबिनियम के तार हजार मीट्रिक टन		23 6	79 7	28 6
(ii) साँबे वे छुले तार हजार मीट्रिक टन		10 1	0 7	1 3

V रासायनिक और सम्बद्ध उद्योग

27. नाइट्रोजनी उर्वरक (एन)	हजार मीट्रिक टन	98	952	1182
28 फास्फेटी उर्वरक (पी२प्रो५)	हजार मीट्रिक टन	52	278	323
29. गधक का तेजाव	हजार मीट्रिक टन	368	975	1434
30 सोडा ऐश	हजार मीट्रिक टन	152	489	516
31. कास्टिक सोडा	हजार मीट्रिक टन	101	385	426
32 कागज और गत्ता	हजार मीट्रिक टन	350	803	825
33. रबड़ के टायर ट्यूब				
(i) मोटर गाड़ियों के टायर	दस लाख की सह्या में	1 44	4 33	4·83
(ii) मोटर गाड़ियों के ट्यूब	दस लाख की सह्या में	1 35	4 24	4 18
(iii) बाइसिकिलों के टायर	दस लाख की सह्या में	11 15	22 36	25 00
(iv) बाइसिकिलों के ट्यूब	दस लाख की सह्या में	13 27	14 35	18 53

540 भारत में आर्थिक नियोजन

1	2	3	4	5
34 सीमेट	दस लाख मीट्रिक टन	80	150	147
35 उच्चतापसाह बस्तुएं	हजार मीट्रिक टन	567	808	753
36 परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद	दस लाख मीट्रिक टन	58	186	19.5

VI वस्त्र उद्योग :

37 जैट कपड़ा	हजार मीट्रिक टन	1071	1274	1049
38 सूती धागा	दस लाख किलोग्राम	801	902	1025
39 सूती कपड़ा (कुल)	दस लाख मीटर	6740	7549	8268
(i) मिल क्षेत्र	दस लाख मीटर	4649	4039	4450
(ii) विवेन्द्रीकृत क्षेत्र	दस लाख मीटर	2091	3510	3817
40. रेयन का धागा	हजार मीट्रिक टन	438	102.3	115.9
41 नश्ली रेशम का कपड़ा	दस लाख मीटर	544	968	862

VII खाद्य उद्योग

42 चीनी	हजार मीट्रिक टन	3029	3113	4793
43 चाय	दस लाख किलोग्राम	332	431	493
44. काफी	हजार मीट्रिक टन	541	956	861
45 बनस्पति	हजार मीट्रिक टन	340	594	352

VIII बिजली (उत्पादित)	शरब कि वा घ.	169	607	694
-----------------------	--------------	-----	-----	-----

Appendix—12

गैर-सरका वे क्षेत्र मे रोजगार¹

उद्योग प्रभाग/महिला व्यौरा	मार्च 1961	मार्च 1971	मार्च 1973	मार्च 1975
1	2	3	4	5
0 वागान, बन आदि	6 7	8 0	8 1	8 2
1 खानो और पत्थर की खानो की खुदाई	5 5	4 1	2 5	1 2
2. और 3. वस्तु निर्माण	30 2	39 7	41 0	41 3
4 इमारतो का निर्माण	2 4	1 4	1 8	1 3
5 बिजली, गैस और जल आदि	0 4	0 5	0 5	0 4
6 व्यापार और वासिंचय	1 6	3 0	3 1	3 5
7 परिवहन और सचार	0 8	1 0	0 8	0 8
8 सेवाएँ	2 8	10 0	10 8	11 3
जोड़	50 4	67 6	68 5	68 0

1 आर्थिक समीक्षा, 1975-76, पृष्ठ 85-86

Appendix—13

सरकारी क्षेत्र में रोजगार¹

मार्च
1961 मार्च
1971 मार्च
1973 मार्च
 (मन्त्रिमं)

सरकारी क्षेत्र के वर्गों के अनुसार

	1	2	3	4	5
1	वैद्युत सरकार	20 90	27 71	29 18	29 86
2	राज्य सरकार	30 14	41 52	45 79	47 44
3	अर्थ सरकारी	7·73	19 29	25·78	31 68
4	स्थानीय निकाय	11 73	18 78	19 00	19 39
	जोड़	70 50	107 31	119 75	128 38

1. आर्थिक समीक्षा, 1975-76, पृष्ठ 85

Appendix—14

20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम

1. आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के दामों में गिरावट के सहान को बनाए रखना, उत्पादन की गति तेज़ करना, आवश्यक उपभोक्ता पदार्थों की वसूली व वितरण व्यवस्था को प्रभावशाली बनाना, सरकारी खर्च में कमी करना ।
2. कृषि भूमि की हृदवन्धी को तेज़ी से लागू करना, अतिरिक्त भूमि को ज्यादा तेज़ी से बांटना तथा भूमि सम्बन्धी प्रलेख तैयार करना । इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि जनजातीय लोगों को उनकी भूमि से उचित न किया जाए ।
3. देहाती क्षेत्रों में भूमिहीनों व समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए आवास भूमि के आवधन को तेज़ी से लागू करना ।
4. मजदूरों से जबरन काम कराने को, जहाँ कही ऐसा होता हो, गैर-कानूनी करार दिया जाएगा ।
5. ग्रामीणों के कर्ज़ की समाप्ति की योजना । भूमिहीन मजदूरों, दो हैंडटेपर से कम भूमि वाले छोटे और सीमान्त किसानों व देहाती दस्तकारों से कर्ज़ की वसूली पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया जाएगा ।
6. खेतिहर मजदूरों के निम्नतम मजदूरी सम्बन्धी कानूनों में सशोधन होगा और जहाँ आवश्यक होगा, न्यूनतम वेतन को उचित रूप से बढ़ाने के लिए कार्यवाही की जाएगी ।
7. 50 लाख हैंडटेपर भूमि में और तिचाई की व्यवस्था की जाएगी । भूमिगत जल के उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाए जाएंगे और पीने के पानी की व्यवस्था के लिए, विशेष रूप से सूखा पड़ने वाले क्षेत्रों में और अधिक सर्वेक्षण किए जाएंगे ।
8. बिजनी उत्पादन कार्यक्रमों में तेज़ी लाई जाएगी । केन्द्र के नियन्त्रण में मुपर तरप दिव्यालीष्टरों की शालेय की जाएगी ।
9. हाथकरथा क्षेत्र के विकास के लिए नए कार्यक्रम लागू किए जाएंगे । बुनकरों को और अधिक सुरक्षा प्रदान करने की नीति को अधिक युक्तिसुगत बनाया जाएगा ।
10. नियन्त्रित मूल्य पर दिक्कते वाले कपड़े वी क्षालिटों सुधारी जाएगी और उसके वितरण की उचित व्यवस्था की जाएगी ।

11. शहरी भूमि व शहर दस्ताने योग्य भूमि का समाजीकरण, खाली छोड़ी गई अतिरिक्त भूमि पर कढ़ा करने तथा नए आवासों में चौकी क्षेत्र को कम करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।
12. दिल्लीवाले की शानदार सम्पत्ति के मूल्यांकन के लिए और कर चोरी पकड़ने के विशेष दस्ते कायम किए जाएंगे। आधिक अपराधियों के खिलाफ तुश्न्त नियायक मुकदमा चलाया जाएगा तथा कड़ा दण्ड दिया जाएगा।
13. तटकरों की सम्पत्ति जब्ता करने के लिए विशेष कानून बनाया जाएगा।
14. पूँजी निवास प्रक्रिया को उदार बनाया जाएगा। आयात लाइसेंस का दुष्प्रयोग करने वालों के विहङ्ग बायवाही बीजाएगा।
15. उद्योगों में, वित्तीर रूप में कारखाने के काम में कर्मचारियों की शिरकत से सम्बन्धित नई योजनाएं और उत्पादन कार्यरूपों की शुरूप्रातः।
16. सड़क परिवहन के लिए राष्ट्रीय परमिट योजना शुरू की जाएगी।
17. मध्यम वर्ग के आवकर में छूट की सीमा बढ़ाकर 8 हजार रुपये कर दी जाएगी।
18. छात्रावासों में छात्रों के लिए नियन्त्रित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था की जाएगी।
19. छात्रों को नियन्त्रित मूल्य पर पुस्तकें व स्टेशनरी के सामान उपलब्ध कराए जाएंगे तथा पुस्तक वैंकों की स्वापना की जाएगी।
20. नई एप्रेन्टिसिप योजना शुरू की जाएगी जिसमें रोजगार व प्रशिक्षण के मध्यम बढ़ेंगे। एप्रेन्टिसों की भर्ती करते समय अनुसूचित जाति और जनजाति, अल्पसंख्यकों और विकलांगों का विशेष ध्यान रखा जाएगा।

(राष्ट्र के नाम प्रधानमन्त्री द्वारा 1 जुलाई 1975 के प्रसारण से)

Appendix—15

पांचवीं पञ्चवर्षीय योजना का प्रारूप

(25 सितम्बर 1976 को राष्ट्रीय विकास परियद की स्वीकृति)¹

राष्ट्रीय विकास परियद ने पांचवीं पञ्चवर्षीय योजना के प्रारूप को 25 सितम्बर, 1976 को अन्तिम रूप से स्वीकार कर लिया है। इस योजनाकाल के अब दो ही वर्ष शेष रह गए हैं, इसलिए यह कहा जा सकता है कि योजना की यह अन्तिम स्वीकृति बहुत विलम्बित हो गई है। परन्तु योजना के अब तक गुजरे काल में कुछ ऐसी अस्थिरता वौ परिस्थितियाँ और मजबूतियाँ रही कि योजना वा अन्तिम ढांचा स्वीकार करने में विसम्ब्रहोमा स्वाभाविक ही था। चाहतव में, जैसा कि प्रधानमन्त्री ने कहा है, यह सभभा जाना चाहिए कि पञ्चवर्षीय योजना वौ यह मध्यावधि समीक्षा हुई है और प्रारम्भ के तीन वर्षों में प्राप्त अनुभवों और देश में लाई गई स्थिरता के पत्तस्वरूप इसके शेष वर्षों के लिए सुविचारित आयोजन लिया गया है।

परियद के योजना को स्वीकार करने वाले प्रस्ताव में कहा गया है कि पांचवीं योजना के प्रारूप पर विचार करते हुए आत्मतिर्भवता व गरीबी दूर करने के उद्देश्य पर जोर देते हुए, भुद्वास्फीति की प्रवृत्ति पर अकुश के लिए उठाए जाने वाले कदमों का समर्थन करते हुए कृपि, सिचाई ऊर्जा व सम्बन्धित आधारभूत क्षेत्र की योजनाओं पर जोर देते हुए, नए आर्दिव कायंन्रम वौ लागू करने वौ इच्छा में राष्ट्र की क्षमता में विश्वास व्यक्त करते हुए, पूँजी निवेशों से अधिक आय प्राप्त करने की आवश्यकता वौ महसूस करते हुए राष्ट्रीय विकास परियद सितम्बर, 1976 की अपनी दैठक में पांचवीं पञ्चवर्षीय योजना के प्रारूप को स्वीकार करती है तथा जनता के सभी वर्गों से अपील करती है कि योजना में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में पूर्ण सहयोग दें।

राष्ट्रीय विकास परियद द्वारा स्वीकृत पांचवीं पञ्चवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में 39303.24 करोड़ रु. खर्च करने का प्रावधान है। यह प्रारूप योजना से लगभग 2000 करोड़ रु. अधिक है। अगले दो वर्षों में इस करोड़ रु. 19903 करोड़ रु. खर्च होने वाला है। जहाँ तक अलग-अलग मदों की बात है व्यय का आवष्टान इस प्रकार रखा गया है—

1. हिन्दूस्टान दि. 26 एवं 27 सितम्बर, 1976 के आधार पर

मद	व्यय राशि
कृपि तथा इससे सम्बन्धित विषय	4643 50 करोड रु.
भिचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण	3440 18 करोड रु.
बिजली	7293 90 करोड रु
उद्योग तथा खनन	10200 60 करोड रु.
परिवहन तथा सचार	6881 43 करोड रु.
शिक्षा	1284 29 करोड रु.
समाज तथा सामुदायिक सेवाओं पर	4759 77 करोड रु
पहाड़ी तथा आदिवासी क्षेत्रों पर	450 00 करोड रु.
अन्य विविध क्षेत्रों पर	333 73 करोड रु

पाँचवीं पचवर्षीय योजना के प्रारूप में जिन विषयों को प्राथमिकता मिली थी, उन्हे अपरिवर्तित रखा गया है।

पाँचवीं योजना की 39303 24 करोड रु की राशि में केन्द्र का योगदान 19954 10 करोड रु, राज्यों का 18265 08 करोड रु, सधीय क्षेत्र का 634 06 करोड रु तथा पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों को 450 करोड रु. रहेगा।

योजना आयोग के उपाध्यक्ष थी हक्सर ने कहा कि सही मायनों में पाँचवीं पचवर्षीय योजना का पहला वर्ष तो तैयारी में ही चला गया। अत हमें अपना वास्तविक कार्य शेष चार वर्षों में ही विभाजित करना पड़ा। यही कारण है कि योजना के अगले दो वर्षों में 19902 करोड रु खर्च करने की व्यवस्था की गई है जबकि पहले तीन वर्षों के लिए पहले 19401 करोड रु खर्च करने का अनुमान था।

थी हक्सर ने कहा कि योजना आयोग का अनुमान है कि हमारा कृपि उत्पादन कम से कम 12 $\frac{1}{2}$ करोड टन तथा अधिक से अधिक 13 करोड 20 लाख टन होगा। उसके आधार पर कृषि क्षेत्र में 4 प्रतिशत तथा उद्योग के क्षेत्र में 7 10 प्रतिशत विकास की आशा रखी जा सकती है। हमारे निर्यात में भी 8 5 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है।

योजना आयोग का अनुमान है कि इस पचवर्षीय योजना में निजी क्षेत्र भी 24000 करोड रु खर्च कर सकेगा।

हक्सर ने कहा कि यह योजना यथार्थवादी है और इसमें मूल्यों में स्थिरता पर विशेष जोर दिया गया है।

योजना में कोयले का उत्पादन लक्ष्य 12 करोड 40 लाख टन, तेंपार इस्पात का 88 लाख टन, रासायनिक खाद (नाइट्रोजन) का 29 लाख टन और फास्फेट खाद का 7 लाख 70 हजार टन रखा गया है। थी हक्सर ने बताया कि योजना में नए इस्पात कारखाने के लिए 30 करोड रुपये का प्रावधान रखा गया है। सेकिन यह कारखाना कहाँ लगाया जा सकता है, इसकी जांच-पड़ताल अभी चल रही है और निर्णय बाद में ही हो सकेगा।

आयोग के सदस्य प्रो एस चक्रवर्ती ने बताया कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संषठन द्वारा देरोंगारी सम्बन्धी सर्वेक्षण की रिपोर्ट पर अभी विचार हो रहा है। यह हमारी सबसे विकट समस्या बन सकती है।

उन्होंने बताया कि योजना में मध्यम और बड़ी सिचाई योजनाओं से 58 लाख हैक्टेयर और लघु निचाई से 60 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिचाई का प्रावधान किया गया है। योजना के प्रस्तुत तक 31000 मेगावाट विजली का उत्पादन बढ़ान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें छाती योजना के लिए अप्रिम कार्रवाई शुरू करन का प्रावधान भी रखा गया है।

उन्होंने बताया कि योजना में अगले दो वर्षों में लगभग 1600 करोड़ रुपये के अतिरिक्त साधन जुटाने का प्रावधान है, जिसमें से 900 करोड़ रुपये केन्द्रीय क्षेत्र से और 700 करोड़ रुपये राज्य क्षेत्र में मुहैया किए जाएंगे। 14700 करोड़ के अतिरिक्त साधनों में से लगभग 13,000 करोड़ रुपये के साधन पहले तीन वर्षों में जुटाए जा जुके हैं।

परिपद ने योजना को स्वीकार करते हुए जनता के सभी वर्गों से निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में पूर्ण सहयोग देने की अपील की है। योजना का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता तथा गरीबी को दूर करना है, इसलिए जनता का सहयोग तो इसमें आवश्यक ही ही और वह मिलना चाहिए। आपात् स्थिति की घोषणा के बाद देश में जो अनुशासन और कर्तव्य के प्रति निष्ठा की भावना चाही है और असामाजिक प्रवृत्तियाँ हुक्म से जो उत्साह पैदा हुआ है, वह बना रहना चाहिए ताकि उत्पादन बढ़े, ठीक ढंग से वितरण हो और योजना के लक्ष्य पूरे हो सकें। इसके अलावा प्रधानमन्त्री ने ग्रामीणों से उनकी बचत को सप्रह करने के लिए ग्रामीण ऋण पर जारी करने, राज्यों स औबर ड्रापट लेने की प्रवृत्ति रखागने, समुचित वितरण द्वारा किसी वस्तु का अभाव न होने देने, मूल्यों को न बढ़ने देने तथा एक राष्ट्रीय बेतन नीति निर्धारित करने प्रादि के जो सुझाव दिए हैं, उन पर भी अमल किया जाना चाहिए। इनसे देश में आवश्यक आविक व्यवस्था बनाए रखने तथा योजना के लक्ष्यों को मूर्त रूप देने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा हो सकेंगी।

Appendix-16

प्रश्न-कोश (QUESTION BANK)

खण्ड-1. आर्थिक विकास के सिद्धान्त

अध्याय 1

- 1 आर्थिक विकास की परिभाषा दीजिए। आर्थिक विकास की प्रकृति एवं उसके मापदण्ड के बारे में बताइए।

Define economic growth. Mention the nature and measurement of economic growth.

- 2 “आर्थिक विकास के तीन पहलू हैं—समग्रीकृत राष्ट्र के बुल और प्रति व्यक्ति उत्पादन में निरन्तर वृद्धि, सरकारी विकास प्रक्रिया के द्वारा बद्धन्यवस्था में जो विचरण (अवया परिवर्तन) आते हैं, अन्तर राष्ट्रीय देश में बदलती हुई सरकार के साथ ही साथ, इस के और शेष विश्व के बीच आर्थिक प्रवाहों का अनुक्रमिक प्रतिरूप बनाना।” उदाहरणों सहित ज्ञान्या कीजिए। (1972)

“Economic growth has three aspects—the aggregative sustained increase in a nation's total and per capita product, the structural—the shifts that occur in any economy during the growth process, the international : the changing domestic structure is supplemented by a sequential pattern of economic flows between it and the rest of the world.” Elaborate with the help of illustrations.

- 3 आर्थिक विकास के सहबों की ओर उनके सुलभात्मक महसूस की विवेचना करो। आप आर्थिक विकास की दर किस प्रकार मापोगे? (1973)

Discuss the factors that are responsible for economic growth and their relative importance. How would you measure the rate of growth?

- 4 आर्थिक वृद्धि आर्थिक विकास और आर्थिक प्रगति में मेंद दीजिए। आर्थिक विकास की माझहटु आय-समको का प्रयोग किस सीमा तक किया जा सकता है?

Distinguish between economic growth, economic development and economic progress. How for Income Data may be used to measure economic growth?

- 5 “हम आर्थिक विकास की परिभाषा एक प्रक्रिया के रूप में करेंगे जिससे कि निसी देश के प्रत्येक व्यक्ति की वास्तविक आय दीर्घकालीन अवधि में बढ़ती है।” (मेरर) स्पष्ट कीजिए। (1975)

“We shall define economic development as the PROCESS whereby the REAL PER CAPITA INCOME of a country increases over a long period of time.” (Meier) Elucidate

अध्याय 2

- 1 अद्य-विकसित अर्थ-व्यवस्था के मुख्य लक्षण लिखिए। एक अद्य-विकसित और एक विकसित राष्ट्र के आयोजन में नया भिन्नाएँ होती हैं?

Critically examine the characteristic features of an under developed economy. How economic planning in an under developed country differs from that of a developed country?

- 2 बाप की राय में भारत जैसे अल्प-विकसित देश के आधिक विकास में कौनसी मुद्दां बाधा हैं पूँजी की कमी, तकनीकी परिवर्तन और अभिनवीकरण प्रक्रिया की द्विमी दर अथवा उपयुक्त संस्थागत और सामाजिक ढांचे का अभाव ? उदाहरण दीजिए। (1972)
What would you consider the main barrier to economic development of a less developed country such as India - paucity of capital, slow rate of technological change and innovation or absence of an appropriate institutional and social structure ? Give illustrations.
- 3 अद्भुत विकसित अर्थव्यवस्था की वया विवेयताएँ हैं ? ऐसी अर्थव्यवस्था में आधारभूत समस्याएँ क्या होती हैं ? इनकी विवेचना भारत के सन्दर्भ में करो। (1973)
What are the main characteristics of an under-developed economy ? What are the basic problems to planning in such an economy ? Discuss them with reference to India
- 4 “अनाविकसित देशों से सम्बन्धित आँकड़ों एवं दर्शनात्मक जानकारी वा अध्ययन करने से प्रकट होता है कि राष्ट्रीय निर्भनता एवं देश की अर्थव्यवस्था के अन्य लक्षणों में अवधी ही सहस्रमध्य है।” (हिंगिस) ये अन्य लक्षण क्या हैं ? (1974)
“Examination of statistics and descriptive information pertaining to under-developed countries reveals that there is indeed a correlation between national poverty and other features of the country's economic and social organization ” (Higgins) What are these other features ?
- 5 विकसित, अविकसित तथा अद्भुत-विकसित देशों में उसके आधिक विकास की इकाओं में वया अन्तर पायो जाता है ? प्रत्येक का उपयुक्त उदाहरण देते हुए समझाइए।
Describe how states of economic development in developed, undeveloped and under-developed countries differ from one another, giving suitable examples of each
- 6 अद्भुत विकसित देशों की समस्याओं की परीक्षा कीजिए।
Examine the problems of under-developed countries
- 7 “आधिक प्रगति की वास्तविक आधारभूत समस्याएँ नैर-आधिक हैं।” विवेचना कीजिए।
“The really fundamental problems of economic development are non-economic”. Comment

प्रध्याय 3

- 1 विकास के अन्तर्गत सरचनात्मक परिवर्तन से आप वया समझते हैं ? उत्पादन के संघर्ष में परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए।
What do you understand by 'structural changes under development' ? Explain changes in the composition of production.
- 2 विकास के अन्तर्गत सरचनात्मक परिवर्तन को समझते हुए उपभोग में परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए।
Explain "Structural changes under development" and show how do you understand by the changes in consumption
- 3 रोजगार निवेश और व्यापार के सम्बन्ध में विकास के दौरान सरचनात्मक परिवर्तन की विवेचना कीजिए।
Discuss the structural changes in the composition of employment, investment and trade
- 4 आधुनिक युग में, मुद्द्य सरचनात्मक परिवर्तनों का लक्ष्य कृषि मरों के स्थान पर औद्योगिक मरों का उत्पादन (औद्योगीकरण की प्रक्रिया), यांत्रीक तथा वाहरी क्षेत्रों में जनसंख्या वितरण

- 5 रोस्टव के आर्थिक विकास की अवस्थाओं के सिद्धान्त का विश्लेषण कीजिए तथा इसकी सीमाएं बताइए।
Elucidate Rostow's Theory of economic growth and point out its limitations
- 6 स्वचालित विकास क्या है? इसकी क्या सीमाएँ हैं?
What is self sustained growth? What are its problems?
- 7 आर्थिक वृद्धि को परिभाषा दीजिए। रोस्टव के अनुसार आर्थिक वृद्धि के विभिन्न चाल क्या हैं? Define Economic growth' What are according to Rostow the different stages of economic growth?
- 8 आर्थिक विकास की पूर्व आवश्यकताएँ क्या हैं? आर्थिक विकास के अध्ययन ने आधुनिक समय में विशेष महत्व नयों प्राप्त किए हैं?
What are the pre requisites of economic growth? Why has the study of economic growth assumed special importance in modern times?
- 9 "आर्थिक विकास कोई जादू नहीं है वह एक निश्चित गणित पर आधारित होना चाहिए।"
भारतीय अनुभव के आधार पर टिप्पणी कीजिए।
'Economic development is not a miracle. It is based on a definite arithmetic' Comment in the light of Indian experience
- 10 विकास दर के विभिन्न तत्त्वों के योगदान पर देविसन के विश्लेषण का विवरण दीजिए।
Examine D'vnison's estimates of the contribution of different factors to the growth rate

अध्याय 5

- 1 आर्थिक विकास का विश्लेषण कीजिए और महत्वपूर्ण मॉडलों को बताइए।
Analyse economic growth and point out important growth models
- 2 आर्थिक विकास के लेविस माडल की परीक्षा कीजिए।
Examine Lewis' Model of economic growth
- 3 लेविस के असीमित थर्म पूर्ति के घड़ि-सिद्धांत की विवेचना कीजिए। वर्ताइए कि अन्य विस्तृति देशों में असीमित थर्म पूर्ति के द्वारा पूँजी निर्माण सम्भव भी है और लाभदायक भी। Discuss Lewis theory of growth with unlimited labour supply. Do you agree that Capital formation with unlimited supplies of labour is possible and projectable in under developed countries?
- 4 हेराड-डोमर माडल स्थय में विश्लेषण का एक अधारा और काम चलाऊ साधन है और इसमें बहुत अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। (मुख्य चक्रवर्ती) अल्पविकसित देशों के लिए नीति सम्बद्धी तत्त्वों की दृष्टि से हेराड-डोमर माडल की समर्तता एवं सीमाओं को समझाइए।

या

असीमित थर्म पूर्ति की परिस्थिति में आर्थिक विकास की प्रक्रिया को निष्पत्ति कीजिए।

(1974, 75)

Harrod-Domar Model is 'a very rough tool in itself and not too much should be expected from it' (S Chakravarty). Explain the relevance and limitations of Harrod-Domar model in relation to its policy implications for under-developed countries

OR

Outline the process of economic development under conditions of unlimited labour supply

- 5 हेरोड-डोमर के आर्थिक वृद्धि के विश्लेषण के प्रमुख बाबा स्पष्ट कीजिए। इसके व्यावहारिक प्रयोग की विवेचना कीजिए।
Explain the main point of Harrod—Domar analysis of economic growth
Discuss its practical application
- 6 अल्फविस्तित देशों की आर्थिक विकास की समस्या के तिए हेरोड डोमर विश्लेषण के महत्व का विवेचन कीजिए।
Discuss the significance of Harrod—Domar analysis for the problem of economic development of under developed countries
- 7 महालनोबिस के आर्थिक वृद्धि के मॉडल पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
Write a short note on The Mahalanobis Model of economic growth
- 8 महालनोबिस के नियोजित विकास के मॉडल को व्याख्या कीजिए। महालनोबिस के आर्थिक वृद्धि के सशायं मॉडल के मुख्य दोष क्या हैं?
Explain the Mahalanobis Model of planned development. What are the important flaws in the operational model of economic growth by Mahalanobis?
- 9 उम सेंडान्टिक दौर को पूरी तरह समझाइए और उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए जो वि भारत की दृष्टी परवर्तीय योजना का आधार था। (1975)
Explain fully and evaluate critically the theoretical framework which formed basis of India's Second Five-year Plan

आव्याप्त 6-9

- 1 'आर्थिक विकास के लिए नियोजन' पर आलोचनात्मक निबन्ध लिखिए।
Write a critical essay on "Planning for Economic Development"
- 2 एक नियोजन अव न्यवस्था के पक्ष और विरक्ष में दो गए तरफों की आलोचनात्मक परीक्षा कीजिए।
Critically examine the agreements advanced for and against a planned economy
- 3 नियांगित वर्ष व्यवस्था मुक्त व्यवस्था से शेषटर क्यों मानी जाती है? विवेचना कीजिए।
Why is Planned economy considered superior to Free enterprise-economy? Discuss fully
- 4 बचत दर को प्रभावित करने वाले तत्त्वों की विवेचना कीजिए।
Discuss the factors affecting the saving rate
- 5 सम्पूर्ण विकास दर को प्रभावित करने वाले तत्त्वों की विवेचना कीजिए।
Discuss the factors affecting the over-all growth rate
- 6 'विकास योजना केवल एक हृद तत्त्व अद्यशास्त्रीय कला है, एक महत्वपूर्ण हृद तक यह राजनीतिक समझोते का प्रयोग है।' (लूइस) व्याख्या कीजिए। (1974)
"Development planning is only in part an economic art, to an important extent it is also an exercise in political compromise" (Lewis) Elucidate
- 7 किसी विकास योजना में वृद्धि दर किस प्रकार निर्धारित की जाती है? वृद्धि दर को परिसीमित करने वाले तत्त्व कौन-कौन से हैं? पूरी तरह समझाइए। (1974)
How is the rate of growth determined in a development-plan? What are the constraints on the rate of growth? Explain fully
- 8 साधनों की गतिशीलता के बाबा समझते हैं? गतिशीलता को निर्धारित करने वाले कारणों की विवेचना कीजिए।
What do you understand by Resource Mobilisation?

- 9 आन्तरिक साधनों और बाह्य साधनों के विभिन्न रूपों की आलाचनात्मक समीक्षा कीजिए। Critically examine the various forms of internal resources and external resources
- 10 'योजना के लिए वित्तीय साधनों की गतिशीलता' पर निबन्ध लिखिए। Write an essay on "Mobilisation of Financial Resources."
- 11 उत्पन्नता वस्तुओं और मध्यवर्ती वस्तुओं के लिए मांग के अनुमान से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट रूप से व्याख्या कीजिए। What do you understand by the demand projections for consumptions goods and intermediate goods? Explain fully
- 12 मांग के अनुमानों में आदा-प्रदा गुणवत्ती के उपयोग को समझाइए। Explain the use of the input-output co-efficients
- 13 बनाइए कि आदा-प्रदा विश्लेषण की तकनीक कुशल आर्थिक नियोजन के लिए कहाँ तक प्रयोगी है? क्या भारत में इस तकनीक के प्रयोग में कोई व्यवहारिक कठिनाइयाँ हैं? Discuss how far the technique of input-output analysis is adoptable for efficient economic planning—Are there any practical difficulties in applying this technique in India?

अध्याय 10-16

- 1 विभिन्न खेतों के सन्तुलित उत्पादन लक्ष्य निर्धारित करने की विधि समझाइए। असन्तुलित विकास के पद में क्या तक है? (1973) Explain the method of determining balanced growth targets for different sectors. What are the arguments for unbalanced growth?
- 2 आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए विनियोग के अन्तर-भावीय आवटन के महत्व का विश्लेषण कीजिए। इस सम्बन्ध में बचत की सर्वांतम दर की प्रारणा की विवेचना कीजिए। Analyse the significance of inter-sector allocation of investment for promoting economic growth. Discuss in this connection the concept of the 'Optimum' rate of savings
- 3 वे कौन से सिद्धान्त हैं जिनके अनुरूप विनियोग करने योग कोणों को एक नियोजित अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में वितरण करना चाहिए? What are the principles in accordance with which investable funds should be distributed among the various sectors of a planned economy?
- 4 एक योजना बनाते समय कुल विनियोग का क्षेत्रीय आवटन आप कैसे निश्चित करें। (1973, 75) How would you determine the sectoral allocation of investment in making a plan?
- 5 किसी योजना में विनियोग की प्राथमिकताओं और तरीके का विश्वाय करने में किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए? क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि भारतीय योजना नियमान्वयों ने भारी और पूँजीयान उद्योगों, शक्ति तथा यातायात को बहुत अधिक ऊँची प्राथमिकता दी है तथा सामाजिक सेवाओं को बहुत कम प्राथमिकता दी है। What considerations should be kept in view in deciding the priorities and pattern of investment in a plan? Do you think that Indian planners have given too much priority to heavy and capital goods industries, power and transport and too low priority to social services?
- 6 अद्वैतिकता देशों के आर्थिक विकास की योजनाओं में प्राथमिकता के निर्धारण के मानदण्ड की विवेचना कीजिए। Discuss the criteria for determination of priorities in plans for the economic development of developed countries

- 7 एक अदृ०-विकसित देश के आर्थिक विकास में 'विनियोग चुनावों और ब्यूँ रचनाओं' पर एक निवन्ध लिखिए ।
Write an essay on "Investment Choices and Strategies" in the economic developments of an under developed country
- 8 'उत्पादन लक्ष्यों के निर्धारण' पर आलोचनात्मक निवन्ध लिखिए ।
Write a critical essay on "Determination of output Targets"
- 9 'विनियोग विकल्प की आवश्यकता' नीजिए । अदृ०-विकसित देशों की विनियोजन सम्बन्धी विशिष्ट समस्याएँ क्या हैं ?
Explain Need for Investment choice ? What are special investment problems in under developed countries ?
- 10 'विनियोग मानदण्ड' और उसकी आवाहारिक उपयोगिता की विवेचना भीजिए ।
Discuss Investment Criterion' and its practical utility
- 11 बाजार संवय के अभाव में एक समाजवादी अथ व्यवस्था में विभिन्न उद्योगों के बीच साधनों के आवंटन का निर्धारण इस प्रकार होता है ? क्या इस सम्बन्ध में संतुलनशील दशाएँ उन दशाओं से लाभारपूत रूप में भिन्न होती हैं जो एक प्रतियोगी पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था में पायी जाती हैं ?
How is the allocation of resources between different uses determined in a socialist economy in the absence of a market mechanism ? Are the equilibrium conditions in this case basically different from those in a competitive capitalist economy ?
- 12 अदृ०-विकसित देशों में आर्थिक विकास को वित्तीय प्रबंध देने वाले विभिन्न तरीकों का वर्णन भीजिए । क्या आप एक नियोजित अथ व्यवस्था में ही नार्थ प्रबंधन को अनिवार्य मानते हैं ?
Describe the various methods of financing development in under-developed countries. Do you consider deficit financing in a planned economy
- 13 ऐसा व्योकर है कि अनेक अदृ० विकसित देशों के मूल्य-स्तर में अत्यधिक बढ़ि भी छिपे गोतों को समूचित रूप से गतिशील बनाने में असफल रही है ? प्रूति-लोच में सुधार के लिए राज्य द्वारा क्या कदम उठाए या सकते हैं ?
How is it that even a tremendous rise in the price level of many under-developed countries has failed to mobilize adequately the hidden resources ? What steps can be taken by the state to improve the supply elasticity ?
- 14 किसी देश की किन भावारी पर अपने दुर्लभ साधनों का विभिन्न उद्योगों में वितरण करना चाहिए ?
On what basis should a country distribute its scarce resources among different industries ?
- 15 भारत में लोक जल की क्या मूल समस्या है ? इसे अधिक सामग्रीय बनाने के द्वारा तुम्हारा इसका विवरण देना चाहिए ।
What are the basic problems of the public sector in India ? Suggest measures for improving its profitability
- 16 एक दिट्टकोण यह है कि नियंत्रित मूल्य व्यवस्था कीमतों को नीचा रखने तथा अधिक लागतों को रोकने के अपने दीनो मुद्द्य उद्देश्यों में अधिकांश स्वयं व्यसफल रहती है ; क्या हाल ही का भारतीय अनुभव इसे सिद्ध करता है ?
There is a point of view that a controlled price system is largely self defeating in two of the Principal objectives keeping costs low & preventing excess profits. Does recent Indian experience bear this out ?
- 17 दिप्पणी लिखिए—
(अ) बढ़ते हुए मूल्यों के दुष्प्रभाव ।
(ब) तुलीप योजना की मूल्य नीति ।

Write a note on —

- (a) Implications of rising prices
- (b) Price policy for the Third Plan

- 18 “मूल्य के बहुत साधनों का आवाटन ही नहीं करते आय के वितरण का निपारण भी करते हैं।” क्या आप इस कथन से सहमत हैं? इस कथन के प्रसार में उस कृपि मूल्य नीति वा पुनर्मूल्यांकन कीजिए जो देश में हाल ही के दर्दों में अपनाई गई है।
“Price not only allocate resources they also determine the distribution of incomes” Do you agree? In the light of this statement review the Agricultural price policy pursued in the country in recent years
- 19 एक विकासशील अर्थ-व्यवस्था में मूल्य-नीति के विभिन्न लक्षण की बताइए।
Mention the salient features of price policy in a developing economy
- 20 एक नियोजित विकासशील अर्थ-व्यवस्था में मूल्य नीति के विभिन्न मुख्य लिंगान्तरों को लिखिए।
Write the various principles of price policy in a planned developing economy
- 21 अटिकारी और समटिकारी अध्ययन से क्या अभिप्राय है? एक विकासशील अर्थ-व्यवस्था में मूल्य-नीति में अटिकारी और समटिकारी पहलुओं को स्पष्ट कीजिए।
What is meant by micro and macro studies? Mention clearly the micro and macro aspects in price policy in a developing economy
- 22 विशित अर्थ-व्यवस्था में मूल्य-नीति के सिद्धान्तों की विवेचना कीजिए।
Discuss the principles of price policy in a mixed economy
- 23 ‘मूल्य-नीति और पदाय-नियन्त्रण’ पर एक निबन्ध लिखिए।
Write an essay on “Price Policy and Commodity Control”
- 24 विदेशी-विनियोग की महत्वा और आवश्यकता की विवेचना कीजिए।
Discuss importance and necessity of foreign exchange
- 25 भारतीय नियोजन में विदेशी विनियोग के आवाटन की परीक्षा कीजिए।
Examine allocation of Foreign exchange in Indian planning
- 26 उपर्युक्त सचिवालयक उदाहरण की सहायता से समझाइए कि आप किसी योजना का वित्तीय संगति की दृष्टि से परीक्षण कैसे करेंगे।
(1974)
Explain with the help of suitable illustrations, how you will test a plan for financial consistency
- 27 सकल लाभदायक विश्लेषण को सामाजिक लागत-लाभ विश्लेषण में बदलने के लिए कौन से सुधार आवश्यक हैं?
(1974)
What modifications must be made to turn gross profitability analysis into a social cost-benefit analysis?

Miscellaneous

- 1 “आर्थिक विकास बहुत हद तक मानवीय गुणों, सामाजिक प्रकृतियों, राजनीतिक परिस्थितियों और ऐतिहासिक संबोधों से भव्य र रखता है।” विवेचना कीजिए।
“Economic development has much to do with human endowments, social attitudes, political conditions and historical accidents.” Discuss
- 2 “यदि बचाना चाहे, तो कोई राष्ट्र इतना द्विद्वित नहीं होता कि अपनी राष्ट्रीय आय का 12% प्रतिशत न बचा सके, दरिद्रता ने राष्ट्रों को युद्ध का सूक्ष्माव करने से अवश्वा दूसरी तरफ आने सम्पत्ति लूटाने से कमी नहीं रोका है।” व्याख्या कीजिए।
“No nation is so poor that it could not save 12% of its national income if it wanted to; poverty has never prevented nations from launching upon wars or from wasting their substances in other ways.” Discuss.

556 आर्थिक विकास के सिद्धान्त

- 3 प्रदर्शनकारी प्रभाव से आप क्या समझते हैं ? यह अव्यविकसित देशों में पूँजी-निर्माण पर कैसे दूरी प्रभाव ढालता है ?
 What do you mean by the demonstration effect ? How it affects adversely capital formation in under-developed countries ?
- 4 इस बात की जाँच कैसे की जा सकती है जिप्रस्तावित बहिर्भव के लिए आवश्यक धन उपलब्ध है या नहीं ?
 How can one check whether the required funds are available to finance the postulated rate of growth ?
- 5 'राजनीतिक दृष्टि से कर लगाने के स्थान पर मुद्रा-स्फीति आरम्भ करना आसान हो सकता है लेकिन मुद्रा स्फीति का नियन्त्रण करने, उसकी उपादेयता अधिक से अधिक करने और उसकी हानियाँ कम से कम करने के लिए आवश्यक उपाय नियांरित और लागू करना करो तो वृद्धि से अधिक आसान नहीं है।' (लूट्रस) समझाइए। (1975)
 "It may be easier politically to start an inflation than to tax but the measures which control inflation, maximize its usefulness and minimize its advantage are no easier to adopt or administer than would be an increase in taxation" (Lewis)
- 6 'अरेक बारणों से लाभ कर्दै बार किसी प्रयोजन के सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति में योगदान को नापने का ठीक पैमाना नहीं हो सकता। लेकिन लाभ को इस स्थिति से विद्यापित करना ही सो निर्णय के लिए कोई अन्य आधार उसके स्थान पर स्थापित करना होगा।" (मिट्ट और मिर्लीज) यह बन्ध आधार क्या है ? उसकी मुख्य विशेषताएँ समझाइए। (1975)
 "There are many reasons why profits may not be a very good measure of a project's contribution to social ends..... But if profits are to dethrone some other guide to decision making must be put in their place" (Little Mirellies) What is other guide ? Explain its salient Features
- 7 सोव्हन्हीन के काण्डा-स्मूलनम प्रबल' सिद्धान्त को विवेचना कीजिए। 'प्रबल प्रयास' सिद्धान्त और इस सिद्धान्त में क्या अन्तर है ?
 Discuss Liebenstein's 'Critical Minimum Thesis' What is the difference between this theory and the 'Big Push' theory ?
- 8 आर्थिक विकास के सिद्धान्त पर हृष्टमेन के दृष्टिकोण को विवेचना कीजिए।
 Discuss Hirschman's approach to the theory of development
- 9 'सन्तुलित विकास' पर नर्सें और सेविस के विचारों के विशेष सन्दर्भ में प्रकाश ढालिए।
 Elucidate the concept of 'Balanced Growth' with special reference to Nurkse and Lewis
- 10 आर्थिक विकास के सिद्धान्त पर मियंट के दृष्टिकोण की समीक्षा कीजिए।
 Examine Myint's approach to the theory of development
- 11 निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए—
 (अ) निश्चन्ता का दृष्टक
 (ब) सन्तुलित विकास ।
 (सं) अम गहन बनाम पूँजी-गहन तकनीकें।
 (द) भारत में मानवीय शक्ति का नियोजन ।
 Write notes on the following :—
 (a) Vicious Circle of Poverty.
 (b) Balanced Growth
 (c) Labour-intensive v/s Capital-intensive Techniques
 (d) Man Power Planning in India

खण्ड-2. भारत में आर्थिक नियोजन

प्रश्नाएँ 1 से 7

- 1 स्वतन्त्रता से पूर्व भारत में आर्थिक नियोजन के विचार की मुख्य प्रवृत्तियों का संक्षेप में पुनर्विशेषण कीजिए।
Briefly review the main trends of thought on economic planning in India before Independence.
- 2 भारत में आर्थिक नियोजन के विवाह को बताइए।
Trace the evolution of economic planning in India.
- 3 भारत की द्वितीय और तृतीय पचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्यों तथा उपलब्धियों की तुलना कीजिए और उनमें अन्तर कीजिए।
(1969)
Compare and contrast the objectives and the achievements of India's Second and Third Five Year Plans.
- 4 तृतीय योजनावधि में भारतीय अर्थ व्यवस्था की दीमी प्रगति के कारणों पर प्रकाश डालिए।
(1968)
Account for the slow growth of India's economy during the Third Plan Period.
- 5 प्रथम तीत योजनाओं के उद्देश्यों, लक्ष्यों, वित्तीय स्रोतों और दोषों तथा उपलब्धियों को बताइए।
Point out the objectives, targets, resources and defects and achievements of the First Three Plans.
- 6 भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना की उपलब्धियों और इडिनाइज़ेरों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
(1967, 69)
Examine critically the achievements and difficulties of India's Third Five Year Plan.
- 7 चतुर्थ योजना पिछली योजनाओं से किन अर्थों में भिन्न थी? इस योजना को आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए।
In what way the Fourth Plan was different from previous plans? Critically examine the Fourth Plan.
- 8 भारत में चतुर्थ पचवर्षीय योजना काल में वित्तीय साधनों की व्यवस्था का मूल्यांकन कीजिए। ऐसे कौन से वित्त साधन स्रोत हैं जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया है?
(1973)
Make an appraisal of resources mobilisation during the Fourth Five Year Plan in India. What are the main sources of additional development funds which have not been utilised so far?
- 9 चतुर्थ योजना के उद्देश्य, साध्य एवं वित्तीय साधनों की संक्षेप में आलोचनात्मक विवेचना कीजिए।
Critically examine the objectives targets and resources of the Fourth Five Year Plan.
- 10 तृतीय व चतुर्थ पचवर्षीय योजनाओं में विनियोग के आवटन पर संक्षेप में नक्श अर्क कीजिए।
(1975)
Comment briefly on the allocation of investment funds in the Third and Fourth Five Year Plans.

558 भारत में आर्थिक नियोजन

- 11 चतुर्वर्षीय योजना के लक्ष्य और पूँजी लगाव के ढंग का संबोध में बर्णन कीजिए।
 Briefly explain the targets and capital outlay of the Fourth Five Year Plan.
- 12 चार पचवर्षीय योजनाओं में सेवीय आवटन का मिटावलोकन कीजिए। इससे आर्थिक विकास के गतिवर्द्धन में किस सीमा तक सहद मिली है ? (1974)
 Review the sectoral allocation in the Four Five Year Plans. How far has it been helpful in accelerating the pace of economic development?
- 13 बचत बढ़ाने के प्रयत्नों में एक बड़ा प्रयत्न सावनकारिक बचत की दर बढ़ाने का होना चाहिए (चतुर्वर्षीय योजना का मध्यावधि मूल्यांकन)। इस मत की पुष्टि करने वाले तर्फ समझाइए और यह बताइए कि यह कायनीति कहाँ तक सफल रही है। (1975)
 "A major thrust of savings efforts must be towards raising the rate of public savings" (Mid-term Appraisal of the Fourth Plan). Explain the arguments which substantiate this view and state how far this strategy has been successful!
- 14 प्रथम तीन पचवर्षीय योजनाओं में 'विकास बचत एवं विनियोग दर'—नियोजित तथा वास्तव में प्राप्त' की बालोचनामक विवेचना कीजिए।
 Critically examine the growth rates and saving (investment) rates planned and achieved in the first three Five Year Plans.
- 15 प्रथम तीन योजनाओं में वित्तीय आवटन की परीक्षा कीजिए।
 Critically examine the financial allocation in the first three Five Year Plans.
- 16 प्रथम तीन पचवर्षीय योजनाओं में सेवीय लक्षणों की विवेचना कीजिए।
 Discuss the sectoral targets in the first three Five Year Plans.
- 17 प्रथम तीन पचवर्षीय योजनाओं की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए।
 Discuss the achievements of the first three plans.
- 18 'निर्धनता पर विषय अवश ढाल सकने में योजना की असफलता का एक कारण अपर्याप्त वृद्धि दर रही है।' (एशोव टू कियप ल्लान) तथा आप तहसिल हैं ? योजना की पिछली दो दशकों में निर्धनता पर पड़े प्रभाव की विवेचना कीजिए और इस मामले में असफलता के कारण बताइए। (1974)
 'One reason for the failure of planning to make a major dent on poverty has been the inadequate rate of growth' (Approach to the Fifth Plan). Do you agree? Discuss the impact that the last two decades of planning has had on the poverty in India and give reasons for our failure on this front.
- 19 भारत में नियोजन आवटनों पर बालोचनामक निवेद्य लिखिए।
 Write a critical essay on "Plan allocation in India".
- 20 भारतीय योजनाओं में विनियोग बढ़ि के उपाय बताइए।
 Suggest measures to increase investment in Indian plans.
- 21 भारतीय नियोजन के सदर्शने ने उत्तारांका सुधार के उपाय बताइए।
 Suggest measures to improve productivity with reference to Indian Planning.
- 22 "भारत में गत दो दशकों में क्षार्पिक नियोजन की उपलब्धियाँ" विषय पर एक बालोचनामक निवन्धन लिखिए।
 Write a critical essay on "Economic Planning in India during the last two Decades".
- 23 'पांचवर्षीय योजना' के प्रमुख तत्वों की विवेचना कीजिए। क्या आप इस योजना की पूर्ववर्ती योजनाओं वी सुनना में अधिक अच्छा और व्यावहारिक समझते हैं ?
 Discuss the main features of the Fifth Five Year Plan. Do you regard it more effective and practical in comparison to the previous plans?

- 24 भारतीय नियोजन जिस रूपरेखा पर आधारित है उसकी व्याख्या कीजिए तथा नियोजनतन्त्र की टैक्निक में जो परिवर्तन हुए हैं उनकी व्याख्या कीजिए।
 Explain the plan frame underlying plans in India and trace the developments in the techniques of plan formulation that have been introduced recently.

अध्याय 8

- 1 भारत में योजना निर्माण और विद्यालयन के लिए जो प्रशासन-तंत्र है, उसका बर्णन दीजिए।

Describe the administrative machinery for plan formulation and implementation in India.

- 2 भारतीय नियोजन आयोग को 'सुपर केबिनेट' कहा गया है; इस यह आयोजना संस्थी है? नियोजन आयोग और कविनेट के मध्य आदर्श सम्बन्ध क्या होता तोहाएँ?

India's Planning Commission has been described as a Super Cabinet Is this criticism correct? What would be the ideal relationship between the planning Commission and the Cabinet?

- 3 सक्षम प्र उस तरीक का उल्लंघन कीजिए जिसके बन्दुपार केन्द्र में भारतीय योजना का निर्माण होता है। इस आप राज्यों के लिए पृथक् नियोजन-आयोगों की स्थापना का समर्थन करेंगे? Indicate briefly the manner in which the Indian plan at the centre is formulated. Would you advocate establishment of separate Planning Commissions for the states?

- 4 भारतीय योजना तन्त्र में खाली दोष हैं? इन दोषों को दूर करने हेतु सुझाव दीजिए।
 What are the defects of Indian Planning Machinery? Give suggestions for the removal of these defects.

- 5 कांग्रेसी तथा प्रारंभिक प्रशासनों के (अ) योजना बनाने तथा (ब) उन्हें कार्यान्वयित करने के सापेक्ष कायद बताइए।

बहुमान व्यवस्था में आप किन सुधारों का सुझाव देंगे? (1973)

Discuss the relative roles of the Union and state Government in the formulation and implementation of plans in India. What improvements would you suggest in the existing relationship?

अध्याय 9 एवं 10

- 1 भारत में गरीबी की समस्या का रूपांकन कीजिए। (1975)

Delineate the problem of poverty in India

- 2 भारत में गरीबों एवं असमानता के लिए हरित कान्ति के निहितायों पर विचार कीजिए। (1975)

Discuss the implications of "Green Revolution" for poverty and inequality in India

- 3 छौटी योजना में अधिकाधिक रोजगार-अवसर पैदा करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। इस दिक्षण में कौन से कदम उठाए गए और उनमें कहाँ तक सफलता प्राप्त हुई। (1972)

The Fourth Plan has laid emphasis on the need for generating more and more employment opportunities. What steps have so far been taken and with what success to achieve this orientation?

- 4 रोजगार के क्षेत्र में पचवर्षीय योजनाओं की उपलब्धियों का अधिलन कीजिए। (1974)

Asses the achievements of Five Year Plans in respects of employment

- 5 भारत में बेरोजगारी की समस्या की प्रकृति पर एक आलोचनात्मक लेख लिखिए। आप रोजगार नीतियों के सन्दर्भ में इस सुझाव देंगे।
 Write a critical essay on the nature of unemployment problem in India.
 What would you like to suggest regarding the employment policies?

अध्याय 11

- 1 राजस्थान में औद्योगिकरण की प्रगति का वर्णन कीजिए। इसकी गति बढ़ाने के सुझाव दीजिए।
 Discuss the progress of industrialisation in Rajasthan. Suggest measures for its acceleration.
- 2 राजस्थान की अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं की विवेचना कीजिए। क्या आप राजस्थान के सन्तुलित विकास के लिए उपाय सुझाएंगे ?
 Discuss different aspects of Rajasthan's Economy. What measures would you suggest for her balanced development?
- 3 राजस्थान की पचवर्षीय योजनाओं की उपलब्धियों की विवेचना करो। सार्वजनिक सेत के उद्योगों के विकास में इन्होंने क्या योगदान दिया है ? (1973)
 Discuss the achievements of Rajasthan's Five Year Plans. What has been the contribution of the public sector industries to the development of the state ?
- 4 "राजस्थान की आर्द्धिक विकास योजनाओं में औद्योगिक विकास की सर्वथा उपेक्षा की गई है।" क्या आप इस आरोप को ठीक मानते हैं ? अपने उत्तर के कारण बताइए। (1972)
 "Industrial development has been grossly neglected in the development plans for Rajasthan." Would you agree with this charge ? Give reasons for your answer.
- 5 राजस्थान की पचवर्षीय योजनाएँ अधिकतर आर्द्धिक क्षरी ढाँचा बनाने में लगी रही हैं।" आप इस पर ध्यान देने को कहीं तक उपयुक्त मानते हैं ? (1972)
 "Rajasthan's Five Year Plans have been largely concerned with the creation of economic overheads" How far do you think that this emphasis was justified
- 6 राजस्थान में योजना की दो दशाविंयों की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। (1974)
 Discuss the achievements of the two decades of planning in Rajasthan.
- 7 राजस्थान की तीसरी एवं चतुर्थ पचवर्षीय योजना की शास्त्रिकताओं वा समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। (1974)
 Give a critical appraisal of the priorities in Rajasthan's Third and Fourth Five Year Plans.
- 8 राजस्थान की तीसरी व चौथी पचवर्षीय योजनाओं के क्षेत्रीय विवरण का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। (1975)
 Critically evaluate the sectoral allocation in the Third and Fourth Five Year Plans of Rajasthan.
- 9 पचवर्षीय योजनाओं के दौरान राजस्थान में कृषि सुधार के प्रयत्नों का वर्णन कीजिए। (1975)
 Describe the efforts for agricultural improvement made in Rajasthan during the Five Year Plans.

Appendix—17

प्रन्थ-कोश (BOOK BANK)

खण्ड-1

1. *Agrawala & Singh (Eds)* : Economics of Under-development
2. *Adelman* : Theories of Economic Growth and Development.
3. *Bright Singh, D.* : Economics of Development
- 4 *Bauer, P. T. and Yamey, B. S.* The Economics of Under-Developed Countries.
- 5 *Baljeet Singh and V.B. Singh* : Social and Economic Change.
6. *Bonne, Alfred* : Studies in Economic Development.
7. *Baran, Paul* : The Political Economy of Growth.
- 8 *Baumol* : Economic Dynamics.
- 9 *Chakrawarti, S* : Logic of Investment Planning
- 10 *Coale and Hoover* : Population and Economic Development in Low Income Countries.
- 11 *Domar, Evsey* : Essays in the Theory of Economic Growth
- 12 *Das, Nabagopal* : The Public Sector in India
- 13 *Durbin, E. F. M* . Problems of Economic Planning
- 14 *Edward, F Denison* : Sources of Post War Growth in Nine Western Countries
- 15 Five Year Plans.
- 16 Five Year Plans of Rajasthan
- 17 *Gupta, K. R.* : Economics of Development.
18. *Ghosh, Alak* : New Horizons in Planning.
- 19 *Higgins, B* : Economic Development.
20. *Hirschman, A. O* : The Strategy of Economic Development,
21. *Harrod, R F* : Towards Dynamic Economics.
22. *Hoselitz, B F* . Theories of Stages of Economic Growth.
23. *Hoselitz, Berl, F* Sociological Aspect of Economic Growth.
- 24 *Hanson, A. H* : Public Enterprise and Economic Development
- 25 *Heyek, F. A.* : Collectivist Economic Planning.
- 26 *Hussian, I Z* Economic Factors in Economic Growth.
27. *Henderson, P. D* · Investment Criteria for Public Enterprises in Public Enterprises edited by R Turvey.

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 28 <i>Jacob Viner</i> | Economics of Development |
| 29 <i>Kaldor, N</i> | Essays of Economic Stability and Growth |
| 30 <i>Kalecki</i> | Theory of Economic Dynamics |
| 31 <i>Kindleberger, C P</i> | Economic Development |
| 32 <i>Leibenstein, Harvey</i> | Economic Backwardness and Economic Growth |
| 33 <i>Lewis W A</i> | • The Theory of Economic Growth. |
| 34 <i>Lewis W A</i> | Development Planning |
| 35 <i>Lester, W A</i> | The Theory of Economic Growth, |
| 36 <i>Little and Mirrless</i> | Social Cost-Benefit Analysis |
| 37. <i>Mishan, E J</i> | Cost Benefit Analysis |
| 38 <i>Meier G M and Baldwin, R E</i> | Economic Development |
| 39 <i>Meir G</i> | Leading Issues in Development Economics |
| 40 <i>Myrdal Gunnar</i> | Economic Theory and Under-developed Regions |
| 41 <i>Mehta, J K</i> | Economics of Growth |
| 42 <i>Meade, J E A</i> | • A Neo classical Theory of Economic Growth |
| 43 <i>Marx Black (Ed)</i> | The Social Theories of Talcott Parsons |
| 44 <i>Nag D S</i> | Problems of Under developed Economy |
| 45 <i>Nurkse, Ragnar</i> | Some Problems of Capital Formation in Under developed Countries |
| 46 <i>Neer's Paper</i> | Price Policy and Economic Growth |
| 47 Publication U N | Measures for the Economic Development of Under developed Country |
| 48 Publication U N | Development Decade |
| 49 Publication, U N | Determinants and Consequences of Population Trends |
| 50 <i>Rostow, W W</i> | The Process of Economic Growth |
| 51 <i>Robinson</i> | • (i) Exercises in Economic Analysis
(ii) The Accumulation of Capital
(iii) An Essay on Marxian Economics |
| 52 <i>Reddaway</i> | The Development of the Indian Economy |
| 53 <i>Singh V B</i> | Theories of Economic Development |
| 54 <i>Stanely Bober</i> | The Economics of Cycles and Growth |
| 55 <i>Simon Kuznets</i> | Economic Growth and Income Inequality |
| 56 <i>Steiner G A</i> | • Government's Role in Economic Life |
| 57 <i>Seth, M L</i> | Theory and Practice of Economic Planning |
| 58 <i>Sen, A K</i> | The Choice of Techniques |
| 59 <i>Singh, V B.</i> | Essays in Indian Political Economy |
| 60 <i>Simon Kuznets</i> | Six Lectures on Economic Growth |

61. *Simon Kuznets* : Modern Economic Growth.
62. *Tinbergen J.* : The Design of Development.
63. *Ursulla Kicks* : Learning about Economic Development.
64. U. N. Statistical Year Book.
65. U N Economic Survey of Asia and Far East.
66. *V K R V Rao* : Essays in Economic Development.
67. World Economic Survey
68. *Williamson, H F and Buttrick J A* : Economic Development-Principles & Patterns
69. जायिक समीक्षा, 1975-76.
70. योजना
71. भारत 1975,76 (Eng)

खण्ड-2

1. *Bhagwati, Jagdish & Desai Padma* : Indian Planning for Industrialisation.
2. *Bhattacharya K. N.* : Indian Plans
3. *Bhattacharya, K N* : India's Fourth Plan, Test in Growthmanship.
4. *Brij Kishore and Singh. B P* : Indian Economy through the Plans
5. *Chatterji, Amiya* : The Central Financing of State Plans in the Indian Federation
6. *Gadgil D. R.* : Planning and Economic Policy in India.
7. Indian Planning Commission : Basis Statistics Relating to Indian Economy 1950-51 to 1968-69.
8. Indian Planning Commission : Five Year Plans
9. Indian Planning Commission : Fourth Plan : Mid-term Appraisal.
10. Indian Planning Commission : Draft Fifth Five Year Plan, 1974-79.
11. *Iyengar, S K* : Fifteen Years of Democratic Planning
12. India 1974, 1975, 1976
13. *Mehta, Asoka* : Economic Planning in India.
14. *Maleubaulm* : The Crisis of Indian Planning.
15. *Paranjape, H K.* : Re-organised Planning Commission.
16. Planning Depts Govt. of Rajasthan : Five Year Plans (Rajasthan)
17. Planning Depts Govt. of Rajasthan : Draft—Fifth Five Year Plan, 1974-79.

- 18 Venkatasubbiah *Anotomy of Indian Planning*
Hiranappa
- 19 The Economic Times
- 20 योजना
- 21 राजस्थान विवरण
- 22 हि दुस्तान
- 23 साम्बहिक हि दुस्तान
- 24 राजस्थान आदव्यपक अध्ययन, 1970-77
- 25 भारत सरकार योजना मन्त्रालय स्पोट 1975 76
-